

# Naveen Shodh Sansar

(An International Multidisciplinary Refereed Journal)  
(U.G.C. Approved Journal)



# नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

## Index/अनुक्रमणिका

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| 01. | <b>Index/ अनुक्रमणिका</b>   | 02    |
| 02. | <b>Regional Editor Board / Editorial Advisory Board</b>   | 08/09 |
| 03. | <b>Referee Board</b>  | 10/11 |
| 04. | <b>Art movement in Colonial India : Special Reference : "Amrita Sher-Gil" - The most influential women artist of the era (Dr. Kingshuk Mukherjee)</b>   | 12    |
| 05. | पूर्वी उत्तर प्रदेश में द्वितीय श्रेणी महिला शिक्षकों की अभिवृति का अध्ययन (डॉ. ओम प्रकाश शर्मा, डॉ. अजय) .....   | 16    |
| 06. | चार्टड एकाउण्टेंट की मुख्य परीक्षा में असफल रहने वाले विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक व व्यक्तिगत कारकों का अध्ययन (भानुप्रिया सेन, डॉ. सरिता मेनारिया)   | 19    |
| 07. | पूर्वी उत्तर प्रदेश में द्वितीय श्रेणी महिला शिक्षकों के नैतिक विकास के प्रभाव का अध्ययन (डॉ. ओम प्रकाश शर्मा, डॉ. अजय) .....   | 22    |
| 08. | बालश्रम एक समस्या एवं उसका निराकरण (डॉ. गरिमा पारीक) .....  | 24    |
| 09. | कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी (धार जिले के विशेष सन्दर्भ में) (प्रो. राजेश मईड़ा) .....  | 27    |
| 10. | <b>Green Products From Agricultural Waste For Sustainable Environment - Review (Dr. Rashmi Ahuja)</b>   | 30    |
| 11. | <b>Qualitative and Quantitative Analysis and Nanotechnology Applications in Water Purification of Drinking Water Samples of Different Localities in Gandhi Nagar Area of Bhopal (Santosh Ambhore)</b> | 32    |
| 12. | ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तकनीकी में परिवर्तन का अध्ययन(धार जिले के विशेष सन्दर्भ में) (प्रो. राजेश मईड़ा) .....   | 35    |
| 13. | <b>Impact Of Arsenic In Drinking Water On Human Health (Dr. Kanti Pachori)</b>  | 39    |
| 14. | भीष्म साहनी का कथा साहित्य : मानवीय त्रासदी का इतिहास (डॉ. अंजली सिंह) .....  | 42    |
| 15. | बिलासपुर जिले के पर्यटन उद्योग का आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन (राकेश कुमार गुप्ता, डॉ. के. के. शर्मा)   | 44    |
| 16. | बैगा जनजाति में परंपरागत चिकित्सा पद्धति एक अध्ययन (सीमा सिंह, डॉ. शैलजा दुबे) .....  | 48    |
| 17. | गरीबी उन्मूलन अभियान में शारदा ग्रामीण बैंक का योगदान (गरिमा सिंह) .....  | 52    |
| 18. | पर्यावरण एवं परम्परा एवं सामाजिक आदर्ते (ऋचा एस. मेहता) .....   | 54    |
| 19. | <b>The Impact Of Yoga On Students Life (Dr. K.G.Pandey, Dhermender)</b>   | 56    |
| 20. | ग्रामीण एवं शहरी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षिकों के शिक्षक दायित्व (डॉ. कृष्ण गोविन्द पाण्डेय, सत्यपाल सिंह) .....   | 59    |
| 21. | <b>Radiation Hazards-Sources, Prevention and Control (Dr. Meena Swamy)</b>  | 61    |
| 22. | <b>Socio Political Forces and Indian English Fiction (Dr. Rajkumari Sudhir)</b>   | 64    |
| 23. | हिन्दी महिला लेखन-सर्वेक्षण (डॉ. मिथिलेष अग्रिहोत्री) .....   | 68    |
| 24. | मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम की योजनाओं का हितग्राहियों की आर्थिक स्थित पर प्रभाव (डॉ. रावेन्द्र सिंह पटेल) .....  | 67    |
| 25. | अर्थव्यवस्था में ग्रामीण उद्यमी महिलाओं की सहभागिता (डॉ. मिथिलेष अग्रिहोत्री) .....   | 71    |
| 26. | सामाजिक उत्थान में निमाड़ के सन्तों का योगदान (डॉ. मधुसूदन चौबे) .....  | 73    |
| 27. | राजस्थानी नीतिकाव्य का अलंकृति पक्ष – एक विवेचन (सुधा शर्मा) .....  | 75    |
| 28. | निमाड़ में भौगोर्या – मान्यता और वस्तुस्थिति (डॉ. मधुसूदन चौबे) .....   | 79    |

|     |   |      |
|-----|---|------|
| 29. | मास मीडिया और विज्ञापन यूग (डॉ. पूनम कुमारी) .....  | 82   |
| 30. | निमाड़ के दर्शनीय स्थल (डॉ. मधुसूदन चौबे) .....   | 84   |
| 31. | ग्रामीण विकास – नीति एवं संरचना (सचिन कुमार पाण्डेय) .....  | 87   |
| 32. | निमाड़ में सन्त परम्परा – एक पुनरावलोकन (डॉ. मधुसूदन चौबे) .....  | 91   |
| 33. | बैंकों में नवीन तकनीक एवं लागत नियंत्रण (सचिन दुबे, डॉ. घनश्याम अग्रवाल) .....  | 94   |
| 34. | प्राचीनकालीन निमाड़ (डॉ. मधुसूदन चौबे) .....  | 95   |
| 35. | Consumer Problems And Relevant Legislations (Shalini Sharma, Dr. Manju Dubey) .....   | 97   |
| 36. | Reduction in CO <sub>2</sub> emission by the use of Composite cement Using Mathematical Modelling .... (Dr. Sapna Shrimali, R.K. Mishra)      | 101  |
| 37. | Consumer Protection Act 1986 & Consumer's Satisfaction (Shalini Sharma, Dr. Manju Dubey) ....   | 108  |
| 38. | बड़वानी जिले में उद्यमिता विकास कार्यक्रम और उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) ..... (राहुल सूर्यवंशी, डॉ. घनश्याम अग्रवाल)          | 115  |
| 39. | Environmental impact and human health issues from pesticide use: A study (Santosh Ambhore) ....   | 118  |
| 40. | Tourism Indsutry In Chhattisgarh (Dr.Sunita Dubey, Dr. Daya Shankar Jagat) .....  | 123\ |
| 41. | मध्यकालीन संत एवं भक्त कवि कवीर और सार्वभौमिक मानव मूल्य (डॉ. के. एस. बघेल) .....   | 126  |
| 42. | कृषि उपज मण्डी समिति के जनप्रतिनिधियों की निर्वाचन प्रक्रिया का अध्ययन (बड़वानी जिले के विशेष सन्दर्भ में) .. (सुनीता बेले, डॉ. कान्ता अलावा) | 128  |
| 43. | Public Distribution System And Food Security In India (Archana Gaur) .....  | 130  |
| 44. | भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक अध्ययन (डॉ. आर. के. चौकसे) .....  | 132  |
| 45. | छिन्दवाड़ा जिले के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन (1991–2011) .....                                       | 135  |
| 46. | (ऋतेश कुमार कहार, डॉ. मोहन निमोले)  |      |
| 47. | युवाओं का चुनौतिपूर्ण जीवन और नैतिकता की संभावना (डॉ. निशा जैन) .....   | 138  |
| 48. | अगस्त क्रांति में महिलाओं का योगदान (डॉ. प्रेरणा ठाकुर) .....   | 141  |
| 49. | अजयमेरु का जल स्थापत्य (डॉ. बनवारी लाल यादव) .....  | 143  |
| 50. | Study on adsorption of Methylene blue by Activated Carbon derived from Ipomoea Carnea .....   | 147  |
| 51. | (Dr. Geeta Paryani, Shikha Shrivats)  |      |
| 52. | भारतीय संगीत वाद्यों का प्राचीन वर्गीकरण (कंचन सिंह) .....  | 151  |
| 53. | Adsorption studies on the removal of colouring agent phenol red Using Activated carbon .....  | 153  |
| 54. | as adsorbent (Dr. Geeta Paryani, Shikha Shrivats)   |      |
| 55. | A Study On Awareness And Perception Of Integrated Child Development Service (ICDS) .....  | 156  |
| 56. | Supervisors In Southern Rajasthan (Kusum Sukhwani, Dr. Usha Kothari)  |      |
| 57. | मध्यप्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन व उत्पादकता का एक अध्ययन (डॉ. भेरुलाल चौरड़िया) .....  | 161  |
| 58. | साइबर आतंकवाद एक चुनौती (डॉ. अजय कुमार जैन) .....   | 163  |
| 59. | सार्वजनिक पुस्कालय व समाज में उनकी भूमिका (डॉ. संतोष कापसे) .....   | 164  |
| 60. | परिवारिक बजट : एक अवलोकन (डॉ. एकता गांगिल) .....  | 166  |
| 61. | Infrastructure Development and Changes of Betterment : Study of People's opinion of .....   | 168  |
| 62. | Bhopal City (Geetu Chaudhary, Dr. Mahipal Singh Yadav)  |      |
| 63. | आर्थिक विकास में बाधक तत्व (इन्दौर के विशेष सन्दर्भ में) (डॉ. दीपक जैन) .....   | 183  |
| 64. | भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार एवं अन्य संस्थाओं का योगदान(इन्दौर के संदर्भ में) (डॉ. दीपक जैन) .....                                    | 185  |
| 65. | स्वच्छ भारत अभियान में इन्दौर (म.प्र.) का योगदान (डॉ. दीपक जैन) .....   | 187  |
| 66. | माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) एक व्यावहारिक अध्ययन (डॉ. दीपक जैन) .....  | 190  |

|   |     |
|---|-----|
| 64. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टेट बैंक समूह और भारतीय महिला बैंक के विलय का अध्ययन (कामरान अहमद खान) .....   | 192 |
| 65. Urban Cooperative banks in India : Challenges and probable solutions (Dr. Smriti Singh) .....   | 196 |
| 66. साहित्य में भाषा शिक्षण की उपादेयता (डॉ. धीरेन्द्र सिंह) .....  | 200 |
| 67. मध्यप्रदेश के धार जिले में स्वरोजगार की सम्भावनाएँ और वित्त प्रबन्ध हेतु सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाएँ - एक अध्ययन (डॉ. सुरेन्द्र कुशवाह)                                | 203 |
| 68. अग्रणी बैंकों का आर्थिक विकास में योगदान (डॉ. मोनिका बापट) .....  | 207 |
| 69. नगरीय मध्यम परिवारों में बालक-बालिकाओं में भेदभाव (डॉ. संगीता बगवैया) .....   | 209 |
| 70. म.प्र. के आर्थिक विकास में अग्रणी बैंकों की भूमिका (डॉ. मोनिका बापट) .....  | 212 |
| 71. Effect of International Advertising on Sales (Dr. Hitesh A. Kalyani) .....  | 214 |
| 72. ग्रामीण अंचलों में लोकोक्तियों का महत्व (डॉ. निरपेन्द्र कुमार सिन्हा) .....   | 216 |
| 73. Legislative And Judicial Measures To Curb Drug Menace (Dr. Navin Chouhan) .....   | 218 |
| 74. मादक पदार्थों का व्यसन, अवैध परिवहन एवं वर्तमान कानून व्यवस्था (डॉ. नवीन कुमार चौहान) .....   | 219 |
| 75. भारतीय परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक दूरदर्शन : एक परिवृश्य (डॉ. महेश कुमार मुछाल) .....   | 221 |
| 76. Multimedia as an Instructional Tool: Opportunities and Challenges (Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Kavita Agarwal)  | 224 |
| 77. महिला अपराध और सशक्तिकरण (डॉ. गोविन्द बाबू) .....   | 228 |
| 78. जनसंख्या वृद्धि : जनसंख्या शिक्षा एवं विकास (डॉ. महेश कुमार मुछाल) .....  | 229 |
| 79. आदिवासी क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन (बड़वानी जिले के विशेष सन्दर्भ में)(प्रो. अरविन्द कुमार सोनी, डॉ. पुरुषोत्तम गौतम) | 231 |
| 80. A Comparative Study Of Self Confidence Among Female Kabaddi Players : With Reference To Level Of Participation (Pramod Kumar Mahto, Dr. B. John)                            | 234 |
| 81. Problems Of Women Entrepreneur In India (Mamta Jaisiyan).....   | 236 |
| 82. The Effects Of Yogic Practices On Intellectual Development In Urban School Children In Rajasthan (Dr. Ramneek Jain)   | 238 |
| 83. देश की जीवन्त परम्परा-लोकोत्सव और निमाड़ की लोक संस्कृति (डॉ. इस्माईल अली बेग) .....  | 241 |
| 84. Freedom Of Speech And Expression In India And Press (Bhola Prasad Shau) .....   | 243 |
| 85. Law relating to patent right, enforcement and misuse- A critical analyses (Lok Narayan Mishra).....   | 246 |
| 86. Priority Sector (Marginalized class) and Position of Banking Advances in Globalized Era (Dr. Shweta Singh )   | 249 |
| 87. नये प्रकाश की खोज (डॉ. बुद्धरतन राजौरिया) .....   | 252 |
| 88. जलती हुई अंगारों में चलने का पर्व : मण्डा (रामजय नाईक) .....  | 255 |
| 89. विकलांग बच्चों में शिक्षण तकनीकी का विकास (सरदार कुमार चौधरी, डॉ. हीरालाल चौधरी) .....  | 257 |
| 90. भारतीय स्टेट बैंक का कृषि विकास में योगदान : उज्जैन जिले के विशेष सन्दर्भ में (आशाराम चौहान,डॉ. मनोहर जैन) .....  | 259 |
| 91. डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक और राजनीतिक विन्तन (डॉ. बैद्यनाथ चर्मकार) .....   | 261 |
| 92. स्वामी विवेकानन्द के विचारों में 'शिक्षा' के सामाजिक परिवर्तन (ममता चौहान) .....  | 263 |
| 93. जनजातीय समुदाय की प्रकृति और समस्याओं का भौगोलिक अध्ययन (डॉ. राजेन्द्र कुमार साकेत) .....   | 265 |
| 94. आवर्ती विपरण केन्द्रों का स्थानिक वितरण प्रतिरूप (डिण्डौरी जिले के सन्दर्भ में) (किशोर श्याम) .....   | 267 |
| 95. महाकवि भवभूति के दर्शन में मानवीय मूल्यों की प्रासंगिकता (डॉ. तुलसीराम साकेत) .....   | 269 |
| 96. प्राचीन धार्मिक परम्पराओं में प्रतिपादित पर्यावरण संरक्षण (डॉ. दीपक सिंह) .....   | 271 |

|   |     |
|---|-----|
| 97. A study of satisfaction level of Hunar Se Rozgar Tak Trainees after Training with special reference to Udaipur (Prof. Ashok Singh, Om Prakash Meena)  | 274 |
| 98. छत्तीसगढ़ की साहित्य परम्परा में पं.श्यामलाल चतुर्वेदी जी का अवदान (डॉ. श्रद्धा मेशाम, त्रिलोकी सिंह क्षत्री) .....   | 277 |
| 99. Impact of NPA on performance of M.P. State Co-operative Bank Bhopal ..... (Dr. G.C. Gupta, Dr. R.B. Gupta, Sadabati Thakur)   | 279 |
| 100. मध्यप्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा 'शाला सिद्धि' योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन ..... (प्रकाशचन्द्र शर्मा, डॉ. भंवरलाल नागदा)  | 283 |
| 101. सिंहस्थ कुम्भ के आध्यात्मिक मूल्यों की प्रासंगिकता (रीता टेटवाल) .....   | 285 |
| 102. Phytochemical screening and effect of pH on antimicrobial activity of Tinospora Cardifolia ..... leave extract with reference to some specific bacteria (Nahid Usmani, R.S. Nigam, O.P. Rai) | 287 |
| 103. वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव (क्रितिका सिंह, रूपेश द्विवेदी) .....   | 291 |
| 104. मानव एकता के लिए धर्म (देवदास साकेत) .....   | 293 |
| 105. पर्यटन केन्द्रों के धार्मिक महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन (डॉ. मनोरमा सिंह) .....   | 296 |
| 106. पर्यावरण से मानव का शैक्षिक विकास (डॉ. स्वर्णलता त्रिपाठी) .....   | 298 |
| 107. 'पशुसंसाधन विकास का भौगोलिक अध्ययन' उज्जैन जिले के सन्दर्भ में (डॉ. सी.एल. खिंची, सीताराम बलवान) ....  | 300 |
| 108. Husband's Employability Dynamics : Grounds of Shared Household Violence ..... (Dr. Minakshi Kar)   | 302 |
| 109. भारतीय जीवन बीमा निगम एवं रिलायन्स बीमा निगम के व्यवसाय का तुलनात्मक अध्ययन (खरगोन जिले के संदर्भ में) ..... (शिल्पी गुप्ता, डॉ. सहदेव पाटीदार)  | 306 |
| 110. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में भारतीय स्टैट बैंक द्वारा वितरित ऋणों की उपादेयता का मूल्यांकन ..... (जांजगीर चाप्पा जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. अनूप दीक्षित, अभिषेक देवांगन)            | 310 |
| 111. बाल अधिकारों के संरक्षण में विधियों की भूमिका (राजू देवांगन) .....   | 313 |
| 112. Cocoon Production In Chhattisgarh State With Particular Reference To Bilaspur District ..... (Bharati Dewangan, Dr. Prabhakar Pandey)  | 315 |
| 113. Impact of the Silk Route on Ancient India (Dr. Nilesh Sharma) .....  | 319 |
| 114. A Study on Entrepreneurship and GST (Priyanka Anand, Dr. S.K. Shrivastava) .....   | 321 |
| 115. The Study Of Determinants Of Ad Performance W.R.T. Online Advertisements ..... (Swati Jain, Dr. Anshu Bhati)   | 324 |
| 116. भारतीय स्वतंत्रता का उत्तर युग- मुद्राओं की नई चित्रभाषा – एक उपलब्धि (डॉ. सुनील कुमार, डॉ. सचिन सैनी) ....  | 329 |
| 117. चित्रकला की मौलिक 'शारीरिक भाषा' का कला-विज्ञान रूप-बोध का ही उत्कर्ष (डॉ. सुनील कुमार, डॉ. सचिन सैनी) .....   | 332 |
| 118. भारत में न्यायिक सक्रियता : एक अवलोकन (डॉ. सुनील कुमार श्रीवास्तव, शिल्पी शर्मा) .....   | 334 |
| 119. अपराध पीड़ितों के मानव अधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका का योगदान (मधु सिंह) .....  | 336 |
| 120. Wind Energy Production : A study in India scenario (Dr. Rashmi Arnold, Ramdeo Saket).....  | 338 |
| 121. म.प्र. सरकार के बजट घाटों का अध्ययन व विश्लेषण (डॉ. चन्द्रप्रकाश पैंवार) .....   | 340 |
| 122. भारतीय इतिहास में मृष्टूर्तिकला का धार्मिक विवेचना (ईश्वर लाल चौहान) .....   | 344 |
| 123. म.प्र. सरकार की लोक आय का अध्ययन व विश्लेषण (डॉ. चन्द्रप्रकाश पैंवार) .....  | 346 |
| 124. योग दर्शन : अध्यात्म और विज्ञान (मंजू तिवारी) .....  | 354 |
| 125. व्याकरणशास्त्र और आचार्य भामह (अंकुर माहेश्वरी) .....  | 357 |
| 126. Security and privacy in mobile devices: Issues and Solutions ..... (Shaloo Dadheech, Dr. Tarun Shrimali)   | 359 |

|   |     |
|---|-----|
| 127. A Comprehensive study on cloud based e-learning (Deepika Ameta, Dr.Tarun Shrimali) .....   | 362 |
| 128. Database Management on Clouds through NoSQL (Dr. Neetu Agarwal, Dr. Sanjay Chaudhary) .....  | 366 |
| 129. Importance of Yoga in Physical Education (Dr. Avinash Verma) .....   | 374 |
| 130. चर्मकारों का बढ़ता शैक्षिक स्तर राजस्थान के विशेष संदर्भ में (डॉ. योगेश चन्द्र जोशी) .....   | 377 |
| 131. समाज और देश के निर्माण में शिक्षक की भूमिका (डॉ. योगेश चन्द्र जोशी) .....  | 380 |
| 132. किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मूल्यांकन (डॉ. पी.डी. ज्ञानानी) .....   | 383 |
| 133. खाद्य संसाधन एवं विश्व आहार समस्या (डॉ. पी.डी. ज्ञानानी) .....   | 386 |
| 134. संत रविदास के चिन्तन में साहित्यक परिदृश्य (प्रदीप कुमार साकेत) .....  | 389 |
| 135. मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय सम-विकास योजना की उपयोगिता एवं प्रभाव (डॉ. अजय वाघे) .....  | 391 |
| 136. भारत के आर्थिक विकास में वित्त आयोगों का योगदान (डॉ. पीताम्बर सिंह चौहान) .....  | 393 |
| 137. धर्म – सम्प्रदायों में मम, सम और सद्भाव (डॉ. मनीषा दुबे) .....   | 396 |
| 138. उदयपुर जिले के आदिवासी एवं गैरआदिवासी किशोर विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति अभिवृति का तुलनात्मक अध्ययन (श्रीमती श्वेता वैष्णव, डॉ. प्रेमलता गाँधी)  | 400 |
| 139. राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करने वाली सरकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति के प्रति शिक्षक एवं अभिभावक का अभिमत (चेतना भारद्वाज, डॉ. अनीता कोठारी) | 402 |
| 140. सिम्बोपोगोन मिट्रेटस ट्राईगोनेला फीनमग्रीकम एवं ओसिमम सेंकटम के प्राथमिक पादपरासायनिक और कुल फीनालिक मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन (दीपाली साहू, रश्मि व्यास)   | 405 |
| 141. उच्च तथा निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. गुरमीत सिंह कचूरा, मिथुन भट्ट)  | 409 |
| 142. विद्यार्थियों के गृह वातावरण का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन (डॉ. गुरमीत सिंह कचूरा, मिथुन भट्ट) .....  | 411 |
| 143. पर्यावरण संरक्षण पर आधारित मानव मूल्यों का भौगोलिक अध्ययन (डॉ. हीरालाल चौधरी, डॉ. के.पी. आजाद) .....   | 413 |
| 144. मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का योगदान (मण्डला जिले के संदर्भ में) .....  | 415 |
| (डॉ. श्रीमति शुभांगी धगट, श्रीमति अनामिका तिवारी)   |     |
| 145. A Study on Relationship between Psychological Stress and Infertility in Female Population ..... undergoing Infertility Treatments (Sumita Mathur, Prof. Usha Kothari)                                  | 418 |
| 146. बांसवाड़ा शहर के एक विकास खण्ड गढ़ी का चयन कर उसमें चल रही आनन्ददायी शिक्षा के अन्तर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का एवं इससे सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करना (डॉ. दीपा त्रिवेदी)                        | 421 |
| 147. Women's Political Participation in India : Global to National (Dr. Kaniya Meda) .....  | 424 |
| 148. संगीत जगत के नवसृजीत कलाकार – संस्थाओं की देन (डॉ. स्वाती तेलंग) .....   | 429 |
| 149. जनजाति क्षेत्र के छात्र-छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली के विभिन्न स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. वनिता त्रिवेदी) .....   | 431 |
| 150. Peace Education - Concept (Dr. Premlata Gandhi) .....  | 434 |
| 151. नारी सशक्तिकरण एवं आधुनिक समाज (डॉ. प्रेमलता गाँधी) .....  | 436 |
| 152. मोटापे से ग्रसित कार्यशील महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर पर आहारीय परामर्श के प्रभाव का अध्ययन .....  | 438 |
| (डॉ. प्रगति देसाई, श्रीमती मेघा परमार)  |     |
| 153. Study of Component Based Software Development Prototyping Models .....   | 443 |
| (Priyanka Bhatewara Jain, Dr. Akhil Khare, Sonia Bhargava)  |     |

154. भीमल रेशों द्वारा धारों का निर्माण कर उत्तराखण्ड के घरेलू उद्योगों के लिए एक योगदान (गुँजा सोनी) ..... 447
155. Career Lattice Model - A Meaningful link between pre-service, in-service, and continuing ..... 450  
education (Dr. Premlata Gandhi)
156. पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षण में प्रयुक्त शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का अध्ययन ..... 453  
(रेखा दाधीच, डॉ. अनिता कोठारी)
157. Robo Tutor- A Research on Future of Teaching (Dr. Premlata Gandhi) ..... 455
158. A Study on Financial Performance of Stock Exchange in India (Chanda Parmar) ..... 459
159. Analyzing Impact Of Online Social Platform On Internet Buying Behavior (Dr. Ganpat Joshi) .... 463
160. Practises for Building Quality Software with Automation: A Practical Approach ..... 466  
(Vikas Kumar Choudhary, Dr. Sanjay Chaudhary)
161. बदलते परिवृश्य में अभिजात महिलाओं की स्थिति की भूमिका (डॉ. रोमा श्रीवास्तव) ..... 469
162. महेश्वर हथ करघा उद्यमियों में योगासन के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना (प्रतिष्ठा दासौंधी, डॉ. मंजु शर्मा) ... 471

## Regional Editor Board - International & National

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Dr. Manisha Thakur              | - Fulton College, Arizona State University, America.   |
| 2. Mr. Ashok Kumar                 | - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.                        |
| 3. Ass. Prof. Beciu Silviu         | - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.               |
| 4. Mr. Khgendra Prasad Subedi      | - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.     |
| 5. Prof. Dr. G.C. Khimesara        | - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India  |
| 6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav     | - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India                          |
| 7. Prof. Dr. N.S. Rao              | - Director, Janardhanrai Nagar Raj. Vidhyapeeth University, Udiapur (Raj.) India                   |
| 8. Prof. Dr. Anoop Vyas            | - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India                              |
| 9. Prof. Dr. P.P. Pandey           | - HOD, Commerce(Dean), Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India                           |
| 10. Prof. Dr. Sanjay Bhayani       | - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India                      |
| 11. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam     | - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India                                      |
| 12. Prof. Dr. B.S. Jhare           | - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India                              |
| 13. Prof. Dr. Sanjay Khare         | - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India                    |
| 14. Prof. Dr. R.P. Upadhayay       | - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India                    |
| 15. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma   | - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India                            |
| 16. Prof. Akhilesh Jadhav          | - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India                     |
| 17. Prof. Dr. Kamal Jain           | - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India   |
| 18. Prof. Dr. D.L. Khadse          | - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India                            |
| 19. Prof. Dr. Vandna Jain          | - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India                                   |
| 20. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar     | - Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India   |
| 21. Prof. Dr. Sharda Trivedi       | - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India   |
| 22. Prof. Dr. Usha Shrivastav      | - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India |
| 23. Prof. Dr. G. P. Dawre          | - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India  |
| 24. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya      | - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India   |
| 25. Prof. Dr. Vivek Patel          | - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India                             |
| 26. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary | - Prof., Commerce, Rajmata Sindhya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India                    |
| 27. Prof. Dr. P.K. Mishra          | - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India  |
| 28. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma   | - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India                          |
| 29. Prof. Dr. R. K. Gautam         | - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India                        |
| 30. Prof. Dr. Gayatri Vajpai       | - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India                     |
| 31. Prof. Dr. Avinash Shendare     | - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India                              |
| 32. Prof. Dr. J.C. Mehta           | - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India                        |
| 33. Prof. Dr. B.S. Makkad          | - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India                            |
| 34. Prof. Dr. P.P. Mishra          | - HOD, Maths, Chatrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India                                       |
| 35. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar | - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India                                      |
| 36. Prof. Dr. K.L. Sahu            | - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India                                   |
| 37. Prof. Dr. Malini Johnson       | - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India   |
| 38. Prof. Dr. Vishal Purohit       | - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India                                  |

## Editorial Advisory Board, INDIA

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav | - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India  |
| 2. Prof. Dr. Aditya Lunawat      | - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India |
| 3. Prof. Dr. Sanjay Jain         | - Former Controller, Madhya Pradesh Professional Examination Board Bhopal (M.P.) India                     |
| 4. Prof. Dr S.K. Joshi           | - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India                                      |
| 5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey       | - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India                                |
| 6. Prof. Dr. Sumitra Waskel      | - Principal, Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India                                      |
| 7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar     | - Principal, Govt. Girls PG College, Chhindwara (M.P.) India   |
| 8. Prof. Dr. Mangal Mishra       | - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India                                |
| 9. Prof. Dr. R.K. Bhatt          | - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India  |
| 10. Prof. Dr. Ashok Verma        | - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India                                  |
| 11. Prof. Dr. Rakesh Dhand       | - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India                                      |
| 12. Prof. Dr. Anil Shivani       | - HOD, Commerce /Management Deptt. Shri Atal Bihari Vajpai Hindi University, Bhopal (M.P.) India           |
| 13. Prof. Dr. Padam Singh Patel  | - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India   |
| 14. Prof. Dr. Manju Dubey        | - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India                                  |
| 15. Prof. Dr. A.K. Choudhary     | - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India                                   |
| 16. Prof. Dr. T. M. Khan         | - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India  |
| 17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao  | - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India  |
| 18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava   | - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls PG College, Gwalior (M.P.) India                                |
| 19. Prof. Dr. Kanta Alawa        | - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. PG College, Badwani (M.P.) India                                       |
| 20. Prof. Dr. S.K. Jain          | - Professor, Commerce, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India   |
| 21. Prof. Dr. Kishan Yadav       | - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India                                 |
| 22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya       | - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India  |
| 23. Prof. Dr. Purshottam Gautam  | - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India  |
| 24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta    | - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India   |
| 25. Prof. Dr. S.C. Mehta         | - Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh PG College, Jaora (M.P.) India   |
| 26. Prof. Dr. Tapan Chore        | - HOD,Economics, Vikram University, Ujjain (M.P.) India  |

\*\*\*\*\*

## Referee Board

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Maths                   | - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)  |
| Physics                 | - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)<br>(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)   |
| Computer Science        | - (1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)  |
| Chemistry               | - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)  |
| Botany                  | - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls PG College, Kota (Raj.)<br>(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)   |
| Life Science            | - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)<br>(2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)   |
| Statistics              | - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)  |
| Military Science        | - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)  |
| Biology                 | - (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)   |
| Geology                 | - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)<br>(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)   |
| Medical Science         | - (1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)  |
| Microbiology Sci.       | - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)  |
|                         | ***** Commerce *****   |
| Commerce                | - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)<br>(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)<br>(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)   |
|                         | ***** Management *****   |
| Management              | - (1) Prof. Dr. Rameshwar Soni, HOD, Research Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)<br>(2) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)  |
| Human Resources         | - (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)  |
| Business Administration | - (1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls PG College, Kota (Raj.)   |
|                         | ***** Law *****  |
| Law                     | - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)<br>(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)   |
|                         | ***** Arts *****   |
| Economics               | - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls PG College, Neemuch (M.P.)<br>(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)<br>(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Maidan, Indore (M.P.) |
| Political Science       | - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.)<br>(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)<br>(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)                                 |
| Philosophy              | - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)  |
| Sociology               | - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)<br>(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. PG College, Dhar (M.P.)<br>(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)   |
| Hindi                   | - (1) Prof. Dr. Kala Joshi, ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)   |

- (2) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)  
(3) Prof. Dr. Jaya Priyadarshini Shukla, Vansthali Vidyapeeth (Raj.)  
(4) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
- English - (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
- Sanskrit - (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls PG College, Bhopal (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. PG College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
- History - (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.)
- Geography - (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)  
(2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
- Psychology - (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls PG College, Chhindwara (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
- Drawing - (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)  
(3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
- Music/Dance - (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)  
(2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
- \*\*\*\*\* Home Science \*\*\*\*\*
- Diet/Nutrition Science - (1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)  
(2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)  
(3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
- Human Development - (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)  
(2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
- Family Resource Management - (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
- \*\*\*\*\* Education \*\*\*\*\*
- Education - (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)  
(2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)  
(3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)  
(4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana)
- \*\*\*\*\* Architecture \*\*\*\*\*
- Architecture - (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
- \*\*\*\*\* Physical Education \*\*\*\*\*
- Physical Education - (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
- \*\*\*\*\* Library Science \*\*\*\*\*
- Library Science - (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

# Art movement in Colonial India : Special Reference : 'Amrita Sher-Gil' - The most influential women artist of the era

Dr. Kingshuk Mukherjee \*

**Preface** - Radical changes came into the social scenario of the art infused cultural set up of India during the medieval period of Indian history. The Islamic and British rule brought about transformations on our art scene that were far more influential and far-reaching as compared to the pre-historic and historic eras (Dalmia, 2003).

Especially, the British colonial administration had a huge impact on the Indian art scene. They attempted to systematically impose the disciplined and structured approach of 'European art training' in the newly established official art schools in the commercial capitals of India, namely Calcutta, Bombay and Madras, and the other princely provinces in the vicinity of these commercial capitals. In the process, artists were somewhat stuck between their roots and modernity. The period ranging from the late 19th Century to the middle of the 20th century (1880-1947) has been termed as a period of 'art-turmoil' in India, which includes both breakdown as well as rediscovery of our rich art tradition at a point when European aesthetic norms were introduced. These conflicts between indigenous and western artistic modes lead to a prolonged period of art-turmoil and conflicting stands among some of the most eminent Indian artists of the era (Brown, 1953).

**Art and Cultural Changes during Colonial India** - Cultural Changes were inevitable, especially when the cultural monopoly had given way to the exposure of world contacts. The painter Jackson Pollock quoted in the 1940s, "The idea of an isolated American painting, so popular in this country during the 1930s seems absurd to me just as the idea of creating a purely American mathematics or physics will seem absurd....the basic problems of painting are independent of any country" (Subramanyan, 1978).

But apparently this 'getting together of the world' had not wiped out regional specialties as one thought it might. Some of the changes that had occurred in art practices over time have shown appreciable consideration for the past, while the others tried to break free. The theory of the 'avant-garde' is one of the most thorough analyses of the modern art situation. The idea of avant-garde grew rapidly.

L'Art Nouveau (new art) was celebrated all across and had influenced the Indian modern art scene as well. Abanindranath Tagore's works fall in line with the work of the artists of Art Nouveau. In a nutshell, as 'global art' was gaining rapid momentum in Colonial India, it did not completely wipe out the concept of 'local art' or 'folk art' traditions. Both 'Global art' as well as 'folk art' coexisted across the various strata of the Indian society. Our folk arts have gained a new respectability with art scholars. But this gave rise to conflicting view-point between the various artists who had diverse perceptions and opinions about the direction in which art was moving (Parimoo & Sarkar, 2009). Modernity continued to gain momentum in various parts of India from the early 20th century. The period ranging from the late 19th Century to the mid-20th century (1880-1947) has been termed as a period of 'art-turmoil' in India, which included both fall and re-discovery of our rich art tradition at a point when European aesthetic norms were introduced. This conflict between indigenous and western mannerism led to further conflict when Indian artists faced the early waves of modern European art (Peers, 2006).

The classification 'Naturalism' addresses the setting up of new art schools with European style art training which resulted in a new direction to art movement. An intellectual and creative churning took place in the early 20th century when traditional art began to be rediscovered in fresh creative ventures which is widely accepted as 'Revivalism'. Revivalist movement led to the expression of ethnicity, identity, and re-embodiment of traditions. (Subramanyan, 1978).

Colonialism led to India being portrayed as a modern nation. Although the colonial authorities introduced the British educational patterns and syllabi in a few universities including English language, to produce 'de-nationalized' professional Indians for imperial administration, the impact of this phenomenon had other benefits for the country. Generations of educated Indians emerged who propagated the ideas in favor of broadening our traditional outlook and adaptation of social reforms in the country. Many Indians

seriously studied India's glorious ancient past history and philosophy. Revivalism in visual arts, closely interdependent with the scholarly efforts of reassessment of India's artistic heritage, is a belated but glorious culminating phase of India's 'Renaissance' during the colonial rule (Parimoo & Sarkar, 2009).

**Continuation of the ongoing East-West Dilemma and the emergent modern artifacts** - Amrita Sher-Gil and Jamini Roy made a huge impact in the art scene of the colonial India. They tried reunion of Eastern and Western characteristics in their work. These painters and sculptors have enlarged their horizons, set up better standards in craftsmanship and encouraged serious thinking in the arts. During the fifties a number of these artists travelled abroad and observed what was happening there in the other parts of the world. The art scene in the west was undergoing drastic changes in the fifties and there were serious reconsiderations of values. The sixties brought into Indian art a great increase in spectrum; painters, sculptors and printmakers of all kinds could be found in every part of India; their knowledge of media and cleverness of handling was equal to any from anywhere in the world (Parimoo & Sarkar, 2009).

The west-east confrontation created new terminologies such as "Western Style" and "Eastern Style" art. In another few years, exposure to what was happening simultaneously in the West added still another category—Modern Style. All-India Exhibitions separated the exhibits under these newly created heads and showed them in separate galleries.

**Amrita Sher-Gil: An introduction** - At the juncture of early modernity in Indian Art Scene, as women started to appear in the social scenario in more influential positions, women artists gradually started to emerge. The mixture of styles by the Punjabi-Hungarian artist, Amrita Sher-Gil, left a huge impact in the art scene of the colonial India. She tried reunion of Eastern and Western characteristics in her work. She led the way for the entry of women in the newly emerged Commercial Indian Art and served as an inspiration to the new wave of women artists in the independent India. Amrita Sher-Gil was in Paris as an art student from 1929 to 1934. In India, at that time, 'Art trade' was catching up and the successful artists were no longer the suffering bohemians they used to be. Born of a Sikh father from an aristocratic, land owing family, and a Hungarian mother, Amrita Sher-Gil's life veered between Europe and India. Her Hungarian mother had given her a proper European upbringing during her eight years of childhood in Hungary and the following eight years in Simla but this was not enough to implant her in contemporary Paris. She was blessed with beauty, breeding, charismatic personality and extra ordinary talent as a painter. In 1929, she joined the Ecole des Beaux Arts in Paris. Her painting skills were recognized and acclaimed; she loved the bohemian life of artists in Paris. In 1934 she explains in a letter to her father that her long stay in Europe had aided her to discover India, and Modern art had led

her to the comprehension and appreciation of Indian painting and sculpture. She had already made some contact with the mainstream of Indian Art through the Parisian collections and through the orientalism of artists like Gauguin or Modigliani, whose work had roused her admiration (Peers, 2006).

With her parents settled in India, she was a part of the Indian social scene. In 1936 Amrita travelled south on what came to be for her a voyage of discovery of the historical art of India. She visited Ajanta first and the mural paintings of Ajanta came to her as a tremendous revelation. She found them 'vital', 'vibrant', and subtle. The Ajanta Murals opened up to her many possibilities of contact. Amrita Sher-Gil, after seeing the Ajanta murals in 1936, quoted - 'It is because there are many possibilities in Indian art that I am literally opposed to those that have not explored these possibilities'. From Ajanta she travelled still further south and saw murals of 'Padmanabhapuram' and 'Mattancheri', so different from that of Ajanta; also arrested her attention. She acknowledged Karl Khandalvala's comments on Post-Impressionism. According to him, Post-Impressionism had a fundamental analogy with Ajanta. Down the line, she came across the miniature work of Mughals and the Rajput. She started to grow fond of these styles. She seems to have realized that to her needs the language of the Rajput and Mughal paintings came nearest. In 1937, she tries a multi-perspective composition like a Rajput or Mughal miniature. In 1938 she tries to read the Rajput and Mughal expression into the village scenes around her producing a number of paintings such as 'Hill Scene', 'Red Clay elephant', 'Elephants bathing in a Green Pool' (Dalmia, 2003).

Her use of Indian subject matter too is no more the rare and the sentimental – the beggar, the widow, the sad nude, but common village sights as people clustered round the trees or houses, girls on a swing, elephants in village landscape. She sometimes bases these rather closely on Mughal and Rajput stereotypes such as 'Horse and Groom', 'Studies of Elephants', 'Ancient Storyteller'; often her attempts to scatter around object details are quite indigenous; also where she attempts multi-perspective.

**Amrita Sher-Gil: Modern Indian Art in the last few decades of Colonial India** - Sher-Gil's painting style at this time reflected the European idiom with its naturalism and textured application of paint. Many of the paintings done in the early 1930s are in the European style, and include a number of self portraits. There are also many paintings of life in Paris, nude studies, still life studied, as well as portraits of friends and fellow students. Of these, the self portraits form a significant corpus. They captured the artist in her many moods- somber, pensive and joyous- while revealing a narcissistic streak in her personality. Her style underwent a radical change by the mid- 30s. she yearn for India, and by 1934, the family returned. This time, she looked at India with the eyes of an artist. The colours, the textures, the vibrancy and the earthiness of the people had a deep impact on the young artist. In India, she appropriated the language

of miniatures. The complexities of her life- she was of mixed parentage and her art school background in Paris made her both, an insider and outsider, as did her ambivalent sexuality- promoted her to constantly reinvent her visual language. She sought to reconcile her modern sensibility with her enthusiastic response to traditional art-historical resources.

The majority of works by Amrita Sher-Gil in the public domain are presently with the NGMA, New Delhi, which houses over 100 paintings by this meteoric artist. Few of the notable paintings from the collection of NGMA, New Delhi:

**References :-**

1. Brown, P. - The Heritage of India-Indian Paintings: 6th Edition. Calcutta: Y.M.C.A. Publishing House, 1953.
2. Dalmia, Yashodhara - Contemporary Indian Art-Other Realities. Delhi: The Marg Foundation, 2003.
3. Subramanyan, K.G. - Moving Focus-Essays on Indian Art. New Delhi: Lalit Kala Akademi, 1978.
4. Parimoo, Ratan & Sarkar, Sandip - Historical Development of Contemporary Indian Art. New Delhi: Lalit Kala Akademi, 2009.
5. Peers, Douglas - India under Colonial Rule: 1700-1885 (Seminar Studies In History). London and New York: Routledge, Taylor and Francis group, 2006.
6. Thakur, Abanindranath - Apon Katha. Calcutta: Signet Press, 1946.
7. Mitter, Partha - Art and Nationalism in Colonial India, 1850-1922, Occidental Orientations. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
8. C.Sivaramamurti-Indian Painting, New Delhi, National Book Trust, 1970



Fig.1: Hungarian Village Market, Oil on Canvas, Amrita Sher-Gil



Fig.2: Notre Dame, Oil on Canvas, Amrita Sher-Gil



Fig.3: Two elephants, Oil on Canvas, Amrita Sher-Gil



Fig.4: Brahmacharis, Oil on Canvas, Amrita Sher-Gil



Fig.5: Bride's Toilet, 1937, Oil on Canvas, Amrita Sher-Gil

# पूर्वी उत्तर प्रदेश में द्वितीय श्रेणी महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन

डॉ. ओम प्रकाश शर्मा \* डॉ. अजय \*\*

**शोध सारांश -** प्रस्तुत शोध में द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति के अध्ययन के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। शोध के लिये प्रस्तुत शोध अध्ययन में उपकरण के रूप में स्व-निर्मित अभिभावकों का प्रयोग किया गया है जिसमें 20 प्रश्न थे, जिनका उत्तर हाँ/ नहीं में देना था तथा न्यायादर्श के रूप में उत्तर प्रदेश के बिहार क्षेत्र के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों का चयन किया गया, जिसमें 100 द्वितीय श्रेणी की महिला शिक्षकों को सम्मिलित किया गया है। शोध परिणामों से प्राप्त हुआ कि सरकारी विद्यालय के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों में अभिवृत्ति, गैर सरकारी विद्यालय के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति से अधिक पाइ गई।

**प्रस्तावना -** मानव द्वारा आदिकाल से ही ज्ञान का संचय किया जा रहा है प्रत्येक नयी पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी द्वारा कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता ही है और कुछ वह स्वयं अर्जित करता है। मानव की प्रत्येक पीढ़ी में सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से और हस्तातंरण द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती गई है। ज्ञान की यह परम्परागत शृंखला ही शिक्षा है। शिक्षा ने ही मानव को पशु स्तर से उंचा उठाया है। और श्रेष्ठ सांस्कृतिक प्राणी बनाया है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है और अनुभव करता है। वह सब शिक्षा के व्यापक अर्थ के अन्तर्गत माना जाता है। उसके सीखने और अनुभव करने का परिणाम यह होता है कि वह धीर-धीर विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित करता है।

भारतीय समाज पूर्णरूप से पिरु सत्तात्मक समाज है। मगर महिलाये शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों के स्थायित्व वर्चस्व को चुनौती दे रही है, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाये पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन पूर्व में उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षकों की स्थिति अत्यधिक ढंगीय थी। महिला शिक्षकों के लिये शिक्षण कार्य का सफर कर्तव्य आसान नहीं था। मसलन लंबा सफर करके स्कूल पहुंचना, स्कूल जाने से पहले घर का सारा काम पूरा करना, बच्चों की तैयार करना, घर के बाकि सदस्यों का खाल रखना आदि, जिनके कारण महिला शिक्षकों को घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था जिसके कारण उन्हे अपने शिक्षण कार्य में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। वर्तमान में भी महिला शिक्षकों की स्थिति पहले से थोड़ी ठीक है परन्तु आज भी द्वितीय श्रेणी महिला शिक्षकों को विशेष सुविधायें नहीं प्राप्त हैं।

**अभिवृत्ति का अर्थ -** प्रत्येक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। जिसके कारण वह अपना प्रत्यक्षीकरण करता है। व्यक्ति की विभिन्न वस्तुओं के प्रति इस धारणा को ही अभिवृत्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति की विशिष्ट घटना के प्रति भावना तथा विश्वास को ही अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति व्यक्ति को उस दृष्टिकोण की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह किसी वस्तु परिस्थिति संस्था या व्यक्ति के प्रति विशिष्ट व्यवहार करता है।

**स्कीनर के अनुसार -** अभिवृत्ति की परिभाषा व्यक्तित्व के समूह या किसी संस्था के प्रति सामान्यीकृत वित्तवृद्धि के रूप में की जाती है।

**संबंधित साहित्य का अध्ययन -** लारेन्स एवं अन्य (2004) द्वारा शोध अध्ययन 'माध्यमिक स्तर पर महिला शिक्षकों की संस्कृत भाषा पढ़ाने में रुचि' किया गया। जिसकी परिकल्पना थी - 1 संस्कृत भाषा के विभिन्न पक्षों में धनात्मक सह संबंध था। 2 इनमें से कुछ संस्कृत भाषा में उपलब्धि बढ़ाते रहे। 3 संस्कृत भाषा की उपलब्धि के प्राप्तांक सामान्य रूप से वितरित थे। इस अध्ययन के निष्कर्ष थे - 1 माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का व्याकरण एवं शब्द भंडार अधिक हैं। 2 उच्चारण, ज्ञान तथा शब्द की संरचना की तुलना में व्याकरण शब्द भंडार और उच्चारण बोझ अधिक पाया गया। संस्कृत भाषा की उपलब्धि स्तर परिवर्त्तन किया गया।

जेनिसन एवं बेस्ट्रिक, माइकल एवं किम (2009), 'अंश व हर (Frictions) के सवालों को सीखने के लिए विद्यार्थियों का अभिभावकों, शिक्षकों एवं शिक्षण विधि का प्रत्यक्षीकरण' पर शोध अध्ययन किया। इस शोध अध्ययन के उद्देश्य थे - 1 अंश व हर के सवालों का गणित विषय में महत्व को जानना। 2 इन सवालों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि का पता लगाना तथा विद्यार्थियों की अभिभावकों का पता लगाना। इस शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि व प्रश्नावली प्रविधि का उपयोग किया गया। इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष थे - 1 विद्यार्थी इन सवालों को सीखने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं। 2 विद्यार्थियों को इन सवालों के अवबोध करने के लिए प्रविधि में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। 3 इन सवालों को समझाने के लिए छात्रों की सहभागिता को बढ़ाना आवश्यक माना गया है।

मटिगा एवं मेथिस (2009), 'तंजानिया के माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों अभिभावकों एवं शिक्षकों का प्राइवेट ट्यूशन के प्रति प्रत्यक्षीकरण' पर शोध अध्ययन किया। जिसके उद्देश्य थे - 1 अभिभावकों का व्यूषन के प्रति रुझान का अध्ययन। 2 शिक्षकों का ट्यूशन के प्रति आकर्षण के कारणों का पता लगाना। इस शोध अध्ययन में उपकरण

\* प्राचार्य, महिला विद्या मंदिर, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रतापगढ़ (राज.) भारत

\*\* प्रो. चोधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उत्तर प्रदेश) भारत

व्यक्तिगत अध्ययन प्रविधि, साक्षात्कार, एवं समूह चर्चा का प्रयोग किया गया। इस शोध के निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, कि वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं के फलस्वरूप ट्यूशन का प्रभाव बढ़ गया है। अभिभावकों द्वारा समयभाव के कारण ट्यूशन की ओर आकर्षित होता है। परीक्षा में पास करवाने हेतु ट्यूशन को आवश्यक मानते हैं। विषय विशेषज्ञों की विषय में कमी होने के कारण भी ट्यूशन का प्रभाव बढ़ा है। शिक्षकों द्वारा अपनी आय को बढ़ाने के लिए ट्यूशन के प्रति आकर्षण बढ़ा है।

**औचित्य** – स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी राष्ट्रीय सरकार शिक्षा के प्रति सजग रही है। समय समय पर विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, किंतु जनसंख्या के दबाव के कारण शैक्षिक समस्याएँ बढ़ती रही हैं। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में स्कूलों, कॉलेजों की स्थापना नहीं हो पायी, जिससे कक्षा में छात्रों की संख्या बढ़ गई। साथ ही पुरुष शिक्षकों की भर्ती के साथ महिला शिक्षकों को भी आरक्षण देकर शिक्षक पद के लिये अधिकाधिक भर्ती की जाने लगी। इसलिये शोधार्थी ने इन महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति के संबंध में अध्ययन करने का निश्चय किया।

**समस्या कथन** – पूर्वी उत्तर प्रदेश में द्वितीय श्रेणी महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन

#### उद्देश्य :

- सरकारी विद्यालय एवं गैर सरकारी विद्यालय के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों में अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

#### परिकल्पना :

- गैर सरकारी विद्यालय के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों में अभिवृत्ति एवं सरकारी विद्यालय के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।

**सीमांकन** – प्रस्तुत शोध उत्तर प्रदेश के बिहार क्षेत्र के द्वितीय श्रेणी के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय के महिला शिक्षकों पर किया गया। अतः समय एवं सीमित साधनों से परिणाम प्राप्त किये गये।

**उपकरण** – प्रस्तुत शोध अध्ययन में उपकरण के रूप में स्व-निर्मित अभिमतावली का प्रयोग किया गया है जिसमें 20 प्रश्न थे, जिनका उत्तर हॉ/ नहीं में देना था।

**न्यादर्श** – प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में उत्तर प्रदेश के बिहार जिले में सरकारी विद्यालयों एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 100 महिला शिक्षकों को लिया गया है।

#### प्रदत्तों का संकलन एवं विश्लेषण

सरकारी विद्यालय एवं गैर सरकारी विद्यालय के द्वितीय श्रेणी महिला शिक्षकों अभिवृत्ति की का अध्ययन

#### सारणी क्रमांक - 1

| क्र. कथन  | सरकारी पूर्णांक | निजी पूर्णांक |
|---|-----------------|---------------|
|   | 100             | 100           |
|   | प्राप्तांक      | प्राप्तांक    |
| 1 प्रधानाध्यापक द्वारा महिला शिक्षकों को प्रताड़ित करना                                     | 43              | 57            |
| 2 पुरुष शिक्षकों द्वारा महिला शिक्षकों को ट्यूशन न करने देना                                | 22              | 78            |
| 3 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण महिला शिक्षकों द्वारा कन्ट्रोल न होना | 61              | 39            |

|   |    |    |
|---|----|----|
| 4 अतिरिक्त विद्यालयीन कार्य महिला शिक्षकों को सौंपना                                | 69 | 34 |
| 5 प्रायोगिक परीक्षा को ठीक से न करवा सकना।  | 40 | 60 |
| 6 महिला शिक्षक विद्यार्थियों को गहन अध्ययन के लिये प्रेरित करना।                    | 39 | 71 |
| 7 विद्यालय में पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण न होने के कारण महिला शिक्षकों को परेशान करना। | 34 | 66 |
| 8 महिला शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन करने का दबाव बनाना                                | 22 | 78 |
| 9 अभिभावक के पास समयाभाव होने के कारण विद्यार्थियों को ट्यूशन करने के लिये उकसाना।  | 17 | 83 |
| 10 घर के कार्यों को स्कूल में आकर बताना   | 67 | 33 |
| 11 अभिभावकों की इच्छा पूर्ति हेतु विद्यार्थी की ट्यूशन करना।                        | 33 | 67 |
| 12 परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिये ट्यूशन के लिये प्रेरित करना                   | 44 | 56 |
| 13 पुरुष शिक्षकों द्वारा महिला शिक्षकों के कार्य में किसी भी प्रकार का सहयोग न देना | 54 | 46 |
| 14 महिला शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी की विषयगत कमजोरी दूर करने का प्रयास करना।       | 91 | 43 |
| 15 विद्यालय पाठ्यक्रम के अलावा ज्ञानवृद्धि के लिये अतिरिक्त पुस्तकों का अध्ययन करना | 51 | 52 |
| 16 बोर्ड परीक्षा परिणाम उच्च लाने के लिये पुरुष शिक्षक की अपेक्षा अधिक प्रयास करना  | 24 | 76 |
| 17 भविष्य की महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिये कठिन परिश्रम करना।                    | 37 | 63 |
| 18 संस्था में प्रतिदिन देरी से पहुंचने पर शर्मिदा होना                              | 53 | 47 |
| 19 महिला शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों से मातृत्वपूर्ण व्यवहार करना।                | 42 | 58 |
| 20 महिला शिक्षकों द्वारा अपने साथी पुरुषों को समय समय पर सहयोग करना।                | 24 | 76 |

$$r = \frac{N \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{[N \sum x^2 - (\sum x)^2] [N \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

$$r = \frac{19 \times 1344 - (-26) \times (-76)}{\sqrt{[19 \times 5142 - (-26)^2] [19 \times 2156 - (-76)^2]}}$$

$$r = \frac{25536 - 1976}{\sqrt{[97698 - 676] [40964 - 5776]}}$$

$$r = \frac{23560}{\sqrt{97022 \times 35188}}$$

$$r = \frac{23560}{\sqrt{3414010136}}$$

$$r = \frac{23560}{58429.5314}$$

$$r = 0.40322$$

**निष्कर्ष -** सरकारी विद्यालय एवं गैर सरकारी विद्यालय के महिला शिक्षकों की अभिवृति में सहसंबंध का मूल्य 0.40 प्राप्त हुआ , जो कि पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के आधार पर निम्न कोटि का सहसंबंध है। अतः परिकल्पना 'गैर सरकारी विद्यालय के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों में अभिवृति एवं सरकारी विद्यालय के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा', निर्धक सिद्ध हुई। सारणी के अनुसार गैर सरकारी विद्यालय के महिला शिक्षकों की अभिवृति सरकारी विद्यालय के महिला शिक्षकों की अभिवृति अधिक सकारात्मक नहीं पाई गई, क्योंकि सरकारी विद्यालय के द्वितीय श्रेणी की महिला अध्यापकों को कक्षा में व्यवस्थित न पढाने या किसी भी अन्य कार्य को करने नहीं करने की स्थिति में भी उन पर प्राचार्य द्वारा विशेष दबाव नहीं डाला जाता और उनकों अपनी नौकरी न रहने का खतरा भी नहीं रहता है, इसके विपरीत गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों को अत्यधिक कार्यभार संभालना पड़ता है। और हर समय उनकी नौकरी एक तलवार की नींक पर टिकी रहती है। इसलिये

उनमें सरकारी विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों की अपेक्षा अभिवृति कम पाई जाती है।

**शिक्षक निहितार्थ -** विभिन्न विद्यालयों के वातावरण का विद्यार्थियों की संस्कृति उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया जा सकेगा तथा विद्यालय के वातावरण में सुधार किया जा सकेगा।

किसी भी क्षेत्र में किये गये शोध कार्य उसकी वर्तमान में उपयोगिता को ध्यान में रखकर किये जाते हैं। इसकी उपयोगिता शिक्षकों के लिये हो या विद्यार्थियों के लिये पालकों को लिये या फिर सामाज्य व्यक्तियों के लिये हो, उसका निहितार्थ आवश्यक है।

इस शोध कार्य द्वारा पुरुष शिक्षक विद्यालय में अपनी संकुचित मानसिकता को बदलते हुये महिला शिक्षकों के प्रति सहयोग जागृत करेंगे, जिससे उनकी विचारधार में बदलाव लाया जा सकेगा।

#### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. राजा, नमिता, 'उच्चतर माध्यमिक स्तर पर संस्कृत के प्रति अभिभावकों की अभिवृति का अध्ययन' अप्रकाशित एम.एड. लघु शोध अध्ययन, एम के कालिया शिक्षा अनुसंधान संस्थान यूनिवर्सिटी रोहतक 2015.
2. बेरी एवं बेर, नीमिशा एवं अनुप, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब
3. अरूण, आर. एस य व्यूशन के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों अभिभावकों एवं अध्यापकों की संस्कृत भाषा में ऊचि लेम्बड एकेडमी पब्लिशिंग 2012
4. अग्रवाल, जे.सी. ( 1996), एजुकेशन रिसर्च एन इन्ड्रोडक्शन, आर्य बुक डिपो, न्यू दिल्ली।
5. <http://www.education.edu>
6. <http://www.education.nic.in>
7. <http://www.wikipidiya>

\*\*\*\*\*

## चार्टड एकाउण्टेंट की मुख्य परीक्षा में असफल रहने वाले विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक व व्यक्तिगत कारकों का अध्ययन

**भानुप्रिया सेन \* डॉ. सरिता मेनारिया \*\***

**प्रस्तावना** – ‘शिक्षा का महत्व अन्य सभी विषयों से बढ़कर है। एक राष्ट्र का निर्माण उस देश के नागरिक करते हैं और शिक्षा उन नागरिकों का निर्माण करती है।’ – पं. जवाहरलाल नेहरू

बालक राष्ट्र की धरोहर होते हैं। विच्छयात अंगेज कवि मिल्टन का कथन है कि जैसे सूर्योदय होने पर ही दिन होता है, वैसे मानव का उद्भव भी बालक से ही होता है। अतः प्रत्येक राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि वह अमूल्य छात्रगत निष्पत्ति की रक्षा करें। बालकों के भविष्य पर ही राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है तथा शिक्षा के माध्यम से ही बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। एक बालक अपने जीवन को उत्कृष्ट व सार्थक बनाने के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तर जैसे प्राथमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक आदि को उत्तीर्ण कर अपनी खुचि व योग्यता को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव करता है जिसमें वह जीवन भर अपनी योग्यता व कौशल का अच्छा प्रदर्शन कर सके। इशिक्षा के जगत में अलग अलग संकाय के विद्यार्थी अलग अलग विषय लेकर अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। आज के व्यावसायिक युग में कई विद्यार्थी अपने कैरियर का निर्माण करने हेतु वाणिज्य संकाय से संबंधित कई कोर्सेज हैं उनमें प्रवेश लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। उनमें से एक प्रमुख कोर्स है चार्टेड एकाउण्टेन्ट का है। यह एक उच्च स्तर का कोर्स है इस कोर्स को करने वाले विद्यार्थी को समाज में सम्मान की उपेक्षा से देखा जाता है। यह कोर्स पूरे भारत में एक ही संस्था Institute of chartered Accountant of India New Delhi द्वारा कराया जाता है।

इस कोर्स में प्रवेश पाने के दो तरीके हैं :-

1. सी.पी.टी. उत्तीर्ण करना।
2. वाणिज्य विषय में स्नातक व स्नातकोत्तर में मान्य विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत की डिग्री।
3. करने के लिए विद्यार्थी को निम्नलिखित सोपानों को उत्तीर्ण करना होता है जो इस प्रकार से है:-
4. सी.पी.टी. (कॉमन पीफिसियेन्सी कोर्स) – यह सी.ए. की मुख्य परीक्षा में प्रवेश की प्रथम सीढ़ी है यह एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है जिसमें नकारात्मक अंकन होता है। यह परीक्षा वर्ष में दो बार होती है प्रथम तो जून में तथा द्वितीय दिसंबर माह में होती है। इसमें चार विषय होते हैं :-

  1. अकाउन्टिंग (Accounting)
  2. मर्केन्टाइल लाज (Mercantile laws)
  3. सामान्य अर्थशास्त्र(General economics)

### 4. मात्रात्मक रस्तान (Quantitative Aptitude)

यह परीक्षा कुल 200 अंक की होती है तथा यह परीक्षा दो सेशन में होती है जिसमें चार भाग होते हैं तथा प्रत्येक सेशन के लिए दो घंटे दिये जाते हैं। प्रत्येक सेशन 100 अंक का होता है। विद्यार्थी के सी.पी.टी. उत्तीर्ण करने के बाद उसको सी.ए. की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आईपीसीरी, आर्टिकलशिप एवं फाईनल परीक्षा को उत्तीर्ण करना होता है।

**मुख्य शब्द** – चार्टेड एकाउण्टेंट परीक्षा, विद्यार्थी एवं असफलता

### असफलता के मुख्य कारक :-

1. पारिवारिक कारक
2. सामाजिक कारक
3. आर्थिक कारक
4. शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधी कारक
5. मनोवैज्ञानिक कारक
6. नैतिक कारक
7. आध्यात्मिक कारक
8. व्यक्तिगत कारक

**शोध उद्देश्य** – इस शोध अध्ययन हेतु शोधार्थी ने निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया है :

1. चार्टेड एकाउण्टेंट की मुख्य परीक्षा में असफल रहने वाले विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक कारकों का अध्ययन करना।
2. चार्टेड एकाउण्टेंट की मुख्य परीक्षा में असफल रहने वाले विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारकों का अध्ययन करना।


**शोध विधि** – शोधकर्ता को सीमित समय में विस्तृत जानकारी विविध पक्षों के लिए चाहिए जो सर्वेक्षण विधि से संभव है। अतः प्रस्तुत शोध की प्रकृति के आधार पर सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया।

**शोध उपकरण** – शोधकर्ता ने दत्त संकलन हेतु मनोवैज्ञानिक व व्यक्तिगत कारक संबंधी जाँच सूची का निर्माण किया जिसके आधार पर सीएकी मुख्य परीक्षा में असफल रहने वाले विद्यार्थियों के दत्तों का संकलन किया गया है।

**शोध का न्यायादर्श** – प्रस्तुत शोध में न्यायादर्श चयन के लिए उदयपुर जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के कुल 400 सी.ए. की मुख्य परीक्षा में असफल विद्यार्थियों का चयन सोडैश्य प्रतिचयन विधि द्वारा चयन किया गया, जिसमें 200 ग्रामीण तथा 200 शहरी क्षेत्र से चयन किए गये।

\* पी.एच.डी. शोधार्थी, जनार्दनराय नागर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान) भारत

\*\* पी.एच.डी.पर्यवेक्षक, विद्यापीठ, डबोक, उदयपुर (राजस्थान) भारत



**परिणाम व विवेचना** – चार्टड एकाउण्टेंट की मुख्य परीक्षा में असफल रहने वाले विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रतिशतवार विश्लेषण

| क्र. | कथन   | हाँ | नहीं |
|------|---|-----|------|
| 1.   | शिक्षक जल्दी-जल्दी कोर्स पूरा करवाते हैं।                                     | 78  | 22   |
| 2.   | परीक्षा के दिनों में दोहरान का पर्याप्त समय नहीं मिलता है।                    | 89  | 11   |
| 3.   | वर्तमान पाठ्यक्रम के विस्तृत व पेचिदा होने से पढ़ने व समझने में थकान होती है। | 81  | 19   |
| 4.   | परीक्षा परिणाम को लेकर चिन्तित रहता हूँ।                                      | 77  | 23   |
| 5.   | परीक्षा से पूर्व कोर्स पूरा करने की चिन्ता रहती है।                           | 85  | 15   |
| 6.   | परीक्षा के दोहरान कम सो पाता हूँ।   | 76  | 24   |
| 7.   | परीक्षा के दोहरान उचित मार्गदर्शन के अभाव में चिन्तित रहता हूँ।               | 80  | 20   |
| 8.   | साथी सहपाठियों से अधिक अंक प्राप्त करने के प्रयास में भी चिन्तित रहता हूँ।    | 70  | 30   |
| 9.   | सी.ए. मुख्य परीक्षा में असफल होने का भी भय बना रहता है।                       | 82  | 18   |

**व्याख्या व विश्लेषण** – चार्टड एकाउण्टेंट की मुख्य परीक्षा में असफल रहने वाले विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रतिशतवार विश्लेषण करने पर निम्नलिखित परिणाम परिलक्षित होते हैं:-

- चार्टड एकाउण्टेंट की मुख्य परीक्षा में असफल रहने वाले विद्यार्थियों का जाँच सूची के कथन संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8, तथा 9 पर सहमति का प्रतिशत क्रमशः 78,89,81,77,85,76,80,70 व 82 प्राप्त हुआ। निष्कर्षतः विद्यार्थी सी.ए.की मुख्य परीक्षा में मनोवैज्ञानिक कारकों जैसे परीक्षा संबंधी तनाव , परीक्षा संबंधी सही मार्गदर्शन का प्राप्त न होना , पाठ्यक्रम विस्तृत व पेचिदा होना आदि के कारण असफल होता है।

चार्टड एकाउण्टेंट की मुख्य परीक्षा में असफल रहने वाले विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारकों का प्रतिशतवार विश्लेषण

| क्र. | कथन   | हाँ | नहीं |
|------|---|-----|------|
| 1.   | मैं निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाने से परेशानी व चिन्ता अनुभव करता हूँ।             | 80  | 20   |
| 2.   | मुझे उचित अध्ययन वातावरण के अभाव में पढ़ाई में कठिनाई होती है।                                    | 90  | 10   |
| 3.   | मुझे शारारती बालकों के साथ अध्ययन करने में परेशानी महसूस होती है।                                 | 70  | 30   |
| 4.   | कोर्चिंग में गहराई से अध्ययन नहीं करते हैं जिससे सम्प्रत्यय के बारे में जानकारी अधूरी रह जाती है। | 60  | 40   |
| 5.   | विद्यालय में स्वबंधुता न होने से मैं हमेशा खिल रहता हूँ।  | 75  | 25   |

|     |  |    |    |
|-----|--|----|----|
| 6.  | कभी कभी दूसरों के परिणाम देखकर मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाता हूँ। | 82 | 18 |
| 7.  | मैं एक साथ 8 से 10 घटे तक पढ़ाई तक नहीं कर पाता हूँ।                     | 62 | 38 |
| 8.  | मैं परिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए सी.ए. करना चाहता हूँ।                 | 65 | 35 |
| 9.  | मैं पढ़ाई सदैव एकान्त व शान्त माहील में ही कर सकता हूँ।                  | 55 | 45 |
| 10. | मैं समूह के साथ पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ।                                  | 84 | 16 |

**व्याख्या व विश्लेषण** – चार्टड एकाउण्टेंट की मुख्य परीक्षा में असफल रहने वाले विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारकों का प्रतिशतवार विश्लेषण करने पर निम्नलिखित परिणाम परिलक्षित होते हैं:-

- चार्टड एकाउण्टेंट की मुख्य परीक्षा में असफल रहने वाले विद्यार्थियों का जाँच सूची के कथन संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तथा 10 पर सहमति का प्रतिशत क्रमशः 80,90,70,60,75,82,70,62,65,55 व 84 प्राप्त हुआ। निष्कर्षतः विद्यार्थी सी.ए.की मुख्य परीक्षा में व्यक्तिगत कारकों जैसे निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा न होना , दूसरों के परिणाम देखकर , पारिवारिक जिम्मेदारी , समूह के साथ पढ़ाई नहीं आदि के कारण असफल होता है।

#### **सी.ए. की मुख्य परीक्षा में सफलता हेतु सुझाव :**

- परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थी को सही व चयनित विशेषज्ञ से निर्देशन प्राप्त कर तैयारी आरम्भ करनी चाहिए।
- परीक्षा की तैयारी के साथ परम पिता परमेश्वर में पूर्ण आस्था रखनी चाहिए जिससे आत्मबल में वृद्धि होती है।
- परीक्षा की तैयारी हेतु सर्वप्रथम परीक्षा पेटर्न को अच्छी तरह से समझकर उसी के अनुसार तैयारी करें।
- परीक्षा में सफल होने के लिए बार बार दोहरान करना चाहिए जिससे स्थायी स्मृति हो सके।
- कठिन विषयों की तैयारी के लिए सुबह जल्दी उठकर तैयारी करना चाहिए।
- परीक्षा के दिनों में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए।



**वर्तमान में प्रांसंगिकता** – प्रस्तुत शोध आलेख का महत्व वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों, सी.ए. की कोर्चिंग सेन्टर के सी.ए. पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं, नवीन अनुसंधान एवं सी.ए. परिणामके विष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी प्रेरित होकर सी.ए. मुख्य परीक्षा में सफल हो सकते हैं।

#### **Research Survey in Education :-**

- Buch, M.B. (1970): A Survey of Research in Education CASE, M.S. University, Baroda.
- Buch, M.B. (1973): Second Survey of Research in Education, Baroda, Society for Educational Research and Development.
- Buch, M.B. (1983): Third Survey of Research in Education, Baroda, Society for Educational research and Development.
- Buch, M.B. (1993): Forth Survey of Research in Education NCERT, New Delhi.
- Buch, M.B. (1995): Fifth Survey of Research in Education NCERT, New Delhi.

#### **Books :-**

- Best, J.W. Kahn, James V. (2006): "Research in Education" Prentice Hall of India, New Delhi
- Ehrhart, Mark G. et.al(2014) :"Organizational Climate and Culture", New York, Rptledge
- Evans, Linda(1998):Teacher Morale, Job Satisfaction and Motivation, London, Paul Chapman Publishing Ltd.
- Fox, J.D.(1969):The Research Process in Education New York, Rinehart and Winston Inc.
- Good and Halt(1952) :Method in Social Research, New York, McGraw Hill Book Co.
- Good, C.V. (1959):Introduction to Educational Reseach, New York, Appleton Century Crofts Inc.
- Guilford, J.P. (1965) :Fundamental Statistics in Psychology and Education, New York Mcgraw Hill Book Co.
- Karlinger F.(1983): Fundamental of Behavioral Research, New Delhi, Surjeet Publication.
- Pareekh, Uday (1991):Making Organizational role effective, New Dehli, Tata McGraw Hill Pub. Co.



\*\*\*\*\*

# पूर्वी उत्तर प्रदेश में द्वितीय श्रेणी महिला शिक्षकों के नैतिक विकास के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. ओम प्रकाश शर्मा \* डॉ. अजय \*\*

**शोध सारांश -** प्रस्तुत शोध में प्रस्तुत शोध में द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति के संदर्भ में अध्ययन के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। शोध के लिये प्रस्तुत शोध अध्ययन में उपकरण के रूप में स्व-निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है जिसमें 20 प्रश्न थे, जिनका उत्तर हॉ/नहीं में देना था तथा न्यादर्श के रूप में उत्तर प्रदेश के बिहार क्षेत्र के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों का चयन किया गया, जिसमें 100 द्वितीय श्रेणी की महिला शिक्षकों को सम्मिलित किया गया है। शोध परिणामों से प्राप्त हुआ कि सरकारी विद्यालय के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों में अभिवृत्ति, गैर सरकारी विद्यालय के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति से अधिक पार्ई गई।

**प्रस्तावना -** जिस प्रकार हम जीवन को किसी परिभाषा में नहीं बाँध सकते, उसी प्रकार शिक्षा को भी किसी एक परिभाषा में बाँधना अत्यंत कठिन हैं। जीवन के समान ही शिक्षा भी बहु आयामी है। जब हम शिक्षा की चर्चा करते हैं तब शिक्षा के विभिन्न पहलु हमारे सामने साकार हो जाते हैं। कुछ विद्धान शिक्षा को विद्यालयीन शिक्षा तक सीमित रखना चाहते हैं। यह शिक्षा का अत्यंत संकुचित अर्थ है। कुछ विद्धान शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया मानते हैं। अपने दैनिक व्यवहार में बहुधा हम कहते हैं कि मेरा पुत्र पढ़ रहा है अथवा उसकी शिक्षा पुरी हो गई है। इन उद्घरों से यही अर्थ ध्वनित होता है कि शिक्षा- संस्थाओं में ग्रहण की जाने वाली शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है। इससे एक अर्थ यह भी निकलता है कि स्कूल जाने के पहले भी बच्चा बहुत कुछ बातें सीखता है और विद्यालय छोड़ने के पश्चात् कुछ सीखता रहता है। वास्तव में शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। उसके अंतर्गत हमारा सम्पूर्ण जीवन आता है। दूसरे शब्दों में सम्पूर्ण जीवन ही शिक्षा काल है। शिक्षा बालक को संरक्षित कर नया जीवन देती है, उसका रूपान्तरण करती है। शिक्षा बालक का संरक्षित कर उसे पवित्र तथा शुद्ध बनाती है।

नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस-पडोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। निसंदेह बच्चा पुरस्कार, ढण्ड, प्रशंसा या निंदा के द्वारा अच्छे आचरण सम्पन्न करता है, जो बुरे आचरण का त्याग कर देता है और किशोराव्यस्था में उसके भीतर विवेक पैदा होता है। और इसी विवेक के द्वारा वह नैतिक व्यवहार को सीखता जाता है। जब नैतिक व्यवहार के बाहरी ऋतु समाप्त हो जाते हैं, तो वह आंतरिक ऋतु अर्थात् विवेक के द्वारा नैतिक व्यवहार को सीखता है और अपने आचरण को नैतिक बनाने का प्रयास करता रहता है।

जब बालक का जन्म होता है, तो वह न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है। बल्कि वह तो अच्छा या बुरा, सही या गलत

सभी आचरण समाज से ही सीखता है। इसलिये कहा गया है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की भूमिका होती है। जो व्यक्ति अपने समाज की मान्यताओं या अपेक्षाओं के अनुसार आचरण करता है। वह नैतिक कहलाता है। इसके विपरीत जो इनका अनुसरण नहीं करता है, वह अनैतिक कहलाता है।

हरलॉक ने नैतिक व्यवहार को सीखने के लिये कुछ बातों को आवश्यक माना है, जो निम्नलिखित है-

1. बालक को रूपष्ट रूप से यह बता देना चाहिये कि क्या सही है ? और क्या गलत है ?
2. यदि बालक अच्छा आचरण करे तो उसे स्वयं ही प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिये और यदि वह बुरा आचरण करे तो उसे स्वयं ही खेद का अनुभव होना चाहिये।
3. बालक को यह भी बताने का प्रयास करना चाहिये कि कोई व्यवहार या बात क्यों सही है और क्यों गलत है ?

नैतिक व्यवहार का विकास बालक के सामाजिकरण का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। नैतिक विकास के साथ माता-पिता की अभिवृत्तियों, पालन-पोषण की विधियों तथा परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा का सीधा संबंध होता है। बच्चों के लिये उसके माता-पिता व परिवार के अन्य सदस्य व अध्यापक प्रभावशाली नमूनों या मॉडल का कार्य करते हैं। बालक ऐसे मॉडल का अनुकरण करके ही नैतिक व्यवहार को सीखता है। और नैतिक विकास की ओर अग्रसर होता है।

**संबंधित साहित्य का अध्ययन -** लारेन्स एवं अन्य (2004) द्वारा शोध अध्ययन 'माध्यमिक स्तर पर महिला शिक्षकों की संस्कृत भाषा पढ़ाने में रुचि' किया गया। जिसकी परिकल्पना थी - 1 संस्कृत भाषा के विभिन्न पक्षों में धनात्मक सह संबंध था। 2 इनमें से कुछ संस्कृत भाषा में उपलब्धि बढ़ाते रहे। 3 संस्कृत भाषा की उपलब्धि के प्राप्तांक सामान्य रूप से वितरित थे। इस अध्ययन के निष्कर्ष थे - 1 माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का व्याकरण एवं शब्द भंडार अधिक हैं। 2 उच्चारण, ज्ञान तथा शब्द की संरचना की तुलना में व्याकरण शब्द

\* प्राचार्य, महिला विद्या मंदिर, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रतापगढ़ (राज.) भारत

\*\* प्रो. चोधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उत्तर प्रदेश) भारत

भंडार और उच्चारण बोझ अधिक पाया गया। संस्कृत भाषा की उपलब्धि स्तर विभिन्न पाई गई।

मटिंगा एवं मेथिस (2009), 'तंजानिया के माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों अभिभावकों एवं शिक्षकों का प्राइवेट ट्यूशन के प्रति प्रत्यक्षीकरण।' पर शोध अध्ययन किया। जिसके उद्देश्य थे- 1 अभिभावकों का ट्यूशन के प्रति झङ्गान का अध्ययन। 2 शिक्षकों का ट्यूशन के प्रति आकर्षण के कारणों का पता लगाना। इस शोध अध्ययन में उपकरण व्यक्तिगत अध्ययन प्रतिधि, साक्षात्कार, एवं समूह चर्चा का प्रयोग किया गया। इस शोध के निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, कि वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं के फलस्वरूप ट्यूशन का प्रभाव बढ़ गया है। अभिभावकों द्वारा समयभाव के कारण ट्यूशन की ओर आकर्षित होता है। परीक्षा में पास करवाने हेतु ट्यूशन को आवश्यक मानते हैं। विषय विशेषज्ञों की विषय में कभी होने के कारण भी ट्यूशन का प्रभाव बढ़ा है। शिक्षकों द्वारा अपनी आय को बढ़ाने के लिए ट्यूशन के प्रति आकर्षण बढ़ा है।

**औचित्य** - पूर्व में पुरुष शिक्षकों की भर्ती की जाती थी महिला शिक्षकों को हीन भावना से ढेखा जाता था। पुरुष शिक्षकों ने सदैव महिला शिक्षकों का साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया लेकिन वर्तमान में पुरुष शिक्षकों की भर्ती के साथ महिला शिक्षकों को भी आरक्षण देकर शिक्षक पद के लिये अधिकाधिक भर्ती की जाने लगी। इसलिये शोधार्थी ने इन महिला शिक्षकों के नैतिक विकास के प्रभाव के संबंध में अध्ययन करने का निश्चय किया।

### समस्या कथन

**पूर्वी उत्तर प्रदेश में द्वितीय श्रेणी महिला शिक्षकों के नैतिक विकास के प्रभाव का अध्ययन**

### उद्देश्य :

1. निजी एवं सरकारी विद्यालय के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों के नैतिक विकास के माध्य फलांकों में तुलनात्मक अध्ययन करना।

### परिकल्पना :

1. निजी एवं सरकारी विद्यालय के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों के नैतिक विकास के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।

**सीमांकन** - प्रस्तुत शोध उत्तर प्रदेश के बिहार क्षेत्र के द्वितीय श्रेणी के सरकारी एवं निजी सरकारी विद्यालय के महिला शिक्षकों पर किया गया। अतः समय एवं सीमित साधनों से परिणाम प्राप्त किये गये।

**उपकरण** - प्रस्तुत शोध अध्ययन में उपकरण के रूप में नैतिक विकास के लिये प्रो. दुर्गानंद सिन्हा एवं डॉ. मीरा वर्मा द्वारा निर्मित प्रामाणिक मापनी का उपयोग किया गया है। इलाहाबाद के प्रो. दुर्गानंद सिन्हा एवं डॉ. मीरा वर्मा ने 1962 में नैतिक विकास मूल्यांकन प्रपत्र का निर्माण विद्यार्थियों के नैतिक विकास को जानने के उद्देश्य से किया। इस प्रमापनी में कुल 6 भाग दिये गये हैं, तथा भाग 1 एवं 2 में 10-10 प्रश्न, भाग 3 एवं 4 में 8-8 प्रश्न, भाग 5 में 6 प्रश्न एवं भाग 6 में 8 प्रश्न दिये गये हैं।

**न्यादर्श** - प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में उत्तर प्रदेश के बिहार जिले में सरकारी विद्यालयों एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 50-50 कुल 100 महिला शिक्षकों को लिया गया है।

### प्रदर्शनों का संकलन एवं विश्लेषण

#### तालिका 1 - (देखे अगले पृष्ठ पर)

तालिका 1 से पता चलता है कि बिहार जिले के शासकीय एवं निजी विद्यालय

के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों के नैतिक विकास का  $t$  का मान 6.96 है, जो  $df = 98$  के सार्थकता के स्तर 0.01 पर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना 'निजी एवं सरकारी विद्यालय के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों के नैतिक विकास के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।' निरस्त की जाती है। निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि निजी विद्यालय के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों के नैतिक विकास के माध्य फलांकों का मान 55.52 है, जो शासकीय विद्यालय के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों के नैतिक विकास के माध्य फलांकों के मान 45.82 से सार्थक रूप से ज्यादा है। अर्थात् निजी विद्यालय के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों का नैतिक विकास शासकीय विद्यालय के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों के नैतिक विकास के माध्य फलांकों के मान 5.52 से अर्थात् रूप से ज्यादा है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि निजी विद्यालय के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों का नैतिक विकास शासकीय विद्यालय के द्वितीय श्रेणी के महिला शिक्षकों के नैतिक विकास से सार्थक रूप से अधिक है।

**निष्कर्ष** - सारणी के अनुसार निजी विद्यालय के महिला शिक्षकों का नैतिक विकास सरकारी विद्यालय के महिला शिक्षकों के नैतिक विकास से अधिक सकारात्मक प्राप्त किया गया, क्योंकि निजी विद्यालय के द्वितीय श्रेणी की महिला अध्यापकों को कक्षा में व्यवस्थित न पढ़ाने पर या किसी भी अन्य कार्य को करने नहीं करने की स्थिति में भी उन पर प्राचार्य द्वारा विशेष दबाव डाला जाता और उनकों अपनी नौकरी न रहने का खतरा भी सदैव रहता है, इसके विपरीत सरकारी विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों को अत्याधिक कार्यभार नहीं संभालना पड़ता है। और हर समय उनकी नौकरी नहीं जाने का खतरा भी नहीं रहता है। विद्यालय में ठीक से न पढ़ाने पर भी अभिभावकों द्वारा लड़ने आने से भी उनकों कोई फर्क नहीं पड़ता है। और न ही विद्यालय में विद्यार्थियों के वरिणामों से उनको कोई फर्क पड़ता है। इसलिये उनमें सरकारी विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों की अपेक्षा निजी विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षकों के नैतिक विकास में वृद्धि पाई गई।

**शीक्षिक निहितार्थ** - विभिन्न विद्यालयों के वातावरण का विद्यार्थियों की संस्कृति उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया जा सकेगा तथा विद्यालय के वातावरण में सुधार किया जा सकेगा।

किसी भी क्षेत्र में किये गये शोध कार्य उसकी वर्तमान में उपयोगिता को ध्यान में रखकर किये जाते हैं। इसकी उपयोगिता शिक्षकों के लिये हो या विद्यार्थियों के लिये पालकों को लिये या फिर सामान्य व्यक्तियों के लिये हो, उसका निहितार्थ आवश्यक है।

इस शोध कार्य द्वारा पुरुष शिक्षक विद्यालय में अपनी संकुचित मानसिकता को बदलते हुये महिला शिक्षकों के प्रति सहयोग जागृत करेंगे, जिससे उनकी विचारधारा में बदलाव लाया जा सकेगा।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. राजा, नमिता, 'उच्चतर माध्यमिक स्तर पर संस्कृत के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन' अप्रकाशित एम.एड. लघु शोध अध्ययन, एम के कालिया शिक्षा अनुसंधान संस्थान यूनिवर्सिटी रोहतक 2015.
2. बेरी एवं बेर, नीमिशा एवं अनुप, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब
3. अखण, आर. एस य ट्यूशन के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों अभिभावकों एवं अध्यापकों की संस्कृत भाषा में रुचि लेम्बर्ड एकेडमी पब्लिशिंग 2012
4. अग्रवाल, जे.सी. (1996), एजुकेशन रिसर्च एन इन्ट्रोडक्शन, आर्य

## बालश्रम एक समर्या एवं उसका निराकरण

डॉ. गरिमा पारीक \*

**प्रस्तावना** – आज के बालक ही कल के विश्व के नागरिक होंगे। उनका निर्माण उनकी परिपक्ष आयु उपलब्ध होने पर नहीं, बाल्य काल में ही संभव है, जब उनमें संस्कारों का समावेश किया जाता है। संतानोत्पादन के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम है उन्हें बड़ा करना, उन्हें शिक्षा व विद्या दोनों देना तथा संस्कारों से अनुप्राप्ति कर उनके समग्र विकास को गतिशील बनाना। सद्गुणों की सम्पत्ति ही वह निधि है जो बालकों का सही निर्माण कर सकती है।

बच्चों का विकास बहुत अधिक माता-पिता, शिक्षकों, गुरु एवं वातावरण पर निर्भर करता है। उपेक्षा और उदासीनता के द्वारा जिस प्रकार बच्चों को क्रूर एवं निकम्मा बनाया जाता है, उसी प्रकार प्रयत्न और भावना पूर्वक उन्हें तेजस्वी और मनस्वी भी बनाया जा सकता है, प्राचीन काल में यही व्यवस्था थी। प्यार के साथ सुधार की, तप-तितीक्षा-योगाभ्यास की व्यवस्था बनी रहने से एक समग्र व्यक्तित्व विकसित होता था। दुर्भाग्य से अपने देश से वह वातावरण गुरुकुलों, आश्रमों, आरण्यकों के समापन के साथ ही समाप्त होता चला गया, इसीलिए आज हमारी संतति निस्तेज, खोखली होती चली जा रही है। यह हमारी उपेक्षा, वातावरण की विषाक्तता एवं सांस्कृतिक मूल्यों को भूल जाने का ही परिणाम है। भोगवाद की दौड़ में हमने संततियों की उपेक्षा की है, उसी का परिणाम आज भोग रहे हैं।

शिशु अवस्था वस्तुतः कोरे कागज के समान है। इस कोरे कागज पर चाहे काली स्थाही से लिख दें अथवा रंगीन कलाकृति ढाल दें। बालक वस्तुतः उस रूप में ढलता चला जाता है जैसा वह बड़ों को, औरों को करते देखता है। इस नाजुक अवस्था में यदि इस समय का सही उपयोग संस्कारों की गहरी छाप डाली जा सके तो जैसा हम चाहते हैं, वैसा ही नागरिक ढाला जा सकना संभव है। पं. श्रीराम शर्मा आचार्य लिखते हैं कि प्रेम, प्रोत्साहन, सम्मान तथा सुरक्षा की आवश्यकता बड़ों से अधिक बच्चों को है। एक अनचाहा, उपेक्षित बच्चा, एक रोगी व समस्यापूर्ण बच्चा ही नहीं, अपराधी भी बन सकता है। मात्र थोड़े से रुनेह व दुलार-सुधार की समन्वित नीति से बच्चों को वह दिशा दी जा सकती है जिससे वे राष्ट्र के एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि राष्ट्र का आधार है समर्थ सशक्त भावी पीढ़ी, जो संस्कारवान हो। आज के आस्था संकट व सांस्कृतिक प्रदूषण के युग में यह एक अनिवार्य आवश्यकता है कि भौतिक विकास के साथ-साथ बालकों के भावनात्मक नवनिर्माण व सर्वांगीण विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाय।

किन्तु यह हमारे राष्ट्र की विडम्बना ही है कि हम बालकों की शिक्षा पर तो ध्यान देने का प्रयास करते हैं किन्तु दीक्षा (संस्कार) पर नहीं। पारिवारिक परिस्थितियों व आर्थिक मजबूरियों के कारण वे नन्हे-नन्हे हाथ जिन्हें कलम

अथवा खिलौना से सुसज्जित होना चाहिए था वे कारखानों, भाटियों एवं भारी भ्रकम गोदामों में काम करते दिखाई देते हैं अथवा मानसिक उद्देलन व आस-पास की भौतिक, अनैतिक चकाचौंध से दिघभ्रमित होकर अपने हाथों में हथियार थामते व अपराध करते दृष्टिगोचर होते हैं। यह चिन्ताजनक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। जो समूल नष्ट होनी चाहिए ताकि हमारी कर्णधार भावी पीढ़ी का सद्गुणित हो सके।

बच्चों का कोमल मन जीवन के विभिन्न प्रलोभनों की ओर शीघ्रतापूर्वक आकृष्ट होते हैं। इसी कारण वे अपराधी-प्रवृत्ति के शिकार सरलता से होते हैं। जैसे कहा जाता है कि आज का बालक कल का नागरिक है। अतः यदि उसकी आपराधिक प्रवृत्ति पर यथासमय नियंत्रण नहीं रखा जाता तो आगे चलकर उसके अभ्यस्त अपराधी बन जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

बाल्यावस्था में उनकी कोमल सुकुमार कल्पना का सोच समझकर और सूझ-बूझ के साथ ही स्पर्श होना चाहिए। जिस प्रकार एक खिलता हुए फूल ताप की अधिकता व जल की कमी से पूर्ण विकास को प्राप्त करने की बजाय मुरझा जाता है। उसी प्रकार सुकुमार बच्चे भी परिवार की पाठशाला तथा समाज के कठोर व उपेक्षित वातावरण में अपने गुणों का विकास नहीं कर सकते।

आज के समय के बच्चों, किशोरों तथा नवयुवकों के आचार-व्यवहार की लोग आलोचना तो करते हैं पर यह उत्तरदायित्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि उन्होंने जो सीखा है वह अपने बड़ों की पीढ़ी से सीखा है। बच्चों के आचार व्यवहार की पाठशाला विद्यालय नहीं वरन् परिवार और समाज है। इन सब बातों में उनके गुरु, उनसे बड़े लोग हैं। हम जब बच्चों या नवयुवकों की पीढ़ी को कोसते हैं तो परोक्ष में स्वयं को ही कोसते हैं। इस बात को हम जितना जल्दी समझ लें, उतना ही अच्छा है।

अनुमान है कि कम से कम 20 करोड़ बच्चे देश में मजबूरी करते हैं और व्यारह राज्यों में तो यह संख्या 90 प्रतिशत के लगभग है। एक सरकारी संस्था की रिपोर्ट के अनुसार इन बच्चों को मजबूरी करने के लिए मजबूर किया जाता है। सम्पूर्ण दक्षिण एशिया के देशों में बाल मजबूरी एक बहुत बड़े दोष के रूप में व्याप्त है। भारतीय संविधान की धारा 24 के अन्तर्गत यह स्पष्ट है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे कारखानों या किसी भी ऐसी जगह जहां उनके रवास्थ्य के लिए खतरा हो, काम नहीं करेंगे। लेकिन आजादी के 62 वर्ष पश्चात् भी हमारा देश इस बुराई से मुक्ति नहीं पा सका है। साधारणतः छोटे-छोटे रेस्टोरेंटों, होटल, कारखानों, यहां तक कि रुलेट और ब्रास के कारखानों में छोटे बच्चे काम करते दिखाई देते हैं। जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि बहुत बड़े कारण हैं जिनकी वजह से इस

\* प्राचार्या (राजनीति विज्ञान) बाबा श्याम ऋषि संस्कृति पी.जी. महाविद्यालय, खाटूश्यामजी, सीकर (राज.) भारत

समस्या को हल करने का उपाय नहीं सूझता। बाल मजदूरी बढ़ने के कई कारण हैं—काम करने वाले बच्चे कम पैसों में मिल जाते हैं। छोटे-छोटे बच्चों को डराना—धमकाना आसान होता है तथा मालिक उन्हें डरा—धमकाकर कम पैसे देकर अपना काम करता है। छोटे बच्चों से मालिकों को कोई खतरा भी नहीं होते, उन पर भ्रोसा किया जा सकता है। यहां तक कि यदि कारखानों में काम करते समय बच्चा बुरी तरह घायल हो जाए तब भी वह आवाज नहीं उठा सकता। कारखानों में काम करने वाले बच्चों को अक्सर सांस की बीमारी फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं।

बच्चों से उनका बचपन छीनकर उन्हें एक प्रकार से भट्टी में झोंक दिया जाता है। न उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त होती है न खेलने को मिलता है, न ही वे जीवन का कोई आनंद उठा पाते हैं। बड़े होते हुए यह बच्चे इतने व्यसनी हो जाते हैं कि उनमें अधिकांश अपराध की ओर मुड़ जाते हैं। बाल मन सामान्यतः अपने घर—परिवार तथा आस—पास की स्थितियों से अपरिचित रहा करता है। स्वच्छंद रूप से खाना—पीना एवं खेलना ही वह जानता है एवं प्रायः इन्हीं बातों का अर्थ समझा करता है। कुछ और बड़ा होने पर तख्ती, स्लेट और प्रारम्भिक पाठमाला लेकर पढ़ना—लिखना—सीखना प्रारम्भ कर देता है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई अथवा बन रही हैं कि उपयुक्त कार्यों का अधिकार रखने वाले बालकों के हाथ—पैर दिन रात मेहनत—मजदूरी करने के लिए विवश होकर धूलि—धूसरित तो हो ही चुके हैं, कठोर एवं छलनी भी हो चुके होते हैं। चेहरों पर बाल सुलभ मुरक्कान के स्थान पर अवसाद की गहरी रेखायें स्थायी डेरा डाल चुकी हैं। फूल की तरह ताजा गंध से महकते रहने योग्य फेफड़ों में धूल—धूआ भरकर उसे अखस्थ एवं दुर्गन्धित कर चुके होते हैं। ऐसे बाल मजदूर कई बार तो डर, भय, बलात् कार्य करने जैसी विवशता के बोझ तले ढबे—घुटे प्रतीत होते हैं और कई बार बड़े—बूढ़ों की तरह दायित्व बोध से ढबे हुए भी। कारण कुछ भी हो, बाल मजदूरी न केवल किसी एक स्वतंत्र राष्ट्र अपितु सम्पूर्ण मानवता के माथे पर कलंक है। बालमजदूरी करने वाले बच्चों से बारह—चौदह घण्टे काम लिया जाता है, बदले में वेतन बहुत कम दिया जाता है न ही अन्य प्रकार की कोई सुविधा दी जाती है। यहां तक कि इनके स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखा जाता। इतना ही नहीं, यदि ये बीमार पड़ जाये तब भी इन्हें छुट्टी नहीं दी जाती अपितु काम करते रहना पड़ता है। ढाँचों—चाय घरों आदि में या फिर हलवाइयों की ढुकानों पर काम कर रहे बच्चों की दशा तो और भी अधिक दयनीय होती है। कई बार तो उन्हें बचा—खुचा जूठन ही खाने—पीने को बाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार बाल मजदूरी का जीवन बड़ा ही दयनीय एवं यातनापूर्ण होता है।

बाल श्रम का अर्थ समाज में व्याप्त उस गलत व्यवस्था से है जिसमें कम आयु के छोटे बच्चे अपनी इच्छा के विपरीत अथवा विवशता के कारण छोटी उम्र में ही मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं। एक सर्वे के अनुसार कोई भी बालक अपनी इच्छा से इस उम्र में श्रम नहीं करना चाहता, किन्तु हमारे समाज में फैली असमान आर्थिक व्यवस्था व बिगड़ते सामाजिक ढाँचे के कारण ही इस बुराई का जन्म हुआ है और बाल मजदूरी जैसे अनैतिक कार्य को बढ़ावा मिला है।

किसी भी शिशु के जन्म से वयस्क होने तक के बीच की अवस्था अत्यंत कोमल और संवेदनशील होती है। इसी बालपन की अवस्था में बालक को अपने भविष्य व जीवन की सही दशा व दिशा का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अनेक ऋषि—मुनियों से लेकर विद्वानों ने बच्चों की तुलना कच्ची मिट्टी से करते हुए कहा है ‘बच्चा उस कच्ची मिट्टी के समान है जिसे—जिस रूप व आकार में ढाला जाए वह उसी के अनुसार बन जाता है।’ बच्चों को

कोमल पौधे व फूल के समान भी माना गया है, जिसकी अगर सही प्रकार से देखभाल न हो तो वे मुरझा जाते हैं व समय से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। हम सभी का कर्तव्य बन जाता है कि हम बच्चों व राष्ट्र के भविष्य की रक्षा करें तथा बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करें। इसके लिए यह परमावश्यक है कि हम बाल मजदूरी के कारणों को जानें तथा बाल मजदूरी के कारण होने वाले दुष्परिणामों को समझें। इसके बाद ही हम बाल मजदूरी को रोकने व समाप्त करने के प्रयास कर सकते हैं।

बाल श्रम भारत की एक भयावह ज्वलंत समस्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाने से रोक 20 नवम्बर, 1989 को ‘संयुक्त राष्ट्र महासभा’ द्वारा ‘बाल अधिकार’ घोषणा, 10 दिसम्बर, 1996 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बाल मजदूरी को गैर—कानूनी घोषित करने के बावजूद अधिकांश बालकों को सामाजिक परिस्थितियों एवं आर्थिक विपन्नता के कारण शिक्षा प्राप्त करने के बजाय श्रमिक बनना पड़ता है।

बाल श्रम के निम्नलिखित दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं:-

1. मानसिक उत्पीड़न
2. शारीरिक प्रताड़ना
3. यौन उत्पीड़न
4. अशिक्षा
5. कुपोषण

**बाल मजदूरी रोकने के प्रयास** – बाल मजदूरी जैसी गंभीर समस्या को रोकने के लिए कानून द्वारा अनेक नियम, प्रतिबंध व दण्ड आदि की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1986 के एकते के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम करने पर दण्ड की व्यवस्था की गई है जिसमें दोषी व्यक्ति के पकड़े जाने पर 8 वर्ष की सजा तथा 5000 रुपये जुर्माना रखा गया है।

#### सुझाव :

1. बच्चों को प्रथम वरियता दी जाये।
  2. निर्धारिता उन्मूलन बच्चों में निवेश।
  3. किसी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना।
  4. प्रत्येक बच्चे की देखभाल।
  5. प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करना।
  6. बच्चों का हानि एवं शोषण से संरक्षण।
  7. बच्चों हेतु पृथकी का संरक्षण।
  8. बालकों का चारित्रिक विकास सदगुणों से।
  9. बच्चों को प्रताड़ना नहीं, प्रेरणा की जरूरत।
  10. बालकों के लिए सत्साहित्य जुटाया जाय।
  11. प्रेरणा दायक फिल्मों व धारावाहिकों का निर्माण।
  12. उत्तराधिकार में बालकों को पाँच रत्न मिले :— बच्चों के श्रेष्ठ निर्माण हेतु उन्हें पाँच सद्गुण प्रदान किये जाने चाहिये यथा बालकों को श्रमशीलता की शिक्षा, उदारता के दिव्यगुण से अवगत कराना, सफाई और सादगी से रहना, सदा समय का सदुपयोग करना, शिष्टाचार और सज्जनता का आचरण करना।
  13. बाल संस्कार केन्द्रों की स्थापना।
  14. शिशु मृत्युदर पर रोक लगाना।
- संदर्भ ग्रंथ सूची :-**
1. नाटाणी, प्रकाश नारायण : महिला एवं बाल विकास के नूतन आयाम, माया प्रकाशन मंदिर, जयपुर, 2004

2. शेण्डे, हरिदास रामजी (सुदर्शन) : बाल श्रम, अपराध एवं समाधान, साहित्यागार, जयपुर, 2007
3. शर्मा श्रीराम : बालको का भावनात्मक निर्माण, युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि मथुरा, 2004
4. शर्मा, लीलापत : बाल नीति शतक, युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि मथुरा, 2003
5. कुशवाह, अलका : कच्ची उम्र में मजदूरी का बोझ, योजना, 1995
6. बघेल, एस. : अपराध शास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 1995
7. कर्मयोगी आर.पी. : विधार्थी जीवन की दिशा धारा, युगान्तर चेतना, शान्तिकृञ्ज हरिद्वार, 2000
8. मिर्दिया एस.एस. : बाल मजदूरों की ढशा, समस्या एवं निराकरण, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा, 1980

\*\*\*\*\*

## कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी (धार जिले के विशेष सन्दर्भ में)

प्रो. राजेश मर्डड़ा \*

**प्रस्तावना** – कृषि में महिलाओं की भागीदारी काफी अहम है। कृषि क्षेत्र में कुल श्रम की 60 से 80 प्रतिशत तक हिरण्येदारी महिलाओं की होती है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार हिमालय क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष एक पुरुष औसतन 12-12 घंटे और एक महिला 34-85 घंटे कार्य करती है। इस तथ्य के माध्यम से महिलाओं की कृषि में भूमिका को समझा जा सकता है। महिलाओं की कृषि में यह सह-भगिता क्षेत्र विशेष की खेती पर निर्भर करती है फिर भी उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। कृषि कार्यों के अतिरिक्त महिलाएं मछली पालन, कृषि वानिकी, और पशु पालन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

महिला ग्रामीण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास की रीढ़ है इनमें दुनिया के 43 प्रतिशत कृषि श्रमिक बल सम्मिलित है जो कुछ देशों में 70 प्रतिशत तक है। भारत के 48 प्रतिशत कृषि से सम्बन्धित रोजगार में महिलाएं हैं जबकि लगभग 7.5 करोड़ महिलाएं दुर्बल उत्पादन तथा पशुधन व्यवसाय से सम्बन्धित गतिविधियों में सार्थक भूमिका निभाती हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिला कर खेत में काम करती हैं। महिलाओं का योगदान भी कृषि में उतना ही सराहनीय होना चाहिए जितना श्रेय पुरुषों को मिलता है। एक महिला अपने घर के साथ-साथ खेती-बाड़ी में भी उतनी ही निपुण होती है। विष्व खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार भारतीय कृषि में महिलाओं का योगदान लगभग 32 प्रतिशत है, जबकि कुछ राज्यों विशेष पहाड़ी, उत्तरपूर्वी क्षेत्र तथा केरल में महिलाओं का योगदान कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पुरुषों से भी ज्यादा है।

यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात् नियोजित विकास कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रारंभ व प्रसार के संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, तथापि यह भी प्रमाणित तथ्य है कि हमारी स्वास्थ्य नीतियाँ कभी-भी महिला केन्द्रित नहीं रहीं और औसत भारतीय लड़ी का स्वास्थ्य व पालन पोषण के कार्य तथा प्रजनन-दर नियंत्रण आदि को ध्यान में रख कर ही बनाई जाती हैं, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। महिला स्वास्थ्य के सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए एक समन्वित स्वास्थ्य नीति का निर्माण होना अनिवार्य है।

**अध्ययन के उद्देश्य** – धार जिले में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन करना।

**शोध प्रविधि एवं समंक विश्लेषण** – प्राथमिक समंकों के संकलन के लिए धार जिले के कृषकों से कृषि कार्यों में महिलाओं की भूमिका के अध्ययन के दैव निर्दर्शन विधि द्वारा 35 ग्राम पंचायत में प्रत्येक से 10 कृषक परिवारका चयन दैव निर्दर्शन विधि के आधार पर किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका के अध्ययन के लिए कुल 350 कृषक उत्तरदाताओं का साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर

सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों का विष्लेषण विभिन्न तालिकाओं के आधार पर किया गया है :-

**तालिका क्रमांक - 1 : उत्तरदाताओं के परिवार में महिलाओं की सामान्य जानकारी**

| क्र. विवरण                          | विशेषता          | आवृत्ति | प्रतिशत |
|-------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 1 परिवार में महिलाओं की संख्या      | 1 से 2           | 139     | 39.71   |
|                                     | 2 से 4           | 124     | 35.44   |
|                                     | 4 से अधिक        | 87      | 24.85   |
| 2 परिवार में महिलाओं का शिक्षा स्तर | अशिक्षित         | 223     | 63.71   |
|                                     | माध्यमिक से कम   | 91      | 26      |
|                                     | माध्यमिक से अधिक | 36      | 10.29   |

**झोतः**– सर्वेक्षण आधारित समंकों का विश्लेषण।

भारत में 11 प्रतिशत परिवारों की मुखिया महिला है।<sup>1</sup> उपरोक्त तालिका 1 के अनुसार परिवार में महिला सदस्यों की संख्या 39.71 प्रतिशत परिवार में 1 से 2 सदस्य, 35.44 प्रतिशत परिवार में 2 से 4 सदस्य तथा 24.85 प्रतिशत परिवार में 4 से अधिक महिला सदस्य हैं।

महिलाओं की शिक्षा का स्तर 63.71 प्रतिशत महिलाएँ अशिक्षित है। 26 प्रतिशत परिवार में माध्यमिक से कम तथा 10.29 प्रतिशत परिवार में माध्यमिक से अधिक शिक्षित महिलाएँ हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता 65.5 प्रतिशत है जो पुरुष साक्षरता प्रतिशत से 16.6 प्रतिशत कम है।  
जनगणना 2011.

**तालिका क्रमांक - 2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

तालिका 2 से स्पष्ट है कि कृषि सम्बन्धित कार्यों के अन्तर्गत बुआई 64.29 प्रतिशत, बीजों की साफ-सफाई 78 प्रतिशत, निराई-गुड़ाई 88.86 प्रतिशत, सिंचाई 60.28 प्रतिशत, कटाई का निर्णय 74 प्रतिशत, मजदूरों की व्यवस्था 76.28 प्रतिशत, कटाई उपरान्त विक्रय का निर्णय 23.71 प्रतिशत, दिन का सबसे अधिक समय कृषि भूमि पर 95.42 प्रतिशत, प्रमुख वस्तुओं की आवश्यकता का अनुमान 70.57 प्रतिशत, मजदूरी दर अधिक 2.28 प्रतिशत, रासायनिक छिड़काव 35.72 प्रतिशत, फसल विक्रय माध्यम (महाजन, बाजार अथवा मण्डी) का चुनाव 56.28 प्रतिशत, मजदूरों के रूप में आप किसे महत्व 95.42 प्रतिशत महिलाएँ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वहन करती हैं। कृषि कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद महिलाओं को मिलने वाली मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम होती है। फसल उत्पादन के पश्चात उपज विक्रय का निर्णय पुरुषों द्वारा लिया जाता

\* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

है। महिला की भूमिका फसल उत्पादन तक सिमित होती है जबकि आर्थिक निर्णय पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं। कृषि के अतिरिक्त अन्य सहायक कार्यों में महिलाओं की भूमिका का वर्णन तालिका क्रमांक 3 में किया गया है-

### **तालिका क्रमांक - 3 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

तालिका 3 से स्पष्ट है कि घरेलू तथा कृषि कार्यों के अतिरिक्त पशु पालन के कार्य 92057 प्रतिशत, पशुओं के चारे की व्यवस्था के उपरान्त दुध निकालने का कार्य 97.42 प्रतिशत महिलाएँ करती हैं। घरेलू साग-सब्जी एवं फूलों-फलों की कृषि 98.57 प्रतिशत, तथा उनके विक्रय हेतु बाजार ले जाने के कार्य 70.57 प्रतिशत महिलाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं।

कृषि में अहम योगदान देने के बावजूद महिला श्रमिकों की कृषि संसाधनों और इस क्षेत्र में मौजूद असीम संभावनाओं में भागीदारी काफी कम है। इस भागीदारी को बढ़ाकर महिलाओं को कृषि से होने वाले मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के डी.आर.डब्ल्यू.ए. के अनुसार प्रमुख फसलों के उत्पादन में महिलाओं की 75 प्रतिशत भागीदारी, 79 प्रतिशत बागवानी में, कटाई उपरान्त कार्यों में 51 प्रतिशत महिलाओं का योगदान होता है। पशु पालन में 58 प्रतिशत और मछली उत्पादन में 95 प्रतिशत महिलाओं का योगदान होता है। महिलाओं को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उचित अवसर के साथ आधुनिक तकनीकी की उपलब्धता प्रशिक्षण दिया जाए तो कृषि को द्वितीय हरित क्रान्ति की ओर ले जाया जा सकता है।

नेषनल सेम्पल सर्वे संगठन के तथ्यों के अनुसार 23 राज्यों में कृषि, वानिकी और मछली पालन में कुल श्रम शक्ति का 50 प्रतिशत भाग महिलाओं का है। छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश में 70 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएँ कृषि क्षेत्र पर आधारित हैं जबकि पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में यह संख्या 50 प्रतिशत है। मिजोरम, आसाम, छत्तीसगढ़, अस्सीचल और नागालैंड में कृषि क्षेत्र में 10 प्रतिशत महिला श्रम शक्ति है। कृषि में पुरुषों के साथ महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को काफी हड़ तक बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण को और अधिक बढ़ावा मिल सकता है।

**निष्कर्ष -** कृषि क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन वातावरण, जलवायु और तकनीकी सभी क्षेत्रों में हो रहे हैं। इसका असर समाज के सभी क्षेत्रों में समान रूप से पड़ रहा है। समाज में आ रहे परिवर्तनों जैसे परिवार की संरचना, पलायन और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सभी का प्रभाव होता है। ऐसे में नई रणनीतियों को बनाने समय सभी परिवर्तनों का अनुमान लगाया जाना कठिन कार्य है।

संपूर्ण विश्व की दृष्टि से महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता सर्विदित है। स्वतन्त्र भारत में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, महिला योग्यता तथा कौशल को स्वीकृत प्रदान किए जाने तथा शैक्षणिक अवसरों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप महिला वर्ग को नवीन अवसर प्राप्त हुए हैं। महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टि में परिवर्तन के साथ ही उनको अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। इसके दूरगामी परिणामों की आशा अवश्य की जा सकती है महिलाओं द्वितीय स्थिति में यद्यपि क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं तथापि अभी महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में बहुत कुछ किया जाना शेष है। यह विडम्बना की बात है कि आज देश में इक्कीसवीं सदी में भी अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ रही है। यह तथ्य ही

आधुनिक सभ्य समाज के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। सभी देशों के संविधानों में पुरुषों व महिलाओं को समान मानकर एक जैसे अधिकार दिये गए हैं। फिर भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में उपेक्षित, कमज़ोर व पिछड़ी बनी हुई है। उनका शोषण करने में समाज आज भी किसी प्रकार का संकोच करता नहीं दिखाई दे रहा है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र की यूनिफेम, यूएनएडीएफ, यूएनडीपी, अनिसेम संस्थाओं का आग्रह है कि लिंगभेद को समाप्त करने के लिए महिलाओं को सामाजिक विकास के विशेष अवसर दिलाने तथा उन पर होने वाली ज्यादतियों को समाप्त करने के लिए विशेष अधियान चलाया जाए। भारत तथा मध्य प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और नेशनल अलायंस फॉर वूमेन की भागीदारी में सन् 1996 से लिंग भिन्नता पर विशेष ध्यान देने की जरूरी कार्यवाही की है।

एक ओर महिलाओं के उत्थान सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे वे गैर-सरकारी योजनाएँ एवं कार्यक्रम, महिला सशक्ति वर्ष आदि वर्षीय स्वतन्त्रता के पश्चात आज तक इन महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार आया है। ये प्रशासनिक प्रायास कितने सफल हैं? इनसे संबंधित आँकड़ों पर विचार करना ज्यादा जरूरी हो गया है। वर्तीकि आज भी लाखों महिलाएँ प्रतिदिन कई तरह के अन्याचारों, शोषण आदि का शिकार हो रही हैं तथा 40 प्रतिशत महिलाओं की स्थिति इतने प्रयासों के बाद भी वैसी ही है जो हमारी असफलताओं और संकेत के रही है।

पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं पर पक्ष में धीरे-धीरे स्पष्ट बदलाव देखने को मिला है। पहले महिलाओं के लिए केवल कल्याणोन्मुख योजनाएँ चलाई जाती थीं, जिनमें महिलाओं को दिया का पात्र समझा जाता था, बाद में उनके विकास के कार्यक्रम चलाए जाने लगे और अब उनके सशक्तिकरण की बात हो रही है और उन्हें प्रगति के मार्ग में समान भागदारी माना जाने लगा है।

सरकार द्वारा महिला उत्थान के लिये अनेक प्रयास करने के बावजूद भी इनकी दशा में विशेष परिवर्तन नहीं आया हैं, श्रमिक महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने को तथा उसे सम्मानित भयमुक्त तथा शोषण मुक्त जीवन प्रदाय करने के लिये आवश्यकता है एक ऐसी रौप्यी उन्मुख राष्ट्रीय कार्यक्रम की जिसके अंतर्गत सही अर्थों में नारी की प्रगति के प्रयास हो।

### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. मिश्र, जय प्रकाष (2004), 'कृषि अर्थशास्त्र', साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा पृ. 259
2. विनायक, एस. आर. (2001): 'भारतीय कृषि की समस्याएँ' एस. चन्द्र कम्पनी लि. नई दिल्ली। पृ. 114
3. Damisha, R- Samndi and M. Yohana (2007), "Woman Participation in Agricultural Production – A probit Analysis" Journal of Applied Sciences. 7(3):412-416.
4. Census of India, (1981) Series India, Primary Census Abstract, General Population, Part 11B (i), pp.7-8
5. Thakur, Devendra (1992): "Agricultural Sector Development" Deep and Deep Publications New Delhi
6. <http://pib.nic.in/newsite/hindifeature.aspx?relid=11278>
7. Bala. N (2010), "Selective discrimination against women in Indian Agriculture -A Review" Agricultural Reviews. 31 (3): 224 –228.

### तालिका क्रमांक - 2 : कृषि उत्पादन कार्यों में महिलाओं की भूमिका विवरण

| क्र. संख्या | विवरण  | महिला   |         | पुरुष   |         | कुल |
|-------------|--|---------|---------|---------|---------|-----|
|             |  | आवृत्ति | प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत |     |
| 1           | कृषि में बुआई हेतु फसल का चुनाव कौन करता है?                           | 225     | 64.29   | 125     | 35.71   | 350 |
| 2           | बुआई हेतु बीजों की साफ-सफाई का कार्य कौन करता है?                      | 273     | 78      | 77      | 22      | 350 |
| 3           | फसलों के सम्बन्ध में निराई- गुड़ाई का ध्यान कौन रखता है?               | 311     | 88.86   | 39      | 11.14   | 350 |
| 4           | फसलों की सिंचाई का कार्य कौन करता है?                                  | 211     | 60.28   | 139     | 39.72   | 350 |
| 5           | फसलों की कटाई का निर्णय कौन लेता है?                                   | 259     | 74      | 91      | 26      | 350 |
| 6           | कृषि कार्यों में मजदूरों की व्यवस्था व भुगतान कौन करता है?             | 267     | 76.28   | 83      | 23.71   | 350 |
| 7           | फसल कटाई उपरान्त विक्रय का निर्णय कौन लेता है?                         | 83      | 23.71   | 267     | 76.28   | 350 |
| 8           | दिन का सबसे अधिक समय कृषि भूमि पर कौन बिताता है?                       | 334     | 95.42   | 16      | 4.57    | 350 |
| 9           | कृषि में लगाने वाली प्रमुख वर्तुओं की आवध्यकता का अनुमान कौन लगाता है? | 247     | 70.57   | 103     | 29.43   | 350 |
| 10          | कृषि कार्यों में किसकी मजदूरी ढर अधिक होती है?                         | 8       | 2.28    | 342     | 97.72   | 350 |
| 11          | फसलों पर विभिन्न रासायनिक छिड़काव का निर्णय किसका होता है?             | 125     | 35.72   | 225     | 64.28   | 350 |
| 12          | फसल विक्रय माध्यम (महाजन, बाजार अथवा मण्डी) का चुनाव कौन करता है?      | 197     | 56.28   | 153     | 43.71   | 350 |
| 13          | कृषि कार्यों में मजदूरों के रूप में आप किसे महत्व देते हैं?            | 334     | 95.42   | 16      | 4.572   | 350 |

**झोत:-** सर्वेक्षण आधारित समंकों का विश्लेषण।

### तालिका क्रमांक - 3 : कृषि सम्बन्धित सहायक गतिविधियाँ

| क्र. संख्या | विवरण  | महिला   |         | पुरुष   |         | कुल |
|-------------|--|---------|---------|---------|---------|-----|
|             |  | आवृत्ति | प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत |     |
| 1           | मुख्य रूप से पशुओं की देखभाल कौन करता है?            | 324     | 92.57   | 26      | 7.42    | 350 |
| 2           | पशुओं के दुर्घट निकालने सम्बन्धित कार्य कौन करता है? | 341     | 97.42   | 9       | 2.58    | 350 |
| 3           | बागवानी की देखभाल कौन करता है?                       | 345     | 98.57   | 5       | 1.43    | 350 |
| 4           | बागवानी में उत्पादित सब्जी-फल का विक्रय कौन करता है? | 247     | 70.57   | 103     | 29.43   | 350 |

**झोत:-** सर्वेक्षण आधारित समंकों का विश्लेषण।

\*\*\*\*\*

# Green Products From Agricultural Waste For Sustainable Environment - Review

Dr. Rashmi Ahuja \*

**Abstract** - Agricultural wastes are basically unusable substances which may be either liquid or solid produced as result of cultivation processes viz fertilizers, pesticides, crop residues and animal waste. These substances are widely available on earth can be a good source of energy or converted in to useful products. There are a number of potential environmental impacts associated with agricultural wastes. The present paper revealed that awareness about utilization of biogas plant waste, wheat waste, mushroom, mustered and horticultural waste and it also deals with the research work carried out in the past related to conversion of biomass and agricultural waste. An attempt is carried out to increase the economic value of agricultural waste in to useful products. Employment opportunities will increase if industries like processing units for making value added products, handicrafts etc. This study will highlight some of the trends that could be adopted in the agricultural waste management so that the farmers become aware and take full advantage of various plant waste cycling, recycling and further utilization for economic purpose.

**Keywords** - Agricultural waste, biomass, sustainable, utilization.

**Introduction** - Agricultural waste is composed of organic waste ie animal excreta in the form of slurries and farmyard manures, spent mushroom compost, soiled water and silage effluent. Reduce indiscriminate disposable or burning of waste products which cause both soil, water and air pollution, for maintaining the fertility of soil, conversion of all forms of vegetable and crop waste in to organic matter suitable for needs of growing crops.

Agricultural waste management is part of the ecological cycle in which everything is cycled and recycled such that in an interdependent relationship is maintained in the ecosystem. By waste management all the agricultural wastes are placed at the right place and right time for the best utilization in order to convert in to useful products and pollution control.

Utilization of agricultural waste is very important concern especially when the world scenario of energy demand gap is being reported. The resolution to mitigate this gap use of biomass to being investigated so that it can be used as an alternative source of energy production and some commercial products. Lots of work has been reported regarding utilization of biomass. A few studies conducted in this area are as under.

**Converting Wood and paper waste in to Ethanol** - Dr. Irving S Gold Stein has developed a process using Conc. HCl for converting the cellulose content of wood and papers waste in to ethanol.

In this process proper proportions of HCl and cellulose are mechanically agitated at 50°C, a complete breakdown – hydrolysis is possible. After hydrolysis, electrodialysis

removes and reclaims HCl from the sugar for reuse. The remaining sugar solution contains a very high concentration of Glucose from which ethanol is fermented and distilled.

**Use of Waste paper to slick oil** - when a giant tanker breaks up, thousands of tonnes of oil are spilled in to the sea. A new way of using waste shredded paper to clean oil slicks. If the shreds are find enough, the paper will absorb 27 times of tis own weight of oil.

**Paper from agricultural waste Agricultural-waste as raw material** - Studies conducted at various research institutes in India have shown the possibility of using agricultural wastes in combination with waste paper, cotton wastes, rage etc. for manufacture of document paper, high grade stationary card sheets, album papers, filter papers and electrical insulting papers.

**Future scope** - In India about 350 hand made paper mills making paper. It is hardly 0.6% of the total production of paper in our country. Development of such small scale industries would not only solve the problem of waste disposal but also the problem of rural unemployment.

**Utilization of agricultural waste** - An agricultural waste sugarcane bagasse is a chief source of cellulose, but it burnt away as a cheap fuel. For better economy, it is an essential step to get some byproducts like protein from waste materials, which will not only solve the protein deficiency, but also reduces the wastes.

Recently studies shows that the feasibility of utilizing the coffee waste in production of bricks. In this methodology, control brick and three different percentage of coffee waste 1, 3 and 5 percent, bricks were manufactured and fired at

1050°C. The properties like shrinking density, compressive strength were considered.

**Wheat Waste** - Straw is a byproduct of wheat crop, which can be used for making many products like particle board and other products like brequettes, dry flowers, mats, hats carpets, and other handicraft.

**Cotton Waste** - Cotton stick after picking of cotton are used as fuel, it can also be used in biogas production by treating it anaerobically. CH<sub>4</sub> were produced from cotton stalks, cotton seed hull and cotton oil cake in presence of basal medium.

**Horticulture waste** - Damaged or spoiled fruits, vegetables, dead plants, branches, leaves are the horticultural wastes. Various chemicals viz citric acid, lactic acid, acetic acid can also be extracted from wastes. Potato residue can also be used for extraction of pectin.

Waste saw dust can be used for removal of methylene blue dye which has adverse impact on photosynthesis. in aquatic environment.

Recent studies prove the effective utilization of Neem as natural absorbent in treatment of diary products. Studies show the feasibility of utilizing wheat bran. agricultural waste to produce bio alcohol. It also demonstrated the utilization of agricultural waste in stabilizing land fill soil. The main constituents of material was palm oil ash and rice husk ash as a sustainable substitute instead of using traditional Portland cement.

**Medicines from agricultural wastes** - Furan compounds occur widely in nature which are cheap raw materials. Furfural is readily obtainable from agricultural wastes like corn cobs and oat hulls. It is produced commercially by the reaction of corn cobs with sulphuric acid and is the basic material used for the nitrofurans. These are important germicides

Nitrofurazone or furacin is now being used for treatment of eye, ear, sinus diseases, post-surgery skin infection. Nitro fuians and a related form furoxone are widely used in treating poultry diseases. Furan-ether exhibits germicides properties against molds which cause great damage to crops and animals.

**Recovery of Heavy metals from agricultural waste** - In recent years the presence of toxic heavy metal ions in agricultural waste was found the attention of scientists. Metal like Hg, Pb, Cd, Cu, Zn Ni, Co, Mn, and As even in trace quantities are extremely toxic. Many mining and manufacturing concern are finding it extremely difficult to

meet economically and increasingly stringent limits imposed by WHO on the metal ions concentration in the waste streams.

**Liquid fuels from Agrowaste** - Prof. B.S. Hartley have reported that agricultural waste have the potential to become a major source of liquid fuels. The Key technology of making transport fuels from agro waste is fermentation. The waste contain a large amount of cellulose and hemicellulose which can be broken down into sugars and then fermented into alcohol, usually called bioethanol.

**Conclusion** - In the past the agrowaste and biomass, obtained due to crop production or from plant growth, were destroyed by burning or naturally converted in to organic fertilizes, or allowed to decay in public places in open air creating environmental pollution. Thus by managing these crop wastes in a well planned manner we can maintain a healthy environment for all living creatures. Nowadays biomass produced from agrowaste are used to generate energy as it carries great potential to convert in to energy. Newer development in technology in process development and product develop is necessary to increase the economic values of the products . More research and renovation in the existing technologies are required for sustainable use of agrowaste and healthy environment.

#### References :-

1. International forestry Resources and Institutions Field Manual- Bloomington, USA-(2002) .
2. Kumar PG, Hate S., Community based forest management and its impact on vegetation. A case study- i forest -2-93-98 (2009) .
3. Harshwardhan K, Upadhyaya K. effective utilization of agricultural waste, J Fun dam renewable energy Appl 7:237 (2017).
4. Zhahg Chunpeng and Taihu. The optimization of pectin extraction from sweet potato residues : Engineering and Environmental of Biosystems- Vol-46, P-2274-2280 (2011) .
5. ISCI, A ; Demiror, Biogas production potential from cotton wastes. In Reweable Energy vol. 32(5) P.-750-757 (2006)
6. P.S. Shehrawat, Nitu Sindhu,Agricultural waste utilization for healthy environment and sustainable life style -Third International scientific symposium "Agro sym Jahorina" (2012).
7. Environmental Chemistry - B.K. Sharma.



# Qualitative and Quantitative Analysis and Nanotechnology Applications in Water Purification of Drinking Water Samples of Different Localities in Gandhi Nagar Area of Bhopal

Santosh Ambhore \*

**Abstract** - The complete analysis of 05 drinking water samples was carried out to develop a data base on the quality of water being consumed in different sites. The qualitative and quantitative analysis of water samples of different localities was conducted to determine the exact amount of different pollutants present in water. The drinking water samples were taken from the main water sources where maximum peoples were using them for drinking purpose. The results indicated certain sources of water-borne diseases in drinking water, which are common in the people of a particular area.

New concepts and technologies are fast replacing the traditional methods of water distribution, supply and purification. Nanomaterials are well suited for water purification, disinfection and wastewater treatment applications as they have as large specific surface area, high reactivity, high degree of functionalization, size dependent properties, affinity for specific target contaminants, etc. Membranes and filters synthesized using nanomaterials have selective permeability, good flux rates, increased durability, reliability in purification and reusability, and thus are energy saving and cost effective. Various types of nanomaterials such as antimicrobial nanomaterials, carbon nanotubes (CINTs), nanosorbents, dendrimers, self-assembled monolayers on mesoporous silica (SAMMS), single enzyme nanoparticles (SENs), their mechanisms, synthesis and applications are reviewed in this paper.

**Key words:** nonmaterial's, drinking water, qualitative and quantitative analysis.

**Introduction** - Good quality water is odourless, colourless, tasteless, and free from faecal pollution .A reliable supply of clean wholesome water is highly essential in a bid to promoting healthy living among the inhabitants of a defined geographical region. Water is the most vital element among the natural resources, and is critical for the survival of all living organisms including human, food production, and economic development. Good quality of water resources depends on a large number of physico-chemical parameters and biological characteristics.

**Study Area** - Present district of Bhopal study area Gandhinagar and Bairagarh area; was carved out of Seehore district in 1972 .Bhopal is the picturesque capital of Madhya Pradesh and known as "city of lakes". Bhopal territory the largest state of India is situated on 23°16'N Latitude and 77°25' Longitude and is located on Hard pink sand stone of Vindhya region. .Bhopal is a city of historical importance and full of natural beauty.

**Sampling Stations** - five sampling stations have been chosen for present study during study year ;selected sampling stations are as follows-

**SS<sub>1</sub>**, Jhirniya   **SS<sub>2</sub>**, Gondipura   **SS<sub>3</sub>**, One Tree Hill Area  
**SS<sub>4</sub>**, Jatkherdi   **SS<sub>5</sub>**, Pardi Mohalla

The complete analysis of 05 drinking water samples was carried out to develop a data base on the quality of water being consumed in different areas of study. The qualitative and quantitative analysis of water samples of different localities was conducted to determine the exact amount of different pollutants present in water. The drinking water samples were taken from the main water sources where maximum peoples were using them for drinking purpose. The results indicated certain sources of water-borne diseases in drinking water, which are common in the people of a particular area. The results of the present research work showed that drinking water collected from different areas was not found to be suitable for human health due to various issues.

**Methodology** - Samples for analysis with standard procedure in accordance with standard method of American Public Health Association (APHA, 1986) and National Environmental Engineering Research Institute (NEERI, 1986), Nagpur. The instruments have been used in the limit of precise accuracy and chemical used of G.R. grade. Temperature, pH, TDS were measured. The T-H, Ca-H, Mg-H has measured titrimetrically using EDTA, chlorides by Mohr's Argentrometric titration and K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> as indicator, D.O. by Winkler's method. Total alkalinity was determined

\*Department of Chemistry, Government Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

by Titrimetric methods using phenolphthalein and methyl orange indicators. Nitrates, sulphates and phosphate were measured by spectrophotometer.

New **nanotechnology** is now being used to purify water and waste water in an environmentally friendly way. The new technology uses organic polymers which act as molecular sponges. Derived from crustacean shells or plant fibers, the nanometer-sized polymers are custom programmed to absorb specific particles for remediation or retrieval purposes. This includes cleaning out acids, hydrocarbons, pathogens, oils and toxins in water.

**Nanotechnology and Nanomaterials commercialized for water purification** - Currently nanotechnology plays a vital role in water purification techniques. In nanotechnology, nano membranes are used with the purpose of softening the water and removal of contaminants such as physical, biological and chemical contaminants. There are variety of techniques in nanotechnology which uses nano particles for providing safe drinking water with a high level of effectiveness. Some techniques have become commercialized. For better water purification or treatment processes nanotechnology is preferred. Many different types of nanomaterials or nanoparticles are used in water treatment processes. Nanotechnology holds great promise in remediation, desalination, filtration, purification and water treatment.

**Observation Table** – The observation's are summarized here in table during study period in various places/sampling station's of study area.

#### Table 1 (See in next page)

**Result And Discussion** - In present study Temperature varied from 16°C-22°C, pH ranged from 4.62-6.4, Electrical Conductivity ranges from 232-398  $\mu\text{mhos}/\text{cm}^{-1}$ , Free CO<sub>2</sub> varied from 6.12-11.47 ppm, Total Hardness ranged from 212-417 ppm, Ca-H noted as 102-270 ppm, Mg-H varied from 104-158 ppm, Dissolved Oxygen varied from 1.10-2.42 ppm, Biological Oxygen Demand ranged from 1.62-4.80 ppm and Chemical Oxygen Demand varied from 12.10-42.00 ppm during all observation's.

The main features that make nanoparticles effective for water treatment are-

1. More surface area
2. Small volume
3. The higher the surface area and volume, the particles become stronger, more stable and durable
4. Materials may change electrical, optical, physical, chemical, or biological properties at the nano level
5. Makes chemical and biological reactions easier

**Conclusion** - The above findings are similar with those of Gharde,B.D.(2010),Bheshdadia,B.M.(2011), M.Hussain, T.V.D. Prasad Rao,H.A.Khan and M.Satyanarayan,Oriental J. Chem.,27(4):1679-1684,P.Sannasi and S.Salmijah, Oriental J. Chem.,27(2):461-467(2011),P.Sannasi and S.Salmijah,Oriental J. Chem.,27(2):461-467(2011), Kataria,H.C. Ind,J. Environment Prot.IJEP,24(12):894-896(2004) and Poll.Res,19(4):645-649(2000)

The result of different physical and chemical parameters shows that Drinking water of concern study area is affected by various human activities , domestic wastes effluents etc. values of some parameters are beyond the permissible limits while some others are well within the limits. the result of most of the parameters has concluded that the water of study area is suitable for drinking purpose after proper required treatment.

#### **Advantages and Disadvantages of Nanotechnology** -

While nanotechnology is seen as the way of the future and is a technology that a lot of people think will bring a lot of benefit for all who will be using it, nothing is ever perfect and there will always be pros and cons to everything. The **advantages and disadvantages of nanotechnology** can be easily enumerated, and here are some of them:

**Advantages of Nanotechnology** - To enumerate the advantages and disadvantages of nanotechnology, let us first run through the good things this technology brings:

1. Nanotechnology can actually revolutionize a lot of electronic products, procedures, and applications. The areas that benefit from the continued development of nanotechnology when it comes to electronic products include nano transistors, nano diodes, OLED, plasma displays, quantum computers, and many more.
2. Nanotechnology can also benefit the energy sector. The development of more effective energy-producing, energy-absorbing, and energy storage products in smaller and more efficient devices is possible with this technology. Such items like batteries, fuel cells, and solar cells can be built smaller but can be made to be more effective with this technology.

**Disadvantages of Nanotechnology** - When tackling the advantages and disadvantages of nanotechnology, you will also need to point out what can be seen as the negative side of this technology:

1. Included in the list of disadvantages of this science and its development is the possible loss of jobs in the traditional farming and manufacturing industry.
2. Atomic weapons can now be more accessible and made to be more powerful and more destructive. These can also become more accessible with nanotechnology.
3. Presently, nanotechnology is very expensive and developing it can cost you a lot of money. It is also pretty difficult to manufacture, which is probably why products made with nanotechnology are more expensive.

#### **References :-**

1. APHA (1985)standard method for examination of water and waste water . APHA,AWWA,WPEC 16<sup>th</sup> Edition NewYork.
2. APHA (1992). Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water. APHA, AWWA, WPEC, 18th Edition, Washington.
3. APHA, AWWA, WEF, Standard methods for the examination of water and waste water (20th edn.)

- Washington, DC: American Public Health Association (1998)
4. APHA, Standard methods for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WPCF, 16'n Ed., New York (1986).
  5. BIS, 1991, Specification for drinking water IS : 10500 : 1991 Bureau of Indian Standards, New Delhi. IS: 10500 Indian Standards Specification for drinking water, ISJ, New Delhi, IS:10500 (1983).
  6. Environmental Protection Agency (1980) Ambient water quality criteria for Heavy Metals as Zn, Mn and Fe ;publication-440/8-80-79 EPA.
  7. ICMR: Manual of standards of quality for drinking water supplies Special report series No. 44, 2nd edition. (1975)
  8. Kataria H.C. ,Analytical Study of trace elements in ground water of Bhopal City.Ind,J. Environment Prot.IJEP,24(12):894-896(2004)
  9. Kataria H.C.,Preliminary study of Drinking Water of Pipariya township,Poll.Res,19(4):645-649(2000)
  10. M.Hussain,T.V.D. Prasad Rao,H.A.Khan and M.Satyanarayan,Oriental J. Chem.,27(4):1679-1684,P.Sannasi and S.Salmijah, Oriental J. Chem.,27(2):461-467(2011)
  11. NEERI : Manual on water and waste water analysis, National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur, P. 340-42, (1986).
  12. Oote,A.D. and Laconde,K.V.(1977).Environment assessment of municipal sludge utilization at nine locations in the united states proceeding 1<sup>9th</sup> Cornwell Agricultural waste management conferences APHA Cornwell university, Ithaca, New York page 135-146.
  13. Park, J; Bazylewski, P; Fanchini, G (2017). "Porous graphene-based membranes for water purification". *Nanoscale*. **8**: 9563–71.
  14. Vecitis, CD; Schnoor, MH; Rahaman, MS; Schiffman, JD; Elimelech, M (2017). "Electrochemical carbon nanotube filters for water and wastewater treatment". *Environ Sci Technol*. 45:36729.
  15. Voisin, H; Bergström, L; Liu, P; Mathew, AP (2017). "Nanocellulose". *Nanomaterials (Basel)*.
  16. WHO Hardness in drinking water,Background documents for developments of WHO guideline for drinking water quality series No:WHO/HSE/WSH/ 10.01/10/Rev/1.World Health Organization Geneva (2011 b)
  17. WHO, Guidelines for drinking water quality Vol. 1, Recommendations, World Health Organization, Geneva, 1-30 (1984).

**Table 1 : Mean seasonal value (pre and post monsoon)**

| parameter            | Unit                    | SS <sub>1</sub> | SS <sub>2</sub> | SS <sub>3</sub> | SS <sub>4</sub> | SS <sub>5</sub> |
|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Temperature          | 0°C                     | 18              | 16*             | 22**            | 19              | 17              |
| pH                   | -                       | 4.62*           | 5.4             | 6.4**           | 5.7             | 6.0             |
| Elect.Cond.          | μ mhos/cm <sup>-1</sup> | 232*            | 270             | 382             | 398**           | 374             |
| Free CO <sub>2</sub> | ppm                     | 6.12*           | 7.24            | 8.72            | 11.47**         | 10.44           |
| T-H                  | ppm                     | 320             | 417**           | 400             | 212*            | 280             |
| Ca-H                 | ppm                     | 215             | 270**           | 240             | 102*            | 134             |
| Mg-H                 | ppm                     | 104*            | 150             | 158**           | 106             | 146             |
| D.O.                 | ppm                     | 1.12            | 1.10*           | 1.82            | 2.12            | 2.42**          |
| B.O.D.               | ppm                     | 1.62*           | 1.84            | 2.84            | 3.92            | 4.80**          |
| C.O.D.               | ppm                     | 12.42           | 12.10*          | 30.24           | 42.00**         | 40.84           |

\*\*= maximum value

\* = minimum value

\*\*\*\*\*

## ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तकनीकी में परिवर्तन का अध्ययन (धार जिले के विशेष सन्दर्भ में)

प्रो. राजेश मईड़ा \*

**प्रस्तावना** – कृषि दक्षता और उत्पादन पूर्णतः कृषि आदानों और उत्पादन की विधियों पर निर्भर है। विकासशील कृषि के लिए अनुकूल कृषि आदानों एवं विधियों में सुधार करना आवश्यक है। तकनीकी परिवर्तनों के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने वाले समर्त तत्व सम्मिलित होते हैं। तकनीकी परिवर्तन कृषि क्षेत्र के उत्पादन फसल चक्र को और उच्च उत्पादन करने में सहायक होता है। तकनीकी परिवर्तनों के प्रभाव को ढो रूपों में देखा जा सकता है।<sup>1</sup> कृषि आगत की ढी हुई मात्रा से अधिक उत्पादन प्राप्त करना अथवा कृषि उत्पादन की समान मात्रा अपेक्षकृत कम लागत से प्राप्त करना।<sup>2</sup>

कृषि में होने वाला तकनीकी परिवर्तन भूमि और श्रम की उत्पादकता बढ़ाने वाला रहा है, इसलिए एक ओर इसे भूमि बचत करने वाले कारक के रूप में देखा जा सकता है। भूमि बचत करने वाले कारकों में अधिक उपज देने वाले गुणवत्ता युक्त बीजों, रासायनिक किटनाषक एवं उर्वरक, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और फसल संरचना में परिवर्तन महत्वपूर्ण है।<sup>3</sup> इनके अतिरिक्त मधीनी उपकरणों के अन्तर्गत ट्रैक्टर, थ्रेषर, परिवहन के साधन एवं अन्य कृषि उपकरण श्रम एवं समय की बचत करने वाले महत्वपूर्ण घटक हैं।<sup>4</sup>

ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में कृषक गरीबी एवं अशिक्षा के कारण कृषि में परम्परागत अवैज्ञानिक कृषि तकनीकी के कारण अधिक श्रम एवं लागत के परिणामस्वरूप अल्प अथवा न्यून उत्पादन के कारण ऋणग्रस्तता के जाल में फंसा हुआ है।<sup>5</sup> वर्तमान में कृषि में वैज्ञानिक तकनीकी को अपनाए बिना कृषि को लाभ की कृषि बनाना असम्भव है। कृषक रखयं उक्त उपकरणों को क्रय करने और उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कृषि विकास कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के विकास एवं उत्पादन वृद्धि हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कृषकों के तकनीकी परिवर्तन एवं विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम, प्रावधान एवं योजनाएँ संचालित हैं जिनमें फसलों की बीमारियों की रोकथाम के लिए ढाराईयों की व्यवस्था, रासायनिक उर्वरकों, उच्चत बीजों, ढाराईयों, सिंचाई के साधन व आधुनिक उपकरण के साथ वित्तीय सहायता, कृषि तकनीकी प्रशिक्षण सम्मिलित हैं। परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। शासन द्वारा संचालित कृषि योजनाओं के लाभ द्वारा कृषि में प्रयुक्त तकनीकी परिवर्तन का अध्ययन शोध पत्र में प्रस्तुत किया गया है। कृषि में तकनीकी परिवर्तन स्थिति का मूल्यांकन करना मुख्य उद्देश्य है।

**साहित्य समीक्षा** – कृषि तकनीकी परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों में कृषकों की विशेषताएँ जैसे – जाति, शिक्षा, कृषक के परिवार की

सामाजिक-आर्थिक स्थिति, कृषि तकनीक उत्पादन से प्रभावित होती हैं संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन दिशा-निर्देश का कार्य करता है। शोध समस्या से सम्बन्धित साहित्य अवलोकन निम्न प्रकार है-

**Venkateshwarlu A. (1998)**<sup>6</sup>: उक्त अध्ययन में दो कारकों पर केन्द्रीत हैं – अनार्थिक कारकतथा परिवर्तित घटनाओं की व्याख्या स्थिर घटकों से की है। **Dastane N.G. (1969)**<sup>7</sup>: उर्वरकों के उपयोग को कृषि की विशेषताएँ प्रभावित करती हैं। फसल पद्धति में भिन्नता तथा सिंचित क्षेत्र दो प्रमुख कारक हैं जो उर्वरकों के उपयोग को तेजी से बढ़ाते हैं। **Gunvant M. Desai, P.N. Chary and S.C. Bandopadhyay (1970)**<sup>8</sup>: तकनीकी परिवर्तन की धीमी गति से विकास, कम मूल्य वाली फसलों को अत्यधिक महत्व देना प्रमुख कारण बताया। **GOI (2007)**<sup>9</sup>: तकनीकी परिवर्तन में नकारात्मक पक्ष आर्थिक दृष्टि से कमजोर होना है। आर्थिक भिन्नता के कारण ग्रामीण विकास कार्यक्रम विफल है। **कौशिक एस.डी. (1998)**<sup>10</sup>: ‘ग्रामीण निर्धनता’ ने अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों की आर्थिक दशा को मजबूत बनाने में सरकार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। **Gupta Arun, Ved Prakash, Joshi Deeksha, Gupta H.S. (2008)**<sup>11</sup>: आर्थिक परिवर्तन तकनीकी परिवर्तन को प्रेरित करता है। **Swaminathan M.S. (1969)**<sup>12</sup>: तकनीकी परिवर्तन को सामाजिक कारकों का सकारात्मक प्रभाव होता है। **यादव सुबह सिंह (1997)**<sup>13</sup>: कृषि रोजगार में वृद्धि ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण है। **वर्मा सवलिया बिहारी, (2003)**<sup>14</sup>: भूख की समस्या भूमिहिनों अनुसूचित जाति, जनजातियाँ, महिलाओं अप्रशिक्षित श्रमिकों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। **कलवार सुगनचंद एवं मीणा तेजराम, (2001)**<sup>15</sup>: परंपरावादी तथा ज्ञान के अत्यंत निम्न स्तर वाले किसान नवीन कृषि तकनीकी प्रयोग करने को तैयार नहीं होते हैं। प्रत्येक तथ्य करने भाव्यवाद की भावना से स्वीकार करते हैं। उनके लिए कृषि वाणिज्य व्यापार की वस्तु न होकर जीवन की एक प्रणाली है। निम्न उत्पादकता आर्थिक विकास के लिए घातक है जबकि नवीन तकनीकी प्रयोग एवं परिवर्तन द्वारा अधिक लाभदायक हो सकते हैं। **Gunvant M. Desai (1971)**<sup>16</sup>: सिंचित क्षेत्र तथा अच्छी उपज ऐसे कारक हैं जिनसे तकनीकी परिवर्तन का प्रभाव विभिन्न फसलों तथा कृषि क्षेत्र पर तेजी से बढ़ता है।

**अध्ययन के उद्देश्य** – धार जिले में कृषकों हेतु संचालित कृषि विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पश्चात् कृषि उत्पादकता में परिवर्तन का अध्ययन करना।

**परिकल्पना** – H<sub>0</sub>: कृषि तकनीकी के प्रयोगतथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि

\* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

के मध्य सम्बन्ध नहीं हैं।

**शोध प्रविधि** – प्राथमिक समंकों के संकलन के लिए धार जिले के कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि योजनाओं के लाभार्थियों को सर्वेक्षण आधार बनाया गया है। कृषि विकास योजनाओं से हितग्रही कृषकों के कृषि तकनीकी में परिवर्तन के अध्ययन के लिए धार जिले के अन्तर्गत दैव निर्दर्शन विधि द्वारा 35 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक से 10 कृषकों का चयन दैव निर्दर्शन विधि के आधार पर किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषकों की कृषि तकनीकी को जानने के लिए कुल 350 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण विभिन्न तालिकाओं के आधार पर किया गया है :-

#### उत्तरदाताओं की सामान्य जानकारी

#### तालिका क्रमांक - 1

| क्र. | विवरण            | आवृत्ति          | प्रतिशत |
|------|------------------|------------------|---------|
| 1    | उत्तरदाता की आयु | 20 से 35 वर्ष    | 126     |
|      |                  | 35 से 50 वर्ष    | 189     |
|      |                  | 50 वर्ष से अधिक  | 35      |
| 2    | शिक्षा           | आशिक्षित         | 79      |
|      |                  | माध्यमिक से कम   | 212     |
|      |                  | माध्यमिक से अधिक | 59      |

**स्रोत:** प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारिक समंक।

तालिका 1 में उत्तरदाताओं की आयु के अन्तर्गत 36 प्रतिशत 20 से 35 वर्ष, 54 प्रतिशत 35 से 50 वर्ष तथा 10 प्रतिशत 50 वर्ष से अधिक आयु है। उत्तरदाताओं की आयु का वर्गीकरण उनकी मानसीक एवं शारीरिक परिपक्ता को प्रदर्शित करता है। उत्तरदाताओं में 22.57 प्रतिशत अशिक्षित, 60.57 प्रतिशत माध्यमिक से कम तथा 16.85 प्रतिशत माध्यमिक से अधिक शिक्षित हैं। शिक्षा की स्थिति उत्तरदाता कृषकों की विचार एवं तार्किक निर्णय क्षमता का परिचायक है।

#### तालिका क्रमांक - 2 : कृषि भूमि स्वामित्व

| क्र. | विवरण  | 5 एकड़ से कम | 5 से 15 एकड़ | 15 एकड़ से अधिक |
|------|--------|--------------|--------------|-----------------|
| 1    | कुल    | 115(32.86)   | 182(52)      | 53(15.14)       |
| 2    | सिंचित | 196(56)      | 145(41.43)   | 9(2.57)         |

**स्रोत:** प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारिक समंक।

चयनित उत्तरदाता कृषक की कुल कृषि भूमि के अन्तर्गत 32.86 प्रतिशत 5 एकड़ से कम, 52 प्रतिशत 5 से 15 एकड़ एवं 15.14 प्रतिशत 15 एकड़ से अधिक कृषि भूमि का स्वामित्व है। कृषि भूमि के अन्तर्गत सिंचित भूमि 56 प्रतिशत 5 एकड़ से कम, 41.43 प्रतिशत 5 से 15 एकड़ तथा 2.57 प्रतिशत 15 एकड़ से अधिक सिंचित है। धार जिले में वर्षा अधिकतम 1147.9 मि.मी. तथा न्यूनतम 772.5 मि.मी. ढर्ज की गई। 17 म सिंचाई के प्रमुख स्रोत के अन्तर्गत कुँआ प्रमुख है। इसके बाद नलकूप, नहर, तालाब, नदी-नालों पर निर्भरता है।

#### तालिका क्रमांक - 3

| क्र. | खेत तैयार करने के लिए कृषि यंत्र | आवृत्ति    | प्रतिशत    |
|------|----------------------------------|------------|------------|
| 1    | हल, बछर (बैंलों द्वारा चलित)     | 134        | 38.29      |
| 2    | ट्रैक्टर (किराए पर उपलब्ध)       | 216        | 61.71      |
|      | <b>कुल</b>                       | <b>350</b> | <b>100</b> |

**स्रोत:** प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारिक समंक।

तालिका 3 से स्पष्ट है कि तकनीकी उपयोग के अन्तर्गत परम्परागत साधनों में मुख्य रूप से हल, बछर, बीज बोने का यंत्र, घांस कटाई हेतु हसिया, कुदाली आदिक्कारा 38.29 प्रतिशत कृषक पूर्णतः निर्भर हैं। जबकि ट्रैक्टर द्वारा 61.71 प्रतिशत कृषक कार्यों में उपयोग किया जाने लगा है। ट्रैक्टर की उपलब्धता प्रत्येक कृषक के पास नहीं है किन्तु किराये पर मशीनी साधन उपलब्ध हैं। अध्ययन क्षेत्र में किराये पर साधनों को संचालित करने के लिए राजस्थान, गुजरात, पंजाब एवं हरियाणा से वाहनों को संचालित करने के लिए भारी संख्या में प्रतिवर्ष साधन लाए जाते हैं।

#### तालिका क्रमांक - 4

| क्र. | बुआई हेतु बीज उपयोग             | आवृत्ति    | प्रतिशत    |
|------|---------------------------------|------------|------------|
| 1    | परम्परागत (संग्रहित बीज)        | 244        | 69.71      |
| 2    | संकर बीज (कृषि केन्द्र से क्रय) | 106        | 30.28      |
|      | <b>कुल</b>                      | <b>350</b> | <b>100</b> |

**स्रोत:** प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारिक समंक।

तालिका 4 के अनुसार बुआई हेतु बीज की पूर्ति 69.71 प्रतिशत द्वारा परम्परागत अथवा पूर्व वर्ष उत्पादन का संग्रहित हिस्सा बुआई हेतु उपयोग किया गया जबकि 30.28 प्रतिशत द्वारा कृषि वस्तु विपणन केन्द्र से संकरीत बीज का उपयोग किया गया है। संग्रहित बीज का उपयोग करने का प्रमुख कारण बीज हेतु उपलब्ध अनाज की किमतों का अत्यधिक मूल्य होना है। गरीब अथवा ऋणग्रस्त कृषक के लिए अत्यधिक मूल्य देकर अनाज क्रय करना संभव नहीं है। बाजार से क्रय कर बुआई करने पर वर्षा की अनिश्चितता एवं सिंचाई की पूर्ति नहीं होने पर अधिक नुकसान का खतरा बना रहता है।

#### तालिका क्रमांक - 5

| क्र. | सिंचाई तकनीक           | आवृत्ति    | प्रतिशत    |
|------|------------------------|------------|------------|
| 1    | परम्परागत व्यारी बनाकर | 289        | 82.57      |
| 2    | झीप, फंवारा आदि        | 61         | 17.43      |
|      | <b>कुल</b>             | <b>350</b> | <b>100</b> |

**स्रोत:** प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारिक समंक।

तालिका 5 के अनुसार 82.57 प्रतिशत कृषक सिंचाई हेतु परम्परागत व्यारी नुमा नालियों का निर्माण कर सिंचाई करते हैं। इस तकनीक में पानी का अत्यधिक अपव्यय होता है जबकि आधुनिक तकनीकी का उपयोग करने वाले 17.43 प्रतिशत हैं। आधुनिक सिंचाई तकनीकी के उपयोग से पानी की बचत तो होती है। पौधों में आवश्यक नमी बनाए रखने में सहायता होता है। पौधों को आवश्यकता के अनुसार पानी की पूर्ति की जा सकती है।

#### तालिका क्रमांक - 6

| क्र. | खाद एवं उर्वरक का प्रयोग              | हाँ            | नहीं           | कुल          |
|------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 1    | रासायनिक उर्वरक (NPK)                 | 132<br>(37.71) | 218<br>(62.29) | 350<br>(100) |
| 2    | रासायनिक किटनाशक                      | 187<br>(53.43) | 163<br>(46.57) | 350<br>(100) |
| 3    | गोबर खाद                              | 285<br>(81.42) | 65<br>(18.57)  | 350<br>(100) |
| 4    | रासायनिक उर्वरक, किटनाशक एवं गोबर खाद | 145<br>(41.42) | 205<br>(58.57) | 350<br>(100) |

**स्रोत:** प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारिक समंक।

भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि तथा बनाए रखने के लिए वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा है अध्ययन क्षेत्र के 37.71 प्रतिशत कृषक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं जबकि 62.29 प्रतिशत रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं। फसलों को विभिन्न प्रकार के नुकसानदायक किटों के प्रकोप से बचाने के लिए रासायनिक किटनाषकों का प्रयोग 53.43 प्रतिशत कृषकों द्वारा किया जाता है जबकि 46.57 प्रतिशत कृषक रासायनिक किटनाषकों का प्रयोग नहीं करते हैं। गोबर खाद का उपयोग भूमि की उर्वरता में वृद्धि के लिए उत्तम साधन है। 81.42 प्रतिशत कृषक गोबर खाद का उपयोग वर्ष में एक बार करते हैं। जबकि 18.57 प्रतिशत कृषक गोबर खाद का उपयोग नहीं करते हैं इसका प्रमुख कारण पशुओं की अनुपलब्धता है। रासायनिक उर्वरक, किटनाषक एवं गोबर खाद सभी का उपयोग करने वाले कृषक 41.42 प्रतिशत हैं जबकि सर्वाधिक 58.57 प्रतिशत सभी साधनों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। इसका प्रमुख कारण आर्थिक रूप से पिछ़ापन एवं ऋणग्रस्तता प्रमुख कारण है।

### तालिका क्रमांक - 7

| क्र. | फसल कटाई का माध्यम                      | आवृत्ति    | प्रतिशत    |
|------|---|------------|------------|
| 1    | मजदूरों द्वारा हाथों से                 | 229        | 65.42      |
| 2    | ट्रेक्टर, हार्वेस्टर अथवा मशीनों द्वारा | 121        | 35.58      |
|      | <b>कुल</b>                              | <b>350</b> | <b>100</b> |

**स्रोत:** प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारिक समंक।

तालिका 7 से स्पष्ट है कि 65.42 प्रतिशत कृषक मजदूरों द्वारा फसल कटावाया जाता है जबकि 35.58 प्रतिशत कृषक ट्रेक्टर, हार्वेस्टर तथा अन्य मषीनी उपकरणों का उपयोग करते हैं। मजदूरों द्वारा फसल कटाई के लिए प्रमुख कारण पालतू पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता प्रमुख कारण है जबकि मषीनों के द्वारा फसल कटाई से चारे का पूर्णतः नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त कई फसलों में मषीनी का उपयोग सम्भव नहीं केवल मजदूर एक मात्र विकल्प है।

### तालिका क्रमांक - 8 : कृषि तकनीकी के प्रयोग से उत्पादन पर प्रभाव

| क्र. | फसल कटाई का माध्यम | आवृत्ति    | प्रतिशत    |
|------|--------------------|------------|------------|
| 1    | वृद्धि             | 259        | 74         |
| 2    | कमी                | 12         | 3.42       |
| 3    | यथावत              | 47         | 13.43      |
| 4    | कहा नहीं जा सकता   | 32         | 9.15       |
|      | <b>कुल</b>         | <b>350</b> | <b>100</b> |

उपरोक्त तालिका 8 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता मानते हैं कि कृषि में तकनीकी के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि होती है। जबकि 3.42 प्रतिशत के अनुसार उत्पादन में कमी होती है इसका प्रमुख कारण अत्यधिक रासायनिक के प्रयोग से भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी होती है जिसका प्रभाव से भविष्य में भूमि की उत्पादन क्षमता नष्ट हो जायेगी। 13.43 प्रतिशत उत्तरदाता के अनुसार तकनीकी प्रयोग से उत्पादन समान होता है जबकि लागत में वृद्धि हो जाने से व्ययों में वृद्धि बढ़ती है।

### परिकल्पना परीक्षण :-

H<sub>0</sub>: कृषि तकनीकी के प्रयोगतथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि के मध्य सम्बन्ध नहीं हैं।

H<sub>1</sub>: कृषि तकनीकी के प्रयोगतथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि के मध्य महत्वपूर्ण सम्बन्ध हैं।

| Chi-Square Tests   | Value   | df | Asymp. Sig. (2_sided) |
|--------------------|---------|----|-----------------------|
| Pearson Chi-Square | 455.600 | 3  | .000                  |
| N of Valid Cases   | 349     |    |                       |

काई वर्ग तालिका से स्पष्ट है कि 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर (3 Degree of Freedom) पर  $\chi^2$  का तालिका मूल्य (7.815) है जबकि  $\chi^2$  का आंकलित मूल्य (455.600) है। सारणी मूल्य एवं आंकलित मूल्य की तुलना के आधार पर स्पष्ट है कि दोनों गुण स्वतंत्र न होकर आपस में सम्बन्धित हैं। विश्लेषण में;  $\chi^2_c = 455.600$  तथा  $\chi^2_t = 7.815$  है, आंकलित तथा सारणी मूल्यों से स्पष्ट है कि  $\chi^2_c > \chi^2_t$  अतः हमारी शून्य परीकल्पना अस्वीकृत होती है तथा ' $H_0$ : कृषि तकनीकी के प्रयोग तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि के मध्य महत्वपूर्ण सम्बन्ध हैं' स्वीकृत होती है। अतः कहा जा सकता है कि कृषि में तकनीकी परिवर्तन से कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ समय एवं श्रम की बचत के साथ अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

**निष्कर्ष** – कृषि विकास की धिमी गति का प्रमुख कारण यंत्रीकरण का अभाव है। कृषि में आधुनिक साधनों का पूर्ण अभाव है। इसका मुख्य कारण कृषि तकनीक का परम्परागत होना तथा आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण मंहगे यंत्रतकनीक का उपयोग गरीब कृषक के लिए संभव नहीं है। कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों में सिंचाई के साधनों का विषेष महत्व है। सिंचाई हेतु पानी की पूर्ती होने पर उर्वरकों, संकरीत बीजों और आधुनिक कृषि तकनीकी के प्रयोग से उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है किन्तु अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का पूर्ण अभाव है। कृषक मानसुन आधारित कृषि पर निर्भर है। भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि के लिए कम्पोस्ट खाद अथवा प्राकृतिक जैविक खाद तथा उर्वरकों के प्रयोग से उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों को मिट्टी परीक्षण के प्रति जागरूकता का अभाव हैं। जोत का आकार छोटा होने के कारण कृषक आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है, प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही छोटी जोत के कारण उड़ान उत्पकरणों, बीज आदि की सहायता से वैज्ञानिक कृषि करना संभव नहीं है। घटते जोत के आकार तथा भूमि पर निर्भरता ने कृषि रोजगार में कमी तथा बेरोजगारी गरीबी का मुख्य कारण है। कृषक कृषि के अतिरिक्त गैर-कृषि रोजगार पर निर्भरता में वृद्धि हुई है। अशिक्षा के कारण कृषक परम्परागत कृषि करते हैं। अशिक्षा के परिणामस्वरूप कृषक आधुनिक कृषि तकनीकी को अपनाने में संकोच करता है। आधुनिक खाद, बीज के अतिरिक्त उर्वरक, रासायनिक खाद, किटनाषक यंत्रों के प्रयोग को समझने में कठिनाई के कारण कृषि में परम्परागत तकनीक उपयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों की मांग अधिक एवं पूर्ती में कमी होने के कारण व्यापारियों द्वारा उच्च कीमत पर विक्रय किया जाता है। सार्वजनिक वितरण के माध्यम से कृषकों को पर्याप्त उर्वरक नहीं मिलता। खड़िवाड़ी, अज्ञानता एवं पारम्परिक होने के कारण आधुनिक तकनीकों को नहीं अपना सके हैं। कृषि कार्य के लिए संरक्षण तथा साख की व्यवस्था सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से की गई है। इनमें फसल बुआई, बीमा, उपकरण, आदि कार्यों के लिए बासकीय स्तर पर वित्त की व्यवस्था की गई है किन्तु संस्थागत ऋण में अनेक कागजी कार्यवाही,

बैंकों का शहरों में रिथति होना, आक्रियक व्यय, आदि कार्यों के लिए बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिए जाने के कारण कृषकों को असंस्थागत ऋण पर निभर रहना पड़ता है। कृषि उपकरणों का प्रयोग तकनीकी उपयोग नहीं करने का एक मुख्य कारण छोटे जीत का होना, कम उत्पादकता तथा मौसमी असन्तुलन प्रमुख कारक है।

### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. कुकरेजा, सुन्दरलाल (1989): कृषि आदान एवं खाद्याङ्ग उत्पादन, योजना 16-31 अवटूबर, पृ. 161
2. दत्ता, आर. एवं सुन्दरम, के. पी. एम. (1980): 'इन्डियन इकोनॉमिक्स' एस. चन्द एंड कम्पनी, नई दिल्ली। पृ. 252
3. Balakrishnan, Pulapre (2000). Agriculture and Economic Reforms: Growth and Welfare. Economic and Political Weekly, 35 (12): 999-1004.
4. Bhalla, G S and Gurmail Singh (2001). Indian Agriculture: Four Decades of Development. New Delhi: Sage Publications. P- 234
5. Chand, Ramesh and S S Raju (2009). Instability in Indian Agriculture During Different Phases of Technology and Policy. Indian Journal of Agricultural Economics, 64 (2): p. 285
6. Venkateshwarlu A. (1998), "Developing Agricultural Technology", Rawat Publications, Jaipur, p. 14.
7. Dastane N.G. (1969), "New Concepts in Irrigation: Necessary Changes for New Strategy", Economic and Political Weekly, Vol. IV, No., Jan 26., p. A-27.
8. Desai Gunvant M. (1970), "Factors Determining Demand For Pesticides", Economic and Political Weekly, Vol. (52), No. V, 26 December, p. A-181.
9. GOI (2007), "Measures of Impact of Science and Technology in India: Agriculture and Rural Development", M.S. Swaminathan Research Foundation, Chennai, p. 3.
10. कौशिक एस.डी. (1998) : 'मानव तथा आर्थिक भूगोल' रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ।
11. Gupta Arun, Ved Prakash, Joshi Deeksha, Gupta H.S.(2008), "Verietal Releases, VL Madira 207 barnyard Millet", A Science and Technology, ICAR Newsletter, Vol. 14, No. 04, October-December, p. 10.
12. Swaminathan M.S. (1969), "Scientific Implications of HYV Programme", Economic and Political Weekly, No. IV, Jan 26., p. 69.
13. यादव, सुबहसिंह एवं यादव सत्यभान (1997): 'ग्रामीण विकास का आधुनिक दर्शन', सबलाइम पब्लिकेशन्स, जयपुर, भारत। पृ. 303-309
14. वर्मा सवलिया बिहारी, (2003): 'ग्रामीण भारत के सर्वोन्मुखी विकास एक परिवर्ष', संजय प्रकाशन, नईदिल्ली, भारत।
15. कलवार सुगन्धचंद एवं मीणा तेजराम, (2001): 'निर्धनता उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास' पोर्टर पब्लिशर्स, जयपुर।
16. Desai Gunwant M. (1971), "Growth of Fertiliser Use in Indian Agriculture: Past trends and Future Demand", Cornel University Press, New York, pp. 7-8.
17. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला सांखिकी कार्यालय, धारा 2016



# Impact Of Arsenic In Drinking Water On Human Health

Dr. Kanti Pachori \*

**Abstract** - In terms of its impact on human health, arsenic is unique in that most of the evidence linking it to diseases comes from epidemiological work; animal studies have not provided good models.. To date, we know that arsenic from drinking water can cause severe skin diseases including skin cancer; lung, bladder, and kidney cancers, and perhaps other internal tumors; peripheral vascular disease; hypertension; and diabetes. It also seems to have a negative impact on reproductive processes (infant mortality and weight of newborn babies). The toxicology of arsenic involves mechanisms that are still not completely understood, but it is clear that a number of factors can affect both individual and population-level susceptibility to the toxic effects of arsenic-contaminated drinking water.

**Keywords** - arsenic, health effects, drinking water, chronic exposure, arsenic metabolism.

**Introduction** - The toxicological and human health effects caused by arsenic exposure were first described centuries ago, yet there are still many areas of inquiry that have not been elucidated, particularly with respect to the mechanisms of action of arsenic and the factors that may affect susceptibility to the damaging effects of this element and its compounds. . Excellent comprehensive reviews have been published within the last few years by the International Program on Chemical Safety of the World Health Organization (IPCS 2001) and by the US National Research Council (NRC 1999, updated in 2001).

**Early Reports Of Health Effects** - Descriptions of dermatological effects caused, Cases of lung cancer from occupational exposure to arsenic were described in the 1940s (IPCS 2001). In Argentina, the effects of arsenic were first reported in 1917 by Astolfi, and the term "Bell Ville Disease" was coined to describe frequent skin disorders found among residents of a town by that name in the province of Córdoba (detailed in Hopenhayn-Rich et al. 1996). Most case studies were based upon observations by local dermatologists, and the characteristic "arsenicosis" led to the term "HACRE"—Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (Regional Endemic Chronic Hydroarsenicism)— "Bell Ville Disease" was coined to describe frequent skin disorders found among residents of a town by that name in the province of Córdoba (detailed in Hopenhayn-Rich et al. 1996 the characteristic "arsenicosis" led to the term "HACRE"—Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (Regional Endemic Chronic Hydroarsenicism)—. Thousands of shallow "tube" wells were dug, which were free of the viruses, bacteria, and parasites found in rivers, therefore providing much cleaner water for human consumption.

**Metabolism And Toxicity** - The main forms of arsenic found in water used for human consumption and, to a lesser extent, in foodstuff are inorganic arsenic (In-As), occurring

either as trivalent (As+3) or pentavalent (As+5) compounds. Other forms of arsenic, including organic compounds such as arsenobetaine or arsenocholine, are found in seafood. Sometimes these occur in relatively high concentrations, but they are much less toxic than the inorganic forms and are eliminated rapidly and unchanged through the urine. Ingested In-As is quickly absorbed from the gastrointestinal tract and passes through a series of steps while being metabolized through reduction reactions of pentavalent to trivalent arsenic forms, and methylation to monomethylarsonic acid (MMA) and then to dimethylarsinic acid (DMA).

**Exposure Assessment** - In order to assess the health effects of arsenic, it is essential to assess exposure as accurately as possible. The methods of assessment, accordingly, depend on the source of exposure. In particular, the methods for environmental measurements of inhaled versus ingested arsenic focus on air and dust content versus water and food., human biomarkers of exposure for both routes of entry into the body are similar, such as in urine, blood, hair, and nails. Finally, duration of exposure or cumulative exposure is usually estimated, and some studies have used this factor to correlate with health effects (IPCS 2001).

**Results And Discussions** - Arsenic causes or increases the risk of numerous illnesses. Some of them have been repeatedly observed in different epidemiological investigations. Examples are skin damage including keratoses and skin cancer, internal cancers such as lung and bladder, and diseases of the vascular system. Other health problems, such as diabetes, cancers of other organs, and adverse reproductive outcomes have been observed, but the evidence is not yet conclusive, although it keeps increasing. In terms of carcinogenicity (NRC 1999; Schoen et al. 2004). Some of these mechanisms, such as oxidative stress to cells, could account for some of the noncancer

negative health effects.

#### **Magnitude Of The Problem: The Global Perspective -**

Arsenic is probably the environmental contaminant that is responsible for the highest risks of morbidity and mortality worldwide, both because of its toxicity and the number of people exposed. Unlike other chemical contaminants that are found in limited locations or only in restricted areas around a point source, dangerously high levels of arsenic have been identified in many water supplies around the world. Moreover, in some affected areas, such as in India, Bangladesh, Taiwan, and possibly China (Sun 2004), the sizes of the exposed populations are very large. Globally, many millions of people currently drink water containing unacceptably high arsenic levels, which are responsible for increases in a wide range of illnesses. In many countries, water supplies are still not routinely tested for arsenic, although as testing becomes more widespread, more and more locations of arsenic contamination are being discovered. Finally, in some high-risk areas, we are probably only seeing the "tip of the iceberg." Several studies suggest that there is a long latency period between exposure to arsenic and the development of internal cancers, sometimes forty years or more..

#### **References :-**

1. Borgono JM, Vicent P, Venturino H, Infante A (1977) Arsenic in the drinking water of the city of Antofagasta: epidemiological and clinical study before and after the installation of a treatment plant. *Environmental Health Perspectives* 19: 103-105
2. Chen CJ, Kuo TL, Wu MM (1988) Arsenic and cancers (letter). *Lancet* i: 414-415 Chen YC, Su HJ, Guo YL, Hsueh YM, Smith TJ, Ryan LM, Lee MS, Christiani DC (2003) Arsenic methylation and bladder cancer risk in Taiwan. *Cancer Causes & Control* 14: 303-310
3. Chowdhury UK, Biswas BK, Chowdhury TR, Samanta G, Mandal BK, Basu GC, Chanda CR, Lohd D, Saha KC, Mukherjee SK, Roy S, Kabir S, Quamruzzaman Q, Chakraborti D (2000) Groundwater arsenic contamination in Bangladesh and West Bengal, India. *Environmental Health Perspectives* 108: 393-397
4. Ferreccio C, Gonzalez C, Milosavlevic V, Marshall G, Sancha AM, Smith AH (2000) Lung cancer and arsenic concentrations in drinking water in Chile. *Epidemiology* 11: 673-679
5. Hopenhayn C, Ferreccio C, Browning SR, Huang B, Peralta C, Gibb H, HertzPicciotto I (2003) Arsenic exposure from drinking water and birth weight. *Epidemiology* 14: 593-602
6. Hopenhayn-Rich C, Biggs ML, Fuchs, Bergoglio R, Tello EE, Nicoll H, Smith AH (1996) Bladder cancer mortality associated with arsenic in drinking water in Argentina. *Epidemiology* 7: 117-124
7. Hopenhayn-Rich C, Biggs ML, Smith AH (1998) Lung and kidney cancer mortality associated with arsenic in drinking water in Cordoba, Argentina. *International Journal of Epidemiology* 27: 561-569
8. Milton AH, Smith W, Rahman B, Hasan Z, Kulsum U, Dear K, Rakibuddin M, Ali A (2005) Chronic arsenic exposure and adverse pregnancy outcomes in Bangladesh. *Epidemiology* 16: 82-86
9. National Research Council (1999) Arsenic in drinking water. National Academy Press, Washington, DC
10. National Research Council (2001) Arsenic in drinking water: 2001 update. National Academy Press, Washington, DC
11. Schoen A, Beck B, Sharma R, Dube E (2004) Arsenic toxicity at low doses: epidemiological and mode of action considerations. *Toxicology and Applied Pharmacology* 198: 253-267
12. Smith AH, Goycolea M, Haque R, Biggs ML (1998) Marked increase in bladder and lung cancer mortality in a region of northern Chile due to arsenic in drinking water. *American Journal of Epidemiology* 147: 660-669
13. Steinmaus C, Yuan Y, Bates MN, Smith AH (2003) Case-control study of bladder cancer and drinking water arsenic in the western United States. *American Journal of Epidemiology* 158: 1193- 1201
14. Sun G (2004) Arsenic contamination and arsenicosis in China. *Toxicology and Applied Pharmacology* 198: 268-271
15. Vahter M (2000) Genetic polymorphism in the biotransformation of inorganic arsenic and its role in toxicity. *Toxicology Letters* 112-113: 209-217
16. Vahter M (2002) Mechanisms of arsenic biotransformation. *Toxicology* 181-182: 211-217
17. Wu MM, Kuo TL, Hwang YH, Chen CJ (1989) Dose-response relation between arsenic concentration in well water and mortality from cancers and vascular diseases. *American Journal of Epidemiology* 130: 1123-1132
18. Yang CY, Chang CC, Tsai SS, Chuang HY, Ho CK, Wu TN (2003) Arsenic in drinking water and adverse pregnancy outcome in an arseniasis-endemic area in northeastern Taiwan. *Environmental Research* 91: 29-34
19. Yu RC, Hsu KH, Chen CJ, Froines JR (2000) Arsenic methylation capacity and skin cancer. *Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention* 9: 1259-1262
20. Zaldívar R (1974) Arsenic contamination of drinking water and food-stuffs causing endemic chronic poisoning. *Beitr Path Bd* 151: 384-400
21. D, Saha KC, Mukherjee SK, Roy S, Kabir S, Quamruzzaman Q, Chakraborti D (2000) Groundwater arsenic contamination in Bangladesh and West Bengal, India. *Environmental Health Perspectives* 108: 393-397
22. Ferreccio C, Gonzalez C, Milosavlevic V, Marshall G, Sancha AM, Smith AH (2000) Lung cancer and arsenic concentrations in drinking water in Chile. *Epidemiology* 11: 673-679
23. Hopenhayn C, Ferreccio C, Browning SR, Huang B, Peralta C, Gibb H, HertzPicciotto I (2003) Arsenic exposure from drinking water and birth weight. *Epidemiology* 14: 593-602

22. Hopenhayn-Rich C, Biggs ML, Fuchs A, Bergoglio R, Tello EE, Nicollli H, Smith AH (1996) Bladder cancer mortality associated with arsenic in drinking water in Argentina. *Epidemiology* 7: 117-124
23. Hopenhayn-Rich C, Biggs ML, Smith AH (1998) Lung and kidney cancer mortality associated with arsenic in drinking water in Cordoba, Argentina. *International Journal of Epidemiology* 27: 561-569
24. IPCS (2001) Arsenic and arsenic compounds, second edition. World Health Organization, Geneva, Switzerland Lamm SH, Engel A, Kruse MB, Feinleib M, Byrd DM, Lai S, Wilson R (2004) Arsenic in drinking water and bladder cancer mortality in the United States: an analysis based on 133 U.S. counties and 30 years of observation. *Journal of Occupational and Environmental Medicine* 46: 298-306
25. Milton AH, Smith W, Rahman B, Hasan Z, Kulsum U, Dear K, Rakibuddin M, Ali A (2005) Chronic arsenic exposure and adverse pregnancy outcomes in Bangladesh. *Epidemiology* 16: 82-86
26. National Research Council (1999) Arsenic in drinking water. National Academy Press, Washington, DC  
National Research Council (2001) Arsenic in drinking water: 2001 update. National Academy Press, Washington, DC Schoen A, Beck B, Sharma R, Dube E (2004) Arsenic toxicity at low doses: epidemiological and mode of action considerations. *Toxicology and Applied Pharmacology* 198: 253-267
27. Smith AH, Goycolea M, Haque R, Biggs ML (1998) Marked increase in bladder and lung cancer mortality in a region of northern Chile due to arsenic in drinking water. *American Journal of Epidemiology* 147: 660-669
28. Steinmaus C, Yuan Y, Bates MN, Smith AH (2003) Case-control study of bladder cancer and drinking water arsenic in the western United States. *American Journal of Epidemiology* 158: 1193- 1201
29. Sun G (2004) Arsenic contamination and arsenicosis in China. *Toxicology and Applied Pharmacology* 198: 268-271
30. Vahter M (2000) Genetic polymorphism in the biotransformation of inorganic arsenic and its role in toxicity. *Toxicology Letters* 112-113: 209-217
31. Vahter M (2002) Mechanisms of arsenic biotransformation. *Toxicology* 181-182: 211-217
32. Wu MM, Kuo TL, Hwang YH, Chen CJ (1989) Dose-response relation between arsenic concentration in well water and mortality from cancers and vascular diseases. *American Journal of Epidemiology* 130: 1123-1132
33. Yang CY, Chang CC, Tsai SS, Chuang HY, Ho CK, Wu TN (2003) Arsenic in drinking water and adverse pregnancy outcome in an arseniasis-endemic area in northeastern Taiwan. *Environmental Research* 91: 29-34
34. Yu RC, Hsu KH, Chen CJ, Froines JR (2000) Arsenic methylation capacity and skin cancer. *Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention* 9: 1259-1262
35. Zaldívar R (1974) Arsenic contamination of drinking water and food-stuffs causing endemic chronic poisoning. *Beitr Path Bd* 151: 384-400

\*\*\*\*\*

## भीष्म साहनी का कथा साहित्य : मानवीय त्रासदी का इतिहास

डॉ. अंजली सिंह \*

**प्रस्तावना** – वर्तमान समय का सबसे बड़ा सत्य मानवीय पीड़ा और यातना है जीवन की जटिलताओं के बीच जीने की कामना को रखने का एक मात्र कारक है मनुष्य की संविदनशीलता एवं उसकी संघर्ष क्षमता जो मानवीय पीड़ा और यातना से निरन्तर जूझती रहती है। मानवीय पीड़ा से संघर्ष एवं उससे युक्ति का बीड़ा कथा-साहित्य भीष्म साहनी ने उसी विशिष्ट धारा जिसे प्रायः यथार्थवादी धारा के रूप में जाना जाता है को व्यापक फलक एवं संपूर्णता देने का कार्य किया अपने रचना संसार में भीष्म साहनी मानवीय व्यक्तित्व की संपूर्णता के लिए निरन्तर अनेक जोखिम को उठाये और संघर्ष भी किये हैं। आजीविका के लिए नये नये कामों की खोज पुरातन संस्कारों के बीच से गुजरता तथा भारत-विभाजन त्रासदी के बीच न केवल मानवीय पीड़ा को भोगा है बल्कि आत्मसात भी किया है। उनके उपन्यास और कहानी का कथन आम आदमी की जीवन्त कथा है। यह संघर्षशील दृष्टि ही उनकी रचना शक्ति के रूप में साहित्य में आधोपांत विद्यमान है। उनके साहित्य में मानवीय जीवन की चाह का तात्पर्य उन विषयों में निहित मूल्यों से है। जो मानव के आन्तरिक सहज स्वरूप के सबसे निकट होते हैं तथा उसके संवेदनामय व्यक्तित्व से सबसे अधिक सीधे और गहन रूप से जुड़े होते हैं।

मूल्यों का सामाजिक महत्व है क्योंकि इनका संबंध मनुष्य के सत्य से है और यह सत्य साक्षेपतः सामाजिक परिस्थितियों से निर्मित होता है। भीष्म जी की सारी रचनाओं नैतिकता के सवालों को नई तरह से उठाती है। चाहे वह तमस हो या माधवी या बाढ़ी या चीफ की ढावत, भीष्म जी की कोई भी रचना आखिरी शब्द के साथ खत्म नहीं हो जाती। भीष्म जी को पढ़ने का मतलब है जीवन के बारे में बात करने को मजबूर होना जीवन की सार्थकता मानव मूल्यों को स्वीकारने में ही निहित है। इस दृष्टि से उन्हे ही मानवीय जीवन की चाह का पर्याय माना जा सकता है। जिसमें मानव जीवन का उत्कर्ष हो एं उसकी सृजनशीलता रागात्मकता गतिशील रहे। परन्तु मानवीय जीवन की चाह में मानवीय हित की कमी चिन्ता सर्वाधिक प्रधान मूल्य है। जिससे समस्त जीवन की अभिव्यक्ति एवं सम्पूर्ण ज्ञान-चेतना का बोध होता है।

स्वातंत्रोत्तर युग की सभी विधाओं में मानव मूल्यों का प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपने साहित्य में नैतिकता, प्रेम, संघर्ष, धैर्य आदि जीवन मूल्यों को महत्व दिया है। वस्तुतः वे सामाजिक झड़ान वाले व्यक्ति थे। वह सच्चे अर्थों में यथार्थवादी थे। वे मानव समाज के बदलते मूल्य और बदलती संवेदनाओं और जीवन की ढेरों सच्चाइयों को आमने - सामने खड़ा करने की कोशिश करते हैं साथ ही समाज में व्याप्त अंतर्विरोधों को रेखांकित करने का प्रयत्न भी स्वतंत्रता आन्दोलन से लेकर वर्तमान स्थिति तक भारतीय समाज जाति धर्म सम्प्रदय के त्रिकोण पर घूमता जूझता रहा है। यहां वर्ग बनते हैं विगड़ते हैं जिसका सीधा लाभ विद्यनकारी शक्तियों को होता है। भारतीय समाज में

भाग्यवाद की जड़े आज भी बहुत गहरी है और यह चेतना भारतीय जन-मानस में इस तरह घुलकर बैठ गयी है कि वह अपना सीधा प्रहार मानवीय आस्था को विकृत करने में करती है साथ ही उचित मूल्यों के अभाव में श्रम से अविश्वास और परायापन भी हो जाता है। विभेद के कई औजार बहुत पहले से यहां गढ़ लिए गये। भीष्म साहनी के साहित्य में इस तथ्य को सफलता के साथ उद्घाटित किया गया है।

भीष्म साहनी यथार्थवादी परम्परा के प्रगतिशील धारा के कथाकार है। उनकी सभी कृतियां कला की एकांत साधना के स्थान पर जीवनव्यापी विसंगतियों के विरुद्ध संघर्ष का प्रयास करती है। उनकी रचनाओं में मध्यवर्ग की समस्याओं पर विशेष आग्रह दिखाई पड़ता है, किन्तु साहनी ने अन्य वर्गों की समस्याओं विशेषताओं को भी बेहद बारीकी के साथ उभारा है। साहनी जी एक सच्चे मार्क्सवादी रचनाकार के रूप में समूची मानवीय आस्था, प्रगतिशील दृष्टि तथा वैज्ञानिक सोच को वे भारतीय जीवन के संदर्भ में अपनी धरती से जुड़े, अपने जातीय जीवन की जय-पराजय में शामिल और सामाजिक त्रासदी को सम्बोधित अपनी रचना को वे पक्षकार भूमिका के साथ प्रस्तुत करते हैं।

इनका साहित्य परिवेश बोध साहित्य है सर्वप्रथम प्रेमचन्द्र के करीब से गुजरता है उसके बाद यशपाल के समानान्तर चलने लगता है। साहनी जैसे समर्थ रचनाकार ने हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण कर न केवल अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया बल्कि तत्कालीन समय के समाज की सभी समस्याओं को ढेखा, परखा और अपनी लेखनी का आधार बनाकर उसका समाधान भी प्रस्तुत किया। भीष्म साहनी का कलाकार जिस दृष्टिकोण से जीवन, समाज और उनके विभिन्न अंगों प्रत्यंगो को ढेखता है उन्हे उसी रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है।

भीष्म साहनी के कथा-साहित्य में भी मूलतः सामाजिक समस्याओं, नीतियों आन्दोलनों और विचारों की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने अपने उपन्यासों में जीवन के विधिक पक्षों, सामाजिक विशेषताओं सांस्कृतिक रिस्थितियों और राजनैतिक प्रभावों का विस्तृत चित्रण किये हैं। उपन्यास में सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। उनकी सूक्ष्म दृष्टि महलों से लेकर झोपड़ी तक और गांव से लेकर नगर तक पहुंची है। अर्थात उन्होंने सिद्ध किया है कि न तो कोरे यथार्थवाद से जनकल्याण संभव है और न ही कोरा आदर्शवाद ही कल्याणकारी हो सकता है। प्रगतिशील चिन्तनधारा से प्रभावित भीष्म साहनी की रचनाओं में शोषण के विरोध का स्वर अधिक मुखर है। भीष्म साहनी ने अपने उपन्यासों में जितने अधिकार से ऐतिहासिक विषयों पर लेखनी चलाई है उतने ही अधिकार से ऐतिहासिक विषयों पर चलाई है। उनके उपन्यासों की सफलता की एक बड़ा कारण उनकी पात्र सृष्टि की सजगता है। उनके सभी उपन्यासों

\* प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय माधव सदाशिवराव गोलवलकर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

में पात्रों का नियोजन बड़ी कुशलता के साथ किया गया है। उनकी रचनाओं के सभी छोटे-बड़े पात्र अपनी-अपनी भूमिकाओं में अत्यन्त सार्थक और अनिवार्य सिद्ध हुये हैं। उन्होंने परिवेशगत दबावों और आन्तरिक दबन्दों का प्रभाव बड़ी कुशलता से दिखाया है। शहरी एवं ग्रामीण समाज के एक-एक पहलू को लेकर उपन्यास का सृजन किया है इसके अतिरिक्त इर्द-गिर्द का पूरा समाज भी यथार्थ रूप से हमारे सामने अंकित हुआ है। वातावरण निर्माण के साथ-साथ पात्र जिस परिवेश में जीते हैं लेखक उसका अनुभूति श्वरण चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। समाज में प्रचलित रुद्ध परम्पराएँ, प्रथाएँ, लोक रीतियाँ, खान-पान के नियम आदि सभी बातों का चित्रण भीष्म साहनी ने यथार्थ रूप में किया है। उनकी कहानियाँ यथार्थ जीवन पर आधारित हैं। उनके कथा साहित्य के पात्र संसार की भीषण त्रासदियों में संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं। विश्वास है कि बिना संघर्ष किये सामाजिक जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है उनकी कहानियाँ ऐसे गंगों का जाया, नीली और्खों, निशाचर, के पात्र उपेक्षा और अभावों के बाद भी निरन्तर संघर्ष करते हैं ये संघर्षशील पात्र वर्ग विशेष का प्रतिनिधि बनकर आते हैं। साथ ही रचनाकार इस बात की ओर संकेत करता है कि बसन्ती की बस्ती का बार-बार टूटने का मतलब यह है कि आजादी साधारण लोगों के लिए न होकर पूँजीपति नेताओं और अधिकारियों के लिए है।

भारत विभाजन के द्वारा हुए साम्प्रदायिक ढंगे शरणार्थियों के काफिले और पशुओं को लज्जित कर देने वाली घटनाओं को उन्होंने करीब से देखा था। इसी का परिणाम है कि साम्प्रदायिकता की त्रासदी का दर्द 26 साल के बाद तमस एवं अमृतसर आ गया जैसी रचनाओं में व्यक्त हुआ है। यह पीड़ा उनके अवधेतन में कहीं पकती रही। उचित अवसर पाकर उसने उपन्यास एवं कहानी का रूप धारण किया।

साहनी जी अपनी रचनाओं में भाषा के प्रति सृजनात्मक और उदार दृष्टि रखते हैं। कहानी लेखन में भीष्म साहनी जी का विशेष स्थान है। उनके कहानी साहित्य में मध्यवर्ग और निम्न वर्ग की विविध समस्याओं को निरूपित किया गया है। उनकी कहानियाँ आधुनिक युग की जवलंत समस्याओं को जो आज हमारे देश की शक्ति को कमजोर एवं खोखला कर रही है। यथार्थ रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। उनकी कहानियों में भारतीय समाज का परिवृत्त दृष्टिगत होता है। कहीं ढमन-शोषण की बात है, कहीं आर्थिक विषमता की, कहीं पारिवारिक दाम्पत्य जीवन और कहीं साम्प्रदायिकता की, समाज की इन विसंगतियों पर आपने बेधड़क कलम चलाई है। उनकी कहानियां मानव जीवन संदर्भों, राष्ट्रीय समस्याओं और

विश्व मानव की स्थितियों को उजागर करने में पूर्णतया सफल है। संवेदनशील होने के कारण निम्न वर्ग पर उनकी रचनात्मक दृष्टि अधिक रही है। निम्नवर्ग की आर्थिक विषमताओं शोषण की यातनाओं और आर्थिक अभाव में पिसती जनमानस की वेदनाओं का मार्मिक चित्रण तक वे अपने को सीमित नहीं रखते उनके अन्दर सहभोक्ता का एक दर्द भी उठता है। जिसके कारण वे कई समस्याओं के समाधान का मार्ग भी ढूँढने का प्रयास करते हैं।

साहनी जी मानव चरित्र के सहज विकास में विश्वास करते हैं घटनाओं, समस्याओं, संघर्षों के बीच ही उनके मानव चरित्र का विकास होता है। उनकी कहानियाँ प्रवृत्तियों संवेदनाओं और भावनाओं को लेकर चलती है। साहनी जी पात्रों को लेखक के हाथ की कठपुतली नहीं बनाते बल्कि कथा में उनके स्वाभाविक विकास को दिखलाते हैं। विकास में दबन्द है, उत्तर-चढाव है, संघर्ष है जीने की चाह है। आपके पास बड़ी स्पष्टता सहजता के साथ उभरकर सामने आते हैं। इनके कहानियों के पात्र इतने सजीव हैं कि हम उन्हे अपने बीच का कोई व्यक्ति पाते हैं। इनकी कहानियों के प्रायः सभी पात्र किसी न किसी वर्ग का सफल प्रतिनिधित्व करते हैं।

भीष्म साहनी सामाजिक चेतना सम्पन्न प्रगतिशील कहानीकार है। आपकी कहानियाँ जीवन के यथार्थ अनुभव पर आधारित हैं। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की अनेक विशेषताओं की झाँकी मिलती है। तथापि उनका मुख्य केन्द्र मध्य वर्ग से जुड़ी समस्याओं से प्रभावित जीवन स्थितियों और विभिन्न स्तरों पर उनकी परिणतियाँ ही उनकी कहानियों का मुख्य प्रतिपाद्य है। मध्यवर्ग और निम्न वर्ग के जीवन की तह तक भीष्म साहनी की सूक्ष्म दृष्टि पहुँची है। इनकी कहानियों में भारतीय जन-जीवन अपने पूरे परिवेश के साथ उभरकर सामने आया है। प्रगतिशील सोच के कथाकार होते हुये भी वे विचारों को ऊपर से आरोपित न कर उन्हे अपनी भाषा शैली और रचनाशीलता से सहर्ष संवृत्त कर प्रस्तुत करते हैं।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. भीष्म साहनी, श्याम कश्यप, पृष्ठ 215
2. आलेचना पत्रिका, सं. नामवर सिंह, पृष्ठ 139
3. भीष्म साहनी : व्यक्ति और रचना, राजेश्वर सक्सेना, प्रताप ठाकुर, पृष्ठ 247
4. भीष्म साहनी का कथा संसार, डॉ. राकेश कुमार तिवारी, पृष्ठ 62
5. भीष्म साहनी : उपन्यास साहित्य, विवेक दिव्वेदी, पृष्ठ 38

\*\*\*\*\*

# बिलासपुर जिले के पर्यटन उद्योग का आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन

राकेश कुमार गुप्ता \* डॉ. के. के. शर्मा \*\*

**प्रस्तावना** – बिलासपुर जिले में पर्यटन उद्योग के विकास के क्षेत्र में असीम सम्भावनाएं हैं और यह तेजी से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। पर्यटन उद्योग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि माल और सेवाओं के व्यापार से पर्यटन स्थल से जुड़े हुए लोग धन व रोजगार प्राप्त करते हैं। बिलासपुर जिले में पर्यटन की दृष्टि से प्राकृतिक सुन्दरता अभूतपूर्व है। पर्यटन आज विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे तीव्र गति से विस्तार करने वाला उद्योग है। इसके विस्तृत बाजार का सीमांकन नहीं किया जा सकता है। यूनाइटेड चैम्बर्स ऑफ कार्मर्स के अनुसार किसी भी क्षेत्रीय, प्रान्तीय या सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिये पर्यटन की उन्नति एक मुख्य संचालक है। कई देशों में पर्यटन क्षेत्रीय विकास के एक मुख्य साधन के रूप में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इससे पर्यटन केन्द्रों के आसपास रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप से फायदा होता है। संस्कृत साहित्य में 'पर्यटन' के लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिन सबका उद्भव 'पर्यटन' से हुआ है। 'पर्यटन' का अर्थ है अपने निवास स्थान को छोड़कर कहीं बाहर जाना ये तीन शब्द निम्नलिखित हैं –

- (क) पर्यटन – इसका अर्थ है आराम एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए यात्रा करना।
- (ख) देशांतर – विदेशों में मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए यात्रा करना।
- (ग) तीर्थांतर – धार्मिक लाभों के कारण यात्रा करना।

## शोधकार्य का उद्देश्य –

1. बिलासपुर जिले में वर्तमान पर्यटन विकास की स्थिति का पता लगाना।
2. बिलासपुर जिले में पर्यटन का आर्थिक विकास पर प्रभाव को आंकना।
3. बिलासपुर जिले में पर्यटन केन्द्रों की जानकारी प्राप्त करना।
4. पर्यटन केन्द्रों के विकास का आसपास रहने वाले लोगों के आय में विकास के मध्य सम्बन्ध ज्ञात करना।
5. पर्यटन की विकास की समस्याएं जानना एवं उनका निदान के लिये मार्ग ज्ञात करना।

**शोध प्रविधि** – अध्ययन के लिए निर्दर्शन विधि के द्वारा क्षेत्रों का चयन किया गया। बिलासपुर जिले के पर्यटन स्थलों में आने वाले पर्यटकों से प्राथमिक आंकड़े प्रश्नावली, अनुसूची और अवलोकन के माध्यम से एकत्रित किए गये द्वितीयक आंकड़ों का संकलन विभिन्न शासकीय कार्यालयों एवं जिला सांख्यिकीय पुस्तिका से किया गया।

**शोध की सीमाएं** – प्रस्तावित अध्ययन बिलासपुर जिले में पर्यटन का आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन है, जिसमें चयनित पर्यटन स्थलों का अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों के आधार पर किया गया। साथ ही इन पर्यटन स्थलों से जुड़ी समस्याएं एवं उनका समाधान

प्रस्तुत किया गया।

**बिलासपुर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल** – बिलासपुर की पहचान उसकी पुरातात्त्विक धरोहरों से होती है, जो उसे कालजयी बनाते हैं। बिलासपुर जिले से 25 किलोमीटर दूर आस्था की नगरी रत्नपुर में मां महामाया, भैरो बाबा, गिरजावन के हनुमान मंदिर, लखनी देवी के दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं और मनोकामना ज्योति प्रज्वलित करते हैं। रत्नपुर के अलावा मल्हार, तालागांव और गनियारी में भी सोलहवीं सदी की प्राचीन मूर्तियों का अनूठा संग्रह है। पुरातात्त्विक धरोहरों के अलावा जिले के जंगल, पहाड़, चिड़ियाघर और टाङ्गर रिजर्व बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्यटक स्थल बनाते हैं।

## बिलासपुर जिले के भीतर दर्शनीय स्थल :

1. मल्हार-ऐतिहासिक महत्व
2. कानन-पेंडारी चिड़ियाघर
3. ताला गाँव-रुद्र शिव की प्रतिमा
4. सेतगंगा का श्रीरामजानकी मन्दिर
5. रत्नपुर का महामाया मन्दिर
6. काली मन्दिर, तिफरा
7. अर्यपा मन्दिर, तिफरा पुल के पास
8. खुड़िया एवं खूटाघाट बाँध, रत्नपुर
9. रानी सती मन्दिर
10. मनोरंजन पार्क

## बिलासपुर शहर के भीतर दर्शनीय स्थल :

1. विवेकानंद उद्यान
2. ढीनदयाल उद्यान
3. ऊर्जा-पार्क
4. स्मृति-वन
5. यातायात-पार्क (बिलासपुर-सीपट रोड के लगरा ग्राम में स्थित)
6. बिलासा ताल
7. रामकृष्ण आश्रम (कोनी)
8. अरपा रिवर ब्यू
9. स्मृति वाटिका

**पर्यटन स्थलों का बिलासपुर जिले के आर्थिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव का विश्लेषण** – बिलासपुर जिले में स्थित अधिकांश पर्यटन केन्द्रों तक पहुंचने के लिए बसें और टैक्सियां बिलासपुर से लिया जा सकता है। बिलासपुर शहरी सार्वजनिक यातायात सेवाएँ


\* सहायक प्राध्यापक, डॉ. सी.वी. रामान् विश्वविद्यालय, काशी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

\*\* सहायक प्राध्यापक, डी.पी.विप्र. महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

शहर में 12 रुट पर 50 सिटी बसों चला रही हैं। सिटी बसों से लोगों को सुविधाएं दिलाने के लिए कोलकाता की एक कम्पनी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एक मोबाइल ऐप तैयार करेगी, कोई भी नागरिक आसानी से इसे डाउनलोड कर देख सकेगा कि वह जिस बस की प्रतीक्षा कर रहा है वह कहां पहुंची है। सिटी बसों के लिए महिला कंडक्टरों की भर्ती की जा रही हैं, महिला कंडक्टरों के रहने से यात्री विशेष तौर पर महिलाएं अपने आप को ज्यादा महफूज समझती हैं। आगे वाले दिनों में बिलासपुर छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा शहर होगा जहां, महिला सिटी बसों का संचालन खुद महिलाएं करेंगी, यानी कि सिटी बसों की स्टीयरिंग महिला हाथों में होगी। बिलासपुर में चल रही बसों के संचालन का जिम्मा महिलाओं को सौंपा जा रहा है, इसके अलावा 34 सीटर 10 एसी सिटी बसें भी शहर में चल रही हैं, वर्तमान में ये पूर्व निर्धारित रुटों पर चलने लगी हैं। सेवायें, गुणवत्ता और कुशलता पर्यटन उद्योग के प्रमुख विषय हैं। इसी की प्राप्ति के लिए पर्यटन उद्योग के प्रत्येक घटक के लिए प्रशिक्षित एवं कुशल श्रमशक्ति अपेक्षित है। एयरलाइन्स के लिए प्रशिक्षित चालक, अभियन्ता विमान परिचारिकायें और अन्य तकनीशियन आवश्यक हैं। टैक्सी चालकों, कोच आपरेटरों व अन्य कर्मियों को प्रशिक्षित होना आवश्यक है ताकि वे पर्यटकों के साथ ठीक व्यवहार कर सकें। होटल, रेस्तरां यात्रा अभिकर्ता, टूर आपरेटर के साथ-साथ पर्यटक सेवार्थ उपलब्ध कराने वाले अन्य कर्मियों को भी व्यावसायिक उद्दिष्ट से प्रशिक्षित होना चाहिए। ऐतिहासिक और वन्य अभ्यारण्य आदि में मार्गदर्शन एवं देखरेख के प्रति अधिक जवाबदेह हो सके। इस प्रकार पर्यटन के संवर्धन में मानव संसाधन एक बड़ा साधन है। रतनपुर में मंदिर ट्रस्ट के द्वारा महामाया मंदिर परिसर में दो धर्मशालाओं का संचालन किया जा रहा है। यह दर्शनार्थियों के लिए निःशुल्क है तथा आवश्यकता पड़ने पर विद्युत जनरेटर भी उपलब्ध है, बिलासपुर जिले में पर्यटकों के आवास की मुख्य व्यवस्था बिलासपुर शहर में है।


#### तालिका 1 - (देखे अनितम पृष्ठ पर)

##### आरेख क्रमांक 1




उपर्युक्त आरेख में रतनपुर क्षेत्र में बस मालिक की आय में वर्ष 2010 से 2015 के बीच होने वाले परिवर्तन को दर्शाया गया है। 2010 के अपेक्षा 2015 में इनकी आय में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक वृद्धि वर्ष 2014 में दर्ज की गई है।

##### आरेख क्रमांक 2




उपर्युक्त आरेख में रतनपुर क्षेत्र में होटल व्यवसाय के अर्जित आय में वर्ष 2010 से 2015 के बीच होने वाले परिवर्तन को दर्शाया गया है। इस व्यवसाय में 2010 की तुलना में 2015 में 136 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक वृद्धि वर्ष 2011 में दर्ज की गई।

##### आरेख क्रमांक 3




उपर्युक्त आरेख में रतनपुर क्षेत्र में छोटे जलपान दुकानों के आय में वर्ष 2010 से 2015 के बीच होने वाले परिवर्तन को दर्शाया गया है। वर्ष 2010 की तुलना में 2015 में 172 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे अधिक वृद्धि वर्ष 2015 में हुई है।

##### आरेख क्रमांक 4



उपर्युक्त आरेख में रतनपुर क्षेत्र में क्यूरियो-दुकान के अर्जित आय में वर्ष 2010 से 2015 के बीच होने वाले परिवर्तन को दर्शाया गया है। इसमें 2010 की तुलना में 2015 में 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक वृद्धि वर्ष 2014 में दर्ज की गई है।

##### आरेख क्रमांक 5



उपर्युक्त आरेख में रतनपुर क्षेत्र में पगड़ंडी वाले दुकानों के अर्जित आय में वर्ष 2010 से 2015 के बीच होने वाले परिवर्तन को दर्शाया गया है।

इसमें 2010 की तुलना में 2015 में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक वृद्धि वर्ष 2013 में दर्ज की गई है।

रतनपुर बिलासपुर जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है विगत वर्षों में इसका अन्य पर्यटन स्थलों की अपेक्षा अधिक विकास हुआ है। इस विकास का असर वहां पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की आमदनी पर भी पड़ा है।

**बिलासपुर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों की समस्याएं एवं उनका निराकरण** – आज पर्यटन सेक्टर के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं देखी जा सकती हैं जैसे सरकार का इसके विकास के लिए उचित ध्यान न देना, उत्ताम इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभाव, विधि-व्यवस्था की समस्या, वीसा की समस्या, स्वास्थ्य एवं सफाई की अपर्याप्ति तथा प्रदूषण इत्यादि। सरकार का ध्यान इसके विकास-सम्भावनाओं के अनुकूल नहीं है। बजट में जितना धन होना चाहिए उससे कम सिर्फ 6.4 प्रतिशत ही है। पर्यटकों के द्वारा अदा किये गये टैक्स भारत में सर्वाधिक है। दूसरे एशियाई देशों की तुलना में जो 3.6 प्रतिशत ही होटल का टैक्स लेते हैं, जबकि भारत में यह टैक्स 40 प्रतिशत है। इसी कारण भारत में दुबारा विदेशी पर्यटक बहुत कम आना पसन्द करते हैं। असुविधाजनक इन्फ्रास्ट्रक्चर दूसरी समस्या है यहाँ की अधिकांश सड़के उबड़-खाबड़ तथा सरकारी और शहरों में शौचालय गंडे हैं। हवाई मार्ग में जहाजों में सीट की अपर्याप्ति भी है। ज्यों ही विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं, लोगों का ध्यान उनसे अधिक-से-अधिक कमाई की ओर तुरन्त चला जाता है। आवास के लिए, स्थानीय मेला के लिये खान-पान तथा स्थानीय शिल्पकला की वस्तुयें खरीदने पर उनसे अधिकाधिक पैसे लिये जाते हैं। ऐसे पर्यटकों के धोखाधड़ी, लूट, छेड़खानी, बलात्कार तथा हत्या की घटना समाचार-पत्रों में प्रायः आती रहती है। इन वर्षों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण साधारणतः औसत से काफी कम वर्षा के कारण पेय-जल की विशेष असुविधा हो गयी है। लगभग सभी पर्यटक केन्द्रों पर यह समस्या देखने को मिलती है। फ्रिज-जल की अनुपलब्धता भी पायी गयी है। 20वीं तथा वर्तमान शताब्दी में जनसंख्या में आशातीत वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक ढाब पड़ा रहा है, जिसके कारण निरन्तर बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों का लोलुपतापूर्वक धूँआधार विद्धोहन हो रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी (Technology) में प्रगति तथा मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों के विद्धोहन में और तेजी आयी है।

**पर्यटन विकास के कुछ उपाय** – बिलासपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु इस उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करना होगा तथा राज्य स्तरीय एकशन प्लान का गठन कर उनके सुझाये गये सुझावों पर अमल करना चाहिए। बिलासपुर में पर्यटन के विकास हेतु निम्नलिखित उपाय किया जा सकते हैं।

- पर्यटन के साथ यहाँ के आदिवासी संस्कृति का संगम किया जाए।
- नूतन पर्यटक बाजार की खोज की जानी चाहिए।
- पर्यटन स्थलों पर आवासीय समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इस हेतु निजी अतिथि गृहों, पर्यटक आवास, वन आवास आदि जैसे अनुपूरक व्यवस्था की जानी चाहिए।
- पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान की जाए।
- पर्यटन स्थल से सम्बन्धित यात्रा कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- पर्यटकों हेतु दूरसंचार की उत्ताम व्यवस्था की जानी चाहिए।

- आवागमन हेतु सड़क एवं रेलमार्ग में सुधार किया जाना चाहिए।
- बिलासपुर के मुख्य पर्यटक स्थलों की जानकारी देशी एवं विदेशी पर्यटकों को विभिन्न सूचना केन्द्रों के माध्यम से दी जाय।
- समय-स्याम पर यहाँ विभिन्न महोत्सव, का आयोजन किया जाना चाहिए।

### पर्यटन विकास के लिए कुछ नीतियाँ :

- पर्यटन को एक इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योग घोषित करना चाहिए जिसके कारण कम खर्च पर इसका विकास किया जा सकता है।
- सरकारी सहायता में वृद्धि करना जो अभी 1 प्रतिशत है उसे बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर देना चाहिए जो की विश्व-स्तर से (6.8 प्रतिशत) से कम है।
- ट्रॉयिम मिनिस्ट्री के अन्तर्गत मजबूत कार्य योग एक कमिटी होनी चाहिए जो पर्यटक उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं का निदान कर सके।
- पर्यटक के आगमन पर वीसा बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। विश्व के अनेक देशों जैसे थाईलैण्ड में उनके आने पर वीसा बनायी जाती है।
- प्रधान क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों के लिए वीसा की आवश्यकता से मुक्त कर देना चाहिए।
- हवाई-जहाजों में सीट बढ़ने की नितान्त आवश्यकता है।
- स्थानीय शिल्प-कला, संगीत का प्रसार-प्रचार करना आवश्यक है।
- पर्यटक-केन्द्रों का पर्याप्त एडवरटाइजमेंट (प्रचार) करना जिसमें उसका इतिहास, परम्परा, कला, संगीत, जलवायु तथा आवागमन की सुविधा का विस्तार में जिक्र हो।
- उद्योग के बढ़ावा देने के लिए स्थानीय/देशी पर्यटन विकास पर बल देना चाहिए।
- पर्यटक-केन्द्रों के सौन्दर्यकरण पर भी जोर देना चाहिए जिससे बड़ी संख्या में पर्यटक आकृष्ट हो सके।
- फिर, विधि-व्यवस्था को सख्ती से पेश आते हुए उन्नत बनाना चाहिए।

**सारांश एवं निष्कर्ष** – पर्यटन एक सामाजिक-आर्थिक क्रिया है। पर्यटन से विभिन्न क्षेत्र के लोगों के मध्य सामाजिक-सांस्कृतिक सम्पर्क तो स्थापित होता ही है साथ ही पर्यटन स्थल में स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि भी होती है। रतनपुर में विभिन्न प्रकार के कार्य जो पर्यटन से प्रभावित होते हैं, का अध्ययन करने से ये बात सामने आयी कि रतनपुर में पर्यटन के विकास का सीधा असर वहां के लोगों की आय में पड़ा है। 2010 से 2015 तक के आय का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि पर्यटन विकास से स्थानीय होटल, परिवहन व अन्य सेवाओं के आय में वृद्धि होती है। बिलासपुर ने समय के साथ लगातार विकास किया है, लेकिन सरकार को अभी बहुत कुछ करना शेष है। सर्वप्रथम सरकार को उन मुद्दों के लिए जिम्मेवार होना चाहिए जो मुद्दे बिलासपुर की जलतंत समस्या है। शिक्षा एवं कार्य संस्कृति में बदलाव लाना होगा। किसी भी स्थान के विकास के लिए सिर्फ प्राकृतिक एवं खनिज सम्पदाएं ही पर्याप्त नहीं होती। वहाँ की कुशल मानवीय संसाधनों को भी विकसित करने की आवश्यकता होती है। संसाधन उद्यमिता तकनीक, योजना एवं रणनीति के आधार पर क्षेत्र को विकसित किया जाता है।

पर्यटन के विकास के साथ-साथ पर्यटन के अनेक प्रकार हो गये हैं, जो पर्यटकों के भ्रमण के उद्देश्य पर निर्भर करता है। पर्यटन के अनेक प्रकार किये जा सकते हैं, जैसे इको-ट्रॉयिम, साहसिक पर्यटन, वन्य-जीवन पर्यटन, भारतीय हस्तशिल्प एवं पर्यटन, भारतीय चित्रकला पर्यटन, भारतीय

कला, संस्कृति, लोकनृत्य एवं नृत्य धराने का पर्यटन, भारतीय त्यौहार, पर्व और मेले-सम्बन्धी पर्यटन, भारत के धर्म पर्यटन, प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक, संग्रहालय एवं वास्तुकला पर्यटन, तीर्थयात्रा पर्यटन, ट्राइबल ट्रिरिज, मैरिज पर्यटन इत्यादि। इन प्रकारों को ध्यान में रखकर पर्यटन विकास की रणनीति चाहिए। औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं औद्योगिक इकाई के इन्फ्रास्ट्रक्चर भी पर्यटकों को आकृष्ट करते हैं। बहुत सारे पर्यटक-देशी व विदेशी ऐसे संस्थानों की इमारत, कार्यविधि, श्रमिक तथा उनके आवास को देखने की इच्छा रखते हैं। बिलासपुर में ऐसे कल-कारखाने स्थापित हैं, जो खनन-कार्य से लेकर विद्युत उत्पादन में लगे हुये हैं। इनमें से कुछ हैं – एन.टी.पी.सी.सीपत, एस.सी.सी.एल., हिर्झ माइंस, इत्यादि।

बिलासपुर की नदियाँ, पहाड़ एवं जंगल पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकृष्ट करते हैं। अरपा, मनियारी यहां की प्रमुख नदियाँ हैं। बिलासपुर के जंगलों में रंग-बिरंगी स्तब्धता तथा एक रविंग के शाश्वत संगीत अनुभव करने वाला अद्भुत जादू लिपटा है। परन्तु पर्यटन के विकास के साथ ही प्राकृतिक और सांस्कृतिक भू दृश्यों से छेड़गाड़ भू दृश्य के विकृत करके पारिस्थैतिक असंतुलन पैदा करती है। भू दृश्य की इसी कुप्रबन्ध से बचाकर रचनात्मक व सृजनात्मक प्रबंधन पैदा करती है। भू दृश्य को और अधिक संरक्षित, सुरक्षित और सर्वधन करना ही भू दृश्य प्रबन्ध संकल्पना कहा जाता है। सेवायें गुणवत्ता और कुशलता पर्यटन उद्योग के प्रमुख विषय हैं। इसी की प्राप्ति के लिए पर्यटन उद्योग के प्रत्येक घटक के लिए प्रशिक्षित एवं कुशल श्रमशक्ति अपेक्षित है। तीर्थस्थल-पर्यटक केन्द्रों पर ठहराव व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न स्तर के होटल तथा धर्मशालायें आते हैं। तीर्थयात्री-वातावरण या विशेष व्यवस्था की जाती है। इसके अन्तर्गत रत्नपुर एवं मल्हार में पुलिस (सुरक्षा), सफाई, रवास्था-सेवा, प्रकाश जलापूर्ति तथा ठहराव के रख-रखाव व्यवस्था की जाती है। फिर पर्यटक-केन्द्रों पर उचित गाइड-सुविधा, विजुअल ऐड तथा शैचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। पैकेज टूर भी पर्यटन को बढ़ावा देता है।

वर्तमान समय में पर्यटन का महत्व आर्थिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से बढ़ता जा रहा है। विश्व में सभी देशों में इन दिनों पर्यटन को एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया माना जा रहा है। बिलासपुर के लिए भी यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वह अपने आर्थिक क्रियाओं में तेजी ला सकता है। परम्परागत रूप से यह माना जाता रहा है कि पर्यटक विभिन्न देशों के बीच और क्षेत्रों के अन्दर अपनी समझ और तालमेल स्थापित करता है और भावनात्मक एकीकरण को बढ़ाता है, पर इसकी आर्थिक प्रभाव से लोग आमतौर पर परिचित नहीं हैं। वास्तव में पर्यटन से किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास अत्यधिक होता है। पर्यटन से उन क्षेत्रों में रोजगार पैदा

किया है जहाँ रोजगार के वैकल्पिक अवसर बहुत कम उपलब्ध थे। पर्यटन के विकास का रोजगार-प्राप्ति तथा आय पर प्रत्यक्ष अच्छा प्रभाव पड़ता है। पिछले वर्षों में बिलासपुर जिले के अल्प रोजगार वाले क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि से रोजगार सृजन हुआ है। फिर, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावों को आसानी से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता है। पर्यटन से सामाजिक-सांस्कृतिक लाभ भी काफी हो रहा है।

आज पर्यटन सेक्टर के समक्ष अनेक प्रकार की समस्याएं देखी जा रही हैं जैसे सरकार का इसके विकास के लिए उचित ध्यान न देना। उत्तम इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभाव, विधि-व्यवस्था की समस्या, बीमा की समस्या, रवास्था एवं सफाई की अपर्याप्तता तथा प्रदूषण आदि। बिलासपुर जिले में भी पर्यटन की तीन कठिनाईयाँ स्पष्टतः पायी जाती हैं – आवागमन, पर्यटन-साहित्य और शैचालय की। फिर, पर्यटक बड़ी संख्या में किसी पर्यटन केन्द्र पर इकट्ठे होते हैं, जिससे वहाँ पर के स्थानीय सेवाओं पर दबाव पड़ने से तथा उनके द्वारा ठोस मलवे उत्पन्न करने से पर्यावरणीय अवनयन उत्पन्न होता है। बिलासपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करना होगा तथा जिले में पर्यटन उद्योग के विकास की रणनीति तैयार करने के लिए समीति का गठन कर उनके बताये नये सुझावों पर अमल करना चाहिए।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

- लाल, डॉ. शंकर (2015), 'पर्यटन प्रबन्ध के मूल आधार', गीता प्रकाशन, हैदराबाद
- शर्मा, अनुल (2012), 'आर्थिक विकास में पर्यटन का योगदान', शशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर
- कमलेश, एस.आर. (2002), 'छत्तीसगढ़ की भौगोलिक समीक्षा', साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
- मिश्र एवं पुरी, (2006), 'भारतीय अर्थव्यवस्था', हिमालया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
- गजपाल, डॉ किरण (2006), 'छत्तीसगढ़ का भूगोल', वैभव प्रकाशन, रायपुर

### पत्र-पत्रिकाएँ :

- दैनिक भास्कर नवभारत हरिभूमि प्रतियोगिता दर्पण

### वेब साइट :

- cgtourism.choice.gov.in
- www.bilaspur.gov.in/tourism.html
- mahamayaratantanpur.com
- bilaspur.gov.in/bilasaandsmallzoo.html

**तालिका 1 - तीर्थ-यात्री के आगमन तथा उनसे विभिन्न वर्गों के लोगों की आय में वृद्धि (रूपये)**

| क्र. | कार्य के प्रकार  | वार्षिक आय (रूपये में) 2010-2015 |        |        |         |         |         |
|------|------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
|      |                  | 2010                             | 2011   | 2012   | 2013    | 2014    | 2015    |
| 1    | बस-मालिक         | 500000                           | 550000 | 630000 | 720000  | 815000  | 900000  |
| 2    | होटल             | 550000                           | 730000 | 900000 | 1020000 | 1185000 | 1300000 |
| 3    | छोटे जलपान दुकान | 110000                           | 145000 | 175000 | 210000  | 250000  | 300000  |
| 4    | क्यूरियो दुकान   | 120000                           | 140000 | 160000 | 205000  | 255000  | 300000  |
| 5    | पगड़ी वाले दुकान | 10000                            | 11000  | 12000  | 13500   | 14900   | 16000   |

**स्रोत: फ़िल्ड-सर्वेक्षण तथा आँकड़ों का विश्लेषण**

## बैगा जनजाति में परंपरागत चिकित्सा पद्धति एक अध्ययन

**सीमा सिंह \* डॉ. शैलजा दुबे \*\***

**प्रस्तावना** – मध्यप्रदेश का एक महत्वपूर्ण भू-भाग आदिवासियों से बसा हुआ है। आदिवासी क्षेत्र विज्ञान की आधुनिक अल्पविधियों से सर्वथा अछूते, संस्कृति के वर्तमान स्वरूप से सर्वथा अपरिचित कृषि, उद्योग-धनधेर, शिक्षा आदि से जीते रहे हैं। मध्यप्रदेश का काफी बड़ा भाग आदिवासी घोषित हुआ है। इनकी अनेक जातियां और अनेक बोलियां हैं। प्रत्येक जाति की अपनी विशेषताएँ और प्रत्येक बोली के अपने अलग लहजे और शब्दावली है। भौगोलिक दृष्टि से पास-पास रहते हुए भी भाषा और रीति-रिवाजों की दृष्टि से ये जातियां परस्पर काफी दूर हैं। यदि इनमें परस्पर कोई सम्बन्ध है, तो वो है अशिक्षा, गरीबी, नवीन सभ्यता से भय और प्राकृतिक साधनों पर गुजारा करने की प्रवृत्ति। इननी अभिज्ञता होने के बावजूद भी इन जातियों में हमारे लिए कुछ आकर्षण हैं। इनमें प्रमुख हैं-जीवन की सरलता, सच्चाई, ईमानदारी और मानस गृनिथीनता। खुले उन्मुक्त वातावरण में पलने वाले इन झी-पुरुषों का हृदय भी प्रकृति के समान उन्मुक्त है।

आदिवासी क्षेत्रों में प्रविष्ट होकर वहां सभ्यता का प्रकाश पहुंचाने का प्रथम श्रेय ईसाई मिशनरियों को मिलता है। जिसमें श्री बेरियर ऐलिवन, ऐसे लोगों में से एक थे, जिनके ग्रन्थों ने सभ्य समाज का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। बादमें महात्मा गांधी की दृष्टि इस ओर गयी और उन्होंने आदिवासी सेवा-संघ की स्थापना का स्वर्गीय ठक्कर वाप्पा को आदिवासी उन्थान का काम सौंपा। संघ के प्रयत्न से आदिवासी क्षेत्रों में सुधान का कार्य काफी आगे बढ़ा। ईसाई मिशनरियों के सेवा संस्थान धार्मिक प्रचार के लिए थे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने आदिवासियों की सर्वांगीण उज्ज्वलि का कार्य अपने हाथों में ले लिया। अब तो भारत सरकार का अधिकार प्राप्त कमीशन उनके हितों की देख-रेख करते हैं। प्रतिवर्ष देश और विदेशों से अनेकों समाजशास्त्र के शोध कर्ता इन क्षेत्रों में जाते हैं और इनकी समस्याओं का अध्ययन करते हैं। आदिवासियों की भाषा, साहित्य, सामाजिक प्रथाओं, धार्मिक विच्वासों आदि का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के आदिवासी जातियों में बैगा भी एक है। शासकीय दृष्टि से यह अनुसूचित आदिम-जाति है और जो कि मध्यप्रदेश के बालाघाट और मण्डला जिले में ज्यादातर निवासरत है। बैगा लोगों के रीति-रिवाज अन्य आदिवासियों से अनेक बातों में अनिवार्य हैं।

**क्षेत्र एवं बैगा जनजाति का परिचय-**

**बालाघाट जिले का संक्षिप्त विवरण-**

लाई डलहौजी ने सन् 1845 में गोद लेने की प्रथा समाप्त कर भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्यों में शामिल करना प्रारंभ किया तो उससे गोडवाना

राज्य भी अछूता नहीं रहा। गोडवाना राज्य भी अंग्रेजों के अधीन आ गया। तब यह गोडवाना राज्य में शामिल था। ब्रिटिश राज्य के समय इस सन का मूल नाम बराहघाट था। बालाघाट अंग्रेजों के समय में तत्कालीन सेन्ट्रल प्राविन्स का हिस्सा था। जिसकी राजधानी नागपूर थी। 1867 ई. में सेन्ट्रल प्राविन्स के भंडारा, सिवनी एसं मंडला जिले के हिस्सों को मिलाकर बालाघाट जिले का गठन किया गया। इस जिले के मुख्यालय का नाम उस समय बूढ़ा या बुरहा था जो कालांतर में बालाघाट में तब्दील हो गया। जिस समय इस जिले का गठन किया गया था उस मात्र दो ही तहसील थी बालाघाट और बैहरा। बालाघाट विदेशी सैलानियों के लिए पर्यटन स्थल बन गया है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जिसमें से एक है जो कि विदेशी पर्यटकों के लिए नैसर्जिक सौन्दर्य से परिपूर्ण मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में चहुंओर बिछी हरियाली आंगतुकों का स्वागत करती है।

चारों ओर घने जंगलों से घिरा बालाघाट दक्षिण मध्यप्रदेश का एक शान्त, सुन्दर छोटा सा शहर है। सतपुड़ा पर्वत माला के छोर पर मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसा यह शहर शुद्ध हिन्दू भाषी है। यह एक नगरपालिका व बालाघाट जिले का प्रशासकीय मुख्यालय है। बालाघाट जिले का क्षेत्रफल 9245 किलो मीटर तक फैला हुआ है। बालाघाट जिले से बैनगंगा नदी बहती है जो कि काफी विश तल रूप में है। बालाघाट जिले को नक्सली प्रभावित क्षेत्र भी घोषित किया गया गया है। वर्तमान में जनगणना 2011 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1701698 है।

**परम्परागत चिकित्सा पद्धति एवं उपचार में प्रयुक्त जड़ी-बूटियाँ व तंत्र-मंत्र –** सर्वेक्षित बैगा जनजाति में बीमारियों/रोगों का होना के संबंध में अनेक कारण भी मानते हैं जैसे किसी देवी-देवता की समय पर पूजा, वृत आदि न करना जिसके कारण इस देवी या देवता का रुठ जाना नाराज हो जाने के कारण यह माना जाता है कि देवी देवता की यह पूजन न करने से यह रोग हुआ है।

कभी है जो संबंधी बीमारी हो जाती है तो यह मानते हैं कि उनकी ग्राम देवी की समय पर पूजा नहीं की गई है उनकी नाराजगी का ही यह फल है।

इस प्रकार अनेक धार्मिक मान्यताएँ हैं जिन्हें समय एवं विधिवत पूजन न करने के कारण अनेक बीमारियों होती हैं।

इसी प्रकार भूत प्रेतात्मा संबंधी अवधारणा है कि कुछ रोगों का कारण भूत प्रेत है जैसे किसी महिला का गर्भवती न होना, अचानक किसी स्वरूप व्यक्ति का बेहोश हो जाना बीमार हो जाना तो यह माना जाता है कि कोई भूत-प्रेत का प्रकोप है। बैगा जनजाति इन सब भूत-प्रेत पर विश्वास करते हैं।

\* शोध छात्रा, बरकतउल्ला, भोपाल (म.प्र.) भारत

\*\* प्राध्यापक (समाजशास्त्र एवं समाजकार्य ) उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल (छ.ग.) भारत

रोगी के होने के संबंध में अन्य मान्यताएँ भी हैं जैसे- किसी व्यक्ति को किसी से बदला लेना है जो वह गुनियाओं नाना प्रकार के जादू टोना करवाते हैं जिसे वह व्यक्ति किसी न किसी रोग बीमार से पीड़ित होता रहता है कई प्रकार के कष्ट होते हैं।

कुछ रोगों का संबंध पुर्नजन्म के पाप-पुण्य भी मानते हैं जैसे किसी के संतान का न होना ही माना जाता है कि वह निःसंतान इसलिए है कि इससे पूर्व जन्म में जरूर कोई पास किया है इस कारण इसे संतान सुख नहीं है।

इसी प्रकार कुछ रोग बीमारिया का संतान देवीय प्रकोप मानते हैं, क्योंकि ये लोग देवीय प्रकोप से डरते हैं। यदि किसी प्रकार का कोई देवीय/प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है। इन बीमारियों से बचने के लिए लोग देवीय/प्रकृति की पूजा करते हैं। रोगों की परम्परागत चिकित्सा पद्धति एवं उपचार में प्रयुक्त जड़ी-बूटियां/मंत्र-तंत्र-

रोगों की परम्परागत चिकित्सा पद्धति एवं उपचार के संबंध में सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि परम्परागत लोक चिकित्सक कौन है? 9 अतः जनजातीय समाज में इस प्रकार की भूमिका अथवा पारम्परिक रूप से कार्य करने वाले जानकारों को चार प्रकार से समझा जा सकता है:-

1. जादू कार्य आधारित गुनिया
2. बनौषधि/जड़ी बूटी का आधारित पण्डा या वैद्य
3. हड्डी जोड़ने वाला हड्डोड़
4. प्रसव कार्य ढाई या बसोरन

#### रोगों के उपचार के प्रचार :

1. देवी देवता से सम्पर्क
2. जादू-मंत्र-तंत्र, झाड़-फूंक
3. बनौषधि उपचार

#### निदान विधियां :

1. जादूई धार्मिक विधियां
2. देव पीड़ा चरवल गेहूँ ढाने से पीड़ा का कारण ज्ञात करना
3. थाली विधि
4. सूपा झाड़ना
5. नाड़ी विधि
6. नाड़ी तंत्र की प्रवाह गति को ज्ञात कर रोग का पता लगाना कि रोग आंतरिक है या सामान्य।

#### लाक्षणिक विधि :

1. मन मरित्षक शरीर के लक्षणों से रोग ज्ञात करना।

#### रोगों की उपचार विधि :

1. **पूजा** - बैंगा जनजाति के लोगों का विश्वास है कि नियमित अपने देवी-देवता तथा अन्य देवी देवताओं का पूजन, वृत्त आदि किया जाय तो अवश्य व्यक्ति स्वरूप हरेगा, उसे किसी प्रकार के कष्ट, रोग बीमारी नहीं होगी। विवाह के अवसर पर दूल्हा देव की पूजा की जाती है। यदि दूल्हा देव की पूजा नहीं की जाय तो विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ग्राम देव की वर्ष में एक बार पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से ग्राम में किसी प्रकार का संकट नहीं आजा है। इनके मुख्य देवी-देवता जैसे- काली कस खोरापति, बीजासेन, बड़े देव पीर बाब रिद्ध बाबा गुरु बाबा, गैलासुर, मुड़ी देव, अग्नि देवता, दूल्हादेव आदि की पूजा की जाता है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए पेजा वृत्त आदि रखते हैं, जिससे कि देवी देवता किसी प्रकार की क्षति या कष्ट न पहुंचा सकें। बीमार व्यक्ति के ठीक होने के लिए अपने देवता या देवी की

पूजा की जाती है। इस व्यक्ति के ठीक होने के लिए यह बोल दिया जाता है कि हम यह प्रसाद चढ़ाएंगे। अवश्य पूरा करते हैं। रोग मुक्ति हेतु विधिवत पूजा की जाती है।

**जड़ी बूटियां एवं बीमारी में उपयोग विधि** - सर्वेक्षित क्षेत्रांतर्गत निवासरत बैंगा जनजाति के जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तब उसे सर्वप्रथम गांव या अन्य नजदीक के जानकार व्यक्ति वैद्य अपने ज्ञान से परम्परागत विधि से इलाज करता है जैसे- झाड़ फूंक करना, नाड़ी तंत्र देखना आदि। अनेक बीमारियों के इलाज जड़ी बूटियों से किया जाता है। एक बीमारी के इलाज हेतु विभिन्न जड़ी-बूटी उपयोग में लायी जाती है। दूरस्थ क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सक सुवधा उपलब्ध न होने के कारण परम्परागत चिकित्सा पर विश्वास करते हैं। प्रशासन द्वारा आधुनिक चिकित्सा पद्धति का प्रचार-प्रसार की कोशिश की जा रही है। शहरीकरण के प्रसार के कारण लोगों के विचारों में परिवर्तन हो रहा है। इस जनजाति के लोग असाध्य रोगों का इलाज जड़ी-बूटियों से करते हैं। कुछ वृक्षों की जड़े कुछ वृक्षों के फल-फूल इलाज हेतु उपयोग में लाते हैं। वैद्य का सम्मान किया जाता है, क्योंकि वह अनेक कष्टों को दूर करता है।

**विभिन्न बीमारियों के इलाज हेतु उपयोग में लाई जाने वाली जड़ी-बूटियां निम्नानुसार हैं:**

| क्र. | जड़ी-बूटी का नाम         | बीमारी का नाम                | उपयोग विधि   |
|------|--------------------------|------------------------------|--|
| 1.   | मदन भरम                  | घात                          | बरीक पीसकर दूध के साथ सेवन करना                    |
| 2.   | रामदातीन की जड़          | महवारी अनियमित निःसंतान होना | बारीक पीसकर दूध के साथ सेवन करना                   |
| 3.   | नागदीन                   | सर्प का काटना                | बीज पीसकर लेप करना                                 |
| 4.   | सतावर                    | दूध न निकलना                 | जड़ पीसकर दूध में पीना                             |
| 5.   | आवंला की जड़             | दांत दर्द                    | पीसकर कान में डालना                                |
| 6.   | तिनपनु की जड़            | जानवरों के खता               | पीसकर गाय के मूल के साथ लेप करना                   |
| 7.   | गंगेखांडा की जड़         | पेट दर्द                     | जड़ पीसकर पेट में लेप लगाना                        |
| 8.   | लाल पथरचटा               | अंदरुनी खता                  | जड़ पीसकर गाय के दूध के साथ पीसना                  |
| 9.   | बवारभाटा                 | जलने पर                      | छाल पीसकर दूध के साथ खाना                          |
| 10.  | मेदा लकड़ी               | दरस्त                        | छाल पीसकर दूध के साथ खाना                          |
| 11.  | भिरा                     | पेट में सून पड़ता दर्द होना  | छाल जलाकर गुड़ के साथ खाना                         |
| 12.  | अकउवा                    | बिच्छु का काटना              | रस सूधांने से छीक आ जाय तो बिच्छु का जहर खत्म करना |
| 13.  | घवा की छाल, सागोन की छाल | पेट में वल धूल होना          | सभी जड़ी बूटी का घोल बनाकर पीना                    |
| 14.  | भटकटइया गटेरन            | सीत                          | अरंडी के पत्ते में लपेटकर                          |

|     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
|     |                                | आग में गाढ़ना जिसजाने पर रस निकालकर शहद के साथ खाना       |
| 15. | आम की छाल जामुन, तिन्सा की छाल | आंव<br>पीसकर कपड़े में छानना चूर्ण को गाय के दूध में पीना |

उपरोक्तानुसार जड़ी-बूटियों के द्वारा विभिन्न रोगों का पराम्परागत ढंग से चिकित्सा उपचार किया जाता है।

#### मरेषियों की बीमारियाँ:-

**खुरहा की बीमारी:-** इसमें मरेशी के चारों पैरों मक्के फोड़े हो जाते हैं। इसके लिए अरण्डी, अलसी, भिलवा का तेल उसके खुरों में लगाते हैं। इस बीमारी से मरेशी की खुरी-खुर निकल जाते हैं।

**माता की बीमारी:-** मरेशी के शरीर में फोड़े हो जाते हैं, जिससे वह चरना बंद कर देता है। शाम को मरेशी की आरती उतारते हैं। सुबह रुनान करके गुड़, धी, धूप जलाते हैं। इस बीमारी को दूर करने के लिए कुल बोलना बढ़ना करते हैं जब यह बीमारी ठीक हो जाती है तो भजन-पूजन इत्यादि करते हैं।

**पेट फूलना:-** इससे मरेशी का पेट फूल जाता है। पण्डा या ग्वाल मंत्र फूकता है बांये कान के अन्तिम छोर को थोड़ा सा काटकर बास की कमची से कान को एठते हैं या ठोकते हैं। ऐसा करने से खून टपता है और बीमारी ठीक हो जाती है। इस बीमारी के लिये जंगली जड़ी-बूटियों का उपयोग किया जाता है।

**थाती की बीमारी:-** ऐपेट में, सीने में, बदन पर थाती हो जाती है। (जो बाहर निकलता है) उसे बाहर थाती कहते हैं व अन्दर वाले को अन्दर थाती कहते हैं। इसका इलाज नहीं होता।

**तंत्र-मंत्र विधि से रोगों का इलाज:-** इस जनजाति के लोग जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो उसे गुनिया (पंडा) के पास ले जाते हैं। गुनिया या पड़ा के पास मुख्यतः तब ले जाते हैं जब रोगी व्यक्ति जड़-बूटी या अन्य इलाज से भी ठीक नहीं हो रहा हो। गुनिया बीमार व्यक्ति का दलाज तत्र-मंत्र से करता है। ये लोग अपनी कुशलता हेतु पूजा का सहारा होते हैं। देवी देवताओं की पूजा करते हैं मनोति करते हैं, ताकि फिर कोई संकंट न आये। बच्चों को किसी की नज़र न लगे इससे बचाने के लिए गुनिया (पंडा) से मंत्र व दवा से तावीज भरवाकर गले में पहना दिया जाता है। गुनिया व्यक्ति मंत्र की सिद्धी करते हैं। अमावस्या की रात व दीवाली के दिन की रात्रि में मंत्रों को जगाते हैं।

गुनिया मंत्रोचारण पूर्व अपने गुरु को भजता है, इसके बाद मंत्र उच्चारण करता है। मरीज के परिवार वाले गुनिया को मुर्गा, बकरा, प्रसाद, नारियल आदि देते हैं। यदि कोई बच्चा अचानक बीमार हो जाता है तो गुनिया उसे झांड-फूंक कर झीक करता है। इसी प्रकार अन्य बीमारियों का इलाज झांड-फूंक द्वारा ठीक किया जाता है। गुनिया मरीज को अपने सामने बैठा लेता है, तत्पर्यात् मंत्र प्रांगम करता है। बीमारी के उपचार संबंधी कुछ मंत्र निम्नानुसार हैं:-

**आंख का मंत्र:-** कुम्हारिन बैटीतनेर बाप कहां के मारी कोड मारील का करही-चुकिया बनाही। चुकिया जा का करही-गुगा जमुना के पानी लाही। पानी ला का करही-आंख में डारही। काकर फूंके, मोर, फूंके, मोन गुरु धोबिन गुरु, ईश्वर गौरा वारवती, महादेव फूंके ले गंगा जमुना कस पानी आंख जुड़ाये।

**बिछु का मंत्र:-** बिछि-बिछि केत जात हाही। बिछिया अठाराह जात है यकारी, है कलौरी बिछी उतरे डंक छावी, काकर, फूंके, मोर फूंके, मोर गुरु

के फुंके, कौन गुरु धोबिन गुरु, ईश्वर गौरा पारवती, महादेव ले फूंके केबिच्छी डक सहित उतर जाये।

इत्यादि तत्र-मंत्र द्वारा बीमारियों को इलाज करने का पारंपरिक पद्धति का प्रचलन है।

**आधुनिक चिकित्सा पद्धति का प्रमाण-** सर्वेक्षित क्षेत्रान्तर्गत निवासरत बैगा जनजाति में आधुनिक चिकित्सा पद्धति का प्रभाव पड़ा है। सड़क के किनारे स्थित ग्रामों में आदिवासी लोग अनेक बीमारियों के इलाज हेतु समीप के परसाटोला, बैहर के शासकीय चिकित्सालयों में जाकर इलाज करते हैं। परम्परागत अवधारणाओं में भी परिवर्तन देखने को मिलता है।

शिक्षा का प्रभाव शासकीय कर्मियों के संपर्क में आपे के कारण ये लोग आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करने लगे हैं साथ ही थोड़ी बहुत जागरूकता के कारण ये लोग शासकीय अस्पताल भी जाने लगे हैं। **निष्कर्ष एवं सुझाव** - बैगा आदिम जाति आरण्य एवं बीहड़ वनों में रहने वाली जाति है। यहां पर इनमें जो परिवर्तन आज नजर आते हैं उसे हम निम्नानुसार देख सकते हैं। इस समाज पर भारतीय समाज व संस्कृति का प्रभाव पूर्ण रूपेण दृष्टिगोचर होता है।

हिन्दुओं के प्रभाव का और संकेत यह है कि इनके घरों की दीवारों पर रंग से बने हिन्दू देवी-देवताओं के चित्र अंकित किये हुए हैं, ऐसा देखने में आता है। एक गांव में मैने हनुमान, गरुण, कृष्ण भगवान तथा गणति के चित्र दो बार घर में दीवारों पर देखे थे। साथ में सत्य-शिव-सुंदरम, अहिंसा परमो धर्मः, सत्यमेव जयते इत्यादि संस्कृत भाषा में सुधारित भी लिखे रहते हैं।

**बैगा जनजाति की समस्याएं तथा उनका समाधान** - अब तक बैगा लोगों के विषय में हमने जो देखा है, उससे आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक समस्याएं समझ में आती है। भूमि उनके पास आवश्यक मात्र में नहीं है। भूमि की उर्वरता बहुत कम तथा कृषि तकनीकी निम्न स्तर की है वन आदिवासियों की अमूल्य वस्तु है पर उससे लाभ के बढ़ले में कष्ट अधिक मिलते हैं। चारागार के स्थान भी नहीं बने हैं। ये लोग राज्य सरकार के निमयों से मिलने वाली सुख सुविधाओं से वंचित भी रह जाते हैं। थोड़ी बहुत जागरूकता आने के बावजूद भी ये लोग उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। बैगा जनजाति को राष्ट्रीय मानव का दर्जा प्राप्त है इसलिए सरकार की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इनको प्रचार प्रसार का माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई जावे ताकि ये अपने सुख सुविधाओं से वंचित न रह सके। ये जनजाति जंगलों में दूर द्वारा छिपों में निवास करते हैं इसलिए किसी का ध्यान भी इनकी ओर नहीं जाता है। शायर यही कारण है कि इनको मिलने वाली सुख सुविधाएं सिर्फ़ कागजों में ही सिमट कर रह जाती है। इसके लिए जरूरी है कि जनजाति घोषित किए गए क्षेत्रों में चलाये जाने वाले अभियान के माध्यम से इनके बीच जागरूकता लाई जा सके तभी ये विकसित हो सकते हैं। बैर सरकारी संस्थाओं को चाहिए कि वे आदिवासियों को कानून कायदे से अवगत करायें जो कि उनके हित के लिये बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें आर्थिक व कानूनी सहायता प्रदान करें।

वन ग्रामों के संबंध में सरकार द्वारा बनायी गई नीति को लागू करके शीघ्र कदम उठाना चाहिए। इस कार्य के लिए वन विभाग, रेवेन्यू विभाग तथा विकास विभाग के अधिकारियों पर स्थिर सहयोग की भावना होनी चाहिए तथा इसके प्राप्त आय भी ग्राम पंचायतों को दी जानी चाहिए।

बैगा जनजाति में तथा अन्य जनजातिय समाजों में प्रचलित पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली एवं पारंपरिक चिकित्सा इलाज में प्रयुक्त जड़ी-बूटियों को संरक्षित किया जाना चाहिए। इस विधा के जानकार व्यक्तियों को

चिन्हांकित कर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिससे वे इस विधा को जीवित रख सकेंगे। इससे ग्रामीण आदिवासी समाज तथा अन्य लोगों को भी विभिन्न बीमारियों का प्रारंभिक इलाज स्थानीय रूपर पर प्राप्त हो सकेगा।

इस प्रकार आदिवासियों के उद्धान चिकास के लिये जो कार्यक्रम किये जा रहे हैं उस कार्यक्रमों को नियोजित ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों में आयुर्वेद दवाओं का काफी सेवन किया जा रहा है। इनकी प्राप्ति जंगलों से ही वनों के ढारा प्राप्त की जा रही है।

#### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. अग्रवाल जी.के. एवं पाण्डेय एस.एस.- सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान- 1987
2. मिश्र उमाशंकर एवं तिवारी प्रभात कुमार - भारतीय आदिवासी- 1975
3. मुखर्जी आर. एन. - भारतीय सामाजिक संस्थाएं- 1983
4. मुखर्जी एवं अग्रवाल भरत - संस्कृति व सामाजिक संस्थाएं- 1985
5. सिंहीकी के.ए. - भारत के आदिवासी- 1984
6. पटेल डॉ. जी.पी. - जनजातियों में परम्परागत चिकित्सा पद्धति- 1998-99
7. मूर्ती आर. - एक जनजातीय समाज- 1972
8. मेरियट मेकम अनुवादक राव हरिकृष्ण - ग्रामीण भारत- 1960
9. उत्प्रेति - भारतीय जनजातियां 1970
10. रिपोर्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ऐरिया एण्ड शेड्यूल्ड ट्राईब्स....कमीशन वाल्यूम 1



## गरीबी उन्मूलन अभियान में शारदा ग्रामीण बैंक का योगदान

### गरिमा सिंह \*

**शोध सारांश** – शारदा ग्रामीण बैंक सतना ने गरीबी उन्मूलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शारदा ग्रामीण बैंक से ऋण प्राप्त हितग्राहियों की जहाँ एक ओर आय में वृद्धि हुई है वहीं दूसरी ओर रोजगार दिनों में भी वृद्धि हुई है। शारदा ग्रामीण बैंक ने हितग्राहियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर साहूकार एवं महाजनों के शोषण से मुक्ति दिलाया है। यह शोध पत्र पी-एचडी के शोध कार्य पर आधारित है।

**शब्दकुंज़ी** – गरीबी, बेरोजगारी, हितग्राही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गरीबी उन्मूलन अभियान, आर्थिक नियोजन, प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक शोषण।

**प्रस्तावना** – इलाहाबाद बैंक द्वारा प्रवर्तित शारदा ग्रामीण बैंक की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 31(1) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 1979 को भारत का राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित संदर्भ संख्या भाग खरख खण्ड 3 उपखण्ड (खख) जारी अधिसूचना के अंतर्गत प्रसिद्ध देवी माँ शारदा के नाम पर हुई थी। कारोबार का प्रारंभ 21 मई 1979 से किया गया। शारदा ग्रामीण बैंक का उद्देश्य किसानों का सरती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर साहूकारों एवं महाजनों के शोषण से मुक्ति दिलाना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास कर उसे आत्मनिर्भर बनाना है। शारदा ग्रामीण बैंक लोन संबंधी कार्य, फीडी, चेक एवं खाते संबंधी समस्त कार्यों को सम्पादित करता है।<sup>1</sup>

गरीबी का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में असमर्थ रहता है। प्रसिद्ध गाँधीवादी अर्थशास्त्री नरेन्द्र दुबे के अनुसार गरीबी का आकलन करने के लिए – सामान्यतः गरीबी का आकलन इस आधार पर किया जाता है कि किसी मानव समुदाय का भोजन, वस्तु, निवास, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि का स्तर क्या है? निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए सुरेश तेंदुलकर द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले में उपभोग व्यय को आधार माना गया है। शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन रु. 28.65 व ग्रामीण क्षेत्र में रु. 22.42 प्रतिदिन से कम उपभोग व्यय वालों को इस फॉर्मूले के तहत 29.8 प्रतिशत लोगों को निर्धनता रेखा से नीचे माना गया है<sup>2</sup> योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से भी जिन्हें प्राप्त नहीं हो पाता, उसे गरीबी रेखा से नीचे माना गया है<sup>3</sup>।

शारदा ग्रामीण बैंक गरीबी उन्मूलन संबंधी अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है, जिसमें प्रमुख रूप से शारदा किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, श्री यादे माटीकला योजना, कपिल धारा योजना, ढीनदयाल मार्केट विकास योजना, बहन निवेदिता स्वसहायता समूह विकास योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति रोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, शारदा किसान शक्ति योजना हैं। शारदा ग्रामीण बैंक अपनी इन योजनाओं के माध्यम से किसानों, लघु एवं कुटीर उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराकर उनके विकास में सहयोग प्रदान कर रही है। सुबोध कुमार<sup>4</sup>

(1992) ने अपने अध्ययन में पाया कि नियोजन पूर्व काल में ऋणग्रस्तता को गरीबी का पर्याय समझा जाता था, बैंक ने समाज के इस भ्रम को तोड़कर गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारने में अपना अहम योगदान दिया है।

#### उद्देश्य –

1. शारदा ग्रामीण बैंक से ऋण लेने के पहले किसानों की आर्थिक स्थिति एवं ऋण लेने के बाद की आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. शारदा ग्रामीण बैंक को ऋण प्रदान करने में एवं ग्रामीण किसानों को ऋण प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
3. परम्परागत व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

**शोध प्रक्रिया** – प्रस्तुत शोध पत्र पी-एच.डी के शोध कार्य पर आधारित है। इसमें म.प्र. के सतना जिले का चयन अध्ययन के क्षेत्र के रूप में किया गया है। यह प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों समंकों पर आधारित है। जहाँ एक ओर प्राथमिक समंकों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन एवं प्रश्नावली भरवाकर किया गया है, वहीं द्वितीयक समंकों का संकलन अग्रणी बैंक इलाहाबाद बैंक की रिपोर्टें, वार्षिक कार्ययोजना, विभिन्न पुस्तकों, पत्र एवं पत्रिकाओं आदि से किया गया है। इसमें उन हितग्राहियों का चयन दैव निर्दर्शन विधि से किया गया है जो वर्ष 1991 से 2010 तक शारदा ग्रामीण बैंक सतना की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं।

**रोजगार** – रोजगार के बिना मानव विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। रोजगार के बिना मानव के अंदर विद्यमान शक्ति का हास हो जाता है और मानव निर्धनता के दुश्चक्र में फंसा रहता है। इसलिए रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। शारदा ग्रामीण बैंक भी स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। हितग्राहियों को प्राप्त रोजगार संबंधी जानकारी निम्नलिखित है –

#### शारदा ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदान ऋण की हितग्राहियों के रोजगार (दिन संख्या) पर प्रभाव

| रोजगार दिन/वार्षिक | ऋण के पहले |         | ऋण के बाद |         |
|--------------------|------------|---------|-----------|---------|
|                    | आवृत्ति    | प्रतिशत | आवृत्ति   | प्रतिशत |
| 100 से कम          | 84         | 42      | 20        | 10      |
| 100-200            | 68         | 34      | 26        | 13      |
| 200-300            | 32         | 16      | 96        | 48      |

\* अतिथि विद्वान् (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 300 से अधिक | 16  | 08  | 58  | 29  |
| योग         | 200 | 100 | 200 | 100 |

**स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण**

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शारदा ग्रामीण बैंक सतना से ऋण प्राप्त करने के बाद हितग्राहियों को प्राप्त होने वाले रोजगार दिनों में वृद्धि हुई है और वह आत्म निर्भर हुए हैं।

**आय-** इस शोध में यह जानने का प्रयास किया गया था कि क्या शारदा ग्रामीण बैंक सतना से ऋण प्राप्त करने के बाद हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है ? इससे संबंधित अध्ययन क्षेत्र की जो स्थिति रही वह निम्नलिखित है -

**शारदा ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण का हितग्राहियों की आय पर प्रभाव**

| आय मासिक (रु. में) | ऋण के पहले |         | ऋण के बाद |         |
|--------------------|------------|---------|-----------|---------|
|                    | आवृत्ति    | प्रतिशत | आवृत्ति   | प्रतिशत |
| 5000 से कम         | 70         | 35      | 18        | 9       |
| 5000-10,000        | 52         | 26      | 32        | 16      |
| 10,000-20,000      | 34         | 17      | 76        | 38      |
| 20,000-30,000      | 24         | 12      | 36        | 18      |
| 30,000 से अधिक     | 20         | 10      | 38        | 19      |
| योग                | 200        | 100     | 200       | 100     |

**स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि ऋण के पहले कम आय प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या अधिक थी, लेकिन ऋण प्राप्त करने के बाद अधिक आय प्राप्त करने वालों की संख्या अधिक हो गई। इस प्रकार शारदा ग्रामीण बैंक द्वारा जो ऋण प्रदान किया गया वह आय में वृद्धि के लिए सहायक रहा। इसी प्रकार भारतीय वेढ़ी<sup>६</sup> ने अपने शोध में पाया कि बैंक के ऋण योजनाओं से हितग्राहियों का आर्थिक लाभ हुआ है।

**निष्कर्ष – शोध से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित है :**

1. शारदा ग्रामीण बैंक सतना से ऋण प्राप्त करने के बाद हितग्राहियों को प्राप्त होने वाले रोजगार दिनों में वृद्धि हुई है और वह आत्मनिर्भर हुए हैं। इस प्रकार शारदा ग्रामीण बैंक सतना रोजगार सृजन कर अपनी महती भूमिका अदा कर रहा है।
2. शारदा ग्रामीण बैंक सतना से ऋण प्राप्त हितग्राहियों की आय में वृद्धि हुई है अर्थात् आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
3. शोध में पाया गया कि 74 प्रतिशत हितग्राहियों ने ऋण योजना का लाभ लेने के लिए शारदा ग्रामीण बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को घूस ढी है। साथ ही यह भी पाया गया कि हितग्राहियों को समय पर ऋण नहीं मिलता है और उन्हें ऋण प्राप्त करने हेतु घूस देनी पड़ती है।
4. शोध में पाया गया कि साहूकार एवं महाजन आज भी गरीब किसानों से 75 प्रतिशत तक ब्याज वसूलते हैं अतः अधिक ब्याज लेकर उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. वार्षिक ऋण योजना 2012-13, इलाहाबाद बैंक (अग्रणी बैंक), सतना म.प्र. पृ. 3
2. रेणु त्रिपाठी, 'ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन' ओमेगा पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2011
3. योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. सुबोध कुमार, 'बैंक और भारतीय कृषि वित्त' कुरुक्षेत्र 37 (9), जुलाई 1992, पृ. 30, 31
5. भारती वेढ़ी, 'ट्राईसेम योजना का अनुसूचित जनजातियों की व्यावसायिक गतिशीलता पर प्रभाव' पी-एच.डी शोध प्रबंध, बानिस मट्ट, 2001 पृ. 295
6. मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सतना म.प्र.।

\*\*\*\*\*

## पर्यावरण एवं परम्परा एवं सामाजिक आदतें

ऋचा एस. मेहता \*

**प्रस्तावना** – वृक्ष हैं तो मानव हैं। वृक्ष फलदार हो, इमारती हो या औषधीय वह काम जीवमात्र के आता हैं। पशु-पक्षी कीड़ि-मकोड़े ही नहीं, जितने भी जीव हैं, वृक्ष उनके सहयोगी है। उनके जीवन का आधार है। हम भारतीयों ने वृक्षों की इसी आस्था, विश्वास और उपयोगिताओं की समझ के आधार पर संवद्धन और संरक्षण किया है। हमारी बहुत सी धार्मिक आस्थाएँ और सामाजिक परम्पराएँ इसी आधार पर बनी हैं। तीज त्योहार के केन्द्र में भी पेड़ हैं। पूरा औषधि विज्ञान तो वनस्पति जगत पर ही निर्भर है।

सामाजिक आदत से अभिप्राय है जब किसी कार्य की पुनरावृति बार-बार की जाए तब वह आदत के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और जब इस आदत को समाज अपना ले तब वह सामाजिक आदत कहलाती हैं। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही है कि जड़ चेतन द्रव्यों में जो भी जीवपयोगी प्रतीत हुआ समय-समय पर उसके प्रति आभार व्यक्त किया गया, साथ ही उसे धार्मिक भावनाओं में समायोजित किया गया ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें पच तत्वात्मक द्रव्यों की स्तुति का वर्णन हैं। अविन, वायु, भूमि तथा नदियों की स्तुतियों से संबंधित हमारे ग्रंथों में हमें अनेक उल्लेख मिलते हैं। औषधाध्य शांति: वनस्पतय: शांति: जैसे मंत्रों का सृजन ऐसी भावनाओं का उदाहरण है।

भारतीय संस्कृति का रुझान प्रकृति संरक्षण की ओर प्रारंभ से ही रहा है, प्रकृति के प्रति सम्मान और परस्पर साहचर्य एवं प्रकृति संरक्षण को श्रेष्ठतम् कार्य का दर्जा दिया गया है। प्रकृति के प्रति हमारी सम्मान भावना दैनिक जीवन में रची बरसी हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयासरत सभी बुद्धिजीवियों व संस्थाओं का मानना है कि प्रकृति की रक्षा उसके साथ ही रहकर की जा सकती हैं ना कि प्रकृति से अलग रहकर।

आज भी हमारे देश में ऐसे अनेकों पर्व हैं जिनके प्रति हमारे पूर्वज सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करते थे और समय-समय पर पूजा करके प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते थे। हम वर्तमान परिवेश में इन पर्वों के माध्यम से सदियों पुरानी परम्पराओं को क्षीण होने से बचा सकते हैं। हम अब ऐसे ही कुछ विशेष पर्वों के विषय में चर्चा करेंगे –

1. **वसंत पंचमी** : यह माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता हैं आमों पर बौर और गेहूँ की फसल में बाले आने लगती है इसी दिन बसंत ऋतु का आगमन भी होता है, विद्यादात्री सरस्वती माँ का पूजन महोत्सव भी मनाया जाता है। बुंदेलखण्ड में इस दिन माँ शारदा का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है कई जगह महाकवि निराला जयंती भी मनाई जाती है इस दिन से ही कवि अपनी नूतन रचनाएँ भी प्रारंभ करते हैं।

आयोजनों को सामाजिक आदत में बदलना :

- प्रकृति से प्रेरित कविताओं का आयोजन।
- स्थानीय प्रजाति के वृक्षों का वृक्षारोपण।

- बच्चों के लिए चित्रकला निबंध प्रतियोगिता का आयोजन।
- प्रबुद्ध पर्यावरण (शिक्षाविदु)** समाज व संस्कृति से जुड़े विशेषज्ञों के व्याख्यान।
- नर्मदा जयंती** : यह माघ शुक्ल सप्तमी को मनायी जाती है नदियों को भारतीय संस्कृति में माँ की मान्यता ढी गयी है तथा उसकी पूजा अर्चना हमारी संस्कृति का एक प्रमुख अंग है। विश्व की सभ्यताएँ नदियों के किनारे पर ही विकसित हुई परन्तु आज सभ्यता के इस विकास की दिशा की परिणति पर्यावरण प्रदूषण विशेषकर नदियों तालाबों के प्रदूषण के रूप में परिलक्षित हो रही हैं। नदियों के प्रति हमारी अगाध आस्था सिर्फ जल की महिमा गान तक ही सीमित नहीं थी बल्कि उसके संरक्षण से भी जुड़ी हुई थी, दिल्ली और कानपुर में यमुना सिर्फ मैला बहाने का जरिया रह जाती है, गंगा नदी में शव बहाए जाते हैं और नर्मदा नदी में शर्वों की राख बहायी जाती है। वर्नों का विनाश औद्योगिक व नगरीय प्रदूषण अत्यधिक तथा अनियंत्रित मानवीय हरतक्षेप नदियों को नालों में तब्दील कर रहे हैं, जिसे हमने माँ स्वरूप समझा। आज उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यदि पर्यावरण के संकट को सही अर्थों में बचाना है तो हमें फिर से इन पर्वों को सामाजिक आदतों में शामिल करना होगा।

- आँवला नवमी** : आँवला नवमी कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि को मनाया जाता है यह पर्व उत्तर भारत में ज्यादा मनाया जाता है। इन पर्वों के माध्यम से हम सभी वनस्पतियों एवं औषधियों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं भारत में प्रकृति के विभिन्न अंगों के प्रति हमारा पूज्य भाव रहा है, हम नदियों, पहाड़ों पशुओं की पूजा भी करते हैं इसके साथ ही वृक्षों की पूजा प्राचीनकाल से ही हमारी संस्कृति का आवश्यक अंग रहा है क्योंकि यह वृक्ष किसी ना किसी रूप से हमारी रक्षा करते हैं।

### ऋग्वेद 9/5-10 के अनुसार

वनस्पति पवमान मध्वा समडिव्यधारया सहस्रवल्शं हरितं भाजमान हिरण्यम अर्थात हे सोम देवता:। तुम अपनी मधुमीयी धारा से इस वनस्पति को सिंच दो तथा सम्पूर्ण धारा को अपनी सम्पदा से भर दो। धर्मो रक्षतः: वृक्षो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है उसी तरह जो वृक्ष की रक्षा करता है वृक्ष उसकी रक्षा करता है।

आयोजनों को सामाजिक आदत में बदलना :

- संस्थागत सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर सघन वृक्षारोपण (संभव हो तो औषधि वृक्ष)
- वृक्ष और पर्यावरण से जुड़े विषयों पर व्याख्यान।
- नगर के समस्त वृक्षों का सूचीकरण उन्हें बचाने का प्रयास।
- वृक्षों से संबंधित लोक कथाओं लोक गीतों, श्लोकों कविताओं का संकलन और प्रकाशन व प्रदर्शनी।

\* एसोसिएट प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, सोनकच्छ (म.प्र.) भारत

**4. गंगा पूजन (गंगा सप्तमी/गंगा दशहरा) :** यह ज्येष्ठ माह के शुक्रवार की दसवीं तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व गंगा के किनारे बसे हुए नगरों और गाँवों में मनाया जाता है। परन्तु उत्तर भारत की नदियों की पूजा अर्चना के रूप में मनाया जाता है इस दिन पुरुष नदियों में स्नान कर सूर्य को जल अर्पित करते हैं साथ ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान् इसी तरह नदिया भरपूर जल हमें प्रदान करती रहें और अपना दया भाव हमारे प्रति रखें।

आयोजनों को सामाजिक आदत में बदलना :

1. जल ख्रोतों के समन्वित संरक्षण हेतु प्रयास।
2. नदी प्रदूषण के बारे में बच्चों को जागरूक करना।
3. परम्परागत विधि से पर्व मनाए परन्तु नदी और जल ख्रोतों को प्रदूषण से बचाए।
4. जल ख्रोतों से संबंधित लोक कथाओं का संकलन।

**5. वट अमावस्या :** वट अमावस्या का पर्व ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है, भारतवर्ष में वैदिक काल से ही वनस्पतियों का महत्व पहचाना गया है। यदि हम प्राचीन समय में जाए तो भारतीय सभ्यता पूर्णतः वनों पर ही आश्रित थी आयुर्वेद ग्रंथों में विविध वनस्पतियों के क्षुप, गुल्म, वृक्ष लता, वल्ली इत्यादि तथा मूल कंद पल्लव, पुष्प, मज्जा कलिका मकरंद पराग इत्यादि विभिन्न वनस्पतियों के आश्रय स्थल, वृक्षवाटिका प्रभदर्वन, विपिन, कानन, उद्यान इत्यादि का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में मिलता है आज के संदर्भ में आवश्यकता इस बात की है कि जनसामाज्य को यह वनस्पतियों के संरक्षण का महत्व समझाया जाए और उसे बचाने की कोशिश भी की जाए।

ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। संरक्षित साहित्य में पंचवटी के पाँच वृक्षों वट वृक्ष सबसे प्रमुख हैं अपने स्वरूप के कारण वट वृक्ष वृक्षों का राजा कहलाता हैं वह वृक्ष हमेशा स्वयं ही अपने को नवीनीकृत करता रहता हैं अपनी शाखाओं को तने में बदल देने के गुण के कारण इस वृक्ष को अद्वितीय माना गया है। भारत में सर्वत्र जिन दो वृक्षों की पूजा होती है, उसमें से एक वट वृक्ष है यह पर्व हमें देश के सभी हिस्सों में दिखाई देता है।

हिन्दू धर्म की मान्यताओं में ब्रगद के वृक्ष का उच्च स्थान हैं आषाढ माह भी भीषण गर्मी में ब्रगद की छांव तले विवाहित स्त्रियाँ वटवृक्ष की पूजा करती हैं और वट वृक्ष के समान ही अपने वंश की वृद्धि सुख और समृद्धि की कामनाएँ करती हैं।

**6. हरियाली अमावस्या :** यह पर्व सावन महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में यह पर्व हरेली तथा मालवा में दिवासा के नाम से लोकप्रिय हैं। यह पर्व वर्षा ऋतु के कारण प्रकृति में आए सौंदर्यपूर्ण बदलाव का स्वागत करता है। उस दिन कृषक अपने पशुधन और उपकरणों की पूजा करते हैं। मालवा क्षेत्र में यह पर्व सभी जाति अपने पशुधन और उपकरणों की पूजा करते हैं। मालवा क्षेत्र में यह पर्व सभी जाति और सम्प्रदाय में मनाया जाता है इस दिन महिलाएँ परम्परागत गीत गाते हुए गेझ और चूने से दीवारों पर वृक्षों के चित्र बनाती हैं जिसमें प्रकृति का सौंदर्य दिखायी देता है, इस दिन मान्यतानुसार वृक्षारोपण का विशेष महत्व है जैसे तुलसी का पौधा इसी दिन लगाया जाता है।

हमारे देश में प्रकृति की सम्पूर्णता के विचार का महत्व दिया गया है। इसलिए हमारे यहाँ पर्यावरण पर एक शास्त्र भी विकसित किया गया। पेड़ निर्जिव वस्तु तो नहीं है कि उसको कहीं भी कहीं भी किसी भी तरह से लगा दिया जाए, वृक्षारोपण के समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कौन से पेड़ कब और कहाँ लगाना चाहिए किस पेड़ के लिए कौन सी दिशा और कौन सी मिट्टी बेहतर हैं, समाज की वृक्षों में रुचि रहे इसलिए वृक्षारोपण के ज्ञान

को धार्मिक पहलू से जोड़ दिया ताकि ये ज्ञान जनसाधारण तक पहुँचे। तरु महिमा के श्लोकों में पेड़-पौधे लगाने का महत्व बताया गया है।

आयोजन को सामाजिक आदत में बदलना :

1. वृक्षारोपण हेतु जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण की तैयारी।
2. वृक्षों की परम्परागत रीति-रिवाजों से पूजा।
3. वृक्षों का महत्व पर प्रतियोगिता करवाएं।
4. वृक्षों के विनाश को रोकने के लिए जागरूकता लाएं।
7. **शरद पूर्णिमा :** यह पर्व आश्विन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है ऋतु चक्र कभी थमता नहीं हर मौसम में समा जाता है उसकी खास मिठास, निखर आत हैं उसका सौंदर्य। कभी बसंत, कभी फागुन, कभी ग्रीष्म कभी सावन और फिर शरद ऋतु वर्षा की समाप्ति और शीत ऋतु के आगमन के बीच हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु का अत्यधिक महत्व हैं। मान्यता है सभी वनस्पतियों में औषधियों में इस और प्रभाव की उत्पत्ति शरद ऋतु में होती हैं। ऐसी धारणा है शरद पूर्णिमा की रात अमृत बरसता है इस रात को सभी लोग खीर बनाते हैं और अपनी छत पर खुला रख देते हैं तथा पूर्णिमा के चन्द्रमा की रिश्मियों से सारोबार इन व्यंजनों को ग्रहण करते हैं।

#### प्रस्तावित आयोजन :

1. आकाश में तारामण्डल का अध्ययन तथा दर्शन।
2. परम्परागत रिवाजों से पर्व का आयोजन।
3. प्रकृति व निसर्ग पर केन्द्रित कविताओं का पाठ।
4. वायु प्रदूषण के संबंध में जानकारी व नियंत्रण करना।
5. मिट्टी की जाँच तथा उसके अनुसार उर्वरकों का प्रयोग।
6. जल ग्रहण क्षेत्र का विकास।

#### सुझाव :

1. प्रकृति के सानिध्य का सुख समझो। अपने आसपास छोटे या बड़े वृक्ष लगाएं।
2. अपने या बच्चों को जन्मदिन हो या कोई भी यादगार क्षण पेड़ लगाकर उन यादों को चिरस्थायी बनाने।
3. घरों में या विभिन्न सामाजिक आयोजनों में उपहार में पुष्प गुच्छ के स्थान पर पौधे देकर सम्मानित करें।
4. ब्रश करते समय नल खुला ना छोड़ें।
5. यह प्राकृतिक सम्पदा बहुत कीमती वह मँहगी भी है। इसका पुनर्उत्पादन बहुत लम्बा है। इसकी बचत करें।
6. अपने आसपास जागरूकता फैलाएं।
7. शिक्षण संस्थाओं में पेड़ जागरूकता पर पोस्टर लगावाएं।

**निष्कर्ष –** वृक्ष और पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी को अपने में निहित कर लेते हैं। पेड़ पौधे एक सीमा तक उज्ज्वल करने का कार्य करते हैं। यदि हम प्रकृति से दूर जाएंगे तो हम प्रलय में अपनी सहभागिता निभाएंगे यदि हम अपनी प्रकृति को बचाना चाहते हैं तो उसके पास ही रहना होगा उसका विकास करना होगा हम सभी को अपने आसपास और सारे देश की हरियाली से भरना होगा। ‘जियो और जीनो दो’

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. तथ्य भारती पत्रिका।
2. स्वयं के विचार द्वारा।
3. पत्र-पत्रिकाएँ एवं डैनिक समाचार-पत्र।
4. टॉल एल.एस - हमारा पर्यावरण।
5. समाजशास्त्र - गुप्ता एण्ड शर्मा।

# The Impact Of Yoga On Students Life

Dr. K.G.Pandey \* Dhermender \*\*

**Abstract** - Maharshi Patanjali has defined yoga as action and pointing to what is central in the activity that is yoga. Yoga is recognized as one of the most important and valuable heritage of India. Today, whole world is looking towards yoga for answering various problems. Today, yoga is not popular as a system of philosophy but as a system of practical discipline. The application of yogic techniques is seen for getting the benefit of health and cure of diseases, such as stress. Even though our attitudes to the nature of yoga itself may be different from those through whom yoga evolved, its wisdom still applies. Yoga is for everybody, every place, and every age -group. The message of yoga is loud and simple "Take good care of yourself and all else is taken care of".

**Introduction** - Yoga is recognized as one of the most important and valuable heritage of India. Students face many pressures from school, which can amount to a significant amount of stress. Learn about the different causes of school stress and find resources for overcoming it, including study tips and stress relievers specifically designed for students. Contrary to contemporary attitudes stress is not the secret to success. We do not perform at a higher level academically and professionally when we are tight, anxious and stressed but rather when we are focused, claim, loosened-up and breathing on a regular basis.

## Statement Of The Problem

"The Impact Of Yoga On Students Life"

**Concept of Yoga** - Yoga is recognized as one of the most important and valuable heritage of India. Today, whole world is looking towards yoga for answering various problems. Inspite of this, no field is so grossly misunderstood as yoga, even in India. If one take a cross section of the society and take a general survey of the public opinion about yoga, one shall find that there are many misbeliefs. However, yoga is respected by the Indian schools of philosophy and other philosophers because of its practical aspect containing various psycho-physiological practices rather than its philosophy. Patanjali has attempted to define clearly the sense of the term in the "Yoga Sutra". Here 'nirodha' has modifications which means that yoga is the restrain of mental fluctuations and been employed in the sense of a verb, in the sense of purposeful action undertaken in order to achieve a specific end. Tapa, swadhyay, Ishwar, Pranidhnani kriyayoga.

Patanjali has defined yoga as action (Kriya) and pointing to what is central in the activity that is yoga. According to Sampoornanand (n.d) yoga word is originated from 'Yug Dhatu', which means integration. Yoga is that

organized activity in which there is a mating of human soul and super soul. The aim of yoga itself is integration of personality in its all aspects. In order to help the development of such an integration various techniques are employed. "Balancing of mind is called yoga".

**Gita** - Yoga is closely allied to nature. Nature has decreed, barring exceptionally unfortunate cases, that the functions of the body and mind are properly aligned and mutually related. The philosophy of yoga assumes that man, in his natural, unpolluted condition of body and mind, functions as a part of the cosmic rhythm in which both the processes of growth and decadence are normal and smooth flowing. Today, yoga is not popular as a system of philosophy but as a system of practical discipline. The application of yogic techniques is seen for getting the benefit of health and cure of diseases, such as stress -management; and for improving the efficiency of the individuals in different fields. Yoga is being utilized from the most fundamentally personal to the social and educational implications of the society as a whole. No matter how times and life styles changes, the soundness of the judgement of the ancient sages in matter relating to life and conduct is still relevant. Even though our attitudes to the nature of yoga itself may be different from those through whom yoga evolved, its wisdom still applies. It is in this spirit that a modest guide to Yogasanas be prepared to provide instructions as well as warning. The practice of Yogasanas is open to all age groups and even to those who suffer from physical and emotional ailments. The food we eat, the water we drink, the air we breathe and the way we react to changing environment and situations, all factors influence our life.

The science of yoga also takes full cognizance of these factors because it looks at life in its totality. It emphasizes the organic unity between man and his environment, and

between discipline and well-being. It seeks to restore the sense of balance and poise that a thousands little things in the environment seek to disturb or destroy. Yoga is for everybody, every place, and every age -group.

The message of yoga is loud and simple "Take good care of yourself and all else is taken care of".

Before analyzing what Yogāsana is, it is better to know what it is not?. Yogāsana is neither some kind of gymnastic nor it is entertainment, meant to amuse an audience. Besides, it does not seek to develop only the physique. It doesn't require any external tools for its practice. Some people have the impression that Yogāsana is transcendental meditation; though it can be preparatory exercise for it. Sadhna is a spiritual endeavour and its aim is to enable the Sadhaka to activate what may be called the divine flame' within him by constant practice under expert guidance. Yogāsana is therefore not easy to cultivate unless there is a personal guidance of a qualified person.

**Review Of Related Literature** - An attempt has been made by the research scholar to locate literature to this study. A brief review of studies of specific performance related to this study cited below:

**Weinberg (1978)** studied the effect of resultant achievement motivation (N.Arch) on the efficiency of motor performance and also finds out that under achievement oriented conditions persons with high achievement need. Based from scores Merabiam Achievement Scale 20 male College students were classified as low in resultant achievement (N.Arch) 20 participants within each motive group were randomly assigned either through relax or achievement oriented conditions. 27 trials each of 10 seconds duration were administered on a rotor interval. After 10 minutes rest participants completed 27 more trials. Statistical Analysis included both (2) x Block of Trial (2) x ANOVA for each session with repetition on final factor.

**Maxson (1982)** conducted a study to find relation between motivation and performance in competitive swimming. The mehrabiam measure of achievement tendency and a survey of a swimming achievement tendency and a survey of a swimming achievement instrument designed by investigator were given to 44 college swimmers (29 males, 15 females) from four universities

**Selection of training programme** - The six weeks training programme was given to the subjects which included the sheetkari pranayam practice once a day in morning. The exercise was practiced as directed in books, inhalation through the mouth and exhalations through the both the nostril.

**Analysis Of Data And Result Of The Study** - The statistical analysis of data based on academic stress collected on 30 male and female subjects belonging to experimental group is presented in this chapter.

To determine the effect of sheetkari pranayam on academic stress of experimental group and control group analysis of covariance was used and analysis of data

pertaining to this study are presented in table

#### Analysis Of Covariance Of The Mean Of Experimental Groups And Control Group On Academic Stress

| Group                   |               | Sum of square | Mean of square | F ratio |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------|
| Experimental group      | Control group |               |                |         |
| Pre test mean           | 36            | 38            | 47.1           | 46.1    |
| Post test mean          | 31            | 40            | 48.72          | 44.04   |
| Adjusted post test mean | 36            | 39            | 36.02          | 32.07   |
|                         |               |               |                | 33.72   |

**Discussion of hypothesis** - Therefor it was hypothesized that there would be definite changes in academic stress level due to six weeks of sheetkari pranayama had been accepted in this study

Paired adjusted mean and differences between means for experimental groups and the control group on academic group

| Mean               |               | Difference between the mean | Critical difference for adjusted mean |
|--------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Experimental group | Control group | 0.20                        | 0.46                                  |
| 44                 | 48            |                             |                                       |

Significant at 0.05 level of confidence.

**Discussion of findings** - There was no change found in control group because the control group was not edged in any type of systematic yogic breathing practice as the better performance of experimental group as compared to the control group may be due the fact that the experimental group have undergone systematic and progressive training program for duration of six weeks where as control group did not participated in any kind of normal training. It is an established fact that regular training of sheetkari pranayama helps the students to overcome the psychological problems of academic. As the result of the study sheetkari brings a positive effect on academic stress by reduce it.

**Summary** - The purpose of study was to find out the effect of sheetkari pranayama academic anxiety scale for children questionnaire consists of 20 items each items has got two choices to answer the subjects were asked to tick on the place provide for each.

After the treatment of sheetkari pranayama for six weeks the groups were again tested by using the same questionnaire and their scores were recorded. The analysis of co-variance on academic stress indicated that the resultant in case of pre test was found to be significant at level of 0.05 levels. The different between for adjusted post means of two groups was significant.

**Conclusion** - Within the limitations of the study the following conclusion was drawn

- There is significance difference between score of the pre test experimental, group has gained progress in academic stress scores by reducing it.
- The difference found in

**References :-**

1. Clarke David H. and Clarke Harrison, **Research Process in Physical Education** (Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall INC, 1984).
2. Cratty Bryant J., **Psychology and physical Activity** (Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall Inc., 1968).
3. Cratty Bryant J., Psychology and the Superior Athlete (London: Me Million Company Ltd., 1983).
4. Kamlesh M.L., **Psychology of Physical Education and Sports** (New Delhi: Metropolitan Book Company, 1983).
5. Martens Rainer, **Sports Competition Anxiety Test** (Human Kinetic Publishers, 1982).
6. Robbers Glyn C., Kelkins, Spink S. and Cynthia L. Pemberton Learning **Experiences in Sports Psychology** (Human Kinetics Publishers Inc., 1986).

\*\*\*\*\*

# ग्रामीण एवं शहरी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षिकों के शिक्षक दायित्व

**डॉ. कृष्ण गोविन्द पाण्डेय \* सत्यपाल सिंह \*\***

**शोध सारांश -** शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की अहम भूमिका है। शिक्षा बाल केन्द्रित होती है। शिक्षा समाज के उद्भवन तथा राष्ट्र के कल्याण के लिए होती है। शिक्षा की यह प्रक्रिया शिक्षिकों के द्वारा संचालित होती है। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह बालकों, समाज और राष्ट्र के कल्याण हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों का दायित्वपूर्ण संचालन करे। शिक्षक छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए जवाबदेह, जिम्मेदार और उत्तरदायी है। बालक यदि विकसित होता है, कक्षा में प्रथम आता है, समाज में प्रतिष्ठा पाता है, राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण कार्य करता है, तो उसकी वाहवाही शिक्षक को ही मिलती है। बालक बड़े ही सृजनात्मक होते हैं। जैसे प्रश्न वे करते हैं, उनके सामने जो भौतिक वस्तुएँ आती हैं उनके विभिन्न उपयोग वे खेल में जिस प्रकार करते हैं, हम जो प्रश्न उनसे करते हैं या जो समस्याएँ उनके सामने रखते हैं, उनके समाधान वे जिस प्रकार सुझाते हैं: इन सब में उनकी सृजनशक्ति की अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर होती है, यदि इसको ढेखने की सही दृष्टि हम विकसित कर सकें। बच्चों के विचारने, कार्य करने, प्रश्नों व पहेलियों के हल सुझाने में ताजगी व सृजनशक्ति को शिक्षक कुण्ठित न कर दे, यही उसका सर्वोपरि दायित्व है। इसको पहचानना ही उसकी संवेदनशीलता है।

**प्रस्तावना -** प्रारम्भिक अवस्था में शिशु का शरीर कुछ कोष्ठों का केवल योग होता है तथा जन्म के समय जो उसे जैवकीय वंश परम्परा से तत्व प्राप्त होते हैं, वे अकेले शिशु को इस योग्य नहीं बना पाते कि वह अपने सामाजिक परिवेश के साथ सफलतापूर्वक समायोजन कर सके। वास्तव में शिक्षा व्यक्ति में वह अपेक्षित आदर्ते, कौशल तथा अभिवृत्तियाँ विकसित करने का माध्यम है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है।

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की अहम भूमिका है। शिक्षा बाल केन्द्रित होती है। शिक्षा समाज के उद्भवन तथा राष्ट्र के कल्याण के लिए होती है। शिक्षा की यह प्रक्रिया शिक्षिकों के द्वारा संचालित होती है। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह बालकों, समाज और राष्ट्र के कल्याण हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों का दायित्वपूर्ण संचालन करे। शिक्षक छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए जवाबदेह, जिम्मेदार और उत्तरदायी है। बालक यदि विकसित होता है, कक्षा में प्रथम आता है, समाज में प्रतिष्ठा पाता है, राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण कार्य करता है, तो उसकी वाहवाही शिक्षक को ही मिलती है। यदि बालक अनुकूल होते हैं, अनुशासनहीन बनकर समाज में दृव्यवहार करते हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगते हैं, तो इसके लिए गाली भी उसी को सुननी पड़ती है। शिक्षक अपने दायित्व को जितनी प्रामाणिकता से पूर्ण करता है उसी अनुपात में शिक्षा और बालकों का विकास होता है। अतः शिक्षकों में दायित्व बोध की मात्रा ही वह कसीटी है जिसके आधार पर हम किसी भी शिक्षक को अच्छा या बुरा शिक्षक कह सकते हैं।

शैक्षिक दायित्व शिक्षिकों की एक ऐसी मानसिक अवस्था, रुझान अथवा कर्तव्य संकल्प है जिसके फलस्वरूप शिक्षक अपने क्रियाकलापों के प्रति समर्पित तथा जागरूक रहते हुए अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर शिक्षा के हित में ही कार्य करता है।

1. शिक्षकों का छात्रों के प्रति दायित्व बोध,
2. शिक्षकों का अभिभावकों के प्रति दायित्व बोध,
3. शिक्षकों का विद्यालय के प्रति दायित्व बोध,

#### 4. शिक्षिकों का समाज के प्रति दायित्व बोध

**शिक्षा का शाब्दिक अर्थ -** शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के 'एजूकेशन' का हिन्दी रूपान्तरण है। इसकी उत्पत्ति लेटिन भाषा के 'एड्यूकेटम' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है—ज्ञानार्जन करना।

शिक्षित करना अथवा शिक्षण कला। इसमें 'ई' का अर्थ—अन्दर से तथा ड्यूको का अर्थ है—प्रशस्त करना या आगे बढ़ाना। इस प्रकार एजूकेशन का शाब्दिक अर्थ है कि 'बालक के अन्दर छिपी शक्तियों का बाहर की तरफ सम्पूर्ण विकास करना।'

'अन्तर्निहित प्रतिभाओं को बाहर निकालना था विकसित करना शिक्षा या Education है।'

**भारतीय ग्रन्थों के अनुसार शिक्षा का अर्थ-** शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत की शिक्षा धारा से हुई है, जिसका अर्थ है—ज्ञानार्जन करना। उपनिषद् में शिक्षा को आत्मान तथा ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया कहा गया है। एक अन्य भारतीय ग्रन्थ में 'सा विद्या या विमुक्तये कहकर मुक्ति को विद्या का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह वातावरण से अंगीकृत है और यह लगातार चलने वाली वह प्रक्रिया है, जो जीवन भर चलती है।

**आधुनिक युग में शिक्षा का महत्व -** मानव के विकास में ज्ञान का भी विशेष महत्व है। आज व्यक्ति जो भी प्रगति एवं आगे बढ़ रहा है, वह सब ज्ञान के माध्य से ही बढ़ रहा है। जैसे—जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता जा रहा है, उसका ज्ञान भी बढ़ता जा रहा है। आज मनुष्य के ज्ञान के कारण सूर्य एवं चन्द्रमा तक पहुँच गया है। आज का व्यक्ति सभी कार्य कर सकता है। उसके लिए सभी कार्य बहुत ही सरल हैं।

यदि देखा जाये तो शिक्षा कृत्रिम है और ज्ञान नैसर्जिक। शिक्षा किसी के द्वारा दी जाती है और ज्ञान का अनुभव करने के बाद ही पता चलता है।

संक्षेप में, शिक्षा ही ऐसा धन है जो बाटने से कभी नहीं घटता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन का मूल आधार शिक्षा होना चाहिए।

\* एसोसिएट प्रोफेसर, शार. शिक्षा विभाग दि.जे. महाविद्यालय, बड़ौत (उ.प्र.) भारत

\*\* शोधार्थी, सिंघानिया विश्वविद्यालय (राजस्थान) भारत

### संदर्भ साहित्य की समीक्षा

यादव आकांक्षा (2012), 'शिक्षकों की भूमिका व कर्तव्यों पर पुनर्विचार' शोध पत्र में पाया कि शिक्षा सिर्फ अक्षर-ज्ञान या डिग्रियों का पर्याय नहीं हो सकती बल्कि एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों का दिलो-दिमाग भी चुस्त-दुरुस्त बनाकर उसे वृहद आयाम देता है। शिक्षक का उद्देश्य पूरे समाज को शिक्षित करना है। शिक्षा एकांगी नहीं होती बल्कि व्यापक आयामों को समेटे होती है।

डा. राधाकृष्णन शिक्षा को जानकारी मात्र नहीं मानते बल्कि इसका उद्देश्य एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। शिक्षा के व्यवसायीकरण के विरोधी डा. राधाकृष्णन विद्यालयों को ज्ञान के शोध केंद्र संस्कृति के संबाहक मानते थे। यह डा. राधाकृष्णन का बड़प्पन ही था कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे वेतन के मात्र चौथाई हिस्से से जीवनयापन कर समाज को राह दिखाते रहे।

शर्मा, बी. बी. (2007) ने, अपने आलेख 'शिक्षक और शिक्षार्थी: समाज के दो पहलू' में पाया कि बच्चे में प्रारम्भ से ही सही संस्कारों को जन्म देना परम आवश्यक है जिससे भविष्य में उत्तम निखार आ सके और ये सब अच्छी शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है। इसके लिए शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की कड़ी को मजबूत बनाने के लिए दोनों कर्त्ताओं को अपने-अपने कर्तव्यों का सही निर्वाह करना चाहिए, जिससे समाज में शिक्षा ऊपरी प्रकाश संदेव प्रकाशित रहे और अज्ञान ऊपरी अन्धकार संदेव के लिए हमारे देश से जड़ से समाप्त हो सके।

मखीजा, कुलभूषण लाल (2007) ने, अपने आलेख 'पालक, शिक्षक का यथार्थ दायित्व' आधुनिक शिक्षा जगत में शिक्षक की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक को समुचित मानदेय, वेतन तथा साधन उपलब्ध कराए जाएँ तब वह पालक वर्ग के समान ही भावी नागरिकों वर्तमान छात्रों के रखरख निर्माण में सार्थक सहयोग दे सकता है। सामान्यतः शिक्षक वर्ग के वर्तमान छात्रों के निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाने में तल्लीन रहता है। अपने विशेष-विशेष तक ही उसका ध्यान केन्द्रित रहता है।

सिंह, तेज प्रताप (2006) ने, शीर्षक 'शिक्षक गिरावट का जिम्मेदार कौन?' में पाया कि वह देश जो ऋग्वेद सहित अनेक वेदों का रचनाकार है। जिसने विश्व को सश्यता और संस्कृति की दीक्षा दी। जो अनेक सदियों तक विश्व का पुरोधा बना रहा, उस देश की शिक्षा गिर चुकी है। यह सुनकर दुखद आश्चर्य होता है। गिरावट शब्द सुनते ही मन में एक धिनौनी स्मृति छा जाती है। यद्यपि कहीं-कहीं गिरावट का अर्थ अच्छाई से लगाया जाता है। जैसे यदि व्यक्ति के स्वार्थ, लोभ, मोह, क्रोध आदि में गिरावट दिखाई पड़े तो अच्छी बात है, लेकिन यदि चरित्र, कर्तव्य, धर्म, सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों में गिरावट आती है तो व्यक्ति की सामाजिक मृत्यु हो जाती है।

सिंह, श्रवण (2006) ने, 'शिक्षा के गिरते हुए स्तर को कैसे ऊँचा उठाया जाये?' अपने प्रपत्र में पाया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में समाज का अनावश्यक दखल अथवा दूषित राजनीति शिक्षक-समुदाय की सुरक्षा के लिए खतरनाक सिद्ध हो रही है। जो शिक्षक पहले आदर्श, त्याग और तपस्या के सहारे बिना खौफ के स्वच्छन्द वातावरण में बच्चों को शिक्षा देते थे, जिन्हें समाज अपना पढ़-प्रदर्शन एवं राष्ट्र-निर्माता मानता था, आज उन्हीं शिक्षकों पर उल्टे-सीधे लाँचन लगाये जाते हैं।

गाँधी, जगदीश (2006) में, 'उद्देश्यपूर्ण शिक्षा द्वारा ही समाज के अन्धकार को रोका जा सकता है!' शीर्षक में पाया कि बच्चों की शिक्षा का कार्य संसार की सभी सेवाओं में श्रेष्ठतम माना गया है। शिक्षा के द्वारा ही

मनुष्य जीवन जीने की कला सीखता है। आज संसार में जो आपाधारी दिखाई दे रही है उसके मूल में उद्देश्यहीन शिक्षा ही मुख्य कारण है। जैसे एक व्यवसायी वही माल बनाता है जो कि बाजार में अच्छे लाभकारी दाम में बिक सके। वर्तमान भारत में शिक्षक का दायित्व हमारी भावी परिकल्पना में महान् आदर्श या मूल्यों को हमें शामिल करना होगा। इस प्रकार की परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करने के लिए शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी।

यह सत्य है कि समस्त प्राचीन बातें आज सत्य नहीं हो सकती। परन्तु हमारी परम्परा में शिक्षक अपने आप में प्रभुता-सम्पद्ध रहे हैं, साथ ही जनता के सेवक भी वे अपनी भावनाओं पर अद्भुत नियन्त्रण रखते आये हैं और मानवता को उन्होंने अपरिमित अवदान दिया है। हमारे महान् शिक्षक वे हैं जिन्होंने हमारी सश्यता को जीवन्त बनाया है। महान् शिक्षकों की बदौलत ही हमारी बौद्धिक विरासत तथा तकनीकी कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हरतान्तरित होते रहे हैं ताकि सश्यता का दीपक जगमगाता रहे। आज की वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय परम्परा को जीवित बनाये रखने के लिए शिक्षक को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी।

- प्राथमिक वस्तु शिक्षक का चरित्र है
- कर्तव्यनिष्ठा- आज दुर्भाग्य से देश में प्रत्येक क्षेत्र में कम-से-कम काम करने की वृत्ति बनती जा रही है,
- श्रम की प्रतिष्ठा- समाज में श्रम के मूल्य की पुनः स्थापना करने के लिए शिक्षक को उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- आत्मसंतोष- भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति के लिये आज होड़ लगी हुई है।
- छात्रों के प्रति संवेदनशीलता
- आत्ममूल्यांकन-शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं का मूल्यांकन करे।

**निष्कर्ष—** शिक्षक का काम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वह राष्ट्र निर्माता कहलाता है साथ ही उसे भावी नागरिकों का निर्माता भी कहा जाता है। इन कार्यों को करने के लिए उसे स्वयं को एक समर्पित व्यक्ति बनाना होगा- जिसका मनुष्य के भवितव्य में विश्वास हो, साथ ही मानवता के भवितव्य, देश और दुनिया के भवितव्य में विश्वास हो।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षक को छात्र के प्रति 'शिव' संकल्पयुक्त बनने की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध कार्य के परिणाम इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से अधिकांश परिस्थितियों में ग्रामीण एवं शहरी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षिकों के चाहे अद्यापक उनकी कार्य-संतुष्टि की तुलना में बेहतर है। इसका मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का वेतनमान निजी प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में बेहतर होना, साथ ही सेवाकाल की पूर्ण निश्चितता उनके कार्य-संतुष्टि के स्तर को बेहतर बनाती है जबकि विद्यालयों में भविष्य के प्रति असुरक्षा, वेतनमान में विसंगतिया तथा सेवाकाल की अनिश्चितता उनके कार्य-संतुष्टि को कम कर देती है। विद्यालयों में भी यदि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की भावि सेवाकाल का स्थायीकरण, भविष्यनिधि की सुविधा तथा वेतनमान की समानता प्रदान की जाए तो इनके भी कार्य-संतोष का स्तर बेहतर हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप वे शिक्षण कार्य में पूरी एकाग्रता तथा लगन एवं निष्ठा के साथ शिक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

# Radaition Hazards-Sources, Prevention and Control

Dr. Meena Swamy \*

**Abstract** - "Life on earth has developed with an ever present background of radiation. It is not something new, invented by the wit of man. Radiation has always been there." Eric J Hall, Professor of Radiology, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York, in his book "Radiation and Life".

Spontaneous decay of radioactive materials produces radiation. Radiation may be ionizing and non-ionizing. Alpha and beta, gamma and X-rays particles are the most common forms of ionizing radiations. Radioactive iodine is a beta particle released during nuclear plant accidents. The amount of energy the radiations can deposit in a given space varies with each type. Radiations also differ in the power to penetrate. Inside the body the alpha particle will deposit all its energy in a very small volume of tissue while gamma radiation will spread energy over a much larger volume.

**Keyword** - *Radiation, Radiology, Radioactive materials, Ionizing and non-ionizing radiation.*

**Introduction** - Radiation is a part of environment. The background radiation is contribute by tree sources namely terrestial radiation, cosmic radiation and radiation from radioactive elements in our bodies. Since ionising radiations have the capacity to ionise the molecules, so when ionising radiation enters into our body, they ionise the tissue molecules and chemical dissociation takes place. Due to this there is distortion of DNA chain and body cells take place. The cell production rare increases and malignant tumour is formed. These type of radiations are unnecessary to the body.

**Radiation Hazards** - Hence the damages due to unwanted radiation to the body parts is termed as radiation Hazards. Radiation Hazards mainly take place due to two types of sources.

1. Internal sources of radiation
2. External sources of radiation

The damaging of body cells due to radiation from external source of radiation is much less than that of internal sources or radiation.

### Radiation Hazard from the Internal source of radiation

- This type of radiation hazard are due to:

1. Deposition of radioactive nuclide by injection to the body.
2. Depositions of radioactive nuclide by inhalation in the body.
3. Deposition of radioactive nuclide by swallowing.

**Radiation Hazard from External source of radiation** - It is due to the careless handling and use of radioactive source and therapy unit of  $^{60}\text{Co}$  etc.

These two categories of hazards are due to the use of radioactive sources by workers or individuals. Also depending upon the reduction of radiation, the hazards are:

1. Due to natural radiation
2. Due to artifical radiation

**Hazard due to natural radiation** - Cosmic radiation to earth's atmosphere gives some radiation effect. The global yearly dose (average) due to cosmic radiation is 0.39 MSV. Earth crust is made of up of radioactive materials such as uranuim. Rock soils contain uranium ie. Radioactive material so they irradiate the whole body more or less uniformly. The global dose per year is 0.46 MSV

Radon is naturally radioactive gas coming from Uranium that is widespread in earth crust. It is emitted from rocks or soils. When radon is inhaled it can lodge in lung and irradiate tissue. The global dose is 1.3 MSV Food and water contain radioactive material when food and water are taken, these radioactive materials are taken, they enter int he body and irradiate tissue. The global dose is 0.23 MSV.

**Hazard due to artifical source of radiation** - The radiation hazard take place due to artificial source of radiation such as:

**Medical** - Radiation is used in medicine to diagnosis disease and to kill cancer cells. During treatment or diagnosis individuals are exposed to radiation that may cause hazards

**Institutions** - Many medical institutions discharge radioactive materials into environment that causes radiation hazard

**Environmental radiation** - Due to testing of atom bombs and other nuclear activities, radioactive materials set free in atmosphere. These cause irradiation in human due to radioactive material deposition on the ground or from inhalation of air borne radioactivity and from injectio of radioactive material in food and water.

**Nuclear power industry** - The release radioactive material at each stage int he nuclear fuel cycle

**Non-Nuclear industries** - They produce radioactive discharge in the processing of ores containing radiation. The discharged products processing of ores containing radiation. The discharged products transfer through the food chain from the population

**Accidental release of radioactive material** - In normal operation the radioactivity can be widely dispersed accidentally which causes radiation hazard

**Radiation in consumer products** - In consumer goods such as smoke detectors, luminous watches, dolls etc may emit radiaton to cause hazard.

**Effects Of Radiation On The Human Body** - Radiation can be harmful to humans. Radiation can harm people directly by damaging their cells. The cells might stop functioning, or they might be unable to reproduce. Radiation can also cause cells to reproduce in an out-of-control fashion, causing cancer. It also causes radiation sickness, an ailment with various symptoms depending on the type of radiation a person was exposed to and on the size of the dose received. Radiation sickness can be fatal when high doses of radiation are involved.

Radiation damages the cells that make up the human body.

**Low levels** of radiation are not dangerous, but medium levels can lead to sickness, headaches, vomiting and a fever.

**High levels** can kill you by causing damage to your internal organs. It's difficult to treat high radiation exposure.

**Exposure** to radiation over a long time can cause cancer. Radiation can also interfere with human reproduction. It can cause sterility, making reproduction impossible. It can also cause mutations in developing embryos, which are usually detrimental or even fatal.

There are several effect of radiation on different part of the body:-

**(1) Hair** - *The losing of hair quickly and in clumps occurs with radiation exposure at 200 rem or higher.*

**(2) Brain** - *Since brain cells do not reproduce, they won't be damaged directly unless the exposure is 5,000 rem or greater. Like the heart, radiation kills nerve cells and small blood vessels, and can cause seizures and immediate death.*

**(3) Thyroid** - *The certain body parts are more specifically affected by exposure to different types of radiation sources. The thyroid gland is susceptible to radioactive iodine. In sufficient amounts, radioactive iodine can destroy all or part of the thyroid. By taking potassium iodide, one can reduce the effects of exposure.*

**(4) Blood System** - *When a person is exposed to around 100 rem, the blood's lymphocyte cell count will be reduced, leaving the victim more susceptible to infection. This is often referred to as mild radiation sickness. Early symptoms of radiation sickness mimic those of flu and may go unnoticed unless a blood count is done. According to data from Hiroshima and Nagasaki, show that symptoms may persist*

*for up to 10 years and may also have an increased long-term risk for leukemia and lymphoma.*

**(5) Heart** - *Intense exposure to radioactive material at 1,000 to 5,000 rem would do immediate damage to small blood vessels and probably cause heart failure and death directly.*

**(6) Gastrointestinal Tract** - *Radiation damage to the intestinal tract lining will cause nausea, bloody vomiting and diarrhea. This is occurs when the victim's exposure is 200 rem or more. The radiation will begin to destroy the cells in the body that divide rapidly. These including blood, GI tract, reproductive and hair cells, and harms their DNA and RNA of surviving cells.*

**(7) Reproductive Tract** - *Because reproductive tract cells divide rapidly, these areas of the body can be damaged at rem levels as low as 200. Long-term, some radiation sickness victims will become sterile.*

**Radiation Exposure Symptoms** - Long-term exposure to small amounts of radiation can lead to gene mutations and increase the risk of cancer, while exposure to a large amount over a brief period can lead to radiation sickness. The ways symptoms manifest in cases of radiation exposure are described below.

1. Acute radiation exposure, where an individual is exposed to a large amount of radiation all at once, is usually associated with nausea and vomiting. Headache, weakness and fatigue are other symptoms. The greater the dose of radiation exposure, the more severe these symptoms of radiation sickness will be.
2. Initial nausea and vomiting symptoms usually manifest within 12 to 24 hours after mild radiation exposure. these initial symptoms may be followed by a symptom-free period before the symptoms associated with higher doses of radiation start to manifest.
3. Exposure to 2 Sv/200 rem of radiation or more causes destruction of any rapidly dividing cells in the body.
4. Other tissues made up of rapidly dividing cells are also damaged including the blood, hair follicles and reproductive tissue. Among cells that survive the damage, the DNA and RNA are damaged.

**Radiation Exposure Treatment** - In a case of radiation exposure, it is not possible to reverse the effects of any damage caused to tissues. It may be possible to alleviate some of the symptoms by using antiemetics to counteract vomiting, for example or antibiotics to fight infection if the immune system has been affected. Severla substances are also used to eliminate any remaining radioactibe materil in the body after exposure.

Some examples of the steps taken to minimize the effects of radiaiton exposure are described below;

1. The exposed individual is removed from the source of radiation.
2. Antiemetics may be used to treat nausea and vomiting/ Examples include metoclopramide, domperidone, ondansetron and granisetron.
3. Antibiotics may be administered to prevent secondary infections caused by immune system deficiency. If

- radiation exposure has led to destruction of the bone marrow, the number of healthy white blood cells produced in the bone marrow will be depleted. This reduces the body's ability to fight infection and antibiotics are therefore required to reduce the risk of infection occurring. .
4. In the event of damaged bone marrow tissue due to radiation exposure, blood transfusions and a bone marrow transplant may also be required.
  5. If only part of the body has been exposed to radiation rather than the whole body, treatment may be easier because humans can withstand radiation exposure in large amounts to non-vital body parts such as the feet, for example, without the effects being widespread across the body. For example, the hands received a dose of 100 Gy, the overall average dose across the body would be less than 1 Gy, in which case use of the hands may be lost due to severe, localized burning but the patient may not have to endure radiation poisoning.
  6. Potassium iodide is administered to prevent thyroid cancer in cases of exposure to radioactive iodine.
  7. Neumune is an androstenediol that has been developed as a radiation countermeasure and has progressed to phase I trials and achieved investigational new drug (IND) status.
  8. The bisphosphonates (used to treat osteoporosis) have also shown promise as treatments for reducing the harmful effects of radiation exposure.

**Conclusion** - Sunshine is one of the most familiar forms of radiation. It delivers light, heat and suntans. We limit its effect on us with sunglasses, shade, hats, clothes and sunscreen. There would be no life on Earth without lots of sunlight, but we have increasingly recognised that too much of it on our persons is not a good thing. Common sense and some basic information can greatly reduce radiation exposure and risk for most people. In fact it may be dangerous, so we control our exposure to it.

**References :-**

1. Radiation Hazards by Dr. Nithin Jayan and Dr. Simi Paknikar.
2. "Nikola Tesla and the Discovery of X-rays". *RadioGraphics*. **28** (4): 1189–92. By Hrabak, M.; Padovan, R. S.; Kralik, M.; Ozretic, D.; Potocki, K. (July 2008).
3. <http://www.nhs.uk/Conditions/Radiation/Pages/Introduction.aspx>
4. <http://www.epa.gov/radiation/docs/402-k-10-008.pdf>
5. [www.nuclearsafety.gc.ca/.../Introduction-to-Radiation-eng.pdf](http://www.nuclearsafety.gc.ca/.../Introduction-to-Radiation-eng.pdf)
6. [www.iaea.org/Publications/Booklets/RadPeopleEnv/pdf/radiation\\_low.pdf](http://www.iaea.org/Publications/Booklets/RadPeopleEnv/pdf/radiation_low.pdf)



# Socio Political Forces and Indian English Fiction

Dr. Rajkumari Sudhir \*

**Abstract** - Indo-English literature is basically a bi-cultural product. Though it is written by Indians and thus is an ostensible expression of Indian sensibility and its socio-cultural and philosophical milieu. It is written in English, a language that the Indians received as a colonial heritage. Now, a language cannot be considered as totally natural, for it is shaped and nourished by the cultural soil of the place where it is born and bred. And yet, it is flexible enough, as English certainly is, it can accommodate the experience of diverse people belonging to diverse races and cultures. Therefore, though English is not an Indian language, it occupies a privileged position in India even today, not only because of historical conditions but also because of its resilient flexibility makes it possible to be a medium of expression of Indian experience and sensibility.

**Key words** - bi-cultural, cultural soil, resilient, flexibility.

**Introduction** - The sociology of the Indian novel in English is a problematic subject, in the sense that it cannot be established by taking into account the conflicts that crop up between various classes. Hindu society is not meaningful in terms of Mandan ideology. Terms like "bourgeois" and "proletariat" do not illuminate the struggles and tensions which Hindu society has been subjected to since times immemorial. Moreover, the sociological landscape in India during British rule doesn't suggest any contrast between a city and a village. We don't come across in the regional literatures novels exclusively preoccupied with human problems in a metropolis like the novels of Balzac, Dostoevsky, Dickens, Thackeray, Flaubert, Zola, and Dreiser. The obvious reason appears to be that both in the city and in the country the significant classification of the population is on the principle of caste and community. People who do menial jobs are segregated to a separate area outside the city or the village.

Indian imagination, nourished on the heroic mode we have in the epics and the erotic epyllions of the middle ages, understands and dramatizes life in terms of the ideal norms of human behaviour and conduct. This imagination was exposed to Western literary realism in the-middle of the nineteenth century and since then it has preoccupied itself with the bunting social issue of the times, such as untouchability, casteism, opposition to British rule, and harassment of orphans and young widows.

**Social Reality** - Fiction, being the most flexible and popular form of literary expression today, occupies the pride of place in Indo-English literature. Novelists like Mulk Raj Anand, Raja. Rao and R.K. Narayan have acquired an international prominence. All great fiction is an artistic and imaginative reconstruction of social and human reality. But there is no one-to-one relationship between a novel and a society of

which it is a product. The relationship between the two is rather complex and dialectical. A novel is really neither a sociological tract nor a pure work of art. Those people who are obsessed with the literary purity and propaganda-free content of art are clearly the victims of a particular ideology. Whether a novelist justifies or defies his society depends upon his own ideological persuasions and predilections. V.S. Naipaul was horrified when he found from his own experience of India that the innocuous-looking social comedies of R.K. Narayan were really religious fables that attempted to justify a "cruel and overwhelming" reality.

That the major themes of Indo-English fiction are all rooted in social reality is obvious, from an excellent summary provided by S.C. Harrex in his significant book; *The Fire and the Offering: The English Language Novel of India, 1935-1970 Vol. I:*

The 1950s witnessed a steady of indo-English novel. Among the more important novels of this decade are three written by R.K. Narayan and two by Bhabani Bhattacharya, besides one each by the Mulk Raj Anand, K.A. Abbas and Khushwant Singh. Narayan's *The Financial Expert* (1952) is an ironic exposure of people's love of money because of its great power and its tenuous stability when obtained through unscrupulous and foul means.

During the 1960s, more than three dozen significant novels were published. Mulk Raj Anand's *The Old Woman and the Cow* (1960) and *The Road* (1961) express the theme of the necessity of emancipating women and the untouchables from the shackles of blind tradition, humiliating servility and unjust social oppression, while his *Death of a Hero* (1963) is a passionate protest against the unholy-alliance between religious fanaticism and political aggression.

Raja Rao is basically a novelist of spiritual India and

his novels reveal a marked metaphysical predilection. His two novels published during the sixties are both exercises in metaphysical speculation on the nature of human existence. Bhabani Bhattacharya's recording of social reality sometimes acquires allegorical undertones. His *A Goddess Named Gold* (1960), though ostensibly a diatribe against people's mad worship of money, is, actually a parable of freedom.

Ruth Jhabvala is penetratingly aware, of the moral, psychological, and human problems arising out of the dialectical relationship between man and society in India. She also deals in her fiction with the dilemmas implicit in - the interaction between European and Indian cultures.

The fictional world of Anita Desai is located in the corridors of human consciousness. She is almost obsessively concerned with the dark, uncannily oppressive, inner world of her intensely introverted characters. Manohar Malgonkar's concern in his novels is with the psychological and historical impact of war and conflict on social institutions, national affairs and human sensibility.

The 1970s have produced nearly two dozen significant novels, half of which are written by women novelists. Santha Rama Rau's *The Adventuress* (1971) is a picturesque novel about a woman's search for fulfillment in a world of crumbling values and ideals. Kamala Markandaya's *Two Virgins* (1975) has for its theme the agonizing consequences of lack of sex education, while her *The Nowhere Man* (1973) deals with the predicament of man in a society torn by class rivalries and racial antagonisms, particularly the pathetic fate of colour immigrants in England.

The year 1976 belonged to the leading trio of male novelists - Anand, Narayan and Rao- who produced a novel each, while 1977 belonged to the leading trio of women novelists — Markandaya, Sahgal and Desai — who similarly published one novel each during this year. R.K. Narayan's *The Painter of Signs* is a subtle exploration of the relationship between two fascinating characters Raman and Daisy one being thoroughly conventional and the other cherishing advanced ideas about woman's independent personality and existence .

Kamala Markandaya's *The Golden Honeycomb* (1977) is a novel of epic dimensions and provides an excellent critique of Capitalism and colonialism, both of which user religion as their handmaid o exploitation, along with the pernicious influence of the Brahmins and the British on the Indian psyche through their intricate network of the ceremonial and puppetry.

**Political Consciousness** - The nascent national political consciousness in India which was slowly percolating to the grass-roots has been faithfully mirrored in Indo-Anglican fiction. Indeed this sense of commitment to national awareness was an important factor which made the early novelist chisel the genre \_M.K. Naik in his study of the evolution and growth of Indo-Anglican fiction, notices the unbnlcial link between political consciousness and the Indian

novel in English.

Political consciousness flows in the very life-blood of Indo-Anglican fiction Political consciousness, with which the novels of the early practitioners of Indo-Anglican fiction are imbued, can also be viewed as part of the novelists' Endeavour to relate themselves to the mainstream. The intelligentsia in the pre-Independence phase found itself in an unenviable position of being the privileged unprivileged-privileged for they possessed western education social clout, and often wealth to boot; unprivileged for they were actually aware of their subject-status in a subjugated state, their education and other distinctions only serving to heighten the unsavory reality.

The English contributed in another way too. Western education through the medium of the English language exposed the Indians to English constitution, the British institutions, the idea of freedom and other liberal political ideologies. This gave them new ambitions against the colonial experience by defining their vague aspirations into a shape and direction. This aggrieved elite, made politically conscious but also left high and dry economically on account of the discriminatory policies of the government in matters of employment and commerce, threw up leaders like Bal Gangadhar Tilak, Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal who were to function as disseminators of this consciousness. The second half of the 19th century witnessed the flowering of national political consciousness and the foundation and growth of an organized national Movement. While the news of the Russian Revolution (November 1917) put heart into the nationalists, the Montagu-Chelmsford Reforms failed to enthuse there. The advent of Gandhi into the political arena provided a new light of hope. Gandhi brought a sea-change in the Indian scenario by making the people not only politically conscious but also politically active. Political inactivity, the irrelevance of the Khilafat cause after the abolition of the Caliphate in Turkey, and frustration led to the outbreak of communal violence in different parts of the country in 1924, '25 and '26, engulfing even small town ships. Another ominous development was the emergence of sectional political groups, particularly among the so-called 'untouchables' and other depressed classes.

The Government of India Act (1935) brought the princely states into the national mainstream, for the Federal Union was to comprise of them as well as of the provinces of British India. The immediate post-Independence phase saw a soaring of hopes despite the pricks of prohibition, obscurantism and socialism felt in some quarters. The era of planned development was heralded and the first two plans were quite successful. However, as real politic replaced abstract, airy Utopias there grew a general disenchantment with politics and politician.

To recapitulate in brief the growth of political consciousness in India, there were discerned three stages, neatly marked out. These stages didn't materialize in sequential order, for, given the geographic and socio-economic complexity of the country, the simultaneous

existence of two or more stages would be easily possible. Perceiving the British Raj as their *mai-bap*, early Indians sought to attain political adulthood under the benign guidance of their colonial masters. This was the first phase. Then, as the awareness of the wise gulf between expectation and reality sank in, widespread disenchantment followed. Therefore, the second phase was a reaction to the first and heralded a revival of traditional values to counterbalance the shame of subjugation. The awareness of subjugation and faith in regenerated tradition was followed by a demand for greater political participation. This was the third phase. All these phases are well-mirrored in Indo-Anglican fiction as the following examine would illustrate.

Early novels like *A Journal of Forty Eight Hours of the Year 1945* (1885) by K.C. Dutt, *The Republic of Or is s a—Annals From the Pages of the 20th Century* (1845) by S.C. Dutt and Govinda Samant (1874) by Lai Behari Day depict a stage when national political consciousness had not yet developed and the perspective was necessarily blinkered. *The Prince of Destiny* (1909) by S.K. Chose and Hindupore (1909) by S.M. Mitra, both exhibit the state of political consciousness of the time when the foreign rule was deemed a divine dispensation and the endeavour was to groom the people for self-governance.

*Murugan the Tiller* (1927) and *Kandan the Patriot* (1932) by S.K. Venkataramani are novels full of Gandhian politics, exploring and applauding the ideals of Satyagraha and overtly calling on the Indians to work for freedom and regeneration as a nation. Raja Rao's *Kanthapura* (1938) stands in a peculiarly advanced position with regard to its success in capturing the whole gamut of the complex phenomenon that Gandhi was.

Mulk Raj Anand's *Morning Face* (1968) is set in the early years of the 20th century with Gandhi having just entered the Indian stage, and cast a spell with his political Utopia, *Hind Swaraj*. Waiting for the *Mahatma* (1955) by R.K. Narayan captures to some extent the charisma of Gandhi and also his essential humanity. The Quit India movement is projected as the only political strategy which could wield the nation together.

Aamir Ali's *Conflict* (1947) depicts another dimension of the Independence movement: the youth-Hindus or Muslims - as the harbingers of the escalating national political consciousness, spreading the eddies to the remotest village in the tumultuous 1940's. *Train to Pakistan* (1956) by Khuswant Singh, *The Rape* (1974) by Raj Gill and *Ashes and Petals* (1978) by H.S. Gill—all convey a consciousness of the human waste in the wake of Partition.

Mulk Raj Anand's *Death of a Hero - Epitaph for Maqbool Sherwani* (1963) presents one significant aspect of the post-Independence reality—the confrontation between democracy and secularism on the one hand and religious bigotry and obscurantism on the other.

Indo-Anglican fiction has thus been imbued with

political consciousness and reflects the chequered political history of the nation's awareness. Bhattacharya, Malgonkar and Sahgal hail from different and distant geographic regions and have their differences of perspective and temperament. Yet they belong to the same group insofar as the political consciousness with which their novels are imbued is concerned.

There are studies of nationalism, as reflected in fiction. G.P. Sarma's *Nationalism in Indo-Anglican Fiction* and Suresh Ranjen Bald's *Novelists and Political Consciousness - Literary Expression of Indian Nationalism 1919-1947*. Nayantara Sahgal's novels present even more obviously a chronological account of Indian politics from the last phase of the freedom struggle to the breakdown of democracy in mid-1970s. Nayantara Sahgal fairly reflects the new crop of post- Independence leaders.

What is perhaps Nayantara Sahgal's singular-most achievement is her perceptive depiction of the political scene. She gazes at the politics of the time so minutely that even mere straws in the present air spring into view as tokens of typhoons in store.

We have already seen that one significant aspect of the treatment of political consciousness in the novels of Bhattacharya, Malgonkar and Sahgal is that the narrative is frequently interspersed with objective accounts of the political development. An example of the artistic exigencies of such incorporation would obviously form part of this study. **Conclusion** - Fiction is the expression of the most intimate social awareness of the society in which it is born and evolves. It can well be perceived as society ruminating aloud and bringing into focus its very sinews. All great fiction is an artistic and imaginative reconstruction of social and human reality.

The Political novel has flourished numerically in Indian writing in English. "Politics in a work of literature", as Stendhal has said in a well-known passage, "is like a pistol-shot in the middle of a concert, something loud and vulgar, and yet a thing to which it is not possible to refuse one's attention." But it is possible to make the sound of the pistol-shot and indeed the very din of politics an organic element in the fictional symphony, transforming what is merely 'loud and vulgar' into an element which has an integral role to play in the music of the fictional sphere.

#### References :-

1. Auden, W.H. "The Novelist." *W.H. Auden: Collected Poems*. London : Faber and Faber, 1976. 147. Print.
2. Bhattacharya, Bhabani. "Tagore as a Novelist." *Rabindranath Tagore : A Centenary Volume*. Ed. S. Radhakrishnan. New Delhi : SahityaAkademi, 1961. 101. Print.
3. *Music for Mohini*. New Delhi: Orient Paperbacks, 1952. n.p. Print.
4. -"Literature and Social Reality." New Delhi : The Aryan Path, Sep 1955. 128. Print.
5. Chand, Tara. *Freedom Movement*. New Delhi: Government of India Publication, 1967.II.

- 74-7, 388. Also Ram,Tulsi. *Trading in Language*. Delhi: G.D.K. Publications, 1983. 238. Print.
6. Chandra, Bipan et al. *Freedom Struggle*. New Delhi: National Book Trust, 1980. Print.
7. Chandra, Bipan. *Modern India*. New Delhi: NCERT, 1971. Print.
8. Deutsch, Karl W. *Nationalism and Social Communication*. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press, 1967. Print.
9. Goyal, S. Bhagwat. "Indo-English". *Contemporary Indian Literature and society*. Ed. Jotwani, Motilal Wadhumal. New Delhi: Heritage Publishers, 1979.34. Print.
10. Iyengar,K.R,Srinivasa. *Indian Writing in English*. New Delhi : Sterling ,rev. ed., 1984. 314-20. Print
11. Leavis, F. R. *Lectures in America*. New York: Doubleday, 1969. Print.
12. Malik, Yogendra K., ed. *Politics and the Novel in India*. New Delhi: Arnold Heinemann, 1978. Print.
13. Narayan, R. K. *The Guide*. New Delhi: Orient Paperback, 1984. Print.
14. Nehru, Jawaharlal. *The Discovery of India*. New York, Anchor Books,1959.Print.
15. Narayan, R. K. *The Guide*. New Delhi: Orient Paperback, 1984. Print.
16. Rao, Raja. *Kanthapura*. Madras : OHP, 1974. Print.
17. *The Cow of the Barricades and other stories*. Madras : OUP, 1947. Print.
18. *The Serpent and the Rope*. Delhi : Hind Pocket Books, 1968. Print.
19. *The Cat and Shakespeare*. Delhi : Hind Pocket Books, 1971. Print.
20. Roy, Arundhati. *The God of Small Things*. New Delhi: India Ink, 1977. Print.

\*\*\*\*\*

## हिन्दी महिला लेखन-सर्वेक्षण

डॉ. मिथिलेश अग्रिहोत्री \*

**प्रस्तावना** – हिन्दी साहित्य में महिला लेखन की विशिष्टता अत्यंत उल्लेखनीय है, आधुनिक काल में सभी शिक्षा के प्रसार और नवजागरण इत्यादि के कारण छियाँ समाज में ही नहीं, साहित्य में भी सामने आई हैं।

इस युग में महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी कवियित्रियां हुईं। इन रचनाकारों ने काव्य के क्षेत्र में ही नहीं गद्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत विशेषकर 'नई कविता और नई कहानी' उपन्यास जैसे आनंदोलनों के फलस्वरूप महिलाओं का एक बड़ा वर्ग सृजन में सक्रिय हुआ और उन्होंने महिला लेखन को नई दिशा दी और उसकी नई पहचान बनाई। यह तथ्य निर्विवाद रूप से सत्य है कि स्वतंत्रता के बाद हिन्दी कथा लेखन में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति सक्रिय रूप से ढर्ज की है। नारी जागरण और लड़ी शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार के कारण महिला रचनाकारों की एक सशक्त पीढ़ी का उदय हुआ है, जिसमें शिवानी, कृष्णासोवती, दीसि खण्डेलवाल, मृणाल पाण्डेय, नासिरा शर्मा, सूर्यबाला, मणिका मोहिनी, प्रतिमा वर्मा, सुधा अरोरा, इन्दुबली एवं मालती जोषी ने अपना नाम दत्तिहास में ढर्ज कर लिया है।

शकुन्त माथुर, मन्मू भण्डारी, कृष्ण सोवती जैसे नाम इस संदर्भ में सहज ही याद आते हैं, किन्तु सातवें दशक के उपरान्त महिला लेखन के क्षेत्र में रचनात्मकता का जैसा विस्फोट हुआ है वह हिन्दी साहित्य की परम्परा में अद्वितीय है। इसके अनेकानेक कारण है। सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति अब तक लगभग रवीकार्य हो चुकी थी। वे प्राध्यापक, पत्रकार, अधिकारी, राजनेता, वैज्ञानिक, उद्यमी, अभियंता, एकटीविस्ट जैसे उन क्षेत्रों में भी सक्रिय हुईं जो अभी तक पुरुषों के लिये ही सुरक्षित माने जाते थे। महिलाएं इस दौर में शिक्षित हुईं और विश्व साहित्य से उनका परिचय हुआ। उन्होंने इस्मिन-दा बुआ जैसी लेखिकाओं को पढ़ा।

भारत में ही कमलादास और अमृता प्रीतम, शोभा डे जैसी लेखिकाओं ने जीवन और साहित्य में अनेक दुरसाहस पूर्ण प्रयोग किये। महिलाओं ने परम्परागत वर्जनाओं के तोड़ा और यह घोषणा की, लड़ी जीवन के अनेक सत्य ऐसे हैं जिनका ज्ञान केवल छियों को ही हो सकता है। मनोविज्ञान, जैविक इत्यादि के नन से युक्त इन महिलाओं ने विमर्श की एक नई कोटि स्थापित कर दी। तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा से उपजा विवाद और उसके फलस्वरूप बांलादेश की लेखिका को मिली प्रतिष्ठा ने हिन्दी की महिला रचनाकारों को भी एक आत्मविश्वास दिया। हिन्दी में इस समय जितनी लेखिकाएँ सृजनरत हैं, उतनी पहले कभी नहीं रहीं। इस समय महिला विष और दलित विमर्श हिन्दी की जितनी चर्चित प्रवृत्तियाँ हैं उतनी कोई अन्य प्रवृत्ति नहीं है। अलका सरावगी, प्रभा खेतान, मैत्री पुष्पा, राजी सेठ, चित्रा मुद्रल, मालती जोषी, मेहरबन्ही गरिमा परवेज, मृदुला गर्ग, मंजुला भगत, मृणाल पांडे, गीतांजलि श्री, मधु काकरिया, जया जादबानी, महुआ माजी जैसी अनेकानेक लेखिकाओं ने समाज और जीवन

में अनेक अगम्य और लगभग निश्चिद्ध रचनात्मकता के प्रमाण प्रस्तुत किये हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार ने महिलाओं के अंतर्चितन अस्तित्व को एक नया रूप दिया सन् 60 के बाद महिला तथा लेखिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। पुरुष कथाकारों की तुलना में महिला कहानीकारों की रचनाएँ अधिक संवेदनशील यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक हैं। परिवेश के परिवर्तन की गतिमानता के चलते महिलाओं की स्थिति ने अकल्पित उचाईयों को ही पार नहीं किया बल्कि अपनी स्वतंत्रता के जये – नये प्रतिमान भी गढ़े हैं। अपने परिवेश की सामाजिक मान्यताओं को नकारते हुये अपने होने की अहमान्यता को स्वीकार करवाने की उहा-पोह में कभी जीवन को सुलझाने की चेष्टा की, कभी स्वयं को उलझाया भी है। इन महिलाओं की कहानियों में स्वतंत्र चेतना लड़ी के विरोध का स्वर स्पष्ट दिखाई देता है। वेदों पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित नारी के ढायरे के टूटने से अब उसकी वह छबि या सुरक्षा या सम्मान की सामाजिक परिवारिक चिंता का संरक्षण वाला अगला स्वरूप टूटकर स्वयं में रोणता की नाजुक भाँतियों को त्यागति वह आज विमर्श के रूप में पुरुष के समक्ष समान रूप, अधिकार और कर्तव्यों, के मापदण्ड स्वयं ही नहीं गढ़ रही है, वरन् समाज और कानून को उसे कसने के लिए बाध्य कर रही है। कुछ आलोचकों का मानना है कि कृष्णा सोबति की 'ऐ लड़की' के माध्यम से पीढ़ियों और बदलाव और संघर्ष की कहानियाँ हैं। पुरानी पीढ़ी की माँ चिंतित है। चाहती है कि बेटी उसके अनुभवों से कुछ सीख लें, परंतु नई पीढ़ी की बेटी आत्म सम्पन्न है, माँ के अनुभवों से निःसंत किंवित उसके किसी काम के नहीं।

इस प्रकार इन महिला कथाकारों की कहानियों में प्रभुत्व लड़ी विमर्श के रूप में स्थापित हुई है। वह अपने अधिकारों के प्रति संरक्षित है। वह अपनी भावनाओं और आवश्यकताओं की महत्ता प्रतिपादित करने वाली नारी है। वह अपनी मानसिक और शारीरिक अहम मान्यता के समक्ष पुरुष से समझौता कर सकती है। वह परिवार के ढायरे से बाहर जूँझने को तैयार है। वह भावना और कल्पनाओं को भी महत्व देती हुई मानव होने का हक प्राप्त करने को आनंद लेती है। वह नारित्व से जुड़ी संकल्पनाओं से परे समान अस्तित्व को तलाशती अच्छे और बुरे के भेद को स्पष्ट करते हुए अपने वजूद को मनवाना चाहती है। लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद आधुनिकता की ढोड़ में ये लेखिकाएँ मीडिया और पार्श्वात्मक संस्कृति से प्रभावित होकर वह संदेश जो साहित्य और समाज की श्रेष्ठता का परिचायक है बहुत कम कथा लेखिकाएँ देती हैं।

संभावना है कि आने वाले समय में ये कथा लेखिकाएँ अपने समाज-परिवेश अभिभूत सत्यों को समाज के समक्ष प्रत्यक्ष करती समाज में नये मूल्यों की स्थापना करने में सक्षम होंगी, समाजता के सम्मान को प्राप्त करती घर-परिवार की संरचना में परिवर्तन लाकर भी उसकी पुरातन आदर्शवादी गरिमा को स्थापित करने की दृष्टि को स्थापित करेंगी।

\* विभागाध्यक्ष (हिन्दी) राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

## मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम की योजनाओं का हितग्राहियों की आर्थिक स्थित पर प्रभाव

**डॉ. रावेन्द्र सिंह पटेल \***

**प्रस्तावना** - म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25 (लाभ के लिए नहीं) के अंतर्गत 29 सितम्बर 1994 में की गई। निगम द्वारा प्रदेश के आदिवासी जनों के कल्याणार्थ विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन 01 अप्रैल 1995 से प्रारंभ किया गया है।

म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्वरोजगार योजनाएँ, भारत सरकार द्वारा म.प्र. के लिए घोषित आदिवासी सदस्यों की स्वरोजगार प्रदाय करने की योजनाएँ हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से इस वर्ग के सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में परिवर्तन आवेगा। आदिवासी वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो स्वरोजगार इकाई स्थापित करना चाहते हैं परन्तु आर्थिक परिस्थितियों के कारण स्वरोजगार इकाई नहीं लगा पाते हैं, उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए निगम द्वारा वित्तीय सहायता के साथ-साथ अन्य सहायता भी प्रदान की जाती है। आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा ट्रैक्टर ट्राली योजना, बकरी पालन योजना, डेयरी फर्मिंग योजना, साईकल रिक्षा योजना, ट्रक योजना, फोटो कॉपिंयर योजना, जनरल स्टोर योजना, मिनी राइस मिल योजना, आटाचक्की योजना, मेडिकल स्टोर योजना, ईंट निर्माण योजना, प्रिंटिंग प्रेस योजना, बास टोकरी योजना एवं झाड़ु निर्माण योजना आदि हैं। निगम द्वारा प्राप्त होने वाले ऋण की अधिकतम सीमा रु. 10 लाख प्रति इकाई है, जिसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा योजना लागत का 90 प्रतिशत एवं म.प्र. सरकार का योजना लागत का 5 से 15 प्रतिशत है। आदिवासी हितग्राही का हिस्सा एक लाख तक की योजना लागत पर कुछ नहीं, एक लाख से 2.50 लाख तक की योजना लागत पर 2 प्रतिशत, 2.50 लाख से 5 लाख तक 3 प्रतिशत एवं 5 लाख से अधिक पर 5 प्रतिशत लागत लगानी पड़ती है। इसमें ऋण अदायगी का समय 5 वर्ष से 10 वर्ष तक होता है। निगम द्वारा बहुत ही कम ब्याज दर पर अनुदान के साथ ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

### उद्देश्य :

1. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं का हितग्राहियों की आय पर प्रभाव।
2. निगम की योजनाओं का हितग्राहियों के परम्परागत व्यवसाय, व्यवसायिक गतिशीलता एवं रोजगार सृजन पर प्रभाव।
3. निगम को ऋण प्रदान करने में एवं हितग्राहियों को ऋण प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं का अध्ययन।

**शोध प्रविधि** - यह शोध मेरे पी-एच.डी. के अध्ययन पर आधारित है। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक ढोनों समंकों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक समंकों के संग्रहण के लिए साक्षात्कार विधि एवं अवलोकन विधि का सहारा लिया गया है। द्वितीयक समंकों का संग्रहण आदिवासी वित्त एवं विकास

निगम की मार्गदर्शिका, रिपोर्ट एवं विभिन्न पुस्तकों, पत्र एवं पत्रिकाओं से किया गया है। इसमें अध्ययन क्षेत्र के रूप में सतना जिले का चयन किया गया है तथा केवल उन्हीं हितग्राहियों का चयन किया गया है जो 1996-97 से 2011-12 के मध्य ऋण प्राप्त किए हैं।

**आय** - आदिवासी समाज में अजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। अधिकांश आदिवासी अपनी अजीविका कृषि - श्रम से प्राप्त करते हैं। शर्मा, मूर्ति और सिंह (1988) ने आदिवासी क्षेत्रों में असमान आय एवं निर्धनता स्थिति का विश्लेषण करते हुए पाया कि आदिवासी क्षेत्र में उच्च असमानता है। आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए जो ऋण प्रदान किया गया है, उसके प्रभाविता का अध्ययन किया गया जो निम्नलिखित है :-

### आय संबंधी जानकारी

| वास्तविक आय<br>(मासिक/रु. में) | ऋण के पहले |            | ऋण के बाद |            |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
|                                | आवृत्ति    | प्रतिशत    | आवृत्ति   | प्रतिशत    |
| 2000 से कम                     | 20         | 40         | 05        | 10         |
| 2000-4000                      | 12         | 24         | 20        | 40         |
| 4000-6000                      | 10         | 20         | 08        | 16         |
| 6000-8000                      | 06         | 12         | 11        | 22         |
| 8000 से अधिक                   | 02         | 04         | 06        | 12         |
| योग                            | <b>50</b>  | <b>100</b> | <b>50</b> | <b>100</b> |

### स्रोत - व्यक्तिगत सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि ऋण प्राप्त करने के बाद हितग्राहियों की आय में वृद्धि हुई है क्योंकि ऋण के पहले कम आय वर्ग में हितग्राहियों की संख्या अधिक थी, बाद में हितग्राही अधिक आय वर्ग की ओर शिफ्ट हुए है। रोजगार - रोजगार किसी भी व्यक्ति के अजीविका का प्रमुख साधन होता है। बिना रोजगार के व्यक्ति की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। आदिवासी वित्त एवं विकास निगम ने आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को सूखण करने का बींगा उठाया है। हितग्राहियों से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है -

### रोजगार संबंधी जानकारी

| रोजगार(दिनों<br>में/वार्षिक) | ऋण के पहले |            | ऋण के बाद |            |
|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
|                              | आवृत्ति    | प्रतिशत    | आवृत्ति   | प्रतिशत    |
| 100 से कम                    | 30         | 60         | 02        | 04         |
| 100-200                      | 12         | 24         | 05        | 10         |
| 200-300                      | 06         | 12         | 12        | 24         |
| 300 से अधिक                  | 02         | 04         | 31        | 62         |
| योग                          | <b>50</b>  | <b>100</b> | <b>50</b> | <b>100</b> |

### स्रोत : व्यक्ति सर्वेक्षण

\* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि आदिवासी वित्त एवं विकास निगम रोजगार सृजन करने में सफल रहा है तथा हितग्राहियों को स्वरोजगार प्रदान कर उनकी अजीविका की सुरक्षा मुहैया करा रहा है।

**निष्कर्ष** – आदिवासी वित्त एवं विकास निगम सतना ने अपने हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराकर न केवल उनकी आय में वृद्धि की है, बल्कि उनको स्वरोजगार भी मुहैया कराया है। इससे हितग्राही निम्न आय स्तर से उच्च आय स्तर की ओर अग्रसर हुए हैं। अध्ययन में पाया गया है कि लगभग 70 प्रतिशत हितग्राही को ऋण प्राप्त करने हेतु निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी को धूस ढेनी पड़ती है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि मात्र 02 प्रतिशत हितग्राही ही अपनी ऋण किस्त समय पर चुकाते हैं तथा 48 प्रतिशत हितग्राही अपना ऋण चुकाते ही नहीं हैं।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आदिवासी वर्गों के लिए स्वरोजगार योजनाओं की नियमावली 1995, आ.वि.वि. निगम म.प्र. शासन भोपाल 1990, पृ. 01
2. मार्गदर्शिका एवं प्रक्रिया 1998, म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, म.प्र. शासन भोपाल, पृ. 06
3. शर्मा, आर.बी, एच.आर. मूर्ति एवं के सिंह हिमाचल प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में असमानता एवं गरीबी जर्नल ऑफ रसरल डेवलपमेंट, वाल्यूम 7, नं. 3 पृ. 323
4. गिलिन एण्ड गिलिन 'कल्चर सोसियोलॉजी' पृ. 282
5. डी.एन. मजूमदार 'रेसेज एण्ड कल्चर्स ऑल इंडिया' बाम्बे, 1958, पृ. 93
6. ब्रह्मादेव शर्मा, 'आदिवासी विकास – एक सैद्धान्तिक विवेचन' म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1990



## अर्थव्यवस्था में ग्रामीण उद्यमी महिलाओं की सहभागिता

डॉ. मिथिलेष अग्रिहोत्री \*

**प्रस्तावना** – अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा भारत समाज कृषि प्रधान देश है। कृषि हस्तशिल्प से सम्बद्धित वस्तुओं के उत्पादन और विक्रय में महिलाओं ने परम्परागत रूप से सफल योगदान दिया है। मानवीय संसाधनों का विकास राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तब तक सफल नहीं है, जब तक स्त्रीयों को आर्थिक जीवन में भाग लेने का अवसर न दिया जाए। भारत में जो निम्न और मध्यम जाति की महिलाएँ बेरोजगारी या सर्वते श्रम के द्वारा जमीदारी व्यवस्था को ढढता प्रदान करने लगी हैं। महिलाओं का कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान था, परन्तु उन्हे जो स्थान प्राप्त होना था वो नहीं मिला। मगर आज इस स्वतंत्र भारत में महिलाओं का आर्थिक दृष्टि से नवीन आयामों का विस्तार हुआ है। आर्थिक विकास कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए अनेक विशेष कार्यक्रम अपनायें जा रहे हैं, और महिलाओं की प्रतिबंधित आर्थिक सहभागिता को विस्तृत करने में सामाजिक, आर्थिक विकास, ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम और महिला आरक्षण कार्यक्रम में पर्याप्त मात्रा में योगदान दिया जाता है। यदि हम ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक शक्ति एवं उनकी प्रभावशीलता का विस्तार चाहते हैं, तो इसके लिये यह आवश्यक है कि पुरुष प्रधान समाज का नारी के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हो। परिवार में महिलाओं के सामाजीकरण एवं उसकी भूमिका के नवीन प्रतिमानों का विकास हो। यदि हम ऐसा करेंगे तो सही मायने में ग्रामीण महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं। जिसमें भारतीय ग्रामीण समाज की भी शहरीय समाज की भाँति आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त होगा। अर्थव्यवस्था का परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इस बात की आवश्यकता उत्पन्न होती है, की समाज में सभी महिलाओं को आर्थिक ज्ञान, शिक्षा और क्रियात्मकतों का लाभ प्राप्त हो। आधुनिक समाज में जनसंख्या और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में जो नवीन प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं। उसके अनुसार परिवार और समाज में स्त्रियों की भूमिका को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। विवाह की आयु नगरीकरण, जीवन जीवन स्तर की उच्चता इत्यादि परिवर्तन के ऐसे क्षेत्र हैं। जो महिलाओं की भूमिका और उत्तरदायित्व में परिवर्तन की उपेक्षा करते हैं। सामाजिक अर्थव्यवस्था संकट में निवारण और सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाये रखने के लिये महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन आवश्यक हैं। ऐसा न होने पर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित न हो सकेगी। कई तर्कों के आधार पर यह अनुभव किया जा रहा है कि महिलाओं को आर्थिक जीवन में अपेक्षाकृत अधिक सहभागी बनाया जाये तथा उनकी स्थिति पुरुषों के समकक्ष हो जायें। मानवीय संसाधनों का पूर्ण एवं प्रभावशाली उपयोग किया जायें। विकास का पूर्ण लाभ तभी मिल

सकता है, जब महिलाओं को अर्थिक क्रियाकलापों से प्रथक न रखा जायें। एवं उन्हे विकास की प्रति भेदभाव महिलाओं को पुरुषों के समान राजनिति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं समाज के कल्याण के विरुद्ध है। यह भेदभाव के प्रति अवरोध के कारण उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास भी नहीं हो पाता है। यह कार्य संभव नहीं हो पाता है यह कार्य तभी संभव है जब स्त्रियों को अर्थव्यवस्था में भाग लेने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो।

प्राचीन काल से महिलाये परिवार तथा दो की आर्थिक उन्नति में किसी ना किसी प्रकार से अपना योगदान देती है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति अभी तक कही न कही भिज्जा है। औद्योगिक क्रांति में महिलाओं को घर से बाहर उन के अवसर प्रदान किये हैं। फलस्वरूप महिला श्रमिकों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान स्थिति यह है कि महिलाये औद्योगिक क्षेत्रों के आज प्रत्येक उद्योग चाहे वे कुठीर हो या लघु या उद्योग आदि में उनकी अहम भूमिका रही है। जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को बटाने सहायक है। श्रम की दृष्टि से पुरुष व लड़ी दोनों की महत्वपूर्ण साधन हैं। लड़ी और पुरुष सृष्टि के आदि काल से ही एक दूसरे के पूरक रूप में चले आ रहे हैं। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में ग्रामीण उद्यमी महिलाओं की स्थिति की विचरेचना करते हुए ज्ञात होता है कि सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं मर्यादा तथा पुरुष प्रधान समाज एवं पिरू सरनामक परिवारिक संगठन के परिणाम स्वरूप महिलाओं की प्रतिबंधित आर्थिक विकास ग्रामीण आरक्षण कार्यक्रम में प्यास मात्रा में योगदान दिया जाता है।

'ग्रामीण उद्यमी महिलाएँ बदल सकती हैं देश की अर्थव्यवस्था'

अगर हम ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप में सशक्त कर सके तथा छोटे बड़े घरेलु उद्योगों से जोड़ सके तो नहीं महिलाएँ अपना एक अलग अस्तित्व बनाने में सक्षम होनी वास्तविकता देखे तो महिलाओं के लिए अब भी भारतीय समाज में चुनौतिया बनी हुई है। भारत में महिलाये कुल जनसंख्या का करीब 48 फीसदी ही है। राष्ट्रीय अपराध व्यापकों के रिकार्डों के अनुसार महिलाये राजनीति कारोबार कला तथा नौकरियों में पहुँचकर जये आयाम गढ़ रही है। यदि हम तकरीबन 41 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से सुदृढ़ तथा पाये तो यही मूलगंज होना गाँव व भारत देश के विकास का यही ग्रामीण उद्यमी महिलाये अपने घरेलु उद्योगों हर भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने में सक्षम होगा।

किसी भी रवरथ समाज के निर्माण में लड़ी और पुरुष दोनों की सहयोगिता आवश्यक है। जब भी इन दोनों के बीच संतुलन डगमगाता है, सामाजिक व्यवस्था के बिखरने के खतरे बढ़ने लगते हैं। यदि हम सृष्टि के

\* विभागाध्यक्ष (हिन्दी) राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

प्रारंभ से आज तक हुये विकास का अवलोकन करे तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो प्रगति हमने बीसवीं सदी में की है उसकी तुलना इतिहास के किसी भी युग से नहीं की जा सकती। हमारे देश की जनसंख्या में अब व पुरुषों की जनसंख्या की गणना अलग-अलग न करते हुये इन्हें जोड़ दिया जाये अर्थात् यदि हम महिलाओं की उद्यमशीलता की क्षमताओं का उपयोग कर ले और इन्हें बड़ा सहयोग करे तो इससे छोटे कारोबारी समूह खड़ा करने में काफी मदद मिलेगी।

भारत में महिलाये अपना कारोबार शुरू नहीं कर पाती। इसके पीछे कई कारण होते हैं जैसे- प्रमुख परिवारिक जिम्मेदारी। अधिकतर महिलाये एक बड़ी बाधा मानती है। दूसरा कारोबार शुरू करने के लिये धन का इन्तजाम कैसे करे, निजी वित्तीय सुरक्षा को लेकर चिंता। इसके आलवा कारोबार शुरू कैसे और कहाँ करे की जानकारी न होना ये तीन समस्याएँ पाई गयी। प्रस्तुत शोध लेख महिला उद्यमीयों की समस्याओं एवं सामाधान तथा उद्यमिता विकास में महिलाओं की क्षमता के उपयोग पर आधारित द्वितीयक तथ्यों का विश्लेषण है। इस संदर्भ में भारत में महिलाओं के हालात पर किये गये फेसबुक के एक अध्ययन के अनुसार हर पाँच में से चार महिला उद्यमी बनाना चाहती है। परंतु उनके समक्ष चुनौतिया है। अतः अध्ययन में यह दावा किया गया है कि इन समस्याओं को दूर कर दिया जाये और सिर्फ 52 प्रतिशत महिलाओं को कारोबार शुरू करने लायक बना देते तो आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ 1.55 करोड़ नये कारोबार पैदा करने और 6.40 करोड़ नौकरियां खड़ी करने में मदद मिलेगी। यह प्रयास वर्ष 2021 तक संभव किया जा सकता है।

**रेशम उत्पादन के रूप में परिचय :-** रेशम एक मूल्यवान वस्त्र है, रेशम और उससे बनने वाले उत्पाद अपने ऊँचे मूल्य के कारण अपने अपने निर्माताओं के लिये आय के अच्छे ख्रोत होते हैं।

रेशम उत्पादन कृषि पर आधारित कूटीर उद्योग है। रेशम उत्पाद के लिये ऐसी भूमि होना आवश्यक है, जिस पर शहतुत के पौधों की रोपती किया जा सके। एक उद्यमी के लिये 1.50 एकड़ रकबा काफी होता है। रेशम के कीड़ों का भोजन इन पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं। कच्चे रेशम से रेशम चरखे, तुकली ढारा रोल किया जाता है, जिसे रीलिंग कहते हैं, तभी रेशम बिक्री योग्य होता है, जब उसको कपड़द्वे के रूप में बुन लिया जाए। बुनाई हेतु हथकरथा जैसे सेवाग्राम करथा, नेपाली करथा, चितरंजन करथा आदि उपयोगी है।

**भूमिका :-** जनसंख्या की घटित से लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है और वे उत्पादन तथा अर्थव्यवस्था की सामाजिक प्रक्रियाओं के लिये अति महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ-साथ आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं का योगदान एवं भूमिका मुख्य है। अन्य योजनाओं की भाँति रेशम उद्योग में भी महिलाओं का योगदान बहुत अधिक है। परंतु इस उद्योग के एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अभी तक बहुत कम कार्य किया गया है।

### निष्कर्ष :-

1. रेशम उत्पादन के विभिन्न क्रियाकलापों को निजी क्षेत्र में प्रोत्साहित करते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार सृजन।
2. रेशम धागे की माँग एवं आपूर्ति के अंतर को कम करना।
3. विभिन्न क्षेत्रों में रेशम उत्पादन की संभावनाओं के अनुरूप योजनाओं/ परियोजनाओं की संरचना कर उनका क्रियान्वयन कराया जाना।
4. रेशम उद्योग के विकास की सुधूर व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाना।

**वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था के दो पहलू हैं :-** शहरी एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। शहरी अर्थव्यवस्था का मूल आधार जहाँ उद्योग, व्यापार, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र हैं वही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। एवं भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रहा है। कृषि आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और कृषि में ग्रामीण महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान की घनिष्ठ सहयोगी घर की महिलाएँ होती हैं। ग्रामीण महिलाये पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खेती बाड़ी के कामों में सहयोग करती है। महिलाएँ रोज 8 से 9 घण्टे काम करती हैं। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रमुख कार्यबल के रूप में महिलाएँ रही हैं। कृषि क्षेत्र में कुल श्रम की 70-80 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की होती है। कृषि कार्यों के साथ मछली पालन, कृषि वानिकी, पशुपालन, कुटीर एवं लघुउद्योगों में अपनी सहभागिता दे रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तीआरडब्लू की ओर से 9 राज्यों में किये गये शोध से ज्ञात हुआ है कि प्रमुख फसलों के उत्पादन में महिलाओं की 75 फीसदी भागीदारी होती है। पशुपालन में 58 प्रतिशत एवं मछली पालन में 95 प्रतिशत भागीदारी निभाती है।

कृषि से संबंधित क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं का योगदान तो रहा है किन्तु आर्थिक आत्म निर्भरता के लिए आज उद्यमिता आवश्यक है। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता आवश्यक हैं, क्योंकि महिला उद्यमिता आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण ऋत है। ग्रामीण महिला उद्यमी अपने व अन्य लोगों के लिए नये कार्य सृजित कर सकती हैं। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों की संख्या कम है। इसके पीछे सामाजिक परिस्थितियां व कई कारण जिम्मेदार रहे हैं। यद्यपि वर्तमान में महिला उद्यमियों के प्रति लागतों के नजरिया में बदलाव आया है और अब ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिये अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। सरकार व विभिन्न सामाजिक संगठनों, एन.जी.ओ. के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाओं की प्रस्थिति में बदलाव की दरकार है। उद्यमशीलता की ओर प्रेरित करने की आवश्यकता है। 2011 की जनगणना सर्वे के अनुसार लगभग 40.51 करोड़ महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

## सामाजिक उत्थान में निमाड़ के सन्तों का योगदान

डॉ. मधुसूदन चौबे \*

**प्रस्तावना** – सन्त वाणी भारत के भूखण्ड में बहुत बड़े हिस्से में अंकुरित और पल्लवित हुई है तथा इसने बहुत बड़ी जनसंख्या की मानसिकता को पोषित किया है। निमाड़ में भी इसके स्वर गुंजे। इनके व्यक्तित्व और विचारों ने सामाजिक उद्घायन में योगदान दिया। प्रस्तुत शोध पत्र में भक्ति आंदोलनकालीन निमाड़ के सन्तों की सामाजिक उत्थान में भूमिका की विवेचना की गई है।

**तत्कालीन सामाजिक स्थिति** – निमाड़ में सन्त मत के उद्भव के समय इस्लामिक सत्ता का प्रभुत्व था। धर्म के कतिपय ठेकेदारों एवं शास्त्रों का मनमाना निर्वचन करने वाले लोगों ने हिन्दू समाज को ना-ना प्रकार के बन्धनों में आबद्ध कर कूपमण्डूक बना दिया था। धर्म पथ न केवल जटिल हो गया था, अपितु अधर्मस्वरूप हो गया था। समाज में कई प्रकार की अप्रासंगिक ख़दियां, प्रथाएं एवं परम्पराएं व्याप्त थीं। जाति प्रथा, अस्पृश्यता जैसे रोग समाज को खोखला कर रहे थे।

**सन्तों का योगदान** – सन्तों ने समाज को सहज बनाने के लिये प्रतिबद्ध होकर परिश्रम किया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, अन्धविश्वारों, धार्मिक विकृतियों की ओर जन सामान्य का ध्यान आकृष्ट किया तथा इन्हें नकारने का आवाहन किया। सिंगाजी ने तो स्पष्टतः कहा कि देव पूजा, तीर्थयात्रा एवं गंगा स्नान आदि घोर आड़बर हैं। नदी का जल केवल तन का मेल धो सकता है मन को पवित्र करने के लिये भक्ति ही श्रेष्ठ राह है। तीर्थ यात्राएँ समय और साधनों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। सिंगाजी का निमाड़ के लागों पर व्यापक प्रभाव रहा है। उनके ढारा पूजा-पाठ, कर्मकाण्ड, मूर्तिपूजा, बहुदेववाद, जाति-वर्ण रोजा-नमाज आदि बाहरी आड़म्बरों का घोर विरोध किये जाने तथा साधना के भीतरी पक्ष को अपनाने पर जोर दिये जाने का जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जनमानस दिखावे की धार्मिक क्रियाओं से विरत होकर अन्तःकरण की शुद्धता के साथ भक्ति भाव में संलब्ध हो गया। उन्होंने कहा कि झूठ-मूट का जाप करने से नहीं अपितु निरंजन ब्रह्म को पहचानने से सङ्गति की प्राप्ति होती है। बड़वा-भोपा का प्रचलन तत्कालीन गवली समाज में बहुत अधिक था। ये ख्रौफ उत्पन्न करके भोली-भाली निमाड़ी जनता का शोषण करते थे। उन्होंने इसके विरुद्ध साहसी स्वर मुखरित किये। बड़वों की गतिविधियों को ढोंग तथा भूतों को कोरी कल्पना घोषित कर उस समय के लिहाज से सिंगाजी ने सामाजिक क्रांति का उद्घोष माना जा सकता है।

जाति प्रथा भारतीय समाज में अभिशाप बनकर कहर ढा रही थी। जातिगत ऊँचनीच की भावना शोषण और दमन का आधार बनी हुई थी। समाज में असन्तोष और वैमनस्य व्याप्त था। कथित निम्न वर्ग के लोग हिन्दू समाज में स्वयं को सहज नहीं पा रहे थे। अतः वे थोड़े से ढबाव या

प्रलोभन के चलते धर्मार्थण करने के लिये तत्पर हो जाते थे। निमाड़ के सन्तों ने जाति-पाँति, अस्पृश्यता, आदि का घोर विरोध किया। सिंगाजी ने लोगों को समझाया कि ऊँचे कुल या जाति में जन्म लेने मात्र से कोई ऊँचा नहीं हो जाता, बल्कि कर्म के आधार पर मनुष्य को ऊँचा-नीचा माना जाना चाहिये। सन्त अफजल ने जातिगत श्रेष्ठता या निम्नता को बिल्कुल महत्व नहीं दिया तथा इसे मनुष्य की पिछड़ी हुई बुद्धि का परिणाम बताया। उन्होंने जातिवाद की संकीर्ण धारणा में विश्वास रखने वाले लोगों को बुरी तरह से फटकार लगाई और उन्हें उप्टिकोण को व्यापक बनाने के लिये शिक्षा भी दी। उन्होंने समझाया कि शरीर चाहे हिन्दू का हो या मुसलमान का, उनका चेतन तत्व, रक्त, माँस और चमड़ा एक ही है। सन्त पुरुषोत्तम नागर ने सिद्ध किया कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठन की पूर्ति के लिये बनाई गई थी। चारों वर्णों ने समाज को संचालित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह कर्मगत व्यवस्था थी तथा इसका ऊँच-नीच से कोई सम्बंध नहीं था। सन्त मीनी बाबा ने भी जाति-पाँति, छुआ-छूत, छोटा-बड़ा जैसी धारणाओं को शारत्र प्रणीत नहीं माना है। सन्तों के उपदेशों के फलस्वरूप निमाड़ी समाज में जातिवाद धिनौने रूप में अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सका। इसके बंधन यहाँ बहुत ही शिथिल रहे।

समाज में समरसता की स्थापना करना सन्तों का परम लक्ष्य था। इसे अर्जित करने के लिये उन्होंने हिन्दू-मुरिलम एकता की भावना का प्रसार किया। निमाड़ के कमोबेश प्रत्येक सन्त ने इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किये हैं। कुछ सन्तों का प्रभाव तो इतना अधिक था कि राजसत से सम्बद्ध मुरिलम भी उनसे अशीष प्राप्त करने के लिये उनके ढार पर पहुंचते थे। उदाहरण के तौर पर सिंगाजी का उल्लेख किया जा सकता है। फारखी वंश के सुलान भी उनके प्रति श्रद्धा रखते थे।

सन्त अफजल ने भी हिन्दू-मुरिलम सम्प्रदायों को निकट लाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। दोनों ही वर्ग के लोग उनके अनुयायी थे। यहाँ तक कि उनकी परम्परा को आगे बढ़ाने वाले अधिकांश षिष्य जैसे- सन्त बोंदेश, सन्त खुश्याल ढास, सन्त दशरथ आदि हिन्दू समाज के सदस्य थे। सन्तों के प्रयासों का परिणाम निमाड़ में हिन्दू-मुरिलम एकता के रूप में आज भी विद्यमान है। स्वतन्त्रोपरान्त देश के अनेक भागों में हिन्दू-मुरिलम विद्वेष फैला और मार-काट मची, लेकिन निमाड़ इससे अप्रभावित रहा। यहाँ दोनों वर्गों में अतुलनीय भांतृत्व भाव है।

रियों के संबंध में भारतीय समाज में दो अतिवादी व्यवस्थाएँ अस्तित्व में रहीं। एक ओर उन्हें पूज्या बताया गया है तथा यहाँ तक घोषित कर दिया कि जिस स्थान पर नारी की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। दूसरी ओर उन पर अनेक बन्धन अधिरोपित कर उनका जीवन नारकीय

\* एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

बना दिया गया। अधिकार विहीन ऋषि पूर्णतः पुरुषाश्रित होकर अपना अस्तित्व खो बैठी। उसे केवल भोव्या माना गया। निमाड के सन्तों ने स्त्रियों को ढी जाने वाली यातनाओं और उनकी उपेक्षा की निन्दा की। उन्होंने ऋषि-पुरुष समता का विचार समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। सन्त लालदास ऋषि अस्मिता के बड़े संरक्षक हुये। उन्होंने स्त्रियों के सम्मान एवं अधिकारों का दृढ़ता से समर्थन किया। सन्त अफजल ने चरित्रवान स्त्रियों की प्रशंसा करते हुये उन्हें सृष्टि के संचालक ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जन्मदात्री बताते हुये उनकी महानता के प्रति विश्वास व्यक्त किया। सन्तों ने ऋषि शिक्षा की वकालत की। सन्तों ने अवलोकन किया कि समाज के कुछ लम्पट लोग पराई ऋषि को कुटुंभित से देखते हैं तथा उन्हें अपनी वासना का बिकार बनाते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल संबंधित स्त्रियों और पुरुषों के लिये अपितु समूचे समाज के लिये पतन का सोपान बनती है। इसलिये निमाड के सन्तों ने पररुषीसंगति से दूर रहने की शिक्षा दी। सन्त अफजल ने तो पररुषी की तुलना विषैले साँप तक से की।

सन्तों ने स्त्रियों से भी अपेक्षा की कि वे उदात्त चरित्र का परिचय दें। बहुधा सन्देह के चलते ही स्त्रियों को चहारदीवारी में सीमित कर दिया जाता है। उन्होंने गुणी स्त्रियों की बहुत प्रशंसा की है तथा ऋषि को लोकलाज, मर्यादा आदि का प्रतीक माना है। सन्तों ने नारी के काम्य स्वरूप को श्रेयस न मानकर, उसके सात्त्विक, पातिक्रत्य से युक्त पत्नी, माता, बहन आदि के रूपों को ही श्रेष्ठ माना है। नारी समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। उसकी नैतिक उच्चता समाज की दृढ़ता का आधार है, अतः स्त्रियों को भी सद्गार्व पर चलना चाहिये। यह सन्तों के कार्यों का ही परिणाम है कि निमाड की स्त्रियाँ पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को चलाने के लिये सक्रिय हैं। निमाड मुख्यतः ग्रामीण समुदायों का क्षेत्र है। यहाँ के ग्रामों में ऋषि-स्वातंत्र्य देखते ही बनता है। भक्ति सन्तों के प्रताप से आज निमाड में श्रम, शिक्षा, प्रेषासन, राजनीति सहित प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएँ अपनी सशक्त उपरिथिति से नारी विमर्श को धार प्रदान कर रही हैं।

सन्त ऐसे नागरिकों से समाज का निर्माण करना चाहते थे, जो निर्व्यसनी हो और जिनका नैतिक स्तर उच्च हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उन्होंने मध्य निषेध, चौरी, बेर्झमानी, व्यभिचार, कामचोरी जैसी दृष्टियों से बचने के लिये उपदेश दिये तथा अपने शुद्ध आचरण से व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत किया। सन्त दलूदास तत्कालीन सामाजिक प्रवृत्तियों को कलियुग की विशिष्टताएँ मानते थे, जिसमें गुरुजनों एवं वरिष्ठ परिजनों की नेक सलाहों का तिरस्कार किया जाता था और क्षणिक लाभ एवं शारीरिक सुख

के लिये व्यक्ति किसी भी स्तर पर पतन के लिये तैयार हो जाता था। सन्त कालूदास की मान्यता थी कि समाज में अच्छी विचारधारा वाले लोगों की कमी है और संकीर्ण दृष्टिकोण वाले लोगों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।

सन्त हरिदास ने देशवासियों द्वारा पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण से चिन्तित थे। आदिवासी सन्त डेमनिया भ्राई विगत तीन दशकों से शराब सेवन, मांसभक्षण, जुआ-सट्टा, गाली-गलौज जैसी बुरी आदतों के विरुद्ध मुहिम चलाये हुये हैं। करीब एक लाख आदिवासी उनके प्रभाव से व्यसन मुक्त हो चुके हैं। सन्तों की पवित्र वाणी जीवन के शास्वत सन्देशों को लेकर सहजमुखी हो बराबर बहती रही। यह अपने अविरत् प्रवाह से भारतीय जनमानस को सरस एवं प्रफुल्लित बनाती रही। इस वाणी के प्रभाव के कारण जनता भौतिक समृद्धि के अभाव में भी पूर्ण योग के साथ अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्वाह करती रही।

**उपसंहार** – इस प्रकार सन्तों ने समाज को सहज बनाने के लिये प्रतिबद्ध होकर परिश्रम किया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, अन्धविश्वासों, धार्मिक विकृतियों की ओर जन सामान्य का ध्यान आकृष्ट किया तथा इन्हें नकारने का आठान किया। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता, ऋषि-पुरुष समानता, मध्य निषेध आदि पर बल दिया तथा जाति-पाँति, अस्पृश्यता, रुद्धिवादिता आदि का विरोध करते हुये इनके उन्मूलन की पहल की।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंगाजी की परचरी, लेखक- सन्त खेमदास, प्रकाशक- व्यंकटेश्वर प्रेस, बम्बई (मुम्बई), संस्करण- विक्रम संवत, 1751,
2. निमाड के सन्त कवि सिंगाजी, लेखक- रमेशचन्द्र गंगराडे, प्रकाशक- हिन्दी साहित्य भण्डार, लखनऊ, संस्करण- 1967,
3. निमाडी साहित्य के कलमकार-कलाकार,, लेखक- बाबूलाल सेन, प्रकाशक- माहिष्मती प्रकाशक, महेश्वर, संस्करण- 1995,
4. सन्त कालूजी, लेखक- विठ्ठल शर्मा, प्रकाशक- सरदार सोहनसिंह, इन्दौर, संस्करण- 1987, पृष्ठ- 45.
5. निमाडी और उसका साहित्य, लेखक- डॉ. कृष्णलाल हंस, प्रकाशक- हिन्दुस्तान एकेडमी, इलाहाबाद, संस्करण- 1956.,
6. निमाडी साहित्य के कलमकार-कलाकार, लेखक- बाबूलाल सेन, प्रकाशक- माहिष्मती प्रकाशक, महेश्वर, संस्करण- 1995, पृष्ठ- 44.

\*\*\*\*\*

## राजस्थानी नीतिकाव्य का अलंकृति पक्ष - एक विवेचन

**सुधा शर्मा \***

**प्रस्तावना** - सौन्दर्य काव्य का अनिवार्य गुण है। कलात्मक सौन्दर्य के अन्तर्गत शिल्पगत सौन्दर्य का अनुशीलन किया जाता है। काव्य में अलंकारों का महत्व तथा वर्चरव प्राचीन काल से ही सुमान्य रहा है। सभी अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकारों को काव्यकृति के चमत्कार एवं शोभावर्धन का मूल धर्म स्वीकार किया है तथा उनकी काव्यगत महत्वा और अनिवार्यता का समर्थन किया है।

राजस्थानी नीतिकाव्य उच्च नीतिक मूल्यों का प्रतिष्ठापन एवं उदात्ता परम्पराओं का गौरव-गान है। इसका मूल प्रयोजन नीतिकता के प्रतिष्ठापन द्वारा समाज को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करना तथा लोक कल्याण का विधान करना है। इस कारण यह नीतिकाव्य मूल रूप से जीवन मूल्यों एवं जीवनादर्शों का काव्य है तथा इसमें मूल्यधर्मिता प्राणधारा के समान सर्वत्र परिव्याप्त है।

इस नीतिकाव्य के शैलिपक प्रतिमानों का सौन्दर्य प्रशंसनीय है। भावपक्ष की समृद्धि हेतु तथा अभिव्यक्ति की सशक्त एवं सौन्दर्युक्त बनाने के लिए इस काव्य के प्रणेताओं ने अपनी रचनाओं में अलंकार योजना को यथोचित स्थान दिया है। अपनी सुधङ्ग एवं लघु रचनाओं में नीति कवियों ने बिन्दु में सिन्धु को समेटने का प्रयास किया है। अपनी सहज सम्प्रेषणीयता के कारण कवियों का यह वाणी वैभव जन-जिहा का श्रुंगार बनकर लोकजीवन के साथ एकाकार हो गया है। इन्हीं विशेषताओं से प्रेरित इस शोध लेख में राजस्थानी नीतिकाव्य के अलंकृति पक्ष का विवेचन किया गया है, जो एक नूतन प्रयास है।

अलंकार के दो प्रमुख भेद माने जाते हैं - शब्दालंकार और अर्थालंकार। राजस्थानी नीतिकाव्य में दोनों का ही सुन्दर प्रयोग दृष्टिगत होता है।

**शब्दालंकार** - जो अलंकार शब्द विशेष पर निर्भर रहकर काव्य सौन्दर्य में वृद्धि करते हैं, उन्हें शब्दालंकार के अन्तर्गत रखा जाता है। राजस्थानी नीतिकाव्य में वर्णन सगाई (वैण सगाई), चौकड़िया अनुप्रास, अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्दालंकार प्रयुक्त हुए हैं।

**वर्णन सगाई** - 'वर्णन सगाई' या 'वैण सगाई' शब्द 'वरणसगाई' शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वर्ण-संबंध। वस्तुतः वर्णन सगाई एक प्रकार का शब्दालंकार है, जो वर्णन के प्रथम और अन्तिम शब्दों में मैत्री स्थापित करता है।

यह अलंकार राजस्थानी काव्य की एक अनूठी विशेषता है, कविता में इसका निर्वाह प्रायः अनिवार्य रूप से किया जाता है।

इसके मुख्यतः तीन भेद माने गये हैं - आदि मेल, मध्यमेल और अन्तमेल।

**आदिमेल** - जहाँ वर्णन के प्रथम शब्द के आदि वर्ण को वर्णन के अन्तिम

शब्द के आदि में पुनः लाकर संबंध स्थापित किया जाय, वहाँ आदिमेल वर्णन (वैण) सगाई होती है। आदिमेल के प्रायः अनेक उदाहरण मिलते हैं। यथा -

**तरु संतोष तणोह, नर छाया बैठा नहीं।  
कलकलती किरणेह, बाँका भटकै लोक्ष बन॥¹**

**मध्यमेल** - जहाँ प्रथम शब्द के आदि वर्ण की आवृत्ति चरणान्त शब्द के मध्य में हो, वहाँ मध्यमेल वर्णन (वैण) सगाई होती है। यथा -

**गरज कियां सूँ वागरी, कढे न तजै सिकार।  
रटै हरी गुण वारता, कटै कळेस विकार॥²**

**अन्तमेल** - जहाँ प्रथम शब्द के आदि वर्ण की आवृत्ति चरणान्त शब्द के अन्त में हो, वहाँ अन्तमेल वर्णन (वैण) सगाई होती है। यथा -

**निरख्यो इम संसार नै, लुक छिप रांगत खेल।  
मिनख भलां री है कमी, लाख मिलै बिंगड़ेल॥³**

कतिपय ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, जिनके दो चरणों में वैण सगाई है और दो में नहीं अथवा तीन चरणों में वैण सगाई है और एक में नहीं है। एक उदाहरण प्रस्तुत है -

**तिनुणो सोनो तोल, रोज दियाँ ई कम पड़ै।  
मायइ-ममता मोल, बता सवयो कुण, बावला॥⁴**

**चौकड़िया अनुप्रास** - द्वौहे और सोरठे के चारों चरणों में यदि एक जैसी वृत्ति के चार अनुप्रास आएँ, तो वहाँ 'चौकड़िया अनुप्रास' बनता है। यदि अच्छे भाव के साथ ऐसा अलंकरण हो तो सोने में सुगन्ध प्रतीत होती है।

द्वौहे में चौकड़िया अनुप्रास -

**कृपण बराटक पावियां, नाटक करै निलज्जा।**

**सुण जाचक खाटक करै, सब दिन फाटक सज्जा॥⁵**

सोरठे में चौकड़िया अनुप्रास -

**जस गुण तणी जहाज, कुळ समाज अंजस करै।  
आखै ढुनियां आज, रंग घणा जसराज नै॥⁶**

**अनुप्रास** - स्वरों में वैषम्य होने पर भी वर्णों की एक ही क्रम में आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके पाँच भेद हैं - छेक, वृत्तय, श्रुति, लाट तथा अन्त्या। अनुप्रास अलंकारों में वृत्तयनुप्रास काव्य-सौन्दर्य में सर्वाधिक अभिवृद्धि करता है, इसमें एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है। राजस्थानी नीतिकाव्य में प्रायः वृत्तय अनुप्रास अनेक स्थलों पर तथा छेक, लाट व अन्त्य कहीं-कहीं प्रयुक्त हुए हैं। उदाहरण दृष्टव्य है -

**जणणी जमि म गब्ब कर, पूत पराक्रम जोझ॥⁷** - (छेक)

**वैण विलास विनोद विधि, विद्या विनय विवेक।**

**वेस बड़पन बातझी, धन बिन भलो न एक॥⁸** - (वृत्तय)

\*शोधार्थी (हिन्दी) ज.रा.ना. राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड) विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

**धन संचया काँई हुवै, जद है पूत कपूत।**

**धन संचया काँई हुवै, जद है पूत सपूत॥<sup>9</sup> - (लाट)**

**ज्यांरा जेहा माजना, त्यांरा तेहा वडण।**

**ज्यांरा जेहा आचरण, त्यांरा तेहा सहण॥<sup>10</sup> - (अन्न्य)**

**यमक** – जब एक ही पद में किसी शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो तब वह शोभाकारक विशेषता यमक अलंकार कहलाती है। राजस्थानी नीतिकाव्य से एक उदाहरण दृष्टव्य है –

**भँवर पङ्क्ता पाण, भँवर फँसे जा भँवर में।**

**घर-ग्रिस्थी री घाण, बुरो भँवरजी, बावळा॥<sup>11</sup>**

**श्लेष** – जहाँ एक शब्द के एकाधिक अर्थों की प्रतीति अमिथा के द्वारा होती है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसके दो भेद हैं शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष में श्लेष किसी शब्द विशेष पर निर्भर करता है। यदि उस शब्द को बदलकर उसका पर्यायिकाची शब्द रख दें तो श्लेष नष्ट हो जाता है। उदाहरण दृष्टव्य है –

**पङ्त ओर मसालची, दोऊँ उळटी रीत।**

**और दिखावै चाँनणो, आप अँथेरे वीच॥<sup>12</sup>**

**अर्थालंकार** – जहाँ अलंकार शब्द विशेष पर निर्भर न रहकर अर्थ विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न करता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार वाले पद में यदि किसी शब्द को बदलकर उसके स्थान पर उसका पर्यायिकाची शब्द रख दिया जाये तो भी काव्य सौन्दर्य नष्ट नहीं होता।

यहाँ राजस्थानी नीतिकाव्य में प्रयुक्त ‘अर्थालंकारो’ के विभिन्न रूपों का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है –

**उपमा** – जहाँ परस्पर भिन्न उपमेय और उपमान की समता का वर्णन हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के दो भेद हैं – पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। जहाँ उपमा के चारों अंग (उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक शब्द) विद्यमान हों वहाँ पूर्णोपमा होती है। जहाँ उपमा के चारों अंगों में से कोई लुप्त हो, वहाँ लुप्तोपमा होती है।

**वारवधू ही हरण वित, नेह जणावै नैण।**

**यूं सिर लेवा ऊचरै, वैरी मीठा वैण॥<sup>13</sup>**

यहाँ वैरी उपमेय, वारवधू उपमान, स्नेहप्रदर्शन साधारण धर्म और यूं वाचक शब्द हैं।

उपर्युक्त उदाहरण में उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं, अतः पूर्णोपमा अलंकार है।

**सज्जण थोड़ा हंस ज्यूँ, विरळा कोइ दीसंत।**

**दुरजण काळा नाग ज्यूँ, महियळ घणा भमंत॥<sup>14</sup>**

उपर्युक्त उदाहरण में वाचक धर्म लुप्त है, अतः लुप्तोपमा अलंकार है।

**रूपक** – जहाँ अत्यन्त साधश्य प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। राजस्थानी नीतिकाव्य में विशेष रूप से संत कवियों के काव्य में रूपक अलंकार के प्रयोग की प्रवृत्ति विशेष रूप से दृष्टिगत होती है। कवि बाँकीदास ने शरीर रूपी तालाब को दुःख रूपी जल से भरा बताकर अभेद आरोप किया है –

**तन दुख नीर तड़ाग, रोज विहंगम रूखङ्गो।**

**विसन सलीमुख बाग, जरा बरक ऊतर जबल॥<sup>15</sup>**

इस प्रकार रूपक के अनेक उदाहरण राजस्थानी नीतिकाव्य में दृष्टिगत होते हैं।

**उत्प्रेक्षा** – जहाँ प्रस्तुत वस्तु (उपमेय) में अप्रस्तुत वस्तु (उपमान) की सम्भावना का वर्णन हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। राजस्थानी नीतिकाव्य

में उत्प्रेक्षा अलंकार को कई कवियों ने अनेक स्थलों पर काव्य-सौन्दर्य का साधन बनाया है। एक उदाहरण दृष्टव्य है –

**ब्याई फटी न पांव, के जाणे पर पीड़नै।**

**ज्यूं देश्या को जाम, शाढ़ न सगझै शेखरा॥<sup>16</sup>**

यहाँ वेश्या पुत्र द्वारा शाढ़ कर्म को नहीं जानने और जिसके पैर में बिवाई नहीं फटी, उसके द्वारा दूसरे की पीड़ा को नहीं समझने की सम्भावना व्यक्त की गई है।

**अर्थालंतरन्यास** – जहाँ सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, वहाँ अर्थालंतरन्यास अलंकार होता है। राजस्थानी नीतिकाव्य में उक्त अलंकार का प्रयोग प्रायः हुआ है। उदाहरण दृष्टव्य है –

**मोताहल मंगताह, पेरायां मेल न पडै।**

**गजरी झूल गथाह, भूंडी लागे भेरिया॥<sup>17</sup>**

कुपात्र को आभूषण धारण कराने पर वे शोभा नहीं देते, इस विशेष कथन का समर्थन, हाथी की झूल गथी को पहनाने से अशोभनीय लगती है, इस सामान्य उक्ति से किया गया है।

**उदाहरण** – उदाहरण अलंकार में कोई सामान्य बात या वाक्य कहकर ‘ज्यों’ या ‘जैसे’ शब्दों के साथ उसका कोई विशेष उदाहरण देकर समता या एकता दिखाई जाती है। राजस्थानी नीतिकाव्य का यह बहुप्रयुक्त अलंकार है –

**मिंत ज औगण मिंत का, अनत नहि भाखंत।**

**कूप छांह ज्यों आपणी, हीयै में राखंत॥<sup>18</sup>**

यहाँ सच्चे मित्र के स्वभाव को कुँए के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है।

**दृष्टान्त** – इस अलंकार में सामान्य बात कहकर दृष्टान्त देते हैं। परस्पर समान धर्म वाले वर्ण विषयों का बिंब प्रतिबिंब भाव को ही दृष्टान्त अलंकार कहते हैं। राजस्थानी नीतिकाव्य में दृष्टान्त अलंकार का बहुलता से प्रयोग हुआ है। उदाहरणार्थ –

**जुगड़ै रो अंधियार, व्यान ढीप सूँ ई मिटै।**

**गंगा जी री धार, मैल मिटावै आयला॥<sup>19</sup>**

यहाँ ज्ञानदीप से मन के अन्धकार का निवारण और गंगाजी द्वारा मैल (पाप) मिटाने में बिंब प्रतिबिंब भाव है।

**प्रतिवस्तूपमा** – प्रतिवस्तूपमा का अर्थ है, वस्तु या प्रत्येक वाक्यार्थ के प्रति उपमा। इसमें उपमेय और उपमान के पृथक्-पृथक् दो वाक्यों में एक ही समान धर्म, शब्द भेद द्वारा कहते हैं। राजस्थानी नीतिकाव्य का यह सुपरिचित अलंकार है –

**निंदो सकल निराट, कलंक साथ चढ़ै न को।**

**कंचन लागै काट, न सुण्यो कानै, नाधिया॥<sup>20</sup>**

साधु पर निंदा का प्रभाव नहीं होना तथा कंचन पर काठ नहीं चढ़ने का समान धर्म बताया गया है।

**विशेषोक्ति** – जहाँ कारण रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। आलोच्य काव्य में इसका प्रयोग यत्र-तत्र दृष्टिगत होता है। उदाहरणार्थ –

**दाख भखे मुख पकत है, होत कागँकू रोग।**

**भागहीणकू ना मिलै, भली वुसतको श्वोग॥<sup>21</sup>**

भाव्यहीन व्यक्ति को उत्ताम वस्तु प्राप्त नहीं होती – कौए के उदाहरण द्वारा, कारण के होते हुए भी कार्य का नहीं होना बताया गया है।

**काव्यलिंग** – काव्यलिंग अलंकार में किसी बात को कहकर उसका ज्ञापक

कारण कहा जाता है। आलोच्य काव्य में इसका प्रयोग कहीं-कहीं ही मिलता है। एक उदाहरण दृष्टव्य है -

**बेटी बेचे बाप, रूपया ले राजी हुवै।  
परतक भोगे पाप, करम कियोऽशा केसवा॥<sup>22</sup>**

बेटी का सौदा करने वाला पिता, पाप का भागी होता है। बात कहकर उसका कारण स्पष्ट किया गया है।

**अप्रस्तुतप्रशंसा -** जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत की प्रतीति हो, वहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार होता है। यहाँ 'प्रशंसा' का अर्थ यर्वर्णनमात्र ही लेना चाहिए। आलोच्य काव्य में इस अलंकार का यत्र-तत्र प्रयोग दृष्टिगत होता है। उदाहरणार्थ -

**हिरण रहै थिर होय, बीणा सुर सूं बांकला।  
जिण कारण सूं जोय, पारथियां पांगे पड़ै॥<sup>23</sup>**

उक्त दोहे में बीणा के स्वरों (अप्रस्तुत) के वर्णन द्वारा, हिरण (प्रस्तुत) का शिकारियों के आधीन होने की प्रतीति होने के कारण यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार हुआ।

**विकल्प -** जहाँ इस प्रकार का वर्णन हो कि यह होगा या वह, वहाँ विकल्प अलंकार होता है। आलोच्य काव्य से एक उदाहरण दृष्टव्य है -

**यो न होत तो होत यो, यो न कहै मतिमान।  
जो न होत तो होत क्यों, हो न होत जिय जान॥<sup>24</sup>**

**विनोक्ति -** जहाँ एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु के शोभित अथवा अशोभित होने का वर्णन किया जाय, वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है। आलोच्य काव्य से कठिपय उदाहरण दृष्टव्य है -

किसी के बिना शोभित होना -

**हुवै भला ही नेक, बैरी भलो न धूळ रो।  
चायै पीसो ओक, देणो भलो न दूदिया॥<sup>25</sup>**

किसी के बिना अशोभित होना -

**गुण विन ठाकर ठीकरो, गुण विन मीत गँवार।  
गुण विन चंदण लाकड़ी, गुण विन नार कु-नार॥<sup>26</sup>**

**अन्योक्ति -** अन्योक्ति का शाब्दिक अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। इस अलंकार में किसी के लिए कही उक्ति, घटित किसी अन्य पर होती है। राजस्थानी नीति काव्य में राजिया, नाथिया, बाँकीदास आदि कवियों ने इस अलंकार का बहुलता से प्रयोग किया है। अन्य कवियों ने भी इस अलंकार का सुन्दर प्रयोग किया है। कठिपय उदाहरण दृष्टव्य है -

**पय मीठा कर पाक, जो इमरत सींचीजिये।  
उर कड़वाई आक, रंच न मूँके राजिया॥<sup>27</sup>**

यहाँ 'आक' के पेड़ के माध्यम से कुटिल प्रकृति के मनुष्य द्वारा अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करने की बात कही गई है।

**हाथळ बळ निरशी हियौ, सरभर न को समत्था।  
सीह अकेला संचरै, सीहां केहा सत्था॥<sup>28</sup>**

प्रस्तुत दोहे में सिंह के गुणों के वर्णन द्वारा शूरवीर के गुणों की प्रशंसा की गई है।

**लोकोक्ति -** किसी भी प्रसंग में किसी लोकोक्ति के प्रयोग से लोकोक्ति अलंकार होता है। आलोच्य काव्य में इसका प्रयोग प्रायः हुआ है। उदाहरण दृष्टव्य है -

**बीती ताहि बिसार, आगै री सुध राख तू।  
घबड़ा कर मझदार, रुळ जाज्यो मत रमणियां॥<sup>29</sup>**

यहाँ 'बीति ताहि बिसार दे आगे की सुध लेय' लोकोक्ति का सुन्दर

प्रयोग हुआ है।

उपर्युक्त वर्णित प्रमुख अलंकारों के अतिरिक्त आलोच्य काव्य में अनेक अलंकारों का यत्र-तत्र प्रयोग मिलता है। कठिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं -

|           |   |
|-----------|---|
| उदात्ता - | <b>दाता आगै मंडियी, दाता हंडी हत्था।</b>                    |
| विभावना - | <b>दातारां सिर ऊपरै, सो नित रही समत्था॥<sup>30</sup></b>    |
| तद्गुण -  | <b>गुमना राम रिङ्गावरे, बिन कर बेन बजाय।</b>                |
| विचित्र - | <b>बिन मुख ते मन राम रट, सुरत राम विच लाय॥<sup>31</sup></b> |
| व्याघात - | <b>च्यारूं दिस कीरत रही, पीर तणी छित छाय।</b>               |
| क्रम -    | <b>जग मैं नीर तळाय सह, वणिया खीर तळाय॥<sup>32</sup></b>     |
|           | <b>अलगौ ही उरै बसै, नींद न आवण देह।</b>                     |
|           | <b>ससिवदनी री साहिबी, कै दोयण असनेह॥<sup>33</sup></b>       |
|           | <b>औ बक मूनी ऊजाठा, मीठा बोला मोरा।</b>                     |
|           | <b>पूछौ सफरी पनग नूं, क्रत ऊर्धडै कठोर॥<sup>34</sup></b>    |
|           | <b>वैरी रा मीठा वचन, फळ मीठा किंपाका।</b>                   |
|           | <b>वे खाधां वे मानियां, हुवा कृतांत खुराक॥<sup>35</sup></b> |

उपर्युक्त वर्णित उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि राजस्थानी नीति कवियों ने विविध अलंकारों के द्वारा नीति की बात को काव्य सौन्दर्य युक्त एवं सहज ग्राह्य बनाया है। रचनाकार सौन्दर्यार्कन की दृष्टि से सूक्ष्म दृष्टा एवं कुशल सृजनकर्ता कहे जा सकते हैं।

**निष्कर्ष -** राजस्थानी नीतिकाव्य के अलंकृत पक्ष के विवेचन से यह तथ्य उजागर होता है कि राजस्थानी कवियों ने अपनी नीतिपरक रचनाओं के सृजन में अलंकारों के सुन्दर एवं समुचित प्रयोग द्वारा काव्य सौन्दर्य की सृष्टि का भव्य प्रयास किया है। उनकी अलंकार सज्जा सहज रही है, सायर नहीं। एक ओर इन रचनाओं में परम्परित शब्दालंकार 'वयण सगाई' के निर्वाह से कर्णप्रिय द्वन्द्यात्मक सौन्दर्य की सृष्टि हुई है, वहीं आनुप्रासिकता के कारण नादात्मकता एवं लयात्मकता भी प्रशंसनीय बन पड़ी है।

शब्दालंकारों में वयण सगाई (वैयं सगाई), चौकडिया अनुप्रास, वृत्तय अनुप्रास, यमक एवं श्लेष काव्य सौन्दर्य की वृद्धि में सहायक हुए हैं। अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास, उदाहरण, दृष्टान्त, अन्योक्ति एवं लोकोक्ति अलंकारों का प्रयोग प्रमुखता से हुआ है तथा अन्य अलंकारों का भी सन्दर्भानुसार काव्य सौन्दर्यार्कन में उपयोग हुआ है। रचनाओं में उपमान, प्रतीक एवं बिम्ब सभी लोकजीवन से ग्रहण किए गए हैं।

अलंकारों के सहज प्रयोग से नीतिपरक रचनाओं की अभिव्यक्ति और सम्प्रेषणीयता में वृद्धि हुई है जो इस नीतिकाव्य में उदात्ता मानवीय मूल्यों एवं नैतिक आदर्शों की प्रतिरक्षणा में सहायक रही हैं। इसी सशक्त अभिव्यंजना के कारण ये कालजयी रचनाएँ सूक्तियों के रूप में जन-जन की कण्ठहार बन गई हैं तथा व्यक्ति और समाज का जीवन पथ में नैतिक मार्गदर्शन कर रही हैं।

**निष्कर्षतः:** राजस्थानी नीतिकाव्य के कुशल प्रणेताओं की अलंकार-

योजना सराहनीय है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. बारहट, कविया मुरारीदान एवं खारैड, महताबचन्द्र, 1938, संतोष बावनी, 'बाँकीदास-ग्रंथावली', तीसरा भाग, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, पृ. 54/5।
2. कविया, डॉ. शक्तिदान, 2011, प्रस्तावना, 'राजिया रा सोरठा', राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, पृ. 12।

3. वही, पृ. 121
4. ताऊ शेखावाटी, 1999, 'सोरठां री सौरम (बावळा रा सोरठा)', रचना प्रकाशन, जयपुर, पृ. 22/15।
5. द्वृगड, रामनारायण, बारहट, कविया मुरारीदान एवं खारैड, महताबचन्द्र, 1931, कृपण दर्पण, 'बाँकीदास-ब्रंथावली', दूसरा भाग, इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग, पृ. 32/10।
6. कविया, डॉ. शक्तिदान, 2011, प्रस्तावना, 'राजिया रा सोरठा', पूर्वोद्धृत, पृ. 11।
7. पुरोहित, मोहनलाल, वि. सं. 2017, 'राजस्थानी नीति ढूहा', सादूळ राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीकानेर, पृ. 95/688।
8. चारण, चन्द्रदान राणीदान, 2015, 'नीति के राजस्थानी ढोहे', राजस्थानी ब्रन्थागार, जोधपुर, पृ. 70/81।
9. पुरोहित, मोहनलाल, वि. सं. 2017, 'राजस्थानी नीति ढूहा', पूर्वोद्धृत, पृ. 171/1255।
10. वही, पृ. 91/661।
11. ताऊ शेखावाटी, 1999, 'सोरठां री सौरम (बावळा रा सोरठा)', पूर्वोद्धृत, पृ. 40/50।
12. स्वामी, नरोत्तमदास, 1961, 'राजस्थान रा ढूहा', सादूळ राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीकानेर, पृ. 43/53।
13. पं. रामकर्ण (जोधपुर-निवासी), वि. सं. 1981, नीति-मंजरी, 'बाँकीदास-ब्रंथावली', पहला भाग, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, पृ. 65/22।
14. स्वामी, नरोत्तमदास, 1961, 'राजस्थान रा ढूहा', पूर्वोद्धृत, पृ. 14/5।
15. द्वृगड, रामनारायण, बारहट, कविया मुरारीदान एवं खारैड, महताबचन्द्र, 1931, मोह मर्दन, 'बाँकीदास-ब्रंथावली', दूसरा भाग, पूर्वोद्धृत, पृ. 41/9।
16. व्यास, चन्द्रशेखर, वि. सं. 2014, 'शेखर का सोरठा', (प्रकाशक) गोविन्द अग्रवाल, चूरू, पृ. 22/8।
17. शर्मा, गिरधारीलाल, 1956, 'राजस्थानी ढोहावली' - भाग 1, साहित्य संस्थान, राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर, पृ. 173/504।
18. राजस्थानी गंगा, 1986, खंड 2, भाग 4, अक्टूबर-दिसम्बर, 1986, पृ. 48/687।
19. 'मरुधर', भानसिंह शेखावत, 1988, 'भायला रा सोरठा', भूमिका प्रकाशन, जयपुर, पृ. 12।
20. नाहटा, अगरचन्द, 1966, 'नाथिये रा सोरठा - शिक्षा-सार', मर-भारती, वर्ष 14, अंक 2, जुलाई 1966, पृ. 27/5।
21. स्वामी, नरोत्तमदास, 1961, 'राजस्थान रा ढूहा', पूर्वोद्धृत, पृ. 28/10।
22. यमयंक, डॉ. मांगीलाल व्यास, 1973, केसवा रा सोरठा, 'राजस्थानी सोरठा संग्रह', कलम घर प्रकाशन, जोधपुर, पृ. 39/1।
23. पं. रामकर्ण (जोधपुर-निवासी), वि. सं. 1981, नीति-मंजरी, 'बाँकीदास-ब्रंथावली', पहला भाग, पूर्वोद्धृत, पृ. 68/32।
24. चतुरसिंह, 2000, 'चतुर चिन्तामणि', राजस्थानी ब्रन्थागार, जोधपुर, पृ. 27/146।
25. जोशी, महावीर प्रसाद, 2008, 'ढूढ़िया', शेखावाटी बोध, फरवरी 2008, पृ. 36।
26. स्वामी, नरोत्तमदास, 1961, 'राजस्थान रा ढूहा', पूर्वोद्धृत, पृ. 47/84।
27. कविया, डॉ. शक्तिदान, 2011, 'राजिया रा सोरठा', पूर्वोद्धृत, पृ. 30/39।
28. पं. रामकर्ण (जोधपुर-निवासी), वि. सं. 1981, सीह-छतीसी, 'बाँकीदास-ब्रंथावली', पहला भाग, पूर्वोद्धृत, पृ. 9/2।
29. जैथलिया, जुगल किशोर, 2005, रमणियां रा सोरठा, 'कन्हैयालाल सेठिया समग्र (राजस्थानी)', राजस्थान परिषद्, कोलकता, पृ. 5/17।
30. पं. रामकर्ण (जोधपुर-निवासी), वि. सं. 1981, ढातार-बावनी, 'बाँकीदास-ब्रंथावली', पहला भाग, पूर्वोद्धृत, पृ. 59/53।
31. कोठारी, डॉ. देव, 1990, भूमिका, 'गुमान ब्रंथावली', प्रथम खंड, साहित्य संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर, पृ. 43।
32. पं. रामकर्ण (जोधपुर-निवासी), वि. सं. 1981, ढातार-बावनी, 'बाँकीदास-ब्रंथावली', पहला भाग, पूर्वोद्धृत, पृ. 58/5।
33. पं. रामकर्ण (जोधपुर-निवासी), वि. सं. 1981, नीति-मंजरी, 'बाँकीदास-ब्रंथावली', पहला भाग, पूर्वोद्धृत, पृ. 67/29।
34. वही, पृ. 68/36।
35. वही, पृ. 66/23।

\*\*\*\*\*

## निमाड़ में भोंगर्या - मान्यता और वस्तुस्थिति

डॉ. मधुसूदन चौबे \*

**प्रस्तावना** - निमाड़ क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी आदिवासी समाज से संबंधित है। इस क्षेत्र में आने वाले चारों जिलों बड़वानी, खण्डवा, खरगोन एवं बुरहानपुर जिलों में जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य है। आदिवासियों की जिंदगी के बहुरंगी आयामों में भोंगर्या का विशेष स्थान है। इसका चलन मध्यप्रदेश के झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार जिलों में अधिक सघनता के साथ है। कुछ वर्षों पूर्व तक यह भगोरिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे भोंगर्या कहने का आग्रह किया जा रहा है। इसके संबंध में परंपरागत मान्यताओं और वर्तमान वस्तुस्थिति में बहुत अंतर है। प्रस्तुत शोध पत्र में इसी तथ्य का विश्लेष्य किया गया है।

**भोंगर्या - एक परिचय** - प्रत्येक वर्ष मार्च में होली के एक सप्ताह पूर्व भगोरिया हाट लगता है। फाल्गुन की मढ़माती बायरों तथा बसन्त के साथ भगोरिया का आगमन होता है। विशेष शृंगार करके भगोरिया हाट में पहुँचे आदिवासी युवक-युवती माँडल और ढोल की थाप तथा बाँसुरी की मधुर धुन पर नाचते एवं गाते हैं।

इस अवसर पर किये जाने वाले नृत्य की मुद्राएँ आकर्षक होती हैं। रंग-बिरंगी वेशभूषा में सजी-धजी युवतियाँ एवं हाथ में तीर-कमान तथा फालिया लिये युवकों का लय और गति के साथ नाचना भीलों के शृंगार एवं शौर्य का दिव्यदर्शन करता है। इन दिनों तीर कमान-फालिया आदि की अनुमति नहीं है। रंग-बिरंगी पञ्चियों से सजे नये छाते इनका स्थान लेते जा रहे हैं।

'इस उत्सव को सम्पन्न करने के लिये दूर गाँव गया व्यक्ति भी समय पर लौट आता है। परिवार के पास कपड़े नहीं होने पर वह एक सप्ताह पूर्व ही कपड़े की व्यवस्था करता है या उसी हाट से खरीदकर बच्चों को पहनाता है। इस दिन दुकानों में बड़ी मात्रा में मिठाइयाँ, गुड़ की जलेबी, हार-कंकण, मीठी सेव और नमकीन की खपत होती है। इसके अतिरिक्त शराब, पान, गुलाल और किराना की दुकानें भी इस बाजार में अपने ढंग की होती हैं। चकरी झूले, हड्डियाँ, मौत का कुआँ, गर्दन काटकर दिखाने वाला खेल आदि के द्वारा भील युवक एवं युवतियाँ अपना मनोरंजन करते हैं। इस उत्सव को सम्पन्न करने के लिये करबे के आसपास निवास कर रहे भील भारी मात्रा में इकट्ठे होने लगते हैं तथा ढोपहर 12 एवं 1 बजे के मध्य गुट बनाकर ढोल और माँडल के साथ धिरकने लगते हैं। उनके ढोल की लोक धुन का स्वर करबाई लोगों के लिये विशेष आकर्षण का केन्द्र बिन्दु होता है। नये-नये और रंगीन मोहक कपड़ों में भील बालाएँ, जिनकी आँखों में चमक और उमंग होती है, युवकों से लजाती-शरमाती देखी गई हैं। आदिवासी युवक भी इस पर्व पर अपने को सजाने-संवारने में कोई चुक नहीं करता है। सुन्दर रंगीन साफा और चौकड़ी की कमीज उसके बलिष्ठ शरीर पर खूब फैलती है।'

**भगोरिया - परंपरागत मान्यताएं** - जनजातियों पर लिखी गई किताबों, भोंगर्या के अवसर पर समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रस्तुत रिपोर्ट्स, सामान्य ज्ञान की किताबों के आधार पर परंपरागत मान्यत यह रही है कि भगोरिया भील जनजाति के प्रणय पर्व है। उस दिन युवक द्वारा युवती को पान देना एवं गुलाल लगाना प्रणय-प्रस्ताव तथा बदले में युवती द्वारा युवक को गुलाल लगा देना उसकी स्वीकृति माना जाता है। युवक-युवती विवाह सूत्र में बंधने के लिये जंगल में या रिश्तेदारों के यहाँ भाग जाते हैं, इसलिये इसे भगोरिया कहा जाता है। भगोरिया के दिन भगोर देवता की पूजा की जाती है।

**वर्तमान वस्तुस्थिति** - 2018 के भोंगर्या के पूर्व और दौरान सोशल मीडिया पर जनजातीय युवाओं ने ऐसी अनेक पोस्ट्स डालीं, जिनमें इसे 'भगोरिया', 'प्रणय पर्व', 'त्योहार' आदि न कहने का आग्रह किया गया। कुछ पोस्ट्स नाराजगी से युक्त भी थीं कि बार-बार समझाने और निवेदन करने के बावजूद गैर जनजातीय समाज और कुछ समाचार माध्यम सुनी-सुनाई परंपरागत बातों को ढोहरा रहे हैं। इन पोस्ट्स में कुछ पोस्ट्स कॉलेज के मेरे विद्यार्थियों की भी थीं। मैंने उन्हें बहुत गैर से पढ़ा। याद आया कि कुछ वर्ष पूर्व सेंधवा में जनजातीय समाज का एक वृहत् सम्मेलन हुआ था, वहां भी भगोरिया के संबंध में प्रचलित बातों का विशेष किया गया था। जनजातीय विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों से बातचीत करके तथा इस बार के भोंगर्या में सम्मिलित होकर मैंने साक्षात्कार एवं क्षेत्र अवलोकन के आधार पर इसकी वर्तमान वस्तुस्थिति को समझाने का प्रयास किया है।

वर्तमान में इसको भोंगर्या हाट माना जाता है। निमाड़-मालवा तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में पचलित हाट का शाब्दिक अर्थ होता है- बाजार गांवों, करबों, छोटे नगरों में सप्ताह के अलग-अलग दिनों में बाजार लगता है, उसे ही हाट कहते हैं। यह हाट हर सप्ताह लगता है। इस हाट में दैनिक उपयोग की वस्तुओं के विक्रेता आते हैं। वस्तुएं अपेक्षाकृत गुणवत्तायुक्त, विविधतायुक्त और सस्ती मिल जाती है। अतः हाट के दिन बाजारों में विक्रेता और क्रेता दोनों बड़ी संख्या में आते हैं।

इसी शृंखला में होली के पहले वाले सप्ताह में जो हाट लगते हैं, उन्हें सामान्य हाट न कहकर भोंगर्या हाट कहा गया है। सामान्य हाट और भोंगर्या हाट में मुख्य अंतर यह है कि सामान्य हाट में केवल खरीदी करने के आधय से आते हैं, जबकि भोंगर्या हाट में नये वस्त्र, आभूषण पहनकर, सजाईजकर, समूह में वायरांत्रों के साथ आते हैं और पूर्ण उत्सव के साथ नृत्य करते हैं। जहां तक बड़वानी नगर के भोंगर्या का प्रश्न है। यह 25 फरवरी, 2018, रविवार को सम्पन्न हुआ। ज्ञात हुआ कि आस पास के गांवों से अलग अलग ढल आते हैं। कुछ ढल शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

\* एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

महाविद्यालय, बड़वानी के खेल मैदान में इकट्ठे हुए और नृत्य करने लगे। मैं अपने विद्यार्थियों अंतिम मौर्य, प्रीति गुलवानिया, सोनिका पाटीदार, सुनिल बामनियां, उमेश राठौड़, राहुल मालवीय, सलोनी शर्मा, भारती धार्ते, किरण वर्मा के साथ गया। बड़वानी में भोंगर्या का मुख्य आयोजन दशहरा मैदान में होता है। सभी प्रक्रियाओं का ध्यान से अवलोकन किया। यह पाया कि अब भोंगर्या हाट का आयोजन सुव्यवसित ढंग से होता है। दशहरा मैदान में एक बड़ा स्टेज बनाया जाता है। स्टेज के सामने अलग अलग गांव से आये ढलों को नृत्य करने का निर्धारित समय दिया जाता है। मांडल की थाप, थाली की मधुर धूनि, कुरर्टियां आदि मिलकर बहुत ही मनोहारी परिवेश का निर्माण करती हैं। और नृत्य के तो कहने ही क्या? सधी हुई मुद्राएं। मनमोहक लयबद्धता। अद्भुत तालमेल। कुल मिलाकर देखने वाले अपनी सुधुबुध खो देते हैं। यही हाल हमारा भी हुआ। हमें कहीं भी आदिवासी युवक-युवती एक-दूसरे को गुलाल लगाते या पान खिलाते नहीं दिखे। बस नृत्य और उल्लास का वातावरण दिखा। सायं होते होते ये ढल तथा ढल से अलग

आये आदिवासी वर्ग के सभी आयु वय के ऋति-पुरुष विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से भरी थैलियां और पोटलियां ले जाते हुए प्रसन्न मुद्रा में अपने ढीत्रों में लौटते हुए मिले।

**उपसंहार** – इस तरह जिसे हम वर्षों से भगोरिया कहते, सुनते, पढ़ते आये हैं, वह वस्तुतः भोंगर्या है। यह एक पर्व या उत्सव न होकर एक विशेष हाट है। इसे भोंगर्या हाट कहना ही उचित होगा। प्रेम विवाह सभी वर्गों और समाजों में होते हैं। इसे भोंगर्या से जोड़कर देखना उचित नहीं है। भोंगर्या के अवसर पर आदिवासी समाज का उत्साह देखते ही बनता है। गैर आदिवासी समाज के लोग भी उनके उत्साह और खुशियों के साक्षी तथा सहभागी बनते हैं।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- भीलों की सामाजिक व्यवस्था, लेखक - डॉ. एम. एल. वर्मा, प्रकाशक - वलासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, संस्करण - 1992, पृष्ठ - 107 - 108

**बड़वानी भोंगर्या- 2018 – सहभागिता और अध्ययन**





### धोरंगर्या हाट – चित्रात्मक झलक



\*\*\*\*\*

## मास मीडिया और विज्ञापन यूग

### डॉ. पूनम कुमारी \*

**प्रस्तावना** – संचार माध्यम अंग्रेजी के मीडिया शब्द से बना है जिसका अभिप्राय होता है दो बिन्दुओं को जोड़ने वाला अर्थात् संचार माध्यम की सम्प्रेषक और श्रोता को परस्पर जोड़ते हैं।

हेराल्ड, लॉसवेल के अनुसार, संचार माध्यम के मुख्य कार्य सूचना संग्रह एवं प्रसार, सूचना विश्लेषण, सामाजिक मूल्य एवं ज्ञान का सम्प्रेषण तथा लोगों का मनोरंजन करना है।

अर्थात् मास मीडिया, मीडिया प्रौद्योगिकियों का एक विविध संग्रह है जो बड़े पैमाने पर संचार के माध्यम से विभिन्न लोगों तक पहुंचता है तथा संचार सम्बन्ध स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है।<sup>1</sup>

संदेश के प्रवाह में प्रयुक्त किए जाने वाले माध्यमों का अस्तित्व समाज में अनादिकाल से ही रहा है। यह अलग बात है कि उनका स्वरूप अलग-अलग होता था। जैसे-जैसे तकनीकी प्रौद्योगिकी ने विकास किया उसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी भी विकसित होती गई। प्रायः मास मीडिया का अर्थ सम्मिलित रूप से समाचार-पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन और चलचित्र आदि से लिया जाता है जो समाचार एवं विज्ञापन दोनों के प्रसारण के लिए प्रयुक्त होते हैं।

विज्ञापन शब्द की संरचना दो शब्दों वि+ज्ञापन के संयोग से हुई है, जिसमें वि का अर्थ विशेष तथा ज्ञापन का अर्थ सूचना या जानकारी देना अर्थात् विशेष सूचना या जानकारी देना ही विज्ञापन है। विज्ञापन उपभोक्ता का ध्यान किसी वस्तु, विचार या सेवा की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सेवाओं एवं व्यापार की वस्तुओं की ओर ध्यान आकर्षण करना ही विज्ञापन है।<sup>2</sup>

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विज्ञापनों का जितना महत्व है उतना ही महत्व इन संदेशों के वाहक यानी मीडिया का भी है ताकि संदेश अपने सम्पूर्ण रूप में उपभोक्ता तक पहुंचे। ये वाहक एक तकनीकी उपकरण है जिनके माध्यम से संदेश प्रेषित किए जाते हैं। समाचार पत्र-पत्रिकाएं, दूरदर्शन, बाह्य माध्यम (पोस्टर, होर्डिंग, कियोस्क, बैनर आदि) इंटरनेट, पी० पी० और आदि विशिष्ट मास मीडिया हैं जो विज्ञापनकर्ता की सम्भावित उपभोक्ता तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। यही माध्यम निर्माता और उपभोक्ता के बीच माध्यरथ का कार्य करते हैं। विज्ञापन माध्यम के जरिये ही संदेश उचित समय, स्थान और इच्छित व्यक्तियों तक पहुंच पाता है। वैश्वीकरण के इस युग में विज्ञापन माध्यमों का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि-

- बाजार एक ही जैसे उत्पादों से भरा पड़ा है।
- उत्पादों की सफलता पर कम्पनी का अस्तित्व निर्भर करता है।

- विज्ञापनों के संदेश प्रस्तुतीकरण का तरीका भी दिनों दिन निखर रहा है, क्योंकि विज्ञापन के क्षेत्र में व्यवसायिक दक्षता के कारण इस क्षेत्र में गुणवत्ता भी काफी बढ़ी है।

हर माध्यम का एक अलग उपभोक्ता वर्ग है। जैसे-इंटरनेट कम्प्यूटर साक्षरों का, रेडियो ग्रामीणजनों का, सिनेमा सिने प्रेमियों का तो पत्र-पत्रिकाएं शिक्षित वर्ग के माध्यम माने जाते हैं। इसलिए एक साथ अनेक माध्यमों का चुनाव कर उत्पाद निर्माता बहुसंख्यक मध्यवर्ग तक पहुंचने की कौशिश करता है क्योंकि बहुत सारे निरक्षर, साक्षर, शहरी और ग्रामीण लोग मध्यमवर्ग का हिस्सा हैं। अब तो विज्ञापन माध्यमों के द्वायरे में परम्परागत माध्यमों से लेकर जनसंचार की चौथी लहर के माध्यम भी शामिल हो चुके हैं।

मुद्रण के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में क्रांति आई। हालांकि इससे पूर्व हस्तलिखित पत्रों के माध्यम से सूचना सम्प्रेषण का कार्य प्रारम्भ हो चुका था, लेकिन उसकी पहुंच कुछ सीमित लोगों तक ही थी। मुद्रित माध्यम के प्रचलन के बाद संचार को मानो पर लग गया। मुद्रण तकनीकी के क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास ने मुद्रित माध्यम को पहले ही अपेक्षा काफी अधिक प्रभावी बना दिया है।

इलैक्ट्रोनिक्स मीडिया की मदद से दूर-दराज के क्षेत्रों में त्वरित गति से सूचना देने में टी०वी०, मोबाइल, इंटरनेट आदि ने अपनी विशेष भूमिका निभाई है।

प्रत्येक माध्यम एवं उसके वाहनों की संदेश पहुंचाने एवं सम्भावित उपभोक्ताओं को प्रभावित करने की अपनी-अपनी क्षमता होती है। माध्यम मालिक अपने माध्यम की सूचना क्षमता और मनोरंजन की योग्यता के आधार पर पाठांकों को आकर्षित करता है। और इन्हीं पाठांकों की उपरिधिति को विज्ञापनकर्ता को बेचता है। इसलिए विज्ञापनकर्ता के विज्ञापन संदेश को लक्षित उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की ऐवज में माध्यम विज्ञापनकर्ता या विज्ञापन एजेंसी से धन प्राप्त करता है जो माध्यम की आय का मुख्य स्रोत होता है।

भारत में वर्ष 2015 में विभिन्न माध्यमों को विज्ञापन से लगभग 47500 करोड़ रु प्राप्त हुए जिनमें से 40 प्रतिशत मुद्रण माध्यमों 38 प्रतिशत टी०वी०, 5 प्रतिशत बाह्य माध्यमों, 13 प्रतिशत डिजिटल माध्यम तथा 7 प्रतिशत रेडियो को प्राप्त हुआ है।

विज्ञापन के परम्परागत जनसंचार माध्यम के सक्षम डिजिटल पर्याय माध्यम के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। परम्परागत विज्ञापन माध्यमों में परिवर्तन आवश्यक है क्योंकि उपभोक्ता लम्बे समय से इन्हीं माध्यमों से परिचित है। वर्ष 2015 में डिजिटल माध्यम का गत वर्ष की

\* व्याख्यता (व्यवसायिक कला) फतहचन्द महिला महाविद्यालय, हिसार (हरियाणा) भारत

अपेक्षा 38.2 प्रतिशत प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से 6010 करोड़ रु विज्ञापन से प्राप्त हुए हैं जो सभी माध्यमों को प्राप्त कुल विज्ञापन आय का लगभग 13 प्रतिशत है। इस माध्यम को अपनी कुल विज्ञापन आय में से 5110 करोड़ रु डेस्कटॉप विज्ञापन से तथा 900 करोड़ रु मोबाइल से प्राप्त हुए हैं।

वर्ष 2016 से 2020 तक यह विज्ञापन आय 33.5 प्रतिशत वृद्धि दर से बढ़ कर 25520 करोड़ रु तक पहुंचने की सभी माध्यमों की कुल विज्ञापन आय को लगभग 26 प्रतिशत होगी।

विज्ञापन सम्भावित उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए विभिन्न उपलब्ध माध्यमों का वैकल्पिक रूप से प्रयोग करता है तथा अपने उत्पाद एवं सेवा का अधिक से अधिक प्रचार, प्रसार कर लाभान्वित होता है तथा उपभोक्ता भी अनेकों तरह की सूचनाएं तथा जानकारी ग्रहण कर अपने आप को मानसिक सन्तुष्टि प्राप्त करता है। अपने अंततः वर्तमान परिस्थितियों और बाजारवाद के ढौर में मास मीडिया और विज्ञापन एक दूसरे के पूरक से बने नजर आते हैं। जहां एक तरफ उत्पादित वस्तुओं

को बहुविज्ञापित कर उपभोक्ता की जेब से पैसा निकलवाने की क्रिया का सम्पादन होता है वही मास मीडिया विज्ञापन कम्पनियों से पैसा कमा कर अपना तन्त्र सुचारू रूप जारी रखने में सफलता बनाए रखता है अगर हम यह कहे कि मास मीडिया और विज्ञापन ढोनों ही एक दूसरे के लिए अपनी प्रासंगिकता को तय करते हैं तो यह बात अतिश्योक्तिपूर्ण न होगी।

### संदर्भ ग्रंथ मूर्ची :-

1. <https://hi.wikipedia.org>
2. यादव, नरेन्द्र सिंह, विज्ञापन प्रबन्ध, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, द्वितीय संस्करण-2013, पृ० सं०-31
3. नकवी, हेना, पत्रकारिता एवं जनसंचार, उपकार प्रकाशन, आगरा, पृ० सं०-201
4. यादव, नरेन्द्र सिंह, विज्ञापन तकनीक एवं सिद्धान्त, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, सातवां संस्करण-2017, पृ० सं०-211



## निमाड़ के दर्शनीय स्थल

### डॉ. मधुसूदन चौबे \*

**प्रस्तावना** – वर्तमान में पर्यटन वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार स्तम्भ बनता जा रहा है। प्रत्येक देश इसके विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील है। इसमें एक बार निवेश के उपरांत ढीर्घ काल तक लाभ एवं आय की प्राप्ति होती है। जहाँ यह आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहीं पर्यटन की सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक प्रसार में भी अद्वितीय भूमिका है। दुनिया की सबसे पहली सभ्यता-संस्कृति के केन्द्र भारत में सर्वत्र दर्शनीय स्थलों की प्रचुरता है। आदि मानव की क्रीड़ा स्थली रहा निमाड़ ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक दृष्टि से दर्शनीय स्थलों का समृद्ध केन्द्र है। लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ कुछ स्थल ही बना सके हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में निमाड़ के चार ज़िलों, बड़वानी, खरगोन, खण्डवा एवं बुरहानपुर के दर्शनीय स्थलों की विवेचना की जा रही है।

**निमाड़ का परिचय** – निमाड़ विद्युत्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की तलहटी में नर्मदा के किनारे स्थित है। यह मालवा के पठार की तुलना में निचला भू-भाग है। मालवा से निमाड़ की ओर आने पर निरन्तर नीचे की ओर उतरना पड़ता है। इस तरह निम्नगामी होने से इसका नाम 'निमानी' और उससे बदलकर 'निमारी' और 'निमाड़ी' हो गया।

यह मध्यप्रदेश के दक्षिण-पश्चिम भाग में इन्दौर संभाग में स्थित है। 'आयताकार निमाड़ 21°5' उत्तरी अक्षांश से 22°38' उत्तरी अक्षांश तक तथा 74°2' पूर्वी देशान्तर से 77°13' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।<sup>1</sup> 1 नवम्बर, 1956 को नये मध्यप्रदेश के निर्माण के समय निमाड़ को दो भागों में विभक्त किया गया – 1. पश्चिमी निमाड़ एवं 2. पूर्वी निमाड़।<sup>2</sup> खरगोन को पश्चिमी निमाड़ का एवं खण्डवा को पूर्वी निमाड़ का जिला मुख्यालय बनाया गया। '25 मई, 1998 को सिंहदेव आयोग की अनुशंसा को क्रियान्वित करते हुये मध्यप्रदेश में 16 नये ज़िले बनाये गये, जिनमें से एक बड़वानी निमाड़ क्षेत्र में है।'<sup>3</sup> 15 अगस्त, 2003 को पूर्वी निमाड़ से पृथक करते हुये बुरहानपुर को नया ज़िला बनाया गया। वर्तमान में इस क्षेत्र में चार ज़िले सम्मिलित हैं।

**निमाड़ का दर्शनीय स्थलों का वर्गीकरण** – निमाड़ में स्थित दर्शनीय स्थल बहुआयामी हैं। जहाँ गौरवशाली इतिहास को अभिव्यक्त करते महान दुर्ग एवं अन्य स्मारक हैं, वहीं ईश्वर के प्रति श्रद्धा के केन्द्र धर्म स्थलों की प्रचुरता है। प्रकृति भी निमाड़ के किन्हीं भागों में मेहरबान होकर मनोहारी झरनों, टापू, नदी तट, पहाड़ी आदि के माध्यम से सैलानियों को सम्मोहित करती है। गणगौर, भौंगर्या जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक उपादान भी पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। प्रायः प्रत्येक गांव, कस्बे, शहर में एकाधिक ऐसे स्थान हैं जिनकी टूरिज्म वेल्यू है और थोड़े से प्रयासों से वह सैलानियों को अपनी और आकृष्ट करने का बल उत्पन्न कर सकते हैं।

**बड़वानी ज़िले के दर्शनीय स्थल** – जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के अनुसार बड़वानी ज़िले का गठन 25 मई, 1998 को किया गया। खरगोन ज़िले के भूभाग को विभाजित करके उसके पश्चिमी क्षेत्र से बड़वानी ज़िला बनाया गया है। 'बड़वानी ज़िले का क्षेत्रफल 5,433 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार ज़िले की जनसंख्या 13,85,881 थी।'<sup>1</sup> बड़वानी ज़िले के गठन के समय इसमें छह तहसीलें सम्मिलित थीं– बड़वानी, ठीकरी, राजपुर, पानसेमल, सेन्धवा एवं निवाली। वर्ष 2008 में अंजड़ एवं पाटी तहसीलों का निर्माण किया गया, जिससे तहसीलों की संख्या बढ़कर वर्तमान में आठ हो गई। ज़िले में कुल सात विकास खण्ड शामिल हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं– बड़वानी, पाटी, ठीकरी, राजपुर, पानसेमल, सेन्धवा एवं निवाली।

बड़वानी नगर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे– भीमा नायक प्रेरणा केन्द्र, रेवा सर्कल, ओलम्पिक तिराहा, नया कलेक्टोरेट, सेगांव टेकड़ी हनुमान मंदिर, गौशाला रिंथत राधा-कृष्ण मंदिर, साई मंदिर, शनि मंदिर, वैष्णव देवी मंदिर, हनुमान मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर, बंधान, धोबडिया तालाब, जॉगर्स पार्क, राजा का महल, रानी का महल, तीर-गोला, कारंजा शहीद स्मारक, गांधी समाधि, राजघाट नर्मदा तट, कसरावद नर्मदा तट आदि।

बड़वानी के निकट स्थित बावल बयड़ा का प्राकृतिक सौन्दर्य अद्भुत है। निकट ही छोटा सा तालाब है। जैन मंदिर अपनी सात्विकता के साथ विद्यमान हैं।

बड़वानी से आठ किलोमीटर दूर स्थित बावनगजा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर चुका है। यहाँ आदिनाथ जी की विषाल प्रतिमा है। अनेक अन्य मंदिर हैं। वर्षा ऋतु में बावनगजा तथा आसपास का प्राकृतिक सौन्दर्य इतना निखर जाता है कि दर्शक मुग्ध हो जाते हैं।

बड़वानी ज़िले में 1857 के महान क्रांतिकारी भीमा नायक की गढ़ी, धाबा बावड़ी, कई अन्य बावड़ियां, रामगढ़, सेन्धवा का किला सहित अनेक ऐसे स्थल हैं जहाँ पर्यटक जाना पसंद करते हैं।

नागलवाड़ी के शिखरधाम की ख्याति निरंतर बढ़ रही है। यहाँ शीलट देव का प्राचीन मंदिर था, जिसे वर्तमान में भव्य रूप देंदिया गया है। प्राकृतिक सौन्दर्य भी यहाँ अद्भुत है। निकट स्थित ग्राम ओझर का शिवटेकड़ी धाम भी प्रसिद्ध है।

**खरगोन ज़िले के दर्शनीय स्थल** – इसको पश्चिमी निमाड़ ज़िला भी कहा जाता है। 'खरगोन ज़िले का क्षेत्रफल 8011 वर्ग किलोमीटर है।'<sup>1</sup> 'सन् 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 1873046 थी।'<sup>2</sup>

खरगोन ज़िले को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से नौ तहसीलों में गठित किया गया गया है। ये हैं– खरगोन, भगवानपुरा, सेगांव, भीकनगांव,

\* एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

झिरन्या, महेश्वर, बडवाह, कसरावद एवं गोगांव।

इस जिले में कुल नौ विकासखण्ड हैं— खरगोन, गोगाँव, भगवानपुरा, सेंगाँव, शीकनगाँव, झिरन्या, महेश्वर, बडवाह एवं कसरावद।

नर्मदा के पवित्र तट पर स्थित निमाड जिले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ का स्थल, पुराण प्रसिद्ध महिष्मति नगरी, आधुनिक महेश्वर के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर स्थित अनेक प्राचीन मन्दिर, बावडियाँ, होलकर घराने की कुलवधू देवी अहिल्याबाई की धर्मपरायणता, दानशीलता और कल्याणकारी भावना के ज्वलंत उदाहरण हैं। इसी नगरी में भगवान शंकर के अनेक भव्य मन्दिर बने हुए हैं।

काशी और उज्जैन के बाद आने वाला खरगोन का नवग्रह मन्दिर, जिसके कारण इसे नवग्रह नगरी के नाम से भी जाना जाता है, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी मन्दिर के नाम से यहाँ प्रतिवर्ष नवग्रह मेला लगता है। इसके अलावा खरगोन में स्थित श्री गोवर्धननाथ का मन्दिर, जो वैष्णवों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है, उन में स्थित जैन तीर्थ तथा अनेक मन्दिर, सेंगाँव में स्थित लालबाई व फूलबाई का मन्दिर, सतपुड़ा की शृंखलाओं में स्थित तथा पुरातत्ववेत्ताओं के लिये शोध का विषय सिरकेल महादेव मन्दिर, ग्राम भग्यापुर के नजदीक स्थित अति प्राचीन नन्हेश्वर मंदिर भी कम महत्व के नहीं हैं।

**खण्डवा जिले के दर्शनीय स्थल** – यह अभी भी पूर्वी निमाड जिले के रूप में अभिहित किया जाता है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार तत्कालीन पूर्वी निमाड जिले की कुल जनसंख्या 13010061 थी।<sup>11</sup>

जिले में चार तहसीलें सम्मिलित हैं— इनके नाम इस प्रकार हैं— खण्डवा, पंथाना, हरसूद एवं पुनासा। जिले में सात विकास खण्ड बनाये गये हैं, जिनके नाम हैं— खण्डवा, पुनासा, छेंगाँवमाखन, पंथाना, हरसूद, बलड़ी (किलोद) एवं खालवा।

नर्मदा के पावन जल के किनारे स्थित सौन्दर्य तीर्थ औंकारेश्वर, जहाँ पर बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग ममलेश्वर महादेव स्थित है, तथा हरसूद तहसील में फिरफाड़ नदी के किनारे स्थित सन्त सिंगाजी की समाधि स्थल सिंगाजी, पूर्वी निमाड के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। सिंगाजी में सन्त सिंगाजी की स्मृति में निमाड का सबसे बड़ा मेला लगता है।

खण्डवा जिले में हाल ही में विकसित हुआ हनुवंतिया टापू मध्यप्रदेश का स्विटजरलैंड और मध्यप्रदेश का गोवा कहलाता है। यहाँ आयोजित हुए जलमहोत्सव के ढीरान बड़ी संख्या में पर्यटक आये।

खण्डवा स्थित ढाढ़ाजी धूनीवाले का आश्रम श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है। गुरु पूर्णिमा पर यहा विशाल जनसमुदाय उमड़ता है। प्रतिदिन भी भक्तों का आगमन होता है।

सुविख्यात गायक और फिल्म अभिनेता किशोर कुमार का स्मारक भी खण्डवा के पर्यटन का उल्लेखनीय मुकाम है।

इसके अलावा घटाघर, मध्यकालीन किला, विद्याचल पर्वत शृंखला, इंदिरा सागर बांध, नवचंडीदेवी धाम, नागचुन बांध आदि सहित अनेक दर्शनीय स्थान हैं।

**बुरहानपुर जिले के दर्शनीय स्थल** – पूर्वी निमाड जिले का विभाजन करके दिनांक 15 अगस्त, 2003 को बुरहानपुर जिले का गठन किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार 'इस जिला क्षेत्र में सम्मिलित भू-भाग की जनसंख्या 757847 पाई गई थी।'

बुरहानपुर जिले में तीन तहसीलें— बुरहानपुर, खकनार एवं नेपानगर

तथा दो विकासखण्ड— खकनार एवं बुरहानपुर हैं।

तासी नदी के किनारे स्थित मुगल शासकों के महत्वपूर्ण केन्द्र बुरहानपुर में बनी हुई सोलहवीं शताब्दी की भव्य मस्जिद आज भी अपनी गौरव गाथा सुना रही है। ताजमहल भले ही यहाँ नहीं बन सका हो, लेकिन जिसकी याद में आगरे का सुप्रसिद्ध ताजमहल बना है, उस मुमताज की मृत्यु यहाँ पर हुई है और पूरे तीन माह तक उसका शव 'आहू खानेय में रखा गया था। खण्डवा से 30 मील दक्षिण में, सतपुड़ा की ऊंची चोटी पर स्थित निमाड का अजेय दुर्ग असीरगढ़ के खण्डहर आज भी इतिहास के खोजकर्ताओं की समस्या बने हुए हैं। इस किले के निर्माण के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन इसे महाभारत के अष्टव्यामा के नाम से जोड़ा जाता है। इसका वर्णन अश्वत्थामा पलायन लोककथा में मिलता है।


'बुरहानपुर अपने एक नहीं अनेक पर्यटन स्थलों के कारण पहचाना जाता है। बुरहानपुर से होकर दक्षिण को जाने वाला एक प्रमुख मार्ग गुजरता है। इस मार्ग पर एक बहुत ही पुराना असीरगढ़ का किला मौजूद है। अपने सामरिक महत्व के कारण इस किले को दक्षिण की चाबी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बुरहानपुर में देखने के लिए और भी कुछ है। पर इनमें सर्वाधिक आकर्षित करता है खूनी भण्डारा। अब्दुल रहीम खानखाना ने बुरहानपुर में मुगल सूबेदार की हैसियत से अनूठी जल वितरण व्यवस्था में खूनी भण्डारा का निर्माण किया था। इस प्रकार की जल वितरण व्यवस्था को भारत के अलावा ईरान में भी अपनाया गया। इस जल वितरण व्यवस्था से भू-गर्भ में जलस्रोतों की खोज करके जल को भूमिगत नहर से कनाट गैलेरी पद्धति से शहर तक पानी ले जाने का कार्य बिना किसी बाहरी उपकरण या मषीन की मदद से पानी खूनी भण्डारा से बुरहानपुर तक पहुंचाया गया। जल वितरण की यह व्यवस्था आज भी कायम है।'

**उपसंहार** – इस प्रकार स्पष्ट है कि निमाड में पर्यटन उद्योग के विकास की असीम संभावनाएं हैं। बड़वानी के बावनगजा, ब्वालबयडा, सेंधवा का किला, नागलावड़ी का शिखर धाम, खण्डवा के औंकारेश्वर और हनुवंतिया, खरगोन का महेश्वर तथा बुरहानपुर का असीरगढ़ ऐसे नाम हैं, जिन्हें ठीक से प्रचारित-प्रसारित किया जाये तो न केवल मध्यप्रदेश के अपितु भारत के सभी क्षेत्रों और दुनिया के अन्य देशों के पर्यटक भी खींचे चले आयेंगे। महेश्वर पिछले कछ वर्षों से फिल्मी दुनिया के लोगों को विशेष प्रभावित करने में सफल हुआ है और यहाँ अनेक फिल्मों की शूटिंग हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती हिलेरी विलंटन ने हाल ही में महेश्वर की यात्रा की थी।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यप्रदेश – एक भौगोलिक अध्ययन, लेखिका – डॉ. प्रमीला कुमार, प्रकाशक – मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, संस्करण – 2002, पृष्ठ – 41
2. मध्यप्रदेश – विस्तृत अध्ययन, लेखक – पूर्णेन्दु कुमार, प्रकाशक – अहिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ, संस्करण – 2008, पृष्ठ – 86
3. वही, पृष्ठ – 89
4. वही, पृष्ठ – 77
5. मध्यप्रदेश संदर्भ – 2010, प्रकाशक – जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल, द्वितीय संस्करण – 2010, पृष्ठ – 517 एवं 518.

### निमाइ के दर्शनीय स्थल (चित्र संयोजन-डॉ. पंकज कानूनगो)



\*\*\*\*\*

## ग्रामीण विकास - नीति एवं संरचना

### सचिन कुमार पाण्डेय \*

**प्रस्तावना** – भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अतः यहाँ सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों का ही देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देश के आर्थिक नियोजन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की आयोजना को अंगीकृत किया गया है। अब तक हमारे आर्थिक आयोजन का ढाँचा केन्द्रीयकृत और संकेन्द्रित प्रकार का रहा है। योजना अयोग लक्ष्यों को निर्धारित करके उसकी पूर्ति या प्राप्ति का उत्तरदायित्व अर्थव्यवस्था के दोनों क्षेत्रों – ‘सार्वजनिक एवं निजी’ के विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं को सौंप देता है, लेकिन योजना आयोग के माध्यम से नियोजन का जो केन्द्रीयकृत ढाँचा विद्यमान है, उसे बदलने की आवश्यकता है। आठवीं नियोजन हेतु योजना अयोग की भूमिका में परिवर्तन लाया गया था। जैसा कि योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष प्रणव मुखर्जी का कहना था – ‘बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप हमने योजना आयोग की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया है। आयोजना की अत्यधिक केन्द्रीयकृत प्रणाली से अब हम निर्देशात्मक योजना प्रणाली की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह योजना (1992-1997) निर्देशात्मक प्रकृति की रही है। इसके भविष्य के लिए दीर्घकालीन कार्यनीति बनाने पर जोर दिया गया है तथा राष्ट्र की प्राथमिकताये निर्धारित की गयी हैं। योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न विकल्पों की विस्तृत जाँच और विशिष्ट परियोजनाओं का पता लगाने का प्रयास किया गया है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए इसमें क्षेत्रवाच लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिससे अर्थव्यवस्था को निर्धारित दिशा में अग्रसर करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके।’

सच तो यह है कि आठवीं योजना में लोकतांत्रिक आयोजन पर जोर दिया गया अर्थात् पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोकतांत्रिक नियोजन के द्वारा तक पहुँचना प्रमुख देयो रहा है।

**विकेन्द्रीकृत नियोजन** – विकेन्द्रीकृत नियोजन में योजना का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन केन्द्र से न होकर विभिन्न क्षेत्रों द्वारा संचालित होता है। इसके अन्तर्गत योजना निर्माण एवं संचालन में स्थानीय क्षेत्र विशेष के लोगों की सक्रिय भागीदारी रहती है।

लोकतांत्रिक नियोजन विकेन्द्रीकृत नियोजन का एक प्रमुख रूप है। इस प्रकार के नियोजन में योजनाओं को बनाने तथा उनका क्रियान्वयन करने में मुख्यतः जन सामान्य की भागीदारी रहती है। पंचायती राज प्रणाली में हम लोकतांत्रिक नियोजन का स्वरूप देख सकते हैं। भारत में योजनाओं की नीति, लक्ष्य आदि का निर्धारण योजना-आयोग करता रहा है। साथ ही क्षेत्र विशेष की समस्याओं का स्वरूप लोकतांत्रिक नहीं रहा है। यही कारण है कि भारत में सरकार एवं जनता का विश्वास दिन-प्रति-दिन कम होकर

दोनों के मध्य अविश्वास की खाई बढ़ती जा रही है। किसी भी आयोजन की सफलता इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि आज जनता की भागीदारी उसमें किस सीमा तक विद्यमान है।

प्रो. कामताप्रसाद का मानना है कि पंचायती राज प्रणाली के जरिए योजना में लोगों की भागीदारी से योजना के और सक्षम एवं बेहतर उपकारण होने की आशा है क्योंकि स्थानीय लोगों का अपनी आवश्यकताओं के बारे में बेहतर उपकारण होता है तथा स्थानीय संसाधनों के संबंध में उन्हें अच्छी जाकारी होती है। भारत में आज जिन राज्यों में पंचायती राज संस्थाएँ कार्य कर रही हैं वहाँ उनकी भूमिका केवल सतही ही है क्योंकि योजना द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के चयन में अथवा ग्रामीण विकास योजनाओं में ये संस्थाएँ साधारण रूप से भागीदार रही हैं।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण अथवा ग्रामीण भारत में सामाजिक तथा आर्थिक रिस्थितियों में सुधार लाने और स्थानीय प्रयासों की उपयोगिता को बनाये रखने के उद्देश्य से जनवरी 1957 में बलवन्त राय मेहता समिति गठित की गयी। जिसने 24 नवम्बर 1957 को अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य के निचले स्तर पर अधिकारों एवं दायित्वों का विकेन्द्रीकरण करना नितान्त आवश्यक है। समिति ने आगे कहा – ‘सत्ता ऐसी संस्था को सौंपी जाये जा अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सभी विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी हों और सरकार का काम मार्गदर्शन, उच्च स्तर की योजना बनाना तथा जहाँ आवश्यकता हो उन उपलब्ध कराना ही रहना चाहिए।’

पंचायती राज संस्थाएँ हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की रीढ़ रही हैं, जिनके चारों ओर गॉर्च की समूची सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियाँ चलती थीं। वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक ये पंचायतें ही हमारे गॉर्चों एवं ग्रामीणों की आवश्यकताओं की देखभाल करती थीं। आज हमें पुनः ग्राम पंचायतों की सक्रिय भूमिका को लेकर नियोजन एवं उसकी कार्य प्रणाली का संचालन करना चाहिए।

**नियोजन प्रणाली के विभिन्न रूप** – विगत चार-पाँच दशकों के दौरान भारत में ग्रामीण विकास हेतु अपनायी गयी रणनीति में अनेक प्रकार की नियोजन पद्धतियों का अनुसरण किया गया है, जिसमें प्रमुख इस प्रकार हैं-

- अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन नियोजन** – अल्प या लघु अवधि के लिए जो नियोजन प्रक्रिया अपनायी जाती है, उसमें तात्कालिक आवश्यकताओं एवं समस्याओं को सामने रखा जाता है। तात्कालिक समस्याएँ आर्थिक एवं सामाजिक दोनों तरह की हो सकती हैं। इस प्रकार लघु अवधि की नियोजन प्रणाली तात्कालिक समस्याओं को हल करने के

\* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

लिए उपयोगी होती है। इसमें एक वर्षीय व कभी-कभी त्रिवर्षीय योजनाएँ बनाई जाती हैं। जैसे - भुगतान संतुलन एवं विदेशी विनिमय कोषों के अभाव से निपटने के लिए बनायी गयी योजना, बजटीय व्यवस्था अल्पकालिक नियोजन में शामिल होती है। दूसरी ओर, अल्पकालिक नियोजन के अलावा या इसके साथ-साथ दीर्घावधि की योजनायें भी तैयार की जाती हैं। इसमें संस्थानिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन शामिल रहते हैं। इसमें पंचवर्षीय योजनायें तथा दस वर्षीय या बीस वर्षीय योजनायें शामिल रहती हैं। जैसे आर्थिक विकास हेतु दीर्घकालिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण हेतु नीति, भुगतान संतुलन की संरचनात्मक असामान्यता को सुधारने हेतु योजना आदि। लघु अवधि की योजनायें दीर्घ अवधि की योजना की रणनीति की सहायक होती है। लघु एवं दीर्घ अवधि की योजनाओं के मध्य सामंजस्य बनाये रखना होता है। भारत में वार्षिक योजनायें वार्षिक बजट से जुड़ी होती हैं, उन्हें पंचवर्षीय योजनाओं के साथ जोड़ा जाता है। इस तरह दोनों ही प्रकार की योजनायें क्रमिक रूप से निरन्तर चलती रहती हैं। नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक पंचवर्षीय योजना को संशोधित रूप में अगले पाँच वर्षों के लिए बनाया जाता है।

**2. क्षेत्रीय नियोजन** - क्षेत्रीय नियोजन प्रणाली के द्वारा पिछड़े क्षेत्रों तथा विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र जैसी भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाता है। इनमें पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास कार्यक्रम, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं। क्षेत्रीय नियोजन कार्य प्रणाली में क्षेत्र विशेष के आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हेतु अनेकानेक कार्यक्रम लागू किये जाते हैं।

**3. बहुधन्धी नियोजन** - भारत में नियोजन के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु प्रथम प्रयास सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के साथ प्रारम्भ हुआ। वर्ष 1952 में, देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम चलाये गये। इसमें कृषि एवं पशुपालन के अलावा सिंचाई, खास्त्रय, शिक्षा, लघु एवं कुटीर उद्योग, सड़क, आवास, दूर-संचार आदि अनेक परियोजनाओं को अंगीकृत किया गया है। अर्थात् इसमें एक साथ अनेक धन्धों को अपनाया गया। विकास की यह नियोजन पद्धति बहुधन्धी नियोजन पद्धति कहलाती है।

**4. वर्गीकृत एवं स्थानिक नियोजन** - संतुलित आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए वर्गीकृत तथा स्थानिक योजनाओं का विशेष महत्व है। ये योजनायें संतुलित आर्थिक विकास की अवधारणा पर आधारित हैं। स्थानिक विकास एवं क्षेत्रीय विकास की अवधारणा काफी मिलती-जुलती है। वर्गीकृत नियोजन के अन्तर्गत प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो इस प्रकार से वर्गीकृत हैं-

**प्राथमिक क्षेत्र** - कृषि, पशुपालन एवं संबंधित क्रियायें, खनन, वानिकी आदि।

**द्वितीयक क्षेत्र** - विनिर्माण यथा ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग।

**तृतीयक क्षेत्र** - बैंकिंग, बीमा, परिवहन, व्यापार आदि।

**5. सामान्य एवं बहु-स्तरीय नियोजन** - सामान्य नियोजन के अन्तर्गत नियोजन का प्रारूप राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित होता है। राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन का निर्माण कर उसे निम्न स्तर की इकाइयों (प्रशासनिक इकाइयों) को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसी स्थिति में निम्न स्तर के अधिकारियों को योजना की तकनीकी जानकारी नहीं हो पाती है। इसके कारण नियोजन का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की नियोजन

प्रणाली से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता है। सामान्य नियोजन प्रणाली केन्द्रीय कुल योजना प्रणाली की जरूरत है। विकेन्द्रीकृत नियोजन में बहु-स्तरीय योजना की अवधारणा अधिक सही एवं उपयुक्त मानी जाती है। बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली में योजना का निर्माण विभिन्न प्रशासनिक स्तर (छोटे तथा बड़े) पर विस्तृत गहन एवं विचार विमर्श के फलस्वरूप होता है। इसके अन्तर्गत नियोजन की प्रक्रिया छोटे स्तर से बड़े स्तर की ओर उन्मुख होती है। इसमें क्षेत्रीय असंतोष के स्थान पर क्षेत्रीय अन्तर्सम्बद्धता का गुण पाया जाता है।

**6. लक्षित वर्ग नियोजन** - लक्षित वर्ग नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत वर्ग विशेष, जिसमें निर्धारित वर्ग को लक्ष्य बनाकर नियोजन प्रक्रिया अपनायी जाती है। ग्रामीण विकास हेतु लक्षित वर्ग प्रणाली के अन्तर्गत 'निर्धारित वर्ग' की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए योजना बनायी जाती है क्योंकि समेकित योजना के तहत निर्धारित वर्ग को समुचित लाभ मिलने की संभावनायें प्रायः कम रहती हैं। अतः इसके लिए 'लक्षित वर्ग प्रणाली' उपयुक्त मानी जाती है।

**विकेन्द्रीकृत नियोजन का स्तरीकरण** - भारत में अधिकांश जनसंख्या श्रम शक्ति तथा भूमिगत क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल है। अतः विकेन्द्रीकृत नियोजन को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना उपयुक्त रहता है। इसमें योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्विति राष्ट्र, प्रान्त, जनपद, विकास-खण्ड, ग्राम तथा परिवार स्तर पर होता है। इस प्रकार बहुस्तरीय नियोजन की प्रक्रिया भारत के ग्रामीण एवं समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु आवश्यक ही नहीं, एक उपयोगी पहल है। विकास नियोजन का स्तरीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है -

1. परिवारिक नियोजन,
2. ग्राम स्तरीय नियोजन,
3. खण्ड स्तरीय नियोजन,
4. जिला स्तरीय नियोजन,
5. क्षेत्रीय नियोजन,
6. प्रान्तीय नियोजन,
7. राष्ट्रीय नियोजन।

**परिवारिक नियोजन** - परिवार स्तरीय नियोजन बनाते समय इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि परिवार के पास उपलब्ध संसाधन या उसके आस-पास के परिवेश में उपलब्ध संसाधनों की क्या स्थिति है। इससे परिवार को कच्चा माल या अवसंरचनात्मक असुविधा नहीं होगी तथा योजना का अनुकूल लाभ भी मिल सकेगा। योजना के तहत यदि परिवार को उचित 'प्रोजेक्ट' उपलब्ध कराया जाये तथा उसके समुचित लाभ प्राप्त कराए जायें तो परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकेगा तथा आर्थिक विकास के मार्ग में अग्रसर होगा। यह प्रोजेक्ट उत्पादन के प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों से किसी से भी लिया जा सकता है। चूंकि ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक क्षेत्र में जनशक्ति की निर्भरता अधिक है। उसके कारण कृषि क्षेत्र में सीमान्त उत्पादकता ऋणात्मक है तथा अदृश्य बेरोजगारी विद्यमान है। अतः बेहतर यह होगा कि परिवार को द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में परियोजना उपलब्ध करायी जाये। द्वितीयक क्षेत्र के तहत उद्योगों की स्थापना हो सकती है।

परिवार को उद्योगों की ओर प्रोत्साहित करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें इसकी संबद्धता, उद्यमशीलता की इच्छा तथा प्रशिक्षण की सुविधा सुलभ हो। तृतीयक क्षेत्र में परिवार के लोगों को खुदरा व्यापार, भवन निर्माण, परिवहन, विपणन, बीमा, दस्तकारी सेवा, व्यापार आदि सेवाओं में लगाया जा सकता है।

**ग्राम स्तरीय नियोजन** - ग्राम स्तरीय नियोजन को परिवार की योजनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। ग्राम के लिए योजना बनाते समय वहाँ

के प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ श्रम शक्ति तथा वित्तीय ऋतों को भी द्यान में रखा जाता है। प्रत्येक परिवार की योजनाओं की जानकारी एकत्र करने के बाद उसका विश्लेषण कर गॉव के लिए एक समग्र योजना तैयार की जाती है। ग्राम के लिए बनाई गयी योजना के लक्ष्यों को निर्धारित करके उसे निश्चित समय में पूरा कर गॉव की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। गॉव के लिए योजना निर्माण में इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसमें गॉव के संसाधनों का समुचित उपयोग हो। ग्राम क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल, मानव शक्ति आदि संसाधनों का अनुकूलतम स्तर का उपयोग किया जाना चाहिए। वर्ष 1978-79 में एकीकृत ग्राम विकास योजना के प्रारम्भिक वर्षों में ग्रामीण सर्वेक्षण किया गया तथा निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के संबंध में विस्तृत व्यौरा दिया गया, जिसके आधार पर ग्राम योजना तैयार की गयी। लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जिन परिवारों की सूचना को विकास खण्ड कार्यालयों में एकत्रित किया गया था, उनकी अधिकांश सूचनाएँ वास्तविकता से दूर थीं। ग्राम नियोजन हेतु आज तक सही घटित से कोई काम नहीं हो पा रहा है।

**खण्ड स्तरीय नियोजन** - विकास खण्ड स्तर पर नियोजन का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय विकास करना है। इस स्तर पर किया गया नियोजन क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय नियोजन के लिए नींव की ईंट का काम करता है। विकास खण्ड स्तर के लिए योजना निर्माण हेतु ग्राम एवं उसमें निवास करने वाले परिवारों के उद्यमों को आधार बनाया जाता है। इस योजना में स्थानीय संस्थाओं, ग्रामों की निर्धनता, बेरोजगारी, पिछड़ापन तथा सामाजिक ढाँचा आदि तत्वों पर विचार करते हुए कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया जाता है। वर्ष 1952 में देश में विकास खण्डों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाये गये। विकास खण्ड स्तर पर इस कार्यक्रम को चलाने के लिए पंचायत समिति इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, क्योंकि विकास खण्ड का अयोजन विकास इकाई के रूप में ग्रहण करते समय स्थानीय स्वयंत्र शासन संगठनों अथवा पंचायती राज संस्थाओं को तीन स्तरों के रूप में चुना गया था - जिला, विकास खण्ड तथा ग्राम सामुदायिक विकास। इन कार्यक्रमों के तहत विकास खण्ड से सिंचाई, विद्युत, सड़क, भवन-निर्माण तथा प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को अपनाया गया, लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम के शुभारम्भ के 10-15 वर्ष बाद विकास खण्ड स्तर पर इसका बजट सीमित हो गया तथा खण्ड स्तर की स्वयंत्रशासी संस्था पंचायत समिति विकास खण्ड के लिए संसाधन जुटाने में असमर्थ हो गयीं। इस प्रकार खण्ड स्तर पर योजनायें क्रमशः घटती चली गयीं।

1978 में जब एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये तो इसमें यह तय किया गया था कि ये कार्यक्रम खण्ड स्तर पर तैयार किये जायेंगे तथा उसके बाद उसे जिलास्तर पर 'जिला ग्राम्य विकास अभिकरण' के साथ जोड़ा जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। योजनाएँ जिला स्तर पर तैयार करके विकास खण्डों पर थोप ढी जाती हैं। अतः विकास खण्डों को मात्र सूचनायें एकत्र करने तथा कार्यक्रम चालू करने का माध्यम बनाया गया, योजना निर्माण के लिए नहीं।

**जिला स्तरीय नियोजन** - जिला स्तरीय नियोजन-राष्ट्रीय नियोजन, राज्य तथा क्षेत्रीय नियोजन के लिए प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। दूसरी तरफ यह परिवार, ग्राम तथा विकास खण्ड स्तरीय योजनाओं को जोड़ने का कार्य भी करता है। जिला स्तरीय योजना को पंचवर्षीय आधार पर तैयार कर उसमें आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को शामिल किया

जाता है।

जिला स्तरीय नियोजन हेतु निम्नांकित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है -

- प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण एवं उनका युक्ति संगत उपयोग।
- मानव संसाधन अर्थात् श्रम शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग।
- उवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करना।
- वित्तीय संगठनों की स्थापना करना।
- संगठन एवं संस्थाओं की स्थापना तथा उनका उत्पादन कार्यों के लिए उपयोग करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए श्रम-गहन तथा सरल तकनीकी का विकास करना।
- स्थानीय ऊर्जा ऋतों अर्थात् पवन, जल आदि का नियोजित विकास करना।
- न्यूनतम उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं की व्यवस्था करना।

इसके अलावा जनपद स्तरीय योजना बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसमें नीचे के स्तर - विकास, ग्राम तथा परिवार स्तर की योजनाओं को समुचित स्थान मिलना चाहिए। वास्तविक रूप में जनपद स्तरीय नियोजन को निचले स्तर की योजनाओं के मूलाधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जिला स्तरीय नियोजन पर जोर दिया जाता रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं में जनपद स्तर पर अनेक कार्यक्रम चालू किये गये जिनमें कृषि, सिंचाई, भूमि संरक्षण, वानिकी, पशुपालन, शिक्षा, स्कूल-भवन, पेयजल-आपूर्ति, सड़कों का निर्माण तथा चौथी योजना (1969-74) में महत्व दिया गया। वर्ष 1969 में योजना आयोग ने देश में जिला स्तरीय योजना तैयार करने के लिए राज्यों को निर्देश दिये। इसके बाद जिला स्तरीय नियोजन का महत्व बढ़ता रहा है। छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना की 'एकीकृत ग्राम्य विकास योजना' को जिला स्तरीय नियोजन का एक रूप कहा जाए, तो कोई अतिशंयोक्ति नहीं होगी। बाद में आठवीं एवं नवीं योजना में इसे प्राथमिकता ढी गई है।

**क्षेत्रीय नियोजन** - क्षेत्रीय नियोजन द्वारा स्थानीय समस्याओं एवं विषमताओं को दूर करने में सहायता मिलती है। क्षेत्रीय नियोजन 'संतुलित क्षेत्रीय विकास' को सुनिश्चित करती है। क्षेत्रीय विशेषता चाहे आर्थिक पिछड़ेपन से हो या भौगोलिक विभिन्नता से हो या फिर किसी अन्य सामाजिक रूप में हो, राजस्थान का मरुभूमि क्षेत्र हो या उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र इनका नियोजन क्षेत्रीय नियोजन के अन्तर्गत ही आता है।

क्षेत्रीय नियोजन का महत्व क्षेत्रीय विकास के लिए अधिक है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ का आर्थिक एवं सामाजिक विकास सामान्य स्तर से काफी नीचे होता है। अतः ऐसे क्षेत्रों को सामान्य स्तर तक लाने के लिए एक अलग से योजना बनाने की जरूरत पड़ती है। अतः इस प्रकार का नियोजन संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यधिक उपयोगी रहता है क्योंकि सामान्य नियोजन के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों या विशेषकर भौगोलिक क्षेत्रों का विकास सम्भवतः कम ही हो पाता है।

क्षेत्रीय नियोजन द्वारा पिछड़े या विशिष्ट भौगोलिक परिवेश वाले क्षेत्रों में विकास योजनाएँ सक्रिय रूप से चलाकर उस क्षेत्र को आर्थिक विकास की गति के साथ अग्रसर होने का अवसर दिया जाता है। इन क्षेत्रों में औद्योगिक पिछड़ापन प्रमुख होता है। लोग प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं पर जीवित रहते हैं। अतः औद्योगिकीकरण के माध्यम से वहाँ पर उद्योगों की

स्थापना की जाती है तथा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार किया जाता है। अवसंरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाया जाता है ताकि द्वितीय एवं प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएँ सुचारू रूप से चल सकें। क्षेत्रीय नियोजन के माध्यम से क्षेत्रीय विषमताओं, आय की असमानता, निर्धनता तथा सामाजिक विषमताओं को कम करने में सहायता मिलती है। **प्रान्तीय नियोजन** - प्रान्तीय नियोजन प्रक्रिया में राज्य सरकारें स्वयं क्रियाशील एवं सम्बद्ध रहती हैं। राज्य या प्रान्तीय स्तर पर नियोजन करने का कार्य प्रायः राज्य सरकार का होता है। प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक-सामाजिक विकास के साथ-साथ पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना भी होता है। अतः प्राकृतिक संसाधनों का समुचित ढंग से उपयोग करना ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे, राज्य सरकारों का कार्य है। इस बात को ध्यान में रखकर उन्हें नियोजन करना चाहिये।

प्रान्तीय नियोजन क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय नियोजन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राष्ट्रीय नियोजन प्रक्रिया में प्रान्तीय नियोजन की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है और प्रान्तीय नियोजन में क्षेत्रीय नियोजन को महत्व दिया जाता है। प्रान्तीय करों एवं बचतों के माध्यम से वह कितना विनियोग कर पाएगी तथा केन्द्र किस सीमा तक उसकी नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता करेगा, इस बात का ध्यान राज्य नियोजन में रखा जाता है। राज्य नियोजन राष्ट्र एवं क्षेत्र दोनों प्रकार के नियोजनों को समन्वित रूप में रखकर किया जाता है।

**राष्ट्रीय नियोजन** - जब सम्पूर्ण राष्ट्र को एक इकाई मानकर नियोजन किया जाता है तब यह राष्ट्रीय स्तर का नियोजन कहलाता है। इस प्रकार के नियोजन में सम्पूर्ण प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के अलावा वित्तीय संसाधनों को एक समग्र रूप में रखा जाता है तथा इसी के अधार पर सम्पूर्ण राष्ट्र के आर्थिक विकास हेतु नियोजन किया जाता है। नियोजन की इस प्रक्रिया में सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास को महत्व दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर के नियोजन का निर्माण योजना आयोग द्वारा किया जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किये नियोजन का संचालन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय स्तर के नियोजन में एक कमजोरी यह होती है कि इसमें जन सामाज्य की भागीदारी न्यूनतम एवं अप्रत्यक्ष रूप में होती है क्योंकि यह नियोजन योजना निर्माण विशेषज्ञों तथा उच्च स्तरीय नेतृत्व के द्वारा होता है। वर्तमान में राजनीतिक पार्टियों अपनी पार्टी की नीतियों के अनुरूप ही नियोजन की संरचना करते हैं। इस बात को विगत वर्षों में भारतीय राजनीतिक मंच पर तेजी से आये बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। योजना के उद्देश्यों में पार्टियों के अपने मुद्दे भी शामिल रहते हैं ताकि उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित बना रह सके।

**बहु-स्तरीय नियोजन में अन्तर्सम्बन्ध** - नियोजन की प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्तर से लेकर परिवार स्तर तक की एक कड़ी होती है। इनमें परिवार, ग्राम, विकास खण्ड, जनपद, क्षेत्र, प्रदेश तथा अन्त में राष्ट्र होता है। इन विभिन्न स्तरों के नियोजन के अभाव में जब राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन किया जाता है तो उसकी जाकारी समग्र रूप में नहीं हो पाती है। योजना सीमित तथा संभान्न लोगों तक ही रह जाती है। भारत में विगत वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर के नियोजन को ही अधिक महत्व दिया जाता रहा है। इसके कारण स्थानीय जनता को समुचित लाभ नहीं मिल पाया, जिससे आय की असमानता बढ़ी है, क्योंकि योजना संभान्न परिवारों तक सीमित रह गयी थी तथा पिछड़े ग्राम व परिवार इसकी पकड़ से बाहर रह गए। छठी योजना (1980-85)

में स्थानीय नियोजन पर बल दिया गया। अर्थात् बहु-स्तरीय नियोजन में यह आवश्यक होता है कि विभिन्न स्तर की योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित हो।

अतः विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली में राष्ट्रीय नियोजन तथा स्थानीय नियोजन के बीच प्रवाह होना आवश्यक है। राष्ट्रीय नियोजन के लक्षण स्थानीय नियोजन में तथा स्थानीय नियोजन के लक्षण राष्ट्रीय नियोजन में परिलक्षित होने चाहिए। राष्ट्रीय नियोजन प्रणाली को विकेन्द्रीकृत होकर स्थानीय लक्ष्यों की ओर अग्रसर होना चाहिये।

**विकेन्द्रीकृत नियोजन में स्थानीय नियोजन** - विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया में नियोजन को केन्द्र से स्थानीय नियोजन की ओर अग्रसर किया जाता है। स्थानीय नियोजन का उष्टिकोण लोकतांत्रिक है क्योंकि इसके द्वारा नियोजन प्रक्रिया में आम लोगों की भागीदारी बढ़ जाती है। योजना निर्माण का कार्य जब स्थानीय लोगों द्वारा होता है तो समस्याओं को और अधिक व्यावहारिक ढंग से समझा जा सकता है तथा उसके लिए उचित रणनीति व्यावहारिक तौर पर व स्थानीय समर्थन पर बनायी जा सकती है जबकि केन्द्र द्वारा थोड़ी गयी रणनीति में यह गुण नहीं पाया जाता है। अतः स्थानीय नियोजन का अपना एक विशेष महत्व रहता है।

स्थानीय नियोजन की अपनी समस्याएं भी हैं। यदि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में विकेन्द्रीकरण की नीतियाँ राजनीतिक इच्छाओं के प्रतिकूल हों तो स्थानीय स्तर की उपलब्धियाँ बुरी तरह प्रभावित होती हैं। स्थानीय लोगों में प्रबन्धकीय कुशलता की कमी रहती है। फलतः नियोजन के संचालन में समर्या उत्पन्न होती रहती है।

**कार्यकारी नियोजन** - पॉर्चर्वी-पंचवर्षीय योजना (1974-79) के अन्त में जब देश में एकीकृत ग्राम विकास योजनायें प्रारम्भ की गयी, जिसमें निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले परिवेशों के जीवन स्तर में सुधार लाकर उन्हें राष्ट्रीय आर्थिक विकास की धारा में प्रवाहित करने का लक्ष्य रखा गया, तो कार्यकारी नियोजन की अवधारणा विकसित हुई। इसमें लाभार्थीयों को तुरंत या शीघ्र फायदा पहुँचाने की उष्टि से वार्षिक आधार पर योजनाएँ तैयार करके उनको लागू किया गया। तुरन्त निष्कर्ष देने वाली ये वार्षिक आधार की योजनायें कार्यकारी योजनाओं के रूप में ही जानी गईं। इनके तहत लाभार्थीयों की आर्थिक स्थिति में शीघ्रतापूर्वक सुधार आना प्रारम्भ हो गया। इसमें लाभार्थीयों को कार्यकारी योजना के अन्तर्गत इस प्रकार का प्रोजेक्ट दिया जाता है जिससे शीघ्र उत्पादन प्राप्त हो।

वर्ष के अन्त में कार्यकारी योजना की समीक्षा की जाती है और उसी आधार पर अगले वर्ष की कार्यकारी योजना का पूर्वानुमान लगाया जाता है। कार्यकारी योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि लाभार्थी का चयन, उसको दिया गया प्रोजेक्ट, अन्य विभागों से उसको मिलने वाली सहायता तथा लाभार्थी की अभिभूति आदि की पहचान ठीक ढंग से हुई या नहीं, अन्यथा कार्यकारी योजना का आपेक्षित लाभ नहीं मिल पायेगा।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. के.के. शर्मा - भारत में पंचायती राज।
2. एस. आर. माहेश्वरी - भारत में स्थानीय शासन।
3. रविन्द्र शर्मा - ग्रामीण स्थानीय प्रशासन।
4. बी.एम. सिंहा - भारत में नगरीय सरकारें।
5. अशोक शर्मा - भारत में स्थानीय प्रशासन।

## निमाड़ में सन्त परम्परा – एक पुनरावलोकन

डॉ. मधुसूदन चौबे \*

**प्रस्तावना** – प्रस्तुत शोध पत्र में निमाड़ में 15 वीं से 20 वीं सदी ईसवी तक के लगभग छह सौ वर्षों की दीर्घ अवधि में निमाड़ की सन्त परम्परा का पुनरावलोकन प्रस्तुत किया जा रहा है।

मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन की राष्ट्रव्यापी धारा की उत्तंग लहरे निमाड़ में भी उत्पन्न हुई। यहाँ अनेक सन्त हुये हैं, जिन्होंने मानववादी पथ पर चलकर भ्रेदभाव, जाति-पाँति, बुआछूत, पाखण्ड, आडम्बर आदि के अभिषापों से समाज को मुक्ति प्रदान करने में योगदान दिया है। वे न केवल रवयं के मोक्ष के प्रति साधनारत रहे, अपितु उन्होंने जन कल्याण के लिये प्रत्येक पल सक्रिय रहे। उन्होंने भक्ति भाव, अद्यात्म, दर्शन आदि की अभिव्यक्ति के लिये काव्य एवं गद्य का सृजन किया है।

ज्ञात ही है कि मध्यप्रदेश के दक्षिण-पश्चिम भाग में इन्दौर संभाग में निमाड़ स्थित है। ‘आयताकार निमाड़ 21°5’ उत्तरी अक्षांश से 22°38’ उत्तरी अक्षांश तक तथा 74°2’ पूर्वी देशान्तर से 77°13’ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।’<sup>1</sup> 1 नवम्बर, 1956 को नये मध्यप्रदेश के निर्माण के समय निमाड़ को दो भागों में विभक्त किया गया – 1. पश्चिमी निमाड़ एवं 2. पूर्वी निमाड़।<sup>2</sup>

**शोध प्रविधि** – शोध पत्र हेतु तथ्य संकलन के लिये सन्तों की रचनाओं को मूल आधार बनाया गया। इतिहास लेखन के लिये स्रोतों की प्रामाणिकता अनिवार्य आवश्यकता होती है। सन्त ब्रह्मगीर, सन्त सिंगाजी, सन्त कालूजी, सन्त दलूदास, सन्त खेमदास, सन्त धनजीदास, सन्त फकीरानाथ, सन्त बोंदख, सन्त अफजल, सन्त हरिदास, सन्त पुरुषोत्तम नागर जे बहुत लिखा है या इनका कहा हुआ इनके अनुयायी लिपिबद्ध करते रहे। इनके अधिकांश भजनों को संग्रहित कर निमाड़ के या निमाड़ पर लिखने वाले साहित्यकारों जैसे डॉ. कृष्णलाल हंस, श्री रामनारायण उपाध्याय, डॉ. रमेशचन्द्र गंगराड़े, डॉ. श्रीराम परिहार, श्री बाबूलाल सेन, श्री रामशंकर गंगराड़े आदि ने संकलित एवं अनुदित कर पुस्तकाकार में प्रकाशित किया है। कुछ भजन मण्डलियों के पास डायरियों में हस्तलिखित भजन भी पढ़ने को मिले। सन्त साहित्य से तत्कालीन स्थितियों और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश पड़ता है, उसे संचित, विश्लेषित कर शोध पत्र की रचना की गई है।

**सन्त परम्परा – सैद्धांतिक विवेचन** – सन्त परम्परा पर अनुसंधान करने पर स्पष्ट हुआ है कि भिन्न-भिन्न संज्ञाओं के रूप में इसका अस्तित्व भारत में प्राचीन काल से रहा है। कालान्तर में सन्त शब्द के अर्थ का विकास होने पर यह ‘अच्छा’, ‘सदाचारी’, ‘शान्त’, ‘पवित्रात्मा’, ‘परोपकारी’ आदि का धोतक हो गया। साधु या महात्मा के अर्थ में सन्त शब्द का प्राचीनतम प्रयोग विट्ठल बारकरी सम्प्रदाय के ज्ञानदेव एवं अन्य सन्तों के लिये हुआ है। सन्त मत बौद्ध धर्म और उसके साहित्य से अनुप्राणित है। बौद्ध धर्म की वजयान शाखा की ओर तांत्रिक प्रक्रिया से उठित नाथ सम्प्रदाय से प्रेरणामूलक तत्वों

को लेकर सन्त मत अवतरित हुआ। गीता, रामचरितमानस जैसे ग्रन्थों के अनुसार सन्त उदात्त गुणों से युक्त तथा प्रत्येक स्थिति में सम रहने वाला होता है।

मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में भारत में सन्त परम्परा का प्रारम्भ जयदेव (12 वीं सदी) से माना जाता है। जयदेव से लेकर आधुनिक काल तक हुये सन्तों में रामानन्द, कबीर, नानक, तुलसीदास जैसे अनेक महान सन्त हुये। निमाड़ में सन्त परम्परा ब्रह्मगीर से प्रारम्भ हुई है, जिसे मनरंगीर, भावसिंह, कालूजी, अफजल, लालदास, कालूदास, खुश्यालदास, दशरथ, नन्दलाल, हरिदास स्वामी आदि ने आगे बढ़ाया।

**निमाड़ की सन्त परम्परा** – निमाड़ के प्रमुख सन्तों को का अध्ययन दो-दो शताब्दियों के कालखण्ड में विभक्त करके किया गया।

**A- पन्द्रहर्वी-सोलहर्वी सदी के प्रसिद्ध सन्त** – पन्द्रहर्वी-सोलहर्वी शताब्दी में ब्रह्मगीर, मनरंगीर, सिंगाजी, जगन्नाथगीर, भावसिंह, कालूजी आदि ने सन्त के रूप में रुद्धि अर्जित की। सन्त ब्रह्मगीर निमाड़ की सन्त परम्परा के प्रथम सन्त तथा निमाड़ के सन्त साहित्य के आद्य प्रवर्तक थे। वे निर्गुण निराकार के साधक थे। उन्होंने लोक प्रीति के स्थान पर ब्रह्म आराधना का आग्रह किया। उनके असंख्य ऐच्छिक हुये, जिनमें मनरंगीर विशेष प्रसिद्ध हुये। मनरंगीर भी अपने गुरु की भाँति निर्गुण निराकार के उपासक थे। उनकी अभिव्यक्ति सम्मोहक थी, जो न केवल उन्हें विचारपूर्वक सुनने के लिये उपरिथत हुये भक्तों को अपितु उनकी आवाज की परिधि से गुजरते रह चलते लोगों को भी पूर्णतः प्रभावित करती थी। स्वामी मनरंगीर निमाड़ के पहले सन्त हैं, जिनके साथ चमत्कारिक जनश्रुतियाँ सम्बद्ध हैं। सिंगाजी एवं जगन्नाथगीर उनके प्रमुख शिष्य थे। सिंगाजी सर्वकालिक महान सन्त थे। वे निमाड़ के ही नहीं सम्पूर्ण भारत के भक्ति आन्दोलन के सन्तों की अग्रण्य पंक्ति में सम्मिलित किये जा सकते हैं। सन्त सिंगाजी निमाड़ के लोकजीवन के सर्वप्रेरक सन्त-साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। उनमें दर्शन की सार्थकता, ज्ञान की गंभीरता, प्रेम की तरलता और हठयोग की कठोर साधना का एक साथ दिग्दर्शन होता है। इस अंचल में वे ऐसे अवतारी पुरुष के रूप में मान्य हैं, जो पृथकी के कष्टों को दूर करने के लिये संसार में अवतरित हुये थे। उन्होंने अल्प जीवनकाल में अप्रतिम उपलब्धियाँ प्राप्त कीं। सिंगाजी के व्यारह सौ भजन निमाड़ की धरोहर बन गये। उनके जीवनकाल में असंख्य लोग उनके अनुयायी बन गये थे। उनके द्वारा समाधि ग्रहण करने के बाद उन्हें मानने और पूजने वालों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। वर्तमान में निमाड़ का यादव समाज ही नहीं बल्कि हर समाज का व्यक्ति सिंगाजी को देवरूप में देखता है। सन्त जगन्नाथगीर सन्त सिंगाजी के समकालीन थे। उन्होंने अपने काव्य तथा उपदेशों में जीवन की सादगी पर बहुत बल दिया।

\* एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

उनकी मान्यता थी कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा कष्ट का कारण बनती है। सन्त भावसिंह सन्त सिंगाजी को अपना गुरु स्वीकार करते थे। सन्त भावसिंह ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और कहा कि समस्त सृष्टि का सूजक एवं पालक एक ही ब्रह्म है। सन्त के रूप में उनकी ख्याति असीम थी और जन सामान्य में उनके प्रति अटूट आस्था थी। सन्त कालूजी सन्त सिंगाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे और उन्हें ही अपना गुरु मानते थे। वे कर्मवादी थे और उन्होंने अपने अनुयायियों को कर्म का सन्देश दिया है। तथा मानवीय गुणों के विकास का स्नेहपूर्वक आग्रह किया। प्रथम दो शताब्दियों में हुये छह सन्तों में से तीन सिंगाजी, भावसिंह एवं कालूजी ने जीवित समाधि लेकर यह सिद्ध किया कि उन्हें जीवन के प्रति कोई मोह नहीं था। इन्होंने निमाड में भक्ति आनंदोलन की दृढ़ नींव ही नहीं स्थापित की अपितु उसकी ऊँची अटालिका भी निर्मित कर दी।

**ब- सत्रहर्वी-अठारहर्वी सदी के प्रसिद्ध सन्त - सत्रहर्वी-अठारहर्वी शताब्दी में निमाड में प्रमुख रूप से दलूदास, खेमदास, धनजीदास, लालदास, बोंदर, अफजल आदि सन्त हुये। इनमें अफजल सर्वकालिक महान सन्त थे। सन्त दलूदास सन्त कालूजी के पुत्र और सन्त सिंगाजी के पौत्र थे। वे सन्त सिंगाजी के अनन्य भक्त थे तथा उन्हें अपना गुरु मानते थे। वे तत्कालीन सामाजिक प्रवृत्तियों से चिन्तित थे और उन्हें कलियुग की विशिष्टताएँ मानते थे। सन्त खेमदास सन्त सिंगाजी के षिष्य और उनके पौत्र थे। 'सिंगाजी की परचरी' उनके द्वारा रचित बहुमूल्य पुस्तक है। यह एकमात्र रचना है, जिसे पढ़कर सन्त सिंगाजी का पूर्ण परिचय ज्ञात होता है। सन्त धनजीदास भी सन्त सिंगाजी के षिष्य थे। वे एक उत्कृष्ट कोटि के साहित्यकार थे। उन्होंने श्रीमद्भागवत एवं महाभारत की घटनाओं के आधार पर अनेक कथाओं की रचना की है। सन्त लालदास भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने हरिजन समाज में जन्म लेकर अपने सदकार्यों से समाज का गौरव बढ़ाया। सन्त बोंदर को गुरु, गुरु मंत्र एवं गुरु दीक्षा की प्राप्ति सेवा के प्रतिफलस्वरूप हुई। आम आदमी से लेकर बड़वानी के तत्कालीन राजा-रानी तक उनके अनुयायी थे। सन्त अफजल निर्बुण निराकार के उपासक, भक्ति और योग के समन्वय कर्ता होने के साथ ही अद्यात्म का ज्ञान देने वाले धर्म गुरु थे। उनके साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि व्यापक थी और वे समाज सुधारक के रूप में सर्वधर्म समन्वयकारी थे। इस कालखण्ड के दो सन्तों लालदास और बोंदर ने जीवित समाधि ग्रहण की थी।**

**स- उड्डीसर्वी-बीसर्वी सदी के प्रसिद्ध सन्त - भारत में उड्डीसर्वी शताब्दी पुनर्जागरण आनंदोलन की शताब्दी के रूप में सुविदित है।**

इस दौर में निमाड में रंकनाथ, दीनदास, फकीरानाथ, बुखारदास, कालूदास, खुश्यालदास, दशरथनाथ, नंदलाल, हरिदास, दाढा धूनी वाले, पुरुषोत्तम नागर, मौनी बाबा, डेमन्या बाबा जैसे महत्वपूर्ण सन्त हुये। सन्त रंकनाथ का वास्तविक नाम कृष्णानन्द था। उन्होंने गंगागीर नामक संन्यासी से दीक्षा ली थी। कृष्ण भक्त रंकनाथ बहुभाषाविद थे। उन्होंने माया, ममता, तृष्णा आदि मनोविकारों का प्रभावी दृष्टान्तों के माध्यम से विवेचन किया है और उनसे परे रहने की अपेक्षा जनमानस से की है। सन्त दीनदास का वास्तविक नाम सदाशिव था। वे बाल्यावस्था से पौरोहित्य कार्य करते हुये प्रभुभक्ति की ओर अग्रसर होते रहे। उन्होंने सन्त रंकनाथजी से दीक्षा ग्रहण की थी। सन्त फकीरानाथ की रचनाएँ निमाडी लोक साहित्य में आधुनिक काल का प्रारम्भ मानी जाती हैं। सन्त बुखारदास ने स्वामीदास बाबा से दीक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने उपदेश हेतु भजनों की अपेक्षा वार्तालाप शैली

को अधिक अपनाया है। सन्त कालूदास के गुरु सन्त अफजल थे। उन्होंने धर्म के नाम पर बाह्य आडम्बरों में उलझने को निरर्थक निरुपित किया और निर्मल मन से सात्त्विक भक्ति की प्रेरणा दी। सन्त खुश्यालदास पर सन्त अफजल तथा सन्त कालूदास की शिक्षाओं का विशेष प्रश्नाव था। वे अनामी सम्प्रदाय की नागझिरी गुरुगादी के महन्त थे। उनके अनुसार चौरासी लाख योनियों में भटकने के पश्चात् पुण्यों के फलस्वरूप मिले मानव शरीर का सदुपयोग प्रति क्षण साधना करते हुये किया जाना चाहिये। सन्त दशरथ ने सन्त खुश्यालदास से गुरु दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने दृश्य जगत के भौतिक तत्वों के मध्य सूक्ष्मतम आत्मतत्व की उपरिथिति का प्रभावी चित्रण किया है। सन्त नन्दलाल का वास्तविक नाम नन्ददास था। उन्होंने सन्त अफजल से मानसिक दीक्षा ग्रहण की और सन्त नन्दलाल हो गये। वे अनामी सम्प्रदाय की नवीन सनावद शाखा के महन्त के पद पर आसीन हुये। सामाजिक विसंगतियों के प्रति अपने अनुयायियों को सजग करने वाले सन्त नन्दलाल का उटिकोण तार्किक तथा वैज्ञानिक था। उनकी शिक्षाएँ तर्क की कसौटी पर खरी उतरती हैं तथा श्रोताओं का उत्कृष्ट व्यावहारिक जीवन के लिये पथ-प्रशस्त करती हैं। सन्त हरिदास का मूल नाम हरिसिंह था। उन्होंने श्री सीताराम महाराज से दीक्षा ग्रहण की। वे अनामी सम्प्रदाय की हरदा शाखा से संबंधित थे। वे काव्य रचना और शास्त्रीय संगीत में कुशल थे। भारत की उदात्त सांस्कृतिक परम्पराओं से प्रभावित सन्त हरिदास ने देशवासियों द्वारा पाश्चात्य वेशभूषा, शिक्षा, व्यवहार आदि अपनाये जाने पर भी चिन्ता व्यक्त की है। सन्त दाढा धूनीवाले का बाल्यावस्था का नाम माधव था। वे सदैव धूनी रमाकर तपस्या करते थे। इसीलिये वे दाढा धूनीवाले के नाम से विख्यात हुये। श्री गौरीशंकर महाराज ने उन्हें दीक्षा देकर उन्हें केशवानंद नाम दिया। 1930 ई. में वे खण्डवा आये। उसी वर्ष उन्होंने भवानी माता मंदिर के पास समाधि ले ली। इस स्थल को दाढाजी दरबार के नाम से जाना जाता है। उनके अनन्य शिष्य हरिहरानंदजी महाराज आश्रम के उत्तराधिकारी बने और छोटे दाढा धूनीवाले के नाम से प्रसिद्ध हुये। देशभर में फैले लगभग 27 आश्रम खण्डवा के मुख्य आश्रम से जुड़े हुए हैं। सन्त पुरुषोत्तम नागर स्वाधीया और स्वसाधना के द्वारा अद्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हुये। चौदह वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या एवं साधना की। उन्होंने अकूत मात्रा में सत्साहित्य का सृजन किया। उन्होंने खरगोन में 'प्रभुकृपा' आश्रम की स्थापना की थी। सन्त मौनी बाबा का वास्तविक नाम सन्त रामदास है। उन्होंने सन् 1959 में श्री अयोध्यादासजी महाराज से दीक्षा ग्रहण की थी। साधना सम्बन्धी मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये उन्होंने श्री रामसेवकदास जी को गुरु बनाया था। मौनी रहकर ईश्वर चिन्तन करना उनकी साधना का प्रमुख अंश है, अतः वे मौनी बाबा के नाम से सुखिख्यात हुये। वैदिक याज्ञिक कर्म में उनकी विशेष आस्था है। मध्यप्रदेश के महेश्वर में तथा कर्नाटक के यादगीरी में उनके आश्रम स्थित हैं। सन्त डेमन्या का जन्म जनजाति परिवार में टाण्डा ग्राम में हुआ। वे गायत्री परिवार के कार्यों से प्रभावित हुये। इन्हें गायत्री परिवार के अधिष्ठाता आचार्य श्रीराम शर्मा के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। व्यसन मुक्त समाज बनाने के मिशन के प्रति उनके हार्दिक समर्पण के कारण वे न केवल निमाड में अपितु सम्पूर्ण श्रीलंचल में समाज सुधारक सन्त के रूप में सम्मान प्राप्त कर चुके हैं।

**उपसंहार -** इस प्रकार नर्मदा उपत्यका सेवानिष्ठ सन्तों की दीर्घ परम्परा की पोशक और साक्षी रही है। कबीर के समकाल से लेकर अद्यतन धर्म, दर्शन और अद्यात्म की धारा यहाँ प्रवाहित है। सन्त सिंगाजी और सन्त अफजल का अवदान अखिल भारतीय स्तर पर स्वीकार्य एवं प्रशंसित है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. कुमार, डॉ. प्रमीला, मध्यप्रदेश – एक भौगोलिक अध्ययन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2002, पृष्ठ-41.
2. वंशी, बलदेव, भारतीय सन्त परम्परा, किताब घर, नईदिल्ली, 2010, पृष्ठ-23.
3. उपाध्याय, रामनारायण, निमाड का सांस्कृतिक इतिहास, विश्वभारती प्रकाशक, नागपुर, 1980, पृष्ठ- 142.
4. सेन, बाबूलाल, नर्मदांचल के सन्त कवि, माहिष्मती प्रकाशक, महेश्वर, 1995, पृष्ठ- 1-2.
5. उपाध्याय, रामनारायण, निमाड का सांस्कृतिक इतिहास, विश्वभारती प्रकाशक, नागपुर, 1980, पृष्ठ- 188.
6. परिहार, डॉ श्रीराम, कहे जन सिंगा, मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल, 1996, पृष्ठ- प्रस्तावना-08-10.
7. यह पाण्डुलिपि निमाड लोक संस्कृति न्यास, खण्डवा के संघहालय में संरक्षित है।
8. हंस, डॉ. कृष्णलाल, निमाडी और उसका साहित्य, हिन्दुस्तान एकेडमी, इलाहाबाद, 1956, पृष्ठ- 284.
9. उपाध्याय, रामनारायण, निमाड का सांस्कृतिक इतिहास, विश्वभारती प्रकाशक, नागपुर, 1980, पृष्ठ- 161.
10. हंस, डॉ. कृष्णलाल, निमाडी और उसका साहित्य, हिन्दुस्तान एकेडमी, इलाहाबाद, 1956, पृष्ठ-289-90.
11. पाण्डेय, डॉ. नन्दकिशोर, सन्त साहित्य की समझ, रचना प्रकाशक, जयपुर, 2001. पृष्ठ- 147.
12. सेन, बाबूलाल, नर्मदांचल के सन्त कवि, माहिष्मती प्रकाशक, महेश्वर, 1995, पृष्ठ- 25.
13. सेन, बाबूलाल, निमाडी साहित्य के कलमकार-कलाकार, माहिष्मती प्रकाशक, महेश्वर, 2003, पृष्ठ- 51.
14. हंस, डॉ. कृष्णलाल, निमाडी और उसका साहित्य, हिन्दुस्तान एकेडमी, इलाहाबाद, 1956, पृष्ठ- 295.
15. सेन, बाबूलाल, निमाडी साहित्य के कलमकार-कलाकार, माहिष्मती प्रकाशक, महेश्वर, 2003, पृष्ठ- 73.
16. नागर, पुरुषोत्तम, शतक समग्र, श्री पुरुषोत्तम साहित्य सुधालय, इन्दौर, प्रथम संस्करण, पृष्ठ- 02.

\*\*\*\*\*

## बैंकों में नवीन तकनीक एवं लागत नियंत्रण

**सचिन दुबे \* डॉ. घनश्याम अग्रवाल \*\***

**प्रस्तावना** – बैंक में दावों के निपटान के लिए उच्चत कौशल एवं बेहतर शर्तों के साथ न्यूनतम् ढरों पर बैंक की सम्पत्तियों के लिए बीमा पॉलिसियां खरीदने हेतु कारपोरेट केन्द्र में बैंक के बीमा कक्ष का गठन किया गया है। बैंक ने 99.50 प्रतिशत की सीमा तक यूनिक कस्टमर आइंडेटिफिकेशन कोड (यूसीआईसी) पर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का पालन भी किया है। परिचालन लागत कम करने की दृष्टि से बैंक ने करेसी चेस्ट को युक्तिसंगत बनाना प्रारंभ किया है, जिसमें से वित्त वर्ष 2016 के दौरान 105 करेसी चेस्टों को बंद किया गया, जिसके कारण लगभग 50 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की आवर्ती खर्चे से बचत हो रही हैं।

बैंक की सीपीसी रीडिजीइन एवं अन्य परियोजनाएं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए जोखिम निर्धारण एवं चुनौतियों व बैंक के विभिन्न उत्पादों व सेवाओं की सुपुर्दग्नि सहित प्रक्रिया में परिवर्तन एवं रीडिजाइन पर लगातार कार्य कर रही हैं। पर्याप्त लागत नियंत्रण एवं घटाव हासिल करने के लिए बैंक ने रजिस्टरों एवं फार्मों की खरीदियों को भी केन्द्रीकृत एवं युक्तिसंगत बनाया है और लेखन सामग्री प्रबंधन के लिए आउटसोर्सिंग मॉडल प्रारंभ किया है। घटी हुई वेस्टेज एवं सर्वार्थित कुशलता की दृष्टि से थोक खरीदी का इष्टतम लाभ उठाने के लिए लेखनसामग्री मढ़ों की आंतरिक आपूर्ति के स्थान पर वेब आधारित लेखन सामग्री प्रबंधन के आउटसोर्सिंग मॉडल को लागू किया जा रहा है। इस पहल से परिसर के किराये, भंडारण के प्रबंधन, अप्रचलित लेखन सामग्री की मढ़ों, श्रमशक्ति एवं परिवहन आदि पर इस समय हो रहे व्यय को कम करने में सहायता मिलेगी। डिजिटाईजेशन एवं खाता खोलने के फार्मों के आसान रिट्रीवल के लिए वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई। खाता खोलने के फार्मों के डिजिटाईजेशन का उद्देश्य खाता खोलने के फार्म को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने और सभी 14 एलसीपीसी में उनके चित्र को रिट्रीव करना है। यह पेन इण्डिया आधार वर्ष 2016–17 तक पूर्ण हो जाएगा।

बैंकों ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी बजट के अधिकांश भाग का स्वचालन किया है और कुशल प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु संसाधनों का उपयोग सुनिष्ठित करता है। कॉरपोरेट संरक्षित में आरओआई को और पक्षा बनाने के लिए चार्ज बैंक मॉडल की शुरुआत वर्टिकल ढारा की गई हैं।

वित्तीय संस्थान व्यवसाय इकाई बैंकों, म्युचुअल फंडों, बीमा कम्पनियों, दलाली फर्मों और गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों जैसे वित्तीय संस्थानों के संभावित व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए स्थापित की गई इकाई है। इन संस्थानों के नकदी प्रबंधन को आसान बनाने के लिए संग्रहण और भुगतान के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध कराने के अलावा बीमा कम्पनियों को 'ईजि

कलेक्ट' सुविधा दी गई है, जिसके अन्तर्गत प्रीमियम का संग्रहण सभी शाखाओं में हो सकता है। म्युचुअल फंडों को इंट्रा-डे लिमिट सुविधा प्रदान की गई है। पूँजी बाजार व्यवसाय करने वाले ग्राहकों और दलालों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए पूँजी बाजार शाखा (सी. एम. बी.) जो विशेष प्रकार की शाखा है, मुंबई में कार्यरत है। वित्त वर्ष 2016 में सी एम बी ने 119 बांडों, एफ. पी. ओ., आइ. पी. ओ. का प्रबंध किया और निर्गम के बैंकर (बी आई टी) के रूप में 29,307 करोड़ रुपये (कासा) का संग्रहण किया। प्राथमिक बाजार क्षेत्र (ऋण सार्वजनिक निर्गम, बोलियाँ बैंक) और प्राथमिक बाजार क्षेत्र (ईक्स्ट्री-आइ. पी. ओ., एफ. पी. ओ. बोलियाँ-बैंक) में सन् 2016 में बी. एस. ई. के तीन शीर्ष निष्पादकों में से एक का स्थान सी. एम. पी. का है।

**नकद राशि प्रबंधन उत्पाद (सी एम पी)** – नकदी प्रबंधन सेवाओं में संग्रहण, भुगतान और चलनिधि आदि सम्मिलित होता है। बैंक जो सेवाएँ उपलब्ध करा रहा है, वे इस प्रकार है—चेक और नकदी संग्रहण (जिसमें ढारस्थ बैंकिंग शामिल है), सार्वजनिक निर्गमों के लिए संग्रहण, ई-संग्रहण ई-भुगतान, मैटेट एवं अन्य कागजी प्रलेखों जैसे कि लाभांश वारंट, रिफंड और ब्याज वारंट, सममूल्य पर जारी कारपोरेट चेक तथा बहुनगरीय चेक का प्रबंधन। कारपोरेट और संस्थात्मक ग्राहकों को संग्रहण की सुविधा प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म एबीआई एफ ए एस टी (अल्पतम समय में निधि की उपलब्धता) देख भर की 1854 प्राधिकृत शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं, वहीं एसबीआई की 16,400 से अधिक शाखाओं का संपूर्ण नेटवर्क बड़े मध्य कारपोरेटों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों, संस्थात्मक ग्राहकों, म्युचुअल फंडों और बीमा कम्पनियों को संग्रहण की सुविधा विशेष रूप से डिजाइन किए गए उत्पादों के माध्यम से उपलब्ध कराता है, इसमें ईजी कलेक्ट, पॉवर ज्योति, प्री लोड आदि प्रमुख हैं। बैंक ई-भुगतान के विभिन्न उत्पाद भी उपलब्ध कराता है, जिनकी प्रक्रिया सुरक्षित होती हैं और जो होस्ट-ट्रॉ-होस्ट सुविधा वाले अन्य पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। इस व्यवसाय में पिछले तीन वर्षों से निरन्तर वृद्धि हो रही हैं।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एसबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2015–16
2. जैन, डॉ. एस. सी. – भारत में बैंकिंग विधि एवं व्यवहार
3. राजन, कमला – भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में क्षमतावर्धन और मानव संसाधन विकास, किताब घर पब्लिल. डिस्ट्री., नई दिल्ली, 2014.
4. स्वविवेक पर आधारित।

\*शोधार्थी (वाणिज्य) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

\*\*प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेंधवा, जिला-बड़वानी (म.प्र.) भारत

## प्राचीनकालीन निमाड़

डॉ. मधुसूदन चौबे \*

**प्रस्तावना** – वर्तमान में मध्यप्रदेश के इन्दौर संभाग में स्थित निमाड़ क्षेत्र का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। पाषाणकाल से लेकर आज तक इसके इतिहास में निरंतरता है। दुनिया के जो क्षेत्र आदिमानव की आवास स्थली माने जाते हैं, उनमें निमाड़ क्षेत्र भी सम्मिलित है। प्रस्तुत शोधपत्र में निमाड़ के प्राचीन इतिहास की विशिष्टताओं का विवेचन किया जा रहा है।

**पाषाणकालीन निमाड़ – सामान्यतः** प्रारम्भ से इश्लामिक सत्ता की स्थापना के पूर्व अर्थात् 12 वीं सदी ईसवी तक की अवधि प्राचीन काल के अन्तर्गत मानी जाती है।

निमाड़ के प्राचीन इतिहास का प्रारम्भ पाषाण काल से होता है। यह क्षेत्र मध्यप्रदेश का प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता का संयुक्त केन्द्र स्थल रहा है। कसरावद से करीब पाँच किलोमीटर दूर स्थित इतबर्डी नामक टीले की खुदाई 1936 में नर्मदा छैली रिसर्च बोर्ड के सचिव वहीं आर. करन्दिकर के निर्देशन में प्रारम्भ की गई थी। इनकी मृत्यु के पश्चात् यह कार्य इन्दौर संघालय के क्यूरेटर वहीं एन. सिंह द्वारा जारी रखा गया। यहाँ खुदाई में बौद्ध स्तूप, निवास गृह, मृदभाण्ड तथा मिट्टी, पत्थर एवं धातु की बनी हुई वस्तुएँ प्राप्त हुईं। इसी तरह महेश्वर के ठीक सामने नर्मदा के छूसरे टट पर नावाडाटोली नामक स्थान का उत्खनन डेक्कन कॉलेज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना के संचालक डॉ. हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के निर्देशन में 1952-53 एवं 1957-59 के दौरान किया गया था। खुदाई में प्राप्त अवशेषों के अनुसार निमाड़ के इस क्षेत्र में पूर्व पाषाणकाल, मध्य पाषाणकाल एवं ताम्र-पाषाणकाल में मनुष्य का निवास था। मण्डलेश्वर तथा सहराधारा के मध्यवर्ती क्षेत्र में खुदाई में चार सौ से अधिक पुरापाषाणिक औजार प्राप्त हुये हैं। इनमें से कुछ औजार उन समूहों के थे, जिन्हें डि टेरा और पेटरसन ने क्रमशः ‘निम्न’ तथा ‘उच्च’ नर्मदा समूह की संज्ञा दी है। ये औजार प्रारम्भिक पाषाण काल के हैं तथा प्रागैतिहासिक काल की प्रथम सांस्कृतिक विकास अवस्था के घोतक हैं।

भारत में सर्वाधिक चित्रित शिलाश्रय मध्यप्रदेश में प्राप्त हुये हैं। पूर्वी निमाड़ में भी कुछ शिलाश्रय मिलते हैं। इनकी भीतरी छतों और दीवारों पर चित्रकारी की गई है। विविध आयुर्धों से पशु-पक्षियों का शिकार, जानवरों की लडाई, मानवों के परस्पर युद्ध, पशुओं की सवारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधुसंचय आदि को चित्रित किया गया है।

**महाकाव्यकालीन निमाड़ –** रामायण एवं महाभारत के वर्णनों में महाकाव्य काल में निमाड़ भू-भाग में भी महत्वपूर्ण राजसत्ता होने का उल्लेख है।

सुदूर रामायण काल में ईसवी पूर्व 1600 में यहाँ पर महिष्मती (आधुनिक महेश्वर) को राजधानी बनाकर एक सशक्त राज्य स्थापित था। महिष्मती को हैह्यवंशीय राजा सहरार्जुन की राजधानी होने का गौरव

प्राप्त था। वाल्मीकि रामायण में हैह्यवंशीय सहरार्जुन को महिष्मती नगर का राजा महाविजयी अर्जुन लिखा है। महाबली रावण को सहरार्जुन ने महेश्वर में पराजित किया था। ‘सहरार्जुन ने जहाँ अपने सहरों हाथों से नर्मदा को रोका था, वह महेश्वर के निकट आज भी ‘सहराधारा’ के रूप में विख्यात है।’<sup>1</sup> यहीं सहरार्जुन और रावण में युद्ध हुआ था, ऐसा उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है।

महाभारत युग में कौरव-पाण्डवों का प्रभाव निमाड़ के धरमपुरी, सिरवेल, कसरावद, महेश्वर, बड़वानी आदि क्षेत्रों में व्याप्त था। महाभारत काल में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के प्रसंग में चेदीवंश के राजा शिशुपाल की राजधानी महिष्मती में होना बताया गया है। महाभारत में कई स्थानों पर आये वर्णनों से निमाड़ की महत्ता का पता चलता है। सभा पर्व के अनुसार महिष्मती एक प्राचीन नगरी थी, जो राजा नील की राजधानी थी। राजा नील महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से पाण्डवों के विरुद्ध सम्मिलित हुआ था। ‘दक्षिण दिविजय के समय सहदेव ने इस नगरी पर आक्रमण करके राजा नील को परास्त किया था।’<sup>2</sup>

**महाजनपदकालीन निमाड़ –** बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवति सूत्र या व्याख्या-प्रशस्ति तथा अन्य ग्रंथों से ज्ञात होता है कि छठी शताब्दी ईसवी पूर्व के लगभग उत्तर भारत में सोलह महाजनपद राज्य स्थापित थे। इनके नाम थे— अंग, मगध, काशी, कोशल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अवन्ति, गांधार, कम्बोज, चेदि, अस्मक, वज्जि एवं मला। इनमें मगध, कौशल और अवन्ति दूसरों की अपेक्षा अधिक सुसंगठित एवं शक्तिशाली थे। चेदि और अवन्ति जनपद मध्यप्रदेश क्षेत्र में स्थित थे। अवन्ति जनपद वर्तमान उज्जैन तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों से मिलकर बना था। वेत्रवती नदी द्वारा यह प्रदेश उत्तर तथा दक्षिण दो प्रान्तों में विभक्त था। उत्तर अवन्ति की राजधानी उज्जयिनी और दक्षिण अवन्ति की राजधानी महिष्मती थी। राजगृह से प्रतिष्ठान तक जाने वाले सुप्रसिद्ध दक्षिणी राजमार्ग पर महिष्मती स्थित थी।

**मगध साम्राज्य के समय निमाड़ –** छठी शताब्दी ई. पू. में मगध का एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उत्थान हुआ। प्राचीन मगध आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों के क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसका क्रमशः विस्तार होता गया। मगध को सशक्त करने का श्रेय हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नन्द वंश एवं मौर्य वंश के सम्राटों का महती योगदान रहा है। अवन्ति (जिसके अन्तर्गत निमाड़ का क्षेत्र भी सम्मिलित था) में हुये चण्डप्रद्योत जैसे शक्तिशाली शासक ने दीर्घ काल तक राज्य को मगध का हिस्सा बनाने से बचाये रखा। शिशुनाग वंश के संस्थापक सम्राट शिशुनाग ने अवन्ति को परास्त किया। नन्द वंश के सम्राट महापन्ननन्द एवं उसके उत्तराधिकारियों

\* एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

तथा मौर्य वंश के सम्राटों ने भी इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य बनाये रखा। चन्द्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिन्दुसार के शासन काल में उसका पुत्र अशोक अवन्ति का प्रान्तपति बनाया गया था। पुरातात्त्विक लोतों से भी प्रमाणित होता है कि मध्यप्रदेश का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत था। मध्यप्रदेश के विभिन्न भागों में मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में लिखे हुये अभिलेख मिले हैं। ये स्थान हैं - आरंग, कसरावद (निमाड), कारीतलाई, खरवई, बैन्यपुरा तथा रामगढ़। इसी तरह मौर्य काल के आहत सिंहों भी अनेक स्थलों पर प्राप्त हुए हैं।

**हैहेय वंश के समय निमाड** - तीसरी शताब्दी में निमाड के उत्तरी भाग पर हैहेयवंशी राजाओं का अधिकार था, उन्होंने भी महिष्मती को राजधानी बनाया था। ऐसा ज्ञात होता है कि यह वंश 'सर्वप्रथम 240 ईसवी में महेश्वर आया और यहीं से कुछ हैहेयवंशी पूर्व की ओर जाकर बुंदेलखण्ड में बस गये।<sup>13</sup>

**गुप्त साम्राज्य के समय निमाड** - 275 ई. में श्रीगुप्त द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य अपनी समग्र उपलब्धियों के कारण प्राचीन भारत के स्वर्ण युग के रूप में अभिहित है। सन् 360 से 533 ई. तक निमाड क्षेत्र पर गुप्त वंश के राजाओं का शासन रहा। इस अवधि में समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य), कुमारगुप्त, स्कन्दगुप्त प्रभृति महान सम्राटों का राज्य रहा। समुद्रगुप्त ने अपनी द्विविजयों के द्वारा मध्यप्रदेश के बड़े भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके उत्तराधिकारी चन्द्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य को और अधिक विस्तार एवं दृढ़ता प्रदान की। उसने पाटलिपुत्र के साथ ही अवन्तिका को भी राजधानी बनाया था। इसके सिव्हों से मध्यप्रदेश पर इसकी सत्ता का प्रमाण मिलता है। स्कन्दगुप्त के परवर्ती सम्राटों में पुरुगुप्त, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय एवं विष्णुगुप्त हुये। बुधगुप्त के समय महिष्मती में सुबन्धु के शासन का उल्लेख मिलता है। यह मूलतः गुप्त साम्राज्य का सामन्त था, लेकिन अभिलेखों में अधीनतासूचक उल्लेख नहीं मिलने से अनुमान है कि केन्द्रीय सत्ता दुर्बल हो गई थी, और सामन्तगण स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगे थे।

**ललचुरि वंश के समय निमाड** - निमाड के इतिहास में कलचुरि राजवंश का महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्वयं को चन्द्रवंशी तथा कार्तवीर्य सहस्रार्जुन की सन्तान मानते हैं। इनकी प्राचीन राजधानी महिष्मती थी। छठी शताब्दी में ये सशक्त हुये। कृष्णराज, शंकरगण, बुद्धराज आदि इस वंश के निमाड में प्रमुख सम्राट हुये। कालान्तर में चालुक्य नरेश पुलकेशी ने कलचुरियों से उनके राज्य का बड़ा भाग छीन लिया। इसके बाद कलचुरि वंश की शक्ति क्षीण हो गई और उनकी राजनीतिक प्रवृत्तियाँ प्रायः समाप्त हो गईं।

**परमारकालीन निमाड** - नवीं सदी के पूर्वार्द्ध में मालवा में परमार राजवंश का उदय हुआ। उपेन्द्र, वैरिसिंह प्रथम, सीयक प्रथम, वाकपति प्रथम, वैरिसिंह द्वितीय आदि प्रारंभिक परमार राजा राष्ट्रकूटों अथवा गुर्जर-प्रतिहारों के अधीन सामन्त थे। सीयक द्वितीय इस वंश का प्रथम स्वतंत्र सम्राट था। उसने परमार सत्ता को तासी नदी तक विस्तृत कर दिया था। इस वंश में मुंज तथा भोज जैसे बड़े सम्राट हुये। भोज ने धारानगरी (वर्तमान धार) को राजधानी बनाकर मालवा क्षेत्र पर दृढ़तपूर्वक शासन किया। भोज ने इस क्षेत्र को संवारा था। भोज की मृत्यु के उपरान्त गुजरात के चालुक्य नरेश भीम प्रथम एवं त्रिपुरि के कलचुरि नरेश कण्णि मालवा पर अधिकार कर लिया। परवर्ती परमार शासक उद्यादित्य ने पुनः मालवा पर अधिकार किया। उसके समय में मांधाता से प्राप्त सन् 1055 ई. के शिलालेख व हरसूद के सन् 1218 ई. के शिलालेख से ज्ञात होता है कि निमाड प्रदेश के उत्तरी भाग पर परमार राजा जयसिंह का राज्य था। धार के परमारों का निमाड क्षेत्र पर प्रभाव था। सन् 1526 ई. तक इस क्षेत्र पर परमारों का न्यूनाधिक प्रभाव बना रहा।

**उपसंहार** - इस तरह स्पष्ट है कि निमाड का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। यहां आदिकाल से लेकर आज तक ऐतिहासिक शृंखला अनवरत चलती रही है। निमाड के प्राचीन युग ने कई गौरवशाली ढाँचे देखे हैं। महिष्मति की गणना देश की प्रमुख नगरियों में होती थी।

\*\*\*\*\*

# Consumer Problems And Relevant Legislations

**Shalini Sharma \*** **Dr. Manju Dubey \*\***

**Introduction** - Every human, dependent or self-reliant is essentially a consumer. The moment he takes birth in this world, starts playing the role of a consumer in the form of either milk or medicine. Maximum satisfaction or utility is the motive behind all such consumptions. Since human needs are infinite and resources to satisfy these needs are generally scarce leading to the role of choice ushering into the consumer market and paving the way of exploitation by producers in some way or the other, need for protecting the interest of the consumers becomes very relevant. The more a consumer is aware about the availability of different qualities of goods at different places, the lesser is the chance of his exploitation. Different modes of information's and communication with regard to quality, availability and nature of goods and services can play vital role in creating awareness among consumers. The more they are informed, the lesser they are cheated.

Normally a consumer is cheated by a producer and suppliers of products in the following ways-

- (i) By supplying sub quality goods.
- (ii) By supplying lesser quantity of goods.
- (iii) By creating oligopoly or artificial monopoly and charging more than the genuine price of the products.
- (iv) By Giving false information through advertisement.
- (v) By creating artificial scarcity of a product and forcing the consumers to pay more.
- (vi) Not following the bindings given to consumers at the time of sale in the form of guarantee or warrantee.
- (vii) Tharashing the consumers into courts to avoid commitments or forcing the pity consumers to avoid litigation due to heavy cost in terms of time and money.
- (viii) Adulterating the edible items without taking care of the health of consumers.

These and many other ways are adopted by producers and suppliers to cheat and harass consumers. On the other hand, law making bodies have never let them roam freely since the inception of civilized life to the present day world.

## Who are Consumers?

Consumers are central points of all economic activities. The ultimate aim of all production, storage and distribution is ensure maximum sale for maximum profit. Professor

Marshall has defined a consumer in the following words.

"When a person is willing to sacrifice something in the market to purchase goods and services in order to gain utility from the consumption of these, he is called a consumer".

Thus a consumer wants to maximize his utility and satisfaction from the consumption of goods and services and the producer wants to maximize his profit by his sales and as a result, a conflict between the two is seen. Consumer protection legislations helped to reduce such conflicts so that both the parties can be made satisfied and happy.

**Consumer Protection Norms and Legislations** - When we talk of ancient India, Vedas, Puranas and five Smritis, i.e., Manu Smriti, Yajnavalkaya Smriti, Narad Smriti, Brihaspati and Katyana Smritis were the main sources of knowledge for moral as well as legal guidance for humans. In these Smritis are the source of ancient law in India. In ancient India, there were four offences with regard to the consumer's exploitation e.g. adulteration of food stuff, fabrication of weights and measure, charging exorbitant prices and selling of forbidden articles. These exploitations came under the purview of offences.<sup>12</sup> A heavy and severe punishment was also provided for every criminal act specially for adulteration, deceit, fraud and misrepresentation.<sup>13</sup> Consumer protection measures and punishments were specifically mentioned in Kautilya's Arthashastra. Kautilya was a minister of Chandragupta Maurya and a great preceptor of state-craft whose wise teaching have a universal validity. His celebrated work "Arthashastra" was compiled somewhere about 300 B.C.<sup>14</sup> His celebrated work in which reference are made to the 'Code of Ethics' of various professions.<sup>15</sup> Kautilya recognized four types of consumer offences Adulteration, Weight and Measures, Exorbitant prices and Cheating/ Fraud.

In the medieval period, the hoarding of grains or commodities was considered a major offence. The seeds of consumer protection are found during the rule of Sultan Alauddin Khilji, who introduced strict price control measures based on production costs.<sup>16</sup> The mughal emperors also

\*Research Scholar, K.R.G. (P.G.) College, Gwalior (M.P.) INDIA

\*\* Co-Guide, K.R.G. (P.G.) College, Gwalior (M.P.) INDIA

emphasized the strict price control. The kings did not favour written laws in any field, as they were mainly interested in the enlargement of their territories and collection of maximum revenue.<sup>17</sup>

Britishers did not pass any act to save the interest of the Indian consumers. Nevertheless, a few acts were enacted which aimed at fetching revenue to the Britishers as they were busy more in economic activity rather than welfare activities.<sup>18</sup> The Britishers were mainly concerned with promoting and protecting their own interest and not the interest of the consumers, which were being exploited by erring and cunning business community.<sup>19</sup> Moreover, certain acts were enacted like Indian Penal Code, 1860,<sup>20</sup> Indian Control Act, 1872, Sale of Goods Act, 1930, Agriculture Produce (Grading and Marketing) Act 1937 & Drug & Cosmetic Act, 1940.

When India became free in 1947, it accepted a written constitution formed by the drafting committee. The constitution of India came into force on 26<sup>th</sup> January 1950. The preamble of the constitution lays stress on socio-economic and political justice. It was felt that the socio-economic justice ushering a social reconstruction of Indian society is a sine-quanon for an effective exercise for all other basic rights guaranteed in free India and consumer justice as a facet of socio-economic justice thus flows from our constitutions the basic philosophy and working parameters. Thus, preamble of the constitution declared India as Socialist, Sovereign, Secular, democratic, Republic and liberty, equality and justice were the guiding principles to protect the interest of all humans and consumers were not exceptions. Article 14 of the constitution declares that the states shall not deny to any person equality before law or equal protection of laws within the territory of India.

The fundamental rights in part III of the constitution are enforceable and justifiable legal rights. On the other hand, the directive principles of state policy enshrined in part IV of the constitution of India, are fundamental in the governance of the country as laid down in Article 37 of the constitution which is reproduced below:

The provisions contained in this part shall not be enforced by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws.

The underlying philosophy behind these directive principles was so living that it was supposed while making laws that the state shall regard the rising of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and in particular, the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes, of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.

After Independence the Government of India enacted a plethora of acts to safeguard the interest of consumers. All the modern legislations (on the subject) accepted the need for providing protection to the consumers, and a law

what is commonly known as unfair trade practices namely, misleading advertisement, false informations to dupe consumers etc, came into being. It was then felt that this law alone is not enough to protect the interest of consumers. As a result, several other laws were also passed by the parliament, namely Prevention of Food Adulteration Act, 1954, Essential Commodities Act, 1955, Drugs and Magic Remedies Act, 1955, Protection of civil Rights Act, 1955, Trade and Merchandise Marks Act 1958, Monopolies and Restrictive Trade Practice Act, 1969, Standard Weights and Measurement Act, 1976, Consumer Protection Act, 1986 Amendment 2002 and soon.

Prior to the enactment of Consumer Protection Act, 1986, many consumer laws were in existence in India, but they failed to protect the interest of consumers. The problem of the consumer is that there are so many legislations which can teach the naughty trader a lesson in his life time, but the procedures are long; and a general apathy of our police, administrative and judicial system has made the healthy and blossoming society to become into one that is adulterated, spurious, defective, poisonous, heavily drug peddled and unacceptable. Who is responsible? Whether government or businessman or someone else. But it is sure that consumer is equally responsible for that. Ignorance of law is no excuse. Many of us are blissfully ignorant of this ignorance. A careful study of all the aforesaid acts clearly shows that they are either preventive or punitive in nature. They did not provide any relief to the aggrieved and cheated consumers and they are continuously being trapped by misleading, misrepresenting and fraudulent allurements and advertisements of trading agencies.

There are so many reasons which necessitated the enactment of the Consumer Protection Act. All the previous acts could not yield satisfactory results because the procedure followed by the courts was / is very lengthy; frequent stay of proceeding at all stages; lawyer's encouragement of postponement of case; expensive as court fee is required to institute a civil suit; adjournments sought on flimsy, false, fabricated and concocted grounds; majority of judges non-serious to sit in the court room or keep a tight eye on every proceedings of court; absence of check on procedural failures of judges; generally, these laws do not provide compensation to the aggrieved party, but they provide for only punishment to the wrong doer.

It is the only Consumer Protection Act that protects consumers interest directly while all other laws protect consumers interest indirectly. Other laws can help a person only during his life time, but Consumer Protection Act protects his interest not only from cradle to grave but even before and after these two shores e.g. a child in the womb, if suffers for any reasons due to maltreatment of a medical practitioner attending on him, the mother can claim compensation by filing a complaint under Consumer Protection Act. All these acts laws during British period or after are discussed below.

**1. The Dangerous Drugs Act, 1930:** In the area of drugs

control the Dangerous drugs Act, 1930 is an important central legislation which empowers the central government to control certain operations relating to dangerous drugs. It further empowers to increase and render uniform penalties for offences relating to operations of dangerous act.

**2. The Sale of Goods Act, 1930:** Some spirit of concept of consumerism is also evident in the Sale of Goods Act, 1930. Before this enactment, the situation was uncertain with regard to "sale of goods or movables, the law on the subject was not only uniform throughout British India but was also outside the limits of the original jurisdiction of the high court, extremely uncertain in its application." The Sale of Goods Act contains the spirit of the concept of consumer protection in several provisions which include contract of sale, conditions and warranties in the sale, transfer of property between seller and buyer, duties of seller and buyers, right of unpaid sellers against the goods and suits for the breach of the contract.

**3. Agricultural Products (Grading and Marketing) Act, 1937:** This act provides for grading and certifying quality standard of agricultural commodities which are allowed to be stamped with AGMARK seal of the Agricultural Marketing department of the Government. 4. The Drugs and Cosmetics Act, 1940:-In order to defend the cause of consumer in the area of drugs and cosmetic industries in India, Drugs and cosmetic act of 1940 was enacted so as to regulate the airport, distribution and sale of drugs.

In pursuance to the recommendations of the pharmaceutical enquiry committee appointed by the Government of India, the drugs and cosmetics act, 1940 empowers the central government to control the manufacture of drugs, to appoint inspectors for inspecting manufacturing premises and taking samples of drugs, to appoint government analysts to whom samples drawn by such inspectors could be sent for analysis and to issue the state government for carrying into any of the provisions of the Act.

**5. Industries (Development and Regulation) Act, 1951:** This Act provides for control over production and distribution of manufactured goods. According to this Act, the central government may order investigation of any industry, if it is of the opinion that there has been substantial fall in the volume of production, or a marked decline in the quality of the product or any unreasonable rise in price. After due investigation, the government may issue directions to set things right. If the directions are not acted upon, the government may take over the concerned undertakings.

**6. Prevention of Food Adulteration Act, 1954:** This Act provides for severe punishment for adulteration of food articles. In the case of sale of adulterated food which is injurious to health and likely to cause death, life imprisonment with a minimum fine of Rs. 3000 may be payable. Food inspectors are appointed and they have powers to lift samples and send them for analysis. Penalties are also provided under the act for offences committed by persons with regard to manufacture, import, storage, sale and distribution of adulterated food articles.

**7. Essential Commodities Act, 1955:** Under this Act, the

Government has the power to declare any commodity as essential in the public interest. Thereby the government can control the production, supply and distribution of the trading of such commodities. It also provides for action against anti-social activities of profiteers, hoarders and black marketers.

**8. The standards of Weights and Measures Act, 1956:** This Act provides for the use of standard measures of weights and standard measures of length throughout the country. 'Meter' has been specified as the primary unit for measuring length, and 'kilogram' as the primary unit for measuring weight. Before this act came into force, different system of weights and measures were used in different parts of the country like 'pound', 'Chhatak' and 'Seer' as weights, yard, inch and foot for length, etc. These differences provided ample opportunities for traders to exploit the consumers. Now it is not possible for any trader to exploit consumers in these ways.

**9. Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969:** Under the provisions of this act, as amended in 1983 and 1984, consumers and consumer groups can exercise their right of redressal by filing complains relating to restrictive and unfair trade practices. The government has constituted the MRTP commission which is empowered to deal with the consumer complaints after due investigation and enquiry. The Commission has power to award compensation for any loss or injury suffered by consumers.

**10. The Code of Criminal Procedure, 1973:** Nevertheless, the criminal laws of the country do protect the consumer in some degree or so. In this regard section 153 of the code empowers a station-house officer of a police station without warrant to enter any place within the limits of such station for the purpose of inspecting or searching for any weights or measures or instruments for weighing, used or kept and whenever there is reason to believe that in such place weights, measures or instruments for weighing are false.

**11. Prevention of Black-Marketing and Maintenance of Essential Supplies Act, 1980:** The primary objective of this act is to provide for detention of persons involved in hoarding or black marketing with a view to prevention of black-marketing and maintenance of supplies of commodities essential to the community. The maximum detention for persons acting in any manner against the intention of the act can be imprisonment upto 6 months.

**12. Bureau of Indian Standards Act, 1986:** The Bureau of Indian Standards has been set up under this Act, replacing the Indian Standards institution (ISI), to protect and promote consumer interest. It has two major activities: formulation of quality standards for goods and their certification through the BIS certification marks scheme by which manufacturers are permitted to use the standardization mark (ISI) on their products after due verification of conformity with prescribed quality standards of safety and performance. The Bureau has set up a consumer affairs department to create quality consciousness among ordinary consumers. There is also a public grievances cell to which consumers can make complaint about the quality of product carrying ISI mark.

**13. Consumer Protection Act, 1986:** This Act provides

for consumer protection more comprehensively than any other law. Consumers can seek legal remedy for a wide range of unfair practices not only with respect to goods but also for deficiency in services like banking, insurance, financing, transport, telephone, supply of electricity or other energy, housing boarding & lodging, entertainment, amusement etc. This act also includes provisions for the establishment of consumer protection councils at the centre and the state. For the settlement of consumer disputes, the act has provided for a semi judicial system. It consists of District Form, State Cominission and National Commission for redressal of consumer disputes. These may be regarded as consumer courts which are quasi-judicial in nature.

India being one of the signatory to the Resolution of the United Nations, enacted the Consumer Protection Act, 1986 to fulfill its obligation'. The parliament enacted the legislation in December 1986, which, came into force on April 15, 1987. The main objectives of the Act are to provide for better protection of the consumers and for that purpose to make provision for the establishment of consumer councils and other authorities for the settlement of consumers' disputes.

The act provides effective, people oriented, broad and efficient remedy to consumers against unfair dealings and exploitation. The act applies to all goods and services whether provided by private, public or co-operative body unless it is especially exempted by the Central Government by a notification in the Official Gazette. The Act is an improvement over the other existing laws for consumer protection as it is compensatory in nature, whereas remedies under other laws are basically punitive or preventive in nature and are designed to provide relief only in specific situations. The remedy under the Act is in addition to and not in derogation of provisions of any other law for the time being in force. The Act gives statutory recognition to six consumer rights which are right to safety, right to information, right to choose, right to be heard, right to seek redressal and right to consumer education. The Act postulates establishment of advisory and adjudicatory bodies to safeguard the interest of consumers. The advisory structure is in the form of Consumer Protection Councils at Centre, State and District levels. These Councils are constituted on public private partnership (PPP) basis. The purpose of those bodies is to review the consumer related policies of the Government and suggest measures for further improvements in future.

The Act also provides for quasi-judicial adjudicatory machinery at three levels i.e. District, State and National levels called District Forum, State Consumer Disputes Redressal Commission and National Disputes Redressal Commission. At present, there are 621 District Forums, 35 State Commission and apex body the National Commission. The District Forum can adjudicate on matter, where the value of claim is upto rupee twenty lakh, the State Commission, where value of claim is more than twenty lakh

but upto rupee one crore and the National Commission, where the claim is over one crore. These adjudicatory bodies are quasi-judicial bodies and are regulated according to the principal of natural justice. They are required to decide complaint within a period of three months from the date of notice where no testing is required and within a period of five months where testing is required.

The Consumer Protection Act, 1986 is a socio-economic legislation to protect and promote the interest of consumers in a more unified and effective manner. Consumer Protection Act is a weapon in the hands of consumers to fight against the exploitation by the sellers, manufacturers and traders related to defective goods, deficiency in service and restrictive and unfair trade practices. From the time of its inception as on January 1, 2010, the Consumer courts at National, State and District level have together registered 33,30,237 cases and 29,58,875 cases have been disposed.

#### References :-

1. Times of India, 6-5-2014
2. C. Naseema & Nisha KM, Consumer awareness and consumer behaviour of commerce graduate students, edu tracks December 2009, Vol. 9, N4, PP 41 to 45.
3. Deepa Sharma, Consumer Grievance Redressal under the CP Act, Delhi, New Century Publications 2002, P. 1
4. Agrawal VK, Consumer Pdtotection Law and Practices, New Delhi, BLH Publishers, 2003, P. 3.
5. <http://www.articlebase.com/customer-service-articles/role-of-consumer-redressal-forum-in-consumer-protection-1280333.html#ixzz0xFdjgrAK>
6. Shukla Hansa "Media's Role..." International Referred Research Journal, Dec. 2011, PP 8-9.
7. Chatterjee, A., Sahoo, S., (2011) Consumer Protection Problems and Prospects, Postmodern Openings, Year 2, Vol. 7, September, 2011, PP. 157-182.
8. Chatterjee, A., Sahoo, S. (2011) Consumer Protection Problems and Prospects, Postmodern Openings, Year 2, Vol. 7, September, 2011, PP. 157-182.
9. Chatterjee, A., Sahoo. S. (2011), Consumer Protection Problems and Prospects, Postmodern Openings, Year 2, Vol. 7, September, 2011, PP. 157-182.
10. George Cherriyan, Rural Consumers and Role of Local bodies in consumer protection, CUTS International.
11. Consumer Awareness Guidelines, Government of Tamil Nadu, Civil Supplies and consumer protection department, Chennai.
12. Neelam Singh, "Consumer Protection Act 1986; A milestone" Upabhohta Jagran, Vol. 11 & 12 Dec. 2011, P. 37
13. S. Mustafa Alam Naqui, Expanding Horizons of Consumeerism in India & Abroad Special Reference to Professional Deficiency, Consumer Protection and Trade Practices Journal, Vol. 10, P. 55.
14. S.K. Puri, P. Cit. (11), P. 5
15. Sunita Zalpuri Koul, Op. Cit. (2), P. 13
16. Sunita Zalpuri Koul, Op. Cit (2), P. 14.

# Reduction in CO<sub>2</sub> emission by the use of Composite cement Using Mathematical Modelling

Dr. Sapna Shrimali \* R.K. Mishra \*\*

**Abstract** - Today the world is facing the environment problem due to imbalance release of greenhouse gases by industry. 5% of global CO<sub>2</sub> is contributed by cement industry. Through this paper by using operational research methodology we try to explain that by use of new cement that is composite cement we are able to reduce CO<sub>2</sub> emission from 36.84 % to 68.42% against the use of OPC cement which is a huge amount. This can be achieved by varying the fly ash(15 % to 35 % )& slag (20 % to 50 %) in mix proportion. This report is also useful for better utilization of industrial waste like fly ash, slag , and saving of resources coal/petcoke ,power and limestone reserves. Use of composite cement results in saving of crore of rupees.

**Key words** - OPC, Composite cement, Slag, Fly ash,Clinker.

**Introduction** - In today's world the major issue is of global warming. In lay man terms rise in temperature of earth. This results in many changes all over the world. To overcome the global warming a committee of IPCC was established. Every country under the flag of his government set guideline for every industry to mitigate the effect of global warming.

In context of India we contributes 7% of global CO<sub>2</sub> according to report of IEA 2012 which was 4 % in 2003. This is alarming for us. We have to set a bench mark for us to overcome from this without affecting our economical and industrial growth.

Our main focus area is cement as it highly energy intensive. Cement industry is responsible for 5% of global CO<sub>2</sub> emission. The widely used building material is cement. By the introduction of new cement composite cement we mitigate the effect of global warming that is to reduce emission of carbon dioxide.

**Materials and Method** - After china we are second largest producer of cement in the world and accounts for about 6% of world's production. India is arising as a future superpower so we have to be very careful about our growth .It is well known that we are third in steel sector as well in power generation. Report tell us that we generate 600 million tons of fly ash upto 2030 from power station and presently we generate about 10-12 million tons slag from steel industry. These two figures are too big and it is not going to less but it will increase day by day.

The second problem is that for production of cement we have to produce clinker. As per IPCC default value of

CO<sub>2</sub> / ton clinker is 865 kg. This value is sum of 535 kg CO<sub>2</sub> / ton clinker from calcination of limestone and 330 kg CO<sub>2</sub>/ton clinker from fuel for heat in Kiln.

To minimize these two effects we have to find a way by which we may consume these industrial wastes and lower down the release of carbon dioxide in the atmosphere during production of cement. Cement is one of the essential building material. To solve these two problem we produce such a cement in which we utilizes these waste by lowering down the clinker percentage.

International Energy Agency and Cement Sustainability set a benchmark to lower down CO<sub>2</sub> emission from 2 billion tonsto 1.55 billion tons up to 2050.

For this many initiatives taken from every section. We focus on reducing the use of clinker and maximizing the use of industrial wastes. Reduction in CO<sub>2</sub> emission is possible by use of composite cement. As per BIS we use fly ash and slag in mixed proportion 15%-35% & 20 %-50% respectively by varying percentage. We use this as a base data for our calculation and study purpose. We try to design our model as per the figure (see in last page)

By use of composite cement we can eliminate three stage i.e. (Raw material, grinding raw material and burning process)

We try to replace clinker and use in mix proportion the slag and fly ash as per BIS limit. By doing this we can reduce the emission of CO<sub>2</sub>. We designed our model as per figure 1.

Mathematical methodology to proof that by use of composite

\*Associate Professor & Head, Department of Mathematics and Statistics, Pacific Academy of Higher Education & Research University, Udaipur (Rajasthan) INDIA

\*\* Research Scholar, Department of Mathematics and Statistics, Pacific Academy of Higher Education & Research University, Udaipur (Rajasthan) INDIA

cement reduces CO<sub>2</sub> emission.

#### CASE I

Normal OPC production

Clinker = C , Gypsum= G

Product OPC = C+ G( C= 95 %, G= 5% )

#### CASE II

Composite Cement Clinker based methodology

Clinker = C , Gypsum= G , FLY ASH = F , Slag =S

Product Composite Cement= C+G+F+S ( as per BIS value of C= 35% TO 65%, G=5%(To fulfil the requirement of BIS), F=15%-35%,S=20%-50%)

#### CASE III

Composite Cement OPC based methodology

OPC = P, Fly ash = F , Slag = S

Product Composite Cement =P+F+S ( as per BIS value of P=35 % TO 65 % , F= 15%-35%, S= 20%-50% )

Case I Normal OPC – Clinker =C , Gypsum = G, 1 Ton clinker emits as per IPCC default value =865 Kg CO<sub>2</sub>, MT=Unit metric tons

| C MT | G MT | Product= (C+G) MT | [C/(C+G)] =HMT | H* 865Kg CO <sub>2</sub> / Ton Cement Produced |
|------|------|-------------------|----------------|--|
| 95   | 5    | 100               | 0.95           | 821.75   |
| 115  | 5    | 120               | 0.958          | 828.67   |
| 135  | 5    | 140               | 0.964          | 833.86   |
| 155  | 5    | 160               | 0.969          | 838.185  |
| 175  | 5    | 180               | 0.972          | 840.78   |

Case II (using clinker in the range 35 % to 65 % )

As per BIS 16415-2015 we produce cement using clinker from 35% to 65% remaining part in mix proportion fly ash and slag that value will be in the range of 65 % to 35 % (min & max value of fly ash and slag is fix as per BIS)

Clinker = C, Gyp= G, Fly ash= F, Slag =S

Let us take example of production of 100 ton composite cement keeping slag % at min value as per norms that is 20% & varying the % of Fly ash as per norms.( CO<sub>2</sub> emission per ton clinker is 865 kg as per standard value)

#### Table 2 (See in last page)

Case III ( Clinker in the range 35 % to 65 % ) Keeping value of fly ash constant that is 20% and vary slag at % CO<sub>2</sub> released per ton clinker default value is 865 kgCO<sub>2</sub> as per IPCC

Clinker =C , Gyp =G, Fly ash = F , Slag =S

#### Table 3 (See in last page)

#### Case III

Clinker = C, Gyp =G, Fly ash = F, Slag = S

#### Table 4 (See in last page)

All the tables calculation are valid for use of OPC in the proportion of 35% to 65% of production of composite cement product.

Now the formula for CO<sub>2</sub> released during production of Composite cement = (C % of product)× 865 kg co<sub>2</sub>/ ton clinker [value of C vary from 35 % to 65%]

Where C stands for = clinker

Product = sum of clinker ,gypsum ,fly ash and slag where value of fly ash & slag vary from 15% - 35% and slag from 20%-50% at best possible option keeping in view the value of C as per norms % Saving of clinker on same production =[ (Clinker used in OPC –Clinker used in Composite cement)/Cement produced]×100 % Saving of CO<sub>2</sub> released against OPC = [(CO<sub>2</sub> released by clinker used in OPC production –CO<sub>2</sub> released by clinker used in Composite cement)/CO<sub>2</sub> released by clinker used in OPC production]×100 Where we have to multiply in both production clinker used with 865 kg CO<sub>2</sub>/ton clinker.

Let us take the example of 100 ton OPC for this we have to use 95 ton clinker and suppose gypsum 5 tons

For same 100 ton composite cement clinker saving is:

| Clinker in tons | Gypsum in tons | Fly ash in tons | Slag in tons | Composite cement in tons | % Saving clinker on same production 100 ton OPC |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------------|---|
| 60              | 5              | 15              | 20           | 100                      | 35 %  |
| 55              | 5              | 20              | 25           | 100                      | 40%   |
| 50              | 5              | 25              | 20           | 100                      | 45%   |
| 45              | 5              | 30              | 25           | 100                      | 50%   |
| 40              | 5              | 35              | 30           | 100                      | 55%   |
| 35              | 5              | 15              | 35           | 100                      | 60%   |
| 30              | 5              | 20              | 45           | 100                      | 65%   |

**Conclusion** - Hence to minimize the emission of CO<sub>2</sub> in the climate mathematical model is useful tool to know the % release as well as saving against the use of OPC.

By use of this we are able to judge the best method to use what percentage of fly ash and slag used to minimize the release the CO<sub>2</sub> in the atmosphere as well as % saving of clinker against varying the fly ash and slag on the production of cement.

**Acknowledgment** - We are thankful to Shri A.K.Bartaria (Sr. V.P.) UCWL for his guidance and support.

#### References :-

1. Prasad. P.S.R ,KumarA.V.P,Rao. K.B and Muthanna K.M., Experimental Investigation on Long Term Strength of Blended and O.P.C Concretes, National Conference on Recent Developments in Structural Engineering MIT, Manipal, pp. 84-390 (2005).
2. Ogonowski. M ,Houdashelt.M ,Schmidt. J , Lee. J andHelme. N.,Greenhouse Gas Mitigation in Brazil, China and India:Scenarios and opportunities through 2025(centre for clean air policy), pp.1-43 (2006).
3. Cao.J, Ho. M.S, and Jorgenson. D.W "Co-Benefits" of Greenhouse Gas Mitigation Policies in China an Integrated Top-Down and Bottom-Up Modeling Analysis ,Environment for Development, EfD DP 08-10, (2008).
4. Ponssard.J.P and Walker.N , EU Emissions Trading and the cement sector: A Spatial Competition Analysis. Climate Policy, 8, pp.467-493 (2008)
5. Gallagher.K.S , Acting In Time On Climate Change,

- Acting In Time On Energy Policy Conference , pp. 1-24 (2008).
- 6. TheLoreti Group, Green House Gas Emission Reduction from Blended Cement Production, Prepared by California Climate Action Registry, pp.1-33 (2008).
  - 7. Christopher. L, Arlington, Massachusetts ,Cement Sector Green House Gas Emissions Reduction Case Studies, California Energy Commission,C EC- 600-2009- 005 (2009).
  - 8. Ishida .A, Araki .A, Yamamoto. K, Morioka . M, Hori. A, Application of Blended Cement in Shotcrete to Reduce the Environmental Burden, XI Engineering Conferences International, pp.1-9 (2009).
  - 9. Chennoufi.L , Grey.H.H, Breisinger.M, Boulet.E and URS France, An Approach to Reconciling the Financing of Cement Manufacturing Plants with Climate Change Objectives, pp.1-17 ( 2010).
  - 10. Moesgaard.M, Yue.Y, Glass Particles as an Active and Co<sub>2</sub> Reducing Component in Future Cement , Faculty Of Engineering And Science, Aalborg University,pp1-54 (2010).
  - 11. Thomas .M, Kazanis.K, Cail.K, Delagrange.A, Blair.B, Lafarge North America , Lowering the Carbon Footprint of Concrete by Reducing the Clinker Content of Cement, Annual Conference of the Transportation Association of Canada Halifax, Nova Scotia, pp.1- 13 ( 2010).
  - 12. Sector Policies and Programs Division Office of Air Quality Planning and Standards U.S. Environmental Protection Agency Research Triangle Park, North Carolina 27711, Available and Emerging Technologies for Reducing Greenhouse Gas Emissions from the Portland Cement Industry , pp.1-45 (2010).
  - 13. Mitsubishi Research Institute Inc, New Mechanism Feasibility Study on CO<sub>2</sub> Abatement through Utilization of Blast Furnace Slags as Blending Material for Cement in Viet Nam, New Mechanism Feasibility Study, pp.1-24 (2011).
  - 14. Fukui .A and Krishna. S , IGES- TERI CDM Reform Paper: Linking Ground Experience with CDM Data in the Cement Sector in India, Institute for Global Environmental Strategies (IGES) the Energy and Resources Institute (TERI) , pp.1-16 ( 2011).
  - 15. Gupta.A and Cullinen.M.S , The Carbon war Room , Cement Primer Report, pp. 1- -22 (2011).
  - 16. Kargari.A and Ravanchi.M.T, Carbon Dioxide: Capturing And Utilization, Greenhouse Gases-Capturing, Utilization and Reduction, pp.1-30 (2012).
  - 17. Charkovska.N, Bun. R, Nahorski.Z, Horabik.J, Mathematical Modeling and Spatial Analysis of Emission Processes in Polish Industry Sector: Cement, Lime and Glass Production, Econtechmod: An International Quarterly Journal, **01( 4 )**, pp.17-22 (2012).
  - 18. Ansari.N, Seifi.A, A System Dynamics Model for Analyzing Energy Consumption and CO<sub>2</sub> Emission in Iranian Cement Industry under Various Production and Export Scenarios, Energy Policy 58, pp.75-89 ( 2013).
  - 19. Stripple.H ,Greenhouse Gas Strategies for Cement Containing Products, IVL Report B2024, pp.1-101 ( 2013).
  - 20. Mukherjee .S.P andVesmawala .G, Literature Review on Technical Aspect of Sustainable Concrete, International Journal of Engineering Science Invention ,**2** (8), pp. 01-09 ( 2013).
  - 21. KPMG Advisory Services Pvt. Ltd. (KASPL), Human Resource and Skill Requirement in Construction Material and Building Hardware Sector (2013-17,2017-2022), Government of India Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. N.S.D.C National Skill Development Corporation Transforming the Skill Landscape, **6**, pp. 1-57 ( 2014).
  - 22. Guynn .J and Kline. J, Maximizing SCM Content of Blended Cements, 2015-CIC- 00043978-1-4799-5580-0/14/IEEE
  - 23. Tsimas.S and Moutsatsou .A , Hydration of Cao Present in Fly Ashes, National Technical University of Athens School of Chemical Engineering Laboratory of Inorganic & Analytical Chemistry , pp.1-74 ( 2015).
  - 24. Ridhhi, Sustainable Materials in the Construction Industry, Sustainability Outlook , (2015).
  - 25. Krishnan.M.R , Quality Of Life For All: A Sustainable Development Framework for India's Climate Policy , Center for Study of Science, Technology and Policy (CSTEP), (2015).
  - 26. Lee .H.S and Wang.X.Y , Evaluation of the Carbon Dioxide Uptake of Slag- Blended Concrete Structures, Considering the Effect Of Carbonation, Sustainability 2016, 8, 312; pp.1-18 ( 2016).







FIGURE-1 Production model of OPC V/S Composite Cement





| C in Tons | G in Tons | F in Tons | S in Tons | Product=(C+G+F+S) in Tons | H= (C/Product) | H* 865 Kg CO <sub>2</sub> /Ton composite cement= I | Reduction in release of CO <sub>2</sub> against OPC on same composite cement production= (821.75-I) | % Saving in reduction in release of CO <sub>2</sub> against OPC on same composite cement production=[(821.75-I)/821.75]*100 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------|--|---|---|
| 60        | 5         | 15        | 20        | 100                       | 0.60           | 519  | 302.75  | 36.84%  |
| 55        | 5         | 20        | 20        | 100                       | 0.55           | 475.75   | 346   | 42.10%  |
| 45        | 5         | 25        | 20        | 100                       | 0.45           | 389.25   | 432.5   | 52.63 %   |
| 45        | 5         | 30        | 20        | 100                       | 0.45           | 389.25   | 432.5   | 52.63%  |
| 40        | 5         | 35        | 20        | 100                       | 0.40           | 346  | 475.75  | 57.89%  |



| C in tons | G in tons | F in tons | S in tons | Product=(C+G+F+S) | H= C/ Product | H* 865=I | Value reduction in CO <sub>2</sub> emission against same production of OPC | % Saving in CO <sub>2</sub> emission against OPC [(821.75-I)/821.75]*100 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------------|----------|--|--|
| 50        | 5         | 20        | 25        | 100               | 0.50          | 432.5    | 389.25   | 47.37  |
| 45        | 5         | 20        | 30        | 100               | 0.45          | 389.25   | 432.5  | 52.63  |
| 40        | 5         | 20        | 35        | 100               | 0.40          | 346      | 475.75   | 57.89  |
| 35        | 5         | 20        | 40        | 100               | 0.35          | 302.75   | 519  | 63.16  |
| 30        | 5         | 20        | 45        | 100               | 0.30          | 259.5    | 562.25   | 68.42  |



| C in tons | G in tons | F in tons | S in tons | Product=(C+G+F+S) | H= C/ Product | H* 865=I | Value reduction in CO <sub>2</sub> emission against same production of OPC | % Saving in CO <sub>2</sub> emission against OPC [(821.75-I)/821.75]*100 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------------|----------|--|--|
| 30        | 5         | 15        | 50        | 100               | 0.30          | 259.5    | 562.25   | 68.42  |
| 30        | 5         | 20        | 45        | 100               | 0.30          | 259.5    | 562.25   | 68.42  |
| 30        | 5         | 25        | 40        | 100               | 0.30          | 259.5    | 562.25   | 68.42  |
| 30        | 5         | 30        | 35        | 100               | 0.30          | 259.5    | 562.25   | 68.42  |
| 30        | 5         | 35        | 30        | 100               | 0.30          | 259.5    | 562.25   | 68.42  |



# Consumer Protection Act 1986 & Consumer's Satisfaction

**Shalini Sharma \*** **Dr. Manju Dubey \*\***

**Introduction** - Consumers are central points of all economic activities. The ultimate aim of all production, storage and distribution is to ensure maximum sale for maximum profit. Professor **Marshall** has defined a consumer in the following words:

"When a person is willing to sacrifice something in the market to purchase goods and services in order to gain utility from the consumption of these, he is called a consumer".

Thus a consumer wants to maximize his utility and satisfaction from the consumption of goods and services and the producer wants to maximize his profit by his sales and as a result, a conflict between the two is seen. Consumer protection legislations helped to reduce such conflicts so that both the parties can be made satisfied and happy. **Chaterjee & Sahoo** added that the main objective of the Consumer Protection Act is to ensure the better protection of consumers. Unlike existing laws which are either punitive or preventive in nature, the provisions of this Act are compensatory in nature. The Act is also intended to provide simple, speedy and inexpensive redressal to the consumers' grievances, and relief of a specific nature and award of compensation wherever appropriate to the consumer. The act has been amended in 1993 both to extend its coverage and scope and to enhance the powers of the redressal machinery.

The salient features of the Act can be summed up as:

1. The Act applies to all goods and services unless specifically exempted by the Central Government.
2. It covers all the sectors whether private, public or cooperative.
3. The provisions of the Act are compensatory in nature.

It enshrines the following six rights of consumers:

1. Right to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property of the people;
2. Right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods or services so as to protect the consumer against unfair trade practices;
3. Right to be assured, wherever possible, access to a variety of goods and services at competitive prices;

4. Right to be heard and to be assured that consumers' interests will receive due consideration at appropriate forums;
5. Right to seek redressal against unfair trade practices and unscrupulous exploitation of consumers; and
6. Right to consumer education.

One of the six rights given to CPA 1986 is right to consumer education. He has been given two rights in this regard.

1. Right to acquire knowledge and skills necessary to be an informed consumer
2. Take action by attending seminars, workshops, to ensure consumer education taking place in schools.

Thus, right to consumer education envisages the right to knowledge and skills needed for taking action to influence those factors which can influence consumer decision and interest.

**Review of related Literature :** Perveen Dalal (2012) on the basis of his studies concluded that protection of consumers is not only a responsibility of the state but also a mandate against commercial and business entities. A satisfied consumer base is essential for the successful existence of commercial enterprises. Dr. Hansa Shukla (2011) discussed the role of media in her research paper "the role of media in consumer protection" in detail. Deepa Sharma (2005) analyzed the mechanism of grievance redressal of consumers as provided under CPA86. Ashok Kumar Chandra (2011) Concluded that CPA86 was one of the socio-economic legislations which have been enacted for protecting the interests of consumers in India. Sashi Nath Mandal (2009) is of the view that the battle for consumer protection has to be fought by many agencies. The government has to play an important role by enacting suitable laws and enforcing them effectively. India has been observing 15<sup>th</sup> March since 1989 as the National Consumer Day. This day has a historic importance as it was on this day in 1962 that the bill for consumer right was moved in US Congress. Steps have been taken by various acts and other measures to help consumers. Chaterjee & Sahoo (2011) suggested that consumers must be educated to develop an understanding about their rights and responsibilities as consumers. Sunita Zalpuri Koul (2000)

in her focused on the contributions of these consumer courts to the development of a comprehensive consumer law. The output in terms of redressal decisions delivered by the authorities under the act has far exceeded the expectation. **Objectives of the Study** - CPA86 amended in 1993 is no doubt a boon for consumers in today's age of consumerism. It has reduced many of their problems but many more still need to be addressed that consumers are facing even today. This study is an attempt to know those problems that CPA86 has not been able to address and some modifications is still in demand by the people to make the act more vibrant and beneficial for consumers in general.

**Hypotheses of the Study** - Following hypothesis will be tested by this study:

1. Consumer forums are functioning properly in the opinion of the consumers.
2. There is no correlation between consumer awareness and consumer problems. Along with testing with these hypotheses the researcher will also find out the answer of the following questions : (i) What are different types of practical problems faced by consumers in general from market to consumer's forum? (ii) To what extent can Consumer Protection Act solve the practical problems of consumers.

#### Method & Procedure

**Sample** : 480 male & female respondents from Bijnor and Gwalior Districts each representing all income and age Groups were taken randomly for the purpose of study.

**Research Tools** : Two research tools were used here:

**1. Consumer Awareness Scale (CAS)** : This scale consisting of three subscales having 20 items each namely consumer awareness consumer problems and attitude of consumers towards CPA86 was constructed and standardized by the research herself:

**2. Consumer Awareness Interview Schedule (CAIS)** : An open end interview schedule was also administered on 20% respondents from each group of the sample to study the problems of the consumers and possible solutions suggested by them thoroughly.

**Statistical Techniques used** : Chi-Square test, Karl Pearson's product moment coefficient of correlation and percentage were used for analysis of data.

#### Results & Discussions

##### Hypothesis N1

Consumer forums are functioning properly in the opinion of consumers.

This hypothesis is related to the third sub scale of CAS. Interpretations of all the 20 items individually on the basis of results given in table N12 of chapter 4 are given below.

1. 58.33% consumers of Bijnor and 65.83% consumers of Gwalior consider consumer forums as boon for consumers. Only about 25% of them do not think so and the difference in both the cases is also significant at 0.001 level. Thus opinion of consumers surely goes in favor of CPA 86.
2. The statement that excess of petitions in consumer

forums is not benefitting consumers at all is agreed by 44.37% consumers of Bijnor and 41.25% consumers of Gwalior but the number of those opposing the statement is also very high, i.e., 31.25% and 35.41% respectively. Moreover difference is not significant here. Thus consumers are equally divided here. About half of them are benefitting from such petitions.

3. The statement that timing for consumer court in the evening is more convenient for consumers is supported by two third majority of consumers. Those who consider present timings of consumer courts suitable are only 15%. Since difference of opinion is significant at 0.001 level so action may be taken to change the timing in the interest of consumers.
4. 88% consumers of Bijnor and 85% consumers of Gwalior support the view that consumer courts should have powers to send the culprits to jail and those disagreeing the statement are negligible.
5. About 80% consumers are of the view that corruption of administrative machinery has increased the burden of consumer courts. Only 12.48% consumers of Bijnor and 10.83% consumers of Gwalior do not support this view. This huge difference of opinion is also significant at 0.001 level showing the shortcoming of administration not of CPA 86.
6. Only about 21% consumers in both the cities believe that number of judges in the consumer courts is sufficient but about 37.5% consumers of Bijnor and 39.58% consumers of Gwalior do not agree with this statement but since this difference is not significant so we consider the opinion of respondents divided at this issue.
7. Only 25% consumers of Bijnor and 33.54% consumers of Gwalior support the statement that consumers are not benefitting due to corruption in consumer courts. On the other hand, about 33.75% consumers of Bijnor and 25% consumers of Gwalior oppose the statement and this statement is also not significant so we consider respondents divided on the issue.
8. The statement that interest of consumers is put at the top in consumer courts is agreed by 59% consumers of Bijnor and 55% consumers of Gwalior as against 29.16% and 35.83% respectively opposing the statement and this difference is also significant at 0.001 level in each case. It means that majority of consumers is satisfied with the role of consumer courts in this respect.
9. 57.7% consumers of Bijnor and 47.08% consumers of Gwalior are of the view that decisions are not given in the consumer courts in the stipulated time of 3-5 months as against 25% and 35.83% respectively negating the statement and satisfied with its role. This difference is also significant at 0.001 level in both the cases. Hence majority of consumers are not satisfied with the speed of trial in consumer courts.
10. The opinion that consumer courts should be changed

- into a fully judicial body is supported by 21% consumers of Bijnor and 26% consumers of Gwalior only but those opposing the statement are also very low, i.e., 25% and 24% respectively in Bijnor and Gwalior. So opinion is fractured here.
11. 54.8% consumers of Bijnor and 47.7% consumers of Gwalior support the statement that government is taking adequate measures to make the consumers aware. Only 20.62% consumers of Bijnor and 18.95% consumers of Gwalior want something more to be done by the government. The first difference is significant at 0.001 level and the second one is significant at 0.01 level.
  12. As far as sale of open products is concerned, the role of consumer courts is not satisfactory. This item is supported by 54.8% consumers of Bijnor and 45.83% consumers of Gwalior as against 25% consumers negating the statement in both the cities. Difference of opinion is significant at 0.001 level in the first case and 0.10 level in the second case so, something needs to be done to deal with such cases.
  13. The item that powers of consumer forums are limited is agreed by 40.62% consumers of Bijnor as against 21% but difference is not significant. The same item is agreed by 43.85% consumers of Gwalior as against 16.66% negating the statement and this difference is significant at 0.001 as  $X^2 = 62$ . Hence, majority of voice is there for change and increasing powers of such courts.
  14. 67.08% consumers of Bijnor and 70.83% consumers of Gwalior are of the opinion that consumer laws should be made stringent enough to create deterrence among defaulters. Only 16.66% of them oppose the statement here and difference is also significant at 0.001 level in both the cases. Thus, huge majority favors stringent consumer laws.
  15. The statement that one consumer court in the whole district is sufficient is supported only by 12.5% consumers of Bijnor and 11.25% consumers of Gwalior and about 77% of them oppose it. Since difference is also significant at 0.001 level in both the cases so we can say that one consumer court in a district is not enough according to huge majority of consumers.
  16. 75% consumers of Bijnor and 69% consumers of Gwalior are of the view that those living far away from the district headquarter are not benefiting from consumer courts. Those opposing the statement are only few. Hence opinion of majority of consumers prevails.
  17. 87.91% consumers of Bijnor and 58.95% consumers of Gwalior agree the statement that consumer courts have taken service related complaints seriously as against negligible percentage of consumers negating the statement. So, it can be said that consumer courts are dealing not only products and sales sectors but also service sector equally.
  18. 79.12% consumers of Bijnor and 70.83% consumers of Gwalior are of the view that traders have invented new methods of cheating to cheat consumers. Only 11.87% consumers of Bijnor and 17.91% consumers of Gwalior oppose the statement. It means that CPA 86 provisions need to be reviewed as is stated by a huge majority of consumers and difference is also significant at 0.001 level in both the cities.
  19. The statement that CPA 86 is not the solution of daily consumption items of bread, butter and clothing is approved by only 13.33% consumers of Bijnor and 17.08% consumers of Gwalior. A huge majority of 53% consumers on an average oppose it and difference is also significant at 0.001 level. It means that CPA 86 is dealing all the aspects of consumer related problems in the opinion of huge majority of consumers.
  20. 46.45 consumers of Bijnor and 45.2% consumers of Gwalior are of the view that interests of poor consumers can be protected only by making administrative machinery accountable. On the other hand 37.5% consumers of Bijnor and 38.75% consumers of Gwalior oppose it but since the difference is significant at 0.001 level in both the cases, so it can be stated that accountability of administration is more important than implementing CPA 86.
- Thus, in this sub scale consumers are fully satisfied with six points of CPA 86 out of 20 important points and they are divided in their opinion on five points. However, there are nine points on which change is still required. Thus, on the basis of these results we have no option but to reject the research hypothesis here. For proper functioning of consumer forums and CPA 86, it should be revised and changed on many fronts.
- Hypothesis N2:**
- There is no relationship between consumer problems and their awareness as consumers.**
- Consumer problems and consumer awareness region wise and gender wise have been analyzed in Table N3. Correlation  $r = 0.04$  showing negligible correlation between consumer awareness and consumer problems with respect to male consumers are found. It means that awareness of male consumers of Bijnor is not related to their problems and vice-versa. They may have lots of problems though being aware consumers. In case of male consumers of Gwalior  $r = -0.22$  as is clear from table 5. This correlation is negligible though very low which may not be significant for drawing a conclusion. It can be stated simply that more aware consumers of Gwalior have less problems and vice-versa but this nature of relationship is manifested in only few cases as  $r = -0.22$  is very low. The same relationship is shown in case of female consumers of Bijnor where  $r = 0.21$  as is clear from the table so female consumers of Bijnor and male consumers of Gwalior both do not differ much with regard to two variables i.e., consumer awareness and consumer problems.
- However, considerable negative coefficient of

correlation is seen among the females of Gwalior with respect to their awareness as consumers and their problems as  $r=-0.38$  (table N8). It means that less aware female consumers of Gwalior have more problems and more aware ones have fewer problems. Thus null hypothesis N2 is only partially accepted. In half of the cases it is seen that negative relationship between consumer awareness and consumer problems is there from low to moderate level, i.e.,  $r=-0.21$  and  $r=-0.22$  show low level of negative correlation and  $r = -0.38$  shows moderate level of correlation. Despite enactment of CPA 86 there are still many problems before consumers. The important problems that consumers are still facing have been isolated by asking direct open end questions from consumers through consumer awareness interview schedule (CAIS) and all these problems have been listed in table 14 of chapter 4. Mainly consumers have pointed out 22 major problems that are still there before them. These problems are adulteration, inflation, corruption, faulty weight and measures, false advertisement, cheating by shopkeepers, conveyance, hoarding, short supply, lack of consumer education, conservatism, black marketing, lack of quality control, dishonesty, sale of expired goods, incomplete informations on packets, skipping of warrantee and guarantee, faulty billing (of electricity), not giving bill and cash memo, malpractice of telephone companies and use of chemicals in fruits and vegetables. Something more needs to be done to save consumers from exploitation. Table 4 shows that the respondents on CAIS have pointed 10 measures that must be adopted to save consumers from exploitation. These measures are improvement in CPA 86, consumer education, making CPA 86 more strict, delicensing of corrupt sellers, opening more consumer courts in a district, improving quality of supply inspectors, provision of jail for defaulters, empowering consumer forums, regular checking by inspectors and consumer representation in company forums.

#### **Conclusion :**

- CPA has been able to reduce only 4 out of 20 problems of consumers isolated for the purpose of study. Some of these problems are related to proper implementation of CPA 86 and some problems are related to fundamental changes in CPA86. First category of problems are adulteration, incomplete informations supplied by producers, profiteering, cheating on unsealed products, duplicacy of items, black marketing, high cost of advertisement and so on and second category of problems are related to theoretical aspect of CPA 86 such as timing of consumer forums, cash memo not binding on sellers, luring schemes of producers to cheat buyers, high number of pending cases in consumer courts, artificial creation of short supply by producers, credit system prevailing in the market and so on.
- Consumers have mainly pointed out 22 major problems that are still to be solved by CPA86 and consumers

and government both are responsible for these problems. It means that consumers will have to change their own behavior in order to solve some of their problems. Consumers have suggested ten measures to be adopted by the government to save consumers from exploitations such as improvement in CPA 86, consumer education, delicensing of corrupt sellers, opening more than one consumer courts in a district, provision of jail for defaulters and so on.

Thus we can say that behavior of consumers has improved to a great extent today. This is evident from 10 good habits adopted by consumers. Much of this credit goes to CPA 86 which has drastically improved the behavior of consumers in general. Despite this fact many consumers still believe that CPA 86 is only a half success. Much more still needs to be done for making it a full success. Consumers have pointed out 9 such points. Educating consumers through different media and methods is one of them. Unless consumers are fully educated, they cannot benefit from consumer protection acts.

**Suggestions -** On the basis of this study in the field of consumer behavior, consumer awareness and consumer protection following suggestions can be given:

- CPA 86 is a landmark legislation with respect to protection of consumer rights but certain amendment in this act is still needed as is viewed by consumers of Bijnor and Gwalior and almost similar views may be seen from consumers of other parts of the country. A draft of amendment of CPA 86 is going to be presented in Parliament sooner or later.
- The new draft should incorporate all the remaining problems of consumers that they are facing even now so that a compressive consumer protection act might be prepared and enacted.

#### **Analysis & Interpretation**

**Table 1 (see in last page)**

**Table 2 : Correlation between Consumer Awareness and Consumer Problems (Bijnor & Gwalior)**

| Sex    | Bijnor | Gwalior |
|--------|--------|---------|
| Male   | 0.04   | -0.22   |
| Female | -0.21  | -0.38   |

**Table 4 : Consumer Protection & Related Action**

| Action   | Percentage of People Supporting |
|--|---------------------------------|
| 1. Improvement in implementation of CPA86            | 94%                             |
| 2. Consumer needs to be educated and made aware      | 100%                            |
| 3. CPA86 be hardened                                 | 96%                             |
| 4. Delicencing of corrupt sellers                    | 99%                             |
| 5. Establishing more consumer forums in a district   | 86%                             |
| 6. Supply inspector should be honest and hardworking | 96%                             |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 7.  | Severe punishment including jail to corrupt sellers and producers | 92% |
| 8.  | More rights to consumer forums                                    | 86% |
| 9.  | Regular checking by supply inspectors                             | 92% |
| 10. | Consumers representation in the forums of companies               | 72% |

**References :-**

- Chandra, Ashok Kumar, (2011),"Consumer perception and awareness about consumer rights and Consumer Protection Act. A study in District Raipur" (C.G.) Home Vol.1 no 8 (2011) RISSM March 21. 2012
- Chatterjee, A., Sahoo, S., Consumer Protection Problems and Prospects, Postmodern Openings, Year2, Vol. 7, September, 2011, pp: 157-182
- Deepa Sharma, Consumer Grievance Redressal under the CP Act, Delhi, New Century Publications 2002, P. 1
- Dr. Shukla Hansa**, "Media's role of Consumer

Protection and Welfare in India International Referred Research Journal, December, 2011, ISSN – 0974-2832, RNI-RAJBII, 2009/29954; Vol., III \*ISSUE-35

- Koul Sunita Zalpuri**, *Development of Consumer Laws through Consumer Courts in India*, unpublished Ph.D. Thesis, faculty of Law, University of Jammu, Jammu 2000, p. 6
- Mandal Sahshi Nath**, "Protection of Consumer Right Through Judicial and Extra Judicial Mechanism in India" Available at SSRN. <http://SSRN.COM> abstract=1707572, 2009
- Praveen Dalal**, Consumer Protection and Right to information \*Advocate, Arbitrator and consultant, Supreme Court of India. Managing partner-perry4Law (First Techno-Legal and ICT Firm, New Delhi, India) LL.M. PhD – Cyber Forensics (Pursuing).

**Table 1 : Role of Consumer Forums in the eyes of Consumers of Bijnor & Gwalior**

| Item N1 |         | Agree              | Undecided         | Disagree        | X <sup>2</sup> | Level of Significance |
|---------|---------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
|         | Bijnor  | FO=280<br>90       | FO=84<br>36.1     | FO=116<br>12.1  | 138.2          | 0.001                 |
|         | %age    | 58.33              | 17.5              | 24.16           |                |                       |
|         | Gwalior | FO=316<br>152.1    | FO=84<br>36.1     | FO=100<br>22.5  | 210.7          | 0.001                 |
|         | %age    | 65.83              | 17.5              | 20.83           |                |                       |
| Item N2 |         | Agree              | Undecided         | Disagree        | X <sup>2</sup> | Level of Significance |
|         | Bijnor  | FO=213<br>17.55625 | FO=137<br>3.30625 | FO=150<br>0.625 | 21.4875        | Not sig.              |
|         | %age    | 44.37              | 28.54             | 31.25           |                |                       |
|         | Gwalior | FO=198<br>9.025    | FO=112<br>14.4    | FO=170<br>0.625 | 24.05          | Not sig.              |
|         | %age    | 41.25              | 23.33             | 35.41           |                |                       |
| Item N3 |         | Agree              | Undecided         | Disagree        | X <sup>2</sup> | Level of Significance |
|         | Bijnor  | FO=330<br>180.625  | FO=80<br>40       | FO=70<br>50.625 | 271.25         | 0.001                 |
|         | %age    | 68.75              | 16.66             | 14.58           |                |                       |
|         | Gwalior | FO=300<br>122.5    | FO=106<br>18.225  | FO=74<br>46.225 | 186.95         | 0.001                 |
|         | %age    | 62.5               | 22.08             | 15.41           |                |                       |
| Item N4 |         | Agree              | Undecided         | Disagree        | X <sup>2</sup> | Level of Significance |
|         | Bijnor  | FO=422<br>429.025  | FO=52<br>72.9     | FO=6<br>148.225 | 650.15         | 0.001                 |
|         | %age    | 87.91              | 10.83             | 1.25            |                |                       |
|         | Gwalior | FO=406<br>378.225  | FO=54<br>70.225   | FO=20<br>122.5  | 570.95         | 0.001                 |
|         | %age    | 84.58              | 11.25             | 4.16            |                |                       |
| Item N5 |         | Agree              | Undecided         | Disagree        | X <sup>2</sup> | Level of Significance |
|         | Bijnor  | FO=380<br>302.5    | FO=40<br>90       | FO=60<br>62.5   | 455            | 0.001                 |
|         | %age    | 79.12              | 8.33              | 12.48           |                |                       |
|         | Gwalior | FO=381<br>305.2563 | FO=47<br>79.80625 | FO=52<br>72.9   | 457.9625       | 0.001                 |
|         | %age    | 79.37              | 9.79              | 10.83           |                |                       |

| Item N6  |                 | Agree              | Undecided          | Disagree           | $\chi^2$ | Level of Significance |
|----------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-----------------------|
|          | Bijnor          | FO=99<br>23.25625  | FO=201<br>10.50625 | FO=180<br>2.5      | 36.2625  | 0.20                  |
|          | %age<br>Gwalior | 20.62              | 41.87              | 37.5               |          |                       |
|          |                 | FO=104<br>19.6     | FO=186<br>4.225    | FO=190<br>5.625    | 29.45    | Not sig.              |
|          | %age            | 21.66              | 38.75              | 39.58              |          |                       |
| Item N7  |                 | Agree              | Undecided          | Disagree           | $\chi^2$ | Level of Significance |
|          | Bijnor          | FO=120<br>10       | FO=198<br>9.025    | FO=162<br>0.025    | 19.05    | Not sig.              |
|          | %age<br>Gwalior | 25                 | 41.25              | 33.75              |          |                       |
|          |                 | FO=161<br>0.00625  | FO=199<br>9.50625  | FO=120<br>10       | 19.5125  | Not sig.              |
|          | %age            | 33.54              | 41.45              | 25                 |          |                       |
| Item N8  |                 | Agree              | Undecided          | Disagree           | $\chi^2$ | Level of Significance |
|          | Bijnor          | FO=283<br>94.55625 | FO=57<br>66.30625  | FO=140<br>2.5      | 163.3625 | 0.001                 |
|          | %age<br>Gwalior | 58.95              | 11.87              | 29.16              |          |                       |
|          |                 | FO=264<br>67.6     | FO=44<br>84.1      | FO=172<br>0.9      | 152.6    | 0.001                 |
|          | %age            | 55                 | 9.16               | 35.83              |          |                       |
| Item N9  |                 | Agree              | Undecided          | Disagree           | $\chi^2$ | Level of Significance |
|          | Bijnor          | FO=277<br>85.55625 | FO=83<br>37.05625  | FO=120<br>10       | 132.6125 | 0.001                 |
|          | %age<br>Gwalior | 57.70              | 17.29              | 25                 |          |                       |
|          |                 | FO=226<br>27.225   | FO=82<br>38.025    | FO=172<br>0.9      | 66.15    | 0.001                 |
|          | %age            | 47.08              | 17.08              | 35.83              |          |                       |
| Item N10 |                 | Agree              | Undecided          | Disagree           | $\chi^2$ | Level of Significance |
|          | Bijnor          | FO=100<br>22.5     | FO=260<br>62.5     | FO=120<br>10       | 95       | 0.001                 |
|          | %age<br>Gwalior | 20.83              | 54.16              | 25                 |          |                       |
|          |                 | FO=125<br>7.65625  | FO=240<br>40       | FO=115<br>12.65625 | 60.3125  | 0.001                 |
|          | %age            | 26.04              | 50                 | 23.95              |          |                       |
| Item N11 |                 | Agree              | Undecided          | Disagree           | $\chi^2$ | Level of Significance |
|          | Bijnor          | FO=241<br>41.00625 | FO=140<br>2.5      | FO=99<br>23.25625  | 66.7625  | 0.001                 |
|          | %age<br>Gwalior | 54.80              | 29.16              | 20.62              |          |                       |
|          |                 | FO=229<br>29.75625 | FO=160<br>0        | FO=91<br>29.75625  | 59.5125  | 0.01                  |
|          | %age            | 47.70              | 33.33              | 18.95              |          |                       |
| Item N12 |                 | Agree              | Undecided          | Disagree           | $\chi^2$ | Level of Significance |
|          | Bijnor          | FO=241<br>41.00625 | FO=120<br>10       | FO=119<br>10.50625 | 61.5125  | 0.001                 |
|          | %age<br>Gwalior | 54.80              | 25                 | 24.79              |          |                       |
|          |                 | FO=220<br>22.5     | FO=140<br>2.5      | FO=120<br>10       | 35       | Not sig.              |
|          | %age            | 45.83              | 29.15              | 25                 |          |                       |
| Item N13 |                 | Agree              | Undecided          | Disagree           | $\chi^2$ | Level of Significance |
|          | Bijnor          | FO=195<br>7.65625  | FO=185<br>3.90625  | FO=100<br>22.5     | 34.0625  | Not sig.              |
|          | %age<br>Gwalior | 40.62              | 38.54              | 20.83              |          |                       |
|          |                 | FO=211<br>16.25625 | FO=189<br>5.25625  | FO=80<br>40        | 61.5125  | 0.001                 |
|          | %age            | 43.95              | 39.37              | 16.66              |          |                       |

| Item N14 |  | Agree  | Undecided  | Disagree   | $\chi^2$           | Level of Significance |
|----------|--|--|--|--|--------------------|-----------------------|
|          | Bijnor<br>%age<br>Gwalior<br>202.5<br>%age | FO=322<br>164.025<br>67.08<br>FO=340<br>62.5<br>70.83      | FO=78<br>42.025<br>16.25<br>FO=60<br>40<br>12.48         | FO=80<br>40<br>16.66<br>FO=80<br>305<br>16.66          | 246.05<br>0.001    |                       |
| Item N15 |  | Agree  | Undecided  | Disagree   | $\chi^2$           | Level of Significance |
|          | Bijnor<br>%age<br>Gwalior<br>%age          | FO=60<br>62.5<br>12.5<br>FO=54<br>70.225<br>11.25          | FO=50<br>75.625<br>10.41<br>FO=54<br>70.225<br>11.25     | FO=370<br>275.625<br>77.08<br>FO=372<br>280.9<br>77.5  | 413.75<br>421.35   | 0.001<br>0.001        |
| Item N16 |  | Agree  | Undecided  | Disagree   | $\chi^2$           | Level of Significance |
|          | Bijnor<br>%age<br>Gwalior<br>%age          | FO=360<br>250<br>75<br>FO=330<br>180.625<br>68.75          | FO=30<br>105.625<br>6.24<br>FO=80<br>40<br>16.66         | FO=90<br>30.625<br>18.76<br>FO=70<br>50.625<br>14.58   | 386.25<br>271.25   | 0.001<br>0.001        |
| Item N17 |  | Agree  | Undecided  | Disagree   | $\chi^2$           | Level of Significance |
|          | Bijnor<br>%age<br>Gwalior<br>%age          | FO=422<br>429.025<br>87.91<br>FO=283<br>94.55625<br>58.95  | FO=52<br>72.9<br>10.83<br>FO=140<br>2.5<br>29.16         | FO=6<br>148.225<br>1.25<br>FO=57<br>66.30625<br>11.87  | 650.15<br>163.3625 | 0.001<br>0.001        |
| Item N18 |  | Agree  | Undecided  | Disagree   | $\chi^2$           | Level of Significance |
|          | Bijnor<br>%age<br>Gwalior<br>%age          | FO=380<br>302.5<br>79.12<br>FO=340<br>202.5<br>70.83       | FO=80<br>40<br>16.66<br>FO=54<br>70.225<br>11.25         | FO=20<br>122.5<br>11.87<br>FO=86<br>34.225<br>17.91    | 465<br>306.95      | 0.001<br>0.001        |
| Item N19 |  | Agree  | Undecided  | Disagree   | $\chi^2$           | Level of Significance |
|          | Bijnor<br>%age<br>Gwalior<br>%age          | FO=64<br>57.6<br>13.33<br>FO=82<br>38.025<br>17.08         | FO=150<br>0.625<br>31.25<br>FO=148<br>0.9<br>30.83       | FO=266<br>70.225<br>55.41<br>FO=250<br>50.625<br>52.08 | 128.45<br>89.55    | 0.001<br>0.001        |
| Item N20 |  | Agree  | Undecided  | Disagree   | $\chi^2$           | Level of Significance |
|          | Bijnor<br>%age<br>Gwalior<br>%age          | FO=223<br>24.80625<br>46.45<br>FO=217<br>20.30625<br>45.20 | FO=77<br>43.05625<br>16.04<br>FO=77<br>43.05625<br>16.04 | FO=180<br>2.5<br>37.5<br>FO=186<br>4.225<br>38.75      | 70.3625<br>67.5875 | 0.001<br>0.001        |

\*\*\*\*\*

# बड़वानी जिले में उद्यमिता विकास कार्यक्रम और उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप)

राहुल सूर्यवंशी \* डॉ. घनश्याम अग्रवाल \*\*

**प्रस्तावना** – बड़वानी जिले की स्थापना सन् 1998 में हुई। यह क्षेत्र पश्चिम निमाड़ अंचल में स्थित है इसके पहले यह जिला खरगोन जिले का एक महत्वपूर्ण भाग था। यह जिला मध्यप्रदेश के ढक्किण पञ्चिम में स्थित है। अमृतसरिता नर्मदा इस क्षेत्र की उत्तरी सीमा बनाती हैं तथा जिले के ढक्किण में सतपुड़ा तथा उत्तर में विध्यांचल पर्वत श्रेणियाँ हैं। बड़वानी नाम की उत्पत्ति 'बड़' के वन से हुई हैं, जिनसे शहर पुराने समय में धिरा हुआ था। 'वानी' शब्द बगीचे के लिये प्रयोग किया जाता है, इसलिये शहर को बड़वानी नाम से जाना जाता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बड़वानी जिले की जनसंख्या 13,85,659 है। जिसका क्षेत्रफल 5,427 वर्ग किलोमीटर है। प्रशासनिक रूप से यह जिला दस तहसीलों से विधाया है। जिसमें बड़वानी, राजपुर, ठीकरी, रेंधवा, पानसेमल, अंजड़, निवाली, पानसेमल, पाटी और वरला में बटा हुआ है। यह क्षेत्र मध्यप्रदेश और देश के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा है। जो कि खण्डवा-बड़ौदा राजमार्ग संख्या 26 पर एवं लगभग 50 किलोमीटर दूर जुलवानिया ग्राम के आगरा-मुबर्झ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से जुड़ा हुआ है।

किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना के साथ-साथ यह भी आवश्यक होता है कि उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास का वातावरण निर्मित किया जाए। इसका सर्वोत्तम साधन 'उद्यमिता विकास' है। इसके लिए युवाओं को स्वरोजगार मार्गदर्शन, कौशल विकास (उज्ज्वलन) कार्यक्रम, वित्तीय ऋण एवं अनुदान सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, भूमि की उपलब्धता, न्यूनतम दरों में बिजली की आपूर्ति, करों में रियायत जैसे प्रयास कर उद्यमिता विकास किया जाना आवश्यक है। उद्यमिता विकास के कार्यक्रमों को निरन्तर दीर्घकाल तक संचालित करने के बाद ही औद्योगिक विकास का वातावरण निर्मित हो सकता है।

उद्यमिता विकास के लिए कौषल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, इण्डिया टूडे प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इण्डिया, रिकल इण्डिया, स्टार्टअप इण्डिया, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी समिलित रूप से प्रयास कर रहे हैं। सन् 2014 से भारत सरकार ने उद्यमशीलता विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। भारत सरकार के सभी उद्यमिता विकास कार्यक्रम का संचालन राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित

उद्यमिता विकास योजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकार भी प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु पृथक से उद्यमिता विकास की योजनाएं संचालित करती हैं। इस प्रकार उद्यमिता विकास हेतु केन्द्र और राज्य अलग-अलग सामूहिक रूप से भी उद्यमिता विकास हेतु प्रयासरत है।

औद्योगिक विकास हेतु हमारे देश में सभी बारह पंचवर्षीय योजना तक औद्योगिक विकास हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। सन् 1990 से उदारीकरण की नीति के बाद विदेशी पूँजी निवेश को उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया है। सन् 2014-15 से मेक इन इण्डिया की नीति के तहत भारतीय उद्यमिता का ब्राण्ड तैयार किया जा रहा है।

**मध्यप्रदेश में उद्यमशीलता की स्थिति** – देश का हृदय स्थल मध्यप्रदेश उद्यमशीलता संभावनाओं से भरा समृद्ध प्रदेश है। यहां समृद्ध खनिज संसाधन, वन संसाधन, जल संसाधन हर विष्टि से अभूतपूर्व है। मध्यप्रदेश में गत एक दशक में विकास के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। मध्यप्रदेश में उद्यमिता विकास हेतु औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने सन् 2004 व 2014 की औद्योगिक नीति में भी इसे प्रमुखता दी है। राज्य में पीथमपुर, मण्डीदीप, मालनपुर, मनेरी, डेवास आदि प्रमुख औद्योगिक केन्द्र हैं। ग्रामोद्योग के अन्तर्गत हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम तथा खादी उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य की चन्द्रेरी और महेश्वरी साडी विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी हैं। बुरहानपुर का पॉवरहेण्डलुम व बाग प्रिन्ट भी छ्याति प्राप्त औद्योगिक स्थल है। राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों की सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चौदह औद्योगिक केन्द्र स्थापित किए गए हैं। यद्यपि मध्यप्रदेश मुख्यतः कृषि आधारित राज्य है, लेकिन राज्य सरकार बड़े उद्योग स्थापित करने की दिशा में बाहरी पूँजी निवेश को भी आमंत्रित कर रही है। राज्य सरकार ने स्वतन्त्रता पश्चात से ही निरन्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु अनेक औद्योगिक स्थान स्थापित किए हैं जो प्रदेश में उद्यमिता विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

**तालिका क्रमांक 01 : मध्यप्रदेश में स्थापित उद्यमिता विकास संस्थान**

| क्र | उद्यमिता विकास के लिए स्थापित संस्थान | स्थान | स्थापना वर्ष |
|-----|---------------------------------------|-------|--------------|
| 1   | मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम          | भोपाल | 1969         |
| 2   | मध्यप्रदेश लघु उद्योग विकास           | भोपाल | 1969         |
| 3   | मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम        | भोपाल | 1965         |

\* शोधार्थी (वाणिज्य) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत  
 \*\* प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेंधवा, जिला- बड़वानी (म.प्र.) भारत

|    |                                      |        |      |
|----|--------------------------------------|--------|------|
| 4  | मध्यप्रदेश वस्त्रोदयोग मण्डल         | भोपाल  | 1972 |
| 5  | मध्यप्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन        | भोपाल  | 1962 |
| 6  | मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोदयोग बोर्ड | भोपाल  | 1990 |
| 7  | मध्यप्रदेश वित्त निगम                | इन्दौर | 1956 |
| 8  | मध्यप्रदेश वस्त्रोदयोग निगम          | इन्दौर | 1970 |
| 9  | मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन    | भोपाल  | 1987 |
| 10 | मध्यप्रदेश नियार्थ निगम              | भोपाल  | 1977 |
| 11 | मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम      | भोपाल  | 1976 |
| 12 | उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश    | भोपाल  | 1988 |

उद्यमिता का विकास वर्तमान युग की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वैश्वीकरण से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं का सामना करने के लिए भी उद्यमिता का महत्व बढ़ गया है। इस कारण विश्व के सभी राष्ट्रों में उद्यमिता विकास को अर्थव्यवस्था में विशेष स्थान दिया जा रहा है और उद्यमिता विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उद्यमिता विकास, उद्यमियों के विकास तथा उद्यमशील श्रेणी के व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने की सतत प्रक्रिया है। यह व्यक्तियों में उद्यमशीलता की क्षमताओं को पहचानने, विकसित करने तथा उन्हें अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है। उद्यमिता का विकास एक रचनात्मक कार्य है जिसमें शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, सहायता, साधनों की उपलब्धता आदि तत्वों का समावेश होता है। उद्यमिता विकास के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का बेहतार उपयोग कर न केवल रोजगार में वृद्धि होगी, बल्कि राष्ट्र आत्मनिर्भरता की ओर भी तेजी से अग्रसर होगा।

भारतीय समाज में अवधारणात्मक रूप से व्यावसायिक जगत में पीढ़ी-दर-पीढ़ी व्यवसाय का संचालन होता रहा है। किसान का बेटा किसान, व्यापारी का बेटा व्यापारी, राजनेता का बेटा राजनेता और उद्योगपति का उद्यमी बनता रहा है, लेकिन स्वाधीनता के पश्चात् इस परम्परा में बदलाव हुआ है और वैश्वीकरण ने इस परम्परा को लगभग तोड़ दिया है। उद्यमी में परिश्रम, धैर्य, ऊर्जा, सृजनशीलता, दृढ़ता, हिम्मत आदि गणों का विकास करने के लिए ही उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की रचना की गई हैं।

**बड़वानी जिले में उद्यमिता विकास कार्यक्रम** – मध्यप्रदेश के निमाड में स्थित बड़वानी जिले की एक विशिष्ट पहचान है। जिले में प्राकृतिक एवं खनिज संसाधनों, कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास की अपार संभावनाएँ हैं। जिले में स्थापित उद्योगों को राज्य सरकार ने नवीन औद्योगिक नीति 2014 के अनुसार अनुदान सहायता व प्रोत्साहन दिया है। जिले में कृषि उपज पर आधारित उद्योग जैसे कपास उद्योग (जिनिंग, प्रेसिंग, आईल मिल, मैदा मिल, सूत मिल) ढाल मिल मिर्च प्रसंस्करण उद्योग, ट्रेक्टर ट्राली निर्माण, टाइल्स उद्योग, मोटर बॉडी निर्माण, सोना-चांडी आभूषण निर्माण, फर्नीचर उद्योग आदि की अनेक इकाईयाँ संचालित हैं और इन उद्योगों की नवीन इकाईयों की स्थापना हेतु भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध है।

बड़वानी जिले में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना बिजली, सड़क, पानी की उपलब्धता है। सन् 1990 के दशक में बड़वानी जिले के सेंधवा, खेतिया तथा अंजड़ नगर में कॉटन जिनिंग, प्रेसिंग उद्योग की लगभग 150 से अधिक औद्योगिक इकाईयाँ संचालित हो रही हैं। शासन की दोषपूर्ण करारोपण नीति के कारण इनमें से अधिकांश इकाईयाँ बंद होकर महाराष्ट्र राज्य में स्थापित हो गई हैं। मध्यप्रदेश सरकार पुनः कपास उद्योगों की स्थापना के लिए प्रयास कर रही हैं। मध्यप्रदेश सरकार ढारा औद्योगिक पिछेपन के कारण जिले को पिछड़े हुए जिलों की 'स' श्रेणी में

शामिल किया है।

बड़वानी जिले की ठीकरी तहसील व पानसेमल में दो शकर के कारखाने संचालित हैं। जिले में सेमल्या (सेंधवा), अंजड़, केरवा-कुआ, सेंगांव (बड़वानी), जुलवानिया, रेल्वा-खजुरी (राजपुर) में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इन स्थानों पर जिले में उपलब्ध खनिज संसाधन, वन संसाधन के साथ कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों का विकास किया जाएगा। यह जिला मध्यप्रदेश के पश्चिमी सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों से धिरा हुआ है।

#### उद्योग स्थापना की प्रक्रिया :

##### उद्यमिता क्षेत्र अपनाने का निर्णय

परियोजना चयन

परियोजना प्रतिवेदन

एम. एम. ई. ऑनलाईन (भाग- 1 अभिस्वीकृत)

विभिन्न विभागों की अनुमति अथवा सहमति

वित्तीय व्यवस्था

भवन शोड निर्माण

मशीनरी आर्डर एवं मशीनरी स्थापना

कच्चे माल की व्यवस्था

उत्पादन

एम. एम. ई. ऑनलाईन (भाग- 2 अभिस्वीकृत)

#### विभाग द्वारा घोषित सुविधाओं के लिये आवेदन-पत्र

**उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप)** – उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) यह मध्यप्रदेश शासन के और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, राज्य निगमों तथा राज्य के अग्रणी बैंकों द्वारा प्रवर्तित स्वायत्तशासी संरथा है। इस संस्था का मूल उद्देश्य प्रदेश में उद्यमिता विकास से संबंधित सूचनाओं के द्वारा स्वरोजगार के लिए प्रचार-प्रसार करना तथा नये उद्यमियों को उद्योग, व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण देना है। इसके साथ-साथ इसका कार्य, कार्यरत लघु उद्यमियों की कार्यक्रूशलता में वृद्धि करना, उद्यमिता के लिए उचित वातावरण विकसित करने हेतु प्रयास करना और अपने विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से लोगों को उद्यमिता एवं स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना है। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केन्द्र ने अपने उद्यमिता विकास कार्यक्रमों, स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण, व्यापक रोजगार योजना, बहुउद्देशीय मेकेनिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा औषधीय एवं सुगंधीय पौधों से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 1.25 लाख रुपये युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का महत्वपूर्ण

कार्य किया जाता है। उद्यमिता के लिए उचित वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से, उद्योग स्थापना से संबंधित विभाग, संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदाय करने, विद्यार्थियों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उद्यमिता जागरुकता शिविर आयोजित करने एवं लागों को प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रकाशनों को तैयार करने का कार्य भी किया है। इस केन्द्र द्वारा प्रदेश में उद्यमिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही हैं। इससे लाखों नवीन उद्यमी बन रहे हैं।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उद्यमिता विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करने हेतु पृथक से उद्यमिता विकास केन्द्र की मध्यप्रदेश में स्थापना की है। इसके अतिरिक्त जिला उद्योग केन्द्र, रोजगार कार्यालय एवं अन्य शासकीय संस्थाओं की इसमें सहभागिता हो रही हैं। उद्यमिता विकास समूचे विश्व की महत्ती आवश्यकता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार भी

विविध प्रकार से उद्यमिता विकास को निरन्तर बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। इसी प्रकार मध्यप्रदेश सरकार ने भी उद्यमिता योजनाओं को क्रियान्वित किया है। इन योजनाओं से धीरे-धीरे ही सही मध्यप्रदेश और बड़वानी जिले में औद्योगिक विकास का वातावरण निर्मित हो रहा है।

### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. उद्यमिता, मासिक पत्रिका, उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमेप) भोपाल
2. मिश्रा, अरण : उद्यमिता विकास, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
3. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बड़वानी
4. स्वविवेक पर आधारित



# Environmental impact and human health issues from pesticide use: A study

Santosh Ambhore\*

**Abstract** - Pesticides are chemical or biological agents that are used to protect crops from insects, weeds, and infections. Acutely toxic organophosphate (OP) pesticides are widely used. Pesticides are used on fruits, vegetables, wheat, rice, olives and canola pressed into oil, and on non-food crops such as cotton, grass, and flowers. The OP pesticides malathion and chlorpyrifos are commonly used on all fruits, vegetables, and wheat. Pesticides are used on crops that are fed to animals, although residue from pesticides is generally not found in meat or dairy products. The federal Environmental Protection Agency (EPA), the Food and Drug Administration (FDA) play a role in regulating and measuring pesticides in food. The EPA is responsible for regulating pesticides by enforcing the 1996 Food Quality Protection Act. The EPA registers pesticides for use evaluates potential new pesticides and their proposed uses, reviews the safety of older pesticides, registers pesticide producers, and enforces pesticide requirements. EPA has enacted stricter safety standards for infants and children and restricted many OP pesticides from residential use in order to reduce exposures in children.

Pesticides benefit the crops; however, they also impose a serious negative impact on the environment. This research paper intends to discuss about pesticides, their types, usefulness and the environmental concerns related to them. Pollution as a result to overuse of pesticides and the long term impact of pesticides on the environment are also discussed in the paper. Moving towards the end, the chapter discusses the methods to eradicate the use of pesticides and finally it looks forward towards the future impacts of the pesticide use the future of the world after eradicating pesticides.

The impact of pesticides consists of the effects of pesticides on non-target species. Pesticides are chemical preparations used to kill fungal or animal pests. Over 98% of sprayed insecticides and 95% of herbicides reach a destination other than their target species, because they are sprayed or spread across entire agricultural fields. Runoff can carry pesticides into aquatic environments while wind can carry them to other fields, grazing areas, human settlements and undeveloped areas, potentially affecting other species. Other problems emerge from poor production, transport and storage practices. Over time, repeated application increases pest resistance, while its effects on other species can facilitate the pest's resurgence.

**Keywords-** pesticides, toxic, exposures, resistance, insecticides, biodiversity.

**Introduction** - A pesticide is a toxic chemical substance or a mixture of substances or biological agents that are intentionally released into the environment in order to avert, deter, control and/or kill and destroy populations of insects, weeds, rodents, fungi or other harmful pests. Pesticides work by attracting, seducing and then destroying or mitigating the pests. Pests can be broadly defined as "the plants or animals that jeopardize our food , health and / or comfort ". Pesticides are chemical or biological agents that are used to protect crops from insects, weeds, and infections. Acutely toxic organophosphate (OP) pesticides are widely used . Pesticides are used on fruits, vegetables, wheat, rice, olives and canola pressed into oil, and on non-food crops such as cotton, grass, and flowers. The OP pesticides malathion and chlorpyrifos are commonly used on all fruits, vegetables, and wheat. Pesticides are used on crops .

The use of pesticides has increased many folds over the past few decades. According to an estimate, about 5.2 billion pounds of pesticides are used worldwide per year. The use of pesticides for pest mitigation has become a common practice all around the world. Their use is not only restricted to agricultural fields , but they are also employed in homes in the form of sprays, poisons and powders for controlling cockroaches, mosquitoes, rats, fleas, ticks and other harmful bugs. Due to this reason, pesticides are frequently found in our food commodities in addition to their presence in the air .Pesticides can be natural compounds or they can be synthetically produced. They may belong to any one of the several pesticide classes. Major classes include organochlorines, carbamates, organophosphates, pyrethroids and neonicitinoids to which most of the current and widely used pesticides belong .

\*Department of Chemistry, Government Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

Pesticide formulations contain active ingredients along with inert substances, contaminants and occasionally impurities. Once released into the environment, pesticides break down into substances known as metabolites that are more toxic to active ingredients in some situations. Pesticides promise the effective mitigation of harmful bugs, but unfortunately, the risks associated with their use have surpassed their beneficial effects. Non-selective pesticides kill non-target plants and animals along with the targeted ones. Moreover, with the passage of time, some pests also develop genetic resistance to pesticides. This chapter focuses on the use of pesticides since the ancient times, **Classification of Pesticides** - Pesticides are known to be one of the extremely useful and beneficial agents for preventing losses of crops as well as diseases in humans. Based on the action, pesticides can be classified as destroying, repelling and mitigating agents. Insects and pests are getting immune to the commercial pesticides due to over usage. Recently pesticides have been developed which target multiple species (Speck- Planche et al. 2012 ).

On the level of population, the effects of pesticides depend on exposure and toxicity, as well as on different factors like life history, characteristics, timing of application, population structure and landscape structure (Schmolke et al. 2010 ). Nerve targets of insects which are known for development of neuro active insecticides include acetyl cholinesterase for organophosphates and methylcarbamates, nicotinic acetylcholine receptors for neonicotinoids, gamma-aminobutyric acid receptor channel for polychloroclohexanes and fiproles and voltage gated sodium channels for pyrethroids and dichlorodiphenyltrichloroethane (Casida and Durkin 2013 ).

It is an observation that the use of neonicotinoid pesticides is increasing. These pesticides are associated with different types of toxicities (Van Djik 2010 ). Worldwide pesticides are divided into different categories depending upon their target. Some of these categories include herbicides, insecticides, fungicides, rodenticides, molluscicides, nematicides and plant growth regulators. Non-regulated use of pesticides has led the environment into disastrous consequences. Serious concerns about human health and biodiversity are raising due to overuse of pesticides (Agrawal et al. 2010 ).

**Pesticide Use in India** - There are 234 pesticides registered in India. Out of these, 4 are WHO Class Ia pesticides, 15 are WHO Class Ib pesticides and 76 are WHO Class II pesticides, together constituting 40% of the registered pesticides in India. In terms of consumption too, the greatest volumes consumed are of these poisons.

The following is a broad picture of the top pesticide-consuming states in India (total pesticides consumed, in metric tonnes of technical grade material, during 2005-06 to 2009-10, as per official data of the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Govt of India)

| S. No. | State         | Total pesticides consumed (metric tonnes) |
|--------|---------------|---|
| 1      | Uttar Pradesh | 39948                                     |
| 2      | Punjab        | 29235                                     |
| 3      | Haryana       | 21908                                     |
| 4      | Maharashtra   | 16480                                     |
| 5      | Rajasthan     | 15239                                     |
| 6      | Gujarat       | 13430                                     |
| 7      | Tamil Nadu    | 12851                                     |
|        | All India     | 210,600                                   |

#### Most consumed pesticides in the country (during 2005-06 to 2009-10)

| S. No. | Pesticide (Technical Grade)    | Quantity consumed (metric tonnes) |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1      | Sulphur (fungicide)            | 16424                             |
| 2      | Endosulfan (insecticide)       | 15537                             |
| 3      | Mancozeb (fungicide)           | 11067                             |
| 4      | Phorate (insecticide)          | 10763                             |
| 5      | Methyl Parathion (insecticide) | 8408                              |
| 6      | Monocrotophos (insecticide)    | 8209                              |
| 7      | Cypermethrin (insecticide)     | 7309                              |
| 8      | Isoproturon (herbicide)        | 7163                              |
| 9      | Chlorpyrifos (insecticide)     | 7163                              |
| 10     | Malathion (insecticide)        | 7103                              |

**Carcinogenic Pesticides: Indian Situation** - The following is a list of 24 pesticides registered and used in India, classified as Potential Carcinogens by the US EPA:

Acephate (C), Alachlor (B2), Atrazine (C), Benomyl (C), Bifenthrin (C), Captan (B2), Chlorothalonil (B2), Cypermethrin (C), Dichlorvos (C), Diclofop-Methyl (C), Dicofol (C), Mancozeb (B2), Methomyl (C), Metolachlor (C), Oxadiazon (C), Oxyflourfen (C), Permethrin (C), Phosphamidon (C), Propiconazole (C), Propoxur (B2), Thiodicarb (C), Thiophanate Methyl (C), Triadimefon (C), Trifluralin (C).

As can be seen, some of these are also listed in the most-consumed pesticides list in the table above! Around 50 farmers have died, and 800 are hospitalised in the Yavatmal and neighboring districts of Maharashtra after an insecticide known as 'Profex Super' was sprayed on their Bt cotton plantations. They died after accidentally inhaling toxic fumes. At least 20 have lost vision too. The recent deaths of the farmers in Maharashtra and also elsewhere have again reopened the debate about the rationale of using all such pesticides in India which are either banned or restricted elsewhere in the world due to their high toxicity.

Against the backdrop of the Maharashtra incidents, a Delhi-based organisation 'Centre for Science and Environment (CSE)' on 18 October came out with a list of seven immensely or highly hazardous pesticides which continue to be used in India despite these being banned in many countries, reports The Times of India.

**Pesticide Economy in India** - The increasing demand for agricultural products and the resultant commercialization of agriculture have induced a rising use of agricultural chemicals in India. The shift of agriculture management strategies to the mode of agribusiness laid emphasis on risk management as one of the major challenges in agriculture. Some estimates project that 35-45 per cent crop production is lost due to insects, weeds and diseases, while 35 per cent crop produces are lost during storage. This naturally has facilitated the growth of the crop protection market to the size of which, as per reports, was worth \$3.8 billion (2011-12).

India is at the fourth position in the global suppliers of agrochemicals, after USA, Japan and China. The Indian pesticide industry is the biggest in Asia and 12th in the world. According to the Indian Insecticides Act 1968, all pesticide products are to be registered before they are manufactured, sold, exported or imported. The Pesticides Unit, under the Ministry of Agriculture, Government of India, monitors the demand and availability of pesticides in the states. The Unit coordinates with states/ UTs, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals and the pesticide industry for assessing the demand for pesticides to ensure their timely availability. It also collects/ compiles data on pesticide consumption, production, import/ export and sale points for the distribution of pesticides in the country. According to The India Pesticides Industry Analysis, the CAGR (compound annual growth rate) is 14.7 per cent making the predicted size of market at '2,29,800 million by 2018.

**Trends in Pesticide use in India** - Pesticide Consumption and Distribution Pattern, The demand and availability position of different pesticides is reviewed regularly during the zonal conferences on inputs for kharif and rabi with the state representatives of the Departments of Agriculture. The data from Government of India show that the consumption of chemical pesticides (in terms of technical grade) has declined from 72,130 tonnes in 1991-92 to 56,090 tonnes in 2012-13. The consumption of pesticides shows wide fluctuations over the years, which may be due to its relation with weather parameters and availability in the market. During extreme years of drought, like in early-2000s, the consumption tends to move downwards. The intensity of use (consumption per hectare of gross cropped area) has also exhibited a similar trend.

**Potential Health Effects of Pesticides** - With most (but not all) pesticides, the more a person is exposed to a particular substance, the greater the chance of harm. Two aspirin may get rid of your headache, but a bottle will make you sick. At a Glance n Toxicity is the ability of a chemical to cause harm to health. The amount needed to cause harm depends on the chemical. n With most pesticides, the longer you are exposed the greater the chance of harm. n People can be exposed by breathing a pesticide, getting it into the mouth (by eating or drinking, for example), or by contact with the skin or eyes. n Some

people are more at risk than others, depending on their age, gender, individual sensitivity, or other factors

Pesticides are used to kill the pests and insects which attack on crops and harm them. Different kinds of pesticides have been used for crop protection for centuries. Pesticides benefit the crops; however, they also impose a serious negative impact on the environment. Excessive use of pesticides may lead to the destruction of biodiversity. Many birds, aquatic organisms and animals are under the threat of harmful pesticides for their survival. Pesticides are a concern for sustainability of environment and global stability. This chapter intends to discuss about pesticides, their types, usefulness and the environmental concerns related to them. Pollution as a result to overuse of pesticides and the long term impact of pesticides on the environment are also discussed in the chapter. Moving towards the end, the chapter discusses the methods to eradicate the use of pesticides and finally it looks forward towards the future impacts of the pesticide use the future of the world after eradicating pesticides

The impact of pesticides consists of the effects of pesticides on non-target species. Pesticides are chemical preparations used to kill fungal or animal pests. Over 98% of sprayed insecticides and 95% of herbicides reach a destination other than their target species, because they are sprayed or spread across entire agricultural fields. Runoff can carry pesticides into aquatic environments while wind can carry them to other fields, grazing areas, human settlements and undeveloped areas, potentially affecting other species. Other problems emerge from poor production, transport and storage practices. Over time, repeated application increases pest resistance, while its effects on other species can facilitate the pest's resurgence.

Each pesticide or pesticide class comes with a specific set of environmental concerns. Such undesirable effects have led many pesticides to be banned, while regulations have limited and/or reduced the use of others. Over time, pesticides have generally become less persistent and more species-specific, reducing their environmental footprint. In addition the amounts of pesticides applied per hectare have declined, in some cases by 99%. However, the global spread of pesticide use, including the use of older/obsolete pesticides that have been banned in some jurisdictions, has increased overall.

**The Marketing Scene** - The manufacturing, imports, distribution and use of pesticides in India is regulated by the Central Insecticides Board and Registration Committee (CIBRC), which was established under the Department of Agriculture and Cooperation, Government of India. The CIBRC is responsible for registering the insecticides which are manufactured in or imported to the country and registration is a fundamental requirement for its sale and distribution. The claims of the manufacturer/importer regarding the efficiency and efficacy of the chemical are verified by the agency before issuing the registration

certificate. The Board is the technical body to advise the government regarding the pesticides. It also prescribes the methods for safe use and handling of pesticides. A total of 256 pesticides are registered in India. The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) which was established under the Food Safety and Standards Act 2006, is the agency to fix and monitor the pesticide residue standards (tolerance limits) in food commodities. At the state level, the prescriptions for use of pesticides in agriculture are provided by the State Agricultural Universities (SAUs) and Commodity Boards.

The pesticide distribution in India is managed by 1,78,979 sale points, across the country. Of these, the number is highest in Maharashtra (19%), followed by Andhra Pradesh (11%) and Uttar Pradesh (10.86%). The bulk (90%) of retail trade is managed by the private sector and the cooperatives handle roughly 7 per cent of the retail outlets. The Department of Agriculture (public sector) has registered its presence only in 11 states (Himachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Union Territory of Delhi). In North Eastern states (Mizoram, Meghalaya and Nagaland), the public sector has a major share in pesticide retailing. Due to the absence of public sector outlets in most of the states, the pesticide markets have almost monopoly of the private sector.

**The Logical Indian Take -** Pesticide poisoning is a chronic problem in the country. Every year, there are about 10,000 reported cases of pesticide poisoning in India. In 2015, nearly 7,000 people died because of accidental intake of insecticides and pesticides. After the death of the farmers in Yavatmal, Maharashtra, the state government on 17 October had ordered a Special Investigation Team (SIT) probe into the death of farmers due to inhalation of pesticides. But the primary issue remains unattended to. The Logical Indian urges the government to take into account the plight of the farmers and bring out legislation to ban these pesticides immediately.

**Conclusions -** Pesticides have proved to be a boon for the farmers as well as people all around the world by increasing agricultural yield and by providing innumerable benefits to society indirectly. But the issue of hazards posed by pesticides to human health and the environment has raised concerns about the safety of pesticides. Although we cannot completely eliminate the hazards associated with pesticide use, but we can circumvent them in one way or the other. Exposure to pesticides and hence the harmful consequences and undesirable effects of this exposure can be minimised by several means such as alternative cropping methods or by using well-maintained spraying equipments. Production of better, safe and environment friendly pesticide formulations could reduce the harmful effects associated with the pesticide usage. There are organo-chlorines, which are used as pesticides. These pesticides are least biodegradable and their use is banned in many countries. Besides this fact, organo-chlorines are highly used in many

places. This results in serious health hazards. Water pollution is on the rise due to these pesticides, even at low concentration, these pesticides have serious threat to the environment (Agrawal et al. 2010 ).

In future chemical pesticides can be used in combination with natural treatments and remedies which result in more sustainable elimination of pests and insects. This combination not only promises environmental sustainability, but also has diverse applications in controlling of urban pests and invasive species (Gentz et al. 2010 ). Pesticides have also posed a serious threat on biological integrity of marine and aquatic ecosystems. It is the need of time to integrate the studies of different disciplines including toxicology, environmental chemistry, population biology, community ecology, conservation biology and landscape ecology to understand direct and indirect effects of pesticides on the environment (Macneale et al. 2010 ) .

The policy towards use of chemical pesticides during green revolution era has been primitive in nature. The pesticide application has often been adopted as a risk avoidance strategy, where the chances of pest incidence/critical pest population are often wrongly perceived to be on the higher side. The professionalism in the choice of chemical and its application has slowly been replaced by the private operators who handle the retail sales, mostly without any formal training or information on these aspects. Consequently, the concerns on the negative externalities of chemical pesticides across the world have resulted in increasing awareness on the pesticide use, especially in the socioeconomically advanced societies. Despite this, the supply side of pesticide management is largely a neglected area, where the operators lack proper awareness, training, and education (Devi, 2015).

The WHO reports that the negative externalities due to pesticide exposure are more prominent in the developing economies despite their lower consumption. It indicates adoption of unscientific use practices that exist in these regions. The analysis has pointed out to the need for a detailed look on the pesticide-use pattern, distribution systems and regulatory mechanism at a micro level. The attainment of green growth strategies and sustainable development goals necessitates the adoption of safe production practices in agriculture. This can be ensured through scientific management of supply chain systems.

#### References :-

1. Agrawal A, Pandey RS, Sharma B (2010) Water pollution with special reference to pesticide contamination in India. *J Water Res Prot* 2(5):432–448
2. Bhatia MR, Fox-Rushby J, Mills M. Cost-effectiveness of malaria control interventions when malaria mortality is low: insecticide-treated nets versus in-house residual spraying in India. *Soil Sci Med.* 2004;59:525.
3. Casida JE, Durkin KA (2013) Neuroactive insecticides: targets, selectivity, resistance, and second-ary effects. *Annu Rev Entomol* 58:99–117
4. Chakravarty P, Sidhu SS. Effects of glyphosate,

- hexazinone and triclopyr on in vitro growth of five species of ectomycorrhizal fungi. *Euro J For Path.* 1987;17:204–210.
5. Devi, P.I. (2009) Health risk perceptions, awareness and handling behavior of pesticides by farm workers. *Agricultural Economics Research Journal*, 22(9): 263-268. Devi, P.I. (2010)
  6. FAO (Food and Agricultural Organization) (1975) Report of the First Training Course in Crop Pest Control with Special Reference to Desert Locust Control and Research. Dakar, Senegal. 17 February-21 March (progress report).
  7. Gupta SK, Jani JP, Saiyed HN, Kashyap SK. Health hazards in pesticide formulators exposed to a combination of pesticides. *Indian J Med Res.* 1984;79:666.
  8. Kashyap R, Iyer LR, Singh MM. Evaluation of daily dietary intake of dichlorodiphenyltrichloroethene (DDT) and benzenehexachloride (BHC) in India. *Arch Environ Health.* 1994;49:63.
  9. Kumar Y. Pesticides in ambient air in Alberta . Edmonton, Alta: Report prepared for the Air Research Users Group, Alberta Environment; 2001. ISBN 0-7785-1889-4.
  10. Lekei, E.E., Ngowi, A.V. and London, L. (2014) Hospitalbased surveillance for acute pesticide poisoning caused by neurotoxic and other pesticides in Tanzania. doi:10.1016/j.neuro.2014.02.007.
  11. Macneale KH, Kiffney PM, Scholz NL (2010) Pesticides, aquatic food webs, and the conservation of Paciū c salmon. *Front Ecol Environ* 8:475–482
  12. Nepal Bhardwaj, Tulsi and Sharma, J.P. (2013) Impact of pesticides application in agricultural industry: An Indian scenario, *International Journal of Agriculture and Food Science Technology*, l4(8): 817-822.
  13. Nigam SK, Karnik AB, Chattopadhyay P, Lakkad BC, Venkaiah K, Kashyap SK. Clinical and biochemical investigations to evolve early diagnosis in workers involved in the manufacture of hexachlorocyclohexane . *Int Arch Occup Environ Health.* 1993;65:S193.
  14. Nyakundi, W.O., Muruga, G., Ocharaand, J. and Nyenda, A.B. (2010) A study of pesticide use and application patterns among farmers: A case study from selected horticultural farms in Rift valley and central provinces,
  15. Ramesh A, Tanabe S, Iwata H, Tatsukawa R, Subramanian AN, Mohan D, Venugopalan VK. Seasonal variation of persistent organochlorine insecticide residues in Vellar River waters in Tamil Nadu, South India. *Environ Pollut.* 1990;67:289–304.
  16. Rashid B, Husnain T, Riazuddin S (2010) Herbicides and pesticides as potential pollutants: a global problem. *Plant adaptation phytoremediation.* Springer, Dordrecht, pp 427–447
  17. Schmolke A, Thorbek P, Chapman P, Grimm V (2010) Ecological models and pesticide risk assessment: current modeling practice. *Environ Toxicol Chem* 29(4):1006–1012
  18. Singh JB, Singh S. Effect of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and maleic hydrazide on growth of bluegreen algae (cyanobacteria) *Anabaena dololum* and *Anacyclis nidulans*. *Sci. Cult.* 1989;55:459–460.
  19. Speck-Planche A, Kleandrova VV, Scotti MT (2012) Fragment-based approach for the *in silico* discovery of multi-target insecticides. *Chemom Intell Lab Syst* 111:39–45
  20. US EPA. Water protection practices bulletin. Washington, DC: Office of Water; 2001. Jul, Managing small-scale application of pesticides to prevent contamination of drinking water. EPA 816-F-01-031.
  21. Van Djik TC (2010) Effects of neonicotinoid pesticide pollution of Dutch surface water on non- target species abundance .
  22. Wadhwani AM, Lall IJ, editors. *Harmful Effects of Pesticides.* New Delhi: Indian Council of Agricultural Research; 1972. Report of the Special Committee of ICAR; p. 44.
  23. WHO. Geneva: World Health Organization; 1990. *Public Health Impact of Pesticides Used in Agriculture;* p. 88.
  24. WHO. The world health report. Geneva: World Health Organization; 2001. *Mental health: new understanding, new hope.* 2001.

\*\*\*\*\*

## Tourism Industry In Chhattisgarh

Dr.Sunita Dubey \* Dr. Daya Shankar Jagat \*\*

**Introduction** - Advent of easier and easily available modes of travel, increase in the purchasing power of citizens and a fast growing culture which believes more in spending and less in saving. These factors have combined to make tourism industry one of the fastest growing industries in India. This paper is an attempt to study tourism possibilities in the state of Chhattisgarh and the present state of affairs in the tourism sector in the state.

**Methodology** - This paper has been prepared with a secondary data procured from the internet. The data and the related information have then been compiled to fulfill the objective stated in the introduction. The links to the references has been given at the end of this paper.

**Tourism Possibility In Chhattisgarh** - Chhattisgarh is a relatively newly formed state of the nation situated geographically at the heart of India. On 1<sup>st</sup> November 2017 it completes 17 years of its formation. The state might be new but the land of Chhattisgarh is quite ancient and finds a mention also in the epic RAMAYAN by the name of Dakshin Kosal. It is believed that queen Koshalya was from the Kosal kingdom. Nature has also been very kind to this state with close to 42% land being covered with forest. And thus the state is rightfully called a green state. One combines both these factors and the result is a very good opportunity for the presence and development of tourism industry. In this paper let's explore the presence and possibilities of the tourism industry in Chhattisgarh.

The tourism industry can be broadly divided into the following categories

1. Natural & wildlife Tourism
2. Historical & the Archeological Tourism
3. Religious Tourism
4. Cultural Tourism
5. Eco and Adventure Tourism

**1. Natural & Wildlife Tourism** - For a land gifted with close to 42% forest land it is but natural to have an abundance of national parks and wildlife sanctuaries. The same holds true for Chhattisgarh. The state boasts of 3 national parks and 11 sanctuaries. They are

### National Parks

1. Kanger Ghati National Park, Bastar District , Ares is

- 200 Sq KM
2. Indravati National Park, Bijapur District, Area is 1258 Sq KM
3. Guru Ghasi Das National Park, Korea District, Area is 2893 Sq KM

### Sanctuaries

1. Achanakmar, Bilaspur
2. Badalkhol, Jashpur
3. Bhairamgarh, Bijapur
4. Barnawapara, Baloda Bazar
5. Gomarda, Raigarh
6. Pamed, Bijapur
7. Semarsot, Balrampur
8. Sitanadi, Dhamtari
9. Udanti, Gariyaband
10. Tamor Pingla, Sarguja
11. Bhoramdeo, Kawardha

Such large forest area has also been blessed by a wide variety of wildlife starting from the king of the forest- The Tiger. Incidentally the Indravati National Park is also the only tiger reserve of the state. Other animals include the wild boar, Nilgai & the different variety of Deer's, Bison, striped hyena, jackal, wild dogs to name a few. The Kanger Ghati Park is also famous for its bio diversity and presence of crocodiles. The leopard is found in abundance across the forests of the state.

**Caves & Waterfalls** - Apart from the flora and fauna, nature has also been kind to gift the state with a number of natural caves and waterfalls. The prominent caves are

1. Gadiya mountain in Kanker district
2. Kotumsar cave in Bastar district
3. Kailash Gufa, Ramgarh & Sita Bengra in Sarguja district
4. Singharpur caves in Raigarh district

Out of these the most famous is the Kotsamar caves as it is the only place in the world to have the blind fishes.

The waterfalls are not left behind and they are -

1. Amrit Dhara in Koriya district
2. Tiger Point in Mainpat in Sarguja district
3. Chitrakote and Teerathgarh in Bastar district

The most famous of these is the Chitrakot waterfall near

\*Asst.Prof. (Commerce) Govt. Pt. Shyamacharan Shukla College, Dharsiwa, Raipur (C.G.) INDIA

\*\* Principal, Govt. Pt. Shyamacharan Shukla College, Dharsiwa, Raipur (C.G.) INDIA

Jagdalpur city and is also called as the Niagra's of India. The height of the fall is 30 meters which is a very picturesque sight especially at the time of the monsoons till the onset of summer.

The latest edition to the wildlife tourism is the inauguration of the Jungle Safari in the Naya Raipur in the year 2016. When completed it is slated to be the biggest safari in the entire Asia.

**2. Historical & Archeological Tourism** - As mentioned earlier, the land of Chhattisgarh is mentioned in the very ancient of the epics. Thus the state also has historical sites worth visiting. One of the spots near the Dhamau Dhara waterfall in the Janjgir-Champa district has a stone inscription dating back to the 1<sup>st</sup> century C.E. Apart from this the other sites worth seeing are

1. Barasoor that host a thousand year old Ganesh idols and Mama Bhanja temple in Bastar
2. The recently discovered Dholkal Ganesh. Situated at the top of Dholkal mountain at a height of 3000 ft built by the Chindak Nagvanshi kings
3. Sirpur near Mahasamund is famous for the brick temples and believed to be 1500 year old
4. Very recently Tarrighat has been excavated some 35 KM's from Raipur and is believed to be 10000 years old.
5. The Bhoramdev temple near Kawardha is also known as the 'Khajuraho of Chhattisgarh' and was built in the same style as the world famous Khajuraho temples and also around the same time.

**3. Religious Tourism** - Religious sites in India are found in abundance and Chhattisgarh is no exception. The sites of the female goddess are especially found across the country with a local name around the length and breadth of the country. Here also Chhattisgarh is in line with the country. Apart from such temples dedicated to the DEVI, there are Buddhist and Jain pilgrimage sites also available in the state. The places are -

1. The Rajiv Lochan temple at Rajim is a Vishnu temple dating back to 7<sup>th</sup> Century C.E.
2. The Doodhadhari Math and Mahamaya temple in Raipur are believed to be 400 years old
3. The Bamleshwari devi temple in the hill top of Dongergarh
4. The Devi temple at Ratanpur near Bilaspur
5. The Danteshwari devi temple at Dantewada in Bastar
6. Champaran is believed to be the birthplace of Sant Mahaprabhu Vallabhacharya of the Vallabha sect. Champaran is situated 60 KM's from the city of Raipur.

**4. Cultural Tourism** - A state which boasts of as large as 32 different tribal groups has clearly much to offer in terms of cultural tourism. For the one who is interested in studying tribal culture, Chhattisgarh is a paradise. The tribal's are spread across the length and breadth of the state still living a life style which is light years away from the modern world. Their clothing, customs and culture at large has not undergone much change in spite the world

around them changing fast. Many scholars, since the time of the British era have been investing time in this trial land to learn about their tribal ways. The most famous amongst them has been the British born Verrier Elwin who was also awarded the Padma Bhushan by the Indian Government for his work on the tribal's. His notable works include "The Muria and their Ghotul" and "Folk songs of Chhattisgarh". The tribal practice of Ghotul has especially been a subject of much hype and curiosity amongst the western researchers. Studying the tribal culture is an onerous task which is only undertaken by the most serious of scholars. The 75 days long Bastar Dussehra is a unique cultural festival which is now famous all over India. The celebrations are different from the more famous DUSSEHRA festival celebrated across India which has its roots in the story of the Ramayana. The Bastar festival is centered on the Goddess Danteshwari who is the Kul Devi of almost all the tribes of this land. This festival is close to 500 years old and is celebrated with much colour and vigour and with its growing popularity attracts a lot of national / international tourists.

Mainpat a small village located in the Sarguja area of the state is situated at a distance of 40 KM's from the city of Ambikapur. It is famous for its natural beauty and this hill station is also referred as the Switzerland of the Chhattisgarh. This village has been used to rehabilitate the Tibetan exiles and over the years the Buddhist impressions can be found around the area. A Buddhist temple has got built and this small village has now developed as the Buddhist cultural center of the state.

Talking about the Buddhist culture, here it is again important to mention SIRPUR. The site is not only famous for the centuries old Lakshman temple made of bricks but has historically been a rich Buddhist site. The famous Chinese traveler Huen Tsang has mentioned it as a very important center in his memoirs dated 7-8<sup>th</sup> century C.E. The Buddhist importance of the site can be gauged from the fact that the great spiritual leader Dalai Lama has visited the site twice. Similarly one more community, the Sindhi community considers SHADANI DARBAR situated in Raipur as a very important pilgrimage site

**5. Eco & Adventure Tourism** - A state blessed with nature's generosity has ample scope of developing and promoting the Eco tourism and the Adventure tourism. The state is one of the most bio diverse states in India. It boasts of unparallel flora and fauna and thus gives ample delight to the eco tourist in its forests. The mountain ranges in the northern Chhattisgarh have potential to get developed as trekking hot spots.

**Tourism Infrastructure** - So far so good!!! But does the man made facilities match the facilities provided by the nature? Let's explore. Raipur the state capital does boast of a well made Airport with direct flights to most of the big cities of India. Raipur also has a well connected Railway route. The second biggest city of the state of Chhattisgarh is Bilaspur. The city is the headquarters of SECR. South

Eastern Central Railway or the SECR is one of the 17 zones of Railways in India. Being the HO of the SECR enables Bilaspur to be well connected with most of the railway routes of India. The road network has been laid well across the state and the quality of road is better than most of the developing states of India. This also enables the tourist to travel by road in the private taxi's though the bus service needs a lot of improvement.

Hospitality forms the backbone of the tourism industry and having good places to stay becomes the prerequisite to attract tourists from across the globe. The capital city of Raipur does boast of national hotel brands like the HYATT, SAYAJI & MARRIOT. Apart from that good local hotels are available all across the major cities and towns of Chhattisgarh. The state government has also established more than 35 hotels + resorts for the tourist to stay. The resorts built in the forest sanctuaries are also well furnished and well equipped.

#### Tourist Visiting Chhattisgarh - A Positive Sign

| S. | Year | Local  | Foreign | Total  |
|----|------|--------|---------|--------|
| 1  | 2015 | 185000 | 31300   | 216300 |
| 2  | 2014 | 121000 | 21810   | 142810 |

The source for this data is a report published in the HITAVADA.

**Way Forward** - Tourism industry is one of the fastest growing industries. It is evident from the kind of effort every state government is doing to promote local tourism. It all started with Gujarat roping in film star Amitabh Bachchan to promote Gujarat Tourism. Following the footsteps of Gujarat a very good marketing strategy by creating interesting advertisements were done by the Madhya Pradesh Government. The reason for such interest is that the industry provides the following benefits

1. It raises direct/ indirect employment
2. With influx of foreign tourist the foreign exchange also comes in
3. A good tourist experience enforces credibility of the state

4. Positive word of mouth establishes the state in the National & International maps
5. Economy and infrastructure gets a boost
6. The world gets introduced to the indigenous talents like the handicrafts and artifacts

Chhattisgarh is the 10<sup>th</sup> largest state of India but it is not amongst the top ten tourist destination in India. The growth is encouraging but a lot of work still needs to be done. The task becomes uphill because the state most of the times get highlighted in the national media because of naxal violence. This keeps lot of tourists away especially from the Bastar area. This was evident when the tourist inflow saw a steep downward trend post the May 2013 Jheeram Ghati attacks.

Though the tourism industry is taking a lot of initiatives especially in the digital world still a lot needs to be done to make Chhattisgarh a credible tourist destination. Highlighting a safe Chhattisgarh in the national media should be the most important aspect of this campaign. The second step should be taken to improvise the intra state Bus service.

#### References :-

1. Tourism in Chhattisgarh- Wikipedia [https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism\\_in\\_Chhattisgarh](https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Chhattisgarh)
2. Chhattisgarh Tourism – official website <http://cgtourism.choice.gov.in/>
3. The Hitavada report dated 5<sup>th</sup> July 2016 <http://thehitavada.com/Encyc/2016/7/5/Chhattisgarh-state-records-60—rise-in-number-of-foreign-and-domestic-tourists.aspx>
4. Bastar Dussehra [https://en.wikipedia.org/wiki/Bastar\\_Dussehra](https://en.wikipedia.org/wiki/Bastar_Dussehra)
5. Verrier Elwin- Wikipedia [https://en.wikipedia.org/wiki/Verrier\\_Elwin](https://en.wikipedia.org/wiki/Verrier_Elwin)
6. Archeological sites- Tourism of Chhattisgarh – Travel Themes <http://travelthemes.in/archaeological-sites-tourism-of-chattisgarh/>



## मध्यकालीन संत एवं भक्त कवि कबीर और सार्वभौमिक मानव मूल्य

डॉ. के. एस. बघेल \*

**शोध सारांश -** मध्यकालीन संतों एवं भक्तों में शिरोमणी महामना कवि कबीर सार्वभौमिक मानव मूल्यों के प्रतिष्ठापक एवं विलक्षण व्यक्तित्व सम्पन्न युग द्रष्टा थे। भारत भूमि पर अवतरित कबीर सामाजिक चेतना के कवि हैं वे ऐसे दौर की उपज थे, जहां भक्ति की प्रधानता थी, इसलिए उन्होंने सार्वभौमिक मानव मूल्यों की स्थापना के लिए भक्ति को माध्यम बनाया है। उन्होंने बाह्य आडम्बरों का विरोध कर मानव मूल्यों की स्थापना की।

**प्रस्तावना -** महापुरुष अपने समय की देन होते हैं। महात्मा कबीर मध्यकाल के तिमिराच्छन्न वातावरण में अपना ज्ञानदीप लेकर अवतरित होते हैं, जिससे भूली-भटकी जनता उचित पथ और सम्बल पाती है। कबीर के आगे दिव्यभ्रमित पतनोन्मुखी समाज है। चूँकि कबीर समाज के निचले स्तर से आये थे जिससे सामान्य जनता से उनका परिचय था। प्रतिदिन अनुभव में आने वाली वस्तुओं एवं व्यवहारों की वर्तमान रिथ्ति से असंतुष्ट होकर उनकी वास्तविकताओं को उजागर कर मानव मूल्यों की स्थापना पर बल दिया।

कबीर अपने युग की आवश्यकताओं और बुराईयों को देखा तथा धर्मनिधि में डुबे हुए भटकते समाज को सही मार्ग प्रश्रस्त करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने आम लोगों को उँच-नीच, छोटे-बड़े, हिन्दू-मुस्लिम के भेदभाव को मिटाने का रास्ता दिखाया। ईश्वर एक है वह सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि है। इसलिए उसी की साधना करनी चाहिए। वही कल्याण करेगा। कबीर का काव्य मानवीय मूल्यों का प्रतिष्ठापक है। कबीर ने आम लोगों को जो संदेश दिया वह आज भी लोगों के कंठ और मन में गूँज रहा है। कबीर लोक से साक्षात्कार करते हुए लोकमय हो गए और लोक कबीरमय।

मध्य युग के प्रखर, यशस्वी सच्चे समाज सेवी, समाज सुधारक, कबीर भारतभूमि पर शोषित समाज का उद्धार करने और शोषकों को राजमार्ग दिखाने के लिए जन्मे थे। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र आदि अनेक उपजातियों में विभाजित था। समाज व्यवस्था वर्ण आधारित और अत्यंत कठोर थी। वर्ण व्यवस्था कर्मणा न होकर जन्मना हो गयी थी। मनुष्य के कर्म, उनके मानवीय संरक्षकर प्रमुख नहीं थे बल्कि उनका कुलीन होना सम्मान की बात थी। वस्तुतः मानव की उपेक्षा हो रही थी। कबीर ने मानव को महत्व देते हुए मानवीय कार्य किए, जो आज के समय में भी प्रासंगिक है।

कबीर हिन्दुओं में व्याप्त वर्ण और जाति-भेद के विरोधी थे। उनके मत से ये भेद उपरी कृत्रिम और मिथ्या हैं। ब्राह्मण और शुद्र प्रकृति ने नहीं बनाए, यह भेद समाज में व्याप्त था।

**एक बुँद, एक मल-मूत्र, एक चाम एक गूदा।**

**एक जाति में सब उपजाना, को वामन को सूदा॥**

आज के भारत के लिए कबीर का यह ब्राह्मण-शुद्र के भेद को मिटाने का आव्यान कितना मानवीय मंगलकारी है।

कबीर ने धर्म और आडम्बर का भेद कर सच्चे मानव मूल्यों को स्थापित किया है। धर्म का संबंध सत्य से जोड़कर पाखण्ड और असत्य का निषेध

किया। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जप, तिलक और मस्जिद में आवाज ढेकर चिलाने वालों को पाखण्डी कहा है।

**कांकर पाथर जोरि के, मस्जिद लहू बनाया।**

**ता चढ़ि मुला बांग ढे, वया बहरा हुआ खुदाया॥**

कबीर सच्चे अर्थों में धर्म-निरपेक्ष संत थे। वे न तो हिन्दु थे, न मुसलमान और वे हिन्दु भी थे, मुसलमान भी। अभिप्राय यह है कि उन्हें धर्मोन्धता किसी की भी स्वीकार नहीं थी, अच्छाई सबकी स्वीकार थी। कबीर ने उस धर्म निरपेक्षता के महान आदर्श का प्रचार किया, जिसकी घोषणा आज का भारतीय लोकतंत्र करते नहीं थकता।

कबीर एक ऐसी व्यवस्था के पक्षधर थे जो किसी व्यक्ति की कुल जन्माधारित श्रेष्ठता या निम्नता घोषित न करके, व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर मूल्यांकन कर सके। इसी विवेकसम्मत समाज व्यवस्था के लिए कबीर कहते हैं-

**जो तू बाह्मन बाह्मनी जाया।**

**आन बाट तू काहे न आया॥**

कबीर को ऐसा कोई भी मत स्वीकार्य नहीं जो मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद पैदा कर सके-कोई भी अनुष्ठान या साधना पद्धति या शास्त्र स्वीकार्य नहीं जो विवेक सम्मत न हो। प्रत्येक अविवेकी व्यवस्था को स्वीकार करने का साहस लेकर कबीर पैदा हुए थे। ऐसी ही अविवेकी व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था जो मनुष्य की श्रेष्ठता या निम्नता का मूल्यांकन जातिगत आधार पर करती है। कबीर समाज-सत्ता के सापेक्ष एक मनुष्य के व्यक्तिगत सत्ता की स्वीकृति की भी मांग करते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था मनुष्य की समाजता की संकल्पना का विरोधी है। वर्णाश्रम द्वारा प्रतिपादित नैतिकता के ये नियम मनुष्यता की सार्वभौमिक मूल्यों की सर्वथा विपरित है।

**यह उनमुन रहनि सो परगट करि गाई।**

**दुःख से एक परे परम पद सो पद है सुखदाई॥**

कबीर वैचारिक और व्यवहारिक धरातल पर लोक परम्परा के अन्वेशक थे। आज भी उनका साहित्य धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विसंगतियों के खिलाफ एक सक्रिय विरोधी है। कबीर धार्मिक सहिष्णुता वर्ग सामंजस्य, जाति सामंजस्य चाहतें हैं। उनकी चिन्तनधारा का आध्यात्मिक पक्ष सामाजिक चेतना के रूप में देखा जा सकता है। आध्यात्मिकता का सहारा लेकर उन्होंने माया का विरोध करते हुए बेहतर मूल्य जगत की प्राप्ति का मार्ग खोजा।

\* प्राध्यापक (हिन्दी) शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

कबीर महान समाज सुधारक थे। उनके समकालीन समाज में अनेक अंधविश्वासों, आडम्बरों, कुरीतियों एवं विविध धर्मों का बोलबाला था। कबीर ने इन सबका विरोध करते हुए समाज को एक नवीन दिशा देने का पूर्ण प्रयास किया। उन्होंने जाति-पांति के भेदभाव को दूर करते हुए शोषितजनों के उद्धार का प्रयत्न किया तथा हिन्दु-मुस्लिम एकता पर बल दिया। उनका मत था-

### **जाति पांति पूछै नहीं कोई हरि को भजौ सो हरि का होई॥**

कबीर के विचार आज भी उतने ही सार्थक हैं। आज का मानव भी इन्हीं समस्याओं से जुँझ रहा है जो उस समय में विद्यमान थी। वर्णगत संकीर्णताएँ, साम्प्रदायिकता उन्माद आज भी है, किन्तु आज भी कबीर का अनुशीलन और अध्ययन सार्थक एवं समीचीन है।

कबीर का जीवन जनता के उद्देश्य में व्यतीत हुआ। वह अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोते और विलाप करते रहे। कबीर का जन्म भले ही आज से लगभग 600 वर्षों पूर्व हुआ हो परन्तु उनके द्वारा स्थापित मानव मूल्य आज भी प्रासंगिक हैं। उस समय में युग की अपेक्षा आज उनके द्वारा ढी गई शिक्षाओं का अधिक महत्व है। उनकी प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं हो सकती। उस समय भी साम्प्रदायिक हिसा, छुआछुत, बाह्य आडम्बर, धर्मगत लडाई, होती थी। आज भी यह सब समस्याएँ विद्यमान हैं। तब से लेकर आज तक के मानव ने क्या प्रगति की है? यदि की है तो भौतिक ही मानसिक नहीं।

समाज में धर्म विद्वेष, पाखण्ड आज भी व्यापत है। कबीर ने अत्याचारों, रुद्धियों, अंधविश्वासों पर कठोर प्रहार किया था।

कबीर ने सभी धर्मों को एकजुट करने का संदेश दिया। कबीर ने भक्ति का जो मार्ग दिखाया वह सदा ही अनुकरणीय एवं सार्वभौमिक है। कबीर ने एक 'बूँद' ते विस्व रचयी है, कहकर धर्मों को एक सूत्र में बॉधने का कार्य किया। वे विवेकसम्मत समाज व्यवस्था चाहते थे। कबीर मध्यकाल में ही नहीं आज भी समाज रूप से प्रारंभिक है। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में जो विदुषताएँ, विद्वेष दिखाई देता है, उसमें कबीर की शिक्षाएँ अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं।

कबीर सभी मनुष्यों को एक ही शक्ति से उत्पन्न मानते हुए उसमें न तो किसी प्रकार का भ्रेद करते थे और न देखने को कहते थे। उन्होंने जीवन में समानता देया, करणा, संतोष प्रेम, सदाचार, जीवन, सत्य, अहिंसा आदि मानवीय मूल्यों का सुनपात किया।

### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. कबीर ग्रंथावली- भगवत स्वरूप मिश्र
2. कबीर ग्रंथावली- भगवत स्वरूप मिश्र
3. कबीर ग्रंथावली- राम किशोर शर्मा
4. कबीर वाणी- जयदेव
5. लोक में कबीर- कपिल तिवारी
6. बुन्देली लोक में कबीर- नर्मदा प्रसाद गुप्ता



# कृषि उपज मण्डी समिति के जनप्रतिनिधियों की निर्वाचन प्रक्रिया का अध्ययन (बड़वानी जिले के विशेष सन्दर्भ में)

सुनीता बेले \* डॉ. कान्ता अलावा \*\*

**प्रस्तावना** – मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अनुसार मण्डी समिति का गठन धारा 10 एवं धारा 11 (क) में वर्णित नियमों के अधीन किया जाता है। मण्डी समिति में न्यूनतम् 08 सदस्य तथा अधिकतम् 20 सदस्य होते हैं। मण्डी समिति में से दो तिहाई सदस्य कृषकों के प्रतिनिधि होते हैं। ये सदस्य राज्य सरकार अधिसूचना से तय किये जाते हैं। इन सदस्यों का निर्वाचन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।

राज्य सरकार कृषि उपज मण्डियों के माध्यम से यह प्रयास करती है कि कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सकें। यदि बाजार में कृषि उपज का उचित मूल्य कृषकों को नहीं प्राप्त होता है तो सरकार स्वयं न्यूनतम् खरीदी मूल्य निर्धारित कर कृषि उपज को खरीद लेती है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, सत्ताधारी ढल व विपक्ष के जनप्रतिनिधियों की बड़ी श्रमिका होती हैं। परोक्ष रूप से व्यापारी शी इस प्रक्रिया में शागीदारी कर अपने हितों की पूर्ति करते हैं।

बड़वानी जिले की सभी 05 मण्डियों तथा 07 उपमण्डियों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार मण्डी संचालक मण्डल का गठन किया गया है। इस मण्डल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कृषक सदस्य, व्यापारी सदस्य, हम्माल-तुलावटी सदस्य तथा अन्य प्रतिनिधियों को मिलकर कार्यप्रणाली का संचालन करना होता है।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के अनुसार राज्य शासन द्वारा बनाए गए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के तहत जिला स्तर पर मण्डी समितियों के निर्वाचन संबंधी व्यवस्था का दायित्व जिला कलेक्टर को दिया गया है। मण्डी समितियों के निर्वाचन के संचालन के लिए नियुक्त किए गए या निर्वाचन में लगाए गए समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी कलेक्टर के निर्देशन तथा नियंत्रण में निर्वाचन का कार्य करते हैं।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी नियम, 1997 के नियमों के अनुसार जिले के कलेक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर अनुविभागीय अधिकारी, अपर या संयुक्त या डिप्टी कलेक्टर अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कृषि अधिकारी को जो नायब तहसीलदार से निम्न पद श्रेणी का न हो, रिटर्निंग आफिसर बनाया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिटर्निंग आफिसर के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। सहायक रिटर्निंग आफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर की उन सभी व्यक्तियों का उपयोग करता है, जो उसे (रिटर्निंग आफिसर द्वारा) प्रत्यायोजित की जाती हैं।

**सदस्यों की योग्यताएँ** – मण्डी समिति के सदस्यों का निर्वाचन अधिनियम के नियमों के अनुसार होता है। मण्डी समिति की सदस्यता के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार चुनाव लड़ने की निर्धारित योग्यता रखता हो। साधारणतः समिति की सदस्यता का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष या अधिक होना चाहिए तथा उसका नाम संबंधित मतदाता सूची में होना आवश्यक है।

मण्डी अधिनियम के अनुसार कृषक सदस्यों के चयन हेतु बाजार क्षेत्र को निर्धारित नियमों के अनुसार अलग-अलग वार्डों में बांटा जाता है। इन वार्डों के अंतर्गत आने वाले पंच, सरपंच तथा बड़ी सोसायटी के अध्यक्ष आदि के द्वारा अपने वार्ड के सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि चुन लिया जाता है।

**मण्डी समिति निर्वाचन** – राज्य में मण्डी समितियों के निर्वाचन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जिनका पालन निर्वाचन की प्रक्रिया में किया जाना आवश्यक होता है-

- प्रत्येक मण्डी समिति के लिए एक व्यापारी प्रतिनिधि, एक तुलैया-हम्माल प्रतिनिधि एवं 10 कृषक प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। एक मतदान केन्द्र से लगभग 1000 मतदाता संबद्ध किए जाते हैं। अतः प्रत्येक मण्डी क्षेत्र में, मतदाताओं की संख्या के अनुसार, मतदान केन्द्र होते हैं, परन्तु प्रत्येक ग्राम को एक मतदान केन्द्र से सम्बद्ध किया जाता है।
- निर्वाचन प्रक्रिया हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता सूची तैयार की जाती हैं और इसी मतदाता सूची के आधार पर निर्वाचन होता है। मतदाता सूची में न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक के व्यक्तियों के नाम होते हैं। मतदान के लिए ढल को सामान्यतः एक बड़ी मतपेटी या दो, तीन छोटी मतपेटियाँ दी जाती हैं। छोटी मतपेटियों का उपयोग एक के बाद एक आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।
- साधारणतः जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) के नियन्त्रण व मार्गदर्शन में रिटर्निंग ऑफिसर मण्डी निर्वाचन कार्य के लिए जिले में पद्धति विभिन्न शासकीय कार्यालयों के कर्मचारी-अधिकारी की नियुक्ति करता है। निर्वाचन कार्य के लिए सभी कर्मचारियों को दो बार मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
- प्रत्येक मतदान ढल में एक पीठासीन अधिकारी और दो या तीन मतदान अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संचालित करने के लिए

\* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म. प्र.) भारत

\*\* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म. प्र.) भारत

- उत्तरदायी माना जाता है। मतदान प्रक्रिया में नियुक्त पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी द्वारा लापरवाही व त्रुटि करने की दशा में उन पर कठोर कार्यावाही की जाती हैं।
5. किसी भी मतदान दल का कोई मतदान अधिकारी यदि गंभीर रूप से अस्वस्थ हो जाने के कारण कार्य करने की स्थिति में न रहें तो आपात व्यवस्था के तौर पर, पीठासीन अधिकारी उपलब्ध किसी उपयुक्त व्यक्ति को मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकता हैं, परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति को मतदान अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता है, जो मण्डी समिति के निर्वाचन में या उसके संबंध में किसी अश्वर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया हो या उसके लिए अन्य प्रकार के कार्य कर रहा हो।
  6. निर्वाचन में मतदाताओं को मतपत्रों की सरलतापूर्वक पहचान के लिए अलग-अलग रंगों में छपवाया जाता है इसमें-
    - (अ) कृषक प्रतिनिधि के लिए - गुलाबी रंग का मतपत्र
    - (ब) व्यापारी प्रतिनिधि के लिए- पीला रंग का मतपत्र
    - (स) तुलैया-हम्माल प्रतिनिधि के लिए- हल्का पीला रंग का मतपत्र
  7. कृषक प्रतिनिधियों, व्यापारी प्रतिनिधि तथा तुलैया-हम्माल प्रतिनिधि के लिए चुनाव प्रतीक चिन्ह अलग-अलग होते हैं।
  8. प्रत्येक मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण (काउन्टर फाइल) पर मतपत्र का क्रमांक अंकित रहता है। मतपत्र जारी करते समय प्रतिपर्ण पर मतदाताओं के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान मतदान अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं।
  9. मतपत्र के पीछे, रबर की सुधेदक मोहर लगाई जाती हैं और उसके नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करना होते हैं। इससे मतपत्र की वैधता स्पष्ट होती हैं, यदि किसी मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो ऐसा मतपत्र अवैध माना जाता है।
  10. मतदान केन्द्रों के क्रमांक सम्पूर्ण मण्डी क्षेत्र के लिए निर्धारित किये जाते हैं। मतदान के लिए मतदाता, मतदान केन्द्र पर पंक्तिबद्ध होकर उपरिथत होते हैं। मतदान केन्द्र में बारी-बारी से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रविष्ट किया जाता है।

मतदान केन्द्र पर मतदान दल के सदस्यों (शासकीय कर्मचारियों), पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी के अतिरिक्त उम्मीदवार स्वयं अथवा उसका अभिकर्ता (प्रतिनिधि) उपरिथत रहता है। मतदाता, मतदान के लिए मतदान केन्द्र में प्रविष्ट होता है तो साधारणतः वह एक अशासकीय पर्ची साथ में लेकर आता है। इस पर्ची में उसका नाम, मतदान केन्द्र क्रमांक का उल्लेख रहता है। मतदान दल के सदस्यों में मतदान अधिकारी क्रमांक 0 1 मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। वह मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी होता है।

मतदाता अपने साथ इस पर्ची के अलावा पहचान पत्र वोटर आईडी अथवा अन्य पहचान के लिए मान्य दस्तावेज लेकर उपरिथत होता है। मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने पर मतदान अधिकारी क्रमांक 0 1 मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में मतदाता के नाम के सामने सही (✓) का

निशान लगाता है तथा महिला मतदाता की स्थिति में उसके नाम को अपडर लाइन करता है। इसके पश्चात् मतदान अधिकारी क्रमांक 02 जो अमिट स्याही व मतपत्रों का प्रभारी होता है। उसके पास एक मतदान रजिस्टर भी होता है, जिसमें मतदाता के हस्ताक्षर लिए जाते हैं और इसके बाद मतदाता के बाए हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाती हैं एवं मतदाता को मतपत्र जारी किया जाता है।

मतदाता मतपत्र लेकर मतदान प्रकोष्ठ में जाकर गोपनीय रूप से अपनी पसन्द के उम्मीदवार के नाम के सामने धूमते हुए तीरों वाली रबर की सील मतपत्र पर लगाकर मतांकन करता है। मतांकन के पश्चात् वह मतपत्र लेकर मतदान अधिकारी क्रमांक 3 जो मतपेटी का प्रभारी होता है, उसके सामने मतपत्र मतपेटी में डालता है। इसी प्रकार की मतदान प्रक्रिया निर्धारित समयानुसार दिनभर संचालित होती हैं।

**मतपेटी तैयार करना** - मतदान आरम्भ करने के लगभग 15-20 मिनट पूर्व उपरिथत उम्मीदवार अथवा प्रतिनिधियों की उपरिथति में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मतदान के लिए मतपेटी तैयार की जाती हैं और पीठासीन अधिकारी मतदान आरम्भ करने की घोषणा करता है।

**मतदान की समाप्ति व मतगणना व परिणाम** - मतदान के निर्धारित समय समाप्ति के पश्चात् मतदान केन्द्र पर ही मतदान दल के सदस्य मतगणना का कार्य करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मतपेटी में से मतपत्र निकालकर उनकी छटनी रंग के आधार पर की जाती हैं, फिर 50-50 मतपत्रों की गड्ढी बनाई जाती हैं। बाद में उम्मीदवार के अनुसार मतपत्रों की छटनी कर गिनती की जाती हैं। मतदान दल के पीठासीन अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या उम्मीदवारों को अथवा उनके प्रतिनिधियों को बताई जाती हैं, लेकिन उम्मीदवार के विजेता अथवा पराजित होने की घोषणा नहीं की जाती है। इसकी घोषणा अगले निर्धारित दिवस को मतदान नियंत्रण कक्ष से निर्वाचन अधिकारी के द्वारा की जाती है। निर्वाचन अधिकारी विजेता उम्मीदवार को पढ़ की शपथ दिलाकर प्रमाण-पत्र जारी करता है। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न होती है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने मण्डी समिति के संचालकगण की निर्वाचन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित किये हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का यह दायित्व होता है कि वे संबंधित वर्ग के कृषकों के हितों की रक्षा करें, उनकी सहायता करें व आवश्यक मार्गदर्शन दे जिससे कि संबंधित वर्ग के कृषकों का शोषण नहीं हो और उन्हें उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन।
2. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन निर्देशिका भारत निर्वाचन आयोग।
3. मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972, झोपाल।
4. कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, बड़वानी, सैंधवा, बलवाडी से प्राप्त जानकारी।
5. व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित।

# Public Distribution System And Food Security In India

Archana Gaur \*

**Introduction** - India's population is increasing rapidly which implies that with each passing year we have increased number of people below the poverty line. This has in turn led India to become a country which has one of the largest number of hungry people in the world. Over 10 million people die every year of chronic hunger and hunger-related diseases, of which a quarter deaths take place in India.

Almost 50 percent of Indian children are underweight, 30% of new-born have low weight at birth, and over 55% of married women and about 80% of young babies in the age group 6 - 35 months are anaemic. The problem of malnutrition is complex, multi-dimensional and inter-generational in nature. The varied causes include inadequate consumption of food, frequent infections, lack of availability of safe drinking water and proper sanitation, illiteracy specially in women, poor access to health services, low purchasing power, socio-cultural factors such as early marriages of girls, lack of care during pregnancy and infancy, ignorance about nutritional needs of infants and young children, etc.

Thus, to improve the health conditions and provide food grains to common people at affordable prices, the universal Public Distribution System (PDS) was introduced in India in 1965. PDS evolved as a system for distribution of food grains at affordable prices and management of emergency situations. Over the years, the term PDS has become synonymous with the term 'food security' and also an important part of Government's policy for management of food economy in the country.

It served the aim of (a) maintaining stability in the prices of essential commodities across regions and (b) keeping a check on private trade, hoarding and black-marketing.

Initially PDS was target less and only aimed at helping poor families. In 1997, PDS was made a Targeted service and called Targeted PDS where the population was classified into Above Poverty Line and Below Poverty Line. The category of population falling in BPL were made eligible for subsidized purchase of commodities from the ration shops. TPDS established Fair Price Shops for the distribution of food grains at subsidized rates. Unfortunately, this method did not produce any good results due to governmental loopholes.

In 2001, the People's Union for Civil Liberties (PUCL) filed a writ petition in the Supreme Court contending that the "right to food" is essential to the right to life as provided in Article 21 of the Constitution. During the ongoing litigation, the Court has issued several interim orders, including the implementation of eight central schemes as legal entitlements. These include PDS, Antyodaya Anna Yojana (AAY), the Mid-Day Meal Scheme, and Integrated Child Development Services (ICDS). In 2008, the Court ordered that Below Poverty Line (BPL) families be entitled to 35 kg of food grains per month at subsidised prices. After this the National Food Security Act was enacted in the year 2013.

The National Food Security Act, 2013 gives statutory backing to the TPDS. This legislation marks a shift in the right to food as a legal right rather than a general entitlement. The Act classifies the population into three categories: excluded (i.e., no entitlement), priority (entitlement), and Antyodaya Anna Yojana (AAY; higher entitlement). It establishes responsibilities for the centre and states and creates a grievance redressal mechanism to address non-delivery of entitlements.

The Act provides for coverage of up to 75% of the rural population and up to 50% of the urban population for receiving subsidized food grains under Targeted Public Distribution System (TPDS), thus covering about two-thirds of the population. Under the Act, the eligible persons will be entitled to receive 5 kgs of food grains per person per month at subsidized prices of Rs. 3/2/1 per Kg for rice/wheat/coarse grains. The TPDS operates through a coordinated system between the Centre and the state governments wherein the Centre is responsible for setting the Minimum Support Prices (MSP) for foodgrains bought from the farmers and allocates this purchase among the states at the Central Issue Price (CIP).

Issues with TPDS :

1. Identification of poor people
2. Inadequate storage capacity with FCI
3. The gap between required and existing storage capacity.
4. Leakage and diversion of food grains during transportation.

Reforms in PDS :

1. Aadhaar Linked and digitized ration cards: This allows online entry and verification of beneficiary data. It also enables online tracking of monthly entitlements and off-take of foodgrains by beneficiaries.
  2. Computerized Fair Price Shops: FPS automated by installing 'Point of Sale' device to swap the ration card. It authenticates the beneficiaries and records the quantity of subsidized grains given to a family.
  3. DBT: Under the Direct Benefit Transfer scheme, cash is transferred to the beneficiaries' account in lieu of foodgrains subsidy component. They will be free to buy food grains from anywhere in the market. For taking up this model, pre-requisites for the States/UTs would be to complete digitization of beneficiary data and seed Aadhaar and bank account details of beneficiaries. It is estimated that cash transfers alone could save the exchequer Rs.30,000 crore every year.
  4. Use of GPS technology: Use of Global Positioning System (GPS) technology to track the movement of trucks carrying foodgrains from state depots to FPS which can help to prevent diversion.
  5. SMS-based monitoring: Allows monitoring by citizens so they can register their mobile numbers and send/receive SMS alerts during dispatch and arrival of TPDS commodities
  6. Use of web-based citizens portal: Public Grievance Redressal Machineries, such as a toll-free number for call centers to register complaints or suggestions.
- We can say that the government has taken significant steps in ensuring better changes in PDS system and recognising right to food as a basic right for every individual. NFSA is slowly being implemented in most of the states which are also undertaking necessary PDS reforms.

\*\*\*\*\*

## भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक अध्ययन

**डॉ. आर. के. चौकरे \***

**प्रस्तावना** - 115 वाँ संविधान संशोधन विधेयक वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 3 अगस्त 2016 को राज्य सभा से स्वीकृत होने के पश्चात राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर पश्चात से समस्त अप्रत्यक्ष कर कानून के स्थान पर नया वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 प्रभावशील हो गया 1 जुलाई 2017 का दिन भारतीय कर व्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख बन गया है 1 जुलाई 2017 से ही 'एक देश एक कर एक बाजार' के रूप में वस्तु एवं सेवा कर अमल में आ गया है 17 तरह के करों और 23 प्रकार के उपकरों को मिलाकर एक वस्तु एवं सेवा कर निश्चित तौर पर आजादी के बाद की सबसे बड़ी कर क्रांति है। भारत वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला 161 वाँ देश बन गया है।


**अनुसंधान क्रिया विधि** - शोधपत्र अनुभव जन्य अध्ययन पर आधारित है यह वर्णात्मक शोध पत्र का एक प्रकार है

**अध्ययन के उद्देश्य :-**

1. वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा को समझाना।
2. भारत में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यतंत्र की व्याख्या करना।

**समंक संग्रहण** - यह पत्र विभिन्न पुस्तकों अनुसंधान पत्रिकाओं समाचार पत्रों के लेखों से एकत्रित द्वितीयक समंकों पर आधारित एक वर्णात्मक शोधपत्र है।

**वस्तु एवं सेवाकर लागू होने के पूर्व भारत की कर संरचना :-** भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध निर्धारित किये गये हैं इसके अनुसार कुछ मद्दों पर केंद्र सरकार को कर लगाने का अधिकार है तो कुछ मद्दों पर राज्य सरकारों को इसी अवधारणा के अनुसार भारतीय कर संरचना निम्नानुसार है।



उपरोक्त कर संरचना में वस्तु के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता को

विक्रय की श्रृंखला में केन्द्र एवं राज्य सरकार के बहुत से कर लगाए जाते हैं कर लगाने तथा वसूल करने की प्रक्रिया जटिल होने के कारण वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तथा कर चोरी की संभावनाएँ अधिक हो जाती हैं उदाहरण आपको लेपाटाप खीरीदना है तो सर्वप्रथम उत्पादक द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होगा तत्पश्चात राज्य सरकार का वाणिज्यिक कर (वैट) तथा प्रवेश शुल्क आदि का भुगतान करना होता है इस प्रक्रिया में ढो से अधिक वार कर निर्धारण तथा संकलन करना होता है फलस्वरूप वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है अतः कह सकते हैं कि भारत भले ही राजनीतिक रूप से एक देश है पर आर्थिक रूप से बिखरा हुआ है। व्यापारी एवं उद्योग जगत को तरह तरह की कर पैंचीदिगियों का सामना करना पड़ता है जिसका अंतिम प्रभाव उपभोक्ता पर ही पड़ता है।

दोहरे / तिहरे करारोपण के स्थान पर एक कर वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया है जिसे संक्षिप्त में जी एस टी के नाम से जाना जाता है। इसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों के निम्न करों को समाप्त किया गया है।

| केन्द्र सरकार के कर    | राज्य सरकार के कर      |
|------------------------|------------------------|
| केन्द्रीय उत्पाद शुल्क | विक्रय कर/ वैट         |
| अतिरिक्त उत्पाद शुल्क  | केन्द्रीय विक्रय कर    |
| अतिरिक्त सीमा शुल्क    | क्रय कर                |
| सेवा कर                | मनोरंजन कर             |
| सर चार्ज एवं सैस       | विलासता कर             |
|                        | प्रवेश / चुंगी कर      |
|                        | आवट्राय लाटी एवं स्टटा |
|                        | व्यापार कर             |
|                        | सर चार्ज एवं सैस       |

**अपवाद:-** वस्तु एवं सेवा कर निम्न को शामिल नहीं किया गया है

1. मादक पदार्थों पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया आवकारी शुल्क।
2. पैट्रोलियम पदार्थों पर वैट एवं प्रवेश शुल्क।
3. विद्युत उत्पादन पर टैक्स।

भारत में वस्तुओं के उत्पादन व्यापार क्रय विक्रय एवं वितरण पर विविध प्रकार के अप्रत्यक्ष कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क तथा राज्य सरकार के विक्री कर, वैट, प्रवेश कर लगाए जाते हैं साथ ही विभिन्न सेवाओं की पूर्ती पर सेवा कर बसूल किया जाता है भारत सरकार के इन सभी करों उपकरों शुल्क एवं दरों को समाप्त कर एकीकृत कर व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर के नाम से लागू की गई है यह सर्वविदित है कि कोई भी माल या वस्तु या सेवा उत्पादक से उपभोक्ता तक एक श्रृंखला से होकर गुजरती है वितरण की इस श्रृंखला में प्रत्येक पक्ष अपनी लागत में व्यय एवं

\*प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

लाभ जोड़कर अपना माल एवं सेवा की आपूर्ति करता है ऐसी स्थिति में वस्तु का मूल्य प्रत्येक हस्तांतरण के साथ बढ़ता जाता है ऐसी प्रत्येक वृद्धि पर एक बार कर बसूलना वस्तु एवं सेवा कर का मूल आधार है।


'माल एवं सेवा कर एक ऐसी प्रणाली है जिसके अनुसार कर पूर्ति की प्रक्रिया में प्रत्येक बिंदु पर की वृद्धि पर ही लगाया जाता है यह मूल्य वर्धन पूर्तिकर्ता द्वारा की जाती है'। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में माल के विक्रेता और सेवा के प्रदायक दोनों को पूर्तिकर्ता की संज्ञा ढी गई है। वस्तु एवं सेवा कर को अमली जामा पहनाने के लिए निम्न कानून बनाए गए हैं।

1. केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम (सीजीएसटी एक्ट 2017)
2. राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम (एसजीएसटी एक्ट 2017)
3. एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम (आईजीएसटी एक्ट 2017)
4. संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम (यूटीजीएसटी एक्ट 2017)
5. माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017।

**वस्तु एवं सेवा कर** - भारत में संघीय शासन व्यवस्था है यहां संविधान में केंद्र और राज्यों को उनके उपयुक्त कानून के माध्यम से करारोपण और संबंधन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं दोनों सरकारों के लिए अलग अलग जिम्मेदारियों के निष्पादन हेतु संविधान में शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया है भारत में एकल वस्तु एवं सेवा कर लागू करने बारे दोहरा वस्तु एवं सेवा कर वित्तीय संघवाद की सांविधानिकता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। केंद्र और राज्यों के साथ एक समान कर आधार पर आरोपित एक दोहरा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है भारत में वस्तु एवं सेवा कर का वर्गीकरण निम्नानुसार है।

1. **एक ही राज्य में वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति** :- पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जब राज्य के अन्दर माल एवं सेवा की आपूर्ति की जाती है। तो केंद्रीय जीएसटी के साथ साथ राज्य जीएसटी भी लगाया जाता है। इसी प्रकार यदि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक संघ क्षेत्र के अंदर आपूर्ति की जाती है तो केंद्रीय जीएसटी के साथ साथ संघ क्षेत्र जीएसटी भी लगाया जाता है दूसरे शब्दों में केंद्रीय जीएसटी + राज्य जीएसटी अथवा संघ क्षेत्र जीएसटी।
2. **अंतर्राज्जीय आपूर्ति** :- अंतरराज्जीय व्यापार में आपूर्ति दो राज्यों अथवा दो संघ शासित प्रदेशों अथवा एक राज्य तथा दूसरा संघ शासित प्रदेश के बीच होने वाले वस्तु व सेवा की आपूर्ति कर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लगाया जाता है एकीकृत जीएसटी हमेशा केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के कुल योग के बराबर होगा। वस्तु एवं सेवा कर को एक नजर में निम्नानुसार समझा जा सकता है

### वस्तु एवं सेवा की आपत्ति



### वस्तु एवं सेवा कर के प्रकार :

1. माल एवं सेवा कर लागू होने के पूर्व केंद्र सरकार कारखानों में माल के

उत्पादन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं इससे संबंधित अन्य उपकर जैसे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क विशेष उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क अतिरिक्त सीमा शुल्क आदि कर लगाती थी इसके अलावा कर योग्य सेवाओं की पूर्ति पर 15 प्रतिशत सेवा कर लगाया जाता था इन सब करों को समाप्त करके इनके स्थान पर माल एवं सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण पर केंद्रीय माल एवं सेवा शुल्क लगाया जाता है जिसे सीजीएसटी के नाम से जाना जाता है केंद्रीय सीजीएसटी से प्राप्त सम्पूर्ण राशि केंद्र सरकार के खाते में जमा होनी और इस सम्पूर्ण राशि का उपयोग का अधिकार केंद्र सरकार को होगा इसमें से कोई भी राशि राज्य सरकारों को नहीं ढी जाती है। सीजीएसटी की दर जीएसटी की सामान्य दर से आधी है।

**2. राज्य माल एवं सेवा कर** :- माल एवं सेवा कर लागू होने के पूर्व प्रत्येक राज्य सरकारे तथा केन्द्रशासित प्रदेश अपने राज्य में होने वाले माल के विक्रय पर वाणिज्य कर (वेट) तथा प्रवेश कर आदि लगाते थे। इन करों को समाप्त कर इनके स्थान पर राज्यों में राज्य माल एवं सेवा कर एसजीएसटी तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में संघ क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर यूजीएसटी लगाया जाता है राज्य जीएसटी से प्राप्त कर राशि सम्बन्धित राज्य द्वारा वापार माल एवं सेवा की आपूर्ति कर्ता तथा प्राप्तकर्ता एक ही राज्य के होंगे तभी राज्य वस्तु एवं सेवा कर लगेगा एसजीएसटी उपयोग की जायेगी राज्य जीएसटी का प्रशासन राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा किया जाता है प्रत्येक राज्य सरकारों ने अलग अलग माल एवं कर अधिनियम तैयार किये हैं। जिनके प्रावधान केन्द्रीय जीएसटी के अनुरूप हैं।

**3. एकीकृत माल एवं सेवा कर** :- अंतरराज्जीय विक्रय की दशा में जीएसटी के पूर्व केन्द्रीय विक्रय कर लगाया जाता था राज्यों के बीच बाधा रहित माल एवं सेवाओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विक्रय कर को समाप्त करके उसके स्थान पर एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) लागू किया गया है यह कर एक प्रकार से केंद्रीय जीएसटी एवं राज्य जीएसटी का समन्वित रूप है यह दोहरे जीएसटी का सबूत है। जो अंतरराज्जीय आपूर्ति की दशा में लगाया जाता है इसमें जीएसटी की सामान्य दर ही लागू होती है। अंतर केवल इतना है कि अंतरराज्जीय आपूर्ति की दशा में बीजक में आधा भाग सीजीएसटी एवं आधा भाग एसजीएसटी दर्शनी के बजाए सम्पूर्ण कर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के रूप में दिखाया जाता है एकीकृत जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया एवं एकीकृत किया जाता है। एकीकृत जीएसटी से संबंधित राशि केन्द्र सरकार अपने पास टेम्परेशन खाते में जमा करेगी। इस खाते से केंद्र का हिस्सा केंद्र सरकार प्राप्त करेगी तथा राज्यों का हिस्सा स्वमेव राज्यों को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

### वस्तु एवं सेवा कर का भारत में संचालन

**1. एक ही राज्य में विक्रय तथा उसी राज्य में पुनः विक्रय की दशा में** :- एक ही राज्य में प्रथम विक्रय की दशा में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर लगेगा उसी राज्य में पुनः विक्रय की दशा में उपरोक्त दोनों कर लगेंगे परन्तु इनपुट टेक्स की क्रेडिट प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए इंदौर का ए व्यापारी 100 रुपये का माल भोपाल के बीच व्यापारी को विक्रय करता है और भोपाल का बीच व्यापारी पुनः विक्रय 200 रुपये में जबलपुर के सी व्यापारी को करता है जिस पर जीएसटी की दर 16 प्रतिशत है इनका कर निर्धारण निम्नानुसार होगा।

|  |     |
|--|-----|
| ए व्यापारी द्वारा बीच व्यापारी को विक्रय | 100 |
| राज्य वस्तु एवं सेवा कर 8%               | 8   |
| केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर 8%            | 8   |

16

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| बी द्वारा सी को विक्रय         | 200                     |
| राज्य वस्तु एवं सेवा कर 8%     | 16 – (8 Input SGST) = 8 |
| केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर 8% | 16 – (8 Input SGST) = 8 |
|                                | 16                      |

**2. एक राज्य में विक्रय तथा दूसरे राज्य में पुनः विक्रय :-** एक राज्य में विक्रय की दशा में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर लगेगा परन्तु किसी अन्य राज्य में पुनः विक्रय की दशा में एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगेगा। जिस पर इनपुट टैक्स रिवेट प्राप्त होगी उदाहरण इन्डौर का ए व्यापारी भोपाल के बी व्यापारी को 100 का माल विक्रय करता है तथा भोपाल का बी व्यापारी नागपुर के सी व्यापारी को पुनः विक्रय 200 रुपये में कर देता है जिस पर जीएसटी की दर 16 प्रतिशत है तो कर निर्धारण निम्नप्रकार होगा

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| ए व्यापारी द्वारा बी को विक्रय | 100 |
| राज्य वस्तु एवं सेवा कर 8%     | 8   |
| केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर 8% | 8   |
|                                | 16  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| बी द्वारा सी (नागपुर)को विक्रय        | 200  |
| एकीकृत (IGST) राज्य वस्तु सेवा कर 16% | 32-(16 SGST+ CGST एवं INPUT TAX REBEAT) = 16 |

**3. अन्य राज्य में विक्रय साथ ही उसी राज्य में पुनः विक्रय:-** जब एक राज्य का व्यापारी किसी अन्य राज्य के व्यापारी को माल का विक्रय करता है तो एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाएगा परन्तु उसी अन्य राज्य में पुनः विक्रय किया जाता है तो एसजीएसटी एवं सीजीएसटी पुनः लगाया जाएगा जिस पर आईजीएसटी की इनपुट टैक्स रिवेट प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए इन्डौर का ए व्यापारी 100 का माल नागपुर के बी व्यापारी को बेचता है तथा नागपुर का बी व्यापारी माल का पुनः विक्रय 200 में मुंबई के सी व्यापारी को करता है जिस पर कर की दर 16 प्रतिशत है तो कर निर्धारण निम्न प्रकार होगा।

|   |     |
|---|-----|
| ए द्वारा बी (नागपुर)को विक्रय             | 100 |
| एकीकृत (IGST) राज्य वस्तु एवं सेवा कर 16% | 16  |

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| बी व्यापारी द्वारा सी मुंबई को विक्रय | 200                              |
| राज्य वस्तु एवं सेवा कर 8%            | 16-(8 IGST INPUT TAX REBEAT) = 8 |
| केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर 8%        | 16-(8 IGST INPUT TAX REBEAT) = 8 |
|                                       | 16                               |

#### माल एवं सेवा कर अधिनियम की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएः

- दैनिक जीवन की कई अनिवार्य वस्तुओं की जीएसटी से कर मुक्त घोषित किया गया है इन्हे सरकार ने शून्य कर श्रेणी में रखा है
- मादक पदार्थों शराब आदि पर प्रांतीय उत्पाद शुल्क लगता है इसे जीएसटी से बाहर रखा गया है।

3. सहमति न बनाने के कारण पैट्रोलियम पदार्थों कूड़ आयल, पैट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस तथा टरबाईन ईधन को अस्थाइ रूप से जीएसटी से बाहर रखा गया है।

#### जीएसटी के लाभ :

- यह माल एवं सेवाओं की कीमतों में कमी लाएगा जिससे उपभोग में वृद्धि होगी।
- यह व्यापार उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बनाएगा जिससे जीडीपी में वृद्धि होगी।
- अनेक करों के जंजाल से छूट प्राप्त होगी एक ही टैक्स रहने से टैक्स लेने वाले तथा टैक्स देने वाले को सुविधा होगी।
- तरह तरह के टैक्स के बढ़ले एकटैक्स होने से सरकार को कर वंचन पर लगाम रखने की सुविधा होगी।
- जीएसटी से भारत के अंदर विभिन्न राज्यों के बीच व्यवसाय सरल होगा तथा संचालन खर्च में कमी आएगी क्यों कि एक तो चुंगी कर नहीं देना होगा दूसरा परिवहन लागत कम होगी क्यों कि ट्रक को अलग अलग चुंगी स्टेशनों पर रुकना नहीं पड़ेगा।

**जीएसटी के हानि –** प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर संरचना तभी सफल होने की संभावना है जब देश में मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र विकसित हो परन्तु भारत अभी उभरते हुए देशों में एक है जहां बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सही तरीके से उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में जीएसटी के द्वारा ई बिलिंग करना कठिन प्रतीत होता है। ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में अकरस देखा जा रहा है कि व्यापारी जीएसटी के नाम पर वस्तु के मूल्य बढ़ा दिए हैं पर जीएसटी का पछ्बा बिल नहीं देने के कारण जीएसटी का पैसा व्यापारी अपनी जेब में रख रहा है देश में भवन निर्माण क्षेत्र में जीएसटी लागू होने के बाद निर्माणी लागतों में वृद्धि देखी गई है।

**निष्कर्ष –** जीएसटी लंबी समय अवधि की रणनीति है जिसके प्रारंभ में कुछ नकारात्मक प्रभाव अल्प समय के लिए देखे जा सकते हैं परन्तु लम्बे समय में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएसटी अभी शिशु चरण में है जीएसटी इस तरह से डिजाईन किया गया है कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी कर चोरी में कमी आएगी तथा वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में कमी आएगी जिससे सरकार व्यापार एवं उद्योग तथा आम उपभोक्ता को लाभ प्राप्त होगा।

#### संदर्भ अन्थ सूची:-

- अप्रत्यक्ष कर, श्रीपाल सकलेचा सतीश प्रिंटर्स इन्डौर।
- वस्तु एवं सेवा कर श्रीपाल सकलेचा सतीश प्रिंटर्स इन्डौर।
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर माल एवं सेवा कर के प्रभाव पर शोध पत्र शेफाली दाणी।
- प्रबंधन के आईओएसआर जर्नल ई-आईएसएसएन:2278-487x,1
- LINK- <http://www.pradhanmantriyojna.co.in/gst-bill-2016-17>
- LINK- <http://www.deepawli.co.in/gst-bill-2015-in-hindi.html>

# छिन्दवाड़ा जिले के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन (1991-2011)

ऋतेश कुमार कहार \* डॉ. मोहन निमोले \*\*

**प्रस्तावना** – स्वास्थ्य एवं शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके महत्व को सभी स्वीकार करते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं विधियों के अधिकाधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य एवं शिक्षा के ज्ञान की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक है। प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिये उत्तम स्वास्थ्य वाले शक्तिशाली नागरिकों का होना अनिवार्य है। अस्वस्थ शरीर मनुष्य के हर कार्य क्षेत्र में बाधा पैदा करता है, आधुनिक युग में वैज्ञानिक तकनीक तथा औद्योगिक प्रगति के कारण जीवन में व्यस्तता तथा जटिलता बढ़ती जा रही है स्वास्थ्य मनुष्य समाज की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि यदि हम ढेखें तो उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा विद्यालय स्वास्थ्य दोनों ही शामिल हैं।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा वह प्रक्रिया है जो एकत्रित किये गये ज्ञान को अनुभव करती है। जिसका उद्देश्य ज्ञान द्वारा शिक्षा और व्यवहार पर प्रभाव डालना हैं जो व्यक्ति और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं। स्वास्थ्य शिक्षा उन समस्त अनुभूतियों का योग हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित आदत आचरण एवं ज्ञान का प्रभावित करती हैं।

मनुष्य अपनी प्रगति के लिये पर्यावरण से न केवल समायोजन करता हैं अपितु उसके साधनों का दोहन कर उसका विरुद्धन भी करता रहा है। उससे जीवन के सभी पक्ष प्रभावित होते हैं, इन्हीं में से एक पक्ष मानव स्वास्थ्य भी हैं। मनुष्य के क्षेत्रीय एवं कालिक प्रतिक्रियों का अध्ययन एवं व्याख्या स्वास्थ्य भूगोल एवं चिकित्सा भूगोल में किया जाता है, जो की भूगोल की एक नवीनतम् शाखा हैं।

इस शाखा में मनुष्य के स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों को रखा गया हैं जो समग्र भूगोल की विषय सामग्री का एक भाग हैं जो पूर्णतः भौगोलिक तथ्यों पर आधारित है जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है और पर्यावरण मनुष्य पर प्रभाव डालता है।

मनुष्य समाज के अंग हैं और व्यक्तियों के समूह से ही समाज बनता है। व्यक्तियों की स्वच्छता ही समाज की स्वच्छता है। व्यक्तियों को शरीर स्वस्थ रखने के लिए केवल पौष्टिक आहार ही आवश्यक नहीं बल्कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। एक व्यक्ति तभी स्वस्थ रह सकता है जब वह निवास स्थान, शरीर और वस्त्र साफ रखें। व्यक्ति को स्वस्थ जीवन निर्वाह करने के लिए पानी, हवा, संतुलित भोजन, व्यायाम, विश्राम एवं पर्यास निद्रा भी आवश्यक हैं।

भारत में शिक्षा की महत्ता सभी कालों में रही है। भारतीय मनीषियों ने

तो यहां तक कह दिया है 'बिन शिक्षा नर पशु समान' यहां पर नर से आशय केवल बालक से नहीं बल्कि बालिका भी हैं। यदि सिर्फ बालक के लिए आशय होता तो नर की जगह बालक कहा गया होता नर से आशय मानव हैं व मानव की शिक्षा बाल्यकाल से आरम्भ होती हैं।

महाभारत काल में सान्दीपनि ऋषि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा राजपुत्र और रंक के एक साथ शिक्षा प्राप्त करने और जीवन पर्यन्त मित्रता निभाने का उदाहरण स्मरणीय हैं।

## उद्देश्य :

1. आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर का अध्ययन करना।
2. पिछड़ी हुई जनजातियों के धर्म, संस्कृति, रीति-रिवाज, रहन-सहन, व्यवसाय आदि में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना।
3. शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य एवं दशानिधि वृद्धि दर का अध्ययन करना।

**पूर्ववर्ती शोधकार्य की संक्षिप्त समीक्षा** – 1952 में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ द्वारा चिकित्सा भूगोल उन भौगोलिक कारकों का अध्ययन करता हैं जिनसे रोग एवं मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता हैं।

इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मनुष्य के स्वास्थ्य की चिंता व्यक्त करते हुए 1964 में स्वास्थ्य को परिभाषित किया – स्वास्थ्य संपूर्ण शारिरिक मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की दशा है न की केवल रोग की अनुपस्थिति अथवा उसकी नगण्यता।

विश्व स्तर पर जी. फील्ड (1980) ने विकसित देशों में शिक्षा एवं आय का वितरण : एक साहित्यिक समीक्षा पर अपना शोध प्रस्तुत किया। 1995 में यूनेस्को के पेरिस के सम्मेलन में शिक्षा को प्रधानता दी गई।

**स्वास्थ्य एवं शिक्षा में परिवर्तन** – भारत जैसे विकासशील देश के प्राचीन निवासी जिन्हें हम आदिवासी तथा भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के नाम से जानते हैं। जो सम्पूर्ण भारत के सभी राज्यों में निवासी है वर्तमान में आदिवासी समाज की सीमाएं जंगलों तक सीमित नहीं रही इनका संपर्क शहरों व कर्सों के निवासियों से होने लगे हैं। इनमें संस्कृतीकरण का विकास हुआ है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, नवाचार, उदारीकरण के कारण स्वास्थ्य एवं शिक्षा में परिवर्तन आया है शिक्षा के अभाव में आदिवासी न अपने अधिकारों को जानते हैं न शासकीय योजनाओं को और न ही शासकीय योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं।

**स्वास्थ्य :** आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का अभाव था अनुसूचित जनजाति की आबादी के स्वास्थ्य

\* पी-एच.डी. शोधार्थी (भूगोल) शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

\*\* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

सेवा संकेतको में पिछले दसको के द्वौरान यकीनन सुधार हुआ है। हालांकि सामान्य आबादी की तुलना में काफी खराब स्थिति में है अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सबसे कमजोर कही है। जखरत है उनके लिए किसी भी नीति अथवा कार्यक्रम का सिद्धांत भागीदारी क्षेत्र विशेष और आदिवासी भावनाओं के अनुरूप नियोजन तथा अंतर क्षेत्रीय समनवयन पर आधारित हो। अनुसूचित की जनजातियों की आबादी की मृत्यु दर के संकेतकों के द्वौरान सुधार हुआ है-

### तालिका क्रमांक 1 - छिन्दवाड़ा जिला : आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में परिवर्तन

| क्र. | स्वास्थ्य सुविधाएं          | संख्या     |            | अन्तर     |
|------|-----------------------------|------------|------------|-----------|
|      |                             | 1991       | 2011       |           |
| 1    | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र  | 25         | 26         | 01        |
| 2    | उप-स्वास्थ्य केन्द्र        | 139        | 162        | 23        |
| 3    | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | -          | 07         | 07        |
| 4    | पशु चिकित्सालय              | 04         | 09         | 05        |
| 5    | आयुर्वेदिक-हौम्यो औषधालय    | 24         | 23         | -1        |
|      | <b>योग</b>                  | <b>192</b> | <b>227</b> | <b>35</b> |

स्रोत : छिन्दवाड़ा जिला सांखियकी पुस्तिका, 1991-2011.

उपरोक्त तालिका अनुसार वर्ष 1991 में छिन्दवाड़ा जिले के आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 25, उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 139, पशु चिकित्सालयों की संख्या 04 एवं आयुर्वेदिक-हौम्यो औषधालयों की संख्या 24 थी जिसमें परिवर्तन की दृष्टि से यह आंकड़े संतोषजनक नहीं हैं। वर्ष 2011 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 26, उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 162, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 07, पशु चिकित्सालयों की संख्या 09 एवं आयुर्वेदिक-हौम्यो औषधालयों की संख्या 23 प्राप्त हुई हैं।

इस प्रकार वर्ष 1991 एवं 2011 के मध्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की खाई को भरने के लिए और अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है। वर्ष 1991 में आदिवासी क्षेत्रों में कुल स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 192 थी जो बढ़कर 2011 में 227 हो गई हैं। इन दो दशकों में स्वास्थ्य सुविधाओं में 35 की वृद्धि हुई हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रसांगिक क्षेत्रों पर सहस्राब्दिक लक्ष्य ने सिर्फ उद्धरणीय दृष्टिकोण को अपनाया, वहीं सतत विकास लक्ष्य, स्वास्थ्य के प्रति जीवन का संदर्भगत् अध्ययन करने का दृष्टिकोण अपनाकर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है हाल ही में एस ई.ए.आर.सी.एच. गढ़चिंचोली में जनजातीय स्वास्थ्य सेवा में बेहतरीन पद्धतियों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। देश में ऐसा सम्भवतः पहली बार किया गया इसमें 23 बेहतरीन पद्धति प्रस्तुत की गई और उन पर चर्चा हुई हमें इस विशेष समूह की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए आशा है कि यह आशा की राह दिखायेगी। सतत विकास का एकमात्र स्वास्थ्य लक्ष्य सभी के लिये स्वस्थ्य जीवन और हर उम्र में आरोग्य हैं।

**शिक्षा :** शैक्षणिक दृष्टि से आदिवासी समाज में पर्याप्त परिवर्तन देखने को मिले हैं आदिम जाति विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 में प्रदेश के 89 आदिवासी विकास खण्डों में 12643 प्राथमिक शालाएं, 4369 माध्यमिक शालाएं, 510 हाई स्कूल, 476 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 09 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 03 कन्या शिक्षा परिसर एवं 14 क्रीड़ा परिसर का संचालन किया है।

### तालिका क्रमांक 2 - छिन्दवाड़ा जिला : आदिवासी क्षेत्र में शैक्षणिक सुविधाओं में परिवर्तन

| क्र. | शैक्षणिक सुविधाएं        | संख्या      |             | अन्तर      |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
|      |                          | 1991        | 2011        |            |
| 1    | प्राथमिक शाला            | 830         | 1364        | 534        |
| 2    | माध्यमिक शाला            | 159         | 408         | 249        |
| 3    | हाई स्कूल                | 46          | 74          | 28         |
| 4    | उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | 15          | 59          | 44         |
| 5    | अन्य शालाएं              | 13          | 41          | 28         |
| 6    | व्यावसायिक एवं अन्य      | -           | 03          | 03         |
| 7    | महाविद्यालय              | 02          | 05          | 03         |
|      | <b>योग</b>               | <b>1065</b> | <b>1954</b> | <b>889</b> |

स्रोत : छिन्दवाड़ा जिला सांखियकी पुस्तिका, 2012.

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि छिन्दवाड़ा जिले के आदिवासी क्षेत्र में शैक्षणिक सुविधाओं में निश्चित ही परिवर्तन आया है। वर्ष 1991 में शैक्षणिक सुविधाओं का कुल योग 1065 था जो बढ़कर 2011 में 1954 हो गया है तथा इनके मध्य अन्तर 889 प्राप्त हुआ है। वर्ष 1991 में जिले के आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक शालाओं की संख्या 830 माध्यमिक शालाओं की संख्या 159 और हाई स्कूलों की संख्या 46, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 15, अन्य शालाएं 13 एवं महाविद्यालयों की संख्या 02 थी। वर्ष 2011 में प्राथमिक शालाओं की संख्या 1364, माध्यमिक शालाओं की संख्या 408, हाई स्कूलों की संख्या 73, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 59, अन्य शालाएं 41, व्यावसायिक एवं अन्य की संख्या 03, महाविद्यालयों की संख्या 05 हैं। इस प्रकार वर्ष 1991 से 2011 तक शैक्षणिक सुविधाओं में उत्तरीतार वृद्धि हुई है।

शिक्षा आर्थिक विकास का सबसे प्रभावशाली व महत्वपूर्ण तत्व हैं प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण में इन संसाधनों के विद्योहन तथा व्यवस्थित व न्याय पर आधारित समाज के निर्माण में जो विभिन्न उपकरण सहायक सिद्ध होते हैं उनमें शिक्षा सबसे शक्तिशाली हैं।

आजादी के समय से लेकर 1961 से 1971 के दशक में 20 विश्वविद्यालय, 500 कॉलेज को जबकि 2011 में 725 विश्वविद्यालय, 37204 कालेज 11356 डिप्लोमा देने वाले संस्थान भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया का महत्वपूर्ण देश बन गया है जहां सबसे अधिक संख्या में छात्र पढ़ते हैं।

### सुझाव :

1. आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिये अलग अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता हैं जो उनके अनुसार उनके प्रति सवेदनशील हो।
2. शिक्षा एवं व्यवहार सम्बन्धी कमी दूर करने के लिये स्वस्थ्य और साक्षरता एवं संचार को प्रथम माध्यम बनाया जा सकता है।
3. आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जो विभिन्न योजना आदिवासी समुदाय हेतु चलायी जा रही है उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिलना चाहिए।
4. जिन क्षेत्रों में आदिवासी बहुल जनसंख्या है उन क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्राथमिक विद्यालय एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाये।

**निष्कर्ष -** छिन्दवाड़ा जिले के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन स्पष्ट हुए हैं। वर्ष 1991 एवं 2011 के मध्य

सार्वजनिक स्वास्थ्य की खाई को भरने के लिए और अधिक स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सुविधाओं की आवश्यकता है। वर्ष 1991 में कुल स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 192 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 227 हो गई। इस प्रकार कुल 35 स्वास्थ्य सुविधाओं की वृद्धि हुई है। इस प्रकार जिले में शैक्षणिक सुविधाओं में भी परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वर्ष 1991 में शैक्षणिक सुविधाओं का कुल योग 1065 था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 1954 हो गया तथा वर्ष 1991 से 2011 के मध्य 889 शैक्षणिक सुविधाओं की वृद्धि हुई है।

#### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. कवर रमेश चन्द्र (2011); आरोग्य शास्त्र एवं स्वास्थ्य शिक्षा, अमित ब्रदर्स पब्लिकेशन नागपुर।
2. चौबे कैलाश (2001); स्वास्थ्य एवं चिकित्सा भूगोल, म.प्र. ग्रन्थ अकाडमी भोपाल।
3. खत्री हरीश कुमार : स्वास्थ्य भूगोल।
4. जिला सांखियकी पुस्तिका, 1991–2011.
5. शर्मा निशा : जनजातियों में अर्थोपार्जन के साधन एवं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन शोध समवेत।
6. राजपूत उदय सिंह : म.प्र. में आदिवासी विकास : समस्यायं एवं सम्भावनाएं।
7. कुमार विमल : नई सरकार में शिक्षा की नई उड़ान योजना।
8. बांग अभय : जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं वर्तमान और भविष्य योजना।
9. Fields G. (1980); "Education and income Distribution in Developing Countries A Review of Literature" In T. King (Ed.) Education and Income World Bank Staff working Paper.

\*\*\*\*\*

## युवाओं का चुनौतिपूर्ण जीवन और नैतिकता की संभावना

डॉ. निशा जैन\*

**प्रस्तावना** – परिवर्तन चक्र तीव्र गति से धूम रहा है। सामाजिक स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसे में मनुष्य एक विचित्र से झङ्घावात में फंसा हुआ है। बाह्य रूप से चारों ओर भौतिक एवं आर्थिक प्रगति दिखाई देती है, सुख-सुविधा के अनेकानेक साधनों का अंबार लगता जा रहा है, दिन-प्रतिदिन नए-नए आविष्कार हो रहे हैं, पर आंतरिक दृष्टि से मनुष्य टूटा और बिखरता जा रहा है। उसका संसार के प्रति विश्वास, समाज के प्रति सद्भाव और जीवन के प्रति उल्लास धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। अब तो समाज में चारों ओर आपसी सौहार्द, समरसता एवं सातिकता के स्थान पर कुटिलता, दुष्टता और स्वार्थपरता ही दृष्टिगोचर होती है। बुराई के साम्राज्य में अच्छाई के दर्शन अपवाद स्वरूप ही हो पाते हैं।

जो देश कभी जगद्गुरु हुआ करता था, उसी भारतवर्ष के राष्ट्रीय, सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत जीवन में चतुर्दिक् अराजकता और उच्छृंखलता छाई हुई है। जीवन मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति आस्था-निष्ठा की बात कोई सोचता ही नहीं। वैचारिक शून्यता और दुष्प्रवृत्तियों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ दिशाहीन मनुष्य पतन की राह पर फिसलता जा रहा है। उसे संभालने और उचित मार्गदर्शन देने वालों का भी अभाव ही दिखाई देता है। कुछ गिने-चुने धार्मिक-आध्यात्मिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं और प्रतिष्ठान ही इस दिशा में सक्रिय हैं अन्यथा अधिकांश तो निजी स्वार्थ एवं व्यवसायिक दृष्टिकोण से ही कार्यरत लगते हैं। ईमानदारी, मेहनत और सत्यनिष्ठा के साथ निःस्वार्थ भाव से स्वेच्छापूर्वक जनहित के कार्य करने वालों को लोग मूर्ख ही समझते हैं। उनके परिश्रम एवं भोलेपन का लाभ उठाकर वाहवाही लूटने वाले समाज के ठेकेदार सर्वत्र दिखाई देते हैं।

समाज सेवा का क्षेत्र हो या धर्म-अध्यात्म अथवा राजनीति का, चारों ओर अवसरवादी, सत्तालोलुप, आसुरी प्रवृत्ति के लोग ही दिखाई देते हैं। शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र, जहां कभी सेवा के उच्चतम आदर्शों का पालन होता था, आज व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के केन्द्र बन गए हैं। व्यापार में तो सर्वत्र कालाबाजारी, चोरबाजारी, बेझमानी, मिलावट, टैकसयोरी आदि ही सफलता के मूलमंत्र समझे जाते हैं। त्याग, बलिदान, शिष्टता, शालीनता, उदारता, ईमानदारी, श्रमशीलता का सर्वत्र उपहास उड़ाया जाता है। सामान्य नागरिक से लेकर सत्ता के शिखर तक अधिकांश व्यक्ति अनीति-अनाचार के आंकड़ डूबे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में निजी स्वार्थ व महत्वाकांक्षाओं के साथ-साथ ईच्छा, धृणा, बैर की भावनाएं जड़ जमाए हुए हैं। ऐसी विकृत मानसिकता के चलते मनुष्य वैज्ञानिक प्रगति से प्राप्त सुख-सुविधा के अनेकानेक साधनों का भी दुरुपयोग ही करता रहता है। फलतः उसका शरीर अन्दर से खोखला होकर अनेकानेक रोगों का घर बनता जा रहा है। मनुष्य की इच्छाओं व कामनाओं की कोई सीमा नहीं है, धैर्य व संयम की

मर्यादाएं टूट रही हैं, अहंकार व स्वार्थ का नशा हर समय सिर पर सवार रहता है। ऐसी स्थिति में क्या सामाजिक समरसता व सहयोग की भावना जीवित रह सकती है? सुख, शान्ति व आनन्द के दर्शन हो सकते हैं? जहां चारों ओर धनबल और बाहुबल का नंगा नाच हो रहा हो, घपलों-घोटालों का बोलबाला हो, उस समाज में क्या वास्तविक प्रगति कभी हो सकती हैं?

मानव के इस पतन-पराभव का कारण खोजने का यदि हम सच्चे मन से प्रयास करें तो पता चलेगा कि सारी समस्याओं की जड़ पैसा है। सारा संसार की अर्थप्रधान हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति हर समय अधिक से अधिक धन कमाने की उद्देश्यबुन में लगा रहता है। इसके लिए अनीति, अनाचार, भृष्टाचार जैसे सभी साधनों का खुले आम प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कमाए हुए धन के कारण ही समाज में सर्वत्र मूल्यविहीन भोगवादी संस्कृति का अंधानुकरण और विलासिता का अमर्यादित आचरण चारों ओर देखा जा सकता है। यह सब जानते समझते हुए भी आदमी पैसे के पीछे पागल हो रहा है।

**युवा वर्ग पर इसका प्रभाव** – आज का युवा वर्ग ऐसे ही दृष्टित माहील में जन्म लेता है और होश संभालते ही इस प्रकार की दुखद एवं चिन्ताजनक परिस्थितियों से रुकरु होता है। आदर्शहीन समाज से उसे उपर्युक्त मार्गदर्शन ही नहीं मिलता और दिशाहीन शिक्षा पद्धति उसे और अधिक भ्रमित करती रहती है। ऐसे दिग्भ्रमित और वैचारिक शून्यता से ग्रस्त युवाओं पर पाश्चात्य अपसंस्कृति का आक्रमण कितनी सरलता से होता है, इसे हम प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं। भोगवादी आधुनिकता के भटकाव में फंसी युवा पीढ़ी दुष्प्रवृत्तियों के ढलदल में धंसती जा रही है। विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान जो युवाओं की निर्माण स्थली हुआ करते थे आज अराजकता एवं उच्छृंखलता के केन्द्र बन गए हैं। वहां मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति कहीं कोई निष्ठा दिखाई ही नहीं देती। सर्वत्र नकारात्मक एवं विद्यवंसक गतिविधियां ही होती रहती हैं। ऐसे शिक्षक व विद्यार्थी जिनमें कुछ सकारात्मक और रचनात्मक कार्य करने की तड़पन हो, बिरले ही मिलते हैं। इसी का परिणाम है कि हमारा राष्ट्रीय एवं सामाजिक भविष्य अंधकारमय लग रहा है।

होनहार बिरवान के होत चीकने पात कृजैसा बीज होगा, जैसी पौध होगी, उसी के अनुरूप तो वृक्ष विकसित होगा, पुष्पित, पल्लवित और फलित होगा। आज की युवा पीढ़ी की जो दुर्दशा हो रही है उसका सर्वप्रथम ढायित्व तो उनके माता-पिता और परिवार का ही है। वे स्वयं ही दुष्प्रवृत्तियों के शिकंजे में फंसे हुए हैं फिर अपनी संतान को उचित शिक्षा व संस्कार कहां से दे सकेंगे? युवावस्था की प्रारम्भिक स्थिति में अनेक शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। जीवन का यह काल अत्यन्त उथल-पुथल भरा होता है जब वह चारों ओर की परिस्थितियों का अपने अनुसार विवेचन करता है। इसमें अनेक प्रतिमान ध्वरत होते हैं और नए बनते हैं। इस अवधि में वह

\* सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) शासकीय कन्या महा विद्यालय, बीना, जिला सागर (म.प्र.) भारत

अपने अस्तित्व को परिवार व समाज में स्थापित करने का प्रयास करता है। अपनी अस्मिता को खोजता है और ऐसे मार्गदर्शक नायक की तलाश करता है जिसके अनुरूप स्वयं को ढाल सके। इस खोजबीन की उलझन में उसे घर से तो कुछ विशेष मिल नहीं पाता और बाहर उसका सर्वत्र शोषण ही होता है। एक समय था जब अभिमन्यु को गर्भावस्था में ही माता-पिता से शिक्षा और संस्कार प्राप्त हुए थे। आज के माता-पिता एवं समाज के कर्णधार स्वयं ही यह चिन्तन करें कि वे अपने अभिमन्युओं को क्या बना रहे हैं?

पहले युवापीढ़ी को अपने आदर्श दूँड़ने के लिए परिवार व समाज के अतिरिक्त पुस्तकों का भी सहारा रहता था जो कि भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर हैं। आज वेद, उपनिषद्, पुराण आदि को पढ़ना या उन पर चर्चा करना तो दूर, उनका नाम लेना भी पिछेपन की निशानी समझा जाता है। आदर्श व प्रेरक साहित्य के प्रति अभिरुचि में भारी कमी आई है। अश्लील एवं स्तरहीन साहित्य की भरमार है। उच्चस्तरीय साहित्यिक रचनाएँ पढ़ने की परम्परा लुप्त हो रही है। युवावर्ग समझ ही नहीं पाता कि वह क्या पढ़े और कैसे पढ़े? देव संस्कृति की इस उपेक्षा के कारण ही आज वह किसी सज्जन, वीर, महात्मा और महापुरुष को अपना आदर्श बनाने के स्थान पर टी.वी. और फिल्मों के पर्दे पर उनको खोजता है। वहां उसे फिल्मों के पर्दे पर उनको खोजता है। वहां उसे हिंसा, अश्लीलता, फैशनपरस्ती, स्वच्छंदता, फूहड़ता आदि के अतिरिक्त कुछ मिलता ही नहीं। इसी सब का अनुसरण करने को वह प्रगतिशीलता समझता है। यही कारण है कि चारों ओर अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा और स्तरहीन आदर्शों की अंधभक्ति ही दिखाई देती है। ऐसे में टी.वी. पर अनेकानेक सैटेलाइट चैनलों द्वारा हमारी लोक-संस्कृति को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने का ही यह परिणाम है कि खान-पान, वेश-भूषा, आचार-व्यवहार आदि सभी क्षेत्रों में युवाओं द्वारा पाश्चात्य अपसंस्कृति का अंधानुकरण हो रहा है। भारत की बहुमूल्य सांस्कृतिक परम्पराओं की वह अवहेलना करता है या उपहास उड़ाता है। पाश्चात्य संस्कृति के जीवन मूल्य को अपनाती युवा पीढ़ी अपने देश की संस्कृति को हेय दृष्टि से देखने लगी है। प्रगतिशीलता के नाम पर नैतिकता का परित्याग और भारतीयता का विरोध विशेष उपलब्धियों को गिना जाता है। उसी को आदर्श हीरो का सम्मान मिलता है।

राजनीतिज्ञों के दुष्कर्त ने तो युवा पीढ़ी को और अधिक उलझा दिया है। शिक्षा केन्द्र तो पूरी तरह से राजनीतिक ढंग का अखाड़ा बन गए हैं। इस युद्ध में युवावर्ग का प्रयोग कच्चे माल के रूप में खुले आम होता है। सुरा-सुंदरी तक उन्हें उपलब्ध कराने में राजनीतिक ढलों को कोई हिचक नहीं होती। काले धन की थैलियां तो खुली ही रहती हैं। इस प्रकार के दूषित वातावरण में युवापीढ़ी ऐसी कुसंस्कृति को अपनाने के लिए मजबूर हैं। जहां व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता और नाते-रिश्तों की पवित्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यौन उच्छ्वसनता को फैशन व आधुनिकता का प्रतीक समझा जाता है जिससे युवक-युवतियां आत्मघाती दुष्कर्त में उलझते जाते हैं। उनकी उर्जा और प्रतिभा किसी सार्थक कार्य में लगने के स्थान पर सौन्दर्य प्रतियोगिताओं, फैशन शो और फिल्मों में बर्बाद होती है तथा अपराधी व बुरे लोगों के जाल में उनके फंसने की संभावनाएँ बढ़ती जाती हैं। उच्च आदर्शों एवं प्रेरणा स्रोतों के अभाव में वे नित नए कुचक्कों में उलझते रहते हैं। सामाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्व बोध से कटे हुए ऐसे लोगों का जीवन मात्र स्वार्थपरता के संकुचित घेरे तक ही सीमित रह जाता है।

**शक्ति की संभावनाएँ** – ऐसे अन्धकारमय परिवेश में भी आशा की किरण तो होती ही है। माना कि हताशा व निराशा से ग्रस्त युवा पीढ़ी में

परिस्थितियों से जूझने की क्षमता चुकती जा रही है पर वह समाप्त नहीं हुई है। उसे विकसित करने के अनेकानेक साधन उपलब्ध हैं। सांस्कृतिक एवं मानसिक परतन्त्रता के अदृश्य पाश से स्वयं को मुक्त करके विश्वकांति का अग्रदूत बनने की क्षमता भी उसमें है। युवाशक्ति की राष्ट्र की उज्ज्वल आशा का प्रतीक है। देश को दुर्गति से प्रगति के पथ पर ले जाने की शक्ति उसके रग-रग में समाई हुई है। शून्य से शिखर तक पहुंचने का पुरुषार्थ वही कर सकता है।

दुनिया में बुराई तो बहुत है। चारों ओर झूठ, फरेब, धोखा और बेईमानी फैली हुई है। पर हर समय इन्हीं बातों पर चिन्तन और चर्चा करते रहने से क्या लाभ? संसार में आसुरी प्रवृत्ति के लोग तो सदैव रहे हैं चाहे वह रामायण-महाभारत काल हो या आज का युग। उनकी संख्या अवश्य कभी कम तो कभी अधिक होती है। इसी सात्त्विक एवं दैवी प्रवृत्ति के लोग भी समाज में रह समय रहते हैं। हनुमान जी को भी रात के अंधेरे में लंका के राक्षसों के बीच एक देवस्वरूप व्यक्ति विश्विषण के रूप में मिल गया था। हम भी यदि थोड़ा सा सजग होकर ढेखें तो अपने आस-पास अनेक अच्छे व्यक्ति हमें मिल जायेंगे जो ईमानदारी, अच्छे चरित्र वाले और नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले हैं। वे सदैव जीवन के प्रति आशावादी एवं सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं।

युवा पीढ़ी में तो ऐसे सचरित्र लोगों की भरमार है। समस्या केवल इतनी भर है कि उन्हें बिगड़ने से किस प्रकार बचाया जाए और वे स्वयं भी किस प्रकार इस काजल की कोठरी से अपने को बचाकर बेदाग बाहर निकल सकें। असली दायित्व तो युवाओं का ही है। यदि वे सांसारिक दुष्प्रवृत्तियों के मकड़ाजाल में फंसने के कुप्रभावों को समय रहते समझ लें और उनके प्रलोभन में न आएं तो कोई भी उन्हें कुमार्ग पर नहीं ले जा सकेगा। यदि उनमें स्वयं को सुधारने की इच्छाशक्ति जागृत हो जाएगी तो अन्य सत्पुरुषों की बातें भी सरलता से उनके गले उतर जाएंगी। स्वयं को सुधार कर ही वे सारे संसार को सुधार सकेंगे। 'अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है', इस तथ्य को समझ लेने से ही सबका कल्याण है।

सामाजिक रिथ्ति में समय-समय पर बदलाव तो आते ही रहते हैं कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक। वर्तमान समय में तो परिवार, समाज और राष्ट्र की धूरी बुरी तरह से लङ्घड़ा ही है और सम्पूर्ण व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन आवश्यक हो गया है। इसे कौन कर सकता है? और कौन करेगा?

इतिहास साक्षी है कि संसार में जितनी भी महत्वपूर्ण क्रान्तियां हुई हैं, उनमें युवाओं की भूमिका सदैव ही अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है। मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय युवावस्था ही होता है। उत्साह एवं उमंग से भरपूर युवाओं में पहाड़ से टकराने की ललक होती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी जूझने का साहस होता है। उनकी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां भी अपने विभिन्न रूपों में प्रस्फुटित होती हैं और असंभव को भी संभव कर दिखाने की क्षमता रखती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के अनुसार भारत में 16 से 25 वर्ष के युवाओं की संख्या 21.5 करोड़ है। इतनी बड़ी जनशक्ति यदि नकारात्मक गतिविधियों में लिप्त हो जाए तो देश को शीघ्र ही साताल में पहुंचा सकती है। पर यदि यह युवा शक्ति सकारात्मक और रचनात्मक मार्ग पर चल पड़े तो भारत को संसार का सिरमौर बना दे। आज अपने धनबल और बाहुबल के बूते कोई देश संसार में अपनी दाढ़ागी तो चला सकता है पर केवल कुछ समय के लिए ही। अपने सद्गुणों और सद्विचारों के बल पर ही भारत कभी विश्व में जगद्गुरु कहलाता था। उसे पुनः उसी पद पर पुनर्स्थापित

करने का सामर्थ्य केवल हमारी युवा पीढ़ी में ही है।

**निष्कर्ष -** सर्वप्रथम युवाओं को अपने मन से निराशा एवं हताशा के भावों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। अपनी शक्तियों पर अपनी क्षमता व प्रतिभा पर अदृष्ट विश्वास जगाना होगा। बैपोलियन ने कहा था कि असंभव शब्द उसके शब्दकोश में ही ही नहीं। इसे अपने जीवन का आधार बनाकर सदैव यही विचार करना होगा कि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो हम न कर सकें। कल्पना करें कि आपके शरीर में शक्ति स्रोत फूट रहा है ऊर्जा की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं जो कठिन से कठिन कार्य को भी चुटकियों में पूरा कर सकती हैं। उज्ज्वल भविष्य हमारे स्वागत हेतु तत्पर है। अपने भीतर इस प्रकार का आत्मविश्वास दृढ़तापूर्वक स्थापित करने पर ही हम जीवन की अनेक चुनौतियों का सामना करने में सफल हो सकेंगे।

हमारे भीतर यह आत्मविश्वास कैसे जागे और कैसे परिपुष्ट हो? हम किस प्रकार अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं और वर्तमान चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना कर सकें? इसे समझने से पहले हमें भारत के महान युवा संन्यासी स्वामी विवेकानन्द के एक संदेश को आत्मसात करना होगा। उन्होंने कहा है 'प्रत्येक व्यक्ति की भाँति प्रत्येक राष्ट्र का भी एक विशेष जीवनोद्देश्य होता है। वही उसके जीवन का केन्द्र है, उसके जीवन का प्रधान स्वर है, जिसके साथ अन्य सब स्वर मिलाकर समरसता उत्पन्न करते हैं।

किसी देश में जैसे इंडियन में राजनीतिक सत्ता ही उसकी जीवन शक्ति है। भारतवर्ष में धार्मिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन का केन्द्र है और वही राष्ट्रीय जीवन रूपी संगीत का प्रधान स्वर है। यदि कोई राष्ट्र अपनी स्वाभाविक जीवन शक्ति को दूर फेंक देने की चेष्टा करे, शताब्दियों से जिस दिशा की ओर उसकी विशेष गति हुई है, उससे मुड़ जाने का प्रयत्न करे और वह इस कार्य में सफल हो जाए तो वह राष्ट्र मृत हो जाता है। अतएव यदि तुम धर्म को फेंककर राजनीति, समाजनीति अथवा अन्य किसी दूसरी नीति को अपनी जीवनशक्ति को केन्द्र बनाने में सफल हो जाओ तो उसका फल यह होगा कि तुम्हारा अस्तित्व तक न रह जाएगा। यदि तुम इससे बचना चाहो तो अपनी जीवन शक्ति रूपी धर्म के भीतर से ही तुम्हें अपने सारे कार्य करने होंगे। अपनी प्रत्येक क्रिया का केन्द्र इस धर्म को ही बनाना होगा। सामाजिक जीवन पर धर्म का कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह बिना दिखाए मैं अमेरिका वासियों में धर्म का प्रचार नहीं कर सकता था। इंडियन में भी बिना यह बताए कि वेदांत के द्वारा कौन-कौन से आश्चर्यजनक परिवर्तन हो सकेंगे, मैं धर्म प्रचार नहीं कर सका। इसी भाँति भारत में सामाजिक सुधार का प्रचार तभी हो सकता है, जब यह दिखा दिया जाए कि इस नई प्रथा से आद्यात्मिक जीवन की उन्नति में कौन सी विशेष सहायता मिलेगी? अतः भारत में किसी प्रकार का सुधार या उन्नति की चेष्टा करने से पहले धर्म प्रचार आवश्यक है।'

\*\*\*\*\*

## अगस्त क्रांति में महिलाओं का योगदान

डॉ. प्रेरणा ठाकुर\*

शब्द संक्षेप - 'जीरो अवर' - ऑपरेशन जीरो अवर 12 बजे के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं की गिरफतारी का आदेश था।

**'बा'** (गुजराती भाषा में) - संक्षेपिका - अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसी घटना थी कि प्रत्येक भारतीय यह मेहसूस कर रहा था कि भारत अब स्वतंत्र होने ही चाहता है। संपूर्ण चैतन्यता के साथ जागृत भारतवासी, देश के किसान, मजदूर, महिलाएं तक राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो चुके थे देश के पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम में तथा उत्तर से सुदूर दक्षिण तक 'अंग्रेजों भारत छोड़ों का नारा बुलन्द किया जा रहा था।

'क्रप्स मिशन' की असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी बड़े नेता चिंतित थे तथा जनमानस आक्रोशित था ऐसे में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का महाधिवेशन मुंबई में हुआ इसमें 'भारत छोड़ों' प्रस्ताव पारित हुआ और गांधीजी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में 'करो या मरो' का नारा दिया। 8 अगस्त की रात को कांग्रेस की बैठक रात में विलम्ब से समाप्त हुई और ऑपरेशन जीरो अवर के तहत रात 12 बजे सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफतार कर लिया गया गांधीजी को पूना में आगा खाँ महल तथा अन्य नेताओं को अहमद नगर जेल में रखा गया। इसके विरोध में संपूर्ण भारत जुलूस, हडताल व सार्वजनिक सभा हुई। जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया और श्रीमती अरुणा आसफ अली जैसे दूसरी पंक्ति के नेताओं ने नेतृत्व संभाला।

महिलाओं में सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, डॉ. प्रभावती, उषा मेहता, जैसी नेत्रियों ने कमान संभाली। किंतु अरुणा गांगुली, अरुणा आसफ अली ने बम्बई के ब्वालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराकर मुख्य रूप से नेतृत्व किया। इस अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी रही कुछ महिलाओं का योगदान इस प्रकार है:-

**अरुणा आसफ अली** - 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति की प्रमुख नायिका डॉ. अरुणा आसफ अली ही थीं क्योंकि 9 अगस्त 1942 को बम्बई के ब्वालिया टैंक मैदान में ब्रिटिश राष्ट्र ध्वज 'यूनियन जेक' को हटाकर भारतीय ध्वज फहराने का प्रमुख कार्य डॉ. अरुणा आसफ अली ने ही किया था। यद्यपि 1930 से ही अरुणा जी सक्रिय राजनीति में शामिल थीं और सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपने उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया था और तभी गांधी जी के आदेश व मार्गदर्शन से खाढ़ी पहनना भी प्रारंभ किया। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग व विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने के द्वारा न ही अरुणा गांगुली जी की नेतृत्व क्षमता खुलकर सामने आयी आपकी साहसी, आत्मविश्वासी भूमिका के कारण ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाली अन्य महिलाओं को जब 6 महीने की जेल हुई तब अरुणा जी को एक वर्ष तक रिहा नहीं किया गया यहाँ तक की गांधी इरविन एक्ट के

बाद भी उनकी सक्रिय भूमिका के कारण उन्हें जेल से नहीं छोड़ा गया। उनकी नेतृत्व व क्षमता देखते हुए जेल में उन्हें अन्य कैदियों से अलग रखा गया। जेल में भी अरुणा जी ने भ्रूख हडताल की और कैदियों के साथ सरकार को अच्छे व्यवहार के लिये मजबूर किया।

भारत छोड़ो आंदोलन के दौराने अरुणा जी का वारंट जारी करते हुए सरकार ने उनकी गिरफतारी पर 8 हजार रुपये का इनाम रखा उस समय इतनी बड़ी धनराशि का इनाम रखा जाना सिद्ध करता है कि वे ब्रिटिश सरकार के लिये कितना बड़ा सिरदर्द थी।

1942 से 1946 तक उनके नाम वारंट जारी रहा। महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफतारी के बाद राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण आदि के साथ महाराष्ट्र और विशेषकर बम्बई में सक्रियता से कमान संभाली और सबसे महत्वपूर्ण यह था कि बम्बई के ब्वालिया टैंक मैदान पर आयोजित सबसे बड़ी सभा में भारतीय ध्वज फहराया। इस सभा के पश्चात अरुणा जी ने भूमिगत रहकर काम करना प्रारंभ किया जबकि अन्य नेता गिरफतार हुए। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण अरुणा जी की संपत्ति जब्त कर ली गयी लेकिन संपत्ति की चिंता न करते हुए निरंतर अपने उद्देश्य में वे लगी रही लोहिया जी के साथ मिलकर 'इंकलाब' नामक अखबार में अपने विचार व्यक्त करते हुए यह लिखा कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की आजादी की लडाई में हिस्सा ले और अपनी भूमिका निभाये यह भूमिका हिसा या अहिसा किसी भी मार्ग पर चलकर यह लडाई लड़े किन्तु शांत न बैठें। स्वतंत्रता के संबंध में इंग्लैण्ड से किसी भी प्रकार का समझौता करना असंभव है हम अपने अधिकारों की भीख इंग्लैण्ड से नहीं मांगेंगे, अपना अधिकार हम लड़कर हासिल करेंगे।

स्वतंत्रता के पश्चात 1958 में अरुणा जी दिल्ली की प्रथम मेयर बनी। अपना संपूर्ण जीवन आपने महिलाओं व बाल कल्याण के लिये समर्पित किया। सासाहिक लिंक व डैनिक पेट्रियाट नामक अखबार निकाले तथा पद्म भूषण अंतर्राष्ट्रीय लैखिका पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार आदि प्राप्त किये।

**सरोजिनी नायडू** - हैदराबाद में 13 फरवरी 1871 को जन्मी डॉ. सरोजिनी नायडू प्रसिद्ध वैज्ञानिक अधोरनाथ चटोपाध्याय तथा श्रीमती वरदासुंदरी की पुत्री थी। सरोजिनी को कविता लेखन के गुण अपनी माताजी से प्राप्त हुए थे क्योंकि वे भी बंगला भाषा में कविताएं लिखती थीं। उच्च शिक्षा के लिये वह इंग्लैण्ड गयी। 1918 में गोखले जी तथा गांधी जी से प्रभावित होकर राजनीति में पद्धार्पण किया।

गोखले जी ने सरोजिनी को कहा कि - 'अपने सपने, विचार तथा जीवन सब कुछ भारत माता के नाम कर दो। सोये हुए भारत को जगाओ इस

\* श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला व वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

देश से निराशा का अंधकार को ढूँ करके आशा का संदेश देना ही तुम्हारी (सरोजिनी) काव्य प्रतिभा का उच्चांक होगा।' – गोपालकृष्ण गोखले

अपने राजनीतिक गुरु गोखले जी का आदेश मानते हुए सरोजिनी जी ने राजनीति में पदार्पण किया। 1918 में जब महात्मा गांधी जी के संपर्क में आई तभी से वे सत्याग्रह आदि में सम्मिलित होने लगी। 1919 में माटेन्यू चेकस फोर्ड सुधारों में जब महिलाओं को किसी भी प्रकार के अधिकार देने की घोषणा नहीं हुई तब सरोजिनी नायडू ने 800 महिलाओं के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन शासन को सौंपा। गांधी जी ने भी सरोजिनी जी से कहा था कि मैं इस देश की महिलाओं को उनके चौके-चूल्हे से बाहर तो ले आया हूँ किन्तु अब उनका मार्गदर्शन कर उनको सिर्फ घर तक सीमित न रहने देने की जिम्मेदारी महिला नेत्रियों की है।

1921 में सरोजिनी जी महिलाओं को मताधिकार दिलाने में सफल हुईं उनकी योग्यता और देश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अध्यक्ष चुना। वे कुछल वक्ता थीं उनकी वाणी में जादू था लंदन के किंवरसले हॉल में जलिया वाला बाग कांड के विरुद्ध उन्होंने प्रभावशाली भाषण दिया।

1922 में जब गांधी जी जेल गये तब अपने विकल्प के रूप में खुद की गैरहाजिरी में उन्होंने सरोजिनी नायडू को नेतृत्व के लिये चुना कहा – कि तुम्हारे हाथों में भारत की एकता का काम पूर्ण विश्वास के साथ सौंपता हूँ।

1931 में सरोजिनी नायडू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। मधुर स्वर में कविता पाठ करने के कारण उन्हें 'भारत कोकिला' की उपाधि दी गयी। वे अमेरिका व अफ्रीका भी गयी और वहां के लोगों को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में बताया। मोहम्मद अली जिन्ना को वे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहती थी।

1942 के भारत छोड़ी आंदोलन में सरोजिनी जी ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

**कस्तुरबा गांधी** – 'बा' के नाम से लोकप्रिय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धर्मपत्नी श्रीमती कस्तुरबा गांधी सच्चे अर्थों में पूर्ण समर्पित अर्धांगिनी, जीवन संगिनी थी। गांधी जी की प्रेरणा तथा मार्गदर्शन से वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नेत्री बनी। यद्यपि 13 वर्ष की अल्पायु में ही गांधी जी के साथ विवाह हो जाने से उनकी प्रारंभिक शिक्षा अधूरी थी तथापि गांधी जी की प्रेरणा से गुजराती भाषा का ज्ञान कस्तुरबा गांधी ने प्राप्त किया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध बने कानूनों का विरोध करने वाले आंदोलनों व सत्याग्रहों में तो उन्होंने भाग लिया ही भारत में भी चंपारन, बारढोली आंदोलनों में भी वे सक्रिय रही। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के साथ ही बा ने सत्याग्रहों में भाग लेना ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छता का पाठ पढ़ाना, चरखा चलाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा शराब की दुकानों पर धरना देने जैसे कार्यक्रमों में नेतृत्व किया।

भारत छोड़ी आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी और उनके अनुयायी गिरफ्तार हो गये तब गांधी जी की अनुपस्थिति में 9 अगस्त की शाम को शिवाजी पार्क मुंबई में बा ने भाषण देने का निश्चय किया किन्तु बा को गिरफ्तार कर आगा खाँ महल में नजरबन्द कर दिया गया। गांधी जी को भी इसी महल में रखा गया था और वे निरंतर सत्याग्रह 21 दिनों से उपवास कर रहे थे। गांधी जी के उपवास से बा का हृदय व्यथित हो उठा था हृदय रोग, निमोनिया व किडनी फेल होने के कारण 22 फरवरी 1944 को शिवारात्रि के दिन बां ने अंतिम सांस ली। गांधी जी ने बा के संबंध में कहा – बा के स्नेहशील जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती वे मेरे जीवन का अविभाज्य अंग थी। वे सहनशील थी अपने कठोर नियमों से जो

दुख मैंने अपनी पत्नी को दिया उसके लिये मैं कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर रंगा।

मरणोपरांत बा को अमेरिका के जार्जिया प्रांत के अटलांटा स्थित मोर हाउस कालेज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि सन 2000 में प्रदान की।

बा भारतीय सती नारीयों सावित्री व सीता के आदर्शों पर चलने वाली नारी थी।

**डॉक्टर प्रभावती** – यह गुजरात प्रांत के सूरत नगर में डॉक्टर थी आप राजनीतिक मरीजों का इलाज करते हुए उनसे प्रभावित होकर प्रभावती जी स्वयं भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गयी जुलूस तथा नारेबाजी के साथ-साथ उन्होंने उग्र आंदोलन में भी हिस्सा लिया तथा गिरफ्तार हुई यहां तक उन्होंने तोड़-फोड़ तक में भाग लिया जिसके कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया वे बीमार पड़ गई किन्तु उनके उपचार की व्यवस्था नहीं की गई, जब उनके उपचार की आशा नहीं रही तब उन्हें जेल से छोड़ दिया गया।

**कनकलता बरुआ** – किंशोर अवस्था में ही राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली यह आसाम के गोहपुर ग्राम की 14 वर्षीय बालिका थी जिसने भारत छोड़ी आंदोलन में अपने गाँव में निकले जुलूस का नेतृत्व किया तथा पुलिस थाने पर झंडा फहराने का प्रयास किया किंतु ग्राम के थानेदार ने उस पर गोली चला दी और वह देशभक्त किशोरी वहीं शहीद हो गयी राष्ट्र आज उसे नमन कर कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

**मातंगिनी हाजरा** – बंगाल के तमलुक में रहने वाली यह एक देशभक्त थी जो 73 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को सरकार के विरोध में निकाले गये जुलूस में शहीद हो गयी।

**उषा मेहता** – राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण चरण भारत छोड़ी आंदोलन में भाग लेने वाली उषा मेहता एक जज की पुत्री और परिवार के विरोध के बावजूद 1942 को अपने साथियों के साथ आपने एक गोपनीय रेडियो स्टेशन की स्थापना की यह रेडियो स्टेशन कांग्रेसी नेताओं द्वारा संचालित होता था और उषा मेहता जी इसमें उद्घोषिका थी इस रेडियो स्टेशन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने विचार व्यक्त करते थे। उषा जी ने महात्मा गांधी के हरिजन समाचार पत्र में भी कार्य किया। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में चूंकि सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे अतः इस महत्वपूर्ण स्थान पर तिरंगा झंडा अरुणा आसिफ अली के साथ उषा मेहता जी ने फहराया था। 11 अगस्त 2000 को 80 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ।

**सुचेता कृपलानी** – सुचेता कृपलानी जी का जन्म 1908 में हरियाणा प्रांत के अंबाला में एक बंगाली परिवार में हुआ था। आपने प्रारंभिक शिक्षा अंबाला में किन्तु उच्च शिक्षा दिल्ली के सेंट स्टीफन कालेज तथा इन्ड्रप्रस्थ कालेज से प्राप्त की थी। आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका भी रहीं। 1936 में सुचेता जी का विवाह आचार्य कृपलानी जी के साथ हुआ। आचार्य कृपलानी भारत में समाजवादी विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे। आचार्य कृपलानी के सानिध्य में ही आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी तथा अरुणा आसफ अली के साथ उषा मेहता जी के संपर्क में आयी और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। अरुणा जी के साथ सुचेता कृपलानी ने 'भूमिगत स्वयं सेवक ढल' बनाया और भूमिगत रहकर कार्य किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय चूंकि सभी बड़े नेता गिरफ्तार थे अतः दूसरी पंक्ति के इन नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सुचेता कृपलानी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला विभाग की भी स्थापना की थी। 1944 में गिरफ्तार हुई कि एक वर्ष बाद ही 1945 में इन्हें जेल से छोड़ दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात

यह श्री राजनीति में उ.प्र. में सक्रिय रही और 1963 में स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। 1971 में राजनीति से सन्यास ले लिया तथा 1974 में सुचेता जी का देहान्त हो गया।

**विजय लक्ष्मी पंडित** – संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला डॉ. विजयलक्ष्मी पंडित मोतीलाल नेहरू की पुत्री तथा प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी चूंकि इनके पिता व भाई राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे अतः डॉ. विजयलक्ष्मी पंडित का राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय होना स्वाभाविक ही था।

डॉ. विजयलक्ष्मी पंडित का जन्म 1900 में तथा विवाह 1921 में श्री रंजीत सीताराम पंडित के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात श्री विजय लक्ष्मी जी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहीं तथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति के द्वारान जब लगभग सभी बड़े नेता गिरफतार हो चुके थे तब विजयलक्ष्मी जी ने सक्रिय भागीदारी निभायी। 1937 में विजयलक्ष्मी जी का निर्वाचन युनाइटेड प्रॉविन्सेस के विधान मंडल में हुआ था उन्हें स्थानीय रव प्रशासन व जनरावास्थ्य विभाग का मंत्री बनाया गया और वे 1939 तक तथा 1946-47 में इस पद पर कार्यरत रहीं तथा भारत छोड़ो आंदोलन

का हिररा बनी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1954 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष बनने वाली वे भारत ही नहीं विश्व की प्रथम महिला थी। 1962 से 1964 तक वे महाराष्ट्र की राज्यपाल रहीं। डॉ. विजयलक्ष्मी पंडित आंदोलन में भारत की राजदूत भी रहीं।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कॉन्ग्रेस का इतिहास, पट्टाभि सीतारमैया
2. आधुनिक भारत – सुमित सरकार
3. आजादी के बाद भारत – विपिन चन्द्र, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी
4. इंडिया टूडे – राजनीपाम ढत्त
5. आधुनिक भारत का इतिहास – यशपाल व ग्रोवर
6. भारत की चर्चित महिलाएँ – सुधा गोस्वामी
7. विकिपीडिया।



## अजयमेरु का जल स्थापत्य

**डॉ. बनवारी लाल यादव \***

**प्रस्तावना** – भारतीय साहित्य में चौंसठ कलाओं का उल्लेख मिलता है। कामशास्त्र में इनका उल्लेख किया गया है। शुक्रनीति में भी इन चौंसठ कलाओं का उल्लेख है। प्रबन्ध कोश में 72 कलाओं का उल्लेख है जबकि बौद्ध धर्म ग्रन्थ ललित विस्तार में 85 कलाओं के नाम गिनाये गये हैं, परन्तु आधुनिक काल में कलाओं का वर्गीकरण ढो आधार बिन्दुओं पर किया जाता है-

1. उपयोगी कला व 2. ललित कला। उपयोगी कला मानव समाज के लिए उपयोगी होती है जबकि ललित कला केवल सौन्दर्य प्रधान होती है। प्रथम श्रेणी में हम कृषि, वर्ष बुनने व भोजन कला आदि को ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस श्रेणी में वे सब कलाएं सम्मिलित हैं जो मानव जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली कलाओं से सौन्दर्य की अनुभूति तथा आनन्द की प्राप्ति होती है। ललित कलाओं का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, अतः द्वितीय श्रेणी की कला का नामकरण पाश्चात्य सम्पर्क की देन है। पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कलाओं के अन्तर्गत पांच कलायें मानी हैं और वे क्रमशः ये हैं—स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत तथा काव्य कला।<sup>1</sup>

राजस्थान में जल नामक प्राकृतिक तत्व को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है तथा इसे संरक्षित करने के लिए अलग अलग काल में विशेष प्रकार की जल संरक्षण सम्बन्धित परम्परा का विकास हुआ। छोटी खाड़ के पास स्थित एक पहाड़ी पर पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित एक प्राचीन ढुर्ग रिथन है जिसमें सरोवर तथा कुंआ आदि आज भी दर्शनीय है।<sup>2</sup>

आना सागर झील भारत के सुन्दरतम स्थानों में से एक है। अजमेर नगर की समृद्धि और विस्तार का जितना श्रेय तारागढ़ ढुर्ग को जाता है उससे कहीं अधिक इस झील को जाता है। इस झील के सौन्दर्य पर मुन्ध होकर ही मुगलों ने अजमेर को इतना महत्व दिया। अंग्रेज तो इस झील के दीवाने ही थे। इस झील का निर्माण, अन्तिम हिन्दू नरेश पृथ्वीराज चौहान (तृतीय) के ढाढ़ा अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज, ‘चौहान आनाजी’ के नाम से भी जाना जाता है। ई. 1133 में वह महाराजाधिराज परमेश्वर अर्णोराजदेव के नाम से अजमेर की गढ़ी पर बैठा। उसके शासनकाल में तूरुष्कों (तुर्कों) ने अजमेर तथा पुष्कर पर बड़ा भारी आक्रमण किया। वह बार-बार के मुर्सिलम आक्रमणों से तंग आ चुका था अत उसने अपनी पूरी ताकत एकत्र करके तारागढ़ से कुछ किलों मीटर दूर के विशाल मैदान में तुर्कों का भयानक नरसंहार किया। तुर्कों की विशाल सेना का इतना खून बहा कि पूरा मैदान रक्त से लथपथ हो गया। मांस के लोथड़ों से वहां सड़ांध फैल गई। इस दृश्य को देखकर अर्णोराज का दिल ढहल गया। उसने पुष्कर की पहाड़ियों से निकलने वाली चन्द्रा नदी के जल से इस मैदान की साफ करने की योजना बनाई और एक नहर बनाकर चन्द्रा नदी का पानी इस

तरफ मोड़ा। कुछ इतिहासकार नदी को लूनी तथा कुछ बान्डी नदी के रूप में चिह्नित करते हैं जो अजमेर के पास की नाग पहाड़ियों से निकलती हैं। जब यह मैदान साफ हो गया तब अर्णोराज ने इस मैदान के चारों तरफ विशाल पक्की दीवार का निर्माण करवाया। इस कार्य में उसने जनता की मदद ली। जब यह झील बनकर तैयार हो गई तब उसने पुष्कर की पहाड़ियों से निकलने वाले निर्मल जल से भर दिया। इस झील से अजमेर के लोगों तथा पशुओं के लिए पीने का जल उपलब्ध हो गया। इतना ही नहीं अब एक विशाल सेना को इस क्षेत्र में लम्बे समय तक बनाये रखना संभव हो गया। इस झील के कारण अजमेर नगर का विकास तेजी से हुआ।<sup>3</sup>

राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र मुख्यतः पहाड़ी इलाका है, सिर्चाई के लिए वर्षा के अतिरिक्त अन्य साधनों का भारी अभाव था। सारा क्षेत्र विरान रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया था। लेकिन अंग्रेज अधिकारी कर्नल डिक्षन की उदारता, तत्परता, कार्यकुशलता, लगन व जन सामान्य के हितेषी होने के कारण इस समस्या का गहराई से निकाल सम्भव हुआ।<sup>4</sup>

राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली व राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर की अंग्रेजी राज्य में प्रयोग में ली गई सरकारी रिपोर्टों में ब्रिटिश सरकार द्वारा करवाये गये सरकारी निर्माणों का वर्णन किया गया है। इन आर्काइव्स रिपोर्ट के आधार पर जलाशयों के निर्माण की जानकारी निम्नानुसार प्राप्त की। इसमें कुछ जलाशय एवं बावड़ियाँ हैं जो कि चूने, पत्थर तथा सीमेन्ट द्वारा निर्मित हैं। इनकी लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई आदि प्राप्त हैं। कुछ जलाशयों में पानी का माप भी प्राप्त है। उस जलाशय की गहराई के हिसाब से कितनी मात्रा में पानी एकत्रित किया जा सकता है, इसका विस्तृत विवरण आर्काइव्स रिपोर्टों में प्राप्त है। कुछ स्थानों पर सरकार द्वारा जो व्यय हुआ उसका हिसाब भी प्राप्त होता है।

सन् 1839 में प्रस्तावित देवतन जलाशय जो ब्यावर परगने के देवतन गांव की पहाड़ी नाले पर बनाया गया, सन् 1840 में स्वीकृति प्रदान की गई। इसकी पानी की तरफ वाली दीवार को पूर्णतः चूने से बनाया गया। इसका मेटेरियल आकलन अभिलेखागार रिपोर्ट के अनुसार पक्का मेसनरी पत्थर व पत्थरमय चूना सीमेन्ट कुल लम्बाई 1388 फीट जलाशय दीवार भूमि आधार 7 से 4 फीट जलाशय उपरी आधार 3 से 2 फीट जलाशय विस्तार 20 से 2 फीट। चादर पक्की मेसनरी लम्बाई 102 फीट विस्तार 6 फीट ऊँचाई 13 फीट। कला पक्का मेसनरी पत्थर मय कला सीमेन्ट लम्बाई 775 फीट आधार विस्तार 4 से 3 फीट ऊपरी सतह 3 से 2 फीट ऊँचाई विस्तार 10 से 8 फीट। रियर रिटेनिंग दीवार सूखी मेसनरी 170 फीट लम्बाई 3 फीट चौड़ी 6 फीट ऊँचाई। भूमिगत मुख्य बीम लम्बाई 132 फीट निचला आधार विस्तार 60 से 30 फीट ऊपरी सतह 15 से 9 फीट ऊँचाई।

\* राज. उ. मा. वि., कराडी, जि. पाली (राजस्थान) भारत

विस्तार 10 से 6 फीट। भूमिगत अछतभाग निर्माण 300 फीट लम्बा, 6 फीट चौड़ा, 6 फीट ऊंचा आकलित खर्च पब्लिक मेसनरी पत्थर पत्थरमय छूना सीमेंट 50-120 क्यूबिक फीट 4 रुपये आठ आना। 100 क्यूबिक दर 22 रुपये 6 आना। कला पक्का मेसनरी, पत्थर मय कला सीमेंट 17.500 क्यूबिक, 2 रुपये आठ आना 2.50 पैसा। 100 क्यूबिक फीट दर 550 रुपये 2 आना ड्राप मेसनरी - पत्थर (बिना सीमेंट के) 3060 क्यूबिक फीट 1 रुपया 12 आना 4 पैसा प्रति 100, कीमत 5/रुपये भूमिगत बीम 2.95, 2.6 क्यूबिक फीट 4 आना 65 पैसे पर (746 रुपये 2 आना 6 पैसे) कुल लागत 3596 रुपये 100 आना<sup>9</sup>

सूरजपुरा जलाशय का निर्माण सन् 1839-40 में ब्यावर परगने की ओर वरा निर्माणी ढाणी की छोटी पहाड़ियों के बीच किया गया। यह सूरजपुरा जलाशय के निकट ही स्थित था। जलाशय में जल ढबाव सहन करने हेतु भूमिगत भाटा बनाया गया। जलाशय की ढीवार 100 फीट लम्बी 18 फीट चौड़ी व 15 फीट ऊंची बनायी गयी।

**आकलित मेटेरियल :** पब्लिक मेसनरी पत्थर छूना पिलर सीमेंट लम्बाई - 160 फीट, निचली आधार 4 फीट, ऊपरी आधार 3 फीट ऊंचाई - 150 से 8 फीट। ड्राय मेसनरी - पलर (सीमेंट विहीन) - लम्बाई 160 फीट निचला आधार 14 फीट, ऊंचाई - 15 से 8 फीट, ऊपरी आधार - 5 फीट। भूमिगत भाग निर्माण : लम्बाई 110 फीट निचला आधार 12 फीट, ऊपरी सतह - 8 फीट ऊंचाई - 7 फीट। आकलित खर्च - पब्लिक मेसनरी - पत्थर व लाइमस्टोन सीमेंट 6.525 क्यूबिक फीट - 3 रुपये 8 आना 5 पैसे प्रति 100 क्यूबिक फीट - 230 रुपये 5 आना<sup>7</sup> ड्राय मेसनरी - पत्थर (सीमेंट विहीन)। 15.275 क्यूबिक फीट 1 रुपये 9 आना 2 पैसे प्रति 100 क्यूबिक फीट) 240 रुपये 6 आना 9 पैसे।

**भूमिगत आधार बीम-** 8104 क्यूबिक फीट 2 आना/क्यू. फीट) 10 रुपये 2 आना जलाशय की कुल लागत - 480 रुपये 12 आना 9 पैसे। जलाशय का कुल खर्च 8356/-रुपये।

अंग्रेजी सरकार से पूर्व ए.जी.जी. स्पीयर्स ढारा सन् 1833 में 100 रुपये प्रतिमाह किराये पर जो प्रांतीय सरकार ढारा वहन किया जाना था, निजी रेजिडेंसी की स्थापना की। इस अस्थायी आवास पर एस्कार्ट करने के हेतु गार्डरम, बंगला, बरंडा, गार्डन मरम्मत कार्य हेतु (1640 रुपये 15 आना 3 पैसे), बंगला पास परिसर (264 रुपये 9 आना 4 पैसे) में नया कुँआ हेतु 323 रुपया 7 आना व छोटे बाथरूम निर्माण हेतु 18 रुपये, 7 आने 3 पैसे खर्च किए गए। इस प्रकार कुल 1250 रुपये 6 आना, दस पैसे खर्च हुए<sup>8</sup>

ए.जी.जी. व कमिश्नर हेतु स्थायी इमारत निर्माण हेतु ब्रिटिश सरकार ढारा 1400 रुपये में ढौलतबाग के पास मिस्टर फैगन से भवन खरीदा गया।

ढौलत बाग के ऊपरी किनारे के बांध वाले हिस्से पर एजुकेटिव इंजीनियर लेपिटनेट रिले ढारा ए.जी.जी हाउस प्लान व 1930 रुपये 5 आना व 3 पैसा का खर्च आकलन तैयार किया गया<sup>9</sup>

सन् 1842 में ब्रिटिश सरकार ढारा किसान ढशा सुधारने हेतु सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। पुराने तालाबों के सुधार व निर्माण को गति प्रदान की गयी। 4 नए तालाब जिनमें राजगढ़ के कल, रामसर के परगना के बामोल जोहरवाड़ा व अजमेर परगना के नोटेरी हेतु क्रमशः 2010 रुपये, 5915 रुपये, 3850 व 4727 रुपये की सिंचाई परियोजना मंजूर की गयी। कुल 16502 रुपये इन जलाशयों हेतु स्वीकृत हुए। सन् 1842 में

ही 3 पुराने तालाबों की मरम्मत हुए 3609 रुपये स्वीकृत किए गए। इनमें रामसर परगना के भगवानपुरा, राजगढ़ के रगेल व बोलायादास हेतु क्रमशः 479 रुपये, व 1855 रुपये स्वीकृत किए गए। 4 नये तालाबों व 3 पुराने तालाबों की मरम्मत कार्य हेतु ब्रिटिश सरकार ढारा कुल 20111 रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।<sup>10</sup>

टिप्पी कमिश्नर अजमेर प्रान्त के सत्यापित रिपोर्ट के अनुसार सन् 1873 में अमरगढ़ गाव के मांगलियावास किला जसवतसिंह इस्तमररदार के कब्जे में था। यह किला एक ऊँची पहाड़ी पर स्थित था। इस पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था। यह पत्थर का बिना किला भी तथा यह आज भी अच्छी ढशा में है।<sup>11</sup>

सन् 1842 अजमेर में जनसुविधा विस्तार हेतु टॉक नवाब अब्दुल करीम खान से एक भूमि टुकड़ा ब्रिटिश सरकार ढारा स्थान्तरित किया गया।<sup>12</sup> नये कृषि सुधार लाने से पूर्व विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों की इस संबंध में राय जानी गयी। मिस्टर सुंदर के अनुसार नया कुँआ निर्माण करने पर 20 वर्ष तक उस पर कोई सिंचाई कर नहीं लिया जाना चाहिए। केप्टन रेप्सन ने इस हेतु 12 वर्ष ही पर्याप्त माने थे। कर्नल ब्रुक के अनुसार एक पूर्ण सेटलेमन्ट समय तक सरकारी आदेश के ढारा सिंचाई कर से मुक्त किया जाना चाहिए अन्त में गवर्नर जनरल ढारा इसे ही स्वीकृति प्रदान की गयी।<sup>13</sup>

एक पुरानी प्रशासनिक परंपरा के अनुसार जिस व्यक्ति के पास जलाशय आगोर में हुआ हो उसे जलाशय पानी के उपयोग पर रोक लगा दी जाती थी, इसी बात का ब्रिटिश अधिकारियों ने पालना की। कुँआ सिंचित भूमि से भूराजस्व दूर भी उत्पादन का 116 रखी गयी जो काफी उदार भी। इस प्रकार के प्रयासों ढारा ब्रिटिश सरकार ढारा कुँआ खुदवाने व निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया।

सेटलमेन्ट आफिसर लाट्रूस ने सन् 1872 में किसानों के कुँए खुदवाने हेतु तकाबी ऋण दिया जाने की अनुशंसा की।<sup>14</sup>

मेरवाडा प्रदेश के ब्यावर कर्से से 6 मील दूर स्थित जालिया गांव में जलाशय बनाने हेतु यह प्लान तैयार किया गया। मेरवाडा प्रदेश पिछले 45 वर्षों से सूखा व अकाल से पीड़ित रहा जिसका यहां की अबादी पर दुष्प्रभाव पड़ा। यहां सूखा की मुख्य वजह पेड़ों के कम होने से हवा में नमी नहीं रहना है। इस हेतु प्रदेश में वन संरक्षण व नये वनों की स्थापना की जानी चाहिए। हाँलांकि संरक्षण वन स्थापना हेतु ब्रिटिश सरकार ढारा सन् 1869 में डिप्टी वन संरक्षण अधिकारी सुंदर की नियुक्ति की गयी।<sup>15</sup>

मेरवाडा प्रदेश की टाडगढ़ व दिवेर जलाशयों के बीज इस जलाशय की विशेष आवश्यकता महसूस की गयी। यह जलाशय 600 एकड़ खरीफ फसल व 3250 एकड़ दोहरी फसल हेतु तैयार किया गया।<sup>16</sup>

चीफ कमिश्नर को पत्र जालिया टैक की कुल सिंचाई क्षमता 454000000 क्यूबिक फीट ओपन की गयी जिसमें कृषि सिंचाई हेतु 400,000,000 क्यूबिक फीट जल उपलब्ध हो सकता है जल वितरण।

600 एकड़ खरीफ फसल 4500 क्यूबिक फीट प्रतिएकड़ - 27000,000 2800 एकड़ खरीफ व रबी फसल 135, 030 - 378,000,000 कुल 405000000 क्यूबिक फीट।<sup>17</sup>

उपरोक्त पत्र में आयोधिया प्रसाद, सावर तहसीलदार ढारा सन् 1871 में खरीफ व ठरबी फसलों हेतु पानी उपलब्धता व जलाशय के आयोग क्षेत्र में कब्जे व पक्के कुओं की गांवों के हिसाब से संचया ढर्ज की गयी थी। इसके अलावा तहसीलदार ढारा जालिया टैक के हाई व लोनेवल नहरों ढारा सिंचाई क्षमता ढशायी गयी थी।<sup>18</sup>

ब्रिटिश सरकार द्वारा सन् 1864 में वास्तविक जमदर ज्ञात करने, वास्तविक मृत्युदर जाबेन, विवाहों की संख्या व विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने हेतु, जन्म मृत्यु व विवाह नियमाली निर्धारित की गयी। ऐसा करने से ब्रिटिश सरकार को बढ़ती जनसंख्या के अनुसार पेयजल अन्न उत्पादन बढ़ाने व स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सहुलियत रहती थी।<sup>19</sup>

सितम्बर 1871 में ब्रिटिश सरकार द्वारा 22 नये निर्माणकार्यों को रखीकृती प्रदान की गई जो सिंचाई से संबंधित थे पिछले दश वर्षों में जो तालाब निर्माण वित्तीय स्वीकृतिया दी गई वो इस प्रकार थे।<sup>20</sup>

आंकड़ों से ज्ञात होता है कि अजमेर मेरवाड़ा, मेवाड़ व मारवाड़ क्षेत्रों से पिछले दस वर्षों के दौरान सर्वाधिक धनराशि अजमेर मेरवाड़ा सरकार द्वारा सिंचाई निर्माण कार्यों हेतु जारी की गई। यह राशि 203 185.6.11 3/4 रुपया, आना पैसा थी। इतनी वित्तीय राशि खर्च बाढ़ प्रथम वाई राजस्व प्राप्ति 327820 9 1/4 आना रही इसमें प्रारंभिक रूप में प्राप्त लाभांश 324635 रुपये 9 1/2 पैसा रहा।<sup>21</sup>

इस प्रकार हम देखते हैं कि यहां के चौहान शासकों ने अजमेर की उबड़ खाड़ पहाड़ियों के बीच तटबंध बनाकर जलाषयों का निर्माण किया इसी विधा को अपनाकर अंगेजो ने यहां की विकट परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास किया, जो आज हेरिटेज की श्रेणी में आता है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुप्त आर. के., मध्यकालीन समाज, धर्म, कला एवं वास्तुकला पोइन्टर पब्लिषर्स, जयपुर, 2004, पृ. 279
2. क्षीरसागर डी.बी., नागौर का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक वैभव, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाष, जयपुर, 2000, पृ. 27
3. क्षीरसागर डी.बी., पूर्वोक्त, पृ. 27
4. राजस्थान डिस्ट्रीक्ट गजेटियर, अजमेर, पृ. 708
5. क्षीरसागर डी.बी., पूर्वोक्त, पृ. 151-154
6. फॉरेन डिपार्ट. 21 जून 1843, क्रम सं. 75, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, (एन.ए. आई) नई दिल्ली
7. फॉरेन डिपार्ट. पालिटिकल 27 फरवरी 1834, क्रम स. 2, (रा.अभि.) नई दिल्ली
8. फॉरेन डिपार्ट. पालिटिकल 19 अप्रैल 1835, क्रम सं. 15, (रा.अभि.) नई दिल्ली सन् 1835
9. फॉरेन डिपार्ट. पालिटिकल क्र. स. 342 की रिपोर्ट, (रा.अभि.) नई दिल्ली
10. फॉरेन डिपार्ट. क्रम सं. 15, मार्च 1841 ए.जी.जी. सदरलैण्ड का भारत सरकार सचिव मेडार्क अरब्यून को पत्र, रा.अभि., नई दिल्ली, मेजर डिक्सन की 1841 की रिपोर्ट,
11. फाईल न. 3 (1) 62, सन् 1870, रा.रा.अ., बीकानेर
12. फाईल न. 2 (3) 34, सन् 1869, रा.रा.अ. बीकानेर
13. फॉरेन डिपार्ट., अक्टूबर 1872, क्रम स. 3/15, रा.अभि., नई दिल्ली
14. पत्र क्रमांक 106, दिनांक 24 अप्रैल 1872, सेटलमेन्ट, आफिसर अजमेर लाटूस का कमिश्नर रा.अभि., नई दिल्ली
15. पत्र क्रमांक 2421, अजमेर, 1872, रेप्सन् डिप्टी कमिश्नर अजमेर का कमिश्नर को पत्र, रा.अभि. नई दिल्ली
16. फॉरेन डिपार्ट, अक्टूबर 1872, क्रम सं. 3/15, रा.अभि., नई दिल्ली
17. पत्र क्रमांक 977 अजमेर, 27 जून 1971, रा. अभि., नई दिल्ली
18. पत्र क्रमांक 350, 2 दिसम्बर 1871, सहायक कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा डिप्टी कमिश्नर को पत्र, रा.अभि., नई दिल्ली
19. फाईल स. टी 43, वोल्यूम आई 1864, रा.रा.अ., बीकानेर
20. 7 जून, 1871, क्रम स. 277, पोलिटिकल, रा.अभि., नई दिल्ली
21. फॉरेन डिपार्ट, 13 मार्च 1874, क्रम स. 34, रा.अभि., नई दिल्ली

\*\*\*\*\*

# Study on adsorption of Methylene blue by Activated Carbon derived from Ipomoea Carnea

Dr. Geeta Paryani \* Shikha Shrivastava \*\*

**Abstract** - Activated carbon has been prepared from stem of Ipomoea Carnea by acid treatment. Surface structure investigation is carried out by scanning electron microscopy (SEM). Ipomoea Carnea stem waste has been evaluated as raw material for the preparation of activated carbon using HCL with the temperature ranging from 500°C to 800°C. The activated carbon prepared was characterized, by iodine value, moisture content, ash content, pore volume and porosity. The BET surface areas between 864.653 m²/g and 1159.06 m²/g and micropores and mesopores with volumes between 0.004 and 0.358041 cc/g. Characterization studies such as SEM, BET, bulk density, moisture content, ash content, fixed carbon content, and surface area have been carried out to assess the suitability of derived carbons as adsorbents in the water and wastewater. The effects of factors such as contact time, adsorbent dose, pH and initial concentration were investigated. The kinetics and equilibrium data were confronted to several models. A study on adsorption of Methylene blue by activated carbon derived from Ipomoea Carnea was done.

**Key words** - Activated Carbon, Ipomoea Carnea, Carbonization, Activation, Methylene Blue.

**Introduction** - Solid waste disposal has become a major problem in India, either it has to be disposed safely or used for the recovery of valuable materials as agricultural wastes like turmeric waste, ferronia shell waste, jatropha curcus seed shell waste, delonix shell waste and Ipomea Carnia stem. Therefore these wastes have been explored for the preparation of activated carbon by various techniques. In order to serious water pollution, we must understand the problems and become part of the solution [1].

Activated carbon has since then been used in many industries. In particular, it has been commonly used for the removal of heavy metal and organic dyes from textile waste water. Many agricultural by products and waste materials used for the preparation of activated carbons. The plant Ipomoea Carnea belongs to family Convolvulaceae. Ipomoea Carnea, is a species of morning glory. Activated carbon is widely used for the purpose due to the large surface area available for adsorption or chemical reactions. [2] Dyes are used in chemical, textile, paper, printing, leather, plastics and various food industries. Waste water passed out from the industry. So in this work Activated carbon used as an adsorbent for Methylene Blue dye.

## Material And Method

**Collection of sample** - The Ipomoea Carnea (morning glory), a low-cost and abundantly available plant, was used for removal of heavy metal from aqueous solutions. Ipomoea Carnea stems were collected in and around Neelbad Bhopal M.P., India. The Ipomoea Carnea (morning glory) was certified by Dr. Jiya ul hussan assistant professor

department of botany, Safiya College Bhopal M.P. The stem of Ipomoea Carnea was dried at room temperature for a few days and then oven dried at 110°C over night.

**Activation with HCL** - *Ipomoea Carnea* stem waste material was treated with HCL for a period of 24 hours. Then the material was placed in the muffle furnace and carbonized at 400-800°C, for a period of 60 minutes. After activation, the carbon obtained was washed sufficiently with plenty of water, dried and sieved then to desired particle size. [3]

## Characterization

**Moisture Content Determination** - A 1.0 g of the activated carbon sample was weighted and dried in an oven for four hours at 150°C, until the weight of the sample became constant. [4]

$$X_0 = \frac{W_1 - W_2}{W_1}$$

Where:

X<sub>0</sub> = Moisture content on wet basis

W<sub>1</sub> = Initial weight of sample, in gm

W<sub>2</sub> = Final weight of sample after drying in gm

**Particle Size** - For the particle size determination, lots of samples were weighed and placed on top of a set of sieves ranging from 75 to 1.4 × 103 µm. The sieves were shaken manually for two minutes, after which the weight percent of the active carbon retained on the sieves and bottom pan was determined. [5]

**pH** - 1 gm of the sample was weighed and dissolved in 3

\*Department Of Chemistry, Govt. Motilal Vigyan Mahavidhlaya, Bhopal (M.P.) INDIA

\*\* Department Of Chemistry, Govt. Motilal Vigyan Mahavidhlaya, Bhopal (M.P.) INDIA

ml of de-ionized water. The mixture was heated and stirred for 3 minutes to ensure proper dilution of the sample. The solution was filtered out and its pH was determined using a digital pH meter. [6]

**Iodine Adsorption Number (IAN)** - 1 g sample and 25 ml of standard iodine solution (0.023 M) added. 20 ml of this filtrate solution was titrated with the standard (0.1095 M) thiosulphate solution to the persistent of a pale yellow colour. 5 ml of starch indicator was added and titration resumed slowly until a colorless solution appeared, the procedure was carried out two more times. The titrations were also repeated with 20 ml portions of the standard iodine solution not treated with the sample to serve as the blank titration[6]. The iodine number(IAN) was calculated from the relationship.

$$\text{IAN} = \frac{12.69 \text{ N} (V_2 - V_1)}{W} \text{ mole iodine/g sample}$$

W

Where:

N is the normality of thiosulphate solution

$V_1$  is the volume of the thiosulphate (ml) used for the titration of the sample –treated aliquot.

$V_2$  is the volume of the thiosulphate (ml) used for the blank titration,

W is the mass of the sample used (gm).

**Ash content** - 2.0 grams of sample was placed into a crucible and reweighed with its content heated in a furnace at 900°C for 3 hours. The sample was cooled to room temperature and reweighed. Ash content was calculated between the differences in weight.

**Volatile matter content** - A 2 gm of sample was taken in cylindrical crucible closed with a lid. It was then heated to 925°C for exactly 7minutes in a muffle furnace. Then the crucible was cooled in desiccators and weighted volatile matter on dry basis.

$$\text{VM} = \frac{100[100(\text{B}-\text{F})-\text{M}(\text{B}-\text{G})]}{[(\text{B}-\text{G})(100-\text{M})]}$$

B=Mass of crucible, lid and sample before heating

F=Mass of crucible, lid and contents after heating

G=Mass of empty crucible & lid

M=% of moistures determined above

**Fixed carbon content** - Fixed carbon FC = 100 – (% moisture content+ % volatile matter + % ash content)

**BET Test** (Brunauer, Emmett and Teller) - The results of BET surface area, macropore, mesopore and micropore volumes of the produced activated carbon. The surface areas were higher for HCL activated carbons and this is expected because chemical activation normally develops more porosity and it gives high surface area. [7]

**Scanning electron microscope analysis (SEM)** - The surface morphology of the activated carbon was tested using scanning electron microscopy .At such magnification, SEM micrographs clearly revealed that wide variety of pores

are present in activated carbon along with fibrous structure. It is also found that there are holes and caves type openings on the surface of the adsorbent. [8]

**Adsorption studies of activated carbon** - Removal of Methylene Blue dyes from aqueous solution by using Ipomoea Carnea stem waste.

**Batch adsorption study** - The batch adsorption was carried out at room temperature. The effects of contact time, adsorbent dose, pH of solution and the initial concentration of these adsorbates were studied. The quantity adsorbed by a unit mass of an adsorbent at equilibrium and the adsorption percentage were calculated using the following relations:[9]

$$\%R = \frac{C_0 - C_e}{C_0} \times 100$$




$$Q_e = \frac{(C_0 - C_e)}{m} \times V$$

Where  $C_e$  is the concentration of adsorbate at equilibrium (mg.L-1);  $C_0$  is the initial concentration of adsorbate (mg.L-1).

**Result** - Activated carbon prepared from Ipomoea Caenea stem waste was found effective in adsorption of dye from aqueous solution. The activated carbon was characterized a pH, moisture content, bulk density, pore volume, porosity, and ash content. Iodine no. a measure of the micropore content of the activated carbon is 254 mole iodine/g sample .Moisture content of activated carbon have less than 1% . Ash determination shows that increase in carbonization temperature reduces the ash content. It is known that materials with the lowest ash content are most active. The pH of sample is 6.5.The result showed that the Activated carbons activated with HCL are neutral after washing.An adsorption test has been carried out for Methylene Blue under different experimental conditions in batch mode. The adsorption of Methylene Blue was dependent on adsorbent surface characteristics, adsorbent dose, Methylene Blue concentration, time of contact and temperature. The results indicated that the activated carbon is very useful for removing Methylene Blue from waste-water.


**Table-1** Characteristics of activated carbon

| S   | PARAMETERS                                 | OBSERVATIONS              |
|-----|--|---------------------------|
| 1.  | Moisture content in 2.0g                   | 2.3%                      |
| 2.  | pH 6.5                                     |                           |
| 3.  | Iodine adsorption number(IAS)              | 254                       |
| 4.  | Ash content                                | 1.40%                     |
| 5.  | Fixed carbon %                             | 81%                       |
| 6.  | ccl <sub>4</sub> adsorption capacity in %  | 64%                       |
| 7.  | Pore size/value Å                          | 1.89839 nm                |
| 8.  | BET Surface area in m <sup>2</sup> /g      | 1159.06 m <sup>2</sup> /g |
| 9.  | Langmuir Surface area in m <sup>2</sup> /g | 2152.48 m <sup>2</sup> /g |
| 10. | Volatile matter                            | 15.3%                     |




**Fig. 1:** Activated carbon from *Ipomoea Carnea* SEM


**Adsorption result** - The highest adsorption of 95.1% occurred at pH 6. When increase adsorbent dose MB adsorption was increase. Figure-4 shows that the equilibrium was attained at 110 minute when the maximum adsorption onto activated carbon was reached. When Methylene Blue concentration was increase the rate of adsorption was decreases (Fig-5).




**Figure -2 Effect of pH on adsorption of Methylene Blue**



**Figure-3: Effect of Adsorbent Dose on adsorption of Methylene Blue**



**Figure -4. Effect of Contact Time on adsorption of Methylene Blue**



**Conclusions** - This study indicates that efficient activated carbons can be obtained from *Ipomea Carnea* by controlled activation with HCl for a number of industrial and residential applications. Due to the presence of high surface area, porosity, the activated carbon prepared from the agricultural waste it can be used for a variety of environmental application, dye removal, wastewater treatment and adsorption process too. The present study has shown the effectiveness of using AC in the removal of Methylene Blue dye from aqueous solutions. Acid Activated *Ipomea Carnea* in different forms has a great role in modern life to clean environment.

#### References :-

1. S. Karthikeyan and A. Babu Rajendran "Adsorption of Basic Dye (Rhodamine B) by a Low Cost Activated Carbon from Agricultural Solid Waste" An International Quarterly Scientific Journal Vol. 9 No. 3 pp. 461-472 ,2010.

2. Barret, E.P., Joyner, P.B. and Hatenda, P. "The Determination of Pore Volume and Area Distribution in Porous Substances. Computations from Nitrogen Isotherms." *Journal of Analytical Chemistry*, 73, 373-380. 1951.
3. Arockiaraj I and Renuga V "Sorption kinetics and dynamic studies of basic dye by lowcost nanoporous activated carbon derived from Ipomoea Carnea stem waste by sulphate process" *Frontiers in Nanoscience and Nanotechnology* 2016.
4. Hameed, B.H, Din, A.T.M & Ahmad, A.L. *Journal of hazardous materials*. 141(3), , 30 – 60, 2006.[24]
5. Ademiluyi, T, Gumus, R, Adeniji, S.M & Jasem, O.*Proceedings of the Nigerian society of chemical engineers*, 34th Annual Conference Effurun, Nigeria, 2008.
6. Madu P. C. and Lajide L. J "Physicochemical characteristics of activated charcoal derived from melon seed husk". *Chem. Pharm. Res.*, 5(5):94-98, 2013.[26]
7. Ajayi OA, Olawale ASA "comparative study of thermal and chemical activation of Canarium Schweinfurthii Nutshell". *J. Appl. sci. Res.*, 5(12): 2148-2152. 2009.
8. Chandrakant d. Shendkar1, rasika c. Torane2, kavita s. Mundhe2, sangita m. Lavate1, avinash b. Pawar1, nirmala r. Deshpande. "characterization and application of activated carbon prepared from wastewater" *international Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences* . March 2013.
9. Lekene Ngouateu R. B., Kouoh Sone P M. A., Ndi Nsami J., Kouotou D., Belibi Belibi P. D., Ketcha Mbadiem J. "Kinetics and equilibrium studies of the adsorption of phenol and methylene blue onto cola nut shell based activated carbon" *Int J Cur Res Rev* | Vol 7 Issue 9 May 2015
10. Rengaraj, S., Moon, S.-H., Sivabalan, R., Arabindoo, B. and Murugesan, V. "Agricultural Solid Waste for the Removal of Organics: Adsorption of Phenol from Water and Waste Water by Palm Seed Coat Activated Carbon". *Waste Management*, 22, 543-548. 2002.

\*\*\*\*\*

## भारतीय संगीत वादों का प्राचीन वर्गीकरण

### कंचन सिंह \*

**शोध सारांश -** भारतवर्ष में संगीत के क्षेत्र में वादों का प्रयोग न केवल मनोरंजन बल्कि धार्मिक अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। प्राचीन भग्नावशेषों, धार्मिक स्थलों, आदि ग्रन्थों यथा यसामवेद इत्यादि में वादों की भिन्न-भिन्न आकृति इसका प्रमाण हैं। प्राचीन सांगीतिक ग्रन्थों में वादों के विभिन्न स्वरूप तत्, सुषिर, अवनद्ध एवं घन रूप में वर्णित हैं। भरतकृत नाट्यशास्त्र में वर्णित चतुर्विध वाद वर्गीकरण वर्तमान में भी प्रचलित एवं सर्वमान्य हैं।

**मुख्य शब्द -** ध्वनि, वाद, चतुर्विध, शारंगदेव, अवनद्ध।

**प्रस्तावना -** संगीत, सृष्टि की रचना के साथ उद्भूत माना गया है। प्रकृति के कण-कण में इसका वास नाद-गति के रूप में विद्यमान है। संगीत के अन्तर्गत गायन, वादन तथा नृत्य तीनों को परिगणित किया जाता है। संगीत का महात्म्य अशुण्ण है। संगीत मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है जैसे-मनुष्य के नेत्रों के द्वारा इस जगत के सूक्ष्म व्यवहार व्यंजित होते हैं, उसी प्रकार संगीत इस प्राकृतिक वातावरण में सँदैव सर्वमान व्याप्त होता है। भारतीय संगीत मानव समाज की अग्रूल्य धरोहर, परन्तु एक संगीतकार की धरोहर संगीत शास्त्र का ज्ञान, स्वर विज्ञान एवं ताल विज्ञान, का ज्ञान तथा संगीत प्रदर्शन की योग्यता होती है। यदि कहा जाये कि वादों का प्रयोग मानव जीवन के जन्म ले लेकर मृत्यु पर्यन्त जुड़ा है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

भारतवर्ष में संगीत के क्षेत्र में वादों का प्रयोग न केवल मनोरंजन बल्कि धार्मिक अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। प्राचीन भग्नावशेषों, धार्मिक स्थलों, आदि ग्रन्थों यथा यसामवेद इत्यादि में वादों की भिन्न-भिन्न आकृति इसका प्रमाण हैं। परन्तु वादों की उत्पत्ति कब, कहाँ, कैसे हुई अथवा किस वर्ग का वाद पहले बना, प्रमाणों के अभाव में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता।

आदि काल से मनुष्य किसी न किसी रूप में वादों का प्रयोग करता आया है। सभ्यता, संस्कृति के विकास के साथ मनुष्य द्वारा निर्मित व प्रयुक्त वाद भी विकसित होते गये। परन्तु संगीतमय ध्वनि एवं गति को प्रकट करने वाला उपकरण वाद कहलाया, ऐसा कह सकते हैं। **प्रथम वाद के रूप में कण्ठ को ईश्वर निर्मित वाद की संज्ञा** प्राप्त है।

**वादों की धार्मिक मान्यता एवं देवी देवताओं से सम्बन्ध -** प्राचीन संगीत ग्रन्थों में हमें वादों की उत्पत्ति का किसी न किसी देवी-देवताओं से सम्बद्ध उपलब्ध होता है। तत वाद देवताओं से, सुषिर वाद गन्धर्वों से, अवनद्ध (वितत) वाद राक्षसों से, तथा घन वाद किङ्गरों से सम्बन्धित थे। जब कृष्ण ने अवतार लिया तो वे इन चारों वादों को पृथकी पर ले आये।<sup>1</sup> धार्मिक मान्यतानुसार आदि देव महादेव शंकर द्वारा डमरु (अवनद्ध), सरस्वती के द्वारा वीणा (ततवाद) आदि की उत्पत्ति मानी गई है। हिन्दू धर्म में वादों का सम्बन्ध देवी-देवताओं से भी बहुत घनिष्ठता से रहा है। बांसुरी के साथ भगवान् 'श्री कृष्ण', डमरु के साथ भगवान् 'शिव जी' मृदंग के साथ भगवान् 'गणेश जी' और वीणा के साथ 'माँ सरस्वती जी' की कल्पना साकार हो उठती है।<sup>2</sup>

ऐसी प्रतीत होता है कि सम्यता एवं भाषा के विकास के पूर्व ही वादों का जन्म हो गया होगा, नर-नारि अपने हृदय की प्रसन्नता प्रकट करने के लिए अंग संचालन करते हुए नाचे होंगे तथा ढो वस्तुओं के परस्पर घर्षण से ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वादों का काम लिया होगा।

**वाद का अर्थ -** संस्कृत भाषा से यवद धातु जिसका अर्थ 'बोलना' होता है। उसमें यणिच और ययत प्रत्यक्त के योग से यवाद शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है बोला हुआ 'वाद' शब्द को भारतीय संगीत में 'संगीत-यन्त्र' उसे बजाने की क्रिया तथा उस पर बजाई जाने वाली अंतर्वस्तु (Contents) के रूपार्थ में प्रयोग किया जाता है।<sup>3</sup> वाद रूप में प्राचीनतम् वादों में झुनझुना माना जा सकता है, जो आज भी जनजातियों में प्रचलित है। आदिकाल से महाभारत युग, रामायण काल से लेकर आधुनिक युग तक वादों का विकास तथा प्रचार इस बात का ज्वलंत उदाहरण है।

**संगीतात्मक ध्वनि आधारित वाद -** संगीतात्मक ध्वनियाँ नखज, वायुज, चर्मज, लोहज, तथा शरीरज होती हैं। वीणा आदि वाद नखज है, वंशी आदि वायुज है, मृदंग आदि वाद चर्मज है, ताल मंजीरा आदि वाद लोहज है, तथा कण्ठ ध्वनि शरीरज है। इन पाँच प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करने वाले वादों को 'पंचमहावादानि' कहा गया है। इनमें से एक ईश्वर द्वारा निर्मित है, जो नैसर्गिक है तथा अन्य चार प्रकार के वाद विरचित है।

**प्राचीन संगीतज्ञों के मतानुसार वाद वर्गीकरण -** प्राचीन संगीतज्ञों जैसे भरत, दत्तिल, कोहल, नारद एवं शारंगदेव ने विभिन्न वादों का वर्गीकरण किया है, जिनका विवरण इस प्रकार है-

**नारदीय शिक्षा में वाद -** नारदीय शिक्षा में वादों के पाँच प्रकार बताये गये हैं। नखज, वायुज, चर्मज, लोहज तथा शरीरज इन पाँच प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करने वाले वादों को 'पंचमहावादानि' कहा गया है। इनमें से एक ईश्वर द्वारा निर्मित है, जो नैसर्गिक है तथा अन्य चार प्रकार के वाद मानव निर्मित है।

**'एक ईश्वरनिर्मितं नैसर्गिकं अन्यच्चतुर्विधं मनुष्यनिर्मितं चेति पंचप्रकाराः महावादानाम्'**<sup>4</sup>

**कोहल के मतानुसार वाद -** कोहल ने उपर्युक्त आधार पर पाँच प्रकार के ही सांगीतिक वाद स्वीकार किये हैं।

**'कोहलस्य मते ख्यातं पंचद्वा वादमेव च'**<sup>5</sup>

**भरत के मतानुसार वाद -** भरत ने चार प्रकार के वादों का वर्गीकरण

\* शोध छात्रा एम.ए. (तबला), नेट, प्रवीण संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (उ.प्र.) भारत

किया है।

**'भरतेन वाद्यं चतुर्विधं प्रोक्तम्।'**<sup>6</sup>

**दत्तिल के मतानुसार वाद्य** – दत्तिल ने भी भरत की भौति वाद्यों के चार प्रकार स्वीकार किये हैं।

**'दत्तिलेन तु आनन्दं ततं घनं सुषिरं चेति चतुर्विधिं वाद्यं कीर्तितम्।'**

**नारद के मतानुसार वाद्य** – नारद ने अन्य विद्वानों से अलग तीन प्रकार के वाद्य बताये हैं।

**'नारदमते चार्मणं तान्त्रिकं घनं चेति श्रिथा वाद्यलक्षणम्।'**<sup>8</sup>

नख के उपयोग से बजाये जाने वाले, फूँक से बजाये जाने वाले तथा हाथ के उपयोग से बजाये जाने वाले वाद्यों में वीणा, रंशी, मृदंग, ताल आदि वाद्यों का प्रयोग अति प्राचीन काल से किया जा रहा है।

**आचार्य भरत का वाद्य-वर्गीकरण** – भरतप्रणीत नाट्यशास्त्र नाट्य, संगीत तथा अन्य कलाओं का विश्वकोश है।

**'न तज्ज्ञानं न तच्छिलं न सा विद्या न स कला।  
नासी योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते॥'**<sup>9</sup>

(नाट्यशास्त्र 1/117)

अर्थात् ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई शिल्प, ऐसी कोई विद्या, कला या योग नहीं जो नाट्यशास्त्र में दृष्टव्य न हो।

**चतुर्विध वाद्य** – 'चतुर्विध' शब्द का प्रयोग आचार्य भरतमुनि प्रणीत 'नाट्यशास्त्र' में वाद्यों के वर्गीकरण का प्रथम उल्लेख आतोद्य विधान में चतुर्विध वाद्य के रूप में प्राप्त होता है। भरतकृत नाट्यशास्त्र 36 अध्यायों का वृहद ग्रन्थ है, जिसमें 28-34 अध्याय तक संगीत सम्बद्ध विषयों का निखण्ण किया गया है। भरत ने वाद्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया है:- (1) तत् (2) अवनन्द (3) घन (4) सुषिर

**'ततं चैवावनन्दं च घनं सुषिरेव च  
चतुर्विधं तु विज्ञेयमातोद्यं लक्षणान्वितम्॥'**<sup>10</sup>

(नाट्यशास्त्र 28/1)

उपरोक्त चार प्रकार के वाद्यों के लक्षण को स्पष्ट करते हुए आचार्य भरतमुनि लिखते हैं-

**'ततं तन्त्रीकृतं झेयमवनन्दं तु पौष्करम्।  
घनं तालस्तु विज्ञेयः सुषिरो वंशं उच्यते॥'**<sup>11</sup>

(नाट्यशास्त्र 28/2)

अर्थात् भरत ने वाद्य वर्गीकरण के अन्तर्गत चतुर्विध तत्, अवनन्द, घन एवं सुषिर वाद्य का उल्लेख किया है। तत्, अवनन्द, घन एवं सुषिर वाद्यसे तात्पर्य है क्रमशः तंत्रीवाद्य, पूष्करवाद्य, तालवाद्य, वंशीवाद्य।

**शारंगदेव का वाद्य-वर्गीकरण** – आचार्य शारंगदेव ने भी प्राचीन कालीन भरतकृत नाट्यशास्त्र के समान अपने ग्रन्थ 'संगीत रत्नाकर' के छठे अध्याय अर्थात् वाद्याध्याय में वाद्यों को चार भागों में विभक्त किया है।

**'ततं ततं सुषिरं चावनन्दं घनमिति स्मृतम्।  
चतुर्धा तत्र पूर्वाभ्यां श्रुत्यादिद्वारतो भवेत्॥'**<sup>12</sup>

**गीतं ततोऽवनन्देन रज्यते मीयते घनात्॥'**<sup>12</sup>

अर्थात् वह (वाद्य) तत्, सुषिर, अवनन्द और घन इस तरह चार प्रकार से जाना गया है। उनमें से पहले दो (तत् और सुषिर) से श्रुति आदि के द्वारा गीत (उत्पन्न) होता है। उसके बाद अवनन्द के द्वारा रंजित होता है (और) धन से मापा जाता है।

उपरोक्त प्राचीन वाद्य वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों का विवरण अधोलिखित है-

1. **तत् वाद्य** – 'तन्यते इति ततम्' तन का अर्थ है तानना। तन धातु से तत् शब्द की उत्पत्ति हुई है। तारों को तानने के कारण इन्हे तंतु वाद्य भी कहते हैं, इनमें ध्वनि तार को छेड़कर उत्पन्न की जाती है। उदाहरणार्थी वीणा, विपन्नी वीणा आदि।

2. **अवनन्द वाद्य** – 'अवनह्यते स्म-मुखे चर्मणा बद्यते स्म इति अवनन्दम्' जिन वाद्यों के मुख चर्म से बंधे (आबद्ध) होते हैं उन्हें अवनन्द वाद्य कहते हैं। इन वाद्यों के मुख पर चमड़ा मढ़ा हुआ होता है तथा उस पर ताइना करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थी ढोल, मृदंग आदि।

3. **घन वाद्य** – ये ठोस धातु के बने वाद्य होते हैं, इनमें ध्वनि आपसी टकराव या अन्य वरन्तु से आधात करने पर उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थी मंजीरा, झाँझा, कठताल आदि।

4. **सुषिर वाद्य** – 'सुषिः छिद्रमस्यास्ति इति सुषिरम्।'<sup>13</sup> सुषिका अर्थ है छिद्र, जिन वाद्यों में छिद्र हों वे सुषिर वाद्य की श्रेणी में आते हैं। इन वाद्यों में ध्वनि वायु के धर्षण से उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थी-रंशी, शहनाई आदि।

उपरोक्त चार वर्गों में विभाजित वाद्यों में तत् व सुषिर को स्वरवाद्य तथा अवनन्द व घन वाद्य तालवाद्य की श्रेणी में रखते हैं। मनोहर भालचन्द्राव मराठे जी के अनुसार, 'तत् व सुषिर से श्रुति, स्वर, मूर्छना, तान, अलंकार इत्यादि द्वारा गीत बनते हैं। अवनन्द वाद्य द्वारा गीत में रंजकत्व लाया जाता है तथा घनवाद्य से गीत को लय एवं काल में धारण किया जाता है।'

**निष्कर्ष** – उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकतर प्राचीन संगीतज्ञों ने चार प्रकार के वाद्यों का वर्गीकरण किया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वाद्यों का प्राचीनकालीन 'चतुर्विध वाद्य' (तत्, सुषिर, अवनन्द एवं घनवाद्य) वर्गीकरण ही सर्वमान्य है।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-**

1. शर्मा डॉ. स्वतंत्र/पाण्चात्य स्वरलिपि पद्धति एवं भारतीय संगीत/प्रतिभा प्रकाशन, दिल्ली/तृ०सं०१९९६/पृ०-११०
2. श्रीवास्तव गिरीशचन्द्र/ताल परिचय-२/खंबी प्रकाशन, इलाहाबाद/नवीन सं०/पृ०-१४
3. शुकल योगमाया/तबले का उद्घम, विकास और वादन शैलियाँ/हिन्दी माध्यम कार्यान्वय, दिल्ली वि०वि०/प्र०सं०सं० २००३/पृ०-२२
4. तत्रैव/पृ०-२३
5. मिश्र डॉ. लालमणि/भारतीय संगीत वाद्य/भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली/चौ०सं०२०११/पृ०-४१
6. तत्रैव
7. तत्रैव
8. तत्रैव
9. शर्मा डॉ. स्वतंत्र/भारतीय संगीत एक ऐतिहासिक विश्लेषण/भार्गव प्रकाशन, इलाहाबाद/दि०सं०१९९५/पृ०-४३
10. शास्त्री बाबूलाल शुकल/नाट्यशास्त्र(चतुर्थ भाग)/चौखंभा सं०सं० प्रकाशन, वाराणसी/२००९/पृ०-०३
11. तत्रैव
12. चौधरी सुभद्रा/शारंगदेवकृत संगीत रत्नाकर, त० खण्ड/राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली/ प्र० सं०-२००६/पृ०-२४९
13. सिंह ठा. जयदेव/भारतीय संगीत का इतिहास/वि०वि० प्रकाशन, वाराणसी/दि०सं० २०१०/पृ०-३११

# Adsorption studies on the removal of colouring agent phenol red Using Activated carbon as adsorbent

Dr. Geeta Paryani \* Shikha Shrivastava \*\*

**Abstract** - Activated carbon has been extensively used as a good adsorbent. This work deals with the study of phenol red adsorption on activated carbon. The adsorption characteristics and operational parameters were determined by monitoring different parameters such as effect of pH, effect of concentration of the dye, amount of adsorbents and contact time. The adsorption phenol red was investigated using UV-Vis spectrophotometer at maximum absorption of 558 nm. The adsorption of dye increased with increasing initial dye concentration and adsorbent dosage. Nearly 60 minute of contact time was found to be sufficient for the adsorption to reach equilibrium. The Langmuir and Freundlich models adsorption were applied to describe the isotherm equilibrium and to determine its constants.

**Key words-** Activated carbon, phenol red, adsorption, isotherm equilibrium.

**Introduction** - Due to speedy industrial development, pollution of water bodies by industries is an issue of main concern. It is estimated that an enormous amount of dyes of global production is discharged by textile industries due to partial exhaustion of colouring material and washing operations [1]. Coloured wastewater generally comes from dye manufacturing, textile industries, pulp and paper mills and laboratories. The waste water generated by these industries is highly noticeable even at very low concentrations. The removal of such materials into water bodies not only destructs the nature but also interferes with the diffusion of sunlight, thus disturbing the food chain existing in water ecosystems [2]. The bulk amounts of the dyes discarded into the water bodies by industries are toxic and even carcinogenic to both animals and humans. Due to their chemical structure which usually contains complex aromatic structures, dyes are toxic, carcinogenic and resistant to fading on exposure to light, heat ,water, microbes and many chemicals[3][4].

The present study deals with the applicability of adsorption means in the removal of the dye phenol red from wastewaters. Phenol red is a highly water soluble fabric dye. It is therefore widely employed as a pH indicator in cell biology laboratories and for water testing applications. Toxicity data make known that phenol red inhibits the growth of renal epithelia cells [5]. Direct or indirect contact with the dye leads to irritation to the eyes, respiratory system and skin. Phenol red dyes are reported to reason mutagenic effects [6] and are a toxic to muscle fibres [7]. Therefore for the removal of phenol red we used activated carbon derived from Ipomoea Carnea it is an efficient and cost effective technique for the removal of dye from waste water .The plant Ipomoea Carnea belongs to family Convolvulaceae.

Ipomoea Carnea is a species of morning glory [8]. So in this work activated carbon used as an adsorbent for phenol red dye.

## Materials and Methods

**Preparation of activated carbon** - The Ipomoea Carnea stem , used as adsorbent for removal of phenol red .were cut and dried in sunlight until then oven dried at 110°C over night. Dried material was treated with HCL for a period of 24 hours. Then the material was placed in the muffle furnace and carbonized at 400-800°C, for a period of 60 minutes[9]. Chemical activation promotes the high adsorption capability due to its high internal surface area and porosity formed during carbonization.

**Adsorbent** - The dye used in the study was phenol red, 4'-(3H- 2, 1-benzoxathiol-3-ylidene) bis-phenol, S,S-dioxide having molecular formula  $C_{19}H_{14}O_5S$  and molecular weight 354.38 its chemical structure shown in Figure 1. Phenol red is also commonly known as phenol sulfonephthalein. An intense colour is due to the extended conjugation systems of the alternate double and single bond in the dye structure [10]. Phenol red dye stock solution is prepared by 0.1 gram of the phenol red dye was accurately weighed and made up to 1000 ml of distilled water. The stock solution was further diluted with distilled water to desired concentration for obtaining the test solutions.




Figure 1. Chemical structure of phenol Red

\*Department Of Chemistry, Govt. Motilal Vigyan Mahavidhaya, Bhopal (M.P.) INDIA

\*\* Department Of Chemistry, Govt. Motilal Vigyan Mahavidhaya, Bhopal (M.P.) INDIA

**Batch Adsorption Studies** - Batch adsorption experiments were carried out at ambient temperature. In order to investigate the nature of activated carbon and phenol red interaction, initially the effect of pH on % adsorption was carried out and then further experiments on the effect of contact time, initial concentration, adsorbent dose and contact time were conducted on optimized pH. Only one parameter was changed at a time while others were maintained constant. The quantity adsorbed by a unit mass of an adsorbent at equilibrium and the adsorption percentage were calculated using the following relations [11].

$$\%R = \frac{C_0 - C_e}{C_0} \times 100$$

$$Q_e = \frac{(C_0 - C_e)}{m} \times V$$

Where  $C_e$  is the concentration of adsorbate at equilibrium (mg.L<sup>-1</sup>);  $C_0$  is the initial concentration of adsorbate (mg.L<sup>-1</sup>);

### Results and discussion

#### Adsorption studies

**Effect of pH** - The effect of pH on the percentage of the phenol red dye removed was studied over the pH range of 2 to 10. It was observed that with the increase of the pH of the solution, the extent of the dye removal increased. The maximum removal of phenol red dye was recorded at pH of 8, decreases as the pH was increased up to pH 10 Figure- 2




Figure -2. Effect of pH on adsorption of phenol red dye

**Effect of Adsorbent Dose** - The effect of dosage was studied for adsorbent dosages in the range of 0.2 g to 0.6 g. It can be seen that the rate of dye removal increases with increase in amount of adsorbent (Figure- 3). The result shows that the adsorbent was efficient for maximum removal of dyes at the level of adsorbent dosage. The increase in the percentage removal of dyes with the increase in adsorbent dosage was due to the increased surface area with more active functional groups which also gave rise to availability of more adsorption sites [12].




Figure - 3. Effect of Adsorbent Dose on adsorption of phenol red

**Effect of Contact Time** - The results showed that as the time increased, the percentage adsorbed increased, until equilibrium was reached at about 60 minute, as shown in Figure-4. The initial rapid adsorption was due to the availability of positively charged surface of the adsorbents for the adsorption of phenol red.




Figure -4. Effect of Contact Time on adsorption phenol red

**Effect of phenol red ions concentration** - The effect of initial ion concentration shows a decrease in percentage adsorbed, with the increase of the initial ion concentration of dyes, as seen in Figure- 5. This is because at lower concentration, the ratio of the initial number of the dye molecules to the available surface area was low [13].




Figure -5. Effect of phenol red concentration on adsorption

**Adsorption isotherm Data Analysis** - The relation between the amount of a substance adsorbed at constant temperature and its concentration in the equilibrium solution is called the adsorption isotherm. The results obtained from the Langmuir and Freundlich isotherm model for the removal of phenol red dye onto activated carbon are shown in Table-1.

Table-1. Comparison of the coefficients isotherm parameters for phenol red adsorption

| Isotherm Model | Coefficients Parameters |                       |                 | Isotherm |
|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------|
| Langmuir       | $Q_m$ (mg/g)<br>54.64   | b (L/mg)<br>0.0169    | $R^2$<br>0.9987 |          |
| Freundlich     | $1/n$<br>0.6119         | $K_f$ (mg/g)<br>1.999 | $R^2$<br>0.9783 |          |

The correlation coefficients reported in Table-1 showed strong positive evidence on the adsorption of phenol red onto activated carbon, following the Langmuir and Freundlich isotherm. The applicability of the linear form of both the models to activated carbon was proven by the high correlation coefficients,  $R^2$  greater than 0.98. This suggests that the both the models provide a good model of the sorption system. It will be noted that the value of  $1/n$  was between 0 and 1 indicating the adsorbent prepared are favourable for adsorption of the phenol red. The maximum monolayer capacity  $Q_m$  obtained from the Langmuir is 50.25 mg/g.




Figure-6 Linear plot of Langmuir isotherm for phenol red adsorption




Figure-7 Linear plot of Freundlich isotherm for phenol red adsorption

**Conclusions** - The present study reports batch studies for the removal of phenol from activated carbon derived from Ipomoea Carnea stem waste. Due to the presence of high surface area, porosity, and the activated carbon prepared from the agricultural waste it can be used for a variety of environmental application, dye removal, wastewater treatment and adsorption process too. Adsorption of phenol was dependent on initial pH, adsorbent dosage, contact time and initial phenol concentration. It can be concluded that some low cost material can be used as effective and alternative adsorbents for the sorption of organics such as phenol from aqueous solution, because of they are readily available, hence reducing pollution

#### References :-

- S. Pirillo, M.L. Ferreira, E.H. Rueda, "Adsorption of alizarin, eriochrome blue black R, and fluorescein using different iron oxides as adsorbents" *Ind. Eng. Chem. Res.* 46, 8255–8263, 2007.
- G. Mishra, M. Tripathy, "A critical review of the treatment for decolorization of textile effluent" *Colourage* 40, 35–38, 1993.
- Pagga U.M. and K. Taeger, "Development of a Method for Adsorption of Dyestuffs on Activated Sludge". *Water Resource Research*. 28: 1051-1057, 1994.
- Robinson T., G. Mullan, R. Marchant and P. Nigam, "Remediation of Dyes in Textiles Effluent: A Critical Review on Current Treatment Technologies with a Proposed Alternative". *Journal of Bio resource Technology*. 77: 247-255, 2001.
- Walsh-Reitz M.M. and F.G. Toback, Phenol Red Inhibits Growth of Renal Epithelial Cells. *American Journal of Physiology Renal Physiology*. 262: F687-F691, 1992.
- Chung K., G.E. Fulk and A.W. Andrews, "Mutagenicity Testing of Some Commonly Used Dyes", *Applied Environmental Microbiology* 42: 641- 648. 1981.
- Baylor S.M. and S. Hollingworth, "Absorbance signals from resting frog skeletal fibres" *The Journal of General Physiology*. 96: 449-471, 1990.
- S.Karthikeyan , P.Sivakumar and P.N.Palanisamy Department of Chemistry, "Activated Carbons from Agricultural Wastes and their Characterization " net Vol. 5, No., pp. 409-426, April 2008
- Arockiaraj I and Renuga V "Sorption kinetics and dynamic studies of basic dye by lowcost nanoporous activated carbon derived from Ipomoea Carnea stem waste by sulphate process" *Frontiers in Nanoscience and Nanotechnology* 2016.
- Mittal A., D. Kaur, A. Malviya, J. Mittal and V.K. Gupta, "Adsorption Studies on the Removal of Coloring Agent Phenol Red from Wastewater Using Waste Materials as Adsorbents" *Journal of Colloid and Interface Science*. 337: 345-354, 2009.
- Lekene Ngouateu R. B., Kouoh Sone P M. A., Ndi Nsami J., Kouotou D., Belibi Belibi P. D., Ketcha Mbadiem J. "Kinetics and equilibrium studies of the adsorption of phenol and methylene blue onto cola nut shell based activated carbon" *Int J Cur Res Rev | Vol 7 Issue 9 May 2015rocess*" *Frontiers in Nanoscience and Nanotechnology* 2016
- N.A. Oladoja, I.O. Asia, "Studies on the sorption of basic dye by rubber (*Hevea brasiliensis*) seed Shell". *Turkish J. Eng. Env. Sci.*, 32, 143-152, 2008.
- Y.C. Sharma, B. Singh, Uma, "Fast removal of malachite green by adsorption on rice husk activated carbon", *The Open Environment Pollution and Toxicology Journal*, 1, 74-78, 2009.

# A Study On Awareness And Perception Of Integrated Child Development Service (ICDS) Supervisors In Southern Rajasthan

Kusum Sukhwani \* Dr. Usha Kothari \*\*

**Abstract** - The ICDS program was launched on 2<sup>nd</sup> October, 1975, the 106<sup>th</sup> birth anniversary of Mahatma Gandhi, the Father of Nation. The supervisor assumes a pivotal role in the ICDS scheme due to her crucial link between AWWs and CDPO and officials of allied department in the implementation of the program. The objective of this paper is to find out the extent of the awareness of ICDS Supervisors regarding selected terminologies of ICDS scheme and to investigate the clarity of the ICDS Supervisors perception about ICDS Scheme. A purposive sample (n = 124) of ICDS supervisors were selected in Southern Rajasthan. There are six districts as Udaipur, Rajsamand, Chittorgarh, Banswara, Dungarpur, Pratapgarh in Udaipur Division. To collect data used researcher developed awareness and perception interview. The data reveal that 52.4% Supervisors were post graduate. Majority of Supervisors (77.4%) were trained. 38.7% Supervisors job duration were 10-20 years. 77.4% Supervisors awareness score was 21-25 which were good and majority of Supervisors (57.6%) perception level was good, they agreed all perception statements of ICDS scheme. The correlation coefficient between awareness and perception was 0.335, it indicates moderate positive linear relationship between awareness and perception of ICDS Supervisors.

**Keywords** - ICDS Supervisors; Awareness; Perception;

**Introduction** - Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme launched on 2<sup>nd</sup> October 1975, today, ICDS Scheme represents one of the world's largest and most unique programs for early childhood development. ICDS is the foremost symbol of India's commitment to her children—India's response to the challenge of providing pre-school education on one hand and breaking the vicious cycle of malnutrition, morbidity, reduced learning capacity and mortality.

**Target Group of ICDS Scheme** - The target group of ICDS Scheme consist of children from 0 to 6 years of age, pregnant and nursing others as well as other women between 15-45 years of age. These groups are termed as vulnerable groups, because the nutritional requirements are increased and lack of adequate nutritional diet adversely affects the whole life. The program also aims at disseminating health and nutrition education among the age group of 15 to 45 years of women.

**Objectives of ICDS Scheme** - The objectives of ICDS as stated in the manual on ICDS (1984) are as follows:-

1. To improve the nutritional and health status of children in the age group of 0 to 6 years.
2. To lay the foundation for proper psychological, physical and social development of children.

3. To reduce the incidence of mortality, morbidity malnutrition and school drop outs.
4. To enhance the ability of mothers to provide proper care of their children, especially their health and nutritional needs.
5. To achieve effective co-ordination among various departments providing developmental services to children.

**ICDS Team, Their Role & Job Responsibilities** - A CDPO is an overall in charge of an ICDS Project and is responsible for planning and implementation of the project; A CDPO is supported by a team of 4-5 Supervisors who guide and supervise AWWs; In charge ICDS projects, where there are more than 150 AWCs in a project, an ACDPO is also a part of a team; A supervisor has the responsibility of supervising 20, 25 and 17 Anganwadi Workers in rural, Urban and tribal Projects respectively; A supervisor guides an AWW in planning and organizing delivery of ICDS services at AWC and also gives on the spot guidance and training as and when required; An AWW is a community based frontline voluntary worker, selected from within the local community. The selected is made by a committee at the Project level; An AWW is mainly responsible for effective delivery of ICDS Services to children and women in the

\*Research Scholar, Home Science (Development Communication and Extension) and , Jai Naraian Vyas University, Jodhpur (Raj.) INDIA

\*\* Professor, Human Development, Department of Home Science, Jai Naraian Vyas University, Jodhpur (Raj.) INDIA

community; An AWW is an honorary worker who gets a monthly honorarium; At each AWC, a helper is appointed to assist an AWW; Helper is an honorary worker and is paid monthly honorarium.

Health Services in ICDS are given by a team of Health Functionaries comprising Medical Officer, Lady Health Officer, ANM ad Female Health Worker from Primary Health Centre and Sub-Centre in the project. At the community level ASHA will be the first port of call for any health related demands of deprived sections of the population, especially women and children.

**Job Description of Supervisor** - The job responsibilities of Supervisor in ICDS project are: The supervisor plans the tour program of AWCs under her control in consultation with concerned AWW. She supervises the working of AWW through regular field visits and checks the correctness of enlisted beneficiaries for different services, ensures proper delivery of these services. Visits each AWC every month in rural and urban projects and is expected to tour for twenty days in a month with ten nights holds outside her headquarters. She reviews every month the progress of the ICDS program in the area under her charge and discusses and resolves operational problems. She helps the AWWs in developing family contacts, making home visits, conducting village meetings etc. She periodically checks all the records, registers, cash in hand and accounts, stock and material at each AWC, gives necessary instructions and suggestions to AWWs in this regard and ensures regular submission of monthly reports by AWW. She generally assists the CDPO in various tasks of project administration and implementation. She guides the AWW in the formation and functioning of village level committees, SHGs and Mahila Mandals establishing close linkages with primary schools.

**Role and Responsibility of Supervisors** - The role of 'Supervisors/Mukhya Sevika' is viewed as intensive supervisory inputs to strengthen the working at the grass root level i. e., Anganwadi workers level. The Supervisor is a graduate in Child Development/ Social Work/ Home Science/Nutrition or an allied field and undergoes job-course training for 3 months after her recruitment as Supervisor. She acts as a mentor to AWWs, assists in record keeping. Organizes community visits and provides on-the-job training to AWWs. In other words, she is the person who guides the AWWs right from the selection of beneficiaries to the provision of services meant for them. The supervisor is also a via-media person bringing about the AWWs, CDPOs and officials of allied departments close together for the implementation of the program. Thus, the Supervisor is the crucial functionary of the ICDS project, whose success rests to a large extent on her ability and capability to perform the roles and responsibilities assigned to her effectively.

Keeping in view the critical role the ICDS Supervisor has to play, the job responsibilities have been clearly outlined by National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD, 1992) and they are identified in 8 different areas viz., Administration, Supervision, Training

and Continuing education to subordinates, helping CDPOs and AWWs, Service delivery, liaison and linkages, communication and evaluation.

#### Objectives of this study :

1. To study the background profile with special reference to their professional qualification, Training and length of service of ICDS supervisors.
2. To find out the extent of the awareness of ICDS Supervisors regarding selected terminologies of ICDS scheme.
3. To investigate the clarity of the ICDS Supervisors perception about ICDS Scheme.

#### Methodology

**Selection of Subjects:** 124 ICDS supervisors in southern Rajasthan were targeted for sampling. From each district, each block 50% ICDS supervisors was enrolled in this study.

| S. | District    | Selected Block | Block  |
|----|-------------|----------------|--|
| 1  | Udaipur     | 7              | Badgaw, Bhinder, Khairwara, Kotda, Mavli, Sarada, Udaipur City |
| 2  | Chittorgarh | 6              | Begu, Rashmi, Bhadesar, Gangarar, Kapasan, Nimbahera,          |
| 3  | Rajsamand   | 4              | Amet, Khamnor, Relmagra, Rajsamand Rural                       |
| 4  | Banswara    | 5              | Banswara City, Ghatol, Talwada, Garhi, Chotisarwan             |
| 5  | Dungarpur   | 4              | Aspur, Bichiwada, Gamri Ahara, Dungarpur                       |
| 6  | Pratapgarh  | 3              | Pratapgarh, Devgarh, Dhariyawad                                |

**Background Information:** A structured, pre-coded interview schedule was developed to obtain the desire information regarding general profile, educational, training status and job duration of the subjects. Two factors of this study was awareness and perception tool developed by researcher and authorized. Perception factors use the five point rating scale was SA (Strongly Agree), A (Agree), N (Neutral), SD (Strongly Disagree) and DA (Disagree).

**Statistical analysis:** the data were tabulated and statistically analyzed.

#### RESULT AND DISCUSSION

**Table 1: General Profile of the Subjects**

| Variables      | ICDS Supervisor (n=124) |            |
|----------------|-------------------------|------------|
| Age            | 20-30 Year              | 19 (15.3)  |
|                | 30-40 Years             | 22 (17.7)  |
|                | 40-50 Years             | 40 (32.3)  |
|                | 50-60 Years             | 43 (34.7)  |
| Religion       | Hindu                   | 120 (96.8) |
|                | Muslim                  | 4 (3.2)    |
| Marital Status | Married                 | 99 (79.8)  |
|                | Unmarried               | 12 (9.7)   |
|                | Widowed                 | 11 (8.9)   |
|                | Divorced                | 2 (1.6)    |

\*Figure in parentheses denote percentage

Table 1 shows that Mostly of ICDS Supervisors (34%) age was 50-60 of. WCD (Women and Child Development) Department recruits only female for this post. Majority of Supervisor's religion was Hindu (96.8%) and almost Supervisors were married (79.8%).

Table 2: Educational Profile of the Subjects

| Variables       | ICDS Supervisor (n=124) |
|-----------------|-------------------------|
| Secondary       | 8 (6.5)                 |
| Sr. Secondary   | 20 (16.1)               |
| Graduation      | 31 (25.0)               |
| Post Graduation | 65 (52.4)               |
| Others          | 0 (0.0)                 |

\*Figure in parentheses denote percentage

As seen in Table 2 most of supervisors were educated up to Post Graduation (52.4%) and college level graduates (25%). The fact is that the ICDS recruit that employs that are qualified and able for these posts, whenever supervisors' qualification were only college graduates. There are some supervisors qualified only 10<sup>th</sup> and 12<sup>th</sup> standards they have promotion for this post so they achieve this opportunity.

Fig. 1 Percentage of Educational Status of ICDS Supervisors




Table 3: Training Status of the Subjects

| Variables | ICDS Supervisor (n=124) |
|-----------|-------------------------|
| Trained   | 96 (77.4)               |
| Untrained | 28 (22.6)               |

\*Figure in parentheses denote percentage

Table 3 indicates that 77.4% Supervisors were trained. They had training like on campus training, off campus training, refresher training and on job training. The supervisors were untrained because they just are newly recruited and their training time table was not confirmed.

Table 4: Job Duration of the Subjects

| Variables   | ICDS Supervisor (n=124) |
|-------------|-------------------------|
| >1 Year     | 31 (25.0)               |
| 1-10 Years  | 6 (4.8)                 |
| 10-20 Years | 48 (38.7)               |
| 20-30 Years | 33 (26.6)               |
| <30 Years   | 6 (4.8)                 |

\*Figure in parentheses denote percentage

Table 4 depicts the job durations of the subjects. This table shows that 38.7% of supervisor's job duration was 10-20 years. 26.6% Supervisors job duration was 20-30 years. Only 4.8% Supervisors were above 30 years job duration. Fig. 2 Job Duration's Percentage of the Subjects





Table 5: Awareness Score of Subjects

| Score Category | ICDS Supervisor (n=124) |
|----------------|-------------------------|
| <=15           | 7(5.7)                  |
| 16-20          | 10(8.1)                 |
| 21-25          | 96(77.4)                |
| >25            | 11(8.9)                 |

\*Figure in parentheses denote percentage

In this table 77.4% Supervisors awareness score was 21-25 categories which were good. It reveals that ICDS Supervisors were well known about the ICDS Scheme, ICDS Objectives, 6 basic Services, Records Maintains and functioning of ICDS Scheme. It includes ICDS six basic services for awareness like Supplementary Nutrition, Non-Formal Preschool Education & Growth Monitoring, Immunization, Health Check-up, Referral Services and Nutrition and Health Education.

Fig. 3 Percentage of Awareness Score of Respondents



**Table 6 (See in last page)**

Table 6 depicts that 51.6% of ICDS Supervisors were agree and accept that they clearly know the career path in ICDS. Majority of Supervisors (82.3%) were agreed with engages in activities will directly affect their performance evaluation. Not a single Supervisors were strongly disagree with engage in activities will directly affect their performance evaluation. 50.8% Supervisors were agreed that they like their job. 66.9% Supervisors strongly agreed that they were actively looking for a job outside this project. The main reason was dissatisfy of promotion policies, salary increment, and over work load on ICDS Supervisors such as more than 25 AWC under their supervision, lack of office facility and so on. 54.8% Supervisors were agreed that they are extremely glad that they have an opportunity to work in this project because they were happy do work for children and our nation to reduce child mortality rate, pregnant and lactating women's mortality rate. 51.6% Supervisors were agreed in found opportunities for advancement in the ICDS because they want to do their best performance in their job and satisfy for their job so they want to something special in their job. Supervisors (62.9%) were agreed that they were willing to put in a great deal of effort beyond that normally expected in order to help the ICDS be successful. 63.7% ICDS Supervisors were agree with accept almost any type of job assignment in order to keep working for this project. Most of the Supervisors (69.4%) were agreed that ICDS really inspires the way of job performance. 53.2% Supervisors were agreed that if they leave this job their life was gone as it is because in job they have spent your valuable time with their family and after leaving the job they also spent their time with their family and happy for their life. 44.4% supervisors were agreed that they had board with their and 29.0% Supervisors were strongly agreed that they had board with their job. most of the Supervisors (55.6%) were agrees with that after a day's work, if they really feel like they have accomplished something. 67.7% Supervisors agreed that recruitment and selection process/system is accurate in ICDS and 8.1% Supervisors were strongly agreed the recruitment process is accurate. 60.5% Supervisors were agreed that they have sufficient leaves and benefits but 12.1 % Supervisors were strongly disagreed that they don't have sufficient leaves because they had extra Anganwadies under the supervision and it was compulsory that in one month supervise every Anganwadi Centre at list one time in one month so they don't got leaves and other benefits. 78.2% Supervisors were agreed and 16.1% Supervisors were strongly agreed that the existing monitoring system was goo, our head of department was good like CDPOs (Block Head) for Supervisors. 76.6% Supervisors were agreed that they feel more confident and better equipped to act as a leader and handle conflicting situations. 68.5% ICDS Supervisors were well known about promotion polices of ICDS Scheme. ICDS Scheme share their promotion polices to all employs so they can do their work according to polices.


**Table 7: Aggregate Job Perception of Subjects**

| Response          | ICDS Supervisors<br>124*18=2232 |
|-------------------|---------------------------------|
| Strongly Disagree | 106(4.7)                        |
| Disagree          | 191(8.6)                        |
| Neutral           | 232(10.4)                       |
| Agree             | 1285(57.6)                      |
| Strongly Agree    | 418(18.7)                       |

\*Figure in parentheses denote percentage

This table depicts that majority of Supervisor's (57.6%) perception level was good. Only 8.6% Supervisors job perception were poor and they disagree with perception's statements like their carrier in ICDS, opportunity for advancement in ICDS, they had sufficient leaves, they enjoyed their working hours and work done with team and so on.

Fig. 4 Percentage of Perception Score of Subjects

**Table 8: Correlation between Awareness and Perception of ICDS Supervisors**

| Variables                | Pearson's Correlation coefficient (p-value) |
|--------------------------|---|
| Awareness and Perception | 0.335 (0.000)**                             |

\*\*Correlation is significant at the 0.01 level (2 tailed)

Correlations between awareness and perception was 0.335 indicate that there are moderate positive correlate both aspect. Supervisor's awareness level was high than perception level also high, if Supervisors perception level was high than automatically their awareness level was high.

**Conclusion** - The correlation of Awareness and Perception of ICDS Supervisors were moderately positive. Awareness score of the Supervisors was high so that perception level was also good. Supervisor's awareness level was based on six basic services of ICDS Scheme. Supervisor's main work was supervision of Anganwadi Centers which were under their charges. The need of this study is to check the awareness and perception level of the Supervisors in the right manner. ICDS supervisors were aware and their perception regarding ICDS program also positive and the program will achieve their objectives. Hence this study will help to improve the working of ICDS supervisors.

#### References :-

1. Awareness. Retrieved from [www.en.wikipedia.org/wiki/Awareness](http://www.en.wikipedia.org/wiki/Awareness)
2. Friday, 16 September 2011, Role & Responsibility of

- Supervisors & ICDS functionaries. Retrieved on 18 July 2014 from <http://www.aticdsa.blogspot.in/2011/09/role-and-responsibility-of-supervisors.html>
3. Gupta, P. and Maheswari, S. (1985). A study of the concept of ICDS as held by supervisors and Anganwadi Workers. Research on ICDS: An overview (1986-1995). (Vol. 2). New Delhi.
  4. Govt. of India. 2010. ICDS Evaluation Report, Dept. of Women and Child Development. Ministry of Human resources \ Development, New Delhi.
  5. [http://en.wikipedia.org/wiki/Motivation#cite\\_ref-Pritchard2008\\_15-0](http://en.wikipedia.org/wiki/Motivation#cite_ref-Pritchard2008_15-0)
  6. Manhas S. and Dogra A. (2017). Awareness among anganwadi workers and the prospect of Child Health and Nutrition: A study in Integrated Child Development Services (ICDS) Jammu, Jammu and Kashmir, India. Published online: 17<sup>th</sup> October 2017. Pages 171-175.
  7. <https://doi.org/10.1080/09720073.2012.11891235>
  8. visited on 27<sup>th</sup> Feb 2016
  9. Perception. Retrieved from [www.education-portal.com/academy/lesson/what-is-perception-in-psychology-definition-theory-quiz.html#lesson](http://www.education-portal.com/academy/lesson/what-is-perception-in-psychology-definition-theory-quiz.html#lesson).
  10. Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Main\\_Page](http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page)
  11. World Health Organization <http://www.whoindia.org/en/index.htm>
  12. [www.wcd.gov.in](http://www.wcd.gov.in)

**Table 6: Perception of ICDS Supervisors**

| S. | Statement  | S D      | D        | N        | A         | S A      |
|----|--|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 1  | I clearly know the possible career path for me in ICDS.  | 18(14.5) | 13(10.5) | 15(12.1) | 64(51.6)  | 14(11.3) |
| 2  | Engages in activities that will directly affect my performance evaluation.   | -        | 5(4.0)   | 7(5.6)   | 102(82.3) | 10(8.1)  |
| 3  | My job is secure and I like my job.  | 5(4.0)   | 12(9.7)  | 13(10.5) | 63(50.8)  | 31(25.0) |
| 4  | I am actively looking for a job outside this project.  | 13(10.5) | 13(10.5) | -        | 15(12.1)  | 83(66.9) |
| 5  | I am extremely glad that I have an opportunity to work in this Project.  | 5(4)     | 17(13.7) | 25(20.2) | 68(54.8)  | 9(7.3)   |
| 6  | I find opportunities for advancement in the ICDS.  | 6(4.8)   | 30(24.2) | 17(13.7) | 64(51.6)  | 7(5.6)   |
| 7  | I am willing to put in a great deal of effort beyond that normally expected in order to help the ICDS be successful. | -        | 7(5.6)   | 15(12.1) | 78(62.9)  | 24(19.4) |
| 8  | I would accept almost any type of job assignment in order to keep working for this project.                          | 2(1.6)   | -        | 13(10.5) | 79(63.7)  | 30(24.2) |
| 9  | ICDS really inspires the very best in me in the way of job performance.  | -        | 9(7.3)   | 9(7.3)   | 86(69.4)  | 20(16.1) |
| 10 | It would take very little change in my present circumstances to cause me to leave this job.                          | -        | 10(8.1)  | 26(21.0) | 66(53.2)  | 22(17.7) |
| 11 | I am often bored with my job.  | 10(8.1)  | 8(6.5)   | 15(12.1) | 55(44.4)  | 36(29.0) |
| 12 | After a day's work. I really feel like I have accomplished something.  | 10(8.1)  | 21(16.9) | 13(10.5) | 69(55.6)  | 11(8.9)  |
| 13 | Feeling that your job tends to interfere with your family life.  | 16(12.9) | 18(14.5) | 14(11.3) | 40(32.3)  | 36(29)   |
| 14 | I feel the recruitment and selection process /system is accurate   | 6(4.8)   | 8(6.5)   | 16(12.9) | 84(67.7)  | 10(8.1)  |
| 15 | I have sufficient leaves and other benefits.   | 15(12.1) | 12(9.7)  | 16(12.9) | 75(60.5)  | 6(4.8)   |
| 16 | I feel the existing monitoring system is good.   | -        | -        | 7(5.6)   | 97(78.2)  | 20(16.1) |
| 17 | I feel more confident and better equipped to act as a leader and handle conflicting situations.                      | -        | 3(2.4)   | 6(4.8)   | 95(76.6)  | 20(16.1) |
| 18 | In ICDS, promotion policies are known and widely shared with Employees   | -        | 5(4)     | 5(4)     | 85(68.5)  | 29(23.4) |

\*Figure in parentheses denote percentage

\*\*\*\*\*

## मध्यप्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन व उत्पादकता का एक अध्ययन

डॉ. भेरुलाल चौरडिया \*

**प्रस्तावना** – मध्यप्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 308 लाख हैक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश 7.2 करोड़ की कुल जनसंख्या के साथ देश का छठा बड़ा राज्य है जिसकी 72 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है। मध्यप्रदेश में जंगल, खनिज, नदियाँ और घाटिया, 11 तरह के कृषि-जलवायु जोन, पाँच तरह के फसली जोन और जमीन का विविधतापूर्ण उपयोग मिट्टी के विभिन्न प्रकार, वर्षा व जल संसाधन भी हैं, जिनका फैलाव 51 जिलों में है।

मध्यप्रदेश की खाद्यान्न फसल मौसम पर आधारित है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र अग्रणी है और राज्य की ग्रामीण जनसंख्या (72 प्रतिशत) को रोजगार और आजीविका उपलब्ध कराने वाला यह अकेला क्षेत्र भी हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, राज्य के कुल कामगारों का 69.8 प्रतिशत और ग्रामीण कामगारों का 85.6 प्रतिशत आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसमें 31.2 प्रतिशत किसान और 38.6 प्रतिशत कृषि मजदूर शामिल हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 24.4 प्रतिशत है और इसीलिए राज्य की खासकर खाद्यान्न उत्पादन व उत्पादकता को गति देने के लिए इस क्षेत्र की लगातार सकारात्मक विकास दर बहुत महत्वपूर्ण हैं। मध्यप्रदेश में कृषि और इसकी सहायक सेवाओं ने बीते वर्षों में समग्र रूप से तेजी से आगे कढ़ाए है, जिससे इस क्षेत्र का प्रभावी विकास हुआ है। इसने 2011-12 और 2012-13 में सर्वाधिक ऊँची वृद्धि दर के साथ उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। इसने राज्य सरकार के सामने कृषि की मौजूदा विकास दर को बरकरार रखने और आगे वाले वर्षों में इसे लाभकारी और स्थिरतामूलक व्यवसाय बनाने की अहम चुनौती भी खड़ी हो गई है। वह भी इस बात को ध्यान में रखते हुए सुनिष्ठित करना कि राज्य की गरीब दो-तिहाई जनसंख्या कृषि व इसके सहायक क्षेत्रों से जुड़ी है ताकि इस क्षेत्र में आय और रोजगार की संभावनाओं का यथासंभव पूर्ण तरीके से प्रोत्साहन किया जा सके। राज्य में पिछले चार वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन लगभग दो गुना हो गया है। वर्ष 2012-13 में कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 11 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य से है। मध्यप्रदेश में कृषि उत्पादन व उत्पादकता में लगातार हो रही गति से यह उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद 7 प्रतिशत की भागीदारी के साथ देश में सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक हैं।

**अध्ययन के उद्देश्य :-**

अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैं-

1. कृषि विकास के अंतर्गत खाद्यान्न क्षेत्रफल का अध्ययन करना।
  2. कृषि के अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन व उत्पादकता का अध्ययन करना।
- मध्यप्रदेश में खाद्यान्न का क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता** – मध्यप्रदेश में खाद्यान्न का क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है –

### तालिका क्र. 1.1

मध्यप्रदेश में खाद्यान्न का क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता

| वर्ष    | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पादकता |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 2007-08 | 12120     | 12890   | 1064      |
| 2008-09 | 12271     | 14759   | 1203      |
| 2009-10 | 12739     | 16471   | 1293      |
| 2010-11 | 13254     | 16645   | 1248      |
| 2011-12 | 13497     | 23027   | 1706      |
| 2012-13 | 14234     | 27784   | 1952      |

स्रोत:- कृषि विभाग मध्यप्रदेश शासन।

**नोट :-** क्षेत्रफल हजार हैक्टेयर में, उत्पादन हजार टन और उत्पादकता कि.ग्रा./हैक्टेयर में।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2007-08 में खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल 12,120 हजार हैक्टेयर था। इसका उत्पादन 12,890 हजार टन था तथा इसकी उत्पादकता 1064 कि.ग्रा./हैक्टेयर थी। जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर 14,233 हजार हैक्टेयर, उत्पादन बढ़कर 27,784 हजार टन हो गया तथा इसकी उत्पादकता भी बढ़कर 1952 कि.ग्रा./हैक्टेयर हो गयी।

अतः स्पष्ट होता है कि खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता में वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक वृद्धि परिलक्षित हुई है।

**निष्कर्ष** – निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि हुई है। परन्तु वर्तमान प्रतियोगी युग में हमें खाद्यान्न उत्पादन व उत्पादकता में आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि को तकनीकी रूप देना अन्यंत आवश्यक है। तभी देश की सम्पूर्ण जनता की आवश्यकता को पुरा कर सकेंगे। हमें उन सारे उपायों जो खाद्यान्न फसलों के उत्पादन व उत्पादकता को नई दिशा प्रदान करते हैं को अपनाना होगा व इन उपायों को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए एक विस्तृत कृषि योजना की आवश्यकता है।

अतः खाद्यान्न उत्पादन के द्वारा ही हम इस विशाल जनसंख्या का भरण-पोषण कर सकते हैं तथा देश को समृद्ध बना सकते हैं।

\* अतिथि विद्वान् (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, कालापीपल, जिला-शाजापुर (म.प्र.) भारत

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. मिश्र एस. के. एवं पुरी वी. के. (2014) 'भारतीय अर्थव्यवस्था', हिमालया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली पृ.क्र. 364।
2. तदैव-पृ.क्र. 361।
3. दत्त रुद्र एवं सुनदरम के.पी.एम. (2014) 'भारतीय अर्थव्यवस्था', एस. चन्द्र एण्ड लिमिटेड नई दिल्ली पृ.क्र. 496।
4. मिश्र जय प्रकाश (2009) 'कृषि अर्थशास्त्र', साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ.क्र. 295।
5. मध्यप्रदेश कृषि आर्थिक सर्वेक्षण (2014) योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, (म.प्र.) पृ.क्र. 07।
6. तदैव-पृ.क्र. 13।
7. मितल एस.जी. (2009) 'कृषि अर्थव्यवस्था एवं सहकारिता', कुमार पब्लिकेशन, आगरा पृ.क्र. 259।
8. नागर विष्णु दत्त एवं मेहता वल्लभदास (2010) 'भारतीय अर्थव्यवस्था', म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, शोपाल, पृ.क्र. 398।

\*\*\*\*\*

## साइबर आतंकवाद एक चुनौती

डॉ. अन्या कुमार जैन \*

**प्रस्तावना** – साइबर सुरक्षा इन दिनों चर्चाओं और खबरों में है। इससे जुड़ी दो महत्वपूर्ण घटनाएं पिछले दिनों घटीं-चीन के मिलिट्री हैकरों ने पश्चिमी देशों की सरकारों की कम्प्यूटर प्रणाली पर हमला बोला और अमेरिकी एयर फोर्स ने साइबर स्पेस कमान नाम के संगठन का गठन किया।

इसे संयोग ही कहा जायेगा कि दोनों घटनाएं एक ही समय हुई, लेकिन इनसे इक्कीसवीं सदी में साइबर प्रणाली से जुड़े खतरों की वास्तविकता और भयावहता का अनुमान लगाया जा सकता है। आज रोजमर्रा की कार्यप्रणाली में साइबर स्पेस का दायरा उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। सरकारें, प्रशासन, शिक्षा, संचार और सूचना के विस्तार में इसका बढ़-चढ़कर इस्तेमाल कर रही हैं। वर्ही दूसरी ओर आतंकवादी समूह साइबर तकनीक का उपयोग अपने प्रचार, विभिन्न गुटों के साथ समन्वय तथा अर्थ प्रबंधन के लिए कर रहे हैं।

साइबर तकनीक का इस तरह दुरुपयोग देखते हुए अब विशेषज्ञ भी खासे चिंतित हैं। आज कम्प्यूटर का उपयोग करने वाला हर व्यक्ति कम्प्यूटर वायरस के हमले के बारे में जानता है। जब यह खतरा बड़े पैमाने पर हो तो इसकी भयावहता और दुष्परिणाम के बारे में सहजता से समझा जा सकता है।

आज रेलवे, एयरलाइंस, बैंक, स्टॉक मार्केट, हॉस्पिटल के अलावा सामान्य जनजीवन से जुड़ी हुई सभी सेवाएं कम्प्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ी हैं, इनमें से तो कई पूरी तरह से इंटरनेट पर ही आश्रित हैं, यदि इनके नेटवर्क के साथ छेड़-छाड़ की गयी, तो क्या परिणाम हो सकते हैं यह बयान करने की नहीं अपितु समझाने की बात है।

अब तो सैन्य-प्रतिष्ठानों का काम-काज और प्रशासन भी कम्प्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ चुका है। जाहिर है कि यह क्षेत्र भी साइबर आतंक से अद्युता नहीं बचा है। इसीलिए सूचना तकनीक के विशेषज्ञ साइबर सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं।

साइबर स्पेस एक ऐसा क्षेत्र है जहां बिना किसी खून-खराबे के किसी भी देश की सरकार को आंतकित किया जा सकता है। साइबर के जरिए आतंक फैलाने वाले, कम्प्यूटर से महत्वपूर्ण जानकारियां निकाल सकते हैं तथा इसका इस्तेमाल धमकी देने व सेवाओं को बाधित करने में कर सकते हैं। अभी सामान्य तौर पर साइबर अपराध के जो छोटे-मोटे अपराध सामने आते हैं, वह प्रायरूप युवा या विद्यार्थी वर्ग द्वारा महज मजा लेने या खुराफात करने के होते हैं, लेकिन यदि इन्हीं तौर-तरीकों का उपयोग व्यापक पैमाने पर आतंकवादी समूह करने लगें तो भारी मुश्किलें खड़ी हो जायेंगी।

यह सही है कि साइबर से जुड़ी अभी तक कोई बड़ी आतंकवादी घटनाएं

प्रकाश में नहीं आई हैं, पर इसका यह मतलब कर्तव्य नहीं कि आने वाले दिनों के एक साधारण से मामले से लगा सकते हैं। 1998 में एक बारह वर्षीय बालक ने अमेरिका के अरिजोना स्थित थियोडोर रूजवेल्ट डैम की कम्प्यूटर प्रणाली को हैक कर उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।

इस प्रणाली के जरिए बाढ़ नियंत्रण के बांध के गेट का संचालन किया जाता था। अब यदि वह हैकर चाहता तो कभी भी बांध के गेट खोल सकता था और इससे कितनी बड़ी आबादी में तबाही मच सकती थी बताने की जरूरत नहीं।

आज इस बात की पुछता खुफिया खबरें हैं कि अलकायदा जैसे कई खतरनाक आतंकवादी संगठन साइबर स्पेस के जरिए दुनिया भर में आतंक फैलाने की फिराक में हैं। ऑन-लाइन से जुड़े आतंकवाद के खतरों को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल विलंबन ने 1996 में ही भांप लिया था और उन्होंने तभी इस चुनौती से निबटने के लिए क्रिटिकल इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्यान कमीशन का गठन किया था।

साइबर स्पेस में आतंकवादी की घुसपैठ का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भविष्य में होने वाले युद्धों और संघर्षों में यह एक भयावह वास्तविकता के रूप में उभरकर सामने आ सकता है। साइबर आतंकवादी नई संचार तकनीक के औजारों और तौर-तरीकों का इस्तेमाल करके नेटवर्क को तहस-नहस कर सकते हैं, हैकिंग के साथ ही कम्प्यूटरों को बड़े पैमाने पर वायरस से संक्रमित कर सकते हैं, ऑनलाइन नेटवर्क सेवाओं को बाधित कर सकते हैं।

यही नहीं वे सरकारों व प्रतिष्ठानों के महत्वपूर्ण ई-मेल पर भी ढखल दे सकते हैं। कोई कम्प्यूटर हैकर आतंकवादियों के साथ मिलकर साइबर से जुड़ी किसी भी खतरनाक घटना को अंजाम दे सकता है। आज जब यह सच दुनिया के सामने आ ही गया है कि आतंकवाद के खूनी खेल में पढ़े-लिखे विषय विशेषज्ञ, आईटी और मेडिकल के होनहार युवक भी शामिल हो चुके हैं, तो ऐसे में इनकी प्रतिभा का इस्तेमाल नागरिक और सैन्य क्षेत्र के साइबर नेटवर्क को भेदने में सहजता से किया जा सकता है।

### संदर्भ बांध सूची :-

1. डैनिक समाचार पत्र
2. इंडिया टूडे
3. साईबर क्राईम पत्रिका
4. इन्टरनेट

## सार्वजनिक पुरकालय व समाज में उनकी भूमिका

डॉ. संतोष कापसे \*

**प्रस्तावना** – सार्वजनिक पुरकालय से अभिप्राय जन तांत्रिक भावना से उत्पन्न होकर समाज में इसी भावना का प्रचार कर जनमानस के शैक्षणिक तथा बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाना है। जब यह कहा जाता है कि सार्वजनिक पुरकालय जनता के लिए, जनता द्वारा तथा जनता का ही होता है तो यह एक प्रजातांत्रिक सोच को जन्म देता है। इतिहास साक्षी है कि पुरकाल जैसी पवित्र वस्तु भी सदियों तक केवल राजा-महाराजाओं के घरों में शोभा की वस्तु भर बन कर रह गई थी। भारत में सदियों से बहुसंख्यक वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा गया था। जिसका सीधा अर्थ है कि यह वर्ग पुरकाल को जनता ही नहीं होगा। लेकिन जब शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए तो रघुविक तौर पर पुरकाल के शाही जेल से मुक्त हुई और जनता के बीच आ गई। मुक्ति प्राप्त होना और जनता के बीच आ गई है। मुक्ति प्राप्त होना और जनता के बीच में होना ही तो प्रजातांत्र का मूलमंत्र है। इसलिए सार्वजनिक पुरकालय प्रजातांत्र को मजबूत करने का प्रभावी साधन है।

**भारत के संदर्भ में सार्वजनिक पुरकालय** – पुरकालय विज्ञान के जनक डॉ. एस.आर.रंगनाथन ने सार्वजनिक पुरकालय को समाज के संस्कारों का एक हिस्सा भी कहा है। उनका मानना था कि जीवन के लिए यदि भौतिक पदार्थ हवा, पानी महत्वपूर्ण हैं तो बौद्धिक उत्पादन और वितरण के लिए पुरकालयों का होना बहुत जरूरी है। एक अन्य विद्वान् ने तो पुरकालय की सामाजिक भूमिका को रेखांकित करते हुए यहां तक कहा कि सार्वजनिक पुरकालय एक जन विश्वविद्यालय होता है। समाज में पुरकालय का होना और वह भी निः शुल्क होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रत्येक घर में कभी भी प्रत्येक व्यक्ति की कमाई से घर नहीं चलता। कोई न कोई व्यक्ति घर पर ही रहता है। ऐसे लोगों को केवल टीवी के सहारे ही छोड़ दिया जाना चाहिए या कोई वैकल्पिक साधन भी मनोरंजन कर सकता है। सार्वजनिक पुरकालय मनोरंजन के वैकल्पिक साधन का भी कार्य बखूबी कर रहे हैं।

**अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रयास** – सार्वजनिक पुरकालयों की आवश्यकता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश के प्रत्येक राष्ट्र में भी महसूस की गई। इसी के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, समाज एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के घोषणा पत्र में भी सार्वजनिक पुरकालय के महत्व को परिभाषित किया गया है।

‘यूनेस्को ने अपने मेनीफेस्टो फार पब्लिक लाइब्रेरी- 1949 में सार्वजनिक पुरकालय की निम्न आवश्यक शर्तें बताई हैं’

1. सार्वजनिक पुरकालय एक निश्चित अधिनियम से ही स्थापित हो।
2. इनका संचालन पूरी तरह जनसहयोग व जनता के धन से हो।
3. इसकी सेवाओं के लिए कोई भी शुल्क सीधे तौर पर न लिया जाये।

4. ये पुरकालय पूरी तरह से निः शुल्क व समान रूप से जनसाधारण को सेवा प्रदान करें।

**यू.एस.ए. की सीनेट का घोषणा पत्र** – सीनेट समिति (1949-50) जिसे विलियम एर्वार्ड समिति भी कहा जाता है, का गठन अमेरिकी संसद द्वारा किया गया था। इसका गठन संसद ने सार्वजनिक पुरकालयों के विकास के पर सुझाव देने के लिए किया था। इसी समिति के सुझावों पर अमल करते हुए विश्व का प्रथम सार्वजनिक पुरकालय अधिनियम बना।

इससे भी स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक पुरकालयों का कितना महत्व है। बाद में केन्योन समिति (1924-27) ने तब तक पारित व संशोधित अधिनियमों का अध्ययन कर सार्वजनिक पुरकालयों को स्थापित करने की सिफारिश की।

**अखिल भारतीय पुरकालय सम्मेलन घोषणा पत्र** – अखिल भारतीय पुरकालय सम्मेलन (1937) में सार्वजनिक पुरकालयों के प्रशासनिक संगठन पर पहली बार भारत में विचार हुआ। जिसमें राज्य सरकारों को सार्वजनिक पुरकालय की अलग से व्यवस्था करने हेतु सिफारिश की गई। बाद में फैजी समिति (1939) का गठन बंबई के सार्वजनिक पुरकालयों पर विचार करने के लिए किया गया। इसकी महत्वपूर्ण सिफारिश एक केन्द्रिय तीन खंडीय तथा प्रत्येक जिले में सार्वजनिक पुरकालय की स्थापना करने की थी।

**मेकाल्विन समिति- 1942** – मेकाल्विन समिति (1942) ने सार्वजनिक पुरकालय सेवाओं की अव्यवस्था व ढोष पर अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिश पेश की। इसने जनता के पक्ष में उदासीन, क्षेत्रीय जनता पर प्रभाव डालने में असमर्थ रहे, क्षेत्रीय अध्ययन पर जनसंख्या के हिसाब से अक्षमता व सहयोग का अभाव रहा। आदि कारणों को अव्यवस्था के कारण बचाएं गए तथा सार्वजनिक पुरकालयों के सही तरह के मार्गदर्शन के लिए अलग से विभाग बनाने का सुझाव दिया।

**अखिल भारतीय पुरकालय सम्मेलन घोषणा-पत्र** – अखिल भारतीय पुरकालय सम्मेलन (1944) – यह सम्मेलन राजस्थान की राजधानी जयपुर में सम्पन्न हुआ था। इस सम्मेलन में प्रभावी सार्वजनिक पुरकालय सेवा की स्थापना पर विचार किया गया। इसमें पुरकालयों के सफल संचालन के लिए अलग से विभाग की स्थापना की सिफारिश की गई। बाद में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) जिसे डॉ. राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। उसने पुरकालयों के समग्र उपयोग के लिए ओपन प्रवेश प्रणाली की सिफारिश की ताकि पुरकालयों का उपयोग बढ़ाया जा सकें।

**डॉ. एस. आर. रंगनाथन** – डॉ. एस.आर.रंगनाथन ने भारत के लिए ‘राष्ट्रीय

\* शासकीय महाविद्यालय, बुदनी, जिला सीहोर (म.प्र.) भारत

पुस्तकालय तंत्र' योजना प्रस्तुत की। 1946 में भारत में पुस्तकालय पुर्नःनिर्माण तथा 1948 में सार्वजनिक पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए कर्मचारी फार्मूला दिया। डॉ. रंगनाथन ने भारत के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों में विकास के लिए एक तीन वर्षीय योजना बनाई। जिसमें प्रत्येक जिले व ग्राम में पुस्तकालयों की स्थापना की व्यवस्था करने की बात कही गई थी। यूनेस्को ने 1965 में 'सेमिनार ऑन पब्लिक लाइब्रेरी फॉर एशिया' में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास विषय पर विचार किया। उस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में सार्वजनिक पुस्तकालयों का गठन व सुचारू संचालन पर जोर दिया। इस संगोष्ठी में भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की द्यनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त कर इनके सुधार पर बल दिया गया।

**भारतीय पुस्तकालय संघ कांफ्रेंस -** आई.एल.ए.कांफ्रेस-1980 में 'लाइब्रेरी सर्विसेस फॉर ए डेवलपिंग सोसायटी' विषय पर विचार विमर्श किया गया तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए पुस्तकालय अधिनियम पास करने पर जोर दिया गया। 1981 में सार्वजनिक पुस्तकालयों की प्रशासनिक समर्थनों पर एक राज्य स्तरीय सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया। जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालयों में मानव संसाधनों की स्थिति पर विचार करते हुए इसके लिए एक फार्मूला बनाने तथा सार्वजनिक पुस्तकालय कर्मचारियों के पदों के स्तर में वृद्धि का सुझाव दिया गया।

#### **सार्वजनिक पुस्तकालय परिभाषा :**

1. डॉ. रंगनाथन के शब्दों में :- 'सार्वजनिक पुस्तकालय समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चलाया जाने वाला ऐसा संस्थान है जो समाज के प्रत्येक सदस्य को जीवन भर अध्ययन करने का सरल तरीका ढूँढते हैं।'
2. मैकाल्विन के अनुसार:- 'सार्वजनिक पुस्तकालय वह है जिसके द्वारा क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी व्यक्तियों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध हो तथा जिसके पास व्यक्तियों एवं जनसमुदायों के विभिन्न

आवश्यकताओं को यथासंभव पूर्ण करने के लिए विशाल ग्रंथों का संग्रह हो। जिसे वे प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी धार्मिक, राजनैतिक एवं अन्य किसी भेदभाव के निःशुल्क सेवा उपलब्ध करा सकें।'

3. यूनेस्को के अनुसार :- 'सार्वजनिक पुस्तकालय वह है जो समाज या किसी क्षेत्र की जनता को उचित तथा निःशुल्क सेवा प्रदान करता है। वह सामान्य या विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों जैसे बच्चों, सेनाओं के सदस्यों, विकित्सालय के रोगियों, जेल में कैदियों, कारखानों के श्रमिकों आदि को भी सेवा प्रदान करते हैं।'

**निष्कर्ष -** विभिन्न प्रकार से सार्वजनिक पुस्तकालयों के अवलोकन व परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन पुस्तकालयों के विकास के लिए न सिर्फ भारत सरकार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी प्रयास हुए हैं। जिनके कारण इन पुस्तकालय ने अब आधुनिक रूप धारण करना शुरू कर दिया है। ये सार्वजनिक पुस्तकालय शिक्षा में वैकल्पिक स्रोत तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन इनकी भूमिका को कम करके भी नहीं आंका जा सकता है। वर्तींकि ये स्कूली शिक्षा व महाविद्यालय की शिक्षा पूर्ण होने के बाबजूद व्यक्ति भी शिक्षा, सूचना आवश्यकता को निरंतर पूरा करते हैं। वह भी पाठक की सुविधानुसारा यह व्यक्ति के अंतकाल तक उसका मार्गदर्शन करते हैं।

#### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. कुल श्रेष्ठ, अजय, सार्वजनिक पुस्तकालय प्रशासन, शब्द महिमा प्रकाशन, जयपुर, 1995 पृष्ठ 10
2. सरसेना एल.एस. पुस्तकालय संगठन तथा व्यवस्थापन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल 1988 पृष्ठ 26
3. त्रिपाठी, एस.एम. आधुनिक वाइमयात्मक नियंत्रण, वाय.के. पब्लिशर्स, आगरा-1992, पृष्ठ 108-109



## पारिवारिक बजट : एक अवलोकन

डॉ. एकता गांगिल \*

**प्रस्तावना** – किसी भी संस्था व संगठन में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए आवश्यक हो जाता है कि उनकी आय कैसी है। इसी तरह यहाँ भी महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के पारिवारिक बजट का उल्लेख किया जा रहा है।

**पारिवारिक बजट** – पारिवारिक बजट से आशय किसी परिवार के आय व व्यय से है। जिसमें कुछ विद्वानों के विचार निम्नानुसार है :-

**एरिस्टोडिम्स के अनुसार** – ‘धन आदमी को बनाता है।’ धन व्यक्ति के ही नहीं परिवार के सुख और संतोष का भी एक मुख्य आधार है, पर धन से परिवार को अधिकतम संतुष्टि तभी मिल सकती है। जब उसका समुचित व्यवस्थापन हो। पारिवारिक बजट इस व्यवस्थापन का प्रथम चरण है। यह पारिवारिक धन का समुचित आयोजन है। बजट को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि यह पारिवारिक आय और व्यय की एक निश्चित अवधि के लिए योजना है।

**ग्रॉस एवं ब्रैंडल के अनुसार** – ‘यह भविष्य में होने वाले व्ययों का आयोजन ही।’ जिसमें आय और व्यय दोनों का विशेषकर व्यय का पूरा वर्णन होता है। व्यय की योजना चूँकि भविष्य के लिए बनाई जाती है। अतः वह अनुमानित होती है। पर यह अनुमान पूर्व जानकारी व अनुभव के आधार पर लगाएं जाते हैं।

अतः बजट की मद्दों में अधिक फेरबदल की संभावना कम ही रहती है। इस तरह पारिवारिक बजट से हमें किसी परिवार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है।<sup>1</sup>

**अनुमान** – बजट बनाने से पहले अनुमान लगाया जाता है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बजट किस तरह बनाया जाये, जो कि निम्नानुसार है :-

**प्रथम** – परिवार एकाकी है या संयुक्त परिवार है। उसमें सदस्यों की संख्या। **द्वितीय** – बजट की पारिवारिक आय की जानकारी इससे परिवार के कमाने योग्य सदस्यों का पता चलने के साथ ही यह भी पता चल जाता है कि परिवार समृद्ध है या नहीं।

**तृतीय** – बजट अवधि का ज्ञान-इसमें प्रतिमाह बजट बनाने की अवधि सुविधाजनक होती है।

**चतुर्थ** – परिवार के सदस्यों द्वारा किन मद्दों पर कितना व्यय किया जाता है। इसमें उसके जीवन स्तर का पता चलता है।

**पंचम** – प्रत्येक परिवार आर्थिक सुरक्षा के लिए व संकट काल के लिए बजट की व्यवस्था करता है। बजट कितनी होती है। कुछ परिवार जहाँ पर आय कम है, बचत नहीं हो पाती है। कभी-कभी ऋण भी लेना पड़ता है।<sup>2</sup>

इस तरह उपरोक्त सभी जानकारी बजट के पूर्वानुमान से लग जाती है।

### बजट बनाते वक्त ध्यान रखने योग्य बातेः

1. व्यय किसी भी प्रकार आय से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. व्यय हेतु सर्वाधिक आवश्यक वस्तुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
3. बजट इस प्रकार बनाना चाहिए कि व्यय कम से कम हो।
4. धन को उपयोगी बनाने का प्रयास होना चाहिए।
5. एक निश्चित मात्रा में धन की बचत करनी चाहिए।

पारिवारिक बजट किसी परिवार की आर्थिक दशा का ढर्पण होता है। इसलिए गृहस्वामियों के अलावा अर्थशास्त्रियों, राजनितिज्ञों, समाज सुधारकों और सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है।

### परिवार के बजट को प्रभावित करने वाले तत्वः

(अ) **आय** – व्यय वस्तुतः आय के अनुसार ही होता है। प्रथम तो आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। जैसे – भोजन, वस्त्र व आवास। कम आय वर्ग की अधिकांश आय इन मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में ही समाप्त हो जाती है।

(ब) **परिवार का आकार** – बड़े परिवारों में भोजन व वस्त्रों पर अधिक व्यय होता है। अतः जब तक आय अधिक न हो एक अच्छा जीवन स्तर बनाए रखना संभव हो जाता है। इसी प्रकार एकाकी परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में आय अधिक होती है और व्यय कम।

(स) **परिवार का स्वरूप** – आय इस बात पर भी निर्भर करती है कि कमाने वाले कितने हैं। यदि पति-पत्नी दोनों कमाते हैं तो एक अच्छा जीवन स्तर बनाए रखना संभव हो जाता है। इसी प्रकार एकाकी परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में आय अधिक होती है और व्यय कम।

(द) **परिवार का निवास स्थान** – छोटे शहरों में रहने वाले परिवारों का व्यय बड़े शहरों रहने वाले परिवारों से अपेक्षाकृत कम होता है। जबकि बड़े शहरों में आवास आवागमन बच्चों की शिक्षा, मनोरंजन आदि पर व्यय बढ़ जाता है। इसी तरह गांव में व्यय और भी कम हो जाता है।

(इ) **सामाजिक तथा धार्मिक परम्पराएँ** – ऐसी परंपराओं के निर्वाह हेतु अधिकांश परिवारों को व्यय करना होता है। भारतीय समाज अपेक्षाकृत अधिक परम्परावादी है। यहाँ ऐसे उत्सवों जैसे – गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, विवाह आदि पर काफी व्यय होता है।

### पारिवारिक बजट बनाने की चरणः

(क) **आयोजन** – इसके अंतर्गत परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की सूची तैयार करना जिसमें भोजन, कपड़े, आवास, शिक्षा, आवागमन आदि में बजट को विभाजित किया जा सकता है। इसी तरह सूची में सम्मिलित वस्तुओं की कीमत क्या है। गृहणी को इसका अनुमान लगा लेना चाहिए।

(ख) **नियंत्रण** – व्यय का आयोजन कर लेने के बाद परिवार का यह देख लेना चाहिए कि उसका कार्यान्वयन सफलता से होगा या नहीं इसके

\* अतिथि विद्वान् (अर्थशास्त्र) शासकीय संजय गांधी स्मृति स्नाताकोत्तर महाविद्यालय, गंजबसौदा, जिला विदिशा (म.प्र.) भारत

लिए व्यय पर नियंत्रण करना जरुरी हो जाता है। बजट की अवधि के दौरान बीच-बीच में निरीक्षण करते रहना भी व्यय को नियंत्रित करने में सहायक होता है।

(ग) **हिसाब रखना** – बजट की अवधि के दौरान व्यय का नियंत्रण रखने की सबसे अच्छी विधि है। हिसाब रखना कई लोग इसे नापसंद करते हैं। चूँकि यह कष्ट साध्य है परन्तु इसके बिना समुचित नियंत्रण संभव नहीं है। हिसाब तीन प्रकार से उपयोगी है।

- (i) धन कैसे व्यय हो रहा है। इसकी जानकारी मिल जाती है।
- (ii) एक माह के कुल व्यय के पिछले माह के व्यय से तुलना की जा सकती है।

(iii) बजट को संतुलित रखा जा सकता है। तथा बचत की संभावनाएं खोजी जा सकती है।

**निष्कर्ष** –पारिवारिक बजट निर्माण को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपर की गई विभिन्न विधियों व चरणों तथा प्रक्रियाओं को अपनाकर हम एक आदश पारिवारिक बजट का निर्माण कर सकते हैं। जिसमें परिवार के सदस्यों की सुविधाओं व असुविधाओं को मद्देनजर एक अच्छा संतुलित बजट का निर्माण कर सकते हैं।

#### **संदर्भ ग्रन्थ सूची :-**

1. पारिवारिक संसाधन प्रबंध – 2009 पृ. 18
2. पारिवारिक संसाधन प्रबंध – 2009 पृ. 94



# Infrastructure Development and Changes of Betterment: Study of People's opinion of Bhopal City

**Geetu Chaudhary \*** **Dr. Mahipal Singh Yadav \*\***

**Abstract** - A strong infrastructure set up not only leads to economic growth but also promotes development, creating amenities and providing intangible benefits. The objective of this study is to measure the opinion of people of Bhopal city on infrastructure development bringing about changes of betterment through a sample study of 200 households.

**Keywords** - Changes of betterment, economic growth, infrastructure development.

**Introduction** - The benefits of improvement in infrastructure not only create amenities in physical environment but also provide outputs which are valued in their own right. The positive effect of creating infrastructure is reducing costs and increasing the real income and consumption of households, raising their productivity, and giving them free time for higher value activities (Christine Kessides, 1993). (Looney and Frederiksen, 1981; Aschauer 1989; Queiroz and Gautam, 1992; Gramlich, 1994) expressed that infrastructure does contribute towards the growth of output, income and employment of the concerned economy and ultimately to the quality of life of the people. Aschauer (1998) found that public infrastructure underpinned the quality of life as better roads reduced the accidents and improved public safety. The water systems reduced the level of diseases, and waste management improved health and aesthetics of the environment.

(Grundey, 2008; Burinskienė and Rudzkiene, 2009) distinguished the development of infrastructure as one of the most important dimensions in strategic planning to assure sustainable territorial and socio-economic development of a country. De, Prabir (1998) explicitly mentioned that the maintenance and managing of high growth through investment in infrastructure sector was the first priority of the Indian government. The provision of quality and efficient infrastructure services was essential to realize the full potential of the growth impulses that could be surged in the economy by stepping up public investment in infrastructure and by actively encouraging and involving private sector to meet the growing demand.

Development economists (Rosenstein Rodan, 1943; Lewis.1955; A.O. Hirschman, 1958; Myrdal, 1958 and Hansen, 1965) advocated a large comprehensive programme of minimum amount of investment in social and economic overhead capital because of its huge potential for improving the quality of life and its large scale impact on the aggregate economy with the indivisibilities and

external economies flowing from it. The investment in social overhead capital permitted and invited directly productive activities to come in as they comprised of such basic services without which primary, secondary and tertiary productive activities could not function.

Aschauer (1989) through his work put across that public expenditure was most productive, and the slowdown of the U.S productivity was related to the decrease in public infrastructure investment. Bristow and Nellthorp (2000) stressed three main impacts of infrastructure with its visible effect on environment; direct impact on welfare by time and cost savings, increasing safety, information network development and economics through employment and economic growth.

Goel (2002) found that an adequate quantity; quality and reliability of infrastructure were important preconditions for overall economic growth. Prakash (2005) emphasized that infrastructure constitutes the wheels of development and plays a key role in the society by representing a broad spectrum of activities and services without which no activity could be undertaken in the economy and AshisNandy (2012) in his perspectives mentioned that the idea of happiness has changed and is now a measurable, autonomous, manageable, psychological variable in the global middle class culture. Human development report (2013) explicitly states that subjective indicators appropriately measured and carefully used can be valuable supplements to objective data to inform policy, particularly at the national level. Fayers and Machin (2000) work underlined quality of life as a multi-dimensional construct where it was impractical to assess all the concepts simultaneously in an instrument. Single-Item questions on these aspects of QOL were likely to be ambiguous and unreliable. Therefore, multi-item measurement scales for each concept could be developed. Baldwin, Godfrey and Propper (1990) in their work accepted quality of life as an ambiguous term. On one hand, it being a quality of an individual's life, reflecting how well his life

\*Research Scholar, UTD, RPEG, Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA

\*\* Professor, Institute for Excellence in Higher Education, Bhopal (M.P.) INDIA

was going on and on the other, a broad concept capturing roughly the quality of the living conditions around an individual, where these can be picked out independent of how well the individual's own life goes. These living conditions may encompass the environment and culture in a given society. The empirical evidence in Patra and Acharya (2011) study revealed that acceleration in the field of infrastructure facilities would create more infrastructure facilities at the state level to raise the state domestic product and reduce the level of poverty.

**1.1 Objective of Study** - To measure the opinion of people of Bhopal city on infrastructure development bringing about changes of betterment

**1.2 Research Hypothesis** - Opinion of city and outgrowth households differs significantly on Infrastructure development bringing about changes of betterment

**1.3 Method** - Data: The study uses quantitative approach based on primary data collected through a self-designed questionnaire.

**Sample** : A random sample of 200 respondents ('Respondent' being the 'Bread Earner' of the Family) has been drawn from 126 localities of Bhopal city and from the outgrowth parts of the city with 125 respondents from within the city and 75 from outgrowth areas of Bhopal.

Scale: Likert scale was used to measure the opinion of the households with a rating taken on a 4 point scale marking Fully-4; To a Great Extent-3; Somewhat-2; Little Bit-1.

Area was taken on nominal scale; qualification on ordinal; Household size, Monthly Income, and Age were taken on ratio scale.

**Procedure** : for the primary study, prior to conducting of the main study a pilot survey was undertaken by taking a sample of 85 respondents 60 from city and 25 from outgrowth households. Principal component analysis was performed on the items to measure the adequacy and reliability. The value of KMO came out to be high (Field, 2009) along with a Cronbach Alpha of more than 0.8.

**Table : 1 - Reliability Analysis**

|                                   |                    |  |
|-----------------------------------|--------------------|--|
|                                   |                    | Infrastructure development and changes of betterment     |
| KMO Measure of Sampling Adequacy. |                    | .788   |
| Bartlett's Test of Sphericity     | Approx. Chi-Square | 676.500<br>df (66)<br>Sig. (.000)<br>Number of Items(12) |
| Cronbach's Alpha                  |                    | .884   |

**1.4 Descriptive & Inferential Analysis** - (Agenor and Dodson, 2006 through their study established that infrastructure services were crucial for health and education quality and availability as it affected welfare. (Snieska and Draksaite, 2007; Martinkus and Lukasevicius, 2008) identified that economic competitiveness of a country was determined by a set of different factors, and indicators

of infrastructure were one of them. Infrastructure services and physical infrastructure were factors that influenced investment environment on the local level and increased its attractiveness.

To measure the opinion of the city and out growth households on infrastructure development bringing changes of betterment in Bhopal, a descriptive and inferential analysis was done by taking a response of 125 city households and 75 outgrowth households on twelve variables using four point likert scale marking Fully-4; To a Great Extent-3; Somewhat-2; Little Bit-1.

Q: Do you think Infrastructure development will bring following changes of betterment?

**Table : 2 - Variables measuring Changes of Betterment**

| Variables                           | Variables                  |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Income Earning                      | Reduce drop-out            |
| Open up new areas of earning income | Reduce crime rate          |
| Create Employment opportunities     | Lead to Career Advancement |
| More participation of people        | Reduce time of commuting   |
| More enrollment in schools          | Better health care         |
| More enrollment of girls to school  | Better Integration         |

**Table : 3 (See in last page)**

The descriptive analysis of the data presented in Table 4 showed a high mean score for better health care and better Integration for city and outgrowth households. A low mean score was noticed for reduction in crime rate and dropout rate for city households and opening up of new areas of earning income and reduction in crime rate for the outgrowth households.

**Table : 4 - Descriptive Statistics of Households**

| Variable                            | City Households |        | Out Growth Households |        |
|-------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|--------|
|                                     | Mean            | Std. D | Mean                  | Std. D |
| Income Earning                      | 3.02            | .874   | 3.15                  | .671   |
| Open up new areas of earning income | 3.05            | .905   | 2.87                  | .859   |
| Create Employment opportunities     | 3.14            | .810   | 2.99                  | .687   |
| More participation of people        | 3.11            | .644   | 3.31                  | .544   |
| More enrolment in schools           | 3.20            | .630   | 3.28                  | .534   |
| More enrolment of girls to school   | 3.23            | .633   | 3.17                  | .601   |
| Reduce drop-out                     | 2.85            | .877   | 3.18                  | .600   |
| Reduce crime rate                   | 2.82            | 1.01   | 2.93                  | .741   |
| Lead to Career Advancement          | 2.99            | .808   | 3.16                  | .735   |
| Reduce time of commuting            | 3.23            | .742   | 3.44                  | .499   |
| Better health care                  | 3.34            | .673   | 3.48                  | .502   |
| Better Integration                  | 3.27            | .766   | 3.52                  | .502   |

**1.4.1 for Households** - The correlational matrix of city and outgrowth households taken together showed a significant and high correlation of .802 between employment

opportunities and opening up of new areas of earning income; of .797 between more enrolment in schools and more enrolment of girls in school; of .711 between more enrolment of girls to school and reduction in drop out and a significant relation between health care and better integration of .842 was noticed. But as depicted from Table 5a low degree of significant relationship of .015 between income earning and leading to career advancement; of 0.16 between income earning and reduction in crime and of 0.169 between opening up of new areas of earning income and reduction in crime was read from the calculations. Thus, the correlational values for creating employment opportunities and opening up new areas; more enrolment in schools and of girls to schools and better health and integration were found to be high and significant for both city and outgrowth households.

**Table: 5 (see in last page)**

**1.4.2 for City and Outgrowth Households** - The correlational analysis shown in the correlation matrix Table 6 for the city households revealed a significant and positive relationship of 0.771 between opening up of new areas of earning income and employment opportunities getting created; more participation of people and more enrolments in schools with a significant value of 0.702; of .779 between more enrolment in schools and more enrolment of girls in school and a positive and significant relation between health care and better integration of .818.

Whereas, the correlation matrix (Table 7) of outgrowth households showed a significant correlational value of .851 between Income earning and opening up of new areas; of .866 between opening up of new areas and employment opportunities getting created; of .857 between more enrolment in schools and more enrolment of girls in school; of .886 between more enrolment of girls to school and reduction in drop out; of .748 between more enrolment in schools and reduction in drop out; of 0.761 between reduce time of commuting and health care and a significant relation of .923 between health care and better integration.

A low and significant correlation value for the city households was noticed between opening up of new areas of earning income, creation of employment opportunities and income earnings, whereas, it was high and significant for the outgrowth households. It was also found that the correlation value was high and significant for outgrowth households for more enrollments in schools, more enrollments of girls in schools and reduced dropouts than for city households.

**Table : 6 (see in last page)**

**Table: 7 (see in last page)**

To assess whether infrastructure development brought about changes of betterment the significance of difference in the opinion of city and outgrowth households was measured by the use of t test.

Opinion of city households and outgrowth households differs significantly on Infrastructure development bringing about changes of betterment

**Table : 8 - t-test result of Infrastructure bringing betterment**

| <b>Descriptive Statistics</b> |     |       |        |                 |  |
|-------------------------------|-----|-------|--------|-----------------|--|
| Area                          | N   | Mean  | Std. D | Std. Error Mean |  |
| Out growth                    | 75  | 38.35 | 4.74   | .54772          |  |
| Households                    |     |       |        |                 |  |
| City Households               | 125 | 36.70 | 7.37   | .65923          |  |

|                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |         |                 |
|-----------------------------|---|------|------------------------------|---------|-----------------|
|                             | F                                       | Sig. | t                            | df      | Sig. (2-tailed) |
| Equal variances assumed     | 2.094                                   | .149 | 1.727                        | 198     | .086            |
| Equal variances not assumed |   |      | 1.917                        | 196.989 | .057            |

the t-test value in table 18 indicates no significant difference of .057 for two-tail ( $t= 1.91$ ,  $df[196.98]$ ,  $p > .05$ ). Opinion of city households and outgrowth households did not differ significantly on infrastructure development bringing changes of betterment.

**Conclusion** - Infrastructure is one of the instruments to improve development of a region and infrastructure policy is a conditional policy for regional development to create necessary conditions for achievement of regional development goals (Nijkamp, 1986). Jean Dreze and Amartya Sen (2013) in their work on 'Uncertain Glory- India and its Contradictions' mention the failure of generated public revenues from economic growth getting used in a determined and planned way to expand social and physical infrastructure, thereby, limiting the societal reach to economic progress.

A survey carried out by a private agency at the behest of MP State Planning Commission paints an extremely sorry picture of the government run schools in the state with 86 per cent schools having no water supply in toilets, 14 per cent with no toilets at all, 14 per cent schools having no drinking water and 80 per cent schools having no regular power supply and Madhya Pradesh Human Development Report (2007) puts basic road connectivity to a school and minimum facilities like separate toilets for boys and girls in school buildings as the crucial determinants for the enrolment and attendance of girl children.

Pasha and Hasan (1996) in their paper stated social sector variables (education, health, knowledge) to be critical for long sustainable growth to generate positive externalities. Samli (2011) the social structure make the populace somewhat happier by making them feel free in relation to their movement, choices for living, for shopping, and for conducting business. An access to shopping, entertainment, health care, work, sports, culture and education and to transportation are the key consumer accesses. An industrial development that concentrates on highly value added output of goods and services, highly skilled work force, and higher income for citizens without a

proper infrastructure cannot materialize. Therefore, the quality of life must be considered first and foremost with its enhancement a part of the action plan. The UN Global Survey of 2013 lists i) Good education, ii) Better job opportunities, iii) Better health care, iv) Clean water & sanitation, and v) Affordable, nutritious food as the top five priorities for the Indians.

The initiatives taken by Madhya Pradesh government in the past years for improving the quality of education and health services has been with the objective of providing better quality of life to people at large. The speedy development, transformational progress and good governance require an improvement in infrastructure and strengthening of the delivery of public services with a realization that inclusive policies and programmes at the local governance makes a difference at the macro level.

#### References :-

1. Agenor, P. R., & Moreno-Dodson, B. (2006). "Public infrastructure and growth: new channels and policy implications". The World Bank Policy Research Working Paper 4064.
2. Aschauer, D.A. (1989). "Is public expenditure productive?". *Journal of Monetary Economics*. 23, 177-200.
3. Aschauer, D.A. (1998). "Public capital and economic growth: issues of quantity, finance and efficiency". Working Paper No. 233.
4. Baldwin, S., Godfrey, C., and Propper, C (1994). "Quality of life perspectives and policies". Routledge, New York. ISBN: 0-203-42292-9 Master e-book ISBN.
5. Bristow, A. L., & Nellthorp, J. (2000). "Transport project appraisal in the European Union". *Journal of the World Conference on Transport Research Society* (1).
6. Burinskiene, M., & Rudzkiene, V. (2009). "Future insights, scenarios and expert method application in sustainable territorial planning". *Technological and Economic Development of Economy* (1).
7. Dreze, Jean & Sen, Amartya (2013). "An uncertain glory-India and its contradictions". Penguin Books India Pvt Ltd. New Delhi.
8. Fayers, Peter M & Machin, D. (2000). "Quality of life: assessment, analysis and interpretation". John Wiley & Sons, Ltd, U.K. ISBN: 0-470-84628-3(Electronic).
9. Ghosh, Buddhadeb, & De, Prabir (1998). "Role of infrastructure in regional development: A study over the plan period". *Economic and Political Weekly*. Vol. 33, No. 47/48, pp.3039-3048.
10. Goel, D. (2002). "Impact of infrastructure on productivity: Case of Indian registered manufacturing". Working Paper No. 106, Centre for Development Economics, Delhi School of Economics. New Delhi.
11. Gramlich, E.M., (1994). "Infrastructure investment: A review essay". *Journal of Economic Literature*, Vol 32, No 3.
12. Grundey, D. (2008). "Managing sustainable tourism in Lithuania: Dream or reality?". *Technological and Economic Development of Economy*, 14(2), 118-129.
13. Hansen, N. M. (1965). "Unbalanced growth and regional development". *Western Economic Journal* 4.
14. Hirschman, A. O. (1958). "The strategy of economic development". New Haven: Yale University Press.
15. Kessides, Christine (1993). "The Contributions of Infrastructure to Economic Development: A Review of Experience and Policy Implications". World Bank Discussion Papers; 213 as viewed on 09/11/15 ISBN 0"8213"2628"7.
16. Lewis, W. Arthur (1955). "The Theory of Economic Growth". Allen Unwin, London.
17. Looney.R and P. Frederickson (1981). "The Regional Impact of Infrastructure Investment in Mexico". *Regional Studies*, Vol 15, No 4.
18. Martinkus, B., & Lukasevicius, K. (2008). "Investment environment of Lithuanian resorts: Researching national and local factors in the Palanga case". *Transformations in Business & Economics*, 7(2), 67-83.
19. Myrdal, G. (1958). "Economic theory and underdeveloped regions". Bombay: Vora & Co.
20. Nandy, Ashis.(2012). "The Idea of Happiness". *Economic and Political weekly*, Vol XLVII No 2, pp.45- 48.
21. Nijkamp,P.(1986). "Infrastructure and Regional development: A multidimensional policy analysis", *Empirical Economics* (1), 1-21.
22. Pasha, A., Hafiz., Hasan, A., Ghaus, Aisha & Rashad, A. (1996). "Integrated social sector macro econometric model for Pakistan". *The Pakistan Development Review* 35: 4 part II pp.567-579.
23. Patra, Aditya Kumar & Acharya, A. (2011). "Regional disparity, infrastructure development and economic growth: An inter-state analysis". *Research and Practice in Social Sciences* Vol. 6, No. 2 (February 2011) pp. 17-30.
24. Prakash, H. (2005). "Urban infrastructure- A glimpse". *Southern Economist*, Vol. 44, 26-30.
25. Querioz, C and S, Gautama. (1992). "Road infrastructure and economic development: Some diagnostics indicators". *Policy Research Working Paper 921*, World Bank.
26. Rosenstein-Rodan, Paul.N. (1943). "Problems of Industrialisation of Eastern and South Eastern Europe". *Economic Journal* 53 (June), pp. 202-211.
27. Samli, A. Coskun (2011). "Infrastructuring: The key to achieving economic growth, productivity, and quality of life". Springer, New York. DOI 10.1007/978-1-4419-7521-8.
28. Snieska, V., & Draksaite, A. (2007). "The role of knowledge process outsourcing in creating national competitiveness in global economy". *Inzinerine Ekonomimka-Engineering Economics* (3), 35-41.

**Table : 3 - Demographic Profile of City and Outgrowth Households**

| Feature                             | Age             |       |       |       | Age                  |       |       |       |
|-------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|
|                                     | City Households |       |       |       | Outgrowth Households |       |       |       |
|                                     | 20-30           | 31-41 | 42-52 | 53-63 | 20-30                | 31-41 | 42-52 | 53-63 |
| <b>Qualification</b>                |                 |       |       |       |                      |       |       |       |
| 5 <sup>th</sup> Pass & Less Than    | -               | 6     | 6     | -     | 8                    | 20    | 15    | 3     |
| 6-9 Pass                            | 3               | -     | 3     | -     | 6                    | -     | 3     | -     |
| 10 & Above                          | 6               | 19    | 57    | 25    | 15                   | 3     | 2     | -     |
| <b>Household Size</b>               |                 |       |       |       |                      |       |       |       |
| 5 Members & Less                    | 6               | 17    | 50    | 22    | 20                   | 15    | 6     | -     |
| More Than 5 Members                 | 3               | 8     | 16    | 3     | 9                    | 8     | 14    | 3     |
| <b>Monthly Income (In Rs)</b>       |                 |       |       |       |                      |       |       |       |
| 10,000 & Less                       | 6               | 11    | 4     | -     | 23                   | 23    | 17    | 3     |
| More than 10,000 & less than 21,000 | 3               | 3     | 9     | -     | 3                    | -     | -     | -     |
| More than 21,000& less than 31,000  | -               | 3     | 2     | -     | 3                    | -     | -     | -     |
| More than 31,000& less than 41,000  | -               | 6     | 15    | 6     | -                    | -     | -     | -     |
| More than 41,000& less than 51,000  | -               | -     | 5     | 3     | -                    | -     | 3     | -     |
| More Than 51,000 & Above            | -               | 2     | 31    | 16    | -                    | -     | -     | -     |

- Sample of 200 Households( 125 City & 75 Outgrowth Households)

**Table: 5 - Correlation Matrix of Households**

| Variable                                | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| Income Earning (1)                      | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| Open up new areas of earning income (2) | .660** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| Create Employment opportunities (3)     | .507** | .802** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| More participation of people (4)        | .435** | .510** | .507** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |    |
| More enrolment in schools (5)           | .341** | .308** | .239** | .653** | 1      |        |        |        |        |        |        |    |
| More enrolment of girls to school (6)   | .330** | .369** | .319** | .532** | .797** | 1      |        |        |        |        |        |    |
| Reduce drop out (7)                     | .284** | .361** | .398** | .551** | .655** | .711** | 1      |        |        |        |        |    |
| Reduce crime rate (8)                   | .161*  | .169*  | .401** | .302** | .375** | .445** | .593** | 1      |        |        |        |    |
| Lead to Career Advancement (9)          | .151*  | .193** | .339** | .380** | .403** | .286** | .483** | .483** | 1      |        |        |    |
| Reduce time of commuting (10)           | .091   | -.032  | .085   | .319** | .440** | .353** | .392** | .380** | .619** | 1      |        |    |
| Better health care (11)                 | .238** | .261** | .289** | .396** | .354** | .428** | .429** | .468** | .421** | .604** | 1      |    |
| Better Integration (12)                 | .217** | .282** | .330** | .348** | .289** | .355** | .365** | .421** | .370** | .518** | .842** | 1  |

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). \*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Table : 6- Correlation Matrix of City Households**

| Variable                                | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| Income Earning (1)                      | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| Open up new areas of earning income (2) | .598** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| Create Employment opportunities (3)     | .460** | .771** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| More participation of people (4)        | .362** | .562** | .500** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |    |
| More enrolment in schools (5)           | .428** | .433** | .257** | .702** | 1      |        |        |        |        |        |        |    |
| More enrolment of girls to school (6)   | .421** | .539** | .370** | .592** | .779** | 1      |        |        |        |        |        |    |
| Reduce dropout (7)                      | .297** | .505** | .483** | .613** | .635** | .686** | 1      |        |        |        |        |    |
| Reduce crime rate (8)                   | .288** | .310** | .505** | .431** | .459** | .527** | .644** | 1      |        |        |        |    |
| Lead to Career Advancement (9)          | .263** | .299** | .335** | .409** | .446** | .335** | .545** | .434** | 1      |        |        |    |
| Reduce time of commuting (10)           | .129   | .031   | .092   | .323** | .384** | .247** | .289** | .335** | .676** | 1      |        |    |
| Better health care (11)                 | .301** | .409** | .322** | .402** | .276** | .343** | .346** | .446** | .405** | .549** | 1      |    |
| Better Integration (12)                 | .267** | .434** | .391** | .353** | .212*  | .275** | .270** | .417** | .304** | .456** | .818** | 1  |

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Table: 7Correlation Matrix of Out Growth Households**

| Variable                                | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| Income Earning (1)                      | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| Open up new areas of earning income (2) | .854** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| Create Employment opportunities (3)     | .677** | .866** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| More participation of people (4)        | .614** | .493** | .625** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |    |
| More enrolment in schools (5)           | .110   | .082   | .231*  | .537** | 1      |        |        |        |        |        |        |    |
| More enrolment of girls to school (6)   | .137   | .045   | .202   | .455** | .857** | 1      |        |        |        |        |        |    |
| Reduce dropout (7)                      | .235*  | .126   | .301** | .347** | .748** | .886** | 1      |        |        |        |        |    |
| Reduce crime rate (8)                   | -.224  | -.141  | .157   | -.049  | .150   | .269*  | .453** | 1      |        |        |        |    |
| Lead to Career Advancement (9)          | -.130  | .034   | .405** | .281*  | .297** | .211   | .317** | .614** | 1      |        |        |    |
| Reduce time of commuting (10)           | -.074  | -.145  | .135   | .242*  | .595** | .687** | .678** | .518** | .467** | 1      |        |    |
| Better health care (11)                 | .029   | -.038  | .253*  | .343** | .549** | .660** | .649** | .522** | .447** | .761** | 1      |    |
| Better Integration (12)                 | .011   | -.025  | .255*  | .298** | .507** | .636** | .625** | .420** | .539** | .690** | .923** | 1  |

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

# Swami Vivekananda's Concept of Human Nature

Akhilesh Mani Tripathi \*

**Abstract** - The composition of a moral civic society postulates moral men as its components. Swami Vivekananda propounds that this moral goodness of man is not the outcome of man's rational capability, but it is existent in the spiritual nature of man which ensures that they can go beyond the limits of animal soul characterized with 'me' and 'mine'. The 'self –abnegation', which is the supreme standard of morality, is the possession of spiritual man alone. This spiritual man, who has become the 'spirit beyond' by transcending the limits of time, space and causation, is the Real man- the source and basis of morality. This Real man is the 'Individual' because there is no individuality except in the 'Infinite'. The basic concept of 'individual', conceived in the Western thought of both Liberal and Marxist traditions is in fact the idea of 'Apparent Man' who does not believe in his existence beyond body and mind and, thus , fails to overcome his selfishness. Composition of a moral political society depends on transformation of Apparent Man into the Real Man.

**Key Words** - Real Man, Apparent Man, Self Abnegation, Spiritual self, Individuality, Infinite, Pure Self, philosopher King, General Will, Real Will, Actual Will ,Reason, Soul.

**Introduction** - Like all those political philosophers who have evolved their political philosophy by founding it on the discussion of human nature, swami Vivekananda has also depicted his concept of human nature as the basis of his political philosophy. Tradition of the discussion about the human nature goes back to the Greek political philosophers Plato and Aristotle who described the necessity and relevance of the political society in the light of the discussion of human nature. Plato said, 'State is individual writ large'. Aristotle sought to find a moral political society out of the moral man by distinction of being his rational creature. Machiavellie explained the typology of governments in the light of citizen's character, and the Social Contract thinkers reached the conclusion to support a particular type of political society on the basis of their analysis of human nature. The conclusion of their ideational travelogue resulted in their unanimous consent that human nature and political society is interconnected and aspirations for a moral political society postulates the existence of moral man. Swami Vivekananda had assured that achievement of this moral political society is not a myth, but a real idea, provided that human beings composing the society have realized their real existence – the spiritual nature – which alone makes them moral in true sense, while the Western thinkers trace man's morality in his rational character.

**Exposition** - Aristotle proved the supremacy of human beings, on account of their rational nature. He held that man is the best of all creatures, because he is a moral being, and this morality is present in man because he is by nature a rational being<sup>1</sup>. Aristotle proved the goodness of human beings in the light of their rational character.

Vivekananda goes a step ahead. He proves the goodness of man on the basis of his spiritual nature.

**Moral man is a spiritual man** - Each and every individual, notwithstanding their distinction of sex, caste, religion, race, and origin, is essentially good, because he is by nature a spiritual being, according to Vivekananda. He said, "Each soul is potentially divine"<sup>2</sup>. And with the manifestation of this potential divinity or spirituality, human beings become capable to exalt their character of morality. Until this spirituality in man gets manifested, he cannot attain a personality completely free from animality, i.e., the bruteness and beastness<sup>3</sup>. Therefore, according to Vivekananda, it is the manifestation of spirituality which ensures morality in practical life of human beings. The self-abnegation, which is the standard of morality, is reflected only when man has realized his 'spiritual self'. Vivekananda states, "when man has no more self in him, no possession, nothing to call "me" or "mine", has given up entirely, destroyed himself as it were in that man is God Himself, for in him self – will is gone, crushed out, annihilated. That is the ideal man"<sup>4</sup>.

Aristotle based the morality of man on his rationality; Rousseau proved it through the concept of 'General Will' of human beings;<sup>5</sup> and Vivekananda traced its source in the spiritual nature of man. While Rousseau proved the natural goodness of man in the light of his distinction between Actual Will and the 'Real Will',<sup>6</sup> Vivekananda expounded his conception of Ideal Man or good man in the light of his distinction between the 'Apparent Man' and the 'Real Man'.

**Real Man and apparent Man** - If we take Plato as an

\*Assistant Professor (Political Science) Government Autonomous P.G. College, Satna (M.P.) INDIA

exception, in the entire history of the Western political thought the explanation of human nature is confined to the concept of body and mind alone. In the Western political thought, man has been taken as a creature possessed with body and mind alone. This is what, in the Western thought, is conceived as the idea of an individual or real man. But according to Vivekananda, "The body is not the Real Man, neither is the mind, for the mind waxes and wanes" <sup>7</sup>. To Vivekananda, The Real Man is the "Spirit beyond", the spirit "not bound by time and space" <sup>8</sup>. "This is the reality in our souls"<sup>9</sup>. Vivekananda propounds that what the Western thought conceives of a real man or so-called individual is in fact the idea of 'Apparent Man', who is "limited by time, space and causation" <sup>10</sup>. Since "there is no individuality except in the Infinite", according to Vivekananda, the Western political thought provides a wrong conception of its real man or individual. The real individuality does not lie in maintaining an independent body and mind, as the Western political thinking upholds, but in transcending them, he argues. He states, "We are not individuals as yet. We are struggling towards individuality and that is the Infinite, that is the real nature of man" <sup>11</sup>. The apparent man, who is the individual of the West, "is merely a struggle to express, to manifest this individuality which is beyond." <sup>12</sup> He propounds that when this apparent man has realized his "Real Man", the Individual or the Spirit, then and then alone he becomes a true moral man. "Even he lives in the body and works incessantly, he works only to do good", says Vivekananda<sup>13</sup>. With the realization of his own Infinite Spirit alone man learns the secret of true love, which is the basis of morality. "Then alone a man loves when he finds that the object of his love is not a clod of earth, but it is the veritable God Himself"<sup>14</sup>. "That man will love his greatest enemy who knows that very enemy is God Himself"<sup>15</sup>. Thus, Vivekananda propounded that the real morality, the infallible goodness, is not the product of reason, as Aristotle thought, nor is it the product of the 'General Will', as Rousseau upheld, but is the expression of the Pure or Infinite spirit, which is called 'soul' in human beings. Reason cannot be the basis of morality, because reason is the product of mind which itself waxes and wanes. In the same way, 'free will', what Rousseau called as General Will, is 'mismiser'. "Will can never be free", because "it is only when the real man has become bound that his will comes into existence, and not before". <sup>16</sup>

In the Western political theory, human being has been presented exclusively as either good or bad. Thinkers like Aristotle and John Locke present man as exclusively moral being<sup>17</sup>. On the other hand, thinkers like Machiavelli and Hobbes hold man as exclusively selfish and immoral by nature<sup>18</sup>. To each party, man by nature is either moral or immoral.

**Spirituality and its manifestation** - According to Vivekananda, it is wrong to hold human beings exclusively good or bad. To him, "evil and good are both conditioned manifestations of soul"<sup>19</sup>. To him, "evil is the most external

coating, and good is the nearer coating of the real man, the Self. And unless a man cuts through the layers of evil he cannot reach the layer of good, and unless he has passed through both the layers of good and evil he cannot reach the Self" <sup>20</sup>. So long man lives in the relative world of good and evil, he cannot have the knowledge of pure morality. According to Vivekananda, the man gets his identification with the true Idea of goodness or morality with the recognition or realization of his 'Pure Self' who is the 'Real Man'. Thus Vivekananda argues that no one by birth or nature is good or bad; and each one is potentially moral, because of one's potential divinity by nature. This potential morality is the matter of manifestation in degrees<sup>21</sup>. One who manifests his divinity or spirituality in low degree is called as bad man, and one who manifests his divinity in higher degree is called as good man. But the supreme morality or goodness is manifested only when man is manifesting his complete divinity after realizing his 'spirit' or Pure Self. Perhaps it is this proposition of the moral nature of man, which has found expression in the Platonic idea of the 'Philosopher King'.<sup>22</sup>

**Conclusion** - Swami Vivekananda has propounded that 'spirituality is the true nature of man, and the highest morality lies in the 'spirituality' realized by man. He asserts that it is this morality, realized in spiritual man, which is the basis of social morality. He says, "the basis of all systems social, political, rests upon the goodness of man" <sup>23</sup>. Society does not transform an evil man into a good man, rather the good men transform evil society into a good society. Goodness of the inhabitants determine the goodness of the social or political system. He states, "No nation is good or great because parliament enacts this or that but because its men are great and good" <sup>24</sup>.

#### References :-

1. See, Barker, Ernest, *The Political Thought of Plato and Aristotle*, Dover Publications, New York, 1959, p. 266.
2. Vivekananda, Swami, *The Complete Works*, Vol-01, Advaita Ashram, Calcutta, 1999, p.258.
3. Vivekananda Said, "The human form is the highest and man the greatest being because here and now we can get rid of the relative world entirely, can actually attain freedom, and this is the goal". See, Vivekananda, Swami, *The Complete Works*, Vol.07, Advaita Ashrama, Calcutta, 1999, p.79.
4. Vivekananda, Swami, *The Complete Works*, Vol.IV, Advaita Ashrama, Calcutta, 1966, p.150.
5. See, Wayper, C.L., *Political Thought*, Teach yourself books, London, 1971, p. 144.
6. Ibid, p. 144.
7. Vivekananda, Swami, *The Complete Works*, Vol.02, Advaita Ashrama, Calcutta, 1999, p. 79.
8. Ibid, p. 78.
9. Ibid, p. 78.
10. Ibid, p.78.
11. Ibid, p.80.
12. Ibid, p.81.

13. Ibid, p.284.
14. Ibid, p.286.
15. Ibid, p.286.
16. Ibid, p.283.
17. Aristotle propounded that man is by nature a moral being because he is by nature a rational animal. Locke propounded that man, by nature, is peace loving, possessed with goodwill and mutual assistance owing to his faculty of reason.
18. According to Machiavelli, men are “ungrateful, fickle, and deceitful, eager to avoid dangers and avid for gain”. Likewise, Hobbes described men as “solitary, poor, nasty, brutish and short”.
19. Vivekananda, Swami, op. cit. 22, p.283.
20. Ibid, p.284.
21. See, Vivekananda ,Swami,op.cit.22,pp.263-388.
22. According to Plato, Philosopher King is the man who has raised “the eye of the soul to the universal light, which lightens all the things”; See, Bluhm, W.T. , Theories of the political system ,Prentice Hall of India ,New Delhi ,1981 ,p.46.
23. See, Dasgupta, Santwana, Social philosophy of Swami Vivekananda, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, 2009, p 192.
24. Ibid, p. 192.

\*\*\*\*\*

# Infrastructure Status of Madhya Pradesh and in Particular Bhopal City

Geetu Chaudhary \* Dr. Mahipal Singh Yadav \*\*

**Abstract** - The socio-economic variables are always taken as indicators of economic development all over the world. Therefore, a study of socio economic conditions of the state of Madhya Pradesh helps to understand the infrastructure level by examining the condition of human development indicators at the state level and in particular Bhopal city. The study looks at the human development indicators and the ranking of the districts on it and further constructs an infrastructure index by taking few relevant variables from Indian Census survey of 2011.

**Keywords** - Human development, infrastructure index, principal component analysis, Census 2011.

**Introduction** - The socio-economic variables are always taken as indicators of economic development all over the world. Rao (1980) study explicitly points out the global acceptance of infrastructure as an indicator of economic development by developing physical, social and economic activities. The development economists (Lewis, 1955[4115]; Hirschman, 1958[12316]; Rodan, 1943[3690]) identified education, health, and technology as variables of infrastructure playing a positive role in economic development with a straight effect on the production process and a direct and indirect impact on the productivity of labour and capital. Bhalla (1964)[1] put in his study of how infrastructure facilitates production both as an input and service consisting of both economic and social overheads in terms of power, banking, insurance, transport, communication, science and technology, education, health, welfare etc. and how this dualistic working process contributed significantly to amenities, enhancing the quality of life.

TK Oommen(2009)[10] in his research discusses the imperativeness of registering a high human development index, maximum human freedom index and minimum human distress profile to sustain a claim for a high quality of life. StasysPuskorius (2014) put forward that major dimensions could be determined to define the integral quality of life index and its calculation. Hagerty et al. (2001) [671] in his study proposed 14 criteria to measure quality of life indices and listed the essentials and the purpose to be served in the construct evaluating their validity and usefulness.

Stiglitz, J. E., Chair, Sen A., Fitoussi (2009)[3655] in their working paper on the measurement of economic performance and social progress discuss health, education and other dimensions that shape the lives of people that need to be considered together.

Mishra, Narendra and Kar (2013)[2] study shows that a Principal Component Analysis (PCA) of infrastructure in seven broad sectors, namely, road construction, railways, electricity, gas and water supply, communications, irrigation, storage, and ports not only to be complementary in nature and mutually reinforcing but also having a huge impact on national and local development.

Rashida and Uzma, (2012)[17] in their survey based study ranked human wellbeing for hundred districts of Pakistan using objective as well as subjective indicators of quality and showed how human wellbeing indices can shed light on a society's quality of life.

**1.1 Objective of Study** - To understand infrastructure development at state level and in particular for Bhopal

**1.2 Method** - Data: The study uses quantitative approach based on secondary data to examine the status of infrastructure in Madhya Pradesh and for Bhopal. Indian census report of 2011[37] has been used for secondary data.

Tools & Techniques: Index constructed using Principal Component Analysis (PCA) with an understanding of the concept from the 'Handbook on Constructing Composite Indicators- Methodology and User guide' (OECD, 2008)[83]. The data on some physical and social variables has been taken from Census 2011 of India for making the infrastructure index.

**1.3 Formation of the State and its Administrative Division** - The state of Madhya Pradesh formed on 1 November 1956 was bifurcated in 2000 as per the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 to form Chhattisgarh state. Thus, the present state of Madhya Pradesh came into existence on 1 November 2000 with 45 districts and five more districts namely, Alirajpur, Singrauli, Ashoknagar, Burhanpur, Agar Malwa(created on 16 August 2013) and Anuppur getting added, raising the number of districts in

\*Research Scholar, UTD, RPEG, Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA

\*\* Professor, Institute for Excellence in Higher Education, Bhopal (M.P.) INDIA

the state to 51. The census 2011 puts the state population at 725.98 lakh as compared to 603.48 lakhs of 2001 with a 20.3 double digit percentile decadal growth. The state population is about 6 per cent of the country's total population. The state has an urban population of 200.60 lakhs and the rural population is 525.38 lakhs. The ratio of rural urban population is 72.37 per cent. The sex ratio for the state is 930, low as compared to 940 at the national level.

The state population has grown 1.87 percent per annum during 2001-11 as against 1.64 percent per annum of nation. The demographic scenario in the state is still being characterized by a very high birth and death rates. The Infant Mortality Rate at 62 is significantly higher than the all India average of 47 in 2010 and is highest in the country.

The literacy rate in the state, as per 2011 census, is 70.6 per cent as against 74.0 per cent at the National level. The literacy rate among female and male is 60.0 per cent and 80.5 per cent respectively and is lower than literacy rates of 65.5 per cent among female and 82.1 per cent among male at all India level. The literacy rate in rural and urban area of the state stands at 57.8 per cent and 79.4 per cent against 58.7 per cent and 79.9 per cent respectively at the national level.

The estimation of poverty by Government of India for 2009-10, based on 66th Round NSS (2009-10) reveals that All India HCR (Head count Ratio) has declined by 7.3 percentage points from 37.2 per cent in 2004-05 to 29.8 per cent in 2009-10, with rural poverty declining by 8.0 percentage points from 41.8 per cent to 33.8 per cent and urban poverty by 4.8 percentage points from 25.7 to 20.9 per cent, whereas, overall poverty has declined by more than double digit during the period of 2004-05 to 2009-10 in Madhya Pradesh.

**1.3.1 Human Development in Madhya Pradesh** - The government of Madhya Pradesh presented its first report on human development indicators in 1995. Since then human development report has been presented for 1998, 2002 and 2007 giving a district fact sheet covering physical, social and economic dimensions of infrastructure facilities and the HDI for the districts based on adjusted per capita income, education and health. A positive relationship was stated by Madhya Pradesh human development report of 2007 between infrastructure and economic growth in its briefly examined interrelationship between infrastructure and human development in chapter 'Infrastructure and Human Development in Madhya Pradesh'. The present study took Human Development Report 2005 for analysis and Table 1 presenting HDI for all districts of Madhya Pradesh shows Bhopal at second position to Indore.

**Table: 1**

| District | HDI   | Ranking |
|----------|-------|---------|
| Indore   | 0.71  | 1       |
| Bhopal   | 0.68  | 2       |
| Harda    | 0.652 | 3       |
| Gwalior  | 0.638 | 4       |

|                         |       |    |
|-------------------------|-------|----|
| Dewas                   | 0.627 | 5  |
| Ujjain                  | 0.626 | 6  |
| Raisen                  | 0.621 | 7  |
| Narsimhapur             | 0.619 | 8  |
| Neemuch                 | 0.606 | 9  |
| Shajapur                | 0.605 | 10 |
| Bhind                   | 0.603 | 11 |
| Seoni, Dhar             | 0.596 | 12 |
| Hoshangabad             | 0.595 | 13 |
| Jabalpur, Ratlam, Sidhi | 0.589 | 14 |
| Mandla                  | 0.587 | 15 |
| Chhindwara              | 0.578 | 16 |
| Mandsaur                | 0.575 | 17 |
| Damoh                   | 0.571 | 18 |
| Sehore                  | 0.567 | 19 |
| Dindori                 | 0.565 | 20 |
| Shahdol                 | 0.564 | 21 |
| Sagar                   | 0.563 | 22 |
| Katni                   | 0.554 | 23 |
| Vidisha                 | 0.553 | 24 |
| Datia                   | 0.55  | 25 |
| Balaghat                | 0.544 | 26 |
| Guna                    | 0.539 | 27 |
| Betul                   | 0.537 | 28 |
| Rewa                    | 0.526 | 29 |
| West Nimar              | 0.525 | 30 |
| Morena                  | 0.523 | 31 |
| East Nimar              | 0.519 | 32 |
| Satna                   | 0.516 | 33 |
| Rajgarh                 | 0.511 | 34 |
| Sheopur                 | 0.506 | 35 |
| Umaria                  | 0.501 | 36 |
| Shivpuri                | 0.49  | 37 |
| Panna                   | 0.479 | 38 |
| Tikamgarh               | 0.459 | 39 |
| Chhatarpur              | 0.451 | 40 |
| Barwani                 | 0.426 | 41 |
| Jhabua                  | 0.398 | 42 |

#### **Human Development Index for Madhya Pradesh, 2005**

**Source: M.P. Human Development Report, 2007**

**1.3.2 Human Development in Bhopal** - Bhopal the city of lakes and home to rich culture and tradition, demographically, supports a population of 1,798,218, with 936,168 males and 862,050 females in the area under Bhopal municipal corporation and for the urban agglomeration(Bhopal metropolitan area)extending beyond Bhopal city a population of 1,886,100 (Census, 2011). The total effective literacy rate (for population aged 7+ years) is 85.24%, with male and female literacy respectively at 89.2% and 80.1%

The status of higher education for the city can be gauged through the census data of 2011(Table 2) showing the percentage of main workers in Bhopal to total main workers in Madhya Pradesh just half of the state and the percentage of graduate and above other than technical degree higher in relation to the percentage of 5.35 for the

state. Similarly, the technical degree or diploma equal to degree to post graduate degree for Bhopal was higher to the state or national level with state at 2.94 per cent to All India level. The percentage of main workers to total main workers with respect to qualification was minuscule for rural with percentage of graduates and technical degree holders in urban being 9 times more to rural in the city.

**Table : 2 - Employment and Education Profile of Bhopal in relation to State and All India**

| Parameter   | Total Percent | Rural Percent | Urban Percent |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Main Workers in Madhya Pradesh to total Main Workers at All India Level   | 6.26          | 6.80          | 5.12          |
| Main Workers in Bhopal to total Main Workers in Madhya Pradesh  | 3.11          | 0.78          | 9.64          |
| Graduate and above other than technical degree in Madhya Pradesh to total Graduate and above other than technical degree at All India Level   | 5.35          | 4.67          | 5.69          |
| Graduate and above other than technical degree in Bhopal to total Graduate and above other than technical degree in Madhya Pradesh  | 8.49          | 1.22          | 11.55         |
| Technical degree or diploma equal to degree or post-graduate degree in Madhya Pradesh to total Technical degree or diploma equal to degree or post-graduate degree at All India Level<br>Technical degree or diploma equal to degree or post-graduate degree in Bhopal to total | 2.94          | 1.86          | 3.32          |
| Technical degree or diploma equal to degree or post-graduate degree in Madhya Pradesh   | 15.19         | 1.94          | 17.77         |

- Percentage based on census data
- Source: Census 2011 <http://www.censusindia.gov.in/>

**1.3.3 Rural-Urban Youth Population** - The analysis of higher secondary/senior secondary status for the city showed 93.17 percent urban and 6.83 percent of rural population in the age group of 20-24. The percentage of graduate and above was less than five percent for rural youth and ninety five per cent for urban.

**Table : 3 - Rural and Urban Population of Bhopal in the Age Group of 20-24**

| Particulars                            | Rural population | Urban population |
|--|------------------|------------------|
| As per cent to City Population         | 16.56            | 83.44            |
| As per cent in Higher/Senior Secondary | 6.83             | 93.17            |
| As per cent of Graduate & Above        | 4.24             | 95.76            |

- Percentage based on census data
- Source: Census 2011 <http://www.censusindia.gov.in/>

### 1.3.3.1 Technical and Non-Technical Higher Education of Bhopal

- The study also looked into the technical and non-technical higher education level of the youths belonging to the age group of 20-24 and found that the percentage of technical and non-technical graduates in rural areas was very poor being 7.56 per cent in non-technical and 1.85 per cent in technical, whereas, for the urban youths an impressive per cent of more than ninety was seen.

**Table : 4 - Technical and Non-Technical Education of Bhopal for Age-Group of 20-24**

|          | Percentage of Graduate & Above Other Than Technical Degree to Main Workers | Percentage of Technical Degree or P.G. or Diploma equal to Degree to Main Workers |
|----------|--|---|
| Rural    | 7.56   | 1.85  |
| Urban    | 92.44  | 98.15   |
| Combined | 100  | 100   |

- Percentage based on census data
- Source: Census 2011 <http://www.censusindia.gov.in/>

### 1.4 Infrastructure Development at District Level

- An attempt has been made in this study to construct an Infrastructure Development Index for the districts of Madhya Pradesh. Since human development is a composite statistic, it was thought useful to calculate and find whether districts secured the same ranking on the infrastructure index or differed. Principal Composite Analysis (PCA) used to construct infrastructure index of identified physical and social variables was taken from census data of 2011 which included percentage of households having drinking water within the premises; using tap water from treated sources; having latrine facility; having closed drainage; using electricity as main source of lighting; having telephone connection; owning mobile; owning two wheeler; owning four wheeler; availing banking service, having bathing facility within the premises and concrete roof. The study found that the ranking of first four districts in Infrastructure Index was same as Human Development Index (Table 5) but more than fifty percent of districts of Madhya Pradesh showed a negative factor scores which indicated a poor level of

infrastructure in the districts concentrated in Damoh and Chhindwara Plateau, Rewa Plateau, Betul Plateau and in Vindhya Range.

**Table: 5 - Ranking the Districts on the Basis of PCA Estimation**

| District    | Factor Scores | Ranking |
|-------------|---------------|---------|
| Indore      | 9.90813       | 1       |
| Bhopal      | 6.25899       | 2       |
| Harda       | 5.60571       | 3       |
| Gwalior     | 4.79377       | 4       |
| Hoshangabad | 4.54804       | 5       |
| Ujjain      | 3.81837       | 6       |
| Sehore      | 2.86762       | 7       |
| Dewas       | 2.80892       | 8       |
| Mandsaur    | 2.79628       | 9       |
| Khargone    | 2.54733       | 10      |
| Neemuch     | 2.44335       | 11      |
| Ratlam      | 2.40712       | 12      |
| Dhar        | 2.35906       | 13      |
| Jabalpur    | 2.11465       | 14      |
| Khandwa     | 0.96443       | 15      |
| Raisen      | 0.71181       | 16      |
| Vidisha     | 0.56441       | 17      |
| Datia       | 0.45778       | 18      |
| Jhabua      | 0.43833       | 19      |
| Shajapur    | 0.25965       | 20      |
| Betul       | 0.16394       | 21      |
| Morena      | 0.08876       | 22      |
| Alirajpur   | -0.13171      | 23      |
| Guna        | -0.1792       | 24      |
| Narsimhapur | -0.38777      | 25      |
| Bhind       | -0.73935      | 26      |
| Sagar       | -0.99732      | 27      |
| Katni       | -1.04055      | 28      |
| Satna       | -1.12716      | 29      |
| Barwani     | -1.22649      | 30      |
| Singrauli   | -1.24298      | 31      |
| Burhanpur   | -1.25996      | 32      |
| Rajgarh     | -1.31368      | 33      |
| Rewa        | -1.31876      | 34      |
| Seoni       | -1.39941      | 35      |
| Chhindwara  | -1.41809      | 36      |
| Chhatarpur  | -1.58282      | 37      |
| Anuppur     | -1.92705      | 38      |
| Ashoknagar  | -2.21405      | 39      |
| Shivpuri    | -2.25242      | 40      |
| Shahdol     | -2.32145      | 41      |
| Sheopur     | -2.36436      | 42      |
| Balaghat    | -3.0584       | 43      |
| Tikamgarh   | -3.51276      | 44      |
| Umaria      | -3.82679      | 45      |
| Sidhi       | -3.89267      | 46      |
| Panna       | -3.98007      | 47      |
| Damoh       | -4.16453      | 48      |
| Mandla      | -4.42588      | 49      |
| Dindori     | -5.6209       | 50      |

- PCA estimates based on Census Data of 2011

Further, Urban Infrastructure development Index was constructed from the matrix of factor loadings after rotation. The values in the rotated component matrix were first squared up and then divided by their respective Eigen values (Table 7). The value of 0.931 was squared and divided by its Eigen value, the value in the first component column i.e. a value of 5.438 to get  $0.16 = (0.931 \times 0.931) / 5.438$ .

After getting a squared factor loading, the three intermediate composites extracted were aggregated by assigning a weight to each one of them equal to the proportion of the explained variance in the data set by taking a ratio of the column Eigen value to its total. For example, getting a weight of 0.60 by dividing the first component Eigen value with the sum total of Eigen values i.e.  $5.438 / 9.096 = 0.60$ . The three extracted components explained 75.80 per cent of the variance (Table 6). Thus, the urban Infrastructure Development Index stood at 0.84.

#### Infrastructure Development Index (Urban)

$$= 0.16 \times 0.60 + 0.14 \times 0.60 + 0.13 \times 0.60 + 0.08 \times 0.60 + 0.05 \times 0.60 + 0.37 \times 0.23 + 0.30 \times 0.23 + 0.28 \times 0.23 + 0.26 \times 0.23 + 0.23 \times 0.23 + 0.58 \times 0.17 + 0.42 \times 0.17 \\ = 0.84$$

**Table : 6 - Total Variance Explained for Urban Infrastructure development**

| Comp-onent | Initial Eigen Values |                |              | Extraction Sums of Squared Loadings |                |              |
|------------|----------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------|
|            | Total                | % of Varia-nce | Cumul-ative% | Total                               | % of Varia-nce | Cumul-ative% |
| 1          | 5.438                | 45.313         | 45.313       | 5.438                               | 45.313         | 45.313       |
| 2          | 2.144                | 17.867         | 63.179       | 2.144                               | 17.867         | 63.179       |
| 3          | 1.514                | 12.617         | 75.796       | 1.514                               | 12.617         | 75.796       |
| 4          | .911                 | 7.589          | 83.385       |                                     |                |              |
| 5          | .591                 | 4.929          | 88.314       |                                     |                |              |
| 6          | .528                 | 4.398          | 92.713       |                                     |                |              |
| 7          | .335                 | 2.793          | 95.505       |                                     |                |              |
| 8          | .186                 | 1.554          | 97.059       |                                     |                |              |
| 9          | .152                 | 1.268          | 98.327       |                                     |                |              |
| 10         | .107                 | .892           | 99.219       |                                     |                |              |
| 11         | .055                 | .461           | 99.680       |                                     |                |              |
| 12         | .038                 | .320           | 100.000      |                                     |                |              |

**Table: 7 - Summary of PCA Results for Infrastructure Development Index (Urban)**

#### Rotated Component Matrix

| Variables                      | Component |      |       |
|--------------------------------|-----------|------|-------|
|                                | 1         | 2    | 3     |
| Bathing(p)                     | .931      |      |       |
| Electricity                    | .886      | .101 | .101  |
| Latrine                        | .847      | .289 | .270  |
| Tap water from treated sources | .671      | .217 |       |
| Drinking Water                 | .528      | .160 | .392  |
| Four wheeler                   | .181      | .887 | .132  |
| Two wheeler                    | .398      | .805 | .235  |
| Concrete roof                  | .121      | .775 | -.171 |

|                     |              |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Banking service -   | .239         | .750         | .350         |
| Drainage            | .439         | .710         |              |
| Mobile              | .940         |              |              |
| Telephone           | .423         | .325         | .794         |
| <b>Eigen Values</b> | <b>5.438</b> | <b>2.144</b> | <b>1.514</b> |
| <b>Weights</b>      | <b>0.60</b>  | <b>0.23</b>  | <b>0.17</b>  |

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
 Rotation converged in 5 iterations.

#### Squared Factor Loading

| Variables                      | Component |      |      |
|--------------------------------|-----------|------|------|
|                                | 1         | 2    | 3    |
| Bathing(p)                     | 0.16      |      |      |
| Electricity                    | 0.14      |      |      |
| latrine                        | 0.13      |      |      |
| Tap water from treated sources | 0.08      |      |      |
| Drinking Water                 | 0.05      |      |      |
| Four wheeler                   |           | 0.37 |      |
| Two wheeler                    |           | 0.30 |      |
| Concrete roof                  |           | 0.28 |      |
| Banking service                |           | 0.26 |      |
| Drainage                       |           | 0.23 |      |
| Mobile                         |           |      | 0.58 |
| Telephone                      |           |      | 0.42 |

Similarly, rural infrastructure index was constructed from the matrix of factor loadings after rotation. The three extracted components explained 80.14 per cent of the variance (Table 8). Thus, the rural Infrastructure Development Index stood at 0.76.

#### Infrastructure Development Index (Rural)

$$=0.12*0.65+0.11*0.65+0.08*0.65+ 0.08*0.65+0.07*0.65+ \\ 0.34*0.23+0.32*0.23+0.32*0.23+0.18*0.23+ 0.71*0.12+ \\ 0.51*0.12+0.44*0.12 \\ =0.76$$

**Table: 8 - Total Variance Explained for Rural Infrastructure development**

| Comp-onent | Initial Eigen Values |                |              | Extraction Sums of Squared Loadings |                |              |
|------------|----------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------|
|            | Total                | % of Varia-nce | Cumul-ative% | Total                               | % of Varia-nce | Cumul-ative% |
| 1          | 6.238                | 51.981         | 51.981       | 6.238                               | 51.981         | 51.981       |
| 2          | 2.236                | 18.632         | 70.613       | 2.236                               | 18.632         | 70.613       |
| 3          | 1.144                | 9.535          | 80.148       | 1.144                               | 9.535          | 80.148       |
| 4          | .707                 | 5.891          | 86.039       |                                     |                |              |
| 5          | .476                 | 3.963          | 90.001       |                                     |                |              |
| 6          | .402                 | 3.348          | 93.350       |                                     |                |              |
| 7          | .273                 | 2.276          | 95.626       |                                     |                |              |
| 8          | .215                 | 1.788          | 97.413       |                                     |                |              |
| 9          | .142                 | 1.184          | 98.597       |                                     |                |              |
| 10         | .129                 | 1.078          | 99.675       |                                     |                |              |
| 11         | .036                 | .299           | 99.974       |                                     |                |              |
| 12         | .003                 | .026           | 100.000      |                                     |                |              |

**Table : 9 - Summary of PCA Results for Infrastructure Development Index (Rural)**

| Rotated Component Matrix       |              |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Variables                      | Component    |              |              |
|                                | 1            | 2            | 3            |
| Four wheeler                   | .851         | .367         | .172         |
| Concrete roof                  | .814         |              | .207         |
| Two wheeler                    | .699         | .503         | .426         |
| latrine                        | .692         | .169         | .564         |
| Drainage                       | .683         | .199         | .404         |
| Mobile                         | .435         | .869         |              |
| Telephone                      | .465         | .850         |              |
| Banking service                | .229         | -.842        |              |
| Bathing(p)                     | .253         | .639         | .587         |
| Tap water from treated sources |              |              | .904         |
| Electricity                    | .354         | .118         | .766         |
| Drinking Water                 | .278         |              | .712         |
| <b>Eigen Values</b>            | <b>6.238</b> | <b>2.236</b> | <b>1.144</b> |
| <b>Weights</b>                 | <b>0.65</b>  | <b>0.23</b>  | <b>0.12</b>  |

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
 Rotation converged in 5 iterations.

#### Squared Factor Loading of Infrastructure development Index (Rural)

|                                | Component |      |      |
|--------------------------------|-----------|------|------|
|                                | 1         | 2    | 3    |
| Four wheeler                   | 0.12      |      |      |
| Concrete roof                  | 0.11      |      |      |
| Two wheeler                    | 0.08      |      |      |
| latrine                        | 0.08      |      |      |
| Drainage                       | 0.07      |      |      |
| Mobile                         |           | 0.34 |      |
| Telephone                      |           | 0.32 |      |
| Banking service                |           | 0.32 |      |
| Bathing(p)                     |           | 0.18 |      |
| Tap water from treated sources |           |      | 0.71 |
| Electricity                    |           |      | 0.51 |
| Drinking Water                 |           |      | 0.44 |

The results show different ranking for Bhopal for rural and urban infrastructure index. Table 10 shows Bhopal at a third position in terms of rural infrastructure development. The comparison of the infrastructure index with HDI of M.P. showed that the first four districts Indore, Bhopal, Harda and Gwalior had the same ranking on both the index. But the position or ranking of the other districts of Madhya Pradesh based on human development index differed from their ranking on infrastructure development index. Though the ranking of Bhopal was the same in HDI and infrastructure development but rural and urban infrastructure index did not place Bhopal at the same rank. It ranked third in rural infrastructure development as compared to a second position in urban.

#### Table: 10 - Urban and Rural Infrastructure Index

| District | Urban Infrastructure Index     | District | Rural Infrastructure Index |
|----------|--------------------------------|----------|----------------------------|
| Indore   | 4.41                           | Indore   | 5.50                       |
| Bhopal   | 3.67(2 <sup>nd</sup> Position) | Harda    | 3.53                       |

|         |      |             |                                 |
|---------|------|-------------|---------------------------------|
| Gwalior | 3.36 | Bhopal      | 2.59( 3 <sup>rd</sup> Position) |
| Ratlam  | 2.30 | Hoshangabad | 2.42                            |
| Jhabua  | 2.29 | Khargone    | 1.79                            |

**Conclusion** - The study analysed the education level for Madhya Pradesh and Bhopal city in particular by taking Indian census data of 2011 that showed the percentage of main workers in Bhopal to total main workers in Madhya Pradesh just being half of the state and the percentage of graduate and above other than the technical degree higher in relation to the percentage of 5.35 for the state. Similarly, the technical degree or diploma equal to degree to post graduate degree for Bhopal was higher to the state or national level with state at 2.94 per cent to all India level. The analysis of higher secondary/senior secondary status for the city showed 93.17 percent urban and 6.83 percent of rural population in the age group of 20-24. The percentage of graduate and above was less than five percent for rural youth and ninety five per cent for urban.

The study also looked into the technical and non-technical higher education level of the youths belonging to the age group of 20-24 and found that the percentage of technical and non-technical graduates in rural areas was very poor being 7.56 per cent in non-technical and 1.85 per cent in technical, whereas, for the urban youths an impressive per cent of more than ninety was seen.

Further, the ranking of the districts of Madhya Pradesh done on human development indicators was compared with the ranking of the districts on the basis of infrastructure index, the principal composite analysis (PCA) was used to construct the infrastructure index of identified physical and social variables based on census data of 2011. Since human development is a composite statistic of life expectancy, education and income per capita indicators, it was thought useful to calculate and find whether districts secured the same ranking on the infrastructure index or differed.

The comparison of the infrastructure index with HDI of M.P. showed that the first four districts Indore, Bhopal, Harda and Gwalior had the same ranking on both the index. But the position or ranking of the other districts of Madhya Pradesh based on human development index differed from their ranking on infrastructure development index. Though the ranking of Bhopal was the same in HDI and infrastructure development but rural and urban infrastructure index did not place Bhopal at the same rank. It ranked third in rural infrastructure development as compared to a second position in urban.

#### References :-

1. Bhalla, G.S. (1964). "Theory and practices in public enterprises". Meenakshi Publication. Meerut.
2. Census 2011, Government of India. Retrieved from <http://www.censusindia.gov.in/>
3. Hagerty, M. R., Cummins, R. A., Ferriss, A. L., Land, K., Michalos, A. C., Peterson, M. et al. (2001). "Quality of life indexes for national policy: review and agenda for research". *Social Indicators Research*, 55: pp. 1–96.
4. Haq, Rashida& Zia Uzma. (2012). "Multidimensional wellbeing: An index of quality of life in a developing economy". Springer Science+ Business Media Dordrecht 2013. DOI 10.1007/s11205-012-0186-6.
5. Hirschman, A. O. (1958). "The strategy of economic development". New Haven: Yale University Press.
6. Human Development Report, Government of Madhya Pradesh (2007). "Infrastructure and human development in Madhya Pradesh". Viewed on December 10, 2012 <http://india.gov.in/madhya-pradesh-human-development-report-2007>.
7. Lewis, W. Arthur (1955). "The Theory of Economic Growth". Allen Unwin, London.
8. Mishra, Aswini, Kumar, Narendra, K., & Kar, Prasad, B. (2013). "Growth and infrastructure investment in India: Achievements, challenges, and opportunities". *Economic Annals*, Volume LVIII, No. 196 / January – March 2013 UDC: 3.33 ISSN: 0013-3264 viewed on 02/06/13.DOI: 10.2298/EKA1396051M.
9. Oommen, T.K. (2009). "Development policy and the nature of society: Understanding the Kerala model", *Economic& Political Weekly*, March 28, 2009, Vol XLIV No 13.
10. OECD. (2008). "Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide". ISBN 978-92-64-04345-9 [www.oecd.org/publishing/corrigenda](http://www.oecd.org/publishing/corrigenda).
11. Puskorius, Stasys. (2014). "Theoretical model of estimating the quality of life index". *Intellectual Economics*, 2014, Vol. 8, No. 1(19), p. 55–64, ISSN 1822-8038 (online).DOI: 10.13165/IE-14-8-1-04.
12. Rao, V.K.R.V. (1980). "Infrastructure and economic development". *Commerce Annual Number*, 141(3628)
13. Rosenstein-Rodan, Paul.N. (1943). "Problems of Industrialization of Eastern and South Eastern Europe". *Economic Journal* 53 (June), pp. 202-211.
14. Stiglitz, Joseph E., Sen, A. & Fitoussi, Jean-P. (2009). "The measurement of Economic Progress and Social Progress Revisited". Columbia University, IEP, OFCE Working Paper, 64 p <https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2009-33.pdf>viewed on July 21, 2014.

## आर्थिक विकास में बाधक तत्व (इन्दौर के विशेष संदर्भ में)

डॉ. दीपक जैन \*

**प्रस्तावना** - आर्थिक विकास में अनेक तत्व बाधक हैं जो आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं इन तत्वों में प्रमुख निम्न हैं - धूर्मपान, नशाखोरी, अतिक्रमण आवारा पशु, भ्रष्टाचार, सटा-जुआँ, अंधविश्वास, कानून दोहरा मापदण्ड, गुण्डों का आतंक साम्प्रदायिक, आदि कारणों से आर्थिक विकास अवरुद्ध हो रहा है।

**अध्ययन का औचित्य एवं उद्देश्य** - इन्दौर शहर जो म.प्र. की व्यावासायिक राजधानी है जो महानगर का रूप ले चुका है इसे स्मार्टसिटी के श्रेणी में लिया है इसके तीव्र विकास हेतु आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराजजी चौहान हर संभव मदद कर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) एवं इन्दौर सांसद श्रीमति सुमित्रा महाजन एवं महापौर श्रीमति मालिनी गौड़ दिन-रात इन्दौर विकास हेतु प्रयासरत् है।

चूँकि मैं वाणिज्य का छात्र रहा हूँ मैंने वाणिज्य में एम.फिल एवं पी.एच.डी.की हैं। मैंने इन्दौर में गुण्डे तत्वों को इन्दौर विकास में बाधा उत्पन्न करते हुए देखा है। अतः मैंने इस विषय का चयन किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्न सहायक उद्देश्य निर्धारित किये हैं।

1. इन्दौर के आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा किये गए प्रयास
2. इन्दौर के आर्थिक विकास हेतु व्यापारियों द्वारा किए गये सहयोग एवं त्याग का अध्ययन
3. इन्दौर के आर्थिक विकास हेतु जनता द्वारा किए गये सहयोग एवं त्याग का अध्ययन

**परिकल्पनाएँ** :- प्रस्तुत शोध कार्य में उपरोक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाएँ रही जिनका परिक्षण एवं अध्ययन किया।

1. इन्दौर के आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा किये गए प्रयास प्रभावशाली एवं सार्थक रहे।
2. इन्दौर के आर्थिक विकास हेतु व्यापारियों द्वारा किए गये सहयोग एवं त्याग का सार्थक रहे।
3. इन्दौर के आर्थिक विकास हेतु जनता द्वारा किए गये सहयोग एवं त्याग सार्थक एवं महत्वपूर्ण रहे।

**आर्थिक विकास में बाधक तत्वों के प्रभाव एवं निराकरण हेतु प्रयास का अध्ययन**

**• धूर्मपान एवं नशाखोरी**- धूर्मपान एवं नशाखोरी की चपेट में आकर युवा वर्ग जो देश के आर्थिक विकास की 'मास्टर की' है कर्महीन, उत्तेजक, मुहूर, हिसक, बुरी संगत एवं देशद्वेषी कार्यों में लिप्स हो जाता है। इन युवा वर्ग को धूर्मपान एवं नशाखोरी से बचाने हेतु सरकार ने विद्यालय एवं महाविद्यालय के निकट इनकी बिक्री पर रोक लगा दी है। समाज भी इन बुरी लतों से बचने हेतु समय-समय पर युवा वर्ग को लगातार सलाह देता रहता है।

**• अतिक्रमण**- इन्दौर के आर्थिक विकास में अतिक्रमण एक गम्भीर समस्या है कुछ असमाजिक लोग जगह-जगह अतिक्रमण कर यातायात को जटिल बना देते हैं जिससे

जगह-जगह चब्बा-जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इसके कारण समय एवं ईंधन की बढ़ादी होती है। इन चब्बा-जाम के कारण अनेक रोगी को समय पर ईलाज नहीं मिलने पर उनकी मृत्यु हो जाती है एवं अनेक बार दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। इस हेतु नगर निगम लगातार अतिक्रमण ध्वस्त कर Left turn (बायामोड) चौड़ा कर रही है।

**• सटा-जुआ** - सटा-जुआ भी आर्थिक विकास में बाधक है। लोगों को इसकी लत पड़ जाती है वे कर्महीन, आयवादी हो जाते हैं सटे एवं जुआ के ढलढल में फँस जाते हैं और चाहकर भी इस बुरी लत से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वे पैसे के लिए चौरी एवं डकेती एवं अन्य बुरी आदतों में पड़कर समाज एवं देश के अहित में कार्य करने लगते हैं जिससे आर्थिक विकास में रुकावट उत्पन्न होती है।

**• आवारा पशु** - इन्दौर के आर्थिक विकास में आवारा पशु एक गम्भीर समस्या थी जिससे यातायात रुकता था। अनेक बार आवारा पशु के कारण दुर्घटनाएँ हो रही थीं। महापौर ने लगातार प्रयासकर इन्दौर को आवारा पशु से मुक्त कर दिया। गुण्डों द्वारा पाले जाने वाले आवारा सुअर एवं गाय को शहर से बाहर कर उनके बाड़े को तोड़ दिये गये इस प्रकार इन्दौर को आवारा पशु से मुक्त कर दिया।

**• कानून में दोहरा मापदण्ड** - हमारे देश में कानून में दोहरा मापदण्ड अपनाया जाता है। राजनीतिक दबाव के कारण अपराधी पर कार्यवाही न करते हुए फरयादी पर ही कार्यवाही कर दी जाती है जिससे असमाजिक लोगों को अपराध करने का प्रशय मिल जाता है जिससे व्यापारी वर्ग में भय एवं आंतक का वातावरण बना रहता है।

**• गुण्डो का आंतक** - इन्दौर के आर्थिक विकास में गुण्डो का आंतक सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि गुण्डो के आंतक के कारण समाज, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी एवं जनता हमेशा मुक्त वातावरण में जीवनयापन करते हैं। जिससे वे पूरी क्षमता एवं मनोबल से कार्य नहीं कर पाते हैं जिससे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है ये गुण्डे लोगों के दिन के चेन एवं रातों की नींद हराम कर देते हैं। ये जनता का अनेक प्रकार से शोषण करते हैं।

**• भ्रष्टाचार** - भ्रष्टाचार भी आर्थिक विकास में बाधक बना हुआ है भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत की लालसा में सरकार को राजस्व आय में चुना लगा रहे हैं भ्रष्ट अधिकारियों के कारण अधिकांश नागरिक जो ईमानदारी से राजस्व भरना चाहते हैं वे राजस्व की चोरी करते हैं जिससे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इस हेतु सर्वप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी ने अनेक

\* प्राध्यापक, श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

करों के स्थान पर जी.एस.टी कर लागू किया जिससे शीघ्र भ्रष्टाचार पर रोक लग जायेगी। जी.एस.टी के पहले अनेक प्रकार के जटिल कर थे। जिन्हें भरने में करदाता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था एवं सरकार को कर वसूलने में भी में समस्याएँ होती जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था। लेकिन मोदीजी के ऐतिहासिक फैसले से भ्रष्टाचार छूमंतर हो जायेगा।

- **अंधविश्वास** – अंधविश्वास, आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। यह कथन शत प्रतिष्ठत सत्य है क्योंकि लोग अंधविश्वास के कारण मुक्त वातावरण में रहते हैं उनमें साहस की कमी होती है वे सभी कार्य पुजा-पाठ से प्रारंभ करते हैं जिससे दनके आत्मविश्वास में कमी हो जाती है वे छिक आने, बिल्ली के रस्ता काटने को अच्छा नहीं मानते और कार्य अवरुद्ध होता है जिससे आर्थिक विकास में रुकावट उत्पन्न होती है।

- **चंदा वसुली** – ये गुण्डे बारह महिने त्यौहारों, कथा, कलश यात्रा, भजन-कीर्तन एवं भंडारों के बहानों से लोगों एवं व्यापारियों से चंदे के रूप में मोटी रकम वसुलते रहते हैं तथा लगातार अपनी तिजौरी भरते रहते हैं इन गुण्डों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण पुलिस प्रशासन इन पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं एवं जनता तथा व्यापारी इनके जुल्मों को सहते रहते हैं और काई खिकायत नहीं करते हैं।

- **सूखबोरी** – ये गुण्डे जनता एवं व्यापारी की मजबुरी का फायदा उठाकर उनसे कोरा स्टाम्प एवं चेक लेकर रुपये उधार देते हैं तथा ऊँची दर से ब्याज वसुलते रहते हैं। कई बार गरीब लोग मूल राशि से कई गुना ब्याज चुकाने के

बाद भी इनके चंगूल में फँसे रहते हुए आत्महत्या (खुदखुशी) कर लेते हैं। इस प्रकार पूरा जीवन इनके चक्रव्यूह में फँसकर बर्बाद कर लेते हैं।

#### निष्कर्ष :

1. यदि भारतीय जनता एक-जूट होकर इसका विरोध करे तो गुण्डे शहर छोड़कर भाग जायेंगे या साधु बन जायेंगे और राज्य में लोग भयमुक्त होकर जीवनयापन करेंगे।
2. व्यापारी को एकता का परिचय देते हुए एक-जूट होना चाहिए जिससे गुण्डे लोग गुण्डागर्दी छोड़कर सामान्य व्यक्ति के समान जीवनयापन करने लगें।
3. सरकार को ऐसेगुण्डों पर कठोर कार्यवाही करना चाहिये तथा पुलिस प्रशासन को इन पर कार्यवाही हेतु स्वतंत्रता देना चाहिये।
4. मीडिया को इन गुण्डों को प्रष्य देने वाले नेताओं के नाम उजागर करना चाहिए।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अर्थशास्त्र, डॉ. एस एम शुक्ला, साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2017-18
- पत्रिकाएँ/समाचार पत्र
  1. प्रतियोगिता दर्पण, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली
  2. दैनिक भास्कर, इन्डैर
  3. नई दुनिया, इन्डैर



## भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार एवं अन्य संस्थाओं का योगदान (इन्दौर के संदर्भ में)

डॉ. दीपक जैन \*

**शोध सारांश -** हम जानते हैं कि देश के विकास हेतु समाज के लोगों का विकास अतिआवश्यक है, समाज के विकास में महिला का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः देश के विकास हेतु हमें समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार एवं सम्मान दिलाना आवश्यक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद एवं अन्य महापुरुषों ने देश के विकास हेतु समाज में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने पर जोर दिया है। हम जानते हैं महिला एवं पुरुष परिवाररूपी गाड़ी के दो पहियों के समान है जिस प्रकार एक पहिये से गाड़ी ठीक प्रकार से नहीं चल सकती ठीक उसी प्रकार केवल पुरुष प्रधान समाज से समाज एवं देश का विकास संभव नहीं है। चूंकि आज भी अनेक समाजों में महिलाओं की स्थिति दयनीय एवं नरकीय होने के कारण मेने इस विषय का चयन किया है।

**प्रस्तावना -** महिला सशक्तिकरण से आशय परिवार में पुत्री को पुत्र के समान अधिकार, उचित शिक्षा एवं व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाओं को पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वैधानिक क्षेत्र में बराबर का ढर्जा दिया जाए, उसे समाज में अबला न मानकर सबला माना जाए।

**अध्ययन का औचित्य एवं उद्देश्य -** प्राचीन काल में हमारे देश में नारी को देवी तुल्य मानकर उनकी पूजा की जाती थी। समाज में उन्हें सम्मान दिया जाता था तथा धनलक्ष्मी का ढर्जा दिया जाता है। वर्तमान में पुरुष प्रधान समाज में उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। हम जानते हैं कि महिला के बिना पुरुषों का अस्तित्व नहीं है फिर भी कुछ समाजों में उनके साथ सोतेला व्यवहार किया जाता है। महिला सशक्तिकरण य हेतु सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा किए गये प्रयास एवं इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्न सहायक उद्देश्य निर्धारित किये हैं-

1. महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा किए गये प्रयासों का अध्ययन
2. महिला सशक्तिकरण हेतु अन्य संस्थाओं द्वारा किए गये प्रयासों का अध्ययन
3. महिला सशक्तिकरण हेतु समाज द्वारा किए गये प्रयासों का अध्ययन

**शोध विधि -** इस शोध पत्र में द्वितीय समंकों का अध्ययन एवं विश्लेषण कर सुझाव प्रस्तुत किए गये हैं। शोध पत्र में इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों में प्रकाशित समंकों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला है।

**परिकल्पना -** उपरोक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाएँ रही जिनका परीक्षण एवं अध्ययन किया गया।

1. महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा किए गये प्रयास प्रभावशाली एवं सार्थक रहे हैं।
2. महिला सशक्तिकरण हेतु अन्य संस्थाओं द्वारा किए गये प्रयास प्रभावशाली एवं सार्थक रहे हैं।
3. महिला सशक्तिकरण हेतु समाज की भूमिका प्रभावशाली रही है।

**महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा किए गये प्रयासों का अध्ययन :-** पूजनीय एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी लगातार महिला

सशक्तिकरण पर जोर दे रहे हैं उनके प्रयास से ही आज महिलाओं को देश में सम्मानीय पद प्राप्त हुआ है।

1. लोकसभा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर सुमित्रा महाजन विराजमान है।
2. रक्षामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर श्रीमति निर्मला सिथरमन विराजमान है।
3. विदेशमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर श्रीमति सुषमा स्वराज विराजमान है।
4. इन्दौर महापौर (मेयर) जैसे महत्वपूर्ण पद पर श्रीमति मालिनी गौड विराजमान है।
5. इन्दौर क्षेत्र क्र. 3 की विधायक उषा ठाकुरजी म.प्र. की उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर विराजमान है।
6. नरेन्द्र मोदीजी के प्रयास से ही मुरिलम समाज में तीन तलाक जैसी बुराई समाप्त हो रही है।

आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहानजी द्वारा चलाई गयी 'लाइली लक्ष्मी योजना' आज पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय है उनके प्रयास से ही कन्याभूर्ण हत्या पर रोक लगी है तथा लिंग अनुपात में लड़कियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण प्रयास है।

महिला सशक्तिकरण हेतु शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को विभिन्न इकाईयों में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने हेतु क्रेन्डर सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 1992 में आई.टी.आई परिसर परदेशीपुरा इन्दौर में म.प्र. के एकमात्र 'क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान' की स्थापना की। म.प्र. सरकार ने इन्दौर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जिसमें कुछ इकाईयों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहानजी द्वारा कामकाजी महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं।

**लाइली लक्ष्मी योजना -** इस योजना के अन्तर्गत बालिका के नाम पंजीकरण के समय से लगातार पॉच वर्षों तक 6 हजार प्रति वर्ष मध्यप्रदेश लाइली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किये जाएंगे अर्थात् कुल 30000 रुपये

\* प्राध्यापक, श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

बालिका के नाम से जमा किये जाएंगे। बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2000 रु. कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 4000 रु. कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर 6000 रु. कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 6000 रु. ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। अंतिम भुगतान 1 लाख रुपये बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12 वीं परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान की जावेगी किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो।

**वन स्टॉप सेंटर (सखी)/उषा किरण योजना** – केन्द्र सरकार द्वारा वन स्टॉप सेंटर (सखी)/उषा किरण योजना (राज्य-मद) अंतर्गत सभी प्रकार की हिसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस-डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउन्सलिंग की सुविधा वन स्टॉप सेंटर (सखी)/उषा किरणकेन्द्रों में उपलब्ध करायी जायेगी।

**महिला सशक्तिकरण हेतु गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गये प्रयास** – अनेक गैर सरकारी संस्थाएँ भी महिला सशक्तिकरण हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान नाममात्र शुल्क में चला रही है तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है।

1. इन्डौर वुमन्स वोकेशनल इंस्टीट्यूट गुजराती महाविद्यालय
2. श्री वलाथ मार्केट कन्या महाविद्यालय प्रशिक्षण संस्थान इन्डौर है इसके अलावा इनेक एन.जी.ओ. के माध्यम से महिलाओं को विशेष कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

**महिला सशक्तिकरण हेतु समाज द्वारा किए गये प्रयास** – आज समाज के अध्यक्ष महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहे हैं वे लगातार महिला को पुरुषों के बराबर अधिकार दिला रहे हैं। समाज द्वारा दहेज प्रथा पर रोक लगा दी है। समाज के प्रयास एवं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहानजी द्वारा चलाई गयी 'लाइली लक्ष्मी योजना' आज पुरे भारत में सबसे लोकप्रिय है उनके प्रयास से ही कन्याभूर्ण हत्या पर रोक लगी है तथा लिंग अनुपात में लड़कियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

#### सुझाव :

1. व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के विभिन्न इकाईयों में सीटों की संख्या बढ़ाकर और सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर महिला सशक्तिकरण को ओर अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।
2. महिला प्रशिक्षणार्थियों की समर्थनों का शीघ्र निराकरण कर एवं सुरक्षा प्रबंध करमहिला सशक्तिकरण को ओर अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।
3. दूर से आने वाली महिला प्रशिक्षणार्थियों को बस सुविधा देकर महिला प्रशिक्षणार्थियों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
4. व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाकर महिला सशक्तिकरण को मजबूत बना सकते हैं।
5. सफल महिला प्रशिक्षणार्थियों को आंगनवाड़ी में नौकरी देकर महिला सशक्तिकरण को ओर अधिक सफल बनाया जा सकता है।
6. समाज में दहेज प्रथा को मिटाकर, परिचय सम्मेलन एवं सामूहिक विवाह पर जोर देकर महिला सशक्तिकरण को ओर अधिक सफल बनाया जा

सकता है।

7. विभिन्न समाजों में महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक आर्थिक मदद देकर महिला सशक्तिकरण को और अधिक सफल बनाया जा सकता है।

#### सारणी एवं ग्राफ :-

##### महिला साक्षरता दर

| वर्ष | साक्षरता दर |
|------|-------------|
| 1971 | 18.69       |
| 1981 | 24.82       |
| 1991 | 32.17       |
| 2001 | 45.15       |
| 2011 | 56.0        |

#### महिला साक्षरता दर



**निष्कर्ष** – जीवन के सभी क्षेत्रों में आज महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं और अब महिला सशक्तिकरण एक बहुचर्चित मुद्दा बन चुका है। घर के अंदर या बाहर सभी जगहों पर महिलाएं अपना एक स्वतंत्र दृष्टिकोण रखती हैं और वे अपनी शिक्षा, व्यवसाय या जीवनशैली से संबंधित सभी निर्णय रखती हैं। कामकाजी महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और इस कारण उनमें जीवन का नेतृत्व खुद करने एवं अपनी पहचान बनाने का आत्मविश्वास भी प्राप्त हुआ है। वे सफलतापूर्वक विविध व्यवसायों को अपनाकर यह साबित करने का प्रयास कर रही हैं जिसके किसी भी मामले में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। लेकिन ऐसा करते हुए भी महिलाएं अपने व्यवसाय के साथ एवं सद्भाव से आसानी से मौं, बेटी, बहन, पत्नी एवं एक सक्रिय पेशेवर जैसी कई भूमिकाएं एक साथ निभाने में कठप्रयाब हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण द्वारा समाज और दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने में मदद मिलती है और साथ ही यह समावेशी भागीदारी के रास्ते पर आगे चलने में सहायता करता है। अब महिलाओं की अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और इस दिशा में प्रयासरत विभिन्न गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का उदय इसका प्रमाण है। अब महिलाएं व्यक्तिगत स्तर पर दमन के बंधनों को तोड़ते हुए इपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलाएं कर रही हैं।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रतियोगिता दर्पण, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली
2. दैनिक भास्कर, इन्डौर
3. महिला सशक्तिकरण, राज्य सरकार, 2017-18

## स्वच्छ भारत अभियान में इन्दौर (म.प्र.) का योगदान

**डॉ. दीपक जैन \***

**शोध सारांश -** हम जानते हैं कि चीन के बाद भारत विष्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण भारत में चारों ओर गंदगी एवं कचरे की भरमार थी। अनेक लोग घरों में शौचालय न होने के कारण खुले में शौच करते थे तथा घरों का कचरा, झुठन एवं प्लास्टिक की थैलियाँ खाली प्लाटों एवं सड़कों पर फेक देते थे। इन गंदगियों में मंकिखर्याँ एवं मच्छर तेजी से पनप रहे थे जिससे अनेक प्रकार की महामारी फैल रही थी। इसके अलावा लोग भगवान की प्लास्टर ॲफ पेरिस एवं रसायनिक युक्त मूर्तियाँ एवं मनुष्य की अस्थियों को जल झोत एवं नदियों में विसर्जित करते थे जिससे जल पीने एवं वापरने योग्य नहीं रहता था। दूषित जल एवं गंदगियों के कारण देश में अनेक महामारी फैल रही थी।

इस जटिल एवं असंभव प्रतीत होती समस्या के समाधान हेतु लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदीजी ने गाँधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 को गाँधीजी के जन्मदिवस पर स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया। मोदीजी ने एक के बाद एक अनेक गाँवों को गोद लेकर उनका तेजी से विकास किया अनेक शौचालयों का निर्माण करवाया। अनेक मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सासंदेशों, विधायकों एवं महापौरों ने भी प्रधानमंत्री के कार्यों का अनुसरण करते हुए अनेक पिछड़े गाँवों को गोद लेकर उनका तेजी से विकास किया तथा अनेक शौचालयों का निर्माण किया तथा पूरे भारत में खुले में शौच करने में पाबंदी लगायी। हम जानते हैं कि देश के तेजी से विकास एवं उन्नति हेतु वहाँ के नागरिकों का स्वस्थ रहना आवश्यक है एवं नागरिकों के स्वस्थ रहने के लिए देश का स्वच्छ रहना आवश्यक है इस जिज्ञासावध मैने उपरोक्त विषय 'स्वच्छ भारत अभियान' इन्दौर म.प्र. का योगदान का चयन किया है।

**प्रस्तावना -** भारत देश विशाल जनसंख्या वाला देश होने के कारण भारत में अनेक समस्याएँ हैं जैसे बेरोजगारी, गरीबी, चोरी-डकेती, आतेकवादी घटनाएँ एवं गंदगी तथा महामारी इनमें से गंदगी तथा महामारी की समस्या सबसे जटिल समस्या थी। इस जटिल एवं असंभव प्रतीत होती समस्या के समाधान हेतु लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदीजी ने गाँधी जयंती 2 अक्टूबर को 'स्वच्छ भारत अभियान' प्रारंभ किया। इस अभियान के तहत अनेक शौचालयों का निर्माण करवाया तथा खुले में शौच पर रोक लगा दी गई। घरों से कचरा एवं झुठन एकत्रित कर कम्पोस्ट खाद का निर्माण कराया तथा खुले में शौच करने वाले को ढाईत किया गया। स्वच्छ भारत अभियान में म.प्र. के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराजजी चौहान ने विशेष रूची लेते पूरे प्रदेश में इस अभियान पर जोर दिया।

**अध्ययन का औचित्य एवं उद्देश्य :-** कॉंग्रेस शासन काल में म.प्र. भारत का एक पिछड़ा राज्य था किन्तु लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराजजी चौहान की अच्छी सोच, कड़ी मेहनत एवं उचित योजना के कारण म.प्र. में लगातार कृषि उत्पादन बढ़ रहा है तथा म.प्र. को लगातार अनेक बार कृषि अवार्ड मिला है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी ने शिवराजजी चौहान की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की है।

म.प्र. के अनेक शहरों में अवैध कालोनियों की भरमार है इन अवैध कालोनियों में विकास के अभाव में चारों ओर गंदगी एवं कचरों का ढेर रहता था। शौचालयों के अभाव में लोग खुले में शौच करते थे। स्वच्छ भारत अभियान में इन्दौर म.प्र. का योगदान के अध्ययन का उद्देश्य नगरनिगम एवं शासन द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन करना है। इस हेतु निम्न सहायक उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं।

1. प्रशासन एवं नगर-निगम द्वारा स्वच्छ भारत अभियान हेतु किये गये विकास कार्य का मूल्यांकन
2. नगर-निगम द्वारा सफाई मित्रों एवं कर्मचारियों को दिये गये संसाधनों का योगदान प्रभावशाली एवं सार्थक रहे हैं।

का योगदान

3. स्वच्छ भारत अभियान में समाचार पत्रों की भूमिका
4. स्वच्छ भारत अभियान में सफाई मित्रों एवं कर्मचारियों का योगदान
5. स्वच्छ भारत अभियान में नागरिकों का योगदान

**परिकल्पना -** उपरोक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाएँ रही जिनका परीक्षण एवं अध्ययन किया गया।

1. प्रशासन एवं नगर-निगम द्वारा स्वच्छ भारत अभियान हेतु किये गये विकास कार्य प्रभावशाली एवं सार्थक रहे हैं।
2. नगर-निगम द्वारा सफाई मित्रों एवं कर्मचारियों को दिये गये संसाधनों का योगदान प्रभावशाली एवं सार्थक रहे हैं।
3. स्वच्छ भारत अभियान में समाचार पत्रों की भूमिका प्रभावशाली एवं सार्थक रही है।
4. स्वच्छ भारत अभियान में सफाई मित्रों एवं कर्मचारियों का योगदान प्रभावशाली एवं सार्थक रहा है।
5. स्वच्छ भारत अभियान में नागरिकों का योगदान प्रभावशाली एवं सार्थक रहा है।

**स्वच्छ भारत अभियान में इन्दौर म.प्र. में किये गये प्रयासों का मूल्यांकन -**

15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत में अनेक समस्याएँ थीं जैसे बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, गंदगी एवं महामारी, चोरी तथा आतंकवाद, इन समस्याओं में गंदगी एवं महामारी, एक जटिल समस्या थी।

आजादी के बाद अनेक प्रधानमंत्रियों ने अनेक योजनाएँ बनायी लेकिन गंदगी एवं महामारियों के निवारण हेतु परम आदरणीय मोदीजी ने 2 अक्टूबर गाँधीजी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराजजी चौहान ने दिन-रात मेहनत कर उचित योजना बनायी एवं पूरे मध्यप्रदेश को स्वच्छ रखने हेतु सफाई अभियान

\* प्राध्यापक, श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

छेड़ा तथा म.प्र के सभी जिलाधिशों, निगम आयुक्तों, महापौरों के माध्यम से अल्प समय में जगह- जगह शैचालयों का निर्माण कर खुले में शैच करने पर रोक लगा दी गई।

स्वच्छ भारत अभियान में 1. प्रशासन एवं नगर-निगम 2. नगर-निगम द्वारा सफाई मित्रों एवं कर्मचारियों को दिये गये संसाधनों 3. समाचार पत्रों 4. सफाई मित्रों एवं कर्मचारियों 5. नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

**1. प्रशासन एवं नगर-निगम द्वारा स्वच्छ भारत अभियान हेतु किये गये विकास कार्य – मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजजी चौहान ने पूरे मध्यप्रदेश में आवध्यकतानुसार जगह-जगह शैचालयों का निर्माण करवाकर खुले में शैच करने पर पाबंदी लगा दी इस अभियान में प्रशासन एवं नगर-निगम की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। घर-घर से कचरा एकत्रित कर कचरे से खाद एवं बिजली का उत्पादन कर घरों को स्वच्छ बना दिया तथा जगह-जगह रखी कचरे की पेटियों को हटवा दी। 14 मई 2017 को स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के सर्वाधिक स्वच्छ 100 शहरों में मध्यप्रदेश के 22 शहर सम्मानित हुए निगम आयुक्त, महापौर की उचित योजना एवं मेहनत रंग लाई और स्वच्छता सर्वेक्षण में इन्डौर पूरे भारत में प्रथम स्थान पर, भोपाल द्वितीय स्थान पर रहा है इस प्रकार भारत देश की समस्त राजधानियों में से भोपाल को स्वच्छतम राजधानी का गौरव हासिल हुआ। मध्यप्रदेश के शेष 20 स्वच्छ शहर उज्जैन, खरगोन, जबलपुर, सागर, कटनी, ब्वालियर, ओकारेश्वर, रीवा, रतलाम, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, सीहोर, देवास, होशंगावाड़, पिथमपुर, खण्डवा, मंदसौर, सतना, बैतूल एवं छतरपुर स्वच्छता के लिए सम्मानित हुए इस प्रकार भारत स्वच्छ भारत अभियान में म.प्र. का सर्वश्रेष्ठ योगदान रहा।**

**2. स्वच्छ भारत अभियान में नगर-निगम द्वारा सफाई मित्रों एवं कर्मचारियों को दिये गये संसाधनों का योगदान –** निगम आयुक्त, महापौरजी की उचित योजना एवं मेहनत सफल रही। उन्होंने सफाई मित्रों को घर-घर से कचरा एकत्रित करने हेतु वाहन एवं बेकेट उपलब्ध जिससे सड़के (कचरा मुक्त) हो गई अब खाली प्लाट भी स्वच्छ हो गये हैं जिससे मक्खी एवं मच्छरों की संख्या कम हो गयी है एवं अनेक महामारियों पर रोक लग गई है। नगर-निगम ने जागीरदार प्रथा पर रोक लगा दी, अतिक्रमण पर रोक लगा दी है। यहाँ तक की पशु पालकों के आवारा पशुओं को पकड़कर शहर से बाहर किया तथा पशुओं के बाड़ों को तोड़ दिया जिससे शहर एकदम गंदगी एवं कचरा मुक्त हो गये हैं। पशु पालकों की गुंडागर्दी से निपटने हेतु प्रशासन ने नगर-निगम की मदद की है। इस प्रकार सीमित संसाधन होते हुए भी नगर-निगम ने इन्डौर को स्वच्छता में पूरे भारत में प्रथम स्थान दिलवाया है।

**3. स्वच्छ भारत अभियान में समाचार पत्रों की भूमिका –** स्वच्छ भारत अभियान में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समाचार पत्रों ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यापारियों, ठेलेवालों, सब्जीवालों एवं चाटवालों को स्वच्छ भारत अभियान के महत्व एवं उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक किया। गंदगी फैलाने वालों एवं खुले में शैच करने वालों को दफ्तित करने का भय दिखाकर उन्हें अच्छे नागरिक कर्तव्यों का बोध कराया। 7 मई 2017 को पत्रिका पेपर में 'सफाई में शहर पिछड़े तो योगी ने उठाई झाड़ू' प्रकाशित कर लखनऊ प्रशासन एवं नगर-निगम को स्वच्छ भारत अभियान हेतु जागरूक किया। 7 मई 2017 को पत्रिका पेपर ने 'अमृत बचाने के लिए किया श्रमदान' तहत सिरपुर तालाब एवं अन्य पेयजल के महत्व को

समझाया। इस दिन महापौर, कलेक्टर एवं पार्श्वद के साथ नगर सुरक्षा समिति सदस्यों ने श्रमदान कर सिरपुर तालाब की सफाई की। तथा 9 मई 2017 को नगर-निगम ने सिरपुर तालाब के आस-पास अवैध अतिक्रमण हटाकर 1 पोकलेन एवं 2 जेसीबी एवं 8 डंपरों की मदद से 80 डंपर मिट्टी निकालकर इसे गहरा किया तथा मिट्टी बगीचे में पहुंचायी। 9 मई 2017 को पत्रिका पेपर ने 'विधायक पटवारी के शाढ़ी समारोह में शहर को गंदगी का तोहफा' प्रकाशित कर आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस प्रकार गंदगी फैलाने वाले को नगर-निगम दफ्तित कर नागरिकों को स्वच्छ भारत अभियान के महत्व को स्मरण दिला रहा है।

**4. स्वच्छ भारत अभियान में सफाई मित्रों एवं कर्मचारियों का योगदान –** स्वच्छ भारत अभियान में सफाई मित्रों एवं कर्मचारियों की कड़ी मेहनत एवं लगन के कारण आज इन्डौर जो पहले कचरों एवं गंदगी में नम्बर 1 था आज पूरे भारत में स्वच्छ शहरों में प्रथम स्थान पर है। इन सफाई मित्रों एवं कर्मचारियों ने ईमानदारी से कार्य किया एवं घर-घर से सूखा एवं गीला कचरा अलग-अलग स्थानों पर वाहन में भरकर पूरे शहर को स्वच्छ एवं गंदगी मुक्त किया।

**5. स्वच्छ भारत अभियान में नागरिकों का योगदान –** स्वच्छ भारत अभियान में नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि नागरिकों ने ईमानदारी से घर एवं आस पास का कचरा एकत्रित कर उसे कचरा वाहन में ही डाला तथा मोहल्ले में किसी भी असामाजिक व्यक्ति को गंदगी नहीं करने दी सभी ने गंदगी एवं कचरा फैलाने वाले का विरोध किया। इस स्वच्छ भारत अभियान में प्रत्येक नागरिक ने सफाई मित्रों एवं कर्मचारियों की तन-मन एवं धन से मदद कर स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में इन्डौर को भारत का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर में प्रथम स्थान दिलाया।

**सुझाव –** 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद अनेक प्रधानमंत्रियों ने अपने कार्यकाल में अनेक योजनाएँ बनायी किन्तु इन योजनाओं में परमादरनीय 'मोदीजी' के स्वच्छ भारत अभियान योजना सर्वश्रेष्ठ है। मोदीजी भारत को रिश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली एवं सम्पन्न बनाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि सबसे अधिक शक्तिशाली एवं सम्पन्न बनने के लिए भारत के नागरिकों का स्वस्थ रहना जरूरी है एवं स्वरथ रहने के लिए भारत को स्वच्छ होना जरूरी है। अतः स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव हैं

**1. शहरों को आवारा पशुओं से मुक्त करना –** नगर-निगम ने शहरों को गाय माता, सुअर, बकरा-बकरी एवं अवैध माँस विक्रेताओं से मुक्त कर दिया है लेकिन आवारा कुत्तों से मुक्त नहीं कराया। ये आवारा कुत्तों जगह-जगह गंदगी करते हैं जिससे महामारी फैलने का भय रहता है ये आवारा कुत्तों बिना किसी चेतावनी दिये लोगों को काटते हैं जिससे अनेक लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। पालतु कुत्तों भी घरों को एवं पड़ोस के घरों को गंदा कर देते हैं। यदि नगरनिगम इन आवारा कुत्तों को पकड़कर शेर की तरह चिड़ियाँ घर में रख ले तो शहर पूर्णतया स्वच्छ एवं बिमारी मुक्त हो जायेगा।

**2. नागरिकों की सहभागिता –** प्रशासन एवं नगरनिगम को स्वच्छ भारत अभियान को पूर्णतया सफल बनाने के लिए नागरिकों की सहभागिता बढ़ाना चाहिये स्वच्छ शहर के साथ-साथ स्वच्छ मोहल्ले को भी सम्मानित करना चाहिये।

**3. अवैध वसुली पर रोक –** प्रशासन एवं नगरनिगम को अवैध वसुली (100 रु प्रतिमाह प्रत्येक नागरिक से) पर रोक लगाना चाहिये। इसके बढ़ाने गंदगी एवं कचरा फैलाने वालों को कठोर ढण्ड से दफ्तित कर प्राप-

राशि का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान में करना चाहिये।

**4. जल ऋत्र प्रदूषित होने से बचाना** – जल ऋत्र को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर उनके आस-पास पौधा रोपण करना चाहिये। ड्रेनेज एवं उद्योगों के पानी को नदी एवं अन्य जल ऋतों में नहीं बहाकर उसे उपचारित कर इसका उपयोग सिंचाई, सफाई एवं मरम्मत कार्य हेतु करना चाहिये।

**5. कामचोर एवं लापरवाह कर्मचारियों को सेवामुक्त करना** – कामचोर, चापलुस एवं लापरवाह कर्मचारियों को सेवामुक्त कर देना चाहिये ताकि शेष कर्मचारी इमानदारी से कार्य कर स्वच्छ भारत अभियान का सपना साकार कर सके।

**निष्कर्ष** – इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2019 तक भारत को स्वच्छ

और हरा-भरा बनाने के लिये स्वच्छ भारत अभियान एक सराहनीय एवं स्वागत योज्य कदम है। जैसा कि हम जानते हैं कि ‘स्वच्छता स्वर्ग की ओर अगला कदम है’। यदि हम सब प्रभावी रूप से इस अभियान का अनुसरण करे तो आगे वाले कुछ वर्षों में हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा। यदि देश स्वच्छ रहेगा तो देश के नागरिक स्वस्थ रहेंगे एवं देश तेजी से विकास करेगा।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पत्रिका
2. दैनिक भास्कर
3. नई दुनिया



## माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) एक व्यावहारिक अध्ययन


डॉ. दीपक जैन \*

**शोध सारांश -** देश के अब तक के सबसे बड़े 'कर सुधार' की जिम्मेदारी पूजनीय एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने अपने ऊपर लेकर इसका शुभांशु 1 जुलाई 2017 शुक्रवार को आधी रात 12 बजते ही राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी एवं प्रधानमंत्री मोदीजी ने एक साथ बटन ढाकर पूरे देश में उक्सरल कर व्यवस्था प्रारम्भ की। जिसे माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) कहते हैं।

जी.एस.टी. के पहले भारत में माल के उत्पादन, बिक्री, वितरण एवं सेवाओं की पूर्ति पर 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर एवं 23 प्रकार उपकर लगते थे जो काफी जटिल थे। इन करों को भरने में करदाता एवं कर वसूली में अधिकारियों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। इसमें कर चोरी से भी सरकार को राजस्व की हानि होती थी। इन सभी समस्याओं के निवारण हेतु पूजनीय प्रधानमंत्री मोदीजी ने वास्तव में सहायिक कदम उठाकर इतिहास रचा। कुछ राजनीतिक दलों ने इसका विरोध कर जनता एवं व्यापारियों को जी.एस.टी. के बारे में गलत जानकारी देकर उकसाया जिसमें पूरे देश में जी.एस.टी. विरोध का मौल बनने लगा। इसी जिज्ञासावश मैंने इस विषय का चयन किया।

**प्रस्तावना -** 1 जुलाई 2017 को जी.एस.टी. भारत में लागू हो जाने पर भारत विष्व में जी.एस.टी. कर व्यवस्था में 16 वाँ देश बन गया। माल एवं सेवाकर लागू होने हेतु पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कदम उठाया था। उन्होंने 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' का सपना देखा था। उन्होंने जी.एस.टी. हेतु केलकर समिति का गठन किया था। लेकिन सन् 2004 में सरकार बदल गई। इसके बाद जी.एस.टी. लगाना टलता गया। कर्योंकि कोई भी सरकार जी.एस.टी. लागू कर खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। किन्तु जिसप्रकार समुद्र मंथन में विष शिवजी ने पीकर देवताओं की रक्षा की ठीक उसी प्रकार पूजनीय प्रधानमंत्री मोदीजी ने माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) कर लागू कर विपक्षी दलों एवं जनता का विरोध सहन कर देश एवं देशवासियों के हित में सहायिक कार्य किया।

**जी.एस.टी. क्या है-** जी.एस.टी. एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्य में जोड़ पर लगाया जाता है। कोई भी वस्तु निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक कई चरणों के माध्यम से गुजरता है पहला चरण कच्चे माल को खरीदना, दुसरा चरण उत्पादन या निर्माण होता है, फिर सामागियों के भंडारण या गोडाउन में डालने की व्यवस्था होती है इसके बाद, उत्पाद रिटेलर या फुटकर विक्रेता के पास आता है और अंतिम चरण में, रिटेलर अंतिम उपभोक्ता को माल बेचता है।



**वस्तु एवं सेवा कर इतना महत्वपूर्ण क्यों है -** - जी.एस.टी. ने वर्तमान टैक्स संरचना को और अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है वर्तमान में भारतीय कर संरचना दो में विभाजित है - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर।

प्रत्यक्ष कर वह है जिसमें देनदारी किसी और को नहीं दी जा सकती। इसका एक उदाहरण आयकर है जहां आप आय अर्जित करते हैं और आप उस पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

अप्रत्यक्ष कर वह है जिसमें देनदारी किसी अन्य व्यक्तिको को दी जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि जब दुकानदार अपने बिक्री पर वैट देता है तो वह अपने ग्राहक को देयता दे सकता है। इसलिए ग्राहक वस्तु की कीमत और वैट भुगतान करता है ताकि दुकानदार सरकार को वैट जमा कर सके। अर्थात् ग्राहक न केवल उत्पाद की कीमत का भुगतान करता है, बल्कि उसे कर दायित्व भी देना पड़ता है, और इसलिए, जब वह किसी वस्तु को खरीदता है तो उसे अधिक खर्च होता है।

जब से जी.एस.टी. लागू हुआ है तो 3 जरह के कर होंगे:

**सीजीएसटी:** जहां केन्द्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा

**एसजीएसटी:** राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा

**आईजीएसटी:** जहां अंतरराज्यीय बिक्री के लिए केन्द्र सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा।

**नए शासन के तहत कर संरचना निम्नानुसार होगी :**

| लेनदेन                | नई प्रणाली          | पुरानी व्यवस्था                              | व्याख्या   |
|-----------------------|---------------------|--|--|
| राज्य के भीतर बिक्री  | सीजीएसटी + एसजीएसटी | वैट + क्रेन्डीय<br>उत्पाद शुल्क / सेवा कर    | राजस्व अब केन्द्र एवं राज्य के बीच बांटा जायेगा    |
| दुसरे राज्य को बिक्री | आईजीएसटी            | क्रेन्डीय बिक्री कर + उत्पाद शुल्क / सेवा कर | अंतरराज्यीय बिक्री के मामले में अब केवल एक कर होगा |

**अध्ययन का औचित्य एवं उद्देश्य -** माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) से

\* प्राध्यापक, श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

पहले भारत में माल के उत्पादन, बिक्री, वितरण एवं सेवाओं की पूर्ति पर 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर एवं 23 प्रकार उपकर लगते थे। इसमें दोहरे कर की समस्या थी। यह एक जटिल प्रणाली थी। इससे करदाता को करभरने एवं हिसाब रखने में कठिनाई होती थी। इसमें कर चोरी की संभावना अधिक रहती थी एवं सरकार को राजस्व की हानि होती है माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) पूरे भारत में चर्चित मुद्दा होने के कारण मैने इस विषय का चयन किया है।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्न सहायक उद्देश्य निर्धारित किये हैं-

1. जी एस टी का उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन
2. जी एस टी का आम उपभोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन
3. जी एस टी का राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन

**परिकल्पना** – उपरोक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाएँ रही जिनका परीक्षण एवं अध्ययन किया गया।

1. जी एस टी का उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन
2. जी एस टी का आम उपभोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन
3. जी एस टी का राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन

### जी एस टी. की दरे

**जी एस टी. की दरे इस प्रकार है :-**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 1. आवश्यक वस्तुएँ                  | 6%  |
| 2. सामान्य उपयोग के माल/सेवाएँ     | 5%  |
| 3. मूल आवश्यकता वाली सेवाएँ/उत्पाद | 12% |
| 4. मानक वस्तुएँ राजस्व तटस्थ दरे   | 18% |
| 5. विलासिता/हानिकारक वस्तुएँ       | 28% |

**सुझाव** – सरकार को हानिकारक एवं विलासिता वस्तुओं पर जी एस टी. की दरों को बढ़ाकर अधिक कर देना चाहिए तथा गरीब लोगों के हित में कुछ और आवश्यक वस्तुओं को जी एस टी. से मुक्त कर देना चाहिए जी एस टी. की दरों में कमी कर देना चाहिए। कर वसुली के लिए ईमानदार एवं मेहनती अधिकारी की नियुक्ति करना चाहिए। राजस्व शक्ति से वसुलना चाहिए। जी एस टी. की दर इतनी होना चाहिए ताकि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं

पड़े। जी एस टी. के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना चाहिए। सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों को शीघ्र जी एस टी. के अंमर्गत लाना चाहिए इससे वैट की दरों की विसंगति दूर होगी और राज्यों द्वारा की गई करों में बढ़ोत्तरी से मुक्ति मिलेगी। सरकार को गरीब एवं मध्यम परिवार के उपभोक्ता द्वारा उपभोग की वस्तुओं एवं सेवाओं पर जी एस टी. की दर कम से कम करना चाहिए। उदाहरण केबल एवं डिश टी.वी पर जी एस टी. कम करना चाहिए ताकि गरीबों का मनोरंजन हो सके इसके बढ़ावे सिनेमा, क्रिकेट मैच की टिकटों पर अधिक से अधिक दर से जी एस टी. लगाना चाहिए क्योंकि इससे अमीर लोग मनोरंजन करते हैं। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटका, शराब एवं अन्य नशीली वस्तुओं पर ऊँची दर से जी एस टी. लगाना चाहिए ताकि इन पर रोक लग सके।

**निष्कर्ष** – जी एस टी व्यवस्था अभी सुधार समस्या से गुजर रही है इससे सरकार, व्यापारी एवं उपभोक्ता को पीड़ा सहन करना पड़ रही है। यह हर्ष का विषय है कि भारत सरकार ने जी एस टी. के प्रभावों की समीक्षा की है एवं जी एस टी कौंसिल (7.10.17) की मीटिंग में कई सुधारों एवं राहतों की घोषणा की। 28 वस्तुओं पर कर की दरे कम की गई है छोटे सेवा प्रदाता जिनकी करयोग्य सेवाएँ 20 लाख रुपये से कम हैं उन्हें अंतरराजकीय सेवा प्रदान करने के लिए पंजीयन से मुक्ति दी गई है जी एस टी कौंसिल के अनुसार 200 वस्तुओं की दरे 28% से घटाकर 18% और 18% से घटाकर 12% की गयी है पेनल्टी में भी राहत दी गई और कम्पोजिशन को 1.5 करोड़ रु तक बढ़ाने की अनुशंसा की गई है ये कदम सहरानीय हैं ताकि जी एस टी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ावा दें।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रतियोगिता दर्पण, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली
2. दैनिक भास्कर, इन्डियर
3. जी एस टी., प्रथम वर्ष, श्रीपाल सकलेचा, सतीश पब्लिकेशन, 2017-18
4. अप्रत्यक्ष कर, श्रीपाल सकलेचा, सतीश पब्लिकेशन, 2016-17

\*\*\*\*\*

# स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टेट बैंक समूह और भारतीय महिला बैंक के विलय का अध्ययन

## कामरान अहमद खान \*

**शोध सारांश** - प्रस्तुत शोध पत्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पांच सहयोगी बैंक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक का भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुए विलय का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर और भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभाव पर है। इस शोध पत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है, कि जब नॉन परफारमिंग असेट्स (एन.पी.ए.) में दूबे 6 बड़े बैंकों का देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ विलय किया गया तो बैंक की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत की आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा स्थापित बैंक आज जो देश का सबसे बड़ा और अग्रणी बैंक बना हुआ था, उस बैंक के विलय के बाद वित्तीय स्थिति जानने का प्रयास किया गया है। साथ ही इस शोध पत्र में विलय के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग बाजार में स्थिति जानने का भी प्रयास किया गया है।

### प्रस्तावना

**अ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया** - 2 जून 1806 को कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी। तीन वर्षों के पश्चात इसको चार्टर मिला तथा इसका पुनर्गठन बैंक ऑफ बंगाल के रूप में 2 जनवरी 1809 को हुआ। यह बैंक ब्रिटिश इंडिया तथा बंगाल सरकार द्वारा चलाया जाता था। बैंक ऑफ बौम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास की शुरुआत बाद में हुई। बाद में 28 जनवरी 1921 को इन तीनों बैंकों का विलय करके एक नए बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई। वर्ष 1951 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र के विकास को इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उस समय तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सहित देश के वाणिज्यिक बैंकों का कार्य-क्षेत्र शहरी क्षेत्र तक ही सीमित था तथा वे ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक पुनःनिर्माण की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। 1 जनवरी 1935 को रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के साथ ही 'बैंकिंग नियमन अधिनियम' पारित किया गया, जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण रखने का विस्तृत अधिकार प्राप्त हो गया। यद्यपि ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थी, पर अखिल भारतीय साख समिति ने इम्पीरियल बैंक के साथ कुछ राज्य-सम्बद्ध बैंकों को मिलाकर 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' की स्थापना की संस्तुति की। फलस्वरूप 1 जुलाई, 1955 से इम्पीरियल बैंक की सभी सम्पत्तियों तथा देनदारियों को अधिग्रहण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया।

**ब) स्टेट बैंक समूह** - स्टेट बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद 1959ई. में, इसके साथ अन्य 7 बैंकों को स्टेट बैंक के सहायक बैंकों के रूप में बदल दिया गया था और इसे 'स्टेट बैंक समूह' का नाम दिया गया। स्टेट बैंक समूह के बहुत से प्रकार हैं:-

- स्टेट बैंक ऑफ पटियाला,
- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर,
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद,

- स्टेट बैंक ऑफ मैसूर,
- स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर,
- स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र,
- स्टेट बैंक ऑफ इंदौर।

स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 13 अगस्त, 2008 को और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 26 अगस्त, 2010 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिए गए।

**स) भारतीय महिला बैंक** - भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) एक वित्तीय सेवा प्रदाता बैंकिंग कंपनी थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य में 19 नवम्बर, 2013 को 1000 करोड़ की पूँजी के साथ देश में पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित देश के पहले महिला बैंक की स्थापना की। इसमें 100 प्रतिशत अंश पूँजी भारत सरकार की थी। पहले इसको केवल महिलाओं के लिए बनाया गया था, परन्तु बाद में इसमें अन्य लोगों से भी जमा स्वीकारा जाने लगा, लेकिन मुख्य रूप से इसमें महिलाओं के लिए ऋण देने का प्रावधान था। पाकिस्तान और तंजानिया के बाद भारत विशेष रूप से महिलाओं के लिए बैंक खोलने वाला दुनिया का तीसरा देश था।

**कार्यप्रणाली** - अध्ययनदेश के सबसे महत्वपूर्ण बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह के 5 बैंक और भारतीय महिला बैंक के विलय के संदर्भ में है। अध्ययनमें विलय से पहले और विलय के बाद सभी महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यप्रणालीयों और उनकी स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। अध्ययनके द्वारा सूचना का संकलन द्वितीयक समर्कों के द्वारा किया गया है।

### उद्देश्य

- स्टेट बैंक समूह का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय के बाद भारतीय स्टेट बैंक पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययनकरना।
- विलय के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय स्थिति में होने वाले बदलाव का अध्ययनकरना।
- विलय के बाद देश विदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थिति में

\* शोधार्थी (वाणिज्य) शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

होने वाले सुधार का अध्ययन करना।

**सीमाएं** – संबंधित अध्ययनका क्षेत्र और सीमा सीमित है। अध्ययनके लिए चयनित अवधि सीमित है।

**सामान्य परिदृश्य** – विभिन्न बैंकों के आपसी विलय तथा गैर बैंकिंग कम्पनियों (एनबीएफसी) के बैंकों में विलय के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक ने 2005 को जारी किए थे। यह दिशा-निर्देश निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के मामलों में भी प्रभावी हैं। इनके तहत बैंकों के स्वैच्छिक विलय के लिए अब दोनों बैंकों के प्रबंधक मण्डलों की दो-तिहाई बहुमत की सहमति आवश्यक होगी। दो-तिहाई बहुमत केवल उपस्थित सदस्यों का ही नहीं बल्कि सभी सदस्यों का आवश्यक किया गया है। प्रबंधक मण्डलों की दो-तिहाई बहुमत से सहमति के पश्चात् शेयरधारकों की दो-तिहाई बहुमत से सहमति और रिजर्व बैंक की भी अनुमति विलय हेतु इन ईकाइयों को लेनी होगी।

विलय के लिए पहली बार जारी किए गए इन दिशा निर्देशों में यह कहा गया है कि विलय प्रस्ताव पर विचार करते समय बैंक के प्रबंधक मण्डल को विलय किए जाने वाले बैंक की परिसम्पत्तियों, दायित्वों एवं आरक्षित कोषों आदि की स्थिति पर भी विचार करना होगा। साथ ही यह भी देखना होगा कि विलय के लिए प्रस्तावित स्वैच्छिक विलय के पश्चात् मूल्यांकन एजेंसी द्वारा निर्धारित किया गया हो तथा यह उचित हो। प्रबंधकों को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि विलय के पश्चात् 'विलयित इकाई' में किसी व्यक्ति समूह अथवा संस्था की बैंक में शेयरधारिता सम्लणधी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों का उल्लंघन न करें। विलय के उपरांत 'विलय इकाई' की लाभप्रदता तथा उसके पूँजी पर्याप्तता अनुपात पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन भी सम्बन्धित प्रबंध मण्डल को देखना चाहिए।

**विलय का कारण** – स्टेट बैंक के 5 सहायक बैंकों और भारतीय महिला बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय होने के पीछे निम्न कारण देखे गए हैं :-


- 1) भारत सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनके द्वारा बहुत ऋण (एन.पी.ए.) से निपटने के लिए अनुदान (सब्सिडी) देती है, अब भारत सरकार को 6 अलग-अलग बैंकों को अनुदान (सब्सिडी) की बजाए एक ही बैंक मर्जर बैंक को देना आसान होगा।
- 2) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पिछले कुछ सालों से लाभ गिरता जा रहा था। अब विलय के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लाभ उसकी लाभ हानि खातों में कुछ सुधार होता हुआ नजर आएगा। पूरे एसबीआई समूह का लाभ वित्तीय वर्ष 2016 में 12,225 करोड़ रुपये से गिरकर वित्तीय वर्ष 2017 में सीधे 241 करोड़ रुपये आ गया था। यह लाभ विशेषकर स्टेट बैंक समूह के हानि के कारण घटा था।
- 3) जिन स्टेट बैंक समूह के ऋण एन.पी.ए में बदल गए हैं विलय के बाद उन्हें नए सिरे से वसूली करने में बल मिलेगा।
- 4) ब्रांच बैंकिंग की लागत में विलय के बाद भारी कमी आयगी जिससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि वित्तीय स्थिति सुधरने में सहायक सिद्ध होगी।

**स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर विलय का प्रभाव** – स्टेट बैंक समूह और भारतीय महिला बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय के परिणामस्वरूप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज विश्व के 50 बड़े बैंकों की श्रेणी में 45वें स्थान पर आ गया है। यह भारत का इकलौता बैंक है जो विश्व के 50 बड़े बैंकों की श्रेणी में है। अब विलय के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की संपत्ति 37 लाख

करोड़ के भी पार पहुंच गई है, जो भारत में किसी बैंक के पास सबसे ज्यादा है। विलय के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की संपत्ति में करीब 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह 50 करोड़ के विशाल ग्राहक समूह के साथ खड़ा जो 22,500 शाखाओं और 58,000 एटीएम से सीधे बैंकिंग सुविधा का लाभ ले सकते हैं। स्टेट बैंक समूह और भारतीय महिला बैंक के शेयर धारकों को अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर दिये जायेंगे जो कि उनके लिए लाभदायक होंगे।

**चित्र :- 1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

**चित्र:-2**



जैसा कि हम **चित्र:- 1** में देख सकते हैं कि विलय के पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार कि हिस्सेदारी 61.30प्रतिशत थी जो **चित्र:- 2** में विलय के बाद घटकर 59.70प्रतिशत हो गई वहीं सार्वजनिक शेयरधारकों कि हिस्सेदारी 31.70प्रतिशत से बढ़कर 40.30प्रतिशत हो गई है।

पहली बार कोई भारतीय बैंक दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में आ गया है। एसबीआई, जिसे पहले 52 पर रेट किया गया था, अब एक संयुक्त इकाई के रूप में 45 अंक पर स्थान दिया गया है। विलय के बाद एसबीआई की परिसंपत्ति का आकार अपनी प्रतिफल आईसीआईसीआई बैंक, जो इस समय संपत्ति आकार के हिसाब से देश में दूसरे स्थान पर है से लगभग 4 गुना ज्यादा हो गया है।

**एसबीआई और स्टेट बैंक समूह के शेयरों का अनुपात** – स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक समूह कि विलय की शर्तों के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रत्येक 10 शेयरों के बदले एसबीआई के 28 इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। वहीं स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के प्रत्येक 10 शेयरों के बदले एसबीआई के 22 शेयर दिए जाएंगे। और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के प्रत्येक 10 शेयरों के बदले एसबीआई के 22 शेयर दिए जाएंगे। वहीं स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद पूरी तरह से एसबीआई का 100 प्रतिशत अंश धारक बैंक था जो शेयर बाजार में सूची बद्ध नहीं थे।

**शाखाओं की अतिव्यापकता** – स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज देश के सबसे बड़े शाखाओं के नेटवर्क के जाल के साथ देश का अग्रणी बैंक है। अब विलय के बाद जो स्टेट बैंक समूह की शाखाएं हैं वह भी एसबीआई के नाम से जानी जाने लगी हैं इस कारण बहुत सी जगह जहां एक ही शाखा की जखरत है वहां ढो-ढो या तीन-तीन शाखाएं हो गई हैं। जिस कारण परिचालन व्यय का अतिरिक्त-भार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लाभ पर पड़ सकता है।

**प्रबंधन की चुनीती** – विलय के साथ ही एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। विलय के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि शाखाओं की संख्या 24000 से ज्यादा हो गई हैं, और 58,000 ए.टी.एम और 2.7 लाख कर्मचारियों के साथ देश का अग्रणी बैंक बन गया है। इन शाखाओं और

एटीएमों का प्रबंधन और रख-रखाव करने का जिम्मा अब सिर्फ एसबीआई मैनेजमेंट टीम पर ही निर्भर है। इन सब के परिचालन की चुनौती एसबीआई के सामने बनी हुई है। वहीं वित्तीय स्थिति के अनुसार विलय के बाद एसबीआई अपनी तरलता का प्रबंधन करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। इस प्रकार उन्हें तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत आरबीआई से उधार लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। एक और लाभ यह है कि लेन-देन की देरी और अनावश्यक लागत में कटीती, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक अनुकूल सेवा और बेहतर प्रशासन होगा।

**विशाल झूबत ऋण -** स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले से ही बहुत ज्यादा ऋण समूह था जो एनपीए की तरफ बढ़ता जा रहा है। विलय के बाद स्टेट बैंक समूह का झूबत ऋण भी एसबीआई के तुलन पत्र में दिखाई देगा। वित्तीय वर्ष 2015-16 में अकेले एसबीआई का स्ट्रैक्स लोन 66,117 करोड़ रुपये और स्टेट बैंक समूह का स्ट्रैक्स लोन 35,396 करोड़ रुपये था, जो कि एसबीआई के मुकाबले आधे के बराबर है। इसी के साथ एसबीआई बही खाते में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) का हिस्सा बढ़कर करीब 8.7 हो जाएगा। अब एसबीआई को इस पूरे स्ट्रैक्स लोन को जल्द से जल्द निपटाने की बहुत बड़ी चुनौती है। वर्तमान में सहयोगी बैंकों का एनपीए 7-9 प्रतिशत है जबकि एसबीआई का 6.8 प्रतिशत है। विलय के बाद संयुक्त इकाई का कुल एनपीए आधार प्रभाव के कारण नीचे आने के आसार हैं।

**निष्कर्ष -** भारतीय रिजर्व बैंक के 2005 के दिशा निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल, 2017 को देश सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टेट बैंक समूह और भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया गया है। विलय के बाद भारती स्टेट बैंक 37 लाख करोड़ की विशाल संपत्ति और 22,500 शाखाओं और 58,000 एटीएम के साथ विश्व में 50 अग्रणी बैंकों की सूची में 45वें स्थान पर आ गया है। विलय के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक समूह


50 करोड़ के भी पार पहुंच गया है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने इतने बड़े विशाल ग्राहक समूह को बेहतर ग्राहक सेवा देने की भी चुनौती बनी हुई है। साथ ही साथ विलय के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनपीए आधार भाव से नीचे आते दिखा है, परन्तु एसबीआई के सामने विलय स्टेट बैंक समूह का एनपीए निपटाने की भी चुनौती होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टेट बैंक समूह और भारतीय महिला बैंक समूह का विलय एक विजय के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि विलय के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि वित्तीय स्थिति और ख्याति में काफी सुधार आया है। वहीं विलय के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले से और भी ज्यादा विशाल शाखाओं और ग्राहक समूह के साथ विश्व के अग्रणी बैंकों की सूची में आ गया है जो की भारत का इकलौता बैंक है। हालांकि, विलय के बाद नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, परन्तु उन चुनौतियों का सामना सही ढंग से किया जाए तो यह फैसला बैंकिंग इतिहास का सबसे सफल फैसलों में से एक होगा।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एसबीआई और उसकी सहयोगी बैंकों का विशाल विलय:- डी. सत्यानारायन, डॉ. जी. वी सुब्बा राजू, डॉ. एस. कृष्णमूर्ती
2. Associate Banks Merger – Birds Eye View (By Stakeholder Empowerment Services)
3. <https://en.wikipedia.org>
4. <https://economictimes.indiatimes.com> › Industry › Banking/Finance › Banking
5. [www.livemint.com](http://www.livemint.com) › Industry › Financial Services
6. <https://www.sbi.co.in>
7. <https://www.rbi.org.in/>
8. [www.google.com](http://www.google.com)
9. <http://www.thehindubusinessline.com/money-and-banking/merger-of-associate-banks-with-sbi-may-not-be-seamless-for-customers/article9604979.ece>

चित्र :- 1

विलय के पहले



\*\*\*\*\*

# Urban Cooperative banks in India : Challenges and probable solutions

Dr. Smriti Singh\*

**Abstract** - The movement of urban cooperative banking came into existence with the objectives of meeting the credit needs of weaker sections in urban areas of the country and to promote their economic position through self-reliance on the principle of equity. The services of urban cooperative banks in deploying credit and rendering other services are indispensable and important for qualitative improvement in the economic conditions of poor people in urban areas. This paper is focused to find out the answer whether the urban cooperative banks are able to achieve their objectives with which they were established and to evaluate the issues and challenges being faced by UCBs. The paper also suggests measures to improve the performance of urban cooperative banks. For the research, data is collected with the help of primary sources i.e questionnaire from selected UCBs in Gwalior region and from secondary sources such as Business-line newspaper, website of sample banks, research reports of Reserve bank of India, and journals.

**Keywords** - Equity, Cooperative banks, urban areas, Self-reliance,

*'Suppose I have come by a fair amount of wealth – either by way of legacy, or by means of trade and industry – I must know that all that wealth does not belong to me; what belongs to me is the right to an honorable livelihood, no better than that enjoyed by millions of others. The rest of my wealth belongs to the community and must be used for the welfare of the community'.*

- Mahatma Gandhi.

**Introduction** - The co-operative movement in India is more than a century old. The organization of co-operative institutions in India dates back to the 19th century when the first mutual aid society 'Anyonya Sahakari Mandali' was formed in Gujarat at Baroda on February 05, 1889. The first major impetus was provided to these institutions by the passage of the Cooperative Society Act in 1904 and the Kancheepuram Co-operative Credit Society in Tamil Nadu became the first credit society to get registered under this Act. Later in 1919, the subject of co-operation was transferred from Central Government to provincial States.

**Conceptual framework:** Cooperative credit institutions are an important segment of the banking system and play a vital role in mobilizing deposits and provide credit to people of small means. Rural Cooperatives are primarily mandated to ensure flow of credit to agricultural sector under the provisions of either the State Co-operative Societies Act of the State concerned or the Multi State Co-operative Societies Act, 2002 if the area of operation of the bank extends beyond the boundaries of one State. These banks are licensed by RBI to carry on banking business and hence they are under the dual control of RBI and the Registrar of Co-operative Societies.


**Table: GROWTH OF URBAN COOPERATIVES IN INDIA (AMOUNT IN CRORES)**

| YEAR | NO.OF UCB <sub>s</sub> | DEPOSITS | LOANS AND ADVANCES |
|------|------------------------|----------|--------------------|
| 2013 | 1606                   | 276900   | 181000             |

|      |      |        |        |
|------|------|--------|--------|
| 2014 | 1589 | 315503 | 199651 |
| 2015 | 1579 | 355134 | 224302 |
| 2016 | 1574 | 392179 | 245013 |
| 2017 | 1562 | 443500 | 261200 |

Source: Reserve Bank of India 2012 to 2016, Report on Progress of Banking in India

**GRAPH: TOTAL NUMBER AND GROWTH IN ASSETS OF UCB<sub>s</sub>**



Note: Data for 2015-16 are provisional

Source: RBI Supervisory Returns and staff calculations

## Review of Literature :

**Report on Trend and Progress of Banking in India for the year ended (June 30, 2017)** summed up in its report that the ongoing improvement efforts were reflected in various performance indicators of urban co-operative banks during the year. Growing deposits and higher investment rate led to a substantial increase in the balance sheet size of UCBs. Their performance improved in terms of profitability, partly due to the diversification strategies facilitated by improving capital positions. But the quality of

\* Professor, SJHS Gujarati Innovative College of Commerce and Science, Indore (M.P.) INDIA

their assets somewhat deteriorated partly due to temporary problems.

**Rao and Biradarin** their study on Belgaum District Co-operative Bank reveals that though UCBs have computerised branches, Phone-in-link services, tele banking services and online bank services but majority of respondents were unaware about these services. The study revealed that high cost of technology, limited geographical area and limited business operations, Convenience banking was the prime reasons for non-adoption of ICT by banks.

**Babu and Selkhar(2012)** concluded that the UCBs strengthen their uniqueness and growth in the banking industry by taking measures like Professionalization of its management, inculcating good corporate governance, technology absorption and scrupulous adherence to regulatory framework. Further the urban cooperative banking sector should learn from its past experiences and adjust to new realities since banking is risky and challenging business.

**JadhavRajani (2010)** carried out her research work and analyse that the present co-operative banking scenario is far from modern banking practices. The main cause of this is unavailability of high level of technological tools and the infrastructural facilities like communication system, networking. The researcher also noted that there is lack of awareness amongst the customers about their rights to various banking facilities; lack of knowledge and skills of the employees of the banks and also comments that resistance against change in the system by all levels of the employees and management including top executives of the banks.

**Gupta and Jain (2012)**observed in their research that though the branch network of cooperatives are widespread across the country but concentrated in certain regions and are less in north-eastern region of the country. Further, efforts are needed to improve banking penetration in the north-eastern part of the country along with improving the financial health of the ground level cooperative institutions.

#### **Objectives of the Study:**

1. To diagnose the macro analysis of urban cooperative banks.
2. To study the growth and performance Urban Cooperative Banks in India.
3. To evaluate the issues and challenges being faced by UCBs.
4. To suggest measures to improve the performance of urban cooperative banks.

**Research Methodology:**For the research, primary sources i.e questionnaire was prepared and circulated to the top and middle level management of sample banks of Gwalior region also personal interviews of Directors, CEOs and senior officers of the selected banks were conducted. Secondary data such asBusiness-line newspaper, website of sample banks, research reports of Reserve bank of India, and journals are used.

#### **Challenges faced by Urban Cooperative Banks:**

**Neck to neck Competition with Commercial Banks -** Cooperative banks are facing stiff competitions with other commercial Banks as commercial banks are at advantageous position:

**1. Considered safer by the customers:** Although the Interest Rates offered by Commercial Banks are less than the rates offered by the UCBs, still the customers feel safer in depositing money with them. During the last few years many UCBs were liquidated, some merged with other stronger banks, and a few are in poor Financial condition. Hence the customers hesitate to make deposits with UCBs.

**2. Huge branch networks of commercial banks:** Commercial banks have huge network throughout the country whereas due to low Net worth position, most of the UCBs are conducting banking business within one town or city and in few adjacent districts only. UCBs are dependent on other commercial banks for effecting transfer of funds and other important works. This hampers their progress.

**3. Technological setup:** UCBs have limited resources and technological support like Internet banking, Mobile Banking, SMS Banking, Core Banking Systems etc. It is a big hurdle in their development.

**4. Multi-faceted product services:** UCBs do not provide additional services such as Debit Cards, Credit Cards, RTGS, NEFT, Forex Business etc, at par with commercial Private or Foreign Banks. This reduces their Non-Banking business income.

**5. Low cost of lending:** UCBs do not have liberty to consider borrower-wise interest rate. They have to follow their loan policy strictly. But in case of other banks, concessional or reduced rates are applied on loans and advances given to trustworthy customers by the commercial and private banks.

**6. Organized management:** Commercial and private banks offer attractive salaries and facilities to their staff thereby recruiting qualified and experienced personals. In UCBs things are quite different. There is a dearth of highly qualifiedand trained banking personnel who areunable to attract more business. Also, the customers do not get quick and desired service.

**7. High cost of operation:** Commercial and private banks are managed by professionals and experts hence every precaution is taken to control operating cost while UCBs are not run by professionals. Faulty recruitment system, excess staff, unwanted expenses made by the bank, high interest paid, heavy legal charges paid due to large quantum of litigation etc. ensures that the profit of the bank ultimately reduces.

**8. Lower acceptance by government and other institutions:** There are restrictions on Central, State Govt. Departments, Local Authorities and even Charitable Trusts etc. on having deposit accounts with urban cooperative banks. All low-cost deposits or no interest deposits of these offices go straight to nationalized banks. Even Demand Drafts and Bank Guarantees given by co-operative banks are not accepted by Govt. Departments, Local bodies &

even schools & colleges.

**Dual control system** - Co-operative banks are jointly controlled by Reserve Bank of India and State Co-operative Department. The multiplicity of command centers and absence of clear-cut demarcation between the two authorities have been the most complicated problem of urban co-operative banking movement.

Some of the Problems due to Dual Control are as given below:

**1. Dual inspection authorities:** The accounts of the Banks are inspected by RBI & DDR. The Bank has to spare more time for inspections and Audits. They have to submit compliance to both the authorities. This hampers their developmental programs as much time is spent by them for audit and inspection of the bank.

**2. Delay in obtaining Approval:** The Bank has to obtain approval from RCS and RBI for many important decisions. It requires additional time and staff for the purpose.

**3. Non-professional approach of Govt. Department:** State Govt. bodies are not very professional to control the complex system of cooperative banks because of this, often delay takes place in taking major decisions. This automatically results in reduced efficiency of the banks.

**4. Different approach:** The Audit Grade given by RCS is mostly different from the gradation given by RBI. Not only this, many ratios calculated by both the authorities are different.

**5. Issue of Circulars:** RBI is regular in issuing circulars to Banks as and when required and these circulars are available immediately on the web site of the RBI. But this is not so in the case of circulars issued by the RCS.

**Other problems** - There are some other problems other than above two types of problems being faced by UCBs. These are:

**1. Lacking in Professional attitude:** The UCB framework is lacking in professional attitude and approach not only at management level but also at operational level. RBI has taken several measures to infuse professionalism in these banks but they are not effective enough in spirit or in implementation.

**2. Poor Salary & Wage Structure:** Highly professional staff is not eager to work in the UCBs due to their poor Wage Structure. This blocks the development of professional attitude and approach among them.

**3. No scope for self-development:** Since many UCBs happen to be small in size, there is no scope for the staff for further promotion to higher positions. Many employees retire in the same grade as they were appointed in. This becomes monotonous and kills their aspirations to make progress in the banking field.

**4. Concentration of Powers:** In some UCBs the powers are centralized in the hands of a few Directors. These powerful directors works as per personal interest and not in the interest of the bank. Also majority of the directors hold the office for years and sometimes office bearers' post passes from father to son or to members of the same family.

**5. Interference of Board Members in the working of the Bank:** Though RBI has issued guidelines to Board not to interfere in the day-to-day working of the Bank, many directors are not inspired by these guidelines and think that it is their right to get the work from the staff as they desire. This obstructs personality development of the staff.

**6. Political Interference:** Many UCBs are under the control of political leaders. The decisions taken by such persons are not in the interests of the bank but always guided by some political motives or goals.

#### **Measures expected to be taken by the Government**

**1. Assistance to sick UCBs:** Government should take up rehabilitation of weak and sick UCBs. It should provide those Loans & Advances to be repaid on long term basis as and when required.

**2. Income Tax rebate:** It should exempt UCBs from paying Income Tax. If this is not feasible, then they should be given at least a few more years' tax holiday. Even if tax is to be imposed, it should be at a far lesser rate than that for other banks.

**3. Deputation of Government officers on Board:** It should depute Government Officers with good knowledge and experience of co-operative banking, on Boards to improve the overall health of the bank.

**4. Exclusive Laws for UCBs:** The Government should frame specific laws for UCBs which will help them to recover loans and advances from the borrowers without any scope for wilful defaulters.

**5. Pay Fixation:** The Government should fix Salary & Wages of Urban Bank staff at par with State Government salaries which will definitely boost the morale and efficiency of the working staff and they will give better service to the banks' customers.

**6. Eligibility criteria for Directors:** The Government fix eligibility criteria for the minimum qualifications and experience for appointment as directors of UCBs. At least 50% of the total Directors should have banking experience.

#### **Measures expected to be taken by RBI**

**1. Regular inspections by RBI:** Regular inspection of banks should be done by RBI to improve overall health of all Banks. They should do detailed scrutiny so as to make the banking operations defect free.

**2. Qualification & Experience of Directors and Staff:** RBI should fix minimum qualification of chairman and vice-chairman having professional experience of bank. Likewise, some regulatory framework, as regards educational qualifications and experience should be fixed for appointment of clerical staff and officers.

**3. Training Centers at RBI Regional Offices:** RBI should arrange training programs round the year, for the staff of Urban Banks at affordable fees so that these employees will be better equipped to cope with the changing trends in banking.

**4. Single Regulator:** cooperative banks are managed by co-operative department and RBI both. It will be preferable to place them under the single control of RBI

which will bring qualitative improvement in the working of UCBs.

**5. Knowledge Support to UCBs:** RBI should appoint a full time officer at every regional office, possessing good knowledge of all rules and regulations applicable to UCBs and local language, to solve the problems of UCBs.

**6. Exchange of Information & Experience:** There is need for an exchange of information and experience between the various UCBs working in the area, and the promotion and creation of co-operative.

**7. Social Obligations:** Being a part of society every bank has to meet its social obligations. Bank can use their surplus funds for the upliftment of the people living in nearby areas. This will help to maintain good relations with the people in the area and ultimately benefit the bank

**Conclusion :** UCBs plays an important role in the Indian Financial system. In view of growing networking of UCBs and their utility in financial uplift and financial inclusion there is a need of separate umbrella organization which work exclusively for UCBs also there is a need to take measures like efficient organization system, trained and qualified staff, revised salary structure to staff, training of employees, computerization of its branches, issue of financial package to the banks by RBI, lessening burden of dual control, Professionalization in management, inculcating good corporate governance culture, technology absorption and scrupulous adherence to regulatory framework. For the sustainable development urban cooperative banking sector will learn from its past experiences and adapt them according to competitive and changing environment.

#### References :-

1. An Information Booklet on Urban Cooperative Banks, their Problems, Expectations and Remedies :An Information Booklet on Urban Cooperative Banks, Edition : January, 2013,ISBN : 978-81-8441
2. Biradar and Rao, "Ict Practices Of Banks: A Study Of Cooperative Banks In Belgaum, Karnataka"IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF) e-ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 2321-5925 PP 08-11 www.iosrjournals.org
3. Raveendran P.V. (PuthiaVeettil), 2006"History of urban cooperative Banks" A study on the management of funds in urban co-operative banks in Kerala, Thesis. Department of Commerce and Management Studies, University of Calicut
4. Babu and Selkhar,(2012), The Emerging Urban Co-Operative Banks (Ucbs) In IndiaIOSR Journal of Business and Management (IOSRJBM) ISSN: 2278-487X Volume 2, Issue 5 (July-Aug. 2012), PP 01-05, www.iosrjournals.org
5. Bahulal and Dhanna, (2017) "A Study on Co-operative Banks with special reference to Himachal Pradesh Co-operative Bank"IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 22, Issue 12, Ver. 7 (December. 2017) PP 67-73 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845, www.iosrjournals.org
6. Report on Trend and Progress of Banking in India,( 2003-04 ),Developments in Co-operative Banking
7. Gupta and Jain,(2012), "A study on Cooperative Banks in India with special reference to Lending Practices", International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 2, Issue 10, October 2012, ISSN 2250-3153
8. Ramu N,(2011),Financial performance of urban cooperative banks(A study with reference to Tamil Nadu),Research Line, Volume IV, No.1, January-June 2011
9. RBI Report on Trend and Progress of Banking in India 2016-17, "Development in cooperative Banking"
10. SoyeliyaUsha L, (2013), "A study on Co-operative Banks in India", International Journal of Research in Humanities and Social Sciences Vol. 1, Issue: 7, September 2013,ISSN :(P) 2347-5404 ISSN:(O)2320-771X
11. Bhaskaran R and Praful Josh P (2000), "Non-Performing Assets (NPAs) in Co-operative Rural Financial System: A major challenge to rural development", Birds s Eye View Dec.2000.
12. DuttaUttam and BasakAmit (2008), "Appraisal of financial performance of urban cooperative banks- a case study." The Management Accountant, case study, March 2008, 170-174.
13. Annual Report 2016- 17- Reserve Bank of India.
14. Annual Report 2015- 16 Reserve Bank of India.



## साहित्य में भाषा शिक्षण की उपादेयता

**डॉ. धीरेन्द्र सिंह \***

**प्रस्तावना** – समाज यदि भाषा की निर्मिति में सहायक है तो भाषा भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटती, बल्कि एक स्वस्थ एवं सश्वत् नागरिक का निर्माण करती है, जो किसी भी राष्ट्र के निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही निर्धारण नहीं करती अपितु उसे संस्कारवान् भी बनाती है जो उसकी प्रगति का अहम हिस्सा साबित होती है। भाषा के संबंध में आमधारण है कि वह सम्प्रेषण का माध्यम मात्र है किन्तु इसे वैचारिकता के धरातल पर सोचने, परखने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें भाषा की भूमिका को ठीक प्रकार से समझने और समझाने की ज़रूरत है। भाषा के बहुआयामी पक्षों यथा (साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, संरचनागत, सौन्दर्यशास्त्रीय) के पड़ताल की आवश्यकता है जिससे भाषा के मर्म को समझा जा सके।

बच्चे में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है जिसके कारण बच्चा नई भाषा को आसानी से सीख सकता है किन्तु भाषा शिक्षण के समय फोकस विषयवस्तु पर होना चाहिए न कि शब्द संरचना (व्याकरण) पर। वैश्वीकरण के इस युग में सर्वाधिक संकट भाषा पर ही मंडरा रहा है। कई बड़ी-बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियाँ भाषा को भ्रष्ट करने में लगी हुई हैं। इनकी नज़र विश्व बाज़ार पर है। इन महाषक्तियों द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि वे ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का निर्माण कर रही हैं जिससे मनुष्य-मनुष्य के बीच दूरियाँ कम होंगी। वह एक सोची समझी चाल है ताकि वे अपने विश्व बाज़ार के उद्देश्य को सुनिश्चित कर सकें। इसके भुलावे में आने वाले लोग अतिउत्साहित होकर भाषा के इस शंकर रूप में ही दुनिया की सच्ची मुक्ति व उसे प्रगति के लिए अनिवार्य मानते हैं किन्तु सत्य कुछ और ही है।

उत्तर – आधुनिक समय में हुए भाषिक व सांस्कृतिक अमूल्यन को भी देखना होगा। भूमण्डलीकरण ने बाज़ारवादी मूल्यों और संस्कृति के साथ भाषा को अपना पहला हथियार बनाया है। भाषा मनुष्य की सांस्कृतिक अस्तित्व की पहली सशक्त अभिव्यक्ति होती है, जिसकी जड़े बहुत गहरी होती हैं। भूमण्डलीकरण ने जहाँ एक ओर सश्वत् और शिक्षित समझी जाने वाली जनता को आकर्षित कर लिया है, वहीं दूसरी ओर ठीक इसके विपरीत कृषक, मजदूर तथा स्त्रियाँ इस आकर्षण के बाहर अपनी संस्कृति और भाषिक अस्तित्व को बनाए हुए हैं। किसी भी समाज के सांस्कृतिक पहचान को बनाने और बचाए रखने में लोक की अहम भूमिका है। लोक में भी विशेष रूप से स्त्रियाँ पारंपरिक गीतों, श्रमाधारित गीतों, ऋतु गीतों आदि के माध्यम से भाषा के निर्माण व विकास तथा उन्हें संरक्षित, संवर्धित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। प्रत्येक प्रकार के प्रतिरोध की जीवंत प्रक्रिया लोक में देखी जा सकती है।

साहित्य को समझने में भाषा शिक्षण की अहम भूमिका है। भाषा शिक्षण द्वारा साहित्य को रूचिकर एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। एक तरफ

भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को सुव्यवस्थिति एवं समृद्ध करती है, तो दूसरी तरफ हमें मुक्त भी करती है। हमें ज्ञान व कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है, जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र भाव से अपनी रचनात्मकता को आकार देता है। साहित्य भाषा की जटिलता को दूर कर आमजन के लिए ग्राह्य बनाता है। साहित्य की भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं – ‘साहित्य का उद्देश्य जीवन के आदर्श को उपस्थित करना है जिसे पढ़कर हम जीवन में कदम-कदम पर आने वाली कठिनाईयों का सामना कर सकें। अगर साहित्य से जीवन का सही रास्ता न मिले, तो ऐसे साहित्य से लाभ ही क्या? जीवन की आलोचना कीजिए – चाहे चित्र खींचिए, आर्ट के लिए लिखिए चाहे इश्वर के लिए, मनोरहस्य दिखाइए, चाहे विश्वव्यापी सत्य की तलाश कीजिए – अगर उससे हमें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिलता, तो उस रचना से हमारा कोई फायदा नहीं। साहित्य न चित्रण का नाम है, न अच्छे शब्दों को चुनकर सजा देने का, न अलंकारों से वाणी को शोभायमान बना देने का। ऊँचे और पवित्र विचार ही साहित्य नाम की जान हैं।’<sup>1</sup>

भारत जैसे भाषाई बहुलतावादी राष्ट्र में अनेक भाषाएँ मिलकर ही एक समृद्ध राष्ट्रीय अस्तित्व का निर्माण कर सकती हैं भाषा के मूल्यवान तत्वों द्वारा ही एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना निर्मित की जा सकती है, जिसके बलबूते साग्राज्यवादी, औपनिवेशिक ताकतों से मुकाबला किया जा सके। बहुभाषिकता अपने समय का एक अन्वेषण है और परिवर्तन भी। एक आदर्श शिक्षक के लिए बहुभाषिकता का होना अनिवार्य है अन्यथा वह अपने विद्यार्थियों को समयानुकूल शिक्षण नहीं दे सकता। शिक्षक का कार्य मात्र ज्ञान देना नहीं है बल्कि उसे अपने शिक्षार्थियों के मानस में एक ऐसी चेतना शक्ति का विकास करना है जिससे वह चीजों को देखने का एक खास नज़रिया विकसित कर सके। आज का समय प्रतिस्पर्धा का है प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सषक्त उपस्थिति दर्ज करनी होगी। विश्व संस्कृति और उसके विविध स्वरूपों की जानकारी हेतु बहुभाषिकता का ज्ञान आवश्यक है जिससे तथ्यों को आसानी से ग्रहण किया जा सके। बहुभाषिकता के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए रमाकांत अग्निहोत्री जी लिखते हैं – ‘बहुभाषिकता इंसान होने की पहचान है। जो लोग कहते हैं कि वे एक ही भाषा जानते हैं, वे भी वास्तव में बहुभाषी होते हैं। बहुभाषी होने का एक अर्थ यह भी है कि मैं अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन बोलने वालों से इन्हीं भाषाओं में बात करता हूँ। लेकिन बहुभाषी होने का अर्थ यह भी एक ही मैं अपनी एक ही भाषा में ऐसी ‘फाइन ट्यूनिंग’ करना जानता हूँ कि उसी भाषा में अपने पिता से एक तरह से बात करता हूँ, अपनी माँ से दूसरी तरह से बात करता हूँ, अपने बच्चे से तीसरी तरह से बात करता हूँ, और अपनी कक्षा के छात्रों से चौथी तरह से बात करता हूँ और जब लिखता हूँ या गिद्धानों की सभा में बोलता हूँ, तो पांचवीं तरह से बात करता हूँ। यह भी बहुभाषिकता है।’ (रमेश उपाध्याय – भाषा और भूमण्डलीकरण)

\*असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल (म.प्र.) भारत

साहित्य और भाषा में अन्योन्याधित संबंध है। एक ओर जहाँ भाषा साहित्य का अवलम्बन है वहीं दूसरी ओर साहित्य भाषा की समृद्धि का घोतक है। भाषा के अभाव में साहित्य की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। साहित्य मात्र विचारों, भावों व जीवन की यथार्थ स्थिति का चिरांकन नहीं है बल्कि अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भी है। मार्क्सवादी समीक्षक डॉ. नामवर सिंह साहित्य और साहित्यकार के कर्मनिष्ठ सौन्दर्य की पक्षपादरता करते हुए उसकी महत्ता को रेखांकित करते हैं। उनका मानना है कि - 'साहित्यकार की गहराई इस बात में है कि वह सतह को तोड़ता है और इस तरह वह भ्रमों को हटाकर वास्तविकता का सही रूप उद्घाटित करता है। उद्घाटन कार्य ही साहित्यकार का रचना कार्य है - वास्तविकता का निर्माण वह उद्घाटन से ही करता है।'<sup>2</sup>

साहित्य मनुष्य में संस्कारवान बनने, सामाजिक विवेक पैदा करने तथा उसके हृदय को पूर्वाधीन मुक्त बनाने की प्रेरणा देता है, जिससे मनुष्य में जीवन के प्रति सौन्दर्यबोध एवं भविष्य के बेहतरी की संकल्पना निहित होती है। वह जीवन एवं प्रकृति के गूढ़तम रहस्यों को खोलने और संस्कृति से भ्रष्टके समाज की स्मृति को चेतनाशील बनाने का काम भी करता है। प्रत्येक युग का साहित्य अपने समय, समाज व भाषा का परिचायक होता है। श्रेष्ठ साहित्य वही हो सकता है जिसमें अपने समय और समाज की यथार्थ स्थिति का परिधटन किया गया हो, अन्यथा वह आनन्द का माध्यम मात्र बनकर रह जाता है। साहित्य में बौद्धिकता के बजाय भावप्रवणता को मूल गुणधर्म मानने वाले समकालीन चिंतक डॉ. विजय बहादुर सिंह साहित्य और उसके अध्येता की ओर जनमानस का ध्यान आकष्ट कराते हुए लिखते हैं - 'हमारे साहित्य के अध्यापक भी न जाने क्यों यह मानने लग गए हैं कि अन्य ज्ञान-विज्ञान शाखों की तरह साहित्य भी एक ज्ञान प्रकार और ज्ञानधारा है। वे यह भूल गए हैं कि साहित्य अपनी आधारभूत प्रकृति में बुद्धि जनित व्यापार नहीं है। विपरीत इसके वह भाव प्रेरित मानसिक व्यापार है।'<sup>3</sup>

साहित्य और भाषा के शिक्षक के लिए शब्दों की पूरी परम्परा का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। चूँकि साहित्य के पठन-पाठन से ही हम भाषा की अभिव्यञ्जनात्मक शक्ति से परिचित हो पाते हैं। साहित्य से मनुष्य का हृदय विकार मुक्त होता है साथ ही सामाजिक सरोकार से नजदीकी बढ़ती है। साहित्य, समाज और संस्कृति के मूल्यांकनकर्ता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कि - 'मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाङ्गाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप न बना सके, जो उसके हृदय को परदुःखकातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है।'<sup>4</sup>

भाषा के बेहतर ज्ञान की परख के लिए साहित्य की शिक्षा जरूरी है। मुख्य भाषा के साथ-साथ क्षेत्रीय या लोक भाषाओं की जानकारी होना भी आवश्यक है। किसी भी भाषा की मजबूती का आधार उसकी क्षेत्रीय बोलियाँ होती हैं जिसमें अपार ज्ञान राशि संचालित रहती है। विद्यार्थियों की क्षेत्रीय भाषाओं के ज्ञान से जोड़ना व लाभान्वित करना जरूरी है जिससे उनका समन्वित विकास हो सके।

साहित्य मनुष्य को सामाजिक एवं संवेदनशील बनाता है। साहित्य की इसी विशेषता को परखते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं - 'जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग-शोक, द्वारिद्र्य, अज्ञान, तथा परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है। उसी महत्वपूर्ण साहित्य को हम अपनी भाषा में ले आना

चाहते हैं।'<sup>5</sup>

साहित्य पर भाषा का और भाषा पर साहित्य का बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। भाषा द्वारा ही मनुष्य अपने जीवनानुभवों को वयत्त करता है जो कालान्तर में श्रेष्ठ साहित्य के प्रतिमान सिद्ध होते हैं।

दरअसल भारत जैसे भाषाई दृष्टि से बहुलतावादी राष्ट्र में विविध भाषाएँ मिलकर ही एक राष्ट्रीय अस्मिता का निर्माण कर सकती हैं। भाषाई मेल-जोल, आदान-प्रदान द्वारा ही एक राष्ट्रीय चेतना निर्मित की जा सकती है, जिसके आधार पर साम्राज्यवादी, दमनकारी ताकतों से मुकाबला किया जा सके। यह कार्य केवल एक भाषा द्वारा संभव नहीं हो सकता बल्कि समस्त भाषाएँ समन्वित रूप से संगठित होकर उस चेतना का निर्माण कर सकती हैं जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र का गौरव और अस्मिता प्रतिबिम्बित हो सके।

साहित्य मनुष्य को सामाजिक एवं मानवीय बनाता है। सामाजिक संदर्भ के बगैर रचना की परिकल्पना नहीं की जा सकती। सामाजिक वास्तविकताएँ कल्पना के साँचे में ढलकर साहित्य का रूप ग्रहण करती हैं इसलिए सामाजिक वास्तविकताओं के बदलने से साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। इसीलिए भाषा और साहित्य के शिक्षक का यह दायित्व है कि वह साहित्य समाज और भाषा के अदूत संबंध को ध्यान में रखते हुए नवीन प्रवृत्तियों व विचार धाराओं से खुद परिचित हों और अपने छात्रों से भी परिचित कराए। भाषाई प्रश्न को हमें राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़कर तार्किक रूप से समझना चाहिए। भाषा को सिर्फ साहित्य तक ही जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए अपितु अन्य अनुशासनों से मिलाकर देखा जाना चाहिए। अन्य अनुशासनों से मिलकर ही सामाजिक संकट से मुकाबला किया जा सकता है। भाषाई स्तर पर अभी भी हमारी मानसिकता गुलामी की है। जब हम अपनी भाषा के बारे में स्वतंत्र मानसिकता से ही विचार करेंगे तब तक हम पिछड़े ही रहेंगे। भाषा और समाज के आपसी रिश्ते से परिचित कराते हुए अजय तिवारी लिखते हैं - 'भाषा शब्द और वाक्य दोनों से बनती है। जैसे व्यक्ति और समाज दोनों से मनुष्यता बनती है। जैसे शब्द कभी अकेला अर्थवान नहीं होता। व्यक्ति कभी भी अकेला मनुष्य नहीं होता। समाज मनुष्य की व्यवस्था है। वाक्य भाषा की व्यवस्था है। व्यक्ति समाज की इकाई है, शब्द भाषा की इकाई है। इसलिए सामाजिक संबंध व्यवस्था के विकास के साथ भाषा की अर्थपरकता भी विकसित होती है।'<sup>6</sup>

शिक्षण के समय अध्यापक को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए -

1. अध्यापक केवल विषय वस्तु तक ही सीमित न रहे बल्कि अपने ज्ञान को अपेक्ष कर सूचनाओं का नवीनीकरण करें।
2. शिक्षण से पूर्व छात्रों की अभिवृत्ति को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें।
3. कक्षा शिक्षण को जीवन के व्यवहारिक अनुभवों से जोड़कर दें।
4. शिक्षण व्यापक एवं सतत मूल्यांकन परक हो।
5. साहित्य विचार और सूचना मात्र नहीं है अपितु व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का सर्वोत्तम साधन है। कबीर का व्यवहारिक अनुभव, तुलसी की समन्वय वादी चेतना, प्रेमचंद का गोदान केवल विषय की जानकारी ही नहीं देते अपितु उनके पात्रों का चरित्र जनमानस को परिभ्राषित भी करता है।
6. कक्षा का शिक्षण केवल पंक्तियों की व्याख्या कर देना मात्र नहीं है बल्कि उस अर्थ की प्रतीति कराना है जिसे साहित्यकार जनमानस में संप्रेषित करना चाहता था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमें साहित्य और भाषिक शिक्षण इन पर पृथक्षः-

नहीं बल्कि समवेत चिंतन करना होगा। इनके समन्वित अध्ययन अनुशीलन से हमारी चेतना परिष्कृत होगी और परिष्कृत चिंतन ही सच्चे साहित्य की निष्पत्ति का निमित्ता हो सकता है तथा सच्चा साहित्य ही समाज और राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता को संरक्षित और संवर्द्धित कर सकता है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. श्यामसिंह शशि - साहित्य और समाज, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, पृष्ठ सं. 07
2. डॉ. नामवर सिंह - इतिहास और आलोचना, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ सं. 15
3. डॉ. विजह बहादुर सिंह - स्कूल दूसरा घर, श्रेया प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ सं. 36
4. हजारी प्रसाद दिव्येदी - अशोक के फूल, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ सं. 143
5. वही, पृष्ठ सं. 144
6. हिन्दी शिक्षण नए भविष्य की तलाश - (सं.) शंभुनाथ, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, पृष्ठ सं. 234



## मध्यप्रदेश के धार जिले में स्वरोजगार की सम्भावनाएँ और वित्त प्रबंध हेतु सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाएँ - एक अध्ययन

डॉ. सुरेन्द्र कुशवाह \*

**प्रस्तावना** – मध्यप्रदेश के धार जिले की अर्थव्यवस्था कृषि के साथ-साथ जिले में चल रही औद्योगीकरण से भी जुड़ी हुई है बढ़ती हुई जनसंख्या का ढाबा एवं परिवर्तित होती संरक्षित तथा जीवनशीली के कारण लोगों के लिए सीमित आय में जीवन निर्वाह करना असम्भव प्रतीत होने लगा है। वर्तमान अर्थव्यवस्था सेवा प्रधान बन गई है और स्वरोजगार अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। जैसे-जैसे सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कम होती जा रही हैं वैसे-वैसे स्वरोजगार एवं लघु उद्योगों का महत्व बढ़ रहा है। स्वरोजगर शुरू करने में अधिक धन की आवश्यकता जैसे कठिन प्रश्न सरल हो गये हैं। स्थानीय संसाधनों के आधार पर छोटे-छोटे उद्योग शुरू किए जा सकते हैं। उद्यमिता विकास केन्द्र और जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों पर विशेष रूप से बनाई गई ऐसे छोटे और कुटीर उद्योगों की सूचियां मौजूद हैं, जो उस क्षेत्र में सफलता पूर्वक संचालित हो सकते हैं। न केवल उद्योगों के नामों की जानकारी उपलब्ध है, वरन् कच्चे माल, पूँजी, श्रमशक्ति, मशीनों, बाजारों की सम्भावना आदि की भी विस्तृत जानकारियां उपलब्ध हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार हेतु लघु/कुटीर उद्योग शुरू किए जा सकते हैं।

जिले में कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 46.73 है जिसमें मुख्यतः 73.70 कृषक+खेतिहार मजदुर शामिल हैं। जिससे यह स्पष्ट है कि जिले में अन्य उद्योगों में जनसंख्या का प्रभाव काफी कम है। जिले में छुपी बेरोजगारी भी एक समस्या है जिसका पता लगाना तथा उसे कम करना भी एक अहम दायित्व है इसी दृष्टिकोण से जिले में उपलब्ध औद्योगिक वातावरण, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन अंधोसरचना तथा शासन की विकास नीतियों के आधार पर कृषि, वनोपज, पशुधन पर आधारित उद्योगों के साथ-साथ मांग तथा कौशल पर आधारित उद्योगों की सम्भावनाओं को सुधृद बनाया जा सकता है।

**अध्ययन का उद्देश्य** – मध्यप्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के मद्देनजर सरकार द्वारा युवाओं के लिए उपलब्ध अवसर एवं वित्त प्रबंध हेतु क्रियान्वित योजनाओं-स्वरोजगार पर प्रकाश डालना है।

**अध्ययन का विधि** – प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक समंक पर आधारित है इसके लिए उद्योग निती तथा स्वरोजगार हेतु उन विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है जिसके अंतर्गत प्रदेश का युवा रोजगार-स्वरोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकता है। स्वरोजगार – उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र से संबंधित इकाई की स्थापना हेतु उद्यमियों को आवश्यक पूँजी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा क्रियान्वित करवाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री रोजगार सूजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार

योजना तथा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आदि पर भी प्रकाश डाला है ताकि युवा उद्यमी इन योजनाओं का लाभ उठा सके।

**अध्ययन का क्षेत्र व सिमाएँ** – मध्यप्रदेश में स्वरोजगार की सम्भावनाएँ और वित्त प्रबंध हेतु सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाएँ विषय पर अध्ययन हेतु म.प्र. के पिछे धार जिले को आधार बनाया है। प्रस्तुत अध्ययन में वित्त प्रबंध हेतु क्रियान्वित उन्हीं योजनाओं को सम्मिलित किया है जो जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित कि जा रही है।

**प्रदेश में रोजगार/स्वरोजगार के सम्भावित क्षेत्र** – स्वरोजगार के तीन स्वरूप हैं उद्योग/सेवा तथा व्यवसाय इन्हीं के आधार पर जिले में व्याप विकास की प्रबल सम्भावना को वर्गीकृत किया जा सकता है।

**औद्योगिक विकास के क्षेत्र में रोजगार/स्वरोजगार की संभावनाएँ** – मध्यप्रदेश के धार जिले में युवा उद्यमी रुवयं का लघु/मध्यम उद्योग जिले में उपलब्ध अधोसंरचना को दृष्टिगत रखते हुए स्थापित कर न केवल रुवयं रोजगार प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अन्य बेरोजगार युवाओं ही रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। जिले में सम्भावित उद्योगों की पहचान के लिए निम्नलिखित मापदण्डों को ध्यान में रखना चाहिए।

1. जिले में उपलब्ध कच्चा माल एवं प्राकृतिक संसाधन
2. वर्तमान औद्योगिकीकरण
3. उपलब्ध मानव संसाधन एवं कुशलता
4. तकनीकी उपलब्धता
5. विपणन व्यवस्था
6. परिवहन एवं संसार साधन
7. स्थानीय मांग पूर्ति

जिले में उपलब्ध पहलू को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उद्योगों की अच्छी सम्भावनाएँ मालूम पड़ती हैं।

**(क) कृषि पर आधारित उद्योग** – धार जिले की लगभग 73.70 प्रतिशत आबादी कृषि एवं खेतिहार मजदुरी से सम्बन्धित है। इस क्षेत्र में युवा उद्यमी अद्वारक का तेल व अद्वारक का पावडर, टोमेटो उत्पाद व टोमेटो पेस्ट/पल्प, मक्का से लिंकिड ब्लूकोज तथा मक्का का तेल, केले की प्रोसेसिंग, ढाल मिल, आटा चड्डी, पापड़ बड़ी, फुड प्रोसेसिंग, पशु आहार, बेसन मिल, मक्के का पोहा, मुर्गी का चारा, आचार उद्योग, सोया एक्सट्रैक्शन प्लांट, सोया बड़ी निर्माण, सोया मीट, मसाला उद्योग, जेम, जैली, सॉस निर्माण, तेल निर्माण, शब्दर उद्योग, कॉटन मील आदि की इंकाइ रुपापित कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

**(ख) मांग पर आधारित उद्योग** – इन्हें पॉच भागों में विभक्त कर स्पष्ट

\* (वाणिज्य विभाग) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

किया जा सकता है।

**(अ) रसायन पर आधारित उद्योग** – इन उद्योगों में प्लास्टिक थैली बनाना, डिटर्जेंट साबुन, प्लास्टिक बनाना, वाशिंग पाउडर, सुगंधित हैयर आईल, ग्रीस उत्पाद, प्लास्टिक ग्रान्युअल्स, एडेसिव्ह टेप उत्पाद, टायर रिट्रोडिंग, प्लास्टिक खिलोने, फिनाईल बनाना, रिचार्जेबल टार्च, कॉडबोर्ड बावसेस, कापी नोटस/रजिस्टर बनाना, प्रिटिंग प्रेस, हवाई चप्पल बनाना, एयर फ्रेशनर उत्पाद, पेपर सोफे बनाना, केबल वायर निर्माण, रिफाईंड लुब्रिकेटिंग आइल बनाना, इंक बनाना, पेन निर्माण उद्योग, स्टेशनरी आयटम्स, बीअर इण्डस्ट्रीज, सर्जिकल कॉटन एवं बेण्डेज निर्माण, सोडियम सिलिकेट आदि की इकाइ स्थापित की जा सकती है।

**(ब) इलेक्ट्रीकल/इलेक्ट्रोनिक उद्योग** – इसके अन्तर्गत युवा उद्यमी म्यूजिकल इन्स्ट्रमेंट, इलेक्ट्रिक मीटर, रेडियो/टी.वी.असेम्बलिंग, इलेक्ट्रोनिक खिलोने, म्यूजिकल वाचेस बनाना, विद्युत मोटर निर्माण, इमरजेन्सी लाइट का निर्माण, पंखे, मिक्सर, ग्राईंडर आदि निर्माण, छोटे/बड़े बल्ब तथा सीरिज का निर्माण की इकाइ स्थापित कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

**(स) वनोपज पर आधारित उद्योग** – वनोपज पर आधारित अगरबती उद्योग, आइस्क्रीम स्ट्रीक्स, मधुमक्खी/पालन शहर संग्रहण, आंवले की लुगढ़ी, लाख निर्माण, गोंद निर्माण, बांस की टोकरियां बनाना, खेलकूद के सामानों का उत्पाद, झाड़ु निर्माण, बीड़ी उद्योग, आयुर्वेदिक औषधी निर्माण, जड़ी बूटी का संग्रहण, कोकून फिडिंग, लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण करना, ट्रक/बास की बॉटी तैयार करना आदि ज्ञेत्रों में स्वरोजगार की प्रबल सम्भावना विद्यमान है।

**(द) मेकनिकल आधारित उद्योग** – इसके अन्तर्गत हार्डवेअर, मेकनिकल वायर, छोटी लेथ मशीन, थ्रेसींग मशीन, स्टील मशीन, वासर ब्रश, अनाज भण्डार केठिया, बारबेड बायर निर्माण, कृषि उपकरण निर्माण, सर्वे उपकरण आदि तथा कुछ अन्य निर्माणी इकाइ जैसे – बेग निर्माण, सीट कवर निर्माण, भवन निर्माण सामग्री, सीमेंट जॉली, ह्यूम पाईप्स, पैकेजिंग कार्य, चश्मे बनाना, पी.वी.सी.पाइप बनाना, ट्रेक्टर ट्राली बनाना, ऑटो पार्ट्स निर्माण, सीमेंट निर्माण/सीमेंट का अन्य सामान निर्माण, आटा चक्की व पाट मय कलपुर्जे निर्माण आदि के ज्ञेत्रों में भी उद्यमीयों के लिए पर्याप्त सम्भावनाएं हैं।

**व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र में विकास की सम्भावना** – इसके अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवसाय/सेवा इकाई स्थापित कर स्वरोजगार प्राप्त किया जा सकता है– स्क्रनी प्रिटिंग की इकाइ, ब्यूटी पार्लर इकाइ, फोटो कॉपी की इकाई/लेमीनेशन, दुपहिया वाहनों की सर्विसिंग, रीपेयरिंग, फास्ट फूड रेस्टरेंट, व्यवसायिक कार्य हेतु फैक्समशीन, ऑटोमोबाइल बैटरी की रिपयेरिंग तथा रिचार्जिंग, टेलिविजन सेट्स की रिपयेरिंग तथा सर्विसिंग, घरेलू विद्युतीय उपकरणों की मरम्मत तथा इलेक्ट्रीकल गुड्स स्टोर, बुक बाइडिंग की इकाई, मिनी ऑफसेट की इकाई, बैंड बाजा इकाई, प्रिटिंग प्रेस की इकाई, डीजल फ्यूल पम्प/नोजल परीक्षण तथा सैटिंग इकाई, ऐफीजेरेशन एवं एयर कपड़ीशनिंग वर्कशाप, वीड़ीयो शूटिंग तथा वीडियो कैसेट निर्माण, बिजली की मोटरों, डायनुमा की मरम्मत तथा सर्विसिंग, विज्ञापन एजेन्सी, ट्रेक्टर ट्राली की सर्विसिंग/रिपयेरिंग हेतु इकाइयां, टेन्ट हाऊस की इकाई, चांदी के आभूषणों पर सोने की प्लेटिंग, हार्ड वेयर व पैटर्सन स्टोर की इकाई, छोटे-छोटे पुर्जों पर निकिल प्लेटिंग, सिलेण्डर/ब्लाक बोरिंग मशीन (लूना तथा मोटर साइकिलों आदि के सिलेण्डर्स की बोरिंग के लिये), मारुती सर्विस स्टेशन की इकाई, कम्प्यूटर साप्टवेयर डेवलपमेंट एण्ड डाटा प्रोसेसिंग, ऑटो

मोबाइल पार्ट्स तथा अन्य वस्तुओं पर जिंक प्लेटिंग, स्टोन पॉलिशिंग की इकाई, इंटर निर्माण की इकाई, वेलिंग कार्य, छाता मरम्मत, जुता/चप्पल मरम्मत, एस.टी.डी./पी.सी.ओ., विभिन्न वस्तुओं को क्रय-विक्रय करने के स्टोर्स जैस-कपड़ा, रेशनरी, कटलरी, चुड़ी, किराना, नमकीन, कुर्थ/सामान, इलेक्ट्रोनिक्स सामान, ऑटो पार्ट्स ढुकान व्यवसाय क्षेत्र से सम्बन्धित है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि धार जिले में साथ ही प्रदेश में अन्य जिलों में बेरोजगार युवक/युवतियां उपरोक्त उद्योग, सेवा या व्यवसाय से सम्बन्धित इकाइयाँ स्थापित कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं तथा स्थापित इकाई में आवश्यकतानुसर अन्य बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं।

स्वरोजगार के चयन हेतु सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा परिवार की पृष्ठभूमि, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण तथा आर्थिक स्थिती पर ध्यान देते हुए परियोजना क्षेत्र अर्थात लघु उद्योग, व्यवसाय या सेवा का चयन करना चाहिए परियोजना के चयन हेतु सुझम बाजार सर्वेक्षण अति आवश्यक है। इस हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उद्यमिता विकास केन्द्र, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास केन्द्र, जिले का अग्रणी बैंक तथा लघु संगठन के अधिकारी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

परियोजना चयन के पश्चात हितग्राही को प्रशिक्षण लेना होता है साथ ही स्थान चयन करना तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होती है। अंत में उद्यमी को नियोजित प्रयास करना होते हैं इस हेतु उद्यमी को–

1. चयनित इकाई का जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अर्थात् पंजीयन करना।
2. नगर निगम/पंचायत से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना।
3. म.प्र. विद्युत मण्डल से सहमति पत्र प्राप्त करना।
4. यादि परियोजनाओं की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित विभाग (उदाहरण, ड्रग, फूड, माइनिंग प्रदूषण निवारण मण्डल आदि) से लायरेंस प्राप्त करना।
5. मशीनों एवं कच्चे माल के कोटेशन बनवाना।
6. आवश्यक मार्जिनमनी (स्वयं के अंशदान) एवं बैंक ऋण हेतु जमानतदार तैयार करना एवं
7. वित्तीय योजना का चयन एवं बैंक से सम्पर्क करना।

**वित्त प्रबन्ध हेतु सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनायें :**

**(अ) केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री रोजगार सूजन कार्यक्रम** – स्वरोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने के लिए नया प्रधानमंत्री रोजगार सूजन कार्यक्रम केन्द्र सरकार ने 15 अगस्त, 2008 से शुरू किया है, पूर्व में संचालित दो रोजगार कार्यक्रमों- प्रधानमंत्री की रोजगार योजना व ग्रामीण रोजगार सूजन कार्यक्रम का विलय इस नए कार्यक्रम में कर दिया गया है, इस नए कार्यक्रम को आर्थिक मामलों की मन्त्रिमण्डलीय समिति ने मंजूरी 14 अगस्त, 2008 को प्रदान की थी, सब्सिडी युक्त साख वाले इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 'माइक्रो एंटरप्राइजेज' की स्थापना के जरिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

इस कार्यक्रम के तहत माइक्रो एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए ऋण लाभार्थी को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें कुछ अंश सब्सिडी का होगा, विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रु. तक व सेवा/व्यापार के क्षेत्र में 10 लाख रु. तक की परियोजनाएं इसके तहत स्थापित की जा सकेंगी। इसके लिए आय सीमा का कोई बन्धन नहीं होगा, किन्तु विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए

एवं व्यापार/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए एवं अधिक की परियोजनाओं के लिए लाभार्थी को कक्षा 8 वीं उर्तीण होना चाहिए, सामान्य श्रेणी के अध्यार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं वहन करना होगा, जबकि विशेष वर्गों (अनुमूलित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, शारीरिक विकलांग, एकस-सर्विसमैन, पूर्वोत्तर-पर्वतीय एवं सीमावर्ती क्षेत्र के अध्यार्थी) को 5 प्रतिशत स्वयं वहन करना होगा, शहरी क्षेत्रों में दिए गए ऋण में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के मामले में 15 प्रतिशत तथा विशेष वर्गों के लाभार्थियों के मामले में 25 प्रतिशत भाग सब्सिडी के रूप में होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी का अंश इस मामले में क्रमशः 25 व 35 प्रतिशत होगा, PMEGP के अन्तर्गत वित्तीय (सब्सिडी) सहायता हेतु स्तर इस प्रकार है -

| <b>PMEGP के अन्तर्गत लाभार्थियों के वर्ग</b>  |              | <b>(परियोजना लागत का प्रतिशत)</b> |                 |  |
|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| सामान्य   | स्वयं योगदान | सहायता दर                         |                 |  |
|   |              | शहरी क्षेत्र                      | ग्रामीण क्षेत्र |  |
| विंशंष (अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि. व./अल्पसंख्यक/महिला/पूर्व सैनिक/शारीरिक विकलांग, उत्तर पूर्व क्षेत्र, पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्र) | 10 प्रतिशत   | 15 प्रतिशत                        | 25 प्रतिशत      |  |
| विंशंष (अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि. व./अल्पसंख्यक/महिला/पूर्व सैनिक/शारीरिक विकलांग, उत्तर पूर्व क्षेत्र, पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्र) | 05 प्रतिशत   | 25 प्रतिशत                        | 35 प्रतिशत      |  |

इस योजना का कार्यान्वयन केवीआईसी एकट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में खाढ़ी एवं ग्रामोद्योग द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज सेंटर (DIC) द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मन्त्रालय के अधीन वैधानिक निकाय-खाढ़ी एवं ग्रामोद्योग आयोग एकमात्र नोडल एजेंसी निर्धारित की गई है। जहाँ से उद्यमी आवश्यकतानुसार समस्त ओपरारिकताओं को पुरा करे किसी भी बैंक से स्वरोजगार हेतु ऋण प्राप्त कर सकता है।

**ब. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित योजना** - म.प्र. राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को छोड़कर वर्तमान में प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, दीनदयाल रोजगार योजना, रानी दुर्गाविती अजाधिकारी स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक विकास योजना, अंत्योदय स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना, माटी कला योजना, टंट्या भील स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री साईकिल रिवशा चालक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री हाथठेला चालक योजना, मुख्यमंत्री स्टीट वेण्डर कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री केश शिल्पी योजना सहित स्वरोजगार की सभी योजनाएं निम्नानुसार 3 योजनाओं में समाहित कर दिया गया जो इस प्रकार है।

**मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना** - 1 अगस्त 2014 से क्रियान्वित इस योजना अंतर्गत उद्यमी के प्रशिक्षण का भी प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होगे।

- परियोजना लागत** - रुपये 10 लाख से रुपये 01 करोड तक

- पात्रता :-**

आयु - 18-40 वर्ष

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| शैक्षणिक योग्यता           | - | न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण                                    |
| आय सीमा                    | - | कोई बंधन नहीं   |
| <b>● वित्तीय सहायता :-</b> |   |   |
| मार्जिन मनी सहायता         | - | परियोजना के पूंजीगत लागत का 15 प्रतिशत अधिकतक रु 12 लाख         |
| ब्याज अनुदान               | - | पूंजीगत लागत पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतक 7 वर्षों तक |
| गारंटी फीस (सीजीटी)        | - | प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक इस योजनांतर्गत                 |

व्यापारिक गतिविधियाँ पात्र नहीं होगी।

उद्यमियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में सम्पूर्ण योजना बनाकर वित्त विभाग की अनुमति से संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

**मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना** - 1 अगस्त 2014 से क्रियान्वित इस योजना का मुख्य उद्देश्य योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। इस योजना के प्रावधान विभिन्न विभागों के लिए समान रहेगा। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होगे।

- परियोजना लागत (वित्तीय सहायता)** - रुपये 20 हजार से रुपये 10 लाख

- पात्रता :-**

आयु - 18-45 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता - न्यूनतम पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण स्व प्रमाणिकरण के आधार पर कोई बंधन नहीं

- वित्तीय सहायता**

मार्जिन मनी सहायता - सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम रुपये 1 लाख बीपीएल/अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग (किमीलेयर को छोड़कर)/महिला/अल्प संख्यक/ निशक्तजन हेतु परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम रुपये 2 लाख

ब्याज अनुदान - प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक

गारंटी फीस (सीजीटी) - प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक

**मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना** - इस योजना के अंतर्गत समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत उपकरण तथाध्या कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जावेगी। योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान निम्नानुसार होगे।

- परियोजना लागत** - अधिकतम रुपये 20000

- पात्रता :-**

आयु - 18-55 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता - कोई बंधन नहीं

आय श्रेणी - बीपीएल (केश शिल्पी, स्टीट वेण्डर, हाथठेला चालक, साइकिल रिवशा चालक, कुम्हार आदि )

- वित्तीय सहायता**

मार्जिन मनी - परियोजना लागत का 50 प्रतिशत

सहायता - अधिकतम रुपये 10000

इस प्रकार उक्त योजनाओं का लाभ उठाकर युवा उद्यमी उद्योग विनिर्माण/सेवा/व्यवसाय की इकाई स्थापित करके स्वयं का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

**निष्कर्ष -** उक्त अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि उद्यमियों को किसी भी उद्योग की स्थापना एवं स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु किये जाने वाले नियोजित प्रयासों में निष्चित सफलता प्राप्त होती है किन्तु इसकी प्रक्रियों के विभिन्न चरणों में समय लगता है। अतः उद्यमी को धैर्य के साथ उत्साहवर्धक कार्य करना चाहिए। स्वरोजगार स्थापित करने हेतु उद्यमी शासन द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार सूचन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, अन्त्योदय स्वरोजगार आदि में से योग्यता व स्व-अहतानुसार योजना का लाभ ले सकता है। और लघु तथा अतिलघु उद्योगों की स्थापना कर स्वयं रोजगार प्राप्त कर दुसरे युवाओं को रोजगार प्रदान कर सकता है।

इस प्रकार उक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश के पिछड़े

जिलों में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानविय संसाधनों के आधार पर उद्योगिक विकास एवं स्वरोजगार की प्रबल सम्भावनाएं विद्यमान हैं।

#### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य, उद्योग एवं स्वरोजगार विभाग भोपाल प्रधानमंत्री रोजगार सूचन कार्यक्रम (मार्गदर्शिका) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
2. लघु उद्योग सेवा संस्थान (लाल श्री एस. / लाडे श्री डी.जी.) औद्योगिक सम्भावना सर्वेक्षण प्रतिवेदन
3. उद्यमीता विकास केन्द्र म.प्र. उद्यमी, उद्योग स्वरोजगार
4. विकास आयुक्त (लघु उद्योग) लघु उद्योग मंत्रालय भारत लघु उद्योग का जर्नल लघु उद्योग समाचार सरकार प्रकाशन
5. ई. इन्फो (डाटाई) [www.mp.industries.in](http://www.mp.industries.in), [www.Mp.govt.in](http://www.Mp.govt.in)



## अग्रणी बैंकों का आर्थिक विकास में योगदान

**डॉ. मोनिका बापट \***

**प्रस्तावना** – ‘आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।’

प्रस्तुत अध्याय में अग्रणी बैंकों का प्रदेश के विकास में योगदान का वर्णन निम्न बिन्दुओं के माध्यम से किया गया है –

1. कृषि के क्षेत्र में विकास
2. लघु उद्योगों के क्षेत्र में विकास
3. सेवा व स्वरोजगार के क्षेत्र में विकास

**1. कृषि के क्षेत्र में विकास** – क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यप्रदेश भारत का दूसरा एवं जनसंख्या की दृष्टि से सातवाँ बड़ा प्रदेश है। इसकी 74.73% जनसंख्या गाँवों में रहती है। उसकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। भारत के अन्य राज्यों की तरह ही म.प्र. के कृषकों को सतत कई वर्षों तक कृषि उत्पादों के व्यापार एवं मूल्य निर्धारण की जटिल समस्या से जूझना पड़ा। उन्हें उत्पाद की लागत और लाभ का समुचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता था। किसानों के सतत प्रयासों के निष्कर्ष स्वरूप सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की स्थापना प्रत्येक जिले में की गयी जिनका नियमन राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है, इसी तात्पर्य में प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नित नए अनुसंधान एवं कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान कर निर्भार्ता है। प्रत्येक राज्य की भांति म.प्र. का कृषि वि.वि. जवाहरलाल नेहरू कृषि वि.वि. जबलपुर में स्थित है। किसान क्रेडिट कार्ड एवं किसान समस्या निराकरण केन्द्र अन्याधुनिक सुविधाएँ भी अब सरकार द्वारा कृषकों को प्रदान की जा रही है। जिसके द्वारा किसान को उत्तम कालिटी के बीज, सिंचाई के साधन व फसल को उच्चत बनाने हेतु ऋण प्रदान किया जाता है व किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमे की भी सुविधा प्रदान की जाती है। यही इस योजना का महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि अच्छी फसल के अभाव में कर के बोझ के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या करना एक विचारणीय प्रश्न बन गया है। जिसने सरकारी तंत्र को हिला कर रख दिया है। इस समस्या का समाधान बैंकिंग संस्थाओं के सहयोग द्वारा ही संभव हुआ है। मध्यप्रदेश में भी विभिन्न जिलों में स्थापित अग्रणी बैंक व उनके सहयोगी बैंकों के माध्यम से लक्ष्यों के अनुरूप ऋण प्रदान कर भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

**2. लघु उद्योगों के क्षेत्र में विकास** – आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लिए औद्योगिकरण अत्यंत आवश्यक है। मध्यप्रदेश का औद्योगिकरण की दृष्टि से देश में 7 वाँ स्थान है। राज्य में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी जिलों में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र स्थापना की गई है। प्रदेश में बड़े उपक्रमों में मुख्य रूप से भारत है – वी-इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल, मलाजखण्ड ताँबा संयंत्र, बालाघाटा, नेशनल पेपर मिल्स नेपानगर आदि

उल्लेखनीय है। राज्य के औद्योगिक विकास में मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम और मध्यप्रदेश वित्त निगम का सक्रीय योगदान रहा है। प्रदेश में उद्योगों के विकास हेतु अनेक नैसर्गिक संसाधन उपलब्ध हैं जिनमें हैं। सीमेंट उत्पादन में वर्तमान में मध्यप्रदेश का अग्रणी स्थान है। मध्यप्रदेश में भारी तथा मध्यमदर्जे के उद्योगों की संख्या लगभग 518 है और लघु उद्योगों की संख्या 2,64,000 है। मार्च तक राज्य में 826 कुटीर उद्योग हैं। नये मध्यप्रदेश गठन के पश्चात् वित्तीय साधनों व वैज्ञानिक कुशलता के अभाव के कारण प्राकृतिक संसाधनों का पूर्णरूप से विद्योहन नहीं हुआ है, जिसके कारण उद्योग धंधे काफी हड़तक प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में म.प्र. लघु उद्योगों के क्षेत्र में चतुर्थ स्थान है। 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना से लघु उद्योगों के संस्थागत वित्त को नयी शक्ति प्राप्त हुई। कृषि के पश्चात् लघु उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक कार्यरत जनसंख्या है। अतः समय-समय पर औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन कर व नई नीतियों का निर्माण कर सरकार द्वारा इनमें नई जान डालने का प्रयास किया जाता है। खण्ड पड़ी इकाईयों को फिर से चलाने हेतु सरकार व बैंकिंग संस्थाएँ अपने-अपने प्रयास करती रहती हैं। इस प्रयास हेतु प्रत्येक हेतु प्रत्येक जिले में स्थानिय अग्रणी बैंक अपने अन्य सहयोगी बैंकों के माध्यम से जिले का विकास करते हैं व राज्य व केन्द्र के विकास में अपना सहयोग प्रदान करने का प्रयास करते हैं। जिसमें मध्यप्रदेश के विकास में काफी हड़तक सफलता प्राप्त की जा चुकी है।

**3. सेवा व स्वरोजगार के क्षेत्र में विकास** – भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम बहुल अर्थव्यवस्था है। जहाँ रोजगार के साधन भले ही सीमित हों, किन्तु कुशल तथा अकुशल दोनों ही प्रकार के श्रम यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ मानसिक तथा शारीरिक विकास के अनुरूप सर्वोत्तम जलवायु तो है ही, साथ ही जीजिविषा तथा शेष्ठरतम के लिए उत्तरजीविता के निमित्त कई तरह की चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। इससे भारत का नागरिक विश्व के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार चुनौतियों को स्वीकार कर सकता है।

सेवा क्षेत्र में किसी देश के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए जीवन रेखा है। कृषि के उपरांत यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जिसमें अपार संभावनाएँ हैं व यह कुशल श्रम को रोजगार प्रदान करने के लिए कठिन ही है। वास्तव में प्रत्येक उत्पाद सेवा क्षेत्र का ही भाग है। इसमें व्यक्ति अपने ज्ञान व कुशल श्रम का प्रदर्शन करते हुए उत्पादकता बढ़ाने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान करता है। वर्तमान में शहरीकरण व नीजिकरण ने सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देकर ब्लोबल मार्केट में पहचान दिलाई है।

सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, वितरण, मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, होटल व्यवसाय, सफाई सर्विसेज, पर्यटन आदि उद्योग धंधे शामिल किये जाते हैं। इनकोमिशन टेक्नोलॉजी भी सेवा क्षेत्र में अग्रणी क्षेत्र हैं। जिसने गत

\* सहायक प्राध्यापक, एम. के. एच. एस. गुजराती गल्फ कॉलेज, इंदौर (म.प्र.) भारत

वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में 33 प्रतिशत योगदान दिया है। पर्यटन उद्योग भी तेजी से उभरकर सामने आया है जिसने 15 प्रतिशत योगदान दिया। वर्ष 2007-08 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 55 प्रतिशत रहा जिसमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज का 33 प्रतिशत, होटल व रेस्टोरेंट व्यवसाय का 13 प्रतिशत, बाह्य संसाधनों से व्यवसाय द्वारा 9 प्रतिशत योगदान रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का आधे से अधिक योगदान विश्व बाजार में चुनौती के संकेत देता है। इस क्षेत्र में विकास से देश की अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था ही राह पर चलती दिखाई दे रही है।

भारत के विशेष संदर्भ में सेवा क्षेत्र का भविष्य स्वर्णिम है। युवा वर्ग की स्वरोजगार की कामना को सेवा व्यवसाय ने साकार रूप प्रदान किया है। मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में सेवा व स्वरोजगार क्षेत्र में सन् 2007-08 के आंकड़ों के अनुसार 44,000 पर्यटकों ने देश का दौरा किया।

अब्दानी बैंक व उनके सहयोगी बैंकों ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आसान शर्तों पर सुलभ ऋण प्रदान कर स्वरोजगार का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

#### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. एलेन. लेविस एमैनेजमेंट एण्ड ऑर्गनाइजेशन मैक ग्रो हिल. 1983
2. देसाई वसंतु, मनी एण्ड सेन्ट्रल बैंकिंग, हिमालया पब्लिशिंग हाउस बाम्बे 1982

3. डॉ. सत्यदेव, सामाजिक विज्ञानों की शोध पद्धतियाँ, हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़
4. डॉ. विष्णुदत्त नागर, भारतीय अर्थव्यवस्था, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी
5. डॉ. आर.एन. त्रिवेदी, रिसर्च मैथडॉलॉली, कॉलेज बुक डिपो जयपुर
6. जे.एल. भारद्वाज, सांख्यिकी के सिद्धांत, रामप्रकाश एण्ड सन्स
7. वी. के.शर्मा., औद्योगिक प्रबंध एव उद्यामिता, साईटिफिक पब्लिशर्स जयपुर
8. जी.एस. सुधा, व्यावसायिक उद्यामिता का विकास, रमेश बुक डिपो जयपुर
9. भरत झुनझुनवाला, भारत में आर्थिक व्यवस्था, रामप्रकाश एण्ड सन्स
10. डी.सी. अग्रवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
11. डॉ. वी.एस. राव एवं एन. एस. कोण्डावार, म.प्र. का आर्थिक विकास, म.प्र. ग्रंथ अकादमी भोपाल
12. शोध प्रपत्र-भटनागर जे.एस., भविष्य की चुनौतियों निजी क्षेत्र के बैंकों का विट्कोण, आई. बी. बुलेटिन, जनवरी, 1993
13. कस्टमर सर्विस इन बैंकर्स पर वर्किंग ग्रुप ऑन कस्टमर की फायनल रिपोर्ट से उद्धृत बम्बई आई. बी. ए. बुलेटिन 1997



## नगरीय मध्यम परिवारों में बालक-बालिकाओं में भेदभाव

डॉ. संगीता बगवैया \*

**प्रस्तावना** – देश के विभिन्न भागों से आंकड़ों से प्रमाणित होता है कि बालिकाओं के विरुद्ध बचपन से ही भेदभाव किया जाता है, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में उनके पालन-पोषण को अनदेखा करके उनको उपेक्षित किया जाता है। इसके दो कारण हैं : एक-यह कि घरेलू कार्यों का बंटवारा करके बालिकाओं पर बोझ डाला जाता है, जबकि बालकों से घरेलू कार्य नहीं करवाया जाता है, यह भेदभाव घरेलू क्षेत्र में होने के कारण इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। दूसरा-लड़कियों की परीक्षा तो शादी के बाद होती है इसलिए उसकी पढाई-लिखाई की अपेक्षा उसके गृहकार्य के प्रशिक्षण को अधिक महत्व दिया जाता है।

संविधान में समान अधिकार प्राप्त होते हुए भी भारतीय परिवार में बालक और बालिकाओं में भेदभाव एवं पक्षपात पूर्ण व्यवहार की समर्थ्या आज भी अपनी जड़ जमाये हुए है। कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में उनके पालन-पोषण को अनदेखा करके उनको उपेक्षित किया जाता है। बेटा पैदा होने पर खुशियाँ मनाई जाती है। बेटे को कुल का दीपक और वंश का नाम रोशन करने वाला माना जाता है। बेटी के पैदा होने पर उदासी का वातावरण छा जाता है। क्योंकि उसके जन्म के साथ ही माता-पिता को उसके विवाह और ढहेज की चिंता शुरू हो जाती है। लिंगभेद भी जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, बालिकाओं को भूणावस्था में ही मार दिया जाता है।

कई सामाजिक शोध के परिणामों से ज्ञात होता है, कि मध्यमवर्गीय परिवारों में आज भी बालिकाओं की मानसिक योग्यता की उपेक्षा की जाती है, इसलिये उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी वे मात्र एक गृहणी बनकर रह जाती है। सांस्कृतिक रीति-रिवाज और गलत मान्यताओं के कारण उसकी तकलीफें और भी बढ़ जाती हैं। समाज में महिलाओं की स्थिति का अंदाजा बालिकाओं की स्थिति से लगाया जा सकता है। बालिकाओं को कम देखभाल और दृष्टान्त का हकदार माना जाता है। परिवार के सदस्य यह समझते हैं, कि बालिका की देखभाल यानि एसे पौधे को पानी देने के समान है, जो किसी और के बड़ी चेहरे में लगा हुआ है। अपनी मुख्य जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे बहुत कम प्राथमिकता होती है। माता-पिता भी पुत्र को पुत्री से अधिक महत्व समाज के चलन के कारण देते हैं। भारत में बालिका के साथ भेदभाव का स्तर विभिन्न राज्यों से भिन्न-भिन्न है।

भारत की लगभग आधी जनसंख्या (49%) रियाँ हैं। भारत के सबसे विशाल क्षेत्रफल वाले राज्य 'मध्यप्रदेश' जैसे राज्य की राजधानी 'भोपाल' भारत के उन महानगरों में से एक है जो भूष्यायी सौन्दर्य, स्वारस्थ्यकर जलवायी, सुनहरे इतिहास और प्राचीन परम्पराओं को अपने में धारण किये हुए है।

समाज में बालिकाओं का स्थान पारिवारिक, आर्थिक व सामाजिक तीनों की दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिंगभेद हमारे समाज का एक

अभिषाप है। संवैधानिक समानता के बावजूद बालिकाओं को समाज में बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है। लिंगभेद का, बालक-बालिकाओं में आत्मविश्वास शैक्षिक उड़ाति, संबंधों इत्यादि पर जो प्रभाव पड़ता है। उससे असमानता बढ़ती है, जब तक महिलाओं को सामाजिक जीवन में उचित स्थान नहीं मिलेगा तब तक पुरुषों के समान नहीं समझा जायेगा।

सामाजिक दृष्टिकोण भी इस उम्र की बालिकाओं को लेकर बदल जाता है, अब वे बच्ची नहीं रहती, लिहाजा रोक-टोक शुरू होने वाली है। इसी उम्र में महावारी भी शुरू हो जाती है। इसे लेकर कई घरों में आज भी परहेज जारी है। जैसे रसोईघर में नहीं जाना, पीने का पानी नहीं छूना, खटाई न खाना और बिस्तर पर नहीं बैठना। कुल मिलाकर बढ़ती उम्र के नए परिवर्तनों के साथ हर किसी का बढ़ला हुआ नजरिया बच्ची के मन में घबराहट पैदा करता है, और उसका व्यवहार संतुलित हो जाता है। इस स्थिति में बौखलाकर या तो वह विद्रोही बन जाती है या बेहड़ ढब्बा। यदि माता-पिता का सहायोग न मिले, तो बच्चे के व्यक्तित्व पर इस स्थिति में गलत प्रभाव पड़ सकता है।

परिवार की स्थिति यह रहती है कि 11 से 19 की उम्र के बच्चों में अचनाक आ रहा ये बढ़लाव माता-पिता को सशंकित कर देता है। बच्चों में बढ़ता विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण, गोपनीय बातों के प्रति दिलचर्षी, रवभाव में अजीबोगरीब परिवर्तन और समाज को उनके प्रति बदलता नजरिया माता-पिता के दिल को सशंकित कर देता है। वे समझते हैं, कि अगर इस वक्त पांचियाँ नहीं लगाई गई तो बच्चा निषिद्ध तौर पर बिंगड़ जायेगा। मुसीबत यह है, कि भारत में यौन विषयों को गोपनीय मानकर उनकी जानकारी बच्चे के लिए निषिद्ध मानी जाती है। इस निषेध के चलते माता-पिता इश्वाक में बच्चे को खुलकर कुछ बता नहीं पाते, उल्टे डॉट्कर अपनी बात मानने के लिए ढबाव बनाने लगते हैं। इस रैये से बच्चे और माता-पिता के बीच असंवाद की स्थिति बनने लगती है।

मध्यमवर्गीय परिवार उच्च एवं निम्न परिवारों से बिल्कुल भिन्न है। एक और जहाँ उच्चवर्गीय परिवारों में धन साधन होने के कारण उन्हें ढहेज तथा पढाई लिखाई पर खर्च करने में सोचने समझने की जरूरत नहीं होती है। बालिकाओं को शिक्षा एवं पार्टी, वलब आदि में भी आसानी से भेज देते हैं, मनोरंजन के साधन सरलता से प्राप्त होते हैं, पर दूसरी ओर निम्नवर्गीय परिवारों में खुलापन, छूट अधिक होती है, कम उम्र में लड़की की शादी कर दी जाती है, लड़कियाँ छोटी उम्र से ही माँ के साथ काम करने जाने लगती हैं, ये लोग आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण घर के काम और बाहर के काम करने पर पर ज्यादा महत्व देते हैं। इन परिवारों में किशोरावस्था में प्रवेश करते ही बालिकाओं की शादी कर दी जाती है। बालिकाओं को पढ़ाना जरूरी नहीं समझते हैं।

मध्यमवर्गीय परिवारों में पैसा सीमित होता है और माता-पिता अगर

\* अतिथि विद्वान् (गृहविज्ञान) शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.) भारत

लड़की को अच्छे स्कूल में डाल भी देते हैं तो उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं। और अगर पैसे की कमी होती है, लड़की तो पराया धन है, बालिका का विवाह भी करना है और देहज भी देना है। मध्यमवर्गीय परिवार में बालिका बोझ समझी जाती है। आज जब प्रसार कार्यक्रमों का अधिकतर प्रभाव नगरीय क्षेत्रों में देखा जाता है ऐसी स्थिति में शहरी बालिका की स्थिति में क्या अंतर आया है? यह जानना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक परिवर्तन किस दिशा में जा रहा है? क्या स्त्रियों/बालिकाओं की स्थिति बेहतर हुई है?

1. नगरीय मध्यमवर्गीय परिवारों में बालिका के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है या नहीं?
2. माता-पिता की बालिका के प्रति कैसी अभिवृत्तियां हैं?
3. बालिका को अपने परिवार में किन-किन बातों की स्वतंत्रता ढी जाती है?
4. बालिका के साथ किन-किन बातों में भेदभाव किया जाता है?
5. क्या बालिकाओं की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बालक के समकक्ष हो रही है?
6. इस अद्ययन में भोपाल के मध्यमवर्गीय परिवारों में बदलती परिस्थितियों में बालिका के संबंध में विचार जानने का प्रयास किया गया है?

**परिकल्पना** – किसी भी वैज्ञानिक अद्ययन कार्य में उपकल्पना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह शोधकार्य के लिए गाइड या मार्गदर्शक का काम करती है। उसे उद्देश्यहीन रूप में इधर-उधर भटकने से रोकती है।

रविन्द्रनाथ मुखर्जी लुण्डबर्ग के अनुसार, यह प्रारंभिक स्तर पर एक अनुमान या काल्पनिक विचार हो सकती है। जिसके आधार पर हम आगे क्रियात्मक कार्य उपकल्पना अद्ययन कार्य को निश्चितता प्रदान करती है तथा अनुसंधान क्षेत्र को सीमित करती है। उपकल्पना अनुसंधान की दिशा निर्धारित करने के साथ-साथ सम्बद्ध तथ्यों में संकलन में सहायक होती है।

प्रस्तुत शोध हेतु उपकल्पनायें निम्नानुसार हैं:-

1. परिवार का आकार जितना छोटा होगा, बालिका की स्थिति उतनी अच्छी होगी।
2. जिस परिवार का प्रकार एकल होगा उस परिवार में बालिका की स्थिति अच्छी होगी।
3. जैसे-जैसे माता की आयु बढ़ती जायेगी, बालिका की स्थिति अच्छी होगी।
4. उच्च शिक्षित माता की बालिका का स्तर अच्छा होगा।

**न्यादर्श का चयन** – भोपाल शहर में भौगोलिक सांस्कृतिक रूप से दो क्षेत्र हैं – पुराना भोपाल, जो नबाबकाल की संस्कृति को प्रदर्शित करता है, तथा नया भोपाल अधिकतम शासकीय कर्मचारियों का निवास है। अतः मिश्रित संस्कृति प्रदर्शित करता है। प्रस्तुत अद्ययन भोपाल शहर के मध्यमवर्गीय परिवारों में किया गया है। इस हेतु पूरे भोपाल शहर को सम्मिलित करने के लिए पॉच आगों में विभाजित किया गया है। उत्तर, दक्षिण पूर्व, पश्चिम तथा मध्य भोपाल। इन्हीं पॉच क्षेत्रों को अद्ययन के लिए उपवर्ग माना गया है, जिससे सम्पूर्ण शहर का प्रतिनिधित्व हो सके।

**उपकरण** – अनुसंधानकर्ता के समक्ष हमेशा यह समस्या बनी रहती है, कि वह अपनी परिकल्पना के परीक्षण हेतु आँकड़ों का संग्रहण किस प्रकार करें। इस हेतु उसे अनुसंधान के उपकरणों, विधियों एवं यंत्रों का व्यापक ज्ञान होना आवश्यक है। उपकरण की वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता द्वारा ही किसी समस्या के वैज्ञानिक विलेषण का कार्य किया जा सकता है।

प्रस्तुत अनुसंधान में समस्या से संबंधित उद्देश्यों तथा परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु आँकड़ों के संकलन हेतु एक स्थिति मापनी का निर्माण किया गया है, जिसमें अनुसंधान समस्या से संबंधित तरक्संगत प्रश्नों की सूची तैयार की गई। शोध में तथ्यों के संग्रहण हेतु निम्नलिखित उपकरण प्रयुक्त हुए हैं:

1. **आर्थिक स्तर मापनी (आयवर्ग मापनी)** – इसके द्वारा मध्यम आय वर्ग की बालिकाओं को विनिहत किया गया।
2. **स्थिति मापनी** – बालिका की पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति ज्ञात करने हेतु विशेष रूप से निर्मित मापनी को स्थिति मापनी नाम दिया गया। आगे अद्ययन में बालिका की स्थिति मापनी को इसी नाम से जाना जायेगा। इसका प्रयोग बालिका और उसके माता-पिता के व्यवहार एवं दृष्टिकोण को ज्ञात करने के लिए किया गया।

बालिका की पारिवारिक और सामाजिक स्थिति को ज्ञात करना है। एक ओर परिवार के सदर्य विशेषकर माता और पिता की सोच, व्यवहार एवं दृष्टिकोण बालिका के सामाजिक स्थिति की परिचायक है, तो दूसरी ओर बालिका स्वयं अपनी स्थिति का आकलन किस प्रकार से करती है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रूप से उपलब्ध हो सकता है।

बालिका की स्थिति परिवार में समाज में बालिका की दृष्टि में अभिभावक की दृष्टि में

**स्थिति मापनी का बिन्दुवार विवरण** – स्थिति मापनी के निर्माण में निर्मित प्रमुख बिन्दु तथा उनका विस्तार क्षेत्र इस प्रकार से हैं –

1. मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति प्राथमिकताओं में लिंगभेद : भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य
2. विकासात्मक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति प्राथमिकताओं में लिंगभेद : शिक्षा, मनोरंजन, अभिभूति, आत्मनिर्भरता
3. सामाजिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति प्राथमिकताओं में लिंगभेद : धर्म, संस्कृति, सामाजिक पारिवारिक आयोजन, पारिवारिक सामाजिक दायित्व
4. वैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति प्राथमिकताओं में लिंगभेद : सम्पत्ति अधिकार, विवाह, गोद लेना, तलका

**स्थिति मापनी में प्रासांकों के आधार पर बालिकाओं की स्थिति स्तर** – स्थिति मापनी के प्रासांकों के आधार पर बालिकाओं की स्थिति के तीन स्तर हैं। जिसकी गणना के लिए 98 बालिकाओं के कुल प्रासांक 8281 के द्वारा मध्यमान एवं मानक विचलन ज्ञात किया गया जो कि तालिका क्रमांक 3.5 में दर्शायी गये हैं –

**तालिका क्रमांक - 1 : बालिका की स्थिति के स्तर**

| क्र. | बालिका की स्थिति के स्तर | कुल प्रासांक सीमा  |
|------|--------------------------|--|
| 1.   | उच्च स्तर                | Mean + SD = Upper limit<br>84.50 + 12.72 = 97.22<br>(97 या उससे अधिक प्रासांक) |
| 2.   | सामान्य स्तर             | Between upper & lower limit (96-73 के मध्य प्रासांक)                           |
| 3.   | निम्न स्तर               | Mean - SD = Lower limit 84.50 - 12.72<br>तक = 71.78 (72 एवं उससे कम प्रासांक)  |

मध्यमान + मानक विचलन से ऊपर प्राप्तांक होने पर बालिका की समाज में उच्च स्थिति मानी गई। मध्यमान-मानक विचलन से कम प्राप्तांक पर बालिका की स्थिति निम्न मानी गई है, और इसके बीच में प्राप्तांक में स्थिति सामान्य मानी गई है।

#### मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति में भेदभाव के आंकलन हेतु

##### उपकल्पना परीक्षण :

**उपकल्पना :** बालिकाओं की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बालक के समकक्ष हो रही है, दृष्टिकोण में बालिका और माता के विचार में अन्तर होगा।

**नगण्य उपकल्पना :** बालिकाओं की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बालक के समकक्ष हो रही है, ऐसे दृष्टिकोण में बालिका और माता के विचार में अन्तर नहीं होगा।

##### तालिका क्रमांक - 2 : उपकल्पना आवश्यकताएं

| क्र. | मूलभूत आवश्यकताएं |      |                    |                  |             |
|------|-------------------|------|--------------------|------------------|-------------|
|      | Score             | Mean | Standard Deviation | T Test           |             |
|      |                   |      |                    | Calculated Value | Table Value |
| 1.   | Girl (98)         | 1893 | 16.88              | 3.03             |             |
| 2.   | Mother (98)       | 1889 | 16.88              | .89 < 1.99       |             |

टी परीक्षिका मूल्य (.89) था।

टी तालिका मूल्य (1.99) था।

सार्थकता स्तर .05 था, t परीक्षिका मूल्य, तालिका मूल्य से कम है। इसलिए नगण्य उपकल्पना स्वीकार की गयी।

**निष्कर्ष :** इससे यह सिद्ध होता है कि बालिकाओं की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बालक के समकक्ष हो रही है, ऐसे दृष्टिकोण में बालिका और माता के विचार में अन्तर नहीं है।

#### विकासात्मक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति में भेदभाव के आंकलन हेतु

##### उपकल्पना परीक्षण :

**उपकल्पना :** बालिकाओं की विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति बालक के समकक्ष हो रही है, ऐसे दृष्टिकोण में बालिका और माता के विचार में अन्तर होगा।

**नगण्य उपकल्पना :** (Null Hypothesis)

बालिकाओं की विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति बालक के समकक्ष हो रही है, ऐसे दृष्टिकोण में बालिका और माता के विचार में अन्तर नहीं होगा।

##### तालिका क्रमांक - 3 : उपकल्पना परीक्षण

| क्र. | विकासात्मक आवश्यकताएं |      |                    |                  |             |
|------|-----------------------|------|--------------------|------------------|-------------|
|      | Score                 | Mean | Standard Deviation | T Test           |             |
|      |                       |      |                    | Calculated Value | Table Value |
| 1.   | Girl (98)             | 1667 | 17.01              | 6.65             |             |
| 2.   | Mother (98)           | 1666 | 17.00              | .98 < 1.99       |             |

टी परीक्षिका मूल्य (.98) था।

टी तालिका मूल्य (1.99) था।

सार्थकता स्तर .05 था, t परीक्षिका मूल्य, तालिका मूल्य से कम है। इसलिए नगण्य उपकल्पना स्वीकार की गयी।

**निष्कर्ष :** बालिकाओं की विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति बालकों के

समकक्ष हो रही है, ऐसे दृष्टिकोण में बालिका और माता के विचार में अन्तर नहीं है।

#### सामाजिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति में भेदभाव के आंकलन हेतु उपकल्पना परीक्षण :

**उपकल्पना :** बालिकाओं की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति बालक के समकक्ष हो रही है, ऐसे दृष्टिकोण में बालिका और माता के विचार में अन्तर होगा।

**नगण्य उपकल्पना :** (Null Hypothesis)

बालिकाओं की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति बालक के समकक्ष हो रही है, ऐसे दृष्टिकोण में बालिका और माता के विचार में अन्तर नहीं होगा।

##### तालिका क्रमांक - 4 : उपकल्पना परीक्षण

| क्र. | सामाजिक आवश्यकताओं |      |                    |                  |             |
|------|--------------------|------|--------------------|------------------|-------------|
|      | Score              | Mean | Standard Deviation | T Test           |             |
|      |                    |      |                    | Calculated Value | Table Value |
| 1.   | Girl (98)          | 3834 | 39.12              | 7.04             |             |
| 2.   | Mother (98)        | 3872 | 39.51              | 6.51             | .54 < 1.99  |

टी परीक्षिका मूल्य (.54) था।

टी तालिका मूल्य (1.99) था।

सार्थकता स्तर .05 था, t परीक्षिका मूल्य, तालिका मूल्य से कम है।

इसलिए नगण्य उपकल्पना स्वीकार की गयी।

**निष्कर्ष :** बालिकाओं की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति बालकों के समकक्ष ही हो रही है, ऐसे दृष्टिकोण में बालिका और माता के विचार में अन्तर नहीं है।

#### वैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति में भेदभाव के आंकलन हेतु उपकल्पना परीक्षण :

**उपकल्पना :** बालिकाओं की वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति बालक के समकक्ष हो रही है, ऐसे दृष्टिकोण में बालिका और माता के विचार में अन्तर होगा।

**नगण्य उपकल्पना :** (Null Hypothesis)

बालिकाओं की वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति बालक के समकक्ष हो रही है, ऐसे दृष्टिकोण में बालिका और माता के विचार में अन्तर नहीं होगा।

##### तालिका क्रमांक - 5 : उपकल्पना परीक्षण

| क्र. | सामाजिक आवश्यकताओं |      |                    |                  |             |
|------|--------------------|------|--------------------|------------------|-------------|
|      | Score              | Mean | Standard Deviation | T Test           |             |
|      |                    |      |                    | Calculated Value | Table Value |
| 1.   | Girl (98)          | 773  | 7.88               | 5.32             |             |
| 2.   | Mother (98)        | 979  | 9.98               | 4.87             | 8.24 < 1.99 |

टी परीक्षिका मूल्य (8.24) था।

टी तालिका मूल्य (1.99) था।

सार्थकता स्तर .05 था, t परीक्षिका मूल्य, तालिका मूल्य से कम है।

इसलिए नगण्य उपकल्पना स्वीकार की गयी।

**निष्कर्ष :** बालिकाओं की वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति बालकों के समकक्ष ही हो रही है, ऐसे दृष्टिकोण में बालिका और माता के विचार में अन्तर है। अर्थात् बालक और बालिकाओं की वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में एक जैसा व्यवहार नहीं है। बालिका और माता के विचार में अन्तर है।

## म.प्र. के आर्थिक विकास में अग्रणी बैंकों की भूमिका

**डॉ. मोनिका बापट \***

**प्रस्तावना** – बैंकों का राष्ट्रीयकरण देश के संपूर्ण बैंकिंग इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना रही है। देश के व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीकरण कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किया गया था। इस संबंध में सत्ता के विकेन्ड्रीकरण बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के संबंध में संतुलित नीति बचत के अनुपात में आर्थिक संसाधनों के जमा के रूप में अधिकाधिक मात्रा में संबंधित करना, अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता आदि प्रमुख है। प्रो. गाडगिल अध्ययन दल की सिफारिश के अनुरूप आर्थिक विकास हेतु 'क्षेत्र उन्मुखता' की अवधारण को कार्यान्वयित करने के उद्देश्य से दिसंबर 1969 में 'अग्रणी बैंक योजना' लागू की गई। जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में बैंकिंग विकास की संभावनाओं का सर्वेक्षण करने संस्थागत साख की कमियों का पता लगाने, साथ ही उन्हें दूर करने का दायित्व बैंकों को सौंपा गया।

'प्रदेश में आर्थिक असंतुलन को दूर करने व उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विकास की संभावनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न बैंकों को अग्रणी बैंक के रूप में कार्यभार सौंपा गया व उनको यह दायित्व प्रदान किया गया कि वह प्रदेश में विकास संबंधी योजनाओं व कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रदेश में कार्यरत अन्य सहयोगी बैंकों के साथ मिलकर संपन्न करेंगे।'

म.प्र. में निम्नलिखित आठ बैंकों को यह दायित्व सौंपा गया –

1. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
2. बैंक ऑफ इंडिया
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडौर
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
5. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
6. इलाहाबाद बैंक
7. पंजाब नेशनल बैंक
8. बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रस्तुत शोध प्रबंध के माध्यम से म.प्र. आर्थिक विकास में तीव्रता लाने हेतु विगत 10 वर्षों में अग्रणी बैंकों द्वारा जो भी प्रयास किये हैं उनको रेखांकित करना है।

**शोध का उद्देश्य** – भारत एक विशाल देश है, जिसमें कई भौगोलिक व आर्थिक विषमताएं विद्यमान हैं। इसलिये प्रत्येक भाग का एक साथ समुचित विकास करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसका मुख्य कारण यह है कि देश में अलग-अलग क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक अंतर है। जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण देश का विकास किसी एक पद्धति के अंतर्गत किया जाना संभव नहीं है। अतः देश के प्रत्येक जिले में विकास के लिये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अग्रणी योजना का शुभारंभ किया। म.प्र. में 8 लीड बैंक

अपने अन्य सहयोगी बैंकों के साथ भूमिका निभा रहे हैं।

शोधार्थी का म.प्र. से संबंध होने के साथ-साथ वाणिज्य की छात्रा होने के कारण निश्चित ही खचि यह जानने में है कि जिन उद्देश्यों का ध्यान में रखकर संस्था की स्थापना की गई थी वह सफल रही है यह शोध का मुख्य उद्देश्य है।

प्रदेश के सुनहरे भविष्य हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अग्रणी बैंकों को जो कार्य सौंपे गये थे वह उनमें कहाँ तक सफल हो पायी है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में अग्रणी बैंकों के मूल्यांकन के संबंध में परिकल्पना इस प्रकार है-

1. संस्थागत साख के वितरण में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2. अग्रणी बैंकों ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किये जाने वाले ऋण संबंधी अपने लक्ष्य अर्जित किये हैं।
3. अग्रणी बैंक योजना के संबंध में हितग्राही वित्तीय संस्थाएं संतुष्ट हैं।
4. विगत 10 वर्षों में प्रदेश के विकास में अग्रणी बैंकों ने अपनी भूमिका का निर्वाह सफलतापूर्वक किया है।

**अग्रणी बैंकों का परिचय –**

**1. अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र का महत्व** – किसी देश के आर्थिक विकास के लिए पूँजी अत्यंत आवश्यक है। बैंक छोटी-छोटी धनराशि एकत्रित करके बचत को बढ़ावा देते हैं। इस एकत्रित धनराशि को उन क्षेत्रों में विनियोजित किया जाता है, जहाँ उनकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार बैंक देश में पूँजी की आवश्यकताओं की बड़ी मात्रा में पूर्ति करके देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहण करते हैं।

**2. अग्रणी बैंक योजना का परिचय व संगठन** – स्वतंत्रता के पश्चात् आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात किया गया। योजनाबद्ध विकास के प्रारंभिक 15 वर्षों में यह पाया गया कि यद्यपि देश में आर्थिक विकास हुआ, राष्ट्रीय आय बढ़ी, लेकिन अंतक्षेत्रीय आधार पर आर्थिक असमानताएं कम नहीं हुई अतः रिस्थिति का विश्लेषण करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रो. डी.आर. गाडगिल की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय साख समिति' का गठन किया गया। इस प्रकार समिति ने छोटे से छोटे स्तर पर बैंकिंग सेवा का विस्तार करने एवं बैंकों को विकासोनुभवी बनाने हेतु स्थानीय स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जिससे समस्त संबंधित पक्षों का प्रतिनिधित्व हो सके। 'राष्ट्रीय साख समिति' ने गहन विश्लेषण के पश्चात् ग्रामीण साख के विस्तार हेतु एक विशिष्ट योजना का सुझाव दिया। इसे 'अग्रणी बैंक योजना' का नाम दिया गया।

**3. मध्यप्रदेश में अग्रणी बैंकों की स्थिति** – मध्यप्रदेश में 48 जिलों में कुल 8 बैंक अग्रणी बैंक के रूप में कार्य करते हैं। इन बैंकों के बीच विभिन्न

\* सहायक प्राध्यापक, एम. के. एच. एस. गुजराती गर्ल्स कॉलेज, इंदौर (म.प्र.) भारत

जिलों का बंटवारा निम्न प्रकार किया गया है -

| क्र. अग्रणी बैंक का नाम    | जिले   |
|----------------------------|--|
| 1. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | बैतूल, रायसेन, भिंड, मुरैना, व्हालियर, होशंगाबाद, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, डिलोरी, नरसिंहपुर, सिवनी, शहडोल, सागर, मंदसौर |
| 2. बैंक ऑफ इंडिया          | भोपाल, राजगढ़, सिहोर, धार, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, देवास, शाजापुर व उज्जैन   |
| 3. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर     | विद्धिशा, श्योपुर, गुना, नीमच व शिवपुरी।   |
| 4. पंजाब नेशनल बैंक        | इतिया  |
| 5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया    | हरदा, कटनी, उमरिया, दमोह, छतरपुर, पट्टा व टीकमगढ़  |
| 6. बैंक ऑफ बड़ौदा          | झाबुआ  |
| 7. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया   | रीवा व सीधी  |
| 8. इलाहाबाद बैंक           | सतना   |

**प्राथमिक क्षेत्र में अग्रणी बैंक योजना के प्रावधान - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले प्रावधानों व दिशा-निर्देशों के अनुसार दिसंबर 1969 में देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इसके पश्चात् गाडगिल अध्ययन दल की सिफारिशों को एवं आर्थिक विकास की क्षेत्रीय उन्मुखता अवधारणा को लागू करने हेतु अग्रणी बैंक योजना भी लागू की गई।**

नवम्बर 1974 में प्रथम बार यह प्रावधान रखा गया कि बैंक मार्च 1979 तक अपने कुल अग्रिमों का 33.33 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदान करें। वर्तमान में यह 40 प्रतिशत है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के संबंध में ऋणों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया -

- कृषि क्षेत्र
- लघु उद्योग क्षेत्र
- अन्य प्राथमिक क्षेत्र

कृषि क्षेत्र हेतु दो प्रकार से ऋण दिया जाता है, अल्पकालीन व मध्यम

व दीर्घकालीन। अल्पकालीन ऋण किसानों को एक लाख रु. तक छः माह हेतु दिया जाता है व दीर्घकालीन ऋण किसानों को प्रत्यक्ष रूप से विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कार्यों हेतु दिया जाता है।

लघु उद्योगों के क्षेत्र में ऐसे उद्योग शामिल किये जाते हैं जिनका विनियोग उपयोग में आने वाले प्लांट व मशीनरी में एक करोड़ से अधिक न हो।

अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में खेरची व्यापारी, व्यक्तिगत फर्म, स्वरोजगार हेतु ऋण ठेकेदार, सुपरवाईजर आदि कार्यों हेतु अधिकतम 5 लाख रूपये का ऋण प्रदान किया जाता है।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

- दत्त, रुद्र एवं सुन्दरम, के.पी.एम. भारतीय अर्थव्यवस्था एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लिमि. नई दिल्ली
- झिंगन, (डॉ.) एम. एल. मौद्रिक अर्थशास्त्र वृंदा पब्लिकेशन्स, प्रा. लिमि. दिल्ली 2000
- गौड, श्यामलाल बैंकों में ग्राहक सेवा उपभोक्ता संरक्षण और लोकपाल हिमालया पब्लिशिंग हाउस, बाम्ब, 1997
- गुप्ता, जी.पी. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एण्ड मॉनेट्री मैनेजमेन्ट एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाब्बे, 1962
- जेना, पी.एस. यूथ इण्टरप्रिन्योरशिप इन उड़ीसा इण्टर प्रिन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया, एडिरेड बाय डी.एन. मिश्र. चुग पब्लिकेशन्स प्रा. लिमि. 1983
- सेठ, डॉ. एम. एल मुद्रा एवं बैंकिंग शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी आगरा, 1985
- शर्मा. के. एस. नागर, बी.डी. व शर्मा एस. सी. मौद्रिक अर्थशास्त्र गोयल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ, 1982
- डॉ. एम. डी. अग्रवाल वित्तीय प्रबंध रमेश बुक डिपो, जयपुर
- डॉ. आर. एम. कुलश्रेष्ठ औद्योगिक अर्थशास्त्र साहित्य भवन, आगरा
- डॉ. राजेन्द्र शर्मा उद्यमिता विकास यशराज, इंदौर
- डॉ. चौधरी म.प्र. का आर्थिक विकास आर्थिक एवं साहियकी

\*\*\*\*\*

# Effect of International Advertising on Sales

Dr. Hitesh A. Kalyani \*

**Abstract** - In this paper, attempt has been made to emphasize the effect of International advertising on Sales. It has been seen over the years that Advertising are perfectly correlated with Sales growth rates. International Advertising is one of the most powerful tools available to corporate management in its drive to build a profitable business operation and to compete successfully with other comparable business. International Advertising is the tool to spread broad ideas and information regarding product or service to persuade the action in accordance with the eager attention of the adviser. International Advertising is a function and basically a supportive activity which enlarges the possibility of production and makes the selling process more efficient. Its purpose is to create a state of mind conducive to purchase. This paper has tried to highlight the effect of International Advertising on Sales.

**Key words** - DDB, Grey India, Target Market, Dentsu.

**Introduction** - International Advertising is transfer of appeals, messages art copy, photographs, stories, videos and film segments from one country to another. International Advertising is key-tool in international Marketing. It is sole representative of the marketer in most of the cases. It is the most cost effective method of communicating with potential buyers and creating markets in other countries. International Advertising is quite different from national or domestic advertising. In national advertising you know your laws, your people, you know their language, their likes and dislikes, customs, traditions and values, taste and preferences and you know the competition, In International Advertising is a business force which through the printed words sells or helps sell, builds reputation and faster goodwill.

## Objectives of International Advertising:

Following are the objectives of International Advertising:

1. Creation of New Markets
2. To Give Information of New Product
3. Creation of New Customers
4. To Increase Sale
5. To Get Publicity
6. Increase in goodwill
7. To supplement salesman
8. To Face Competition
9. To Educate the consumers
10. Brand Loyalty

**Strategy of International Advertising :** There are two forms of International advertising

- (i) Standardised Advertising
- (ii) Localised Advertising

**(i) Standardised Advertising** - In Standardised approach the theme or copy of the advertisement is not changed. Products Are advertised the same way in all the countries

except that the message is translated into local language. Standardisation argument is based on the fact that people everywhere want the same product for the same reason.

**(ii) Localised Advertising** - Localised Advertising means that the advertisement in different countries is modified and adopted according to local conditions and environments. According to this approach consumers differ from country to country and advertising should be tailored to suit their tastes, preferences, customs etc. Qualities of a product influence buyer's behaviour differently in different countries. A uniform advertising approach may be unsuitable for both developing and developed countries because there are marked differences between the two in life style, standard of living, market structure and environment.

Determination of International advertising strategy, whether it should be standardised or localised, is not a simpler matter. Conditions differ from country to country while one campaign might have been successfully transferred to another country from home country but another may fail completely. To resolve this problem, Strategy should be formulated after careful analysis and planning.

**Factors of International Advertisement** - Before deciding about standardised or localised advertising one must consider the following factors:

**1. Environmental Factors:** It would be desirable to diagnose and identify important environmental factors like education and income levels, beliefs and traditions of people, rate of economic growth, acceptance of international trademarks, trade names, government control on advertising, availability of media etc.

**2. Advertising Media :** It should be considered whether the type of advertisement media available in one's own country such as newspaper, television, magazines, radio

etc. are also available in the countries of import. Also if same type of media are available in importing countries the standardised advertising be adopted.

**3. Objectives of Advertising :** It should be considered whether the advertisement is to be given to educate consumers or to outdo competitors.

**4. Target Market Characteristics :** If the characteristics of targeted markets are similar to home country, standardised advertising campaign will prove economical and successful.

**5. Cost of Advertising :** If the cost of local adaptation exceeds the benefits then standardised advertising should be adopted but if localised advertisement could open up opportunities, it should be preferred.

**6. Product Characteristics :** The nature of the product involved affects choice between standardised or localised advertising campaign. The advertisement has to see whether purchasers in foreign country belong to same income group, advantages and disadvantages of the product in the mind of foreign consumers are basically same.

**Advertising Agencies** - An advertising agency is a specialised concern acting as a specialist in doing advertisement for others. It acts as an agent or a consultant of the advertiser who may be a manufacturer, a wholesaler or a retailer. Advertising agencies are experts and specialist in planning, creating and placing advertisement. They plan and execute entire campaigns and may conduct market research for the advertiser.

**List of Advertising Agencies Worldwide** - The five largest agencies, worldwide :

1. WPP Group, London
2. Omnicom Group, New York city
3. Publicis Groupe, Paris
4. Interpublic Group, New York city
5. Dentsu, Tokyo

**List of Advertising Agencies in India** - In order to capture consumer's attention and stick in their memory, an advertising design blends psychology, marketing, and creativity into a seamless presentation. Although many advertising design professionals focus their energy on their creativity, psychology and marketing often spill over into their everyday work, making this job one that favors those who can multitask. Almost all brands, products, and large corporations have some kind of tagline. List of Advertising agencies in India that promote the product and increase the sales.

1. **DDB Mudra Communications:** It is known as India's no. one and largest marketing communications services enterprise. DDB expertise in four disciplines Media, Outdoor Advertising, Retail and Experiential.

Clients: **Bharat Petroleum**, Pepsi, McDonalds, Colgate, USHA, Reebok, Peter England, Henkel, ACC Limited, Puma etc.

Product : Rasna,

Tagline : I Love You Rasna

**2. Grey India :** Grey India is a part of Grey global and top second advertising agency of India.

Clients: Gillette, Crocin, Fortis, Cadbury Silk, Kinder Joy, Sensodyne, BNatural, Dell Pantene.

Product: Kinder Joy and BNatural.

**3. Rediffusion :** Rediffusion is a part of WPP group and the third top advertising agency of India.

Clients: Tata motors, Ambuja, Emani, Evereyday, ITC Stationery.

Product: Tata Motor

**4. McCann Erikson India Ltd :** It is fourth ranked company in India.

Clients: Cococola, Microsoft, Loris, Spirite, Maybelline  
 Tagline: Thanda matlab cococola

**5. Ogilvy & Mather:** It is fifth top agency in India

Clients: IBM, Philips, Dove, American Express

**6. JWT:** It is the top most advertising agency in India.

Clients: Nestle, Unilever, DTC

**7. Triverse Advertising:** A Gurgaon based agency

**Clients:** Vardhman, Brijwasi, SMC, Pari India.

**8. FCB-Ulka Advertising Ltd.:** FCB-Ulka Advertising is top ten advertising agency in India

**Cleints:** Levi's, Abbot, Amul, HP, Candy Man, Hero, Indian Oil, ITC, Nerolac, Sunfeast, Tata, Whirlpool, Wipro, Zee etc.

**8. Chaitra Leo Burnett Pvt. Ltd.:** Chaitra Leo Burnett Pvt. Ltd is the top most advertising agency in India.

**Clients:** P&G, Kellogs, Coco cola, Fiat, Samsung, Altria

**9. Madison Communications:** The advertising agency specialized in outdoor, entertainment

Client : Asian Paints, BJP, Blue Star, Café Coffee Day, Cet, Godrej, ITC Kellogg's, Levis ETC.

**10. Dentsu Aegis :** Dentsu Aegis is top ten advertising agency in India.

**Clients:** Nissan, TVS, Toyota, Microsoft, MasterCard, Reebok etc.

**Conclusion** - International Advertising increases the sales of the company, captures the market, join the new customers, to educate the customers and increases the profit of the company through International Advertising.

#### **Bibliography :-**

1. Fundamentals of Digital, Pearson
2. Lateral Thinking, A textbook of creativity, Edward De Bono
3. Ogilvy on Advertising, David Ogilvy
4. Pandey monium on advertising, Piyush Pandey
5. My life in advertising, Hopkinns
6. Digital Marketing using google service, Balu
7. Presentation Zen, Garr Reynolds
8. [www.internationaladvertising.com](http://www.internationaladvertising.com)
9. [www.ad.co.in](http://www.ad.co.in)
10. [www.advertise.com](http://www.advertise.com)

## ग्रामीण अंचलों में लोकोक्तियों का महत्व

डॉ. निरपेन्द्र कुमार सिन्हा \*

**प्रस्तावना** – लोकोक्ति संस्कृत भाषा का शब्द है इसका अर्थ है लोक+उक्ति। अर्थात् लोक की उक्ति, लोक में प्रचलित और प्रसिद्ध उक्ति। बोलचाल की भाषा में लोकोक्ति को कहावत कहते हैं। व्यापक रूप से 'कहावत' शब्द लोकोक्ति की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होता है। यह उक्ति मानव समाज में व्यापक अनुभव से जन्म लेती है।

लोक साहित्य में लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा किसी कथन में तीव्रता और प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। इससे भाषा में बल आ जाता है और यह श्रोताओं के हृदय पर अपना प्रभाव डालती है। मानव ने युग-युग से जिन तथ्यों का साक्षात्कार किया है उनका प्रकाशन इनके माध्यम से होता है।

**अर्थ एवं परिभाषा** – लोक सुभाषित में लोकोक्तियों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा किसी कथन में तीव्रता का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। इसके प्रयोग से किसी कथन की पुष्टि की जाती है और इसका प्रभाव श्रोताओं पर बहुत अधिक पड़ता है। सर्वासाधारण जनता के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे लोकोक्ति (लोक = जनता + उक्ति = कथन) कहा जाता है लोकोक्तियाँ अनुभवसिद्ध ज्ञान की निधि हैं। मानव ने युग-2 से जिन तथ्यों का साक्षात्कार किया है। उनका प्रकाशन इनके माध्यम से होता है। ये चिरकाल अनुभूत ज्ञान के सूत्र हैं। समानरूप में विर-परिचित तथा अनुभूत ज्ञान का राशि का प्रकाशन इनका प्रधान उद्देश्य पाया जाता है।

कर्नल जैकब के अनुसार 'लोकोक्तियों की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। शोध करने से पता चलता है कि वेदों में भी इनकी सत्ता उपलब्ध है। उपनिषदों में भी लोकोक्तियों प्रचुर परिमाण में पाई जाती है।'<sup>1,2</sup>

**ग्रामीण अंचल में कुछ लोकोक्तियाँ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं जैसे-**

'तीन कनौजिया तेरह चूल्हा'

**काशी के सम्बन्ध में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है-**

'राँड, साँड सीढ़ी संन्यासी।'

उनसे बचे तो सेवे कासी।'

इसी प्रकार के बुन्देलखण्ड के सम्बन्ध में यह लोकोक्ति प्रचलित है:

झाँसी गले की फाँसी, दतिया गले का हार।

ललितपुर नहीं छोड़िये जब तक मिले उधार॥

इससे स्थानीय जनता के व्यवहार का पता चलता है।

**लोकोक्तियों की विशेषता एवं महत्व** – लोक साहित्य के अन्तर्गत लोकोक्तियों का महत्व कोई कम नहीं है। लोकोक्तियों के माध्यम से किसी बात के कथन में तीव्रता व शक्ति का संचार होने लगता है। लोकोक्तियों अनुभव सिद्ध ज्ञान की अक्षय निधि है। मानव युग-युग से जिन-जिन लथ्यों का साक्षात्कार करता है उनका प्रकाशन इनके माध्यम से होता है। लोकोक्तियों का कार्य चिर संचित ज्ञान की राशि को प्रकाशित करना है।

लोकोक्तियों की परम्परा अति प्राचीन है। वेदों के अन्तर्गत भी इनकी सत्ता देखी जा सकती है। उपनिषदों में भी लोकोक्तियों की न्यूवता देखने को नहीं मिलती है। सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य में तो लोकोक्तियों का प्रयोग सुचारू रूप से किया गया है जिसके कारण उनकी भाषा प्रभावोत्पादकता से मणित हो गयी है। संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ भारति व माघ एवं श्री हर्ष के ग्रन्थों में लोकोक्तियों का स्वरूप लक्षित है। नैषध-चरित के चरिता ने 'हृदे गंभीरि हृदि चावगढे शंसनित कार्यवितारं हि सन्त' लिखकर अनुभव की बात कही है। महाकवि राजशेखर ने प्राकृत भाषा में लिखे गए 'कर्पूर मंजरी' नामक सट्क में 'हृत्थकंकण कि दप्पणेण पेक्खी' का उल्लेख किया है जो हिन्दी में 'कर कंगन को आरसी क्या' इस सुन्दर व चुस्त रूप में सजीव है। पालि ग्रन्थों में भी ऐसी अनेकानेक उक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिनसे अनुभूति की व्यंजना होती रहती है।

पंचतन्त्र, हितोपदेश आदि ग्रन्थों में नीति सम्बन्धी उक्तियों के स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं। संस्कृत में लोकोक्तियों को सुभाषित या सूक्ति कहा जाता है जिसका अर्थ है कि सुन्दर ढंग से कही गयी बात। बहुत सी ऐसी लोकोक्तियाँ हैं जो कि संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों रूप में हिन्दी भाषा में प्रयुक्त होने लगी हैं।

जब कभी लोकोक्तियों के संग्रह की बात आती है तो संस्कृत साहित्य लोकोक्तियों का अक्षय भण्डार है। इस क्षेत्र में कर्नल जैकब महोदय ने 'लौकिक न्यायांजलि' नाम से संस्कृत साहित्य में उपलब्ध न्यायों का अपूर्व संग्रह तीन भागों में प्रकाशित किया था जिसके अन्तर्गत काकतालीयन्याय, धुणाक्षरन्याय एवं अन्धदर्पण न्याय पर आपके द्वारा स्पष्टीकरण का स्वरूप देखने को मिलता है। इसी प्रकार से 'सुभाषित रत्न भण्डागारम्' नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में लोकोक्तियों पायी जाती है। श्री फेकलेन महोदय ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'दि डिक्षशनरी ऑफ हिन्दुस्तानी प्रोवर्क्स' में- मारवाड़ी, पंजाबी, भोजपुरी मैथिली महावतों का संकलन किया है। फिर भी इस ग्रन्थ में पूर्वी हिन्दी (भोजपुरी) की लोकोक्तियाँ ही अधिक हैं। श्री जे० एच० नोबल्स का कार्य काशमीरी लोकोक्तियों पर है। सम्वत् 1994 वि० में गढ़वाली भाषा ने परवाण लिखकर गढ़वाली लोकोक्तियों पर प्रचुर प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार श्री रतनलाल मेहता ने मालवी कहावतों पर प्रकाश डाला है। मेवाड़ी कहावतों पर भी पर्याप्त कार्य हो चुका है। डॉ० कन्हैया लाल सहल ने राजस्थानी कहावतों पर महत्वपूर्ण अनुसन्धान किया है। श्री सत्यदेव ओझा ने भोजपुरी लोकोक्तियों पर महत्वपूर्ण कार्य किया।

लोकोक्तियों की विशेषताएं अधोलिखित हैं-

1. सामाजिक शैली
2. अनुभूति और निरीक्षण
3. सरलता

\*(समाजशास्त्र) चौ. चरण सिंह पी.जी. कालेज, हैंवरा, इटावा (उ.प्र.) भारत

1. **लोकोक्तियों में समास शैली** – इन कहावतों के प्रणेताओं ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। यद्यपि लोकोक्तियाँ देखने में अत्यन्त लघु होती हैं लेकिन उस लघुता में भावों, विचारों का सागर समाहित है। उदाहरण के लिए – ‘तीन कनौजिया तेरह चूल्हा’ को ले सकते हैं। इसका आशय है किकान्यकुब्ज ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ समझते हैं जैसा कि कान्यकुब्जा द्विज़ा: श्रेष्ठः। इस उक्ति से स्पष्ट होता है। अतः वे लोग खानपान छुआ-छूत को अधिक मानते हैं।

एक अन्य कहावत है ‘चार कवर भीतर तब देवता पीतर’ अर्थात् भोजपनोपरान्त ही देव पूजा की चिन्ता करनी चाहिए। इस लोकोक्ति के अन्तर्गत भौतिक वादी चार्वाक सम्प्रदाय के सिद्धान्त की ओर संकेत किया गया है यथा –

**‘यावत् जीवेत् सुखं जीवते ऋणं कृत्वा धृतं पिवेत्  
अस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः’**

लोकोक्तियों की यही लघुता उनके प्रचुर भाव का कारण है।

2. **लोकोक्तियों में अनुभूति और निरीक्षण –** लोकोक्तियों के अन्तर्गत मानव जीवन की युग युगान्तर की अनुभूतियों का परिणाम एवं निरीक्षण शक्ति सामाहित है। काशी निवास के सम्बन्ध में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है – घाध और भड़ी के नाम से हिन्दी साहित्य में अनेकों लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं। इन लोकोक्तियों में ऋतु सम्बन्धी एवं कृषि सम्बन्धी अनेक बातें बतलायी गयी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि घाध और भड़ी महोदय ने अपने सूक्ष्म एवं पैनी दृष्टि का सहारा लेकर ऋतु सम्बन्धी तथ्यों को अनुसन्धान के बाद ही लोकोक्तियों का निर्माण किया होगा। आकाश में चमकने वाली चंचला के रंग को देखकर निरीक्षण सम्प्रज्ञ व्यक्ति प्रभंजन आने तथा अकाल पड़ने की सूचना देते हैं।

3. **लोकोक्तियों की सरलता –** इनकी तीसरी विशेषता सरलता है। यह लोकोक्तियाँ बड़ी हर सरल भाषा में निबद्ध होती हैं जिन्हें अनपढ़ जनता भी बड़ी आसानी से समझ सकती है। इनकी सरलता के कारण श्रोताओं पर इनका अतिशय प्रभाव पड़ता है जैसे –

**नसकट नर्ही, बटकट जोये;  
जो पहिलीठी बिटिया होये।  
पातर कृषि, बौराहा भाय;  
घाघ कहैं दुःख कहाँ समाय।**

इस लोकोक्ति के भाव को समझने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती है। कहावतें गद्य में भी होती हैं और पद्य में भी। पद्यात्मक लोकोक्तियों को याद करने में बड़ी सुविधा होती है। इनका प्रभाव भी जनता के ऊपर संभवतः

अधिक पड़ता है। विस्तृत अर्थ की दृष्टि से हिन्दी साहित्य कोश के सहयोगी लेखक सत्येन्द्र ने लोकोक्ति के ढो प्रकार माने हैं 3 – 1. पहेली, 2. कहावत। कानपुर अंचल में प्रयोग की जाने वाली कुछ लोकप्रिय कहावतें निम्नलिखित हैं –

खाने का ठिकाना नर्ही, नहाना बड़े तड़के,  
गुड़ का हसिया, न लीले में, न फेंके में,  
नंगा का पीतर बाहर धरे या भीतर  
पढ़िअउ पूत सोई-हाडिया खुद-बुद गई

**आठ कनउजिया नउ चूल्हे, तेऊ पई फिरइ ऊले-ऊले।**

अंग्रेजी शासन काल में ‘भ्रभूती’ नामक प्रसिद्ध डाकू का कानपुर देहात में तूती बोलती थी। उसक रॉब और डबदबे को लक्षित करके कहा गया है कि ‘दिन में राज फिरंगी को, रात भ्रभूती जंगी कोय।’ अंग्रेजों के शोषण पर भी ग्रामीण लोग एक कहावत कहते थे:- ‘कमाये धोती वालो, खाये टोपी वालोय।’

लोकोक्तियों की भाषा अत्यन्त सरल एवं बोधगम्य है। सरलता के गुणों के कारण ही लोकोक्तियाँ बुद्धि ग्राह्य हो जाती हैं। कहावतें अपनी सरसता और सरलता के कारण ही श्रोताओं के हृदय पर सीधा आघात करती हैं –

**‘नसकट पनही, बटकट जोय  
जो पहलीठी बिटिया होय  
पातर कृशि बौराहा।  
घाघ कहैं दुःख कहाँ समाय।’**

कहावतें गद्य में भी होती हैं और पद्य में भी। पद्यात्मक कहावतों को स्मरण करने में आसानी होती है। उनका भी प्रभाव जनता के हृदय पर सम्भवतः अधिक पड़ता है।

अतः उक्त विवेचन से लोकोक्तियों की परम्परा और लोकोक्तियों की विशेषताओं पर पर्यास प्रकाश पड़ता है।

#### **संदर्भ ग्रन्थ सूची :-**

1. हरदेव बाहरी और डॉ केदार शर्मा, सामान्य हिन्दी, जैन प्रकाशन, पृ० 116
2. कर्नल जैकब, ‘ए हैण्ड बुक ऑफ मैक्रिसरस’
3. हरदेव बाहरी और डॉ केदार शर्मा, सामान्य हिन्दी, जैन प्रकाशन, पृ० 117
4. रामचन्द्र शुक्ल, भ्रमर गीत सार से उद्धत।
5. फेकलेन, ड डिक्शनरी आफ हिन्दुस्तानी प्रोबर्व्सी
6. डा० कन्हैया लाल सहल, राजस्थानी कहावते।

# Legislative And Judicial Measures To Curb Drug Menace

Dr. Navin Chouhan \*

**Abstract** - This article reviews menace of illicit drugs trafficking and the legal measures to curb this serious problem. Drug menace destroy the quality of life, hamper social, Economic and cultural development of nation. Narcotic Drugs are the most lucrative illegal business that generates quick money that is why this problem is increasing day by day. In spite of strict preventive laws this problems has become Serious for the nation but also for the world. It is worldwide problem The conclusion reveals the drug trafficking and the present preventive laws to curb this menace.

**Key words** - drug menace, drug crime, NDPS.

**Introduction** - Illegal drug trafficking such as opium, cocaine, heroine, morphine and amphetamines (Synthetic stimulants) has long been frustrating features of the international level. Drugs and Crimes are co-related. Drugs are related to crime as drug trafficking. it is orgnised crime. The relationship between drugs and crime is complex. drugs lead people into criminal activity. Drug and crime are directly co-related. To control and eradicate this Serious problem in the country, Indian parliament has made effective provisions by introducing the Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act 1985 in short NDPS Act 1985. According to the Narcotic drugs and Psychotropic substances Act 1985 the drugs can be classified into two categories:

1. Narcotic drug
2. Psychotropic substances

**What is Drug trafficking**- Illicit drug smuggling and trafficking is a clandestine activity. This crime is a global threat. This is the most lucrative business for the smugglers. They earn quick money by illegal trafficking drug trafficking is a illicit trade involving the cultivation, Manufacture, Distribution and sale of substances which are subject to the drug prohibition laws. This illegal drug trade is a global black market.

**Legal Measures** - The statutory control over narcotic drugs was excercised in india through a number of central and state enactments. The central Act namely the opium act 1857, the opium Act 1878 and the dangerous drug Act 1930 were enacted. Many deficiencies in the Laws come into force under the aforesaid Act. Later the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 came into effect on November 14, 1985. The NDPS Act is an Act of parliament of India that prohibits person to produce manfacture, cultivate, posses, sell, purchase, transport, stock and consume any Narcotic Drugs or Psychotropic Substances. The Act has since been amended thrice in

1988, 2001, and 2014. This Act extends to the whole of India. This Act is designed to fulfill India's treaty obligation under the single convention on Narcotics Drugs, convention on psychotropic substances and United Nation convention against illicit trafficin N.D.P.S. The Act provides for minimum punishment of ten years rigorous imprisonment with fine of rupees 1 lakh. Extendable to 20 years rigorous imprisonment with fine of rupees 2 lakh. The court have been empowered to impose fines exceeding this limits for reasons to be recorded in their judgment.

In spite of stringent punishment and strict provisions in the NDPS Act 1985. There are some loopholes in the act which has effected the conviction and acquittal rate. The Drug mafia exploits the weak links of the Act. Drug traffickers get benefits of some technical points in the Act and they release. Non compliance of the provisions effect conviction rate.

These are...

1. Non compliance of section 41.
2. Non compliance of section 50.
3. Non compliance of section 52.
4. Non compliance of section 55.
5. No independent witness joined.
6. Contradiction in the statements of prosecution witness
7. Link in the chain of evidence missing.

**Conclusion** - The implementations of the provisions of the Act is need of today to control this Serious problems. The strict attitude of the judiciary towards the offenders is also needed today. Mandatory provisions of the Act must be fulfilled during arrest, search and seizure.

**References :-**

1. NDPS Act. 1985
2. Drugs and crimes
3. Criminal procedure code 1973
4. Indian penal code
5. Death penalty

## मादक पदार्थों का व्यसन, अवैध परिवहन एंव वर्तमान कानून व्यवस्था

डॉ. नवीन कुमार चौहान \*

**शोध सारांश** – मादक पदार्थों के व्यसन एंव परिवहन का अवैध कार्य मनुष्य प्राचीनकाल से ही करता चला आ रहा है व्यवसन से मनुष्य का न केवल शारीरिक एंव मानसिक नुकसान हुआ है बल्कि उसको समाजिक एंव आर्थिक नकुसान का भी सामना करना पड़ा है मादक पदार्थों के व्यसन के कारण आपराधी के ग्राफ में भी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि व्यसन एंव अपराध का संबंध हमेशा रहा है व्यसनियों की बढ़ती हुई समस्या के कारण मादक पदार्थों के परिवहन में भी लगातार बड़ोतरी हुई है मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में लिस माफीया इस व्यापार से कम समय में अधिक पैसा अर्जित कर इस पैसे को अवैध कार्य में लगाते हैं और अपराध कारित करते हैं यहां तक कि इस अवैध आये को कुछ देश आंतकी संगठनों को सुविधाये मुहैया करने में खर्च कर रहे हैं नारकोटेरोजिम इसका उदाहरण है यह विकराल समस्या ना केवल हमारे देश में जड़े जमाये हुए हैं अपितु यह विश्वव्यापक गंभीर समस्या बनकर सामने आ रही है वर्तमान समय में प्रभावी कानून व्यवस्था होने के बावजुद भी यह तीक्ष्ण समस्या दिन प्रतिदिन अपना विकराल रूप ले रही है संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विभिन्न देशों की कानून व्यवस्था भी इस गंभीर समस्या को पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं कर पा रही है हमारे देश में मौजुदा कानून स्वापक औषधी तथा मनःप्रभावी अधिनियम (NARCOTIC DRUGS & PSYCHOTROPIC SUBSTANCES Act 1985) उक्त समस्या को नियंत्रित करने के सार्थक प्रयास कर रहा है और सफल हो रहा है किन्तु कुछ तकनिकी कमियों के कारण अपराधी रास्ता निकालकर निकल जाते हैं और अपराध कारित करते हैं।

**शब्द कुंजी** – व्यसन, अवैध परिवहन एंव एन.डी.पी.एस.

**प्रस्तावना** – मादक पदार्थों के व्यसन की समस्या पश्चिमी देशों से भारत में आई है हमारे युवा पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करते हैं और वह व्यसन का शिकार हो जाते हैं। हशिश, केनाबिस, मारीजुआना, हिरोइन, अफीम, ब्राउनशुगर, कोकेन, स्मेक आदि नशीले पदार्थों का सेवन एंव अवैध परिवहन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है बढ़ते व्यसन के कारण इनका परिवहन भी लगातार बढ़ रहा है संयुक्त राष्ट्रसंघ का यह आकलन है कि कोकिन, हिरोइन और कृतिम औषधियों के पचास लाख से अधिक नियमित उपभोक्ता हैं दुनिया के सभी देशों के लिए मादक पदार्थ एंव उनका अवैध परिवहन गंभीर खतरा बना हुआ है।

**व्यसन** – मादक पदार्थों का सेवन या व्यसन एक मनःचिकित्सीय सामाजिक और मनौवैज्ञानिक समस्या है। व्यसन से तात्पर्य उन औषधियों के उपयोग से है जो गैर चिकित्सा के उपयोग में लाई जाती है और यह औषधी शरीर में विभिन्न प्रकार से लेने के पश्चात् मशितसक एंव व्यवहार को प्रभाव करती है नशीली दवाओं का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मशितसक पर पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप तंत्रिकातंत्र प्रभावित होता है और व्यसनी असामान्य व्यवहार कारित करने लगता है अपराध इसकी परिणिति है।

**परिवहन** – मादक पदार्थों की तस्करी एक अंतर्राष्ट्रीय अवैध व्यापार है युनाइटेड नेशन्स ऑन इंडस्ट्री एण्ड क्राईम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मादक पदार्थों के दुखपयोग पर और उनके उत्पादन के खिलाफ लड़ रहा है यदि मादक पदार्थों का व्यसन बढ़ा है तो इसके परिवहन के अपराध भी बढ़े हैं मादक पदार्थों के अवैध परिवहन की समस्या न केवल देश की समस्या है किन्तु यह विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है और वर्तमान में बहुत विकराल समस्या बनकर उभर रही है कई बड़े अफीम उत्पादक देशों में अवैध परिवहन की समस्या अपना विकराल रूप ले रहे हैं।

**गोल्डन क्रिसेन्ट** – अवैध अफीम उत्पादन देश जिसमें अफगानिस्तान,

ईरान और पाकिस्तान क्षेत्र सम्मिलित है मादक पदार्थों के अवैध परिवहन में लिस है यह क्षेत्र गोल्डन क्रिसेन्ट कहलाता है ये देश आरी मात्रा में अवैध अफीम उत्पादन के साथ-साथ मादक पदार्थों के अवैध परिवहन में भी लिस है।

**गोल्डन ट्रायंगल** – वह क्षेत्र जिसमें म्यामर, लाओस और थाईलैंड क्षेत्र सम्मिलित है अवैध परिवहन के लिये विष्यात है यह क्षेत्र गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है।

भारत भी अफीम उत्पादक देश है जहां अफीम का उत्पादन कुछ राज्यों में केन्द्रीय सरकार की निगरानी एंव नियंत्रण में किया जाता है यहां भी मादक पदार्थों के अवैध परिवहन की समस्या जड़े जामाए हुई है वर्तमान सर्वत कानून होने के बावजुद भी यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है।

**कानूनी व्यवस्था** – मादक पदार्थ एंव नशीली दवाओं के उत्पादन, आयात एंव नियर्त पर प्रतिबंध के लिए विश्वस्तर पर कई नितियां एंव कानून समय-समय पर बनाए गये हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ ने सन् 1961 में स्वापक औषधि (NARCOTIC DRUGS) पर एकल कन्वेशन आयोजित किया। सन् 1971 में मनःप्रभावी प्रदार्थों (PSYCHOTROPIC SUBSTANCES) पर द्वितीय कन्वेशन हुआ एंव इसके पश्चात् मादक तथा मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध परिवहन को लेकर 1988 में कन्वेशन आयोजित कि गई।

हमारे देश में मादक पदार्थ मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध बिना लायसेन्स के उत्पादन क्रय विक्रय एंव नियर्त पर प्रतिबंध के लिये स्वापक औषधी तथा मनःप्रभावी अधिनियम (NARCOTIC DRUGS & PSYCHOTROPIC SUBSTANCES Act 1985) संक्षेप में एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 नाम से जाना जाता है।

स्वापक औषधी और मनःप्रभावी पदार्थों के अपराधों को बहुत गंभीरता

\* सहायक प्रध्यापक (विधि) ज्ञान मंदिर विधि महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

से लेकर इस अधिनियम में कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है अधिनियम में सजा की मात्रा माद्क पदार्थों की छोटे, वाणिज्यिक और मध्यवर्ती मात्रा से संबंधित सजा के अंतर्गत दस वर्ष का न्युनतम सक्षम कारावास का प्रावधान है जो बीस वर्ष तक का हो सकता है और इसमें जुर्माना भी सम्मिलित है। अपराधों की पर्नरावृति पर मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान भी निहित है।

एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 की धारा 71 के अंतर्गत सरकार को नशीली ढवा आदि लोगों की पहचान, ईलाज और पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है इस अधिनियम को पूर्णतः पालन करने का निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है न्यायालय ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को अधिनियम की धारा 42 का पालन करने के लिए कहा है धारा 42 के अंतर्गत जांच अधिकारी को बैगर वारंट के तलाशी लेने, माद्क पदार्थ जस्त करने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार दिया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार विशेष न्यायालयों की स्थापना त्वरित मुकदमा चलाने के लिए कर सकती है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा बुलाएं गये तीनों कन्वेशनों पर हस्ताक्षर कर इस वचन बढ़द्वारा का पालन किया है देश में माद्क पदार्थों के व्यासन एवं

परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए यह अधिनियम प्रभावी है।

**निष्कर्ष-** माद्क पदार्थों की तस्करी एवं व्यासन को रोकना एक जटिल काम है वर्तमान समय में इस समस्या का खतरा इतना बढ़ गया है कि इसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता वर्तमान कानून व्यवस्था को और कठोर कर तथा समाज में जागरूकता के माध्यम से इस समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है एन.डी.पी.एस.एक्ट के पालन में जो तकनिकी कमिया अनुसंधान एजेन्सी तथा जांच एजेन्सी में समाने आ रही है उन्हें दुर करना होगा तथा एक्ट का कठोरता से पालन करवाना होगा।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. स्वापक औषधी तथा मनःप्रभावी अधिनियम (NARCOTIC DRUGS & PSYCHOTROPIC SUBSTANCES Act 1985)
2. इन्स एण्ड क्राइम
3. विकटीम लैस क्राइम
4. भारतीय दण्ड संहिता
5. मानव अधिकार



## भारतीय परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक दूरदर्शन : एक परिदृश्य

डॉ. महेश कुमार मुछाल \*

**प्रस्तावना** – यह तकनीकी युग है। संसार के कोने-कोने में रेडियों और दूरदर्शन जैसे संचार माध्यमों को सर्वाधिक लोकप्रिय जनसंचार माध्यम के रूप में जाना जाता है। संचार तकनीकी और प्रसारण पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने सूचना के त्वरित एवं मितव्यता पूर्ण प्रसारण के क्षेत्र में एक नयी गति प्रदान की है जनसंचार की आधुनिक तकनीक के रूप में, विशेषकर उपग्रह आधारित प्रसारण तकनीक द्वारा दूरदर्शन ने विश्वव्यापी संचार प्रणाली में एक अहम भूमिका अदा की है। विकसित ढेशों में दूरदर्शन आधारित प्रणाली के दूसरे सहायक साधनों के रूप में वीडियो, केबल टीवी, बन्ड परिपथ दूरदर्शन (CCTV) जो सामान्य जन के लिए दूरदर्शन का क्षेत्र (दायरा) एवं उपयोगिता बढ़ाते हैं।

विकासशील ढेशों में शिक्षा के माध्यम के रूप में दूरदर्शन के सम्भावित क्षेत्र मौजूद है। भारत में दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण की सुविधा देश के 77% क्षेत्र में बरी 59% आबादी के लिए उपलब्ध है। वहाँ दूरदर्शन सामान्यतः लोगों के लिए प्रभावी शिक्षा माध्यम के रूप में और विशेषतः औपचारिक विद्यालयीन शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। दूरदर्शन पर दूरस्थ विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा निर्मित कार्यक्रमों को सप्ताह में दो दिन ज्ञान दर्शन शैक्षिक चैनल केबल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस चैनल को 26 जनवरी 2001 से 24 घंटे शैक्षिक प्रसारण के लिए आरम्भ कर दिया है। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर (इन्सैट 2 सी) के द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। दूरदर्शन को देश ग्रामीण प्रौढ व्यक्तियों की साक्षरता और साक्षरता कार्यक्रमों को प्रभावी माध्यम के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। यह जन सामान्य के मध्य सामाजिक जागरूकता और क्रियात्मक साक्षरता का निर्माण कर सकता है। मुख्यतः दूरदर्शन का प्रयोग मनोरंजन साधन के रूप में होता है। दूरदर्शन के द्वारा विविध अनुभवों से जुड़े शैक्षिक कार्यक्रमों को विविधातापूर्ण एवं मनोरंजक तरीके से पेश किया जाता हैं साथ ही यह जीवन के वास्तविक अनुभवों को तो सामने लाता ही है, और भावी जीवन के विविध दृश्यों को भी प्रस्तुत करता है। जिससे दर्शक की बहुआयामी विचार शक्ति को बढ़ावा मिलता है। विशेषकर विद्यालयी छात्रों के विषय में इसे शैक्षिक अनुभव के संचार का सहायक एवं वैकल्पिक माध्यम के रूप में जाना जाता है।

**शिक्षण पद्धति में दूरदर्शन की भूमिका** – दूरदर्शन को निम्न दृष्टि से कक्षा आधारित शिक्षण के सहायक माध्यम के रूप में मान्यता मिली है।

**गुणवत्ता में सुधार** – शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों में सामान्यता ऐसे पाठ्य पुस्तक सूची विशेषज्ञ, कार्यक्रम रचनाकार, दृश्य-श्रव्य कलाकार एवं कार्यक्रम निर्माण एवं सूजन प्रसारण विशेषज्ञों के गहन प्रयासों को शामिल किया जाता है। अतः अन्य संस्थानों द्वारा निर्मित शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों में गुणवत्ताबनी रहती है।

**योजनाकार के रूप में दूरदर्शन** – कक्षा दूरदर्शन शिक्षाविदों को पाठ्य विकल्पों पर पुनर्विचार एवं वर्तमान अध्यापकों एवं प्रविधि के मूल्यांकन के लिए भी प्रेरित करता है। यह अध्यापकों एवं सूचीकारों (योजनाकारों) को योजना हेतु ऋत प्रदान करता है एवं सामयिक प्रथाओं से उन्हें अवगत करता है। कक्षा दूरदर्शन में नवीन शैक्षिक विचारों के त्वरित प्रसार में सहायता प्रदान करता है। शैक्षिक दूरदर्शन की मदद से शैक्षिक क्षेत्र में विकास से सम्बद्धित विविध विचारों को आसानी से प्रसारित किया जा सकता है।

**बालकों के अनुभव को विस्तार देने वाले माध्यम के रूप में दूरदर्शन** – कक्षा में दूरदर्शन को अकसर विश्व झरोखा की संज्ञा दी जाती है। कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को समय व स्थान की सीमाओं को लांघने में मदद मिलती है और समाज को नवीन और अलग नजरिए से देखने की दृष्टि मिलती है। ग्रामीण बालक ग्रामीण (देशी) जीवन को देखता है। दूरदर्शन के द्वारा उपभोग एवं आर्थिक ढाँचे के विविध प्रतिमोल वैकल्पिक धार्मिक स्वरूप, साँस्कृतिक प्रतिमान एवं लैगिंग भूमिका के आदर्श उपलब्ध होते हैं।

**पर्यावरण सतर्कता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम के रूप में दूरदर्शन** – प्राथमिक विद्यालयीन विद्यार्थियों में पर्यावरण सतर्कता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास के लिए दूरदर्शन एक उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है। यह विद्यार्थियों के मध्य परस्पर सहभागिता एवं सम्बद्ध सार्वभौमिक अनुभव प्रदान करता है। वह उन्हें स्वयं के तथा पर्यावरण के बारे में अपने अहसासों को परखने का मौका देता है। यह विद्यार्थी की बाह्य दृष्टि को बढ़ाता है। विज्ञान एवं तकनीकी के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न करता है।

**शैक्षिक अवसरों में समानता लाने वाले माध्यम के रूप में दूरदर्शन** – दूरदर्शन की सहायता से सभी विद्यार्थियों में शैक्षिक अवसरों की समानता लायी जा सकती है। दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों एवं विशेष क्षेत्रों के अध्ययनकर्ता भी उसी तरह से दूरदर्शन कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सकते हैं जिस तरह से उनके शहरी साथी होते हैं। दूरदर्शन शैक्षिक माध्यम के रूप में विद्यालय को सामुदायिक कल्याण एवं शिक्षा का केन्द्र बनाने में सहायता प्रदान करता है।

**शैक्षिक प्रणाली में मितव्यता लाने के माध्यम के रूप में दूरदर्शन** – दूरदर्शन बाल शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करता है जैसे अधिक जनसंख्या पर प्रति इकाई लागत कम खर्चीले साधनों के कारण दूसरे शैक्षिक माध्यमों की तुलना में कम होती है। शिक्षा के अन्य दूसरे साधनों के साथ जोड़कर विद्यार्थियों से बेहतर परिणाम प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करता है। भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षा के भौतिक संसाधन सीमित हैं। बाल शिक्षा की दृष्टि से शैक्षिक दूरदर्शन द्वारा शिक्षा के उत्तम अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

दूरदर्शन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अनिसरल एवं प्रभावी साधन के रूप में दूरदर्शन।

\* एसोसिएट प्रोफेसर (शिक्षा विभाग) दिग्म्बर जैन कॉलेज, बड़ौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षण के संदर्भ में शैक्षिक दूरदर्शन का संचालन अतिसरल है। दूरस्थ शिक्षा नियोजन क्रियान्वयन एवं संचालन में समस्याएँ कुछ सीमा तक वीडियो अनुदेशन एवं दूरदर्शन द्वारा शिक्षण करा कर हल की जा सकती है।

**दूरदर्शन अध्यापक पर आश्रितता को कम करता है।** दूरदर्शन अधिगमकों में स्व-अध्ययन की आदत को विकास करता है। दूरदर्शन की सहायता से विद्यार्थी स्वयं के प्रयास से सीखता है। शिक्षित होता है। दूरदर्शन के माध्यम से नये ज्ञान, विचार एवं अवधारणाओं को सीखने में उसे शिक्षक की कम से कम आवश्यकता महसूस होती है।

**वर्तमान परिवर्त्य** – वर्षों के द्वैरान दूरदर्शन ने धीरे-धीरे स्वयं को शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण से अलग कर लिया और प्रसारण एजेन्सी के रूप में अपनी भूमिका को रोक लिया।

दिल्ली विद्यालय दूरदर्शन जो शैक्षिक दूरदर्शन के क्षेत्र में देश में अग्रणी था। उसने दिल्ली के विद्यालयों हेतु कार्यक्रमों के उत्पादन व सप्रसारण को रोक दिया। धीरे-धीरे शिक्षा तकनीकी संस्थानों ने शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम उत्पादन एजेन्सी की भूमिका को निभाना शुरू कर दिया। निम्न तीन प्रमुख संस्थाओं द्वारा निर्मित कार्यक्रम अब प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

CIET और SIET प्राथमिक विद्यालय हेतु शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम उत्पादन और प्रसारण के लिए जिम्मेदार है। सम्पूर्ण विद्यालय सेक्टर प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक आदेश जारी कर दिया है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए कार्यक्रमों का उत्पादन एवं प्रसारण की जिम्मेदारी इन्हीं संस्थाओं की है।

दृश्य शब्द केन्द्र (AVRC) एवं शैक्षिक माध्यम शोध केन्द्र (EMRC) द्वारा निर्मित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अंतर्गत कन्सर्टीयम फार एजुकेशनल कम्प्यूनिकेशन (CEC) एक दूसरा बड़ा कार्यक्रम है जो देश व्यापी कक्षा कार्यक्रम के नाम से महाविद्यालयी विद्यार्थियों तथा सामान्य पृष्ठभूमि रखने वाले तथा सामान्य श्रोताओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है।

**ज्ञानदर्शन (शैक्षिक चैनल)** – विशिष्टता के साथ देश अधिक चैनलों का उद्भव हुआ जैसे स्पोर्ट्स, मूवी, म्यूजिक आदि। कुछ समय पूर्व से एक शैक्षिक चैनल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। दूरदर्शन एक राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता भी है इसके सहयोग से उपग्रह ट्रान्सपान्डर (सी-बैन्ड फैलाव) उपलब्ध कराया। सभी शैक्षिक कार्यक्रम उत्पादन करने वाली तीन प्रमुख संस्था केन्द्रीय शिक्षा तकनीकी संस्थान (CIET) और इसके नेटवर्क उपग्रह अनुदेशन दूरदर्शन प्रयोग (SIET), UGC, CEC और इसके नेटवर्क AVRC और EMRC तथा इन्होंने शैक्षिक चैनल ज्ञान दर्शन का 26 जनवरी 2000 को शुभारम्भ किया। तथा स्थापना हेतु सभी ने मिलकर हाथ बढ़ाया। इस चैनल को केबल आपरेटर के द्वारा केबल सिस्टम से प्राप्त किया जा सकता है। जो 2000 से शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम का प्रसारण 16 घंटे शुरू किया। इन्सैट 2-बी 93.5 डिग्री (अंश) पूर्व पर 4170 मेंगा हर्ट्स उद्धर्व ट्रान्सपान्डर C-12 पर जिसके संकेतक उपलब्ध है।

ज्ञान दर्शन को 24 घंटे के चैनल में परिवर्तित करने की योजना थी जो प्रतिदिन 24 घंटे शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इस चैनल को 26 जनवरी 2001 से 24 घंटे शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण शुरू कर दिया गया। ज्ञान दर्शन में कुछ कार्यक्रमों को इन्डरेविट अंतर्क्रियात्मक बनाने की योजना है जहाँ दर्शक इंटरनेट, टेलीफोन और फैक्स के द्वारा स्टुडियो में उपलब्ध विशेषज्ञों के साथ अंतर्क्रिया (बातचीत) कर सकेंगे।

**भविष्य का परिवर्त्य** – दूरदर्शन एक एकांकी माध्यम है दूरदर्शन की यह सीमा सम्प्रेषण विशेषज्ञ, अध्यापकों, विषयवस्तु विशेषज्ञों, माध्यम निर्माताओं द्वारा समझी गई।

कार्यक्रम की एकांकी (एक तरफा) सीमा को ध्यान में रखकर सामान्यतः अधिकांश पाठ लेखक, निर्माता सम्पूर्ण कार्यक्रम के विशेष बिन्दुओं पर पूर्व निश्चित प्रश्न योजना द्वारा चर्चा कर लेते हैं। तथा उन प्रश्नों को अंतर्क्रियात्मक बनाने का नया तरीका है। CEC देश व्यापी कक्षाकक्ष, पुनः वार्ता (टाक बैंक) प्रयोग के द्वारा टेलीकान्फेन्सिंग के साथ एक तरफा वीडियो तथा दो तरफा ऑडियो (शब्द) के माध्यम से प्रयोग की गई है। और इसके बाद एन० सी० इ० आर० टी० के द्वारा प्राइमरी विद्यालय अध्यापकों को प्रशिक्षण हेतु इसका प्रयोग किया गया। इब्नू और अन्य संस्थाओं के द्वारा दूरस्थ शिक्षा विद्यार्थियों के परामर्श हेतु भी इसका प्रयोग किया गया।

दूसरा नवीन प्रयोग था जो CIET(NCERT) के द्वारा आयोजित किया गया वह कक्षा कक्ष 2000+ था। जिसमें विभिन्न कक्षा कक्षों में उपस्थिति विद्यार्थी स्टूडियो में बैठे अध्यापक से अंतर्क्रिया कर सकते थे। विशेष कम्प्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करते हुए अध्यापक निश्चित प्रश्नों के लिए विद्यार्थी निश्चित प्रतिक्रिया को चिन्हित कर सकता था और आवश्यकतानुसार अपनी शिक्षण व्यूह रचना में परिवर्तन कर सकता था। दूसरा उल्लेखनीय प्रयोग जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में दूरदर्शन भाग ले रहा है उसी तरह गुजरात व मध्य प्रदेश के राज्यों में IPTT/ITV अंतर्क्रिया दूरदर्शन (इन्टरेविट टेलीविजन) प्रयोग किया गया है। प्रशिक्षणार्थी जिला केन्द्रों पर बैठे होंगे ये केन्द्र दूरदर्शन केमरा कम्प्यूटर नेटवर्क तथा अन्य सम्प्रेषण सुविधाओं से पूर्ण रूप से सुसज्जित होंगे। सभी प्रशिक्षणार्थी अपनी समस्याओं व कठिनाइयों को एक केन्द्रीय स्टूडियों को सम्प्रेषित कर सकेंगे जहाँ प्रशिक्षण दाता/विशेषज्ञ बैठे होंगे और प्रश्न योजना समस्याओं का उत्तर दे रहे होंगे। सम्प्रेषण के दो तरीके होंगे। (दिमार्गी दृश्य, दिमार्गी शब्द) प्रशिक्षणार्थी एवं प्रशिक्षणदाता एक दुसरे को देख व सुन सकेंगे और कम्प्यूटर नेटवर्क के द्वारा सम्प्रेषण (बातचीत) कर सकेंगे। हार्डवेयर व साप्टवेयर को सही स्थिति में रखने का कार्य प्रगति पर है डिजिटल तकनीकी के आगमन और नवीन सम्प्रेषण विधियों जैसे मोबाइल फोन, वायरलैस एप्लीकेशन (WAP) विधियों के साथ शिक्षा में दूरदर्शन का नवीन प्रयोग तथा नई-नई युक्तियों व तरीके खोजने के लिए व्यापक क्षेत्र उपलब्ध है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल, बी० सी० (1978) 'टेलीविज कम्स टू विलेज एन इवेल्यूएशन ऑफ साइट टेविनकल रिपोर्ट इसरो' - एस० ए० सी० - टी० आर० - 7 अहमदाबाद, स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर।
2. भाट, बी० डी० एवं शर्मा, एस० आर० (1992) 'एजुकेशनल टेक्नोलोजी कन्सेप्ट एंड टेविनक', कनिष्ठ पब्लिकेशन, न्यू देहली।
3. सी० इ० सी० (1987) 'ए स्टडी ऑफ द इम्प्रेक्ट ऑफ द इ० टी०वी० प्रोग्राम ऑन द चिल्ड्रन ऑफ वलास-IV-V इन सम्भलपुर डिस्ट्रिक्ट', उडीसा, मिमियोग्राफ़, एन० सी० इ० आर० टी०, न्यू देहली।
4. सी० आई० इ० टी० (1983) 'ए स्टडी टू असेस दी नीड आफ द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन ऑफ उडीसा फार इ० टी०वी०' सपोर्ट मिमियोग्राफ़, एन०सी०इ०आर०टी० न्यू देहली (ए)।
5. सी०आई०इ०टी० (1984) 'रिपोर्ट आन इ० टी०वी० यूटीलाइजेशन इन उडीसा' (फार द पीरियड एन्डिंग दिसम्बर 1983) मिमियोग्राफ़ एन०सी०इ०आर०टी० न्यू देहली (बी)।

6. सी०आई०ई०टी (1993) 'टेलीकान्फ्रेन्सिंग एन्यूवल रिपोर्ट' न्यू देहली।
7. चौधरी एस०एस० (1992) 'टेलीविजन इन डिस्टेन्स एजुकेशन द इन्डियन सेन्स', इंडियन जर्नल आफ ओपन लर्निंग, वाल्यूम- 1
8. गोयल डी०आर० (1984) 'एजुकेशन टेलीविजन इन इण्डिया आर्गेनाइजेशन एण्ड यूटीलाइजेशन', अनपब्लिश्ड पोस्ट डाक्टोरल थीसिस सी०ए०एस०ई०, एम०एस० यूनिवर्सिटी बड़ौदा।
9. मलिक प्रभाकर (1995), 'इवेल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल टेलीविजन प्रोग्राम्स फार उडिया मीडियम प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन इन टर्म ऑफ प्रजेन्टेशन, एचिवमेंट विद एंड विद आउट टाक बैक स्कूल एचिवमेंट एंड एटीट्चूड ट्रावर्डस एजुकेशनल टेलीविजन', अनपब्लिश पी०एच०डी० थीसिस, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।
10. मोहनी, जे० एवं बेहरा एस०सी० (1985), 'टीचर एजुकेशन प्रोग्राम' अन्डर इन्सेट ई०पी०ए० बुलेटिन वाल्यूम बी० नोस 1 एवं 2।
11. मोहनी जे० (1976), 'ए रटडी ऑफ ई०टी०वी० प्रोग्राम अंडर साइट स्टडी आन एजुकेशन एण्ड रेडिया प्रोग्राम', एजुकेशन टेक्नोलोजी सेल, डायरेक्ट्रेट ऑफ हायर एजुकेशन, उडीसा।
12. साहू पी०के० (1984), 'ओपन लर्निंग सिस्टम', न्यू देहली, उप्पल पब्लिशिंग हाउस।
13. साहू पी०के० (1999), 'एजुकेशन टेक्नोलोजी इन डिस्टेन्स एजुकेशन', न्यू देहली, अरावली।
14. सिंह आई०आई० एवं सिंह ए०के० (1984), 'रिपोर्ट ऑफ ई०टी०वी० न्यूटीलाइजेशन इन उडीसा', (पीरियड एन्डिंग 1983) (इन्सेट इवल्यूऐशन सीरीज-IV), मिमियोग्राफः, सी०आई०ई०टी०, एन०सी०ई०आर०टी०, न्यू देहली।

\*\*\*\*\*

# Multimedia as an Instructional Tool: Opportunities and Challenges

Dr. Mahesh Kumar Muchhal \* Kavita Agarwal \*\*

**Abstract** - Quality education is an essential requisite in today's competitive environment. Technology has affected us in every aspect. Switching to the new and smart way of learning gives our students the best possible way to learn. The use of multimedia in education imparts itself to more student centred learning settings and often this creates some stress in teachers as well as in students, but with the world moving rapidly into digital media and information, the use of multimedia in education is becoming more and more important and this importance will continue to grow and develop in 21<sup>st</sup> century. This paper highlights the various impacts of multimedia in contemporary higher education and explore potential future developments. The paper seeks to provide an overview of what constitutes educational "multimedia" and presents research findings of their effectiveness. These research findings consider not only the educational content being delivered, but also associated with the usage of interactive channels. The paper concludes with suggestions for new research areas that consider different variables and environments not previously studied.

**Keywords:** Multimedia, technology, pedagogy, higher education.

**Introduction** - Modern technology is a force that has changed many aspects of the way we live. The teachers play an important role in the performance of students. The professional knowledge of the teachers and how they deliver such knowledge are the aspects that have the main impact on student achievement (Nooraida & Rabiatul Adawiyah, 2010). The teaching method used by teachers has an effect on the students' performance and academic achievement. Therefore, new teaching and learning strategies with new technologies should be implemented by teachers to avoid misconceptions in the learning process (Sadiyah, 2008). As a result, teaching and learning strategies should be revised and studied. This should be done to ensure that any new interventions administered by teachers are effective, and lead to a marked improvement in student performance. But there have been a number of factors impeding the wholesale uptake of technology like multimedia in education across all sectors. The main factors are lack of funding to support the purchase of the technology, a lack of training among established teaching faculty, a lack of motivation and need among teachers to adopt multimedia as teaching tools (Starr, 2001). But in recent times, factors have emerged which have strengthened and encouraged moves to adopt multimedia into classrooms and learning settings.

This paper tries to provide an updated overview of opportunities and challenges of the use of multimedia for educational purposes. The paper begins with a review of what educators and researchers consider multimedia and its importance to the learning process.

It also tries to discuss the challenges of Multimedia in higher education through various review of research findings and concludes with areas of additional research to guide educators wishing to utilize multimedia tools. This paper provides an overview of both the benefits and the problems associated with its use and suggests some key pedagogical decisions that should be considered when adopting its use.

**Background** - Use of computers to assist instruction is referred to as Computer Assisted Instruction (CAI). Equivalent terms used are: Computer Assisted Learning (CAL), Computer Assisted Education (CAE), Computer Based Instruction (CBI), and Computer Based Education (CBE). The various kinds of ICT products available and having relevance to education, such as teleconferencing, email, audio conferencing, television lessons, radio broadcasts, interactive radio counselling, interactive voice response system, audiocassettes and CD ROMs have been used in education for different purposes (Bhattacharya and Sharma, 2007). The computers, as learning tool, with these modifications are used with varying degrees of dependence on the computer learner's control over the learning process, and teacher mediation. In the case of the students as well as teachers, it becomes more important that one can access the technology for his/her easy performance in daily life activities in all the ways. The new media technology in education is creating a genre of outreach learning and contributing for the future global leaders.

\*Associate Professor, Department of Education, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.) INDIA

\*\* Assistant Professor, Department of Education, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.) INDIA

**Overview of Under-Researched Areas** - The National Commission On Excellence in Education (1983) emphasized that a nation's future depends on citizens who can think and reason creatively, and deliberately develop sound judgments of information, understand and adjust effectively with rapid and constant change. Reeves (1992) defined Interactive Multimedia as a computerized database information in multiple forms, including text, graphics, video and audio. He also explained that effectiveness of Interactive Multimedia is constrained by two important factors; first the design of the user interface and second, the motivation and expertise possessed by the users. It is one of the most effective means of educational technology that can be used at school as well as college levels of educational institutions but we have to be very particular regarding the application or implementation of interactive media as it cannot always give positive results. The reason being besides the treatments, there can be numerous other variables, which can influence the reasoning ability, independently as well as by interacting with the treatment, such as scientific attitude, higher mental ability, creativity etc. Theory of multiple channel communication reveals the importance of multiple channels for delivery of educational content, it confirms that when information is presented by using more than one media, there will be more retention resulting improved learning. (Ellis, 2004; Bagui, 1998; Daniels, 1994). Rebetez, C., et.al, (2007) conducted a video game research in cognitive and educational sciences. They provided video games to an experimental group in which more use of accuracy and decision making is required. After some time, they tested this group and found that the students exposed more to the video games are quicker and their progress is more in other subjects also. Kamal, M., (2000) advised adoption, assimilation and integration of computer technology into an existing culture. It will definitely provide a bridge which can affect teaching and learning process at all levels and contexts. Rebetez, C., et.al, (2007) have conducted a video game research in cognitive and educational sciences, they provided video games to an experimental group in which more use of accuracy and decision making is required. After some time, they tested this group and found that the students exposed more to the video games are quicker and their progress is more in other subjects also. Malahat, Y., (2012) studied Mobile based learning verses paper based learning, a quantitative analysis of the results in this research shows that mobile based group outperformed significantly paper based group so a mobile phone can be used as a valuable tool for student's learning. Shilpa, J., (2014) conducted her study on new media technology in education and concluded that this technology should be interwoven in academics giving a multidimensional approach to educational sector and the knowledge economy. Barbara, S. (2008) provides an overview of how the design of multimedia instruction can be informed by the science of learning and the science of instruction, which yields 10 principles of multimedia

instructional design that are grounded in theory and based on evidence. Overall, the relationship between the science of learning and the science of instruction is reciprocal.

Furthermore, although not guaranteed by most researchers assessing the effectiveness of instructional multimedia, Holzinger, A., et.al, (2008) conducted a study on use of dynamic media in computer science education and suggested that dynamic media can support learning only when limited cognitive load and learner's mental representations are taken into account during the design and development of learning material containing dynamic media. Tannenbaum (1998) postulated that multimedia must include an interactive meaningful content. This interactive content must allow the learner to interact with the material to gain positive outcome. In fact, Drave (2000) suggested interactivity quality is more important than the content for successful learning.

Ott, Mann and Moores (1990) stated that Personality types also provide clues as to when the use of multimedia will be effective. They hypothesized that the Introvert, Intuitive, Feeling, judging personality types would prefer multimedia training, while the Extrovert, Sensing, Thinking, Perceiving would prefer lectures. Elsevier (2014) in his study Cognitive and Affective processes in multimedia learning explained how emotion and interest facilitate cognitive and affective outcomes processes in multimedia learning. Zhao (2007) conducted a qualitative research to investigate the perspectives and experiences of 17 social studies teachers following technology integration training. The research showed that teachers held a variety of views towards technology integration. These views influenced their use of technology in the classroom. Most teachers were willing to use technology, expressed positive experiences with technology integration training, increased their use of technology in the classroom, and used technology more creativity. Hayes and Jamrozik (2001) studied about internet distance Learning. In their study they described their experiences with internet course development and delivery and also stated different problems and limitations with online course production and delivery.

Although some educators may define the use of PowerPoint as a form of multimedia (Butler and Mautz, 1996), few researchers define it as a "strong" form of multimedia whereas few researchers constitute it as a "weaker" form of multimedia based on its use of text, sound, and animation. However, there has been extensive research into the use of PowerPoint as a multimedia learning tool, and therefore in keeping with this paper's purpose, some of that research is included.

Ozaslan & Maden (2013) concluded in their study that students learned better if the course material was presented through some visual tools. They, also, reported that teachers believed that PowerPoint presentations made the content more appealing; therefore, they helped them to take students' attention. PowerPoint is a widely used presentation programme that originated in the world of

business but has now become commonplace in the world of educational technology. However, its use is far from controversial in this educational context and opinions as to its use range from highly supportive to significantly negative (Szabo & Hastings, 2000; Lowry, 2003). Craig & Amernic (2006,) did note some studies that suggested PowerPoint presentations lead to improved recall. After a review of these studies, Craig & Amernic (2006,) conclude that PowerPoint's effectiveness is based upon the discipline, the learning objectives, and learner types. As noted earlier, PowerPoint is considered a "weak" form of multimedia, and is well-known for its over-use in both the classroom and the boardroom. Craig & Amernic (2006) studied whether or not the use of PowerPoint led to more effective learning. Allan M. Jones (2003) stated that power point use is often limited to an information transmission mode where as it is a very restricted pedagogical use of a very powerful and flexible teaching and learning support tool. Common barriers to its use also hinders the learning process. Staff are often reluctant to invest the time required to convert materials to an appropriate PowerPoint format. Those that do convert current materials may not do so in a very acceptable way, simply using PowerPoint as an alternative way to provide text-based notes. Evans, et.al (2014) studies provide compelling evidence that a carefully designed interface can provide a significant improvement in the student learning experience compared to presenting material as scrollable Web pages consisting simply of pictures and text.

### **Conclusion and Suggestions for Further Research -**

This paper tried to provide a brief overview of the status of research in use of multimedia as an instructional tool. The review provides us with the conclusion that teacher's methodology drive multimedia usage rather than the reverse. The main problem with new technology is with the unrealistic expectations of its revolutionary advantages and universal applicability (Krippel G, McKee AJ, Moody J. (2010)). Various studies support the effect of superiority of technology-based lessons as compared to traditional lessons. Various researches revealed that using power point presentations operates as a powerful pedagogical tool for effective teaching. Teachers should consider their students' needs and interests, and the results of different researches indicate that the majority of the students show their positive perceptions towards using technology in their classes. The review provides us with the conclusion that practitioners feel that the use of interactive multimedia tool is sufficient to make their presentations more effective. Whereas studies have shown that for theoretical content material multimedia will be effective (Butler & Mautz, 1996; Burke, James and Ahmadi, 2009,). On the other hand, for quantitative areas in which the material requires extensive problem solving, the use of multimedia may not be effective (Butler & Mautz, 1996). When used appropriately, it does encourage staff, for the sake of a relatively shallow learning curve, to improve learning. The study results show that PowerPoint should be used to provide a transparently

structured presentation and associated handouts and too much details should not be included. Multimedia should be used as a tool to facilitate teaching and learning. As one of the most important goals of using new ways of teaching science, mathematics, language etc. in schools is to promote students' motivation towards learning. Emphasise the quote by Benjamin Franklin "By failing to prepare, you are preparing to fail". However, after so many years of research in multimedia instruction there is still no convincing results in achieving learning improvements. Lack of appropriate training in both the programme and the technology is a significant problem in many institutes. In service development activities where both seminars and hands-on sessions can be very successful for successful implementation of Multimedia media instructional tool. It should also be mandatory for teachers to understand the educational environments so that they can design relevant multimedia instructional programme to yield superior results and even more importantly to examine those environments where the new technologies either show no improvement over conventional pedagogies. This is the utmost responsibility of researchers to identify and define the characteristics of the educational environments in which the new technology has evidence suggesting that it is effective as well as to identify and define characteristics of the educational environments in which the new technology has evidence suggesting that it is ineffective. Based on this evidence, educators can utilize multimedia technologies effectively and efficiently.

### **References :-**

1. Bhattacharya, I. & Sharma, K. (2007). India in the knowledge economy - an electronic paradigm, International Journal of Educational Management Vol. 21 No. 6, pp. 543–568.
2. Burke Lisa A. and Karen E. James. 2008. PowerPoint-Based lectures in business education of student-perceived novelty and effectiveness. Business Communication Quarterly, Vo. 71. No 3 277-296.
3. Butler, J. B. & R. D. Mautz Jr. 1996. Multimedia presentations and learning: A laboratory experiment. Issues in Accounting Education. 259-280.
4. Craig, Russel J. and Joel H. Amernic. 2006. PowerPoint presentation technology and the dynamics of teaching. Innovation in Higher Education. Vol. 31 147:160
5. Daniels, L. 1999. Introducing technology, I the classroom; PowerPoint as a first step. Journal of Computing in Higher Education, 10, 42-56.
6. Elsevier (2014), Cognitive and affective processes in multimedia learning, Learning and Instruction, Vol 29
7. Ellis, Timothy. (2004) Animating to build higher cognitive understanding: A model for studying multimedia effectiveness in education. Journal of Engineering Education. January 2004.
8. Evans, C. et.al (2014), Virtual Learning in the Biological Sciences: Pitfalls of simply putting notes on the web, Computer and Education, Vol 43, Issues 1-2, Pgs 49-61

9. Evan, Chris and Nicola J. Gibbons (2007) The interactive effect in multimedia learning, Computers & Education. 49 1147-1160
10. Khan FMA (2014), Potential of Interactive Courseware using three different strategies in the learning of biology of Biology for Matriculation students in Malaysia, a centre for Instructional Technology and Multimedia, University Sains Malaysia, Malaysia
11. Hayes, M.H. & Jamrozik, M.L. (2001) The Journal of VLSI Signal Processing-Systems for Signal, Image, and Video Technology 29: 63. <https://doi.org/10.1023/A:1011123514771>ccess
12. Holzinger, A, et al (2008); Dynamic Media in Computer Science Education, Content Complexity and Learning Performance: Is Less More?
13. Kamal, M, (2000); Information and Communication Technology in Higher Education
14. Krippel G, McKee AJ, Moody J. (2010) Multimedia use in higher education: promises and pitfalls. Journal of Instructional Pedagogies 2010; 2:1-8.
15. Lowry, R. (2003) Through the bottleneck. ILTHE Newsletter 11, Summer2003, p9.
16. Malahat.Y,2012; Mobile Based Learning Versus Paper Based Learning and Collocation Words Learning
17. Nooraida Yakob & Rabiatal Adawiyah Ahmad Rashed. 2010. The teaching profile of Matriculation college science teachers in Malaysia. International Journal for Educational Studies, 3(1), 103-114.
18. Ott, R. L., M.H. Mann, and C.T. Moores .1990. An empirical investigation into the interactive effects of student personality traits and method of instruction (lecture or CAI) on student performance in elementary accounting. Journal of Accounting Education, 8. 17-35.
19. Ozaslan, E. N., & Maden, Z. (2013). The use of power point presentations at in the department of foreign language education at middle east technical university. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, Issue 2.
20. Rebetez, C,et. al, (2007); Video Game Research in Cognitive and Educational Sciences
21. Reeves C. Thomas,1992, Evaluating Interactive Media; JSTOR; Educational Technology Publications, Vol32, May 1992, pp47-53
22. Sadiah Baharum. 2008. Unpublished doctoral dissertation. Centre for Instructional Technology & Multimedia: University Sains Malaysia.
23. Starr, L. (2001). Same time this year. [on-line]. Available at [http://www.education-world.com/a\\_tech/tech075.shtml](http://www.education-world.com/a_tech/tech075.shtml) [Accessed July 2002].
24. Szabo, A. & N. Hastings (2000), Using IT in the undergraduate classroom. Should we replace the blackboard with PowerPoint? Computers and Education, 35. 175-187.
25. Zhao, Y. (2007). Social studies teachers' perspectives of technology integration. Journal of Technology and Teacher Education, 15(3), 311-333.

\*\*\*\*\*

## महिला अपराध और सशक्तिकरण

डॉ. गोविन्द बाबू \*

**प्रस्तावना** – आज समाज और कानून की दृष्टि से नारी को अधिकार तो प्राप्त हुए हैं परन्तु फिर भी आज नारी अत्याचार, असमानता, उत्पीड़न का दंश झेल रही है। भारतीय संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों के रूप में देश की महिलाओं की नागरिकता के समान अधिकार सुनिश्चित कर उन्हें उपेक्षित सामाजिक स्थिति से उबारकर उनके सशक्तिकरण के विविध उपाय कानूनी प्रावधान के रूप में विद्यमान है। फिर भी समाज में नारी असुरक्षित है। आज भी समाज में नारी शोषण, हिंसा एवं व्यभिचार का शिकार हो रही है। कभी उन्हें दहेज की आग में धकेल दिया जाता है और कभी वह उत्पीड़न का शिकार होकर रस्सी से झूल जाती है कभी रास्ते में उस पर तेजाब फेका जाता है, तो कभी उस पर ब्लेड मारे जाते हैं।

महिलाओं पर हिंसा का ग्राफ निरन्तर बढ़ता जा रहा है 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। घरेलू हिंसा, दुव्यर्वहार, छेड़छाड़, अपहरण, शील भंग, दहेज हत्या, बलात्कार आदि की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है हमारे देश में संसंद के पटल पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा दर्ज आकड़ों की राष्ट्रीय औसत के आधार पर देश में हर सातवे मिनट में महिलाओं के साथ एक अपराधिक वारदात दर्ज की जा रही है और देश में लगभग प्रत्येक 20 मिनट में बलात्कार की घटनाएं होती है आज भी महिलाएं बलात्कार जैसे भयावह घटनाओं का शिकार हो रही है महिला उत्पीड़न के अनेक केसों में प्रभावशाली व्यक्तियों का नाम आता है उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, विधायक अमरमणि त्रिपाठी जैसे व्यक्ति अपनी पत्नी श्रीमती सारा त्रिपाठी की हत्या करने के बावजूद गोरखपुर की जेल के अस्पताल में खुले आम ऐश करते हुए दिखाई देते हैं।

दिल्ली जैसे बड़े और विकसित नगर में जहां कानून का ढोल पीटा जाता है सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार के मामले सामने आये हैं। दिल्ली में बहुचर्चित दामिनी गेंग रेप केस को आज भी हम याद करते हैं तो हम कांप उठते हैं चूंकि दामिनी केस दिल्ली जैसे क्षेत्र का था इसलिए वह प्रकाश में आ गया था। ऐसे अनगिनत केस हैं जो ढबा दिये जाते हैं। फिल्मों तथा टीवी सीरियलों में भी नारी का उत्पीड़न साफ दिखाई देता है यदि वे अर्धनारी प्रदर्शन ना करे तो उन्हें काम नहीं मिलता है। हमारे समाज के लोग एक तरफ तो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं वही दूसरी ओर फिल्मों में नारी को नव देखना चाहते हैं वर्तमान समय में चारों तरफ नारी असुरक्षित दिखाई देती है। चारों तरफ नारी का शोषण और अत्याचार हो रहा है। नारी कुर्गति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। कि बलात्कार की 95000 हजार मामले अदालतों में अटके पड़े हैं और दिल्ली शहर में पिछले वर्ष 600 से

ज्यादा बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं जिसमें सिर्फ एक में न्याय हुआ है। हाल ही में घटित बलात्कार की घटना ने तो साधु-संतों की मानसिक प्रवृत्ति को ही बता दिया है। साधु सन्त जिस पर लोग आंख मूँदकर विश्वास करते हैं और भगवान के समान मानते हैं के कृत्यों ने एक बार फिर नारी जाति का अपमान कर उसे कही का नहीं छोड़ा है।

सश्य समाज विज्ञान का भी दुरुपयोग करके कन्या को जन्म से ही रोक रहा है। भूग में ही मार डालता है। 1901 में जहां महिलाओं की संख्या 1000 के मुकाबले 972 थी वही 2001 में 927 तथा 2011 में 914 रह गई 10 से 6 वर्ष के बर्ग में बालिकाओं की स्थिति शोचनीय है। अनेक कारणों से विश्व में 100 करोड़ महिलाएं लुप्त हो चुकी हैं।

निष्कर्ष-जेण्डर डब्लूप्रेस्ट के अनुसार भारत का स्थान 115वां है। अतः बहुत कुछ किया जाना शेष है। संवेद्धानिक व कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ मानव मूल्यों को स्थापित करके एवं व्यक्ति की सोच में परिवर्तन लाकर ही महिला सशक्तिकरण को यथार्थ स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। महिलाओं में शिक्षा, रोजगार, आत्मनिर्भरता आदि से ही प्रतिष्ठा प्राप्त होगी क्योंकि शिक्षा में ही शक्ति निहित है। महिलाएं शिक्षित हो तो वे जागरूक होगी और अपने अधिकारों की रक्षा कर पायेगी। क्योंकि कहा गया है शिक्षित नारी कभी ना हारी।

जस्टिस वर्मा कमैटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि समस्या कानूनी के कमजोर होने की नहीं है समस्या पुलिस कार्यवाही संवेदनशीलता की समस्या है। न्याय में विलम्ब की जिससे दोषी बैखोफ होकर घटना को अंजाम देते हैं हमारी आधी फोर्स तो वी0आई0पी0 ड्यूटी में लगी रहती है। पुलिस प्रशिक्षण में तबदील लायी जाये और न्यायिक सुधार के उपाय भी किये जाये देश में ऐसे संगठनों की कमी है। जो बलात्कार या यौन उत्पीड़न के मामलों में तुरन्त कार्यवाही कर सके सरकार प्रत्येक युवा पुरुष को नौकरी देने का प्रयास करें यदि बेरोजगारी कम होगी तो लोग मेहनत करेंगे और गलत दिशा में नहीं भटकेंगे।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. समाज शास्त्र, साहित्य पब्लिकेशन, आगरा/नई दिल्ली
2. वेबसाइट
3. प्रतियोगिता साहित्य पब्लिकेशन, भारतीय अर्थव्यवस्था
4. अर्थशास्त्र बी0ए0 प्रथम वर्ष साहित्य पब्लिकेशन, आगरा/दिल्ली।
5. समाचार पत्र की रिपोर्ट
6. स्वस्थ्य विभाग की वार्षिक रिपोर्ट

## जनसंख्या वृद्धि : जनसंख्या शिक्षा एवं विकास

डॉ. महेश कुमार मुछाल \*

**प्रस्तावना** – किसी देश के विकास का समुचित विश्लेषण कर परिचय प्राप्त करने के लिए भौतिक, प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ मानवीय संसाधन इसमें देश की जनसंख्या एवं विशेषताओं के बारे जानना आवश्यक है। प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधन के केवल साधन मात्र हैं जबकि मानवीय संसाधन साधन एवं साध्य ढोनो ही हैं। अतः देश का आर्थिक विकास की कल्पना करने वाले प्रत्येक देश को देश की जनसंख्या के आकार महिला पुरुष अनुपात, बनावट एवं प्रकृति पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। देश में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों के होते हुए भी जनसंख्या के अनुकूलतम आकार के अभाव में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं जैसे – जल समस्या को ही लिया जाये कई बड़े शहरों में 1970 में 8-10 घंटे पानी चालू रहता था सन् 1995 में घटकर 2-3 घंटे ही रहने लगा। अब समस्या यहां तक है कि 1 दिन छोड़कर जल आपूर्ति की जाती है। साथ ही जनसंख्या एवं खाद्यान में असंतुलन है। नगरीय क्षेत्रों में जनाधिक्य के कारण बेरोजगारी एवं ऊर्जा संकट की समस्या है। हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि प्रतिवर्ष 2% की दर से तथा श्रमिक बल में वृद्धि 2.4% की दर से हो रही है इसलिए बड़े पैमाने पर गरीबी बेरोजगारी तथा भूखमरी के बोझ को वहन करने के कारण हमारे देश की आर्थिक दशा में सुधार नहीं हो पा रहा है। औद्योगीकरण के साथ-साथ नगरीयकरण के कारण कई समस्याओं का जन्म हुआ जैसे – गंदी बस्तियां, बेरोजगारी, बालश्रम एवं बाल दुर्व्यवहार, निरक्षरता, सामाजिक अपराध, वेश्यावृत्ति, इड्स, आंतकवाड़, भृष्टाचार, नशाखोरी आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमारे देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है आंकड़ों द्वारा स्पष्ट है। 1981-91 के दशक में 16 करोड़ वृद्धि हुई तथा 1991-2001 के दशक में 18.10 करोड़ की वृद्धि हुई इस बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए प्रतिवर्ष निम्न साधनों को जुटा पाना चुनौती पूर्ण कार्य है। बढ़ी जनसंख्या के लिए एक लाख बीस हजार विद्यालय, तीन लाख बहतार हजार पाँच सौ शिक्षक, पच्चीस लाख नौ हजार मकान, एक करोड़ सत्तासी लाख चवालीय हजार मीटर कपड़ा, एक करोड़ पच्चीस लाख पैंतालीस हजार तीन सौ किंटल भोजन एवं चालीस लाख नौकरियों की अनुमानित आवश्यकता होगी। जिसकी उपलब्धता सीमित साधनों द्वारा असम्भव है।

इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पहलु पर गहरा प्रभाव डाल रही है इससे राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर, संतुलित आहार, शैक्षणिक विकास, यातायात सुविधा, पर्यावरण एवं संसाधनों की कमी होने के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए समाज एवं राष्ट्र को सुनिश्चित दिशा प्रदान करने का सशक्त माध्यम जनसंख्या शिक्षा है।

जनसंख्या शिक्षा सामाजिक चेतना एवं सामाजिक जागृति कर समाज व राष्ट्र का विकास करने का प्रभावी माध्यम है। यही समाज व राष्ट्र को

उपयुक्त दशा एवं दिशा प्रदान कर राष्ट्र के विकास में सहायक हो सकती है इसलिए जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्र के विकास का आवश्यक अंग मानते हुए शिक्षा के स्तर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय सभी स्तरों पर लागू किया गया ताकि राष्ट्र की परिस्थितियों के प्रति विद्यार्थियों में तार्किक दृष्टिकोण एवं राष्ट्रीय विकास में सहभागिता के लिए उत्तराधारी अभिवृत्तियों का विकास हो सके (यूनेस्को, 1971:6-13) प्रस्तुत विषय का आशय यह है कि जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम जो सीखने वाले को जनसंख्या गतिशीलता के अन्तर्सम्बन्धों को समझने जीवन की गुणवत्ता के कारकों को जानने व सुधारने तार्किक निर्णय लेने के साथ ही स्वयं, परिवार, समुदाय, राष्ट्र व विश्व को समझने तथा जनसंख्या सम्बन्धी व्यवहारों को अनितम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक है। (आर० सी० शर्मा 1971:25)

जनसंख्या शिक्षा एक ऐसा अध्याय है जिसके द्वारा छात्रों में परिस्थिति के प्रति तार्किक दृष्टिकोण, पूर्ण अभिवृत्ति तथा व्यवहार को विकसित किया जा सकता है। साथ ही परिवार नियोजन एवं सीमित परिवार तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करता है। समाज के महत्वपूर्ण ढांचे सामाजिक संरचना में मानव के अन्तर्सम्बन्ध, अन्तर्क्रिया, साधनों का विकास परिवार संख्या एवं सीमा, गुणात्मक स्तर तथा सुविधाओं के सुधार को भी निश्चित करता है।

जनसंख्या का आकार शिक्षा (साक्षरता) से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होता है यह पाँच प्रान्तों के आंकड़ों से स्पष्ट है राजस्थान, उत्तार प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं केरल की 1991-2001 जनसंख्या वृद्धि की दर एवं साक्षरता दर को प्रस्तुत किया है जनसंख्या वृद्धि दर क्रमानुसार 28.33, 25.80, 28.43, 24.34 प्रतिशत है जबकि केरल में जनसंख्या वृद्धि दर 9.42 है। साथ ही इन प्रान्तों में साक्षरता दर 2001 के अनुसार 61.03, 57.36, 47.53 एवं 64.11 तथा केरल में 90.92 है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहां साक्षरता दर कम है उन प्रान्तों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक तथा साक्षरता दर अधिक है जैसे – केरल में तो वहां जनसंख्या वृद्धि दर चार प्रान्तों की अपेक्षा कम है। अर्थात् शिक्षा का जनसंख्या वृद्धि की दर पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव देश के विकास पर भी सकारात्मक रूप से पड़ता है।

स्पष्ट है कि प्रत्येक राष्ट्र आर्थिक विकास की तीन अवस्थाओं से गुजरता है। इस आर्थिक विकास को हम अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। जब देश की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होती है। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो देश औद्योगिक दृष्टि एवं तकनीकी साधनों के अभाव में पिछड़ा होता प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी निम्न होता है। इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है। अतः जनसंख्या मंद गति से बढ़ती है। सन्

\* एसोसिएट प्रोफेसर (शिक्षा विभाग) दिग्म्बर जैन कॉलेज, बड़ौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत

1921 से पूर्व भारत इसी अवस्था में था। यह जनसंख्या 1901 में 23.84 करोड़ 1911 में 25.11 करोड़ एवं 1921 में 25.13 करोड़ थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तकनीकी सुविधाओं, द्वारों के अभाव में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी इसलिए जनसंख्या तीव्र गति से नहीं बढ़ी थी। ऊंची जन्मदर व मृत्यु दर और जनसंख्या की धीमी गति से वृद्धि अल्प-विकसित अर्थव्यवस्थाओं की जन साहियकीय विशेषताएं हैं।

विकास की द्वितीय अवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है इस अवस्था में आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं, रहन सहन के स्तर में सुधार होता है इसलिए जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर में तेजी से कमी होती है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में शिशु मृत्यु दर 1991 में 146 प्रति हजार जीवित जन्म दर थी जो 1999 में घटकर 70 प्रति हजार जीवित जन्म दर अनुमानित की गयी। भारत आज इस अवस्था से गुजर रहा है। इस अवस्था में खड़िवादिता, धार्मिक दृष्टिकोण आदि में मन्द गति से परिवर्तन होने के कारण जन्म दर बहुत धीरे-धीरे कम होती है। विकास की तृतीय अवस्था में अर्थव्यवस्था पूर्ण विकसित होती है आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, उच्च जीवन स्तर शिक्षा का बढ़ता स्तर वैज्ञानिक दृष्टिकोण जन्म दर व मृत्यु दर दोनों को ही प्रभावित करते हैं। मृत्यु दर घटते-घटते ऐसे स्तर पर पहुंच जाती है और स्थिर हो जाती है। जन्म दर भी तेजी से घटती है जिसके फलस्वरूप जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य अंतर बहुत ही कम रहा जाता है। और जनसंख्या बहुत ही धीमी गति से बढ़ती है आज पश्चिमी देश इसी अवस्था में है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जनसंख्या वृद्धि एवं विकास तथा शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है। इनके मध्य सकारात्मक सम्बन्ध है। अतः जनसंख्या वृद्धि के कारण कई समस्याओं का जन्म होता है। इन समस्याओं से मुक्ति तथा जनसंख्या वृद्धि को रोकने का सशक्त माध्यम जनसंख्या शिक्षा है।

जनसंख्या शिक्षा समाज में जागृति का अभियान है जो समाज में युवा वर्ग को विवेक पूर्ण व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार व्यक्ति समाज,

राष्ट्र व विश्व के प्रति परिवेश में स्वयं के द्वारा होने वाले लाभ के बारे में सोचते हैं तथा परिवार का आकार सीमित रखने की बात को मानते हुए उसका क्रियान्वयन अपने व्यवहार रूप में करते हैं। समाज का राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि वह शिक्षा के द्वारा विद्यालयों के माध्यम से छात्र-छात्राओं एवं नागरिकों को वस्तु स्थिति से अवगत कराये और महत्व को बताये ताकि देश का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय जीवन के आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव पड़ सके। जनकल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों में अंधविश्वास भाव्यवादी दृष्टिकोण, खड़िवादिता व निरक्षरता की जड़ को उखाड़ फेंक परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपना कर परिवार नियंत्रण का महत्व समझ देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सके एवं देश के नव निर्माण में विकास में सहयोग देकर जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका अदा कर सके।

### **संदर्भ ग्रन्थ सूची :-**

1. आहुजा राम 'सामाजिक समस्याएँ', रावत पब्लिकेशन जयपुर वर्ष 2000 संस्करण द्वितीय।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था 'प्रतियोगिता दर्पण', वर्ष 2002 उपकार प्रकाशन, आगरा।
3. मुठाल एवं शर्मा 'जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास', विद्यामेड्य, मेरठ वर्ष 10, अंक 94, मार्च 2005।
4. पाठक एवं सिंह 'नगरीय जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्तिया एवं समस्याएँ', योजना जुलाई 2003, वर्ष 47, अंक 4।
5. शर्मा एम० के० 'भारत के आर्थिक विकास में अवरोधक जनसंख्या वृद्धि', योजना, जुलाई 2003, वर्ष 47, अंक 4।
6. व्यास हरिश्चन्द्र 'जनसंख्या शिक्षा : युगीन प्रश्न', भारतीय आधुनिक शिक्षा, NCERT, नई दिल्ली जुलाई 1997, वर्ष 15 अंक।
7. व्यस्त जयपाल सिंह 'जनसंख्या शिक्षा : सामाजिक दिशा एवं चुनौतियाँ', भारतीय आधुनिक शिक्षा, NCERT, नई दिल्ली अप्रैल 1998, वर्ष 15 अंक 4।

\*\*\*\*\*

## आदिवासी क्षेत्रों में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)

**प्रो. अरविन्द कुमार सोनी \* डॉ. पुरुषोत्तम गौतम \*\***

**शोध सारांश -** मानव के जीवन निर्वाह के लिए रोजगार बुनियादी जरूरतों में से एक हैं। एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध होने से उसे आर्थिक सुरक्षा और समाज में प्रतिष्ठा मिलती हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध हो जाने से उसके अस्तित्व में सामाजिक परिवर्तन आता हैं तथा उसकी पहचान बनती हैं और इस प्रकार वह शीघ्र ही अपने सामाजिक वातावरण से जुड़ जाता हैं। 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' भारत सरकार की कार्यनीति भारत निर्माण जैसे कार्यक्रमों में परिलक्षित होती हैं जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की जीवन शैली की गुणवत्ता को सुधारना हैं। इसके अतिरिक्त उक्त जनकल्याणकारी योजना ने सुनिश्चित किया हैं कि ग्रामीण गरीब लोगों के पास गारंटी युक्त रोजगार के माध्यम से अपनी बुनियादी जरूरतों विशेष रूप से खाद्य के लिये पर्याप्त मात्रा में क्रय शक्ति बची रहती हैं।

**शब्द कुंजी -** महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, जॉबकार्डधारी, विश्लेषण, अनुदान, गरीबी रेखा

**प्रस्तावना - महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का परिचय -** एमजी-नरेगा को 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' के आधार पर 7 सितंबर, 2005 को प्रख्यापित किया गया था, और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा 2 फरवरी, 2006 को शुभारंभ किया गया था। इसे धारा के तहत परिकल्पित किया गया है। अधिनियम की राज्य सरकार, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य के ऐसे ग्रामीण इलाकों में, हर परिवार को प्रदान करेगी, जिनके प्रौढ़ सदस्य अकुशल मजदूरी काम करते हैं। इस योजना के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण इलाकों में परिवार और जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैन्युअल काम करते हैं, उन्हें अधिनियम के तहत या उसके तहत निर्धारित शर्तों के अधीन होता है।

अश्यास में राज्य सरकारों बीपीएल एक साथ परिवारों को रोजगार गारंटी योजना को प्रतिबंधित करने की संभावना है, (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड। लेकिन बीपीएल सूची को बेहद अविश्वसनीय माना जाता है, और यह प्रतिबंध इस योजना से कई 'गरीब परिवारों' को बाहर करने के लिए बाध्य है। इस रोजगार का मुख्य उद्देश्य होगा गारंटी/अर्थात्, ग्रामीण परिवारों को आर्थिक असुरक्षा से बचाने के लिए/इसके अलावा, यह दृष्टिकोण बीपीएल और गैर बीपीएल परिवारों के बीच खराब सामाजिक विभाजन को तेज करने की संभावना है।

नरेगा दो फरवरी, 2006 को लागू हो गया था। पहले चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। दूसरे चरण में वर्ष 2007-08 में इसमें और 130 जिलों को शामिल किया गया था। शुरुआती लक्ष्य के अनुरूप नरेगा को पूरे देश में पाँच सालों में फैला देना था। बहरहाल, पूरे देश को इसके दायरे में लाने और माँग को दृष्टि में रखते हुए योजना को 01 अप्रैल, 2008 से सभी शेष ग्रामीण जिलों तक विस्तार के दिया गया है। 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम', 2005 को 23 अगस्त, 2005 को लोकसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे 'महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम (एमईजीए)' की सफलता से निर्देशित किया गया था।

मेंगा 1977 से महाराष्ट्र राज्य में कार्य कर रहा है। 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' प्रत्येक ग्रामीण परिवार के 100 दिनों के रोजगार के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी काम करते हैं।

**उद्देश्य -** महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल मानव श्रम को कम-से-कम 100 दिवस का रोजगार मुहैया कराना है, ताकि उसे आजीविका के लिए यहाँ-वहाँ न भटकना पड़े साथ ही इस रोजगार की प्राप्ति उसे अपने आस-पास के क्षेत्र में आधारभूत संरचना (सार्वजनिक सम्पत्तियाँ) के निर्माण कार्य से होगी, जो न केवल व्यक्ति का विकास करना, बल्कि क्षेत्र का भी विकास होगा।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा/MGNREGA) भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 25 अगस्त, 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है, जो प्रतिदिन 174 रुपये की न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बन्धित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है।

ग्रामीण लोगों को रोजगार दिया जाकर ग्रामों में परिसम्पत्तियों का निर्माण व उन्नयन करना।

**शोध परिकल्पना -** प्रस्तुत शोध अध्ययन के परीक्षण हेतु यह परिकल्पना की जाती हैं कि,

- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल व्यस्क मानव श्रम के रोजगार का सशक्त माध्यम बन गयी है।
- रोजगार मुहैया करने के उद्देश्य से जहाँ एक ओर परिवार की आजीविका सुनिश्चित हो रही है। वहाँ दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण, इसी रोजगार के माध्यम से कराया जा रहा

\* प्राध्यापक (वाणिज्य) देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

\*\* संकायाध्यक्ष एवं डीन (वाणिज्य) देवी अहिल्या विश्व विद्यालय इन्दौर एवं प्राचार्य, श. कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

- है, जो ग्रामीण आधारभूत संरचना का निर्माण कर रहा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के मज़दूरों के पलायन को रोकने में योजना सहायक सिद्ध हो रही है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब वर्ग की क्रय-शक्ति क्षमता में वृद्धि होगी।

**शोध विधि** – प्रस्तुत शोध अध्ययन के अनुसंधान में देव निर्देशन पद्धति के आधार पर संकलित प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का उपयोग किया जावेगा। प्राथमिक समंकों को संकलित करने के लिए निमाइ में जिला स्तर से प्रत्येक विकास खण्ड अन्तर्गत ग्रामों के 100-100 चयनित प्राप्त हितग्राहियों का साक्षात्कार प्रश्नावली के अनुसार सर्वेक्षण कार्य किया गया है।

#### बड़वानी जिले में वर्षवार जॉबकार्डधारी व लाभान्वितों का विवरण -

| क्र. | वर्ष    | दर्ज जॉबकार्डधारी परिवार | जॉबकार्डधारी परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया |
|------|---------|--------------------------|--|
| 1    | 2011-12 | 244773                   | 125493   |
| 2    | 2012-13 | 244681                   | 83852  |
| 3    | 2013-14 | 238950                   | 41835  |
| 4    | 2014-15 | 236822                   | 47293  |
| 5    | 2015-16 | 234138                   | 53586  |
| 6    | 2016-17 | 186747                   | 61940  |

#### योजना हेतु शासन द्वारा जारी राशि (लागत) का विश्लेषण -

| क्र. | वर्ष    | कुल प्राप्त | कुल व्यय |
|------|---------|-------------|----------|
| 1    | 2012-13 | 9185.43     | 6529.51  |
| 2    | 2013-14 | 2489.67     | 2307.52  |
| 3    | 2014-15 | 3066.57     | 3295.35  |
| 4    | 2015-16 | 400.89      | 3117.7   |
| 5    | 2016-17 | 539.21      | 5646.19  |

**प्रक्रिया** – ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य, ग्राम पंचायत के पास एक तर्कीर के साथ अपना नाम, उम्र और पता जमा करते हैं। जाँच के बाद पंचायत, घरों को पंजीकृत करता है और एक जॉब कार्ड प्रदान करता है। जॉब कार्ड में, पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा और उसकी फोटो शामिल होती है। एक पंजीकृत व्यक्ति, या तो पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप से (निरंतर काम के कम-से-कम चौदह दिनों के लिए) काम करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन डैनिक बेरोजगारी भत्ता आवेदक को भुगतान किया जाएँगा।

इस अधिनियम के तहत, पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है। इसलिए, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

#### प्राप्त लाभ की गुणवत्ता तथा औचित्य -

- स्वास्थ्य एवं पोषण
- शिक्षा एवं दक्षता विकास
- परिवहन हेतु सड़क सुविधा में विस्तार

#### प्राप्त लाभ का परिणाम -

- ग्रामीण अवसंरचना एवं विकास -
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम -
- भारत निर्माण -

#### योजना का प्रभाव - कृषि पर निर्भर ग्रामीण श्रमिक वर्ग लगभग 3 महीने

प्रति वर्ष बेरोजगार रहता था, जो नीचे की ओर बढ़ रहा था; कृषि उत्पादकता का ऊँझान और बढ़ले में गरीबी भी बढ़ती है। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में गरीबों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

महात्मा गांधी नरेगा, 2005 के माध्यम से गरीबी को लक्षित करती है, जो रोजगार के अधिकार के रूप में आश्वासन देती है। कानून गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। पिछली रोजगार गारंटी योजनाएँ (ईजीएस) जैसे सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) या यूनिवर्सल ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) - दोनों एसजीआरवाई और एनएफएफडब्ल्यूपी को एमजी-नरेगा, 2005 में मिला दिया गया। इसने अल्पकालिक गरीब, आश्वरत भोजन और नौकरी की सुरक्षा के लिए अकुशल रोजगार और टिकाऊ संपत्तियाँ बनायीं। पहले मज़दूरी रोजगार कार्यक्रमों के विपरीत, एमजी-नरेगा, 2005 इसकी परिभाषा के अनुसार, एक सही-आधारित, माँग-आधारित सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम है, जो मुख्य रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर विकेन्द्रीकृत, भागीदारी योजना पर आधारित है ये जिसमें पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुरक्षा उपायों।

एमजी-नरेगा को 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया था। एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों की गारंटीकृत मज़दूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से, प्रत्येक परिवार के जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मज़दूरी काम करते हैं। इसके अलावा एमजी-नरेगा, 2005 का उद्देश्य टिकाऊ परिसंपत्तियाँ पैदा करेगा, जो कि गरीबों के लिए उपलब्ध बुनियादी संसाधनों को बढ़ाएगी। न्यूनतम मज़दूरी दर और गाँव के 5 किमी दायरे के भीतर, एमजी-नरेगा के तहत रोजगार, 2005 एक ऐसा अधिकार है, जो सरकार पर एक दायित्व पैदा करता है, जिसके तहत बेरोजगारी भत्ता 15 दिनों के अंदर चुकाया जा सकता है। सामुदायिक भागीदारी के साथ, एमजी-नरेगा, 2005 मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाना है, ठेकेदारों की भागीदारी प्रतिबंधित है। जल संचयन, सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण के लिए आधारभूत संरचना बनाने जैसे श्रम-गहन कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है, से शुरू 2 फरवरी, 2006 को 200 जिलों, एमजी नरेगा, 2005, 1 अप्रैल, 2008 से भारत के सभी जिलों को कवर किया।

यह अधिनियम, राज्य सरकारों को 'मनरेगा योजनाओं' को लागू करने के निर्देश देता है। मनरेगा के तहत केन्द्र सरकार मज़दूरी की लागत, सामग्री का 3/4 और प्रशासनिक लागत का कुछ प्रतिशत वहन करती है। राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता, सामग्री का 1/4 और राज्य परिषद की प्रशासनिक लागत को वहन करती है। चूँकि राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता देती हैं, उन्हें श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए भारी प्रोत्साहन दिया जाता है।

#### एनआरईजीए से संबंधित प्रावधान, अधिकारों, प्रत्रताएँ और उनके बारे में जागरूकता का विवरण -

| मूलभूत अधिकार  | प्रतिशत |
|--|---------|
| रोजगार के 100 दिनों तक   | 95      |
| एनआरईजीए के लिए न्यूनतम मज़दूरी  | 90      |
| पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन                                      | 85      |
| मज़दूरी 15 दिनों के भीतर भुगतान किया                                     | 35      |
| बेरोजगारी भत्ता में मामला रोजगार नहीं 15 दिनों के भीतर प्रदान की गई माँग | 20      |

|   |    |
|---|----|
| नौकरी चाहने वालों में से एक तिहाई महिलाओं को होना चाहिए | 3  |
| काम के लिए यात्रा भत्ता                                 | 25 |
| दुर्घटनाओं के मामले में नि:शुल्क इलाज                   | 15 |
| विकलांगता और मृत्यु के लिए मुआवजा                       | 9  |

**मध्य प्रदेश में लघु किसानों के लिए - योजना के अभिसरण से, वर्ष 2015-16 में 307 छोटे और सीमांत किसानों ने प्याज एवं आम के छोटे बागों को विकसित किया है, एक निश्चित अवधि के पश्चात् आय वृद्धि की माप के रूप में अनार के पौधे लगाए हैं। आईडब्ल्यूएमपी के तहत, किसानों ने बड़वानी (आईडब्ल्यूएमपी वाटरशेड विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम) में एक सिंचाई सहायता के उपाय के रूप में खेत में तालाब खोदे हैं। खेत तालाब एमजीएनआरईजीए का उपयोग कर खोदा जा सकता है।**

**निष्कर्ष -** यह द्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन सभी गाँवों में ही समरूप समुदाय है, समरूप समुदायों में भी विभिन्न हित समूह हैं। फिर भी, इन सभी गाँवों में, लोग क्या करना है और कैसे करें? पर आम सहमति बनाने में सक्षम है। यह असामान्य दीखता है, हमें से अधिकांश परिवृश्य से परिचित हैं कि सरकारी योजनाएँ अक्सर पात्र परिवारों की पहचान करती हैं और समुदायों को दो या अधिक समूहों में बांटती हैं। एक योजना का लाभ प्राप्त करना एक संघर्षरत् डोमेन बन जाता है और अधिक, यदि यह व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए एक योजना है।

ऐसा लगता है कि दो सिद्धांत या अंगूठे के नियम हैं, जो इन सभी गाँवों का पालन करते हैं; (i) गाँव के सभी हितधारकों का विचार और (ii) उनकी आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता। हर परिवार को आश्वासन दिया गया था कि उसे निश्चित समय सीमा में लाभ मिलेगा। एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों और इसके द्वायरे के बारे में स्पष्टतः दो प्रमुख कारक हैं जिन्होंने इस उपलब्धि को आसान बना दिया है।

समुदाय में दृष्टि और भागीदारी की अनुपस्थिति में, कार्यों को एक तदर्थ पद्धति में योजनाबद्ध किया गया है। असल में, इसमें लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों की कमी का अभाव है। सफलता की कहानी में हम

पाते हैं कि खुद को लोगों ने एमजीएनआरईजीए के माध्यम से ऊपर रखा जाना काम करता है पर फैसला किया है। यह महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सिर्फ 'रोजगार की माँग नहीं की है', लेकिन रोजगार पैदा करने के लिए लगातार सुझाव दिए। उनकी आजीविका की स्थिति के विश्लेषण ने उन्हें विशिष्ट अंतराल और परिणामी समाधानों की पहचान करने में सक्षम बनाया है। इस विश्लेषण के आधार पर, उन्होंने अपने गाँवों में आजीविका परिवृश्य में सुधार के लिए विभिन्न रणनीतियों को अपनाया है। इसमें शामिल हैं: (अ) परंपरागत/मौजूदा आजीविका गतिविधियों में मूल्य वृद्धि (ब) स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप नई गतिविधियाँ शुरू करना।

कुछ मामलों में, एमजीएनआरईजीए लागू करने के लिए पहल अभिनव तरीका ले लिया है, अन्य मामलों में, सीएसओ ने जीपी का समर्थन किया है और लोगों को उनकी दृष्टि विकसित करने के साथ-साथ क्षमता भी बनाती है। अभी भी अन्य मामलों में, जिला और राज्य सरकारों ने कुछ विचारों को एक पायलट आधार पर चलाने के लिए विशेष अनुमति दी है और विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के अभिसरण सुनिश्चित करने में मदद की है। जमीनी स्तर पर और साथ ही राज्य स्तर पर ऐसी सक्षम स्थितियों का योगदान निश्चित ही है। मनरेगा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने की चुनौती को पूरा करने के लिए जिला और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना आवश्यक है। दूसरे अध्याय में इस बात पर चर्चा की गई है कि बड़ी परिस्थितियों को सक्षम करने व यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी सक्रिय स्थितियों को वास्तव में प्राप्त किया जाएँ, राज्य सरकारों के लिए आवश्यक आदेश पारित करने के लिए आवश्यक होगा, ताकि गाँवों में गरीबों की आजीविका को सुदृढ़ बनाने के लिए मनरेगा की विशाल क्षमता हो।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

- प्रधान डॉ. हरिश जैन, डॉ. जी.एल. खिमेसरा, डॉ. एस.जी.भारत में कृषि उद्योग एवं नियोजन संकीर्ण प्रकाशन, इन्डॉर
- चौथी, सी. एम. , अनुसंधान प्रविधियाँ 2006, सबलाईन पब्लिकेशन, जयपुर
- राय. करुणा, भारतीय कृषि विपणन 200, 5 मित्तल, पब्लिकेशन, नई दिल्ली

\*\*\*\*\*

# A Comparative Study Of Self Confidence Among Female Kabaddi Players : With Reference To Level Of Participation

Pramod Kumar Mahto \* Dr. B. John \*\*

**Abstract** - The present study compared self confidence between national and inter-collegiate level female kabaddi players. To conduct the study, 50 national level female kabaddi players (Av. age 26.23 years) were selected. The selection of national level female kabaddi players were done from top four ranked teams. To fulfil the objectives of the study 50 intercollegiate female kabaddi players (Ave. age 22.18 years) were also selected as sample. Purposive sampling was employed in the present study. To assess self confidence of selected female kabaddi players, self confidence inventory prepared by Pandey (1983) was used. Result reveal that national female kabaddi players were significantly more confident as compared to intercollegiate female kabaddi players. It was concluded that national female kabaddi players have superior psychological quality i.e. self confidence as compared to inter-collegiate female kabaddi players.

**Keywords** - Self confidence, kabaddi, female players, national, intercollegiate

**Introduction** - Training body as well as mind has been recognised since ages that contribute to sporting success. In this way sports psychology becomes useful because it addresses the issue of applying psychology in sports so that sportspersons motivation can be enhanced which eventually results in superior performance. Association between psychological factors and sports performance is the main component of sports psychology while sport and exercise psychology uses psychological insight to maximise physical activity level. So knowing how our mind goes about work have an impact on performance. The basic fundamental psychological principles such as behaviour, motivation, stress, pressure, mental toughness etc. are keys to sports performance. It also affects a sportspersons coaching, training and competence. Self assurance in personal judgement, ability and power encompasses concept of self confidence. It is increased from learned experiences of mastering a particular task. Zellner (1970) considered self confidence as the self belief that in the future one can generally accomplish what one wishes to do. Judge et al. (2002) differentiated self confidence with self esteem and opined that self esteem is an evaluation of one's own worth, whereas self-confidence is more specifically trust in one's ability to achieve some goal, which one meta-analysis suggested is similar to generalization of self-efficacy. One derives confidence from past achievements, preparation and training to achieve that task. As skill in a particular set of task increases, confidence also proportionally increases for that particular task. To develop self confidence it is necessary for a sportsperson to know the factors and

variables that contribute to lack of or elevated confidence level. The example may be high expectations. According to Bull et al. (2005) overcoming self doubts and maintaining self focus that generate tough thinking enables sportspersons to confidently tackle adverse situation. It is very well known fact that sports performance is affected by several factors in which psychological factors are of prime importance. European countries since ages have given special emphasis on psychological characteristics of sportspersons. Although superior skills and hard training schedule are almost the same at the top, hence it is believed that the mind that is the winner. Indian female kabaddi have kept their dominance world over till date. Due to its popularity in India several researchers like Devaraju and Needhiraja (2013), Sharma, Kavita (2014), Mishra (2015), Tangarani (2016) conducted studies with kabaddi as central theme. But so far self confidence in female kabaddi players as a personality construct has not been assessed in the light of level of participation. Hence the present study was planned.

**Objective** - The main objectives of the present study was to compare self confidence between national and intercollegiate female kabaddi players.

**Hypothesis** - It was hypothesized that the National female kabaddi players will show more magnitude of self confidence as compared to intercollegiate female kabaddi players.

**Methodology** - The following methodological steps were taken in order to conduct the present study.

**Sample** - For the present study 50 national level female kabaddi players (Av. age 26.23 years) were selected. The

\*M.Phil. Student, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.) INDIA

\*\* Assistant Professor (Physical Education) Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.) INDIA

selection of national level female kabaddi players were done from top four ranked teams. To fulfil the objectives of the study 50 intercollegiate female kabaddi players (Ave. age 22.18 years) were also selected as sample. Purposive sampling was employed in the present study.

#### Tools :

**Pandey's Self Confidence Inventory** - To assess self confidence of selected female kabaddi players, self confidence inventory prepared by Pandey (1983) was used. This inventory is in Hindi and it consists of 60 questions. The nature of questions in the inventory is mixed i.e. 18 questions are positively worded while 42 questions are negatively worded. The test has high face and construct validity and it is highly reliable. Lower the score, superior the self confidence is the direction for interpretation of scores.

**Procedure** - Ethical considerations were followed in the present study. After establishing a good rapport with the subjects they were assured that their responses and their identities will be kept under strict confidence and will not be disclosed anywhere. Thus, they are free to give their answers comfortably and honestly whatever they felt. In this way, subjects were encouraged to give their proper co-operation during the testing.

Self confidence test prepared by Pandey (1983) was administered to each subject. After this, the scoring was completed according to the scoring system prescribed by the authors of the scale. After scoring, the data was tabulated according to their groups.

To compare data, independent sample 't' test was used. The statistical results are depicted in table no. 1.

#### Result & Discussion

**Table 1 : Comparison of Self Confidence between National and Inter-collegiate Female Kabaddi Players**

| Groups                         |                | Self Confidence |      | Mean Diff. | 't'          |
|--------------------------------|----------------|-----------------|------|------------|--------------|
|                                |                | Mean            | S.D. |            |              |
| National Kabaddi (N=50)        | Female Players | 15.60           | 7.59 | 11.82      | 6.85 (p<.01) |
| Intercollegiate Kabaddi (N=50) | Female Players | 27.42           | 9.53 |            |              |

t (df=98) = 2.62 at .01 level

A perusal of entries reported in table 1 indicate that self confidence in national female kabaddi players ( $M=15.60$ ) was found to be significantly superior as compared to intercollegiate female kabaddi players ( $M=27.42$ ). The results are interpreted as lower the score, better is the self confidence as depicted in author's manual. The mean difference of 11.82 and calculated  $t=6.85$  also statistically highlight the fact that national female kabaddi

players are more self confident as compared to intercollegiate female kabaddi players at .01 level of statistical significance. Studies conducted by Hays et al., 2009; Levy, Nicholls and Polman (2010) in their study also found a significant relationship between self confidence and sports performance, hence the results of the present study are not surprising.

**Conclusion** - On the basis of results and associated discussion it was concluded that female kabaddi players with higher level of sports participation are significantly much more confident as compared to female kabaddi players with lower level of sports participation.

#### References :-

1. Devaraju, K. and Needhiraja, A. (2013). Prediction of playing ability in Kabaddi from selected anthropometrical, physical, physiological and psychological variables among college level players. *Elixir Psychology* 56, 13212-13215.
2. Hays, K., Thomas, O., Maynard, I. and Bawden, M. (2009). The role of confidence in world class sport performance. *Journal of Sport Sciences*, 27 (11), 1185-1199.
3. Judge, Timothy A.; Erez, Amir; Bono, Joyce E.; Thoresen, Carl J. (2002-09-01). "Are measures of self-esteem, neuroticism, locus of control, and generalized self-efficacy indicators of a common core construct?". *Journal of Personality and Social Psychology*. 83 (3): 693–710.
4. Levy, A. R., Nicholls, A. R., Polman, C. J. (2010). Pre-competitive confidence, coping, and subjective performance in sport. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport*, 21, 721-729.
5. Mishra, V. (2015). A Comparative Assessment of Reaction towards Frustrating Situations between Elite and Non Elite Kabaddi Players. *Research Journal of Physical Education Sciences*, Vol. 3(3), 1-2.
6. Sharma, Kavita (2014). A Study of the Personality characteristics of Female Kabaddi Players of Delhi University. *International Educational E-Journal, {Quarterly}*, Volume-III, Issue-IV, pp. 7-10.
7. Tangarani (2016). A study of anxiety in female kho-kho, kabaddi and softball intercollegiate players. *International Journal of Physical Education, Sports and Health*; 3(1): 219-222.
8. Zellner, M. (1970). Self Confidence. "Journal of Personality and Social Psychology". *Journal of Personality and Social Psychology*. 15(1): 87–93.
9. Bull, S. J.; Shambrook, C. J.; James, W. and Brooks, J. E. (2005). Towards an Understanding of Mental Toughness in Elite English Cricketers. *Journal of Applied Sport Psychology*. 17 (3): 209–227.

# Problems Of Women Entrepreneur In India

Mamta Jaisiyan\*

**Introduction** - Women entrepreneur may be defined as the women or a group of women who initiate, organize and operate a business enterprise. Government of India has defined women entrepreneur as an enterprise owned and controlled by a woman having a minimum financial interest of 51 % of the capital and giving at least 51 % of employment generated in the enterprise to women. Women in business are a recent phenomenon in India. By and large they had confined themselves to petty business and tiny cottage industries. It is a common assumption that majority of women in India are economically non-productive as they are not involved in activities that are financially remunerative. But this trend is gradually changing today's women are taking more and more professional and technical degrees to cope up with market need and are flourishing as exporters, publishers, garment manufacturers and still exploring new avenues of economic participation.

At the same time, it is also recognized that their challenges are immense and complex. For women entrepreneur starting and operating a business involves considerable risks and difficulties, because in the Indian social environment women have always lived as subordinate to men. There have been noticeable changes in the socio-psychological and economic norms of our society due to liberalized policy of the government of India, increase in the education levels of women and increased social awareness in respect of the role women play in the society. It has now been recognized that to promote self-employment and to reduce the incidence of poverty. Some drastic efforts have to be made to encourage self-employment of women in various sectors.

**Characteristics of women entrepreneurship** - Women entrepreneur tend to be highly motivated & self-directed; they also exhibit a high internal focus of control & achievement. Researchers contend that women business owners possess certain specific characteristics that promote their creativity and generate new ideas and ways of doing things.

Entrepreneurs are also very self-motivated. They don't wait for someone to tell them to get to work. They are self-propelled and do the work because they want to. They know that it takes discipline and self-sacrifice to make their dream come true.

## Problems of Women Entrepreneurship in India:

**1. Family Ties :** In our society it is mainly a woman's duty to look after the children and other members of the family. In case of married women, she has to strike a fine balance between her business and family. Her total involvement in family leaves little or no energy and time to devote for business. Support and approval of husband's seem necessary condition for women's entry in to business.

**2. Lack of Education :** In India, majority of women are still illiterate. Illiteracy is the root cause of socio-economics problem. Due to the lack of education, women are not aware of business, technology and market knowledge. Also lack of education causes low achievement motivation among women. Thus, lack of education creates problem for women in the setting up and running of business enterprise.

**3. Problem of Finance :** Finance is regarded as "Life Blood" for any enterprise, be it big or small. However entrepreneurs suffer from shortage of finance on two counts. Firstly, women do not generally have property on their name to use them as collateral for obtaining funds from external sources. Thus, their access to the external sources of funds is limited. Secondly, the banks also consider women less credit-worthy and discourage women borrowers on the belief that they can at any time leave their business. Many women enterprises fail due to the shortage of finance.

**4. Stiff Competition :** Women entrepreneur do not have organization set up to pump in a lot of money for advertising and advertisement. There they have to face a stiff competition for marketing their products with both organized sector and their male counterparts. Such a competition ultimately results in the liquidation of women enterprise.

**5. Low Risk-Bearing Ability :** Women in India lead a protected life. They are less educated and economically not self-dependent. All these reduce their ability to bear risk involved in running an enterprise. Risk bearing is an essential requisite of a successful entrepreneur. In addition to above problems, inadequate in structural facilities, shortage of power, high cost of production, social attitude, low need for achievement and socio-economics constraints also hold the women back from entering into business.

**6. Marketing Problem :** During the process of marketing of products women entrepreneur faced certain problems

viz. poor location of shop, lack of transport facility and tough competition from large and established unites.

**7. Production Problems :** Production problems faced by maximum women are non-availability of raw material Non-availability of raw material is one of the reasons to the slow growth of women entrepreneur after production problems are non-availability of machine or equipment, lack of training facility and non-availability of labour, high cost of required machine or equipment.

**8. Male Dominated Society :** Male chauvinism is still the order of the day in India. The constitution of India Speaks of equality between gender But in practice women are looked upon as able i.e. weak in all respects. Women suffer from male reservation about a women's role, ability and capacity and are treated accordingly. In nutshell, in the male dominated Indian society. Women are not treated equal to men. This in turn, service as a barrier to women entry into business.

**Government Schemes For Women Empowerment** - The govt. programme for women development began as early as 1954 in India but the actual participation began only in 1974. At present, the govt. of India has over 27 schemes for women operated by different departments and ministries. Some of these are:

|  |   |
|--|---|
| Integrated Rural Development programme (IRDP)        | Working Women's Forum                         |
| Training of Rural Youth for Self Employment (TRYSEM) | Indira Mahila Kendra<br>Indira Mahila Yojna   |
| Prime Minister Rojgar Yojna (PMRY)                   | Mahila Samiti Yojna<br>Rashtriya Mahila Kosh. |
| Women's Development Corporation Scheme (WDCS)        | Khadi and Village Industries Commission       |
| Indira Priyadarshini Yojna                           | SBI's Sree Shakti Scheme                      |

National Banks for Agriculture and Rural Development's Schemes. The efforts of government and its different agencies are ably supplemented by non-government organization that are playing an equally important role in facilitating women empowerment. Despite concerted efforts of Govts. and NGOs there are certain gaps of course we have come a long way in empowering women yet the future journey is difficult and demanding.

#### **Suggestions for the Growth of Women Entrepreneur**

The following measures are suggested to empower the women to seize various opportunities and face challenges in business.

1. An awareness programme should be conducted on a mass scale with the intention of creating awareness among women about the various areas to conduct business.
2. Organize training programmes to develop professional competencies in managerial, leadership, marketing,

financial, production process, profit planning, maintaining books of account and other skills.

3. Vocational training to be extended to women community that enables them to understand the production process and production management.
4. International, National, Local Trade Fair, Industrial Exhibition, Seminars and Conferences should be organized to help women to facilitate interaction with other women entrepreneurs.
5. Making provision of micro credit system and enterprise credit system to the women entrepreneur at local level.
6. Attempts by various NGO's and Govt. Organization to spread information about policies, plans and strategies on the development of women in the field of industry, trade and commerce. Women entrepreneurs should utilize the various scheme provided by the government.
7. To establish all India forum to discuss the problem, grievances, issue and filing complaints against constraints or short coming towards the economics progress path of women entrepreneurs and giving suitable decision in the favour of women entrepreneur and taking strict stand against the policies or strategies that obstruct the path of economics development of such group of women entrepreneur.

**Conclusion** - The emergence of women entrepreneurs and their contribution to the national economy is quite visible in India. Since 1980 the govt. of India has shown increasing concern for women issues through a variety of legislation promoting the education and political participation of women. There should also be efforts from all sector to encourage the economic participation of women. It can be said that today we are in a better position wherein women participation in the field of entrepreneurship is increasing at considerable rate, efforts are being taken at the economy as well as a global level to enhance women's involvement in the enterprise sector. This is mainly because of attitude change, diverted conservative mindset of society to modern one, daring risk-taking abilities of women, support and corporation by society member, changes and relaxations in govt. policies granting various ..... scheme to women entrepreneur etc.

#### **References :-**

1. Ram Naresh Tahkur (2009) "Rural Women Empowerment in India in Empowerment of Rural Women in India Kanishka Publisher, New Delhi.
2. Ramesh Bhandari (2010) Entrepreneurship and women Alfa Publication.
3. Sanjay Tiwari and Anshuji Tiwari (2007) Women Entrepreneurship and Economics Development.
4. Bhatia Anju (2000) "Women Development and NGO's Rawat Publication, New Delhi.

# The Effects Of Yogic Practices On Intellectual Development In Urban School Children In Rajasthan

Dr. Ramneek Jain \*

**Abstract** - To study the effect of yoga practices on selected cognitive development variables among adolescent urban school children. Materials and Methods: Eighty two students, age ranged from 12-16 years, were randomly divided into experimental (n=40) and control (n=40) groups. Selected cognitive development variables were evaluated at the baseline and at the end of 8 weeks of yoga training in both groups. Results: Significant improvement was observed in measures of mental ability and memory in experimental group. However, no statistically significant changes were observed in measures of mental ability and memory tests in control group. Conclusion: Selected cognitive development variables were improved after 8 weeks of yoga training in adolescent rural residential school children.

**Key words** - Yoga practices, cognitive development, urban school.

**Introduction** - Mental health is “a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community.” It can also be defined as a state of emotional and psychological well-being in which an individual is able to use his or her cognitive and emotional capabilities, function in society, and meet the ordinary demands of everyday life. Cognitive performance refers to a person’s mental processes, including memory, attention, producing and understanding language, learning, problem solving, reasoning, and decision making. Cognitive development starts in early adolescence and is influenced by many factors such as postnatal psychosocial environment, poverty, malnutrition, family stressors, environmental stressors, and maternal depression. Adolescent rural children are more likely to be subjected to poor socioeconomic conditions as compared to urban adolescent children. Poor quality of home environment can adversely affect children’s development, leading to cognitive deficits. Findings of one study suggested that the experience of persistent economic hardship, as well as, very early poverty undermines cognitive functioning at five years of age. However, according to a recent experimental research, both acute and chronic aerobic exercise promotes children’s executive function. Goal-directed cognition and behavior which develop across childhood and adolescence. In this context, ancient traditional practice of yoga might be helpful in improving mental health and thus cognitive development. The Sanskrit term yoga means “the union of the individual self (Jiva-atman) with transcendental self (Parama-atman)”. The word ‘Yoga’ is derived from the Sanskrit root verb “Yuj” means bind, make union, control. Patanjali defines yoga as the “restriction of the wheels of consciousness and paths

of ecstatic self-transcendence or methodical transmutation of consciousness to the point of liberation from the spell of ego personality”. Yoga has multiple physical, mental and spiritual benefits and holds that the influence of the mind on body is far more powerful than the influence of body on mind.

## Materials and Method :

**Subjects:** Eighty two school children, aged 12 to 16 years studying in 6th to 10th grade in a rural residential school, participated in this study. All the students belonged to different urban areas of Rajasthan, India. There were 40 students in each group at the baseline testing. However, at the end of 8 weeks, there were 40 students in Experimental Group and 40 students in Control group All the students who participated in the research study were in apparent good health.

**Research design:** Quasi experimental pre post design was used for conducting this research study. The students were randomly assigned into Experimental Group (n=40) and Control (n=40) group by Chit method for random selection. Both Experimental and Control group were assessed on the first day and after 8 weeks of the intervention. The subjects of Experimental Group then underwent a training of yoga practices, under the supervision of a yoga expert, for one hour in the morning, excluding Saturdays, Sundays and holidays for a total period of 8 weeks. The Control group did not undergo any yoga training during this period. However, both the groups continued to participate in their regular extracurricular activities during school hours.

**Psychological Assessment:** The following tests were administered to the children:

A test battery of Cognition Function tests (CFTs), an Indian adaptation based on Guilford’s Structure of Intellect Model was administered on each student. This test was

suitable for use in children of 12-16 yrs of age. Standard methods were

**Statistical Analysis:** Followed for the data extraction for each of the variables (mentioned above). Data was analyzed using paired t-tests, independent t-test and descriptive statistical method. The mean values  $\pm$  SD of pre and post variables are presented in (Table - 1).

(Table - 1, See in next page)

#### Result :

**Mental Ability Test:** The result showed that at the baseline there were no significant differences in all the parameters between groups. In case of within group comparison, experimental group showed significant improvement in two of the nine factors, i.e. Cognition of Figural Systems (CFS) ( $p<0.05$ ) and Evaluation of Figural Classes (EFC) ( $p<0.01$ ). These factors refer to ability to structure a system by joining parts of a figure considering appropriate directions and ability to make judgment regarding adequacy of a figure as member of certain class respectively. Surprisingly, control group also showed significant improvement in two of the nine factors, Cognition of Figural Classes (CFC) ( $p<0.05$ ) and Convergent.

Production of Figural Relation (NFR) ( $p<0.05$ ). These factors refer to ability to recognize or understand common attributes among figures and classify them accordingly and ability to identify relations among presented figures and apply the same to other figures. The remaining factors of mental ability test did not show any significant difference in both experimental and control groups.

**Memory Test:** In memory test experimental group showed significant improvement in 'Test-1' ( $p<0.05$ ) which includes memory of figural information. Remaining three tests, which do not show improvement, include memory of information in the form of symbols, language or behavior. Control group did not show significant improvement in any of the memory tests.

**Discussion:** The findings of this 12wk research study suggests, amply, the effectiveness of yoga training in improving primary cognitive processes such as attention, perception and observation. Overall findings shows that observation and critical evaluation of figural information improved in experimental group which could be result of maturation and intervention. The result of our study is also

in line with previous research findings. According to a recent finding, yoga practices improved memory and general well-being of the experimental group subjects. Control group also showed improvement in understanding and logical thinking which could be result of maturation and in part due to the practice effect over time. The findings of memory tests indicate intervention probably has affected primary processing of visual inputs and not higher order processing. According to a study, shorter duration of yoga training does not influence the cognitive development of students. Within limitations, the findings of this study demonstrate that shorter duration of yoga intervention is beneficial in improving some of the mental ability and memory parameters. In fact, future investigations on larger population and longer period of follow up are necessary to establish and expand the results of present study.

**Conclusion:** The present study has demonstrated that yoga training probably has affected primary cognitive processes such as attention, perception and observation. Yoga, being a simple and inexpensive health regimen, can be incorporated as an effective adjuvant therapy to governmental child health initiatives in school curriculum, and thus, ensures a bright future for our children. Further studies on a larger scale and longer time period would be required to further substantiate these findings.

#### References :-

1. Laude M. (1999). Assessment of nutritional status, cognitive development, and mother-child interaction in CARC. Rev Panam Salud Publica, 6, 164-71.
2. Park, J.M., Fertig, A.R., Allison, P.D. (2011). Physical and mental health, cognitive development, and health care use by housing status of low-income young children in 20 American cities: a prospective cohort study. Am. J Public Health, 101(1), S255-61.
3. Stromswold, K. Biological and psychosocial factors affect linguistic and cognitive development differently: A twin study. Proceedings of the Annual Boston University Conference on Language Development, 2, 595-606.
4. World Health Organization.(ONLINE) Fact sheet no. 220. 2001. Strengthening mental health promotion. Geneva.

**Table - 1**

| Variables                  | Experimental Group |                 | Control Group      |                 |
|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|                            | Baseline<br>(M±SD) | Final<br>(M±SD) | Baseline<br>(M±SD) | Final<br>(M±SD) |
| Mental Ability Test 1(CFC) | 6 ±2.06            | 6.53 ±1.77      | 5.31 ± 2.30*       | 6.29 ± 2        |
| Test 2(CFS)                | 3.96 ± 2.06        | 48 ± 2.29       | 3.31 ±1.90         | 3.91 ±2.22      |
| Test 3 (NFC)               | 6.73 ±2.76         | 7.33±2.5        | 6.45 ±2.82         | 7.21 ±2.79      |
| Test 4 (EFC)               | 5.56 ±2.37         | 6.82 ± 2.71**   | 5.29 ±2.72         | 5.96 ±2.90      |
| Test 5 (NFR)               | 3.53 ±3.14         | 3.73 ± 3.53     | 3.04 ±2.66         | 4.04 ±2.64      |
| Test 6 (NFS)               | 7.16 ±3.12         | 7.82 ± 2.93     | 6.85 ±2.89         | 7.34 ±3.01      |
| Test 7 (EFR)               | 1 0.08 ± 2.62      | 10.16 ± 2.30    | 9.29 ±3.34         | 10.21 ± 2.89    |
| Test 8 (EFS)               | 1 0.25 ± 2.66      | 10.93 ± 2.89    | 9.91 ±2.96         | 10.72 ±3        |
| Test 9 (EFI)               | 6.90 ±2.14         | 6.96 ± 2.54     | 6.53 ±2.78         | 6.23 ±2.87      |
| Memory Test 1 (MFC)        | 7.00 ±2.57         | 7.90 ± 2.15*    | 7.45 ±2.39         | 7.72 ±2.04      |
| Test 2 (MSC)               | 8.76 ±4.02         | 9.93 ± 5.01     | 9.31 ±4.33         | 9.83 ±4.55      |
| Test 3 (MMR)               | 7.16 ±3.91         | 7.65 ± 3.49     | 6.83 ±3.86         | 6.94 ±3.90      |
| Test 4 (MBC)               | 7.05 ±3.12         | 7.50 ± 3.65     | 6.96 ±3.42         | 7.51 ±3.02      |

Table-1]: Pre test and post test mean & S.D. values of selected variables after 12 weeks of yoga training \*p<0.05,  
\*\*p<0.01.

\*\*\*\*\*

# देश की जीवन्त परम्परा-लोकोत्सव और निमाड़ की लोक संस्कृति

डॉ. इरमाईल अली बेग \*

**प्रस्तावना** – सर्वविदित है कि भारतीय संस्कृति अनेक प्रकार के विश्वासों का समन्वित रूप है। न जाने कब से इस देश में विदेश से विभिन्न जातियों का आगमन होता रहा है। उनके आचार-विचार और विश्वासों के तह पर तह जमते रहे हैं। इस देश में जोर जबरदस्ती से विश्वास बढ़लने का प्रयास नहीं किया गया। जो जातियों या कबीले बाहर से आते रहे वे स्वतंत्र जाति के रूप में अपने विश्वासों और सामाजिक संघटनों के साथ यहाँ बस जाते रहे और धीरे-धीरे वे इस विश्वास के जीवन्त अंग बन जाते रहे। वे यहाँ बसने वाली जातियों के आचार-विचार और विश्वासों से प्रभावित होते रहे और उन्हें भी प्रभावित करते रहे। शताब्दियों तक यह प्रक्रिया चलती रही और आज भी चल रही है। ऐसा संसार में प्रायः सर्वत्र होता रहता है, फिर भी भारतवर्ष की अपनी विशेषता तो है ही। ऐसी विशेषता, जो संसार में अन्यत्र दुर्लभ है। ये मानव मण्डलियाँ अपने आचार-विचार और सामाजिक संघटनों को यथासम्भव स्थापित रखते हुए भी धीरे-धीरे एक महाजाति का अंग बन जाती रही।

आज जो इतनी जातियाँ, इतनी विचित्र प्रथाएँ और इनते प्रकार के धार्मिक विश्वास व आस्थाएँ दिखाई देते हैं कि वे इसी प्रक्रिया की देन हैं। भारतीय समाज में व्यक्ति का धर्मान्तरण नहीं होता था, पुरा का पुरा कबीला या जाति ही इस समाज का अंग बन जाती थी। उनके संस्कारों और आचारों के तारतम्य के अनुसार शास्त्रकार उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध या अन्य श्रेणी में रख देते थे। एक श्रेणी के लोग अपने विशेष मर्यादा की रक्षा के लिए अन्य श्रेणी के साथ खान-पान और शादी-ब्याह का सम्बन्ध नहीं रखते थे। धीरे-धीरे यह बचाव का उपाय ही अधिकाधिक कठोर एवं अलंघ्य होता गया। अवनति काल में विजातिय संस्कृतियों के कारण वह केवल कठोर ही नहीं बना, धर्म का विशिष्ट अंग भी बन गया। परन्तु इस बहुधा विभाजित भारतीय जन-समूह में एक विचित्र प्रकार की एकता भी बनी हुई है। यह कैसे संभव हुआ? सैकड़ों स्तर में विभाजित जन-समूह कैसे एक दूसरे के निकट आ पाया, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर केवल हमारी संस्कृति की विश्वासता में ही है।

यह सांस्कृतिक एकता, जाति-भेद की कठोरताओं के बावजूद बनी हुई है, उनमें प्रमुख है—तीर्थ, व्रत, त्योहार और मेले। यद्यपि दीर्घकाल से इस देश में आती रही और यहीं बसने वाली जातियों में अपनी विशेषता बनाए रखने के लिए भी एक दूसरे के विश्वासों के प्रति (उनमें) सदा आदरभाव रहा है और उन्हें सामुहिक रूप से अपनाने का प्रयास निरन्तर होता रहा है। आज के हिन्दू-तीर्थों, व्रतों, त्योहारों और मेलों के अद्ययन से बहुत स्पष्ट हो जाता है कि इनमें विभिन्न जातियों के धार्मिक विश्वासों को अपनाने और सर्वात्मना ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। हिन्दूओं के तीनीस करोड़ देवता न जाने किन-किन जातियों से लिए गए हैं, जिन्हें बहुत ऊँची सामाजिक मर्यादा नहीं प्राप्त है। नारों, यक्षों, पीरों, शूत-भैरवों, काली-दुर्गा, यहाँ तक कि

शिव, विष्णु की पूजा और तत्सम्बन्धी विश्वास की विभिन्न जातियों, कबीलों और नस्लों के लोगों से ग्रहण किये गये हैं। इस प्रकार देश की विश्वास संस्कृति ने ‘अनेक में एक’ को प्रतिष्ठित किया है।

मध्य प्रदेश भारतवर्ष का हृदय स्थल है। देश में मध्य भाग में अवस्थित होने के कारण प्राचीन काल में इसे ‘मध्य देश’ कहा जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात् ‘मध्य प्रदेश’ नामक राज्य का उदय 1 नवम्बर, 1956 को हुआ। प्राचीनतम विन्द्य शूखलाओं तथा सतपुड़ा शूगमालाओं की गोद में बसा यह राज्य प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वैभव से सम्पन्न है। यहाँ के पर्वत, वन, वनस्पतियाँ, मोक्षदायिनी नदियाँ, पुण्यदायी तीर्थ, विभिन्न खनिज सम्पदाओं से समृद्ध भूमिगत भण्डार, शस्य श्यामला कृषि भूमि, इसकी निधियाँ हैं। म.प्र. सांस्कृतिक दृष्टि से, आंचलिक विशिष्टाओं के कारण, बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड, निमाड़ तथा मालवा की सांस्कृतिक परम्पराओं से समृद्ध है। यहाँ के पर्व, त्योहार, उत्सवों और मेलों में लोक मानस, विश्वास तथा लोक मूल्यों, लोक व्यवहार की आस्था प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरों में पश्चिम निमाड़ जिले का नाम सर्वोपरि है।

पश्चिम निमाड़, म.प्र. का एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न विश्वासों के आने, बस जाने, आगे बढ़ने और मिल जाने की दीर्घ परम्परा का ऐतिहासिक पक्ष बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहाँ के मेला संस्कृति में यह मिलन प्रक्रिया का जीवन्त रूप अधिक स्पष्ट है। पश्चिम निमाड़, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह जिला तथा पूर्वी निमाड़ जिला मिलकर इंदौर संभाग की दक्षिणी सीमा को निश्चित करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह जिला सर्वाधिक विषमताओं वाला है। प्राकृतिक रूप में यह जिला नर्मदा घाटी का मध्यवर्ती भाग है, जिसकी उत्तरी सीमा पर विन्द्य कगार तथा दक्षिणी सीमा पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी निमाड़ जिला त्रिकोणीय आकार में फैला हुआ है। इसका एक शिरा पश्चिम की ओर है, जो 13450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को रेखांकित करता है। इसकी पूर्व-पश्चिम लम्बाई लगभग 362 किलोमीटर है, जबकि उत्तर-दक्षिण चौड़ाई पूर्वी भाग में लगभग 273 किलोमीटर है। राज्य के सर्वोक्षण विभाग के अनुसार जिले का क्षेत्रफल 13450 वर्ग किलोमीटर है।

इस जिले की सीमा उत्तर में धार और इंदौर जिलों से, उत्तर-पूर्व में देवास से, पूर्व में खण्डवा (पूर्व निमाड़), जिले से, दक्षिण में महाराष्ट्र प्रान्त के जलगांव (पूर्व खानदेश) तथा धुलिया (पश्चिमी खानदेश) जिलों से तथा पश्चिम में गुजरात के भડौच तथा उत्तर पश्चिम में झाबुआ जिले की सीमाओं की छूती है। जिले की अधिकांश सीमाएं प्राकृतिक आधारों पर आधारित हैं। उत्तरी सीमा विन्द्य कगार की जल विभाजक रेखा, नर्मदा नदी और उसकी कुछ सहायक नदियों के साथ निश्चित हुई है। दक्षिण सीमा

\* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, अंजड़, जिला बड़वानी (म. प्र.) भारत

अनेक नदी तथा मनियल नालों से निर्मित हैं, जो तासी नदी में जाकर मिलते हैं। पश्चिम सीमा का एक भाग नर्मदा नदी की सहायक नदी झाइकल से बना है। इस तरह प्राकृतिक आधारों पर सीमा का निश्चयन हुआ है। केवल पूर्वी सीमा में ही कृतिम सीमा रेखा बनाई गई है।

निमाड क्षेत्र मध्य प्रदेश की प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता का केन्द्र स्थल रहा है। इसे 'नर्मदा स्थलीय सभ्यता' का केन्द्र भी कहा जाता है। यह कहा जाता है कि प्राचीनिहासिक युग में आदिम मानव की सतपुड़ा में बहुल्यता थी, इन्होंने विन्ध्यांचल व सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थापित नर्मदा घाटी व उससे लगे क्षेत्र में घुटनों के बल चलना सीखा था। अत्यन्त प्राचीन काल से निमाड (पूर्व निमाड) की भूमि लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति से सौभाग्यशाली धारी रही है। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत विन्ध्यांचल और सात-सात पुड़ वाले सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों से रक्षित है। इसके मध्य से बहने वाली नर्मदा जीवन रेखा की तरह और सूर्य का ताप हरण करने वाली तासी के पवित्र जल से यह सिंचित रही है।

निमाड प्राचीन काल से ही संस्कृति का पालनहार रहा है। इतिहास विशेषकर पुरातत्वीय अन्वेषण इसके गवाह है। भौगोलिक दृष्टि से निमाड सतपुड़ा और विन्ध्यांचल की घाटी के मध्य फैला है। नर्मदा, तासी, आबना, कावेरी, सुक्ता, कुंदा, गोई, वेदा और अनेक छोटी-बड़ी नदियों से सिंचित यह प्रदेश सांस्कृतिक एवं लोक संस्कृति, प्राकृतिक सौन्दर्य और अपने भारत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग औंकारेष्वर के कारण एक विशिष्ट पहचान बना ली है।

यहाँ की सांस्कृतिक परम्पराओं और विरासत का अपना महत्व है। इतिहास और संस्कृति के परिप्रेक्ष में आदिम काल से लेकर आधुनिक युग तक एतिहासिक-सांस्कृतिक काल से लेकर आधुनिक युग तक एतिहासिक-सांस्कृतिक विकास की सीधी रेखा खींची जा सकती है। इतिहास में भी, अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण निमाड का खास स्थान रहा है।

निमाड उत्तर-दक्षिण को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। उत्तर और दक्षिण के साम्राज्य निर्माताओं ने सौंदर्य पहले निमाड पर आधिपत्य किया उसके बाद ही वे उत्तर या दक्षिण के विजय अभियानों में सफल हो सके। इतिहास के प्रत्येक दौर में निमाड क्षेत्र ने अपना सामाजिक और भू-राजनीतिक महत्व बना रखा। यहाँ एक तथ्य ध्यान देने योग्य है कि प्रशासनिक दृष्टि से निमाड वर्तमान में अलग-अलग जिलों (पश्चिम निमाड-बड़वानी, खरगोन, पूर्वी निमाड-खण्डवा) में विभाजित है। लेकिन सांस्कृतिक स्तर, लोक जीवन, लोक धर्म एवं आस्थाएँ, लोक एवं भाषा, रहन-सहन और रीति-रिवाज, पर्व व त्यौहार ढोनों के समान है। ढोनों की सांस्कृतिक विरासत भी एक ही है। इतिहास के विभिन्न युगों में भिन्न-भिन्न जातियों और प्रजातियों का निष्क्रमण इस अंचल में हुआ इन्होंने निमाड को मिली जुली संस्कृति को जन्म दिया। कालान्तर में इस मिश्रित संस्कृति का समन्वयात्मक स्वरूप प्रगत हुआ और निमाड ने संस्कृति के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना ली। इस क्षेत्र में आदिम संस्कृति के प्रतीक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं तो नागर और आर्य संस्कृति का भी उसके साथ समयोजन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इतिहास के हर युग में निमाड की

सांस्कृतिक छवि स्पष्ट रूप में दिखाई देती है।

वास्तव में निमाड का सांस्कृतिक इतिहास समृद्ध और गौरवशाली रहा है। यहाँ विभिन्न (सभी) जातियाँ निवास करती हैं। इसीलिए निमाड की धरती पर पनपी कला संस्कृति में तत्कालीन संघटनाओं का आवर्तन-प्रत्यावर्तन देखा जा सकता है। पौराणिक नायकों से लगाकर यहाँ अनेक गौरवशाली वंशों का शासन रहा है, जिन्होंने निमाड की कला संस्कृति को बहुत गहरे तक प्रभावित किया है। 'निमाड की भूमि एक ऐसे स्थान पर है, जहाँ कई जातियों, जनजातियों की संस्कृतियाँ आयी और गयी। आर्य-अणार्य, शक-सीथियन, सातवाहन, राजपुत, मुगल, मराठा आदि प्रमुख संस्कृति सम्पन्न प्रशासक जातियों का सम्पर्क निमाड से रहा है।'

निमाड में विभिन्न संस्कृतियों के स्मृति चिन्ह यहाँ के जन-जीवन, कला और वाचिक परम्परा के अवशेष के रूप में देखे जा सकते हैं। समय के परिवर्तन के साथ निमाड की मूल जातियाँ सामाज्य जीवन जीने के लिये बाध्य होती चली गई। वर्तमान में निमाड की कला संस्कृति को धारण करने वाली महत्वपूर्ण जातियों और जनजातियों में ब्राह्मणों में नारमदेव, श्री गौड़, मालवीय बाविसा, जम्बु, खेड़पाल बाहर से स्थापित कान्य कुञ्ज सरयुपारीय, गुर्जर, गौड़, सनाद्य, औदित्य, नागर, महाराष्ट्रीयन आदि वैश्यों में दशोरा, श्रीमाली, धाकड़, पालीवाल, नीमा, जैन आदि बाहर से आने वालों में लाड, अग्रवाल, औसवाल, खण्डेलवाल, महेश्वरी प्रमुख हैं। निमाड की अन्य जातियों में जिनका महत्व सामाज्य जन-जीवन में सबसे अधिक है और जो परम्परा से कला संस्कृति के संवहक है उनमें गूजर, अहीर, भास्तव, गवली, माली, सुतार, सुनार, लोहार, नाई, ढर्जी, तेली, तम्बोली, कहार, नावडा, कुलमी, रंगारा, छीपा, भावसार, नाथ, बैरागी, मारु, डाँगी, कोच्छा, कोरी, कोटवार, परधान, खटिक, आल्या, पारधी, नट कालबेलिया, कोमला, भूत, सांसी, पॉसी, घोसी, झमराल, बरगुणा, आदि प्रमुख हैं।

क्षत्रियों में राजपूत, मराठा, धनगर, यादव महत्वपूर्ण हैं। मुसलमानों में पिंजारा, नायता, पगन, शेख, सैयद, मोमिन, करसाई, बोहरा आदि सभी निमाड की संस्कृति में घुल-मिल गए हैं। जनजातियों में श्रील-श्रीलाला, पटलिया, राण्या, मानकर, नायक, कोरकु, गौड़, बंजारा अपनी अलग-अलग संस्कृति और परम्पराओं का निर्वह करते आए हैं। ये जातियाँ-जनजातियाँ निमाड में रहते-रहते संस्कृति का अभिन्न अंग हो गई हैं। इनकी अपनी सामुदायिक परम्पराएँ, मान्यताएँ, आस्थाएँ और लोक विश्वास हैं। इससे क्षेत्र के वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक परम्पराओं का दर्शन तथा लोक उल्लास की जीवन्त परम्परा से साक्षात्कार होता है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- उपाध्याय, रामनारायण : निमाड का सांस्कृतिक इतिहास
- उपाध्याय, रामनारायण : लोक साहित्य समग्र, हिन्दी प्रचारक पब्लिकेशन, वाराणसी
- पश्चिमी निमाड, जिला गजेटियर विभाग, म. प्र., भोपाल,
- निरगुणे, वसन्त : निमाडी संस्कृति और साहित्य, मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, भोपाल
- चौमासा पत्रिका, भोपाल

# Freedom Of Speech And Expression In India And Press

Bhola Prasad Shau\*

**Abstract** - Freedom of Expression has always been emphasized as an essential basis for the democratic functioning of a society. freedom of press has remained an issue that has led to endless number of debates across the democratic world in the past few decades. The democratic credentials of a state are judged today by the extent of the freedom press enjoys in that state .The Press provides comprehensive and objective information of all aspects of the country,s Social ; Political, Economic and Cultural life.

**Key words** - press freedom, democracy ,Constitution legislative privilege.

**Introduction** - "Freedom of press is an article of faith with us, sanctioned by our constitution, validated by four decades of freedom and indispensable to our future as a Nation"

- Rajiv Gandhi

A free press is very important and essential for the effective functioning of a democracy. A free press has also been described as the oxygen of democracy. one cannot survive without the other..Our actual experience since independence and especially in the last decade or so, also suggests that a free and vigilant press is vital to restrain corruption and injustice at least to the extent that public opinion can be roused as a result of press investigations and comments.

The press serves as a powerful antidote to any abuse of power by government officials and as means for keeping the elected officials responsible to the people whom they were elected to serve . The democratic credentials of a state are judged today by the extent of the freedom press enjoys in that state . At this present juncture of time, as we approached the sixth decade of our freedom, it is essential to keep in mind the pertinence of freedom of press which is regarded as the fourth pillar of democracy.

**WHAT IS FREEDOM OF PRESS** - 'Freedom means absence of control interference or restriction.Hence the expression Freedom of press means the right to print and publish without any interference from the state or any other public authority. but this Freedom , like other freedom cannot be absolute but is subject to well known exceptions acknowledge in the public interests, which in india are enumerate in Article 19(2) of the constitution .

**SIGNIFICANCE OF FREEDOM OF PRESS** - Press plays an educative and mobilizing role in moulding public opinion and can be instrument of social change, for the freedom of Press is regarded as the mother of all other liberties in a democratic society . The press serves as a powerful solution of power by government officials and as a means for keeping the elected officials responsible to the people whom they were elected to serve. A Free press stands as

one of the great interpreters between the Government and the people.

**HISTORY OF FREEDOMS OF PRESS IN INDIA** - The beginnings of the struggle for free speech in India date back to 18<sup>th</sup> century British India . The history of the freedom of press in India is inseparable from the history of the nationalist movement. The nationalist movement for a free India was fought with repression of the freedom of speech and expression through a series of legislations aimed at stifling the possibility of a consolidated outcry against colonial subjugation. that the press played an invaluable role in generating, political consciousness is evident from time to time neutralise the power of the print medium.

**(1) Press and Registration of Books Act, 1867** - The earliest surviving enactment specially directed against the press was passed in 1867, the Press and Registration of Books Act. The object was however to establish government control over the Freedom of press . It was a regulatory law which enabled government to regulate printing presses and newspapers by a system of registration and to preserve copies of books and other matter printed in India.

**(2) Official Secrets Act, 1923** - A general Act which has a greater impact on the press, in particular is the Official Secrets Act, 1923, which is aimed at maintaining the security of State against leakage of secret information sabotage and the like. The Indian press (Emergency) Powers Act 1931 imposed on the Press an obligation to furnish security at the call of the Executive. The Act, (as amended by the Criminal Law Amendment Act, 1932) empowered a provincial Government to direct a printing press to deposit a security which was liable to be forfeited if the press published any matter by which any of the mischievous acts enumerated in S.4 of the Act were furthered, e.g., bringing the Government into hatred or Contempt or inciting disaffection towards the Government; inciting feelings of hatred and enmity between different classes of subjects including a public servant to resign or neglect his duty,

**(3) Press (Objectionable Matter) Act, 1951** - The preamble of the press (Objectionable Matter) Act, 1951, looked innocuous as it was to provide against the printing and publication of incitement to crime and other objectionable matter.

**(4) Press Council Act, 1965** - Following the British precedent, a press Council was constituted in 1996 under the press council Act 1965, which was enacted to implement the recommendations of the press commission. The object of establishing the council was to preserve the freedom of the press to maintain and improve the standards of newspapers in India. It was to form a code of conduct to present writings which were not legally punishable but were yet objectionable.

**FREEDOM OF PRESS: CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE** - "Where it is left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter". The Preamble to the Indian Constitution resolves to secure for all the citizens of India, liberty of thought, expression and belief<sup>2</sup>. From Article 19(1)(a) of the Indian Constitution, i.e. 'Freedom of Speech and Expression', the media derives its rights. It is a fundamental right<sup>3</sup>. Freedom of press is not specifically mentioned under the Indian Constitution, but it is included under Article 19(1) (a) of constitution of India. Article 19 (1) (a) of the Constitution from which the media derives its rights guarantees to every citizen of India, Article 19(1) (a) reads:

19.(1) All citizens shall have the right  
(a) to freedom of speech and expression;

The exceptions to the right guaranteed under Article 19(1) (a) are contained in Article 19(2) which reads: Nothing in Sub-clause (a) of Clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the state from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said Sub-Clause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.

The media derives its rights from the right the freedom of speech and expression available to the citizen. Thus, the media has the same rights — no more and no less than any individual to write, publish, circulate or broadcast.

**Ramesh Thappar v. State of Madras**<sup>4</sup>, amongst the earliest cases to be decided by the Supreme Court, involved a challenge against an order issued by the government of Madras under Section 9(1-A) of the Madras Maintenance of Public Order Act, 1949 imposing a ban on the entry and circulation of the journal, Cross Roads, printed and published by the petitioner. The Court struck down Section 9(1-A) holding that the right to freedom of speech and expression was paramount and that nothing short of a danger to the foundations of the State or a threat to its overthrow could justify a curtailment of the right to freedom of speech and expression. The impugned provision which

authorized the imposition of restrictions for the wide purpose of securing public safety and public order fell outside the scope of the reasonable restrictions permitted Article 19(2) and was held to be unconstitutional.

In **Brij Bhusan v. State of Delhi**<sup>5</sup>, the Supreme court quashed a precensorship order passed against the publishers of the Organiser. The order was passed by the authorities under Section 7(i)(c) of the East Punjab Safety Act, 1949. The Court held that Section 7 (i) (c) which authorized such a restriction on the ground that it was necessary for the purpose of preventing or combating any activity prejudicial to the public safety or the maintenance of public order' did not fall within the preview of Article 19 (2).

#### **RECOMMENDATIONS FOR ENSURING FREEDOM OF PRESS:**

**(1) Codification of Legislative Privileges** - A complementary measure will be to insist upon the codification of legislative privileges, with the proviso that where a breach of privilege is alleged, the legislature should only be permitted to file a complaint, the decision regarding whether contempt is proved and, if so, the punishment to be awarded being left to a Court of Law. The idea that the legislature should itself be both the accuser and the judge might have had a historical reason in England; but there is not reason for such a fundamentally unjust approach to be accepted in our context.

**(2) Importance of Constitutional Amendment** - All the difficulties in the way of ensuring that the Press can have the maximum freedom to carry out its function of collecting facts about different facets of national life, analysing them and commenting upon them so as to keep the general body of citizens in our young democracy well informed show that the Press requires some special protection. Many authorities have held that the Right to Freedom of Speech conferred by Article 19(1) of the Constitution is adequate to protect the freedom of the Press. Further, due regard has to be given to the recommendations made by the National Commission to Review the Working of the Constitution (NCRWC). They have recommended the inclusion of Freedom of Press-media under Article 19(1) (a).

**(3)- Press Needs To Improve** - The inadequacies of the Indian Press need not be connived at. There is no doubt that private business and those who control it, are treated by most newspapers with kid gloves. This partly is because of the ownership of many newspapers and therefore the philosophy of those who are appointed to senior journalistic positions. It is seen that the editors and journalists cannot have adequate freedom of collecting and disseminating facts and offering comments as they are under the pressure of the capitalist owners. So, the pressure of the capitalist owners should be minimized.

**(4) Positive Assistance To Independent Papers** - At the same time, it is important that steps are taken positively to make it possible for independent papers to survive and

develop. Assistance to them should be provided through general institutions meant to help the growth of independent entrepreneurs, including small ones.

#### **(5) The State, should stop becoming the Main Threat**

- This resistance is necessary because experience all over the world, as well as our own experience since Independence, suggest that the State remains the source of the most potential threat to Press freedom.

**Conclusion** - On analysing the current scenario, latest issues and developments of Freedom of Press, it can be concluded that although the Press is considered the watchdog of democracy, sadly, there is scant regard for this tursim in a country which is, ironically, the world's largest democracy. In keeping with its affirmation that freedom of expression is "one of the essential foundations of democratic society", the Court has clearly shown a preference for freedom of press. In conclusion, it must be reiterated that the freedom of press and information are

fundamental to healthy working of a democracy and therefore, must coexist with the freedom of speech and expression.

#### **References :-**

1. Thomas Jefferson in a letter to Edward Carrington, January 16, 1787
2. Constitution of India, Preamble
3. Fundamental right under the Constitution of India Part III
4. US Constitution, First Amendment, Article 1
5. Brij Bhushan v. State of Delhi, AIR 1950 SC 129; Express Newspapers Ltd. v. Union of India, AIR 1958 SC 578; Sakal Papers v. Union of India, AIR 1962 SC 305; Bennett Coleman & Co. v. Union of India (1972) 2 SSC 788; AIR 1973 SC 106; Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) 1 SCC 248
6. AIR 1950 SC 124
7. AIR 1950 SC 129



# Law relating to patent right, enforcement and misuse- A critical analyses

Lok Narayan Mishra \*

**Introduction** - In India, The Indian Patents Act 1970 was implemented in 1972. It made pharmaceutical product innovations, as well as those for food and agro-chemicals, un-patentable in India. It allowed innovations patented elsewhere freely copied and marketed in India. Further, this Act restricted import of finished – formula, imposed high tariff rates and introduced strict price control regulation. This Act was not beneficial to the big foreign multinational organizations and was not in sync with the global patent system. India being a member of WTO, it had to comply with the requirements under the TRIPS Agreement. The inventor of any invention always seeks for a patent protection for his invention. A patent protection protects his/her invention from unauthorized use and also gives a monopoly to the creator to exploit his invention and derive maximum benefit from it.

A patent protection is granted under the "Patent law in India" and this protection subsists for a period of 20 years. However, not all creations or inventions would warrant a patent protection. The Indian Patent law lays down certain requisites for the filing of an Indian patent. In order to understand these requisites, it is essential to understand as to what amounts to be an invention.

**Inventions under the Indian Patent Law** - Now, S 2(j) of the India Patent Act 1970 defines an invention as follows: 'invention means a new product or process involving an inventive step and capable of industrial application.' Simply put, any product or process will be deemed to be an invention if it is novel, non-obvious, involves an inventive step and has industrial application. An invention should be novel, this means that such invention should not have existed previously. Next, the invention should be non-obvious implies that any person skilled in that field should not have anticipated the invention. Consider the invention of a chair with wheels. Any person skilled in the art of carpentry could have anticipated this. Therefore, such an invention would not be considered fit for protection under the Patent Law in India. Particularly, there should exist an inventive step. This means that the invention should add to the existing body of technology and science. Lastly, it should have industrial application i.e., it should have some commercial value. Therefore, inventions which do not have any industrial application are termed as utility models.

However, utility models are not protected in India. Apart from this, the Patent Law in India also lists out certain inventions which not qualify to be termed as an 'invention' under the Patents Act i.e. they will not qualify for an Indian patent protection. The list is enumerated in Section 3 of the Act.

**Not patentable inventions under the Patent Law in India :**

1. First, an invention which is frivolous or an invention which claims something contrary to the well established natural laws. Example: If someone claims that he has invented a device that can completely nullify the gravitational force of the earth, it would be deemed a frivolous invention and hence not patentable.
2. Secondly, an invention whose use will prove contrary to public order or morality, or will cause serious detriment to human, animal or plant life. Ex: Any form of arms and ammunition like guns etc are not patentable since its primary use is against public morality.
3. The mere discovery of a scientific principle or the formulation of an abstract theory would not amount to an invention.
4. The mere discovery of a new form of substance which does not result in the enhancement of the known efficacy of the substance would not be termed as an invention.
5. A substance obtained by a mere admixture is also not patentable. Example: Mixing of any acid and base results in the formation of a salt and water. Such salt will not be patentable.
6. The mere arrangement or rearrangement of devices each functioning independently of one another in a known way will not be an invention.
7. No invention with respect to atomic energy is patentable. This is owing to national interest and security of the state. In addition to the above list, you may read our blog post about inventions not patentable in India.

**Patents Amendment Act 2005** - This conformity was introduced through the Patents Amendment Act 2005. The main provisions of this Amendment Act are:

1. **Product Patent** - The Act extends product patent protection in all fields of technology, i.e. drugs, food and

chemicals. Earlier only process patent was allowed which limited patent rights. For example, a process patent was awarded to the way a cure for, say cancer, is manufactured and not for the cure. This allowed the other manufacturers to produce the same cure by some other method and hence not violate patent rights of the original manufacturer. But now after the 2005 Amendment, patent is awarded to the way cancer cure is manufactured and to the cure as well.

**2. Compulsory Licensing** - This is a TRIPS compliant provision empowering the governments to check and control the misuse of patents. Inspite of the existence of a patent, the govt can invoke the compulsory license to make available the patented product to the people in case of national emergency for public non-commercial use. The govt can also invoke compulsory licensing if it feels that the public requirements with regard to a patented product have not been met and the product is not available for the public at an affordable price.

**3. Embedded Software** - The Act allows for patenting of embedded software

**4. Other provisions** - The Act allows the patent holder to challenge the license so that he can block general production of his drug. Pre-grant and post-grant opposition clause has been provided. The Act also removes provisions relating to EMRs besides strengthening the provisions relating to national security to guard against patenting abroad of dual use technologies.

**Patent Misuse** - The term "patent misuse" refers to specific types of prohibited behavior engaged in by the owner of the patent rights. Patent misuse is an affirmative defense that recognizes that it is possible for a patent owner to abuse the exclusive right enjoyed as a result of the issuance of a patent. As an affirmative defense, patent misuse cannot be used as a sword, but can only be used by an alleged infringer if and when the patent owner seeks to enforce the exclusive right of the patent in a patent infringement suit. Once a patent infringement suit is initiated, the alleged infringer, in order to successfully rely upon the patent misuse defense, must "show that the patentee has impermissibly broadened the 'physical or temporal scope' of the patent grant with anticompetitive effect." If the alleged infringer can demonstrate that the patent owner did engage in prohibited behavior, the patent will be unenforceable despite the fact that it is valid. In this respect, patent misuse is similar to the doctrine of inequitable conduct, which also works to make an entire patent unenforceable.

The taint placed upon the patent by misuse, however, does not necessarily require the patent be held unenforceable for all time. Patent misuse merely prevents the owner of the patent from recovering for infringement for the duration of the misuse. In this respect, patent misuse is dissimilar to inequitable conduct. To be sure, inequitable conduct may find itself at the foundation of the underlying patent misuse defense, but inequitable conduct is unlike patent misuse in that once it has been determined that there was inequitable conduct during the prosecution of the

patent, the patent is irretrievably unenforceable.

Over the years courts have identified several prohibited practices that constitute per se patent misuse, including: (1) tying agreements, where the patent owner requires in the license agreement that the licensee of the patent also purchase a separable, staple good; and (2) arrangements that allow the patent owner to effectively extend the term of the patent, thereby requiring royalty payments after the patent term has expired. Generally speaking, there are two separate types of prohibited activity that can lead to a finding of patent misuse. First, if a patent owner engages in conduct that violates the antitrust laws, and the antitrust violation is sufficiently related to the patent in question in the infringement action, the patent owner will be unable to seek redress and the patent will be unenforceable as a result of patent misuse. The second type of patent misuse occurs when the patent owner seeks to extend the exclusive rights beyond those guaranteed by the patent grant. This extension of rights theory is sometimes referred to as the "extension of the monopoly" doctrine, and will come into play when the patent owner engages in conduct that impermissibly broadens the physical or temporal scope of the patent rights granted. Calling this form of patent misuse an extension of the monopoly, however, is dangerous because it perpetuates a myth; namely that a patent is a monopoly.. Nowhere in any statute is a patent described as a monopoly. The patent right is but the right to exclude others, the very definition of "property." That the property right represented by a patent, like other property rights, may be used in a scheme violative of antitrust laws creates no "conflict" between laws establishing any of those property rights and the antitrust laws. The antitrust laws, enacted long after the original patent laws, deal with appropriation of what should belong to others. A valid patent gives the public what it did not earlier have. Patents are valid or invalid under the statute.

Inequitable conduct is indeed a lesser offense than common law fraud and will not support antitrust liability. The net result of this is that it is exceedingly difficult to demonstrate patent misuse under a theory that relies upon the knowing and willful enforcement of an otherwise invalid patent. If the alleged infringer is not able to prove Walker Process fraud they may attempt to demonstrate that the infringement suit was a mere sham. In order to demonstrate that the litigation is a mere sham, the alleged infringer will need to show that the lawsuit is objectively baseless in the sense that no reasonable litigant could realistically expect success on the merits. If an objective litigant could possibly conclude that the suit is reasonably calculated to elicit a favorable outcome, the suit cannot be considered a sham. It will likewise be necessary for the alleged infringer to demonstrate that the litigation was brought for no reason other than attempting to directly interfere with the business relationships of a competitor. Given this strict, unforgiving requirement, it is easy to see how difficult, if not impossible, it is to demonstrate sham litigation. Courts, however, have

never required the defendant raising the patent misuse defense to first establish that an antitrust violation has occurred. Such a prerequisite is not envisioned by the defense.

Similarly, the alleged infringer who is seeking to rely upon the defense of misuse does not need to establish standing in the antitrust sense. This is true because the true focus of the misuse inquiry is not personal in nature, but rather revolves around the harm to the public interest created by the enforcement of patents tainted by loathsome conduct. The patent misuse doctrine, as an extension of the equitable doctrine of unclean hands, allows a court of equity to refuse to lend its support to enforce of a patent that has been misused.

Patent misuse arose as an equitable defense available to the accused infringer, from the desire to restrain practices that did not in themselves violate any law, but that drew anticompetitive strength from the patent right, and thus were deemed to be contrary to public policy. This aspect of the patent misuse defense differs significantly from the justifications upon which antitrust laws are founded. Antitrust laws seek to level the playing field by freeing the market from "unfair" competition. In so doing, the antitrust laws work to increase competition, thereby allowing free market economics to rule corporate behavior.

**Conclusion -** I have long advocated for greater use of the patent misuse defense because it seems exceptionally clear to me that some of the bad actors in the patent enforcement market, those who many call patent trolls, engage in extortion-like tactics. They bring a lawsuit seeking to collect tens or hundreds of millions of dollars and rupees , or more, yet they offer licenses to settle the matter on the order of a few thousand. Even those who think they don't infringe will face hundreds of thousands of dollars in legal fees at a minimum, frequently well into the millions of dollars. This leads many, if not most, to simply pay the small license fee.I don't see any other way to characterize this other than as patent misuse.The need to have robust enforcement rights is essential if patents are actually a property right, which of course they are. Attempts to curtail patent rights are, in my humble opinion, wholly unjustified. But those who seek to over enforce rights and bully defendants do real harm to the patent system as a whole and need to be stopped. Thankfully, Judges are people too, and they get offended by what they perceive as bad behavior by litigants. Patent misuse and copyright misuse may become increasingly important tools for warding off what in lay terms is sham litigation.

**References :-**

1. Personal Research



# Priority Sector (Marginalized class) and Position of Banking Advances in Globalized Era

Dr. Shweta Singh \*

**Abstract** - Globalization means different things to different people but a key economic dimension of it is undoubtedly the opening up of economies to international competition, allowing goods, ideas, capital and some people to move more freely between countries. Many countries around the world have embraced these aspects of globalization, because governments have become more convinced that a more dynamic economic performance awaits countries that more closely integrate with the global economy. And yet, because it brings with it more rapid domestic economic change, globalization can be disruptive and can generate losers as well as winners.

**Introduction** - In the present era globalization has gained an enormous importance especially in the last 15 years. Globalization is perhaps the topic of the age. The modern world is seen as the world without geographical boundaries and any kind of barriers. Globalization has been the major force behind this. The process of globalization is an inevitable phenomenon in human history which has been bringing the world closer since the time of early trade and exploration, through the exchange of goods, products, information, jobs, knowledge and culture. Globalization is the process of integration of the whole world into a huge market. It provides several things to several people with removal of all trade barriers among countries. Globalization happens through three channels: trade in goods and services, movement of capital and flow of finance. Globalization in India is generally taken to mean "integrating' the economy of the country with the world economy.

1. Globalization- a smaller world
2. People are closer together
3. A world closer in time and space
4. A world without borders
5. Goods , services and ideas move faster or instantly
6. Driven by technology- transportation, production, agriculture, education
7. Increase sale volume
8. Increase profit margin
9. Capital needs markets- new markets for growing profit
10. Developing countries need to grow, need capital, technology, access to goods and services
11. Investors needs free trade, minimum or no regulation on capital and safeguarding of their investors

**Priority sectors and banks** - Banks were assigned a special role in the economic development of the country besides ensuring the growth of the financial sector. The banking regulator, the RBI, has hence prescribed that a

portion of the bank lending should be for developmental activities which it calls the priority sector. Priority sector comprises:

1. Agriculture
2. Micro, small and medium enterprises
3. Export credit
4. Education
5. Housing
6. Social infrastructure
7. Renewable energy

#### Targets under priority sector :

1. Agriculture: 18%- within the 18% target for agriculture, a target of 8% of ANBC is prescribed for small and marginal farmers.
2. SSI:- 7.5%
3. Export credit: incremental export credit of up to 2% for domestic banks and foreign banks with 20 branches and above.
4. Education: loans to individuals for education purposes including vocational courses up to 10 lacs.

Banking business in India is getting redefined. It is faced with myriad challenges and opportunities especially beyond 2009 when they would be fully exposed to competition. Banks in India are bracing themselves to be ready through adoption of newer technology. Strengthening their capital base to survive in the competitive environment, reducing their NPAs, bringing down operating costs, enhancing corporate governance and alignments, undertaking organizational restructuring and sharpening the customer-centric initiatives. Consolidation of merger and acquisition route to effectively compete with large global banks may not be far off, when viewed against such preparedness and positive signs from regulators. Some of the challenges banks are facing today are as under:

1. Changing needs of customers

2. Coping with regulatory reforms
3. Thinking spread
4. Maintaining high quality assets
5. Management of impaired assets
6. Keeping space with technology up-gradation
7. Sustaining healthy bottom lines and increasing shareholders' value.

#### **Globalization and priority sectors**

1. **Globalization and agriculture** - Current status of Indian agricultural sector
  - a) Share of agriculture in the GDP of the country is only 12.6% in 2013-14
  - b) The productivity chart of India is still low as compared to some of the other developed nations.
  - c) It remains the largest contributor towards disguised unemployment in the country.
  - d) About 75% people are living in rural areas and are still dependent on agriculture
  - e) Agriculture continues to pay a major role in Indian economy
  - f) Agriculture sector is changing the socio-economic environment of the population due to liberalization and globalization.

**Table 1 :**

#### **Growth rate in agriculture & overall GDP (in percentage)**

| Five Year Plan             | Growth Rate in GDP of Agriculture and Allied Activity | Overall GDP Growth Rate |
|----------------------------|---|-------------------------|
| 1 Seventh Plan (1985-1990) | 3.2   | 6                       |
| 2 Annual Plan (1990-92)    | 1.3   | 3.5                     |
| 3 Eight Plan (1992-97)     | 4.7   | 6.7                     |
| 4 Ninth Plan (1997-02)     | 2.1   | 5.5                     |
| 5 Tenth Plan (2002-07)     | 2.3   | 7.6                     |
| 6 Eleventh Plan (2007-12)  | 2.7   | 9                       |

**Source- Economic Survey G.D.I 2007-08 and 2012-13**

#### **Changing face of Indian agriculture in global scenario**

- Knowledge transfer to the agriculture sector with necessary inputs is most important. The country has a widespread telecoms internet networking which could be put to effective use for delivering knowledge and information to the farming community.

The vision 2020 document of the department of agriculture and cooperation envisages that the tools of ICT will provide networking of the agriculture sector; not only in the country but also globally. It brings farmers, researchers, scientists and administrators together to establishing "Agriculture online" through exchange of ideas and information.

1. New farming practices
2. Improved mechanization in agriculture such as drip irrigation
3. Access to markets
4. Productivity gains
5. New opportunities for employment and income

- generation
6. Increased investment in sustainable agriculture & development
7. Lack of bio-diversity due to deforestation
8. Rich goes richer and poor goes poorer.

#### **2. Globalization and education :**

- a) Globalization has also contributed to an increasing interest in English language education world-wide.
  - b) An increasing number of schools have stepped up English language requirements, even at under graduation levels.
  - c) The emergence of new education providers such as multinational companies, corporate, universities and media companies.
3. **Globalization and Indian business :**
- a) India has a consumer base of 1.14 billion people.
  - b) India is the 3rd largest global telecom market.
  - c) India is likely to add over 200 shopping malls in 2010 and 715 malls in 2015.

India is the world's:

1. 2<sup>nd</sup> largest two-wheeler market
2. 4<sup>th</sup> largest commercial vehicle market
3. 11<sup>th</sup> largest passenger car market
4. 7<sup>th</sup> largest automobile market by 2016

**4. Globalization and small scale industries** - Small scale industries occupy a strategic place in Indian economy structure due to its considerable contribution in terms of output, promotion of export, creation of employment and alleviation of poverty. This is a fact that small scale industries have been accepted as the engine of economic growth and equitable development of global level. The small enterprises not only play a crucial role in providing large scale employment opportunities at lower capital costs than large scale industries but also helps in industrialization of rural and backward areas thereby reducing not only regional imbalances but ensuring more equitable distribution of national income.

**Challenges of SSI in globalization** - In the area of globalization when larger corporations supported by international regulations can easily move their resources throughout the world, competition for SSI sector has intensified.

#### **Table 2 & 3 (see in next page)**

Banks have to realize that their business has to drive technology and not vice versa. All technological strategies and plans should be based on the principle that any investment in IT should add business value to the banks and their customers. It is worth noting that many operational risks are emanating from the large scale dependence of technology in banking operations and priority sectors (marginalized class)

1. The impact on customers
2. Innovation and branding the product
3. Growth prospects under retail finance
4. Low profitability
5. High NPAs

6. Quantitative targets
7. Government interferences
8. Transaction costs
9. Unable to fulfill the requirement of priority sector according to the technology up-gradation

#### **Objectives of the study :-**

1. To study the trends of priority sector lending by public banks
2. To compare the target achieved by the public banks in globalised era
3. To study the issues and prepare strategies to develop the priority sector.

**Research methodology** - The secondary data collected from RBI trends, reports and annual report has been considered for the purpose of this study. Growth rate analysis has been used to assess the growth of the lending during globalization.

**Conclusions and findings** - Hence it can be concluded that the percentage share of the priority sector advances in public sector banks advances decline from 2006 to 2017. The public sector banks in India were not able to achieve the national target for priority sector (40% of NBC/ANBC). The public sector banks were not able to fulfill the requirement of priority sector according to technology up-gradation in globalised era.

It may be reemphasized that the priority sector need special attention and treatment because most of the prospective beneficiaries under the priority sector have no resource. In a nutshell, shrinking share of real priority sector, neglect of agriculture, neglect of small scale industries and weaker sections are some serious issues which need immediate attention of policy makers.

1. It is clear that the liberal policies adopted by the Indian government have played a dominant role in development of agriculture in India.

2. But the main problem is that the basic issues of rural poverty, corruption, still remain, and are, in fact, getting worse in some aspects.
3. In the long run, globalization is going to play a key role in development and advancement in the field of agriculture resulting in all the fields directly or indirectly getting the benefit from it.
4. India is getting a global recognition and slowly moving towards to become a major economic and political strength.
5. In the long run, with the improvement in educational level and electricity in the rural area, the commercial banks can leverage their technological advantages to good use.
6. A good strategy for the banks will be appointment of a team of local people to provide door-to-door services.
7. The rules laid down to offer loans to the poor people should be simpler and easier to comprehend unlike the current processes.
8. Differential interest rate on education loan can be provided to the different section of the society to promote educational level.
9. Improvement in PSL will instill confidence among the weaker section as they will get loans at a cheaper rate.

#### **References :-**

1. Report on trend & progress of India banking RBI Mumbai 2006-07 & 2012-13
2. Economic Survey- Government of India
3. R.K.Uppal " Priority Sector Advances: Trends, Issues and Strategies."
4. www.rbi.co.in
5. Pandey I.M.Financial Management
6. Shahjahan, K.M. Priority Sector Lending: Trends
7. Shilpi Pant. "Priority Sector Bank Lending: Trends, Issue and Strategies" A research Journal.

**Table 2 : Priority sector lending by public sector banks**

|                          | 2006: Amount | 2006: Percentage | 2007: Amount | 2007: Percentage |
|--------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| Priority sector advances | 4,09,748     | 40.3             | 5,21,180     | 39.6             |
| Agriculture              | 1,55,220     | 15.3             | 2,05,091     | 15.6             |
| SSI                      | 82,434       | 8.1              | 1,04,703     | 8.0              |
| Other PS                 | 1,63,756     | 6.1              | 2,01,023     | 15.3             |

**Source:** Report on trend and progress of India banking RBI Mumbai 2006-07

**Table 3 : Priority sector lending by Public Sector banks**

|                          | 2006 | 2007 | 2012 | 2013 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Priority sector advances | 40.3 | 39.6 | 37.2 | 36.3 | 39.0 | 39.5 |
| Agriculture              | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 15.0 | -    | 18.3 |
| SSI                      | 8.1  | 8.1  | 9.5  | 9.8  | -    | 9.8  |
| Other PS                 | 16.1 | 15.3 | 13.1 | 13.5 | -    | 11.4 |

**Source:** Report and Trend and Progress of India Banking RBI Mumbai 2012-13

## नये प्रकाश की खोज

**डॉ. बुद्धरतन राजौरिया \***

**प्रस्तावना** – जब सिद्धार्थ गौतम ने शाक्य और कोलियो के रोहिणी नदी के पानी को लेकर युद्ध होना तय हुआ था लेकिन गौतम इस युद्ध से सहमत नहीं थे। सिद्धार्थ गौतम इसका हल वार्तालाप या सन्धि ढारा हल करना चाहते थे, लेकिन शाक्य संघ यह नहीं चाहता था। इसी कारण सिद्धार्थ गौतम को युद्ध के लिये तैयार रहना है या फिर अपना राजपाठ छोड़कर ग्रहत्याग करना होगा लेकिन सिद्धार्थ गौतम युद्ध नहीं चाहते थे इस लिये उन्होंने ग्रहत्याग का फैसला लिया। गौतम के ग्रहत्याग के बाद शाक्यों में बड़े आनंदोलन हुआ था कि युद्ध होना ठीक नहीं है और यह जुलूस निकले की शाक्य एवं कोलियो भाई-भाई है इस कारण युद्ध स्थगित हो गया और सन्धि वार्ता के ढारा समर्स्या हल हो गई।

**नये प्रकाश की खोज** – सिद्धार्थ गौतम जब अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से आलार ओर कालाम से भेट करने के लिये राजग्रह छोड़ दिया था, मार्ग में उसने भृगु शृष्टि का आश्रम देखा और यूँ ही जरा देखने के लिये उसमें प्रवेश किया आश्रम के ब्राह्मण निवासी जंगल से लकड़ी चुन कर लाये थे, उनके हाथ में तपस्या की अत्यावश्यक वस्तुये, समिधा, पुष्प तथा कुश से भरे हुये थे। वे वुद्धिमान अपनी-अपनी कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम की ओर मुड़े ओर आश्रम वासियों ढारा समूचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के बड़े-बूढ़ों के प्रति आदर प्रदर्शित किया था। जब सिद्धार्थ ने उन स्वर्ग कामी तपस्त्रियों की विचित्र-विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुये उस आश्रम को देखा गौतम ने उस पवित्र वन उन तपस्त्रियों को वेर्सी नाना प्रकार की तपस्याएँ करते हुये प्रथम बार देखा था। तपस्याओं के रहस्य के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार की तपस्याएँ समझायी और प्रत्येक तपस्या का फल भी बताया पानी से उत्पन्न निरग्नि-भोजन मूल और फल यही धर्मशालाओं के अनुसार तपस्त्रियों का भोजन है लेकिन तपस्या के भिन्न-भिन्न नाना रूप हैं कुछ पक्षियों की भाँति दाने चुग कर गुजारा करते हैं दूसरे हिरण्यों की भाँति घास चुगते हैं और तीसरे साँपों की भाँति वायु पंक्षी होते हैं मानों वे दीमक की बाढ़ी ही बन गये हैं। दूसरे बड़ी कठिनाई से पत्थरों से अपने शरीर के लिये पोषण प्राप्त करते हैं दूसरे अपने ढाँतों से ही पीस कर अज्ञ खाते हैं और तीसरे दूसरों के लिये उबालते हैं और उनके लिये भाव्यवश जो कुछ थोड़ा बच रहे उसी पर गुजारा करते हैं।

कुछ दूसरे निरन्तर पानी में भीगी जटाओं से ढो बार अग्नि देवता को अर्द्ध अर्पण करते हैं कुछ दूसरे मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं उनके बढ़नों को कछुए नोचते रहते हैं कुछ समय तक इस प्रकार की तपस्या के कष्ट सहने से मर्त्य लोक वे अन्त में सुख लाभ करते हैं कहा गया है कि कष्ट सहन ही पूर्ण का मूल है।

यह सब सुना तो गौतम ने उत्तर दिया 'किसी भी ऐसे आश्रम को देखने

का यह मेरा पहला अवसर है मेरी समझ में तुम्हारा यह तपस्या क्रम नहीं आता है' अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ आप कि यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिये है किन्तु मेरी इच्छा भी यही है कि संसार में दुख का मूलकारण का और उसके द्वारा करने का उपाय खोज निकाला जाये क्या मैं आप से विदा ले सकता हूँ मैं साख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और योग्य विधिका भी अध्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या यह दोनों पद्धतियों मेरी समस्या के हल में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं।

जब मैं सोचता हूँ कि आप लोगों से जो ऐसी निष्ठा से अपने पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। जिन्होंने मेरे प्रति इतने सोहङ्क्रि का परिचय दिया है विदा लेनी होगी तो मुझे बड़ा दुख होता है। वैसे ही दुख जैसा मुझे अपने सम्बन्धियों को छोड़ते समय हुआ था जो इस वन से विदा ले रहा हूँ यह कोई आपकी कृति के प्रति विवृत्या के कारण नहीं क्योंकि आप तो अपने पूर्वज श्रष्टियों के पथ पर चलने वाले महान् श्रष्टि गण हैं।

मैं मुनि आलार-कालाम के पास जाना चाहता हूँ जो सुविज्ञ माना जाता है उसका यह संकल्प देखकर आश्रम पति भृगु ने कहा राजकुमार तुम्हारा संकल्प महान है तुमने तरुण होने के बावजूद स्वर्ग सुख के ओर मोक्ष लाभ के बारे में गम्भीरता से विचार कर लिया और तुम स्वर्ग सुख के स्थान पर मोक्ष लाभ करना चाहते हो तुम निसन्देह वीर हो। यदि तुम जैसा कहते हो यही तुम्हारी दृष्टियां हो तो शीघ्र विन्द्याप्रदेश को जाओ। वही पर आलार-कालाम रहता है जो निरपेक्ष सुख के रहस्य का ज्ञाता है।

उससे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे लेकिन जहाँ तक मैं देख सकता हूँ तुम वहा भी न रखोगे तुम उसके सिद्धान्त की भी जानकारी प्राप्त कर और आगे बढ़ जाओगे गौतम ने उसका धन्यवाद किया और श्रष्टि मण्डली के प्रति आदर प्रदार्शित कर वहाँ से विदा हुआ वे ऋषिगण भी उसके प्रति यथायोग्य सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के निमित्त वन में जा दाखिल हुए।

**नये प्रकाश के लिये नियमित ध्यान – साधना** – सिद्धार्थ गौतम अपने आप को उस भोजन से तरो-ताजा करने गौतम अपने पूर्व अनुभवों पर विचार किया था तथा उसको यह स्पष्ट हो गया था कि अभी तक के अपनाये गये सभी मार्ग विफल रहे हैं। विफलता इतनी अधिक थी कि यह किसी को भी सम्पूर्ण रूप से निराश कर सकती है, खेद तो उसे भी था। किन्तु निराशा उसे छू तक न गई थी। उसे विश्वास था उसे रास्ता मिल कर रहेगा इतना अधिक कि जिस दिन उसने सुजाता की ढी हुई खीर ग्रहण की उसने पाँच रुप्तन देखे। उसने अपने रुप्तनों की यही व्याख्या की कि उसे बोधि प्राप्त होकर रहेगी।

उसने अपना भविष्य देखने की भी कोशिश की जिस स्वर्ग पात्र में सुजाता की दासी उसके लिये खीर लाई थी उसने उस स्वर्ग पात्र को नेरंजरा

\* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) जी.एल.एस. कॉलेज बानमोर, मुरैना (म.प्र.) भारत

नदी में फेंक दिया और कहा 'यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो यह पाप्रधारा के ऊपर की ओर जाये अन्यथा नीचे की ओर' पाप्र सचमुच धारा के विरुद्ध ऊपर की ओर जाने लगा और तब काल नाम के राजा के भवन के राजा के भवन के पास जाकर पानी में फूँक गया। आशा और टड़ संकल्प से सत्रद्ध होकर उसने उरुवेला छोड़ दिया और राज-पथ पर आगे बढ़ गया था वह गया जा पहुंचा वहां उसने एक पीपल का वृक्ष देखा नये प्रकाश की आशा में जिससे वह अपनी समस्या का हल निकाल सके, उसने उस वृक्ष के नीचे ध्यान लगा कर बैठने की ठानी। अन्य सभी दिशाओं का विचार कर के उसने पूर्व दिशा का चुनाव किया कलेशों (चित्तमलो) के क्षय के निमित्त श्रियों ने प्रायः पूर्व दिशा को ही चुना है।

गौतम उस पीपल के वृक्ष के नीचे सीधा पद्धमासन लगाकर बैठे थे बोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करते हुये उसने निश्चय किया 'चाहे मेरी त्वचा नसे और हड्डिया ही बाकी रह जाये चाहे मेरा सारा माँस और रक्त शरीर में सूख जाये किन्तु बिना बोधि प्राप्त किये मैं इस ध्यान का परित्याग नहीं करूँगा। नाग-पति के समान तेजस्वी काल नाम का नाग राज और उसकी स्वर्ण प्रभा नाम की पत्नि पीपल के वृक्ष के नीचे आसनस्थ गौतम के दर्शन से जाग्रत हो गये थे। इस विश्वास के साथ कि वह निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा उन्होंने इस प्रकार स्तुति की है मुनि क्योंकि तुम्हारे पाव के नीचे ढबी पृथक्षी बार - बार गुजायमान होती है और क्योंकि तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो इसलिये तुम निश्चय से बुद्ध होगे।

क्योंकि आकाश में विचरने वाले पक्षी भी तुम्हे नमस्कार कर रहे हैं। क्योंकि आकाश में मन्द - मन्द मलयानिल वह रहा है। इसलिये भी है कमलाक्ष तुम निश्चय से बुद्ध होगे जब वह ध्यान करने के लिये दृढ़ आसन लगाकर बैठा तो बुरे - विचारों और बुरी - चेतनाओं के झुण्ड के झुण्डों ने जिन्हे पौराणिक भाषा में बार - बार पुत्र कहा गया है उस पर आक्रमण किया।

गौतम को डर लगा कि कहीं ये उस पर काबू न पा जाये और उसकी साधना न विफल कर दे वह जानता था कि इस भार-युद्ध में बहुत से ऋषि-ब्राह्मण पराजित हो चुके हैं इसलिये उसने अपना सारा-साहस बटोर कर भार से कहा मुझमें श्रद्धा है मुझमें वीर्य है मुझमें प्रज्ञा है। चाहे वायु इस नदी के ऋतों को सुखाने में भी सफल हो जाय किन्तु तू मुझे मेरे निश्चय से नहीं डिगा सकता है पराजित होकर जीते रहने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिये अधिक श्रेयकर है। उस कौए की भाँति जो बहुत-सी चर्बी प्राप्त करने की आशा से किसी पत्थर पर जाकर ठोंगे मारता है कि यहाँ से कुछ मधुर-मधुर मेरे हाथ में लगेगा मार ने भी गौतम पर आक्रमण किया था जब कौए को कहीं भी कुछ प्राप्त नहीं होता तो वह वहाँ से चल देता है ठीक उसी प्रकार कौए की तरह जब मार को भी कहीं कुछ गुंजाई श न दिखाइ दी तो वह निराश होकर गौतम को छोड़ कर चल दिया।

ध्यान करने के समय के लिये गौतम ने इतना भोजन एकत्रित करके अपने पास रख लिया था कि चालीस दिन तक कमी न पड़े विघ्नकारी अकुशल विचारों का मूलोच्छेद कर सिद्धार्थ गौतम ने अब भोजन ग्रहण करके अपने आप को तरीताजा कर की अपनी तैयारी कर ली थी ज्ञान प्राप्ति के लिये गौतम को चार सप्ताह तक लगातार ध्यान मब्न रहना पड़ा था उसे अनित्य अवस्था तक पहुँचने के लिये चार सीढ़ियाँ पार करनी पड़ी।

पहली अवस्था वितर्क और विचार प्रधान थी एकान्त-वास के कारण वह इसे बड़ी सरलता से प्राप्त कर सका। दूसरी अवस्था में इसमें एकाग्रता आ शामिल हुई तीसरी अवस्था में समचित्ता तथा जागरूकता का समावेश हो गया चौथी और अनित्य अवस्था में और जागरूकता का जब उसका चित्त

एकाग्र हो गया था जब वह पवित्र हो गया था जब वह निर्दोश बन गया था जब उसमें तनिक भी कलुश नहीं रह गया था जब वह सुकोमल हो गया था जब वह दृक्ष्य हो गया था तथा जब उसकी नजर एक मात्र उपने उद्देश्य पर थी तब गौतम ने अपना सारा ध्यान उस एक समस्या के हल करने में लगाया जो हेरान कर रही थी। चौथी सप्ताह के अनित्य दिन उसका पथ कुछ प्रकाशित हुआ उसे स्पष्ट दिखाई दिया कि उसके सामने दो समस्यायें हैं। पहली समस्या यही थी कि संसार में दुख है और दूसरी समस्या यही थी कि किस प्रकार इस दुख का अन्त किया जाये और मानव जाति को सुखी बनाया जाये इस तरह चार सप्ताह तक लगातार चिन्तन करते के बाद अन्धकार विलीन हुआ प्रकाश प्रकट हुआ अविद्या का नाषा हुआ ज्ञान अस्तित्व में आया उसे एक नया पथ दिखाई दिया था।

जिस समय गौतम ध्यान लगाकर बैठा उस समय उस पर सांख्य दर्शन का बड़ा प्रभाव था संसार में कष्ट और दुख है यह तो एक ऐसा यथार्थ सत्य है जिससे इनकार नहीं किया जा दुख को दूर कैसे किया जाये। सांख्य दर्शन के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। इसलिये उसने अपना सारा ध्यान इसी प्रश्न के हल करने पर लगाया था कि संसार के कष्ट और दुख को कैसे दूर किया जाये। स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न जो उसने अपने आप से पूछा वह यही था कि वे कौन-से कारण हैं वे कौन से हेतु हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति कष्ट उठाता है और दूसरा व्यक्ति सुख भोगता है उसका दूसरा प्रश्न था दुख का नाश कैसे किया जाये इन दोनों प्रश्नों का उत्तर गौतम को सही-सही उत्तर मिल गया यही सम्यक कहलाता है इसी कारण पीपल का वह वृक्ष भी जिसके नीचे बैठ कर सिद्धार्थ गौतम ज्ञान प्राप्त किया था बोधि वृक्ष कहलाता है।

**सम्यक सम्बोधि प्राप्त करके बोधिसत्त्व गौतम सम्यक-सम्बुद्ध हो जाये** - ज्ञान प्राप्ति के पूर्व गौतम एक बोधिसत्त्व थे ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध बने बोधिसत्त्व कौन और क्या है जो प्राणी बुद्ध बनने के लिये प्रयत्नशील रहता है उसे बोधिसत्त्व कहते हैं एक बोधिसत्त्व बुद्ध कैसे बनता है बोधिसत्त्व की लगातार दस जन्मों तक बोधिसत्त्व रहना पड़ता है बुद्ध बनने के लिये एक बोधिसत्त्व करना होता है, एक जन्म में वह मुदिता प्राप्त करता है जैसे सुनार सोना चाँदी के मेल को दूर करता है उसी प्रकार एक बोधिसत्त्व अपने चित के मेल को दूर करके इस बात को स्पष्ट रूप से देखता है कि जो आदमी चाहे पहले प्रमाणी रहा हो लेकिन यदि वह प्रमाण का त्याग कर देता है, तो वह बादल मुक्त चन्द्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है जब उसे इस बात का बौध होता है तो उसके मन में मुदिता उत्पन्न होती है और उसके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की उत्कर इच्छा उत्पन्न होती है।

अपने दूसरे जन्म में वह विमला भूमि को प्राप्त होता है। इस समय बोधिसत्त्व काम चेतना से सर्वथा मुक्त हुआ रहता है वह कारुणिक होता है सब के प्रति कारुणिक न वह किसी के अवगुणको वढावा देता है और न किसी के गुण को घटाता है।

अपने तीसरे जीवन में वह प्रभावकारी भूमि प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्त्व की प्रज्ञा दर्शन के समान स्वच्छ हो जाती है वह अनात्म और अनित्यता के सिद्धान्त को पूरी तरह से समझ लेता है और हृदयम कर लेता है उसकी एक मात्र आकांक्षा ऊँची से ऊँची प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है और उसके लिये वह बड़े से बड़े त्याग करने के लिये तैयार रहता है।

अपने चौथे जीवन में वह अचिंशमती भूमि को प्राप्त करता है इस जन्म में बोधिसत्त्व अपना सारा ध्यान अर्षांगिक मार्ग पर केन्द्रित करता है चार

संस्कृक व्यायामों पर केन्द्रित करता है चार प्रयत्नों पर केन्द्रित करता है तथा चार प्रकार के श्रद्धा-बल पर केन्द्रित करता है और पाँच प्रकार की शील पर केन्द्रित करता है।

पाँचवे जीवन में वह सुदुर्जया भूमि का प्राप्त करता है। वह सापेक्ष तथा निरपेक्ष के बीच के सम्बन्ध को अच्छी तरह हृदयगम कर लेता है।

अपने छठे जीवन में वह अभिमुखी भूमि प्राप्त करता है इस अवस्था में चीजों के विकास उनके कारण बारह निदानों को हृदयगम करने की बोधिसत्त्व को पूरी तैयारी हो चुकी है और यह अभिमुखी नामक विद्या उसके मन में सभी अविद्या ग्रस्त प्राणियों के लिये असीम करुणा का संचार कर देती है।

अपने सातवें जीवन में बोधिसत्त्व द्वारगमा भूमि को प्राप्त करता है अब बोधिसत्त्व देश काल के बन्धनों से परे है वह अनन्त के साथ एक हो गया है किन्तु अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने के कारण देह-धारी है वह दूसरों से इसी बात में पृथक है कि अब उसे भव-तृष्णा उसकी प्रकार स्पर्श करती जैसे पानी किरी कँवल को। वह तृष्णा मुक्त होता है वह दान शीलता होता है वह क्षमाशील होता है वह कुशल होता है। वह वीर्यमान होता है वह शान्त होता है वह बुद्धिमान होता है तथा वह प्रज्ञावान होता है।

अपने इस जीवन में वह धर्म का जानकार होता है लेकिन लोगों के सामने वह उसे इस ढंग से रखता है कि उनकी समझ में आ जाये वह जानता है कि उसे कुशल व क्षमाशील होना चाहिये। दूसरे आदमी उसके साथ कुछ भी व्यवहार करे वह उद्धिष्ठता रहित होकर उसे सह लेता है क्योंकि वह

जानता है कि अज्ञान के कारण ही वह उसके मंशा को ठीक-ठीक नहीं समझ पा रहे हैं। इसके साथ-साथ वह दूसरों का भला करने के अपने प्रयास में तनिक भी शिथिलता नहीं आने देता और न वह अपने चित्त को प्रज्ञा से इधर उधर भटकने देता है। इसलिये उस पर कितनी भी विपत्तिया आये वे उसे सुपथ से कभी नहीं हटा सकती है।

अपने आठवें जीवन में वह अचल हो जाता है अंचल अवस्था में बोधिसत्त्व कोई प्रयास नहीं करता। वह कृत्य कृत्य हो जाता है उससे जो भी कुशल कर्म होते हैं वे सब अनायस होते हैं जो कुछ भी वह करता है उसमें सफल होता है। अपने नौवें जीवन में वह साधुमती भूमि को प्राप्त हो जाता है जिसने तमाम धर्मों को या पद्धतियों जीत लिया है अथवा उनके भीतर प्रवेश पा लिया है सब दिशाओं को जीत लिया है समय की सीमाओं को लांघ गया है वही साधुमती अवस्था प्राप्त कहलाता है।

अपने दसवें जीवन में बोधिसत्त्व धर्म-मेधा वन जाता है उसे बुद्ध की दिव्य-दृष्टि प्राप्त हो जाती है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भगवान बुद्ध और उनका धर्म डॉ. भीमराव अम्बेडकर
2. बुद्ध विश्वविजय : भिक्षु निर्गुणानंद
3. बोधि दीर्घ सूत्र : भिक्षु निर्गुणानंद
4. बुद्ध चरित्र : अश्वथोषकृत
5. भगवान बुद्ध : भिक्षु ज्ञान दीप

\*\*\*\*\*

## जलती हुई अंगारों में चलने का पर्व : मण्डा

### रामजय नाईक \*

**शोध सारांश -** शिव की महीमा अपरंपार है। शिव की भक्ति में षक्ति है। शिव आज हमारे सबके दिलों में रोम - रोम में बसे हुए हैं। इन्हीं की उपासना, आराधना एवं श्रद्धा को लेकर हम जेष्ठ महिने में मण्डा पर्व बड़ी ही उमंग के साथ मनाते हैं। यह महीना में गरमी की चिलचिलाती धूप और गरमी की तेज हवा जो मनुष्य के मन को उदास कर देती है। प्रकृति के चारों ओर सज्जाटा - ही - सज्जाटा दिखाई पड़ती है। सभी पशु - पक्षियाँ पानी और छाया की तालाश में कोशे दूर चले जाते हैं, बाकि जो मनुष्य अपने घरों में रहते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो शिव के भक्त बनकर दिनभर गरमाहट जमीन में वे नंगे पाँव धूमते और नृत्य करते हैं। बल्कि वे अपने नंगे पाँव से जलती हुई आग की अंगारों में चलते हैं। इस आस्था में रुकी - पुरुष, छोटे बच्चे सभी की श्रूमिका होती है। श्रियाँ जिसे सोकताइन कहते हैं, वे इस आस्था में भाग लेती हैं और नंगे पाँव अंगारों पर चलती है। यह पर्व में विभिन्न समुदाय, जाति - धर्म के लोग बढ़ - चढ़कर के भाग लेती हैं। हाँ यह बात सही है कि इस पर्व में कोई पशु या पक्षी की बली नहीं ढी जाती है। इस पर्व की पूजा को पूर्ण रूप बनाने के लिए वाय यंत्र, जो शुरू से लेकर अन्त तक पूरे गाँव - घर में भक्तिमय कर देता है। संजय कृष्ण के मतानुसार - 'आग पर चलने का पर्व दुनिया की कई आदिम संस्कृतियों में है। आस्था का एक ऐसा ही रंग, अंगारों के संग, पूरे छोटानागपुर में देखने को मिलता है, मंडा पर्व के रूप में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होकर यह पर्व ज्येष्ठ मास तक मनाया जाता है। यह त्योहार आग पर चलकर उपासना व साधना की सत्यता प्रमाणित करने के लिए आदिवासियों और सदानों द्वारा सम्मिलित रूप से मनाया जाता है। अलग - अलग गाँवों में यह त्योहार, अलग - अलग दिन मनाया जाता है। शिव की इस उपासना में आदिवासी - सदान का भेद मिट जाता है।

**मुख्य शब्द -** मंडा पर्व, भगतिया, 'फूलखुंडी', सोखताइन, धूँवासी आदि

**शोध प्रविधि :-** इस शोध पत्र विषय 'जलती हुई अंगारों में चलने का पर्व : मण्डा' में द्वितीय एवं प्राथमिक तथ्यों के आधार पर शोध पत्र का निर्माण किया गया है। इसके साथ-साथ पत्र-पत्रिकाओं के तथ्यों को सन्दर्भित करने का प्रयास किया गया है।

**उद्देश्य :-**

- आदिवासियों में मंडा पर्व का अध्ययन करना।
- मंडा पर्व के परम्पराओं का अध्ययन करना।
- मंडा प्रथा में की जाने वाली तर्पण विधि का अध्ययन करना।
- मंडा पर्व में मानवीय मूल्यों का अध्ययन करना।

मजेदार बात यह है कि आदिवासियों का कोई भी त्योहार बलि और इलि (चावल से बनी शराब) के बिना पूरा नहीं होता, परंतु मंडा पर्व ही इनका ऐसा पर्व है जिसमें किसी प्रकार की बलि नहीं चढ़ाई जाती, इलि का तर्पण नहीं किया जाता, बल्कि पूर्णरूपेण सात्विक रूप से मनाया जाता है। इस त्योहार में मुख्य उपासक जिन्हें भगता या भगतिया कहा जाता है, के नेतृत्व में अन्य सह उपासक धधकती आग पर नंगे पैर चलते हैं, वह भी गरमी के दिनों में। जिस रात को यह त्योहार मनाते हैं, उस रात को 'जागरण' और आग पर चलने की क्रिया को 'फूलखुंडी' कहते हैं।

**समस्या :-** यह पर्व को विशेष रूप देने के लिए बड़े स्थान चुने जाते हैं। साथ ही एक देवी मण्डप जिसे 'पतरखुटी' के नाम से भी जाना जाता है बनाया जाता है, जहाँ पर भगवानों का वास होती है। उस जगह में एक छोटा सा गढ़दा खोदा जाता है, जहाँ हमेशा पानी भरा रहता है। नाला के जैसा ही 10 - 12 फीट की लम्बाई और 4 - 5 फीट का चौड़ाई एक गद्दा खोदा जाता है, जहाँ पर भक्तों को चलने के लिए आग जलाया जाता है। डॉ. गिरिधारी राम गौद्यू के मतानुसार - 'मण्डा पर्व की शुरूआत चैत से हो जाती है जो बैसाख

और जेठ तक चलता है। इसमें मुख्य रूप से महादेव की आराधना की जाती है। यह पर्व लगभग झारखण्ड के अनेक इलाके में अलग - अलग अन्तराल पर और प्रायः एक जैसा मनाया जाता है।'

महीने की तय तिथि से जैसे अक्षय तृतीया को यह पूजा करने का नियम है। उसके शुरू में ही पूरे गांव में धूम - धूम कर 'डगर' बजाया जाता है अर्थात ढोल नगाड़ा बजाकर लोगों को सूचित किया जाता है कि गांव में मण्डा पूजा की तैयारी शुरू हो गयी है। उसी दिन गांव के पूजास्थल जहाँ महादेव मण्डा हो वहाँ शिवलिंग के उपर मिट्टी का कलश नीचे छोटा छेद कर के टांग दिया जाता है, जिससे बून्द - बून्द कर जल पूरे महीने शिवलिंग पर गिरता रहता है। अरगोड़ा के मण्डा पूजा के अनुसार बैसाख पूर्णिमा के आठ दिन पहले पूजा की शुरूआत होती है। जिसमें सभी अपनी इच्छानुसार आठ दिन, सात दिन, पांच दिन या तीन दिनों के लिए भोक्ता बनकर पूजा अर्चना करते हैं। जो मुख्य भोक्ता होता है उसे 'पटभक्ता' कहते हैं। वह एक ही होता है जो झूलन के दिन प्रात काल से जब तक अंतिम भोक्ता झूलकर पूजा समाप्त नहीं कर लेता है तब तक लकड़ी के पटरे में ठोके गये कांटी के बिस्तर के उपर सोता है। जो अन्य भोक्ता होते हैं उनके साथ एक सोखताइन होती है जो मां, पत्नी, बहन या बेटी होती है। जो भोक्ता की पूजा समाप्ति तक सेवा करती रहती है। पटभक्ता के साथ भी मुख्य सोखताइन होती है। (सोखताइन - जो भोक्ता के कश्ट को सोखती रहती है)

**समाधान - क्या है विधि - विधान -** कोई भी कार्य हो उसे करने के लिए हमें सबसे पहले सावधानी अपनानी पड़ती है। साथ ही उस कार्य को लेकर पहले से पूरी तैयारियाँ की जाती हैं। इसमें कृषि संबंधी कार्य हो, मेला या कोई अन्य धार्मिक पूजा - पाठ हो। इसी प्रकार मण्डा पर्व को भी शुरू करने से पहले उसके विधि - विधान, उपयोग होने वाले वस्तु, अन्य प्रकार के

\*सहायक प्राध्यापक (नागपुरी) जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, कार्तिक उर्द्धव महाविद्यालय, गुमला (झारखण्ड) भारत

जखरत सामग्रीयों की गहन व्यवस्था करनी पड़ती है। सबसे पहले गाँव के प्रत्येक मंदिर में पानी चढ़ाते हैं और उनको न्योता देते हैं। साथ ही गाँव को जगाने का प्रयास किया जाता है, जिसे 'डागर देना' कहते हैं। डागर की आवाज सुनते ही कुछ भक्त शिव की उपासना में लिन होकर मंदिर की ओर खिंची चली आती है। 8 - 10 वर्ष के बालक से लेकर बूढ़े तक भगता होते हैं। यही नहीं गैर आदिवासी भी बन सकता है। ऐसी मान्यता है कि जिस पर शिव के गण की अंश मात्र छाया आ जाय वह भगता के लिए उपयुक्त होता है। ऐसा होने पर वह व्यक्ति अपना सिर धूनने लगत है और धरती पर लेटता हुआ मंदिर के निकट पहुँचता है। मंदिर में पहुँचने के बाद ही वह व्यक्ति शांत होता है। गाँव में परंपरागत रूप से भी भगता और सहायक भगता होते हैं। भगता मुख्य रूप से कहीं पाँच, कहीं सात और कहीं नौ दिन के लिए पद्धस्थापित होते हैं। पद्धस्थापन से पूर्व इनका मुंडन कराया जाता है। तब विधिवत पूजा प्रारंभ होती है। पूजा के प्रारंभ दिन से अंतिम दिन तक ये उपवास में रहते हैं तथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। प्रतिदिन प्रातः काल जलाषय में जाकर स्नान करते हैं। और तब पूजा पाठ में जुट जाते हैं। मुख्य भगता पूजा पाठ करने के बाद एक - एक गाँव वाले के घर जाकर पूजा करते हैं। उस समय अन्य भगता साड़ी पहनकर सज सँवरकर डगर भरते हैं। 'उमेडणा गाँव' के अनुसार कहा जाता है कि फूलखुँझी के एक दिन पहले भगता दिन भर उपवास रख कर रात्री में बिना शोर- गुल्ले के साथ में भोजन करते हैं। खाने के समय किसी भी प्रकार की अवाज शोर सुनाई देने पर खाना भोजन को छोड़ दिया जाता है। अगर जबरण में खाना, खाने पर दोसरा समझा जाता है। यह नियम फुलखुँझी के दिन में दिनभर उपवास रखते हैं। शाम में भक्तों द्वारा सभी का मिलन होता है जिस कार्यक्रम को 'लोटन सेवा' के नाम से जाना जाता है। इसमें पूरे भगतिया और सोकताइन दल - बल के साथ में तालाब में 5 बार स्नान करते हैं। उसके बाद धूँवासी होती है। धूँवासी में सभी केवल भगतिया लड़के धूप - धूबन के जलते हुए धूएँ में जाते हैं। बाद में सभी मिलाकर 7 बार वे सभी तलाब में स्नान करने के बाद जलती हुई आग के अंगारों पर चलती है। शिव की आराधना में वे जलती नहीं हैं। उसी

रात में भक्तों के जागरन के लिए कोई नागपुरी कार्यक्रम रखा जाता है जिसका बड़े आनन्द के साथ मजे लेते हैं।

इस प्रकार फुलखुँझी के दुसरे दिन में सभी भक्तों द्वारा मेला का आयोजन किया जाता है। मेले में सभी भगतिया (लड़के) साड़ी, धोती, पैर में घुघुर पहनकर नृत्य किया करते हैं। नृत्य को सुन्दर रूप देने के लिए वाय यंत्र जिसमें ढाँक, नगाड़ा, शहनाई जिसकी सुन्दरमय आवाज को देने के लिए नाईक (धाँसी) जाति के भाइयों द्वारा पूजा को शुरू से लेकर अन्त तक भक्तिमय बनाते हैं।

वे अपने सहायता के लिए गीत भी गाते हैं। गीत में वे भगवान से गुनगान करते हैं, कहते हैं -

**बोले शिवा मली महे**

**काँषी विश्वनाथ**

**ऐसा जगरब्बाथ**

**जय गवाधर**

**आगे बेनी माधव**

**बोले पार्वती -महादेव की जय।**

**निष्कर्षतः:** हे ईश्वर के ईश्वर, हमें इस चिलचिलाती धूप में रहने के लिए रक्षा प्रदान करना। गाँव - घर के लोगों को खुशी प्रदान करना। वर्षा अधिक करना जिसे पी - पीकर पूरे प्रकृति के जन - मानस अपने प्र्यास को बुझा सके। इतना ही नहीं वे हर कार्य को अच्छी तरीके से करता जाय और अपने जीवन को सुखमय बनाने का हरदम प्रयास करें। दुःख - मुसिबतों में सहारा बन कर रहें। आने वाले समय के लिए हमें शक्ति प्रदान करें।

### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. **संजय कृष्ण** (झारखण्ड के पर्व-त्योहार, मेले और पर्यटन स्थल, पृष्ठ 195 से)
2. **डॉ. गिरिधारी राम गाँझू** (झारखण्ड के पारंपरिक कलाएँ से) उच्छृत हैं।



## विकलांग बच्चों में शिक्षण तकनीकी का विकास

सरदार कुमार चौधरी \* डॉ. हीरालाल चौधरी \*\*

**शोध सारांश -** विकलांग बच्चों की शिक्षा का मूल आधार व्याख्यान नहीं, वार्तालाप था। जिससे विकलांग बच्चों की शैक्षणिक स्थिति का मूल शिक्षण संस्थान था। जहाँ विकलांग बच्चों की प्रारम्भिक स्थिति का वर्णन मानवीय जीवन का आधार ही रहा है। जहाँ पर मानवीय आधार पर ही जीवन निर्भर होता है। विश्व की महान शिक्षक भी इन विकलांग बच्चों के जीवन और शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया है। जहाँ मानव की अनेक संस्कृतियों ने विकलांग बच्चों को अनेकों विचारधाराओं को जन्म दिया है। शिक्षा की विचारधारा का निर्मित करने के लिए अनेक विचारकों ने भी जीवन और शिक्षा के विट्टकोण को विकलांग बच्चों के सामने आरेख वेन पद्धति और वार्तालाप पूर्ण शिक्षा देने के पक्ष में रहे हैं। जहाँ शिक्षा और समाज की मानवीय अवधारणा का असर इन विकलांग बच्चों पर पड़ता है। विट्टीन बच्चों को शिक्षक की सहायता अधिक पड़ती है। जहाँ ब्रेल लिपि के अध्ययन हेतु उसके अनुसार मेज और कुर्सी होनी चाहिए। ब्रेल यह एक बड़ी पुस्तक होती है। जहाँ पर अधिक जगह की आवश्यकता होती है। क्योंकि ताकि कई बच्चें आसानी से आना-जाना हो सके। ऐसी व्यवस्था का परिणाम प्रत्येक विद्यार्थीयों में होना चाहिए। जहाँ नेत्रहीन छात्रों को स्वतंत्रतापूर्वक धूमने फिरने की जगह होनी चाहिए। जिस हेतु मानवीय जीवन का आधार ही उनकी परवरिस है। चहें जो भी हो। जिसके वातावरण के अनुकूल होने की दशा में नेत्रहीन बच्चों को सावधानी पूर्वक व्यवस्था की जा सके।

**शोध प्रविधि -** प्रस्तुत शोध पत्र विकलांग बच्चों में शिक्षण तकनीकी का विकास, में प्राथमिक और द्वितीयक शोध सामाजी के अनुरूप अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि के परिसीमन के कारण राजनीतिशास्त्र में इन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय आधार विकलांग बच्चों की समझ में आने वाले प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में माना जाता है। महान शिक्षाशास्त्री गिजुभाई बधेका ने विकलांग बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योगदान दिये हैं। उनकी प्रविधि को भी सामिल किया गया है।

### उद्देश्य :

- विकलांग बच्चों में होने वाले भ्रेदभाव का अध्ययन करना।
- विकलांग बच्चों में प्रशासनिक मदद का अध्ययन करना।
- विकलांग बच्चों को शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं का अध्ययन करना।
- विकलांग बच्चों के माता-पिता को विकलांग बच्चों को शिक्षा की सर्वोच्च शिखर तक पढ़ाने की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना।

### समस्या :

- मानव में कुष्ट रोग जैसी बिमारी ईश्वर का अभिशाप है।
- कुष्ट रोग जन्य विकलांग व्यक्तियों में होते हैं जिसकी समस्या की यह फैलता जाता है। यह लगातार तीन पीढ़ियों तक होता है।
- कुष्ट रोग से विकलांगता की समस्या हैं। जिसमें व्यक्ति खान-पान में सही तरीका न अपनाने में होता है। जिस प्रकार से दूध के साथ माँस का सेवन करने पर कुष्ट रोग होने की सम्भावना होती है।
- इन विमारी से लड़ने वाले व्यक्तियों को दूसरे लोग भी छूत मानते हैं। जो शैक्षिक रूप से यह कमजोर हो जाता है।
- विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा से साधन और गरीब वंचित कर देती है। आज मानव विकास की ओर अग्रसर होने के लिए शिक्षा की

आवश्यकता है। भारत की सामाजिक और राजनीतिक दशाओं और परिस्थितियों के आधार पर विकलांग बच्चों की उस समय की तत्काल विसंगतियों को खत्म करने का प्रयास एक कुशल शिक्षाविद ही कर सकता है। जिससे समाज को अपने कर्तव्य एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्राप्त हो सके। इस दिशा में विकलांग बच्चों को ज्ञान से परिचित कराने के लिए समाज और राष्ट्र के राजनेताओं को राजनीतिक रूप अपाहिज बच्चों की मदद करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को समाज के विकास में भागीदार के जीवन जीने का अधिकार है। 'विवेकानन्द' के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अन्दर छिपे हुए गुणों को पूर्णता प्रदान करने का साधन है। यह ऐसी होनी चाहिए जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण हो, उसकी मानसिक शक्ति सुदृढ़ हो, बुद्धि कुशाग्र हो और जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके।<sup>11</sup> स्वामी विवेकानन्द का मानना है कि मानव को शिक्षा के बल पर उसके कष्ट को कम किया जा सकता है। यदि एक विकलांग व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बनता है तो वहाँ उसके साथ-साथ गाँव परिवार से भ्रेदभाव की जड़ ही खत्म हो जाती है। प्रत्येक काल में शिक्षा को महत्व दिया गया है। जीवन और जगत् की कठिनाईयों का परिणाम व्यक्ति के जीवन की कड़ी परीक्षा मानी जाती है। ऐसी विसंगतियों का मूल्य मानव के लिए हित का कारण बन गई। इसी से समाज में विसंगतियों को खत्म किया जा सकता है। इसीलिए रामकृष्ण मिशन के सहयोग से 1957 में एक विकलांग को पढ़ने में अधिक मददगार साबित हो सका है। इस शिक्षण संस्थान द्वारा नेत्रहीन बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण और आर्थिक मदद दिया जाता रहा है। यह बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद समाज की सांस्कृतिक, आर्थिक आदि ढायित्वों को पूर्ण रूप से निभा सकते हैं। इस विद्यालय का परिणाम यह रहा है कि नेत्रहीन बच्चे कई विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। इस विकास की दिशा में आम व्यक्ति को भी अपनी भागीदारी निभानी होगी। ऐसी सोच मानव समाज को आगे बढ़ने में मदद करता है।

\* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी एवं उत्कृष्टता केन्द्र) महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत  
\*\* अतिथि विद्वान् (भूगोल) यूनिकॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, अमरपाटन, जिला- सतना (म.प्र.) भारत

**समाधान** – ‘धारा 52 में मानसिक रोगी के लिए संरक्षक और संपत्ति के लिए प्रबंधक नियुक्त करने का प्रावधान है। अगर व्यक्ति इरस कदर बीमार है कि वह न तो अपनी देखरेख कर सकता है और न ही अपनी संपत्ति की तो, ऐसी स्थित में धारा-53 के तहत उसकी देखरेख के लिए संरक्षक की नियुक्ति की जाती है।<sup>2</sup> यह अधिकार इसलिए प्रदान किये गये हैं कि कोई भी व्यक्ति इन विकलांग व्यक्तियों की जमीन या जायजाद के हक को छीन न सके। यह प्रावधान बिना आश्वार्थी के सहमति के कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता और न ही बेच सकता है। ऐसे भी प्रावधान है कि यदि विकलांग बच्चे को लगता है कि न्यायाधीश द्वारा मेरे पक्ष में गलत फैसला किया गया है तो 60 के अन्दर वह पुनः अपील कर सकता है। मानव समाज के संरक्षक की अभिव्यक्ति को ध्यान रखते हुए मानवीय जीवन का आधार विकलांग व्यक्ति का अधिकार है। जिस प्रकार से विकलांग बच्चों के जीवन में अनेक विचारधाराओं का परिणाम यह हुआ की उनके जीवन एवं विचारों के फलस्वरूप समस्या का निदान किया जाना चाहिए। इससे स्थायी और विकासशील संरचना के निर्माण में विकलांग बच्चों को सहायता प्रदान होगी। रक्तूल संचालक के रूप में विकलांग बच्चों की पूर्ण जबाबदारी होती है। इस बच्चे के अधिकारों को प्रदान किया जाय। उसे प्रोत्साहित करके आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाय। विकलांग बच्चों की शिक्षा की दिशा में अग्रसर करने की प्रवृत्ति में गिजुभाई बधेका कहते हैं कि आज के बच्चों को जिस प्रकार का गीत सुनाया जायेगा वे कल ये बालक उसी प्रकार की रचनायें ही रचेंगे। वर्तमान के नन्हे बालकों को इस समय का इतिहास बताओं कल का इतिहास ये बालक ही गढ़ेंगे, नन्हे बालकों को त्याग करना सिखाओं और भविष्य में यह त्याग के बल पर समाज के लिए समर्पण कर दिखायेंगे। इसी प्रकार से विकलांग बच्चों को नवाचार की शिक्षा देने की आवश्यकता है। जिससे समाज और राष्ट्र की धूरी का निर्माण होगा। समाज के सामने उमड़ने वाले संकट को खत्म करने के लिए इन विकलांग बच्चों को शिक्षा की ओर उन्मुख करना होगा। ये शिक्षित होंगे तभी समाज की पूर्णता की बात की जा सकती है।

‘एक विकलांग व्यक्ति रोजगार करके यह साबित कर सकता है कि विकलांगों के लिए भी जन-सामान्य की तरह ही सार्थक काम करना संभव है। वह दूसरे विकलांगों के लिए भी उदाहरण बन ही सकता है, सामान्य लोगों के लिए भी उदाहरण बन सकता है तथा उन लोगों को काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो स्वरथ शरीर के बावजूद बैठकर खाने की प्रवृत्ति रखते हैं।<sup>3</sup> जबकि अधिकतार रिथितियों में घर परिवार द्वारा इन विकलांग बच्चों को बोझ समझा जाता है। आम आदमी के निगाहों में भी बोझ लगता है। जिस हेतु विकलांग बच्चों को शिक्षा की धूरी में अग्रसर होकर कार्य करना चाहिए। जिससे सामाजिक स्तर को उठाया जा सकता है। उनके बीच होने वाली उदासीनता को खत्म किया जा सकता है।

शिक्षा एक आवश्यक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को जन्मजात प्रवृत्तियों के

स्वाभाविक गुणों से परिचित कराती है। उसे सामंजस्यपूर्ण विकास में योगदान प्रदान करती है। विकलांग बच्चों की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है और उसे सामाजिक वातावरण के सामंजस्य में ले जाती है। उसे जीवन जीने की नागरिकता के अधिकारों को शिक्षा प्रदान करती है। इनके कर्तव्यों और दायित्वों के लिए शिक्षा विकलांग बच्चों को तैयार करती है। जिससे उनके व्यवहार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी उष्टिकोणों में परिवर्तित करती है। विकलांग बच्चों के व्यवहार और विचारों के उष्टिकोण में समाज देश और विश्व के लिए हितकर परिणाम साबित होता है।<sup>4</sup>

इस प्रकार विकलांग बच्चों को शिक्षा के द्वारा भेदभाव से बचाया जा सकता है। मानव जीवन के सर्वांगीन विकास की आधाशिला शिक्षा और शिक्षा प्रणाली के व्यावहारिक पहलू है। जहाँ मानव की अनेक कठिनाईयों को देखने के लिए निर्धारित करती है। जहाँ शिक्षा व्यवस्था का परिणाम पुराने प्रतिमानों को हटाकर नये आयामों के द्वारा ढी जाने वाली व्यवसायिक शिक्षा व्यवस्था विकलांग बच्चों के लिए अधिक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।<sup>5</sup> इससे यह सबित होता है कि निश्चित तौर पर शिक्षा को जीवन के नये प्रतिमानों को आधार प्रदान करती है। इन्हीं आवश्यकताओं के अनुकूल सामंजस्यता का निरूपण होता है। ऐसी विकसनगतियों और कुरुतियों से मुक्ति के लिए विकलांग बच्चों की सामाजिक स्थिति का एक नया आयाम रसायनित करता है।<sup>6</sup>

**निष्कर्षत:** केन्द्र सरकार द्वारा देश में विकलांग बच्चों के विकास के लिए कोकेशनल रिहैबिलिटेशन केन्द्र भी खोले गये। इन्हीं केन्द्रों में विकलांग बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन्हीं केन्द्रों के द्वारा रोजगार के कई आयाम भी जुड़े होते हैं। जिनके लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान भी किया गया है। ये केन्द्रों रोजगार देने के लिए उद्योगों और संस्थाओं से विकलांग व्यक्तियों को उनके कार्य की क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। उन्हें भी सामान्य कार्मचारियों की तरह वेतन मिलता है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विनोद कुमार मिश्रा, **विकलांगता समस्याएँ व समाधान**, जगतराम एण्ड संस, दरियांगंज नयी दिल्ली, 2010, पृष्ठ 68
2. विनोद कुमार मिश्रा, **विकलांगों के अधिकार**, कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, 2008, पृष्ठ 114-115
3. विनोद कुमार मिश्रा, **विकलांग स्वस्थ व आत्मनिर्भर कैसे बनें**, कल्याणी शिक्षा परिषद्, 2011, पृष्ठ 89
4. शैलेन्द्र कुमार मिश्र, **विकलांगता अभिशस्त या अव्यापी**, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, 2012, पृष्ठ 8
5. शैलेन्द्र कुमार मिश्र, **विकलांगता अभिशस्त या अव्यापी**, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, 2012 पृष्ठ 25
6. डॉ. नरेश कुमार, विकलांग बालकों की शिक्षा, पंकज पुस्तक मन्दिर, दिल्ली, 2010, पृष्ठ 30

## भारतीय स्टेट बैंक का कृषि विकास में योगदान : उज्जैन जिले के विशेष सन्दर्भ में

आशाराम चौहान \* डॉ. मनोहर जैन \*\*

**शोध सारांश -** भारतीय रिजर्व बैंक की कुछ शर्तें जो अधिनियम, 1934 की धारा 40 के आधार पर बैंकों को निर्धारित नगदी की निधि में ही निवेश करने का प्रावधान है। जिसमें कृषि कार्यों हेतु भी बैंक को कर्ज और उसके साथ उद्योगों को भी प्रोत्साहन करने का उत्तरदायित्व माना जाता है। जिसकी निवेश की निधि में 3 से 14 प्रतिशत तक के बराबर किया जा सकता है। इस समय 9 प्रतिशत है। यहाँ तक की बैंक अगर 15 से 3 प्रतिशत तक का निवेश करता है। उस पर कोई ब्याज नहीं प्राप्त होती है। इससे कृषि हेतु बेहतर सुधार की सम्भावनाएँ दिखाई देती हैं। जब कृषक को सस्ते ब्याज दरों में पैसे प्राप्त होते हैं। वहाँ से मूल्य साख भी प्राप्त होती है। जिसका मूल कारण यह माना जाता है कि किसान उच्चत किस्म की फसले की बोवाई कर सकता है। जिससे उसकी अच्छे उत्पादन की शाख प्राप्त होती है। उससे किसान को आमदनी और बैंक के कर्ज वापस करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। कृषि का सबसे बड़ा हिस्सा पूँजी पर निर्भर करता है। जिसका फायदा बड़े किसानों को होता है। 'विभिन्न अधिकरणों के माध्यम से जो कृषि साख वर्तमान समय में प्रदान की जाती है, वह अपर्याप्त है, उचित प्रकार की नहीं है तथा आवश्यकता की कसौटी को ध्यान में रखते हुए प्रायः सभी व्यक्तियों तक पहुँचाने में असफल रहती है।'<sup>1</sup> छोटे किसानों को न समय पर पूँजी मिल पाती है। न ही उन्हें समय पर बैंक कर्ज देती है। इस स्थिति में उन्हें आर्थिक मंद के दौर से गुजरना पड़ता है। जिनकों कृषि पर कोई आमदनी नहीं होने से उन पर होने वाली गरीबी का बोझ बढ़ जाता है। बैंकों के द्वारा प्रदान करने वाले कर्ज में बीच में खाने वाले ढलालों का भी जमबाड़ा होने से छोटे किसान को पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में पैसों के कारण उनकी कृषि अच्छी नहीं होने की दशा में बैंक का कर्ज वापस नहीं कर पाते हैं। जिस कारण बैंकों को भी बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी बजह बीच में खाने वाले ढलालों के खन्न होने से कर्ज किसान आसानी से भर सकता है। जी.डी. एच. कौल - 'श्रम-संघ से आशय श्रमिकों द्वारा एक अथवा अनेक व्यवसायों में बनाए गये संघ से हैं जो विशेषतः सदस्य-श्रमिकों के प्रतिदिन के कार्य से सम्बन्धित आर्थिक-हितों की सुरक्षा और उनमें वृद्धि के उद्देश्य से बनाये जाते हैं।'<sup>2</sup>

**शोध प्रविधि -** शोध पत्र भारतीय स्टेट बैंक का कृषि विकास में योगदान (उज्जैन जिले के विशेष सन्दर्भ में) एक प्रकार का द्वितीयक सामग्री संकलन के द्वारा इस शोध पत्र का निर्माण किया गया है। इसमें विश्लेषणात्मक पद्धति के आधार पर अध्ययन की पद्धति को अपनाया गया है।<sup>3</sup> शोध प्रविधि में विद्वानों के मार्गदर्शन, शोध पत्रिकाओं, बैंकों के द्वारा मार्ग दर्शन प्राप्त किया है। जिसके आधार की पुष्टि करने के लिए किसानों का भी मार्गदर्शन लिया गया है। जिससे शोध के द्वारा बैंकों द्वारा प्राप्त होने वाले ऋण की जानकारी प्राप्त हो सके। कि यह वास्तविक है। या कागजी ही कार्यवाही है। यहाँ तक कि किस प्रकार के कृषकों को ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार के अनेक पहलुओं की जानकारी एकत्रित करने के लिए सन्दर्भ ग्रन्थों के लिए पुस्तकालयों और इन्टरनेट का भी उपयोग किया गया है।

**शोध पत्र का उद्देश्य -** भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिसके द्वारा कृषि विकास को आर्थिक मद्द प्रदान करने हेतु स्टेट बैंक ऋण प्रदान करता है।

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार है।

1. बैंकों द्वारा प्रदान ऋण के द्वारा कृषि विस्तार को बढ़ावा देना।
2. बैंकों द्वारा कृषि हेतु बोरेल सिचाई हेतु अनुदान, कूप निर्माण अनुदान प्रदान का विस्तारित किया जाता है।
3. कृषि को धन्धा बनाने हेतु बैंकों द्वारा व्यक्तियों को अनुदान दिया

जाता है।

4. ऋण लेकर उच्चत किस्म के बीजों के उपचार या खरीदी की सहायता से कृषि विकास का विस्तार करना।
5. जोताई हेतु टेक्ट्रॉ के लिए ऋण प्रदान करना। जिससे खेतों की जुताई रोपाई और गहाई आसानी से किया जा सके। जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति बनी रहे।
6. बैंकों द्वारा पौधों के रोपण हेतु भी अनुदान का प्रावधान है।
7. उद्योगों की स्थापना हेतु मशीनीकरण को प्रोत्साहन देना।
8. कृषकों द्वारा धान से चावल निकालने के लिए चक्की की स्थापना हेतु प्रोत्साहन।
9. बैंकों द्वारा ऋण प्रदान कर उद्योग को स्थापित कर उनसे अच्छी खासी आर्थिक साख प्रदान करना।

**समस्या -** कृषि विकास हेतु भारतीय स्टेट बैंक अग्रणी हैं। किन्तु ऋण की ब्याज दर अधिक होने के कारण छोटे किसानों को ऋण नहीं मिल पाता है। उसके बीच आने वाले ढलालों का जमाबाड़ा होने के कारण भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है। यहाँ तक उज्जैन में कृषि का विकास में बैंक प्रबंधक दे देता है। मजदूर, गरीब किसान हैं उसके लिए न जाने कितने लोगों की खातेदारी करनी पड़ती है।<sup>4</sup> उससे बैंक प्रबंधक ऋण देने में भी कठराते हैं। क्योंकि बैंक प्रबंधक ऐसी आशा करता है कि वह हमें पैसा वापस नहीं करेगा। चाहे पूँजीपति न वापस करे उसे

\* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

\*\* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला - रतलाम (म.प्र.) भारत

तुरन्त ऋण बैंक प्रदान करती है। इन हीन का वह भरोसा भी नहीं करता है। जिससे गरीबों को अपनी गरीबी का शिकार होना पड़ता है। ऐसी अनेक कठिनाईयाँ छोटे किसानों के साथ आती हैं। जिस हेतु उज्जैन में गरीबी का मुख्य कारण सही और समय पर ऋण न मिल पाना।

**उपयोगिता** – इसी कारण बैंकों द्वारा प्रोत्साहन देकर लघु उद्योग क्षेत्र में आर्थिक विकास से बैंक को प्राप्त होने वाले ब्याज लाभ महत्व रखता है। इस हेतु बैंक की नीतियों ने पूँजी को बढ़ाने हेतु भी कृषकों को ऋण प्रदान करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम के अनुसार बैंक की कुल इकिटी में भारतीय रिजर्व बैंक का अंशदान 55 प्रतिशत से कम नहीं हो सकता है। इसी बैंककारी विनियमन अधिनियम तथा बैंककारी कंपनी (उपकरणों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की इकिटी में भारत सरकार का अंशदान 51 प्रतिशत से कम नहीं हो सकता है<sup>5</sup>। जिस कारण भारतीय स्टेट बैंक की अपनी शाखा को बनाये रखने के लिए ऋण आवंटन की व्यवस्था करता है। जो कृषि पर लगाई जानी वाली पूँजी में कोई दिक्षित नहीं होती है। जिससे वह आसानी से ऋण प्रदान कर देते हैं। इससे उद्योगों की भी स्थापना होती है। जिससे नये-नये टैक्नोलॉजी को उज्ज्वल किस्म के बीजों का उपचार करना भी आसान हो जाता है। इसी के कारण पूँजी तथा टैक्नोलॉजी का प्रवाह वहाँ तक आसानी से पहुँच पा रहा है। क्योंकि बैंकों द्वारा अनुदान आसानी से प्राप्त हो जाते हैं जिसके कारण लघु उद्योग प्रतियोगिता कर रहे हैं। इसी तरह निवेश की सीमा बढ़ाने का सवाल उत्पन्न होता है। इसी के साथ विभिन्न उपकरणों की पहचान करने तथा अलग-अलग उपक्षेत्रों के लिए विशेष नीतियाँ बनाने में भारतीय स्टेट बैंक जुड़ा हुआ है।

- रोजगार के अवसर देखते हुए औद्योगीकरण की वृद्धि को विविधतापूर्ण कुशल बनाने के लिए लघु उद्योग के क्षेत्र में लगातार समर्थन और सहायता देने की जरूरत को स्टेट बैंक पूरा कर रहा है।
- टैक्नोलॉजी में बढ़ोत्तरी के लिए अधिकतम धन राशि प्रदान कर पूँजी का निवेश कर रहा है। जिससे प्रतियोगिता के योग्य कुशल क्षमता की मशीनी विकसित करने तथा दक्षता पूर्ण लघु उद्योगों को सुविधाएँ प्रदान करना।
- कृषक और उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सहज आर्थिक सहायता प्रदान होने से दोनों के सम्बन्धों में आर्थिक मजबूती आती है।

**बैंक द्वारा कृषक के दस्तकारी संबंधी कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन** – बैंकों द्वारा इन उद्योग धनधों को प्रोत्साहन देते हैं, जिसमें कृषक अपने खाली समय में जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है उदाहरण के रूप में – चटाई निर्माण, जूट द्वारा कुर्सी बिनना, रस्सी बनाना, टोकरी निर्माण, मधुमक्खी पालन, बीड़ी निर्माण इत्यादि।

**कृषि को बढ़ावा देने वाले दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उद्योग** – कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले अनेक उद्योग धनधों में गाँवों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में अद्या भूमिका निभा रहे हैं। जिनके द्वारा बनाये गये हल, फहसुल, खरपे, कटाई हेतु हौसिया आदि का निर्माण ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाये जाते हैं। 'कृषि वित्त की आवश्यक दशाओं को सन्तुष्ट करने वाली संस्था केवल सहकारी संस्था ही है और इस

तथ्य को सभी कृषि प्रधान देशों ने रखीकार किया है।<sup>16</sup> इन उद्योगों के लिए अनेक उद्योगों को आर्थिक उपयोगिता हेतु कुशल कारीगर की भी आवश्यकता होती है। कपास उद्योग द्वारा कपड़े का निर्माण करना। जिसकी जरूरत प्रत्येक इन्सान को होती है। इस प्रकार कुशल कारीगर जिनके द्वारा अच्छा कपड़ा बुनने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य भी किया जाता है। इन सभी में एक बैंक और कृषि उत्पादन पर निर्भर करता है।

**समाधान** – उज्जैन नगर के कृषक और कारीगरों द्वारा उद्योग धनधों के अन्तर्गत कुशल कारीगर आसनी से प्राप्त हो जाते हैं। जिनके द्वारा साबून फैक्ट्री को निर्मित करना। इसके साथ कृषक द्वारा गेहूँ उत्पादन भी महत्वपूर्ण है। जो मालवा का गेहूँ और सोयाबीन महत्वपूर्ण फसल के रूप में मानी जाती है। जिसके लिए बैंक से आर्थिक मदद मिल रही है। यहाँ तक की सब्जी की फसल को भी अच्छे किस्मे प्रदान करते हैं। क्योंकि यहाँ उज्जैन के शहरी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कुशल श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। जिसके कारण यहाँ की खेती में अच्छे श्रमिकों के कारण उन सब्जी और फलों को ध्यान देते समय पानी, उपयोगी खाद देने पर अच्छी फसल की पैदावार होती है।

**निष्कर्ष** – प्रत्येक कृषक के मन और मस्तिष्क में यह विचार उठ रहा है कि राष्ट्रीय उद्भाविता का मापदण्ड कृषि की आर्थिक बचत के स्तर पर किया जा सकता है। अगर लोगों को कृषि में उद्भावित होती है। तब बैंकों को भी शाखा का हिस्सा प्राप्त होगा। पहली बात तो बैंक ऋण चुकता हो जायेगा। उसे ब्याज की खासी रकम मिल जायेगी। बैंकों को कृषि कार्यों के उत्पादन और बढ़ोत्तर पर ऋण देने में आगे बढ़ेगा। इससे कल्याणकारी राज्य का निर्माण होगा। और बेरोजगार को कम किया जा सकता है। कृषि से अधिक आर्थिक लाभ होने से मीलों जैसे उद्योगों का निर्माण होगा। उससे बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा। इससे देश में गरीबी और भुखमरी की स्थिति नहीं होगी। आर्थिक तंगी से निजात सरकार को भी मिलेगी।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. डॉ. के.एस. सक्सेना एवं डॉ. के.एल. गुप्ता, भारतीय अर्थव्यवस्था, नवयुग साहित्य सदन, आगरा, 1999, पृष्ठ 60
2. के.बी. सक्सेना एवं जी.एन. वर्मा, औद्योगिक सञ्चालन, रमेश बुक डिपो, जयपुर, 1975-76, पृष्ठ 210
3. डॉ. बी.एम. जैन, शोध प्रविधि एवं क्षेत्रीय तकनीक, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, 1990, पृष्ठ 20
4. पी. पद्मावती, ग्रामीण अर्थशाला, प्रिंटवैल पब्लिशर्स, जयपुर, 1989, पृष्ठ 75
5. राम किशन गुप्ता, बैंकों में निधि प्रबन्धन, शारदा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001, पृष्ठ 26
6. डॉ. बी.एस. माधुर, सहकारिता, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 1990, पृष्ठ 132-133
7. डॉ. डी.सी. पन्त, भारत में ग्रामीण विकास, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2011, पृष्ठ 1-2

## डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक और राजनीतिक चिन्तन

डॉ. बैद्यनाथ चर्मकार \*

**प्रस्तावना** – राष्ट्रप्रेमी, दलित मुक्तिकाता, भारत रत्न डॉ. शीमराव अम्बेडकर का मानना था कि, भारत में सामाजिक अन्याय और उत्पीड़न पुराने समय का है, यह उत्पीड़न उसी समय प्रारम्भ हो गया था जब पश्चिमोत्तर भारत पर मध्य एशिया में रहने वाले आर्यों का आक्रमण हुआ था। यह आक्रमण भारत में दलित सभ्यता और संस्कृति पर हुआ था। सिन्धु घाटी की सभ्यता के लोगों और आर्यों के बीच हुए संघर्ष के ठोस प्रमाण नहीं मिलते क्यों कि सिन्धु सभ्यता में हुई पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त लेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका और उसे वित्राक्षर लिपि बताया गया है, परन्तु आर्यों द्वारा रचित साहित्य ऋग्वेद के आधार पर सामाजिक अन्याय और विषमता का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उक्त वेद में रक्षा, दर्शन, दास, पणि, शम्बर, किरात लोगों को ऋग्वैदिक आर्य हेय और धृणा की दृष्टि से देखते थे। मूल भारतीय जिन्हें आर्यों ने अनार्य कहा है वे आर्यों के देवताओं में शङ्का और विश्वास नहीं रखते थे इसलिए आर्यों ने उन्हें 'अदेवयु' कहते थे। ऋग्वेद से यह शी ज्ञात होता है कि आर्यों ने युद्ध बल से नहीं बल्कि छल और प्रपंच से 'पणियों' (मूल भारतीयों) के पशुओं का रहण कर लिया था।<sup>1</sup> उस समय मूल भारत वासियों को आर्यों ने अपने साथ नहीं मिलाया था तथापि ऋग्वैदिक युग के अंतिम चरण में आर्यों ने उन्हें अपने साथ मिलाया था और उन्हें चतुर्थ वर्ण शूद्र कहा। उत्तरवैदिक काल तक यह वर्णव्यवस्था पुष्ट हो गई थी।

इसी क्रम में आगे चलकर वर्णीय विषमता उभरकर सामने आ गई थी। कर्मकाण्डों का प्रभाव इतना प्रबल हो गया था कि यज्ञ ही स्वर्ग का द्वार माने जाने लगे और यज्ञों के सम्पादन के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की अनिवार्यता हो गई। ऋग्वेद काल के बाद उपनिषद् युगीन वैचारिक क्रांति वस्तुतः सामाजिक अन्याय और असमानता के विरुद्ध आनंदोलन ही था जिसका मूल सूत्र था 'ऋते ज्ञानात न मुक्तिः'। अर्थात् ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। इसके सामने कर्मकाण्ड निरर्थक थे। इस ज्ञान आनंदोलन को मुखर स्वरूप दो क्षत्रिय राजकुमारों बुद्ध और महावीर ने दिया। बुद्ध ने इसे लोगों के जीवन में यथार्थ रूप में उतार दिया। इसका व्यापक सामाजिक प्रभाव इसी से जाना जा सकता है कि चातुर्थ वर्ण व्यवस्था का वर्ण क्रम ही बदल गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय क्रम के स्थान पर क्षत्रिय ब्राह्मण क्रम हो गया।

**गौतम बुद्ध एवं मुक्ति आनंदोलन** – सामाजिक अन्याय और असमानता को मिटाकर महामानव बुद्ध ने समानता, स्वतंत्रता, करुणा और मैत्री के आधार पर मानवीय एकता और उसकी गरिमा की प्रतिष्ठा बताई। उनका मानना था कि मनुष्य वर्ण एक है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जातियाँ पशु-पक्षियों, कीड़ों-मकोड़ों और वृक्षों में होती है, जिन्हें देखकर ही पहचान लिया जाता है कि यह अमुक जाति का पशु-पक्षी या वृक्ष है। ठीक इसी तरह मनुष्य में आकार-प्रकार या ऐसा कोई भेद प्रतीत नहीं होता

जिसे देखकर यह जाना जा सके कि यह व्यक्ति अमुक वर्ण या जाति का है। बुद्ध का मानना था कि मनुष्य की गति, प्रगति और अधोगति में ईश्वर का कोई हाथ नहीं होता है क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। मनुष्य अपनी दशा दुर्दशा के लिए स्वयं जिम्मेदार है उन्होंने अपने सिद्धान्त में बताया कि 'मनुष्य अपना स्वामी स्वयं है उसका दूसरा कोई स्वामी नहीं है'। गौतम बुद्ध ने कहा था कि किसी बात को इसलिए मत मानों कि उनका कहना था कि पहले बात को सुनो समझों और विचार करो। जब तुम स्वयं जान लो कि वह बात कल्याणकारी है, क्रोध उत्पन्न करने वाली नहीं है और इसकों ग्रहण करना हितकर और सुखकर है तभी उसे स्वीकार करो, तभी उसे मानो। यह उपदेश वास्तव में मानव मात्र के लिए चिन्तन की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था।

**सम्राट अशोक तथा मुक्ति आनंदोलन** – राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में सम्राट अशोक का युग स्वर्ण युग माना जाता है। यह पहला अवसर था जब मिश्र, यूनान, सीरिया और एपिरस आदि देशों में भारतीय संस्कृति को स्वीकार किया था। मानवीय समता, एकता और बंधुता के लिए जितना कार्य सम्राट अशोक ने किया था उतना कोई दूसरा शासक नहीं कर सका। उसका आधारभूत तत्व ज्ञान, नैतिक आचरण और कर्तव्य पर आधारित था। अशोक का प्रयत्न रहा था कि सभी सम्प्रदायों के लोग एक साथ हिल-मिलकर रहें और अपने सम्प्रदायों के सार तत्वों की वृद्धि करें। अपने धर्म की झूठी प्रशंसा और दूसरे सम्प्रदाय की निन्दा न करें। सम्राट अशोक का मानना था कि जो अपने धर्म की झूठी प्रशंसा और दूसरे के सम्प्रदाय की निन्दा करता है वह दूसरे सम्प्रदाय की हानि तो करता ही है। साथ ही वह अपने धर्म की भी हानि करता है। सम्राट अशोक मानवीय एकता के लिए यह आवश्यक मानते थे कि आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न किया जाय। भारत के राजनीतिक इतिहास में यदि किसी ने यह घोषणा की कि वर्ण और जाति के विचार से ऊपर उठकर सभी मनुष्यों के साथ न्याय और दण्ड में समानता बरती जायेगी तो वह अशोक ही था। सम्राट अशोक ने निरीह पशुओं की बलि पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।<sup>2</sup>

सम्राट अशोक का मानना था कि शरण बल से शरीर पर विजय प्राप्त की जा सकती है परन्तु उसके मन पर नहीं। कलिंग के भयंकर युद्ध से अशोक ने यही निष्कर्ष निकाला था तभी उसने कहा था कि इस विजय को भी मैं अपनी पराजय मानता हूँ। क्योंकि इसमें एक लाख लोग मारे गये, डेढ़ लाख बंदी बनाये गये, इससे कई गुना लोग ऋषि-पुरुष और बच्चे जो इनके आश्रित होने असहाय हो गये। इसलिये अब यदि थोड़ी संख्या में भी लोग मारे जाते हैं तो राजा अशोक को महान कष्ट होगा। सम्राट अशोक का यह राज प्रयास भी मुक्ति आनंदोलन ही था। निःसंदेह बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित अशोक

\* अतिथि विद्वान् (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिदवाड़ा (म.प्र.) भारत

रवयं बौद्ध धर्मानुयायी था, लेकिन यह अन्य धर्मों तथा उनके अनुयायियों का सम्मान करता था। इस प्रकार मानवीय समानता और न्याय पर आधारित इस संस्कृति को भी ब्राह्मणी विचार सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासक वृहदरथ की हत्या करके मौर्य साम्राज्य को हथिया लिया यही नहीं उसने यह भी घोषणा की कि 'जो व्यक्ति मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर काटकर देगा उसे मैं सौ ढीनार (स्वर्ण सिंचे) दूँगा'।<sup>6</sup>

अशोक के मुक्ति आनंदोलन के विरच्छ प्रतिक्रिया ने इतना उग्रस्थप धारण कर लिया कि उसे ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान की संज्ञा दे दी गई। अशोक की संस्कृति को ब्राह्मण धर्म लोग भारतीय संस्कृति भी नहीं मानते थे। मौर्य युग के बाद शुंग शासक ने ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थापक ग्रंथ 'मनुस्मृति' की रचना करवायी। यह विचारणीय बात है कि अशोक द्वारा समता, न्याय, करुणा और बंधुता पर आधारित संस्कृति के संस्थापक और प्रचार-प्रसार के कारण ही कदाचित ब्राह्मण साहित्य के किसी ग्रंथ में सम्भाट अशोक का वर्णन नहीं किया गया। जब कि सत्य यह है कि वह भारत माँ का गौरव पुत्र था। यह धार्मिक भेदभाव अथवा आधुनिक शब्दावली में साम्प्रदायिकता की चरमसीमा थी। यदि उसके द्वारा पत्थर की चटानों पर पहाड़ों की गुफाओं में और स्तम्भों पर लिखवाये गये अभिलेख खुदाइयों में प्राप्त न होते तो शायद भारतीय इतिहास में सम्भाट अशोक का नाम और काम नदारत होता।

मनु के इतने प्रतिबंधों के बावजूद शूद्रों का मुक्ति आनंदोलन यत्र-तंत्र चलता ही रहा। शूद्र अपने राज्य स्थापित करने की लालसा में थे और कठिन परिश्रम करके धन भी इकट्ठा कर लिया था इसी कारण मनु को लिखना पड़ा कि आर्यों को शूद्र राजा के राज्य में कभी भी निवास नहीं करना चाहिये शूद्र द्वारा अर्जित धन-सम्पत्ति को राजा छीन ले नहीं तो वह शूद्र राजा को ही कष्ट पहुँचायेगा। एक लंबे अंतराल के बाद शूद्र मुक्ति आनंदोलन उच्चीसर्वी शताब्दी में पुनः उभरकर सामने आया, जब माली जाति में उत्पन्न ज्योतिबा फुले ने शूद्रों में शिक्षा का प्रचार किया। ज्योतिबा फुले द्वारा चलाया गया यह शिक्षा आनंदोलन महाराष्ट्र तक ही सीमित रह गया परन्तु ज्योतिबा फुले का आनंदोलन प्रकाश का आनंदोलन था जिसे रोंक पाना ब्राह्मणी व्यवस्था के बूते की बात नहीं थी।<sup>7</sup>

**निष्कर्ष - डॉ. भीमराव अम्बेडकर तथा आधुनिक काल - समय बीता गया कुछ अंतराल के बाद भारत के महान सपूत डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इसे इतना आगे बढ़ाया कि सम्पूर्ण भारत ही आनंदोलित हो उठा उनके इस मुक्ति आनंदोलन में मानव के सम्मानपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व निहित थे उनके इस मुक्ति आनंदोलन का विकास क्रम उनके द्वारा और उनकी प्रेरणा से प्रकाशित पत्रिकाओं के नामकरण से ही हो जाता है। पहली**

पत्रिका 'बहिष्कृत भारत' थी जो भारत के बहिष्कृत अछूत लोगों की बात करने वाली पत्रिका थी। दूसरा पत्र 'मूकनायक' था जो बेजुबानों की बात करता था। तीसरा पत्र 'जनता' चौथा 'समता' और अंतिम 'प्रबुद्ध भारत' था। डॉ. भीमराव अम्बेडकर का आनंदोलन मानवीय गरिमा, स्वावलम्बन और स्वाभिमान तथा भ्रातृत्व भाव की स्थापना के लिए थे। ब्राह्मणी विधि विद्यानों द्वारा शूद्रों की शिक्षा के लिए बंद द्वारों को डॉ. अम्बेडकर ने सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिन्ड कॉलेज आदि की स्थापना और संचालन करके खोल दिया साथ आनंदोलन को शैक्षणिक दिशा भी दे दी। भारत में नारी विमुक्ति और दास विमुक्ति के लिए डॉ. अम्बेडकर को सदैव स्मरण किया जायेगा। जिस भारत में इस युग में भी तालाब में पानी निकालने के लिए अछूतों की बिलियाँ ढी जाती हो, शूद्र के हाथों से जल चढ़ाने पर भगवान छू जाते हों, विवाह-शादी के मंगलकारी संरक्षणों के अवसर पर भी ढूल्हे को घोड़े पर बैठने से रोंका ही नहीं बल्कि कत्ल कर दिया जाता हो, रियों को बैलों के साथ हल में जोत दिया जाता हो, जहाँ लक्ष्मी की पूजा करने पर भी देश कर्जे में झूबता जा रहा हो, सरस्वती के वरदान होते हुए जहाँ के लगभग 2/3 लोगों के स्कूल, खड़िया व पुस्तक नशीब न होती हो, जहाँ धन ढैलत पा जाने पर शूद्र को भी क्षत्रिय बना दिया जाता हो, ऐसे अज्ञान और अंधविश्वासों के अंधकार में फँसे हुये लोगों को बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने नई राह दिखाई, मुक्ति का रास्ता बताया।<sup>8</sup>

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लाल, डॉ. अँगने, बाबा साहब अम्बेडकर की सांस्कृतिक देन, 2009, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.- 183
2. लाल, डॉ. अँगने, बाबा साहब अम्बेडकर की सांस्कृतिक देन, 2009, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.- 185
3. लाल, डॉ. अँगने, बाबा साहब अम्बेडकर की सांस्कृतिक देन, 2009, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.- 187
4. लाल, डॉ. अँगने, बाबा साहब अम्बेडकर की सांस्कृतिक देन, 2009, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.- 188
5. लाल, डॉ. अँगने, बाबा साहब अम्बेडकर की सांस्कृतिक देन, 2009, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.- 189
6. लाल, डॉ. अँगने, बाबा साहब अम्बेडकर की सांस्कृतिक देन, 2009, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.- 190
7. लाल, डॉ. अँगने, बाबा साहब अम्बेडकर की सांस्कृतिक देन, 2009, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.- 191
8. लाल, डॉ. अँगने, बाबा साहब अम्बेडकर की सांस्कृतिक देन, 2009, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.- 192

\*\*\*\*\*

# स्वामी विवेकानन्द के विचारों में 'शिक्षा' के सामाजिक परिवर्तन

## ममता चौहान \*

**शोध सारांश** - 'उठो, जागों और तब तक मत रखो, जब तक अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर लो।'

स्वामी विवेकानन्द ने भारत के जन-समुदाय की सामाजिक धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को निकट से देखा तथा समझा था। इसी की पृष्ठभूमि में उनके दार्शनिक चिन्तन का उद्दीप हुआ। सामाजिक सुधार तथा आध्यात्मिक चिन्तन की सरिता तभी से सतत् प्रवाहमान है। विवेकानन्द जी के अनुसार सामाजिक कुरितियों, अन्धविश्वास एवं अबौद्धिक खंडिवाद के कारण ही उत्पन्न हुए जिसके कारण लोगों में आध्यात्मिक मूल्यों की समझ कम हो गई थी। समय की मौँग के अनुरूप आध्यात्मिक जागरण अनिवार्य है। स्वामी विवेकानन्द पर प्राचीन भारतीय दर्शन-विशेष रूप से 'वेदान्त-दर्शन' का गहरा प्रभाव हुआ। स्वामीजी ने सत्य के सर्ववादी रूप को स्वीकार किया है। उनके दर्शन में 'माया' पर वृहद् विचार-मंथन हुआ है, जो वेदान्त पर आधारित है। वेदान्त के अलावा विवेकानन्द के विचारों पर बोध्द-दर्शन का प्रभाव भी दिखाई देता है।

शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक रूप जीवन आदर्शों को यथार्थ के धरातल पर खड़ा करना है। मनोवृत्तियों और मूल्यों तथा ज्ञान और कौशल ढींगों ही क्षमताओं के विकास के माध्यम से शिक्षा लोगों की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनने के लिए उन्हें शक्ति का लचीलापन प्रदान करती है, सामाजिक विकास के लिए प्रेरित करती है तथा समाज को योगदान देने योग्य बनाती है।

**प्रविधि** - इस शोध पत्र में स्वामी विवेकानन्द के विचारों में 'शिक्षा' के सामाजिक परिवर्तन में द्वितीयक शोध सामाजिक द्वारा अध्ययन किया गया है। इसके साथ-साथ धार्मिक साहित्यों, पत्र-पत्रिकाओं और विद्वानों का मार्गदर्शन के आधार पर निर्माण किया गया है।

**समस्या** - भारतीय शिक्षा की वास्तविक समस्या यह है कि हमारे शैक्षिक प्रबन्धक, प्रशासक एवं शिक्षक सुदृढ़ विचारों को सत्यनिष्ठा से व्यवहारिक रूप नहीं दे पाते हैं। वास्तविक रूप से पाश्चात्य शिक्षा, भारतीय आत्मा की चिन्तन धारा को अवरुद्ध कर रही है। हमारी शिक्षा प्रणाली की दिशा सही नहीं है फिर भी दौड़ रही है, जिसका मुख्य कारण यह है कि हमारे शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ, प्रशासक और शिक्षक स्वार्थी हो गये हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में गरिमामय वातावरण, आदर्शवादिता, संस्कार एवं चरित्र विलुप्त होते दिखाई दे रहे हैं।

### उद्देश्य :

- शिक्षा के मूल तत्वों का अध्ययन करना।
- मानवीय मूल्यों का अध्यायन करना।
- स्वामी विवेकानन्द के साहित्य में मूल्यों का अध्ययन।

स्वामी विवेकानन्द वर्तमान परिस्थितियों में अत्यन्त प्रासंगिक लगते हैं। मानव भौतिकवादिता के प्रभाव में मानवता को भूल रहा है।

**सुझाव** - आज शिक्षा को हम सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम मानते हैं, अतः हमें विवेकानन्द का शैक्षिक दर्शन अत्यन्त महत्वपूर्ण लगता है। स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्र. पं. जवाहरलाल नेहरू के अनुसार - 'स्वामी विवेकानन्द के जीवन का उद्देश्य समाज सेवा, जन-शिक्षा, धार्मिक पुनरुत्थान और शिक्षा द्वारा जागृत करके मानव जाति की सेवा करना था।'

राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथटैगोर के अनुसार - 'भारत की आत्मा को समझना हो तो स्वामी विवेकानन्द के जीवन दर्शन का अध्ययन करो।' वास्तव में आज पुनः उनके दर्शन की आवश्यकता प्रतीत होती है, क्योंकि उस समय

भौतिकवादिता की चकाचौंध नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिकता की सम्पन्नता थी। आज भौतिक सम्पन्नता तो है, परन्तु आध्यात्मिक विपन्नता दिखाई दे रही है। स्वामी विवेकानन्द की शिक्षा का सम्बन्ध आध्यात्मिक और भौतिक अनुभवों से है, जिसका अधिक जोर शुद्धता और शक्ति को आत्मसात करने पर है। स्वामी विवेकानन्द के अनुसार सम्पूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य 'मनुष्य का निर्माण' होना चाहिए।

वर्तमान परिवेश में विद्यार्थी ज्ञान का बहिरंग प्राप्त कर रहा है और भौतिक सम्पन्नता से सुखी होने का अहसास तो कर रहा है, परन्तु आत्मिक सुख से वंचित होता जा रहा है। अमेरिका जैसी महाशक्ति, भारतीय युवाओं के ज्ञान से स्तब्ध है, लेकिन मानवता का गुण भारतीय संस्कृति को स्तब्ध नहीं कर पा रहा है।

**समाधान** - स्वामी विवेकानन्द के अनुसार शिक्षा अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। वर्तमान परिवेश में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति आवश्यक प्रतीत होती है।

यदि शिक्षा देशप्रेम की प्रेरणा नहीं देती है, तो उसे राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता है।

वर्तमान परिवेश में यह प्रासंगिक लगता है, क्योंकि देशप्रेम के पहले आज भौतिक सम्पन्नता एवं प्रेमयुक्त युवा अधिक हैं। युवाओं के पलायन का कारण याहे राजनीतिक हो, प्रशासनिक नियम हो या सामाजिक प्रतिष्ठा हो, लेकिन देशप्रेम की प्रेरणा हमारी शिक्षा नहीं दे पा रही है। अतः वर्तमान शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता है।

शिक्षा द्वारा मनुष्य में मानव-प्रेम, समाजसेवा, विश्वचेतना और विश्वबन्धुत्व के गुणों का विकास करना चाहिये।

शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का धार्मिक, नैतिक, मानसिक, भावात्मक, शारीरिक, सामाजिक, व्यावसायिक और चारित्रिक विकास करना है।

यदि मनुष्य का शारीरिक विकास हो, तो स्वमेव मानसिक, भावात्मक, धार्मिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक व व्यावसायिक योग्यता के हेतु वह

\* शोधार्थी (दर्शनशास्त्र) शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रयास करेगा। आज की शिक्षा प्रणाली भी स्वामी विवेकानन्द की उस तत्कालीन प्रणाली के विचारों से मेल खाती दिखाई देती है। स्वामी जी युवाओं को परामर्श देते हुए कहते थे कि- ‘तुमकों कार्य के सब क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना होगा। सिद्धान्तों के ढेरों ने सम्पूर्ण देश का विनाश कर दिया।’

सर्वप्रथम मानव बनो और अनितम लक्ष्य अर्थात् मोक्ष जिसे आज की परिस्थितियों में एक त्वं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि स्थिति में जाना ही मनुष्य का ध्येय हो। यह ध्येय शिक्षा से ही प्राप्त किया जा सकता है। ‘वसुधैर् कुमुखकम्’ की प्रणाली आज का वैश्वीकरण है, जिससे हम हजारों वर्ष पूर्व श्रीमद्भगवद्गीता में दे चुके हैं।

धर्म और शिक्षा का समन्वय आज आवश्यक प्रतीत होता है। इसे स्वामीजी की सोच के साथ चलना आवश्यक है। धर्म शिक्षा का सारात्मक रहा है। धर्म-अनादि सत्यों का संचित कोष है, जिसकी अनुभूमि भारत के प्राचीन ऋषियों ने की है। भारत में युग-युगान्तरों से धर्म शिक्षा का आधार रहा है। जब तक मनुष्य का शरीर है, मन है, मस्तिष्क है, जीवन है, तब तक उसमें धर्म है। जब तक मनुष्य में सोचने की शक्ति रहेगी तब तक किसी न किसी रूप में धर्म रहेगा ही। यदि धर्म और शिक्षा का समन्वय कर दिया जाये तो प्रत्येक मनुष्य के साथ शिक्षा स्वेच्छा जुड़ जोयेगी। वर्तमान में शिक्षा ज्ञान का विराट रूप हो गया है।

स्वामी विवेकानन्द आदर्श मानव व्यक्तित्व का विकास शिक्षा के माध्यम से करना चाहते थे।

स्त्री शिक्षा का वर्तमान में कार्य हो रहा है। नारी के उत्थान पर स्वामीजी के विचार महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षित करों, तब वे आपकों बतायेंगी कि स्वामी विवेकानन्द जनशिक्षा पर अत्यधिक बल देते थे। जनशिक्षा द्वारा सारी जनसंख्या को राष्ट्र निर्माण के क्रियाकलापों में संलग्न करना अत्यन्त आवश्यक है। देश के पुनरुत्थान के लिए जन-साधारण की शिक्षा को अनिवार्य रूप देने पर स्वामी विवेकानन्द ने हमेशा जोर दिया है। उनके विचारों में जनसाधारण की शिक्षा के क्षेत्र में अवहेलना हमारे पतन का कारण रहा है। अतः वे कहते थे- ‘जब तक भारत की सामाज्य जनता को एक बार फिर अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन और अच्छी सुरक्षा प्रदान नहीं की जायेगी, तब तक अधिकाधिक राजनीति भी व्यर्थ होगी।’

स्वामीजी अपने भाषणों में कहते थे कि भारतीय पिछड़ी जनता को शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे उसका खोया हुआ आत्म सम्मान लौट आए।

जनशिक्षा के प्रसार के लिए स्वामी विवेकानन्द का सुझाव था अपेन पत्र में 1894 में उन्होंने लिखा था। ‘मेरा दिल भर आया है और तुम जानते हो- क्यों? जब तक लाखों करोड़ लोग भ्रूख और अज्ञान के अधंकार में रहते हैं, मैं उस व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ, जिसे उसके खर्च पर शिक्षा मिली है और फिर उनकी ओर तनिक ध्यान नहीं देता। शिक्षा का मूल कार्य जन-शिक्षा का प्रसार है। स्वामीजी चाहते थे कि घर-घर जाकर जन-शिक्षा का

प्रसार होना चाहिये। ‘यदि भारत के हजारों साधु-सन्धारियों में से कुछ को धर्म के अलावा अन्य विषयों की शिक्षा प्रदान करने के लिए संगठित कर लिया जाये तो बड़ी सरलता से घर-घर जाकर वे अध्यापन और धार्मिक शिक्षा दोनों दे सकते हैं।’ शिक्षा के बल कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं, सबके लिए आवश्यक समझी जाती है। स्वामीजी के अनुसार-भारत के जनमानस को शिक्षित करने के लिए सभी उपाय किये जायें ताकि वह इच्छित आदर्श को प्राप्त कर सके। स्वामीजी चाहते थे, भारत के कोने-कोने में ऐसे शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जायें, जहाँ से चारों ओर शिक्षा का प्रकाश फैले। स्वामीजी बार-बार यह कहते थे कि सर्वसाधारण को शिक्षित बनाइये और उन्नत कीजिये। तभी एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। वर्तमान में समाज जैसा दिखाई दे रहा है। इसके मूल में कहीं न कहीं शिक्षा आवश्य है। शिक्षा चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक। बालक का समाज में पढ़ापण प्राप्त शिक्षा के साथ ही होता है। जब हम ‘शिक्षा का सार’ भाग 2 परिच्छेद 4 को पढ़ते हैं कि शिक्षा बालक के अन्तर्मन में छिपी शक्तियाँ हैं, जिसे हम उभारते हैं, सँवारते हैं, सजाते हैं, व उसे समाज में रहने के योग्य बनाते हैं। **निष्ठर्ष** – स्वामी विवेकानन्द के शिक्षा दर्शन को ध्यान में रखकर हम वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखें तो वे सारे महत्वपूर्ण बिन्दु जो स्वामी जी के शिक्षा दर्शन में हैं, वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिन्दु भी हैं। स्वामी जी के अनुसार समाज के शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग को शिक्षा देने का पक्ष मजबूत होना चाहिये। शिक्षा, द्वारा सत्य, चिन्तन, सत्य भावना, सद्व्यवहार विकसित होना चाहिये। स्वामी विवेकानन्द के विचारों के अनुसार शिक्षा को व्यवहारिक रूप देना चाहिये। तभी शिक्षा समाज में क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन का आधार बन सकती है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रो. हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा : भारतीय दर्शन की रूपरेखा, प्रकाशक, मोतीलाल बनारसीदास नई दिल्ली, संस्करण, 2002 पृष्ठ 4
2. डॉ. नरेन्द्र सिंह महला : भारतीय दर्शन शब्द कोश, प्रकाशक, जैन प्रकाशन मन्दिर जयपुर, संस्करण 2004 पृष्ठ 117
3. जगदीश सहाय श्रीवास्तव : अद्वैतवेदान्त की तार्किक भूमिका, प्रकाशक किताब महल इलाहाबाद, संस्करण 1999 पृष्ठ 5
4. डॉ. पवित्र कुमार शर्मा : व्यक्तित्व-विकास, प्रकाशक विद्वानी नई दिल्ली, संस्करण, 2010 पृष्ठ 18
5. बसन्त कुमार लाल, समकालीन भारतीय दर्शन, मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली, पृष्ठ 20
6. जदुनाथ सिन्हा, भारतीय दर्शन, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन्स, प्राइवेट लि. नई दिल्ली, पृष्ठ 1
7. हरिम जसटा, आधुनिक भारत में शैक्षिक चिन्तन, परमेश्वरी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 5

\*\*\*\*\*

# जनजातीय समुदाय की प्रकृति और समरयाओं का भौगोलिक अध्ययन

डॉ. राजेन्द्र कुमार साकेत \*

**शोध सारांश** – सम्पूर्ण देश में लगभग 450 अनुसूचित जनजातियाँ पायी जाती हैं, जो भारतीय संविधान द्वारा अधिसूचित की गई हैं। मध्य प्रदेश के लिए 46 अनुसूचित जनजातियाँ घोषित हैं। इनमें से मध्य प्रदेश में लगभग 25 अनुसूचित जनजातियाँ पायी जाती हैं, शेष 21 जनजातियाँ छत्तीसगढ़ राज्य में पायी जाती हैं। ये 46 जनजातियाँ भाषा-बोली, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति तथा जाति समूहों के आधार पर लगभग 161 उपजातियों में बंटी हुई हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और एक जाति समूह से दूसरी जाति समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी भिन्नताएँ हैं। ये आदिम जातियाँ गैर आदिम जातियों की तुलना में आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर तो हैं ही, एक आदिम जाति की तुलना में दूसरी आदिम जाति भी आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर है, विकास के अन्य संकेतकों में भी भारी भिन्नताएँ हैं। मध्यप्रदेश में गोड और भील जनजाति समूह सबसे बड़ी जनजाति समूह है। अद्ययन क्षेत्र गोहपाख विकासखण्ड में गोड, बैगा एवं कोल जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। इन जनजातियों में बैगा जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में चिनिहत की गई है। इसके अलावा खोकर, धोबा इत्यादि जनजाति के रूप में चिनिहत की गई है। इसके अलावा खोकर, धोबा इत्यादि जनजातियाँ भी काफी पिछड़ी अवस्था में पायी जाती हैं। ये सभी जनजातियाँ मानव शास्त्र के अनुसार प्रोटो-आस्ट्रोलायड प्रजाति की जनजातियाँ हैं। अपनी उत्पत्ति के संबंध में प्रत्येक जनजाति की 'मिथ' कथाएँ हैं। इन जातियों का धार्मिक आधार पशुओं अथवा वृक्षों के नाम पर आधारित है, प्रायः सभी जनजातियों के नाम, वंश, उपनाम, टोटम किसी न किसी पशु या वृक्ष के नाम पर है। ये जनजातियाँ हिन्दू और ईसाई धर्म से प्रभावित हैं और इन्हीं धर्मों का अनुसरण करती हैं। इन जनजातियों में अन्य विश्वास की प्रधानता पायी जाती है। भूत-प्रेतों एवं पूर्वजों की आत्माओं पर अत्यधिक विश्वास करते हैं और उनकी पूजा बलि देकर करते हैं।

**शोध प्रविधि** – प्रस्तावित शोध-पत्र **जनजातीय समुदाय की प्रकृति और समस्याओं का भौगोलिक अध्ययन** इस शोध पत्र में प्राथमिक और द्वितीय शोध सामग्री से आधार पर अद्ययन किया गया है। जिसके भौगोलिक अध्ययन हेतु अनुसूचित जनजाति विकास के अनेक पुस्तकों का विश्लेषणात्मक अद्ययन किया गया है।

**समस्या** – विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में पर्याप्त रूप से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को पर्याप्त शक्तियाँ एवं विशेष जिम्मेदारियाँ अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए दिये गये हैं। राज्य और केन्द्र सरकारें सर्वेधानिक उत्तरदायित्व की भावना से दलित शोषित समाज की समस्याओं और उनकी परेशानियों तथा कठिनाईयों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से उपर्युक्त प्रावधान किये गये हैं। गैर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के मध्य शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता को पाठने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को सार्थक पहल करने की जिम्मेदारी संविधान में सौंपी गई है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विकास की आवधारण निम्नानुसार तीन मापदण्डों के आधार पर सुनिश्चित किये जाने हेतु संविधान में राज्य सरकारों के लिए विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है :-

## उद्देश्य :

- अधिसूचनाओं द्वारा विधायी प्रावधान
  - नियमों और निर्देशों के माध्यम से विधायी प्रावधान।
  - संसद और विधान सभाओं द्वारा कानून बनाकर विधायी प्रावधान।
- संविधान में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत इन तीन सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से सतत रूप से विगत 68 वर्षों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा इन क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति समूह के लिए इनकी आवश्यकता

के अनुरूप विशेष नियम और कानून बनाया गया है ताकि संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह हो सके। इन विशेष प्रावधानों को संवैधानिक सुरक्षा कवच भी कहते हैं।

**सुझाव** – इस अवधारणा की पूर्ति हेतु निम्नानुसार मापदण्डों के आधार पर किये जाने के सतत प्रयास हो रहे हैं :-

- अनुसूचित जनजाति समूहों में व्याप्त विभिन्न परम्परागत निर्योग्यताओं को समाप्त करना।
- अनुसूचित जनजाति समूहों को भूमि अपवंचन से रोकना तथा शोषण से मुक्ति दिलाना।
- भूमि पर आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराना तथा सामंतवादी बंधनों से मुक्त करना एवं मध्यस्थ व्यापारियों के चंगुल से मुक्त करना।
- भू-स्वामित्व प्रदान करना तथा उत्पादन की विषमता को पाटना।

संचालन, उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाओं का संचालन, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक शालायें, माध्यमिक शालायें, उच्चतर माध्यमिक शालायें, हाई स्कूल इत्यादि का संचालन शासन द्वारा किया जा रहा है ताकि संविधान के अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत संविधान द्वारा सौंपे गये उत्तरदायित्व का निष्पादन पूरी निष्ठा और मनोयोग से हो सके। वर्ष 1989 में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु लागू किया गया है।

**समाधान** – भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत संसद के द्वारा पारित अधिनियम के पालन में अनुसूचित जनजातियों की सूची भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी किये जाने का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के पालन में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वर्ष 1950 तथा वर्ष 1956 एवं वर्ष 1976 में यथा संशोधित सूचियाँ जारी की गई हैं। इन सूचियों में जिन-जिन

\* भूगोल, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

जातियों का उल्लेख हुआ हैं उन जातियों के लोगों को भारत के संविधान के अन्य अनुच्छेद जैसे 244, 320, 334, 335 और 339 में किये गये उपबंधों के अनुसार संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। संवैधानिक सुरक्षा से तात्पर्य यह है कि उन्हें इन प्रावधानों के अन्तर्गत बनाये गये विधान के अनुरूप लाभ प्राप्त करने का अधिकार है, जो उनके जीवन की सर्वांगीण उद्धति से सम्बन्ध रखता है। उदाहरण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से पाँचवीं पंचवर्षीय योजना तक अनुसूचित जनजातियों के उद्धति के लिए पारिवार मूलक योजनाएँ संचालित की गईं परन्तु समीक्षा करने पर सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई कि अनुसूचित जनजातियों के लोग अत्यन्त दूरस्थ और पहुँच विहीन क्षेत्रों में रहते हैं इसलिए जबतक क्षेत्र का विकास नहीं किया जाएगा तब तक अनुसूचित जनजातियों का विकास कर पाना चुनौतीपूर्ण रहेगा अतः पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासी विकास के लिए आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के नाम से बजट में पृथक से धनराशि का प्रावधान अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाना प्रारम्भ किया गया। मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद 31 आदिवासी विकास की वृहद परियोजनाएँ, 30 नोटीफाइड एरिया डब्लूलपमेंट ऐजेन्सी और 6 वलस्टर बने हैं। इन 31 आदिवासी विकास की वृहद परियोजनाओं में से एक सोहागपुर है जिसके अन्तर्गत गोहपारु विकासखण्ड सम्प्रिलित है।

आदिवासियों का विकास, आदिवासी क्षेत्र के विकास से जुड़ा है इसलिए विकास की अवधारणा मूल रूप से उनकी आवश्यकताओं तथा क्षेत्र की आवश्यकताओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। फलस्वरूप अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए योजना बनाने का सुझाव, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा, अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याओं का निराकरण मौके पर जाकर करने का प्रयत्न करना तथा उनके हितों के संरक्षण के लिए हितप्रहरी का कार्य करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का तथा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है।

**निष्कर्ष** – इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार समय-समय पर की जाती रही है। वर्ष 1961 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय आयोग का गठन किया गया था जिसे लोकप्रिय रूप में डेव्हर कमीशन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि श्री डेव्हर उक्त आयोग के अध्यक्ष थे इसके अलावा श्री दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय आयोग का गठन भी किया गया था जिसे लोकप्रिय रूप से भूरिया आयोग कहते हैं। इन दोनों आयोगों ने भारत सरकार को उपयोगी सुझाव एवं अनुशंसाएँ प्रस्तुत की थीं जिसके फलस्वरूप आदिवासी क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के लिए भारत सरकार ने विशेष केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय क्षेत्र योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत न केवल परिवारमूलक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है बल्कि क्षेत्रीय विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किये गये हैं। साथ ही साथ आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के रूप में बजट में आदिवासियों की जनसंख्या के अनुपात में धनराशि का प्रावधान इनकी चहुँमुखी विकास के लिए किया जा रहा है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

- सी.पी. तिवारी, **जनजातीय पर्यावरण**, आशा पब्लिशिंग, आगरा, 2003, पृष्ठ 193
- शिवकुमार तिवारी, **म.प्र. की जनजातियाँ**, हिन्दी ग्रन्थ अकाडमी, म.प्र. भोपाल, 1987, पृष्ठ 203
- चतुर्भुज मानोरिया, **मानव भूगोल**, रस्तोगी प्रकाशन, आगरा, 1977 पृष्ठ 68
- कृपाशंकर माथुर, **आदिवासी समस्या : एक मानव वैज्ञानिक विश्लेषण**, मानव, पृष्ठ 19
- बी.डी. चौधरी, **द्राइबल डेव्हलपमेंट इन इंडिया**, इंटर इंडिया पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 1982



## आवर्ती विपणन केन्द्रों का स्थानिक वितरण प्रतिरूप (डिपॉरी जिले के सन्दर्भ में)

### किशोर श्याम \*

**शोध सारांश -** किसी स्थान विशेष पर जब कोई समूह प्रति सप्ताह, सप्ताह में दो बार, एक निश्चित समय के पश्चात् मिलता है तो उन स्थानों को आवर्ती विपणन केन्द्र कहते हैं। या जिन स्थलों पर प्रतिदिन क्रेता विक्रेता उपस्थित रहकर विपणन क्रियाएं सम्पन्न करता है व केन्द्र दैनिक बाजार केन्द्र या दैनिक आपूर्ति केन्द्र कहलाते हैं।

अतः आवर्ती विपणन केन्द्र के स्थान होते हैं जहाँ नियमित एवं सप्ताहिक रूप से विभिन्न वस्तुओं के विक्रेता एवं ग्राहक एक निश्चित सम्यांतराल पर मिलते हैं।

**प्रस्तावना -** हाड़र महोदय के अनुसार 'बाजार किसी केन्द्र स्थल पर वस्तुओं, क्रेताओं और विक्रताओं का नियमित सम्यांतराल पर एक अधिकृत जन समूह होता है।' तथा कथित भूगोल विद के अनुसार 'बाजार केन्द्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य क्रियाकलापों का सम्पादन करने वाले केन्द्र स्थल होते हैं यहाँ पर क्रेता विक्रेताओं का समूह होता है तथा किसी वस्तु का मूल्य एवं भुगतान क्रेताओं तथा विक्रेताओं में सामूहिक निर्णय ढारा निर्धारित होता है।'

अतः कहा जा सकता है कि वे स्थान आवर्ती विपणन केन्द्र कहलाते हैं। जहाँ क्रेता और विक्रेता एक निश्चित सम्यांतराल के बाद मिलते हैं तथा जहाँ आर्थिक क्रियाकलापों के अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्य संपादित होता है।

जिन द्वूर्वर्ती क्षेत्रों में जीवन निर्वाह कृषि, सीमित क्रय शक्ति तथा न्यून विकसित परिवहन तंत्र के कारण सीमित गतिशीलता पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में दैनिक विपणन केन्द्र विकसित नहीं हो पाते हैं। ऐसे क्षेत्रों के आवश्यकता की पूर्ति आवर्ती विपणन केन्द्र करती है। इन्हें क्षेत्रीय भाषा में बाजार हाट बाजार, उठाई बाजार या पेक भी कहते हैं। चूँकि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की आवश्यकता सीमित होती है। इसलिए वे इन बाजारों से सप्ताह में एक या दो बार ही वस्तुओं का क्रय करते हैं ऐसे क्षेत्रों में आवर्ती विपणन केन्द्रों का महत्व बढ़ जाता है ये क्षेत्र ग्रामीण या नगरीय दोनों हो सकते हैं। विशेषकर आदिवासी या ग्रामीण क्षेत्रों में इन केन्द्रों का महत्व कई-कई कारणों से भी होता है। ये क्षेत्र केवल आदिवासियों के लिए क्रय-विक्रय का केन्द्र ही नहीं अपितु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व मनोरंजक के केन्द्र भी होते हैं। यहाँ उनके विचारों, अभिव्यक्तियों का समाधान होता है। चूँकि ये केन्द्र अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण यहाँ परिवहन के साधनों का अभाव होता है। अतः इन केन्द्रों का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है।

जिले की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार इत्यादि प्रस्तुत करने के पूर्व यह ज्ञात करना आवश्यक है कि संबंधित क्षेत्र एवं विवेचित विषय का चयन कर्यों किया गया है। अध्ययन क्षेत्र एक एकांकी तथा ग्रामीण प्रदेश है। यहाँ की जनसंख्या तथा अर्थतंत्र संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में अर्थतंत्र के निर्धारण में विपणन केन्द्रों एवं केन्द्र स्थलों की स्थानिक एवं

आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन जो अब तक अछूता है न केवल एक अभिनय प्रयास होगा। वरन् अर्थतंत्र के नियोजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। जिला कृषि एवं उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है फिर भी आवर्ती विपणन केन्द्र एवं केन्द्र स्थल क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। जिले का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक क्रियाकलापों पर पड़ा है। साथ ही यह क्षेत्र बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है। जिले के विपणन सेना केन्द्र एवं केन्द्र स्थल न केवल बढ़ल रहे हैं। वरन् नये केन्द्र स्थलों का जन्म हो रहा है। इन्हीं उपर्युक्त बातों का ध्यान में रखकर अपने अध्ययन का क्षेत्र जिला डिपॉरी चुना जो स्थानिक एवं आर्थिक आयामों के अध्ययन हेतु आवश्यक है।

**शोध प्रविधि -** प्रस्तुत शोध पत्र का अध्ययन अनेक विभागों के क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्रों से किया गया है। इसका अध्ययन विपणन केन्द्रों के आधार पर भूगोल संबंधी औँकड़ों का संकलन कर प्राथमिक एवं द्वितीय रूपोंत प्रयोग किया गया है। जिसकी जानकारी जिला सांख्यकीय कार्यालय, पुस्तकालयों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की पुस्तिका पत्रकों से भी जानकारी एकत्रित की गई है।

#### उद्देश्य :

1. आवर्ती विपणन केन्द्रों का स्थानिक वितरण क्षेत्र, जनसंख्या तथा आबाद ग्रामों के आधार पर ज्ञात करना।
2. इन केन्द्रों का स्थानिक वितरण प्रतिरूप समरूपता तथा पूँजीकृत प्रतिरूपों से कितना विचलित होता है यह ज्ञात करना।
3. आवर्ती विपणन केन्द्र एवं केन्द्र स्थलों का वितरण प्रतिरूप ज्ञात करना।

**विधि तंत्र -** सर्वेक्षण के पश्चात् प्राप्त किये औँकड़ों को तालिका बंध कर उनका विश्लेषण किया गया। विपणन केन्द्रों एवं स्थलों की प्रचलित विधियों का उपयोग किया गया है। जिनमें मुख्यतः निकटतम पड़ोसी बिन्दु विश्लेषण विधि, जो ग्रामीण अदिवासों तथा आवर्ती विपण केन्द्रों एवं केन्द्र स्थलों का स्थानिक वितरण प्रतिरूप ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि एवं घनत्व ज्ञात करने हेतु स्थानित लबधान विधि का प्रयोग किया गया है। बाजार प्रभाव क्षेत्र गुरुत्व माँडल तथा अनुभवात्मक एवं गुणात्मक विधियों से ज्ञात किया गया है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार भूगोल ने प्रचलित विभिन्न तकनीकि विधियों का प्रयोग किया गया है।

\* शोधार्थी (भूगोल) शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

**परिकल्पना** – अध्ययन क्षेत्र की परिकल्पना में आवर्ती विपणन केन्द्रों का वितरण यादचिक है।

**विश्लेषण** – आवर्ती विपणन केन्द्रों का क्षेत्रफल जनसंख्या तथा आबाद ग्राम के अनुसार स्थानिक वितरण।

**क्षेत्रफल –आवर्ती बाजार अनुपात** – अध्ययन के अनुसार क्षेत्र में प्रति 100 वर्ग कि.मी. में आवर्ती विपणन केन्द्रों की संख्या मात्र 0.63 है जो अत्यन्त कम है। डॉ. वी.के. श्रीवास्तव ने तराई प्रदेशों में यह संख्या प्रति 46 वर्ग कि.मी. में 1 दर्शाई है जो इससे कुई गुना अधिक है।

क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र 0.99 समनापुर तहसील में तथा न्यूनतम 0.46 बजाग तहसील में है। चित्रानुसार निम्नवर्ती क्षेत्र वर्ग में बजाग तथा मेहदवानी तहसील सम्मिलित है इसी तरह मध्यमवर्ती क्षेत्र वर्ग में क्रमशः शहपुरा, करंजिया तथा डिण्डौरी सम्मिलित है तथा उच्चवर्ती क्षेत्र वर्ग में अमरपुर तथा बजाग तहसील सम्मिलित है।

#### जिला डिण्डौरी आवर्ती विपणन के नंबर अनुपात प्रति 100 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल पर

| तहसील/विकासखण्ड | भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. | सासाहिक हाट बाजार की संख्या | प्रति 100 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल पर आवर्ती विपणन केन्द्रों का अनुपात |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|---|
| बजाग            | 865                           | 04                          | 0.46  |
| मेहदवानी        | 764                           | 04                          | 0.52  |
| शाहपुरा         | 1137                          | 06                          | 0.52  |
| करंजिया         | 674                           | 04                          | 0.59  |
| डिण्डौरी        | 1259                          | 08                          | 0.63  |
| अमरपुर          | 623                           | 05                          | 0.80  |
| समनापुर         | 806                           | 08                          | 0.99  |
| कुल             | 6128                          | 39                          | 0.63  |

#### जनसंख्या – आवर्ती बाजार अनुपात :-

अध्ययनगत क्षेत्र में प्रति 10,000 जनसंख्या पर आवर्ती विपणन केन्द्रों की संख्या तीनों कारणों में सबसे कम अर्थात् औसतन 0.67 है, जबकि तराई प्रदेश में एक बाजार केन्द्र 12,000 व्यक्तियों की सेवा करता है यह अनुपात समनापुर तहसील में 1.14 सर्वाधिक तथा करंजिया तहसील 0.53 में न्यूनतम है।

चित्रानुसार प्रकीर्णन विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि निम्नवर्ती क्षेत्र वर्ग में 1 विकासखण्ड करंजिया तथा शहपुरा सम्मिलित है। इसी प्रकार मध्यवर्ती क्षेत्र वर्ग में बजाग मेहदवानी तथा डिण्डौरी तहसीलें एवं उच्चवर्ती क्षेत्र वर्ग में अमरपुर तथा समनापुर तहसीलें सम्मिलित हैं।

#### जिला डिण्डौरी आवर्ती विपणन के नंबर अनुपात प्रति 10,000 जनसंख्या पर

| तहसील/विकासखण्ड | कुल जनसंख्या | सासाहिक हाट बाजार की संख्या | प्रति 100 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल पर आवर्ती विपणन केन्द्रों का अनुपात |
|-----------------|--------------|-----------------------------|---|
| बजाग            | 71611        | 04                          | 0.53  |
| मेहदवानी        | 66796        | 04                          | 0.59  |
| शाहपुरा         | 112297       | 06                          | 0.53  |
| करंजिया         | 75001        | 04                          | 0.53  |

|          |        |    |      |
|----------|--------|----|------|
| डिण्डौरी | 124430 | 08 | 0.64 |
| अमरपुर   | 60704  | 05 | 0.82 |
| समनापुर  | 69891  | 08 | 0.14 |
| कुल      | 580730 | 39 | 0.67 |

#### आबाद ग्राम – आवर्ती बाजार अनुपात :-

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में प्रति 100 आबाद ग्राम पर आवर्ती विपणन केन्द्रों की संख्या 4.32 है जो अन्य कारक क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की तुलना में अधिक है। इस आधार पर प्रथम स्थान पर समनापुर 6.95 का है तथा शहपुरा तहसील में 3.14 न्यूनतम आवर्ती बाजार केन्द्र है।

आबादग्राम आवर्ती बाजार अनुपात के आधार पर निम्नवर्ती क्षेत्र वर्ग में शहपुरा तथा मेहदवानी सम्मिलित है। इसी प्रकार मध्यवर्ती क्षेत्र वर्ग में बजाग तथा डिण्डौरी तहसीलें सम्मिलित हैं एवं उच्चवर्ती क्षेत्र वर्ग अमरपुर तथा समनापुर तहसीलें सम्मिलित हैं।

#### जिला डिण्डौरी आवर्ती विपणन के नंबर अनुपात प्रति 100 वर्ग कि.मी. पर आबाद ग्राम

| तहसील/विकासखण्ड | आबाद ग्राम | सासाहिक हाट बाजार की संख्या | प्रति 100 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल पर आवर्ती विपणन केन्द्रों का अनुपात |
|-----------------|------------|-----------------------------|---|
| शाहपुरा         | 191        | 06                          | 3.14  |
| मेहदवानी        | 11         | 04                          | 3.60  |
| करंजिया         | 104        | 04                          | 3.84  |
| डिण्डौरी        | 188        | 08                          | 4.25  |
| बजाग            | 92         | 04                          | 4.34  |
| अमरपुर          | 101        | 05                          | 4.95  |
| समनापुर         | 115        | 08                          | 6.95  |
| कुल             | 902        | 39                          | 4.32  |

**निष्कर्ष** – उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि, क्षेत्र जनसंख्या तथा आबाद ग्राम के आधार पर आवर्ती विपणन केन्द्रों का अनुपात अत्यन्त कम है। अतः जिला डिण्डौरी के विकास हेतु नवीन आवर्ती विपणन केन्द्रों की स्थापना आवश्यक है। अध्ययन में प्रतिपादित प्रथम परिकल्पना सिद्ध होती है कि आवर्ती विपणन केन्द्रों का विपणन प्रतिरूप यादचिक है।

#### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

- त्रिवेणी, रेणु, विपणन भूगोल, यूनिवर्सिटी बुक हाउस, 1991, पृष्ठ 48-60
- Bromle , R.J. : The spatal pattern and temporal synchronization of Periodic Markets, Swansea Geographer II, 1973, PP 15-25 (III)
- Shrivastava, V.K., Geography of Marketing & Rural Development in Tarai Region of U.P. Inter India Publication, New Delhi, 1987, PP, 82-111
- D.S. Sarote, सांख्यिकीय आधिकारी जिला योजना कार्यालय, डिण्डौरी
- श्री आर.एस. वरकडेत्र, सहायक ग्रेट खखख जिला अधिकारी भू अभिलेख कार्यालय, डिण्डौरी।
- श्री डी.के. गुप्ता, उपयंत्री जिला नगर पालिका कार्यालय, डिण्डौरी

## महाकवि भवभूति के दर्शन में मानवीय मूल्यों की प्रासंगिकता

डॉ. तुलसीराम साकेत \*

**शोध सारांश -** भारतीय दार्शनिकों में एक महाकवि भवभूति शब्दब्रह्माविद परिणतप्रज्ञ है। अतः उनके भावों को समझने के लिए सूक्ष्म अध्यन तथा निरीक्षण परीक्षण कि आवश्यकता पड़ती है किन्तु उनकी उस दुरुह और विलाप भाषा शैली में विकास लक्षित होता है। 'ईश्वर को वेद में अनेक स्थानों पर शतक्रतु नाम से सम्बोधित किया है जो कि ईश्वर के अनन्त कर्मों का घोटक है।'<sup>1</sup> उनके अन्तिम नाटक उत्तररामचरित में प्रथमिक ढो नाटकों कि आपेक्षा शैली अधिक सरल स्पष्ट तथा बोधगम्य हो जाती है। इस प्रकार उनकी शैली में क्रमिक विकास लक्षित होता है। इस विकास ने मानवीय मूल्यों को विकसित किया है। ऐसी विचारधारा मानव को मूल्यों से जोड़ती है। जहाँ भारतीय वाङ्मय में निखरित है।

भावों का वर्णन-व्यंजन में भवभूति की शक्ति अद्वितीय हैं ऐसे भावों को अत्यंत गम्भीरता से प्रविष्ट होते हैं। अनुभूति के साथ उसका वर्णन करते हैं। यह भवभूति की बहुत बड़ी विशेषता है। भावों की अनुभूति तथा वर्णन में संस्कृत का कदाचित् ही कोई कवि इतनी ऊचाई पर पहुँचा हो। भवभूति के नाटक नाट्य काव्य है। काव्य उनका अभीष्ट विषय है और कालिदास के अन्तर इस कोटि का कोई नहीं हुआ। उनका काव्य-गुण नाटक से ऊपर है और उनकी सभी कृतियों में यह प्रदर्शित हुआ है। मानव के मूल ऋतों तक भवभूति की पहुँच है और वहाँ से प्रवाहित होने वाले नाना भावों, मनोविकारों अथवा संवेगों का उन्हें दर्शन होता है। कलाकार की रंगीन और पच्ची कारी भले ही भवभूति में न मिले और प्रकृति के पावन पुजारी तथा मानव के भावुक पालकी के लिए यह अपेक्षित भी नहीं है। पर वर्णन में तलीनता और व्यापकता का यहाँ हमें उन्मुक्त रूप से दर्शन होता है।<sup>2</sup>

**प्रविधि -** इस शोध पत्र में **महाकवि भवभूति के दर्शन में मानवीय मूल्यों की प्रासंगिकता** में द्वितीय शोध प्रणाली के आधार पर विश्लेषणात्मक पद्धति से अध्ययन किया गया है। इसके हेतु मूल धर्म ग्रन्थों को भी सन्दर्भित किया गया है।

**समस्या :**

- मानवीय मूल्यों की समर्या।
- सामाजिक विसंगतियों में मानवीय मूल्यों का क्षण हो रहा है।
- राष्ट्र में उत्पन्न वैचारिक संघर्ष की समस्या।

भवभूति की शैली में गौड़ी रीति का प्रधान्य है जिसमें गद्य भाग में समास बहुल भाषा एवं सानुप्राप्त पद विन्यास की प्रमुखता होती है। यहाँ कालिदास की कमनीय शैली में मधुरिमा है वहाँ भवभूति की शैली में औद्यात्य। यह गुण एक प्रकार से अवगुण का रूप भी धारण कर लेता है क्योंकि इन नाटकों से पूर्ण परिचय जिन दर्शकों या पाठकों ने नहीं प्राप्त किया है। उनके लिए यह गुरु दिखाई पड़ती है। पर भवभूति के पदों में यह बात नहीं है। अंतिम नाटक उत्तर रामचरित की भाषा स्पष्ट है। यहाँ यह भी स्मरण कर लेना चाहिए कि यद्यपि भवभूति माधुर्य गुण में कालिदास से अवर कोटि में आते हैं। इन्हीं भावों की गहराई तथा परिस्थितियों के बहुरूपी चित्रण में निश्चित रूप से आगे निकल गये हैं।

**उद्देश्य :**

- मानवीय मूल्यों का अध्ययन करना।
- दार्शनिक चिन्तन की मूल्य मीमांसीय अध्ययन करना।
- धार्मिक मूल्यों का अध्ययन करना।

**समाधान -** प्रकृति के बहुरंगी चित्रण में भवभूति की शैली अद्वितीय है। भवभूति को प्रकृति का केवल कोमल पक्ष ही अभीष्ट नहीं है। केवल कोमल एवं मनोहर का चित्रण वास्तविक कवि कर्म नहीं है यह तो मात्र विलास प्रियता और तमासवोनी है। सच्चा कवि तो वह है जो प्रकृति के समस्त रूप का

सहदयता से अवलोकन करे और समान अभिनिवेश तथा तलीनता से यथा तथ्य उनका उपन्यास करे।<sup>3</sup> जब हम भवभूति को इस दृष्टिकोण के परिवेश में देखते हैं तो यह स्पष्ट पता चल जाता है कि भवभूति प्रकृति के सच्चे पारखी हैं। कोमल एवं उत्तर सुहावने एवं भयंकर सभी प्रकार के प्राकृतिक दृष्ट्यों को उन्होंने अवलोकन किया है और उनको पूरी तलीनता से व्यंजित किया है। भवभूति की शैली उससे बड़ी चमत्कारणी तथा हृदय हारिणी बन गयी है।

भवभूति की शैली का एक ढोश है लंबे-लंबे ससान्त पदों का योग। यह रिथ्ति उनके गद्य तथा पद्य दोनों में पाई जाती है। लंबे-लंबे गद्य मय संवादों का प्रयोग भी भवभूति में बहुलता में मिलता है। यह अवस्था महावीर चरित्र में है और मालती माधव में अत्यन्त प्रचुरता के साथ पाई जाती है। हो सकता है ऐसा करते समय भवभूति के सामने साहित्य शास्त्रियों का ओज़: समासभूयास्वमिति गद्यस्य जीवितम् का आदर्श रहा हो। यह अवस्था गद्य काव्यों और निबंधों के लिए प्रशस्त भले ही हो पर नाटक में तो यह अवस्था बैरस्य की उत्पादिका तथा रस प्रतीति में व्यवधान डालने वाली है। महावीर चरित्र तथा मालती माधव में वे गौरी रीति का प्रयोग करते हैं जिसका लक्षण काव्यानुशासन में इस प्रकार दिया गया है।<sup>4</sup>

गौड़ी रीति के प्रयोग से इन दोनों नाटकों कि रिथ्ति उत्तर रामचरित से सुतरां भिन्न है। उत्तर रामचरित मानस में करण रस की व्यंजना है तथा तद्वकूल कोमल पदों की संघटना है एवं लम्बे समासों एवं कटु वर्णों का अभाव है। इस नाटक में वैर्धभी रीति का कवि ने आशय लिया है जिसका लक्षण इस प्रकार है -

शब्दों तथा वाक्यों के बंधों में कहीं-कहीं सैथिल्य प्रदर्शन होता है। ऐसे भी कुछ वाक्य हैं जो किसी न किसी प्रकार से ढोष पूर्ण हैं। पर इसके विपरीत भवभूति की शैली भावनाओं की गहराई तथा उन्हें उतने ही उपयुक्त शब्दों में व्यंजित करने के कारण अपनी प्रभावुकता में बेजोड़ है।<sup>5</sup> वे गंभीर से गंभीर

भावों को उतनी समर्थ भाषा में व्यंजित करते हैं जो उस भावना को यथा तथ्य रूप से चित्रित कर देती है। उनकी भाव व्यंजना के विषय में यही कहा जा सकता है।

नवीन उपमाओं की संघटना में भवभूति की शैली कहीं-कहीं कालिदास से भी आगे बढ़ जाती है। संस्कृत के कवियों के नायिका भी आँखों की उपमा मृगी की आँखों से देना बहुत प्रिय था। उनके काव्यों में मृगनयनियों का प्राचुर्य मिलता है।<sup>6</sup> कालिदास की यक्ष वधु की आँखे समान्य मृगी की आँखे नहीं अपितु चकित हरणी की आँखों के समान हैं वह चकित हरिणी प्रेक्षणा (मेघदूत) है एक तो मृगी की आँखों में स्वाभाविक लौल्य फिर चकित अवस्था में पूछना ही क्या? कभी इधर कभी उधर धमूती रहती है।<sup>7</sup> पर भवभूति को इतने से ही संतोष नहीं हुआ। सीता की आँखे समान हरिणी की आँखों के समान नहीं। उनकी आँखें उस प्रकार चंचल हैं जिसप्रकार एक वर्ष के डरे हुये मृग शावक की आँखे चपल होती हैं। एक तो एक वर्ष का छोटा बच्चा दूसरे प्रति आँखें कभी इस दिशा को कभी उस दिशा को देखेंगी। कालिदास के चकित शब्द में उस स्तब्धता भी हो सकती है पर इस त्रस्त और एकहायन की तो स्थिति ही दूसरी है। यहाँ स्थिरता कहाँ?<sup>8</sup>

कवि के उत्तर रामचरित में वैधभी रीति का प्रसार भी दर्शनीय है। भवभूति के ग्रन्थों में सूक्तियों की बहुलता दिखाई पड़ती है भवभूति के मुख से एक बार यदि सुंदर निकल गई तो अवसर आने पर वे उसे पुनः पुनः ढोहराते हैं। यही कारण है कि एक ही श्लोक दूसरे ग्रन्थों में भी ढुहराया गया मिलता है। ऐसे श्लोक बहुलता से मिलते हैं।<sup>9</sup>

भाषा ही भाव-व्यंजित करने का साधन है। दूसरे शब्दों में वह भावों की वाहिका है। जिस प्रकार शरीर के बिना प्राण की सत्ता नहीं उसी प्रकार भाषा के बिना भी भाव की सत्ता नहीं। समर्थ कवियों में भाषा भाव का अनुग्रन्थ करती है।<sup>10</sup> जिस प्रकार के भाव की वर्णना करनी है उसी प्रकार की भाषा ढल जायेगी। समर्थ कवियों की भाषा एक अत्यन्त तरल पदार्थ होती है जो किसी भी ढाल पर ढल जाया करती है।<sup>11</sup> यदि शृंगार-रस की वर्णना में कटुवर्ण बहुल भाषा होगी तो यह नितान्त अनुचित तथा अरोचकी बात होगी। इसी प्रकार वीर तथा रौद्र रसों की वर्णना में कोमलकान्तपदावली

बाली भाषा दिखाई पड़े तो यह अनस्थान बात होगी।<sup>12</sup>

**निष्कर्ष -** भवभूति की भाषा में भावों की अभिव्यक्ति की अपूर्व शक्ति है। किसी दृश्य को उपरिथत करते समय भाषा उसे मूर्तिमान रूप में उपरिथत कर देती है। भाषा की ध्वनि ऐसी होती है पूरा दृश्य ही ध्वनित हो उठता है। भाषा की शक्ति का ऐसा उदाहरण अन्यत्र दुलभ है। ‘एते ते कुहरेशु गद्दनद्द गोदावरीवारयो’ (उत्तर 2/30) इत्यादि उदाहरण इस बात के स्पष्ट द्योतक है। भाषा की शब्दावली ही इस प्रकार ध्वनित हो रही है कि नदी का गद्दनद्दनाद ध्वनित हो उठता है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रो. महावीर, वेदों में आर्थिक चिंतन, प्रगतिशील प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृष्ठ 24
2. संस्कृत साहित्य का इतिहास आचार्य बलदेव उपाध्याय, शारदा भवन, वाराणसी, 1968, पृष्ठ 576
3. पूर्ववत, 321
5. सं सा का इति. आचार्य बलदेव उपाध्याय शारदा भवन वाराणसी, पृष्ठ 322
6. पूर्ववत्
7. सं सा. का इति. आचार्य बलदेव उपाध्याय शारदा भवन वाराणसी, पृष्ठ 323
8. सं. सा. का इतिहास वाचस्पति गैरोला चौ. वि. वाराणसी 1967, पृष्ठ 538
9. सं सा. का इतिहास आचार्य वाचस्पति गैरोला, पृष्ठ 540
10. डॉ. सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव, पातंजलियोगदर्शनम्, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2011, पृष्ठ 357
11. डॉ. एस.एन. दासगुप्त, भारतीय दर्शन का इतिहास (भाग-2), राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1989, पृष्ठ 318
12. डॉ. सच्चिदानन्द मिश्रा, न्यायदर्शन, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, 1999, पृष्ठ 360

\*\*\*\*\*

## प्राचीन धार्मिक परम्पराओं में प्रतिपादित पर्यावरण संरक्षण

डॉ. दीपक सिंह \*

**प्रस्तावना** – वेदों और उपनिषदों में पंच तत्वों, वनस्पति तथा पर्यावरण संरक्षण पर विशेष चर्चा की गई है। प्राचीन मनीषी ऋषि-मुनियों ने शरीर को पंच भौतिक तत्वों से निर्मित माना है और मृत्यु के उपरान्त भी देह वापिस पंच भौतिक तत्वों में विलीन हो जाती है। आत्मां अर्थात् चेतना अविनाशी होने के कारण किसी न किसी रूप में रह जाती है। आत्मा एवम् मन सृष्टि के दो ऐसे मूलभूत तत्व हैं, जिनका विचार पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा शायद ही किया गया हो। आत्म एवं मन का सीधा सम्बन्ध धर्म से है, धर्म सृष्टि को धारण करने वाला तत्व है। प्रारम्भिक काल में भौतिक प्रगति का आधार था आवश्यकता। धीरे-धीरे आवश्यकता का स्थान सुविधा एवं उपभोग ने ले लिया। वर्तमान में उपभोगवाद की पराकाष्ठा यह है कि मनुष्य ने स्वयं के जीवन एवं स्वास्थ्य को भी सुविधा, सम्पद्भान्ता एवं उपभोग के समक्ष गौण कर दिया है और वह स्वास्थ्य की परवाह न करके वस्तुओं के उपभोग के लिए सतत प्रयत्नशील है। विड्म्बना की बात है कि मात्र सुविधा एवं स्वास्थ्य के मूलभूत आवश्यक तत्वों को विकृत किया जा रहा है। महात्मा गाँधी ने कहा था कि 'प्रकृति ने मूल आवश्यकता की पूर्ति के लिए सब कुछ दिया है परन्तु लालच और धान पिपासा को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं'। पूर्व प्रधान मंत्री शीमती इन्दिरा गाँधी ने कहा था कि 'पर्यावरण संरक्षण' में खुचि लेना एक भावुकता नहीं है बल्कि मनीषियों ने जिस सत्य की खोज की थी उसका पुनः आविष्कार करना है। भारत की प्रचीनतम संस्कृति अरण्य संस्कृति तो मात्र प्रकृति की उपासना ही है। विश्व की प्राचीनतम मानव सभ्यता के युग से आधुनिक सभ्यता, संस्कृति एवं वैज्ञानिक आविष्कारों का मुख्य आधार भू मण्डल में स्थित प्रमुख चार अवयव जल, अग्नि, वायु और मृदा है। इन चारों वस्तुओं के विषय से सम्बन्धित ज्ञान को वेद कहते हैं। वेद चार हैं-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनकी चार अलग-अलग संहिताएं हैं। भूमण्डल में स्थित चार वस्तुओं में से जल के सम्बन्ध में सामवेद में वर्णन किया गया है। सामवेद में जल के रूपान्तर कार्य तथा गुणों को ज्ञान आदि विश्लेषणात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग से सविस्तार उपलब्ध है। ऋग्वेद में अग्नि के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यजुर्वेद में वायु के विभिन्न प्रकार एवं उनके कार्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार अथर्ववेद में मृदा के विभिन्न गुणों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ऋग्वेद में पृथकी जल, आकाश तथा वायु को माँ, पिता और पुत्री की तरह स्वीकार किया गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रन्थ में कहा गया है कि सम्पूर्ण जगत जल में व्याप है। सम्पूर्ण प्राणियों वनस्पतियों तथा औषधियों में सार तत्व के रूप में जल विद्यमान है, अतः इसे परम रस कहा गया है। यह सब प्राणियों में प्राण का संचार करने के कारण प्राण कहलाता है। श्रुति कहती है कि सूर्य आप (जल) में ही उदय होता है और आप में ही अस्त होता है, यह स्वयं पवित्र है व सभी

को पवित्र करने वाला तत्व है। यह अज्ञ का उत्पादक होने से अज्ञ भी कहलाता है ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि वह कौन सा वृक्ष है जिससे ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की है इसके उत्तर में कहा गया है कि ब्रह्म रूप वृक्ष से सृष्टि की रचना हुई। विश्व में जो वृक्ष-लताएं, जीव-जन्तु, रुग्न-पुरुष सभी चैतन्य हैं इनका संरक्षण विष्णु ही करते हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास ने लिखा है कि फूलों से परिपूर्ण वृक्ष मानव को इस लोक में तृप्त करते हैं जो व्यक्ति वृक्ष का ढान करता है, उसे ये वृक्ष पुत्र की ही भांति परलोक में तार देते हैं। विष्णुपुराण में हरे वृक्षों की कटाई को पाप माना जाता है यथा-

**असिपत्रवनं याति वनच्छेदी वृथेव यः।**

दुर्गा सप्तशती के एक ६८ोंक में कहा गया है-

**यावद् भूमंडलं धाते सशीलंवन काननम्।**

**तावत् तिष्ठति मेंदिन्यां संन्तीः पुत्रपोत्रिकी॥**

अर्थात् जब तक पृथकी वृक्षों और पहाड़ों से युक्त रहेगी, तब तक मनुष्यों का पालन-पोषण करती रहेगी। भारतीय संस्कृति में बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जो पूजनीय माने जाते हैं उनकी पूजा बड़ी श्रद्धा से की जाती है प्राचीन काल में जब लोग वृक्षों के नीचे रहते थे तब वे वृक्षों का बड़ा सम्मान करते थे और शान्ति की प्राप्ति के लिए जैसे इन्द्र वर्षण आदि देवताओं से प्रार्थना करते हैं वैसे ही वृक्षों की भी प्रार्थना करते थे।

'वनिनो भवन्तु शशं नो'। अर्थात् वृक्ष हमारे लिये शान्ति कारक हों। ब्राह्मण ग्रन्थ एवं उपनिषदों में तो पवित्र वृक्षों के नाम तक गिनाये गये हैं। यज्ञ का जीवन वृक्षों की लकड़ी को माना गया है। यज्ञों में समिधा के निमित्त बरगद, गूलर पीपल और पाकड़ इन्हीं वृक्षों की लकड़ियों को विहित माना गया है और कहा गया है कि यह चारों वृक्ष सूर्य रथिमयों के घर है।

'ऐते वै गन्धार्वप्रसरसां गृहम्' बौद्ध गन्थों में तो स्पष्ट वर्णन है कि कुछ देवता वृक्षों पर ही रहते हैं इसलिये भिक्षुओं के लिए वृक्ष को काटना मना किया गया है, पर जो भिक्षु किसी वृक्ष को काटता है उसे 'पाचितिय' (प्रायश्चित) करना पड़ता है। पीपल, आम, बरगद, आँवला, सिरसा, गूलर, नीम, बेल, बांस, देवदार, चन्दन, तुलसी आदि के वृक्ष भी पवित्र माने जाते हैं। बौद्ध धर्म एवं हिन्दु धर्म दोनों में पीपल को विशेष महत्व दिया गया है। बौद्ध जनता इसे बोधिवृक्ष कहकर पूजती है व हिन्दू इसे वासुदेव कहते हैं। नीता में भगवान श्री कृष्ण ने 'अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम्' कह कर पीपल को अपना स्वरूप बतलाया है। हमारे मनीषियों ने पर्यावरण शुद्धिकरण के लिये शान्ति मन्त्रों से स्तवन किया है-

**घौः शान्तिरनिधिः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः।**

**शान्तिरोपधायः शान्तिः।**

**वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिरु**

**सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिरेति॥।**

\* असिस्टेन्ट प्रोफेसर (इतिहास) स्वामी शुकदेवानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) भारत

भ्राव यह है कि हमारे लिये आकाश, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, जल औषधियाँ, वनस्पतियाँ, विश्वदेव तथा ब्रह्मा सभी शान्ति प्रदान करने वाले हों, चारों ओर शान्ति हो।

इस शान्ति पाठ में पर्यावरण सन्तुलन को बनाये रखने हेतु ऋषियों द्वारा प्रार्थना की गयी है, जिससे स्पष्ट होता है कि वैदिक ऋषि पर्यावरण के प्रत्येक रूप की रक्षा एवं सन्तुलन के प्रति कितने सजग थे। उन्होंने जनसामान्य में श्रद्धाभाव जाग्रत कर प्रकृति के सभी रूपों की अशान्त अर्थात् आज के परिप्रेक्ष्य में प्रदूषित न करने की प्रेरणा दी। साथ ही जीवन के प्रति संकट बन रहे प्रदूषण से सजग रहने की प्रेरणा भी दी।

यजुर्वेद में पेड़-पौधों और पशुओं की रक्षा करने की शिक्षा दी गयी है तथा उनको हानि न पहुँचाने का भी उल्लेख प्रास होता है। यजुर्वेद में ऋषियों ने पर्यावरण के सभी घटकों की रक्षा के साथ ही यज्ञ की महता को भी पतिपादित किया है तथा प्राकृतिक सन्तुलन बनाये रखने के लिये मानव को प्रेरित किया है। वे चाहते थे कि पर्यावरण के किसी घटक में असन्तुलन न रहें। पारिस्थितिकीय सन्तुलन बना रहे, प्रकृति पूर्ण सौम्यावस्था में रहे।

हमारे ऋषियों ने अपनी प्रखर एवं पैनी दृष्टि से पर्यावरण-परिष्करण के लिये यज्ञ जैसी उत्तम प्रक्रिया का अन्वेषण किया था। शुक्लयजुर्वेद के प्रथम अध्याय में बताया गया है कि अग्नि को आहुतियाँ अर्पित करने का नाम यज्ञ नहीं है अपितु यज्ञ एक भावना है जो समस्त पर्यावरण को सुवासित करती है। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि यज्ञ से उत्पन्न धूप से नाइट्रोजन व अमोनिया उत्पन्न होकर वातावरण को कार्बन-डाई-आक्साइड को नष्ट करके वातावरण को शुद्ध बनाती है। शुक्लयजुर्वेद में यज्ञ द्वारा वायु एवं जल को शुद्ध करने के मंत्र दिये गये हैं तथा बताया गया है कि जिस वेद वाणी का यज्ञ में उच्चारण किया जाता है वह भी यज्ञ का ही रूप है क्योंकि इनसे धवनि प्रदूषण नहीं होता है। धवनि प्रदूषण के कुण्ठरिणाम का मंत्र तथा संगीत के माध्यम से भी कम किया जा सकता है। ज्यूरि के डॉ० हंस जेनी ने धवनि तरंगे किस प्रकार पदार्थ को परिवर्तित करते हैं, का अध्ययन किया है। उन्होंने इस बात की भी खोज की है और जैसे मन्त्रों को बार-बार जप करने से तनाव शिथिल हो जाता है तथा व्यक्ति विश्रान्ति एवं आनन्द की अनुभूति करता है। शान्ति कुंज हरिद्वार में गायत्री मंत्र की शक्ति के अनेक परीक्षण किये गये हैं और पाया गया है कि संगीत एवं मंत्र धवनि के घातक प्रभाव को मिटाते हैं। संगीत की धवनि में लय और तालमेल होता है जिससे हमें आनन्द की प्राप्ति होती है। सुखी एवं स्वरुप जीवन के लिए पर्यावरण के महत्व को आयुर्वेद ने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आयुर्वेद ने अर्थम् को पर्यावरण-प्रदूषण का मूल कारण माना है। अर्थम् पर्यावरण को दो प्रकार से प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष रूप में और परोक्ष रूप में। प्रत्यक्ष का धार्मिक आचरण तीन प्रकार से विभाजित किया जा सकता है- स्वयं के प्रति धर्म समाज के प्रति धर्म एवं प्रकृति के प्रति धर्म।

धर्म के तीनों घटकों के पालन में विसंगति को अर्थम् कहा जा सकता है। प्रकृति के प्रति अर्थम् प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रभावित करता है यह किस रूप में होता है, इसके स्पष्टीकरण के लिये नीचे एक तालिका प्रस्तुत है-

| महाभूत    | पर्यावरण प्रदूषण | प्रभाव  |
|-----------|------------------|---|
| 1. पृथ्वी | भूमि प्रदूषण     | औषधियों एवं खाद्याङ्ग का हीन गुणयुक्त उत्पन्न होना, भूकम्प, भूमिश्वलन आदि आपदाएं। |
| 2. जल     | जल-प्रदूषण       | वनस्पति एवं प्राणी स्वास्थ्य पर सीधा  |

|         |                |  |
|---------|----------------|--|
| 3. तेज  | प्रकाश/प्रदूषण | प्रभाव, जल के प्रवाह सम्बन्धी उपद्रव-बाढ़, अकाल आदि।       |
| 4. वायु | वायु-प्रदूषण   | वनस्पति एवं प्राणि-स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव।               |
| 5. आकाश | धवनि प्रदूषण   | वनस्पति एवं प्राणि स्वास्थ्य पर शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव। |

वर्तमान में प्रकृति के नियमों की अवमानना हर प्रकार से की जा रही है। काल की अवमानना का एक उकाहरण इस प्रकार है ऋतु के अनुसार प्रकृति द्वारा उत्पन्न खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हितकर होता है। इसकी अनदेखी करके विपरीत ऋतु में उसका उत्पादन एवं उपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार दिनचर्या में काल की अवमानना के कई उदाहरण दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। प्रचीन काल में रोगोत्पत्ति एवं पर्यावरण प्रदूषण का अर्थम् के अतिरिक्त कोई कारण न था, क्योंकि उस समय प्रकृति को दूषित करने वाले अन्य भौतिक साधान उपलब्ध नहीं थे एवं लोगों में प्रकृति के नियमों के प्रति आदर था। वर्तमान में दोनों ही कारणों में विकृति आ गयी है, यही कारण है कि वायु, जल, देश एवं काल का जनपदोधर्वसनीय स्वरूप उपस्थित होता जा रहा है। काल के अनुसार धर्म में गुणात्मक परिवर्तन आता है एवं यह सृष्टि का आधारभूत तत्व होने के कारण पर्यावरण में गुणात्मक कमी का कारण बनती है। सूत्र रूप में यह कहा जा सकता है कि आयुर्वेदीय मत से सुखाय (सुखपूर्वक जीवन यापन) एवं हितायु (प्राणियों के हित में जीवन यापन) श्रेष्ठ काल का निर्माण करती है जबकि दुःखायु (कष्टपूर्वक जीवन यापन) एवं अहितायु (अन्य प्राणियों को दुःख एवं कष्ट देते हुए जीवन यापन) अवर काल का निर्माण करती है। अतः वर्तमान में सुखायु एवं हितायु की मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि का प्रयास किया जाना चाहिए, जो परिणाम के परिप्रेक्ष्य में यह आयुर्वेदीय सूत्र परम आदरणीय एवं पालनीय है-

**सुखार्थः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः।  
सुखं च न बिना धर्मस्तस्मान्धर्मपरो भवेत्॥**

इस तरह धार्मिक ग्रन्थों में कई उल्लेख मिलते हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि प्राचीन ऋषि मुनियों की दूरदृष्टि तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने न केवल पर्यावरण रक्षा की शिक्षा दी अपितु सम्पूर्ण पर्यावरण को संतुलित रखा। आज यज्ञ विषयक वैज्ञानिक अनुसन्धानों से स्पष्ट हो गया है कि यज्ञ केवल आरथा नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का सरल एवं श्रेष्ठ उपाय है। यह वायु प्रदूषण, धवनि प्रदूषण का नियंत्रक होने के साथ-साथ विभिन्न रोगों के निदान में भी महत्वपूर्ण साधान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदों के वर्णन आज के परिप्रेक्ष्य में विशेष उपयोगी हैं। आज जबकि प्रदूषण सम्पूर्ण प्रकृति में व्याप्त हो रहा है, तब वेद की शिक्षाओं को अपनाना परम आवश्यक है ताकि इस धारा का पुनः उज्ज्वल बनाया जा सके एवं पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखा जा सके।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची :-**

1. तलवार, एस.सी., पर्यावरण संरक्षण, पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर-2001
2. ऋबुर्वेद खण्ड दो सूत्र-55

3. आवैभिवां इदं सर्वमास 4-5-77 शब्दा
4. आपो हेवा औषधीशं रस, 3, 1,2,10 शब्दा,
5. आपो वै, प्राण-3,8,2,4 श.ब्रा,
6. पवित्रा व आप : 3,1,2,10 श.ब्रा,
7. अना वा आप, 2, 1, 1,3, श.ब्रा,
8. ऋत्वेद 10-129-7,
9. ऋत्वेद 7-35-5,
10. शत. ब्रा 1,15,14,11,
11. यजुर्वेद 36/17,
12. यजुर्वेद 36/18,
13. यजुर्वेद 36/10,
14. यजुर्वेद 13/18,
15. यजुर्वेद 36/12,
16. यजुर्वेद 4/1,
17. यजुर्वेद 13/27,
18. यजुर्वेद 36/22,
19. यजुर्वेद 14/18,
20. अष्टागहृदय 2/20

\*\*\*\*\*

# A study of satisfaction level of Hunar Se Rozgar Tak Trainees after Training with special reference to Udaipur

Prof. Ashok Singh \* Om Prakash Meena\*\*

**Abstract** - Hunar se rozgar tak is a central government funded programme which provides short term courses of six to eight weeks without charging anything. For hospitality sector ministry of tourism introduced capacity building for service providers scheme for increasing skilled manpower. The initiative targeted persons with not much means and in need to acquire skills facilitative of employment. It is open for any 8<sup>th</sup> pass person of age between 18-28. Many candidates have completed HSRT course from affiliated institute, hotels of Udaipur. This paper shows the satisfaction level of HSRT trainees in Hotel. Percentage and mean was applied to find out the result.

**Key Words:** Hotel industry, Skill development.

**Introduction** - Hunar se rozgar tak is a central government funded programme which provides short term courses of six to eight weeks without charging anything. For hospitality sector ministry of tourism introduced capacity building for service providers scheme for increasing skilled manpower. The initiative targeted persons with not much means and in need to acquire skills facilitative of employment. It is open for any 8<sup>th</sup> pass person of age between 18-28.

## Conduction of HSTR Training Programmes

**Food Craft Institute, Udaipur – Overview** - Food Craft Institute, Udaipur was established in 1989 by the Govt. of India and Govt. of Rajasthan, Institute is affiliated to National Council for Hotel Management and Catering Technology, Noida. In 2017, institute has been upgraded in State Institute of Hotel Management. The institute is running various types of hospitality courses. Institute has running one and half year trade diplomas in various trades like Food Production, Food & Beverage Service, Front office Operation and House Keeping. Institute has also running various types of Government Skills Development programmes under Capacity Building of Service Providers like **Skill Certification programmes, Hunar Se Rozgar Tak** for hotel industry. Udaipur is a famous tourist destination in Rajasthan and here a number of five star hotels, small hotels have arrived in this area to facilitate the domestic and international tourist. So keeping in view of requirement of trained skilled manpower for guest satisfaction, , better interaction. During 29 years of Hospitality Education, Institute achieved academic excellence and Institute has a best placement record in hotel industry in Udaipur.

Ministry of tourism, Government of India was started skill development programmes in 2009. First certificate course for waiters under Hunar se Rozgar Tak was started

in 2010 at Food Craft Institute with 22 students. Since 2017, approx. 997 trainees trained under Hunar se Rozgar tak in various trades by the training institute and Approx. 265 trainees trained by the different hotels in Udaipur,

**Training conducted by the State Government/ Union Territory Administration** - The State/Union Territory Governments have been given the mandate to select suitable Institutes both government and private for implementation of the HSRT initiative. However, financial assistance are paid to the State / Union Territory Government and Government disburses the same to the Institutes selected as Implementing Agencies. The objective of this extension is to reach out to the young eligible persons in much greater numbers.

**Training conducted by Star Category Hotels** - To give boost to the HSRT, the Ministry of Tourism has established partnership with Hotel Association of India and Federation of Hotel Restaurants Association of India for training in classified hotels. Besides, developing skilled labour has been made mandatory for hotels from the date of classification and the guidelines for classification / re-classification of hotels have been amended. The main goal of this strategy is to synergize the efforts of Ministry of Tourism and the hotel industry to skill persons in trades specific to hospitality trades.

**Review of literature - Ministry of tourism market research (2016)** from this study it was found that not all trainees are interested to take placement or work in hotel industry. When researcher tried to find out reasons for it, they found that some of were not interested to work, some of them said that the job offer by hotel was not encouraging. Further study shows that majority of trainees of HSRT working in industry mentioned that they got job by their own

\*Professor (Director) (Tourism and Hotel Management) Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Raj.) INDIA

\*\* Research Scholar (Tourism & Hotel Management) Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Raj.) INDIA

efforts however, only few mentioned that they got job through institution.

Also mentioned in study about proposed programme of HSRT "Earn while you learn" and "campaign clean India. Programme started in Delhi first on pilot basis.

#### **Study on "evaluating effectiveness of hunar se rozgar tak (HSRT) scheme"-2016.**

| S.  | States/UT                   | No of trainees trained under Hunar Se Rozgar Tak |               |               |               |
|-----|-----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
|     |                             | 2012<br>-13                                      | 2013<br>-14   | 2014<br>-15   | Total         |
| 1.  | Andaman and Nicobar Islands | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 2.  | Andhra Pradesh              | 0  | 300           | 0             | 300           |
| 3.  | Arunachal Pradesh           | 0  | 400           | 0             | 400           |
| 4.  | Assam                       | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 5.  | Bihar                       | 0  | 166           | 315           | 481           |
| 6.  | Chandigarh                  | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 7.  | Chhattisgarh                | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 8.  | Dadra and Nagar Haveli      | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 9.  | Daman and Diu               | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 10. | Delhi                       | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 11. | Goa                         | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 12. | Gujarat                     | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 13. | Haryana                     | 0  | 810           | 1401          | 2211          |
| 14. | Himachal Pradesh            | 0  | 0             | 233           | 233           |
| 15. | Jammu & Kashmir             | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 16. | Jharkhand                   | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 17. | Karnataka                   | 1529   | 6700          | 6900          | 15129         |
| 18. | Kerala                      | 298  | 0             | 258           | 556           |
| 19. | Lakshadweep                 | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 20. | Madhya Pradesh              | 1339   | 2257          | 916           | 4512          |
| 21. | Maharashtra                 | 25   | 0             | 285           | 310           |
| 22. | Manipur                     | 0  | 150           | 350           | 500           |
| 23. | Meghalaya                   | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 24. | Mizoram                     | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 25. | Nagaland                    | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 26. | Odisha                      | 1000   | 1500          | 750           | 3250          |
| 27. | Puducherry                  | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 28. | Punjab                      | 0  | 3308          | 1906          | 5214          |
| 29. | Rajasthan                   | 499  | 2546          | 0             | 3045          |
| 30. | Sikkim                      | 0  | 150           | 0             | 150           |
| 31. | Tamil Nadu                  | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 32. | Telangana                   | 0  | 0             | 0             | 0             |
| 33. | Tripura                     | 62   | 0             | 0             | 62            |
| 34. | Uttar Pradesh               | 1350   | 155           | 20            | 1525          |
| 35. | Uttarakhand                 | 1408   | 4085          | 5853          | 11346         |
| 36. | West Bengal                 | 0  | 2321          | 0             | 2321          |
|     | <b>Total</b>                | <b>7,510</b>                                     | <b>24,848</b> | <b>19,187</b> | <b>51,545</b> |

**Source: STUDY ON "EVALUATING EFFECTIVENESS OF HUNAR SE ROZGAR TAK (HSRT) SCHEME"-2016.**

The study show that a total number of 51545 trainees have been trained by the State Governments under Hunar se Rozgar Tak scheme during 2012-13, 2013-14, 2014-15. While 7,510 trainees were trained by the state governments

under Hunar se Rozgar Tak scheme during 2012-13. During 2013-14, 24,848 trainees were trained, and 19,187 trainees were trained during 2014-15.

Out of 36 states/Union Territories, 18 states governments have taken initiatives in providing trainings to the target group under HSRT scheme during 2012-13, 2013-14, 2014-15. It was observed that there is variation in performances across states in implementing Hunar Se Rozgar Tak Scheme during 2012-13, 2013-14, 2014-15.

As per the table it can be observed that Karnataka and Uttarakhand State Governments has given very good performance providing training to more than 10000 beneficiaries under the scheme during the reference period; while Punjab, Madhya Pradesh, Odisha and Rajasthan State Governments have given good performance by providing training to more than 4000 beneficiaries under the scheme. Further, West Bengal, Haryana and Uttar Pradesh State Government gave average performance by providing training to more than 1000beneficiaries under the scheme. The performance of Kerala, Manipur, Bihar, Maharashtra, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Sikkim and Tripura State Governments can be rated as poor since less than 1000 beneficiaries have been trained under HSRT Scheme by the concerned State Governments during 2012-13, 2013-14and 2014-15.

**Research Methodology** - Sampling and sample size: convenience sampling was adopted with sample size of 218.

Statistical tools: mean were used to find out the satisfaction level of trained staff by HSRT.

**Table 1.: Job Satisfaction after HSRT Training**

| Factors                                 | Mean Score | Result    |
|---|------------|-----------|
| Job security                            | 3.48       | Satisfied |
| Job profile                             | 3.50       | Satisfied |
| Employment leaves                       | 3.50       | Satisfied |
| Working hours                           | 3.71       | Satisfied |
| Management policies like insurance & PF | 3.21       | Neutral   |

**Chart 4.6.2: Job Satisfaction after HSRT Training**



**Job Satisfaction after HSRT Training** - After the completion of HSRT training program the respondents were asked to indicate their job satisfaction. It has been observed

that after HSRT training respondents are satisfied with Job security (Mean Score=3.48), Job profile (Mean Score=3.50), Employment leaves (Mean Score=3.50), and Working hours (Mean Score=3.71). The respondents have indicated neither satisfaction nor dissatisfaction with Management policies (Mean Score=2.17).

**Conclusion** - From the above study it can be concluded that person who is joining hotel industry after HSRT training are satisfied with working hours, Job profile, Employment leaves, however, they feels that management policies like PF, Insurance are not as per their expectation. Therefore, hotels needs to improve their policies like Provided Fund , insurance etc.

**References :-**

1. Paper, T. (2013, January). Engaging Diaspora: The Indian Growth Story. *Eleventh Pravasi Bharatiya Divas* , p. 36.
2. SECRETARIAT (2013, August). Tourism Sector in India. *REFERENCE NOTE .* , pp. 2-4.
3. Department of Tourism, G. o. (2012-13). *Annual Activities Report*. Bhubaneswar: Department of Tourism.
4. Shiksha. (2012, Oct 17). Retrieved November 20, 2017, from <https://www.shiksha.com/>: <https://www.shiksha.com/hospitality-travel/hotel-hospitality-management/articles/irctc-offers-skill-training-in-hospitality-blogId-5061>
5. Raju, K. S. (2012, July). SIHRA initiatives. p. 18.
6. Sharma, R. (2012, November). Imparting skills and giving jobs too. *HARYANA REVIEW* , 26 (11), pp. 48-49.
7. Gupta, A. (2012, July). Hunar Se Rojgar Programme. *GREAT MANGLA TIMES* , 1 (12), p. 2
8. Chakraborty, A. (2012). *Hunar Se Rozgar Yojana*. New Delhi: DDP Publications.
9. Hiremath, S. (2012, November). Hunar Sr Rozgar Tak. *GCCI Bulletin* , p. 36.
10. [http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/110039/8/08\\_chapter%203.pdf](http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/110039/8/08_chapter%203.pdf)

\*\*\*\*\*

# छत्तीसगढ़ की साहित्य परम्परा में पं. श्यामलाल चतुर्वेदी जी का अवदान

डॉ. श्रद्धा मेशाम \* त्रिलोकी रिंह क्षत्री \*\*

**प्रस्तावना** – भारत विश्व का ऐसा देश है जो अन्य देशों के लिए सदैव आकर्षण का केन्द्र रहा है। भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश और उससे निकलकर 1 नवम्बर सन् 2000 में स्वतंत्र एवं पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को प्रकृति ने भी मानों बड़े ही उदारता से अपने दोनों हाथ खोल कर सजाया और संवारा है। यहाँ का वन आच्छादित क्षेत्र व रन्गभर्ता भूमि, इतना ही नहीं अपनी ऐतिहासिकता के लिए भी यह क्षेत्र हर युग में अलग-अलग नामों से विख्यात रहा है। अपनी सांस्कृति विविधता लोक जीवन, रीति-नीति, लोक – परम्परा, लोक गीत, लोक नृत्य आदि विभिन्न विशेषताओं से इस राज्य का इतिहास सदैव ही समृद्ध रहा है। इस पावन धरा ने अपनी गोद में ऐसे-ऐसे सपूत्र देश को दिया जो अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण इतिहास में अमर हो गये। छत्तीसगढ़ के इसी पावन भूमि में एक ऐसे ही महान् साहित्यकार व पत्रकार का जन्म हुआ जिसने अपनी मातृभूमि का नाम रौशन किया। एक ऐसा साहित्य का पुरोधा जिसने न केवल छत्तीसगढ़ी भाषा में साहित्य सृजन का कार्य किया बल्कि उसे नया मुकाम दिलाया। जिसकी लेखनी हिन्दी व छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में समान भाव से चली। एक ऐसा व्यक्तित्व जो संरक्षक है अपनी लोक परम्पराओं का, जिसने जिया अपनी परम्पराओं का, जिसके कथनी और करनी में कोई विशेष अंतर नहीं मिलता।

छत्तीसगढ़ के माटीपुत्र, जिसने अपने शुभ कर्मों के द्वारा अपनी मातृभूमि, छत्तीसगढ़ राज्य को गौरवान्वित किया। छत्तीसगढ़ी साहित्य को समृद्धि प्रदान किया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन ने जिसे 'पद्म श्री' के सम्मान से सम्मानित किया है। जो 'छत्तीसगढ़ के रखवार' के नाम से प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के इस महान साहित्यकार का नाम है पं. श्यामलाल चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी को 'छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग' के प्रथम अध्यक्ष पद पर रहने का गौरव प्राप्त है। पं. श्यामलाल चतुर्वेदी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका कर्म ही ऐसा पावन और पुनित है, कि ये लोगों के दिलों में राज करते हैं। चतुर्वेदी जी की रचनाओं में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने साहित्य साधना के लिए अपनी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी को चुना। एक तरफ अपनी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी में साहित्य सृजन कर मातृभाषा छत्तीसगढ़ी का मान बढ़ाया वहीं छत्तीसगढ़ी भाषा में भावनाओं को व्यक्त करने की पूर्ण क्षमता है इनसे सबको अवगत कराया। चतुर्वेदी जी की रचनाओं में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने साहित्य साधना नाम कमाने के उद्देश्य से नहीं वरन् इनकी रचनाएँ इनके हृदय के उद्घार हैं। चतुर्वेदी जी की रचनाएँ अनुभूति परक हैं इसीलिए वास्तविकता के धरातल पर खड़े प्रतीत होते हैं। जिसमें कल्पनाओं का कोई विशेष स्थान नहीं है। चतुर्वेदी जी की रचनाओं में छत्तीसगढ़ की मेहनतकश, भोली-भाली, और ग्रामांचल में अभावों

के बाद भी जीवन के हर रंग को जिंदादिली से जी रहे ग्रामीण जीवन का जीवंत चित्रण मिलता है। बिना किसी अतिश्योक्ति के जीवन के वास्तविक धरातल पर आपकी रचनाएँ सीधे हृदय में प्रवेश कर जाती हैं। 'बेटी के बिडा में' जहाँ चतुर्वेदी जी ने बिदाई के करण और हृदय विदारक बेला का जीवंत चित्रण किया है। वधु पक्ष में किस तरह से वधु के पाणिग्रहण होने पर माता-पिता को परम संतोष होता है, वहीं अपनी लाडली बिटिया को अपनों से दूर जाते देखना। एक-दूसरे के गले से लिपटकर आंखों से गंगा-जमुना की अविरल धारा का प्रवाहित होना। सुख और दुःख का ऐसा संगम जो दोनों एक ही साथ एक ही समय पर चित्रित करना कोई सरल कार्य नहीं है। दृष्टव्य है कुछ पॅकियॉ-

जिवराखन हर चल देही, तव जीव रहे म का हे, ? 23

बेटी जन्मा के जानेव, का गुरतुर का करसा हे?

एक तो बेटी झान होतिस, होतिस त बिदा झान करतिस।

पर जातिस बिदा करे बर, औंधरी भैरी कर देतिस॥

ऐसे ही 'कर्म प्रधान विश्व रचि राखा य' की मूल भावना को सार्थक करते हुए 'ये धरती करमझता के हय य' नामक शीर्षक से दृष्टव्य है कुछ पॅकियॉ-

हमर बनौर बनौकी हमर हाथ म, भल अनभल मन चाही॥ 88

लंगटा कस चाहे दिन काटी, चाहे राजा साही॥

सिरजोइया संसार बनोइया, सब के चेत रखइया।

दुनिया म सब जिनिस बनादिस पाही काम करइया।

कर्ता के ये पिथरी हर ये, करम करव लौ लाहो।

मीठ फरे हे आमा, खहीं तव सेवाद ल पाही॥

मेहनत कर उजोग म रहही, तउने तो सूख पाही।

ठलहा हांथ पांव बिन सरकाये, लुआठ ल खही॥

चतुर्वेदी जी ने छत्तीसगढ़ी गय और पद्ध दोनों में समान लेखनी चलाई है। इन सबसे बढ़कर इन्होंने पत्रकारिता में भी बड़ी उत्साह के साथ काम किया है। चतुर्वेदी जी की गय रचनाएँ 'भोलावा भोलाराम बनिस' में संग्रहित हैं। जिसमें नौ अनमोल कहानियों का संग्रह है। कहानियां जहां सरल, सहज और ग्रामीण परिवेश का चित्रण करती हैं, वहीं उसमें रोचकता और कौतूहल (उत्सुकता) भी बनी रहती है। ग्रामीण जीवन पर प्रत्येक रचना अनमोल मोती हैं, जिसे ठेठ छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया है। कहानी को पढ़ते समय पाठक गण कभी दुःख से द्रवित हो जाते हैं, तो कभी कहानी को पढ़ते-पढ़ते अकेले ही ठहाके मारकर हँसने से अपने आप को रोक नहीं पाते क्यों कि कहानियों का वर्णन इतना सजीव व मार्मिक है, जो कहानी में छब न जाये शायद ही ऐसा कोई पाषाण हृदयी होगा। चतुर्वेदी जी की कहानियों में ग्रामांचल जैसे सजीव हो उठता है। गांवों के रीति-रिवाज, तीज-त्योहार, गांव का चौपाल, खेत-

\* सहायक प्राध्यपक (हिन्दी) डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

\*\* शोधार्थी, एम. फिल.- सेमेस्टर द्वितीय (हिन्दी) डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

खलिहान उस पर असली ठेठ छत्तीसगढ़ी भाषा का चयन जैसे सोने पे सुहागा। कहानियों में मुहावरों और कहावतों का प्रयोग दृष्टव्य है- 'मिरिगिन बरोबर मेछरावत हे'। 'मसर मोटी माते हे, बांडी मनला'। 'बिनानाथ के बइला कस ढिला'। 'मया हर लेवना कस टपके लागिस'। 'आन ल सिखीना दय, अपन बइठ रनिया लय'। 'गोड़ के पथरा ल गुड़ में कचार दिस'। 'दही के भोरहा म कपास ल नझ खान'। 'थूंके-थूंक मा लडुवा बांधथे'। 34 'हंडिया के मंह म पराई देहा, केर आदमी के मुह मा का देहा'। 41 'जियत भर आदमी कतका उथामत करथे, केर मरे के बेर सब जुच्छा के जुच्छा'। 42 बिन लइका बच्चा के खाए अझ चाउर होवत हे। 70 ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं इनकी कहानियों में। जैसा की विख्यात कहानीकार व उपन्यास सम्प्राट प्रेमचंद जी ने कहानी के विषय में कहा है, कि 'कहानी का मजा कहने में है और कहने का तरीका हर आदमी का अलग-अलग होता है'। वास्तव में मुंशी प्रेमचंद जी के बाद कहानियों में ग्रामीण जीवन का चित्रण किसी की रचनाओं में मिलता है, तो वह पं. श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं के बगैर मानों छत्तीसगढ़ी साहित्य अधूरा सा जान पड़ता है। छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों की लम्बी सूची है जिन्होंने अपनी-अपनी लेखनी के माध्यम से अपने भावों को साहित्य में उकेरा किन्तु चतुर्वेदी जी की कृतियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है, कि ये ठेठ देहाती छत्तीसगढ़ी का प्रयोग करते हैं। चतुर्वेदी जी का छत्तीसगढ़ी भाषा का शब्द अण्डार समृद्ध तो है ही साथ ही सुख्खि पूर्ण भी हैं। चतुर्वेदी जी की भाषा ठेठ होने पर भी जटिल नहीं लगती ठेठ होने के साथ ही सरल, सहज और मुहावरेदार भी है। मुहावरे बड़े कीमती होते हैं, क्योंकि इनके प्रयोग से भाषा निखरती है, खिल उठती है। चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय से पता चलता है, कि इनका शैक्षणिक कार्य खकावटों के दौर से गुजरा है किन्तु इन्होंने अपनी रचनाओं से सिद्ध कर दिया है कि अनुभव मायने रखते हैं न कि डिग्गियाँ। चतुर्वेदी जी की रचनाओं को पढ़ने समय पाठकों का चित्ता ग्रामीण जन-जीवन में रम जाता है। गांवों का ऐसा सजीव चित्रण छत्तीसगढ़ी साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है जो चतुर्वेदी जी की रचनाओं में हमें देखने को मिलता हैं। चतुर्वेदी जी की कृतियाँ स्वयमेव ही अपने आप में शोध हैं। फिर भी उनकी रचनाओं में शोधकार्य हुए हैं और हो भी रहे हैं। चतुर्वेदी जी पटु पत्रकार होने के साथ ही हिन्दी कवि, व्यंगकार, निबंधकार के साथ जनपदीय भाषा छत्तीसगढ़ी के प्रतिनिधि, कवि, लोक-साहित्य के अध्येता, कुशल कथाकार के रूप में उल्लेखनीय स्थान रखते हैं क्यों कि चतुर्वेदी जी न सिर्फ लिखते हैं अपितु उसे जीते भी हैं। शायद यही कारण है, कि चतुर्वेदी जी की रचनाएँ सीधे हृदय में उतरती हैं। चतुर्वेदी जी एक कवि, लेखक, पत्रकार और निबंधकार के रूप में आज भी 85 वर्ष के उम्र में निरंतर अपनी लेखनी से कर्म किये जा रहे हैं।

समाज की परम्परा खासकर ग्रामीण जीवन से जुड़ी परम्पराओं के रखवार के रूप में चतुर्वेदी जी का योगदान समाज के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। चतुर्वेदी जी की कृतियों में सन् 1987 में एम.ए. में श्री श्यामसुदर ने पं. श्यामलाल चतुर्वेदी व्यक्तित्व-कृतित्व शीर्षक से डॉ. विनय कुमार पाठक के निर्देशन में लघुशोध प्रबंध प्रस्तुत किया। इससे पूर्व सन् 1987 में ही डॉ. आशा दीवान ने 'पर्याप्त भर लाई' एक विश्लेषण विषय पर अधिकारी विशेषज्ञता के रूप में चतुर्वेदी जी को समावेशित किया। इस प्रकार डॉ. राजेश कुमार दुबे ने

समकालीन छत्तीसगढ़ी साहित्य के संदर्भ में पं. श्यामलाल चतुर्वेदी जी के काव्य का अनुशीलन विषय पर शोध-प्रबंध करके सन् 1999 में पी.एच.डी. की उपाधि अर्जित की। पं. श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएँ जहाँ एक ओर हमें ग्रामीण जीवन के अभावों से अवगत कराती है, वहीं वहाँ पर रहे रहे लोगों के जीवन-शैली का भी दर्शन कराती है। चतुर्वेदी जी की निबंध संग्रह 'मेरे निबंध' में संग्रहित अन्नदान का महायज्ञ 'छेर-छेरा' में जिस प्रकार छेर-छेरा पर्व पर गरीब-आमीर, कमिया-मालिक, ऊँच-नीच हर वर्ग के बच्चे एक साथ अधिकार से घर-घर जा कर सुबह से ही आवाज लगाते हैं 'छेर-छेरा माई कोठी के धान ल हेरते हेरा' में जो समाज, समरसता का भाव है, वह कहीं न कहीं एक-दूसरे को आपस में जोड़ने का, एकता व आईचारा का संदेश देता हुआ जीवन निर्वह की प्रेणता देती है। वास्तव में आज जहाँ लोग अपनी निजी स्वार्थों में लिस होकर नैतिक और मानवीय गुणों को भूलते जा रहे वहाँ चतुर्वेदी जी की कृतियाँ हमें मानवता का पाठ पढ़ाता है। आनेवाली पीढ़ी की इसकी विशेष आवश्यकता है। अतः पं. श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएँ न सिर्फ विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए वरन् पूरे मावन समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। साहित्य जगत में एक से बढ़कर एक साहित्यकार हुए। जिन्होंने अपने साहित्य साधना के कार्य काल में बहुत सी रचनाएँ भेंटकर साहित्य जगत को समृद्ध किया।

पं. श्यामलाल चतुर्वेदी जी ने न सिर्फ पत्रकारिता जगत को अपितु हिन्दी साहित्य के साथ छत्तीसगढ़ी साहित्य को समृद्ध बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। अनेक पत्र पत्रिकाओं के प्रतिनिधि, संपादन, रचनाएँ प्रकाशित साथ ही पद्य रचनाएँ, गद्य रचनाएँ इसके अन्तर्गत पर्याप्त लाई (पद्य) में 20 एक से बढ़कर एक रचनाएँ वहीं रामबनवास शीर्षक में छत्तीसगढ़ी पद्य खण्ड काव्य, 'भोलवा भोला राम बनिस' निबंध संग्रह में 9 श्रेणी कहानियाँ संकलित हैं इसके अलावा मेरे निबंध में 20 निबंध हैं। आज भी बिना रुके, बिना थके चतुर्वेदी जी का साहित्य साधना निर्बाध गति से चल रही है। विद्यार्थी व समाज के प्रबुद्ध जन अधिक से अधिक अपनी रीति-नीति, लोक-परम्परा, लोक-साहित्य को जान सकें यहीं इस लघु शोध का महत्व होगा। इस लघु शोध के माध्यम से यह प्रयास होगा की छत्तीसगढ़ी भाषा में भी भावाभिव्यक्तियत पूर्ण क्षमता है इस बात को बताना। चतुर्वेदी जी ने अपनी मातृ भाषा को अपनी साधना का माध्यम बनाकर तथा छत्तीसगढ़ी भाषा में साहित्य सृजन कर सिद्ध कर दिया कि अगर मन में चाह है तो सब कुछ संभव है। चतुर्वेदी जी की रचनाएँ मूलतः ग्रामीण जीवन पर आधारित हैं वास्तव में चतुर्वेदी जी जनपदीय रचनाकार के रूप में स्थापित हैं। समय-समय पे विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों से उनकी रचनाओं का प्रसारण भी होता रहा है। जिंदगी के इस भागी-दौड़ी सफर में जहाँ अनेक उत्तार-चढ़ाव के बीच अपनी साहित्य साधना को निर्बाध गति से आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण जीवन के प्रति लगाव और यथार्थ चित्रण कर अपने द्वायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। गांव में जन्मे ग्राम के प्रति अपार प्रेम ग्रामीण जीवन के प्रति अटूट श्रद्धा भाव और अपनी जन्म भूमि की निरंतर सेवा कर रहे चतुर्वेदी जी की इस साहित्य साधना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना ही इस शोधपत्र का महत्व होगा।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. जनपदीय रचनाकार श्यामलाल चतुर्वेदी की साहित्य साधना-डॉ. आशा दीवान-मित्र एण्ड संस, दिल्ली।
2. मेरे निबंध - श्यामलाल चतुर्वेदी - श्री लब्धि सूरि फाउंडेशन दुर्ग।
3. पं. श्यामलाल चतुर्वेदी और उनकी साहित्य साधना-डॉ. सुषमा शर्मा-

- जैमसशन प्रकाशन बिलासपुरा
4. पर्यावरण के लाइंग (छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह) – पं. श्यामलाल चतुर्वेदी – भारतेन्दु साहित्य समिति बिलासपुरा
- बेटी के बिदा। 23
  - ये धरती करमझता के हय। 88
5. भोलवा भोलाराम बनिस (छत्तीसगढ़ी कहानी संग्रह) – पं. श्यामलाल चतुर्वेदी – भारतेन्दु साहित्य समिति बिलासपुरा
- बटोन नहीं बहोरन चाही। 124
  - पतिबरता के पानी। 41
  - सतवंतिन सुकवारा। 42
  - मयारु मनमतिया। 70

\*\*\*\*\*

# Impact of NPA on performance of M.P. State Co-operative Bank Bhopal

Dr. G.C. Gupta \* Dr. R.B. Gupta \*\* Sadabati Thakur \*\*\*

**Introduction** - Co-operative banks have played an important role in the Indian financial system and the credit co-operative system of India, especially at the rural level. In rural finance, the co-operative credit society has no alternative except the traditional system called money lenders act as a means of reaching the last man in need. Still in these, new flourishing socio economic environment, several commercial banks are extending their branches in rural areas but they have not fulfilled to achieve the desired goal because of security conscious habits and urban orientations of manpower. Until now, co-operatives are the most efficient and successful institution a source to serve rural areas of India.

**Profile of the Bank** - The **Madhya Pradesh State Cooperative Bank Ltd.** had been registered on 02/04/1912 (Under Cooperative Act 1912, dhara 2) at Jabalpur naming "Provisional Cooperative Bank Ltd. Central Provinces brar", later on its Head Office has been transferred to Nagpur. Bank has started its operations with the initial capital of Rs.5.00 lakhs aiming to provide finance in the field of Agriculture.

It is a premier organization providing long term, medium term and short term Agriculture finance in the state with help of NABARD through District Central Co-operative Banks and Primary Agriculture Credit Cooperatives Societies (PACCs) to farmers & different strata of the society in order to fulfil their financial requirements. Apex Bank is operating with their 24 Branches in the State serving through the attractive Loan and deposit schemes. Apex Bank is playing a pivotal in the field of providing rural finance in the M.P. State providing Agriculture/Non-Agriculture Loans and Advances with the help of NABARD under various schemes also offering commercial loans to customer under the Loan portfolio such as Consumer Loans, Housing Loan, Higher Education Loan, Project Loan, Vehicle Loan etc.

**Non-Performing Assets (NPA)** - Non-Performing Assets are also called as Non-Performing Loans. These are loans on which interest payments or repayments are not being made as per the schedule. Banks treat their assets as non-

performing when they are not serviced for some period of time. When the payments are late for short duration of time the loan is called as Past Due. But after payments are late for longer term (normally 90 days), the loan then is classified as being Non-Performing.

## Classification Of NPAs

a. **Standard Assets** - Standard assets are those assets which does not disclose any problem and which does not carry more than normal risk attached to business. Thus in general, all the current loans, agricultural and non-agricultural loans, which have not become NPA, may be treated as Standard Assets.

## b. Sub-Standard Assets -

A. An asset which has remained overdue for a period not exceeding 3 years in respect of both agricultural and non-agricultural loans, should be treated as sub-standard asset. B. In case of all the types of term loans, where instalments are overdue for a period not exceeding 3 years, the entire outstanding in term loans should be treated as sub-standard assets.

C. An asset where the terms and conditions of the loans regarding the payment of interest and/or payment of principal have been renegotiated or rescheduled, after commencement of production, should be classified as sub-standard asset and should remain so in such category for at least two years of satisfactory performance under renegotiated or rescheduled terms.

c. **Doubtful Assets** - These are the assets the recovery of which is highly questionable and impossible. It is usually a non-performing asset for a period exceeding 3 years in respect of both agricultural and non-agricultural loans. In the case of all types of term loans, where instalments are overdue for more than 3 years, the entire outstanding term loans should be treated as doubtful asset. As in the case of sub-standard assets, rescheduling does not entitle a bank to upgrade the quality of advance automatically.

d. **Loss Assets** - Loss assets are those credit facilities where loss is identified by the bank/auditor/RBI/ NABARD inspectors but the amount has not been written off wholly or partly. In other words, a loan asset which is considered unrealizable and/or of such little value that its continuance

\*Swami Vivekanand Govt. College, Susner, Distt. Agar-Malwa (M.P.) INDIA

\*\* Shri AtalBihari Vajpayee Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

\*\*\* Research Scholar, Shri AtalBihari Vajpayee Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

as a doubtful asset is not worthwhile, should be treated as a loss asset. Such loss assets will include overdue loans where (a) decrees or execution petitions have become time barred or documents are lost or no other legal proof is available to claim the debt., (b) the members or their sureties are declared insolvent, or have died leaving no tangible realizable assets, (c) the members have left the area of operation of the bank (refers to the borrower in whose name the respective Loan Account with SCB/DCCB) leaving no property and their sureties, have also no means to pay the dues, (d) the loan is fictitious or when gross mis-utilisation is noticed, (e) the amount, which cannot be recovered from the liquidated societies.

#### **Objectives of the study :**

1. To study the concept and nature of Non-Performing Assets of the M.P State Co-operative bank Ltd., Bhopal.
2. To study the impact of Non-Performing Assets of the M.P State Co-operative bank Ltd., Bhopal.

#### **Limitations of the study :**

- i. The study covered a period of five years, i.e., 2010-11 to 2014-15.
- ii. As the findings and conclusions of this study are based on data collected from the Madhya Pradesh State Co-operative bank and it deals in co-operative banks, it cannot be generalised for the other non-co-operative banks.

#### **Methodology of the study :**

- a. **Collection of Data** - The present study is based on primary as well as secondary data. Primary data were collected through holding personal interviews and detailed discussion with the bank executives/officials as well as the customers of the bank.

Secondary data were collected from the various publications like (Government of India and M.P), journals, reports of M.P. State Co-operative Bank Ltd., Bhopal, and published as well as unpublished works of the scholars associated with the field.

- b. **Analysis of Data** - The researcher had applied various ratio analysis for the purpose of data analysis

- c. **Period of Study** - M.P. State Co-operative Bank Ltd. Bhopal has been selected as sample unit for this study and a period of five years commencing from 2010-11 to 2014-15 are chosen for the same.

**Data analysis and Interpretation** - Today, NPA is one of the major problems evolving in almost all the banks in the country. High level of NPA has negative impact on the financial performance and profitability of the bank. Thus, NPAs reflect the overall performance of the bank.

The analysing factors for causing NPA, nature and categories for classification of assets etc, are discussed in the present study. Ratio analysis have been used for the study.

Some of the ratios used in this study are gross and net NPA ratio, standard assets ratio, doubtful ratio and loss assets ratio.

#### **1) Gross NPA Ratio**

$$\text{Gross NPA Ratio} = \frac{\text{Gross NPA}}{\text{Gross Advances}} \times 100$$

**Table 1 : Gross NPA Ratio of the M.P.S.C Bank Ltd., Bhopal**  
 (Rs.in lakhs)

| Year    | Gross NPA | Gross Advances | Gross NPA Ratio |
|---------|-----------|----------------|-----------------|
| 2010-11 | 10501.20  | 327146.89      | 3.21            |
| 2011-12 | 6687.67   | 452906.26      | 1.48            |
| 2012-13 | 10989.46  | 643064.70      | 1.71            |
| 2013-14 | 6783.14   | 853205.47      | 0.80            |
| 2014-15 | 14375.52  | 1001952.89     | 1.43            |
| Average | 9867.40   | 6556.556       | 1.726           |

Source: Audit and Annual Reports of the M.P.S.C. Bank Ltd., Bhopal.

The above table shows it very significantly that the average Gross NPA of the Bank under study is very satisfactory. It also depicts that the Gross NPA which was 3.21% in 2010-11 reduced gradually every year and achieved the lowest 0.80% in the year 2013-14 and with a slight increase reached to 1.43% in the year 2014-15 but much lower than the average Gross NPA (1.726%). Hence, it is depicted that the bank is following the norms of granting loans, so as to maintain good recovery leading to lower Gross NPA, which is quite satisfactory that the Gross NPA ratio in the last four years is much lower than the average 1.726%.

#### **2) Net NPA Ratio**

$$\text{Net NPA Ratio} = \frac{\text{Gross NPAs-Provisions}}{\text{Gross Advances-Provisions}} \times 100$$

**Table 2 : Net NPA Ratio of the M.P.S.C Bank Ltd., Bhopal**  
 (Rs.in lakhs)

| Year    | Net NPA  | Net Advances | Net NPA Ratio |
|---------|----------|--------------|---------------|
| 2010-11 | 2719.78  | 319365.47    | 0.85          |
| 2011-12 | 2849.58  | 449068.17    | 0.63          |
| 2012-13 | 6706.77  | 638782.01    | 1.04          |
| 2013-14 | 2563.90  | 848981.28    | 0.30          |
| 2014-15 | 750.73   | 988328.10    | 0.07          |
| Average | 3118.152 | 648905.006   | 0.578         |

Source: Audit and Annual Reports of the M.P.S.C. Bank Ltd., Bhopal.

The table given above reveals that the Net NPA Ratio of the bank has reduced during the study period except the year 2012-13, (1.04%) as the bank has failed to make sufficient provisions against NPA in this year. However, the bank had succeeded in making provisions and thus they brought down the Net NPA to 0.07%. It is evident that the bank have strictly followed the RBI guidelines by making provisions against NPAs which is very good and satisfactory.

#### **3) Sub-standard Assets Ratio**

$$\text{Sub-standard Assets Ratio} = \frac{\text{Total Sub-Standard Assets}}{\text{Gross NPAs}} \times 100$$

**Table 3 : Sub-standard Assets Ratio of the M.P.S.C Bank Ltd., Bhopal**

(Rs.in lakhs)

| Year    | Sub-standard Assets | Gross NPA | Sub-standard Assets Ratio |
|---------|---------------------|-----------|---------------------------|
| 2010-11 | 127.80              | 10501.20  | 1.22                      |
| 2011-12 | 119.64              | 6687.67   | 1.79                      |
| 2012-13 | 371.31              | 10989.46  | 3.38                      |
| 2013-14 | 428.50              | 6788.14   | 6.31                      |
| 2014-15 | 7420.35             | 14332.52  | 51.77                     |
| Average | 1693.52             | 9859.79   | 23.05                     |

Source: Audit and Annual reports of the M.P.S.C. Bank Ltd., Bhopal.

The Sub-standard Assets Ratio of the M.P.S.C Bank Ltd., Bhopal indicates the scope for improvement of NPA accounts. From the table given above, it shows that the Sub-standard assets Ratio of the bank had higher percentage of Sub-standard Assets in the year 2014-15 because of more slippage of good assets to the Sub-standard assets category.

#### 4) Doubtful Assets Ratio

Doubtful Assets Ratio=  $\frac{\text{Total Doubtful Assets}}{\text{Gross NPAs}} \times 100$

**Table 4 :Doubtful Assets Ratio of the M.P.S.C Bank Ltd., Bhopal**

(Rs.in lakhs)

| Year    | Doubtful Assets | Gross NPAs | Doubtful Assets Ratio |
|---------|-----------------|------------|-----------------------|
| 2010-11 | 6976.25         | 10501.20   | 66.43                 |
| 2011-12 | 3003.50         | 6687.67    | 44.91                 |
| 2012-13 | 3185.76         | 10989.46   | 28.99                 |
| 2013-14 | 3046.87         | 6788.14    | 44.89                 |
| 2014-15 | 5414.65         | 14332.52   | 37.78                 |
| Average | 4325.406        | 9859.79    | 44.6                  |

Source: Audit and Annual reports of the M.P.S.C. Bank Ltd., Bhopal.

The Doubtful Assets Ratio shows the proportion of total doubtful assets to Gross NPA of the M.P.S.C. Bank Ltd., Bhopal. The above table presents the ratio had been good with slight ups and downs during the study period. The bank should recover as much doubtful advances as possible in

order to reduce the Gross NPAs.

#### 5) Loss Assets Ratio

Loss Assets Ratio=  $\frac{\text{Total Loss Assets}}{\text{Gross NPAs}} \times 100$

**Table 5 : Loss Assets Ratio of the M.P.S.C Bank Ltd., Bhopal**

(Rs.in lakhs)

| Year    | Loss Assets | Gross NPA | Loss Assets Ratio |
|---------|-------------|-----------|-------------------|
| 2010-11 | 677.37      | 10501.20  | 6.45              |
| 2011-12 | 714.95      | 6687.67   | 10.69             |
| 2012-13 | 725.62      | 10989.46  | 6.60              |
| 2013-14 | 743.82      | 6788.14s  | 10.96             |
| 2014-15 | 789.79      | 14332.52  | 5.51              |
| Average | 3019.718    | 9859.79   | 8.042             |

Source: Audit and Annual reports of the M.P.S.C. Bank Ltd., Bhopal.

The Loss Assets Ratio shows the proportion of total loss assets to Gross NPA of the M.P.S.C. Bank Ltd., Bhopal. The above table presents the ratio had been good and very low with slight fluctuating during the study period except the year 2011-12 and 2013-14. The bank has to create a provision of 100% which definitely affects the financial health of the bank.

**Conclusion -** Non-performing Assets affects the performance of the bank. But, the bank is functioning very well by managing its recovery position and NPA position is at low. The bank should take more efforts to check the slippage of standard/good assets into sub-standard assets category. Overall, the Madhya Pradesh State co-operative Bank Ltd., Bhopal is well flourishing with proper management of assets and time to time recovery.

#### References :-

1. Annual reports of the M.P. State Co-operative Bank Ltd., Bhopal.
2. Pandey I.M. (2003). Financial Management, Vikas Publication House, New Delhi.
3. Kothari C.R. (2010) Business research methods, Vikas Publications, New Delhi.
4. Non-performing Assets in Co-operative Banks, K.Ravichandran,R.Mayilsamy,(2008),Abhijeet Publications, new delhi

\*\*\*\*\*

## मध्यप्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा 'शाला सिद्धि' योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन

**प्रकाशचन्द्र शर्मा \* डॉ. भंवरलाल नागदा \*\***

### उद्देश्य :

- (1) विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्तता एवं उपयोगिता से सम्बन्धित समस्याएँ।
- (2) सीखना-सिखाना एवं उसका आंकलन से सम्बन्धित समस्याएँ।
- (3) विद्यार्थियों की प्रगति, उपलब्धि एवं विकास से सम्बन्धित समस्याएँ।
- (4) शिक्षकों का कार्य प्रदर्शन एवं उनके व्यावसायिक उन्नयन से सम्बन्धित समस्याएँ।
- (5) शाला नेतृत्व एवं प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्याएँ।
- (6) समावेशी वातावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से सम्बन्धित समस्याएँ।
- (7) विद्यालय विकास में समुदाय की सहभागिता से सम्बन्धित समस्याएँ।

**शोध परिकल्पनाएँ -** सामान्य एवं जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों में 'शाला सिद्धि' योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

### शोध उपकरण :

- (1) शाला सिद्धि योजना क्रियान्वयन प्रमापनी (संस्था प्रधानों के लिये)
- (2) शाला सिद्धि योजना क्रियान्वयन प्रमापनी (शिक्षक के लिये)
- (3) साक्षात्कार अनुसूची (विद्यार्थियों के लिये)
- (4) रेकर्ड्स अवलोकन प्रपत्र

### शोध निष्कर्ष :

**(क) संस्था प्रधानों के अनुसार -** शाला सिद्धि योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का सामान्य क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों का मध्यमान क्रमशः 172.56 व 158.96 आया। मानक विचलन क्रमशः 10.774 व 8.655 आया। 'टी' का मान 9.840 प्राप्त हुआ जो कि 'टी' के सारणी मूल्य से अधिक है। अतः अन्तर सार्थक कहा जा सकता है। अर्थात् परिकल्पना सं. 1 को अस्वीकृत किया जाता है।

**(ख) शिक्षकों के अनुसार -** शाला सिद्धि योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का सामान्य क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों का मध्यमान क्रमशः 168.64 व 158.44 आया। मानक विचलन क्रमशः 8.934 व 9.529 आया। 'टी' का मान 7.808 प्राप्त हुआ जो कि 'टी' के सारणी मूल्य से अधिक है। अतः अन्तर सार्थक कहा जा सकता है। अर्थात् परिकल्पना सं. 2 को अस्वीकृत किया जाता है।

**(ग) विद्यार्थियों के अनुसार -** शाला सिद्धि योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का सामान्य क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों का मध्यमान क्रमशः 184.60 व 176.40 आया। मानक विचलन क्रमशः 9.173 व 8.309 आया। 'टी' का मान 6.624 प्राप्त हुआ जो कि 'टी' के

सारणी मूल्य से अधिक है। अतः अन्तर सार्थक कहा जा सकता है। अर्थात् परिकल्पना सं. 3 को अस्वीकृत किया जाता है।

### शोध समस्याएँ

#### **(क) संस्था प्रधानों के अनुसार**

वरीयता क्रम में इस प्रकार है :-

|  |  |
|--|--|
| ● सामान्य क्षेत्र  | ● जनजाति क्षेत्र   |
| ● अतिरिक्त राशि का प्रावधान नहीं होने से                       | ● समुदाय के सदस्यों का सहयोग हेतु सक्षम न होना।                            |
| ● आर्थिक बोझ का बढ़ना  | ● शिक्षकों का अभाव   |
| ● शिक्षकों का अभाव में भेजने में खँचि नहीं लेते हैं            | ● पालक विद्यार्थियों को विद्यालय अर्थात् पालकों की निष्क्रियता             |
| ● पानी-बिजली की समस्या   | ● शिक्षण के अलावा अन्य कार्यों का करवाया जाना (प्रतिनियुक्ति पर)           |
| ● विद्यार्थियों का नियमित रूप नहीं होने से                     | ● कृषि मजदूरी में पालकों के साथ विद्यार्थियों का पलायन होना।               |
| ● पर्याप्त संसाधनों व शिक्षण सामग्री का अभाव।                  | ● विद्यार्थियों की उपस्थिति क्रम होना।                                     |
| ● SMC सदस्य शिक्षण सुधार हेतु पालकों को प्रोत्साहित नहीं करते। | ● कक्षा 6 में आने वाले विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर अत्यन्त कमज़ोर होना। |
| ● मानक ढारा कार्य करवाने में समस्या                            | ● पर्यटन महोत्सव शाला में न हो।  |
| ● कागजी कार्यवाही का अधिक होना।                                | ● समन्वय तथा प्रशासनिक मानीटिरिंग का अभाव।                                 |
| ● विद्यालय परिसर की चार ढावारी का अभाव।                        |  |
| ● विद्युत उपकरणों का अभाव।                                     |  |
| ● डिजिटल सामग्री का न होना।                                    |  |
| ● सोशल मीडिया का सहयोग न मिलना।                                |  |
| ● समेटिक आकलन के कार्यक्रम न करवाना।                           |  |
| ● शाला स्टाफ एवं अधिभावकों में समन्वय का अभाव।                 |  |

\* शोधार्थी, पेसिफिक एकडेमी ऑफ हायर एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत

\*\* पर्यवेक्षक, पेसिफिक एकडेमी ऑफ हायर एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत

(ख) शिक्षकों के अनुसार :

वरीयता क्रम में इस प्रकार है :-

|   |   |
|---|---|
| ● सामान्य क्षेत्र   | ● जनजाति क्षेत्र  |
| ● विषयवार शिक्षकों का नहीं होना।                                      | ● जन भागीदारी का अभाव   |
| ● अतिरिक्त बजट का प्रावधान न होना।                                    | ● विद्यार्थियों का स्तर निम्न होना                                  |
| ● पानी, बिजली, कम्प्यूटर का अभाव                                      | ● विद्यार्थियों की अनियमितता होना                                   |
| ● विद्यार्थियों की उपस्थिति नियमित नहीं होना।                         | ● शिक्षकों की कमी   |
| ● विद्यालय पर आर्थिक बोझ  | ● भौगोलिक परिस्थितियों के कारण                                      |
| ● विद्युत एवं उपकरणों का अभाव   | ● प्रशासनिक समन्वय का अभाव  |
| ● डिजिटल सामग्री का अभाव  | ● बजट की कमी  |
| ● स्थानीय बोली में बात कर जुड़ाव स्थापित न कर पाना।                   | ● अभिलेखों का संधारण होने से मूल उद्देश्यों से भटकना है।            |
| ● भवन सुविधाएँ एवं संसाधनों का अभाव                                   | ● जनता का शराब पीकर शिक्षकों से झगड़ा करना तथा मारने को तैयार होना। |
| ● शाला में सुरक्षा के समुचित उपायों एवं उपकरण। उपलब्ध न होना।         | ● SMC सदस्यों का सहयोग न मिलना।                                     |
| ● शाला में जागरूकता कार्यक्रम का अभाव।                                |   |
| ● समूदाय के सदस्यों की निष्क्रिय होना।                                |   |
| ● शाला प्रबन्धन समिति बच्चों के पढ़ाई के नुकसान को गंभीरता से न लेना। |   |

**शोध सुझाव**

(क) संस्था प्रधानों के अनुसार

वरीयता क्रम में इस प्रकार है :-

|   |  |
|---|--|
| ● सामान्य क्षेत्र   | ● जनजाति क्षेत्र                                 |
| ● विद्यालयों को क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाई जाये।                                     | ● ढक्कता सुधार हेतु पांचवीं कक्षा का बोर्ड होना। |
| ● शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाये तथा शिक्षण के अलावा अन्य कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाये। | ● कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा हो।                 |
| ● पुनः बोर्ड पेटर्न लागू किया जाये।   | ● विभिन्न शिक्षण विधियों का समावेश।              |
| ● विद्यार्थियों से सम्पर्क करने हेतु शिक्षकों को समय दिया जाये।                                       | ● पर्याप्त राशि/बजट का प्रावधान।                 |
| ● पानी, बिजली की समर्था   | ● शिक्षकों की कमी को पूरा किया                   |

| का समाधान किया जाये।   | जाये।   |
|--|---|
| ● कागजी कार्यवाही की पूर्ति न कर के प्रक्रिया को सरल बनाया जाये। | ● विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति हो।                  |
| ● डिजिटल सामग्री एवं उपकरण उपलब्ध करवाये जाये।                   | ● शैक्षणिक स्तर सुधार के प्रयास हो।                 |
|  | ● पानी बिजली का समर्था का समाधान किया जाये।         |
|  | ● समेटिव आकलन के कार्यक्रम करवाने पर जोर दिया जाये। |
|  | ● डिजिटल सामग्री एवं उपकरण उपलब्ध करवाये जाये।      |

(ख) शिक्षकों के अनुसार :

वरीयता क्रम में इस प्रकार है :-

|  |  |
|--|--|
| ● सामान्य क्षेत्र  | ● जनजाति क्षेत्र                                     |
| ● क्रियान्वयन प्रक्रिया को सरल बनाया जाये।                               | ● शिक्षकों की कमी को दूर किया जावे।                  |
| ● विषयवार शिक्षकों की भवन पर्याप्ति उपलब्ध करवाया जाये।                  | ● भवन पर्याप्ति उपलब्ध करवाया जाये।                  |
| ● वित्तीय सहयोग की अपेक्षा   | ● वित्त पोषित किया जावे।                             |
| ● पानी, बिजली व कम्प्यूटर की व्यवस्था की बेरोजगार युवकों से)             | ● बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था                       |
| ● पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाये।   | ● सरकार छात्रों को सभी सुविधा उपलब्ध करवाये।         |
| ● शाला प्रबन्धन समिति के सदस्यों में जागरूकता पैदा कर सक्रिय बनाया जाये। | ● अतिथि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जावे।             |
| ● डिजिटल सामग्री की व्यवस्था की जाये।                                    | ● बालश्रमिकों पर रोक लगाई जावे।                      |
| ● शाला में जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाये।                     | ● जनजाग्रति अभियान चलाया।                            |
|  | ● शराब पीकर आने वाला व्यक्तियों को पाबन्द किया जाये। |
|  | ● विद्यार्थियों को नियमित आने के लिये पाबन्द करें।   |

**संदर्भ ग्रन्थ सूची :-**

1. NCERT, (1988-93) : Fifth Survey of Research in Education" New Delhi (NCERT)
2. गोरिट, हेनरी, ई. (1996) 'शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग' कल्याणजी पब्लिशर्स लुधियाना
3. कपिल, एच.के. (1981) : 'अनुसंधान विधियाँ' हर प्रसाद भार्गव, पुस्तक प्रकाशन आगरा
4. 'शाला सिद्धि हमारी शाला ऐसी हो' मूल्यांकन से शाला उद्घायन कार्यक्रम, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्य प्रदेश, भोपाल (2015)

## सिंहस्थ कुम्भ के आध्यात्मिक मूल्यों की प्रासंगिकता

### रीता टेटवाल \*

**प्रस्तावना** – उज्जयिनी का इतिहास प्राचीन काल से इस देश में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विद्यमान है। जिसका धार्मिक महत्व अत्यधिक है। यहाँ महाकाल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। जिनकी दार्शनिक व्याख्या मानवीय जीवन के मूल्यों को प्रभावित करती हैं। ऐसी मान्यताएँ भारतीय संस्कृति और समाज के लिए मूल्य प्रदान करती हैं। यह उज्जैन प्राचीन काल से काल गणना का केन्द्र बिन्दु के रूप में पहचाना जाता है। इस काल के आराध्य देवता भगवान महाकाल है। जबकि महाकाल बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इनकी पूजा में भरम का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसी मान्यताएँ विद्यमान हैं। उज्जयिनी दार्शनिक रूपों में मानवीय मूल्यों को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण माना जाता है।

‘कामदेव को विविध नामों एवं वरों की प्राप्ति, काम के प्रभाव से ब्रह्मा तथा ऋषिगणों का मुब्द्ध होना, धर्म द्वारा स्तुति करने पर भगवान् शिवका प्राकट्य और ब्रह्मा तथा ऋषियों को समझाना, ब्रह्मा तथा ऋषियों से अग्निष्वाता आदि पितृगणों की उत्पत्ति, ब्रह्माद्वारा काम को शाप की प्राप्ति तथा निवारण का उपाय’।<sup>1</sup>

इसी में सृष्टिकारी दक्ष आदि के द्वारा उनका मुख देखते ही आनन्द से भर उठे ऐसी विचारधाराओं के समन्वय में मानवीय मूल्यों का चरित्र छुपा हुआ था। ऐसी विचारधारा का निरूपण भगवान ब्रह्माजी ने उत्पन्न होने वाले सभी लोगों के नामों को छुपा डाला जिसकी प्रशंसा का मूल कारण सभी लोगों की मानवीय संरेढ़ना ही है। तुम सभी को मन्दोन्मत्त करने में विख्यात हो। जबकि अहंकार युक्त होने वाले व्यक्तियों का जीवन नक्क के समान भारी लगता है। जिसका मूल मन्तव्य मानवीय मूल्यों का विकास करना है।

इसका मूल कारण धार्मिक और तांत्रिक दृष्टियों की तप का संताप मूल्यों को निर्मित करते हैं। ये दोनों ही साधनाएँ घोर तपस्या के बाद भी किसी को प्राप्त होती है। अन्यथा नहीं मिलती है। जिनका मूल्य ही मानव का कल्याण है। किसी के अहित भाव की कल्पना से तंत्र विद्या भी नहीं सीखी जाती है। न ही उसका फल ही मिलता है। इनकी तपस्या का मूल स्वरूप ही मानव के जीवन को सुखद बनाना है। विशेषतया मानव की विचारधारा यथार्थ के अनुकूल हो प्रतिकूल अवस्था में होने पर विनाश की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसा तंत्र साधना पद्धति का मानना है। जहाँ भक्ति श्रद्धा पुण्य लाभ की लालसा का परिमाप धार्मिक स्थल सिंहस्थ पर देखने को मिलता है। तंत्र की साधना हो या आध्यात्मिक मूल्यों की साधना पद्धति हो दोनों में मानव का कल्याण ही निहित है।

**शोध प्रविधि** – इस शोध प्रविधि में विषय **सिंहस्थ कुम्भ की आध्यात्मिक मूल्यों की प्रासंगिकता** सिंहस्थ कुम्भ की धार्मिक और तांत्रिक परम्पराओं में मानवीय मूल्यों की पहचान हेतु द्वितीयक शोध सामाग्री और साक्षात्कार

का अध्ययन समाहित है। जिनकी परम्पराओं और मूल्यों को समझने का प्रयास उज्जैन सिंहस्थ 2016 के वर्षन में निरूपित होता है। ऐसे अनेक धार्मिक ग्रन्थों और विद्वानों का मार्गदर्शन भी समाहित किया गया है। इस हेतु शोध सन्दर्भ को किया पत्र-पत्रिकाओं और धार्मिक स्थलों के दृश्य वर्णन के आधार पर यह शोध पत्र तैयार किया जा रहा है।

#### उद्देश्य :

1. सिंहस्थ कुम्भ के आध्यात्मिक मूल्यों का अध्ययन।
2. सिंहस्थ कुम्भ में दार्शनिक परिचर्चाओं का अध्ययन।
3. मानवीय मूल्यों का अध्ययन।
4. सिंहस्थ कुम्भ में धार्मिक मूल्यों का अध्ययन।
5. सिंहस्थ कुम्भ में तांत्रिक मूल्यों का अध्ययन।
6. सिंहस्थ कुम्भ में श्रद्धालुओं के वैदिक चिन्तन की परम्पराओं का अध्ययन।
7. सिंहस्थ कुम्भ में संतों की आध्यात्मिक प्रणाली का अध्ययन।

#### समस्या :

1. मूल्यों की समस्या।
2. आध्यात्मिक चिन्तन हवन सामाग्री की समस्या।
3. सिंहस्थ कुम्भ में प्रबन्धन की समस्या।
4. सिंहस्थ कुम्भ में तात्त्विक चिन्तन की समस्या।

सिंहस्थ कुम्भ में मानवीय मूल्यों की समस्या विकठ रही है। जहाँ भारतीय आध्यात्मिक परम्पराएँ विद्यमान हैं। वहाँ मानव का एक विवेचक तत्व यदि चोरी, झूठ, के तत्वों को समाहित करता है। वहाँ आध्यात्मिक मूल्यों का क्षण प्रारम्भ हो जाता है। ऐसी विचारधाराओं को ध्यान में रखकर मानवीय मूल्यों का चिन्तन भारतीय दार्शनिक और सिंहस्थ की मूल्य परम्पराओं में देखने को मिलता है। मानव के मूल्यों की धरोहर उसकी संरक्षित और आचरण है। जिसकी शुद्धता प्रमाणित करती है। मानव का जीवन अच्छा है या बुरा है। ऐसी मान्यताओं का परिणाम सिंहस्थ में देखने को मिलता है। यथार्थ और पुण्य आत्मा का रमण ही आध्यात्मिक परम्पराओं पर निर्भर करता है। जहाँ देवीय शक्ति के निरूपण में मानव हित का कल्याण देव गुरु बृहस्पति के चिन्तन में भी मिलता है।

सिंहस्थ महाकुम्भ भारतीयता की आत्मा है। जहाँ मानव में सत्य, सद्गुरु स्वर्ग सदविचार, सात्त्विक आहार विहार का संस्मरण आदि परम्पराएँ विद्यमान हैं। उसी का परिणाम है कि आज भी संस्कृति और धर्म की पहचान भारतीयता की अमर पहचान बनती जा रही है। क्योंकि मूल्य है। पश्चिम सश्यता ने मानव को मूल्य विहीन बना दिया है। किन्तु मानव को भारतीय संस्कृति हमेशा मूल्यवान रही है। जिसका परिणाम भारतीय परम्परा के सिंहस्थ

\* शोधार्थी (दर्शनशास्त्र) शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

महापर्व में दिखाई देता है।

उज्जैन के इस नगरी में सिंहरथ कुम्भ में भारतीय संस्कृति की झलक स्पष्ट रूपों में दिखाई देती है। जिसका मूल प्राचीन रूपों में आध्यात्मिक और वैचारिक दोनों रूपों में विराजमान है। भगवान् कृष्ण की शिक्षा स्थली, महाकवि कालिदास जैसे संस्कृत के विद्वान्, राजा भर्तृहरि जैसे सत्यवादी राजा, राज्य संचालक विक्रमादित्य की नगरी जहाँ बत्तीस पुतलियों के कहानी का उल्लेख प्राचीन इतिहास बताता है। जिनकी प्रजा की खुशहाली का वर्णन उज्जैन के दार्शनिक इतिहास में मिलता है। इसकी परम्पराएँ अविरल रूप से अध्यात्म की आर बढ़ती जा रही हैं। ऐसी नगरी में पुण्य का लाभ प्राप्त होता ही है।

### सत्यानृता च परूषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या।

#### नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा च वेश्याङ्ग. नेव नृपनीतिरनेऽप्या॥<sup>2</sup>

राजा भर्तृहरि के नीतिशतक यथार्थ सत्य रूपों को राजनीति के विद्वानों ने भी वर्णन किया है। जिसका परिणाम सुखद होता है। राजा भर्तृहरि ने कहा है कि असत्यवादिता, चोरी, लोभ, चपलता अनीति का माध्यम है। जहाँ व्यक्ति लोभी होता वहाँ उसका विनाश होना स्वभाविक हो जाता है। आध्यात्मिक मूल्यों का वर्णन मानवीय जीवन की चरम सीमा का परिणाम है। जहाँ वैचारिक संघर्ष की रिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी विंसगतियों में मानव का विकास नहीं होता है। भारतीय परम्पराएँ सिंहरथ में मूल्यों के पहलू ने मानवीय जीवन की जीवन रेखा का वर्णन तर्क पर औचित्य पूर्ण धार्मिक तथ्यों का वर्णन यथार्थ और सत्य को लेकर किया है।

**इन्द्रस्य नु वीर्णि प्र वीचं यानि चकार प्रथमानि वज्जी।  
अह्न्नहिमन्वपस्ततर्द प्र वक्षणा अभिनत् पर्वतानाम्॥<sup>3</sup>**

इस प्रकार के प्रकष्ट पूर्ण कर्मों को वर्णन इन्द्र करता है। ईश्वर स्वयं वर्णन करते हैं कि शिला, जल, पर्वत भी गतिरोधक पदार्थों को नष्ट नहीं कर देता है। अन्यत्र दूरस्थ स्थानों में जल की बहा देता है। ऐसी मान्यताएँ विद्यमान है। जिसका मूल कारण मानवीय मूल्यों से जोड़ा जा सकता है। वयोंकि सिंहरथ कुम्भ में जल की पूर्ति हेतु क्षिप्रा का जल सूखने की स्थिति में माता नर्मदा का जल सिंहरथ में लाया गया था। इसकी यथार्थता का वर्ण मानवीय जीवन के लिए सुलभ और सुखद महसूस होते हैं। ऐसी विचारधारा का परिणाम मानव को जीवन और जगत् के मूल्यों में परिवर्तित करता है। जहाँ नदियों को जोड़ा और बड़े-बड़े पर्वतों को काटकर जल प्रवाहित कर रही हैं। ऐसी जीवनदायनी भारतीय नदियों ने मानव को जल से सिंचित कर रही है।

**निष्कर्षतः:** उज्जैन महाकाल की नगरी में होने वाले सिंहरथ में भारतीय संस्कृति और मानव मूल्यों को जगा दिया है। जिसका वर्णन सिंहरथ के दर्शन से प्राप्त होता है। जहाँ अन्यत्र जगहों से आने वाले शृङ्खलाऊओं के लिए पानी पिलाने और भोजन प्रसादी तक की व्यवस्था मानव को कृतार्थ कर पुण्य लाभ प्रदान करती है। ऐसी महाकाल की महिमा का वर्णन उज्जैन में मिलता है। इसकी विवेचाना के सम्बन्ध में मानवीय मूल्यों को देखा जा सकता है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **महापुराण श्रीशिवमहापुराणाङ्कुब कल्याण, गीताप्रेस, गोरखपुर, पृष्ठ 221**
2. **डॉ. ढडन उपाध्याय, भर्तृहरिशतकप्रयम् नीति-शृंगार-वैश्य, चौखम्बा सुरभारती, वाराणसी, 2013, पृष्ठ 30**
3. **प्रो. महावीर, देवों में आर्थिक चिंतन, प्रगतिशील प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृष्ठ 69**

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

# Phytochemical screening and effect of pH on antimicrobial activity of *Tinospora Cardifolia* leave extract with reference to some specific bacteria

Nahid Usmani \* R.S. Nigam \*\* O.P. Rai \*\*\*

**Abstract** - The present study revealed phytochemical extraction and screening of antimicrobial activity of *Tinospora Cardifolia*. The crude drug (leave part) was successively extracted by Soxlet assembly using various solvents like hexane, chloroform, ethanol, and methanol. Antimicrobial activity of *Bacillus*, *Rhizobium*, *Pseudomonas* and *lactobacillus* species of bacteria estimated by using the agar disc diffusion method. Zone of inhibition of micro organism was measured in (mm). Hexane extract of *T. Cardifolia* leave exhibited better antibacterial potential. On treating the extract of *T. Cardifolia* plant leave with different pH, it was seen that antimicrobial activity was decreasing on increasing pH, but the antimicrobial property was never lost. Preliminary phytochemical screening of *T. Cardifolia* showed the presence of carbohydrates, glycosides, flavonoids, phenols, tannins and amino acids in the crude drug. Hexane extract was found to be more potent against both the group of bacteria.

**Keyword-** *Tinospora Cardifolia*; phytochemical; antibacterial, alkaloids.

**Introduction** - Herbal medicine is still the mainstay of about 80% of the whole population mainly in developing countries for primary healthcare because of better cultural acceptability, better compatibility with the human body and fewer side effects. However this plant is commonly referred to as amrita or guduchi. It requires fair moisture level and can be grown in a wide range of soil from acid to alkaline [2]. In ayurveda the drug is known for building up the immune system of medicine, it has a special place as a effective adaptogen and aphrodisiac.

Phytochemistry of *T. Cardifolia* belongs to different classes such as alkaloids, steroids, terpenoid, lactones, glycosides, steroids, diterpenoids phenolic compounds and polysaccharides. Three major groups of compounds, protoberberine alkaloids, terpenoid and polysaccharides of these plants. *T. Cardifolia* is widely used in folkloric veterinary medicine and traditional ayurveda medicine in India for it's, anti-inflammatory, anti diabetic, anti allergic and anti arthritic activities and various other medicinal properties.

The plant *Tinospora cordifolia* comes under the class Magnolipsida, orders Ranunculales and belongs to the Menispermaceae family. Guduchi [*Tinospora cordifolia* (Willd) Hook. F. Thom's] is a large, glabrous deciduous climbing shrub belonging to the family Menispermaceae (Nadkarni, 1992).

The species is widely distributed in India extending from the Himalayas down to the southern part of peninsular India.

It is also found in neighboring countries like Bangladesh, Pakistan and srilanka. The Part is also repotted from South East Asian Countries such as Malaysia Indonesia and Thailand etc. The leaves of this plant are rich in protein (11.2%) and are fairly rich in calcium and phosphorus

The aim of this work to find out the optimum condition of pH at which *Tinospora Cardifolia* extract is more effective against *Bacillus*, *Rhizobium*, *Pseudomonas* and *lactobacillus* species of bacteria.

## EXPERIMENTAL SECTION

**Material and methods**-The *Tinospora Cardifolia* leaves are collected from the herbal garden of Maihar satna [M.P.] and authenticated in department of biotechnology of AKS university satna.

**Selected bacterial species** – *Bacillus*, *Rhizobium*, *Pseudomonas* and *lactobacillus* species of bacteria Obtained from the department of biotechnology of AKS university satna [M.P.].

**Preparation of extract**- The fresh leaves were washed with distilled water and air dried to constant weight. Extract was prepared by Soxlet extraction method. About 100 gm of powdered material was uniformly packed into a thimble and run in Soxlet extractor. It was exhaustible extracted with hexane, ethyl acetate, chloroform and methanol for the period till the solvent in the siphon tube of extractor become colorless. After that extracts were filtered and filtrate were concentrated by evaporation to make the final volume one – fourth of the original volume and stored at air tight

\*Asst. Prof., A.K.S. University, Satna (M.P.) INDIA

\*\* Dean, A.K.S. University, Satna (M.P.) INDIA

\*\*\* Prof., Govt. P.G. College, Satna (M.P.) INDIA

bottles.

**Test for phytochemical constituents** – Freshly prepared extracts were subjected to standard phytochemical analysis for different constituents such as tannins, alkaloids, flavonoids, quinines, glycosides Saponins etc.

**Effect of pH on antibacterial activity of extracts of *Tinospora Cardifolia*** - To find out the effect of pH each extracts [hexane, ethyl acetate, chloroform and methanol] having concentration 300 $\mu$ g/ml were taken in three set of test tubes and 1N HCl added drop wise drop with some time interval, until the pH of extract is 2 - 5 [pH is determined by digital pH meter]. Now for making the medium alkaline 8-9 pH by increment in pH in every extract is done by using 1N NaOH in three separate test tubes and extracts were then allowed to soak for some time interval after that period of acid base treatment the extracts were again neutralized with using 1N HCl and 1N NaOH and then every extracts were tested for antibacterial activity by using agar disc diffusion method.

**Test procedure:-** Antimicrobial Assay Disc diffusion method Kirby-Bauer method was followed for disc diffusion assay. In vitro antimicrobial activity was screened by the NAM plates, were prepared by pouring 15 ml of molten media into sterile Petri plates. The plates were allowed to solidify for 5 min and 0.1 % inoculum suspension was swabbed uniformly and the inoculum were allowed to dry for 5 min. The 300 $\mu$ l doses of extracts were loaded on 5 mm sterile individual discs at acidic medium and alkaline medium respectively. The loaded discs were placed on the surface of medium and the compound was allowed to diffuse for 5 min and the plates were kept for incubation at 37°C for 24 hr, 48hr and 72 hr. Negative control was prepared using respective solvent. At the end of incubation, inhibition zones formed around the disc were measured with transparent ruler in millimeter.

**Results and Discussion:** - The present study revealed that hexane was the better extractive solvent for antibacterial activity of leave extracts of *Tinospora Cardifolia* against the selected strain of bacteria and the maximum zone of inhibition 23mm was recorded from 300 $\mu$ l of hexane extract for *Pseudomonas* at the alkaline medium (9pH) after 72hr and minimum zone of inhibition was recorded as 2.7 mm for 300 $\mu$ l of methanol extract for *lactobacillus* after same time period at acidic medium (2.5 pH). As the pH of the medium get vary from acidic(2.5) to alkaline(9.0) the antibacterial activity of solvent extract of *t. cordifolia* also increases.

**Table 1,2,3 & 4 (See in next page)**

**Chart 1,2,3 & 4 (See in next page)**

**Conclusion-** The antimicrobial activity of different species was calculated that all the species showed inhibitory effect. *Tinospora Cardifolia* extracts showed antibacterial study in different condition of pH [acidic and basic]. On treating the extract of *T. Cardifolia* plant leave with different pH it was seen that antimicrobial activity was decreasing on increasing pH, but the antimicrobial property was never lost.

The finding of our studies elaborates the antibacterial properties of different species and effective antimicrobial activity of under various conditions *T. Cardifolia* plant leave.


#### References :-

1. Jasbir Singh, Akash Bagla and Vikash Pahal, Hepatoprotective Activity of Herbal Extracts in Carbon Tetrachloride intoxicated Albino Rats by Measuring Anti-oxidant Enzymes, International journal of Pharm Tech Research 2010, 2,2112-2115
2. Akash Bagla and Vikas Pahal Hepatoprotective Activity of Herbal Extracts in Carbon Tetrachloride Intoxicated International Journal of Pharm Tech 2010,2 (3) 2018-2025.
3. M. Fatima Rose, K.M. Noorulla, M.Aasma, R.Kalaichelvi, K. Vadivel, B.Thangabalan B.N. Sinha invitro antibacterial activity of methanolic root extract of *Tinospora cordifolia* (Willd) International journal of Pharma.Research 2010: 2(5) 0974-9446.
4. Sivakumar, m.s. Dhana rajan m.s. Riyazullah, preliminary phytochemical screening and evaluation of free radical scavenging activity of *Tinospora cordifolia* International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2010; 2(4) 0975-1491
5. Singh, S. Srivastava, R. Choudhary, S. Antifungal and HPLC analysis of the crude extracts of *Acorus calamus*, *Tinospora cordifolia* Journal of Agricultural Technology 2010; 6(1) 149-158
6. Ramya Premanath and N. Lakshmidevi, Studies on Anti-oxidant activity of *Tinospora cordifolia* (Miers.), Journal of American Science 2010,2, 2112-2115.
7. P. Azadi musliarakathbacker jahfar, Glycosyl composition of polysaccharide from *Tinospora cordifolia*. II Glycosyl linkages 2009;12;34-43
8. Dada Patil, Manish Gautam, Sanjay Mishra, Prajakta Kulkarni, Karupothula Suresh, Sunil Gairola, Suresh Jadhav, Bhushan Patwardhan Quantitative Determination of Protoberberine Alkaloids in *Tinospora cordifolia* by RP-LC DAD 2009; 142(1) 3-5.
9. Vijay R Salunkhe and Satish B. Bhise Formulation development and real time stability studies of herbal oral liquids containing natural sweetener journal of Pharmacy Research 2009, 2(6) 1055-1061.
10. Nagaraja Puranik K k.F. Kammar Sheela Devi. R Efficacy of *Tinospora cordifolia*(Willd.) extracts on blood lipid profile in streptozotocin diabetic rats. Is it beneficial to the heart; Biomedical Researc 2008; 19(2): 92-96.
11. Pranav K. Prabhakar Mukesh Doble A Target Based Therapeutic Approach Towards Diabetes Mellitus Using Medicinal Plants, Current Diabetes Reviews, 2008, 4, 291-308.
12. Nagaraja Puranik. K. K.F. Kammar, Sheela Devi Modulation of Morphology and some gluconeogenic enzymes activity by *Tinospora cordifolia* (Willd) in diabetic rat kidney, Biomedical Research 2007; 18(3):179-183.

**Table no. 1- Zone of inhibition Bacterial strains for hexane extract in different time interval and pH range:-**  
Extract of hexane solvent

| Species of Bacterial strain | Dose of extract | Effect of pH |               |              | Zone of inhibition in (mm) after 24hr | Zone of inhibition in (mm) after 48hr | Zone of inhibition in (mm) after 72hr |
|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                             |                 | Original pH  | Acidic medium | Basic medium |                                       |                                       |                                       |
| Bacillus                    | 300µl.          | 7.60         | 2.5           | 9            | 11mm.                                 | 11.8 mm.                              | 12.4mm.                               |
| Rhizobium                   |                 | 7.95         | 2.5           | 9            | 9mm.                                  | 10.1 mm.                              | 11.0 mm.                              |
| Pseudomonas                 |                 | 7.85         | 2.5           | 9            | 21mm                                  | 22.5 mm.                              | 23.8mm.                               |
| lactobacillus               |                 | 7.65         | 2.5           | 9            | 6 mm                                  | 6.8 mm.                               | 7.1 mm.                               |

Chart no.1- Graphical representation of antibacterial activity of hexane extract of *Tinospora Cardifolia* after different time interval with different bacterial species.




**Table no. 2- Zone of inhibition Bacterial strains for methanol extract in different time interval and pH range:**

Extract of methanol solvent

| Species of Bacterial strain | Dose of extract | Effect of pH |               |              | Zone of inhibition in (mm) after 24hr | Zone of inhibition in (mm) after 48hr | Zone of inhibition in (mm) after 72hr |
|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                             |                 | Original pH  | Acidic medium | Basic medium |                                       |                                       |                                       |
| Bacillus                    | 300µl..         | 7.60         | 2.5           | 9            | 8.1mm.                                | 9.2 mm.                               | 9.8mm.                                |
| Rhizobium                   |                 | 7.95         | 2.5           | 9            | 5.8mm.                                | 6.5 mm.                               | 7.1mm.                                |
| Pseudomonas                 |                 | 7.85         | 2.5           | 9            | 9.0mm                                 | 10.3 mm.                              | 10.8mm.                               |
| lactobacillus               |                 | 7.65         | 2.5           | 9            | 1.5mm                                 | 1.8mm.                                | 2.1 mm.                               |


Chart no.2- Graphical representation of antibacterial activity of methanol extract of *Tinospora Cardifolia* after different time interval with different bacterial species.



**Table no.3 - Zone of inhibition Bacterial strains for chloroform extract in different time interval and pH range:**  
**Extract of chloroform solvent**

| Species of Bacterial strain | Dose of extract | Effect of pH |               |              | Zone of inhibition in (mm) after 24hr | Zone of inhibition in (mm) after 48hr | Zone of inhibition in (mm) after 72hr |
|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                             |                 | Original pH  | Acidic medium | Basic medium |                                       |                                       |                                       |
| Bacillus                    | 300µl..         | 7.60         | 2.5           | 9            | 6.0mm.                                | 6.6mm.                                | 7.2mm.                                |
| Rhizobium                   |                 | 7.95         | 2.5           | 9            | 2.1mm.                                | 2.8mm.                                | 3.2mm.                                |
| Pseudomonas                 |                 | 7.85         | 2.5           | 9            | 9.2mm                                 | 9.8mm.                                | 10.4mm.                               |
| lactobacillus               |                 | 7.65         | 2.5           | 9            | 1.8mm                                 | 2.2mm.                                | 2.7.mm.                               |


**Chart no.3- Graphical representation of antibacterial activity of chloroform extract of Tinospora Cardifolia after different time interval with different bacterial species.**



**Table no.4 - Zone of inhibition Bacterial strains for ethyl acetate extract in different time interval and pH range:**  
**Extract of ethyl acetate solvent**

| Species of Bacterial strain | Dose of extract | Effect of pH |               |              | Zone of inhibition in (mm) after 24hr | Zone of inhibition in (mm) after 48hr | Zone of inhibition in (mm) after 72hr |
|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                             |                 | Original pH  | Acidic medium | Basic medium |                                       |                                       |                                       |
| Bacillus                    | 300µl..         | 7.60         | 2.5           | 9            | 5.2mm.                                | 5.9 mm.                               | 6.5mm.                                |
| Rhizobium                   |                 | 7.95         | 2.5           | 9            | 7.0mm.                                | 7.6 mm.                               | 8.0mm.                                |
| Pseudomonas                 |                 | 7.85         | 2.5           | 9            | 6.0mm                                 | 6.8 mm.                               | 7.4mm.                                |
| lactobacillus               |                 | 7.65         | 2.5           | 9            | 1.1mm                                 | 1.4mm.                                | 1.9 mm.                               |

**Chart no.4- Graphical representation of antibacterial activity of ethyl acetate extract of Tinospora Cardifolia after different time interval with different bacterial species**



## वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

### क्रितिका सिंह \* रूपेश द्विवेदी \*\*

**प्रस्तावना** – दुनिया के सभी देशों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि के आधार पर एक दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। आज विश्व में वैश्वीकरण के प्रति कई घटिकोण हैं, जो इसके स्वरूप, परिणाम और प्रभाव की विवेचना करते हैं। सन् 1991 में सुधार किए गए और बाधाओं को हटाकर अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोला गया। यह सुधार अपने में तीन अवयवों में समेटा हुआ है। वैश्वीकरण उदारीकरण और निजीकरण अर्थव्यवस्था के विकास के दर को बढ़ाना अतीत में प्राप्त लाभों का समायोजन करना, उत्पादन इकाइयों कि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना, मुख्य उद्देश्य रहे हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के किए कई प्रमुख परिवर्तन किए गए, जैसे कि लाइसेंस व्यवस्था की समाप्ति, निजी निवेश के लिए एमएनसी की प्रोत्साहन, विदेशी विनियम पर लगी रुकावटों को समाप्त करना, कीमत तथा वितरण संबंधी सारे रुकावटों को हटाना और एमआरपी अधिनियम को समाप्त करना आदि। वैश्वीकरण के तहत देशों में व्याप्त आर्थिक दूरीयाँ धीरे-धीरे कम हो जाती हैं। और आवागवन की सभी तरह की रुकावटें हटा ली जाती हैं।

#### परिकल्पना :

1. वैश्वीकरण एक जटिल अवधारणा है।
2. वैश्वीकरण के घटिकोण में भिन्नता।
3. आर्थिक विकास के लिए वैश्वीकरण ही पर्याप्त नहीं
4. छोटे व्यवसायों पर दुस्प्रभाव।

**शोध प्रविधि**–प्रस्तुत शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको का संकलन किया जाएगा। समंकों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण कर वास्तविक परिणाम प्राप्त किया जाएगा। यदि परिणाम वास्तविकता से मेल नहीं खाते तो पुनः सर्वेक्षण करके शोध कार्या को ढोहराया जाएगा।

#### उद्देश्य-

1. वैश्वीकरण प्रक्रिया द्वारा विकास के अवसर बढ़ाव देना।
2. अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. अधिकाधिक बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करना।
4. प्रोद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना।

**शोध विश्लेषण**– औद्योगिकरण के लिए योजना बनाने के चार दशकों के बाद अब हम नई आर्थिक नीतियों के साथ विदेशी, निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पूँजी प्रोद्योगिकी और बाजार के लिए नयी दिशायें बनाएंगे आर्थिक विकास के साथ द्वितीय रिंथति में भी सुधार होगा। वैश्वीकरण का सबसे अच्छा समय-भारत के सकल घेरेलू उप्पाद की विकास की दर 1990 के दशक के बाद लागू हुई जो 6 प्रतिशत 1980-90 के दौरान, 1993-2001 की अवधि में 5-6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत की वृद्धि व 2015-16

में देश में प्रति व्यक्ति आय शुद्ध आय में 7.4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई व 2016-17 में देश में प्रति व्यक्ति आय 9.7 फीसदी बढ़कर 1,03,219 पर पहुंच गई।

वैश्वीकरण दुनियाभर में खेलने के लिए एक विस्तृत भूमिका है। भूमंडलीकरण शब्द ही आत्म व्याख्यामक है। यह पूरी दुनिया में लोगों के रहने वाले मोड Evenness में को बनाए रहने के लिए एक अंतराष्ट्रीय मंच है।

साल 2003-08 कमे दौरान हमारे देश ने अब तक की सबसे शानदार विकास ढर्ज की है। इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर औसतन 8-9 प्रतिशत सालाना रही है। परन्तु 2007-08 में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से शुरू हुयी महामन्दी का इस उछाल पर भी सीधा असर पड़ा है। 2008-12 के दौरान भारत की विकास दर (जीडीपी) दर 6.7-8.4 प्रतिशत के बीच झूलती रही है। 2012 के यूरो जोन संकट के कारण तथा आंशिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर मैन्यूफेक्चरिंग एवं खेतों में आए ठहराव की वजह से विकास दर और भी नीचे चली गयी। 1991 से अब तक औद्योगिक उत्पादन तिगुना हो गया। जबकि बिजली उत्पादन दुगुने से भी ऊपर चला गया है। 2009 में हमारे यहाँ 2700 से ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ काम कर रही थीं।

आर्थिक सुधार के 20 सालों बाद आज भी हम कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। जैसे-गरीबी, किसानों की मजबूर दशा, बेरोजगारी, मानव-पूँजी निर्माण और ग्रामीण विकास आदि। इस सभी के स्तर पर उस लक्ष्य को नहीं पाया जा सका है। जिसकी कल्पना हुई थी। इस कारण जखरत है समावेशी विकास की ताकि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र का बराबर विकास हो सके, समाज के हर हिस्से को लाभ का समुचित बंटवारा हो सके। इसके लिए हमें सरकार पर इस बात का ढबाव बनाना चाहिए कि वे ऐसी नीतियों को मंजूरी दें जिससे हर उस शख्स का विकास हो सके, जिसकी पहुंच सीमित है। ऐसा संभव है अगर हम सभी मिलकर एक सचेत और तार्किक जनमत की तरह विकास मुद्दे को लेकर आंदोलन करें और ढबाव समूह के माध्यम से सरकार को बाध्य करें।

#### समस्याएँ :

1. वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं दोनों नकारात्मक प्रभाव है।
2. बहिमुर्खी होती जा रही अर्थव्यवस्था से विदेशी कर्ज में वृद्धि।
3. विदेशी मुद्रा भण्डारण में गिरावट।
4. बजट का अधिकांश हिस्सा कर्जों को चुकाने में जा रहा।
5. भारत का व्यापार घटा।

#### सुझाव :

1. सुझाव विकास की अर्थव्यवस्था को अपनाना।
2. स्वदेशी व्यापार को प्रोत्साहन।

\* अतिथि विद्वान्, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

\*\* अतिथि विद्वान्, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

3. अधिक से अधिक नियर्यात को बढ़ाना।
4. कम से कम आयात करना।
5. स्वदेशी विकास को बढ़ावा देना।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. इंडियाज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट : बिजनेस परस्परिटव जीएफएन एवं  
सीआईआई, नई दिल्ली 2008।
2. विश्व बैंक के डाटा
3. इकोनॉमिक सर्वे 2008-09 आर्थिक मामले विभाग, वित मंत्रालय  
भारत सरकार दिल्ली।
4. शोध प्रविधि
5. न्यूजपेपर
6. [www.google.com](http://www.google.com).

\*\*\*\*\*

## मानव एकता के लिए धर्म

### देवदास साकेत \*

**प्रस्तावना** – मानव एकता के लिए ही सभी धर्म बने हैं। किन्तु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इन सब सिद्धान्तों और मूल्यों को व्यक्ति भूलता क्यों जा रहा है? नैतिक मूल्य हमेशा सार्वनिक हितों के संरक्षण रहे हैं। यदि धर्म की परम्पराओं को पाप-पुण्य की विचारधारा से जोड़ दिया जाये। उससे धर्म के सारे सिद्धान्त निरर्थक हो जायेगे, जबकि नैतिक नियमों के सिद्धान्तों को नियमों की संहिताओं से जड़ दिया गया है। जो कानून की विधि में अपराध कहलाता है। जबकि धर्म एक स्वतंत्र सत्ता है। जहाँ यथार्थ का निर्माण किया जाता है। ‘भारत में धर्म व जाति के संस्कार का इतना महत्व है कि इनको शब्दों में वर्णन करना सम्भव नहीं है आज जो घूस, भट्टाचार बढ़ रहा है, अपराध का ताण्डव हो रहा है व संस्कारों व धर्म के अभाव के कारण ही है।’<sup>1</sup>

धर्म और सदाचार मानव जीवन की सबसे बड़ी पूँजी है। भारतीय धर्म दर्शन की परम्पराओं वैदिक दर्शन में पश्चिमी मूल्यों को ढेखने का प्रयास यदि किया गया। वहाँ अर्थ का अनर्थ हो जायेगा। जबकि भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ चतुष्ठय मूलतः सदाचार की शिक्षा प्रदान करता है। चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के माध्यम से आश्रम व्यवस्था ने मानव एकता के मूल्यों का मार्ग दिखाया है। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष के समन्वय को तीन तत्व उत्पन्न होते हैं। मानव एकता का सम्बन्ध इन तीन गुणों में मानव की एकता दिखाई देती है। सत्त्वगुणों वाले व्यक्तियों का एक समूह है। जहाँ पर सद्गुरु और नैतिकता के गुणों को आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया है। क्योंकि भारतीय मनीषियों की यह भारत भूमि में संनत जीवन के मार्ग में वर्तमान समय की एकता विखण्डित दिखाई देती है। इसके बाद भी सात्त्विक गुणों वाले व्यक्तियों का समूह धर्म और एकता के मार्ग की पुष्टि करता है।

दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ‘व्यक्तित्व की अवधारणा मानवी व्यक्तित्व से उधार ली हुई है। जब ईश्वर के बारे में यह कहा जाता है। कि वह स्वर्ग में रहने वाला पिता है। मानवी आचरण का न्यायधीश है। छण्ड और पुरस्कार का दाता है, वह अपने धर्म-संस्थापकों से बात करता है, भक्तों की मदद के लिए वह आता है।’<sup>2</sup>

इन सिद्धान्तों के लिए मानव एकता के लिए धर्म स्वतः प्रमाण है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि धर्म अपना परिचय स्वयं देता है। धार्मिक वृष्टिकोण से मानव एकता के आत्मिक विश्वास को प्रमाणित करने की आवश्यकता है। धर्म सभी कालों में विचारयुग की धारा को बौद्धिक रूप से सनुष्ट किया है। यदि मानव एकता के लिए बौद्धिक समर्थन नहीं होगा उस स्थिति में मानव का अनुभव केवल विश्वास तक सीमित रहेगा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर धर्म विश्वास परक है। धर्म ने मानव एकता को सुगठित कर रखा है। यहाँ तक कोई भी धर्म सम्प्रदाय चोरी, झूठ, हत्या, बलात्कार, ठगी का समर्थन नहीं करता है। जबकि धार्मिक अन्तर्दिटियों की

उपलब्धियाँ तर्क पर आधारित हैं। इसीलिए वेसले कहते हैं कि ‘मान्यता या मान्याताओं का समूह चाहे वह जितने भी सत्य क्यों न हों विश्वास नहीं है। विश्वास आत्मा की अन्तर्दिट है— वह यह प्राणशक्ति है जिसके द्वारा आध्यात्मिक भावों का ग्रहण उसी प्रकार होता है जिस तरह शारीरिक इन्ड्रियों से भौतिक पदार्थों का।’<sup>3</sup>

**धर्म इष्ट धनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तामः।**

**दक्षिणा ज्ञानसन्देशः प्राणायामः परं बलम्॥४**

धर्म ही व्यक्ति का मूल धन है। इस हेतु भगवान कहते हैं कि मैं परमेश्वर ही यज्ञ रूप हूँ। ज्ञान रूपी प्रकाश का मार्ग किसी व्यक्ति को देना सबसे बड़ी दक्षिणा है। प्राणायाम ही मानव का श्रेष्ठ बल है। जिससे मानव एकता की दिशा दिखाई देती है। धर्म रूपी ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने के लिए अच्छे लक्ष्यों की प्राप्ति से दूसरों को संदेश प्राप्त होता है। वर्तमान आधुनिकता ने दूसरों की सहायता करना बेहद कठिन कार्य महसूस होने लगा है। जिसकी विवेचना का परिणाम ही मानवीय जीवन की अविरल धारा को प्रवाहित होने से रोकती है। मनुष्य की चेतना समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सम्बर्धन का कार्य करती है। जिसे मानवीय जीवन की अनेक घटनाओं से विखंडित नहीं किया जा सकता है। किसी विशेष हितों के लिए धर्म अन्याय का मार्ग प्रसरत नहीं करता है। यहाँ तक धर्म ने मानव को नैतिक बनने का संदेश गीता देती है। आज के वैज्ञानिक जीवन में दूसरे के प्रति होने वाली कटुता के अनेकों उदाहरण दिखाई देते हैं।

**जकात** – प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य बनता है। अपनी कमाई का 10 प्रतिशत गरीबों में और धर्म कार्यों के लिए देना चाहिए। प्रार्थना के बाद अमूल्य काम धर्म के कार्यों में सहयोग प्रदान करना। कनिष्ठ आवश्यकताओं की भरपाई से ज्यादा कमाने वाले सभी मुस्लिम पुरुषों को जकात देना अनिवार्य है। आम तौर पर रमजान के शुभ अवसर पर जकात के रूप में आवश्यकता मन्द लोगों को वस्तुओं के रूप में भी जकात दिया जाता है। इसीलिए जकात को ईस्लाम दर्शन के पाँच आधार स्तम्भ में एक माना जाता है। इसी प्रकार प्रो. अब्दुल हकीम, वाणिज्य के प्राध्यापक ने स्वयं के जीवन में जकात का अनुभव करते हैं। उस अनुभव को स्वयं के बेतन द्वारा 10 प्रतिशत शिक्षा, समाज और मानव कल्याण हेतु दान करते हैं। यहाँ तक शिक्षा से वंचित छात्रों को उनको शिक्षा की दिशा में अग्रसर होने में स्मरणीय योगदान देते हैं। ‘ईस्लाम के धार्मिक जीवन में इस अनुभूति का विकास हल्लाज के सुप्रसिद्ध शब्दों में सृजनात्मक सत्य हूँ, मैं अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा।’<sup>5</sup>

**क्रिश्चयन** – संत मदर टेरसा, क्रिश्चयन समुदाय में पहली बार महिला को संत कहा गया। संत कहने के पीछे उनके जीवन के मनोभावों की दिशा में बीमार व्यक्तियों, दीन-दुखियों की सेवा करके मानव एकता को एक अच्छा

\* शोधार्थी (दर्शनशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

संदेश दिया। विक्षण व्यवस्था प्रदान किये। चिकित्सा सेवाएँ प्रदान किये। जहाँ मानवीय जीवन का अमूल्य आधार रहा है। मदर टेरसा प्रत्येक बच्चे की सेवा जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है। उसी प्रकार मदर टेरसा उन बच्चों को प्यार दिया। जिन बच्चों का इस दुनियाँ में कोई नहीं था। उन असहायों की सेवा की जिसके लिए मानवीय एकता के लिए वास्तविक धर्म यही है। धर्म का अर्थ है मानव सेवा करना।

**बौद्ध धर्म** – ‘हीनयान में साधक निर्वाण-प्राप्ति से ही सन्तुष्ट हो जाता है, जबकि महायान में बुद्ध-ज्ञान, सर्वज्ञता, अनुनरज्ञान या ‘सम्बोधि’ जिसे तथता भी कहा गया है।’<sup>6</sup> प्रज्ञा, शील, करुणा के अनुभव को गौतम बुद्ध ने चिन्तन का आधार बनाया। इसीकारण बौद्ध धर्म कोई भी बात ऐसी नहीं है जो तर्क से सिद्ध न की जा सके। क्योंकि तर्क और अनुभव को प्रमाणित किया जा सकता है। उसी प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने इस जगत् की अनेक समस्याओं का उत्तर तर्क से प्रमाणित करके देते हैं। ‘बुद्ध’ का मतलब ‘ज्ञान’ का प्रतीक है। इसी तथता पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि ‘दुःख’ ही संसार में जीव जगत् की सच्चाई है। इस सत्य को गौतम बुद्ध ने मनोवैज्ञानिक तथ्यों से प्रमाणित करने का प्रयास किया है। इसी कारण इन्हें मानव इतिहास का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त मनुष्य के मानवीय संवेदना को महसूस करती है। उसी प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अनुभव मानव समाज के सामने सूजन करके दिखाया है। यथार्थ क्या है? और अयथार्थ क्या है। दोनों के बीच की कड़ी को बताने का प्रयास किया है। क्योंकि इस दुनियाँ का प्रत्येक जीव नाशवान है। इसी कारण भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष के माध्यम से चार्य आर्य सत्य के सिद्धान्त की बात कहते हैं।

### जैन धर्म -

#### ‘विणयमूले धर्म’<sup>7</sup>

जैन धर्म में विनय को ही मूल धर्म के रूप में माना जाता है। विनयशील मानव में के जीवन में प्रत्येक समय में सुख और आनन्द की प्राप्ति करना चाहता है। विनयशीलता ही व्यक्ति को नैतिक प्रधान बनाती है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर स्वामी महावीर ने विनय को ही जीवन का उद्देश्य ही परम अंग कहते हैं।

#### ‘दुर्ग तौ प्रपतत्तामात्मानं धारयतीति धर्मः’<sup>8</sup>

दुःख से घिरे समय में भी दुश्प्रभावों के चंगुल से निकलने के लिए जो भी आचरण व्यक्ति आत्मा से धारण करता है। वही धर्म है। सद्गुणों से भरा हुआ जीवन ही मानव में नैतिक मूल्यों कितने भी असत्य तथ्य आने पर भी वह सत्य के मार्ग से नहीं भटकता वही वास्तव में नैतिक धर्म कहा जाता है। इसी में मानव एकता के लिए धर्म आवश्यक तथ्य के रूप में सिद्ध होता है।

मानव एकता के लिए विश्व, राष्ट्र और सामाजिक प्राणियों के दुःख से मुक्ति की भावना के अनुशीलन ही पुण्य प्राप्त होने की विधि को बन्ध कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सद्गुणों से युक्त से धर्म का रूप ग्रहण करता है। वहीं निर्जरा के कारण भी बनता है। असत्य भाषण, चौर्यकर्म, हिंसा, मैथुन-काम-विकार, परिग्रह-ममत्व, लैगिंग प्रवृत्ति, मूर्छा, तृणा, क्रोध-गुस्सा, संचय, अभिमान, अहंकार, छल, लोभ संचय के संरक्षण, माया-कपट षण्यन्त्र, कूटनीति, आशक्ति, द्वेष-घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, क्लेश-संघर्ष एवं कलह आदि। बन्ध और बन्ध के कारणों व्यक्ति के अभाव होने वाले परिपूर्ण आत्मिक अनुभव को मोक्ष कहा जाता है। अर्थात् ज्ञानतत्व और वीतारण की चरम दृष्टि ही मोक्ष का कारण बनती है। इसी कारण इस प्रकृति में जीव विचरण करते हैं, जबकि कुछ मनुष्य अधिक सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। फिर भी

सभी सुखों की कल्पना करना महत्वपूर्ण है।

पुरुषार्थ से तात्पर्य है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जैन दर्शन में पुरुषार्थों के सन्दर्भ में अर्थ और धर्म के लिए साध्य के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है। बल्कि काम और मोक्ष को साधन माना गया है। अर्थ-काम के रूप में और मोक्ष धर्म के रूप में साधन रहा है जबकि इस मानव एकता के विषय में शास्त्र मोक्ष है।

#### सम्यक्दर्शनज्ञान चारप्राणि मोक्षमार्गः ।<sup>9</sup>

सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, और सम्यक् चरित्र के आधार पर मोक्ष प्राप्ति के साधन बताये गये हैं। सम्यक् दर्शन के द्वारा जैन दर्शन में तीर्थकारों में पूर्ण श्रद्धा आवश्यक है। धर्म रूपी तत्वज्ञान ही मोक्ष है। चरित्र के सम्बन्ध में आचरण ही मानव का सबसे बड़ा मूल्य है। औपशमिक का तात्पर्य आत्म की शुद्धता से माना जाता है। जब सत्तागत कर्मों के विकास कि दिशा अवश्यक हो जाती है। तब परिणाम सामने आता है। इसी प्रकार सम्यक् चरित्र के लिए कहा जाता है कि ज्ञान की पराकाष्ठा मुक्ति की ओर ले जाती है। उद्देश्यों की सिद्ध को को प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग की तीव्रगमी गति से चलना आवश्यक है। किन्तु सभी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। चरित्र निर्माण हेतु पच्चीस रूप बताये गये हैं। सोलह कुशाय है इसके साथ नौ कुशाय भी बताये गये। जहाँ हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगृप्सा, ऋति-वेद, पुरुष-वेद, नपुंसक-वेद, अतंतानुबंधी जिसको औपशमिक के रूप में सम्यक् दर्शन माना जाता है।<sup>10</sup> नैतिकता से ही मुक्ति सम्बन्ध है। अनैतिकता से मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। नैतिक मूल्यों के साथ में ही आत्मिक चरित्र का निर्माण होता है। जिसमें स्वतंत्र शक्ति का निर्माण होता है। जिसकी औपचारिकता का परिणाम ही स्वच्छता से ही मुक्ति की प्राप्ति सम्भव है। जिस हेतु त्रिवर्ग ही मोक्ष गामी साधन है। जिसको सम्यक् दर्शन का पुण्य फल तीर्थकारों के प्रति श्रद्धा के प्रति समर्पण से होता है।

**लिंगायत :-** भय ही धर्म का मूल मानने के काल खण्ड में गुरु वसवर्णा ने दिया ही धर्म का मूल इस द्येय से लिंगायत धर्म की स्थापना 12 वीं शताब्दी में किया। उनके वचना साहित्य में ‘दया बिल दा धर्मा या ऊ दया’ कर्नाटिका भाषा है। इस वचन में गुरु वसवर्णा यह कहते हैं कि जिस धर्म में दया नहीं उसको धर्म नहीं माना जायेगा। दया सर्व प्राणियों के प्रति धर्म का होना अनिवार्य है। इसलिए सभी धर्म को दया अनिवार्य है।

**निष्कर्षतः**: यह सिद्ध होता है कि मानव एकता के लिए धर्म परम आवश्यक है। धर्म ही मानव जीवन बीच एक प्रेम सम्बन्ध को कायम रखा है। धर्म ने मानव को सत्य बोलने के लिए आज भी प्रेरित करता है। क्योंकि धर्म स्वयं में सत्य है। इसी कसौटी के साथ मानवीय एकता धर्म के साथ जुड़ी हुई है। जहाँ मानव का सम्बन्ध एक दूसरे व्यक्ति से भ्राईचारे की भावना के होने में धर्म की भूमिका है। धर्म के बिना मानव जीवन की एक कोरी कल्पना है। वह पशुतः जीवन बचता है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- पी.डी. शर्मा, एथिक्स, सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2015, पृष्ठ 182
- सत्यवान पी. कनल अनु. डी.डी. बंदिष्टे, देवात्मा का नीतिशास्त्र, देवसमाज प्रकाशन, नयी दिल्ली, 1991, पृष्ठ 32
- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, धर्म और समाज, चेतक पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2011, पृष्ठ 12
- श्रीमद्भागवतान्तर्गत (एकादश स्कन्ध, गीताप्रेस, गोरखपुर, पृष्ठ 205

5. डॉ. मुहम्मद इकबाल, **इस्लाम में धार्मिक विन्तन का पुनर्वचना**, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1996, पृष्ठ 133
6. डॉ. बन्दकिशोर देवराज, **आरतीय दर्शन**, उत्तार प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 2002, पृष्ठ 190
7. आचार्य देवेन्द्र मुनि, **नीति शास्त्र (जैन धर्म के सन्दर्भ में)** यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, संस्करण 2000, पृष्ठ 53
8. आचार्य देवेन्द्र मुनिजी, **धर्म और जीवन**, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, संस्करण 1997 पृष्ठ 7
9. **तत्त्वार्थ सूत्र अ. 1 सू. 1 पृष्ठ 128**
10. छग्नलाल जैन, **तत्त्वार्थसूत्र**, अ.भा. श्री राजेन्द्र जैन श्वे.तीर्थ पेढ़ी (ट्रस्ट) श्री मोहन खेड़ा तीर्थ, राजगढ़ जिला, धार (म.प्र.) जुलाई 2006 पृष्ठ 7

\*\*\*\*\*

## पर्यटन केन्द्रों के धार्मिक महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. मनोरमा सिंह \*

**शोध सारांश** – पर्यटन केन्द्रों के धार्मिक महत्व इतिहास के रूप में प्रसिद्ध रहा है। यह पर्यटन केन्द्र इतिहास को बार-बार दोहराता है। इस रूप में पर्यटन स्थल के विकसित होने में आधुनिक युगीन व्यक्ति व्यवसाय को लेकर भ्रमण करना प्रारम्भ कर दिया है। भ्रमण के द्वारा आर्थिक लाभ अर्जित करना है। वह भ्रमण के लिए वह व्यवसायिक दृष्टि से सोचने लगता है। इस दौरान पर्यटन स्थलों का दौरा करता है कि कौन सा व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है। उन स्थलों का अन्वेषण करता है, जो व्यवसायिक दृष्टि से उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। बघेलखण्ड के भ्रमण से पर्यटक अनेक क्षेत्रों में आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। इस क्षेत्र में खनिज और वन सम्पदा उपलब्ध है जिनसे पर्यटक अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित कर लाभ प्राप्त करते हैं।

**शोध प्रविधि** – इस शोध पत्र में **पर्यटन केन्द्रों के धार्मिक महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन** एक प्रकार से द्वितीयक समर्कों के आधार पर शोध पत्र का निर्माण किया गया है। इसके साथ-साथ पत्र-पत्रिकाओं का भी संदर्भित किया गया है।

**उद्देश्य :**

1. पर्यटन में शरीर के स्वस्थ हेतु आरामदायक यात्रा करना।
2. देशाटन विदेशी मुद्रा का आर्थिक लाभ प्राप्त करना।
3. धार्मिक पुण्य फल हेतु पर्यटन यात्रा करना।
4. पर्यटन केन्द्रों में कुशल प्रबंधक के व्यवहार का अध्ययन करना।
5. पर्यटन केन्द्रों में कुशल कर्मचारियों की ढक्षता अध्ययन करना।
6. पर्यटन केन्द्रों होने वाली आवास व्यवस्था का अध्ययन करना।
7. पर्यटन केन्द्रों में स्वच्छ जल की समस्या।

**समस्या :**

1. पर्यटन केन्द्रों में व्यवस्थित उद्योगों के आवागमन की समस्या।
2. पर्यटन केन्द्रों में कुशल कर्मचारियों की समस्या।
3. पर्यटन केन्द्रों में स्थापित उद्योगों में मुख्य प्रबंधक के व्यवहार की समस्या।
4. पर्यटन केन्द्रों में व्यवस्थित आवास की समस्या।
5. पर्यटन केन्द्रों में स्वच्छ जल की समस्या।

पर्यटन केन्द्र को आर्थिक केन्द्र ही बढ़ावा देते हैं। जहाँ बाक्साइट ऐलुमिनियम जैसी कीमती धारु पाई जाती है। वहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा केन्द्र माना जाता है। जिस बात को इतिहास साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ऐसे में ढक्कन ट्रेप के आधार पर पर्यटक को आने-जाने में सहायता प्राप्त होती है। ऐसी विचारधाराएँ मानव के लिए आर्थिक विकास में अधिक उपयोगी समझी जाती है। मेकल के पठारी स्थलों पर भी बाक्साइट की उच्च कोटि पाई जाती है। यह बाक्साइट रीवा, सतना, शहडोल आदि जगहों में पाई जाती है। इसके उत्तरी छोर पर भी चित्रकूट और नागीद आदि क्षेत्रों में भी उच्च कोटि की बाक्साइट प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश में आकर इस प्रकार की खनिज सम्पदा को देखने का मौका विदेशी पर्यटकों को मिलता है।

उच्च कोटि का बाक्साइट मेकल पर्वत के पठारी भाग में उपलब्ध है। जहाँ बाक्साइट संरक्षित रखने का महत्वपूर्ण स्थान है। इन स्थिति नगरों में स्थित पहाड़ों में संचित है। जिस कारण पर्यटक इन स्थानों के लिए पर्यटन के

रूप में भ्रमण करने आते हैं। इससे इन पर्यटकों को प्राप्त होने वाली बाक्साइट के प्रयोग और महत्व का पता चला है। इन्हीं कारणों से इन क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित होता है। वहीं धार्मिक पर्यटन बाद में औद्योगिक फिर व्यवसायिक पर्यटन के रूप में एक व्यापारिक केन्द्र के रूप में विद्युत हो जाता है।

पर्यटन का वास्तव में ऐतिहासिक रूपों में विशेष महत्व है। जहाँ सामाजिक और आर्थिक विचार चिन्तन के लिए उचित सुविधाओं की सफलता हेतु विदेशों से लोग पर्यटन के भ्रमण हेतु आते हैं। यह गन्तव्य स्थानों के आने-जाने में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस हेतु यातायात सुविधाओं के प्रचलन से मानवीय व्यवस्था का परिणाम जीवन को आनन्द की प्राप्ति है। इसी कारण पर्यटन के क्षेत्र में कृत कीड़ा का रूप लेती जा रही है। मनोरंजक रूपों में उद्योगों का भी विकास पर्यटन केन्द्रों में होता जा रहा है। यहाँ पर विसंगतियों का परिणाम सिर्फ आर्थिक लाभ कमाना है। जिस हेतु यात्रा का भ्रमण केन्द्र मूल दस्तकारी रूपों में कामयावी हासिल करते हैं। इसके लिए उद्योगों से निर्मित खिलौने की ढुकानों से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।

**समाधान** – प्रायः ‘अर्थशास्त्री पर्यटन पर आधारित संरचना पर अधिक जोर देते हैं क्योंकि वह आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में एक अग्रिम शर्त है, इसीलिए यह देखा गया कि पर्यटन आधारित संरचनाओं के निर्माण में उच्च कोटि के पूँजी नियोजन का होना विकासशील देशों की एक विशेषता रही है।’<sup>11</sup>

किसी भी राज्य में पर्यटन केन्द्र होने से एक अर्थव्यवस्था का मूल साधन भी जुटाया गया है। इससे बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होता है। मानव की कृपाशीलता में पर्यटन केन्द्रों की अद्य भूमिका दिखाई देती है। विदेशी व्यापारिक केन्द्रों की भी स्थापना होती है। जिससे विदेशी मुद्रा भी इस राज्य को प्राप्त होती है।

**भूर्धवः स्वरिति सा त्रयी॥<sup>2</sup>**

ऋग्वेद, यजुर्वेद, और सामवेद इन तीन विद्याओं को ही त्रयी विद्या कहा जाता है। इस विद्या का अर्थ वैदिक काल से सृष्टि का मूल सर्वथा सत्य की ओर रहा है। जहाँ यथार्थ होता वहाँ धार्मिक क्रिया-कलापों का समन्वय होता है। इस स्थिति में परम् सत्य के बल पर पृथ्वी स्थित है। इसका कारण रहा कि आर्य हमेशा से प्रकृति पूजा को महत्व देते हैं। यह प्रकृति ने प्राचीन

\* इतिहास विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

काल में प्राकृतिक दृश्य और सौन्दर्य का भ्रमण करने लोग जाते थे। उनका मूल उद्देश्य शिक्षा, ज्ञान और विद्या का केन्द्र बिन्दु यह प्राकृतिक परिवृश्य था। जबकि आज वही प्राकृतिक परिवृश्य मानव के लिए पर्यटन का केन्द्र बिन्दु बन गया है। जहाँ आधुनिकता ने ज्ञान विज्ञान को छोड़कर मौज-मस्ती का एक आलम पर्यटन केन्द्र बन गये हैं। जबकि धार्मिक दृष्टि से पर्यटन के परिवृश्य को देखकर प्राकृतिक सौन्दर्य को बढ़ाने देने की ओर व्यक्ति को कदम उठाना चाहिए। जिससे हमारी संरक्षित, धर्म और मानव मूल्य सुरक्षित रह सकें।

इन व्यवस्थाओं से ग्रामीण बेरोजगारों को भी रोजगार उपलब्ध होता है। इससे क्षेत्रीय विकास मर्ते काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यदि रोजगार व्यक्तियों को किसी भी पर्यटन केन्द्रों को रोजगार मिलता है।<sup>3</sup> वहाँ व्यवसायिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि ग्रामीण जीवन जीने वाले व्यक्ति कार्य को बहुत ही मजबूती से करते हैं। जहाँ पर्यटन विकास से सम्बन्धित क्रियाओं का सार्वजनिक नियोजनों के परिणामों को कोई नुकशान नहीं होता है। इससे पर्यटन केन्द्रों का विकास भी सम्भव है। जिस हेतु इन योजनाओं का परिणाम सावधानी पूर्वक निकाला जा सकता है। यह आर्थिक नियोजनों का परिणाम विस्तृत और अति ढुर्गम लगता है। जबकि पर्यटन केन्द्र के लिए अलग दृष्टिकोण का प्रयोग करके जीवन की वास्तविक आर्थिक ऋतों का परिणाम भी सामने आने लगता है। जहाँ उपभोग की आवश्यक वस्तुओं का कार्य प्रशिक्षित कामगारों की पूर्ति पर निर्भर करता है। जिससे पर्यटन की सौन्दर्यता का वर्णन महत्वपूर्ण रूपों में करता है।<sup>4</sup>

परिभ्रमण मनोरंजन का साधन बनता जा रहा है। जहाँ मानव विकास की सम्भावनाओं की ओर इंगित करता है।

पर्यटन एक ऐसी गतिविधि को अंजाम देती है जो किसी राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक भौगोलिक और आर्थिक तीनों अवस्थाओं को प्रभावित करती है।

प्रथम स्थिर और दूसरा अस्थिर स्थिर क्षेत्रों में पर्यटन के तहत समान्त आर्थिक नियोजनों और क्रियाकलापों का वास्तविक समुदाय है। जहाँ पर्यटन के निर्माण केन्द्रों की माँ को आकर्षित करते हैं। परिवहन और पर्यटन-यात्रियों की माँग पर नियंत्रित समुदाय की परम्पराओं का परिणाम मानव समुदाय पर निर्भर करता है।

दिक्षु यत्खुरचतुष्टयमुद्रामध्यवैमि चतुरोऽपि समुद्रान्,  
तस्य पोत्रिवपुषस्तव दंष्ट्रा तुष्टयेऽस्तु मम वास्तु जगत्या।  
उद्भवाजतनुजादज! कामं विश्वभूषण! न दूषणमात्र,  
दूषणपश्मनाय समर्थं येन देव ! तव वैभवमेव।<sup>5</sup>

प्राचीन काल से ही चारों दिशाओं में वराह स्वरूप धारी भगवान में इस पृथकी का संरक्षण कर रखा है। जिनकी मुद्राएँ चरण-चिन्ह, के रूप में प्रकृति

लहलहा रही है। जबकि मानव में मानवीय मूल्यों की अनेक विशालता का परिणाम ही विशाल वराह की देहवाले आपकी इस पृथकी का सौन्दर्य मनमोहक की तरह दिखाई दे रहा है। जिसकी कल्पना आधुनिक युगीम मानव पर्यटन के रूप में कर रहा है।

अस्थिर वह व्यवस्थाओं पर अल्प कालीन होती है। जिसकी माँग भोजन व्यवस्था प्रवासियों को आवास सुविधा मुहैया करना और खाँन-पान की मूल-भूत सुविधाएँ शामिल है।<sup>6</sup>

पर्यटन उद्योगों में धात्विक उद्योगों का मूल पदार्थ हैं चूना पत्थर है। जहाँ पर अनेक प्रकार के भागों में चूने का व्यवरित भण्डार संचित है। इस की विशेषता रासायनिक स्तर का चूने की मात्रा में वृद्धि करना है। जहाँ उत्पादन क्षेत्रों को विकसित कर लोगों को पर्यटन केन्द्रों की ओर प्रेरित किया जाता है।<sup>7</sup>

नीस चट्टानों में सुरमा पत्थर की उपलब्धता का केन्द्र माना जाता है। जहाँ पर पर्यटक इन सुरमा पत्थर के महत्व को जानने की इच्छा रखते हैं। की परतों में सुरमा पत्थर की इस परत पर पर्यटकों ने कफी दिलचस्पी ली है। जहाँ इसका व्यवसायिक लाभ प्राप्त हो रहा है।

**निष्कर्ष –** पर्यटन केन्द्र के रूप में यह विकसित रूपों में प्रकृति के सौन्दर्य का परिणाम पृथकी ही देती है। जहाँ प्राकृतिक सौन्दर्य को निखिल करने में पर्यटन की भूमिका अद्य है। यह पर्यटन के आधुनिक शक्ति पर निर्भर होता जा रहा है। ऐसी जिसका प्रयोग मशीनीकरण, औद्योगीकरण, नगरीकरण और और व्यवसायिकरण के लिए पूँजी का बहुत बड़ा केन्द्र माना जाता है। इसका ऐतिहासिक महत्व है। धार्मिक रूपों में पर्यटन के मूल्यों का स्मरणीय योगदान मानव विकास के लिए परिलक्षित होता है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. राजेश गोयल, पर्यटन एवं परिवहन, वंदना पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2011, पृष्ठ 17
2. जैमिनि उ. ब्रा. 2/9/7
3. डॉ. बी.पी. सिंह, पर्यटन विकास समस्याएँ एवं सम्भावनाएँ, आशा पब्लिशिंग काम्पनी, आगरा, 2013-14, पृष्ठ 196
4. राजेश गोयल, पर्यटन सुविधाओं का प्रबन्धन, वंदना पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2011, पृष्ठ 26
5. नैषधीय चरित, 21 / 57, पृष्ठ 67
6. के.ए.ल. अग्रवाल, भारत के सांस्कृतिक केन्द्र, खजुराहों दि मैकमिलन कम्पनी, नई दिल्ली, 1980, पृष्ठ 9
7. राजेश गोयल, आरतीय पर्यटन उद्योग, वंदना पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2011, पृष्ठ 82

## पर्यावरण से मानव का शैक्षिक विकास

**डॉ. रवीराज त्रिपाठी \***

**प्रस्तावना** – पर्यावरण मानव जीवन की प्राणवायु प्रदान करता है। परन्तु मनुष्य प्रतिदिन पेड़ों को काट रहा है। प्रकृति का नियम है कि प्रकृति सर्वोत्तम जानकार है। इस नियम की मान्यतानुसार हमें प्रकृति का बेहतर अविष्कारक माना जाता है। मानव के जीवन का संरक्षण पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसका मूलतः निदान मनुष्य की पूर्णता पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से सभी प्राणियों का मानव में निहित योगदान है। उसी प्रकार पर्यावरण के संरक्षण से मानव स्वस्थ्य विचार का आदान-प्रदान होता है।

प्रकृति के नियम तभी तक उचित है जब तक मानव में मानवीय मूल्य विद्यमान है। यदि मूल्य खत्म हुआ प्रकृति का रौद्र रूप सामने आ जाता है। मानव हितों पर विचार की प्रारम्भिक अवस्था का संचार होता है। ऐसी मान्यताओं पर निर्भर समाज का प्रभाव भी पर्यावरण में परिलक्षित होता है। इस प्रकार की मानवीय दशाओं में मानव का हित और पोषण युक्त पौधों का संरक्षण मानव का कर्तव्य है। मनुष्य प्रकृति को अपूरणीय क्षति करने से रोकना होगा। तभी हम गोलोबलवार्मिंग के प्रभाव से निजात पा सकते हैं। ऐसी मान्यताएँ मानव के लिए बहुत ही हितकर होती है। जहाँ मानव का समाज और वैचारिक संघर्ष दोनों में अंतर दिखाई देता है। इसी कारण मानव धीरे-धीरे उन्हीं वस्तुओं को नष्ट करने में लगा है। जो उसके जीविकोपार्जन में सहायता करती है। ऐसी मान्यताओं से भ्रा समाज मानव के लिए मूल्य प्रदान कर रहा है।

**प्रविधि** – इस शोध पत्र में पर्यावरण से मानव का शैक्षिक विकास एक प्रकार से द्वितीयक शोध सामाची के आधार पर अध्ययन किया गया है। इसके सन्दर्भ हेतु पत्र-पत्रिकाओं और विद्वानों का मार्गदर्शन लिया गया है।

### **समस्या :**

1. प्राकृतिक के असन्तुलन होने का कारण।
2. प्रकृति और मानव के मूल्यों की समस्या।
3. प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से पर्यावरण की समस्या।
4. अनियंत्रित खाद दवाईयों से पर्यावरण को नुकशान।
5. जीव-जन्तुओं तथा प्रकृति पर मानव के द्वारा हिसा।
6. मनुष्य का भोजन तथा स्वास्थ्य कैसे पर पर्यावरण प्रदूषण का बोलबाला।
7. जनसंख्या और पर्यावरण की तीव्र वृद्धि से हिसा और बढ़ते अपराध।
8. बच्चों पर जल संकट से मानसिक विकास का क्षीण होना।
9. पर्यावरण प्रदूषण में उत्पत्र संकट

### **उद्देश्य :**

1. जीव-जन्तुओं तथा प्रकृति पर मानव की निर्भरता को समझना।
2. पदार्थों की तथा विवेकपूर्ण उपयोग करना।

3. मनुष्य का भोजन तथा स्वास्थ्य पर ध्यान देना।
4. जनसंख्या और पर्यावरण, के बारे में तकनीकि ज्ञान और परम्परिक ज्ञान का समन्वय।
5. जल एवं ऊर्जा, को संरक्षण रखने में प्रत्येक व्यक्ति को योगदान देना।
6. पर्यावरण प्रदूषण में उत्पत्र संकट को कम करने हेतु वृक्षारोपण में सहायता करना।
7. पृथ्वी एक समाज है इसकों संरक्षण रखने के लिए खाद और दवाईयों का उपयोग कम करना।

**समाधान** – मानव अपने मूल आध्यात्मिक गुणों को त्याग कर आर्थिक लाभ के पीछे मानव भागता जा रहा है। प्रकृति के संबंधों के विपरीत होने से मानव के ज्ञान को संकुचित एवं अज्ञानता के को प्रकृति ही नष्ट करती है। सर्वप्रथम मनुष्य इस मान्यता का त्याग कर दे कि हम वृक्षों को नहीं काटेंगे। इनका संरक्षण और संवधन करेंगे। पर्यावरणीय समस्या का कोई वैज्ञानिक समाधान नहीं है। समाधान सिर्फ मानव है। मानव को पर्यावरण के द्वारा होने वाले लाभ और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव से परिचित होना होगा। यही पर्यावरण की शिक्षा का मूल उद्देश्य है।

‘आज प्रत्येक मानव-समाज में चाहे वह ग्रामीण हो अथवा शहरी हो औद्योगिक तथा तकनीकी की देश में प्रगति कर रहा है। उद्योग तथा कारखानों से बड़ी मात्रा में बेकार वस्तुयों तथा अवशेष निकलते हैं उन्हें जीव-मण्डल में छोड़ते हैं। जिससे परितंत्र सामान्य क्रियाएँ प्रभावित होती है।’<sup>1</sup>

केन्द्रीय पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के संभावित उपायों के तहत ‘राष्ट्रीय पर्यावरणीय चेतना अभिया’ की शुरुआत की गई। इन समस्त कार्यों पर होने वाला व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के एक प्रोजेक्ट में सामान्यतया दो जिलों के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को रखा जाता है। इस देशव्यापी कार्यक्रम को सर्वप्रथम 1986 में ‘पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद’ के द्वारा प्रारम्भ कराया गया। इसके तहत 19 नवम्बर से 18 दिसम्बर तक ‘पर्यावरण माह’ प्रति वर्ष पूरे देश में मनाया जाता है। इसके अन्तर्गत प्रति वर्ष एक निश्चित विषय-वस्तु (जो कि पर्यावरणीय समस्याओं अथवा संरक्षण) पर आधारित हो, को ध्यान में रखते हुए पद यात्राएँ, रेलियाँ, जनसभाएं, प्रदर्शनियाँ नुब्बड़ नाटक, लोकनृत्य, निबन्ध, वाद-विवाद, चित्रकला, पोस्टर प्रतियोगिताएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएँ आदि आयोजित किये जाते हैं। ये सभी कार्यक्रम पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत क्षेत्रीय संसाधन के एन.जी.ओ. द्वारा आज भी संचालित की जा रही हैं।<sup>2</sup>

यह योजना व्यावहारिक पक्ष पर आधारित है केन्द्रीय पर्यावरण विभाग द्वारा निर्देशित तथा केन्द्रीय शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम को

\* प्राचार्य, रीवा कालेज ऑफ एजुकेशन, रीवा (म.प्र) भारत

अब राज्यों के शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिज्ञ अंग बनाने की संस्तुति की गयी तथा पर्यावरण संरक्षण के बुनियादी सिद्धान्तों के बारे में विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विद्यालयी शिक्षा को पर्यावरणोन्मुख बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है<sup>3</sup> इस क्रम में यह भी सिफारिश की गयी कि पर्यावरण शिक्षा को उच्च शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाय। अनेक विश्वविद्यालयों ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 'पर्यावरण विज्ञान' के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में शोध कार्यों के अंतर्गत पर्यावरण विज्ञान को स्थान दिया गया है। इस कार्य हेतु तात्पर्य अध्यापक शिक्षा विभागों के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा को शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों का अभिज्ञ अंग बनाने हेतु संस्तुति जारी है।

पर्यावरण संरक्षण के उपायों के लिए व्यक्ति को स्वयं जागरूक होना होगा। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण के दायित्वों पर मानव के प्रति ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। जिससे होने वाले पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। पर्यावरण से संबंधित संरक्षण और संवर्द्धन के उपाय को सार्थक बनाने के लिए राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर पहल करने से होने पर इससे निजात पाई जा सकती है। इन आयामों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी मानव हित के लिए सर्वोच्च कार्य है। इससे शिक्षा और समाज में पर्यावरणीय शिक्षा का स्तर और बढ़ेगा। ऐसी मान्यताएँ ने भी पर्यावरण के लिए वृक्षों पूजा पद्धति भी सार्थक रूपों में कार्य कर रही है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति मानव जागृति करना आवश्यक है<sup>4</sup>

**निष्कर्ष -** पर्यावरण के प्रति जन सामान्य में जागरूकता, चेतना एवं संवेदनशीलता विकसित करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ अनौपचारिक साधनों द्वारा भी पर्यावरण शिक्षा को

प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अन्तर्गत प्रदर्शनियाँ, 'परिस्थितिकी विकास शिविर' व्याख्यान शृंखला, नुक्कड़ नाटकों, प्रशिक्षण कार्यक्रम, फिल्म प्रदर्शन, वृत्तचित्रों आदि के द्वारा पर्यावरणीय जन जागृति के कार्यक्रम चलाये जाते हैं। पर्यावरणीय विचार-विमर्श के लिए कार्यशाला, सेमिनार, विचार गोष्ठियाँ आदि आयोजित की जाती हैं जिसके द्वारा प्रबुद्ध वर्ण के लोगों को एक साथ मिलकर विचार-विमर्श करने एवं ठोस कार्यवाही करने हेतु योजना का निर्माण करने का अवसर प्राप्त होता है। अभिज्ञ पर्यावरणीय विषयों से संबंधित प्रतियोगिताएँ जैसे चित्रकला प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता पत्रवाचन, प्रतियोगिता, पेटिंग, पोस्टर, स्लोगन, कविता एवं गीत प्रतियोगिताएँ भी पर्यावरणीय समस्याओं पर जन-सामान्य एवं शिक्षित वर्गों में जागरूकता उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इन सभी कार्यों में सरकार, शिक्षण संस्थाएँ, स्वयंसेवी संस्थाएँ, निजी संस्थाएँ एवं जन-संचार माध्यम की अहम् भूमिका की नकारा नहीं जा सकता। इससे मानवीय मूल्यों को संरक्षण कर पर्यावरण की जागरूकता को शिक्षा के माध्यम से उपयोगी और कार्यशील बनाया जा सकता है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

- आर. ए. शर्मा, पर्यावरण शिक्षा, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, 2007, पृष्ठ 47-48
- एस.एस. माथुर, शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा 1991, पृष्ठ 48
- डॉ. अखण्ड रघुवंशी एवं डॉ. चन्द्रलेखा रघुवंशी, पर्यावरण प्रदूषण, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1993, पृष्ठ 20
- डॉ. गोविन्द तिवारी, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के मूलाधार, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, 1985, पृष्ठ 60

\*\*\*\*\*

## ‘पशुसंसाधन विकास का भौगोलिक अध्ययन’ उज्जैन जिले के सन्दर्भ में

**डॉ. सी.एल. खिंची \* सीताराम बलवान \*\***

**शोध सारांश -** पशु संसाधन विकास भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसकी विचारशीलता का परिणाम ही पशुओं पर निर्भर करता है। प्राचीन काल से मनुष्य या खाना बढ़ोश पूर्ण जीवन जीता था। वह जंगली जानवरों जैसे घूमता फिरता और जंगलों से प्राप्त जानवरों का भक्षण करता था। किन्तु धीरे-धीरे सभ्यता के विकास ने इनकी संख्याओं में वृद्धि करने लगे। इसका मूल मन्त्र मानव जीवन का आधार पशु संसाधन रहा है। जहाँ पशुओं से गोबर, की खाद, दूध आदि की प्राप्ति होने लगी। उस काल से ही मानव ने खेती करना भी प्रारम्भ भी कर दिया था। इस हेतु मानवीय जीवन की मूल्यों के स्वरूपों का वर्णन किया जाता है। ऐसी विसंगतियों का परिणाम मानवीय चेतना का संचार होना चाहिए। वैदिक काल का भारतीय संस्कृति और समाज ‘आर्य जनों’ से मिलकर बना था। आर्यों के पास पशुओं की संख्या थी। इन संख्याओं में गाय, भैंड, बकरी, भैंस इत्यादि हजारों पालतू पशुओं का संरक्षण होता था। जिनके लिए चारा पानी उपलब्धता की मात्रा अधिक थी। उस समय जंगलों में हरी-हरी घास अधिक मात्रा में उपलब्ध होती थी। पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी, भैंड से व्यक्ति को दूध माँस प्राप्त होता था। इन पशुओं का उपयोग मानव सिर्फ कृषि कार्य में ही करता था। समयनुसार इनकी संख्या बढ़ती गई वहाँ से वैदिक सभ्यता का ग्रामीण जीवन अप्रितम विश्वास बढ़ता गया।

**प्रस्तावना -** प्राचीन काल से ही मानव ने पशुओं की रक्षा और संरक्षण का कार्य उठाना प्रारम्भ कर दिया था। इन पशुओं को धार्मिक कार्यों में जैसे गाय का पूजन किया जाता था। जो आज भी यह परम्परा का निर्वहन किया जाता रहा है। आदिम काल से मानव में मानवीय चेतना का विकास होता वहाँ भौगोलिक वातावरण भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं। मानव इनसे भोजन और मानसिक विचारधाराओं के परिणामों का उपयोग मानवीय उपयोगिता के आधार पर करता था।

**प्रविधि -** इस शोध पत्र में ‘पशुसंसाधन विकास का भौगोलिक अध्ययन’ उज्जैन जिले के सन्दर्भ में प्राथमिक और द्वितीयक समंकों के द्वारा शोध पर का अध्ययन किया गया है। इसके लिए पत्र-पत्रिकाओं और साक्षात्कार के माध्यमों से भी सन्दर्भित करने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों के तथ्यों से जानकारी एकत्र की गई है। इन आंकड़ों के विश्लेषण के लिए उपयुक्त एवं योग्य सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है। इन विधियों में समान्तर माध्य और मासिक का बहुलक और निर्दर्शन पद्धति के द्वारा वर्गीकरण किया गया है।

### **उद्देश्य :**

1. पशु संसाधन के क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. पशुओं का पोषण आहार का अध्ययन करना।
3. पशु पालन में होने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
4. कृषि कार्य में संलग्न पशुओं का अध्ययन करना।
5. दूध उत्पादन, वितरण के प्रतिमान का अध्ययन करना।
6. पशु संसाधन की उपयोगिता का अध्ययन करना।
7. विकास दर और मृत्यु दर का अध्ययन करना।

### **समस्या :**

1. प्राथमिक आंकड़े स्वयं पशुओं के संसाधन प्रतिरूप पर केन्द्रित हैं।

2. पशुओं से उत्पादित दूध की क्षमता के विकास की समस्या।
3. पशु संसाधन में अच्छे पोषण आहार की समस्या।
4. पशुओं को चारागाह के उत्तम विकास की व्यवस्था की समस्या।
5. एक जगह पर पशुओं के बर्थें रहने से जगड़न की समस्या।
6. शहरी क्षेत्रों में पशुओं पोलिंथिन आदि अपशिष्ट पदार्थों के खाने से होने वाली बीमारी की समस्या।

पशु संसाधन उत्पादक दूध की मात्राओं का परिणाम किसी भी विपणन केन्द्रों में उपलब्धता के मूल्यों पर निर्भर करता है। इस प्रकार पशुओं के संरक्षण और संवर्धन में व्यक्ति की उच्च पोषण आहार की आवश्यकता होती है। इससे अच्छे दूध देने में पशु सक्षम होते हैं। पोषिक आहार से पशुओं की कार्यक्षमता अधिक होती है। इस दशा में विपणन केन्द्रों के प्रतिरूपों से उपलब्ध होने वाले पशु पोषण आहार की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जबकि पशुओं से ग्रामीण इलाकों में कृषि कार्य किया जाता है। इनके अतिरिक्त दूध, गोबर से खाना पकाना आदि सुविधाएँ व्यक्ति को पशुओं से प्राप्त होती हैं। आज भी मरेशियों के गोबर से ईधन तैयार किया जाता है। उन संसाधनों से गैस आदि की जखरत नहीं पड़ती है। मरेशियों के गोबर से खेतों की उर्वरा शक्ति को भी निर्मित करती हैं। इन उर्वरा शक्ति पर कृषि का कार्य टिका हुआ है। गाय के मूत्र से अनेक प्रकार की औषधीय दवाईयों को तैयार किया जाता है। जहाँ खाज, खुजली, चर्मरोग जैसी बिमारी को हटाने में मदद करता है।

भारत देश कृषि पर निर्भर देश है। जहाँ भारत की अधिक से अधिक जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। यही कारण रहा है कि प्रति व्यक्ति भारतीय किसान मात्र कृषि से अपना भरण-पोषण करता है। पशुपालन से बहुत सारे कार्य होते हैं। ऐसी विसंगतियों का परिणाम अच्छी फसल पशुओं के गोबर से प्राप्त होती है। जहाँ पर मानवीय जीवन की अनेक कठिनाईयों का परिणाम मानव के रहित होकर मानव समाज और सद्गुणों का परिणाम ही समाज और

\* प्राचार्य, शासकीय सीतामऊ महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.) भारत

\*\* शोधार्थी (भूगोल) शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

संस्कृति पर निर्भर है।

ग्रामीण जीवन में व्यक्तियों का शैक बन गया है। एक या दो पशुओं को रखना जिससे कृषि का पशुओं से गहरा संबंध है। खेती में कार्य स्वयं के भोजन हेतु दूध एवं अन्य पदार्थों की प्राप्ति हेतु दूध और अन्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। पशु संसाधन की आवश्यकता होती है। पशु पालन एवं कृषि दोनों परस्पर एक-दूसरे के पूरक हैं। कृषि के साथ-साथ पशु पालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। ग्रामों में विशेष रूप से छोटे सीमांत किसान एवं भूमिहीन कृषि मजदूरों के जीवन निर्वाह का मूल साधन पशु पालन, मुर्गी पालन, बैंस पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन आदि दूध और अन्य व्यवसायों के लिए उपयुक्त है।

पशु संसाधन में तकनीकी ज्ञान और विकास के लिए आवश्यक हो जाता है। पशुओं के रखरखाव, घास की अच्छी व्यवस्था उत्पन्न होती है। पशुपालन के लिए उपयुक्त सामग्री की बहुत आवश्यक होती है।

तकनीकी ज्ञान की वैज्ञानिकता का परिणाम है। उच्च विकसित पोषण आहार है। जिसकी सहायता से अत्याधुनिक मशीनों और सुविधाओं से भरपूर कर दिया है। ऐसी विसंगतियों ने पशुओं में मौस, दूध, बाल और अन्य गौण उत्पाद प्राप्त किये जाते हैं। डेरी उद्योगों भी स्थापना से दूध का एकत्रित करने में सहायता होती है। यही परिणाम रहा की दूध को एक जगह ले जाने और ले आने के लिए परिवहन व्यवस्था भी आवश्यक है। इसके साथ-साथ क्योंकि कुछ ही घंटों में दूध इकट्ठा करके डेरी संस्थानों में पहुँचाया जाता है। अपने परिवार का भरण-पोषण पूर्णतः कृषि और पशुपालन पर निर्भर करता है। इस हेतु पशुपालन नितान्त आवश्यक है। यद्यपि पशुओं की अधिक लागत के कारण पशुधन रखना किसानों के लिए एक बहुत समस्या है। बैल और बैसा दोनों खेती के लिए उपयुक्त साधन हैं।

ग्रामीण व्यक्तियों को कृषि से पशुओं का प्रगाढ़ संबंध है। खेती में कार्य हेतु स्वयं के भोजन हेतु दूध और अन्य पदार्थों की प्राप्ति हेतु पशुओं का पालन नितान्त आवश्यक है। अतः कृषि अधिकांशतः पशुओं के द्वारा

दूध, गोबर, अंपडे, बाल आदि से श्री आर्थिक मदद मिलती है।

#### परिणाम :

1. पशु संसाधन के द्वारा दूध उत्पादन की वृद्धि होती है।
2. पशुओं की संख्या में वृद्धि अच्छे पोषण आहारों से होती है।
3. पशुओं के लिए गुणवत्ता युक्त पोषण की आवश्यकता होती है।
4. दूध उत्पादन से डेयरी उद्योग के विकसित होते हैं।
5. पशुओं के द्वारा दूध, ढही, धी, पनीर आदि का निर्माण किया जाता है।
6. पशु पालन चारे एवं कृषि से प्राप्त भूसा पर आश्रित होते हैं।

**निष्कर्ष** – पशुओं का उपयोग सवारी के लिए भी किया जाता है। जहाँ उनसे पशुपरिवहन भी सुनिश्चित होती है। इस प्रकार से पशु परिवहन के साधनों का निर्माण पशुओं के द्वारा होता है। उन पशुओं को अधिक गुणवत्ता युक्त पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। इसके साथ-साथ नगरों एवं शहरों में कई सारे कार्य पशुओं द्वारा ही सम्पन्न किये जाते हैं। इस प्रकार पशु-शक्ति परिवहन का महत्वपूर्ण अंग बन गई है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. अखिलेश कुमार दिव्वेदी के द्वारा **भारत पशु प्रबंधन की विधियाँ**, पत्रिका कुख्क्षेत्र जून 2003।
2. कुमारी मधु ज्योत्सना के द्वारा **भारत में पशुपालन एवं दुर्घट उत्पादन**, पत्रिका कुख्क्षेत्र जून 2003
3. डॉ. खाटेन्द्रराज गौतम के द्वारा **भारत में पशु संरक्षण की आवश्यकता**, पत्रिका कुख्क्षेत्र जून-2008।
4. डॉ. प्रकाश नारायणी के द्वारा **पशु संसाधन की नीति**, पत्रिका कुख्क्षेत्र जून 2003।
5. डॉ. अनीता मोदी के द्वारा **पशु के लिए चारे की समस्या**, पत्रिका कुख्क्षेत्र जून 2008।
6. ऋचा श्रीवारत्व के द्वारा **भारत में पशु पालन के दूध उत्पादन**, पत्रिका कुख्क्षेत्र जून 2008।

\*\*\*\*\*

# Husband's Employability Dynamics: Grounds of Shared Household Violence

Dr. Minakshi Kar \*

**Introduction** - As proven, scarcity of economic resources in the family underpins women's vulnerability to violence and their difficulties increases in rescuing themselves from a violent shared household relationship. The connection between violence and lack of economic resources and dependence is spherical. On one hand the threat and fear of violence keeps women from seeking employment, or, at best compels them to keep low paid home based exploitative labour and on the other without economic independence women have no power to escape from abusive relationship. The reverse of this argument also holds true in many parts of the countries; that is women's increasing economic activity and independence is viewed as a threat which leads to increase male violence in shared households. This is particularly true when the male partner is unemployed and feels his power undermined in the shared household (**UNICEF 2000**).

A study was conducted with 504 women victims of domestic violence living in Indore district. The main focus of the study was to examine the causes of domestic violence as perceived by the women victims of urban and rural area. There were many grounds for shared house hold violence. For the feasibility of the study various grounds for shared household violence were categorized into four conflicting dimensions of personal life of individual which are as follows :

**Power & Authority Conflict:** Dowry, Conflict over property or Family's economical status, Financial stress, Unemployment.

**Ego Conflict:** Professional jealousy, Conflict for religion & Caste, Instigation by In-laws, Instigation by community, Earlier complaint in police, Being physically challenged.

**Gender Role Conflict:** Conflict over roles & responsibilities, Alcoholism, Drug addiction, Gambling.

**Conflict over Marital Code & Conduct:** Suspicious nature, Extra marital affairs, Sexuality related factors, Childlessness, Female child, Death of son, Husband's mental illness/challenged.

Following are some of the tables showing the inter-relationship between husband's various employability status and grounds of shared household violence.

**Table 1 (see in last page)**

The occupational trend of husbands' has direct impact with those repeated incidences of violence on women within their

shared households. **The Rural** area shows that majority (52.2 per cent) husband's are engaged in Seasonal / Agriculture work or are Unemployed, amongst 32 -34 per cent husbands' either fall conflict over Marital Code & Conduct or conflict for Power & Authority which is basically financial in nature. The **Urban trend** shows that majority 40.5 per cent husbands are in Service and the common tendency for the conflict was either Gender Role argument or Power & Authority distress among the individuals as both these causes are found equal in size (about 27 per cent) apart from Marital Code & Conduct conflict (35.7 per cent). The husbands' those who are Self-employed or Seasonal worker and Unemployed are more or less equal in percentage (about 30 per cent) and majority are violating Marital Code & Conduct and their per cent is found almost half. The study finds that there is an association between Nature of Work of Husbands' of Women Victim and the Cause of Domestic Violence in Rural and Urban area.

**Table 2 (see in last page)**

The Cause of Violence is basically addressing the four major aspect of one's life i.e. first by financial aspect, second by sentimental aspect, third by sanctioned gender role of individuals and fourth by standard ethical values of marital institutions. The table here is showing the behavior of those husband's who are irregular in their employment. Thus about 328 husbands' are found regular in their employment and thus considered as not applicable for this table. Out of 504 women respondents' 176 women has reported the irregularity of employment of their husbands' and it articulates up to 34.9 per cent over all. So out of the irregular employment category of husbands' majority 53.4 per cent husbands' were irregular in employment for less than 12 months amongst 44.7 per cent caused domestic violence in their house due to Marital Code & Conduct conflict and 30.9 per cent causing Power & Authority conflict. The study finds that there is no significant association between the Period of Irregular Employment of Husbands' of Women Victims and the Cause of Domestic Violence as perceived by respondent of the study.

The women victims revealed that the irregular employment period of husbands' is less than 12 months then the intensity of the causes is also less and as the irregular employment period increases (never went to work)

the intensity, of the identified prominent causes also increases. The study finds that when the economic dominance become weak or fails then husband's do marital violence basically through breaking marital code and conduct and also many a times financial trouble is given to wife that means power and authority conflict.

#### **Table 3 (see in last page)**

The table 3 is showing the distribution of data of 'Reasons of Husband's Irregular Employment' that frequently 'Causing Violence' within the shared households. Originally women victims identified a number of reasons of their husband's irregular employment practices. All together 34.8 per cent husbands' are found irregular in employment and thus for 65.07 per cent the context is not applicable. Among the crooked husbands' majority 22.2 per cent found having 'Personal vices' that confined them from regular livelihood as because among them a big number (46.4 per cent) fallen over Marital Code & Conduct conflict' and this was followed by another 1/4<sup>th</sup> portion of husbands those of them causing violence for 'Power & Authority' differences with their wives or their natal family. The personal vices include husband's alcoholism with friends, spending time with other women, gambling with friends and etc.

Study therefore concludes that there is significant association between 'Reasons of Irregular Employment of Husbands' of Women Victims' and the 'Causes that ruptured domestic violence' within the shared household that is as perceived by respondents of the study.

#### **Table 4 (see in last page)**

Table 4 overall 46.6 per cent women victims are drawing monthly income less than Rs. 15, 000/- per month and to this level majority 42.6 per cent perceived that conflict with Marital code and conduct raised the violence while nearby to 24 per cent condemned that power and authority tousle and gender role disparities is bulging the violence in their house. Majority of husbands (65.2 per cent) are found drawing monthly income up to Rs.15, 000/- while 27.9 per cent other family members are drawing within this range, with this the pattern of causes by its ratio is more or less found in a similar manner. In the category 15, 000/- to 30, 000/- monthly income 5.9 per cent are women victim where Ego conflict caused violence in 26.7 per cent families. Researcher concludes that there is an association between the variables: Monthly Income of Husband and the Causes that ruptured domestic violence within the shared household that is as perceived by respondents.

#### **Suggestions :**

1. Many states in India are considered as the backward

state where many areas are growing as commercial cities of the state by means of fast growing in many developmental measures. Consequently the cities are found to be in the transitional phase. So to come out of the vicious circle of violence, department of Industries, Labour welfare, Small scale industries, Human resource ministry, Law ministry, Poly-techniques, I.T.I.s, IITs etc. should develop rigorous extension services to provide better conventional-nonconventional training measures, job opportunities, monetary assistance, marketing exploration for women that could help in developing the economic status of victims.

2. The monthly income status reveals that large percentages of women are still poorly paid that too not very regularly. On other hand taking the account of husbands' and family's income it expose that majorly needs small investment counselling that could multiply their money. Majority of these families are having 6-10 members in the family and good number of families having maximum of 2-6 earning members. This could be considered as an advantage for better human plan within the family. The NGOs could take up innovative projects regarding the occupational rehabilitation of vulnerable families within the equal remuneration act provisions. Their expenditure provisions & investment scope could be guided & monitored for a period of time. Insurance agencies could cater up trainings in this regards to slum youths, women self help group members, CBOs etc.

3. The study reveals that women victims of domestic violence bear the pain of husband's irregularity towards employment, for that reasons their husband's are more responsible. For the clause the employment bureau, employment guaranty programmes, self employment provisions, wage employment opportunities, livelihood development measures, entrepreneurship, self help federations and etc. are to be sensitize towards the issues of women facing the domestic violence and build up appropriate career counselling measures for the same.

#### **References :-**

1. Ali, J. (2008). Alarming Rise of Violence against Women: A View from Madhya Pradesh, Women's Link, Vol. 14, No. 2.
2. Bhattacharya, R. (2004). Behind Closed Doors, Domestic Violence in India, Sage Publication, New Delhi.
3. Enderlein, Grace. (2008). Causes of Domestic Violence and its Impact in the Work Place, Soroptimist. [www.soroptimist.org](http://www.soroptimist.org)

**Table 1: Nature of Work of Husband and Grounds of Violence with respect to Place**

| Place | Nature of Work                                   | Grounds of Violence as Perceived by Victim |                |                      |                                      | Total            |
|-------|--|--|----------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|
|       |  | Power & Authority Conflict                 | Ego Conflict   | Gender Role Conflict | Conflict over Marital Code & Conduct |                  |
| Rural | <b>Small Enterprises &amp; Professional unit</b> | 522.7%                                     | 313.6%         | 836.4%               | 627.3%                               | <b>22100.0%</b>  |
|       | <b>Services</b>                                  | 1018.5%                                    | 916.7%         | 611.1%               | 2953.7%                              | <b>54100.0%</b>  |
|       | <b>Seasonal Work/ Agriculture Unemployment</b>   | 2934.9%                                    | 1619.3%        | 1113.3%              | 2732.5%                              | <b>83100.0%</b>  |
|       | <b>Total</b>                                     | 4427.7%                                    | 2817.6%        | 2515.7%              | 6239.0%                              | <b>159100.0%</b> |
| Urban | <b>Small Enterprises &amp; Professional unit</b> | 2524.8%                                    | 2120.8%        | 98.9%                | 4645.5%                              | <b>101100.0%</b> |
|       | <b>Services</b>                                  | 3726.4%                                    | 1510.7%        | 3827.1%              | 5035.7%                              | <b>140100.0%</b> |
|       | <b>Seasonal Work / Agriculture</b>               | 3129.8%                                    | 65.8%          | 1110.6%              | 5653.8%                              | <b>104100.0%</b> |
|       | <b>Unemployment</b>                              |  |                |                      |                                      |                  |
|       | <b>Total</b>                                     | <b>9327.0%</b>                             | <b>4212.2%</b> | <b>5816.8%</b>       | <b>15244.1%</b>                      | <b>345100.0%</b> |

**Table 2: Period of Husband's Irregular Employment and Grounds of Domestic Violence as Perceived by Victim**

| Period of irregular Employment | Grounds of Violence as Perceived by Victim |                |                      |                                      | Total            |
|--------------------------------|--|----------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                | Power & Authority Conflict                 | Ego Conflict   | Gender Role Conflict | Conflict over Marital Code & Conduct |                  |
| <b>Less than 12 months</b>     | 2930.9%                                    | 1111.7%        | 1212.8%              | 4244.7%                              | <b>94100.0%</b>  |
| <b>More than 12 months</b>     | 1832.7%                                    | 610.9%         | 814.5%               | 2341.8%                              | <b>55100.0%</b>  |
| <b>Never went to work</b>      | 933.3% 1                                   | 3.7%           | 0.0%                 | 1763.0%                              | <b>27100.0%</b>  |
| <b>Total</b>                   | <b>5631.8%</b>                             | <b>1810.2%</b> | <b>2011.4%</b>       | <b>8246.6%</b>                       | <b>176100.0%</b> |

**Table 3: Reasons of Husband's Irregular Employment and Cause of Violence as Perceived by Victim**

| Reasons  | Grounds of Violence as Perceived by Victim |                |                      |                                      | Total            |
|--|--|----------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|
|  | Power & Authority Conflict                 | Ego Conflict   | Gender Role Conflict | Conflict over Marital Code & Conduct |                  |
| <b>Not Applicable</b>                            | 8124.7%                                    | 5215.9%        | 6319.2%              | 13240.2%                             | <b>328100.0%</b> |
| <b>Personal Vices</b>                            | 2925.9%                                    | 1311.6%        | 1816.1%              | 5246.4%                              | <b>112100.0%</b> |
| <b>Personal Limitations</b>                      | 1864.3%                                    | 27.1%          | 0.0%                 | 828.6%                               | <b>28100.0%</b>  |
| <b>Dependency on Wife's &amp; Parents Income</b> | 925.0%                                     | 38.3%          | 25.6%                | 2261.1%                              | <b>36100.0%</b>  |
| <b>Total</b>                                     | <b>13727.2%</b>                            | <b>7013.9%</b> | <b>8316.5%</b>       | <b>21442.5%</b>                      | <b>504100.0%</b> |

**Table 4: Monthly Income and Cause of Domestic Violence**

| Monthly Income                       |          | Grounds (Cause) of Violence |                 |                  |                  | Total            |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      |          | PAC                         | EC              | GRC              | CMCC             |                  |
| <b>Less than Rs. 15,000/-.</b>       | <b>W</b> | 56 (23.8)                   | 29 (12.3)       | 50 (21.3)        | 100 (42.6)       | <b>235 (100)</b> |
|                                      | <b>H</b> | 78 (23.7)                   | 40 (12.2)       | 64 (19.5)        | 147 (44.7)       | <b>329 (100)</b> |
|                                      | <b>F</b> | 37 (26.2)                   | 14 (9.9)        | 28 (19.9)        | 62 (44)          | <b>141 (100)</b> |
| <b>15,000/- to Rs. 30,000/-.</b>     | <b>W</b> | 7 (23.3)                    | 8 (26.7)        | 4 (13.3)         | 11 (36.7)        | <b>30 (100)</b>  |
|                                      | <b>H</b> | 17 (23.9)                   | 17 (23.9)       | 10 (14.1)        | 27 (38)          | <b>71 (100)</b>  |
|                                      | <b>F</b> | 44 (23.8)                   | 31 (16.8)       | 32 (17.3)        | 78 (42.2)        | <b>185 (100)</b> |
| <b>More than Rs. 30,000/-.</b>       | <b>W</b> | -                           | -               | -                | -                | -                |
|                                      | <b>H</b> | 13 (30.2)                   | 8 (18.6)        | 7 (16.3)         | 15 (34.9)        | <b>43(100)</b>   |
|                                      | <b>F</b> | 36 (25.4)                   | 23 (16.2)       | 23 (16.2)        | 60 (42.3)        | <b>142 (100)</b> |
| <b>Don't Know and Not Applicable</b> | <b>W</b> | 74 (31.0)                   | 33 (13.8)       | 29 (12.1)        | 103 (43.1)       | <b>239 (100)</b> |
|                                      | <b>H</b> | 29 (47.5)                   | 5 (8.2)         | 2 (3.3)          | 25 (41)          | <b>61 (100)</b>  |
|                                      | <b>F</b> | 20 (55.6)                   | 2 (5.6)         | 0 (0)            | 14 (38.9)        | <b>36 (100)</b>  |
| <b>Total</b>                         |          | <b>137(27.2)</b>            | <b>70(13.9)</b> | <b>83 (16.5)</b> | <b>24 (42.5)</b> | <b>504 (100)</b> |

\*\*\*\*\*

# भारतीय जीवन बीमा निगम एवं रिलायन्स बीमा निगम के व्यवसाय का तुलनात्मक अध्ययन (खरगोन जिले के संदर्भ में)

शिल्पी गुप्ता \* डॉ. सहदेव पाटीदार \*\*

**शोध सारांश** – प्रस्तुत शोधपत्र के अंतर्गत खरगोन जिले की सार्वजनिक बीमा क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा एवं निजी क्षेत्र की चयनित रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी के बीमा व्यापारों की तुलना पर शोध किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा कम्पनी का व्यापार अधिक प्रभावशाली है, रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी के व्यापार की तुलना में। जीवन बीमा व्यवसाय का व्यापार सामान्य वर्तुओं एवं सेवाओं से भिन्न है, उसमें भावी जीवन की आवश्यकता परिवार की सुरक्षा के प्रति दायित्व बोध कर प्रावधानों तथा निश्चित आर्थिक प्रबंध के सुझाव देकर व्यक्ति की दीर्घ अवधि के लिये प्रीमियम भुगतान हेतु अनुबंध करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर बीमा संस्था (व्यापार) द्वारा प्राप्त प्रीमियम राशि निवेश कर व्याज के रूप में लाभांश के रूप में आय प्राप्त करती है, वहीं निवेश राशि से सरकार को भी आय प्राप्त होती है और वह राशि विदेशों में निवेश करने से विदेशी धन की भी प्राप्ति होती है।

**शब्द कुंजी** – बीमा, बीमाग्राहक, निवेश, निवेशक, व्यापार, व्यवसाय।

**प्रस्तावना** – व्यक्ति के जीवन में संकटों का आना जाना लगा रहा है। व्यक्ति सामाजिक या करिपय प्राकृतिक विपत्तियों के कारण उत्पन्न होने वाले इन संकटों पर काबू पाने के लिए भारी व्यय करने की आवश्यकता है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार में आर्थिक समस्या गहरा जाती है। संकटों की शृंखला बड़ी है, इसमें दुर्घटनाये, बीमारी परिवार के कमाऊ व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु, रोजी-रोटी, फसल तथा संपत्ति का नुकसान, प्राकृतिक आपदा इत्यादि के दौरान किए जाने वाले व्यय को बचत तथा निवेश से धन निकाल कर ऋण लेकर या संपत्तियों को बेचकर पूरा किया जाता है।

**पूर्व शोध सहित्य का अवलोकन** –

- आर.एस.जैन ने 'बीमा और उसका स्वरूप'<sup>५</sup> में बीमा व्यवसाय को मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियों से जोड़ा है जिसे व्यक्ति स्वयं के श्रम से सृजित और निर्मित करता है जिसकी सुरक्षा के लिये बीमा की मदद लेता है। इस प्रकार संभावित आपदाओं से बचाने के लिये भावी निवेश करता है जिसकी प्रतिपूर्ति बीमा कम्पनी उपलब्ध कराता है।
- शशीकांत ने 'बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण एवं अभिकर्ता'<sup>६</sup> के अंतर्गत वित्तीय, आर्थिक और औद्योगिक नीतियों से क्रांतिक परिवर्तन आया है जिसमें उदारीकरण और वैश्वीकरण से नये औद्योगिक युग की शुरुआत हुई है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव बीमा क्षेत्र पर पड़ा है परिणामतः बीमा का विस्तार हुआ।
- श्यामाजॉब ने 'इंश्योरेंस सेक्टर रिपोर्ट ट्रेनीसेन्चुरी'<sup>७</sup> में निजी क्षेत्र के लिये बीमा व्यवसाय के लिये खोल दिये जाने से प्रतिस्पर्धा नवप्रवर्तन तथा सेवाओं को खरीदने के लिये जागरूकता बढ़ी है जिससे बीमा उत्पाद और जोखिम के प्रति सुरक्षा बढ़ी है शोधार्थी ने बीमा क्षेत्र के बढ़ते हुये महत्व को देखते हुये। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन कम्पनी तथा निजी क्षेत्र की रिलायन्स बीमा कम्पनी के व्यवसाय का खरगोन जिले का तुलनात्मक अध्ययन विषय को चुना है।

**अध्ययन के उद्देश्य** – उद्देश्य मानवीय क्रियाओं का आधार है शोधकार्य करने में पूर्व उसके उद्देश्यों को निर्धारित करना आवश्यक होता है, शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्नानुसार है –

- बीमा कम्पनी में निवेश का अध्ययन करना।
- जनता को निवेश से लाभ का अध्ययन करना।
- परिकल्पनाओं का परीक्षण कर निष्कर्ष निकालना।

**परिकल्पनाये** – प्रस्तुत विषय खरगोन जिले में सर्वाधिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा कम्पनी एवं निजी क्षेत्र की रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी के व्यापार का तुलनात्मक अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पनाये मानी गई हैं।

- रिलायंस जीवन बीमा कंपनी की तुलना में भारतीय जीवन बीमा निगम का व्यापार अधिक प्रभावशाली है एवं रिलायंस जीवन बीमा कंपनी की तुलना में भारतीय जीवन बीमा के हितग्राही अधिक है।
- हितग्राहियों से जोखिम की तुलना में अधिक प्रीमियम ली जाती है।

**अध्ययन प्रविधि** – प्रस्तुत शोध अध्ययन को पूर्ण करने में प्राथमिक एवम् द्वितीयक दोनों संमको का उपयोग किया है अनुसंधान में संमको का संग्रहण महत्वपूर्ण चरण है वर्तमान अनुसंधान कार्य में प्राथमिक एवम् द्वितीयक दोनों प्रकार के संमको का प्रयोग किया गया है। वर्तमान अध्ययन में प्राथमिक संमको के रूप में खरगोन जिले में स्थित जीवन बीमा निगम एवम् रिलायन्स जीवन बीमा निगम के कार्यालय जाकर प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा विस्तृत जानकारी ली गई है।

द्वितीयक संमको में भारतीय जीवन बीमा निगम व रिलायन्स जीवन बीमा निगम की वार्षिक रिपोर्ट पत्र पत्रिकाये, बीमा संबंधित व्यापार एवम् उद्योग की पालिकाये आदि की सहायता के लिये संमको के वर्गीकरण की प्रक्रिया द्वारा संमको को व्याखित किया गया है।

**वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति** – आज भारतीय जीवन बीमा निगम का कामकाज पूरी तरह से कम्प्युटरीकृत 2048 शाखा

\* शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

\*\* विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत

आफिस से 100 डिविजनल आफिस से 7 जोनल आफिसों से और एक कॉर्पोरेट ऑफिस से होता है एल.आई.सी. का वाइड एरिया नेटवर्क 100 डिविजनल ऑफिसों को और मेट्रो एरिया नेटवर्क सभी शाखा ऑफिसों का आपस में जोड़ता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम ने कुछ बैंकों और सुविधायें देने वाली संस्थाओं से भी गठबंधन किया है जिसमें चुने हुये शहरों में ऑनलाइन प्रीनियम भूगतान की सुविधायें दी जा सकती हैं। वैश्वीन, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, नई दिल्ली, और दूसरे शहरों में भी ऑनलाइन सुविधाओं के छोटे फैलाव और पुछाताछ केन्द्र भी बनाये गये हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने वर्तमान में एक करोड़ पॉलिसीयां जारी की हैं। 15 अक्टूबर 2005 में इसमें 1,09,32,955 नई पॉलिसियां जारी करके एक नया कीर्तिमान बनाया है, पिछले साल के मुकाबले 16.67 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है। तब से लेकर अब तक भारतीय जीवन बीमा निगम ने बहुत सारे कीर्तिमान बनाये हैं, जिस आशा से भारतीय जीवन बीमा का घटन किया था। उद्देश्य को लेकर आज भी एल.आई.सी. देश के अधिक से अधिक परिवारों द्वारा में सुविधायें देती है।

**वर्तमान में रिलायन्स निप्पान जीवन बीमा की स्थिति** – रिलायन्स जीवन बीमा कम्पनी निजी क्षेत्र की 5 सबसे बड़ी कम्पनी में से एक है। तथा 5 प्रतिशत शेयर के साथ निजी बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी कम्पनी है। रिलायन्स निप्पान जीवन बीमा कम्पनी में 7 मिलियन पॉलिसी होल्डर हैं। 31 मार्च 2016 की रिपोर्ट के अनुसार इसका नेटवर्क 1230 शाखाओं में विभाजित है। तथा 1 लाख 24000 अधिकर्ता भी सम्मिलित हैं। रिलायन्स निप्पान जीवन बीमा कम्पनी ने अपने बीमा बाजार निप्पान प्रसार बढ़ाने के लिये अपने अधिकर्ताओं की संख्या 30,000 हजार (अनुमानित) बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। रिलायन्स जीवन बीमा कम्पनी को रिलायन्स जीवन बीमा कम्पनी के नाम से भी जाना जाता है। रिलायन्स जीवन बीमा कम्पनी का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के अनुसार रिलायन्स निप्पान जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड जीवन बीमा के साथ नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वर्जे की लाइसेंस प्राप्त कम्पनी है। रिलायन्स जीवन बीमा की कुल सम्पत्ति 150 बिलियन्स है। इस तरह रिलायन्स जीवन बीमा कम्पनी का नाम परिवर्तित कर रिलायन्स निप्पान जीवन बीमा कर दिया। रिलायन्स निप्पान जीवन बीमा कम्पनी को 'निस्से' के नाम से भी जाना जाता है। 49 प्रतिशत बाजार अंश के साथ जापान की निजी बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी कम्पनी है।

**खरगोन जिले का परिचय** – खरगोन जिला मध्यप्रदेश की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर स्थित है।

21 अंश 22 मिनिट – 22 अंश 35 मीनिट अक्षांश से 74 अंश 25 मिनिट 76 अंश 14 मिनिट देशांश के बीच यह जिला फैला है। खरगोन जिले का क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलो मीटर है यहां कि जनसंख्या 1873046 है। खरगोन जिले के उत्तर में धार, इन्द्री, व देवास दक्षिण में महाराष्ट्र पूर्व में खण्डवा, बुरहानपुर तथा पश्चिम में बडवानी है। खरगोन जिले की प्रमुख नदियां कुंदा तथा वेदा हैं। खरगोन जिले में 9 तहसील बडवाह, भगवानपुरा, भीकनगांव, गोगावां, झिरन्या, कसरावद, खरगोन, महेश्वर, तथा सेगांव हैं। खरगोन जिले में 13779 छोटे तथा 14 मध्यम व बडे उद्योग हैं। जिले में खरगोन, निमरानी, बडवाह, भीकनगांव और्ध्वांगिक क्षेत्र हैं। ज्वार व मक्का खरीक की तथा गेहुं रबी की प्रमुख फसलें हैं। सफेद सोना, कपास तथा मुंगफली प्रमुख व्यवसायिक फसलें हैं। प्रषासनिक दृष्टि से जिले को 3

अनुविभाग, 9 तहसील, 9 जनपद पंचायत (विकासखण्ड) तथा 1407 राजस्व ग्रामों में बांटा गया है। खरगोन जिला आदिवासी बाहुल्य है। जिसमें 600 ग्राम पंचायतें, 3 नगर पालिकाएं, 4 नगर पंचायतें तथा 7 कृषि उपज मण्डी हैं। जिले के प्रमुख नगर खरगोन, कसरावद, भीकनगांव, बडवाह, सनावद, मण्डलेश्वर, महेश्वर हैं।

**परिकल्पना एवं परिकल्पनाओं का परीक्षण 01 रिलायंस जीवन बीमा कंपनी की तुलना में भारतीय जीवन बीमा निगम का व्यापार अधिक प्रभावशाली है एवं रिलायंस जीवन बीमा कंपनी की तुलना में भारतीय जीवन बीमा के हितग्राही अधिक है।**

**भारतीय जीवन बीमा एवं रिलायंस जीवन में बीमा बीमाधारी एवं राशि से संबंधित तालिका**

| प्रवृत्ति  | भारतीय जीवन बीमा (बीमाधारी) |                | रिलायंस जीवन बीमा(बीमाधारी) |                |
|------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|            | संख्या                      | राशि (लाख में) | संख्या                      | राशि (लाख में) |
| 2012.13    | 10405                       | 615.66         | 360                         | 72             |
| 2013.14    | 11445                       | 47.37          | 480                         | 96             |
| 2014.15    | 8671                        | 152.76         | 420                         | 84             |
| 2015.16    | 10285                       | 189.66         | 360                         | 72             |
| 2016.17    | 10219                       | 199.2          | 360                         | 72             |
| <b>कुल</b> | <b>51025</b>                | <b>1204.65</b> | <b>1980</b>                 | <b>396</b>     |
| <b>औसत</b> | <b>10205</b>                | <b>240.93</b>  | <b>396</b>                  | <b>79.2</b>    |

(खरगोन जिले के भारतीय जीवन बीमा एवं रिलायंस जीवन बीमा कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार, अप्रैल 2017)

प्रस्तुत तालिका में भारतीय जीवन बीमा एवं रिलायंस जीवन बीमा के व्यापार का तुलनात्मक अध्ययन से हितग्राही से संबंधित तालिका ढारा अध्ययन किया गया है। तालिका में वर्षों के अनुसार दोनों कम्पनी के बीमाधारियों की संख्या एवं बीमा राशि में विभाजित किया गया है। वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2017 तक उसे बीमा की संख्या एवं धनराशि को अलग-अलग विभक्त किया है।

तालिका के अनुसार वर्ष 2012-13 में भारतीय जीवन बीमा के 10405 व रिलायंस जीवन बीमा के 360 हितग्राही थे। वर्ष 2012-13 के दौरान भारतीय जीवन बीमा के 10405 बीमा हुये जबकि रिलायंस जीवन बीमा के 360 बीमा ही हुये हैं। भारतीय जीवन बीमा के लगभग 3.45 प्रतिशत ही रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी के बीमे हुये हैं। वहीं प्राप्त बीमा राशि में भी 615.66 लाख भारतीय जीवन बीमा से है। जबकि रिलायंस जीवन बीमा से 72 लाख रुपये ही प्राप्त हुये हैं जो लगभग 0.12 प्रतिशत ही है, भारतीय जीवन बीमा की बीमा राशि की तुलना में।

वर्ष 2013-14 के दौरान भारतीय जीवन बीमा में 11445 बीमा हुये हैं जबकि रिलायंस जीवन बीमा में 480 बीमा ही हुये हैं। भारतीय जीवन बीमा के लगभग 4.19 प्रतिशत भाग ही रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी के बीमे हुये हैं, वहीं प्राप्त बीमा राशि में भी 47.37 लाख रुपये प्राप्त हुये हैं भारतीय जीवन बीमा कम्पनी को जबकि रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी को 96 लाख रुपये प्राप्त हुये हैं। भारतीय जीवन बीमा कम्पनी को प्राप्त राशि की तुलना में 2.02 प्रतिशत भाग ही रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी को प्राप्त हुई है।

वर्ष 2014-15 के दौरान भारतीय जीवन बीमा में 8671 बीमा हुये हैं जबकि रिलायंस जीवन बीमा में 420 बीमे हुये हैं। भारतीय जीवन बीमा के

लगभग 4.84 प्रतिशत ही रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी के बीमा हुये हैं। वहीं प्राप्त बीमा राशि भारतीय जीवन बीमा कम्पनी में 152.76 लाख हैं जबकि रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी में प्राप्त बीमा राशि 84 लाख रुपये ही हैं। भारतीय जीवन बीमा में प्राप्त बीमा राशि की तुलना में रिलायंस जीवन बीमा में 0.54 प्रतिशत राशि ही प्राप्त हुई है।

वर्ष 2015-16 के दौरान भारतीय जीवन बीमा में 10285 बीमा हुये हैं जबकि रिलायंस जीवन बीमा में 360 बीमा हुये हैं। भारतीय जीवन बीमा की तुलना में रिलायंस जीवन बीमा में लगभग 3.5 प्रतिशत ही है। वहीं प्राप्त बीमा राशि भारतीय जीवन बीमा कम्पनी में 189.66 लाख रुपये हैं जबकि रिलायंस जीवन बीमा में प्राप्त बीमा राशि 72 लाख रुपये हैं। वर्ष 2015-16 में भारतीय जीवन बीमा में प्राप्त बीमा राशि की तुलना में रिलायंस जीवन बीमा में 0.38 प्रतिशत (लगभग) राशि ही प्राप्त हुई है।

वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय जीवन बीमा 10219 की तुलना में रिलायंस जीवन बीमा ने 360 बीमा ही हुये हैं। भारतीय जीवन बीमा की तुलना में रिलायंस जीवन बीमा में लगभग 3.52 प्रतिशत ही है। वहीं प्राप्त बीमा राशि भारतीय जीवन बीमा में 199.2 लाख रुपये हैं जबकि रिलायंस जीवन बीमा में प्राप्त बीमा राशि 72 लाख रुपये हैं। वर्ष 2016-17 में भारतीय जीवन बीमा में प्राप्त बीमा राशि की तुलना में रिलायंस जीवन बीमा में 3.61 प्रतिशत लगभग राशि ही प्राप्त हुई है।

तालिका के अनुसार 2012-13 से लेकर 2016-17 तक कुल 51025 बीमा भारतीय जीवन बीमा कम्पनी में, वहीं रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी में इन पांच वर्षों में 1980 कुल बीमे हुये हैं। पिछले पांच वर्षों में भारतीय जीवन बीमा के 3.88 प्रतिशत लगभग बीमे ही रिलायंस बीमा कम्पनी में हुये हैं। पिछले वर्षों में भारतीय जीवन बीमा में प्राप्त बीमा राशि कुल 1204.65 लाख रुपये लगभग है जबकि रिलायंस जीवन बीमा में प्राप्त बीमा राशि कुल 396 लाख रुपये है। भारतीय जीवन बीमा कम्पनी के प्राप्त राशि की तुलना में यह राशि मात्र 0.33 प्रतिशत लगभग है।

वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक भारतीय जीवन बीमा में प्रतिवर्ष औसत बीमा 10205 हुये हैं वहीं रिलायंस जीवन बीमा में 396 औसत बीमा प्रतिवर्ष है। रिलायंस जीवन बीमा में भारतीय जीवन बीमा की तुलना में 3.88 प्रतिशत लगभग बीमे हुये हैं। भारतीय जीवन बीमा कम्पनी बीमा राशि इन पांच वर्षों में 240.93 लाख औसत प्रतिवर्ष प्राप्त हुये हैं जबकि रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी को प्रतिवर्ष औसत 79,20 हजार रुपये लगभग ही प्राप्त हुये हैं जो भारतीय जीवन कम्पनी की तुलना में 0.33 प्रतिशत लगभग ही है।

## 02-परिकल्पना

**हितग्राहियों से जोखिम की तुलना में अधिक प्रीमियम ली जाती है।  
बीमाधारीयों से जोखिम की तुलना में ली जाने वाली प्रीमियम राशि की तुलना तालिका**

| प्रवृत्ति  | भारतीय जीवन बीमा |            | रिलायंस जीवन बीमा |            |
|------------|------------------|------------|-------------------|------------|
|            | संख्या           | प्रतिशत    | संख्या            | प्रतिशत    |
| कम         | 15               | 15         | 9                 | 11.25      |
| बराबर      | 9                | 9          | 7                 | 8.75       |
| अधिक       | 74               | 74         | 61                | 76.25      |
| कोई जवाब   | 2                | 2          | 3                 | 3.75       |
| <b>कुल</b> | <b>100</b>       | <b>100</b> | <b>80</b>         | <b>100</b> |

(प्राथमिक समंक के आधार पर, अप्रैल 2017)

प्रस्तुत तालिका में भारतीय जीवन बीमा एवं रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी में बीमाधारीयों से जोखिम की तुलना में ली जाने वाली प्रीमियम राशि का अध्ययन किया गया है। प्रीमियम राशि जोखिम की तुलना में ली जाने वाली राशि कम है, अधिक है या बराबर है, दोनों कम्पनी की का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

सर्वेक्षण तालिका के अनुसार भारतीय जीवन बीमा में 15 प्रतिशत बीमाधारीयों के अनुसार जोखिम की तुलना में ली जाने वाली प्रीमियम की राशि कम है। किन्तु रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी के 11.25 प्रतिशत बीमाधारीयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जोखिम की तुलना में प्रीमियम की राशि कम ली जाती है।

इस प्रकार भारतीय जीवन बीमा कम्पनी में 9 प्रतिशत बीमाधारीयों के अनुसार जोखिम की तुलना में ली जाने वाली प्रीमियम की राशि बराबर ली जाती है। किन्तु रिलायंस जीवन बीमा में 8.75 प्रतिशत बीमाधारीयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जोखिम की तुलना में बराबर राशि ली जाती है।

वही भारतीय जीवन बीमा कम्पनी में 74 प्रतिशत बीमाधारीयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जोखिम की तुलना में प्रीमियम राशि अधिक ली जाती हैं किन्तु रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी में 76.25 प्रतिशत बीमाधारीयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जोखिम की तुलना में प्रीमियम राशि अधिक ली जाती है।

अतः उपर्युक्त सर्वेक्षण तालिका से प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 प्रतिशत बीमाधारीयों ने कहाँ कि भारतीय जीवन बीमा कम्पनी जोखिम की तुलना में प्रीमियम राशि बराबर लेती है। रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी की तुलना में। वही प्रीमियम की राशि जोखिम की तुलना में कम लेने के लिए भारतीय जीवन बीमा कम्पनी में बीमाधारीयों का 3.75 प्रतिशत अधिक है। रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी की तुलना में।

रिलायंस जीवन बीमा में बीमाधारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2.25 प्रतिशत बीमाधारी अधिक है, जिनके अनुसार रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी जोखिम की तुलना में प्रीमियम राशि अधिक लेती है।

उपरोक्त दोनों तालिका के विश्लेषण के पश्चात भारतीय जीवन बीमा एवं रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी में जोखिम की तुलना में अधिक प्रीमियम ली जाती है, का परीक्षण करने के लिए मैं काई वर्ग येट का संशोधन का उपयोग किया गया है जो निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

## काई वर्ग येट संशोधन अनुसार तालिका

| प्रवृत्ति  | भारतीय जीवन बीमा |                | रिलायंस जीवन बीमा |                |
|------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
|            | अवलोकित मान      | प्रत्याशित मान | अवलोकित मान       | प्रत्याशित मान |
| कम         | 14.5             | 12.78          | 8.5               | 10.22          |
| बराबर      | 9                | 8.89           | 7                 | 7.11           |
| अधिक       | 74               | 75             | 61                | 60             |
| कोई जवाब   | 2.5              | 3.33           | 3.5               | 2.67           |
| <b>कुल</b> | <b>100</b>       | <b>100</b>     | <b>80</b>         | <b>80</b>      |

उपरोक्त काई वर्ग येट संशोधन के अनुसार 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर क्राइ सारणी व परिकलित मान

|                                       |                         |                        |         |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------|
| जोखिम की तुलना में अधिक प्रीमियम राशि | काई वर्ग का परिकलित मान | काई वर्ग का तालिका मान | प्रतिशत |
|                                       | 1.00297                 | < 7.815                | 5       |

उपरोक्त काई वर्ग येट तालिका के अनुसार 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर स्वातंत्र्य संख्या 2 के लिये काई वर्ग येट वर्ग का परिकलित मान काई वर्ग तालिका के मान (1.00297 < 7.815) से कम है, को स्वीकार करती है अर्थात् शून्य परिकल्पना सत्य है। अतः यहां स्पष्ट है कि दोनों ही बीमा कम्पनी बीमाधारियों से जोखिम की तुलना में अधिक प्रीमियम होती है।

बीमा कम्पनी के प्रमुख आय के ऋतु में बीमाधारियों से प्राप्त प्रीमियम राशि भी सम्मिलित है किन्तु बीमाधारियों से जितनी बीमा प्रीमियम की राशि प्राप्त की जाती है, उसकी अपेक्षा बीमाधारियों को कम सुविधाये दी जाती है।

**निष्कर्ष – रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी की तुलना में भारतीय जीवन बीमा कम्पनी के हितग्राही अधिक है।** तालिका के अनुसार रिलायंस जीवन बीमा के पिछले पांच वर्षों (2012–17) में 1980 हितग्राही है किन्तु भारतीय जीवन बीमा के वर्ष (2012–17) में 51025 हितग्राही है। पांच वर्षों की औसत हितग्राहियों की गणना की गई, तो रिलायंस जीवन बीमा के प्रतिवर्ष 396 हितग्राही ही है, वहीं भारतीय जीवन बीमा के प्रतिवर्ष 10205 हितग्राही है, जो कि रिलायंस जीवन बीमा के हितग्राहियों की तुलना में 26 गुना लगभग अधिक है। अतः शोधार्थी की परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

**भारतीय जीवन बीमा एवं रिलायंस जीवन बीमा दोनों के व्यापार में अंतर है।** तालिका में रिलायंस जीवन बीमा का पिछले पांच वर्ष (2012–17) तक में लगभग 3 करोड़ 96 लाख रुपये की बीमा राशि प्राप्त हुई है, वहीं भारतीय जीवन बीमा वर्ष (2012–17) तक में 12 अरब 4 करोड़ 65 लाख रुपये (लगभग) की बीमा राशि प्राप्त हुई जो रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी के लगभग 304.20 गुना अधिक है। वहीं ग्राहकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्य सुविधा जैसे सुरक्षा, विनियोजन, कर बचत आदि की

दृष्टि से भी भारतीय जीवन बीमा को उपयुक्त बताया है। प्राप्त बीमा राशि के अनुसार भारतीय जीवन बीमा एवं रिलायंस जीवन बीमा दोनों में बहुत अधिक अंतर है। अतः शोधार्थी की परिकल्पना भी सत्य हुई है।

**हितग्राहियों से जोखिम की तुलना में अधिक प्रीमियम ली जाती है,** के लिये तालिका में काई वर्ग येट संशोधन का प्रयोग किया गया है। तालिका में येट संशोधन के अनुसार रिलायंस जीवन बीमा कम्पनी में जोखिम की तुलना में ली जाने वाली प्रीमियम राशि अधिक है। अतः शोधार्थी की अंतिम परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई है।

### संदर्भ ग्रन्थ

1. अर्थशास्त्र प्रथम वर्ष जी.एस.मिश्र, जीवनलाल भारद्वाज साहित्य भवनरामप्रसाद एण्ड सन्स भोपाल
2. बीमा प्रशासन : के.वी. वेल्सन – उ.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमीअर्थशास्त्र प्रथम वर्ष जी.एस.मिश्र, जीवनलाल भारद्वाज साहित्य भवन रामप्रसाद एण्ड सन्स भोपाल
3. बीमा प्रशासन : के.वी. वेल्सन – उ.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
4. Different News Paper.
5. Different Issues of India Today.
6. Role of the Insurance Corporation in Economic Development in India – santosh K.Choudhary Himlal Publishing House.
7. LIFE Insurance Corporation of India – M.N. Mishra RBSA Publishers.
8. S.P. Gupta – Statistical Method, BML.Nigam Insurance Banking
9. [www.licindia.in](http://www.licindia.in)
10. [www.reliancenipponlife.com](http://www.reliancenipponlife.com)

\*\*\*\*\*

## प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में भारतीय स्टैट बैंक द्वारा वितरित ऋणों की उपादेयता का मूल्यांकन (जांजगीर चाम्पा जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. अनूप दीक्षित \* आभिषेक देवांगन\*\*

**प्रस्तावना** – किसी भी देश के उत्तरोक्तर विकास में बैंक की अहम भूमिका होती है और वही यह देश को विकसित राष्ट्र बनाने का एक सशक्त माध्यम भी है जिन देशों ने आज विकसित देश होने का गौरव हासिल कर लिया है वहां बैंकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है बैंक के माध्यम से साख (ऋण) उपलब्ध कराया जाता है जिससे कई प्रकार के उद्योग एवं व्यवसाय कि स्थापना संभव हो पाती है। लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाता है अब बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद भारतीय स्टैट बैंक ऑफ इंडिया कि विशेष भूमिका रही है। बैंक का मुख्य कार्य ग्राहकों का धन जमाकर उनको लाभ देना एवं उनके लिए कर्ज की उचित व्यवस्था करना होता है। वस्तुतः बैंक का आधार उनके ग्राहकों द्वारा जमा की गई धन राशि ही होती है एवं उसके साथ ही बैंक उनसे समय-समय पर अपने धन का उचित निवेश भी करती है।

भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सन् 1770 ई. में ‘बैंक ऑफ हिन्दुस्तान’ के नाम से प्रारंभ हुआ किन्तु यह बैंक 1832 ई. तक ‘जनरल बैंक ऑफ इण्डिया’ के नाम से सुचारू रूप से क्रियांवित रहा।

भारत में सबसे प्राचीन एवं अभी तक अस्तित्व में रहले वाला शासकीय बैंक ‘स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया’ है जो कि पूर्व में ‘बैंक ऑफ कलकत्ता’ के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1806 ई. में कलकत्ता में हुई थी परंतु वर्ष 1809 ई. में इसका नाम बदलकर ‘स्टैट बैंक ऑफ बंगाल’ रखा गया था।

इसके उपरांत ‘बैंक ऑफ बॉम्बे’ (सन् 1840) और ‘बैंक ऑफ मद्रास’ (सन् 1843) को अस्तित्व में आये।

भारत में सर्वप्रथम राव बहादुर (T.M.) के द्वारा वर्ष 1899 को ‘द तेकुंगली बैंक’ के नाम रवाशारी (Pvt.) बैंक की स्थापना की गई थी। 20वीं सदी के प्रारंभ के साथ ही सन् 1901 में ‘सीटी यूनियन बैंक’ के नाम से देश में प्रथम सुचारू बैंक की स्थापना हुई जो कि क्रांतिकारी रूप से क्रियान्वित हुई।

सन् 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा कुल 18 बैंकों को स्वशासी बैंकों की श्रेणी से हटाकर भारत शासन का सार्वजनिक उपक्रम घोषित कर दिया गया था। उनके द्वारा किया गया यह घोषणा भारत में बैंकिंग पद्धति के लिए अमृत समान कार्य की तथा भारत की आर्थिक स्थिति को इस फैसले से राहत भी प्राप्त हुई।

**प्रस्तुत शोध कार्य के अनुरूप अन्य कोई पूर्व अध्ययन**

1. पटेल आनू (25 फरवरी 2018) – प्याज भंडारन योजना पर हमें ऋण चाहिए तो हमको डरिटन प्याज गोदाम बनाना है।

2. घिल्डयाल ज्योतिष (15 नवम्बर 2017) – बैंक के मुख प्रबंधक घिल्डयाल ज्योतिष ने यहाँ कहा है कि मोबाइल बैंकिंग वैन सेवा के तहत वाहन गॉर्ड में सड़क के किनारे खड़ा होगा वहाँ पर लोगों को बायो-प्रैट्रिक कार्ड के जरिए बैंकिंग सुविधाएँ दी जायेगी।

3. सिंह युवराज (7 जनवरी 2016) – वित्त योजनाओं से मिली जानकारी के अनुसार नवम्बर 2015 में मुद्रा बैंक अपने टारगेट से करीब 80 हजार करोड़ रुपये से पिछे था लेकिन दिसम्बर 2015 में 25 हजार करोड़ रुपये का लोन वितरित हुआ है उसे देखते हुए अब बैंक के लिए टारगेट पुरा करना आसान हो गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तीन प्रकार का लोन दिया जाता है। यह लोन शिशु, किशोर और तरुण लोन है।

4. चौधरी धर्मेन्द्र (2 फरवरी 2016) – भारतीय स्टैट बैंक ने नयी होम लोन स्कीम लॉच की है यह सिंफ सैलरी वालों के लिए है। इसके तहत यंग वकिंग प्रोफेशनल्स अधिक लोन सहमति कई अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

**अध्ययन की महत्ता** – अनुसंधान के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सक्षम अध्ययन जरूरी होता है इसलिए सिर्फ जांजगीर चाम्पा जिले को ही अपने अध्ययन का आधार बनाया है चूंकि मेरा जन्म जांजगीर चाम्पा जिले में ही हुआ है। अतः जिले के क्षेत्रीय परिवेश को ध्यान में रखकर मैंने जांजगीर चाम्पा जिले के भारतीय स्टैट बैंक द्वारा वितरित ऋण हितग्राहीयों से चर्चा करके उनके उद्योग एवं व्यवसाय में भारतीय स्टैट बैंक के योगदान को अपने शोध के विषय के रूप में चयनित किया है जिससे आवश्यक शोध कार्य के द्वारा आवश्यक परिणाम प्राप्त किया जा सके।

**अध्ययन के उद्देश्य** – छत्तीसगढ़ राज्य के भारतीय स्टैट बैंक के जांजगीर चाम्पा जिले के चांपा शाखा के संबंध में वितरित ऋणों के तत्व अध्ययन का उद्देश्य यह जानने का प्रयास किया गया कि भारतीय स्टैट बैंक के द्वारा कैसे-कैसे साख (ऋण) उपलब्ध कराया जाता है तथा उन साख (ऋण) का वितरण किस प्रकार से किया जाता है।

किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है बिना उद्देश्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है इसी प्रकार लघु शोध कार्य करने के पूर्व एक योजना बनाना आवश्यक है मेरे लघु शोध कार्य ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में भारतीय स्टैट बैंक द्वारा वितरित ऋणों की उपादेयता का मूल्यांकन छत्तीसगढ़ राज्य जांजगीर चाम्पा जिले के चांपा शाखा का अध्ययन पर लेख मुख्य उद्देश्य निम्न दर्शित है।

\* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, कर्णीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत  
 \*\* एम.फिल. शोधार्थी (वाणिज्य) डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, कर्णीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

- भारतीय स्टैट बैंक द्वारा चलायी जा रही ऋण योजनाओं का अध्ययन।
- भारतीय स्टैट बैंक की वित्तीय सुदृष्टि का अध्ययन करना।
- भारतीय स्टैट बैंक की प्रचलित कार्यप्रणाली का अध्ययन
- भारतीय स्टैट बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन।
- ऋण हितग्राही के आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

**अध्ययन की परिकल्पनाएँ** – परिकल्पना का तात्पर्य पूर्व चिन्तन है। यह अनुसंधान तथा सर्वेक्षण प्रक्रिया का आधारभूत चरण है। कल्पना एक विचार दशा तथा प्रस्ताव है जिसे संभवतः अस्थायी रूप से मान लिया जाता है ताकि तार्किक परिणाम निकाले जा सके। तथा जिससे ज्ञात अथवा निर्धारित किए जाने वाले तथ्यों की सहायता से विचार कि सत्यता की जांच की जा सके।

प्रस्तुत शोध की पूर्ति हेतु परिकल्पनाएँ निम्न प्रकार निर्धारित की गई हैं :-

- भारतीय स्टैट बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण का हितग्राही द्वारा सही उपयोग होता है।
- ऋण वितरण प्रणाली स्पष्ट एवं पारदर्शी है।
- योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर है।
- ऋण प्रक्रिया अधिक जटिल है।
- भारतीय स्टैट बैंक द्वारा चलायी जा रही ऋण योजनाओं का उचित ढंग से प्रचार प्रसार नहीं किया जाता।
- ऋण हितग्राही के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

**शोध प्रविधि** – शोध के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शोधकर्ता प्रचलित शोध विधि एवं अन्य उपलब्ध विधियों का अनुकूलतम आधार पर चयन कर अध्ययन करता है। प्रस्तुत शोध समस्या के निरूपण हेतु जांजगीर चाम्पा जिले के चांपा शाखा को समग्र के रूप में चयन किया गया है तथा शहरी वित्त व्यवस्था में भारतीय स्टैट बैंक के योगदान का मूल्यांकन करने के लिए जांजगीर चाम्पा जिले के अंतर्गत स्थित भारतीय स्टैट बैंक के चांपा शाखा को आधार मानकर अध्ययन किया जायेगा।

**(1) शोध के साधन** – उपरोक्त संदर्भ में भारतीय स्टैट बैंक द्वारा प्रदत्त लाभान्वित ऋण सूचियों का चयन कर दिल्लीयक समंकों का एकत्रीकरण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, एवं अनूसूची के माध्यम से किया जाना है।

**(2) समंक का साधन** – दिल्लीयक समंक संग्रहण हेतु प्रकाशित, अप्रकाशित, व्यक्तिगत एवं संस्थागत सामाजी का प्रयोग किया जाना है और साथ ही विशय से संबंधित विद्वानों से प्राप्त परामर्श एवं सुझावों का भी सहारा लिया जाना है जो शोध के स्तर को विशय अनुरूप बनाये रखने के लिए उपयुक्त होगा।

#### अध्यायीकरण :

- अध्याय - 1 प्रस्तावना, शोध का अर्थ, शोध के उद्देश्य एवं शोध प्रविधि।
- अध्याय - 2 जांजगीर-चाम्पा जिले का परिचय।
- अध्याय - 3 बैंक का अर्थ, परिभाषा, बैंकों के प्रकार, भारत के बैंकिंग व्यवसाय का उद्भव एवं विकास और बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
- अध्याय - 4 भारतीय स्टैट बैंक की जांजगीर-चाम्पा जिले की चांपा शाखा का संगठन एवं प्रबंध।
- अध्याय - 5 भारतीय स्टैट बैंक की जांजगीर-चाम्पा जिले की चांपा शाखा की वित्तीय स्थिति।
- अध्याय - 6 भारतीय स्टैट बैंक की जांजगीर-चाम्पा जिले की चांपा

शाखा का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण वितरण प्रक्रिया एवं श्रमदान। **आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या** – उपरोक्त वर्णित उद्देश्य एवं अध्ययन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संकलित की गयी समंकों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं सांख्यिकी विश्लेषण स्वयं के प्रयास द्वारा आवश्यकतानुसार संगणक कि सहायता से किया जावेगा जिसमें सांख्यिकी तथा लेखाकर्म विधियों को समाविष्ट किया जावेगा, ताकि प्रस्तावित शोध कार्य किया जा सके।

**निष्कर्ष** – जिस बैंक के कर्मचारी अपनी दूरदर्शिता मधुरता संपर्क व्यवहार त्वरित ग्राहक सेवा इत्यादि के द्वारा जितनी अधिक जमा राशियों को बटोर सकते हैं। वास्तव में वहीं उनके व्यापार शिल्प की विशेषता हो सकती है।

प्राचीन समय में बैंकिंग प्रणाली रुद्धिवादी बैंकिंग प्रणाली थी जबकि आज की बैंकिंग ग्राहकोमुक्त बैंकिंग है। पहले बैंकिंग शहरों व कस्बों तक सिर्फ धनाद्य एवं इने-गिने (अर्थात् चंद) व्यक्तियों के लिए ही थी जबकि आज की बैंकिंग सुदूर, ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे से छोटे व्यक्तियों के लिए भी है। पहले बैंकों से बड़े आदमी ही लाभ उठा पाते थे जबकि, आज छोटा से छोटा व्यक्ति भी बैंकिंग सेवा का लाभ उठा रहा है।

19 जुलाई 1969 को इसी उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कि बैंकों से जो लाभ समाज के एक वर्ग को मिल रहा है वह हर वर्ग को मिले बैंकों का राष्ट्रीयकरण ही इसलिए किया गया था कि उनका दृष्टिकोण वाणिज्यिक न होकर जनहित-कारी ही हो।

अन्य व्यापारी संस्थाओं की भाति बैंक भी व्यापारिक संस्थान है जिस प्रकार दूसरे व्यापारिक संस्थान अपना माल बेचकर लाभ कमाते हैं उसी प्रकार बैंक अपनी सेवाएं बेचकर अपना लाभ कमाते हैं बैंकों की यह सेवा अपने ग्राहकों से जमा राशि स्वीकार करना, ऋण देना, लॉकर किराए पर देना, चैक सुविधा प्रदान करना, ऋण आदि मुहैया कराने के लिए यह जरूरी है कि बैंकों के पास जमा-राशियां काफी मात्रा में हों। यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ पूँजी होगी ही नहीं तो वह किसी को ऋण कहां से देगा। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बैंक तभी ऋण दे सकता है जब उसके पास जमा राशि हो। यदि बैंक के पास स्वयं जमा राशि नहीं होगा तो वे ऋण कहां से देंगे। इसलिए देश के सर्वोमुखी विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है कि बैंकों की जमा राशि में वृद्धि हो।

आधुनिक युग में बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य ग्राहकों से जमा राशि प्राप्त करने का होता है। अधिकांश आधिक साधन बैंक जनता से जमा राशियों को प्राप्त करके ही जुटाते हैं इसी वजह से बैंकों में पारिस्परिक प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है। बैंकों में आपस में प्रतिस्पर्धा दो प्रकार से होती है।

- ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना।
- जमाकर्ता को उनकी जमा राशियों पर अधिक दर पर ब्याज देकरा।

प्रत्येक बैंक अपने ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधा तथा कम से कम ब्याज दर पर ऋण देना चाहता है। रिजर्व बैंक के द्वारा जो भी ऋण पर ब्याजदर तथा जमा राशि पर ब्याज दर निर्धारित की जाती है उसका सभी बैंकों को पालन करना होता है तथा उसी अनुसार ब्याज दिया एवं ऋण पर ब्याज लिया जाता है। भारतीय स्टैट बैंक भारत का एक प्रमुख व्यवसायिक बैंक है बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की आर्थिक स्थिति के व्यक्ति, फर्म अथवा संस्था जो कि किसी भी प्रकार के व्यवधानिक व्यवसाय अथवा आर्थिक क्रियाक्रलाप से संबंधित हो इत्यादि की जमा राशि को स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में बैंक के बिना आर्थिक नीतियां एवं देश की अर्थ व्यवस्था दृढ़ता की कामना करना काल्पनिक ही माना जायेगा।

हालांकि हमारी बैंकों की कार्यप्रणाली में समय-समय पर सराहनीय सुधार किए हैं फिर भी यह कहना न्याय संगत नहीं होगा कि अधिकारी में अब इन्हे किसी भी सुधार की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकोषों के द्वारा अपनी योजनाओं को सजाने एवं संवारने का कार्य जारी रखा है। आज की अर्थव्यवस्था में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमि है। मानवजागृति ने जनसाधारण को बचत एवं विनिवेश का महत्व समझा दिया है फलस्वरूप समाज का हर सदस्य (व्यापारी, उद्यमी, उद्योगपति, श्रमिक, कृषक, जीकरी पेशा, लघु एवं कुटीर उद्योगों में कार्यरत) बैंकों के माध्यम से अपनी धनराशि का संलग्न व व्यय करना पसंद करते हैं।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हरिशचंद्र शर्मा : मुद्रा, बैंकिंग एवं राजस्व
2. दुबे एंड पाण्डेय : मुद्रा, बैंकिंग एवं राजस्व
3. डॉ. एन.माथुर एण्ड पी.सी.जैन : भारतीय बैंकिंग प्रणाली
4. रविन्द्रनाथ मुखर्जी : समाजिक शोध एवं सांख्यकीय
5. पी.सी.मिश्रा : भारतीय आर्थिक समस्याये एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
6. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स द्वारा प्रकाशित : दि जनरल
7. मौद्रिक अर्थव्यवस्था : टी.टी.सेट्टी



## बाल अधिकारों के संरक्षण में विधियों की भूमिका

राजू देवांगन \*

**शोध सारांश -** वर्तमान समय में बाल अधिकारों के संरक्षण का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में बाल अपराध बालकों का शोषण की घटनाएं बढ़ती जा रहा है। भारतीय परिपेक्ष्य में सामाजिक बदलाव और सामाजिक मूल्यों में गिरावट इसका महत्वपूर्ण कारण है। भारत के संविधान में बालकों के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। जिससे बालकों का समुचित विकास हो सके। बालकों का बचपन व्यवस्थित हो इसके लिए विभिन्न विधियों के द्वारा इनके अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया।

अतंराष्ट्रीय स्तर पर भी बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अपने स्थापना काल से ही प्रायासरत रहा है और विभिन्न अभिसमर्यों के माध्यम से बाल अधिकारों को चिन्हित कर सद्व्यवहारों को इस संबंध में विधि निर्माण के लिए बाध्य किया है। यूनिसेफ महिला एवं बाल विकास को अपना मूल कर्तव्य बनाया है। भारतीय परिपेक्ष्य में बाल अधिकारों का संरक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बाल अधिकारों का हनन विगत कुछ वर्षों से अधिक होता दिखाई दे रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाई गई विधियों का अध्यना प्रस्तुत करता है।

**कुंजी शब्द -** बाल अधिकार, संरक्षण, हनन।

**अध्ययन का उद्देश्य -** इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारत में बालकों के अधिकार संरक्षण हेतु बनाए गए विधियों का अध्ययन कर मूल्यांकन करना है।

**शोध प्रविधि -** यह शोध पत्र पूर्णतः सैद्धांतिक विधि पर आधारित है जिसमें विषय से संबंधित सर्वमान्य ग्रन्थ एवं प्रशासकीय दस्तावेजों से प्राप्त सूचनाओं को आधार मानकर अध्ययन किया गया है।

**विवेचना -** बालकों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बालक ही किसी भी देश भविष्य होता है। यदि इन बालकों का बेहतर संरक्षण नहीं होगा तो एक स्वरक्ष्य समाज की कल्पना करना निर्थक होगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने इसी ध्येय को दृष्टिगत रखते हुए, संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 15 (3) में महिलाओं एवं बच्चों को शारिरिक रूप से कमजोर बताया है। स्पष्ट होता है, कि इन वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों के द्वारा सक्षम बनाएं जाने का प्रावधान है। जो कि समानता के अधिकार के अपवाह के रूप में जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21 (अ) 6 से 14 वर्षों के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदाय किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में बाल श्रम एवं अन्य दुरव्यापारों को रोका गया है। इसी प्रकार भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत राज्यों को यह दायित्व सौंपा गया है, कि महिलाओं एवं बच्चों के पोषाहार एवं स्वरक्ष्य के लिए विशेष कार्यक्रमों के द्वारा संचालित किया जायेगा। भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु अग्रलिखित अधिनियमों को अधिनियमित किया गया है।

1. **स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय कारबाना अधिनियम 1948** में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। जिससे उन बच्चों का शारिरिक, मानसिक शोषण रुक सके।

2. **भारतीय खान अधिनियम 1952** में भी खदानों में बच्चों एवं महिलाओं के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया।

3. बालकों के अधिकारों के संरक्षण में सन् 1986 में बालश्रम (प्रतिषेध तथ विनियम) अधिनियम, वास्तव में बालश्रम का प्रतिषेध करने के लिए

साहसिक कदम है। अधिनियम की धारा 3 ने कुछ उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बाल नियोजन को निषेध किया है। अधिनियम की अनुसूची का भाग 1 अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये हैं (1) रेलवे द्वारा यात्रीगण, माल अथवा मेल के परिवहन से संबंधित उपजीविकाये, (2) राख के गड्ढों में सफाई और सिंडर पिकिंग का कार्य, (3) रेलवे स्टेशन पर भोजन प्रबन्ध के कार्य जिसमें विक्रेता अथवा गाड़ी के एक डिब्बे में जाना और उससे बाहर निकलना होता है, (4) रेलवे स्टेशन के निर्माण लाइनों के बीच किया जाता है, तथा (5) बंदरगाह प्रधिकारी का कार्य किसी बंदरगाह की सीमाओं के अंतर्गत कार्य: भाग ख के अंतर्गत दूसरे संसाधन आते हैं। इस प्रकार यह अधिनियम बालकों के अधिकार संरक्षण में मिल का पत्थर साबित हुआ।

4. **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012'** लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये अधिनियम।

**POCSO ACT -** पूरा नाम The Protection of Children from Sexual Offences Act में बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था। वर्ष 2012 में बनाये गये इस कानून के तहत अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग सजा तय की गयी है।

5. **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006-** बाल विवाहों के अनुष्ठान के प्रतिषेध और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। इस अधिनियम का विस्तार जम्मूकश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर हैं। इस अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष के कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष के कम उम्र की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित किया गया है। बाल विवाह से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई एक बालक है। यह कानून बाल विवाह के बंधन में बंधने वाले बालक/बालिका को अपना विवाह शून्य घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है। राज्य सरकार राजपत्र में

\* एम. फिल. छात्र, डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

अधिसूचना ढारा या किसी भाग के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्त कर सकता है। कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करता है या करवाता है, अथवा उसमें सहायता करता है, उसे 2 वर्ष कठोर कारावास अथवा जुर्माना एक लाख तक हो सकता है। कोई व्यक्ति बाल विवाह को बढ़ावा देता है या इसकी अनुमति देता है, बाल विवाह में सम्मिलित होता है तो 2 वर्ष कठोर कारावास एंव एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

6. बाल अधिकारों के संरक्षण के अधिनियम पर शिशुओं के अधिकारों संरक्षण के लिए भारत सरकार ढारा अपनायी गयी नीतियों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग की व्यवस्था की गई है। जिसके अंतर्गत 1 अधिनियम 2005 बनाया, जो 20 जनवरी, 2006 से लागू हुआ। इसमें आयोग में एक अध्यक्ष होगा, जिसने शिशुओं के कल्याण के लिए सर्वोत्तम काम किया हो या विख्यात व्यक्ति हो एवं आयोग के 6 अन्य सदस्य होंगे जिसमें से 2 महिलाएं होगी, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार ढारा की जाती है।

**उपसंहार** – बाल अधिकारों के संरक्षण में विधियों की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। जैसा कि इस अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि भारत में स्वंतत्रता

प्राप्ति के पश्चात् से ही बालकों के अधिकारों को संरक्षित करने के विधिक उपायों को अपनाया गया और विधियों को अपनाया गया और विधियों के माध्यम से बाल शोषण को रोकने का प्रयास दिखाई देता है लेकिन भारतीय संदर्भ में यदि देखा जाये तो अशिक्षा और गरीबी दो ऐसे पहलु हैं जो बाल शोषण को कहीं न कहीं से बढ़ावा देते हैं। वर्तमान समय में बाल लैंगिक शोषण की घटनाएं बढ़ती जा रही है जिसका प्रमुख कारण सामाजिक मूल्यों का हास है। स्पष्ट है कि सरकार विधि बना का बाल अधिकारों के संरक्षण कर सकती है लेकिन समाज को भी इन अधिकारों के संरक्षण के लिए आगे आना होगा।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. अग्रवाल, डॉ. एच. ओ. मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ. पब्लिशर, इलाहाबाद
2. डॉ. ईन्द्रजीत सिंह, श्रमिक विधियों
3. पाण्डेय, डॉ. जयनारायण, भारत का संविधान सेन्ट्रल लॉ. पब्लिशर, इलाहाबाद
4. बेयर एक्ट



# Cocoon Production In Chhattisgarh State With Particular Reference To Bilaspur District

Bharati Dewangan \* Dr. Prabhakar Pandey\*\*

**Abstract** - Chhattisgarh has been the leading state in terms of kosa fabric production. Abundant production of Tassar Kosa cocoons has been taken up in the natural Saal and Arjuna trees. The Eggs laid by female moth hatch into Larva, further grown as caterpillar, spins cocoon of silk threads around itself and through these cocoons raw silk is obtained. Cocoons are procured from various silk producing districts of Chhattisgarh state. The present study is descriptive in nature involving secondary data. The study tries to find out the difference between target and achievement level in production of tassar and mulberry cocoons as well as number of beneficiaries and labourers prevalent in Bilaspur district of Chhattisgarh state. Percentage of Increase or Decrease in last five years is also assessed. It is identified that Tassar cocoon production exceeds the target level in the year 2015-16 & 2017-18 where as Mulberry cocoon production exceeds the target level in 2014-15 & 2017-18.

**Keywords** - Cocoon, Tassar, Mulberry, Target, Achievement, Beneficiaries.

**Introduction** - The word "Sericulture" has been derived from the word "Su" (Si) which means silk. Sericulture is an art of rearing silkworms for the production of silk. Sericulture is an important agro-based rural industry that helps our economy and generates higher income and employment. It is practiced in a wide range of agro-climatic regions, like forests, hilly areas and plains. In Chhattisgarh, presently three types of silk viz., 'Mulberry', 'Tassar' and 'Eri' silk are producing. Tassar culture is practiced on the forest plants in wild by condition..In Chhattisgarh Tropical Tassar and mulberry are reared on commercial scale. Tassar is really named as Kosa. Chandrapur in Janjgir-Champa and Bilaspur are districts producing silk from Central Chhattisgarh. Apart from this, Raigarh and Chhuri in Katghora Tehsil of Korba from Northern Chhattisgarh are also well known for producing silk. Dewangan community is mostly engaged in weaving of Kosa silk. They have been named as **Koshta** in the name of Kosa.

**Sericulture components** - Commercial rearing of silk producing silkworm is called sericulture. Silk is Nature's gift to mankind and a commercial fiber of animal origin other than wool. Being an eco-friendly, biodegradable and self-sustaining material; silk has assumed special relevance in present age. Promotion of sericulture can help in ecosystem development as well as high economic returns. It is an agro-based industry comprising three main components: i) cultivation of food plants of the worms, ii) rearing of silk worms, and iii) reeling and spinning of silk. The first two are agricultural and the last one is an industrial component. There are four varieties of silkworms in India, accordingly

sericulture is classified into **Mulberry Culture, Tassar Culture, Muga Culture and Eri Culture**.

**Life cycle of silkworm** - Life cycle of the silkworm consists of four stages i.e. egg, larva, pupa. and adult, The duration of life cycle is six to eight weeks depending upon racial characteristics and climatic conditions. The duration of cycle can be categorized into three types i.e. uni-voltine, bi-voltine, multi-voltine.

**Stage 1 : Egg** - Uni-voltine races produce only one generation during the spring and the second generation of eggs goes through a period of rest or hibernation till the next spring. bi-voltine races produces two generations in one year and Multi-voltine races found in tropical areas have the shortest life cycle Seven to eight generations are produced in multi-voltine races.

**Stage 2 : Larva** - After 10 days of incubation, the eggs hatch into larva called caterpillar. After hatching caterpillars need continuous supply of food, because they are voracious feeders. Newly hatched caterpillar is about 0.3 cm in length and pale yellowish white.

**Stage 3 : Pupa** - Pupa is the inactive resting stage of silkworm. It is a transitional period during which definite changes take place. During this period, biological activity of larval body and its internal organs undergo a complete change and assume the new form of adult moth. The mature silkworm passes through a short transitory stage of pre-pupa before becoming a pupa. During the pre-pupal stage, dissolution of the larval organs takes place which is followed by formation of adult organs. Soon after pupation the pupa is white and soft but gradually turns brown to dark brown,

\*Research Scholar, Dr .C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.) INDIA

\*\* HOD & Prof., Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.) INDIA

and the pupal skin becomes harder

**Stage 4 : Adult** - The adult of *Bombyx mori* is about 2.5 cm in length and pale creamy white. After emergence the adult is incapable of flight because of its feeble wings and heavy body. It does not feed during its short adult life. The body of moth has general plan of insect body organization. Just after emergence, male moths copulate with female for about 2-3 hours, and die after that. The female starts laying eggs just after copulation, which is completed within 24 hours. A female lays 400-500 eggs.

**Cocoon Production** - For production of Cocoons, firstly silkworms are reared and the process of rearing silkworm for production of silk is known as Sericulture. Production of Cocoon involves Tree Cultivation and Sericulture. Mulberry trees are to be cultivated for mulberry leaves as *Bombyx Mori* silkworm feed on mulberry leaves while Tussar silkworm namely, *Antherea Mylitta* reared on Arjuna and Sal trees in outdoors unlike mulberry moth which are reared indoors. Silkworms are raised to produce cocoons. Firstly eggs are collected and kept in moist and dark place. After few days, larva stage starts and this is the stage of cocoon formation. Then to form a cocoon, larva secretes a sticky fluid and wrap itself completely. This fluid come in contact with air and dried. Worm is present inside cocoon. After 10-15 days, pupa stage arrives in which worms are destroyed and cocoons are collected but some cocoons are left for further reproduction. These left cocoons converted into moth after two weeks. Then cocoons are reeled to produce silk yarn which is later woven in handloom.

#### Findings And Discussion:

**Table 1 : Representing Target, Achievement and Percentage of Tassar Cocoon Production During the Financial year 2013-14 to 2017-18**

| S. | YEAR    | UNIT           | PRODUCTION OF TASSAR COCOONS |             |            |
|----|---------|----------------|------------------------------|-------------|------------|
|    |         |                | Target                       | Achievement | Percentage |
| 1. | 2013-14 | IN<br>LA<br>KH | 41.03                        | 34.55       | 84.20      |
| 2. | 2014-15 |                | 36.32                        | 31.08       | 85.57      |
| 3. | 2015-16 |                | 45.90                        | 50.43       | 109.86     |
| 4. | 2016-17 |                | 54.22                        | 40.83       | 75.31      |
| 5. | 2017-18 |                | 51.00                        | 51.99       | 101.94     |

Table 1 is representing the target and achievement of tassar cocoons during the period of 2013-14 to 2017-18. Tassar cocoons are measured in lakhs and it is found that the achievement in the year 2015-16 & 2017-18 exceeds the target level. In 2015-16 Tassar cocoon is produced 9.86% more than the target level, whereas in 2017-18 rate of achievement is 1.94% more than the target level. In the years 2013-14, 2014-15 & 2016-17 achievement is less than target level and the rate of production is 84.20%, 85.57% and 75.31% respectively.

#### Fig. 1 (See in next page)

It is revealed that in 2015-16 and 2017-18, cocoon production is more than the target fixed in that particular period. Thus, we can say that in this duration, tassar cocoon

production is in rapid pace.

**Table 2: Representing Target, Achievement and Percentage of Mulberry Cocoon Production During the Financial year 2013-14 to 2017-18**

| S. | YEAR    | UNIT       | PRODUCTION OF MULBERRY COCOONS |             |             |
|----|---------|------------|--------------------------------|-------------|-------------|
|    |         |            | Target                         | Achievement | Perce-ntage |
| 1. | 2013-14 | IN<br>K.G. | 1690                           | 1618.700    | 95.83       |
| 2. | 2014-15 |            | 1620                           | 2379.670    | 147.00      |
| 3. | 2015-16 |            | 2400                           | 2281.950    | 95.08       |
| 4. | 2016-17 |            | 3000                           | 1431.400    | 47.71       |
| 5. | 2017-18 |            | 1650                           | 1810.280    | 109.71      |

Table 2 is representing the target and achievement of Mulberry cocoons for the same period , 2013-14 to 2017-18. Mulberry cocoons are measured in kilogram. Here, it is found that the achievement in the year 2014-15 & 2017-18 is greater than the target level. In 2014-15, production of Mulberry cocoon is 47% more than the target level, whereas in 2017-18 it is 9.71% more than the target level. In the years 2013-14, 2015-16 & 2016-17 achievement is less than target level and the rate of production is 95.83%, 95.08% and 47.71% respectively. It is observed that the Target for 2016-17 is highest and rate of achievement is least compared to previous and next years. This is because before fixing the target for 2016-17, failure of 5% in achieving the target in the year 2015-16 is completely ignored.

#### Fig. 2 (see in last page)

It is revealed that in 2014-15 and 2017-18, cocoon production is more than the target fixed in that particular period. Thus, it is clear that in this duration, mulberry cocoon production is in rapid pace. In rest of the years cocoon production is done in such a way that even the target cannot be reached.

**Table — 3 Representing the total beneficiaries involved in tassar and mulberry production**

| S. | YEAR    | TOTAL OF BENEFICIARIS |                       |
|----|---------|-----------------------|-----------------------|
|    |         | TASSAR BENEFICIARIS   | MULBERRY BENEFICIARIS |
| 1. | 2013-14 | 453                   | 71                    |
| 2. | 2014-15 | 602                   | 75                    |
| 3. | 2015-16 | 584                   | 82                    |
| 4. | 2016-17 | 648                   | 50                    |
| 5. | 2017-18 | 664                   | 62                    |

Table -3 Shows the total beneficiaries in the production of Tassar and Mulberry. The Increase and decrease is clear through the following graphs :

#### Fig. 3 (see in last page)

It is revealed that the beneficiaries in Tassar production are fluctuating . there is an increase in 2014-15, then decrease in 2015-16 and after that it is increased in the rest two years.

#### Fig. 4 (see in last page)

It is revealed that the beneficiaries in Mulberry production are increased in the first three years but there is a sudden


decrease in the year 2016-17 with respect to the quantity of production.

**Conclusion** - From the present study, it can be concluded that, the state of Chhattisgarh is having a temperate climate, as such offers salubrious conditions for production of quality silk. But production of Tassar and Mulberry exceeds the target level only in two years and rest of the years it is below the target level that's why the industry slipped back to take a lead position among the sericultural zones of the country. Thus for future extension of silk industry, propagation of quality mulberry varieties, awareness of the benefits of sericulture activity among farmers, practice of conducting not less than two rearing in a year, a well-organized system of production and supply of disease free eggs, use of by-products of sericulture activity, modernization of reeling sector, rationalization of marketing of cocoons and raw silk, popularization of low cost technologies at farmers level etc. must be adopted and implemented.


#### References :-

1. **Ramana D.V. (1987):** "Economics of Sericulture and Silk Industry in India"; Deep Publication, New Delhi, 1st edition.
2. **Mukherjee Saswati (1992.):** "Sericulture In West Bengal-A Geographical Analysis"; M/S Bhattacharyya & Bros., Calcutta; 1st edition.
3. **Mohanty P.K.: (2003).** "Tropical Wild Silk Cocoons of India", Daya Publishing House, New Delhi, 1st edition.
4. **Dandin, S.B. (2005)** "Institute Village Linkage Programme for Improvement in Productivity and Quality", *Indian Silk*, Vol. 43(8): pp.5-8.
5. **Kumaresan, P. Sumanta Behera and Geetha Devi (2005)** "Impact of Technological Change in Mulberry Cocoon Production", *Productivity*, Vol. 46(1): pp.172-177.
6. **S.Rajadurai Selvaraju, N.G. and Jayaram H.(2008)** "Performance of Large Scale Farming in Sericulture – An Economic Analysis", *Indian J. Agric. Econ.*, Vol. 63 (4) :641 – 652.
7. **Dewangan S.K., (2010),** Sericulture - A Tool of Eco-System Checking Through Tribal, *Journal of Environmental Research and Development*, vol.6 no.1,pp.284-292
8. **R.K. Sinha (2013),** Silk characteristics-2, *Indian Silk*, Volume-4, CSB. P-58.
9. **Dewangan S.K. (2013) ,** Livelihood Opportunities through Sericulture A Model Of Gharghoda Tribal Block, Raigarh Dist., *American Journal of Environmental*


**Fig. 1: Graph representing the target and achievement level of tassar production from the year 2013-14 to 2017-18:**




**Fig. 2: Graph representing the target and achievement level of mulberry production from the year 2013-14 to 2017-18:**



**Fig. 3: Graph representing the Tassar beneficiaries:**



**Fig. 4: Graph representing the Mulberry beneficiaries:**



# Impact of the Silk Route on Ancient India

Dr. Nilesh Sharma \*

**Introduction** - Silk route was a group of historic trade-cultural routes in ancient times and medieval times through which Asia, Europe and Africa were joined. The most well-known part of it is the North Silk Route, which went from China to the West in the Middle East and then to Europe, and from which a branch coming out went towards India. The land area of the Silk Road was 6,500 K.M. long and was named after the name of China's Silk, the trade of which was the main feature of this route. Silk route is known as the commercial route to ancient Chinese civilization. Between two hundred years BC and second century, the trade of silk grew during the rule of Han Dynasty. Earlier the caravans of silk went west from the northern end of the Chinese empire. But then the Central Asian cabins were contacted and gradually, the route reached Rome, from China, Central Asia, today's Iran, Iraq and Syria and northern parts of India. It is noteworthy that on this route only silk was not traded, but all the people associated with it used to trade their own products. In the meantime, trading through the road became dangerous, then the trade started going towards the sea.

**The flourishing trade on Silk Route** - China began to reach the Han Dynasty. The silk route had a profound impact on the development of the great civilizations of China, India, Egypt, Iran, Arabia and ancient Rome. Apart from trade through this route, knowledge, religion, culture, languages, ideologies, monks, pilgrims, soldiers, ghosts, tribes, and diseases spread. From trade perspective, China was sending silk, tea and porcelain utensils, India sent spices, ivory, clothes, black pepper and precious stones, and from Rome came gold, silver, glass products, liquor, carpets and ornaments. However, by the name of 'Silk Route' it seems that this was the only way. In fact, very few people used to travel on its entire expanse. Most traders used to distribute other city goods from one city to other traders in their parts, and in this way, the goods went from one hand to the other and went thousands of miles away.

Initially, the traders on the Silk Road were mostly Indian and Bactrian, then there was a harmony, and Iranian and Arab were more in the middle. There was also a mixture of communities from the Silk Route, for example, in the Tarim Dromoey, there are clues of mix of Bactrian, Indian and Sogdai people. This city was formerly called Shiu-Phu and it was in Han from 206 BC to 220 BCE and in Tung dynasty from 618 AD to 907 AD. In 751 AD, the Chinese were

thrashed in the hands of Arab and joined Kashgar Milit-Islamia, and even today there is a connotation of the Muslims. The city was devastated by the attacks of Genghis Khan in 1219 AD. Marco Polo visited Kashgar in 1273 AD. In 1389 AD, without a target of the abate of Kashgar Amir Taimur. After becoming part of the Turks, Uighur, Mongols and Wuxi Asians, in 1759 AD, during rule of Chiang dynasty, Kashgar became a part of China. The Muslims revolted against the rulers many times, but they were crushed every time.

North Silk Road is a historic route located in the northern region of the present People's Republic of China, which travels from the ancient capital of China to the west, to the north from the Taklamkan desert, to the ancient Bactria and Parthia kingdom of Central Asia and then further to Iran and ancient Rome. It is the northern branch of the famous Silk Road, and for thousands of years, business, military and cultural activities have been taking place between China and Central Asia. In the first millennium BC, the Han Dynasty of China organized a lot of campaign against the active castes to secure this path for the Chinese merchants and soldiers, with the use of this route more expansive. Chinese emperors, in particular, made great efforts to reduce the effect of Shiangnu people.

**The routine of travelers** - It is interesting to ask that in the olden days when people would have been using Silk Route, what they used to eat in the way, because the path was not so simple. Since a vast part of the route was through the desert, it was less likely to find fruits and other food from plantation. The travelers set out from India used to carry dried food products with them. It used to consist of nuts and dried fruits and popular Indian sweets which would boost their energy. They also used to eat breads found in the local Arab or Persian towns and villages where they would stop in between. There are graffiti in the 70,000 square meters of caves on the ancient Silk Road. In some areas, it is known that the wall and about 50 thousand ancient book adventure travelers get details of the diverse details of what they eat on this trade route.

This route connects Xian city of China to Rome. Researcher Gao Kian at the Lanzhou University of Finance and Economics told the Xinhua Dialogue Committee that in many paintings, people are eating dinner kebabs. This food is now prevalent in the whole world. Researchers have also got some food utensils, which were used to prepare

these dishes. Through the silk route and its branches, the movement between East and West used to be very busy. According to Chinese historical mentions, the walnuts, melons, watermelon, pepper and carrots that grow in China were all brought from China to the west. During the Thang dynasty period of China from the seventh century to the ninth century AD, the silk path was more than the busiest. The travelers thus had to carry armaments to protect themselves from the looters and dacoits.

**Cultural exchange between India and other countries -** Cultural exchanges were also very active with trade on the silk route. Buddhism came to China from India in China's Western Han Dynasty (206 BC - 20 CE). In the 3rd century CE, the Gijar cave was dug in Sinchang, China, in which still ten thousand square meter wall paintings are safe, which provides a glimpse of the early history of Buddhism coming into China. It is speculated that Buddhism reached out from India from Silk Road through the Silk Road, then reached there till Tanghung of the Kansu province, after which spread to the inner parts of China. Many Buddhist caves are seen to be safe from the silk route, where Tanghung's Macau cave and Loyang's Lungman cave are world-famous. The artifacts of these caves include the art styles of East and West, which are witnessing cultural exchanges through the silk route, they are now included in the World Cultural Heritage List.

The Persian style of weaving and patterns reached India which can be seen in the Kashmiri kashidakari which is heavily influenced by the Persian designs. One most notable influence of cultural exchange through the silk route can be seen in the Rajput Havelis of Rajasthan. The local Rajput land lords and merchants saw that how the Arabs built lavish mansions to live in with spacious courtyards, impressive arches and intricate paintings on the walls. They were very much impressed by this style of mansions and started building their own mansions which are known as Havelis. The idea of paintings which we can see today on these Rajputi havelis was taken from Arabs. However, since the painters happened to be local Indians, they painted the images of Indian mythology.

**Conclusion -** The silk route played an important role in opening up northern part of India to the world. India happened to be in the way of the silk route and hence it

served as a stoppage of traders and merchants and other travelers which resulted in increased trade and cultural exchanges between Indian provinces and other countries and their empires. The culture that we see today has a lot of influence of other countries which was adapted during the time of silk route. India was immensely benefitted by the silk route and people became wealthy. It was the initial experience for Indians in field of ancient entrepreneurial progress. Indians came in contact with people belonging to a different culture altogether which expanded the view of world for them. Not only was it the Indians who got benefits from the route but also people from other countries gained valuable and exotic assets from India. Thus it can be said that the silk route had a very positive and advantageous impact on the northern territories of ancient India.

#### References :-

1. Chandra, Moti, "Trade and Trade routes in Ancient India", Abhinav Publications, New Delhi, 1977, Pg. 96-102.
2. Ibid, Pg. 110.
3. Frankopan, Peter, "The Silk Roads: A New History of the World", Bloomsbury Publishing, London, 2015, Pg. 219-224.
4. Ahluwalia, H.P.S., Dorabjee, Hormazd, "Beyond the Himalayas: In Search of the Ancient Silk Route", Kamlesh Shah Publishers, Mumbai, 1999, Pg. 43-47.
5. Elisseeff, Vadime, "The Silk Roads: Highway of Culture and Commerce", Berghahn Books, New York, 2000, Pg. 166-168.
6. Liu, Xinru, "Ancient India and Ancient China: Trade and Religious Exchanges, Ad 1-600", Oxford University Press, New York, 1988, Pg. 39-42.
7. Ibid, Pg. 180-181.
8. Prasad, Prakash Charan, "Foreign Trade and Commerce in Ancient India", Abhinav Publications, New Delhi, 1977, Pg. 154-157.
9. Ibid, Pg. 169.
10. Reid Struan, "Cultures and Civilizations: The Silk and Spice Routes", James Lorimer and Co., Toronto, 1994, Pg. 27.
11. Mishra, Arun Kumar, "Trading Communities in Ancient India: From Earliest times to 300 AD", Anamika Pub. and Distributors, Delhi, 1992, Pg. 81-85.



# A Study on Entrepreneurship and GST

Priyanka Anand \* Dr. S.K. Shrivastava \*\*

**Abstract** - GST (Goods and Services Tax) is the transparent system of tax administration. The GST has an impact on entrepreneurship sector and it has helped the entrepreneurs to focus on their businesses rather than being engaged themselves in managing tedious tax compliances. Among the tax compliances including tax payers registration, submission of returns, tax payment and refund claims all services can be accessed through GST portal. The very interesting fact of GST is it is a form of taxation which will curb the various forms of indirect tax and make the entrepreneurs to focus on their businesses rather than to be worried about paying and managing taxes.

**Key Words** - Entrepreneurship, GST.

**Introduction** - The Introduction of GST (Goods and Services Tax) in India was on 1<sup>st</sup> July 2017. It replaced all other taxes which were levied by the central and state government. The rate of GST is different on different commodities. This tax is executed by both Union and State government. The Goods and Services Tax (GST) is an indirect tax and its reform in India takes Value Added Tax (VAT) to its very logical conclusion. GST to a very much extent avoided the load of multiple taxation ( i.e tax on tax). *The GST regime broke inter-state tax barriers and has enabled smooth flow of goods and services across the states. The GST is a revolution in the entire tax structure of the country. It will act as a single window tax system and will also welcome FDI which will further boost country's economy.*

GST has bridged the gap by integrating all the taxes and making one tax to be paid. Resulting, the tax calculations being simple, time saving and will encourage entrepreneurs and to start-ups and focus their businesses despite investing time on compliance and exhausting paperwork.

**Input Tax credit (ITC)** - The mechanism by which cascading effect of taxes can be avoided is by Input Tax credit (ITC). The GST will mitigate the cascading effect of taxes. Input tax credit basically means when tax is paid by manufacturer on his output and he can deduct the tax which he has previously paid on input at the time of purchase of goods.

**Understanding the Input Tax credit :** Suppose a manufacturer making pens requires inputs like refill tube, metal clip etc for making pen. These inputs are chargeable to central excise duty and hence suppose the cost of these inputs is Rs 10 on which Central excise duty of Rs 10 is to be made which means Rs 1, let us suppose the cost of manufactured pen is Rs 20 thereby central excise duty of

Rs 2 will be paid by the manufacturer. So a manufacturer will be paying Re 1 as duty paid on inputs and Re 1 through cash (Total 1 + 1 = 2) the price of pen becomes Re 22, overall the manufacturer paid Rs 2 Value added over and above the cost of inputs. The mechanism of ITC will mitigate the cascading effect of taxes as now the manufacturer will be paying VAT on Rs 22 which is the entire cost of the pen and it includes Central excise duty of Rs 2. This is actually cascading of taxes wherein VAT is paid on value of the pen costing Rs 20 but also on tax Rs 2.

**Table No -1 : Comparison of Tax under the Current Indirect Tax System and the GST regime**

| Transaction                         | Before GST                       | After GST            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cost of Raw Materials               | 100                              | 100                  |
| Tax on Raw Material<br>@ 10%        | 10                               | 10                   |
| Value added<br>by manufacturer      | 20                               | 20                   |
| Tax payable by<br>Manufacturer      | 2 (CENVAT:<br>10% of 20)         | 2(GST:<br>10% of 20) |
| Retailers Cost                      | 132                              | 132                  |
| Value added by<br>Retailer          | 20                               | 20                   |
| Tax Payable                         | 15.2 (Sales tax:<br>10 % of 152) | 2 (GST<br>10% of 20) |
| Final price paid<br>including Taxes | 167.2                            | 154                  |
| Of which taxes                      | 27.2                             | 14                   |

**Source:** The Constitution (122<sup>nd</sup> Amendment) (GST) Bill, 2014.

The major taxes which will be combined together under single levy will be:

## Centre Taxes

1. Central Excise duty
2. Service Tax

\*Research Scholar, Jiwaji University, Gwalior (M.P.) INDIA

\*\* Professor and Head (Commerce) VR Govt. Girls P.G. College, Morar, Gwalior (M.P.) INDIA

### 3. Surcharges & Cess

#### State Taxes

1. State VAT/Sales Tax
2. Central Sales Tax
3. Purchase Tax

**Types of GST** - There are basically three kinds of taxes under the GST :

**1. SGST - STATE GOODS AND SERVICE TAX** is the tax which is diverted to the state government and which is credited to the revenue department of the state government. This is the one which is generally equivalent to CGST. This basically compensates the loss of existing VAT or Sales Tax revenue to state government. But generally in case of local sales, 50% quantum of tax amount under GST is being diverted to SGST TAX.

**2. CGST - CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX** is the share of GST TAX which is diverted to revenue department of the central government and is also equivalent to SGST.

The loss of existing excise duty is compensated with the loss of existing excise duty and the service tax to the central government.

**3. IGST** - When inter state sales and purchases are made INTEGRATED GOODS AND SERVICES TAX is levied. The tax is transferred in one part to central government and another to state government to whom the goods and services belongs . The IGST is charged only when transactions are between two states.

#### Significance of GST :

**1. The system of one Tax** - Central Excise Duty, Service Tax, VAT, Octroi, Luxury Tax, Entertainment Tax and a few other indirect taxes will be consolidated under GST. Barring alcohol, the GST will apply on all goods and service. Petrol and petroleum products will are also subject to it.

**2. Single Governance** - Currently VAT is applied differently in every state making compliances more complicated and hence the companies operating in PAN India will be facing difficulties. Enactment of power will be totally with the union, the centre would be acting as deciding power to levy the taxes over interstate supply of goods and services.

**3. Easiness of doing business** - With the popularity of online platform, the starting of new business will be instant under unified laws as against making payments and filing returns separately under VAT regime.

**4. Higher Exemptions to Small Businesses** - Previously VAT registration was applicable to the businesses who have the turnover ore than Rs 5 lacs. GST will on the other hand has increased the limit to Rs 10 lacs.

**5. Improved Logistics Efficency** - GST will improve the interstate movements of goods easily and will also make seamless movements of goods from one state to another.

**6. Simple Registration** - GST has paved the way for the simplification of registration for the company which is centralized. Only a single license is required for the entrepreneur to do business in multiple states.

**7. Higher exemptions to new businesses** - Rupees 10 lacs is the sealing limit of registration of VAT/Service tax currently. This limit will be made higher under GST to Rs


20 lacs. Further there is provision of composition scheme for tax @ 2% up to the turnover of Rs. 50 lacs. This will help entrepreneurs being respite from tax burdens to new established business enterprises.

**GST WORKING?** - At all stages of Supply chain GST is collected and paid. For running businesses GST is paid when it buys various supplies or services for running their business. All GST registrants will be charging and collecting GST on taxable goods and services which they will be providing (taxable supplies). The GST paid which is on their purchases (input tax credit) will be set off against the GST which will be charged and collected (output tax). The difference of exceed of the output tax over the input tax, is to be remitted to the customs authorities. On the other hand, if input tax is more than output tax, a refund will be given by the Customs authorities.

**Benefits of Registering under GST** - Registration under GST will have the following Advantages:

1. GST confers proper accounting of taxes paid on input goods and services.
2. GST gives legal authorization to collect taxes from purchaser.

#### How to Decide IGST or CGST + SGST while raising invoices:



**GST Impact on business man** - GST has brought all the industries and businesses under tax bracket although it has increased the tax payer base. Under the GST regime the entire filing procedure is online which includes registration, refunds and payments. This will help in making compliance transparent to help the small and medium.

**Small Scale Entrepreneurs** - Small businesses Whose turnover is less than Rs 20 lacs ( And Rs 10 lacs in North Eastern states, Uttrakhand & Himachal Pradesh) are outside the GST net. These entrepreneurs need not register themselves or pay tax, unless they really wish to avail the benefit of input tax credit. This has resulted in a big shift from the existing system of indirect taxes where the businessmen has to register himself under VAT and Service Tax if his turnover is above Rs.10 Lacs (Rs. 5 Lacs in some States). Hence, effectively the threshold for registration is been doubled.

**Entrepreneurship in India** - The entrepreneurship in India was the understanding of bureaucratic system, function of licences before 1991, the Indian government liberalized the economy and now the scenario has been a total change as with the simple taxation rules and compliances and with the upcoming of GST in India there are subsequently very large numbers of entrepreneurs the phenomenal rise is due

to change in mind set of people and attitude of the people.

During Annual budget large group of entrepreneurs across India was actively waiting for the announcement on GST. The small business owners were at the mercy of VAT tax structure which was although unfair and strict adherence to the VAT tax structure. The GST will be acting as a major replacing tax structure which was removed the present VAT system of unfair competition as it allows manufacturers to charge different prices of the similar goods across many states due to distinct tax rates. GST will be helping government to fill in the leakages and loopholes while replacing existing VAT structure. GST is the most important fiscal reform of the independent India. At both centre and state level GST will result in being the most simplification of consumption tax. The redistribution of taxes among different goods and services will be result of the final GST base and rate. The GST will simplify the existing tax system thereby reducing the cost of doing business in the country. The firms resist themselves in taking up interstate trade. For instance, the supply chains are designed to make minimum burden of Central Sales Tax as the consumers are located on the same place where there is distribution centre. This basically restricts the firm to take inter-state trade. The removal of central sales tax will optimize supply chains and thus allowing companies to re-evaluate acquirement pattern which are existing, and arrangements for distribution and warehousing. Inventory cost is also reduced by GST. The cash flows will be improved as dealers will be able to claim credit for the tax paid on inventories.

**Destination Principle** - The destination principle is followed by GST principles which means imports will be subject to GST, while exports are zero rated. Within India if there is interstate transaction the state tax will be applied in state of destination as against state of origin.

**Benefits of GST to the traders** - Corruption-free tax administration is expected from GST. GST will be levied not at the various points but at the destination point. With the implementation of GST, Exports will be promoted with its implementation which in turn will raise employment. The central and state taxes will be collected at the point of sale in GST. The manufacturing cost will be charged on both components (the central and state GST). The individual will be benefitted as prices are likely to come down. Consumption will increase when prices are lower, thereby increasing the demand for goods and services.

The benefits are common in certain aspects for every trader from the GST and few different benefits in other aspects are:

**The advantages of GST for manufacturers and traders are:**

1. Markets are common
2. One tax
3. Difference between goods and services will be abolished
4. Simple Invoicing
5. Exemptions are common between Centre and states

6. Central excise is abolished

7. Identification problems is solved

### **GST as the Game Changer:**

1. Common Indian market will be created. The descending effect of tax on the goods and services will be reduced. It will impact on various aspects like tax structure, tax incidence, tax computation which further lead to a complete fixation or modernizing the current indirect tax system.
2. Pricing of product, supply chain management, accounting and tax compliances information technology and other business aspects will have a far-reaching after the implementation of GST.

Implementation of GST structure into the system will be benefitted only when difference in the value of GST and indirect cost being marginal. In this case only the new reform of this taxation will be enjoyable.

**Conclusion** - Goods & Service Tax, will bring buoyancy to government revenue with the help of IT tax enabling mechanism. It is also expected that the ill natured activity of tax thefts will be vanished away under Goods and Service Tax regime in order to give benefits to both government as well as the customer. But in reality the extra revenue that the government is expecting to generate is not coming from the consumers' pocket but it is from the reducing the tax theft.

### **References :-**

1. Goods and Service Tax (GST) India – A summary, 2015 September 23, <http://www.gstindia.com/goods-and-service-tax-gst-india-a-summary/>
2. Suman S, August 2017, Study on New GST Era and its Impact on Small Businesses, Entrepreneurs, Journal of Accounting, Finance & Marketing Technology, Vol. 1, Issue, 02. 24-36p.
3. GST Implementation in India, 2017, <http://www.ey.com/in/en/services/ey-goods-and-services-tax-gst>
4. GST in India – An Overview, April 2017, [https://www.researchgate.net/publication/316505697\\_GST\\_IN\\_INDIA\\_-\\_AN\\_OVERVIEW](https://www.researchgate.net/publication/316505697_GST_IN_INDIA_-_AN_OVERVIEW)
5. How self-employed professionals, entrepreneurs, SMEs can get ready, June 2017, <https://economictimes.indiatimes.com/wealth/tax/how-self-employed-professionals-entrepreneurs-smes-can-get-ready-for-gst/articleshow/58972525.cms>
6. Impact of GST on small business, October 2017, <https://www.entrepreneurshiplife.com/impact-gst-small-business/>
7. Tip of the Month: Small Business and GST, June, 2010, <http://canadianentrepreneurtraining.com/tip-of-the-month-small-business-and-gst>.
8. Vasanthagopal D. (2011), GST in India: A Big Leap in the Indirect Taxation System. International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol 2( No. 2) <http://www.ijtef.org/papers/93-F506.pdf>
9. GST India (2015) Economy and Policy.
10. Mehra P (2015), The Hindu, September, 7, 2015 Modi Govt.'s model for GST may not result in significant growth push. The Hindu

# The Study Of Determinants Of Ad Performance W.R.T. Online Advertisements

Swati Jain\* Dr. Anshu Bhati\*\*

**Abstract** - Advertisements on internet are being in trend since recent times. Due to the increased usage and easy availability of internet, people are exposed to internet ads more frequently. Marketers look at it as an opportunity to get the visibility of their ads. This affects the audience perception for the brand and hence their purchase decision. The study is an attempt to investigate the performance of online advertisements. The effectiveness of the online ads is examined so that the prevailing ad avoidance can be controlled. The predictors of ad performance are generated that have the maximum loading on the ad performance. For this study, college students are surveyed using questionnaire through judgemental method, targeting those who have exposure to online advertisements. The factors driving the ad performance are identified using statistical graphs and are examined and assessed to improve the ad performance on online media. The literature from the past studies guides the research for the variables affecting the ad performance. Factors have been generated from such studies and their effect has been analyzed through user responses.

**Key Words** - Ad performance, ad avoidance, online media, determinants of ad performance.

**Introduction** - Marketers nowadays are spending more and more in advertising. Advertising expenditure of the organizations has increased at a greater pace over the time. With the growing competition it has become vital to promote one's brand in full fledged mode. It is of utmost important to make the products and services noticeable and appealing to customers.

Even customer of this century has undergone development of their buying perceptions. Customer has become more aware, knowledgeable and never sets back to question the companies for their benefit. To deal with the situation of customer being the king, marketers need to design their marketing strategies wisely and implement them appropriately. Also, proper feedback and timely monitoring of the activities is necessary to ensure the effectiveness of their campaigns.

Effectiveness of the advertisements is the soul of the advertising strategy. Ads might be noticeable to the audience but they should appeal their sentiments. The ad performance is the effectiveness of the advertisement or in other words it is the ability of ads to effectively achieve the set target of influencing the customer perception towards the product/service.

Advertisements may be noticeable but not all of them. Some modes of communication are passively consumed by the customer. Also, the ones that are actively consumed may not necessarily be entertained by audience every time. The receptivity of ads is not uniform for all products and age groups. The receptivity is affected by several factors like type of ad, consumer personality etc. (Jain, S. and Bhati,

A. 2018). People have the tendency to avoid advertisements through various modes and methods. Thus, their ignorance does not allow the advertisement to influence their perception. This calls for her need to analyze the ad performance and take actions accordingly to sustain and grow in the competitive market.

Internet though proves to be a highly used media amongst audiences but the usage rate does not guarantee the acceptance of ad by the audience. More are the advantages of advertising ads on internet; more are the methods to avoid ads on this medium. Internet ads are different than that of ads on other medium. There are certain elements that affect the ad performance of the internet ads that includes ad colour, ad copy, ad placement, ad quality and the like. This study identifies the most affecting ones among such factors so that it becomes easier for marketers to improve the ad performance on internet.

**Review of Literature** - Bhargava.A, (2017) focuses specifically on the performance of advertisements on Facebook. It highlights the factors that are responsible in affecting the ad performance. Through a blog article, it was revealed that understanding who the audience is, relevance score, quality of ads, timing of ad placement, designing of ad copy, the landing page where the ad is placed, imagery and social proof of the product are the factors that affect the performance of ads online specifically the Facebook ads. Optimizing the ad campaign (which increases the conversions) and the ad placement are also very important drivers of ad performance.

Ansari.A, and Riasi.A,(2016) investigated 252

\*Research Scholar, IIPS, DAVV, Indore (M.P.) INDIA

\*\*Sr. Asst. Professor, IIPS, DAVV, Indore (M.P.) INDIA

customers and identified the seven factors affecting the success of brand advertising and its effectiveness (i.e. uniqueness, market research, market share, selection of advertising media, customer relationships, competitiveness, advertising message and creativity). Using path analysis and SEM, it was found that advertising media selection creates maximum impact on the effectiveness of ads followed by advertising message and creativity.

7-point likert scale was used to survey the customer opinions where 52% respondents were male and 50% were below 30yrs. Competitiveness though creates impact on ad performance but the degree of impact is the least among all other factors.

Hey.J.(2016) discusses the importance of ad colour in affecting the ad performance. The colour of ad is very vital element that decides the effectiveness of online advertisements. It helps in improving the perception of audience towards the ad and hence the favourable ad performance.

It studied that one must be objective in choosing the ad colour rather than sticking to ones' personal colour preferences. Similarly, it is suggested that the use of ad colour should be as per the target audience according to the significance for each colour. It advised four rules that affect the online ad performance are eye catching high contrast theme, using combination of two extremely opposite colours, sometimes using analogous colours i.e. colours placed next to each other on the colour scale, and the shade and tint.

*Anonymous* (2015) explore the technical means of improving the ad performance. It surveyed the major search engines like Google, Bing and Yahoo to identify the mechanisms available to increase an ad performance. Among several methods available including ad ranking, ad sense, ad extensions and sponsored searches; the sponsored search accounts were found to be most effective medium to increase the ad performance online. It was found as an effective way of attracting customers towards one's advertisement on internet.

Gupta.A, and Mateen.A, (2014) conceptualizes the model for the sponsored search advertisements in internet. Using experiences of professional and available literature, it generated factors affecting the ad performance including ad extensions, branding and ad rank. It helps marketers in effectively designing the online ad strategy to enhance the ad performance. Besides, it also investigated the sensitivity of these factors as per the device used for operating internet.

Chaubey.D, Sharma.L, and Pant.M, (2013) conducted an empirical study to understand the effectiveness of online advertisements. Using quantitative method it brings out the variables that catch the customer attention on online advertisements. It revealed that the animated ads and the plain banner text ads are highly successful in grabbing the attention of customers by enhancing their ad recall.

Floating ads, popup ads and embedded videos are

comparatively less influential to motivate customers for the successful ad recall. The study can be said to male dominated result oriented as 348 respondents were male. Using ANOVA, the analysis of the study was undertaken. Ode.A, found several methods that help marketers in generating effective ad ranking which further improves the online ad performance. These include enabling sitelink extensions, enabling callout extensions, and consistent ad copy. All these together increase the ad quality which maximises the bid score and then the ad performance.

These studies provide with the gist of effectiveness of online advertisements and the factors that affect the ad performance of online ads which would reduce ad avoidance and influence ad recall to drive the customers' perception towards favourable purchase decision.

#### **Research methodology -**

**Research design -** The research study is descriptive in nature since it is based on primary data collection to generate the original responses of the people. It answers who, what, why and when questions related to the study.

**Sample respondents -** The users of internet contributed in the study with their opinions regarding ad performance of internet ads. Specifically includes the students who have exposure to internet advertisements. They are considered fit for generating appropriate responses due to their intellectual level and interest in internet media.

**Sampling Technique -** The sampling technique used is the non probabilistic judgemental sampling. The respondents are being selected considering their exposure to internet advertisements.

**Sample size -** The study consists of judgemental responses from 100 students of colleges and universities. Sample size is selected as per the convenience and the limitation of timings.

**Data collection tool -** Data is collected through structured questionnaire designed in two sections. Section A includes the demographic details of the respondents in terms of age, gender, qualification. Also the timings and usage of internet media is also assessed. In the section B, the variables are defined and measured to understand their impact on ad performance. The variables are identified from the previous researches and studies accomplished by the experts.

**Data analysis tools -** Data has been analysed through frequency distributions, charts and graphs to identify the factors affecting ad performance in internet media and thereon understand the area of improvement of such ad performance.

**Results & Findings -** Results reveal the important factors that are held responsible for and affect the ad performance of online ads. (**Graph See in the last page**)

The respondents majorly included the age group of 20-25 yrs, 25.65 from 15-20 yrs age group whereas only 35 accounted to 25-30 yrs age category. 53% were male and 47% were female respondents. The study mostly included students from graduation background and a majority of people shown their awareness for online ads

and their usage of internet.

The avoidance of online ads has also been identified among the respondents in the study. Only 3% students report that they never avoid ads, 31.3% always avoid ads and 65.7% avoid the online ads sometimes. The presence of ad avoidance can be clearly noticed from the results.

Out of the factors analysed, following were seemed to have comparatively more effect on online ad performance. **(Graph see in the last page)**

A majority of people strongly agreed to the influence of ad timing of online ads in its ad performance. Similarly the placement of advertisements online has also been agreed over by the students to affect the ad performance. **(Graph see in the last page)**

The brand of the ad being advertised online and the user involvement in the task on internet affects the performance. Very few respondents have shown disagreement for the same. **(Graph see in the last page)**

The ad colour received almost equal rating for students being strongly agreeing, agreeing and neutral. Marketers must take care of this feature in ads online. **(Graph see in the last page)**



Out of all the factors, advertising media selection and the ad message resulted in highest agreeing factor that affects ad performance of online ads with almost negligible disagreement.



Marketers must consider the factors highly rated in agreement and design online ads accordingly to reduce ad avoidance by increasing the ad performance.




#### References :-

- Ansari.A, and Riasi.A,(2016). An Investigation of Factors Affecting Brand Advertising Success and Effectiveness. International Business Research; Vol. 9, No. 4; 2016

- ISSN 1913-9004 E-ISSN 1913-9012. [www.ccsenet.org/journal/index.php/ibr/article/viewFile/57282/30976](http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ibr/article/viewFile/57282/30976)
- Bhargava.A, (2017). Influential Factors That Affect Facebook Ads Performance. Adstriangle.
- <https://adstriangle.com/blog/9-influential-factors-that-affect-facebook-ads-performance>
- Chaubey.D, Sharma.L, and Pant.M, (2013). Measuring the Effectiveness of Online Advertisement in Recalling a Product: An Empirical Study. Management Convergence. Vol. - 4 No. - 2, June-2013
- Danaher.P, and Mularkey.G, (2002). Factors Affecting Online Advertising Recall. Journal of Advertising Research.**
- Gupta.A, and Mateen.A, (2014) "Exploring the factors affecting sponsored search ad performance", Marketing Intelligence & Planning, Vol. 32 Issue: 5, pp.586-599, <https://doi.org/10.1108/MIP-05-2013-0083>
- Hey.J,(2016). The Effect of Ad Color on Ad Performance. How ad color affects ad performance. Ezoic Blog. <https://blog.ezoic.com/the-affect-of-ad-color-on-ad-performance/>
- Ode.A, The Most Important Factors Affecting Your Ads' Ranking on Google. Blog Dealer.com. <https://www.dealer.com/insights/articles/the-most-important-factors-affecting-your-ads-ranking-on-google/>
- Jain, S. and Bhati, A. (2018). Reviewing the literature to study the viewer ad receptivity w.r.t. electronic media. Swadeshi Research Foundation Vol.-5, No.-6 April 2018. ISSN: 2394-3580
- (2015) "Making sponsored search ads work better: Factors that improve effectiveness", Strategic Direction, Vol. 31 Issue: 1, pp.12-14, <https://doi.org/10.1108/SD-10-2014-0155>







## भारतीय स्वतंत्रता का उत्तर युग- मुद्राओं की नई चित्रभाषा - एक उपलब्धि

डॉ. सुनील कुमार \* डॉ. सचिन रौनी \*\*

**प्रस्तावना** – वास्तव में स्वतंत्रता के बाद भारतीय चित्रकला त्रिविध धारा में प्रवाहित हुई। कुछ कलाकार परम्परा से ही चिपके रहे और उन्होंने पारम्पारिक चित्रों में नवीनता और आधुनिकता पैदा करने की कोशिश की, किन्तु उत्तर कला को आधुनिक कला के मानदण्डों पर खरा नहीं कहा जा सकता। दूसरी धारा के कलाकारों ने पारम्परिक मूर्त स्वरूपों को डिस्टोर्ट कर सामाजिक संदर्भों से जोड़ कर चित्रांकन किया जिन्होंने व्यक्ति की मनोभावनाओं को अभिव्यक्ति देकर जीवन की गहरी पर्ती को अजागर किया। शहरी जीवन की घटन, संत्रास, भागमभाग अन्तर्मन की मार्मिक व्यथा को व्यक्ति रूप में अंकित कर उन्होंने भारतीय चित्रकला को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ दिया। उनका गुणगान अलग विषय है, पर निश्चय ही दूसरी धारा अर्थात् समष्टि को जोड़ने वाली चित्रकला का सामाजिक संदर्भ अधिक उभर कर आया है।<sup>1</sup>



चित्र- के. एच. आरा, श्रीर्षक विहीन

प्रगतिशील कलाकार समूह तथा अन्य कलाकारों का नवीन प्रयोग यह दर्शाता है कि कलाकारों ने आधुनिकता का परिचय आजादी के पश्चात विरासत में मिलि कला शैली को त्यागते हुए समाजिक सरोकारों को ध्यान में रखकर मनुष्य के अंतःआवाँ को अपने चित्रों में 'शारीरिक भाषा' का समावेश किया तथा आधुनिक परिभाषा गढ़नी आरम्भ की इस विष्य में वेदप्रकाश भारद्वाज का मत है कि- 'आजादी के बाद के वर्षों में जब भारत में आज की तरह का कला माहील और सुविधाएँ नहीं थीं, तब मुख्यमें सैयद हैदर रजा, फ्रान्सिस न्यूटन सूजा, मकबूल फिदा हुसैन, आरा, जहाँगीर सबावाला आदि ने भारतीय कला की आधुनिक परिभाषा गढ़नी शुरू की।'<sup>2</sup> इसी क्रम में

प्रकाश परिमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय चित्रकारों के योगदान इस प्रकार माना है की- 'आजादी के बाद भारत के जिन चित्रकारों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास पा रही चित्रकला के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, उनमें, बेन्द्रे, आरा, सूजा, हुसैन, सतीश गुजराल, जहाँगीर सबावाला, कृष्ण खन्ना, के. के. हेब्बार, तैयब मेहता, अविनाशचन्द्र, परमजीत सिंह, मनजीत बावा, रामचन्द्रन, भूपेन रख्तर, स्वामीनाथन, ज्योतिर्स्वरूप, मोहन शर्मा और विद्यासागर उपाध्याय आदि प्रमुख हैं।<sup>3</sup> स्थापित और ख्यात विश्लेषकों का यह भी मानना है कि आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया में भारतीय चित्रकला की रेखांकन पद्धति, रंगों का अभिव्यंजना से सम्बन्ध आदि ने पूरी दुनिया भर की कला को प्रभावित भी किया है।



चित्र- मकबूल फिदा हुसैन, तुम्हारे और मेरे बीच में शरीर का अभिप्राय (अर्थ) 1971,

भारतीय स्वतंत्रता के उत्तर युग और साठोत्तरी समयावधि में अभिव्यक्ति के कुछ नये स्तरों का निर्माण और विकास होता है। मुद्राओं की नई चित्रभाषा एक उपलब्धि के रूप में हमारे सामने आती है। इस विषय में कला के इतिहासकेत्ता मानते हैं कि- 'सत्तर के दशक के प्रारम्भ में के. जी. सुब्रामण्यन् ने टेराकोटा रिलीफ माध्यम को अपनी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बना दिया था। इन कलाकृतियों में चेहरों, हाथों, उंगलियों आदि का बहुत प्रभावशाली इस्तेमाल है। मुद्राओं को एक नई चित्रभाषा ढी गई है। 1971 का एक काम प्रिसिद्ध है ही जिसमें बहादुरी के तमगों से लदे जनरलों के चेहरे प्रसिद्ध है, जिसमें बहादुरी के तमगों से लदे जनरलों के चेहरे हैं। नीचे एक

\* पूर्व निदेशक (प्रदर्शन एवं दृश्य कला विद्यापीठ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (नई दिल्ली) भारत

\*\* स्कॉलर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (नई दिल्ली) भारत

तमगा उल्टे लटके मृत परिवार का भी है। उसी दौर में सोमनाथ होर सरीखे कलाकार अपनी कला में समकालीन समय के जख्मों को एक मार्मिक चित्रभाषा में अभिव्यक्ति दे रहे थे और के. जी. टेरेकोटा रिलीफ में समय-समाज और राजनीति की मुद्राओं को मार्मिक अभिव्यक्ति दे रहे थे।<sup>7</sup>



चित्र- एक ऐन पूजा सूजा, क्राइस्ट 1958

वास्तव में यह समझोता वैशिवक भी था। इस काल में कला को मात्र सौन्दर्य से विस्तृत कर अनुभूति और अभिव्यक्ति के विराट पटल से जोड़ा गया। इस रिथित में मुद्राओं, भाव-भंगिमाओं, और शारीरिक भाषा के जरिये कलाकार ने बहुत कुछ कहने की जो कोशिश की उससे दुनिया भर की कला को नये आयाम मिले - 'हरबर्ट रीड ने लिखा है कि आधुनिक कला बिना किसी अपवाह के सौन्दर्य की उपेक्षा करती है और कुरुपता में उसके दर्शन करती है। प्राचीन कला रूप की उपासक थी। आधुनिक कला कुरुपता की उपासक है। यह प्राचीन और नवीन घटिकों का मौलिक अंतर है। आज कला के प्राचीनतम् मूल्य बदल चुके हैं। इसी कारण कला के नए परिवेश दिखाई देते हैं। रीड ने स्पष्टतम् शब्दों में कहा है 'आधुनिक' (मार्क्जन) कलाकार ने सौन्दर्य के सिद्धान्त को बार-बार ठुकराया है। कला किसी सौन्दर्य सिद्धान्त का मूर्त रूप नहीं है, बल्कि आत्मबोध है। वह मस्तिष्क की उपज नहीं। आधुनिक कला किसी भी सिद्धान्त से परे है। रीड के अनुसार 'सौन्दर्य की अभिव्यक्ति' और 'अभिव्यक्ति' के मध्य, उद्देश्यों का अंतर है। प्रथम का लक्ष्य इन्द्रियों को आनन्द प्रदान कराना होता है और दूसरे का आद्यात्मिक नव, चेतना। दूसरे को उन्होंने अधिक गहन माना है जो सत्य भी है। उसे इन्द्रियों से अधिक गहरी अनुभूति माना है।'

इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में भारतीय आधुनिक कला अपने यथार्थ को भी नहीं भूलती है। यही कारण है कि उसका भाव-सम्प्रेषण सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा रहता है। इस बारे में मूल्यांकनकर्ता बड़ा ही स्टीक लिखते हैं कि - 'भारतीय कला में यथार्थ चित्रण का एक पहलू यही है कि वो समाज के निम्न स्तर के विचारों से सदैव स्वयं को बचाता रहा है। भारतीय कला में वस्तु परक यथार्थ चित्रण शैली ब्रिटिश कम्पनी के पश्चात पनपी। जिसमें राजा रवी वर्मा प्रमुख थे।'

समकालीन कला के समबन्ध में भी भारतीय चित्रकला की भाव-भंगिमा सम्बन्धी प्रतिबद्धताओं का पता चलता है। कहीं कहीं यह भी कह

दिया गया है कि - 'भारत में बहुत अधिक कलाकार अमूर्त चित्रण के क्षेत्र में नहीं हैं।'<sup>7</sup> यह पूर्ण सत्य भले ही न हो परन्तु यह तो कहा ही जा सकता है कि भारतीय कलाकार की प्रमुख प्रतिबद्धता मूर्त या शरीरी ही रही है।

साररूप में विचार करें तो वैशिवक घटि और भारतीय कला-घटि - दोनों की ही कलागत व्याख्या हमें आधुनिक और समकालीन कला की हमारे समीक्ष्य विषय के लिहाज से मार्ग आलोकित करती है। - 'प्रो. हरबर्ट रीड के अनुसार यसीन्दर्य के निम्य कला के वैविध्य में नहीं रहते।' एक कलाकृति किन्हीं अर्थों में एक प्रतीकात्मक सुझाव होता है जो हमारी कल्पनाओं और भावनाओं को उद्धिकर कर देता है। उसके अनुसार आधुनिक काल में कला सूक्ष्म हो गई है; उसमें रूप व रंग की अपेक्षा भावाभिव्यक्ति या भावाभिव्यञ्जना की प्रधानता है। कलाकार प्रतीकों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करने लगा है। जैसे दो प्रेमियों के मिलन को दो पूरक रंगों की रेखाओं से अभिव्यक्त किया जाता है जो एक दूसरे से लिपटी हुई होती हैं। एकाकी सितारे को बनाकर आशा का संकेत किया जाता है, मानव आत्मा की उत्सुकता को सूर्यास्त की तेजी व लालिमा से। आधुनिक काल में इस प्रकार काल की सूक्ष्म अभिव्यक्ति हो गई है। उनके अनुसार बीसवीं शती में कला के तीन प्रमुख रूप रहे हैं - 1. यथार्थवादी(रियलिस्टिक) 2. प्रतीकात्मक(सिम्बॉलिक) 3. अभिव्यञ्जनावादी (एकसप्रेशनिस्टिक)<sup>8</sup>



चित्र- रामकृष्ण, खानाबदोश, 1956

दूसरी ओर भारतीय चिंतन इसे वैचारिक धरातल देता रहा अतः उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती - 'भारत में कला परमानंद की शरणागत है, आधुनिक कला की तथाकथित सफलता उसकी कलात्मक असफलता का ही दूसरा नाम है। ऐसी दुर्गति का कारण है वह व्यावसायिक व्यवस्था जिसे स्वतंत्र संसार की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक एवं उत्तर आधुनिक कला उत्तर औपनिवेशिक कला की त्रासदी को मूर्तिमान करती है, जो अपने प्रारम्भ में ही कुछ संकेतों के अतिरिक्त मरम्यस्थल में खो गई थी। सतही धरातलों से संतुष्ट आधुनिक कला करीब-करीब अपने उस मूल उद्देश्य से विरत हो चुकी है, जिसकी प्रतिबद्धता संस्कृति के गहनतम रूपों के प्रति रही है।'

भारतीय परंपरा ने ऐसे प्रतिमाओं को गढ़ा है जिसमें परम्परा से नवकलाबोधक की टकराहट में अवांगार्द सृजनात्मक विस्फोट की पूरी सम्भावनाएँ छुपी रहती हैं। यूरोप में आधुनिक कला का इतिहास ऐसे

विस्फोटक प्रयोगों की दारतान है। इसीलिए परम्परागत कला कर्म और उसके सोच का समयायिक महत्व नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। समृद्ध भारतीय परम्परा में बहुत कुछ है, जिसमें ऐसी प्रयोग प्रधान सम्भावनाएँ छुपी हैं। उपरोक्त चर्चित विलक्षण पारम्परिक भारतीय मेधा में ऐसी ही विस्फोटक सृजन सम्भावनाएँ उष्टिगोचर हो रही हैं।<sup>10</sup>

अब जो अतिशेष प्रश्न खड़े रह जाते हैं वह इस समकालीन कला की सामाजिक भूमिका को लेकर पाये जाते हैं। यह कला तकनीकी, शैलीगत, प्रभाववादी आदि उष्टियों से तो विवेच्य हो ही जाती है परन्तु अपनी चरम सामाजिकता भी छोड़ती नहीं है-'निरापद चरित्र के साथ स्वच्छ कला ही केवल वह शांत-मौन रवर है जिसके क्रोध में तूफान छुपा बैठा है, वे विचार जो कपोत के पाँव के साथ आते हैं और संसार का मार्ग दर्शन करते हैं।' आदमी को इतिहास की संकीर्ण गलियों से मुक्ति पानी होगी ताकि वह महाकाल के अस्तित्व का बोध कर सके। इतिहास मनुष्य को तथा उसकी महत्वाकांक्षाओं को बौना बनाता है। अनन्त कालिकता का बोध ही निरापद चरित्र के साथ स्वच्छ कला को जन्म दे सकता है। समकालीन कला की चरम सामाजिकता यहीं जन्म लेती है।<sup>11</sup>

इसी वजह से समकालीन चित्रकार चित्र के माध्यम से ऐसी भाषा का सृजन करने में सक्षम हुआ है जो केवल मौजूद दृश्य-विधान में अपनी उपस्थिति नहीं देती बल्कि जो भावी संभावनायें मुखरित हो सकती हैं उनका संभाव्य दिव्यदर्शन भी करने में सक्षम होती है। यहां तक कहा गया है कि चित्रकला की यह स्थिति मौखिक भाषा के परे जाकर चित्रों से अभिव्यक्त शारीरिक भाषा को व्यंजित कर देती है। इस विषय में कहा गया है कि-'चित्रकला उत्पादन की एक ऐसी प्रक्रिया बन गयी है, जो किसी लक्षण अथवा अर्थ को व्यक्त नहीं करती। वह महज सम्भावना जिसका प्रारम्भ अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट करने की सीमित कूट भाषा (एकाध रूपों एवं रंग-विधानों, जो रूप-विशेष को रंग-विशेष से जोड़ते हैं जो अभिव्यक्ति के आधार के रूप में उपलब्ध अवयवों को विश्लेषित करती है) से होता है। इस प्रकार चित्रकला मौखिक भाषा को चुप करा देती है।.....यह प्रवृत्ति कतिपय आधुनिक भारतीय चित्रकारों में भी परिलक्षित होती है। परन्तु वाणी अथवा भाषा को किस प्रकार चुप कराया जा सकता है? चुप्पी की भी अपनी एक भाषा होती है।'<sup>12</sup>

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का विकास विभिन्न सोपानों से गुजरते हुए समकालीन कला तक आता है। वह चाहे ब्रिटिश स्कूल हो या राजा रविवर्मा की चित्रकला। पश्चात शांतिनिकेतन द्वारा स्थापित पद्धतियों का विकास हो या फिर सामाजिक आंदोलनों के परिणामस्वरूप प्रचलित कला-चेतना का स्वतंत्रता एवं स्वातंत्र्योत्तर काल। अथवा इसी क्रम में समकालीन चित्रकारों का विविधतापूर्ण एवं अपनी-अपनी स्वंय की विशिष्टतायें लिए हुए चित्रकला का एक व्यापक संसारा किन्तु इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में चित्रकला के सामाजिक सरोकार, परिवेश, मुखाकृतियां, रूप-विधान, रंग-विधान, दृश्यात्मकता, भाव-भंगिमायें, मुद्रायें, भावाभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त प्रणालियां, चित्रकार का स्वयं की मानस स्थिति द्वारा स्थितियों और परिस्थितियों को प्रकट करने की क्षमता

आदि के पीछे भारतीय कला में विकसित शारीरिक भाषा प्रयोगों का विकास निश्चित रूप से अभिभूत करने वाला है। यह विकास हमें समकालीन कला के ऐसे मुहाने पर लाकर छोड़ता है जहां अनेक धारायें अपने समुद्भव रूप में दिखाई देती हैं यह पूर्वपीठिका वर्तमान शारीरिक भाषा प्रयोगों को समझने में भी हमारी बोद्धिकता, भावप्रवणता और कलाकार की सिद्धहस्तता के पीछे चली आ रही एक प्रवाहमयी परम्परा को भी सामने रखने में सहायक होती है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

- नीरज, जयसिंह, समकालीन भारतीय चित्रकला के सामाजिक सन्दर्भ, पृष्ठ-58, अंक 18, डॉ. ज्योतिष जोशी-सम्पादक, समकालीन कला, ललित कला अकादमी, नवम्बर -2000
- सबावाला, जहांगीर से वेदप्रकाश भारद्वाज की बातचीत, पृष्ठ-25, अंक-24, डा. ज्योतिष जोशी-सम्पादक समकालीन कला, दिल्ली, ललित कला अकादमी, फरवरी-मई 2003
- परिमल, प्रकाश, समकालीन कला और यउत्तार-आधुनिकता , पृष्ठ-25, अंक 20, डा. ज्योतिष जोशी-सम्पादक समकालीन कला, ललित कला अकादमी, अक्टूबर 2001
- भारद्वाज, विनोद, शान्तिनिकेतन से शान्तिनिकेतन तक, पृष्ठ-10, अंक-23, डॉ. ज्योतिष जोशी-सम्पादक समकालीन कला, दिल्ली, ललित कला अकादमी, अक्टूबर-जनवरी 2002-03
- गुप्ता, डॉ. श्यामला, सौन्दर्य तत्त्वमीमांसा, पृष्ठ- 126,127, प्रथम संस्करण, दिल्ली-51 सीमा साहिव्य भवन प्रकाशक एवं वितरक, 1992.
- राठौड़, डॉ.मदन सिंह, आधुनिक भारतीय चित्रकला में अतियर्थार्थवाद, पृष्ठ- 15, जयपुर, शर्मा पब्लिशिंग हाउस, 2001
- पेटल, अमृत से वेद प्रकाश भारद्वाज की बातचीत, स्वर्णरेखा प्रदर्शनी, पृष्ठ- 12,13, अंक-26, विनोद भारद्वाज-सम्पादक, समकालीन कला, दिल्ली, ललित कला अकादमी, मार्च-जून 2005
- गुप्ता, डॉ. श्यामला, सौन्दर्य तत्त्वमीमांसा, पृष्ठ- 128, प्रथम संस्करण, दिल्ली-51 सीमा साहिव्य भवन प्रकाशक एवं वितरक, 1992.
- तिवारी, उदय नारायण, स्वच्छ कला निरापद चरित्र, पृष्ठ क्र-8 अंक 18, डॉ. ज्योतिष जोशी-सम्पादक,समकालीन कला, ललित कला अकादमी, नवम्बर -2000
- प्रो. राजाराम, उपमेय और उपमान के मध्य आविष्कृत एक रूप, पृष्ठ- 17, अंक 32, डॉ. ज्योतिष जोशी- सम्पादक समकालीन कला, ललित कला अकादमी, मार्च-जून 2007
- तिवारी, उदय नारायण, स्वच्छ कला निरापद चरित्र, पृष्ठ क्र-8 अंक 18, डॉ. ज्योतिष जोशी-सम्पादक, समकालीन कला, ललित कला अकादमी, नवम्बर-2000
- सेन, अंजन, मिथक निर्माण : गणेश पाइन की कला, पृष्ठ- 10, अंक 35, डॉ. ज्योतिष जोशी, समकालीन कलाब ललित कला अकादमी, 2008.

## चित्रकला की मौलिक 'शारीरिक भाषा' का कला-विज्ञान रूप-बोध का ही उत्कर्ष

डॉ. सुनील कुमार \* डॉ. सचिन रैनी \*\*

**प्रस्तावना** – कला-विज्ञान कला के शिल्प के भीतर भी कलाकृति के सृजन के उत्स टटोलता है। यह कला के प्रतीकों के निर्माण को सामने रखता है तो दूसरी ओर कलाकृति में अंतर्निहित इच्छा, प्रतिभा और प्रेरणा को सामने रखने का कार्य करता है। कला-विज्ञान की दृष्टि से चिंतन करने पर भी यह दृष्टिगत होता है कि कलाकृतियों में रूपाकार और हाव-भाव का आना कलाकार के मानवीय संकल्पों की मनो-निर्मितियों की ही एक अभिव्यक्ति है– ‘आज का चिंतन है कि प्रतीक-निर्माण की भाँति, मानव-मन बिम्ब निर्माण, भी करता रहता है, अर्थात् बाहर से प्रत्यक्ष और स्मृति-अवशेषों को लेकर वह इस सामग्री से अपनी इच्छा-प्रतिभा-प्रेरणा-संकल्प के अनुरूप मनो-निर्मितियां करता है।’<sup>1</sup>



चित्र— राजेंद्र कापूर, की कलाकृति शीर्षक रिहाई

यह भी माना गया है कि- ‘कला ज्ञानात्मक एवं विचारात्मक तत्वों के श्रेष्ठ संगठन के माध्यम से दुनिया के बारे में हमारी बोध को ऊँचाई प्रदान करती है। कलात्मक सृजन पूरी तरह मानवी मस्तिष्क का कोई भिन्न संकाय नहीं है बल्कि यह अनेक माध्यमों में संकेतन के जरिए चेतना हासिल करने का अपेक्षाकृत अधिक भावप्रण रूप है।<sup>2</sup> कला-विज्ञान के कुछ पारम्परिक प्रतीक और विधियां हैं। मिथक हैं। अनेक प्रकार के बिम्ब हैं वास्तव में ये युगों की समष्टि चेतना के अभिव्यक्त रूपाकार ही तो हैं – ‘हमारे चिर-परिचित बिम्ब हैं, जैसे – हाथी, कमल, ज्यामितिक आकृतियां – वृत्त, वर्ग, आयत –, वक्र रेखा से बनी आकृतियां, कुछ पशु जैसे-हिरन, पक्षी, यक्ष – मिथुन, सुंदरियां, आदि अनेक मोतिफ हैं जिनका सफल प्रयोग कलाकार अपनी कलाकृतियों में करते हैं। .....वास्तव में, इनकी सर्जना और स्वीकृति

के लिए युगों तक समष्टि चेतना सक्रिय होती है।<sup>3</sup>

कला-विज्ञान ने शारीरिक संरचना के साथ भारतीय दृष्टि चेतना को बहुत बनाया है। यह प्रकाशित करती है कि शारीरिक चित्रों के अलावा मनोभावों को भी किस प्रकार रंगों में समेटा जा सकता है। मानव शरीरों के अलावा मानवेतर शरीर भी मानवमन के दृष्टिकोण का परिचायक बन जाते हैं– ‘दृष्टि-चेतना से सम्बद्ध होने के कारण रंगों का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। चित्रकला-विशारदों का कहना है कि वे सुगन्ध और दुर्गन्ध को भी रंगों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार भाव-व्यंजना की दृष्टि से पीला रंग प्रकाश और प्रसन्नता का घोतक है। इतना ही नहीं, श्वेत रंग से सात्त्विक भावनाओं का, नीले रंग से प्रतिष्ठा तथा कुलीनता का और लाल रंग से युयुत्सा, मन्यु (युद्ध प्रिय एवं धाती) तथा खतरे का व्यंजन होता है। रंगों के द्वारा व्यक्त होनेवाली..... भाव-व्यंजना प्रधानतः हमारी वर्ण-संवेदना पर निर्भर करती है। दृष्टि-चेतना से मिलनेवाले वर्ण-संवेदन को हम शरीर-विज्ञान की मान्यताओं के आलोक में भी समझ सकते हैं। शरीर-विज्ञान के अनुसार पुतलियों के द्वारा प्रकाश अँखों में प्रवेश करता है और अक्षिगोलक की पश्चाद्धर्ती झिल्ली पर, जिसे ‘रेटिना’ कहते हैं, जाकर केंद्रित होता है। अक्षिगोलक की इस पश्चाद्धर्ती झिल्ली में ढो प्रकार के बहुत छोटे-छोटे कोष होते हैं, जिन्हें शलाका और शंकु कहते हैं। इन कोषों का सम्बन्ध दृष्टि-चेतना के स्नायुओं से होता है। अक्षिगोलक की पश्चाद्धर्ती झिल्ली के परिवर्ता में शलाका नामक कोष पर्यास मात्रा में रहते हैं और उन पर केवल प्रकाश तथा छाया का ही प्रभाव पड़ता है। दूसरे प्रकार में शंकु नामक कोष अक्षि-कोटर में अधिक रहते हैं, अक्षि-परिवृत में कम। इन शंकुओं को उनके गुणों के अनुसार तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है– 1. वे जो लाल और हरे रंग से प्रभावित होते हैं। 2. वे जिन नीले और पीले रंग का प्रभाव पड़ता है, और 3. वे जो काले तथा सफेद रंग की चेतना को ग्रहण करते हैं। किसी वस्तु के द्वारा विकीर्ण होकर जब प्रकाश अक्षिगोलक की पश्चाद्धर्ती झिल्ली पर केंद्रित होता है, तब शलाका और शंकु नामक ढोनो प्रकार के कोष चेतन हो उठते हैं और प्रकाश समेत उस वस्तु की छवि ‘रेटिना’ पर उतर आती है। तदनन्तर, दृष्टि-चेतना के स्नायुओं के द्वारा उस छवि की सूचना मस्तिष्क तक पहुँच जाती है। ललितकलाओं के तात्त्विक अन्तःसम्बन्ध की विवेचना के प्रसंग में वर्ण-संवेदन के स्वरूप और क्रिया-पद्धति को समझने के लिए इतनी शरीर-वैज्ञानिक व्याख्या है।<sup>4</sup>

कला-विज्ञान रूप-बोध का ही उत्कर्ष है और मन के व्यापार का निर्वचनीय रूपांतरण भी – ‘रूप-बोध और रस-चर्चणा की बात कही है। वास्तव में ये मन के व्यापार अथवा घटनायें हैं, किसी वस्तु विशेष की प्राप्ति

\* पूर्व निदेशक (प्रदर्शन एवं दृश्य कला विद्यापीठ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (नई दिल्ली) भारत

\*\* स्कॉलर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (नई दिल्ली) भारत

नहीं। किसी भी कला-कृति में उसका एक मूल, स्थिर धरातल होता है जिसमें आंखें टिकती हैं। यह स्थूल और स्थिर है, जिसका प्रत्यक्ष होता है। वह प्रस्तुत है, जैसे दुर्गा की सिंहवाहिनी प्रतिमा। इसे हम अभिधेय भी कह सकते हैं क्योंकि इसे नापा-तौला जा सकता है, वर्णन और निवर्चन भी संभव है।<sup>15</sup>



चित्र— अनुपम सूर की कलाकृति

कला-विज्ञान भावकृत्व जैसे जटिल व्यापार को वस्तुगत रूप में प्रकट करने पर इस प्रकार विचार करता है – 'भावकृत्व मन का जटिल व्यापार है। आधुनिक मनोविज्ञान इस व्यापार का विश्लेषण किया है। इसमें अनेक संवेदनों का एकत्रीकरण (integration); स्मृति कल्पना, अनुभूति, विचार-तर्क, तुलना, अभिज्ञान (Identification), सामान्यीकरण, ऊहापोह आदि अनेक सूक्ष्म मनोव्यापार सम्मिलित रहते हैं। इन सबकी मिली-जुली क्रिया से हम एक वस्तु को गुलाब के फूल के रूप में देखते हैं।'<sup>16</sup>

कला को आकृति में ढालने की प्रेरणा के लिए कला पर वैज्ञानिक विचार किया गया है – 'मनोवैज्ञानिक ढारा किये गये शोध से पता चलता है कि मनुष्य में आकृति विषयक समझ की नैसर्गिक क्षमता है। मनुष्य की इसी क्षमता से पता चलता है कि अमुक चीज सुन्दर है और अमुक आकृति आनंददायक है। वास्तव में आकृति के प्रति यह प्रेरणा मनुष्य में इतनी बलवती होती है कि पूरे मानव इतिहास में मनुष्य अपने उपयोग की वस्तुओं को अपनी कलाकृति में बदलते रहता है। वह जो वर्त्र पहनता है, वह जिस घर में रहता है तथा वह जिस बर्तन और औजार का उपयोग करता है ये सभी

आकृति में ढालने की उसकी प्रेरणा का ही प्रभाव लिए हुए रहते हैं।<sup>17</sup>

**निष्कर्षतः** हम कह सकते हैं कि कला क्षेत्र में शारीरिक भाषा का किसी न किसी रूप में आदिम युग से ही कलाकृतियों में उपयोग कलाकार ने किया है। इन प्रयोगों को समझने के लिए शारीरिक भाषा के मूल तत्व को न केवल समझने और कला-समीक्षा के क्षेत्र में समालोचना का उपजीव्य बनाने की आवश्यकता है, बल्कि चित्रकला में होने वाले चाक्षुष अनुप्रयोगों के विकासमूलक रूपरूप को समकालीन संदर्भों में भी उल्लिखित करना जरूरी जान पड़ता है। इस स्तर तक चित्रकला की विकासजन्य रिथ्तियां प्राप्त करनाने में चित्रकार की तूलिका ने सामाजिक अनुष्ठानों के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक प्रकारांतरों का भी भली-भांति अनुपान किया है। चूंकि भावों का सम्बन्ध चिंतन, हृदय, बोध और मन के विज्ञान से है अतः हम कह सकते हैं कि चित्रकला में 'शारीरिक भाषा' की अभिव्यक्ति के पीछे भी ये तत्व उपस्थित रहे हैं। अतः शारीरिक भाषा के प्रयोगों की विशद यात्रा को समझते हुए इनका वैज्ञानिक विधिसम्मत समालोचकीय अध्ययन हमारे परिप्रेक्ष्य में कई नये तथ्यों को उद्घाटित भी करता है जो संभवतः चित्रकला के भावी रूपरूप को समझने में भी हमारी सहायता कर सकता है कि आखिरकार क्यों एक बड़ा और सक्षम चित्रकार – स्थापित और प्रचलित भाषाओं के परे जाकर – चित्रकला की मौलिक 'शारीरिक भाषा' का सृजनकार बन बैठता है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, डॉ. हरद्वारी लाल कला मनोविज्ञान, पृष्ठ-39, प्रथम संस्करण, मेरठ, मानसी प्रकाशन, 1992
2. सिन्हा, सच्चिदानन्द, अरुप और आकार, पृष्ठ-37, प्रथम संस्करण, दिल्ली, ललित कला अकादमी, 2012.
3. शर्मा, डॉ. हरद्वारी लाल कला मनोविज्ञान, पृष्ठ-40, प्रथम संस्करण, मेरठ, मानसी प्रकाशन, 1992
4. विमल, डॉ. कुमार, सौन्दर्यशास्त्र के तत्व, पृष्ठ-51,52, पाँचवाँ संस्करण, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. 1989.
5. शर्मा, डॉ. हरद्वारी लाल कला मनोविज्ञान, पृष्ठ-40, प्रथम संस्करण, मेरठ, मानसी प्रकाशन, 1992
6. शर्मा, डॉ. हरद्वारी लाल कला मनोविज्ञान, पृष्ठ-57, प्रथम संस्करण, मेरठ, मानसी प्रकाशन, 1992
7. सिन्हा, सच्चिदानन्द, अरुप और आकार, पृष्ठ-39, प्रथम संस्करण, दिल्ली, ललित कला अकादमी, 2012.

\*\*\*\*\*

## भारत में न्यायिक सक्रियता : एक अवलोकन

डॉ. सुनील कुमार श्रीवारतव \* शिल्पी शर्मा \*\*

**प्रस्तावना** – भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है साथ ही संविधान में लोकतंत्र की रक्षा एवं उसके सफल क्रियावयन का भी लक्ष्य पूरा किया जाता है। लोकतंत्र की सफलता का सबसे सुदृढ़ माध्यम न्यायपालिका है इसलिये सभी लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका का विशेष महत्व होता है। जनता को न्याय दिलाने एवं उसके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिये न्यायपालिका सदैव प्रतिबद्ध होती है। जो संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। भारत में चूंकि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। अतः न्यायपालिका निष्पक्ष एवं पारदर्शी न्याय की अवधारणा पर कार्य करती है। जो सामाजिक न्याय एवं समानता के अनुमूल है क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की सफल बुनियाद न्याय पर टिकी होती है।

देश में व्यवस्था को विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के रूप में बांटा गया। इन तीनों अंगों का अपना-अपना कार्यक्षेत्र भी निर्धारित किया गया और यह तय किया गया कि कोई भी अंग किसी दूसरे के कार्यक्षेत्र और अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। विश्व के सबसे मजबूत लोकतंत्र का ढावा भारत का इसी आधार पर है कि हमारे यहां तीनों अंगों ने अपनी-अपनी भूमिका का सक्रिय व उचित निर्वहन किया है परंतु कभी-कभी यह देखने को मिलता है कि देश में संवैधानिक संकट की रिथ्ति हो जाती है। जब एक अंग किसी दूसरे अंग के कार्यक्षेत्र व अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। कभी-कभी न्यायपालिका का बढ़ता वर्चर्स्व और न्यायपालिका की सक्रियता भी इन सबके बीच चर्चा का विषय रहती है। न्यायिक सक्रियता भी सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देती है। कभी न्यायालयों की सक्रियता लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कभी यह किसी दूसरे अंग में हस्तक्षेप प्रतीत होते हुए संवैधानिक संकट की रिथ्ति भी पैदा करती है।

न्यायिक सक्रियता का अर्थ न्यायपालिका द्वारा निभायी जाने वाली वह सक्रिय भूमिका है। जिसमें राज्य के अन्य अंगों को उनके संवैधानिक कृत्य करने को बाध्य करे। यदि वे अंग अपने कृत्य संपादित करने में सफल रहें तो जनतंत्र तथा विधि शासन के लिये न्यायपालिका उनकी शक्तियों एवं भूमिका का निर्वाह सीमित समय के लिये करेगी। यह सक्रियता जनतंत्र की शक्ति तथा जन विश्वास को पुर्नस्थापित करती है। न्यायिक सक्रियता 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। जॉन मॉर्शल की न्यायिक सक्रियता के विचार का जनक माना जाता है। 1803 में मारवारी बनाम मेडिसन के मामले में ऐतिहासिक निर्णय के बाद इसका विकास हुआ।<sup>1</sup> इसका जन्म अमेरिकी संघीय अदालतों से हुआ। भारत में न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य न्यायपालिका द्वारा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने की वजह से त्वरित निर्णय देने से है। इसी संदर्भ में न्यायिक सक्रियता के उद्भव का प्रमुख उद्देश्य शासन, प्रशासन

एवं सरकार में पारदर्शिता लाना रहा है। न्यायालय की सक्रियता का सोपान जनहितवाद रहा है।

वर्तमान में न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किये जाने का कारण न्यायालय के समक्ष लाये गये विवादों का अत्यधिक प्रभावी ढग से निरस्तारण है। न्यायिक सक्रियता के ही संदर्भ में कई ऐसे पहलू हैं जिन पर विर्माण की आवश्यकता है। पूर्व न्यायमूर्ति बालकृष्णन ने न्यायिक सक्रियता को और अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि प्रशासन और अधिक जिम्मेदार बने। इधर कुछ वर्षों में सिविल सोसाइटी बगैर सरकारी संगठनों की लगातार बढ़ती भूमिका प्रशासन को जनोन्मुख उत्तरदायी बनने पर विवश तो किया ही न्यायपालिका के माध्यम से प्रशासन की उत्तरदायी और जबाबदेही भी बनाया है। न्यायपालिका द्वारा अपनी परम्परागत शक्तियों के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्य क्षेत्र में जनहित की दृष्टि से हस्तक्षेप किया जाना न्यायिक सक्रियता कहलाता है। वस्तुतः यह एक ऐसी प्रवृत्ति है, जिसके अंतर्गत देश की न्यायपालिका, सामाजिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों को नियमित करने में शासन के अन्य अंगों, विधानमंडल तथा कार्यपालिका से बढ़-चढ़कर भूमिका निभाने लगती है। यह लोकहित, विधि के शासन एवं संविधान की मूल भावना के संरक्षण का एक असामान्य, अपराम्परागत किन्तु प्रभावी यंत्र है। न्यायिक सक्रियता से एक ओर जहां कार्यपालिका की त्रुटियों का बोध होता है। संवैधानिक दृष्टिकोण से भारत एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, कल्याणकारी देश है। जिसमें न्यायपालिका की भूमिका एक सजग पहरी की है।<sup>2</sup> भारत के संविधान द्वारा यद्यपि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है तथापि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के परिपेक्ष्य में न्यायपालिका की सक्रिय, सजग एवं कर्तव्य परायण रिथ्ति व्यावहारिक रूप से पूर्णतः उचित ही है। भारत में न्यायिक सक्रियता के उदय के रूप में गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य के विवाद को देखा जा सकता है। इस विवाद में यह निर्णय दिया गया कि संसद को मानवाधिकार में संशोधन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। न्यायिक सक्रियता के विकास में जनहित से संबंधित आश्वासनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। 1979 में न्यायमूर्ति वार्ड.वी. चंद्रचूड़ द्वारा 1.32 के अंतर्गत जनहित याचिका से संबंधित व्यवस्था की गई। बाद में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने मुख्य न्यायाधीश को भेजे पत्रों को ही जनहित याचिका के रूप में रवीकार करके न्यायिक सक्रियता को एक नई दिशा प्रदान की।<sup>3</sup>

विगत कुछ वर्षों में न्यायपालिका द्वारा देश की राजनीति, प्रशासन एवं सामाजिक-आर्थिक जीवन में व्यास सुस्ती, भ्रष्टाचार एवं अन्याय के निवारण ऐसे अनेक निर्णय प्रेषित किए जो कि न्यायिक सक्रियता का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जो कि न्यायिक सक्रियता के दृष्टिकोण से

\* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शासकीय महाविद्यालय, बरेला (म.प्र.) भारत  
\*\* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

न्यायपालिका द्वारा प्रेषित प्रमुख निर्णय जैसे ताज संरक्षण हेतु आगरा एवं मथुरा की औद्योगिक इकाईयों को नोटिस, शहर की स्वच्छता हेतु दिल्ली महानगरपालिका को सफाई हेतु निर्देश, दिल्ली में ही प्रदूषण की व्यापास मात्रा को न्यूनतम करने हेतु वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस से चलाने हेतु निर्देश, दिल्ली में यमुना किनारे अवस्थित आवासीय क्षेत्रों में चल रही फैक्टरियों एवं औद्योगिक इकाईयों को स्थानांतरित करने संबंधी निर्देश, चुनाव सुधारों पर सरकार को कारण बताओं नोटिस, राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने की दिशा में निवार्चन आयोग को आवश्यक दिशा-निर्देश आदि।<sup>4</sup> गठबंधन सरकारों के वर्तमान दौर ने विधायिका को जहां कमजोर किया है। यही इसने न्यायपालिका और कार्यपालिका को शक्तिशाली बनाया है। न्यायिक सक्रियता इस तथ्य का पक्षा सबूत है कि किन परिस्थितियों में संवैधानिक संस्थाएँ निरंकुश बन जाती हैं तथा अपने अधिकार क्षेत्र की नए सिरे से परिभाषा करके अपने कर्तव्य निर्वहन से अधिक अपनी गरिमा और पवित्रता को कायम रखने पर ध्यान केंद्रित करने लगती है।

न्यायपालिका एक गरिमामय एवं सम्माननीय संस्था है। लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तंभों में एक होने के कारण यदि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को उसके उत्तरदायित्वों का आभास करती है तो इसमें लोकतंत्र लड़खड़ाने के स्थान पर और अधिक दृढ़ होता है। न्यायिक सक्रियता से ही विधि के शासन की स्थापना होती है। न्यायपालिका ने देश में न केवल सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण की आशा की जा सकती है। समाज के अंतिम व्यक्ति की दशा सुधारने व उसे मानवीय अधिकार दिलाने में भी उसने महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भागीदारी ढी है। खनन घोटाले, 2 जी घोटाले, कोलगेट खदानों के आवंटन के घपले, महाराष्ट्र से आई.पी.एल मैच का निर्णय हो या मजदूरों के हितों की रक्षा अथवा जनहित के मुद्दे। न्यायिक सक्रियता से देश के नागरिकों की उम्मीद लगातार बढ़ती जा रही है। मार्च 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में राजनीति के अपराधीकरण और चुनाव में बाहुबल और धन बल की बढ़ती समस्या से मुक्ति पाने के लिये जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा '33-B' को असंवैधानिक करार दिया जो न्यायालय सक्रियता का ज्वलंत उदाहरण है।<sup>5</sup> इसके अलावा 1980 से लेकर 2014 के काल में न्यायिक सक्रियता में निरंतर वृद्धि हुई।

**चुनौतियाँ** – चूंकि न्यायिक सक्रियता का अर्थ इस रूप में लिया जाता है कि जब राज्य के अंग अपने संवैधानिक कृत्यों को करने में सही भूमिका नहीं निभाते हैं या विधि के अनुसार न होकर राजनीतिक और व्यक्तिगत हो जाते हैं तब न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से उन्हें नियंत्रित करने संविधान के संरक्षक एवं जनहित संरक्षक की भूमिका निभाती है लेकिन वर्तमान में भ्रष्टाचार की चरम राजनीतिक स्वेच्छाचारिता एवं जनता के प्रति बढ़ता अन्याय एवं शोषण ने न्यायिक सक्रियता के एक नवीन विकास क्रम को महत्व दिया है इसलिये कार्यपालिका, विधायिका के द्वारा न्यायपालिका के इस कार्य को अधिकारों का अतिक्रमण नाम देकर आलोचना की जा रही है। न्यायिक अतिवादिता के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी न्यायिक सक्रियता को संयम के साथ कार्य का आदेश दिया जाता है। इन सब गतिरोध एवं न्यायिक चुनौतियों के पीछे मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव जान पड़ता है। एक और न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका जनता को न्याय प्रदान करती पाई जाती है वही दूसरी ओर उसके कार्यों को अतिवादिता का नाम देकर न्यायपालिका की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है जो अशोभनीय है। ऐसे में न्यायिक सक्रियता कई बार टकराव की स्थिति में जान पड़ती है।

**सुझाव** – न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक स्वतंत्रता के संदर्भ में यह स्पष्ट होता है कि जब शक्तियों के विभाजन के बाद भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिये विधायिका एवं कार्यपालिका निष्क्रिय लगने लगी। तब विविश होकर न्यायपालिका को सक्रिय होना पड़ता है तथा दोनों अंगों के कार्यों में हस्तक्षेप करना पड़ता है। जो उचित एवं विधि सम्मत भी है।

1. सरकार के अंगों के द्वारा क्षेत्राधिकारों का उचित पालन किया जाना चाहिये।
2. न्यायिक सक्रियता को जनहित याचिका के माध्यम से समाज में त्वरित न्याय की व्यवस्था करना चाहिये।
3. राज्य शासन प्रशासन के कार्यों में स्पष्ट पारदर्शिता लाने का प्रयास करना चाहिये।
4. न्यायिक सक्रियता द्वारा न्यायपालिका को अपनी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये।
5. संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ठोस कारगर कदम उठाने चाहिये।

**निष्कर्ष** – न्यायिक सक्रियता सरकार के तीनों अंगों द्वारा अपने कार्यों को सही ढंग से कराने पर जोर देता है। संविधान के द्वारा कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के कार्यों एवं क्षेत्राधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है किन्तु जब कार्यपालिका और विधायिका द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का वहन उचित प्रकार से नहीं किया जाता जिसके परिणामस्वरूप समाज में अन्याय और अशांति की स्थापना होने लगे। तब न्यायिक सक्रियता सुधार संभव हो सकता है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के प्रति जनसाधारण के विश्वास को न्यायिक सक्रियता से बल मिलता है। आज न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका के माध्यम से त्वरित न्याय की व्यवस्था कर लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य एवं न्यायिक सर्वोच्चता को बनाये रखने का निरंतर प्रयास कर रही है। न्यायिक सक्रियता में जनहित याचिका का एक ज्वलंत मामला भागलपुर (बिहार) जेल में विचाराधीन बंदी कैदियों का भी है। न्यायिक सक्रियता आज प्रांसंगिक इसलिये बन गया है क्योंकि शायद कही न कही कभी शासन व्यवस्था के कार्यपालिकीय एवं विधायी अंग में है। लगातार भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वेच्छाचारिता, निरंकुशतावाद की बढ़ती प्रवृत्ति ने न्यायिक सक्रियता को अधिक सक्रिय किया है ताकि तीनों अंगों में सामंजस्य बन सके। हालांकि कभी-कभी न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता के द्वारा होती है। जिससे कार्यपालिका एवं विधायिका को आभास होता है कि यह स्वेच्छाचारिता है। हाल ही में कॉलेजियम के मामले पर स्वयं न्यायपालिका कटघरे में खड़ी है।<sup>6</sup> इसके अलावा भी कई मुद्दे कार्यपालिका एवं विधायिका से जुड़े हैं। जहां न्यायपालिका की अति सक्रियता दिखाई पड़ती है। वास्तव में दोनों कार्यकारी अंगों के बीच जब शून्य सिध्दांत उभरता है। उसे भरने का कार्य न्यायिक सक्रियता द्वारा किया जाना अपरिहार्य है।

### न्याय न केवल हो, बल्कि वह होता हुआ नजर भी आए।

#### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. www.pravakta.com
2. बाबेल, डॉ. बसंतीलाल, संवैधानिक विधि नई चुनौतियाँ, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2013, पृ.क. 171
3. वहीं पृ. क्र. 172
4. सरकार, एम.के., जनहित याचिका ओरिएंट पब्लिशिंग कंपनी, 2010, पृ. 11
5. वहीं पृ. क्र. 25
6. www.hindizdictionary.com

## अपराध पीड़ितों के मानव अधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका का योगदान

**मधु सिंह \***

**शोध सारांश -** अपराध शास्त्र की शाखा के रूप में अपराध-पीड़ितों के अध्ययन से संबंधित शास्त्र अर्थात् प्रपीड़नशास्त्र का प्रारम्भ बीसवीं सदी के चौथे दशक 1940 के लगभग से माना जाता है। जब मेन्डोल्सोन (Mendelsohn) वोन हेन्टिंग (Von Hentig) तथा वूल्फर्गेंग (Wolfgang) जैसे विख्यात अपराधशास्त्रियों ने अपराध-पीड़ितों को ऐसे निःसहाय ठगे गए व्यक्ति निरूपित किया जिन्होंने अपने बलिकरण (Victimization) को स्वयं न्योता दिया था।

1980 के दशक में 'अपराध पीड़ित' एक ऐसा व्यक्ति माना गया जो किसी प्रतिकूल परिस्थिति या संबंधों में फंस जाने के कारण किसी अपराध का शिकार हुआ है। उल्लेखनीय है कि 'पीड़ित' शब्द का प्रयोग अनेक सन्दर्भों में किया जा सकता है जैसे दुर्घटना या अपघात पीड़ित, अकाल पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, सुनामी पीड़ित, गैस त्रासदी पीड़ित, दंगा पीड़ित, युद्ध पीड़ित आदि।

इन सभी में किसी रूप में वेदना, कष्ट, दर्द, क्षति या नुकसानी आवश्यक रूप से विद्यमान रहती है, जो पीड़ित या पीड़िता के नियन्त्रण के बाहर होती है।

प्रपीड़नशास्त्र तथा अपराधिक विधि के अन्तर्गत 'अपराध पीड़ित' ऐसा व्यक्ति है जिसकी पहचान की जाना सम्भव होता है और जो अपराधी के अपराधकृत्य से वैयक्तिक रूप से प्रत्यक्षतः क्षतिग्रस्त हुआ है तथापि कतिपय अपराधों के संदर्भ में अपराध-पीड़ित को न तो आसानी से चिह्नित किया जा सकता है और न वह अपराध से सीधे तौर पर जुड़ा रहता है। अपराध पीड़ित व्यक्तियों के संरक्षण में न्यायपालिका का विशेष योगदान है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय उच्चतम न्यायालय के योगदान का अध्ययन प्रस्तुत है-

**कुंजी शब्द -** अपराध पीड़ित, प्रपीड़नशास्त्र, अपराध, न्यायालय।

**अध्ययन का उद्देश्य -** इस शोध पत्र का मूख्य उद्देश्य भारतीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा अपराध पीड़ितों के अधिकार संरक्षण में दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का अध्ययन कर मूल्यांकन करना है।

**शोध प्रविधि -** यह शोध पत्र पूर्णतः सैद्धांतिक विधि पर आधारित है जिसमें विषय से संबंधित सर्वमान्य ग्रन्थ एवं प्रशासकीय दस्तावेजों से प्राप्त सूचनाओं को आधार मानकर अध्ययन किया गया है।

**विवेचना -** अपराधिक न्याय व्यवस्था में अपराध-पीड़ितों की उपेक्षा के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और न्यायिक सक्रियता के लिए विख्यात न्यायमूर्ति बी.आ.कृष्ण अह्यर ने लिखा कि -

'भारत में दण्ड विधि पीड़ित व्यक्ति-मूलक नहीं है जिसके कारण अपराध पीड़ितों की अनगिनत व्यथाओं, वेदनाओं तथा पीड़ितों की इस कारण पूर्णतः अनदेखी हो जाती है क्योंकि न्याय-व्यवस्था में अपराधी के प्रति अपनिहित सहानुभूति दर्शाइ गई है।' न्यायपालिका ने समय-समय पर अपने निर्णयों द्वारा अपराध-पीड़ितों के संरक्षण की बात कही है।

**खत्री बनाम बिहार राज्य** के वाद में विनिश्चित करते हुए राज्य को आदेशित किया गया है कि पीड़ितों को तत्काल रिहा किया जाए तथा प्रत्येक के नेत्र परीक्षण तथा चिकित्सीय उपचार की समुचित व्यवस्था राज्य स्वयं अपने खर्च पर करें और उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर का भुगतान करें और इस अमानवीय अपराध के लिए दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध राज्य सरकार कठोर कार्यवाही कर उन्हें छिड़ित करें।

**खदलशाह बनाम बिहार राज्य** के वाद में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति

को प्राप्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होने पर पीड़ित व्यक्ति को हानिपूर्ति के रूप में प्रतिकर दिलाकर लोकहित वाद के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। इस वाद में खदलशाह को लापरवाही के कारण दोषमुक्ति के बाद भी चौदह वर्ष की दीर्घ अवधि तक प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार से वंचित रहना पड़ा। इस प्रकरण में न्यायालय ने बिहार राज्य सरकार को आदेशित किया कि वह अध्यर्थी खदलशाह को क्षतिपूर्ति के रूप में 30000/- रुपये का भुगतान करें।

**भीम सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य** के वाद में उच्चतम न्यायालय ने राज्य द्वारा याचिकार्ता की दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किये जाने पर उसे पचास हजार रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दिलाई। इस वाद में याचिकार्ता एक विधायिक था जिसे विधानसभा के सत्र में भाग न लेने देने की नीयत से पुलिस ने जानबूझकर गिरफ्तार कर अभिरक्षा में रखा जो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है न्यायालय ने विनिश्चित किया कि केवल रिहा करना पर्याप्त नहीं होता अपिनु पीड़ित को हुई हानि का प्रतिकर दिलाया जाना चाहिए।

**आर. डी. उपाध्याय बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य** के मामले में देश के विभिन्न जेलों में परिवीक्षाधीन बन्दी माँ के साथ रहने वाले बच्चों की दयनीय दशा के विषय में उच्चतम न्यायालय ने गम्भीर चिन्ता दिखाई और अधिनिर्धारित किया कि उन्हें अनुच्छेद 21, 23, 39 (e), 39 (f) और 21-के अंतर्गत भोजन, चिकित्सा सहायता, कपड़े और मनोरंजन सुविधायें पाने का अधिकार है।

**पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम पुलिस कमिशनर दिल्ली**

\* एम. फिल. छात्रा (विधि) डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

पुलिस हेडकार्टर के बाद में एक मजदूर कुछ काम करने पुलिस स्टेशन गया मजदूरी मांगने पर उसे मारा पीटा गया और वह मर गया। यह अभिनिधारित किया गया कि राज्य प्रतिकर देने के लिए दायी था। मृतक के परिवार को 75000 रु. प्रतिकर देने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार सहेली बनाम पुलिस कमिशनर के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली प्रशासन को यह निर्देश दिया कि मृतक (9 वर्ष का बालक) की माँ को 75000 रु. प्रतिकर प्रदान करे जिसकी मृत्यु पुलिस अधिकारी के मारने के कारण हो गयी थी।

**नीलबती वे हरा बनाम उड़ीसा राज्य** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिधारित किया है कि पुलिस अभिरक्षा में गिरफतार व्यक्ति तथा जेल में कैदियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है और यदि पुलिस तथा जेल में कैदियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है और यदि पुलिस अभिरक्षा या जेल में उसके मूल अधिकारों का राज्य या उसके सेवकों द्वारा उल्लंघन होता है तो राज्य के ऐसे नागरिक को प्रतिकर देना होगा।

**बोधिसत्त्व गौतम बनाम शुक्ता चक्रवर्ती** के बाद में न्यायालय ने विनिश्चित किया कि बलात्कार केवल किसी महिला के शरीर के विरुद्ध अपराध नहीं है अपितु समस्त समाज के विरुद्ध अपराध है। इससे पीड़ित महिला की मनोवैज्ञानिक सोच-समझ नष्ट हो जाती है जिसके कारण वह घोर संवेगात्मक संकट में फंस जाती है और उसके लिए इससे उभरना मुश्किल होता है अतः बलात्कार को एक गंभीरतम अपराध माना जाना चाहिए। इससे पीड़ित का सबसे मूल्यवान प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है जिसमें गरिमामय जीवन जीने का अधिकार समाविष्ट है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है।

भारत सरकार ने आपराधिक न्याय प्रशासन तथा पुलिस कार्य प्रणाली में सुधार के लिए उपाय सुलझाने के लिए **कर्नाटक एवं केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीस डॉ. वी.एस. मलीमथ** की अध्यक्षता में एक समीति का गठन किया था जिसने वर्ष 2004 में अपनी रिपोर्ट में आपराधिक न्याय प्रशासन तथा पुलिस - व्यवस्था संबंधी अनेक महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ की थी।

अपराध पीड़ितों कि व्यवस्था के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए समीति ने सुझाव दिया कि इन पीड़ितों द्वारा की जाने वाली विचारण न्यायालय के निर्माण के विरुद्ध अपील का दायरा अधिक विस्तृत किया जाना चाहिए तथा पीड़ित पर अपराधी को दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध उसे अपील फाईल करने का अवसर दिया जाना चाहिए चाहे इसके लिए अभियोजन (राज्य) सहमत हो या न हो। समीति ने ढंग प्रक्रिया संहिता, 1973 के इस प्रावधान के प्रति भी आश्चर्य प्रकट किया कि अभियुक्ति के

दोषमुक्ति या उसे कम सजा दी जाने के विरुद्ध की अपिल केवल उच्च न्यायालय में ही क्यों होनी चाहिए तथा यह किसी अन्य निचली अदालत में कर्यों नहीं ले सकती समिति का सुझाव था कि अभियुक्ति की दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील का अधिकार अपराध पीड़ित को भी विस्तृत किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि समिति के इस सुझाव को स्वीकार करते हुए ढंग प्रक्रिया संहित (संसोधित) अधिनियम, 2008 द्वारा धारा 372 में संशोधन कर प्रावधान रखा गया कि पीड़ित को अपराधी कि दोष मुक्ति या उसे कम सजा दिये जाने के विरुद्ध अपील फाईल करने के लिए अभियोजन की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

अपराधियों को ढण्डाविष्ट करते समय यदि न्यायालय अपराध से प्रभावित पीड़ित पक्षकार की पीड़ा व्यथा या समिति आदि का भी आकलन कर उन्हें संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करें तो पीड़ितों के पुनः स्थापना में उनका सक्रिय योगदान होगा। व्यावहारिक रूप से यह अनुभव किया गया कि आपराधिक प्रकरण में निर्णय देते समय न्यायाधीश का ध्यान केवल अपराध की गंभीरता तथा अभियुक्ति की सजा पर ही केन्द्रित रहता है और इस प्रक्रिया में पीड़ित पक्षकार पर इसका विवाद असर पड़ेगा इस और वे विशेष ध्यान नहीं देते हैं। अनेक प्रकरण में अभियुक्ति को ढण्ड विधि के अन्तर्गत देय ढण्ड से बहुत कम या न्यूनतम ढण्ड देने की प्रवृत्ति न्यायाधीशों में प्रायः देखी जाती है। लैकिन वे इस ओर विशेष ध्यान नहीं देते कि अभियुक्ति के प्रति इस अंवांछित उदारता का पीड़ित पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा। निःसन्देह ही न्यायालयों कि यह प्रवित्ति सामाजिक हित के विपरीत होगी जिसका परिणाम पीड़ित को भोगना पड़ता है।

**उपसंहार** - अपराध पीड़ितों के अधिकार संरक्षण में न्यायपालिका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, 'विभिन्न वाद विधियों के माध्यम से न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका को यह विवश किया गया कि, अपराध पीड़ितों को उचित प्रतिकर एवं सुरक्षा प्राप्त हो सके।' न्यायपालिका के द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णय से प्रतित होता है कि न्यायपालिका मानव अधिकारों का सजग प्रहरी है।

#### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. अपराध शास्त्र डॉ. वी. एन. पराजंपेय सेन्ट्रल लॉ. पब्लि., इलाहाबाद
2. पाण्डेय, डॉ. जयनारायण, भारत का संविधान सेन्ट्रल लॉ. पब्लि., इलाहाबाद
3. ए.आई.आर. और एस.सी.सी
4. विभिन्न वेबसाइट

# Wind Energy Production : A study in India scenario

**Dr. Rashmi Arnold \* Ramdeo Saket \*\***

**Abstract** - Wind energy is a best renewable source of non-polluting energy and is emerging as one of the most potential source of alternate energy, which will be helpful to great extent in bridging the gap between the energy demand and supply.

wind energy was used first in ancient Egyptians in wind mills. Ships were sailed by wind energy and for pumping water from wells for irrigation fields.

Now this energy valued as non- polluting and reviewable energy source, because wind motion moves mills and produce kynetic energy, our country is in fourth position in wind energy production, It's production should be increased for several energy requirements.

**Introduction** - Wind energy is a renewable source of non-polluting energy and is emerging as one of the most potential source of alternate energy which will be helpful to a great extent in bridging the gap between the energy demand and supply compared to solar energy, the wind is a very complex resource, possessing a three dimensional values compared to solar's two dimensional qualities. The wind resource is more intermittent and is strongly influenced by terrain or geography factors. Also due to fluid mechanics considerations, there is a non liner (cubic) relationship between wind speed and the power production from a wind turbine (a wind energy cancers on device)

Wind power is as old as the first sailing ship and wind mills for pumping water from wells or for grinding agricultural produce dates back to the earliest times of recorded history. Evidence shows that the ancient Egyptians used in windmill as early as 3600 B.C. to pump water for irrigating their arid fields and to grind grain.

wind, which is essentially air in motion, has kinetic energy by virtue of the movement of large masses of air caused by differential heating of the atmosphere by the sun. At any given time, the amount of energy contained in the wind is proportional to the wind speed at that instant in the context of wind based energy production system. This energy can be utilized for performing mechanical and electrical works. Wind turbines Can be used to generate electricity, for lifting water from wells; for direct water pumping and many more.

**Research Methodology** - To complete the research work; a suitable data are essential, so the data collection done by secondary source. Related books articles published in magazines, Journal providing and new papers were helpful . T.V. news and talks and debates are also important for

collecting data. After classifying data, tabulation work done and then analysis for finding result.

## **Hypothesis :**

1. wind energy production is depend on moving air.
2. The wind energy can not be generated all time. because sometimes winds movement becomes silent.
3. Heavy machine can not be used to general wind energy.
4. wind energy generating machines can not be established every where.
5. wind energy can not be generated in a large amount of power to consume several work at a same time.

## **Objectives :**

1. To know the wind energy and it's uses
2. To find out the position of our country about wind energy production.
3. To compare, our country wind energy production with other countries.
4. To find out shortcoming, effecting negativity to low wind energy production in our country.
5. To suggest to adopt best measures for sufficient wind energy production.

**Subject Analysis** - Wind energy production is very important electricity producing method. It is renewable and non-polluting system of power production. This energy producing method may be helpful to save other natural resource as coal, gas, wood, cooking oils and other energy producing matters.

Asia's first wind farms project is at Mandvi in kutch district of Gujarat. While a wind farm cluster of 150 mw at Muppandal in Tamilnadu is Asia's largest wind farm cluster Kayathar, muppandal, Ayukudi and tuticorin in tamilnadu ; and mandvi, Okha, Tunalamba and Veradale in Gujarat are

\* Asst. Professor, Govt. G.D.C. College, Rewa (M.P.) INDIA

\*\* Research Scholar (Biotechnology) A.P.S. University, Rewa (M.P.) INDIA

the famous wind farms in India.

Wind energy generation has been given a strong thrust by ministry of Non- conventional energy sources, Govt. of India. The Govt. has allowed a number of incentives for setting up wind power plants. such as hundred percent depreciation exemption from paying of excise duty and sales tax. Tax holidays, concessional finance and buy back of power. in the exploitation of wind energy is being carried out at the same institutes;

1. National Aeronautical Laboratory (NAL) Bangalore.
2. Marine Chemical research institutes (MRCRI) Bhavnagar.
3. Central arid zone research institutes (CAZRI) Jodhpur.
4. Madurai wind mill, Madurai.

Our India was in fourth rank in wind energy production in the world at last years, while the entire wind energy production in the world was 14% less in 2017 in comparison of wind energy production of 2015. New plants having capacity of 3617 Megawatt were established in 2016 and the contribution of India touched up 6.6% while in China having capacity of 23.228 Megawatt established in 2016. The new energy production in world was of 54600 Megawatt in 2016. the countrywise wind energy production is given in below table.

**Table No. : 01 : Statement of country use New production of wind energy in (2016 in %)**

| S. | Name of country | Wind energy production job | Total production of world in wind energy |
|----|-----------------|----------------------------|--|
| 1  | China           | 42.7%                      |  |
| 2  | America         | 15%                        | 54600 Megawatt                           |
| 3  | Germany         | 10%                        |  |
| 4  | India           | 6.6%                       |  |
| 5  | Brazil          | 3.7%                       |  |
| 6  | France          | 2.9%                       |  |
| 7  | Turkey          | 2.5%                       |  |
| 8  | Nederland       | 1.6%                       |  |
| 9  | Britain         | 1.3%                       |  |
| 10 | Canada          | 1.3%                       |  |

#### **Source : World wind energy Council**

As per above table China was the largest wind energy producer country it was 42.7%, America(U.S.A) was in second position 15%, Germany 10%, India 6.6%, Brazil 3.7% France 2.8% Turkey 2.5%, Nederland 1.6% and Britain and Canada 1.3 %. India production was 7 times less than China.

**Table No. : 02 : Statement of whole wind energy production of world up to 2016 (in%)**

| S. | Name of country | Wind energy production | Total wind energy production |
|----|-----------------|------------------------|------------------------------|
| 1  | China           | 34.7%                  | 486479 Megawatt              |
| 2  | America         | 16.9%                  |                              |
| 3  | Germany         | 10.3%                  |                              |
| 4  | India           | 5.9%                   |                              |
| 5  | Spain           | 4.7%                   |                              |
| 6  | Britain         | 3.0%                   |                              |

#### **source : World wind energy council**

According to the above table China has top position in wind energy production it is 34.7%, America is in second position producing 16.9%, Germany 10.3%, India 5.9%, Spain 4.7%, Britain 3.0%. India is not in satisfactory position it is fourth place in the world.

#### **Limitation of wind energy :**

1. It has low energy density.
2. It is generally favorable in geographic locations which are away from cities.
3. It is variable, unsteady, irregular intermittent, erratic and sometimes dangerous.
4. Wind turbine design, manufacture and installation have proved to be complex due to widely varying atmospheric conditions in which they have to operate.
5. Wind farms can be located only in vast open area in locations of favourable wind. generally, such locations are away from load centers.
6. Wind energy is not economic for large scale generation.
7. The energy storage batteries, indirectly and substantially contribute pollution.
8. In case of non availability of winds, alternate source of energy it falls back on.

#### **Suggestion :**

1. The sufficient energy cannot be produced by wind farms, which may be used when required.
2. The location of wind farms should not be on migratory routes. Otherwise, it could play havoc with the birds and might lead to a disaster for some avian populations.
3. The appearance of wind mills on the landscape and their continual whirring and whistling can be irritating.
4. The new wind energy generating machines should be established in open field, produced energy may be used in village needs.
5. Indian Govt. should make suitable policy for more wind power generation.

**Sum up -** Wind energy is oldest energy source. It was used for sailing ships, wind mills for pumping water from wells or for grinding agricultural purpose. The value of wind energy considered in present as non-polluting energy and renewable. There is no any use of natural resources, only flowing wind is used which has no wastage. Though heavy machines cannot be driven, but domestic energy requirement and light machines can be satisfied, our country is in fourth position in case of wind energy producer. It should be increased. Wind energy must be used in place of other energy sources.

#### **References :-**

1. Energy, Environment, Ecology & society. Dhanpat Rai & Co.(P) Ltd., New Delhi- 2011, page 1.32-1.36
2. INDIA-2017.
3. Economic Survey – 2016-17.
4. Internet, T.V., New papers.

## म.प्र. सरकार के बजट घाटों का अध्ययन व विश्लेषण

डॉ. चन्द्रप्रकाश पंवार \*

**प्रस्तावना** – बजट सरकार की राजकोषीय एवं आर्थिक नीति का मुख्य आधार होता है। नियोजित आर्थिक विकास तथा अधिकतम सामाजिक कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए सरकारे प्रायः संतुलित अथवा घाटे का बजट बनाती है। सामान्यतः सरकार की समग्र प्राप्तियों की तुलना में समग्र व्यय अधिक होता है तो यह बजट घाटा कहलाता है। इसे घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit Financing) भी कहा जाता है। केंद्रीय सरकार द्वारा संदैव घाटे का बजट ही प्रस्तुत किया जबकि म.प्र. सरकार वर्ष 2004-05 से निरंतर राजस्व आधिक्य की स्थिति में रही। बजट के आधार पर ही सरकारों की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जाता है तथा आर्थिक स्थिरता के उपाय किये जाते हैं। प्रायः बजट घाटे का अध्ययन राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, तथा राजकोषीय घाटा के रूप में किया जाता है। सरकारें विभिन्न राजकोषीय उपाय अपनाकर इन बजट घाटों को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में म.प्र. सरकार के विभिन्न बजट घाटों का अध्ययन व विश्लेषण कर महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

**अध्ययन के उद्देश्य** – प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य रहे।

1. म.प्र. सरकार के राजस्व घाटे/राजस्व आधिक्य की प्रवृत्ति का अध्ययन करना।
2. म.प्र. सरकार के प्राथमिक घाटे की प्रवृत्ति का अध्ययन करना।
3. म.प्र. सरकार के राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति का अध्ययन करना।
4. म.प्र. सरकार के राजकोषीय घाटे का सकल घेरेलु उत्पाद से मापन करना।

**अध्ययन अवधि** – शोध पत्र की अध्ययन अवधि वर्ष 2006-07 से 2015-16 तक 10 वर्ष की रही।

**प्रयुक्त चल** – राजस्व प्राप्तियां, पूँजी प्राप्तियां, लोक ऋण, ब्याज का भुगतान, सकल घेरेलु उत्पाद आदि।

**समंक संग्रहण** – प्रस्तुत शोध अध्ययन में म.प्र. शासन के संबंधित वर्षों के बजट प्रतिवेदन में उपलब्ध द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है।

**म.प्र. सरकार के बजट घाटे / आधिक्य का अध्ययन व विश्लेषण** – सरकार के बजट घाटों में राजस्व घाटा (Revenue Deficit), राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) तथा प्राथमिक घाटा (Primary Deficit) सम्मिलित होते हैं जो कि सरकारों की वित्तीय कार्यक्रमात्मकता के मापक है। म.प्र. सरकार के बजट घाटों की तुलनात्मक स्थिति को विश्लेषण तालिका 1 व 2 द्वारा प्रदर्शित किया गया है तथा ग्राफ 1 व 2 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तालिका 1 में बजट घाटों की वास्तविक स्थिति को दर्शाया गया है जबकि तालिका 2 में बजट घाटों के प्रवृत्ति प्रतिशत को प्रदर्शित किया गया है।

**1) राजस्व घाटा/आधिक्य** – राजस्व घाटा राजस्व व्ययों का राजस्व प्राप्तियों पर अधिशेष है, परंतु बजट में राजस्व आधिक्य की स्थिति रही है। विगत 2004-05 से निरंतर मध्यप्रदेश सरकार के बजट में राजस्व घाटे के स्थान पर राजस्व आधिक्य (Revenue Surplus) की स्थिति रही है। अध्ययन काल के वर्ष 2006-07 से प्रथम छ: वर्षों तक पर्याप्त राजस्व वृद्धि रही जबकि अंतिम चार वर्षों में निरंतर गिरावट की प्रवृत्ति पाई गई तथा वर्ष 2015-16 में राजस्व आधिक्य में तेजी से गिरावट होकर यह मात्र 437.27 करोड़ रुपये तक सीमित रहा, जैसा कि तालिका 1, व तालिका 2 द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है। इसका प्रमुख कारण राजस्व व्ययों मुख्यतः आयोजना व्ययों में भी अपेक्षाकृत ऊर्जी दरों से वृद्धि हुई जबकि अंतिम वर्ष के राजस्व आधिक्य में न्यून वृद्धि प्रदर्शित हुई। राजस्व आधिक्य में गिरावट की प्रवृत्ति चिंता का विषय है तथा यह प्रदर्शित करती है कि मध्यप्रदेश सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व के के पालन में घिछड़ रही है, फलस्वरूप राजस्व आधिक्य की स्थिति राजस्व घाटे की ओर उन्मुख हो रही है।

**2) प्राथमिक घाटा** – प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटों में से ऋणों का ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है। सरकार का असली वित्त प्रबंधन तो उसका प्राथमिक घाटा ही प्रदर्शित करता है क्योंकि ब्याज भुगतान तो पुराने ऋणों का भार है। तालिका 1 प्रदर्शित करती है कि अध्ययनकाल के अंतिम चार वर्षों में प्राथमिक घाटे की तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति रही। वर्ष 2006-07 में प्राथमिक घाटा 1214.72 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2015-16 में लगभग 10 गुना बढ़कर 12574.94 करोड़ रुपये हो गया। प्राथमिक घाटे का नियंत्रण में न रहना यह प्रदर्शित करता है कि सरकार अपने बढ़े हुए व्ययों का भुगतान नये ऋण लेकर कर रही है। प्राथमिक घाटे में तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति सरकार की वित्तीय अक्षमता को प्रदर्शित करती है। म.प्र. सरकार के राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटे एवं प्राथमिक घाटे की तुलनात्मक स्थिति ग्राफ 1 द्वारा प्रदर्शित की गई है जिसमें राजस्व आधिक्य की रेखा में निरन्तर गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है। इसी प्रकार प्राथमिक घाटे एवं राजस्व घाटे में भी निरन्तर ऋणात्मक वृद्धि ढर्ज हो रही है।

**3) राजकोषीय घाटा** – राजकोषीय घाटा प्रदर्शित करता है कि सरकार की कुल प्राप्तियां कुल व्ययों से कम हैं जिसकी पूर्ति सरकार ऋण लेकर करती है। वर्ष 2006-07 में प्रदेश सरकार का राजकोषीय घाटा 2814.23 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2015-16 में 3.42 गुना बढ़कर 21166.89 करोड़ रुपये हो गया। राजकोषीय घाटे में कुल 3.42 गुना वृद्धि हुई जो अध्ययन काल के अंतिम चार वर्षों में ऊंची दर से रही।

**तालिका :** 1 व 2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

**ग्राफ 1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

\* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

**1. राजकोषीय घाटा/सकल घरेलु उत्पाद** – राजकोषीय घाटे का मापन राज्य के सकल घरेलु उत्पाद से एक निश्चित प्रतिशत से किया जाता है। म.प्र. सरकार के राजकोषीय घाटे/सकल घरेलु उत्पाद अनुपात में अध्ययन के वर्षों में उच्चावचन की प्रवृत्ति रही। अध्ययन काल में अंतिम वर्ष को छोड़कर राजकोषीय घाटा म.प्र. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा निर्धारित राज्य सकल घरेलु उत्पाद की 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर रहा जो सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2015–16 के लिये उक्त अधिनियम में राजकोषीय घाटे की सीमा राज्य सकल घरेलु उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक निर्धारित की है। अंतिम वर्ष का राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलु उत्पाद का 3.49 प्रतिशत है जो कि राजकोषीय लक्ष्यों के भीतर तो है किंतु इसकी बढ़ती हुई प्रवृत्ति वित्तीय संकट की ओर संकेत करती है। ग्राफ 2 राज्य सकल घरेलु उत्पाद से राजकोषीय घाटे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति तथा राजस्व आधिक्य की गिरती हुई प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

### ग्राफ 2 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

**निष्कर्ष** – सरकार के राजस्व आधिक्य में अध्ययन के वर्षों में 87 प्रतिशत की गिरावट रही, प्राथमिक घाटे में 10 गुना वृद्धि हुई जबकि राजकोषीय घाटे में 7.5 गुना वृद्धि दर्ज हुई। उक्त तीनों स्थितियाँ वित्तीय संकट का संकेत देती हैं। सरकार का राजस्व आधिक्य वर्ष 2006–07 में 3331.68 करोड़ था जो वर्ष 2015–16 में मात्र 437.27 करोड़ रह गया। इसी प्रकार राजस्व आधिक्य का राज्य सकल घरेलु उत्पाद से अनुपात वर्ष 2006–07 में 2.6 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2015–16 में नाममात्र का होकर 0.07 प्रतिशत रहा। राजस्व आधिक्य में निरन्तर गिरावट का होना यह प्रदर्शित करता है कि सरकार की राजकोषीय स्थिति में राजस्व आधिक्य के स्थान पर राजस्व घाटे की ओर प्रवृत्ता हो रही है। प्राथमिक घाटा वर्ष 2006–07 में 1214.72 करोड़ था जो वर्ष 2015–16 में 12574.94 करोड़ हुआ। प्राथमिक घाटे में अध्ययन अवधि के दौरान 10 गुना वृद्धि प्रदर्शित हुई जो यह प्रकट करती है कि सरकार बड़े हुए व्ययों की पूर्ति नये ऋण लेकर कर रही है। सरकार का राजकोषीय घाटा वर्ष 2006–07 में 2814.23 करोड़ था जिसमें निरन्तर वृद्धि होकर यह 21166.89 करोड़ रुपये हो गया। राजस्व घाटे का राज्य सकल घरेलु उत्पाद से अनुपात वर्ष 2006–07 में 2.2 प्रतिशत के मुकाबले 2015–16 में 3.49 प्रतिशत तक वृद्धि लिये रहा। इस प्रकार राजकोषीय घाटे में निरन्तर वृद्धि प्रदर्शित कर रही है कि सरकार बड़े हुये व्ययों की पूर्ति नये ऋण लेकर कर रही है तथा सरकार का ऋण भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2015–16 में राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय संवहनीयता की सीमा 3.5 प्रतिशत के बराबर रहा। यह स्थिति सरकार के लिये वित्तीय संकट की ओर संकेत करती है। जिसे सरकार व्ययों में मितव्ययता लाकर नियंत्रित कर सकती है। सरकार को वित्तीय घाटा पूरा करने के लिये अब और नये ऋण लेना नये वित्तीय संकट को जन्म देना है।

### सुझाव :

- अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिये वित्तीय समेकन आवश्यक है। अतः राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का युक्तियुक्त करण किये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में यह सुझाव है कि राजकोषीय घाटे की एक निश्चित लक्ष्य अथवा सीमा तय न करके एक श्रेणी अथवा ढायरा तय किया जाना चाहिए, जिसके भीतर ऋण संसाधन जुटाये जाये अथवा संभव ना होने पर खर्चों में

- कटौति की जाए। क्योंकि तेजी से बढ़ते परिवेश में सरकार के पास नीतिगत फैसले लेने के लिये पर्याप्त आर्थिक गुंजाइश होनी चाहिए।
- वर्तमान समय में ऋणों पर ब्याज दरें कम हुई हैं, पूँजी लागत घटी है। अतः इस वातावरण में राजकोषीय घाटे के निर्धारित लक्ष्यों से विचलन कम करने के लिए एक राजकोषीय समानीकरण कोष (Fiscal Equalisation Fund) के निर्माण का सुझाव दिया जाता है जिसमें सरकार राजस्व आय का एक निश्चित प्रतिशत इस कोष में जमा करे तथा कोष की राशि को पुनः तरल प्रतिशुतियों में निवेशित किया जाये ताकि संकट के समय इस राशि का प्रयोग किया जा सके।
- सरकार को विकासात्मक कार्यों के वित्तीयन के लिये पृथक से पूँजी – बजट निर्मित करना चाहिए जिसमें प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय संसाधनों का आबंटन सुनिश्चित हो साथ ही ऋण साधनों से वित्त पोषण का अनुपात भी पूर्व निर्धारित हो।
- राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के साथ –साथ राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता को भी सुधारना आवश्यक है।
- अनिश्चित वैशिक माहौल में विकास की गति बनाये रखने हेतु साख बनाये रखना और ऋण पर नियन्त्रण रखना आवश्यक है अतः सरकार को अपने बजट संसाधनों की कार्य कुशलता में सुधार करके अथवा गैर कर राजस्व के नये ऋतों की खोज करके अपनी राजकोषीय गुंजाइश को बढ़ाना चाहिए।
- अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए आयोजना व्ययों के वित्तीयन में सार्वजनिक – निजी भागीदारी (Public-Private Partnership) संबंधी दिशा-निर्देशों पर विचार करना चाहिए। आयोजित विकास के लिये पर्याप्त संसाधन बजटीय ऋतों से उपलब्ध होना संभव नहीं है। अतः औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास के लिये निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया जाना चाहिए।
- आर्थिक वृद्धि को बल देने के लिये सरकार आवश्यकतानुसार ऊँचे राजकोषीय घाटे पर भी विचार कर सकती है। इस प्रकार का निर्णय सरकार देश/प्रदेश की स्थिति को ध्यान में रखकर कर सकती है। वर्तमान समय में ऋणों पर ब्याज दरें कम हुई हैं, पूँजी लागत घटी है। अतः इस वातावरण में सरकार राजकोषीय लक्ष्यों का विकास के लिए विवेकपूर्ण विस्तार करे तो कोई नुकसान नहीं है।
- चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार राज्यों को बजट घाटा अनुदान तथा राज्य आपदा राहत कोष के लिये सहायता अनुदान का प्रावधान है। अतः इस संबंध में यह सुझाव दिया जाता है कि जिन राज्यों में राजस्व आधिक्य की स्थिति है उन्हें राजस्व आधिक्य का अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- म.प्र. सरकार के बजट प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 से 2015–16
- भारतीय लोक वित्त संछियकी, 2014–15, 2015–16
- आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2014–15, 2015–16
- तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट, वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली
- चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट, वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली
- वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (2013) की रिपोर्ट, वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली
- वार्ष्य, जे.सी., राजस्व, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2005
- पंत, जे.सी., लोक अर्थशास्त्र, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 2014


**तालिका : 1 – म.प्र. सरकार की बजट घाटों की स्थिति (करोड़ में)**

| प्रवर्ग/वर्ष                                      | 2006<br>-07 | 2007<br>-08 | 2008<br>-09 | 2009<br>-10 | 2010<br>-11 | 2011<br>-12 | 2012<br>-13 | 2013<br>-14 | 2014<br>-15 | 2015<br>-16 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| राजस्व आधिक्य                                     | 3331.68     | 5087.62     | 4063.33     | 5497.8      | 6842.6      | 9910.37     | 7458.75     | 5879.48     | 6267.97     | 437.27      |
| प्राथमिक घाटा                                     | 1214.72     | 1406.85     | 241.61      | 1744.62     | 223.07      | 561.41      | 3846.55     | 3489.97     | 4580.34     | 12574.94    |
| राजकोषीय<br>(वित्तीय)<br>घाटा                     | 2814.23     | 2783.92     | 4433.6      | 6198.92     | 5272.02     | 5861.18     | 9420.29     | 9881.29     | 11651.59    | 21166.89    |
| राज्य सकल घरेलु<br>उत्पाद (वर्तमान<br>मूल्यों पर) | 128202      | 142500      | 162525      | 216958      | 271681      | 315387      | 361874      | 450900      | 508006      | 607269      |
| राजस्व आधिक्य<br>का प्रतिशत<br>जीएसडीपी से        | 2.6         | 3.57        | 2.5         | 2.53        | 2.52        | 3.14        | 2.06        | 1.3         | 1.23        | 0.07        |
| राजकोषीय घाटे<br>का प्रतिशत<br>जीएसडीपी से        | 2.2         | 1.95        | 2.73        | 2.86        | 1.94        | 1.86        | 2.6         | 2.19        | 2.29        | 3.49        |


स्रोत: मध्यप्रदेश सरकार के बजट प्रतिवेदन सत्र 2006-07 से 2015-16

**तालिका : 2 – म.प्र. सरकार की बजट घाटों का प्रवृत्ति (प्रतिशत में)**

| प्रवर्ग/वर्ष                                      | 2006<br>-07 | 2007<br>-08 | 2008<br>-09 | 2009<br>-10 | 2010<br>-11 | 2011<br>-12 | 2012<br>-13 | 2013<br>-14 | 2014<br>-15 | 2015<br>-16 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| राजस्व आधिक्य                                     | 100.00      | 153         | 122         | 165         | 205         | 297         | 224         | 176         | 188         | 13          |
| प्राथमिक घाटा                                     | 100.00      | 116         | 20          | 144         | 18          | 46          | 317         | 287         | 377         | 1035        |
| राजकोषीय<br>(वित्तीय)<br>घाटा                     | 100.00      | 99          | 158         | 220         | 187         | 208         | 335         | 351         | 414         | 752         |
| राज्य सकल घरेलु<br>उत्पाद (वर्तमान<br>मूल्यों पर) | 100.00      | 111         | 127         | 169         | 212         | 246         | 282         | 352         | 396         | 474         |



ग्राफ 1 ; म.प्र. सरकार के राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटे एवं प्राथमिक घाटे की तुलनात्मक स्थिति  
 (राज्य सकल घरेलु उत्पाद से प्रतिशत)



ग्राफ 2 : म.प्र. सरकार के राजकोषीय घाटे व सकल घरेलु उत्पाद की तुलनात्मक प्रवृत्ति

\*\*\*\*\*

## भारतीय इतिहास में मृण्मूर्तिकला का धार्मिक विवेचना

### ईश्वर लाल चौहान \*

**शोध सारांश** – भारतीय इतिहास का मुख्य आधार सभ्यता रही है। इसका मुख्य कारण गुप्त शासन काल में भी कई उदाहरण मिलते हैं। इसके मध्य उज्जयिनी से लेकर पाटलीपुत्र तक का विस्तृत यह देश बहुतायत में गाँवों का एक नगर जाल था। इसके सबसे पहले छोटे-छोटे ग्रामों से एक बड़े नगर का निर्माण होता है। दूसरी तरफ इन्हीं नगरों के समूहों से एक महानगर निर्मित होता है। जबकि भारतीय इतिहास में मिठी की मूर्तियों का धार्मिक महत्व भी एक सामाजिक औचित्य के रूप में उभर कर सामने आते हैं। इसकी सम्पन्नता का सबसे बड़ा स्वर भी गुप्त वंश में ही दिखाई देता है।

**प्रस्तावना** – मृण्मूर्तियाँ लोक कला का भी आधार मानी जाती है। इन मूर्तियों में धार्मिक मूल्य छिपे हुए है। यह परम्पराएँ हड्डियां कालीन समय से विद्यमान हैं। जहाँ धार्मिक क्रिया-कलापों के माध्यम से रीति-रिवाज आदि की जानकारी पुरातत्वों के आधार पर की जा सकती है। ‘दुर्ग और नगर दोनों क्षेत्रों में कुछ इमारतें मिली हैं जिन्हें कृतिपय विद्वान मंदिर मानते हैं।’<sup>1</sup>

मध्यप्रदेश में मौर्य शासन काल में भी कला की समृद्ध का प्रमाण मिलता है। इसके साथ-साथ भारत भूमि मृण्मूर्तियों का धार्मिक महत्व अत्यधिक विस्तृत हो जाता है। देश के अनेक भागों से मौर्य काल की अद्वितीय मूर्ति कला के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके सम्बन्ध में कला को दो भागों में विभक्त किया है। जिनकी मान्यताओं ने धार्मिक स्वरूप पा लिया। पहली तो राजकीय कला दूसरी लोक कला, राजकीय कला का उल्लेख विदिशा के निकट साँची से सम्भाट अशोक के शासन काल में एक पाषाणस्तम्भ के रूप में मिलती है। जिस पर चार सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। एक बाराबर पर्वत के पाषाण से निर्मित यह स्तम्भ-मूर्ति की अनोखी छठा दिखाई दे रही है।

**प्रविधि** – इस शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक शोध सामाजिक के आधार पर शोध पत्र विषय भारतीय इतिहास में मृण्मूर्तिकला का धार्मिक विवेचना के रूप में अध्ययन किया गया है। सन्दर्भित करने के लिए विदेशी यत्रियों के यात्रा वृतांतों का भी सहारा लिया गया है। जिस प्रकार से मेगस्थनीज, फाल्गुन, हेनसांग, अलबरुनी आदि के साथ-साथ पत्र-पत्रिकाओं के यथा उचित रथान पर सन्दर्भित किया गया है।

#### समस्या :

- उच्च गुणवत्ता युक्त मिठी की समस्या।
- मृण्मूर्तियों को निर्मित करने में कुशल कारीगर की समस्या।
- मृण्मूर्तियों में देवताओं के स्पष्ट चित्रकांन की समस्या।
- इन्हें विक्रय हेतु उचित मूल्य के बाजारों की समस्या।
- इन कार्यों को निर्मित करने वाले दक्ष कर्मचारियों की समस्या।
- मृण्मूर्तियों में धार्मिक मूल्यों के क्षरण की समस्या।

#### उद्देश्य :

- मृण्मूर्तियों के निर्मित करने वाले कुशल कारीगर के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण।
- मृण्मूर्तियों से उत्पन्न होने वाले सौन्दर्य का अध्ययन।

- मृढ़ा की उच्च गुणवत्ताओं से निर्मित मूर्तियों का अध्ययन।
- मृण्मूर्तियों में आस्था के केन्द्र के रूप में धार्मिक मूल्यों का अध्ययन करना।

वैदिक काल के पश्चात् भी भारतीय संस्कृति और इतिहास की जानकारी को एकत्रित करने के लिए महाभारत, रामायण, पुराणों और जनश्रुतियों के माध्यम से होने वाले साधन से मृण्मूर्तियों का साधन वन गई है। जिसका मूल मृण्मूर्तिकला के माध्यम से धार्मिक मूल्यों को संजोया जा सकता है। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि वैदिक साहित्य में मृण्मूर्तियों को लेकर कुछ भांतियाँ विद्यमान हैं। जबकि मूर्तकला का पक्ष धार्मिक क्रियाकलानों की ओर प्रेरित करता है।

**समाधान** – मध्यप्रदेश का छठीं शताब्दी ई.पू. के आसपास महत्व और अधिक बढ़ गया। इसके अन्तर्गत अवन्नि, वत्स, चेदि के महाजनपदों का साम्राज्य स्थापित था। इस उल्लेख का प्रमाण पुराणों, अनुश्रुतियों एवं अनेक धर्म ग्रन्थों में भी उपलब्ध होता है। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म का अहिंसा सिद्धान्त भी मृण्मूर्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण बौद्ध धर्म को अहिंस प्रधान सिद्धान्त के रूप में माना जा सकता है। धार्मिक तथ्यों के आधार पर बौद्ध धर्म में युद्ध और सैनिक शक्ति की ओर प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका प्रमाण परवर्ती बौद्धों ने गुप्त सम्भाट को अहिंसा सिद्धान्त को अपनाया है। जबकि गुप्त वंश के बराबर कोई भी साहस वीरता का परिणाम में संजोने का प्रयास किया है।

‘बौद्ध धर्म की अहिंसा और दया के आधार पर गुप्त नरेश बालादित्य ने नृशंस हूण आकांता मिहिरकुल को बंधन मुक्त कर जीवनदान के दिया।’<sup>2</sup> इन मृण्मूर्तियों को धार्मिक इमारतों के न होने का कारण भौतिकवादी दृष्टिकोण कहा जा सकता है। प्राचीन विश्व की संस्कृति ने अन्य संस्कृतियों का परिणाम इन लोक गाथाओं को न समझने के कारण है। क्योंकि आज भी कुल देवताओं की मिठी की मूर्तियों को ग्रामीण व्यक्तियों द्वारा घर के एक निश्चित स्थान में रखते हैं। मिठी का धूसा के रूप में स्थापित करते हैं। मानवीय जीवन में उन्हें ही जीवन रक्षक और देवता के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी मान्यताओं आदि को रूपित करते हैं। ऐसा प्रमाण आज भी ग्रामीण व्यक्तियों में पाया जाता है। जबकि उनकी जगह में चाहे तो पन्थर की भी मूर्तियाँ रखी जा सकती हैं। किन्तु मिठी की मूर्तियाँ आज भी विद्यमान हैं। इसका प्रमाण

\* शोधार्थी, प्रा.भा.इ.सं एवं पुरातत्व अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

इतिहासकार देते हैं।

'इतिहासकारों ने इन मूर्तियों को मातृदेवी की मूर्ति माना है।'<sup>3</sup> इनके मानने का मूल कारण मूर्तियों का अलंकृत होना है। इसी कारण इतिहासकारों ने इन मूर्तियों को मातृदेवी की मूर्ति माना है। इन मातृदेवी की पूजा-पद्धति का प्रारम्भ हड्पा काल से प्राप्त होती है। कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ मातृदेवी की एक भी मूर्तियाँ नहीं मिलती हैं। इनमें से कुछ को मूर्तियों के माध्यम से इंगित किया गया है कि गर्भिणी, आटा गुड़ते हुए, कुछ बच्चे को लिये हुए। कुछ श्रियों की मूर्तियों के चित्रांकन से पता चलता है कि स्तनपान करा रही है। ऐसे अनेकों उदाहरण मूर्तियों में प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से शुंग युग में भरहुत और साँची के स्तूपों की वेदिकाएँ बनीं हुई प्रदर्शित होती हैं। इनके तोरण ढार बने हैं और उन पर कलात्मक सौन्दर्य बिखर गया। जनभावना में यक्ष-नाग इत्यादि जो लोकदेवता के रूप में आसीन माना जाता है। उसी प्रकार मिट्ठी के भी मूल स्वरूप जैसा ही चित्रांकन किया गया है। इसका आकार उस मूल देवता की आकृतियों के अनुरूप बनाया गया है। मध्यप्रदेश के विदिशा के समीप उदयगिरी नामक पहाड़ी पर कनिंघम की कई मौर्य-शुंगयुगीन अवशेष प्राप्त होते हैं। जिनका संरक्षण बालियर संग्रहालय में सुरक्षित किया गया है।

'पीला चित्रित मृद्भाण्ड न तो रगड़ कर चमकाया गया है और न काँच की तरह चमकाया गया है। बर्तनों पर पकाने के बाद चित्रण किया या था। चित्रण गेरु, जिस में भूरे एवं बैगनी रंग का मिश्रण है।'

कुषाणों एवं गुप्तों का प्रमाण अभिलेख के रूप में दो ही स्थानों पर मिलता है। पहला तो साँची व दूसरा जबलपुर भेड़ाघाट से मिलते हैं। लेकिन मृण्मूर्तियाँ की संख्या बहुत कम मिलती हैं। इसका मूल कारण है कि मिट्ठी की मूर्तियाँ बारिस के दिनों में खत्म हो जाती हैं (पिघल जाती है)। इन मूर्तियों का मूल केन्द्र मथुरा में मिलता है। गुप्तों में मृण्मूर्ति कला को संरक्षण प्रदान किया। मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों में उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से उदयगिरी पहाड़ी पर अनेक मृण्मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। उदयगिरी, विदिशा, साँची, भरहुत, देउर कोठार आदि में मिट्ठी के मूर्तियाँ, ईटों में चित्रांकन और बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही बाघ, होशंगाबाद, जबलपुर, उजैन, बालियर आदि भी इसके केन्द्र रहे हैं। किन्तु इनका सृजन उस प्रकार से नहीं हो सका। जहाँ पर मूलता स्वरूपों में पाये जाते हैं।

एक मूर्तिकार के मानसिक चेतना किसी भी मूर्ति को बनाने के लिए कल्पित होती है। उसी प्रकार उस स्वभाव की मूर्तियों का निर्माण करता है। जिसकी आकृति उसके दिमाग में बनी हुई है। इस प्रकार के मूर्तिकला का निर्माण करने में निपुण थे। वह मूर्ति चाहे देवता की हो या पशुओं, जीव-जन्तुओं आदि के आधार पर बनाते हैं। मानव, पशु, देवता या खिलौने की मूर्तियों का निर्माण करते ही। उस शिल्पकार के मन में अनेकों मूर्तियों का

भण्डारण होता है। उसको जिस रूप में चाहता है उसे डाल देता है। जिस प्रकार से धार्मिक आस्था से जुड़ी दसहरा के अवसर पर दुर्गा की मूर्ति एक मूर्तिकार सौन्दर्य परक आकर्षण की मृण्मूर्तियों को निर्मित करता है। वहीं मूर्ति की विशिष्ट जन और धार्मिक प्रयोजन के कारण आभूषणों से सजित करके आर्थिक लाभ भी कमाते हैं।<sup>5</sup>

आज भी यह धार्मिक परम्पराओं और मान्यताओं के रूप में दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। अनेक आभूषणों से सजी-धजी अनेक रंगों से चित्रित अनेक सौन्दर्य परक आकृतियाँ भी मानव निर्मित बनाई गई हैं। इसके साथ-साथ प्राचीनतम परम्पराओं को इन मूर्तियों के कलात्मक पक्ष से इतिहास को याद दिलाता है। इन मूर्तियों के ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं।<sup>6</sup> जिनका निर्माण स्थाई और आस्थाई तौर भी निर्मित की गई है। इसके निर्माण में बालू, गोबर, पिरस्ट, चावल के चूर्ण, खड़ी, पीली मिट्ठी, घोड़े की लीढ़ आदि से बनायी जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में इसका परिवृश्य ही बदल गया है। जिसका मूल स्वरूप ग्रामीण झीलाओं में ही आज भी स्थापित और निर्मित दिखाई देती है।

**निष्कर्ष** – इतिहास मृण्मूर्ति कला के प्राचीन परम्पराओं के रूप में धार्मिक स्वरूप को याद दिलाता है। इन्हीं कारणों से जितने भी राजाओं ने इस राष्ट्र का संचालन किया। उन्होंने उतने ही प्रकार के परिवर्तन की दिशा दिया। कुछ तो इन धार्मिक रूढ़ियों और परम्पराओं को नष्ट करने का प्रयास किया और कुछ ने इन धार्मिक परम्पराओं को पल्लवित करने का प्रयास किया है। ऐसा उदाहरण ऐतिहासिक काल से प्राप्त होते हैं। मृण्मूर्तिकला का राजकीय संरक्षण के द्वारा निर्मित कला का निर्माण शिल्पकारों ने किया है। उसका प्रमाण स्थानीय शैलियों के विकासित मृण्मूर्ति कला में दिखाई पड़ता है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. अंशुमान द्विवेदी, **हड्पा सश्यता एवं संस्कृति**, ज्ञान भारती पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इलाहाबाद, 2001, पृष्ठ 47
2. बी.एन. लुणिया, **गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास**, कमल प्रकाशन, इन्दौर, 1974, पृष्ठ 429
3. अंशुमान द्विवेदी, **हड्पा सश्यता एवं संस्कृति**, ज्ञान भारती पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इलाहाबाद, 2001, पृष्ठ 46
4. अभिनय सत्यदेव, **आरतीय पुरातत्व के मूल तत्व**, भवदीय प्रकाशन, शृंगारहाट, अयोध्या, फैजाबाद, उ.प्र. 2002, पृष्ठ 70
5. डॉ. राय गोविन्दचन्द, **प्राचीन आरतीय मिट्ठी के बर्तन**, पुरातत्व, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1960, पृष्ठ 80
6. डॉ. श्रीभगवान सिंह, **गुप्तकालीन हिन्दू देव-प्रतिमाएँ**, प्रथम खण्ड, रामानन्द विद्या भवन, दिल्ली, 1982, पृष्ठ 65

\*\*\*\*\*

## म.प्र. सरकार की लोक आय का अध्ययन व विश्लेषण

**डॉ. चन्द्रप्रकाश पंवार \***

**प्रस्तावना** – लोक आय लोक वित्त अथवा राजस्व (Public Finance) का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान समय में लोक व्ययों में ही रही वृद्धि को देखते हुए लोक आय के परिमाण एवं महत्व में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सफलता तथा लोकप्रियता लोक आय पर ही निर्भर होती है। सरकारों की कुशल राजकीयता नीति सार्वजनिक व्ययों के विरुद्ध सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक ऋणों में संतुलन करके वित्तीय घटाऊं पर नियंत्रण रखती है तथा अर्थव्यवस्था को नति प्रदान करती है।

लोक आय अथवा सार्वजनिक आय (Public Revenue) से आशय किसी वित्तीय वर्ष में सरकार को विभिन्न ऋणों से प्राप्त होने वाली कुल प्राप्तियों से है जो राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Receipt) एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (Capital Receipts) में विभाजित की जाती हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में म.प्र. सरकार की लोक आय की विभिन्न मढ़ों का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण किया गया है।

**अध्ययन के उद्देश्य** – प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित तीन उद्देश्य रहे।

1. म.प्र. सरकार की लोक आय के विभिन्न ऋणों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. लोक आय की प्रवृत्ति का अध्ययन करना।
3. राजस्व प्राप्तियों व पूँजी प्राप्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

**अध्ययन अवधि** – शोध पत्र की अध्ययन अवधि वर्ष 2006–07 से 2015–16 तक 10 वर्ष की रही।

**प्रयुक्त चल** – राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजी प्राप्तियाँ, कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, लोक ऋण, लोक लेखों से प्राप्तियाँ।

**समंक संग्रहण** – प्रस्तुत शोध अध्ययन में म.प्र. शासन के संबंधित वर्षों के बजट प्रतिवेदन में उपलब्ध द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है।

**म.प्र. सरकार की लोक आय का अध्ययन व विश्लेषण** – लोक आय के अंतर्गत सरकार की कुल बजट प्राप्तियाँ अर्थात् राजस्व प्राप्तियाँ एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित होती हैं। म.प्र. सरकार की वर्ष 2006–07 से वर्ष 2015–16 तक की राजस्व प्राप्तियों एवं पूँजी प्राप्तियों को विश्लेषण तालिका 1, 2, 3 के द्वारा तथा ग्राफ 1 से 6 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तालिका 1 म.प्र. सरकार की बजट प्राप्तियों यथा राजस्व प्राप्तियों एवं पूँजीगत प्राप्तियों की तुलनात्मक रिथ्टि को प्रदर्शित करती है। तालिका 2 में बजट प्राप्तियों को प्रवृत्ति प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तालिका 3 में बजट प्राप्तियों की मढ़ों को प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उक्त तालिकाओं में सम्मिलित राजस्व प्राप्तियों तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विवेचन

इस प्रकार किया गया है।

**A. राजस्व प्राप्तियाँ** – राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत वे आय सम्मिलित होती हैं जिनका संबंध चालू वर्ष से होता है तथा इनके बढ़ले में सरकार को कोई भुगतान नहीं करना होता है। तालिका 1 के अनुसार राजस्व प्राप्तियों के तीन ऋण हैं यथा –कर राजस्व (राज्य कर व केंद्रीय करों में हिस्सा), कर भिन्न राजस्व, केंद्र से सहायता अनुदान।

**कर राजस्व** : कर राजस्व के रूप में प्रदेश सरकार को राज्य द्वारा लगाये गये करों से तथा केंद्रीय सरकार द्वारा करों में प्राप्त हिस्से से आय होती है। वर्ष 2006–07 में कर राजस्व के रूप में राज्य की आय रुपये 18561.67 करोड़ रुपये थी जिसमें अध्ययन अवधि में निरंतर वृद्धि होकर यह वर्ष 2015–16 में रुपये 80615.78 करोड़ रुपये रही। इसमें अध्ययन अवधि के द्वौरान 4.34 गुना वृद्धि प्रदर्शित हुई जो कि तालिका 5.2 द्वारा प्रदर्शित है। तालिका 5.3 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2006–07 में 72.24 प्रतिशत था जो अध्ययन अवधि के अंतिम वर्ष में अल्प उच्चावन के साथ 72.54 प्रतिशत रहा अर्थात् कर राजस्व एवं राजस्व प्राप्तियों में समानानुपात में वृद्धि हुई।

**राज्य कर** :- वर्ष 2006–07 में कर राजस्व के रूप में राज्य कर से 10472.2 करोड़ रुपये तथा केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 8089.47 करोड़ रुपये की प्राप्तियाँ थीं जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर 40910 करोड़ रुपये तथा 39705.78 करोड़ रुपये रही जिसमें अध्ययन अवधि के द्वौरान क्रमशः 391 प्रतिशत तथा 491 प्रतिशत की वृद्धि प्रवृत्ति प्रतिशत की तालिका 5.2 से प्रदर्शित होती है। वर्ष 2006–07 में राज्य कर एवं केंद्रीय करों का अनुपात कर राजस्व (72.27 प्रतिशत) का क्रमशः 40.76 प्रतिशत तथा 31.48 प्रतिशत था जो वर्ष 2015–16 में समान अनुपात की ओर प्रवृत्त होकर क्रमशः 36.81 प्रतिशत तथा 35.73 प्रतिशत रहा जैसा कि तालिका 3 द्वारा प्रदर्शित होता है। यह प्रवृत्ति ग्राफ 1 द्वारा भी प्रदर्शित की गई है जिसमें राज्य कर की रेखा केन्द्रीय करों के हिस्सों की तरफ प्रवृत्त होकर अध्ययन के अंतिम वर्ष में साम्य स्थापित कर रही है।

**ग्राफ 1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

**तालिका 1 व 2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

**कर भिन्न राजस्व** – तालिका 1 के अनुसार वर्ष 2006–07 में रुपये 2658.46 करोड़ की प्राप्तियाँ थीं जो वर्ष 2015–16 में 9707.31 करोड़ रुपये हो गई। प्रवृत्ति प्रतिशत की तालिका 2 के अनुसार इसमें 365 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जो आय के अन्य ऋणों की तुलना में सर्वाधिक न्यून रही। वर्ष 2006–07 में कर भिन्न राजस्व कुल राजस्व का 10.35 प्रतिशत था जो वर्ष 2015–16 में कम होकर 8.74 प्रतिशत रह गया अर्थात् कर राजस्व

\* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

की तुलना में कर भिन्न राजस्व की वृद्धि द्वारा कम रही, जैसा कि तालिका 3 द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है।

**केंद्र से सहायता अनुदान** – राज्यों को केन्द्रीय कर के हिस्से के अतिरिक्त विभिन्न केंद्र व राज्य की योजनाओं के लिये केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है। तालिका 1 के अनुसार वर्ष 2006-07 में रुपये 4474.15 करोड़ रुपये का केन्द्रीय सहायता अनुदान प्राप्त हुआ था जो वर्ष 2015-16 में 20807.57 करोड़ रुपये हो गया। इस मढ़ में वर्ष 2006-07 के आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 की तुलना में 465 प्रतिशत वृद्धि प्रवृत्ति प्रतिशत की तालिका 2 द्वारा प्रदर्शित की गई है। तालिका 3 के अनुसार वर्ष 2006-07 में यह अनुदान अध्ययन के वर्षों में कुल राजस्व प्राप्तियों का औसत 17.41 प्रतिशत रहा। जबकि न्यूनतम वर्ष 2014-15 में 15.55 तथा अधिकतम 19.85 प्रतिशत वर्ष 2014-15 में रहा।

**कुल राजस्व प्राप्तियाँ** – अध्ययन काल में उक्त ऋतों से कुल राजस्व प्राप्तियाँ 25694.28 करोड़ रुपये से बढ़कर 111130.7 करोड़ रुपये हो गई। तालिका 2 के अनुसार इनमें निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई जो वर्ष 2015-16 तक 433 प्रतिशत तक रही। तुलनात्मक रूप से यह वृद्धि सर्वाधिक केन्द्रीय करों से प्राप्त हिस्से व केन्द्रीय सहायता व अनुदान की रही जो क्रमशः 491 तथा 465 प्रतिशत थी। तीसरे व चौथे स्थान पर राज्य करों व कर भिन्न राजस्व से रही जो 391 प्रतिशत तथा 365 प्रतिशत थी। इस प्रकार राजस्व ऋतों की तुलना में केन्द्रीय ऋतों की वृद्धि द्वारा अधिक रही। राजस्व प्राप्तियों के चारों ऋतों की तुलनात्मक स्थिति को ग्राफ 2 द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है जिसमें वर्ष 2015-16 में राज्य के कर ऋतों में वृद्धि केन्द्रीय कर ऋतों के बराबर प्रदर्शित हो रही है किंतु राज्य के बैर कर राजस्व में यह वृद्धि अनुपातिक रूप से कम प्रदर्शित हुई है। आय के चारों ऋतों की औसत वृद्धि की स्थिति को ग्राफ 3 द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है।

#### ग्राफ 2 व 3 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

**B. पूँजीगत प्राप्तियाँ :** – पूँजीगत प्राप्तियाँ वे दीर्घकालीन प्राप्तियाँ होती हैं जिनका भुगतान आगामी वर्षों में करना होता है। तालिका 1 के अनुसार पूँजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ तथा ऋण व अग्रिम की वसूली, शुद्ध लोक-ऋण, लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

**विविध प्राप्तियाँ/ऋण एवं अग्रिम की वसूली** – तालिका 1 के अनुसार इस मढ़ में अध्ययन के वर्षों में उच्चावचन की स्थिति रही। अध्ययन के दो वर्षों यथा 2011-12 एवं 2014-15 को छोड़कर शेष वर्षों में कुल पूँजी प्राप्तियों के 1 से 8 प्रतिशत तक रही। जैसा कि तालिका 3 द्वारा भी प्रदर्शित होता हैं वर्ष 2011-12 व वर्ष 2014-15 में इस मढ़ में क्रमशः 9147.86 करोड़ रुपये व 6793.7 करोड़ रुपये की प्राप्तियाँ रही जो कि म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण के समायोजन क्रमशः 9085 करोड़ रुपये व 6693.68 करोड़ रुपये के कारण रही।

**शुद्ध लोक-ऋण** – कुल प्राप्त लोक-ऋणों में से भुगतान किये गये लोक-ऋणों को घटाने पर शुद्ध लोक-ऋण प्राप्त होता है। वर्ष 2006-07 में लोक-ऋणों की कुल प्राप्तियाँ 4602.97 करोड़ रुपये थीं जो वर्ष 2015-16 में 23005.71 करोड़ रुपये हो गई। लोक-ऋणों में यह वृद्धि वर्ष 2010-11 में 2011-12 को छोड़कर निरन्तर परिलक्षित हुई जो तालिका 2 के अनुसार 500 प्रतिशत तक रही। इसी प्रकार लोक-ऋणों के भुगतान में भी निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति रही जो वर्ष 2015-16 तक 311 प्रतिशत तक रही। भुगतान की यह प्रवृत्ति प्राप्तियों की तुलना में कम रही। लोक-ऋणों की प्राप्तियों एवं भुगतान की स्थिति को ग्राफ 4 द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है। शुद्ध लोक-

ऋण वर्ष 2006-07 में 2871.44 करोड़ रुपये थी जिसमें वर्ष 2015-16 तक 614 प्रतिशत वृद्धि (तालिका 2) होकर यह 17622.54 करोड़ रुपये हो गये। तालिका 2 के अनुसार लोक-ऋणों की प्रवृत्ति अध्ययन के प्रथम छ: वर्षों तक उच्चावचन की रही तथा अंतिम के चार वर्षों में निरंतर वृद्धि की रही। तालिका 3 पूँजीगत प्राप्तियों से लोक-ऋणों का प्रतिशत प्रदर्शित करती है। पूँजीगत प्राप्तियों में लोक-ऋणों का औसत 89 प्रतिशत रहा। सर्वाधिक कम 19.66 प्रतिशत (3600.46 करोड़ रुपये) वर्ष 2011-12 में रहा जो कि वास्तव में विविध पूँजीगत प्राप्तियों एवं ऋण एवं अग्रिम की वसूली मढ़ में उंचा प्रतिशत होने के कारण रहा। तालिका 3 के अनुसार वर्ष 2006-07 व 2009-10 में लोक-ऋण कुल पूँजी प्राप्तियों के क्रमशः 119.21 प्रतिशत व 123.09 प्रतिशत रहे अर्थात् लोक-ऋणों की मात्रा कुल पूँजी प्राप्तियों से अधिक रही अथवा इन वर्षों में लोक ऋण मढ़ से लोक लेखा दायित्वों का भुगतान होना रहा। तालिका 1 व 2 वर्ष 2006-07 व वर्ष 2009-10 व वर्ष 2010-11 में लोक लेखों से दायित्व की राशियाँ ऋणात्मक होना प्रदर्शित कर रही हैं।

#### ग्राफ 4 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

#### तालिका 3 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

**लोक लेखों से प्राप्तियाँ :** इस मढ़ के अंतर्गत राज्य भविष्य निधि, लघु बचत और आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ सम्मिलित होती हैं। तालिका 1 के अनुसार अध्ययन के वर्षों में लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियों की कोई निष्प्रित प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं हुई। वर्ष 2006-07, 2009-10, तथा वर्ष 2010-11 में लोक लेखा प्राप्तियाँ ऋणात्मक थीं अर्थात् सरकार ने इस मढ़ से प्राप्तियों से अधिक राशि भुगतान की जिसका ऋत लोक-ऋणों से प्राप्तियाँ रहा। वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 में लोक लेखा से प्राप्तियाँ कुल पूँजी प्राप्तियाँ का लगभग एक तिहाई से अधिक रही। औसत रूप में लोक लेखा प्राप्तियाँ कुल पूँजी प्राप्तियों के 9.73 प्रतिशत रही।

कुल मिलाकर पूँजी प्राप्तियाँ जो वर्ष 2006-07 में 2408.66 करोड़ रुपये थीं, बढ़कर वर्ष 2015-16 में 21282.74 करोड़ रुपये हो गई। तालिका 2 के अनुसार यह वृद्धि 8.4 गुना रही। पूँजीगत प्राप्तियों के तीन ऋतों में सर्वाधिक हिस्सा 89 प्रतिशत (औसत) लोक-ऋणों का रहा जबकि लोक लेखा प्राप्तियाँ 9.73 प्रतिशत औसत रही। शेष प्राप्तियाँ विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम की वसूली के अंतर्गत रही। पूँजीगत प्राप्तियों की ऋतवार तुलनात्मक स्थिति ग्राफ 5 द्वारा भी प्रदर्शित की गई है। जिसमें वर्ष 2011-12 तथा 2014-15 में विविध पूँजीगत प्राप्तियों में असामान्य वृद्धि विद्युत वितरण कम्पनियों के ऋणों के समायोजन के कारण रही जबकि लोक लेखों की प्राप्तियाँ वर्ष 2006-07, 2009-10 तथा 2010-11 में ऋणात्मक रही तथा लोक ऋणों में सर्वाधिक वृद्धि अंतिम दो वर्षों में प्रदर्शित हुई।

#### ग्राफ 5 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

**C. कुल प्राप्तियाँ** – तालिका 1 के अनुसार वर्ष 2006-07 में कुल प्राप्तियाँ 28102.94 करोड़ रुपये थीं जो वर्ष 2015-16 में 132413.4 करोड़ रुपये हो गई। तालिका 2 के अनुसार इन प्राप्तियों में निरंतर वृद्धि परिलक्षित हुई जो 471 प्रतिशत तक रही। तालिका 3 कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों तथा पूँजीगत प्राप्तियों के अनुपात को प्रदर्शित करती है जिसके अनुसार राजस्व प्राप्तियाँ व पूँजीगत प्राप्तियाँ क्रमशः 91.43 तथा 8.57 प्रतिशत थीं जो वर्ष 2015-16 में 83.93 प्रतिशत तथा 16.7 प्रतिशत हो गई अर्थात् कुल प्राप्तियों में शनैः पूँजीगत प्राप्तियों के अनुपात में वृद्धि दर्ज हुई। इस प्रवृत्ति को ग्राफ 6 द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है।

## ग्राफ 6 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

**निष्कर्ष – शोध अध्ययन के निम्नलिखित निष्कर्ष रहे :**

1. राजस्व प्राप्तियों के चार लोत हैं यथा राज्य कर, केन्द्रीय करों में हिस्सा, कर भिन्न राजस्व तथा केन्द्रीय सहायता अनुदान। राजस्व के उक्त चारों लोतों में सर्वाधिक वृद्धि की प्रवृत्ति 49.1 प्रतिशत केन्द्रीय करों से रही जबकि दूसरे क्रम पर केन्द्रीय सहायता अनुदान रहे जिनमें अध्ययन अवधि में 46.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तीसरे तथा चौथे क्रम पर राज्य कर व कर भिन्न राजस्व रहे जिनमें क्रमशः 39.1 प्रतिशत तथा 36.5 प्रतिशत की वृद्धि रही। इस प्रकार वृद्धि की यह प्रवृत्ति राज्य के राजस्व लोतों के तुलना में केन्द्रीय लोतों में अधिक रही।
2. लोतवार कुल राजस्व प्राप्तियों से तुलना करने पर पाया कि वर्ष 2015-16 में सर्वाधिक योगदान कर राजस्व का था जिसमें राज्य करों से 36.81 प्रतिशत तथा केन्द्रीय करों से 35.73 प्रतिशत राजस्व प्राप्त हुआ था। तीसरे व चौथे क्रम पर क्रमशः केन्द्रीय सहायता अनुदान तथा कर भिन्न राजस्व रहे जिनसे 18.72 तथा 8.74 प्रतिशत राजस्व प्राप्त हुआ। कर राजस्व के दोनों लोतों की तुलना करने पर पाया कि अध्ययन अवधि में सर्वाधिक योगदान राज्य करों का रहा किंतु अध्ययन के अंतिम वर्ष में केन्द्रीय करों से प्राप्तियों में वृद्धि होकर वह राज्य करों के समकक्ष रही।
3. राजस्व प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियों से औसतन 87.43 प्रतिशत थी। प्रथम वर्ष में राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 91.43 था जो अध्ययन के अंतिम वर्ष में कम होकर 83.93 प्रतिशत रहा। यह स्थिति प्रदर्शित करती है कि सरकार की पूँजी प्राप्तियों अर्थात् ऋणों पर निर्भरता में वृद्धि हुई।
4. पूँजीगत प्राप्तियों में शुद्ध लोक-ऋणों की मात्रा 89 प्रतिशत जबकि लोक-लेखा दायित्व 9.73 प्रतिशत थे शेष राशि विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं अग्रिम से वसूली की रही।
5. लोक ऋणों की प्राप्तियों एवं भुगतान की प्रवृत्ति की तुलना करने पर पाया कि प्राप्तियों में अध्ययनकाल में पांच गुना वृद्धि की प्रवृत्ति रही जबकि भुगतान की प्रवृत्ति कम होकर लगभग तीन गुना थी।

### सुझाव :

1. अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिये वित्तीय समेकन आवश्यकता है। विकास के नाम पर एफ आर बी.एम. के अधिनियम के प्रावधानों का युक्ति युक्तकरण किये जाने की आवश्यकता है इस संबंध में यह सुझाव है कि राजकोषीय घाटे को एक निश्चित लक्ष्य अथवा सीमा तय न करके एक श्रेणी अथवा दायरा तय किया जाना चाहिए। जिसके भीतर ऋण संसाधन जुटाये जाये अथवा संभव न होने पर खर्चों में कटौति की जाए। क्योंकि तेजी से बदलते परिवेश में सरकार के पास नीतिगत फैसले लेने के लिये पर्याप्त आर्थिक गुंजाइश होनी चाहिये।
2. राजकोषीय घाटे के निर्धारित लक्ष्यों से विचलन कम करने के लिए एक राजकोषीय समानीकरण कोष (Fiscal Equalisation Fund) के निर्माण का सुझाव दिया जाता है जिसमें सरकार राजस्व आय का एक निश्चित प्रतिशत इस कोष में जमा कर तथा कोष की राशि को पुनः तरल प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाये ताकि संकट के समय इस राशि का प्रयोग किया जा सके।
3. सरकार को विकासात्मक कार्यों के वित्तीयन के लिये पृथक से पूँजी - बजट निर्मित करना चाहिये जिसमें प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय संसाधनों का आबंटन सुनिश्चित हो साथ ही ऋण साधनों से वित्त पोषण का अनुपात भी पूर्व निर्धारित हो।

4. अनिष्टित वैशिवक महाल में विकास की गति बनाये रखने हेतु साख बनाये रखना और ऋण पर नियन्त्रण रखना आवश्यक है अतः सरकार को अपने बजट संसाधनों की कार्य कुषलता में सुधार करके तथा गैर कर राजस्व के नये लोतों की खोज करके अपनी राजकोषीय गुंजाइश को बढ़ाना चाहिए।
5. अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए आयोजना व्ययों के वित्तीयन में सार्वजनिक - निजी भागीदारी (Public-Private Partnership) संबंधी दिशा-निर्देशों पर विचार करना चाहिए।
6. म.प्र. सरकार को अपनी आय का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा केन्द्र सरकार से प्राप्त हो रहा है जो कि राज्यों के पूँजीगत व्ययों के वित्त पोषण में योगदान देता है अतः राज्यों को अपने राजस्व व्ययों का विश्लेषण करना आवश्यक है। बजट व्ययों को राजस्व से पूँजीगत व्ययों में बदल कर व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने पर विचार किया जाना चाहिए जैसा की चौदहवें वित्त आयोग ने भी इस संबंध में सिफारिश की है।
7. राज्य की प्राथमिकताओं में उर्जा क्षेत्र शामिल है अतः विद्युत वितरण कम्पनियों को घाटे से निकाल कर वित्त रूप से आत्म निर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य होना चाहिए इस संबंध में यह सुझाव है कि
  - i. घाटे में चल रही सार्वजनिक इकाइयों का विनिवेशीकरण नहीं करके निजीकरण कर देना चाहिए क्योंकि कुछ मामलों में विकास को लेकर खुली आर्थिक नीति अपनाना नुकसानदायक नहीं है।
  - ii. चूंकि उर्जा क्षेत्र राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल है। अतः केंद्र सरकार से इस संबंध में आर्थिक सहायता प्राप्त की जाना चाहिये।
  - iii. सरकार को इन कम्पनियों की बेकार पड़ी सम्पत्तियों का विक्रय करके भी संसाधन जुटाये जाने चाहिये।
8. नियोजित विकास के लिये पर्याप्त संसाधन बजटीय लोतों से उपलब्ध होना संभव नहीं है। अतः औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास के लिये निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया जाना चाहिये।
9. केंद्रीय सरकार की वित्तीय शक्ति एवं साख क्षमता अधिक होने से वह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आवश्यकतानुसार कम लागत पर ऋण जुटा सकती है किंतु राज्य सरकारें अपनी सीमित वित्तीय क्षमताओं तथा साख सीमाओं के कारण पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं प्राप्त कर सकती है। राज्य सरकारों को विदेशों से ऋण लेने की अनुमति संविधान में भी नहीं है। एक ही देश में विभिन्न स्तरों पर ब्याज दरों में असमानता का सामना भी राज्य सरकारों को करना पड़ता है। अतः इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करने तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों की उधार प्रक्रिया में समन्वय स्थापित करने हेतु एक स्वतंत्र ऋण प्रबंधन एजेंसी की स्थापना की जाना चाहिये।
10. राज्यों को अपनी साख क्षमता का उपयोग करते हुए अल्पकालीन ऋणों के स्थान पर दीर्घकालीन सरते ऋण लेने चाहिए।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. म.प्र. सरकार के बजट प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 से 2015-16
2. आर्थिक समीक्षा वर्ष 2006-07 से 2015-16
3. तेरहवे वित्त आयोग की रिपोर्ट, वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली
4. चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट, वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली
5. वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (2013) की रिपोर्ट, वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली
6. वार्षिक, जे.सी., राजस्व, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2005

तालिका 1 – म.प्र. सरकार की बजट प्राप्तियों की तुलनात्मक स्थिति (करोड़ में)

| प्राप्तियाँ   | 2006-07  | 2007-08  | 2008-09  | 2009-10  | 2010-11  | 2011-12  | 2012-13  | 2013-14  | 2014-15  | 2015-16<br>सं.पू. |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| A. राजस्व प्राप्तियाँ                                   | 25694.28 | 30688.73 | 33577.21 | 41394.7  | 51854.19 | 62604.08 | 70427.28 | 75749.24 | 88640.79 | 111130.7          |
| 1. कर राजस्व (1.1+1.2)                                  | 18561.67 | 22221.14 | 24380.64 | 28349.79 | 37057.86 | 45192.58 | 51386.86 | 56267.43 | 60674.11 | 80615.78          |
| 1.1 राज्य कर  | 10472.2  | 12017.63 | 13613.5  | 17272.8  | 21419.34 | 26973.44 | 30581.7  | 33552.15 | 36567.31 | 40910             |
| 1.2 केंद्रीय करों में हिस्सा                            | 8089.47  | 10203.51 | 10767.14 | 11076.99 | 15638.51 | 18219.14 | 20805.16 | 22715.28 | 24106.8  | 39705.78          |
| 2. कर भिन्न राजस्व                                      | 2658.46  | 2738.18  | 3342.86  | 6382.04  | 5719.77  | 7482.73  | 7000.22  | 7704.99  | 10375.24 | 9707.31           |
| 3. केंद्र से सहायता अनुदान                              | 4474.15  | 5729.41  | 5853.71  | 6662.87  | 9076.56  | 9928.77  | 12040.2  | 11776.82 | 17591.44 | 20807.57          |
| A. राजस्व प्राप्तियाँ                                   | 25694.28 | 30688.73 | 33577.21 | 41394.7  | 51854.19 | 62604.08 | 70427.28 | 75749.24 | 88640.79 | 111130.7          |
| B. पूंजीगत प्राप्तियाँ                                  | 2408.66  | 1932.64  | 4974.89  | 5043.88  | 5009.65  | 18309.52 | 8535.44  | 10448.81 | 18172.39 | 21282.74          |
| 1. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ/<br>ऋण एवं अग्रिम की वसूली | 38.42    | 118.1    | 78.41    | 47.82    | 401.84   | 9147.86  | 73.12    | 131.63   | 6793.7   | 349.9             |
| 2. शुद्ध लोक-ऋण (2.1-2.2)                               | 2871.44  | 1693.95  | 4591.96  | 6208.46  | 4928.71  | 3600.46  | 5207.22  | 5536.18  | 10148.19 | 17622.54          |
| 2.1 प्राप्तियाँ   | 4602.97  | 3370.95  | 6552.97  | 8602.51  | 7457.94  | 6750.25  | 8791.16  | 9540.82  | 15068.71 | 23005.71          |
| 2.2 भुगतान  | 1731.53  | 1677     | 1961.01  | 2394.05  | 2529.23  | 3149.79  | 3583.94  | 4004.64  | 4920.52  | 5383.17           |
| 3.लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियाँ                        | -501.2   | 120.59   | 304.52   | -1212.4  | -320.9   | 5561.2   | 3255.1   | 4781     | 1230.5   | 3310.3            |
| C. कुल प्राप्तियाँ (A+B)                                | 28102.94 | 32621.37 | 38552.1  | 46438.58 | 56863.84 | 80913.6  | 78962.72 | 86198.05 | 106813.2 | 132413.4          |

स्रोत: मध्यप्रदेश सरकार के बजट प्रतिवेदन सत्र 2006–07 से 2015–16

**तालिका 2 - म.प्र. सरकार की बजट प्राप्तियों का प्रबृत्ति प्रतिशत**


| प्राप्तियाँ  | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A. राजस्व प्राप्तियाँ                                | 100     | 119     | 131     | 161     | 202     | 244     | 274     | 295     | 345     | 433     |
| 1. कर राजस्व (1.1+1.2)                               | 100     | 120     | 131     | 153     | 200     | 243     | 277     | 303     | 327     | 434     |
| 1.1 राज्य कर   | 100     | 115     | 130     | 165     | 205     | 258     | 292     | 320     | 349     | 391     |
| 1.2 केंद्रीय करों में हिस्सा                         | 100     | 126     | 133     | 137     | 193     | 225     | 257     | 281     | 298     | 491     |
| 2. कर मिन्न राजस्व                                   | 100     | 103     | 126     | 240     | 215     | 281     | 263     | 290     | 390     | 365     |
| 3. केंद्र से सहायता अनुदान                           | 100     | 128     | 131     | 149     | 203     | 222     | 269     | 263     | 393     | 465     |
| B. पूँजीगत प्राप्तियाँ                               | 100     | 80      | 207     | 209     | 208     | 760     | 354     | 434     | 754     | 884     |
| 1. विधेय पूँजीगत प्राप्तियाँ/ ऋण एवं अधिम की वस्तुओं | 100     | 307     | 204     | 124     | 1046    | 23810   | 190     | 343     | 17683   | 911     |
| 2. शुद्ध लोक-ऋण (2.1-2.2)                            | 100     | 59      | 160     | 216     | 172     | 125     | 181     | 193     | 353     | 614     |
| 2.1 प्राप्तियाँ                                      | 100     | 73      | 142     | 187     | 162     | 147     | 191     | 207     | 327     | 500     |
| 2.2 भुगतान   | 100     | 97      | 113     | 138     | 146     | 182     | 207     | 231     | 284     | 311     |
| 3. लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियाँ (वास्तविक आंकड़े)  | -501.2  | 120.59  | 304.52  | -1212.4 | -320.9  | 5561.2  | 3255.1  | 4781    | 1230.5  | 3310.3  |
| C. कुल प्राप्तियाँ (A+B)                             | 100     | 116     | 137     | 165     | 202     | 288     | 281     | 307     | 380     | 471     |

स्रोत: मध्यप्रदेश सरकार के बजट प्रतिवेदन सत्र 2006-07 से 2015-16


**तालिका ३ – म.प्र. सरकार की बजट प्राप्तियाँ (प्रतिशत के रूप में)**

| प्रयग्र / वर्ष                                       | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | औसत    |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| <b>A. राजस्व प्राप्तियाँ</b>                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
| 1. कर राजस्व (2.1+2.2)                               | 72.24   | 72.41   | 72.61   | 68.49   | 71.47   | 72.19   | 72.96   | 74.28   | 68.45   | 72.54   | 71.76  |
| 1.1 राज्य कर   | 40.76   | 39.16   | 40.54   | 41.73   | 41.31   | 43.09   | 43.42   | 44.29   | 41.25   | 36.81   | 41.24  |
| 1.2 केंद्रीय करों में हिस्सा                         | 31.48   | 33.25   | 32.07   | 26.76   | 30.16   | 29.10   | 29.54   | 29.99   | 27.20   | 35.73   | 30.53  |
| 2. कर खिच राजस्व                                     | 10.35   | 8.92    | 9.96    | 15.42   | 11.03   | 11.95   | 9.94    | 10.17   | 11.70   | 8.74    | 10.82  |
| 3. केंद्र से सहायता अनुदान                           | 17.41   | 18.67   | 17.43   | 16.10   | 17.50   | 15.86   | 17.10   | 15.55   | 19.85   | 18.72   | 17.42  |
| राजस्व प्राप्तियाँ योग                               | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00 |
| <b>B. पूँजीगत प्राप्तियाँ</b>                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
| 1. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ/ क्रण एवं अधिन की वसूली | 1.60    | 6.11    | 1.58    | 0.95    | 8.02    | 49.96   | 0.86    | 1.26    | 37.38   | 1.64    | 10.94  |
| 2. युद्ध लोक-ऋण (2.1-2.2)                            | 119.21  | 87.65   | 92.30   | 123.09  | 98.38   | 19.66   | 61.01   | 52.98   | 55.84   | 82.80   | 79.29  |
| 3. लोक लेखों से युद्ध प्राप्तियाँ                    | -20.81  | 6.24    | 6.12    | -24.04  | -6.41   | 30.37   | 38.14   | 45.76   | 6.77    | 15.55   | 9.77   |
| पूँजीगत प्राप्तियाँ योग                              | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00 |
| कुल राजस्व प्राप्तियाँ                               | 91.43   | 94.08   | 87.10   | 89.14   | 91.19   | 77.37   | 89.19   | 87.898  | 82.99   | 83.93   | 87.43  |
| कुल पूँजीगत प्राप्तियाँ                              | 8.57    | 5.92    | 12.90   | 10.86   | 8.81    | 22.63   | 10.81   | 12.12   | 17.01   | 16.07   | 12.57  |
| <b>C. कुल प्राप्तियाँ ( A+B )</b>                    | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00 |


स्रोत: मध्यप्रदेश सरकार की बजट प्रतिवेदन सत्र 2006-07 से 2015-16




ग्राफ 1 – म.प्र. सरकार के राज्य करों एवं केंद्रीय करों में हिस्से की तुलनात्मक स्थिति




ग्राफ 2 – म.प्र. सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलनात्मक स्थिति




ग्राफ 3 – राजस्व प्राप्तियों के लोट (औसत प्रतिशत)



ग्राफ 4 – लोक-क्रणों की प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति



ग्राफ 5 – म.प्र. सरकार की पूँजीगत प्राप्तियों की तुलनात्मक स्थिति



ग्राफ 6 – म.प्र. सरकार की राजस्व व पूँजीगत प्राप्तियों की तुलनात्मक स्थिति

## योग दर्शन : अध्यात्म और विज्ञान

### मंजूतिवारी \*

**प्रस्तावना** – योग दर्शन अनुशासन पद्धति के आधार स्तंभ के रूप में योग समाधि है। समाधि सभी भूमियों को चित्त में रखने वाले साधन धर्म है। तत्त्व साक्षात्कार के लिए योग साधना पद्धति आवश्यक है। योग दर्शन की उपयोगिता वैदिक और अवैदिक दर्शन को मान्य है। योग शब्द का अर्थ जीवात्मा को ईश्वर (परमात्मा) से मिलन है। योग के कारण योगी बड़े से बड़े कष्टकारक दुःखों से विचलित नहीं होता है। उसका परिणाम आध्यात्मिक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति के निखण्ण से अनेक कष्टों से लड़ने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है। उसी प्रकार विज्ञान भी अनेक समस्याओं का समाधान प्रयोगात्मक रूपों में प्रदान करती है। जिस प्रकार से योग की साधना पद्धति पूर्णतः वैज्ञानिक परीक्षण में उत्तीरित है।

योग दर्शन के आदि आचार्य हिरण्यगर्भ हैं। हिरण्यगर्भ-सूत्रों के आधार पर (जो इस समय लुप्त है) पतञ्जलि मुनि ने योग दर्शन का निर्माण किया। योगदर्शन के चार पाद हैं को 195 सूत्रों में विभक्त किया गया है। प्रथमतः समाधिपाद में 51 सूत्रों की व्याख्या है, द्वितीय साधनपाद में 55 सूत्रों में व्याख्या मिलती है, तृतीय विभूतिपाद में 55 सूत्रों का और चतुर्थ केवल्यपाद में 34 सूत्रों का वर्णन के आधार पर योग की प्रासंगिकता है।

**शोध प्रविधि** – इस शोध पत्र **योग दर्शन : अध्यात्म और विज्ञान** में द्वितीयक शोध सामाजी के आधार पर अध्ययन किया गया है। इसके साथ-साथ धार्मिक ग्रन्थों के मूल तत्वों को सन्दर्भित करते हुए विद्वानों का मार्गदर्शन लिया गया है। वैज्ञानिक निखण्ण हेतु वैज्ञानिक ग्रन्थावलियों को समझने का प्रयास किया गया है। इस आधार पर शोध पत्र तैयार किया गया है।

#### समस्या :

- वर्तमान में व्यक्तियों में शारीरिक बीमारी की समस्या।
- आलस्य की समस्या।
- मन के स्थिरता की समस्या।
- मनोविकार की समस्या।

#### उद्देश्य :

- योग मानव के मनोविकार को सुलझाने का अध्ययन।
- योग के द्वारा आलस्य की समस्या को दूर करने का अध्ययन।
- योग के द्वारा मनुष्य की अन्दर पनप रही बीमारी को हटाने के उपाय का अध्ययन।
- मानसिक बीमारी से समाधान दूढ़ने का अध्ययन।

#### समाधान :

- समाधिपाद** – इसमें समाहित चित्त वाले सबसे उत्ताम अधिकारियों के लिए योग का वर्णन किया गया है। समाधिपाद एक प्रकार से निम्न तीन सूत्रों की विस्तृत व्याख्या है।

- योग चित्त की वृत्तियों का रोकना है।
- वृत्तियों का निरोध होने पर द्रष्टा के स्वरूप में अवस्थिति होती है।
- स्वरूपावस्थिति से अतिरिक्त अवस्था में द्रष्टा वृत्ति के समान रूप वाला प्रतीत होता है।

चित्त, बुद्धि, मन और अन्तःकरण लगभग पर्यायवाचक समानार्थक शब्द हैं। जिनका भिन्न-भिन्न दर्शनकारों ने अपनी-अपनी परिभाषाओं के रूप में प्रयोग किया है।

मन की चंचलता प्रसिद्ध है। सृष्टि के सारे कार्यों में मन की स्थिरता ही सफलता का कारण है। सृष्टि के महान पुरुषों की अद्भुत शक्तियों में उनके मन की एकाग्रता का रहस्य छिपा होता है।<sup>1</sup>

योग के अन्तर्गत मन को ढो प्रकार से रोका जा सकता है—केवल एक विषय में लगातार ध्यानस्थ होने की प्रक्रिया द्वारा और दूसरा दुराग्रह के विचार न आने पावे, इसको एकाग्रता अथवा सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं।

- वितर्क – किसी स्थूल विषय में चित्तवृत्ति की एकाग्रता।
- विचार – किसी सुक्ष्म विषय में चित्तवृत्ति की एकाग्रता।
- आनन्द – अहंकार विषय में चित्तवृत्ति की एकाग्रता।
- अस्मिता – अहंकार रहित अस्मिता विषय में चित्तवृत्ति की एकाग्रता।

इसकी सबसे ऊँची अवस्था विवेक छ्याति है, जिसमें चित्त का आत्मध्यास छूट जाता है और उसके द्वारा आत्मस्वरूप का उससे पृथक-रूप में साक्षात्कार होने लगता है, किन्तु योग दर्शन में इसको वास्तविक आत्मा स्थिति नहीं बतलाया गया है। यह भी चित्त की एक वृत्ति अथवा मन का ही एक विषय पर एकाग्र होना है। (एक उच्चतम सात्त्विक वृत्ति का परिणाम है), किन्तु इसका निरन्तर अभ्यास वास्तविक स्वरूपस्थिति में सहायक होता है।<sup>2</sup>

निरोध अपने स्वरूप का सर्वथा नाश हो जाना नहीं है, बल्कि जड़ तत्त्व के अविकेकपूर्ण संयोग का चेतन तत्त्व से सर्वथा नाश हो जाना है। इस संयोग के न रहने पर द्रष्टा की शुद्ध आत्मा परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति होती है।

- साधनपाद** – इसमें विक्षिप्त चित्तवाले मध्यम अधिकारियों के लिए योग का साधन बतलाया गया है।

सर्वबन्धनों और दुःखों के मूल कारण पाँच वलेश हैं— अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश।

वलेशों से कर्म की वासनाएँ उत्पन्न होती हैं। कर्म-वासनाओं से जन्म रूप वृक्ष उत्पन्न होता है। उस वृक्ष में जाति, आयु और भोग रूपी तीन प्रकार के फल लगते हैं।<sup>3</sup>

इन तीन फलों से सुख-दुःख रूपी दो प्रकार का स्वाद उत्पन्न होता है। जो पुण्य कर्म (हिंसा रहित दूसरे के कल्याणार्थ) किये जाते हैं उनसे जाति,

\*शोधार्थी (दर्शनशास्त्र) शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

आयु और भोग में सुख प्राप्त होता है। जो पाप कर्म (हिंसात्मक और दूसरों को दुःख पहुँचाने की लिए) किये जाते हैं। उनसे जाति, आयु और भोग में दुःख प्राप्त होता है। किन्तु यह सुख भी तत्त्ववेत्ता की दृष्टि में दुःखस्वरूप ही है, क्योंकि विषयों में परिणाम दुःख, ताप दुःख और संस्कार दुःख मिला हुआ होता है। ये तीनों गुणों के सदा अस्थिर रहने के कारण उनकी सुख-दुःख और मोह रूपी वृत्तियाँ भी बदल जाती हैं। इसलिए सुख के पीछे दुःख का होना आवश्यक है। दुःख के नितांत अभाव का उपाय निर्मल अडोल विवेक ख्याति है। विवेकख्याति की सात प्रकार की सबसे ऊँची अवस्था प्रज्ञ होती है।<sup>4</sup>

- जो कुछ जानना था जान लिया (दुःख का कारण)** – अब कुछ जानने योग्य नहीं रहा। अर्थात् जितना गौणमय दृश्य है। वह सब परिणाम, ताप और संस्कार दुःखों से दुःख स्वरूप ही है इसलिए इसे 'हेय' कहा गया है।
- जो कुछ करना था दूर कर दिया (व अब कुछ दूर करने योग्य नहीं रहा है। अर्थात् द्रष्टा और दृश्य का संयोग जो 'हेय' 'हेतु' है वह दूर कर दिया।
- जो कुछ साक्षात् करना था कर लिया, अब कुछ साक्षात् करने योग्य नहीं है। अर्थात् निरोध समाधि द्वारा 'हानि' को साक्षात् कर लिया।
- जो कुछ करना था कर लिया है। अब कुछ करने योग्य नहीं है। अर्थात् अविलक्षण विवेक-ख्याति सम्पादन कर लिया है।
- चित्त ने अपने भोग अपवर्ग दिलाने का अधिकार पूरा कर दिया, अब कोई अधिकार शेष नहीं रहा।
- चित्त के गुण अपने भोग अपवर्ग का प्रयोजन सिद्ध करके अपने कारण में लींग हो रहे हैं।
- गुणों से पर हो कर शुद्ध परमात्मा की स्थिति अवस्थिति हो रही है। योग के आठ अंग-निर्मल विवेक ख्याति जिसे 'हानि' का उपाय बतलाया है उसकी उत्पत्ति का साधन अष्टांग योग है। अर्थात् योग के आठ अंगों के अनुष्ठान से-अशुद्धि के क्षय होने पर ज्ञान की दीसि-विवेक-ख्याति पर्यन्त बढ़ जाती है।

योग के आठ अंग-याम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है।

साधनपाद में योग के पाँच बहिरंग साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बतलाये गए हैं।

विभूतिपाद में उसके अन्तर्गत धारणा, ध्यान, समाधि का निखण्ण किया गया है।

**3. विभूतिपाद** – धारणा, ध्यान और समाधि-तीनों मिलकर संयम कहते हैं। इस संयम के विनियोग से नाना प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ये सिद्धियाँ-श्रद्धालुओं के योग में श्रद्धा बढ़ाने में और विक्षिप्त (असमाहित) चित्त वालों के चित्त को एकाग्र करने में सहायक होती है, किन्तु इनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए।

योगमार्ग पर चलने वाले के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन आते हैं। अध्यासी को उनसे सावधान रहना चाहिए, उसमें फँसने से और घमंड से बचना चाहिए। किसी के आदर भाव करने पर लगाव और अभिमान नहीं करना चाहिए। चित्त और पुरुष के भ्रेद जानने वाले सारे भावों के अधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व को प्राप्त होता है। किन्तु योगी को उनमें भी अनासक्त रह कर अपने असली ध्येय की ओर बढ़ना चाहिए। उसमें भी वैराग्य होने पर, दोषों का बीज क्षय होकर कैवल्य को प्राप्त होता है।<sup>5</sup>

**4. कैवल्यपाद** – इसमें चित्त और चित्त के सम्बन्ध में जो भी शंकाएँ हो सकती हैं, उनका युक्ति पूर्वक निवारण भी बताया गया है।

#### चित्त की नी अवस्थाएँ :

**1. जागृत-अवस्था** – सत्त्व गुण गौणरूप से ढबा रहता है। तम्, सत्त्व को वृत्ति के यथार्थ रूप को दिखलाने से रोकता है। रज प्रधान हो कर चित्त की इन्द्रियों द्वारा बाह्य विषयों में उपरक्त करने में समर्थ होता है।

**2. स्वप्नावस्था** – सत्त्व गुण, गौणतम रूप से ढबा रहता है। तम्, रज को इतना ढबा लेता है कि वह चित्त की इन्द्रियों द्वारा बाह्य विषयों में उपरक्त नहीं कर सकता है। किन्तु रज् की क्रिया सूक्ष्म रूप से होती रहती है। जिससे वह चित्त को-मन द्वारा स्मृति के संस्कारों में उपरक्त करने में समर्थन प्रदान करती है।<sup>6</sup>

**3. सुषुप्ति अवस्था** – सत्त्व गुण, गौणतम रूप से ढबा रहता है। तमोगुण, रजोगुण की स्वप्नावस्था वाली क्रियाओं को भी रोक कर प्रधान रूप से चित्त पर फैल जाता है। इसलिए किसी विषय का किसी प्रकार भी ज्ञान नहीं रहता। परन्तु किसी विषय के ज्ञान न होने की स्थिति प्रतीत होती है, अर्थात् रज् का नितांत आभाव नहीं होता, वह कुछ अंश में बना ही रहता है।

**4. प्रलयावस्था** – प्रलय में चित्त के अवस्था सुषुप्ति जैसी होती है, केवल भ्रेद इतना है कि व प्रलय समर्पित चित्त कि सुषुप्ति है- जबकि यह सुषुप्ति-व्यष्टि चित्त की अवस्था में जीव गाढ़ी निङ्गा जैसे स्थिति में रहता है।

**5. समाधि प्रारम्भ अवस्था** – तमोगुण गौणरूप से रहता है। रजो गुण को चित्त को चलायमान करने की क्रिया निर्बल होती है। सत्त्व गुण प्रधान हो कर चित्त को एकाग्र करने और वास्तु की यथार्थ रूप को दिखलाने में समर्थ होता है।

**6. सम्प्रज्ञात समाधि (एकाग्रता)** – तमोगुण गौणतर रूप में ढबा रहता है। सत्त्व गुण रजोगुण को ढबा कर प्रधानरूप से अपने प्रकाश को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार चित्त वास्तु के तदाकार हो कर उसका यथार्थ रूप दिखलाने में समर्थ होता है। स्थूल शरीर में कार्य बंद हो कर सूक्ष्म शरीर में एकाग्र वृत्ति रहती है।

**7. विवेकख्याति** – सम्प्रज्ञात समाधि और असम्प्रज्ञात समाधि के बीच की अवस्था, तमो गुण गौणतम रूप में नाम मात्र रहता है। सतो गुण का प्रकाश पूर्णतया फैल जाता है। रजोगुण केवल इतना रहता है कि जिससे पुरुष को चित्त से भिन्न दिखलाने की क्रिया हो सके। तम इस वृत्ति को रोकने मात्र में रह जाता है।

**8. असम्प्रज्ञात समाधि (स्वरूपवास्ति)** – सत्त्व चित्त में बाहर से तीनों गुणों के वृत्ति रूप का परिणाम होना बंद हो जाता है। उस स्थिति में चित्त केवल निरोध परिणाम अर्थात् संस्कार शेष रहते हैं, जिनके दुर्बल होने पर उसे फिर व्युत्थान दशा में आना पड़ता है।

**9. प्रतिप्रसव** – चित्त को बनाने वाले गुणों की अपने कारणों में लींग होने की अवस्था। चित्त में निरोध परिणाम अर्थात् संस्कार भी निवृत्त हो जाते हैं। तब पुरुष शुद्ध कैवल्य परमात्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है।

**इनको चित्त की क्षिति** – विक्षिप्त आदि पाँच भूमियों के विषय से पृथक समझना चाहिए।

आज के समय में औद्योगीकरण का विकास और टेक्नोलॉजी ने मानव जीवन के सामने ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दिया है। जिसके चलते लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बिलकुल छोड़ दिया है। यदि हम स्वास्थ्य की बात करे तो अच्छा स्वास्थ्य पाना कोई एक दिन का खेल नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को सालो-साल प्रयास करना पड़ता है। आत्म नियंत्रण और इच्छा

शक्ति से कार्य करने की आवश्यकता है?

स्वस्थ शरीर का बहुत अधिक महत्व है। व्यक्ति में स्वस्थ मन का एक ऋत है। जो हमें अपने प्रियजनों के साथ मिलनसार बातचीत का माहौल बनाने में मदद करता है। एक अच्छा स्वास्थ्य मनुष्य को दिया गया, प्रकृति का सबसे अच्छा उपहार है। लेकिन आज के वर्त में व्यक्ति अपनी यांत्रिक जीवन शैली में इतना अधिक व्यस्त होता जा रहा है कि उसने खुद को प्रकृति से बिलकुल विमुख कर दिया है।


एक अच्छे स्वास्थ्य से धन होने के लिए व्यक्ति प्रकृति द्वारा दिए गए रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के बजाय उल्टा उससे दूर होता जा रहा है। अच्छे स्वास्थ्य से उन्मुख होने के कारण आज कम उम्र के लोगों में ही मोटापा व अन्य बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं। इस निराशाजनक स्थिति में यदि फिर भी कोई उम्मीद की किरण है तो वो है प्राकृतिक चिकित्सा और योग। इसका मूल उद्देश्य मानव को सुखी और स्वस्थ बनाना है।<sup>8</sup>

**Yoga and Naturopathy : कई रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा -** योग और नेचुरोपैथी एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद करता है। साथ ही साथ जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ने में सहायक है। कई सारी बीमारियाँ जो की आधुनिक युग ने दी हैं जैसे की स्ट्रोक, कैंसर, मधुमेह, गठिया आदि नियंत्रित होती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य रोग भी नहीं होते हैं।

नेचुरोपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है। जिसमें दवाओं का उपयोग किये बिना रोगों को ठीक किया जाता है। यह एक प्राचीन और पारंपरिक विज्ञान है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को एकीकृत करता है। नेचुरोपैथी में कई रोगों को रोकने की क्षमता है और जो रोग हो चुके हैं उसका इलाज आप कर सकते हैं।

Naturopathy Treatment का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी दिनचर्या बदलकर स्वस्थ रहने की कला सिखाना है। इससे ना केवल आपके रोग ठीक होते हैं ही बल्कि आपका शरीर भी मजबूत बनता है और आपके चेहरे पर चमक आती है।

नेचुरोपैथी में क्या तकनीक शामिल होती है? इसका चार भागों में वर्गीकरण किया गया है:-



आप यह भी पढ़ सकते हैं:- जानिए योग क्या है और इसके समस्त प्रकारों का वर्णन खाद्य थेरेपी- खाद्य थेरेपी की बात की जाये तो हम इसमें कोशिश करते हैं कि जितना संभव हो किसी भी आहार को उसके प्राकृतिक रूप में ही खाया जाये। प्राकृतिक रूप में सेवन करने पर कई खाद्य पदार्थ अपने आप में एक दवा का रूप ले लेते हैं। आपको इसमें मुख्य रूप से लेना है-ताजे फल, ताजी हरी पत्तोदार सब्जियाँ और अंकुरित अनाज।

आहार को लेना ही काफी नहीं हैं आपको इस बात पर गौर करना होगा की किस चीज को कितने अनुपात में लेना है। साथ ही आपको अपने पेट का

कुछ हिस्सा खाली भी छोड़ना आवश्यक है।

मिट्टी थेरेपी शरीर से मादक द्रव्यों निकालने के लिए, मिट्टी का स्नान और मिट्टी का लेप ढोनों का इस्तेमाल किया जाता है। यह विशेष रूप से उच्च रक्तचाप, तनाव, सिर दर्द, चिंता, कब्ज, गैरिट्रिक और त्वचा विकार आदि बीमारियों के लिए किया हितकरी है।

जल चिकित्सा: नेचुरोपैथी में जल चिकित्सा भी अपनाई जाती है। जिसमें स्वच्छ, ताजे और ठेंड पानी का उपयोग किया जाना आवश्यक है। इस उपचार के बाद, शरीर ताजा और सक्रिय महसूस होता है। इस चिकित्सा की अलग-अलग बीमारियों के लिए अलग-अलग परिणाम भी निकलते हैं।<sup>9</sup>

1. हिप बाथ आपके जिगर, बड़ी आँत, पेट, और गुर्दे की दक्षता में सुधार करता है।
2. फुल स्टीम बाथ आपकी त्वचा के पोर्स को खोलता है और मादक द्रव्यों को बाहर निकालता है।
3. एक हॉट फूट बाथ आपको अस्थमा, घृणा के दर्द, सिर दर्द, अनिद्रा, और मासिक धर्म जैसी अनियमिताओं के साथ मदद करता है।
4. इसके अलावा पूरे शरीर की पानी से मालिश की जाती है जिससे विषाक्त पदार्थों को शरीर से दूर किया जा सके।

**निष्कर्ष -** नेचुरोपैथी कई बीमारियों को दूर करने और रोगों से राहत दिलाने में मदद करती है। जो भी व्यक्ति रिलैक्स होना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह अपने आप में चिकित्सीय पद्धति है। व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखने हेतु इन विधियों को बताया गया है। योग व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक ढोनों खोपों में उपयोगी है। धसिर रवि Naturopathy उपरोक्त बताई गई बातों के अनुशरण से व्यक्ति बड़ी से बड़ी बीमारियों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसलिए नेचुरोपैथी आपके लिए जीवनदायिनी जड़ी-बूटियों के समान उपयोगी है।

#### Sंदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव, पातञ्जलयोगदर्शनम्, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2011, पृष्ठ 144
2. उपनिषद्, गीताप्रेस, गोरखपुर, तेझसवें वर्षका विशेषाङ्क, 2064, पृष्ठ 71
3. डॉ. नन्द किशोर देवराज, भारतीय दर्शन, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 2002, पृष्ठ 161
4. डॉ. श्रीखन लाल आत्रेय, भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास, हिन्दी समिति सूचना विभाग, उ.प्र. लखनऊ संस्करण 1964 पृष्ठ 41
5. आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति, वेद और उसकी वैज्ञानिकता भारतीय मनीषा के परिप्रेक्ष्य में, श्रद्धनन्द अनुसन्धान प्रकाशन, केन्द्र गुरुकृत काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, प्रथम सन् 1990 पृष्ठ 80
6. शिवराज आचार्य: कौण्डन्यायनः, मनुस्मृतिः, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, संस्करण प्रथम 2007, पृष्ठ 84
7. चन्द्रधन शर्मा, भारतीय दर्शन, आलोचना और अनुशीलन, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1995, पृष्ठ 160
8. सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव, पातञ्जलयोगदर्शनम्, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2011, पृष्ठ 39
9. प्रो. हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, भारतीय दर्शन की रूपरेखा, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 2002, पृष्ठ 271

## व्याकरणशास्त्र और आचार्य भामह

### अंकुर माहेश्वरी \*

**शोध सारांश** – समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत आज विश्व में नये खोज व आविष्कारों को अपने प्राचीन सिद्धान्तों व सन्दर्भों से प्रमाणित करती हुयी, तकनीकि क्रान्ति में शोध का विषय बनी हुयी है। प्रस्तुत शोध पत्र व्याकरणशास्त्र के आचार्य पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन के व्याकरणिक सन्दर्भों से, काव्यशास्त्र के आद्याचार्य भामह के ग्रन्थ काव्यालंकार के शब्द विवेक नामक अध्याय से तुलना व समानता प्रस्तुत करने का एक विनम्र प्रयास है।

**प्रस्तावना** – संसार की प्राचीन भाषाओं में संस्कृत प्राचीनतम् भाषा है। यह भाषा अखिल भाषाओं की आधारभूत वैज्ञानिक एवं दोषरहित भाषा हैं। ज्ञान-विज्ञान की समग्र शाखाएं संस्कृत में प्रचुरमात्रा में उपलब्ध हैं। संश्लेषण और विश्लेषण रूप विशिष्टता के कारण आधुनिक कम्प्यूटर के लिए भी संस्कृत का चयन कर, प्रयोग पर शोध किया जा रहा है।

किसी भी भाषा ज्ञान हेतु उसका व्याकरण ज्ञान होना आवश्यक है, व्याकरण न केवल भाषा प्रवाह को नियन्त्रित करता है बल्कि भाषागत् दोषों का निराकरण कर शब्दों की रक्षा करता है। वेदांगों में भी व्याकरण को मुख बताकर उसको सबसे पहले स्थान पर रखा गया है 'मुखं व्याकरणं स्मृतम्'। महाभाष्यकार ने 'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः शड्डो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च' इति॥। प्रथानं च शट्स्वझेषु व्याकरणम्। प्रथाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति'<sup>1</sup> कहकर व्याकरण की महता को सिद्ध किया है। भर्तृहरि ने दृष्ट और अदृष्ट फलों को देने वाले व्याकरणशास्त्र को वेदों का प्रमुख अंग कहा।

**आसङ्गं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तामं तपः।**

**प्रथमं छन्दसामंगं प्राहृव्याकरणं बुधाः॥<sup>2</sup>**

आचार्य भामह ने भी काव्यप्रणयन से पहले व्याकरण का अध्ययन आवश्यक माना-

**शब्दश्छन्दोऽभिधानार्थं इतिहासाश्रयाः कथाः।**

**लोको युक्तिः कलाश्चेति मन्तव्याः काव्यगैर्हमी॥<sup>3</sup>**

अर्थात् काव्यप्रणयन के लिए व्याकरणशास्त्र, छन्दशास्त्र, शब्दकोश, व्युत्पत्तिशास्त्र, ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं, लोकव्यवहार, तर्कशास्त्र और ललित कलाओं का मनन करना चाहिए।

वस्तुतः आचार्य भामह भारतीय काव्यशास्त्र के आद्याचार्य है, इन्होने तत्कालीन काव्यशास्त्रीय मान्यताओं का सम्यक् अध्ययन कर और महाकवियों की रचनाओं का अनुशीलन कर<sup>4</sup> तथा अहं भाव से नितान्त दूर रहकर<sup>5</sup> काव्यशास्त्र का संकलन, सम्पादन, विवेचन और विश्लेषण किया। आचार्य भामह के ग्रन्थ काव्यालंकार का षष्ठ परिच्छेद 'शब्दविवेक' व्याकरण को समर्पित है। आचार्य भामह कवियों को व्याकरण की काव्योचित सूक्ष्मता दर्शाते हैं-

**नापारयित्वा दुर्गाधिमुं व्याकरणार्थवम्।**

**शब्दरत्नं स्वयंगम्यमलंकर्तुमयं जनः ॥<sup>6</sup>**

अर्थात् इस दुरवगाह्य व्याकरण रूपी सागर को पार किये बिना कोई व्यक्ति शब्दरूपी रत्न तक पहुँचने में समर्थ नहीं हो पाता।

आचार्य भामह ने शब्दशुद्धि और शब्दों की रख्यता पर विचार किया। शब्दशुद्धि तो पूर्णतः व्याकरणशास्त्र का विषय है किन्तु रम्य पद का संयोजन निश्चय ही काव्यशास्त्र का विषय है। आद्याचार्य भामह ने जिस महत्वपूर्ण विषय को अपने ग्रन्थ में रखा था, उसे काव्यशास्त्रीय परम्परा में कोई स्थान नहीं दिया गया और एकमात्र आचार्य वामन ही ऐसे विद्वान् रहे, जिन्होने इस विषय की गम्भीरता को समझा -

**छिन्ते मोहं चित्प्रकर्षं प्रयुड्के सूते सूक्ति सूयते या पुमर्थान्।**

**प्रीतिं कीर्तिं प्रामुकामेन सैषा शाब्दीशुद्धिः शारदेवाऽस्तु सेव्याः॥**

परवर्ती आचार्यों ने ही नहीं अपितु, भामह के टीकाकारों ने भी इस विषय की उपयोगिता को लेकर विवेचन किया। डॉ. देवेन्द्रनाथ शर्मा का कहना है कि भामह का षष्ठ परिच्छेद व्याकरण की शिक्षा मात्र नहीं देता बल्कि व्याकरण की काव्योचित बारीकियों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है।

आचार्य भामह व्याकरण के अंगों को विभिन्न उपमाओं से संयोजित करते हुए व्याकरण अध्ययन की ओर प्रेरित करते हुए कहते हैं कि

**सूत्राम्भसं पदावर्त्तं पारायणरसातलम्।**

**धातूपाणिदिग्नग्राहां ध्यानग्रहबृहत्प्लवम्॥**

**धीररालोकितप्रान्तमैधीभिरसूयितम्।**

**सदोपभृक्तं सर्वाभिरन्वयविद्याकरेणुभिः॥<sup>8</sup>**

व्याकरण रूपी सागर के सूत्र जल हैं, वार्तिक आवर्त हैं, भाष्य, कौमुदी आदि रसातल हैं, धातुपाठ, उणादि, गणपाठ आदि ग्राह (मकर) हैं। इस सागर को पार करने की नाव चिन्तन और मनन है। धीर व्यक्ति उसके तट को लक्ष्य बनाते हैं और बुद्धिहीन व्यक्ति उसकी निन्दा करते हैं।

आचार्य भामह व्याकरण निन्दकों की ओर भी ध्यान आकृष्ट करते हुए समाधान करते हैं। व्याकरण की निन्दा उसकी जटिलता के कारण ही होती है। पारिभाषिक शब्दों की बहुलता और सूत्रशैली के कारण यह शास्त्र अत्यन्त दूरह्य माना जाता है-

**सूत्रैः पाणिनिनिमित्तैर्बहुतैर्निर्ष्पाद्य शब्दावलिं।**

**वैकुण्ठस्तवमक्षमा रचयितुं मिथ्याश्रमा: शाब्दिकाः॥**

**पठाङ्गं विविधं श्रमेण विविधापूपात्र्यसूपान्वितं।**

**मन्दाङ्गीननुरूप्यते मितबलानाद्यातुमप्यक्षमान॥**

\* संस्कृत, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

अर्थात् जिस प्रकार मन्दाग्नि वाले व्यक्ति के लिए नानाविधि पक्षाभ्यं निरर्थक हैं, उसी प्रकार वैव्याकरणों का नानाविधि शब्दनिर्माण का प्रयास भी निरर्थक ही है क्योंकि समाज अपना काम बोलचाल की भाषा से ही चलाता है और विष्णु के स्तवन में सक्षम इस शब्दावली को पचा नहीं पाता।

इस सम्बन्ध में आचार्य भामह प्रत्युत्तर प्रदान करते हैं कि शब्दों की शुद्धता-अशुद्धता, सूक्ष्म एवं अन्तरंग अर्थ, प्रकृति-प्रत्यय आदि का ज्ञान व्याकरण से ही सम्भव है अतः काव्य प्रणयन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान अर्जित करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे कवियों के शब्दप्रयोगों को ढेखकर, जो काव्यप्रणयन किया जाता है, भला उसमें आनन्द कहाँ।<sup>9</sup>

**वस्तुतः** जो कवि दूसरे कवियों के शब्दप्रयोगों से ही ज्ञानार्जन करते हैं, वे शब्दनिर्माण की सूक्ष्मता, अर्थ की अन्तरंगता, व्युत्पत्ति आदि को नहीं समझ पाते हैं। राजशेखर ने भी कहा-

#### पढान्तरं वेत्तिः स्ववाक्यपरवाव ते।

#### तदा स सिद्धो मन्तव्यः कुकविः कविरेव वा॥<sup>10</sup>

अर्थात् जो विद्वान् अपने और दूसरों के वाक्य में पढ़ों के अन्तर को समझता है, वह कवि हो या कुकवि, उसे सिद्ध समझना चाहिए।

आचार्य भामह का कहना है कि जिसके शब्द अन्य कवि के शब्द प्रयोगों पर निर्भर हो अर्थात् जिसकी शब्द संयोजना पूर्ववर्ती कवियों पर आश्रित हो, ऐसा काव्य सरस होने पर भी विद्वानों को उसी प्रकार आनन्दित नहीं करता, जिस प्रकार दूसरों के ढारा धारण की गई माला सहदयों को आकर्षित नहीं करती।<sup>11</sup>

अतः व्याकरणाध्ययन परम आवश्यक है। यह विषय काव्यशास्त्र से नहीं बल्कि व्यावहारिक काव्यशास्त्र से सम्बद्ध है और उदीयमान कवियों को इससे लाभ प्राप्त होता है। चिन्ता का विषय यह है कि संस्कृत आचार्यों ने इसका महत्व नहीं समझा और पारम्परिक काव्यशास्त्र तो क्या, कवि शिक्षा-काव्य समय से सम्बद्ध ग्रन्थ काव्यमीमांसा, अलंकारशेखर आदि में भी इसका समावेश नहीं हुआ। फिर भी भामह ने शब्दशुद्धि नामक परिच्छेद के माध्यम से व्याकरणशास्त्र एवं काव्यशास्त्र में सम्बन्ध प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महाभाष्य, पर्याप्तशाहनिक
2. वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड / 11
3. काव्यालंकार, 1/9
4. अवलोक्य मतानि सत्कवीनामवगम्य र्वदिया च काव्यलक्ष्म्॥ काव्यालंकार, 6/64
5. न दूषणायायमुदाहृतो विधिर्न चाभिमानेन किमु प्रतीयते॥ काव्यालंकार, 4/51
6. काव्यालंकार, 6/3
7. काव्यालंकारसूत्रवृत्ति, 2
8. काव्यालंकार, 6/1-2
9. काव्यालंकार, 6/4
10. काव्यमीमांसा, चतुर्थ अध्याय
11. काव्यालंकार, 6/5



# Security and privacy in mobile devices : Issues and Solutions

**Shaloo Dadheech \*** **Dr. Tarun Shrimali \*\***

**Abstract** - Mobile security mainly deals with the way to control and enhance integrity, confidentiality and availability of information stored in the system. Mobile security is the protection given to the device based on its all apps including Bluetooth, calendar, contacts, messages etc., protection of mobile data and device itself. In this paper we have studied the known threats of various mobile devices viz.Cell-phones, tablets, etc. The study finds that software based threats are more vulnerable than physical security issues. The various known solutions have also been studied and analyzed in terms of security. Among these solutions, the best solution for data privacy and protection in mobile devices is also proposed. In the study it is also found that most of the people are not aware in protecting their mobile devices properly, therefore there is a need of in-built protections to protect important data of almost every category of people.

**Keywords** - Mobile security, Cellphone, Tablet, Data Privacy, Data Protection.

**Introduction** - The term security means the way or technique by which users data is to be remain safe from unauthorized user or cannot be read by any user other than the authorized. Computer security mainly refers to the protection towards policies, procedures, hardware, and software tools that are necessary to safeguard the computer systems and the information that are to be processed, stored within the systems. Computersecurity deals with the way to control and enhance integrity, confidentiality and availability of information stored in the system. Inthe term relevant to mobile security it is the protection given to the device based on its all apps including Bluetooth, calendar, contacts, messages etc. But taking the use of all this not quietly that much enough as mobile devices are less secure than Personal computers as users can email, do messaging, use social networking apps, interested in doing m-commerce highly, download various applications, can do lots of banking related transaction, provide pay online services etc. Beyond all this transactionfacilities, this is only the measure cause for security. As this monetary transaction specially attracted by cyber attacker as they can easily access the user information and can take full advantage of it by taking all details of one user. Hence mobile security and privacy nowadays plays a major and critical role. By this security is the basic object which is on the main point of developers as well as users. It is the major issue as smartphone is only the device having a full access of the user having its personal details within it. Which can be easily be accessed by any cyber attackers. So, it's a big deal to know the various security threats and issues that are being hang on mobile devices. As the basic security attack

abolished through the use of internet. As the internet is the only way by which a person can take access the detail of another person sitting remotely by taking use of various technologies. When mobile was first developed it was only be used for communicating purposes


**Literature Review** - KengSiau, (2012), Advances in wireless technology increase the number of mobile device users and give pace to the rapid development of ecommerce using these devices. The new type of e-commerce, conducting transactions via mobile terminals, is called mobile commerce. Due to its inherent characteristics such as ubiquity, personalization, flexibility, and dissemination, mobile commerce promises businesses unprecedented market potential, great productivity, and high profitability..Mariantonietta La Polla; Fabio Martinelli; Daniele Sgandurra(2013) paper reviews the best in class on dangers, vulnerabilities and security arrangements over the period, by concentrating on abnormal state assaults, such those to client applications. Here this paper aimed at protecting mobile devices against these classes existing methodologies went for securing cell phones into various classifications, in view of the identification standards, structures, gathered information and working frameworks, particularly concentrating on IDS-based models and apparatuses. Luke Rondeau (2014), an examination on current mobile vulnerabilities and research into security. Likewise, a proof of idea to demonstrate the simplicity of infusing an Android telephone with an infection. The motivation behind this exploration is to expedite mindfulness how PDAs function, uncover the vulnerabilities of cell phones, and to demonstrate the level of trouble and

\*Ph.D., Research Scholar, Career Point University, Kota (Rajasthan) INDIA

\*\* Research Advisor, JRVN University, Udaipur (Rajasthan) INDIA

likelihood that a specific mobile phone can be tainted with a malevolent program. In this paper author directed an examination to indicate that it is so natural to infuse an Android cell phone, the Galaxy S2. Syed Farhan Alam Zaidi QaisarJavaid (2016)In their paper, their contribution is twofold. Firstly, they review the threats, attacks, vulnerabilities and their solutions over the period of 2010-2015 with a special focus on smartphones. They classified attacks into two types, i.e., new attacks and old attack, this categorization, provide an easy way to look forward different attacks and the possible results to improve smartphone security

### Major Security Threats in Mobile Device -



This are the basic criteria by which a security in mobile phones are first been affected. This all affected not only the service of mobile but also affects the detail of that mobile users extremely.

1. Adware: Adware is software based application where advertisement banners are displayed when some other program or application is running. Common adware programs are seen on Web browser. They include features like advanced searching of the Web with different ads technique, provide the ads of different games and utilities.
2. Charge ware: The next cybercrime in mobile technology is based on "charge ware". Charge ware is mainly the term where an application directly charge a user without giving any kind of notification. Charge ware are mainly based on the phenomenon where a third party indirectly can charge some particular amount from user's account.
3. Malware: Mobile malware growing fastly both technologically and structurally. It is safe to say that today's cybercriminal best practice is to develop some kind of malicious code that harm the device. It works as the purpose of serious business operation to generate the money. Basically it is software embedded with malicious code whose main purpose is to break down the security measures, attacks particular customer or user and achieve the targeted goal.

As per this consideration there are various other causes too that can affect the security and privacy of mobile devices they are as follows:

- I. Passwords: Most of the mobile devices do not have password entangle with their device. This may cause the loss of privacy of that user as per any person can easily access to the device. Hence the password within

the device plays the most crucial role in safeguarding a device at one particular time to safeguard it from unauthorized person.

- II. Wireless transmission: Wireless transmission also affect the security issue in mobile device. As wireless transmission is not always be encrypted or safe to access. As while sending the data from such network is quite risky as it can be easily intercepted by third party as the network is not properly encrypt and sending the emails and personal detail through such network may attack towards the loss of privacy.
- III. Security Software/ antivirus software's: The device with no security software may also leads to loss of security and privacy. As security software are mainly developed to keep in notice the malicious code that are running in system or device. If such software is not present within the device definitely it can cause the viruses and malwares to attack the device.
- IV. Outdated operating system of mobile device: It is to be recommended that mobile devices are to be fully upgraded as when developing the security policy to a device may work only for that much period as it for what purpose it was designed
- V. Outdated software on mobile device: The software that are installed on mobile devices if are not timely be updated than it may cause the risk by involvement of third party to get access to the device and take out the details.

### Solution towards safeguarding mobile devices :

1. Install anti-virus and anti-theft software— install the antivirus software so that it can safeguard the device by protecting against the malwares and keep the software up-to-date. Example: Avast, AVG, Norton antivirus are some common examples of anti-virus software.
2. Provide password: Provide passwords or PIN (personal identification number) to the device so that it cannot be accessed by unauthorized user. Example: password should be apply to the device in such a manner that it should not be easily be cracked up. Password should be apply with the combination of alphabets plus special symbols or with combination of numeric digit. It should be advisable if we change the password frequently, so that no one can easily get access to the device.
3. Encryption: Take the use of encryption technology, make sure all the sensitive data like credit card details, banking details should be kept in encrypted manner on device.
4. Disable the networks: Disable the Bluetooth and WiFi when not currently be in use. Set Bluetooth-enabled devices to non-discoverable to make them invisible to unauthenticated devices.
5. Verify Authenticity of downloaded application: before going to download any application make sure it should be downloaded from authenticate market places. While

- downloading check the large number of good users reviews, check the app link of that developer website to see if the app is actively supported.
6. **Install a firewall:** A personal firewall can protect against unauthorized connections by intercepting both incoming and outgoing connection attempts and blocking or permitting them based on a list of rules
  7. **Install security updates:** Software updates can be automatically transferred from the manufacturer or carrier directly to a mobile device.
  8. **Security policy:** Security policies define the rules, principles, and practices that determine how an organization treats mobile devices whether they are issued by organization or owned by individuals. Policies should cover areas such as roles and responsibilities, infrastructure security, device security, and security assessments.

**Conclusion** - The impact that mobile devices and apps have made on businesses is undeniable. Most industries have seen positive impact by adopting some type of mobile device for their business. Thus providing security and privacy in mobile device leads to lots of benefits as it Increase Flexibility, Business owners are always on go overseeing multiple locations, servicing customers and managing suppliers. With the security management apps, you can have the ability to interact with systems from a mobile device and have the freedom to manage virtually all security controls as if you were on premise. It Improve Productivity, Business owners recently indicated that their productivity increased by up to 25% by working remotely they also understand that being more productive can give their business a competitive advantage. Whether security personnel are overseeing multiple facilities or heading to

the airport to catch a flight, they can still be manage activities such as responding to alerts or allowing access for deliveries. The ability to view and manage multiple locations from one device can help save time and assist in more effectively deploying personnel. As well it Gain Insight into Business Operations Improvements in business operations, no matter of how small, surely can positively impact profits. Security management apps, which allow access to live video, can help you better monitor interactions between employees and customers.

**References :-**

1. "Gartner Says Worldwide Traditional PC Tablet Ultramobile and Mobile Phone Shipments on Pace to Grow 7.6 Percent in 2014: Android to Surpass One Billion Users across All Devices in 2014" in, Gartner, 2014, [online] Available: [www.gartner.com/newsroom/id/2645115](http://www.gartner.com/newsroom/id/2645115).
2. *Security Threat Report 2013: New Platforms and Changing Threats*, Sophos, 2013, [online] Available: [www.sophossecuritythreareport2013.pdf](http://www.sophos.com/en-us/medialibrary/PDFs/other/sophossecuritythreareport2013.pdf).
3. *Mobile Threat Report 2013*, 2013, [online] Available: [www.f-secure.com/static/doc/labs\\_global/Research/Mobile\\_Threat\\_Report\\_Q3\\_2013.pdf](http://www.f-secure.com/static/doc/labs_global/Research/Mobile_Threat_Report_Q3_2013.pdf).
4. *Internet Security Thread Report 2014*, Symantec, vol. 19, 2014, [online] Available: [www.symantec.com/security\\_response/publications/threatreport.jsp](http://www.symantec.com/security_response/publications/threatreport.jsp).
5. S. B. Almin, M. Chatterjee, "A Novel Approach to Detect Android Malware", *Procedia Computer Science*, vol. 45, pp. 407-417, 2015.
6. Manjoo, A Murky Road Ahead for Android Despite Market Dominance, The New York Times, 2015.



# A Comprehensive study on cloud based e-learning

Deepika Ameta \* Dr.Tarun Shrimali \*\*

**Abstract** - Up gradation in technology offer new prospect in improving teaching and learning. E -Learning systems usually require hardware and software resources. Many educational institutions can't bear such investments. This paper address the contribution of E-Learning standards with the Cloud standards and the impact on using cloud computing for eLearning. An analysis for the prominent issues in current e learning systems through a comprehensive comparison between e learning systems before and after moving to Cloud Computing environment.

**Keywords** - Cloud Computing; E-learning; Cloud; Campus cloud Architecture; Learning management system.

**Introduction** - Today worldwide system has supported the e-learning among numerous foundations with the joining of learning advances with tremendous IT framework. The E learning is a learning approach in light of web innovation to start, execute, control and bolster realizing which has improved adaptability and proficiency to conventional technique for instruction.

## Literature survey

1. Mansi Bosamia and Atul Patel "AN OVERVIEW OF CLOUD COMPUTING FOR E-LEARNING WITH ITS KEY BENEFITS", International Journal of Information Sciences and Techniques (IJIST) Vol.6, No.1/2, March 2016 :- The objective of this paper is to provide educational environment which is based on reusing the existing web tools, techniques, and services to provide browser based application.
2. Jackson Kipchirchir Machii , Josphat K. Kyalo "Assessment of Cloud Computing" Adoption for E-Learning by Institutions of Higher Learning in Nairobi County, Kenya", International Journal of Scientific Research and Innovative Technology ISSN: 2313-3759Vol. 3 No. 2; February 2016 :- This paper majorly assesses the cloud computing adoption, benefits and issues
3. Chetan Bulla and Basavaraj Hunshal"Adoption of Cloud Computing in Education System: A Survey". Article . July 2016 :- In this paper based on survey Adoption of cloud computing in Education System
4. Ghazal Riahi, "E-learning systems based on cloud computing",International Conference on soft: - Introduce different models and compare to traditional e learning and cloud e learning
5. Fekry Fouad Ahmed "Comparative Analysis for Cloud Based e-learning"International Conference on Communication, Management and Information Technology (ICCMIT 2015), Computer Science 65 ( 2015 ) 368 –

376:- Investigated the issue of how Cloud Computing technology can be employed in e Learning systems in the favor of higher education which have limited budget.

6. Comparative Analysis for Cloud Based e-learning FekryFouad Ahmed (ICCMIT 2015):- This paper analysis for the prominent issues in current e learning systems through a comparison between e learning systems before and after moving to Cloud Computing environment.
7. Zaydoon Mohammad Hatamleh ,EslamNajimBadran, Bilal Mohammad Hatamleh. "A Survey on Utilizing Cloud Services in the E-learning Process" 2015:- The aim of this paper is to discuss the integration of cloud computing (service and deployment models) and e-learning to highlight the benefits and challenges of cloud computing for e-learning in HE institutions.

**Basic Concept of Cloud Computing** - Cloud computing is a technology utilizing the web to facilitate information access and improve collaboration. Cloud computing provides a group of computing resources with its dynamic scalability and virtualization usage as a service from side to side the internet. This technology is more affiant and cost effective by centralized data storage, process and bandwidth.

**Cloud Service Models** - The term "service" refers to a summarized task abounding to cloud clients that is the type of service that cloud providers & distribute to the customers.

| Cloud Computing Services | Description  |
|--------------------------|--|
| SaaS                     | <p>SaaS is deployed over the internet and provides the services on demand, through a subscription, in a "pay-as -you-go" model.</p> <p><b>Service providers</b>:-Google apps, office live.</p> <p><b>Runtime management</b>:- By the customers</p> |

\*Research Scholar, Career Point University, Kota (Rajasthan) INDIA

\*\* Research Advisor, JRVN University, Udaipur (Rajasthan) INDIA

|      |  |         |  |  |
|------|--|---------|--|--|
|      | <b>Data management</b> :-By the customers<br><b>Application management</b> :-By the customers<br><b>Used by</b> :-Business Users<br><b>Visibility</b> :-End users<br><b>No of providers</b> :- Large numbers of application in the cloud<br><b>Type of services</b> :- Dynamic infrastructure service  | Private | Private clouds provide services to the users of the particular organizations for the security and confidentiality of their private data. The fact is that these private clouds are generally owned and managed by users but they are actually developed and installed by another organization. | Amazon Virtual Private cloud, Eucalyptus Cloud Platform, |
| Paas | This cloud service modal is the platform for the establishment of software and delivered over the web. This layer providing the facilities to maintain the whole application.<br><b>Service providers</b> :-Azure, Netsuite<br><b>Runtime management</b> :- By the vendor<br><b>Data management</b> :-By the developer<br><b>Application management</b> :-By the developer<br><b>Used by</b> :-Developers and deployers<br><b>Visibility</b> :-Application developers<br><b>No of providers</b> :-Few cloud platforms<br><b>Type of service</b> :-Integration as a service | Hybird  | The combinations of both public and private clouds know as Hybrid cloud. Many organizations and customers can take benefits of both public and private cloud by using hybrid clouds.   | CTERA, Red hat open hybrid cloud                         |
| Iaas | Infrastructure as a Service gives the freedom of storing your data on the Cloud, and then accessing it from anywhere.<br><b>Service providers</b> : - IBM, Amazon.<br><b>Runtime management</b> :- By the vendor<br><b>Data management</b> :-By the vendor<br><b>Application management</b> :-By the vendor<br><b>Used by</b> :-System Manager<br><b>Visibility</b> :-Network architects<br><b>No of providers</b> :-Elite group of providers<br><b>Type of service</b> :-Dynamic application services   |         |  |  |

### Cloud Deployment Models

| Model     | Description   | Examples   |
|-----------|---|--|
| Public    | Public clouds are not restricted to any particular users or organizations. They offer services to the public all over the world without any limitations But they are not highly secure as private clouds.                               | Amazon EC2, Google AppEngine, IBMBlue Cloud and Widows Azure     |
| Community | A communityclouds provide a cloud computing solution to a limited number of individuals or organizations that is governed, managed & secured commonly by all the participating organizations or a third party managed service provider. | Google Apps for Government, Microsoft Government Community Cloud |

### E-Learning Based Cloud Computing

Common e-learning vs. e-learning based on cloud computing.

| Characteristics                                      | Common e- learning                          | E-learning based on Cloud Computing            |
|--|---|--|
| Hardware costs                                       | High cost of maintenance                    | Low cost of maintenance                        |
| Storage capacity                                     | Fixed capacity                              | Dynamic capacity                               |
| Requires specialized knowledge within the enterprise | Use of E-learning professionals             | Using a computer technician                    |
| Implementation period                                | Very long                                   | Shorter than the common method                 |
| Processing power                                     | Initial and fixed                           | In terms of demand                             |
| Security, Trust and Related Issues                   | Internal maintenance moreSecurity and trust | External maintenance reduce Security and trust |
| Overall costs  | Initial invest -ment, fixed and up          | pay-per-use                                    |

### Key benefits of Cloud based in e-learning Computing

| key benefits of cloud based e learning | Description  |
|--|--|
| Low cost                               | E-Learning users need not have high end configured computers to run the e-learning applications. They can run the applications from cloud through their PC, mobile phones, tablet PC having minimum configuration with internet connectivity. Since the data is created and accessed in the cloud. |

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| Less maintenances  | Less hardware installed no use the specific software however there will be fewer maintenance issues.  | Denial of Service attack in critical server health       | N | Y |
| Immediate software updates   | The cloud based application for e-learning runs with the cloud power, the software's are automatically updated in cloud source. So, always e-learners get updates instantly.  | Difficult to audit                                       | N | Y |
| Interoperability across devices  | No need to install specific software when move the data pc to Mobile.   | Monitoring of client logs and information by third party | N | Y |
| Worldwide access to document   | Students access anywhere required document on the cloud through the geographically  | Need for Technical IT Support for Fail over              | Y | N |
| Incentive for Teacher  | Teachers are not needed to invest the anything. Still they will be getting incentives for every access of their lectures by the students.   | Need fore Learning System Development Team               | Y | N |
| Better Storage Capacity  | Cloud provide the better storage capacity as compare to other servers   | Need for extra hardware and software Resources           | Y | N |
| Availability, fault tolerance and recovery   | guarantee a permanent service (24x7) with the use of redundant systems and to avoid net traffic overflow  | Need to configure latest technology updates              | Y | N |
| High security  | In the cloud computing model, data is storied intensively. Relying on one or more data centre, the mangers manage the unified data, allocate the resources, balance load, deploy the software, control security, and do the reliable real time monitoring, thus guarantee the users' data security to the greatest possible degree. | Need to arrange own extra power and cooling              | Y | N |
| Scalability  | Since the application is running on a server farm, the scalability is inherent to the system SaaS server may support many educational institutions. Therefore, as the students or teachers' need grows, the software performance will not degrade.  | Lack of computation and accuracy                         | N | Y |
| Energy Efficiently   | It is also important to reduce the electric charge by using microprocessors with a lower energy consumption and adaptable to their use.   | Trust  | N | Y |
| Flexibility  | Scale infrastructure to maximize investments. Cloud computing allows user to dynamically scale as demands fluctuate.  | Lack of confidentiality                                  | N | Y |
| <b>Conclusion :-</b> After studying the number of computing articles and case studies, I come to know that cloud computing is the largest buzz in the world of computer now a day. It gains Popularity in almost every field like in information technology and in educational systems. This paper gives the basic idea of cloud computing introduction, its concepts, models and services. This paper also discussed the comparison of three popular clouds delivery models- SaaS, PaaS and IaaS in the form of a table. In this paper also providing comprehensive study on e- learning systems in cloud computing environment. Focus key benefits of cloud based e learning. Cloud computing is the next big trend for an efficient e-Learning systems. |   |  |   |   |

#### Comparison between e learning systems before and after moving on to Cloud

| E Learning Characteristics                           | Before Moving to Clouds | After Moving to Clouds |
|--|-------------------------|------------------------|
| Need for Deployments                                 | Y                       | N                      |
| More Loss of control of any application or resources | N                       | Y                      |
| Higher risks of Resource availability and failure    | N                       | Y                      |
| Lack of trust in data alteration before storing      | N                       | Y                      |

#### References :-

1. Mansi Bosamia and Atul Patel "AN OVERVIEW OF CLOUD COMPUTING FOR E-LEARNING WITH ITS KEY BENEFITS", International Journal of Information Sciences and Techniques (IJIST) Vol.6, No.1/2, March 2016
2. Jackson Kipchirchir Machii , Josphat K. Kyalo "Assessment of Cloud Computing"Adoption for E-Learning by Institutions of Higher Learning in Nairobi County, Kenya", International Journal of Scientific Research and Innovative Technology ISSN: 2313-3759Vo I. 3 No. 2; February 2016
3. Chetan Bulla and Basavaraj Hunshal "Adoption of

- Cloud Computing in Education System: A Survey". Article, July 2016
4. Ghazal Riahi, "E-learning systems based on cloud computing", International Conference onsoft
  5. FekryFouad Ahmed "Comparative Analysis for Cloud Based e-learning"International Conference on Communication, Management and Information Technology (ICCMIT 2015), Computer Science 65 ( 2015 ) 368 – 376
  6. Comparative Analysis for Cloud Based e-learning FekryFouad Ahmed (ICCMIT 2015)
  7. Zaydoon Mohammad Hatamleh ,Eslam Najim Badran, Bilal Mohammad Hatamleh. "A Survey on Utilizing Cloud Services in the E-learning Process" 2015
  8. ShahriarMohammadi,Yousef Emdadi "E-Learning Based on Cloud Computing International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 3 (11), 793-802, 2014
  9. FekryFouad Ahmed "Comparative Analysis for Cloud Based e-learning" International Conference on Communication, Management and Information Technology (ICCMIT 2015), Computer Science 65 ( 2015 ) 368 – 376
  10. Fernández, A., Peralta D., Herrera F., & Benítez, J. M. (2012). An overview of e-learning in cloud computing. Proceedings of Learning Technology for Education in Cloud (LTEC '12) (pp. 35-46).
  11. Prof.Poonam R.Maskare, Prof.Sarika R.Sulke "Review Paper on E-learning Using Cloud Computing" International Journal of Computer Science and Mobile Computing, Vol.3 Issue.5, May- 2014, pg. 1281-1287
  12. Abhay S. Jadhav, Mahesh Toradmal, Ganesh K. Pakle, "Survey on Implementation of E-learning System Using Cloud Solutions", Abhay S. Jadhav et al, / (IJCSIT) International Journal of Computer Science and Information Technologies, Vol. 5 (2) , 2014, 1809-1813

\*\*\*\*\*

# Database Management on Clouds through NoSQL

**Dr. Neetu Agarwal \*** **Dr. Sanjay Chaudhary \*\***

**Abstract** - Advances in Web technology and the increasing of mobile devices and sensors connected to the Internet have resulted in immense processing and storage requirements. Cloud computing has emerged as a paradigm that promises to meet these requirements. This work focuses on the storage aspect of cloud computing, specifically on data management in cloud environments.

Traditional relational databases were designed in a different hardware and software era and are facing challenges in meeting the performance and scale requirements of Big Data (The amount of huge data). NoSQL and other data stores present themselves as alternatives that can handle huge volume of data.

In this paper the basic definition of Cloud Computing, Introduction of NoSQL, Examples, and query processing of NoSQL is included.

**Keywords** - Cloud Computing, Big Data, NoSQL etc.

**Definition of Cloud Computing** - Cloud computing means that instead of all the computer hardware and software you're using sitting on your desktop, or somewhere inside your company's network, it's provided for you as a service by another company and accessed over the Internet, usually in a completely faultless way. Exactly where the hardware and software is located and how it all works doesn't matter to you, where the "cloud" or the Internet represents.

Cloud computing has recently seen a lot of attention from research and industry for applications that can be parallelized on shared-nothing architectures and have a need for elastic scalability. As a result, new data management requirements have emerged with multiple solutions to address them.

The unique features of cloud databases (namely the ability to distribute data across wide geographical areas and among different servers in one physical data center) are based on cloud computing technology made possible by virtualization.

Due to some challenges with the traditional RDBMSs encounter in handling Big Data in the cloud environment, a number of specialized solutions have emerged in the last few years in an attempt to address these concerns. The so-called NoSQL and NewSQL data stores present themselves as data processing alternatives that can handle this huge volume of data and provide the required scalability.

## Cloud database management options (Examples) :

**1. Microsoft Azure/SQL Database** – A “full featured relational database-as-a-service,” with “Tables” that offer NoSQL capabilities for storing large amounts of unstructured data, and “Blobs” (Binary Large Objects) for

storing large amounts of unstructured text, video, audio and images.

**2. Amazon Web Services/DynamoDB/Relational Database Service** – Amazon’s offerings include NoSQL, MySQL, Oracle and MS SQL Server solutions. SimpleDB is Amazon’s “highly available and flexible non-relational data store that [takes on] the work of database administration.”

**3. Xeround** – A fully managed MySQL DBaaS that the vendor calls a “drop-in solution” because it “automates all configuration and ongoing DB operations.”

**4. Google Cloud SQL/Google App Engine Datastore** – Google’s solutions for storing structured and unstructured data.

**5. ClearDB** – This MySQL DBaaS boasts 100% uptime due to its “multi-regional read/write mirroring.”

**6. Database.com** – A native cloud database service developed in house at Salesforce.com that became generally available in 2011. The vendor’s website says it was “built with the needs of a social and mobile world at its core, not as an afterthought.”

**Introduction of NoSQL** - The term NoSQL was coined by Carlo Strozzi in the year 1998. He used this term to name his Open Source, Light Weight, DataBase which did not have an SQL interface.

In the early 2009, when users wanted to organize an event on open-source distributed databases, Eric Evans, a Rackspace employee, reused the term to refer databases which are non-relational, distributed, and does not conform to atomicity, consistency, isolation, and durability - four obvious features of traditional relational database systems. In the same year, the “no:sql(east)” conference held in Atlanta, USA, NoSQL was discussed and debated a lot.

\*Assistant Professor, Pacific College of Basic and Applied Sciences, Udaipur (Raj.) INDIA

\*\* Professor, Deptt. of CSE, Madhav University, Sirohi (Raj.) INDIA

And then, discussion and practice of NoSQL got a momentum, and NoSQL saw an unprecedented growth.

The load is able to easily grow by distributing itself over lots of ordinary, and cheap, Intel-based servers. A NoSQL database is exactly the type of database that can handle the sort of unstructured, messy and unpredictable data that our system of engagement requires.

NoSQL is a whole new way of thinking about a database. NoSQL is not a relational database. The reality is that a relational database model may not be the best solution for all situations. The easiest way to think of NoSQL is that of a database which does not hold to the traditional relational database management system (RDBMS) structure. Sometimes you will also see it referred to as 'not only SQL'.

It is not built on tables and does not employ SQL to manipulate data. It also may not provide full ACID (atomicity, consistency, isolation, durability) guarantees, but still has a distributed and fault tolerant architecture.

The NoSQL taxonomy supports key-value stores, document store, BigTable, and graph databases.

NoSQL is a non-relational database management system. NoSQL was designed specifically to handle storing and retrieving large quantities of data without defined relationships (i.e., Big Data). But, data stored in a NoSQL database can be structured.

In NoSQL systems SQL does not use as their query language and has distributed, fault-tolerant architecture. While it's true that some NoSQL systems are entirely non-relational, others simply avoid selected relational functionality such as fixed table schemas and join operations. For example, instead of using tables, a NoSQL database might organize data into **objects**, key/value pairs or tuples.

NoSQL, which encompasses a wide range of technologies and architectures, seeks to solve the scalability and big data performance issues that relational databases weren't designed to address. NoSQL is especially useful when an enterprise needs to access and analyze massive amounts of unstructured data or data that's stored remotely on multiple virtual servers in the cloud.

NoSQL has high performance with high availability, and offers rich query language and easy scalability.

### **Query Processing in NoSQL Data Base with Cluster Point version 4.0(new)**

Here are some screen shorts which represents creation of database and various query processing with NoSQL Data Base.

1. Create Data Base Query:- (See in next page)
2. Insert Query:- (See in next page)
3. Select Query:- (See in next page)
4. Update Query:- (See in next page)

5. Delete Query:- (See in next page)

6. Select Query with Where clause (See in next page)

First of all we create database with name "college", insert some data in this database with the help of **Insert** command. We get a message after run query, which is showing in the third screen short. After that we execute **Select** command. Then we use **Delete** command for a particular row, for this we have to use id which is generated for each row when data base is created. Now we use **Update** query with particular id for updation in data base and after that we are executing **Select** query with **Where** clause.

Cluster point is a database which is using cloud for data distribution to each and every user as per requirement. It is using NoSQL for this process. It is doing work on Horizontal Scaling in which the data is distributed equally as the user requirement.

NoSQL has many benefits like this data base can be used for **Document-based**, **Key-value based**, **Column based**, **Graphical data bases**. It has constant uptime that keeps you always open for business, scale online for any sized workload, fast performance for Web, mobile applications, very good approach in distributing data across multiple data centers, geographies, and cloud providers, hundreds of nodes are simple to operate and manage etc.

### **References :-**

1. Amazon Web Services. SimpleDB. Web Page. <http://aws.amazon.com/simpledb/>.
2. B. Cooper, R. Ramakrishnan, U. Srivastava, A. Silberstein, P. Bohannon, H. Jacobsen, N. Puz, D. Weaver, and R. Yerneni. Pnuts: Yahoo!'s hosted data serving platform. In Proceedings of VLDB, 2008.
3. F. Chang, J. Dean, S. Ghemawat, W. C. Hsieh, D. A. Wallach, M. Burrows, T. Chandra, A. Fikes, and R. E. Gruber. Bigtable: a distributed storage system for structured data. In Proceedings of OSDI, 2006.
4. <http://www.datastax.com/nosql-databases>
5. J. Dean and S. Ghemawat. Mapreduce: Simplified data processing on large clusters. pages 137–150, December 2004. [www.clusterpoint.com](http://www.clusterpoint.com)
6. M. Brantner, D. Florescu, D. Graf, D. Kossmann, and T. Kraska. Building a Database on S3. In Proc. of SIGMOD, pages 251–264, 2008.
7. Megan Berry, Database Management in the Cloud Computing Era
8. R. Agrawal, J. Kiernan, R. Srikant, and Y. Xu. Order preserving encryption for numeric data. In Proc. of SIGMOD, pages 563–574, 2004.
9. R. Chaiken, B. Jenkins, P.-A. Larson, B. Ramsey, D. Shakib, S. Weaver, and J. Zhou. Scope: Easy and efficient parallel processing of massive data sets. In Proc. of VLDB, 2008.
10. [www.clusterpoint.com](http://www.clusterpoint.com)

## 1. Create Data Base Query:-

Databases (1 out of 4)

request\_statistics (v2.0) 197.22 MB

stu (v2.0) 2.89 MB

stu1 (v2.0) 1.22 MB

Create database

Create database


Name: college Version: v2.0

You can choose the database version in the dropdown above.  
You will be able to access this database with respective API version  
versions & API documentation.

Description: Database description

OK Cancel


## 2. Insert Query:-



The screenshot shows the Clusterpoint Web Console interface. In the top navigation bar, there are tabs for 'Databases' (selected), 'Users', 'Import data', and 'Run query'. Below the tabs, it says 'Databases > college v4.0' and 'Run query' with an 'Autocommit' button. The main area contains a code editor with the following MongoDB insert query:

```
insert into college
{
  "name": "IITP",
  "owner": "NCS"
}
```

Below the code editor, there are three tabs: 'Results' (selected), 'Raw response', and 'Last executed queries'. At the bottom right of the results area, there is a 'Run query' button.




The screenshot shows the Clusterpoint Web Console interface after running the insert query. The results table has two columns: '\_id' and 'value'. The '\_id' column shows a single document ID: 'AgAAbCvIDgk='.


| _id          | value                              |
|--------------|------------------------------------|
| AgAAbCvIDgk= | { "name": "IITP", "owner": "NCS" } |

A message at the bottom right of the results table states: 'Query completed in 0.000045 seconds. Found undefined document.'

## 3. Select Query:-




The screenshot shows the Clusterpoint Web Console interface. At the top, there are tabs for 'Database' and 'Import Data'. Below the tabs, a search bar contains the query 'select \* from college'. A 'Run query' button is visible. The main area displays the results of the query, which is currently empty. At the bottom, there are buttons for 'Find More' and 'Download'.



The screenshot shows the Clusterpoint Web Console interface after the query has been run. The results table is displayed with three rows of data:


| id | name | _id          |
|----|------|--------------|
| 55 | MSU  | AgAAhBvOgk=  |
| 56 | GITS | AQAAuArvDgk= |
| 57 | ACES | AgAAhCvDgk=  |

## 4. Update Query:-



The screenshot shows the Clusterpoint Web interface. In the top navigation bar, there are tabs for Databases, Users, Import Data, and API connections. Below the navigation, there are buttons for Insert, Select, Delete, Update, and Create Table. The main area contains a code editor with the following SQL query:

```
UPDATE college SET cname="AQAACAcnDgk" WHERE id=57
```



The screenshot shows the Clusterpoint Web interface. In the top navigation bar, there are tabs for Databases, Users, Import Data, and API connections. Below the navigation, there are buttons for Insert, Select, Delete, Update, and Create Table. The main area contains a code editor with the following SQL query:


```
SELECT * FROM college
```

Below the code editor, the results table shows two rows of data:

| id | cname | id          |
|----|-------|-------------|
| 56 | hngu  | AQAACAcnDgk |
| 57 | ACES  | AqAAcC6Dgk  |


A message box indicates: "Query completed in 0.042625 seconds. Found 2 documents."

## 5. Delete Query:-



The screenshot shows the Clusterpoint CONSOLE interface. The URL in the address bar is [https://localhost:44300/\\_clusterpoint/\\_api/v1/databases/college/run-query](https://localhost:44300/_clusterpoint/_api/v1/databases/college/run-query). The main area displays a query: `DELETE college WHERE name = "AQMAdAn/Diglo"`. Below the query, there is a results table with one row:

| id | name | _id           |
|----|------|---------------|
| 56 | Impu | AQMAdAn/Diglo |



The screenshot shows the Clusterpoint CONSOLE interface. The URL in the address bar is [https://localhost:44300/\\_clusterpoint/\\_api/v1/databases/college/run-query](https://localhost:44300/_clusterpoint/_api/v1/databases/college/run-query). The main area displays a query: `SELECT * FROM college`. Below the query, there is a results table with two rows:

| id | name | _id           |
|----|------|---------------|
| 56 | Impu | AQMAdAn/Diglo |
| 57 | ACDB | AQMAdCvxDiglo |

A message box on the right indicates: "Query completed in 0.050644 seconds. Found 2 documents."

## 6. Select Query with Where clause

The screenshot shows a web-based Oracle SQL interface. At the top, there's a navigation bar with tabs for 'Databases' (selected), 'Users', and 'Import data'. Below the bar, a sub-menu for 'college' is open, showing options like 'Insert in...', 'SELECT e...', 'DELETE co...', 'UPDATE co...', and 'New table...'. A red box highlights the 'SELECT e...' option. The main area contains a code editor with the following SQL query:

```
SELECT cname from college where cname='ACES'
```

Below the code editor, there's a 'Run Query' button. The results section shows a table with one row:

| ename | id           |
|-------|--------------|
| ACES  | A9AAbCvE0gk+ |

\*\*\*\*\*

# Importance of Yoga in Physical Education

Dr. Avinash Verma \*

**Introduction** - Yoga is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science, which focuses on bringing harmony between mind and body. It is an art and science of healthy living. The word 'Yoga' is derived from the Sanskrit root 'Yuj', meaning 'to join' or 'to yoke' or 'to unite'. As per Yogic scriptures the practice of Yoga leads to the union of individual consciousness with that of the Universal Consciousness, indicating a perfect harmony between the mind and body, Man & Nature. According to modern scientists, everything in the universe is just a manifestation of the same quantum firmament. One who experiences this oneness of existence is said to be in yoga, and is termed as a yogi, having attained to a state of freedom referred to as mukti, nirvana or moksha. Thus the aim of Yoga is Self-realization, to overcome all kinds of sufferings leading to 'the state of liberation' (Moksha) or 'freedom' (Kaivalya). Living with freedom in all walks of life, health and harmony shall be the main objectives of Yoga practice."Yoga" also refers to an inner science comprising of a variety of methods through which human beings can realize this union and achieve mastery over their destiny.Yoga, being widely considered as an 'immortal cultural outcome' of Indus Saraswati Valley civilization – dating back to 2700 B.C., has proved itself catering to both material and spiritual upliftment of humanity.Basic humane values are the very identity of Yoga Sadhana.

**A Brief History and Development of Yoga** - The practice of Yoga is believed to have started with the very dawn of civilization. The science of yoga has its origin thousands of years ago, long before the first religions or belief systems were born. In the yogic lore, Shiva is seen as the first yogi or Adiyogi, and the first Guru or Adi Guru.

Several Thousand years ago, on the banks of the lake Kantisarovar in the Himalayas, Adiyogi poured his profound knowledge into the legendary Saptarishis or "seven sages". The sages carried this powerful yogic science to different parts of the world, including Asia, the Middle East, Northern Africa and South America. Interestingly, modern scholars have noted and marvelled at the close parallels found between ancient cultures across the globe. However, it was in India that the yogic system found its fullest expression. Agastya, the Saptarishi who travelled across the Indian subcontinent, crafted this culture around a core yogic way of life.

**Importance of Yoga** - Yoga is not a religion; it is a way of

living that aims towards 'a healthy mind in a healthy body'. Man is a physical, mental and spiritual being; yoga helps promote a balanced development of all the three. Other forms of physical exercises, like aerobics, assure only physical well-being. They have little to do with the development of the spiritual or astral body. yogic exercises recharge the body with cosmic energy and facilitates:

1. Attainment of perfect equilibrium and harmony
2. Promotes self-healing.
3. Removes negative blocks from the mind and toxins from the body
4. Enhances personal power
5. Increases self-awareness
6. Helps in attention, focus and concentration, especially important for children
7. Reduces stress and tension in the physical body by activating the parasympathetic nervous system

The aspirant feels rejuvenated and energized. Thus, yoga bestows upon every aspirant the powers to control body and mind.

Yogic, yoga being a subject of varied interests, has gained world wide popularity. Recent research trends have shown that it can serve us applied science in a number of fields such as eructation, physical education and sports. Health and family welfare, psychology and medicine and also one of the valuable means for the development of human resources for human resources for better performance and productivity, however, there exist controversy and accepting yoga as medicine and therapy because it has generally been believed that yoga is spiritual science having emancipation as its goals and hence can be treated only as a therapy. It is now being realized in all parts of the globe that yoga is not only for better development of mind, socio-control, and spiritual, moral but also a therapy.

Yoga is a Sanskrit word, derived from the root 'Yuj', meaning to meaning to control, to yoke or to unite. It is about to the integration of person's own consciousness and the universal consciousness. Also known as a union of mental and spiritual disciplines i. e. body and soul. Yoga originated in India about 5000 years ago. It was evolved as 'spiritual practice' in Hinduism. There is a legend that knowledge of Yoga was first passed by lord shiva to

\*Asst. Prof. (Physical Education) Sendhwa Physical Education Institute, Sendhwa, Distt. Barwani (M.P.) INDIA

his wife Parvati and from there into the lives of human. Yoga is one of the six Darshanas (Views) of 'Hindu classical philosophy' :

1. Sankhya- a strongly dualist theoretical exposition of mind and matter.
2. Yoga- a strongly dualist theoretical exposition of mind and matter.
3. Nyaya or logics.
4. Vaisheshika-an empiricist school of atomism.
5. Mimamsa- an anti-ascetic and anti-mysticist school of orthopraxy.
6. Vedanta- opposing Vedic ritualism in favor of mysticism. Vedanta came to be the dominant current of Hinduism in the post-medieval period.

In rest of the world other than India, the term yoga is typically considered as form of 'physical exercise' which is actually associated with Hatha Yoga and its Asanas (postures). In American society, yoga was first introduced by 'Swami Vivekananda' in late nineteenth century as spiritual practice. Now, in western countries yoga is popular as a way of keeping fit and healthy. It is a combination of breathing exercises, physical postures and mediation. This is only a part of the broad view of yoga.



**Types of Yoga- Major Branches of yoga are :**

1. Raja Yoga – Compiled in 'Yoga Sutras of Patanjali.'
2. Karma Yoga
3. Gyana or Jnana Yoga
4. Bhakti Yoga
5. Hatha Yoga

As per shiv samihita, shiva syays "I have studied all religions and given the best out of them as yoga and in relation to pranayam or the breath control, he says, if you control your breath, you control the mind you control the breath".

Chakraboty gives importance of yoga as in the ancient advanced cultures like Greek, Spartan, Athens and Indus-Valley civilization; there is a clear proof of regular physical exercise all this know to each and every body. Now amongst the physical exercise most effective ones are yoga and naturopathy. The nature of every yogic practice is psycho physiological and if this conceptual background is not clearly understood, the whole outlook on yogic practice will be disturbed. The relation of yogic in terms of anatomy and psychology would remove misconception about them.

Yoga exercise are scientific means for strengthen of all living of atrophying muscle fibers and tissues. The system teaches how to awake new life pulsation in active tissue. In this context it is from others systems of exercise in as much as it teaches one how to concentrate his attention

on the awakened energy which is the direct gives of power along with bodily strength. This aspect of yoga is technically known as "asanas" which will Develop by the latin yogic in to a well organized system of physical culture.

Yoga is also method of self realizations which beings with the perfection of one's physical self and aspires to achieve a state of consciousness. It is, therefore no wonder that from the mythological point of view, God himself is attributed to have discovered yoga (Lord Shiva). Pajama is a science of respiration. It consist of three phase Purack, Khumbhak. It is an admitted psychology fact that the ordinary act of respiration involves, appreciable changes in the pressure condition obtainable in the lungs, in the thorax and in the abdomen if the respiration made deeper, the pressure changes become considerable and under particular circumstances these change are observed to be remarkably great. Pranayama improves the circulation of blood and capable of producing very high pressure in the lungs and in the thorax. Pranayama is one of the first exercises for a weak heart and weak lungs. If it's physiology is properly known and if it is judicially administered exercises capable of giving wonderful results.

**Benefits of Yoga** - The art of practicing yoga helps in controlling an individual's mind, body and soul. It brings together physical and mental disciplines to achieve a peaceful body and mind; it helps manage stress and anxiety and keeps you relaxing. It also helps in increasing flexibility, muscle strength and body tone. It improves respiration, energy and vitality. Practicing yoga might seem like just stretching, but it can do much more for your body from the way you feel, look and move.


Yoga asanas build strength, flexibility and confidence. Regular practice of yoga can help lose weight, relieve stress, improve immunity and maintain a healthier lifestyle.

In 2014, Indian Prime Minister Narendra Modi suggested United Nations to celebrate June 21 as the International Yoga Day as it is the summer solstice; the longest day of the year in the Northern Hemisphere.

"Yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition. This tradition is 5000 years old. It embodies unity of mind and body; thought and action; restraint and fulfilment; harmony between man and nature; a holistic approach to health and well-being. It is not about exercise but to discover the sense of oneness with yourself, the world and the nature. By changing our lifestyle and creating consciousness, it can help in well being . Let us work towards adopting an International Yoga Day."

#### References :-

1. Yogendra Yoga Physical education (Mumbai) : The Yoga Institution, Santacruz, 1971
2. Swami Kuvalayanada, Pranayama (Lonavala : Kaivayadham, 1966)
3. Joshi, K. S., Yoga and Personality (Allahabad : Uddiyana Publications, 1967)
4. <http://www.meaindia.gov.in> (Dr. Ishwar V basavaraddi, yoga : Its Origin, History and development)
5. Benefits of Yoga, Writ. by Medindia Content Team



\*\*\*\*\*

## चर्मकारों का बढ़ता शैक्षिक स्तर राजस्थान के विशेष संदर्भ में

डॉ. योगेश चन्द्र जोशी \*

**शोध सारांश** – चमार अथवा चर्मकार भारतीय उपमहाद्विप में पाई जाने वाली जाति समूह है। वर्तमान समय में यह जाति अनुसूचित जातियों की श्रेणी में आती है। यह जाति अस्पृश्यता की कुप्रथा का शिकार भी रही है। इस जाति के लोग परम्परागत रूप से चमड़े के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सम्पूर्ण भारत में चमार जाति अनुसूचित जातियों में अत्यधिक संख्या में पाई जाने वाली जाति है, जिनका मुख्य व्यवसाय, चमड़े की वस्तु बनाना है।

आज चर्मकार शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं तथा स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वे पहले से अधिक स्वतंत्र एवं मुख्य हो गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज चर्मकारों को शिक्षा सशक्तीकरण के संबंध में सरकार की पूर्ण सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। यह बढ़लाव चर्मकारों में एक बहुत ही बड़े परिवर्तन की शुरूआत है। चर्मकारों में शिक्षा एवं वैचारिक क्रांति के अपूर्व समायोजन ने उनके अन्तर्मन को झकझोर दिया है। आज सम्पूर्ण चर्मकार समाज घर से बाहर निकलकर शिक्षा प्राप्त करने लगा है।

**शब्द कुंजी** – जाति, समाज, चर्मकार, शिक्षा, शैक्षिक, विद्यार्थी, राजस्थान।

**प्रस्तावना** – एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में भारत में जाति सिर्फ अपना रूप बदल रही है। निर्जीत होने की कोई प्रक्रिया कहीं से चलती नहीं दिखती। हम किसी के बारे में कह सकते हैं कि वह आधुनिक है या उत्तर आधुनिक है। लेकिन यह नहीं कह सकते कि उसकी कोई जाति नहीं है। यह एक भयावह प्रासादी है। क्या हो जाति से मुक्ति की परियोजना ? एक विद्यार्थी, एक समाजकर्मी कैसे करे जाति से संघर्ष ? इन्हीं सवालों पर केन्द्रित हैं।

चमार अथवा चर्मकार भारतीय उपमहाद्विप में पाई जाने वाली जाति समूह है। वर्तमान समय में यह जाति अनुसूचित जातियों की श्रेणी में आती है। यह जाति अस्पृश्यता की कुप्रथा का शिकार भी रही है। इस जाति के लोग परम्परागत रूप से चमड़े के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सम्पूर्ण भारत में चमार जाति अनुसूचित जातियों में अत्यधिक संख्या में पाई जाने वाली जाति है।

चर्मकार जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय चमड़े की वस्तुएं बनाना है। इस जाति के लोग मरे हुए जानवरों के चमड़े से विभिन्न कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं, जिसके अन्तर्गत चमड़े के जूते-चप्पल बनाना, चमड़े के बेल्ट बनाना, चमड़े के पर्स बनाना, चमड़े के बैग बनाना, चमड़े की गोफन बनाना आदि। इस जाति के लोगों का पृष्ठैनी कार्य रहा है।

संविधान बनने से पूर्व भारत में चर्मकार केवल चमड़े का कार्य ही करते थे, उन्हें पढ़ने-लिखने तथा दूसरे लोगों की तरह बाहर काम करने आदि अनेक क्षेत्रों में अनुमति नहीं थी तथा उनको अछूतों की श्रेणी में रखा जाता था। अंग्रेजों के आने से पहले तक भारत में चमार जाति के लोगों पर बहुत यातनाएं तथा जुल्म किए जाते थे।

आजादी के बाद भी इन पर हो रहे जुल्मों व यातनाओं को रोकने के लिए इनको भारत के संविधान में अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया। सभी तरह के जुल्मों तथा यातनाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बावजूद भी देश में कुछ जगहों पर इन जातियों के साथ यातनाएं आज भी होती हैं।

इस बात पर संत रविदास ने कहा है – **चर्मकार कोई नीच जाति नहीं सनातन धर्म के रक्षक है, जिन्हें भी मुगलों का जुल्म सहना पड़ा था।**

भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। संविधान लागू होने के बाद सभी को समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अत्याचारों से मुक्ति पाने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। जिसमें चर्मकार समाज को भी सभी के समान अधिकार दिए गए, किन्तु निरक्षरता एवं घरेलू तथा भारतीय धार्मिक परंपराओं के कारण चर्मकार, सरकार द्वारा दिए गये उन समस्त अधिकारों का सम्पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए। अतः चर्मकार आज भी अपमानित, उपेक्षित और धृणित है।

भारत में समस्त सुसंगठित पंचायतों से 150 से अधिक चमार जाति की उपजातियों की पहचान होती है, जिनमें जाटव, कुरील, संखवार, ढोहरे, ततवा, मोची, आदि आते हैं। चूंकि उक्त जातियों का कार्य चमड़े से निर्मित वस्तुओं का व्यापार करना था। परन्तु अब शिक्षा के कारण तथा तीव्र बुद्धि के बल पर उन्होंने प्रत्येक जगह अपनी मजबूत स्थिति बनाई है।

भारत में ब्राह्मण जाति के बाद सर्वाधिक अखिल भारतीय सेवाओं में चमार जाति से है। मध्यकाल में चमार एक अपवित्र जाति के कलंक के रूप में जानी जाती थी। सामान्यतः इन जातियों का निवास हिन्दू जाति के गाँवों में होता है। आज भी कई लोग चमड़े के व्यापार व अन्य परम्परागत व्यवसाय करते हैं और बहुत से लोग खेतिहार मजदूर हैं।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक दृष्टि से केवल भ्रमित है बल्कि उसकी चिंतन की दिशा भी त्रुटिपूर्ण है। हम राजनीतिक क्षेत्र में मात्र वोट की परिकल्पना से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जाति, वर्ग, पंथ आदि के भेद को आज देश में उच्च-निम्न की दृष्टि से देखा जाता है। 6500 जातियों व 50000 से अधिक उपजातियों में बँटा हुआ आज का हिन्दू समाज अपनी दुर्दशा पर आँसू बहा रहा है। हिन्दू चर्मकार जाति उसमें से एक है। पूर्व में चार वर्ण, एक सौ सत्रह गोत्र और छत्तीस जातियों में सम्पूर्ण हिन्दू समाज सुव्यवसित था।

राजस्थान में चमार जाति के लोग पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के आसपास के जिलों में मिलते हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़,

\* सहायक आचार्य (शिक्षा विभाग) माधव विश्वविद्यालय, पिण्डवाड़ा, सिरोही (राज.) भारत

चुरू, हुंजूनू, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में बसे हुए लोग चमार के रूप में जाने जाते हैं तथा भरतपुर, धौलपुर और अलवर के कुछ हिस्सों में लोग जाटव, रायगढ़ तथा मोची के रूप में जाने-पहचाने जाते हैं।

राजस्थान में चर्मकार जाति ने आज पढ़-लिखकर शादी-विवाह, ढेज, छुछक, भात, मृत्युभोज आदि सामाजिक रीति-रिवाजों में फिजुल खर्च करना बढ़ कर दिया है। अपनी बहन-बेटियों एवं माता-पिता को सलाह दी जा रही है कि यह फिजुल खर्च बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाए जिससे बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़े तथा समाज को अग्रणी बनाए।

राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में आने वाली चर्मकार जाति को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। अतः चर्मकारों ने पुत्र प्राप्ति का मोह छोड़कर एक या दो संतान पैदा करने का संकल्प किया है तथा उनको पढ़ा-लिखाकर उच्च अधिकारी बनाया जा रहा है एवं बहुत से चर्मकार जाति के अधिकारी राजस्थान में वर्तमान में कार्यरत हैं।

आज चर्मकारों की शिक्षा की बातें और योजनाएं गाँवों एवं शहरों में फेल रही हैं। राजस्थान के बड़े शहरों और 'मेट्रो सिटी' में रहने वाले चर्मकार शिक्षित, आर्थिक रूप से स्वतंत्र, नयी सोच वाले, ऊँचे पदों पर काम करने वाले बन गए हैं, वही दूसरी तरफ गाँवों में रहने वाले चर्मकार भी आज अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।

वर्तमान में चर्मकारों ने अपने स्तर पर हर क्षेत्र में सफलता हासिल की है। अगर उनकी शिक्षा के विषय में बात करें तो हम अवसर अखबारों में पढ़ते हैं - राजस्थान बोई परीक्षा परिणाम में चर्मकार के बेटे या बेटी ने बाजी मारी, आईआईटी परीक्षा परिणाम में चर्मकार का बेटा या बेटी सर्वप्रथम। अतः चर्मकार अपने प्रयास और प्रयत्न में पीछे नहीं हैं, किन्तु आवश्यकता है उन्हें सही अवसर प्रदान करने की।

आज चर्मकार शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं तथा रवयं को गौवान्वित महसूस कर रहे हैं। वे पहले से अधिक रवतंत्र एवं मुखर हो गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज चर्मकारों को शिक्षा सशक्तीकरण के संबंध में सरकार की पूर्ण सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। यह बदलाव चर्मकारों में एक बहुत ही बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। चर्मकारों में शिक्षा एवं वैचारिक क्रांति के अपूर्व समायोजन ने उनके अन्तर्मन को झकझोर दिया है। आज तक घर की चार दीवारी में कैद रहने वाले चर्मकार घर से बाहर निकलकर शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं।

राजस्थान में चर्मकार समाज के लोग भीनमाल, जालोर, सिरोही, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, श्रीगंगानगर आदि जिलों में बहुतायत संख्या में निवास कर रहे हैं। वहाँ के लोग आज पढ़-लिखकर, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सरकारी क्षेत्र में अध्यापक, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, थानेदार इंजिनीयर बने हुए हैं। भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा में भी कार्य कर रहे हैं। राजनीति क्षेत्र में सरपंच, विधायक, सांसद तथा नीजि क्षेत्र के अंतर्गत विश्व की कई बड़ी-बड़ी कंपनियों के अध्यक्ष, संचालक, मैनेजर व मुखिया बने हुए हैं साथ ही कई कंपनियों में सीईओ और एजीक्यूटिव डायरेक्टर का पढ़ संभाल रहे हैं तो कोई कंपनी के फाउंडर बने हुए हैं तो कुछ विदेशों में भी अपने चर्मकार समाज की अलग पहचान बना रहे हैं।

सरकार द्वारा चर्मकारों को अब कानूनी अधिकार मिल चुके हैं। वे उन्हें प्राप्त कानूनी अधिकारों का उपयोग करते हुए रवयं को कठिन परिस्थितियों में भी राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से सशक्त करने में लगे हुए हैं। अब चर्मकारों का सामाजिक सशक्तिकरण हो गया है, अब वे अपने कानूनी अधिकारों का समुचित उपयोग कर रहे हैं। शिक्षा शक्ति सम्पन्न चर्मकारों की

महत्वकांक्षा को चुनौती देना अब आसान नहीं है।

चर्मकारों के लिए शिक्षा को महत्व का विषय मानते हुए राजस्थान सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं तथा पिछले कुछ वर्षों में चर्मकारों की शिक्षा के कार्यों में तेजी भी आई है। इन्हीं प्रयासों के कारण चर्मकार रवयं को ढकियानूसी जंजीरों से मुक्त करने की हिम्मत करने लगे हैं। सरकार चर्मकारों की शिक्षा के लिए नई-नई योजनाएँ बना रही हैं, कई एनजीओ भी चर्मकारों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं, जिससे चर्मकार बिना किसी सहारे के हर चुनौती का सामना कर सकने के लिए तैयार हो रहे हैं। अपना शैक्षिक स्तर बढ़ाकर आज चर्मकारों ने सामाजिक स्थिति में सुधार करना प्रारंभ कर दिया।

राजस्थान में चर्मकारों की शिक्षा हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे विशेष प्रयासों के अन्तर्गत स्कूल, कॉलेज एवं युनिवर्सिटी में चर्मकारों को शिक्षण शुल्क में छुट भी प्रदान की जा रही है तथा चर्मकारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। यह छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को उनके भरण-पोषण, पुस्तक, स्टेशनरी आदि हेतु दी जाती है। जिससे गरीब एवं आश्रित चर्मकारों को उच्च शिक्षा प्राप्ति में किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार सरकार द्वारा भी चर्मकारों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

बदलते दौर में अब चर्मकार शिक्षा प्राप्ति हेतु विशेष रुचि दिखा रहे हैं। चाहे वह विज्ञान, व्यापार, अंतरिक्ष, खेल, राजनीति आदि हर क्षेत्र में राजस्थान के चर्मकारों ने नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। शिक्षा की विशेष समझ रखने वाले चर्मकार आज सम्पूर्ण दुनिया में अपना वर्चस्व फैला रहे हैं। चर्मकारों की शिक्षा को बढ़ावा देने और तरक्की के लिए कई कंपनियाँ अपने यहाँ नौकरी दे रही हैं।

निश्चित रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के इन्हें वर्षों बाद राजस्थान में चर्मकारों ने अपना शैक्षिक स्तर बढ़ाया है। उन्होंने कई उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, आने वाले समय में प्रवेश करने से पहले चर्मकारों को आत्मनिर्भर बनना होगा, जिसके लिए आवश्यकता है, विचार परिवर्तन की, सामाजिक संकीर्णताओं से मुक्ति पाने की तथा संघर्ष करने की, संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। आज संघर्ष के कारण चर्मकार इतनी उल्लिकरण पाए हैं। अतः सफलता के लिए संघर्ष आवश्यक है। इसलिए कहा गया है - 'मन के हारे हार, मन के जीते जीत'

शिक्षा का स्वरूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के इन्हें वर्षों बाद राजस्थान में चर्मकारों ने अपना शैक्षिक स्तर बढ़ाया है। उन्होंने कई उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, आने वाले समय में प्रवेश करने से पहले चर्मकारों को आत्मनिर्भर बनना होगा, जिसके लिए आवश्यकता है, विचार परिवर्तन की, सामाजिक संकीर्णताओं से मुक्ति पाने की तथा संघर्ष करने की, संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। आज संघर्ष के कारण चर्मकार इतनी उल्लिकरण पाए हैं। अतः सफलता के लिए संघर्ष आवश्यक है। इसलिए कहा गया है - 'मन के हारे हार, मन के जीते जीत'

शिक्षा का स्वरूप बनने से ज्ञानवान, कौशल निपुण एवं सेवाभावी विद्यार्थियों का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार के विद्यार्थी राष्ट्रीय एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपना योगदान दे सकते हैं एवं समस्याओं के समाधान में भी अपनी भूमिका का निर्वाह करने में सक्षम हो सकते हैं। अब राजस्थान के सम्पूर्ण चर्मकार समाज ने संगठित होना शुरू हुआ है। उन्होंने शिक्षित बनने-बनाने, संघर्ष करने-कराने का संकल्प लिया है। पीछे मुड़कर नहीं देखने तथा अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने तथा शिक्षित बनने व संघर्ष करने का संकल्प लिया है। राजस्थान सरकार द्वारा भी चर्मकारों को उच्च शिक्षा प्रदान कराने तथा शिक्षा की ओर ख़ज़ान बढ़ाने उनकी बनाई गयी पुरानी नीतियों में सुधार किया जा रहा है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. आलेख - जाति का दंश और मुक्ति की परियोजना
2. <http://www.wikiwand.com/hi/wiki/चमार>
3. निबंध - शिक्षा : समाज के लिए वरदान है, कारोबार नहीं (<https://anuradhwagaurav.wordpress.com>)

4. चमार एवं खटिक जाति का गौरवशाली इतिहास, भाग-2 (<https://sanatansewa.blogspot.com/2015/04/blog-post>)
5. हिन्दू धर्मकार जाति - विजय सोनकर शास्त्री, प्रभात प्रकाशन, 2014
6. आलेख - सावित्रीबाई फुले सामाजिक-शैक्षिक क्रांति की महानायिका, 2 जनवरी, 2017 (<https://ajmernama.com>)
7. हिन्दू धर्मकार जाति-एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय इतिहास - डॉ. विजय सोनकर शास्त्री प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2014
8. आलेख - जाति प्रश्न और उसका समाधान : एक मार्कर्सवादी दृष्टिकोण - दिशा संधान, अंक - 2 जुलाई-सितम्बर, 2013 (<http://dishesandhaan.in>)

\*\*\*\*\*

## समाज और देश के निर्माण में शिक्षक की भूमिका

डॉ. योगेश चन्द्र जोशी \*

**शोध सारांश** – समाज व देश के निर्माण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और आविष्य में भी इसे नकारा नहीं जा सकेगा। शिक्षक समाज व राष्ट्र के भावी नागरिकों के वास्तविक सम्पर्क में आकर उनका चरित्र निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाता है। समाज व राष्ट्र के भावी नागरिकों के निर्माण का उत्तरदायित्व शिक्षक पर ही है। यदि प्रत्येक शिक्षक विद्यार्थियों हेतु अपने उपयुक्त दायित्वों का निर्वहन करें तो सिर्फ शिक्षक ही समाज व राष्ट्र का निर्माता होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि आज के विद्यार्थी कल समाज व राष्ट्र का सुनहरा भविष्य हैं। अतः आज एक शिक्षक द्वारा अच्छी शिक्षा देने का अर्थ कल समाज व देश के सुनहरे भविष्य का निर्माण करना है।

**शब्द कुंजी** – शिक्षक, विद्यार्थी, नागरिक, समाज, राष्ट्र।

**प्रस्तावना** – आधुनिक जगत में ज्ञान, तकनीकी एवं सूचना क्रांति के विकास के साथ-साथ सामाजिक मूल्यों एवं मान्यताओं में भारी बदलाव हुआ है, जिसके चलते आज मानवीय समाज अनेक पर्यावरणीय तथा मनोसामाजिक समस्याओं से दिया हुआ है। ऐसे में शिक्षक भी अछूता नहीं है, परन्तु प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता व विश्व की अनेक सभ्यताएं धार्मिक प्रवृत्ति से समृद्ध थी जिसमें धर्म को आधार मानकर शिक्षा दी जाती थी। मनुष्य मात्र का सम्पूर्ण जीवन सांख्यिक चेतना एवं धार्मिक सहिष्णुता से संचालित होता था। इसके साथ-साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक ढाँचे धार्मिक विचारधाराओं से सिंचित थे। जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था। अतः उस समय शिक्षक की भूमिका ईश्वर के रूप में थी। ‘**शिक्षक मोक्ष मार्ग का दाता था तथा शिक्षा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग थी।**’

भारत देश गुरुकुल परमपरा के प्रति समर्पित रहा है। यहाँ के बिंदुष्ठ, संदीपन धीम्य आदि के गुरुकुलों से राम कृष्ण, सुदामा जैसे शिष्य निकले, जिन्होंने अपना जन्म तो सार्थक किया ही, साथ ही विश्व वसुधा की सद्गङ्गा का आलोक प्रदान किया और इतिहास को भी धन्य बनाया। भारत कभी जगद्गुरु हुआ करता था। इस देश को जगद्गुरु बनाने वाला एक ही तत्त्व है और उसका नाम – शिक्षक, गुरु, आचार्य है।

शिक्षक समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्ति होता है। किसी भी देश या समाज के निर्माण में शिक्षा की अहम् भूमिका होती है। कहा जाए तो शिक्षक ही समाज का आईना होता है। हिन्दू धर्म में शिक्षक के लिए कहा गया है कि ‘**आचार्य देवेऽश्वः**’ अर्थात् शिक्षक या आचार्य ईश्वर के समान होता है। यह दर्जा एक शिक्षक को उसके द्वारा समाज में दिए गए योगदानों के बदले स्वरूप दिया गया जाता है।

शिक्षक का दर्जा समाज में हमेशा से ही पूजनीय रहा है। कोई शिक्षक को ‘गुरु’ कहता है तो कोई ‘आचार्य’ तो कोई ‘अध्यापक’ या ‘टीचर’ कहता है। ये सभी शब्द एक ऐसे व्यक्ति को चिह्नित करते हैं, जो सभी को ज्ञान देता है, सिखाता है और जिसका योगदान किसी भी समाज या देश, राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है।

सही अर्थ में कहा जाए तो एक शिक्षक ही अपने विद्यार्थी का जीवन गढ़ता है और शिक्षक ही समाज की आधारशिला है। एक शिक्षक अपने

जीवन के अंत मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को राह दिखाता रहता है, तभी शिक्षक को समाज व देश में उच्च दर्जा दिया जाता है।

माता-पिता बच्चे को जन्म देते हैं। उनका स्थान कोई नहीं ले सकता, उनका कर्ज हम किसी भी रूप में नहीं उतार सकते, लेकिन एक शिक्षक ही है, जिसे हमारी भारतीय संस्कृति में माता-पिता के बराबर दर्जा दिया गया है, क्योंकि शिक्षक ही हमें समाज में रहने योग्य बनाता है, इसलिए ही शिक्षक को ‘**समाज का शिल्पकार**’ भी कहा जाता है।

गुरु या शिक्षक का संबंध केवल विद्यार्थी को शिक्षा देने से ही नहीं होता बल्कि वह अपने विद्यार्थी को हर मोड़ पर राह दिखाता है और उसका हाथ शामने के लिए हमेशा तैयार रहता है। विद्यार्थी के मन में उमड़े हर सवाल का जवाब देता है और विद्यार्थी को सही सुझाव देता है तथा जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है।

एक शिक्षक या गुरु द्वारा अपने विद्यार्थियों को स्कूल में जो सिखाया जाता है या जैसा वे सिखते हैं, वे वैसा ही व्यवहार करते हैं। उनकी मानसिकता भी कुछ वैसी ही बन जाती है, जैसा कि वे अपने आसपास होता देखते हैं। इसलिए एक शिक्षक या गुरु अपने विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सफल शिक्षक के लिए शिक्षा बहुत ही उपयोगी है, जो हमें गुरु द्वारा प्रदान की जाती है। विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश है, जहाँ पर शिक्षक अपने शिक्षार्थी को ज्ञान देने के साथ-साथ गुणवत्तायुक्त शिक्षा भी देते हैं, जो कि एक विद्यार्थी में उच्च मूल्य स्थापित करने में बहुत उपयोगी है।

किसी भी राष्ट्र का भविष्य निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक का महत्व यही समाप्त नहीं होता, क्योंकि वे न सिर्फ हमकों सही आदर्श मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं बल्कि प्रत्येक शिक्षार्थी के सफल जीवन की नींव भी उन्हीं के हाथों द्वारा रखी जाती है। किसी भी देश या राष्ट्र के विकास में एक शिक्षक द्वारा अपने शिक्षार्थी को दी गई शिक्षा और शैक्षिक विकास की भूमिका का अत्यंत महत्व है।

शिक्षक समाज व राष्ट्र का अभिज्ञ अंग है। समाज व राष्ट्र की संरचना एवं सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की अहम् भूमिका होती है। प्राचीनकाल से ही शिक्षक को समाज में सर्वोत्तमकृष्ट स्थान प्राप्त है। सामाजिक क्षेत्र में शिक्षक निर्देशन का अत्यधिक महत्व रखता है। यह निःसंदेह सत्य है कि

\* सहायक आचार्य (शिक्षा विभाग) माधव विश्वविद्यालय, पिण्डवाड़ा, सिरोही (राज.) भारत

प्राचीनकाल में भी शिक्षकों की ज्ञान पिपासा एवं धर्मिक स्तर उच्च था। अतः भारत में आज भी शिक्षकों की प्रतिष्ठा एवं सम्मान हेतु प्रतिवर्ष 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।

**डॉ. के. जी. सैयदन** के अनुसार – शिक्षक की प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि वे राष्ट्र निर्माण में कहाँ तक रुचि लेते हैं। यदि अध्यापक राष्ट्र व समाज के लिए कार्य करता है तो समाज द्वारा उसका सम्मानित होना स्वाभाविक है।

रुस के शिक्षकों ने राष्ट्र निर्माता बनकर दिखा दिया हैं। सर विलियम कार ने शिक्षण व्यवसायों के विषय में संगठन महामंत्री पद से संबोधित करते हुए कहा था कि 'इस संसार में शिक्षक का स्तर तब ऊपर उठेगा, जब वह स्वयं को शिक्षक कहलाने में गर्व अनुभव करेगा। मैं यह नहीं कहता कि वह अहंकार करे, मैं यह कहता हूँ कि उसे वास्तव में अध्यापक कहलाने में गर्व होना चाहिए।'

राष्ट्र के विकास का कार्य शिक्षा द्वारा कक्षा शिक्षण से ही प्रारंभ हो जाता हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के भाग्य का निर्माता है, परन्तु देश में प्रतिदिन शिक्षाविदों, राजनीतिज्ञों, यहाँ तक विद्यार्थियों द्वारा भी चर्चा की जाती है कि शिक्षा का स्तर न्यून है, शिक्षा परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। ऐसा क्यों है? विद्यार्थी कक्षा में जाने से क्यों करताते हैं? शिक्षक कक्षा अध्यापन के बजाय समय व्यतीत करना चाहता हैं। विद्यार्थियों में असंतोष है। इसलिए शिक्षाविदों एवं विचारकों की मान्यता है कि भारत के भाग्य का निर्माण कक्षाओं में हो रहा है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है और शिक्षक समाज और देश को सही गति एवं दिशा देने में सहायक होता है।

### विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गनि हस्तीन।

#### गुनि चैत्र श्रापाके च परिष्ठिता समदर्शिनः॥

अर्थात् – ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता एवं चांडाल आदि को विद्वान लोग समान दृष्टि से देखते हैं। इस वचन का अर्थ स्पष्ट करते हुए यह कहना सार्थक होगा कि विश्व कुटुंब की अवधारणा में समान अधिकार की कल्पना अमूर्त है। वैश्विक परिवार की कल्पना समानता के तत्त्व पर ही आधारित है। वस्तुतः समाज में अगर समता लानी है तो समरसता की आवश्यकता होती है। मनुष्य का मनोमिलन समरसता के बिना संभव नहीं है।

अर्थात् शिक्षकों से यह आशा की जाती है कि वह समाज एवं देश के सभी वर्गों तथा समुदायों के लोगों के प्रति समान भावना रखें तथा सभी परिस्थिति में समाज एवं देश के साथ एक रस हो जाए। समाज एवं देश के बदलते नजरिये, बदलते जीवन मूल्यों का प्रभाव शिक्षा जगत पर पड़ा है आज का शिक्षा जगत भी धर्मी-धर्मी एक व्यावसायिक तंत्र का रूप लेता जा रहा है।

शिक्षक का अहम ध्येय युवा मस्तिष्क को तेजस्वी बनाना है क्योंकि युवा ही समाज व राष्ट्र निर्माता है। भारत की तेजस्वी युवा धरती पर सशक्त संसाधन मौजूद है। शिक्षक की भूमिका उस सीढ़ी जैसी है, जिसके जरिए लोग जीवन की ऊँचाइयों को छूते हैं, लेकिन सीढ़ी वही की वही रहती है। 'साँप-सीढ़ी' के खेल की भाँति, सीढ़ी एक व्यक्ति को साँपों के लोक तक पहुँचा सकती है और असीमित सफलताओं की दुनिया तक भी। ऐसा ही स्वभाव है इस पेशे का। हमारे भारतीय समाज में और एक बच्चे के जीवन में, एक शिक्षक का स्थान माता-पिता के बाद, लेकिन भगवान से पहले आता है। माता-पिता, गुरु और भगवान ऐसी महत्ता, दुनिया में किसी और पेशे की नहीं है कि वह समाज व देश के लिए अध्यापक से बढ़कर महत्त्वपूर्ण हो।

एच.जी.वेल्स ने शिक्षक के महत्त्व पर कहा है –

'शिक्षक इतिहास का निर्माता है और राष्ट्र का इतिहास विद्यालयों में लिखा जाता है और विद्यालय अपने शिक्षकों की गुणवत्ता से बहुत भिन्न नहीं हो सकते।'

यह सत्य ही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षक के स्तर से अधिक ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि शिक्षक एक सुदृढ़ और विकासशील देश की मजबूत जीव है। शिक्षक को समाज और राष्ट्र का निर्माता कहा गया है क्योंकि बालक के माता-पिता के अतिरिक्त शिक्षक ही बच्चे के ज्ञान और जीवन मूल्यों का मुख्य आधार होता है। शिक्षक समाज और विद्यार्थियों का भविष्य निर्माता होता है, उसके हाथ में दोनों का भविष्य सुरक्षित होता है। अतः शिक्षक समाज व राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है।

बालक के विद्यालय में प्रवेश से लेकर उसके उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक शिक्षक ही उसे ज्ञान देता है तथा सक्षम व्यक्तित्व का निर्माण करता है। उच्च शिक्षा के बाद व्यवसायिक शिक्षा में भी प्रशिक्षण को प्रशिक्षण कोई शिक्षक ही देता है। अतः यह एक वास्तविकता है कि शिक्षक का दायित्व केवल विद्यालय एवं कक्षा की चारदिवारी तक ही सीमित नहीं है बल्कि शिक्षक का दायित्व विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास और चरित्र निर्माण का भी एक अहम हिस्सा है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक विद्यालयों में छात्रों के प्रति अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। जब हम किसी विद्यालय की बात करते हैं तब वास्तव में उस विद्यालय में कार्यरत शिक्षक ही उस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। जब भी अच्छी शिक्षा देने की बात आती है तब विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले सभी शिक्षक इसके प्रणेता नजर आते हैं। शिक्षा, शिक्षक तथा शिष्य के आत्मीय और निकटतम संबंध को कभी तोड़ा नहीं जा सकता।

समाज और राष्ट्र निर्माण में शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि हमारे विद्यार्थी अपनी शिक्षा से यथासंभव सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करें। जिससे उन्हें अपने जीवन में अवसरों और अनुभवों को प्राप्त करने के लिए अंतर्दृष्टि और अवसर प्राप्त हो सके। कई बार परिवार के बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं, जो कि उनके लिए रोमांचक और चुनौतिपूर्ण दोनों होता है। अतः कक्षा का वातावरण रुचिपूर्ण और रचनात्मक होने से बच्चे स्कूल जाने के लिए और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण जिम्मेदारी एक अध्यापक की होती है। इस प्रकार वह विद्यार्थियों के विकास में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

**डॉ. राधाकृष्णन** ने शिक्षक के महत्त्व पर कहा है कि – 'समाज में शिक्षक का महत्त्वपूर्ण स्थान है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परम्पराएं और तकनीकी कौशल पहुँचाने का केन्द्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित करने में सहायता देता है।'

आधुनिक इंटरनेट युग में समाज व देश के विकास में शिक्षक की भूमिका भी बहु आयामी हो गई है। आज शिक्षक अपने विद्यालय में शिक्षा देने के साथ ही इंटरनेट के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं। और इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षक का अपने विद्यार्थियों से सीधा संपर्क नहीं होता है, वे अपने पाठ्यक्रम या विषय की शिक्षा देते समय अपने विद्यार्थियों की संभावित शंकाओं और प्रश्नों का समाधान करते हैं। विशेष रूप से उच्च और उच्चतम शिक्षा हेतु इंटरनेट शिक्षण का अपना ही महत्त्व है। साथ ही शिक्षक की भूमिका भी अपने कक्षाकक्ष से निकलकर गाँव, कस्बा ढाणी, तहसील, जिला, प्रान्त, राज्य, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक विस्तारित हो रही है।

और यह भी सच है कि आज शिक्षक समाज व देश के निर्माण में अपनी बहुत आयामी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं।

महान शिक्षाशास्त्री एवं दार्शनिक अरविन्द ने कहा है - 'शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति बनाता है शिक्षक को देश का भावी कर्णधार एवं समाज का मानदण्डक माना गया है। वह राष्ट्र का शिरोमणि निर्माता एवं कर्णधार है।'

शिक्षक एक व्यक्ति के रूप में, व्यवसायी के रूप में, सामाजिक प्रणेता के रूप में, निर्देशक के रूप में, अनुदेशक के रूप में, कक्षा प्रबंधक के रूप में, विस्तार सेवा के रूप में, नवाचारकर्ता के रूप में, अनुसंधानकर्ता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, नेता एवं संगठनकर्ता के रूप में, विद्यार्थी चरित्र निर्माण कर्ता के रूप में आदि विभिन्न रूपों में अपनी भूमिका का निर्वहन कर समाज व देश की भावी पीढ़ी के ज्ञानवृद्धि में अपनी विशिष्ट भूमिका निभा रहा है।

समाज व राष्ट्र निर्माण करना शिक्षक का ध्येय होता है, जिससे कि समाज व देश के विकास की क्षमता में वृद्धि होती है। शिक्षक, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा करते हैं जिससे विद्यार्थी कल्पनाशील और सृजनशील बनते हैं। इस रूप में विद्यार्थी का विकास ही उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करते हुए प्रतिसर्पदा में उतारता है। शिक्षक, विद्यार्थियों में बेहतर समझदारी एवं सीखने की प्रवृत्ति विकसित करने का प्रयास करता है, जिससे रसरसम्पन्न अद्यापक वास्तविक विश्व गुरु कहलाता है।

शिक्षक बनकर एक व्यक्ति अपने समाज और राष्ट्र की सेवा करता है। स्वाभाविक रूप से सरकारी या प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षक की नौकरी करते हुए बच्चों का भविष्य निर्माण करता है। यह भी एक वास्तविकता है कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली नीतियाँ और योजनाएं केवल प्रशिक्षित, कृशल, समर्थ और समर्पित शिक्षकों के प्रयास से ही साकार हो पाती हैं। यदि हमें अपने समाज एवं देश को विकासशील से विकसित देश बनाना है तो इसकी पहली शर्त शत-प्रतिशत साक्षरता को

प्राप्त करना है। इस संबंध में आज भी हमारे शिक्षक शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करवाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षक हमारे समाज व देश के निर्माण के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जितना एक वृक्ष के लिए उसकी जड़ें।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आलेख - समाज और देश के निर्माण में शिक्षकों का अहम योगदान, ब्रह्मानंद राजपूत (<https://m.dailyhunt.in>)
2. आलेख - शिक्षक की राष्ट्र विकास में अद्भुत भूमिका, सितम्बर, 05, 2014 (<http://aryamantavya.in>)
3. आलेख - राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका अहम : शास्त्री, Posted - May, 17, 2017
4. आलेख - समाज के वास्तविक शिल्पकारे होते हैं शिक्षक - डॉ. जगदीश गांधी, भारत दर्शन (हिन्दी मासिक पत्रिका) (<https://www.bharatdarshan.co>)
5. आलेख - शिक्षक की भूमिका और जिज्ञासा जागरण, प्रो. बृज किशोर कुठियाला (<https://bhashasankalp.weebly.com>)
6. आलेख - शिक्षकों की भूमिका और दायित्व, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (<http://rnachiexpress.com>)
7. आलेख - बदलते परिवेश में शिक्षक, रिपू सूदून सिंह, 23 जनवरी, 2016 (<https://www.jansatta.com>)
8. आलेख - कैसे बढ़े शिक्षा की गुणवत्ता : एक शिक्षक का दृष्टिकोण, दामोदर जैन, 27 जुलाई, 2012 (<http://www.teachersofindia.org>)
9. शिक्षक की भूमिका - (<https://hi.vikaspedia.in>)
10. उद्दीयमान भारतीय समाज में शिक्षक - एम.एम. मित्तल, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ, 2004

\*\*\*\*\*

## किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मूल्यांकन

डॉ. पी.डी. झानानी \*

**प्रस्तावना** – ऋण देने की परम्परागत बैंकिंग प्रक्रिया के दोषों को दूर करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1998–99 में कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये एक नवीन योजना प्रांरभ की गई। इस योजना का नाम किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषकों की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से तैयार की गई। यह साख निर्गमन की एक विशिष्ट योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्यों में प्रयुक्त किये जाने वाले विभिन्न आदानों जैसे बीज, उर्वरक, दवाईयाँ, चालू कार्य हेतु नकदी तथा उत्पादन से संबंधित अन्य व्ययों की आपूर्ति हेतु आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना है।

### किसान क्रेडिट कार्ड योजना की मुख्य विशेषताएँ :

1. सार्वजनिक क्षेत्र की 27 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा यह योजना ज्यों की त्यों अगस्त 1998 में अपना ली गई थी। शेष बैंकों द्वारा इस योजना में कुछ परिवर्तन कर अपनाया गया। दिसंबर 98 तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना संपूर्ण देश में लागू हो गई है।
2. **किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिये पात्र कृषक :** – ऐसे किसान जिनका बैंक के साथ पिछले 2-3 वर्षों का ट्रेक रिकार्ड अच्छा था, केवल उन्हीं कृषकों को ये कार्ड जारी किये गये थे लेकिन उसके पश्चात् बैंकों द्वारा अपनी नीति में परिवर्तन किया और योजना को गतिप्रदान करने के लिये सभी कृषकों को ये कार्ड इश्यु किये गये। इस उद्देश्य से विभिन्न बैंकों द्वारा प्रथम नीति अपनाई गई। बैंक ऑफ बडौदा द्वारा नये पुराने सभी ग्राहकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की नीति अपनाई गई। सिनिकेट बैंक द्वारा सभी प्रकार के ग्राहकों को कवर करने के लिये अपनी सभी शाखाओं को निर्देशित किया गया कि वे अपने सभी किसान ग्राहकों को अनिवार्यतः 5000 रुपये की क्रेडिट कार्ड जारी करें। इसी प्रकार इलाहाबाद बैंक, पंजाब तथा सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के न्यूनतम अनिवार्यता एक एकड़ सिंचित भूमि की रखी गई। किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या में तेजी से वृद्धि करने के लिये कुछ बैंकों द्वारा ट्रेक्टर ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों को अनिवार्यतः किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये।
3. **न्यूनतम साख सीमा :** – भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारूप तैयार करते समय यह अनुशंसा भी की थी कि किसान क्रेडिट कार्ड सीमा का निर्धारण करते समय बैंक कृषक की संपूर्ण वर्ष की कृषि एवं गैर कृषिगत गतिविधियों को समिलित किया जाता है, रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को यह भी परामर्श दिया गया था कि उनके द्वारा कुल साख सीमा का निर्धारण करते समय मौसमी साख आवश्यकता का निर्धारण भी किया जाना चाहिये। इस प्रकार रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित योजना को अनुपालना एवं क्रियान्वयन हेतु देश की सभी बैंकों को जारी किया गया।

द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध स्वीकृत राशि का अवलोकन करने से यह भी स्पष्ट हुआ कि बैंकों द्वारा न्यूनतम ऋण सीमा राशि को 5000 से घटाकर 3000 रुपये कर दिया गया है और कुछ बैंकों द्वारा कृषकों में भूस्वामित्व की स्थिति, सिंचित भूमि क्षेत्रफल आदि बातों को ध्यान में रखकार कृषकों को स्वीकृत की जाने वाली ऋण सीमा का निर्धारण किया गया है।

4. **साख सीमा निश्चित करने के आधार :** – भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा अनुशासित किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कृषकों को साख सीमा स्वीकृत करने में मुख्यतः तीन आधार सुझाये गये थे –

- (अ) कृषकों द्वारा धारित कृषि योज्य भूमि
  - (ब) फसल चक्र से जिला स्तरीय तकनीकी समिति अथवा राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुशासित वित्तीय सीमा।
- उन मामलों में जहां पर जिला स्तरीय अथवा राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा कोई अनुशंसा नहीं की गई वहां पर संबंधित बैंकों को ऋण सीमा निश्चित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

देश की अधिकांश बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही ऋण स्वीकृत किये गये किन्तु कुछ बैंकों द्वारा उपर्युक्त निर्धारित मॉडल में आवश्यक फेरबदल किये। इलाहाबाद बैंक और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कृषि को समरत साधनों से प्राप्त कुल आय के 50 प्रतिशत तक कार्ड सीमा निर्धारित की गई।

5. **मौसमी साख सीमा का निर्धारण :** – भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारूप तैयार करते समय यह अनुशंसा भी की थी कि किसान क्रेडिट कार्ड सीमा का निर्धारण करते समय बैंक कृषक की संपूर्ण वर्ष की कृषि एवं गैर कृषिगत गतिविधियों को समिलित किया जाता है, रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को यह भी परामर्श दिया गया था कि उनके द्वारा कुल साख सीमा का निर्धारण करते समय मौसमी साख आवश्यकता का निर्धारण भी किया जाना चाहिये। इस प्रकार रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित योजना को अनुपालना एवं क्रियान्वयन हेतु देश की सभी बैंकों को जारी किया गया।

6. **वित्तीय सीमा एवं प्रतिभूमि मापदण्ड :** – किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के संबंध में सभी बैंकों द्वारा अपनी अपनी शाखाओं को प्रतिभूमि एवं मार्जिन के संबंध में प्रथम निर्देश जारी किये। बैंकों द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये कृषि अग्रिम के संबंध में पूर्व में जारी मापदण्डों के अनुसार ही किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जावे।

**किसान क्रेडिट कार्ड का पुनर्भुगतान तथा नॉन पर्फॉर्मिंग असेट –** किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत इस प्रकार साख प्रदान की जाती है कि 12

\*प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

माह में प्रत्येक खाते का पुनर्भूतान हो सके अधिकांशः फसल कटाई अथवा विपणन सीजन को ध्यान में ड्यूडेट ज्ञात की जाती है। इसी कारण प्रत्येक बैंक अपनी शाखा को स्पष्ट निर्देश देती है कि किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत साख स्वीकृत करने से पूर्व उसके पुनर्भूतान की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए, जिला सहकारी बैंक केन्द्रीय बैंक के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड पुनर्भूतान की अवधि 12 माह है जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक की स्थिति में रबी की फसल के लिये 30 सिंतंबर तक साख प्रदान की जाती है। इसी प्रकार खरीफ की फसल की इशारे में पुनर्भूतान 31 मार्च तक हो जाना चाहिये। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक के बीच 6 माह की अवधि का समय देते हैं। इस द्वौरान कृषकों को पुनर्भूतान की व्यवस्था करनी होती है। यदि किसी परिस्थिति में ऋण ओवरड्रू हो जाता है तो ब्याज अनुदान का लाभ नहीं नहीं बढ़ाया जाता है और जिला सहकारी बैंक ऋण प्रदान करने की तिथि से 11 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाती है और पेनल ब्याज उस दिनांक से लगता है जिस दिनांक से यह ऋण ओवरड्रू हुआ है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि नॉन परफोर्मिंग असेट के नियम जिला सहकारी केन्द्रीय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक द्वारा उन्हीं निर्देशों पर होते हैं तो RBI ने इस संबंध में निश्चित किये हैं।

**नये कृषकों को सम्मिलित करना -** अध्ययन से ज्ञात होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड धारकों में अधिकांश बहुमत 9 वर्षों से किसान क्रेडिट कार्ड सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। इस वर्ग में लगभग 31 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं लगभग 20 प्रतिशत धारक विगत सात वर्षों से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। शेष सभी पांच वर्ष या कम वर्ष से किसान क्रेडिट कार्ड सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इससे यह बात प्रकट होती है कि प्रतिवर्ष एक निश्चित प्रतिशत कृषक संख्या किसान क्रेडिट कार्ड धारक बन रही है। अतः किसान क्रेडिट कार्ड आयोग ने किसान क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य के प्रति सजग कदम उठाया तब से यह सुविधा कृषकों में अधिक लोकप्रिय हुई है और प्रतिवर्ष नये कृषक किसान क्रेडिट कार्ड योजना में प्रवेश ले रहे हैं।

**साख पर्याप्ति -** दिशा-निर्देशों के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कृषक की समस्त साख आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। अध्ययन से यह तथ्य सामने आया कि 48 प्रतिशत कृषक यह महसूस करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उन्हें जो साख स्वीकृत की गई थी वह पर्याप्त नहीं है। बैंकवार पर्याप्ति की बात करें तो जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के 60 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड धारक यह मानते हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में साख सुविधा उपलब्ध नहीं हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 44 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक बैंकों के 34 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड धारकों का मत है कि उन्हें उपलब्ध साख अपर्याप्त है। जोत के आधार पर अध्ययन यह बताता है कि लगभग 60 प्रतिशत से 65 प्रतिशत छोटे और सीमांत कृषक मानते हैं कि उनकी साख सीमा अपर्याप्त है जबकि 40 से 454 प्रतिशत मध्यम और बड़े कृषक मानते हैं कि उनकी साख सीमा आवश्यकता से कम है।

**किसान क्रेडिट कार्ड की प्रभावशीलता तथा लाभ -** कृषकों की मान्यता है कि किसान क्रेडिट कार्ड एक से अधिक कारणों से उनके लिये लाभदायक है। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को इन तरीकों से लाभ प्राप्त होता है।

1. पूर्व वर्ष के लिये फसल उत्पादन हेतु ऋण सुविधा का लाभ।
2. जब साख की आवश्यकता हो तब साख उपलब्ध हो जाती है।
3. रोकड़ के आहरण में लोच तथा किसी भी विक्रेता से क्रय करने की छूट।

4. पुनर्भूतान सुविधा के साथ साचा की ब्याज दर कम होना।
5. बैंक ऋण प्राप्त करने के लिये लागत की कमी।
6. NASI/PAI में बीमा बहुत ही निम्न प्रीमियम पर।
7. पेपर कार्य कम होना।

इतना सब कुछ होने के बावजूद मैदानी अध्ययन के निष्कर्ष ऋणात्मक अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना यद्यपि साख आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तथापि बड़ी सीमा तक यह पर्याप्त नहीं है। इसकी अवधि तीन वर्ष है किन्तु प्रतिवर्ष पुनर्भूतान करना आसान काम नहीं है। अध्ययन में यह भी निष्कर्ष आया कि बैंक किसान क्रेडिट कार्ड धारक को चेक बुक नहीं देती है अर्थात् कृषक एक बार जाकर ही आहरण कर रहा है और योजना के उद्देश्यानुसार साख चक्र का लाभ नहीं उठा पा रहा है।

### बैंकों को लाभ :

1. किसान क्रेडिट कार्ड के कारण बैंकों के कार्यभार में कमी हुई है क्योंकि ब्रांच स्टाफ को बार बार मूल्यांकन करने ऋण प्रक्रिया करने तथा पेपर कार्य में कमी आई है।
2. कोषों का सीसीएसीकिलिंग सुधरा है तथा ऋण वापसी अच्छी हुई है।
3. बैंकों की व्यवहार लागत कम हुई है।
4. बैंक ग्राहक संबंधों में सुधार हुआ है।

**सुझाव -** ग्रामीण विकास के लिये किसान क्रेडिट कार्ड एक आदर्श उपकरण है परंतु इसकी कुछ कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिये निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं -

1. **जागरूकता का निर्माण -** ग्रामीण जनता कृषकों और यहां तक कि बैंक अधिकारियों में किसान क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में जागरूकता कार्यक्रम योजना चलाये जाने चाहिए।
2. **मध्यस्थों को हटाना -** हितग्राहियों का कथन है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत बिना मध्यस्थों के ऋण प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है इतना ही नहीं ये मध्यस्थ अपनी सेवाओं के बदले बड़ी रकम कृषकों को चुकानी होती है यह व्यवस्था बढ़ली जानी चाहिए इसके लिये बैंक की शाखाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर अथवा व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके आवेदक को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किये जाने चाहिए।
3. **फर्जी भूस्वामियों की पहचान -** फर्जी भूस्वामियों की पहचान के लिये कड़े कदम उठाए जाने चाहिए इसके लिये किसान का संबंधित क्षेत्र में उचित डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए।
4. **शेष रहे कृषकों का सर्वे -** विभिन्न सीमान्त कृषकों जैसे बटाईदार, किरायेदार, मीखिक पटेदार आदि को ग्रामीण समाज में सर्वे करके पहचान करनी चाहिए।
5. **स्टॉप्प ड्यूटी में कमी -** वर्तमान समय में ऋण की स्टॉप्प ड्यूटी अत्यधिक है। यही कारण है कि बड़े ऋण बड़े कृषकों द्वारा ही लिये जाते हैं। जिनकी संख्या कम है अतः सरकार और बैंक को किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में न्यूनतम ड्यूटी निर्धारित करना चाहिए।
6. **ब्याज दर में कमी -** यदि ब्याज दर में कमी की जाती है तो सीमान्त और छोटे किसानों का इस योजना में प्रवेश आसान हो जायेगा।
- उपसंहार - किसान क्रेडिट कार्ड योजना अनोखी और अद्वितीय है। इसने वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इससे किसानों और बैंकों दोनों को लाभ हुआ है परंतु कुछ ठेस कदम उठाना अभी भी शेष है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को वह महत्वपूर्ण भाग जो अभी भी इस योजना के लाभ

से वंचित है। उसे वित्तीय समावेशन में शामिल करने के प्रयास किये जाये और वित्तीय समावेशन के विकास के लाभ समाज, राष्ट्र और अर्थव्यवस्था को मिल सकें।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नाबार्ड की प्रकाशित रिपोर्ट
2. कृषि की उच्चस्तरीय रिपोर्ट
3. विभिन्न बैंकों की रिपोर्ट
4. विभिन्न शोध अध्ययन
5. एस.एल.बी.सी. डॉक्यूमेंट (राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)
6. अग्रणी बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट
7. कृषि मंत्रालय के साख विभाग की रिपोर्ट
8. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऑफ मुम्बई 2002-03 सर्वे
9. किसान क्रेडिट कार्ड नाबार्ड 1999
10. वार्षिक साख योजना – स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जिला नीमच
11. व्यावसायिक अर्थशास्त्र – पी.सी. अग्रवाल, एम.डी. अग्रवाल, रमेश बुक डिपो, जयपुर
12. मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियाँ – जे.पी. मिल, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
13. भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ. अनुपमगोयल – शिवलाल अग्रवाल एंड कम्पनी, इन्डौर

\*\*\*\*\*

## खाद्य संसाधन एवं विश्व आहार समर्थन

**डॉ. पी.डी. ज्ञानानी \***

**प्रस्तावना – खाद्य संसाधन** – प्रकृति द्वारा प्रदत्त भूमि एवं जल संसाधनों का मनुष्य द्वारा उपयोग कर, उत्पन्न किये जाने वाले खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। इस कारण संसाधन के रूप में खाद्यान्न मनुष्य एवं सभी सजीवों के लिये हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं या रहेंगे। मनुष्य के शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता इस कारण होती है क्योंकि भोजन तत्व शरीर की वृद्धि करता है, उसको बनाए रखता है, शरीर के उत्तरों की मरम्मत करता है, शरीर की प्रक्रिया को नियमित करता है और ऊर्जा/शक्ति की पूर्ति करता है। शरीर को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु जीवन तत्वों की आवश्यकता होती है। वह रासायनिक मिश्रण एवं तत्व जो मनुष्य के भोजन का निर्माण करते हैं, 6 प्रकार के होते हैं – प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज, विटामिन्स एवं जल।

प्रारंभिक मानव अपने अधिकांश भोजन की पूर्ति प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं, शिकार एवं जंगली वस्तुओं को एकत्रित कर दिया करता था, इस कारण खाद्यान्न उत्पादन कार्य गौण था, किंतु ईसा से लगभग 9000 वर्ष पूर्व कुछ आदिम मनुष्यों ने कुछ चारागाहों को साफ कर खाद्यान्न उत्पन्न करना प्रारंभ किया। लगभग 6000 ई. पूर्व खाद्यान्न उत्पादक ने नियमित के जल का सिंचाई हेतु उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। मानव सभ्यता के विकास के साथ कृषि का विकास हुआ। 1500वीं शताब्दी के पश्चात कृषि कार्य का विश्व में सर्वत्र तीव्रता से विकास हुआ। इस समय मनुष्य ने अपने उपयोग हेतु पर्याप्त अन्न एवं अन्य खाद्य सामग्री का उत्पादन करना प्रारंभ किया। खाद्यान्न के रूप में सर्वप्रथम जौ और गेहूँ को उगाया, फिर धीरे-धीरे चावल, अन्य मोटे अनाज, ढलहन एवं तिलहन, फल-सब्जी को पैदा करना प्रारंभ किया गया, उपरोक्त खाद्यान्न के अतिरिक्त माँस-मछली एवं दुर्घट उत्पादों का भी उपयोग किया जाने लगा।

मानव जाति को खाद्य संसाधन प्रकृति में तीन ऋतों से प्राप्त होते हैं – (अ) पेड़, पौधों, वनस्पतियों से। इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के अनाज, ढलहन एवं तिलहन, साक-सब्जी, फल एवं बीज आदि प्राप्त होते हैं। (ब) प्राणियों से – सामान्यतः दूध, अण्डे, शहद, दुर्घट उत्पाद, माँस तथा मछली आदि खाद्य पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं। (स) खनिज लवण – यह खाद्य संसाधन चट्टानों एवं जन के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त जल भी मानव शरीर के लिये विभिन्न प्रकृति ऋतों से प्राप्त किया जाता है, जो कि उसके जीवन के लिये अति आवश्यक है। अतः प्रकृति मानव को खाद्य के भिन्न-भिन्न ऋत प्रदान करती है। अर्थात् फसल, पशुधन एवं जलीय ऋतों के रूप में खाद्य सम्पदा प्राप्त होती है।

**हरित क्रान्ति** – हरित क्रान्ति का आशय कृषि के विभिन्न साधनों को उपयोग

में लाकर कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करता है। **जार्ज हारर (George Harrer)** के अनुसार — ‘हरित क्रान्ति शब्द युग्म का सामान्यतया प्रयोग वर्ष 1966 में विभिन्न देशों भारत, फिलीपिन्स, श्रीलंका, पाकिस्तान, थाईलैण्ड आदि देशों में खाद्यान्नों के उत्पादन में होने वाली आश्चर्यजनक वृद्धि के लिये किया जाता है।’ हरित क्रान्ति का मुख्य आधार नवीन उच्च उत्पादन वाले बीजों का प्रयोग है जिससे कृषक उसे 3 से 4 गुना तक अधिक उत्पादन कर सकता है। अर्थात् हरित क्रान्ति का आशय कृषि उत्पादन में उस भारी वृद्धि से है जो कि थोड़े से समय में ऊँची उपज वाले बीजों एवं रासायनिक खाद की नई तकनीक के फलस्वरूप प्राप्त हो। ऊँची उपज वाले बीजों एवं रासायनिक खाद्य को सुमेल बनाने हेतु आधुनिक उत्पादन उपकरण सिंचाई सुविधाओं और कीटनाशक, रसायन/औषधियों का भी इसके अंतर्गत समावेश किया गया। कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु एक मुख्त कार्यक्रमों (**Package Programmes**) को मूर्तरूप दिया गया।

सातवीं योजना के अंत तक भारतवर्ष खाद्यान्न के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया था तथा बढ़ती हुई जनसंख्या (**Population**) के दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान योजना के अंत तक अधिक भोजन की व्यवस्था करने संबंधी कार्यक्रम योजनाबद्ध रूप से अपनाये जा रहे हैं।

**खाद्य समस्या** – वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस दशक के अंत तक लगभग 6–7 अरब से अधिक हो जाएगी, जबकि खाद्यान्न का उत्पादन इतना अधिक नहीं बढ़ाया जा सकेगा, जितनी की आवश्यकताएँ हैं, इस कारण खाद्य समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है। यद्यपि विकसित यातायात के साधनों एवं संरक्षण एवं भण्डारण (**Storage**) की आधुनिक विधियों ने विश्व में खाद्य आपूर्ति को सरल बना दिया है, तथापि इस सब प्रगति के बावजूद भी वर्तमान समय में अधिकांश देशों के लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। संसार के अनेक देशों के द्वारा अपने यहाँ के देशवासियों के लिये पर्याप्त भोजन प्राप्त करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके कई कारण हैं— प्राकृति आपदाएँ – भूकम्प, बाढ़, सूखा, वर्षा की कमी, सिंचाई के कम ऋत एवं साधन, युद्ध, आन्तरिक उत्पातों के कारण खाद्यान्न की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है, जिससे अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और देशों को अकाल या भूखमरी का सामना करना पड़ जाता है।

**विश्व खाद्य समस्याएँ** – वर्तमान जनगणना (**Census**) 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 7 अरब है। विश्व की जनसंख्या तीव्र गति से निरन्तर वृद्धि कर रही है, विगत 40 वर्षों में विश्व की जनसंख्या दो गुनी से अधिक हो गई है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण मनुष्य के पास कृषि योज्य भूमि की उपलब्धता बहुत कम हो गई और इस उपलब्ध कृषि भूमि पर जो

\*प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

भी उत्पादन होता है, वह 50 प्रतिशत से 55 प्रतिशत जनसंख्या के लिये पर्याप्त होता है, शेष प्रति जनसंख्या भूखमरी और कुपोषण का शिकार होती है। सम्पूर्ण संसार की 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी, कुपोषण एवं विषमताओं की मार से प्रभावित हो रही है। पिछले दो दशकों में संसार के अनेक भागों - दक्षिण एशिया, लेटिन अमेरिका एवं अफ्रीका का सहारा के आसपास का अधिकांश भाग गरीबी और कुपोषण की मार झेल रहे हैं। विश्व के अनेक देशों में विकसित यातायात के साधनों यन्त्रीकृत, वैज्ञानिक (**Mechanised Scientific**) विस्तृत कृषि, संरक्षण एवं अण्डारण के आधुनिक तरीकों ने विश्व में खाद्य आपूर्ति को सरल बना दिया है, तथापि इस सब प्रगति के बावजूद भी आज दुनिया के अधिकांश देशों के मनुष्य/भूखमरी एवं कुपोषण का शिकार हैं। वर्तमान में यह कहना असत्य होगा कि जनसंख्या वृद्धि ही संसार/विश्व की खाद्य समस्या का प्रमुख कारण है, बल्कि इसके अनेक कारण हैं जिनका वर्णन निम्नानुसार है-

**1. जनसंख्या वृद्धि** - जनसंख्या में वृद्धि खाद्य समस्या का प्रमुख कारण है, क्योंकि (i) विश्व के अनेक देश अपने यहाँ की जनसंख्या के अनुरूप खाद्यान्न उत्पादन नहीं करते, वरन् आढ़तन खाद्यान्न का आयात (**Import**) कर पूर्ति करते रहते हैं। पूर्णतः आयात पर निर्भर रहने वाले देशों आयातित खाद्यान्नों की आपूर्ति संभव नहीं होने के कारण खाद्यान्न अभाव की समस्या उठ खड़ी होती है। कुछ देश या विश्व के लगभग सभी देश कुछ न कुछ खाद्यान्न आयात करते हैं, किन्तु उसके बदले अपने यहाँ से भी वे कोई न कोई खाद्यान्न या खाद्य सामग्री किसी अन्य देश को निर्यात (**Export**) करते हैं ऐसे देश अभाव की स्थिति में बहुत कम आते हैं।

(ii) कुछ देश कुछ खाद्यान्नों के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं और वे देश ऐसे अनाजों का उत्पादन करते हैं, जो दूसरे देशों में उत्पादित नहीं किये जा सकते। सुंकर राज्य अमेरिका एवं कनाडा विश्व के ऐसे दो प्रमुख देश हैं जिन्होंने खाद्यान्न उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर ली है और ये देश अपना अधिकांश अतिरिक्त उत्पादन विश्व के अनेक देशों को निर्यात करते हैं, लेकिन वे चीनी मसाले, चाय एवं अन्य वस्तुओं का उन देशों से आयात करते हैं, जो कि उसके बदले में उनके परिवर्तित खाद्यान्न लेने हेतु तत्पर रहते हैं।

(iii) विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो कि पूर्णरूपेण एक ही प्रमुख फसल/खाद्यान्न पर निर्भर करते हैं। यदि किन्हीं कारणों से यह फसल असफल या नष्ट हो जाती है, तब ऐसे देश को अकाल या भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है।

**2. भौगोलिक दशाएँ** - विश्व में सभी खाद्य पदार्थों का उत्पादन या खाद्यान्न कृषि की जा सकती है। विश्व के सभी देशों में भौगोलिक दशाओं - वर्षा, तापमान, मिट्टी, आर्द्रता, भूमि आदि में भिन्नता पाई जाती है, अनुकूल दशाएँ सभी देशों में नहीं पाई जाती है। इस कारण खाद्य पदार्थों/खाद्यान्न का उत्पादन भी भिन्न-भिन्न होता है और विभिन्न देशों में खाद्यान्न उत्पादन अनुकूल दशाओं पर निर्भर करता है।

**3. प्राकृतिक आपदाएँ** - संसार में निरन्तर बढ़ती खाद्यान्न असुरक्षा का प्रमुख कारण प्राकृतिक आपदाएँ - भूकम्प, बाढ़, अतिवर्षा, ज्वालामुखी विस्फोट, सूखा, अकाल, ओले, टिण्ठी ढल का आक्रमण आदि है, जिनके कारण फसल असफल या नष्ट हो जाती है। इस कारण देश को भूखमरी का सामना करना पड़ता है।

**4. युद्ध** - कभी कभी युद्ध या आंतरिक उत्पातों के कारण खाद्यान्न की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है, जिससे अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

**उदाहरण :** द्वितीय विश्व युद्धकाल में यूरोप में खाद्यान्न की आपूर्ति चौपट हो गई थी, इस कारण सर्वत्र अभाव की समस्या, स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारत-चीन युद्ध, भारत-पाक दोनों युद्ध के समय और उसके पश्चात भारत को खाद्यान्न की समस्या का सामना करना पड़ा।

**5. पोषक तत्वों का अभाव** - खाद्यान्न समस्या का एक कारण गरीब एवं अविकसित देशों में पोषक तत्वों की कमी है। इन देशों में भोजन के दूसरे अवयव प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज लवण खाद्यान्नों से ही प्राप्त होते हैं। यह पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। अविकसित या विकासशील देशों में अधिकांश मनुष्य असंतुलित भोजन के कारण कुपोषण के शिकार है। नगरीय (**Urban**) क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण (**Rural**) क्षेत्रों के मनुष्यों में कुपोषण अधिक देखा गया है। विकसित एवं विकासशील देशों में प्रोटीन एवं कैलोरी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

|                              | प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की आवश्यकता | विकसित देशों में | अविकसित देशों में |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| कैलोरी                       | 2800-2900                          | 2970             | 2037              |
| प्रोटीन                      | 80-85 ग्राम                        | 83 ग्राम         | 54 ग्राम          |
| प्राणियों से प्राप्त प्रोटीन | -                                  | 37-39 ग्राम      | 6-8 ग्राम         |

विश्व में 22-28% मृत्यु कुपोषण या भूखमरी से होती है। शारीरिक एवं मानसिक श्रम करने वाले मनुष्यों की भोजन की कैलोरीज में अन्तर होता है। औसत पुरुष के लिए 2400 कैलोरीज एवं औसत महिलाओं के लिए 1800 कैलोरीज की मात्रा पर्याप्त रहती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के लिए अधिकांश अधिक भोजन एवं भोजन तत्वों को उपलब्ध कराने के साधनों को प्राप्त करना आवश्यक है।

**6. असन्तुलित आहार** - विश्व के अनेक देशों में मनुष्यों का आहार असन्तुलित है। इन देशों के मनुष्यों के भोजन में दूध, मौस, अण्डे, फल एवं सब्जियों आदि का प्रायः अधिक अभाव पाया जाता है। भारत देश में अधिकांश मनुष्य शाकाहारी है, इस कारण खाद्यान्नों पर उनकी निर्भरता अधिक है। इस कारण खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि की दिशा में तो व्यापक कदम उठाये गए हैं, किन्तु सन्तुलित आहार के अन्तर्गत आने वाली अन्य भोजन सामग्री एवं भोजन तत्व-अण्डे, दूध, मौस, मछली, फल एवं सब्जी आदि की अभिवृद्धि के उस स्तर पर प्रयास नहीं किए गए हैं। विश्व में केवल 2 भोजन की आपूर्ति मछलियों से होती है। खाद्यान्नों पर मनुष्यों की निर्भरता को कम करनेके लिए अण्डा उत्पादन, मछली उत्पादन आदि में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है।

**7. निर्धनता** - खाद्यान्न समस्या का एक अन्य कारण निर्धनता भी है। निर्धन होने के कारण विकासशील (**Developing**) देशों के अधिकांश मनुष्य आवश्यक मात्रा में सन्तुलित, पौष्टिक एवं कैलोरीयुक्त भोजन को नहीं खा पाते हैं। इस कारण अनेक विकासशील देशों में मनुष्य कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा दैनिक आय में कमी, ऋतों की कमी के कारण निर्धनता में वृद्धि हो रही है।

**8. क्रय शक्ति** - खाद्यान्न समस्या का एक प्रमुख कारण मनुष्यों की क्रय शक्ति है। विकासशील देशों के मनुष्यों की आय का अधिकांश भाग ज्वर या कर्ज एवं उसके ब्याज को अदा करने में समाप्त हो जाता है। इस कारण इन देशों के मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, खाद्यान्नों की पूर्ति को अच्छी प्रकार से पूरा नहीं कर पाते हैं। खाद्यान्न या खाद्य पदार्थों की पूर्ति करने के लिये क्रय

क्षमता आवश्यक होती है। अनेक धनी एवं अविकसित देश के मनुष्य आवश्यक एवं अनेक खाद्यान्न पदार्थों को क्रय करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तेल उत्पादक एवं नियार्तक अरब देश हैं जहाँ खाद्यान्न उत्पादन कम या बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, लेकिन खाद्यान्न पदार्थों को विश्व के किसी भी देश से किसी भी मूल्य पर खरीद सकते हैं।

**9. भूमि का विभाजन** – खाद्यान्न समस्या का एक अन्य कारण भूमि का विभाजन एवं प्रति विभाजन है। इस कारण कृषि उत्पादन क्षेत्र छोटे से छोटा होता जा रहा है। कृषि उत्पाद के छोटे एवं अनार्थिक (**Uneconomic**) क्षेत्रों के कारण खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ रही है और विश्व के अनेक देशों में खाद्य समस्या उत्पन्न हो गई है।

**10. अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ** – विश्व के अधिकांश विकसित एवं विकासशील देशों में कृषि उत्पादन वर्षा एवं सिंचाई सुविधाओं पर निर्भर करती है। वर्तमान समय में वर्षा की मात्रा में कमी, सिंचाई सुविधाओं का उपलब्ध नहीं होने के कारण फसलें एवं कृषि उत्पादन में कमी हो जाती है या नष्ट हो जाती है। इस कारण खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो जाती है।

**11. पुरानी कृषि उत्पादन विधि** – विश्व के अनेक विकासशील देशों में खाद्य समस्या दिखाई देती है। इन अविकसित देशों में पुरानी कृषि विधि के कारण प्रति हैक्टेयर उत्पादन में कमी होती है, इस कारण खाद्यान्न की कमी होती है और खाद्य समस्या विकराल रूप ले लेती है। इसके विपरीत देशों में आधुनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी विधि उपयोग करने के कारण खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होती है।

**12. जल की कमी** – वर्तमान समय में विश्व स्तर में जल की पूर्ति की कमी खाद्यान्न उत्पादन को अधिक प्रभावित करती है। विभिन्न देशों में जल के वितरण एवं मौसम के अलुसार जल की उपलब्धता में अधिक झिज्जता के कारण अनेक देशों में जल के अभाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। जल का अभाव भी खाद्यान्न समस्या का एक कारण है यह जलाभाव कृषि उत्पादन में कमी करता है।

उपरोक्त सभी कारणों से विश्व के अधिकांश देशों में खाद्य समस्या उत्पन्न हो गई है। यह खाद्य समस्या वाले देश दूसरे सम्पन्न देशों से खाद्यान्न का आयात कर अपने देशों की खाद्य समस्या की आपूर्ति कर रहे हैं।

**विश्व की खाद्य समस्या को हल करने के उपाय** – खाद्यान्न अभाव की समस्या को हल करने के लिये संसार के सभी देशों में प्रयास चल रहे हैं। खाद्यान्न अभाव की समस्या विश्वव्यापी समस्या है, इस कारण मानवीय दृष्टि से इस पर गंभीरतापूर्वक विचार दिल्लीय विश्वयुद्ध के पश्चात अनेक देशों ने किया, क्योंकि दिल्लीय विश्वयुद्ध के समय यूरोप एवं अन्य देशों में खाद्यान्न अभाव और आपूर्ति की समस्या का कटु अनुभव किया गया था, इस कारण दिल्लीय विश्वयुद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र सहायता एवं पुर्ववास प्रशासन (**United Nation Relief and Rehabilitation Administration - UNRAA**) ने खाद्यान्न की आवश्यकता जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक थी और जो अभावग्रस्त थे, आपूर्ति का कार्य अपने हाथों में लेकर इस कार्य को पूरा किया।

खाद्यान्न अभाव की समस्या को स्थायी रूप से हल करने का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ ने उठाया। 1945 में इसके लिये एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय इकाई के रूप में विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन (**The Food and Agricultural organisation - FAO**) की रथापना की गई। खाद्य एवं कृषि संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिये

ऐसी अनेक योजनाएँ संचालित कर रहा है, जिनसे वहाँ के लोगों को प्रतिदिन भोजन अवश्य उपलब्ध हो सके।

विश्व की खाद्य समस्या को सुचारू रूप से हल करने के लिये निम्नलिखित उपाय प्रयोग में लाना आवश्यक है –

**1. जनसंख्या नियंत्रण** – वर्तमान समय में खाद्यान्न अभाव की समस्या को हल करने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना आवश्यक है, जिसमें कि कृषि उत्पादन एवं भण्डारण में वृद्धि हो सके।

जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के साथ साथ कृषि उत्पादन की ओर ध्यान देना आवश्यक है, इस हेतु

**1. यंत्रीकृत कृषि** – वर्तमान समय में अनेक देश यंत्रों की सहायता से – ट्रैक्टर, हार्केस्टर, विद्युत पम्प आदि से कृषि करने के कारण उत्पादन में वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। इस विधि के द्वारा कृषि करने से उत्पादन में 10-12 गुना वृद्धि देखी गई है। यानिक दृष्टि से भारत वर्ष में पंजाब और हरियाणा समृद्ध कृषि प्रौद्योगिकी राज्य है।

**2. मिश्रित कृषि को प्रोत्साहन** – सामान्य कृषि उत्पादन के साथ साथ प्रत्येक देश को कृषि सहायक उद्योगों-पशुपालन, रेशम उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, सूअर पालन आदि को भी प्रोत्साहित करना होगा। कृषि उपज, वन्य उपज के साथ साथ समुद्री संसाधनों के द्वारा भोजन के विभिन्न तत्वों – कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, खजिन लवण आदि को प्राप्त कर भोजन का पर्याप्त विकसित किया जा सकता है और खाद्यान्न अभाव की समस्या को हल किया जा सकता है।

**3. व्यापारिक कृषि** – खाद्यान्न समस्या को हल करने के लिये व्यापारिक दृष्टिकोण के द्वारा कृषि करने की ओर ध्यान देना आवश्यक है। व्यापारिक दृष्टिकोण से कृषि करने पर अधिक एवं अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि अनेक पश्चिमी देशों ने व्यापारिक दृष्टिकोण को अपनाकर चाय की कृषि में लाभ प्राप्त किया है।

**4. भण्डारण में सुधार एवं वृद्धि** – यदि कृषि उत्पादन को उचित एवं अधिक प्रकार से भण्डारण में वृद्धि करने से कृषकों को लाभ मिल सकेगा और कृषक उत्पादन में वृद्धि करने के लिये निरन्तर अधिक प्रयास करेंगे।

वर्तमान समय में कृषि उपज एवं खाद्यान्नों में वृद्धि, मुख्य रूप से मानव जाति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि खाद्यान्न जीवन का आधार एवं मानव ऊर्जा का ऋतौत है। यदि वर्तमान में संसार के मनुष्यों को कुपोषण एवं भूखमरी से बचाना है तो खाद्यान्न उत्पादन में अपार वृद्धि ही नहीं करनी होगी, बल्कि वृद्धि के क्रम को बनाए रखना होगा।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नाबाई की प्रकाशित रिपोर्ट
2. कृषि विभाग दिल्ली की रिपोर्ट
3. विश्व खाद्य संगठन की रिपोर्ट
4. कृषि की उच्चस्तरीय रिपोर्ट
5. अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च एवं रिव्यू
6. भारतीय अर्थव्यवस्था, डॉ. अनुपम गोयल- शिवलाल अग्रवाल एंड कम्पनी, इंदौर
7. व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पी.सी.अग्रवाल एंड कम्पनी, एम.डी.अग्रवाल- रमेश बुक डिपो, जयपुर
8. भारत का आर्थिक विकास, डॉ. मामोरिया, डॉ. जैन - साहित्य भवन, आगरा

## संत रविदास के चिन्तन में साहित्यक परिवृश्य

### प्रदीप कुमार साकेत \*

**प्रस्तावना** – समाज में इन मूल्यों को खोजने के लिए संत रविदास ने अपने जीवन को ही समर्पित कर दिये जीवन की अनेक दिशाओं में मानव का मूल्य ही सर्वोपरि है। संत रविदास ने सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन कर एक नया समाज स्थापित किये। जिनकी विचारधारा में मानवीय मूल्यों और साहित्य की चिन्तन धारा निकलती है। ढलित चेतना को जागृत करने के लिए अथक प्रयास किये। संत रविदास की चेतना समाज में एक नया दृष्टिकोण स्थापित करना चाहती है। इस हेतु इन्होंने समाज और शिक्षा के साथ परिवर्तन की दिशा को तय किये है। यह समाज मानव की तृष्णा पर आधारित विद्धता का परिणाम जन मानस की एकता पर पड़ा। संत रविदास सामाजिक समरसता मानव के मूल्यों पर सृजन तत्वों के रूपों में अर्थ से ढबा यह समाज क्या नैतिक मूल्यों से भी ढबा है। नहीं नैतिक मूल्य हमेशा से रूपतंत्र रहे हैं। जिसके स्थायित्व और स्वाभिमान की परम्पराओं ने सामाजिक उद्धति की ओर एक लहर पैदा कर देती है। इस लहर की प्रवाहित होने वाली धारा मूल्यों को जीवित करने में सहायक सिद्ध होती है। यह समाज की परिवर्तित धरातल के परिणाम स्वरूप अमीरों और गरीबों के बीच में एक खाई बढ़ती गई। जिसका मूल उदाहरण कार्लमार्क्स और लेनिन द्वारा प्रस्तुत करते हैं।

कार्ल मार्क्स कहता है कि शोषक और शोषितों के बीच बढ़ने वाली इस विसंगतियों के अधिकारों से ही मिटाया जा सकता है। इन मूल्यों का मन्तव्य समाज में जनक्रान्ति का उमड़ता सैलाव है। इन्हीं विशेषताओं के परिणामस्वरूप यह ढलित समाज अधिक पिछड़ता जा रहा है। अनेक घटनाओं के परिणाम स्वरूप विद्युत की रिथित पर परिवर्तन की विचारधारा पर सामाजिक विसंगतियों ने करारा झटका दिया है। इस समय का परिवर्तन समाज रूपयं के रौद्र रूप में खड़ा है। हमें मालूम है। जहाँ परिवर्तन होता है वहाँ दिशाओं का मार्ग रूपयं में परिवर्तित नहीं होने की विसंगतियों का परिणाम है।

संत रविदास समाज के महान चिन्तकों में से एक है। जिन्होंने गरीबों, पीड़ितों, धृतकारने वालों के अधिकारों को दिलाने का अथक प्रयास किया। ऐसी अनेक विसंगतियों ने मानवीय विचारधाराओं के परिणामस्वरूप जीवन और जगत् की अनेक कठिनाईयों का डट कर सामाना करते हैं। इससे यह साबित होता है कि 'गुरु रविदास जी अपने युग के महान क्रान्तिकारी समाज सुधारक एवं ढलित चेतना के सफल एवं अन्यतम अगुआ थे'।<sup>1</sup>

**रविदास जन्म के करनै होन न कोउ नीच।**

**जर छूँ नीच करि डारि है, ओछे करम की कीच॥<sup>2</sup>**

संत रविदास कहते हैं कि मैं मानमा हूँ कि प्रस्तर की मूर्तियों में भगवान का वास है। इन्हीं कारणों से प्रस्तर की मूर्ति पानी में तैरती रहती है। क्योंकि उसमें ईश्वर का अंश है। ईश्वरी शक्ति उसमें कार्य कर रही है। ऐसे मूल्यों को

मानवीय मूल्यों की खोज में सामिल है। अनेक दुःखों से निवृत्ति का एक मार्ग है। भगवान की भक्ति है। जिनके नाम पर ही ईश्वर शक्ति काम करने लगती है। इससे मानव में मानवीय संवेदना का सागर ही इसी प्रभु भक्ति में जीवन कट सकता है। अन्यथा सब कुछ मिथ्या है। जो व्यक्ति प्रभु का नाम जपता है। वह भव सागर से पार हो जाता है।<sup>3</sup>

संत रविदास की सामाजिक समरसता में मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा दिखाई देती है। मानव विकास के पहरेदार निर्गुण भक्ति मार्गी संत रविदास का जीवन मानवीय मूल्यों से आस्था के रूप में भरा है। जिनकी मानवीय संवेदना मूल्यों को विकसित करने में अहं योगदान देती है।

**शोध प्रविधि** – इस शोध पत्र संत रविदास के चिन्तन में साहित्यक परिवृश्य एक प्रकार से द्वितीयक शोध सामाजी के समिलित संकलन के द्वारा शोध पत्र का निर्माण किया गया है। इस हेतु जर्नल, पत्र-पत्रिकाओं और विद्धानों का मार्गदर्शन प्राप्त कर शोध सामाजी को सामिल किया गया है।

**उद्देश्य :**

1. मानवीय मूल्यों का साहित्यक अध्ययन करना।
2. संत रविदास सामाजिक चिन्तन का साहित्यक अध्ययन करना।
3. संत रविदास और भारतीय संस्कृति के मूल्यों का अध्ययन।

**समस्याएँ :**

1. व्यक्ति में हो रहे मूल्यों के क्षरण की समस्या।
2. धार्मिक और सम्प्रदायवाद की समस्या।
3. जातिवादी विसंगतियों में समाज में व्यस्त कुरीतियों की समस्या।
4. भारतीय संस्कृति के क्षरण की समस्या।

**समाधान** – संत रविदास के जीवन में निर्गुण मार्गी भक्ति का सौन्दर्य दिखाई देता है। इन्हीं परम्पराओं के रूप में मानव की विचारधारा का परिणाम मानव समाज के सामने आ रहा है। ऐसी सामाजिक दशाओं के कारण इस प्रकार की विचारधारा के प्रेणाता संत रविदास का साहित्य के सृजन में असीम योगदान है। इनकरी परम्पराओं ने मानव के सामने एक विचारधारा को ही जन्म दे दिया है। ऐसे महामानव जिनकी कर्म प्रधानता ने ईश्वर की आस्था को जीत लेती है। संत रविदास का जीवन मूल्या मानव की आधार सिला के रूप में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और मूल्यों के सन्दर्भ में ढलित चेतना के मसीहा संत रविदास के जीवन का प्रण ही मानव की जिज्ञासा को बढ़ा सकती है।<sup>4</sup>

संत रविदास का जीवन मूल्यों के रूप में ही दिखाई देता है। इनके मूल्यों से सम्पूर्ण संसार परिचित है। इस जीवन की गाथा को मूल्यों में परिणित करने की प्रवृत्ति समाज में उत्कृष्ट रूपों में दिखाई देती है। इन्हीं प्रवृत्तियों के

\* शोधार्थी (हिन्दी साहित्य) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

फलस्वरूप मानव जीवन की विसंगतियों को देखना मानव हित के लिए संरक्षण का कार्य करती है। आज भी समाज वैचारिक क्रान्ति से जूझ रहा है। इसके लिए धर्म के ठेकेदार ही जिम्मेदार हैं<sup>5</sup> इन विसंगतियों को निखिल करने में मानव की विचारधारा का परिणाम सामाजिक संघर्ष है। इन्हीं संघर्षों के द्वारा मानव जीतता और हारता है। यहाँ अनेक विसंगतियों के स्तर पर मानव की अनेक वैचारिक स्थितियों का जबाबदार स्वयं होता जा रहा है।

सामाजिक और आर्थिक स्वरूपों की यदि विना किया जाय तो आज भी दलित समाज बहुत ही पिछड़ा है। भारतीय सामाजिक परम्पराओं में मानव को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है एक प्रकृति और हवा, जल, अबिन एक तरह की है। मानव भोजन, रनान, पूजा-पाठ अध्ययन-अध्यापन रहन-सहन एक तरह होने के बावजूद भी भेदभाव पूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर क्यों हैं। इसका कोई-न-कोई कारण अवश्य है। जिसका निदान मानव के मूल्यों में छिपा हुआ है। इस तरह की विसंगतियों के समाधान हेतु संत रविदास ने मानव मूल्यों का प्रमाण दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति का जाबवदार मानव स्वयं है। हमारी प्रवृत्तियाँ एक समाज की कार्यप्रणाली पर निर्भर करती हैं। जिसका सृजन साहित्य स्वयं करता है। क्या सही है और क्या गलत है इन्हीं विचारधाराओं के द्वारा मानवीय मूल्यों की ओर प्रेरित करती हैं<sup>6</sup>

यह बात सत्य है कि मध्यकालीन समाज से लेकर आधुनिक काल के संतों ने भी समाज में ढलितोंद्वारा का अथक प्रयास किया है। ऐसे सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक विसंगतियों के परिणाम स्वरूप मानवीय मूल्यों का सृजन आवश्यक प्रतीत होता है।<sup>7</sup>

समाज की निम्नस्तर से ऊपर उठाने का कार्य संत रविदास ने किया है। यह परोपकार मानवीय मूल्यों के लिए सामाजिक विसंगतियों के निर्माण में मानवीय जीवन की दिशा दिखाई देती है। अनियंत्रित रूपों में व्याप्त कुरितीयों को जड़ से मिटाने का प्रयास संत रविदास और अन्य समकालीन संतों ने किया है। इसीकारण मानवीय मूल्यों साहित्यों के सृजन में उत्कृष्ट रहा है। सामाजिक विसंगतियों और मानवीय मूल्यों का परिणाम ही जीवन की दिशाओं में देखने का प्रयास किया है।

**निष्कर्ष –** संत रविदास ने मानवीय मूल्यों के अनेक विसंगतियों का विवेचन औपचारिक रूपों में करते रहे हैं। यहाँ तक समाज इनके योगदान को प्रेरणास्रोत के रूप में माने जाते हैं। जिन्होंने ईश्वर की आस्था का मूल्य बीज ही प्रकट कर दिया है। इन्हीं कारणों के द्वारा मानवीय संवेदना का संकट ही नहीं जीवन की अनेक विसंगतियों का परिणाम ही मानव पर निर्भर करती है। जिन्होंने मानव के प्रेम और सौहर्द का परिणाम जीवन मूल्य है। समाज उन्हें ही अग्रसर करता है। जिनमें समाज के प्रति कार्य करने की क्षमता होती है। इन्हीं के परिणाम स्वरूप वैचारिक श्रेष्ठता की स्थान दिया गया है।<sup>8</sup> यहाँ कहते हैं कि जो ईश्वर के मार्ग में सत्य और धर्म का अनुशरण करता है। उसे ही ईश्वर फल भी प्रदान करते हैं। इन्होंने प्रत्येक मानव को उपेक्षित होने से सही मार्ग बताते हैं। कि समाज में सद्कर्म जाति से उच्च श्रेणी का समझा जाता है। जहाँ मानव और समाज की सामाजिक विसंगतियों का परिणाम ही मानव को इन रुद्धियों और प्रथाओं एवं झूठे आडंबरों छुटकारा दिलाती है।

#### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. डॉ. धर्मपाल सिंहल एवं डॉ. बलदेव सिंह 'बाछन', ब्रह्मिंश रविदास, मानसी पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2014 पृष्ठ 61
2. भगवती प्रसाद निदारिया, संत कवि रैदास, इन्ड्रप्रथ इटरनेशनल, दिल्ली, 2007, पृष्ठ 21
3. ममता झा, संत रविदास रत्नावली, एस.के. ईटरप्राइजेज, 2016, पृष्ठ 98
4. डॉ. धर्मवीर सन्तरैदास का निर्वर्ण सम्प्रदाय, संगीता प्रकाशन, दिल्ली, 2011, पृष्ठ 15
5. कन्हैयालाल चंचरीक, संत रविदास : जीवन और दर्शन, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008, पृष्ठ 1
6. डॉ. अखण्ड कुमार भगत, संत रविदास की रामकहानी दृष्टि और मूल्यांकन, संदर्भ प्रकाशन, दिल्ली, 2016, पृष्ठ 26-27
7. आचार्य पृथ्वीसिंह आजाद, गुरु रविदास, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, 1999, पृष्ठ 22



## मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय सम-विकास योजना की उपयोगिता एवं प्रभाव

डॉ. अंजय वाघे \*

**प्रस्तावना** – राष्ट्रीय समविकास योजना केन्द्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से देश के 27 राज्यों के लगभग 147 पिछड़े जिलों में वर्ष 2003-04 में लागू की थी, म.प्र. में यह योजना वर्ष 2004 के अप्रैल माह में प्रारंभ की गयी तथा इस योजना की अवधि तीन वर्षीय थी। म.प्र. में समविकास योजना 10 पिछड़े हुए जिलों क्रमशः खरगोन, बड़वानी, सीधी, सिवनी, मण्डला, बालाघाट, उमरिया, सतना, डिण्डोरी और शहडोल में लागू की गयी थी, योजना हेतु म.प्र. में 10 जिलों में प्रत्येक जिले को 15 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में 45 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये।

### शोध-अध्ययन का उद्देश्य :

1. गरीबीरेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों की आर्थिक स्थिति का पता लगाना।
2. भूमिहिन या सीमांत कृषक परिवारों का अध्ययन करना।
3. योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को मिला है, इसका अध्ययन करना।
4. योजना हेतु पात्र हितग्राहियों का वास्तविक पिछड़ेपन के आधार पर चयन हुआ है, अध्ययन करना तथा जिले के वास्तविक पिछड़े क्षेत्रों का चयन हुआ है अथवा नहीं?
5. मध्यप्रदेश के सम्पूर्ण हितग्राही क्षेत्रों को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, इसका अध्ययन करना।
6. चयनित क्षेत्रों पर बजट अनुसार व्यय हुआ है, इसका अध्ययन करना।
7. योजना के कार्य स्तरीय हैं, इसका अध्ययन करना।
8. ग्रामीणों की जीवन शैली में वृद्धि हुई है, इसका अध्ययन करना।
9. ग्रामों में कृषि कार्यों में विकास हुआ है, इसका अध्ययन करना।
10. ग्रामीणों का आर्थिक उत्थान योजनानुसार हुआ है, इसका अध्ययन करना।

### शोध की परिकल्पनाएँ :

1. योजना का लाभ ग्रामीण व पिछड़े हुए क्षेत्रों को प्राप्त हुआ है?
2. शासन द्वारा स्वीकृत राशि इस योजना पर पूर्ण रूप से व्यय की गई है?
3. इस योजना से स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है?
4. ग्रामीणों के जीवनस्तर में वृद्धि हुई है?
5. म.प्र. के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का लाभ दिया गया है?
6. सिंचाई के साधनों में योजना अनुसार वृद्धि हुई है?
7. कृषि कार्यों को बढ़ावा मिला है।

### योजना में संचालित गतिविधियाँ :

1. कृषि आधारित गतिविधियाँ।
  2. वन आधारित गतिविधियाँ।
  3. मूलभूत सामाजिक अधोसंरचना का विकास गतिविधियाँ।
  4. आर्थिक अधोसंरचना के विकास की गतिविधियाँ।
- योजना में संचालित गतिविधियों से प्राप्त लाभ की गुणवत्ता तथा औचित्य** – राष्ट्रीय समविकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले को समान राशि का प्रस्ताव रहा है, जिससे निम्न कृषि उत्पादकता बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान करने तथा अवस्थापन में कमी करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक जिले के लिये 3 वर्षीय कार्य योजना तैयार की गई है, जिससे उस क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं से निधियों के प्रवाह का मूल्यांकन किया जा सके। विभिन्न पदों पर किये गये व्ययों का वर्णन निम्न है-

1. स्वास्थ्य एवं पोषण
2. कृषि संबंधी कार्य योजना
3. शिक्षा एवं दक्षता विकास
4. सड़क विकास
5. विद्युत सुविधा
6. सिंचाई सुविधा

**राष्ट्रीय समविकास योजना की उपयोगिता** – राष्ट्रीय समविकास योजना विकास कार्यों में सहायता प्रदान करना तथा अन्य कार्यक्रमों के महत्व को बढ़ाना है। वि-निर्धारित जिलों में विद्यमान विकास अप्रवाहों को पूरक बनाने के लिए निम्नलिखित वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गये ताकि –

1. स्थानीय अवस्थापना व अन्य विकास जरूरतों में क्रान्तिक अन्तरों को पाटना जिनकी विद्यमान अप्रवाहों के माध्यम से पर्याप्त रूप से पूर्ति नहीं हो रही है।
2. इस उद्देश्य हेतु पंचायत और नगरपालिका स्तर अधिकारियों को और अधिक उपयुक्त क्षमता निर्माण के साथ सुदृढ़ करना ताकि भागीदारी आयोजना, निर्णय निर्माण, कार्यान्वयन और मानीटरिंग सुगम हो सके।
3. सभी केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्र प्रायोजित और उप-जिला स्तर पर चल रही राज्य योजनाओं का अधिसरण।
4. सामाजिक विकास, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पेयजल आदि के लिए पर्याप्त निवेशों के साथ जिला स्थानीय सरकारी संस्थानों का संबल्पीकरण।
5. पिछड़े क्षेत्रों और असुविध ग्रसित लोगों पर बल देते हुए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों के अवस्थापना पर ध्यान केन्द्रित करना।

\* प्रभारी प्राचार्य व सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) विद्योदय महाविद्यालय, मनावर, जिला – धार (म.प्र.) भारत

6. आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों की आजीविका और परिसम्पत्तियों के विकास पर बल देना।

#### **राष्ट्रीय समविकास योजना का प्रभाव :**

1. योजना का पिछड़े हुए क्षेत्रों पर प्रभाव।
2. योजना का गरीब परिवारों व सीमांत कृषक पर प्रभाव।
3. ग्रामीणों के जीवन स्तर पर प्रभाव।
4. ग्रामीण स्वरोजगार पर प्रभाव।
5. कृषि पर प्रभाव।

#### **योजना का पिछड़े हुए क्षेत्रों पर प्रभाव :**

1. राष्ट्रीय समविकास योजना लागू होने के बाद मानव विकास के संकेतक जैसे साक्षरता एवं शिक्षा और मातृ व शिशु मृत्यु दर में सतत् सुधार को देखे गए हैं।
2. योजना में संचालित गतिविधियों से चयनित पिछड़े जिलों में साक्षरता प्रतिशत 2001 वर्ष के 45 प्रतिशत से वर्ष 2010 के अंत तक बढ़कर 68.8 प्रतिशत हो गया।
3. योजना से वर्ष 2004-10 के मध्य चयनित जिलों के दूरस्थ ग्रामों में स्वास्थ्य संबंधी कार्यों द्वारा शिशु व मातृ मृत्यु दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत लाया गया।
4. गरीब व्यक्तियों के लिए आधारभूत सेवाएँ सुनिश्चित हुई जिसमें वहनीय दरों पर सुरक्षा अवधि शामिल है।
5. शहरी गरीबी अन्मूलन तथा गन्दी बस्ती का विकास, समविकास योजना का एक महत्वपूर्ण घटक बना है।

#### **योजना का गरीब परिवारों व सीमांत कृषक पर प्रभाव :**

1. राष्ट्रीय समविकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-10 के मध्य चयनित 10 जिलों में हरक्तकला व बागवानी कार्यों के माध्यम से 9665 गरीब परिवारों को स्वरोजगार प्राप्त हुआ जो उनकी गरीबी दूर करने में सहायक हुआ।
2. योजना के द्वारा कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजित किये गये।
3. योजना द्वारा गरीब महिलाओं को आंगनवाड़ी कार्यक्रम से जोड़ा गया।
4. योजना के कृषि कार्यक्रम के माध्यम से भू-उत्पादकता बढ़ाते हुए ऐसे प्रयास भी किये गये जिससे कृषिरत लोगों की आय के अवसर बढ़ सके।

कृषिगत आय और कृषि कामगारों के वास्तविक पारिश्रमिक में वृद्धि हुई है, और उनके द्वारा मज़दूरी निर्धारण की क्षमता में सुधार कर आधिक्य शम्भल बढ़ाया जा सका है।

#### **ग्रामीण स्वरोजगार एवं कृषि पर प्रभाव :**

1. **ग्रामीण स्वरोजगार पर प्रभाव** – राष्ट्रीय समविकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा दिया गया है। योजना के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराये गये जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। ग्रामीण महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, आदि के प्रशिक्षण द्वारा उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराये गये।
2. **कृषि पर प्रभाव** – राष्ट्रीय समविकास योजना से नई किस्मों से प्रति

हैक्टेयर उच्च पैदावार में कुछ उल्लेखनीय वृद्धि रही है। खेती के तरीकों में सुधार हुआ है, जिससे पैदावार में 60 से 100 प्रतिशत का अंतर पाया गया।

3. योजना के कृषि कार्यक्रमों के अंतर्गत बागवानी कार्यों को बढ़ावा मिला।

#### **समविकास योजना के क्रियान्वयन में होने वाली समस्याएँ :**

1. लक्षित समुदायों के चयन की समस्या।
2. पाँच प्रतिशत से कम जनसंख्या वाले गाँवों के चयन की समस्या।
3. योजना की राशि के आबंटन व वितरण की समस्या।
4. वास्तविक उद्देश्य प्राप्त न होने की समस्या।
5. हितग्राही परिवारों व क्षेत्रों के व्यापाक प्रचार-प्रसार की समस्या।

#### **योजना की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रभावी सुझाव :**

1. योजना की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रभावी सुझाव।
2. लक्षित समुदायों के चयन संबंधी सुझाव।
3. जिलों के उचित ग्रामों के चयन हेतु सुझाव।
4. लाभ के अधिकारीक क्षेत्रों को पूर्ण लाभ दिलाने हेतु सुझाव।
5. राशि के उचित वितरण व आबंटन हेतु सुझाव।
6. योजना के राष्ट्रीय विकास हेतु सुझाव।

#### **अध्ययन का निष्कर्ष :**

1. मध्यप्रदेश में यह योजना 10 जिलों क्रमशः खरगोन, बड़वानी, सीधी, सिवनी, मण्डला, बालाघाट, उमरिया, सतना, डिंडोरी और शहडोल में लागू किया गया है।
2. यह योजना केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से मध्यप्रदेश के पिछड़े हुए जिलों के विकास हेतु लागू की गई है।
3. योजना के सफल संचालन हेतु सरकार द्वारा जिलों की संबन्धित जिला पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
4. योजना से बेहतर आर्थिक अवसर एवं विकास के लिए ग्रामीण अवसंरचना सृजित की गई।
5. प्रधानमंत्री सङ्क योजना के जरिए सङ्कों से न जुड़ी बसाहरों को इस योजना के माध्यम से जोड़ा गया।
6. योजना से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान तथा स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार हुए।
7. राष्ट्रीय समविकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में अवसंरचना और बुनियादी सुविधाएँ जैसे ग्रामीण आवास, सिंचाई क्षमता, पेयजल, ग्रामीण सङ्क, विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था आदि कार्य वर्ष 2005-06 के मध्य शुरू किये गये वर्ष 2010 के अंत तक 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये गये।
8. राष्ट्रीय समविकास योजना में भूमि के संसाधन के लिए निवेष की आवश्यकता पर बल दिया गया।
9. योजना को भारत निर्माण कार्यक्रम से जोड़ कर वर्ष 2005-09 तक 1.69 लाख मकानों व सरकारी भवनों की मरम्मत में योगदान किया गया है।

#### **संदर्भ ग्रन्थ सूची :-**

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

## भारत के आर्थिक विकास में वित्त आयोगों का योगदान

### डॉ. पीताम्बर सिंह चौहान \*

**प्रस्तावना** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांचवें वर्ष या उससे पहले भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है।

वित्त आयोग निम्नलिखित आर्थिक विषयों पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है

1. केन्द्रीय और राज्यों के बीच विभाजन योग्य करों में राज्यों का हिस्सा
2. भारतीय को संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान।
3. अन्य वित्तीय परामर्श

भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में के. सी. नियोगी की अध्यक्षता में किया गया। वर्तमान में चौदहवें वित्त आयोग का गठन जनवरी, 2013 में किया गया। वाई वी रेण्टी की अध्यक्षता में गठित यह आयोग अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 2014 में देगा तथा इसका क्रियान्वयन वर्ष 2015-20 में होगा।

#### वित्त आयोगों कमी सिफारिशों पर केन्द्र से राज्यों को अंतरण

|    |                      | कर अंतरण | अनुदान    | कुल       |
|----|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 1  | पहला वित्त आयोग      | 1952-57  | 371.30    | 50.00     |
| 2  | द्वितीय वित्त आयोग   | 1957-62  | 822.40    | 197.20    |
| 3  | तीसरा वित्त आयोग     | 1962-66  | 1067.50   | 250.40    |
| 4  | चौथा वित्त आयोग      | 1966-69  | 1328.00   | 421.80    |
| 5  | पांचवां वित्त आयोग   | 1969-74  | 4643.00   | 710.70    |
| 6  | छठा वित्त आयोग       | 1974-79  | 8250.60   | 2509.60   |
| 7  | सातवां वित्त आयोग    | 1979-84  | 19297.10  | 1609.90   |
| 8  | आठवां वित्त आयोग     | 1984-89  | 35683.00  | 3769.00   |
| 9  | नौवां वित्त आयोग     | 1989-90  | 11785.64  | 1876.78   |
|    |                      | 1990-95  | 87882.00  | 18154.43  |
| 10 | दसवां वित्त आयोग     | 1995-00  | 206343.00 | 20300.30  |
| 11 | व्यारहवां वित्त आयोग | 2000-05  | 376318.01 | 58587.39  |
| 12 | बारहवां वित्त आयोग   | 2005-10  | 643112.02 | 112639.60 |
|    |                      |          |           | 755751.62 |

**तेरहवें वित्त आयोग का दृष्टिकोण** – तेरहवें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत 13 नवम्बर 2007 को वर्ष 2010 से 2015 के कालखंड के लिए अपनी सिफारिशें देने के संदर्भ में किया गया। डॉ. विजय केलकर तेरहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये गये।

तेरहवें वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों पर अपनी सिफारिशें देने हेतु कहा गया:

1. संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों, जो संविधा के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग का आवंटन।
2. भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धान्त और उन राज्यों को, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन उनके राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता की आवश्यकता है, संक्षता की जाने वाली धनराशियां और
3. राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संबंध आवश्यक अध्युपा।

आयोग, विशेष रूप से, केन्द्रीय सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरंभ की गई राज्य ऋण समेकन और राहत सुविधा 2005-10 के प्रवर्तन को ध्यान में रखते हुए, संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और समान वृद्धि से संगत स्थिर और पोषणीय राजवित्तीय वातावरण को बनाए रखने के लिए उपायों का सुझाव देगा।

राष्ट्रपति द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के लिए विचाराधीन विषयों के साथ उसके गठन का आदेश मिलने के बाद वित्त आयोग ने 30 दिसम्बर 2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- तेरहवें वित्त आयोग का सामान्य दृष्टिकोण इस प्रकार से था:
1. अधिक हरित और अधिक समावेशी विकास प्राप्त करने की आवश्यक राजकोषीय दृष्टि से मजबूत केन्द्र, राजकोषीय दृष्टि से मजबूत राज्य और राजकोषीय दृष्टि से मजबूत स्थानीय निकाय बनाये जाये।
  2. राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मध्यावधिक में ऋण सकल आयोग यह समझता है कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा ऋण अनुपात को 75 प्रतिशत के स्तर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि बारहवें वित्त आयोग के अंतिम वर्ष में संयुक्त ऋण- सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 65 प्रतिशत और केन्द्र सरकार के ऋण सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 45 प्रतिशत तक लाया जाएगा।

\* असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र विभाग) लाजपत राय कालिज, साहिबाबाद, जिला - गाजियाबाद (उ.प्र.) भारत

3. आयोग ने सिफारिश दी कि राजकोषीय समेकन हेतु केन्द्र और राज्यों दोनों का राजस्व घाटा दीर्घकाल में समाप्त किया जाए। हाल ही के विच आयोगों डिजाइन के अनुसार तेरहवें वित्त आयोग ने केन्द्र और राज्यों दोनों के लिए समान अनुशासन को रेखांकित किया। जिसमें किसी भी स्तरपर सरकार को प्राथमिकता न देते हुए समान व्यवहार पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। इसका अभिप्राय यह है कि राज्य और स्थानीय निकायों के पास राजकोषीय संभावनाएं उपलब्ध हैं, जिससे तुलनात्मक रूप से समान सार्वजनिक सेवाएं मोटे तौर पर तुलनात्मक रूप से समान कराधन ढारा उपलब्ध कराई जा सकती है। यह सिद्धांत पुरे देश में सार्वजनिक सेवाओं की समान उपलब्धता की गारंटी नहीं लेता, लेकिन इस हेतु समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक राजकोषीय व्यवस्था को रेखांकित अवश्य करता है।

### तालिका 2 (देखें अगले पृष्ठ पर)

**तालिका - 3 : ब्यारहवें, बारहवें और तेरहवें वित्त आयोग ढारा प्रदत्तों राज्यों का हिस्सा**

| राज्य           | ब्यारहवां वित्त आयोग | बारहवां वित्त आयोग | तेरहवां वित्त आयोग |
|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| आंध्र प्रदेश    | 7.701                | 7.356              | 6.948              |
| अरुणाचल प्रदेश  | 0.244                | 0.288              | 0.328              |
| असम             | 3.285                | 3.235              | 3.634              |
| बिहार           | 14.598               | 11.028             | 10.934             |
| छत्तीसगढ़       | 0.000                | 2.654              | 2.474              |
| गोवा            | 0.206                | 0.259              | 0.266              |
| गुजरात          | 2.821                | 3.569              | 3.046              |
| हरियाणा         | 0.944                | 1.075              | 1.050              |
| हिमाचल प्रदेश   | 0.688                | 0.522              | 0.782              |
| जम्मू और कश्मीर | 1.290                | 1.297              | 1.394              |
| झारखंड          | 0.000                | 3.361              | 2.806              |
| कर्नाटक         | 4.930                | 4.459              | 4.335              |
| केरल            | 3.057                | 2.665              | 2.345              |
| मध्य प्रदेश     | 8.838                | 6.711              | 7.131              |
| महाराष्ट्र      | 4.632                | 4.997              | 5.207              |
| मणिपुर          | 0.366                | 0.361              | 0.452              |
| मेघालय          | 0.342                | 0.371              | 0.409              |
| मिजोरम          | 0.198                | 0.239              | 0.269              |
| नागालैंड        | 0.220                | 0.263              | 0.314              |
| उडीसा           | 5.056                | 5.161              | 4.787              |
| पंजाब           | 1.147                | 1.299              | 1.391              |
| राजस्थान        | 5.473                | 5.609              | 5.862              |
| सिक्किम         | 0.184                | 0.227              | 0.239              |
| तमिलनाडू        | 5.385                | 5.305              | 4.977              |
| त्रिपुरा        | 0.487                | 0.428              | 0.512              |
| उत्तर प्रदेश    | 0.000                | 19.264             | 19.708             |
| उत्तराखण्ड      | 19.798               | 0.939              | 1.122              |
| पश्चिम बंगाल    | 8.115                | 7.057              | 7.276              |
| सभी राज्य       | 100.00               | 100.00             | 100.00             |

स्रोत: ब्यारहवें, बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट

### 14वां वित्त आयोग :

- संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रदत्त शक्तियों के तहत सरकार ने 2 जनवरी, 2013 को 14वें वित्त आयोग का गठन किया है।
- आयोग की अध्यक्षता रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ वाई०वी० रेड्डी को सौंपी गई है और इसमें चार अन्य सदस्यों के साथ प्रो० अभिजीत सेन अंशकालिक सदस्य है।
- योजना आयोग के अन्य सदस्यों में सुषमानाथ (पूर्व केन्द्रीय वित्त सचिव), डॉ० एम गोविन्द राव (निदेशक राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान) तथा डॉ० सुदिति मुण्डले (पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग) शामिल हैं।
- आयोग केन्द्रीय करों के बैंटवारे, राज्यों को दी जाने वाली नीतिगत सहायता और स्थानीय निकायों को संसाधनों के हस्तान्तरण सम्बन्धी अनुशंसा।
- आयोग विशेष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और समान वृद्धि से संगत स्थिति और पोषणीय राज वित्तीय वातावरण को बनाए रखने के लिए उपायों का सुझाव देगा।
- आयोग विभिन्न विषयों पर अपनी सिफारिशें करते समय, उन सभी मामलों में जहां करो और शुल्कों तथा सहायता अनुदानों के अन्तरण को अवधारित करने के लिए जनसंख्या एक कारक है, वर्ष 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों की आधार के रूप में लेगा। हालांकि वर्ष 1971 के बाद हुए जनसंख्या परिवर्तनों की नीति को आयोग ध्यान में रख सकता है।

**14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट –** 14वें वित्त आयोग ने 24 फरवरी 2015 को अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय को सौंपी। इस रिपोर्ट में केन्द्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय प्रबन्धन की प्रक्रिया तथा प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए विभिन्न सिफारिशों की गई है। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कर हस्तान्तरण सम्बन्धी सिफारिश लागू होने पर राज्यों को वित्त वर्ष 2015-16 में रूपये 5.26 लाख करोड़ प्राप्त होंगे। इस वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश में राज्यों की कर-राजस्व से होने वाली शुद्ध आय में 42 प्रतिशत हिस्सेदारी तय की है। 13वें वित्त आयोग द्वारा 32 प्रतिशत हिस्सेदारी की सिफारिश की गई थी। 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को कर हस्तान्तरण में होने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है।

कर में बड़ी हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में राज्यों को किए गए कुल हस्तान्तरण की तुलना में वर्ष 2015-16 के लिए करीब 45 प्रतिशत अधिक हस्तान्तरण की सिफारिश की गई है।

भुगतान राज्यों तथा स्थानीय निकायों को भुगतान वर्ष 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर करने की बात की गई है। ये भुगतान शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित होंगे। इसमें नगर निकाय तथा ग्राम पंचायत शामिल हैं।

अनुदान के प्रकार: अनुदानों को दो भागों में रखा गया है- साधारण अनुदान तथा प्रदर्शन अनुदान। साधारण और प्रदर्शन अनुदानों का अनुपात पंचायतों के लिए 90.10 रखा गया है, वही निकायों के लिए यह अनुपात 80.20 है।

**योजनाओं को हटाना:** 14वें वित्त आयोग ने आठ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से केन्द्रीय सहयोग समाप्त करने को कहा है। साथ ही अन्य केन्द्र

प्रायोजित योजनाओं के पैटर्न में हिरण्येदारी में बदलाव तथा जवाबदेही तय करने की सिफारिश की गई है।

**वित्त सम्बन्धित महत्वपूर्ण समितियां** – सरकार के व्यय एवं वित्तीय अनुशासन से सम्बन्धित निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है।

**रंगराजन समिति** – योजना आयोग ने डॉ० सी० १० रंगराजन की अध्यक्षता में सरकारी व्यय के दक्ष प्रबन्धन के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सितम्बर २०११ में सौंप दी है।

इसकी महत्वपूर्ण संस्तुतियां इस प्रकार हैं :

- सार्वजनिक व्यय के सम्बन्ध में आयोजन तथा आयोजन भिन्न अन्तर को समाप्त करना तथा बजट व्यवस्था को उत्पादन एवं परिणामों के साथ जोड़कर सरकारी व्यय प्रबन्धन के विष्टिकोण में मूल भूत परिवर्तन लाना।
- राज्यों में क्रियान्वित हो रहे केन्द्रीय कार्यक्रमों, उप कार्यक्रमों तथा योजनाओं के लिए एक समान करों के साथ एक नवीन बहुआयामी बजट तथा लेखाकरण की शुरूआत करना।
- सभी नई योजनाओं के लिए १२वीं योजना से सम्पूर्ण राजकोषीय मोड में रूपान्तरण।
- क्रय शक्ति समानता सम्बन्धी परियोजनावार, क्षेत्रवार तथा मन्त्रालयवार सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
- राजस्व पूँजी वर्गीकरण को बनाए रखना पर समायोजित राजस्व घाटा।

### केलकर समिति

- सरकार ने वित्तीय अनुशासन को लाने के लिए विजय केलकर की अध्यक्षता में लेखा समिति का गठन किया, जिसने एक माह से भी कम समय में अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी।
- इस रिपोर्ट में वित्तीय स्थिति को चिन्ताजनक बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि जल्दी ही वित्तीय अनुशासन लाने के लिए पूर्वतः कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति वर्ष १९९१ की तरह चिन्ताजनक हो जाएगी।

### तालिका 2 – दसवें से तेरहवें वित्त आयोगों द्वारा प्रदत्त विभिन्न अंतरणों का कुल में हिस्सा

|  | दसवां वित्त आयोग |                | ब्यारहवां वित्त आयोग           |                           | बारहवां वित्त आयोग |                | तेरहवां वित्त आयोग |                |
|--|------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|  | राशि (करोड रु०)  | कुल का प्रतिशत | राशि (करोड रु०)                | कुल का प्रतिशत            | राशि (करोड रु०)    | कुल का प्रतिशत | राशि (करोड रु०)    | कुल का प्रतिशत |
| 1. केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में हिस्सा                               | 206343           | 91             | 376318                         | 86.5                      | 613112             | 81.1           | 1448096            | 84.8           |
| 2. सहायता एवं अनुदान जिसमें स्थानीय निकाय (क) पंचायते (ख) नगरपालिकायें | 20300<br>5381    | 9<br>2.4       | 58587<br>10000<br>8000<br>2000 | 13.5<br>2.3<br>1.8<br>0.5 | 1426400<br>25000   | 18.9<br>3.3    | 258571<br>87519    | 15.2<br>5.1    |
| कुल (1+2)  | 226643           | 100            | 434905                         | 100                       | 755752             | 100            | 1706676            | 100            |

स्रोत: दसवें, ब्यारहवें, बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट

## धर्म – सम्प्रदायों में मम, सम और सद्भाव

**डॉ. मनीषा दुबे \***

**प्रस्तावना** – जब में मानव का सृष्टि में आवरण हुआ तब से ही उसका धर्म से सम्पर्क रहा। यूँ तो सृष्टि रचना से पूर्व ही चतुर्मुख से ज्ञान या विद्या रूप में वेदों का उच्चारण हुआ, ऐसा माना जाता है। इस मान्यता के चलते धर्म को अनादि मानना पड़ता है। आदिमानव के विकास के साथ-साथ, मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर धर्म का आधिपत्य स्थापित होता गया। धर्म द्वारा ही मानव-मानव के बीच सम्बन्धों में समानता, सौहार्द एवं सद्भाव बना रहे, इसके लिये कुछ नियम और सिद्धांत अस्तित्व में आए। मानव अपने नाम को सार्थक बनाकर बहुत उँचा उठ जाये, इसलिये उन नियमों के अन्तर्गत जीवन जीने का आदेश भी दिया गया। किन्तु यह सारे सिद्धांत-सिद्धांत ही बने रहे। विभिन्न धर्मवलम्बियों ने धर्म का उपयोग स्वार्थ सिद्ध करने के लिये ही किया। परिणामस्वरूप धर्म के नाम पर ही समाज में वैर, विग्रह जैसी विकृत बुराईयों ने अपना स्थान बना लिया।

संसार में धर्म का ज्ञान अनेक स्थानों पर प्रकट हुआ। उसे देश, काल और परिस्थिति के अनुसार आंशिक रूप दिया गया। उसी अंश ज्ञान को लेकर 'मेरा धर्म महान्' की भावना पैदा हुई। उसका अतिरिक्त हुआ। स्वधर्म के प्रति मम भाव-मोह और अहंकार का भाव जगा। यह धर्म का संकुचित और विकृत विकास था जिससे अन्य सभी मानवों को स्वधर्म में धर्मातिरित करने की दृष्टिं स्पष्टा चली। परधर्म के देवल को तो तोड़कर स्वधर्म का पूजागृह बनाने का ढौर चला। धर्मान्तरण करने में पुण्य समझकर लोग निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त हुए: फलस्वरूप मानव द्वारा मानव पर अत्याचार, शोषण एवं हिंसा से यमानव नाम ही तिरस्कृत हुआ। धग्र की आवश्यकता पर भी प्रश्नचिन्ह लगा। इतिहास साक्षी है कि जेखसलम पर अधिकार करने के लिये यहूदियों, ईसाइओं और मुस्लिमों में इतना रक्तचाप हुआ कि धरती काँप गयी। धर्म के नाम पर संकुचित ममभाव और ममत्व के असंख्य अमानवीय परिणाम बड़े भयानक हुए।

अपने धर्म या ग्रंथ के विषय में ममत्व का भाव बुरा नहीं परन्तु इस भाव के अतिरिक्त से मानव का ढानव बन जाना धर्म का लक्ष्य कढ़ापि नहीं था। ममभाव से अहंभाव पैदा होता है। उत्तार मीमांसा के अनुसार अहंभावी पैदा होता है। उत्तार मीमांसा के अनुसार अहंभावी व्यक्ति के मानस पर अविद्या या अज्ञान का आवरण छा जाता है। परिणामस्वरूप अहंभावी लोग, प्रमाद, दंभ, अभिमान, क्रोध जैसे अवगुणों से ग्रस्त होकर समाज के लिये अभिशाप बन जाते हैं। महामति प्राणनाथ कहते हैं कि मिथ्या गुमान, अभिमान मानव को गढ़े में गिरा देता है। इसे त्यागकर समभावी और समाजसेवी बनना चाहिए- अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को,

एही खाड बड़ी है भाई।

एक डारी त्यों दूजी भी डारों,  
जलाए देओ चतुराई॥

मानव देहधारियों को सताने वाली समस्या का समाधान केवल युगपुरुष संतों की वाणियों में मिलता है। संतों की वाणी ही विभिन्न धर्मों के प्रति समभाव पैदा कर सकती है। इसलिये महामति कहते हैं कि सभी धर्म परब्रह्म परमात्मा की ओर सेमानव मात्र को प्रेम का संदेश देने वाले हैं। इसलिये धर्म के नाम पर विकृत, मिथ्या, ममभाव नहीं रखना चाहिये। धर्म गंथों के अद्ययन से पता चलता है कि उनमें साम्य है परन्तु अज्ञानीजन मनमाने अर्थ लगाकर मनुष्यों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं-

सब सयानों की एकमत पाई।

पर अजान देखे रे जुदाई॥

समस्त धर्मों के अन्दर जो खूबियाँ, सुन्दर सार शब्द हैं, उन्हें मिला देने से एक मानव धर्म बनता है। सभी धर्मों के प्रति समभाव से ही यह विचार आते हैं।

धर्मशालों में धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। धर्महीन मनुष्य को शाश्वतकारों ने पशु तुल्य बताया है। धर्म शब्द 'धृ' धातु से निकला है जिसका अर्थ है, धारण करना अथवा पालन करना होता है, जो समस्त भूखण्ड में कल्याण का कारण है वही धर्म कहलाता है। महाभारत में कहा गया – 'धर्म सनताहितः पुंसां धर्मश्चैवाश्रयः सताम् धर्माल्लोक्यस्तात् प्रवर्ताः सचराचराः।'

अर्थात् धर्म ही सत्पुरुषों का हित है धर्म ही सत्पुरुषों का आश्रय है और सचराचर तीन लोकों में धग्र से चला जाता है। धर्म शब्द से मजहब या सम्प्रदाय जैसे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, बौद्ध आदि समझे जाते हैं। परन्तु मानव धग्र से सभी धर्मों धार्मिक मर्तों का समावेश हो जाता है। न देश से बधा, न काल से, न जाति से न गोत्र से। चाहे हम भारत में जन्मे हो या अन्य किसी देश में, चाहे किसी का जन्म किसी भी शताब्दी में हुआ हो, कोई अन्तर नहीं पड़ता। मानव धर्म सबके लिए एक समान है।

मानव धर्म का मुख्य सूत्र है कि हमारी जो दिनचर्या सबरे से शाम तक हम ऐसे कार्य करें जिससे किसी को कोई कष्ट न हो। दूसरा सूत्र है, हमारा कर्म हमें भी आगे चलकर सुखी बनाने वाला हो। भगवान् मनु ने धर्म को दस लक्षण बताये हैं –

**धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः। धीः विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।**

धैर्य, क्षमा, इन्द्रियों का ढमन, चोरी न करना, स्वच्छता, इन्द्रियों का विवेकपूर्वक शमन, शुद्ध बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना ये धर्म के दस लक्षण भगवन् मनु ने बताये हैं। सत्य बात यह है कि मनुष्य जाति के स्वाभाविक धर्म है। इससे किसी जाति, धर्म सम्प्रदाय को आपत्ति नहीं हो सकती है। मनुष्य में मनुष्यत्व का विकास इन्हीं धर्मों के आचरण से सम्भव है। जब मनुष्य इन धर्मों का पलन करना छोड़ देता है, उस समय उसकी अधिगति हो जाती है, जब जब मनुष्य जाति में इन धर्मों की प्रधानता थी तब

विश्व में सुख चैन या शान्ति का साम्राज्य था। जब मनुष्यों में इन धर्मों से अलगाव होने लगा, हनन होने लगा तो मनुष्य अपने क्षुद्र स्वार्थ साधन के लिए परस्पर वैर-भाव प्रसव देते हुए हिसक पशुओं की भाँति खुंखार बनकर एक दूसरे को ग्रास करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कहीं भी सुख शान्ति नहीं है। जिधर देखिए उधर ही देश के देश दुःख के ढावानल से ढर्थ होते जा रहे हैं।

गरीब तो गरीब, अमीर भी अशान्त प्रतीत हो रहे हैं। ऊँचे-ऊँचे महलों में रहने वाले मील फैक्टरियों के मालिक, बड़े-बड़े पदाधिकारी मन्त्री, सन्तरी, विज्ञान के नए नए अविष्कारक, युद्ध सामग्री का प्रचुर मात्रा में संग्रह करने वाले, दूसरे देशों को भयभीत करने वाले, कवि धर्मपदेशक, सिर हिलाकर आंख मूँदकर सुनने वाले बड़ी बड़ी सभाओं में शब्दों के माणिक बना-बनाकर चिलाने वाले अन्याय से धन कमाकर व्यापारी बनने वाले आदि। इन सबकी हृदय गुहा में धुसकर देखें तो इन सबके अन्दर अशान्ति की धृथकती जवाला से ये सब ढर्थ मिलेंगे।

इसका मुख्य कारण है कि हम सबने उस परमशक्ति परमात्मा को भूलाकर अपनी प्रतिष्ठा मान-मर्यादा को धारण कर लिया है। मानव मात्र का तिरस्कार किया है। आज अगर हम ऊँचे पढ़ या व्यापारी हैं तो यहां तक आने में हमें हमारे माता-पिता (गुरु) अद्यापकगण तथा हमारे हितैषी जन, हमारा समाज (आम आदमी) मानव मात्र का हमको सहयोग प्राप्त हुआ है, इसलिए हमको अहसानमन्द अति अनिवार्य है। मानव धर्म की एक और दृष्टि है। संसार में जितने मजहब हैं उन सबमें कुछ न कुछ ज्ञानप्रक शिक्षा हो सकती है। इसलिए मानव धर्म उन गुस्तरों की भाँति खोजी दृष्टि रखते हुए जिनमें जो तथ्य अनिवार्य और ज्ञानवर्धक है निकालना चाहिए और उनका सत्य से सम्बन्ध जोड़ना चाहिए यही लक्ष्य अनिवार्य और उपयोगिताओं से न कि पागलपन या छिह्नी बातों से।

गगर चूंकि हर धर्म का आदमी दूसरे धर्मालिंगम् भी से चिढ़ता है और अपने से तुच्छ समझता है। ऐसा करने से हम अपना अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार समाज, संस्था तथा अपने देश में भी शान्ति कायम रखने में असमर्थ हो जाएंगे। अभी हाल में पश्चिम उत्तार प्रदेश के साम्प्रादायिक ढंगे जीता जागता उदाहरण है।

इस मानव धर्म अर्थात् सम्पूर्ण (पृथ्वी) विश्व में विश्व बन्धुत्व की भावना को जागृत करने वाला एक ही अद्वैत धारण करने वाला मानव धर्म की मिशाल कायम करने रखने वाला निजानन्द सम्प्रदाय है। जिसमें चार सौ वर्ष पूर्व गुजरात में अवतरित हुए महामति श्री प्राणनाथ जी ने इस तरह के मानव धर्म की कायमी करके सम्पूर्ण मानवों को एक सूत्र में बांधकर उस परब्रह्म परमात्मा की एक अद्वैत राह दिखाई है। जिसमें न किसी धर्म का बन्धन है न किसी समाज का एक ऐसी अनोखी राह बताई जिसमें सम्पूर्ण धर्मों सम्प्रदायों पन्थ पैदों को एक सूत्र में बांध दिया है। आज के इस बिंदम्बना पूर्ण संसार को श्री प्राणनाथ जी की इस राह की परम आवश्यकता है। श्री प्राणनाथ जी ने सभी धर्मों का एकीकरण किया है। जम्बूर, तोरेत, इंजीत (फुरकान), कुरान, वेदान्त, गीता भागवत आदि का ज्ञान आपस में मिलता है इनकी उन्होंने अपने अद्वैत खोजी वृत्ति से किया क्योंकि श्री प्राणनाथ जी के अन्दर स्वयं परमात्मा अपनी पांचों शक्तियों से विराजमान थे। उन्होंने अपनी ब्रह्मवाणी में सभी को समझाया।

विस्तु अजाजील फरिस्ता, ब्रह्म मैकाइला जबराईल जोश धनी का, रुद्र तामस अजराईल। खु. 12/45

जिस समय इसा सत्य की बात कर हरे थे उनके सामने यहूदी थे न की

हिन्दू व चीनी। जिस अरब जाति को मोहम्मद अपनी सत्य अनुभूति समझा रहे थे, उसमें यूरोपीयन निवारी नहीं थे। जिस वर्ग को बुद्ध ने उपदेश दिया उसमें अरब और यहूदी शामिल नहीं थे, अर्थात् जब इन सत्य ज्ञान की अनुभूति दी गयी वह एकदेशीय वर्ग की थी परन्तु आज सामने हिन्दू है, मुसलमान है, जैन, बौद्ध, सिक्ख, ईसाई सभी है आज हम और हमारे सुन्दरसाथ समस्त वर्गों को श्री प्राणनाथ जी की उस ब्रह्म वाणी की अनुभूति करा सकते हैं जिस ग्रेव की वाणी को श्री प्राणनाथ जी ने छठा दिन मोमिनों का कहकर हमें बख्शा है। सभी धर्मों तथा धर्मग्रन्थों का एकीकरण करके हमें स्वरूप साहिब अर्थात् श्री कुलजम स्वरूप की वाणी को दिया है। जिससे मानव धर्म की अनुभूति समस्त भारत वर्ष समस्त विश्व को कराकर इस जागनी की बेला को अमृत बेला बना सकते हैं। इसलिए श्री महामति जी ने फरमाया है कि-

बोली जुदी सबन की, ओर सबका जुदा चलन।

सब उरझे नाम जुदे धर, पर मेरे तो कहना सबना। सनंध 1/14

धर्मप्रेमियों, धार्मिक इतिहास जब हम देखते हैं तो धार्मिक ज्ञान बड़ी-बड़ी सकीर्णताओं से भरा पड़ा है। इतिहास साक्षी है कि मानव जाति ने संसार में धर्म के नाम पर सम्प्रदाय, पन्थ पैदों के नाम पर कितने वीभत्स, हृदय विदारक अतयाचार, अनाचार और पापाचार किए हैं। परन्तु समस्त धर्मों के प्रवर्तकों महापुरुषों ने यही माना है कि पूरे विश्व, समस्त ब्रह्माण्डों संचालन करने वाला सिर्फ एक ही सत्य-परमात्मा है किसी ने उसकों साकार किसी ने निराकार माना और इस सत्य को समझाने के लिए उन्होंने अनेक उपदेश दिए। धर्मों के आधार पर तलवारों का सहारा लेकर धर्म परिवर्तन कराया जो मानव जाति पर कलंक है। उनक पर अत्याचार करना उनके मान्य बिन्दुओं को नष्ट करके उन्हें मौत के घाट उतार देना उनके तत्कालीन एक सहज वृत्ति हो गयी थी। भारत का मध्यकाल इस धर्मनिधाता के कारण सामाजिक राजनैतिक एवं अद्यात्मिक झगड़ों की घटनाओं से कलंकित ही शोचनीय है

मध्यकाल की इस विभीषिका की अंधेरी गुफा में एक-एक सत्य को परम ज्योतिर्मय मशाल श्री प्राणनाथ जी स्वयं बुद्ध निष्कलंक अवतार ने जलाई। हिसा चीत्कार में करुणा की ज्योति प्रज्वलित हुई। उन्हीं निष्कलंक बुद्ध जी ने इस पापाचार, दुराचार के कलंक को मिटाया और समझाया यखरसम सबन का एक है, नाहि न दूसरा कोया। कलश हि. 14/34

बोली सबों जुदी कर दिया, ताथे समझ न परी किन॥

नाम सारे जुदे धरे, लई सबों जुदी रसम।

विश्व के सभी धर्मों में परस्पर एक-दूसरे धर्म की तुलना में अनेक समानताएँ हैं। परमात्मा, आत्मा और सुर्दि-फादर, सन एण्ड होली घोर्टा लगभग एक जैसी शक्ति के नाम हैं। इसी प्रकार गीता के क्षर-अक्षर-उत्तम पुरुष वाणी के क्षर अक्षर अक्षरातीत शक्ति है। जो आत्माओं को लीला दिखाने के लिये अपने सत् या सत्तारूप अक्षर से जगत की रचना करवाती है और फिर ईश्वर अंश रूप से सृष्टि में प्रकट होकर उसका संचालन करती है। क्षर पुरुष-यह जगत हमेशा बनता और मिटाता है, अविनाशी अक्षर कुट्सथ भाव से रिथति है। उत्तम पुरुष इन दोनों से अलग है - उसकी प्रेरणा से ही अक्षर और क्षर लीला करते हैं। वहीं अंश रूप से ईश्वर पुरुष के रूप में लीला करता है और जगत के देवी देवताओं द्वारा सारे कार्य करवा रहा है।

द्वाविमी पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एव च।

धर्मो उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युद्दाहतः।

यो लोक त्रयमाविस्य विभृत्यव्यय ईश्वर।।

तुरान शरीफ का कलिमा भी तीन भिन्न शक्तियों की बात करता है ला-

नहीं, इलाह-है-इल्लाह- इनसे परे परम सत्ता जिसका पैगाम का विवेचन है-

क्षर के परे, अक्षर के पारा  
तहि पुरुष का करो विचारा।  
ननक एको सिमरये, जन्म मरण दुख जाये।  
दूजा काहे सिमरिये, जन्मिये और मर जाये॥  
परम पुरुष का मैं हूं दासा।  
देखन आयो जगत तमासा ॥

अर्थात् परम पुरुष परमात्मा एक ही है। उसी का ध्यान, चिन्तन, मनन और पूजन करा चाहिये। वही लीला के लिये, अपनी सत्ता से क्षर जगत बनाता है और अपनी आत्माओं के देखने के बाद मिटा देता है। गुरु नानक कहते हैं उसी पार पुरुष के ध्यान से मुक्ति मिलती है और आवागमन का चक्कर छूट जाता है। क्षर पुरुष के अंशरूप देवी-देवता सुख दिला सकते हैं मोक्ष नहीं।

महामति श्री प्राणनाथ तीन पुरुष का वर्णन इस प्रकार करते हैं:-

हङ पार बेहङ है, बेहङ पार अक्षर।

अक्षर पार वतन हैं, जागिये इन घरा।

इस प्रकार अनेक धर्म ग्रंथों में तीन पुरुषों की शक्तियों की चेतना के अंग व्याख्यानों का वर्णन करते हुए, परम सत्ता को ही माने और पूजने के विधान हैं। उस परब्रह्म के स्वरूप और धाम का वर्णन महामति ने बड़े स्पष्ट शब्द में किया है।

एक कहा वेद कतेब ने, जो खुदा रहया सबन।

तनको सारों ढूँढियां, सो एक न पाया किन॥

एक बका सब कोई कहे, पर कोई न कहे बका ठौर।

सब कहें हमों न पाइया, कर कर थके ढौर॥

महामति ने कहा कि वेद और कतेब यह तो बताते हैं कि परमात्मा का ठिकाना अखंड परमधाम है किन्तु यह स्पष्ट नहीं कर पाते किवह कहा है ? सबने यही कहा कि हम ढूँढ़ ढूँढ़ कर थक गये। वह अखंड धाम बका हमें मिला नहीं। महामति ने उसे स्पष्ट रूप से प्रकट किया। सांसारिक शब्दों में परमधाम का बडा ही हृदयग्राही और मार्मिक वर्णन कुलजम स्वरूप के परिक्रमा ग्रंथ में हैं ध्यान और चितवन के लिये यह वर्णन मन को इधर उधर भटकने से रोक कर एकाग्र करता है। इस वर्णन से गौरवान्वित होकर आत्मा परमधाम की ओर उन्सुख हो जाती है। महामति ने खुलासा ग्रंथ में यह भी बताया कि इस नश्वर संसार के पार अविनाशी सत्ता अक्षर ब्रह्म की है और उसके पार पूर्ण सत्ता अक्षरातीत परब्रह्म का धाम अर्थात् परमधाम है।

परब्रह्म के जगत में प्रकट होने के संकेत भी अनेक धर्मग्रंथों में हैं उनमें भी समय, उनके अवतरण के कारण एवं कार्य या लीली के विषय में जो वर्णन है, उसमें भी साम्य देखा जा सकता है।

हिन्दू धर्म ग्रंथ में भविष्य पुराण में उल्लेख है कि निष्कलंक बुधावतार होगा। उस समय व्यारहा मास का वर्ष होगा और धूमकेतु पुष्ट तारा दिखायी देगा। हरिवंश पुराण में भी परम सत्ता के प्रकटीकरण के विषय में कहा गया है

अभाविनो भविष्यन्ति मुनयाग ब्रह्मरूपिणः।

उत्पन्ना ये कृतयुगे प्रधान पुरुषाश्रयाः।

कथा योगेन तान्यर्वाण पूज्यष्यन्ति मानवाः।

यस्य पूजा प्रभावेन जीवसृष्टि समुद्धरः॥।

अर्थात् कलियुग में ब्रह्म स्वरूप मुनिजन उत्पन्न होंगे। वे परब्रह्म स्वरूप

से आश्रित होंगे। उनकी कथाओं को सुनकर संसार के जीव उनकी पूजा करेंगे। फलस्वरूप वे आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जायेंगे।

मुसलमानों के धर्मग्रंथ - कुरान और हडीसों में कहा गया है कि ओर असकी साक्षी जबूर, तैरेत और इंजील भी देते हैं कि अन्तिम दिन या दौर में मसीहा इमाम मैंहड़ी का आगमन होगा। इसका समय सूरा अल फज में मुहम्मद साहब के बाद दसवीं, ब्यारवीं, और बांरहवीं सदी में बताया गया। बादशाह औरंगजेब के युग में वही समय था। महामति ने वेद कतेब ग्रंथों में साम्य दिखाकर, एक विश्वर्धम की नींव रखी और स्वयं में इमाम मैंहड़ी के प्रकटीकरण की घोषणा की।

सिख धर्म प्रवर्तक गुरु नानक जी की वाणी में भी कहा गया है-

बीतेगा उत्तलीसा डगेगा चालीसा,

तब होसी मर्द मर्द का चेला।

नानक गुरु दिखावे साई, सच सच दी बेला।

उस समय प्रकट होने वाले ब्रह्मपुनियों के लिये उन्होंने कहा-

नानक ब्रह्मजानी कउ सदा नमक सकाउ

ब्रह्मगिआनी की शोभा ब्रह्मगिआनी बनी

नानक ब्रह्मगिआनी सरब दा धनी।

विक्रम सम्वत् 1735 में व्यारह मास का वर्ष था और धूमकेतु भी दिखायी दिया था। हरिद्वार कुम्भ मेले में हुए धार्मिक वार्तालाप शारत्रार्थ का सही वर्णन महामति के जीवन वृत्तों बीतकों में स्पष्ट रूप से मिलता है। उस समय सर्वधर्म आचार्यों ने महामति प्राणनाथ जी को निष्कलंक बुद्ध की पदवी से विभूषित किया। भविष्य पुराण की भविष्य वाणी को सार्थक किया तथा गुरुनानक जी की वाणी कि उन्तालीस का साल बीतने और चालीसवां लगने पर महान गुरु शिष्य का मिलन होगा उन्होंने प्रभु से उस समय के दर्शन कराने का भाव प्रकट किया था।

संत गुरु गोविन्द सिंह जी ने भी कुछ ऐसा ही संकेत दिया। उन्हीं के युग में महामति श्री प्राणनाथ जी के संरक्षण में महाराजा छत्रसाल ने मध्यप्रदेश में बुंदेलखण्ड राज्य की स्थापना की। दक्षिण में शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य की डाली गयी नींव को कुद समय तक मराठों ने अपने रक्त से सींचा तभी शायद गुरु गोविन्द सिंह ने कहा होगा ।

उठ गई मलेछां ढी, कर कूड़ पसारा।

असत्य परिस्थापित मल्छ राज्य का अंत हुआ। संसार में सभी प्रकार के झगड़े मिटोन वाली सत्ता महामति श्री प्राणनाथ के रूपमें प्रकट हुई। सहेब आए इन जिमी, कारज करने तीन।

सबका झगड़ा मेट के, या दुनिया या ढीना।

धर्म, जाति, स्वार्थ के झगड़ों में संतप्त मानवता को त्राण मिला इस तरह संसार के अनेक धर्म ग्रंथों में पूण्यभ्रम परमात्मा के संकेत प्राप्त होते हैं इस सक्षयता को ज्ञान चक्षुक पुनः से देखा व समझा जा सकता है अनेक धर्म चार्यों एवं महान विभूतियों ने देशकाल वातावरण के अनुसार मानव को सही राह दिखाने के लिए जो कुछ कहां उन में भी बड़ा साम्य दिखाई देता है इसा मसीह ने कहां तू अपने प्रति जिस प्रकार के व्यवहार के अपेक्षा रखता है। वेसा ही वर्ता अन्य लोगों से करा कन्पूशियस के शब्द भी वैसे ही है। अपने प्रति जिस व्यवहार की तुझे अपेक्षा न हो वैसा व्यवहार किसी के प्रति नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी के शब्दों में अकूत प्रेम से ही विश्व में राज्य स्थापित हो सकता हैं सभी धर्म ग्रंथों में कुछ कुछ बातें भिन्न दिखाई देती हैं इन सद भावना और सही ज्ञान से यह बात समझ में आती है कि विभिन्न धर्म प्रवर्तकों ने जो कुछ भी कहा वो पूरी मानवता के भले के लिए ही है विभिन्न

धर्मचार्य के युग में परिस्थितियां भिन्नी थीं। किन्तु सही ढंग से उनकी वाणियों के सम्यक अध्ययन से पता चलता है कि सब में धर्मभाव एक ही है कि मानव बुराईयों को छोड़कर प्रेमभाव से रहे तो उसे परब्रह्म की निकटता प्राप्त होती है प्रेम में ही परमात्मा हैं जो प्रेम भरे आचारण से मिलते हैं।

एकं सद् विप्रा: बहुधा वदन्ति

अर्थात् सत्य स्वरूप पूर्णब्रह्म परमात्मा तो एक ही है किन्तु विद्धान अलग अलग ढंग से उसका वर्णन करते हैं। संत कबीर ने कहा

न्यारे न्यारे बरतन भये, पानी सब में एक॥

इस दूषित से देखें तो धर्म ग्रंथों में समता के कई सूत्र पकड़ में आ जाते हैं सभी धर्म ग्रंथों का उद्देश्य आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से मानव जीवन को उद्भव बनाना है। सबने परम तत्त्व के प्रति उद्भव भाव, ईश्वरीय शक्तियों एवं अवतारों के प्रति सम्मान धर्म ग्रंथ ईश्वर प्रेरित है ये विश्वास तथा नैतिक आचारण के लिये आग्रह पाया जाता है भौतिक सम्पत्ति से निर्मोही को ही आध्यात्मिक सम्पत्ति प्राप्त होती है प्रार्थना पूजा के प्रति आस्था प्रारब्ध की अपने कर्मों का फल मानना, सत्य की जय औ असत्य की पराजय का हठ विश्वास इत्यादि असंख्य बातें उनमें एकता दर्शाने वाली हैं। कोई भी धर्म किसी देश जाति या वर्ग के लिये नहीं है वह सम्पूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करता है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि भिन्न भिन्न धर्मों के बाह्य स्वरूप भले ही भिन्न प्रतीत हो उनमें गहरी अन्तर की भाषा में एकता देखी जा सकती है।

जर्मन विद्धान मैक्समूलर ने वेदों का अनुवाद करने के लिये संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। मुगल कुमार दाराशिकोह ने वेदों तथा उपनिषदों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों के अध्ययन से

विद्धानों को पता चला कि सभी धर्मों का उद्देश्य मानव उत्थान ही हैं महामति ने विभिन्न धर्म ग्रंथों के सरतत्व का समन्वय करके विश्व धर्म की बुनियाद रखी। शाहंशाह अकबर की दीने इलाही भी कुछ ऐसा ही प्रयास था। सभी धर्म ग्रंथों में मानव के लिये एक ही पूर्णब्रह्म परमात्मा के पवित्र? संदेश है जिन्हें पारखी नजर से ही देखा जा सकता है। धर्म के नाम पर संघर्ष युद्ध करने वाले बर्बर शैतान के दास हैं। महामति ने कहा

जो कुछ कहा कतेब मे, सोई कहा वेद।

सब बंदे एक साहेब के, पर लडत बिना पाए भ्रेद॥

तातपर्य यह कि निष्पक्ष भाव से दीर्घ दृष्टि से किया गया विभिन्न धर्मों का अध्ययन समझाव पेड़ा करता है मग्नभाव को भी उसी में एकाकार कर देता है। सर्वधर्म समझाव ही सद्भाव उत्पन्न करता है जिससे मानव में परस्पर प्रेम और आदर उत्पन्न होता है वसुवैद्य कुटुम्बकम का नारा भारत की इसी मन स्थिति और परस्पर सहिष्णुता को प्रकट करता है। महामति वाणी इस ओर यथार्थ भूमिका निभा रही है। समग्र संसार को प्रेम भाव में स्थित करके संसार में ईश्वरीय राज्य लाने का यहीं तो एक मात्र उपाय है। महामति कहते हैं।

छोड गुमान सब मिलती,  
ए जो सकल जहान।  
जत पात न भाँत कोई,  
एक खान पान एक गान॥

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- व्यक्तिगत शोध के आधार पर।



# उदयपुर जिले के आदिवासी एवं गैरआदिवासी किशोर विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति अभिवृति का तुलनात्मक अध्ययन

**श्रीमती श्वेता वैष्णव \* डॉ. प्रेमलता गाँधी \*\***

**प्रस्तावना** – पर्यावरण का मानव के साथ अनन्त काल से घनिष्ठ संबंध रहा है और अपने ही अस्तित्व के लिए भविष्य में भी यही संबंध रहेगा क्योंकि मानव का जन्म और मृत्यु पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ है। उसके जीवन का प्रत्येक कार्य पर्यावरणीय संसाधनों पर आधारित है चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, इसलिए भविष्य में अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए पर्यावरण के उचित प्रबंधन की शैक्षिक व सह शैक्षिक योजना का अनुकूल क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है।

आज पर्यावरण की समस्या से कोई भी अपरिचित नहीं है। विश्व स्तर पर इस समस्या के लिए किए जानेवाले प्रयासों में सब से बड़ा योगदान क्षेत्र शिक्षा को चुना गया है। अतः इस दिशा में मनुष्य की जीवन शैली की पुनर्संरचना की आवश्यकता अनुभव की जाती है और यह कार्य बचपन से ही आरंभ कर दिया जाना चाहिए। इसलिए प्राथमिक स्तर पर से ही पर्यावरण शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। यह शिक्षा भारत देश में भी सर्वत्र अनिवार्य रूप से प्रचलित है। किन्तु प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण सुधार के उद्देश्यों में कहाँ तक सफल हो रही है, इसका अवलोकन करना भी आवश्यक है। साथ ही यह बात भी महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने के लिए किस तरह की योजनाएँ बनाई जाती हैं, उनका क्रियान्वयन कैसे होता है, उनका प्रभाव क्या होता है आदि का पुनरीक्षण करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि उनकी सार्थकता ज्ञात की जा सके।

इसीलिए आधुनिक विकास की दौड़ में मानव को प्रकृति के साथ और जीवन के साथ एक अटूट संबंध स्थापित करने के लिए अपनी अभिवृत्ति को बदलना पड़ेगा, तभी वह जीवित रह सकता है। इसीलिए आवश्यक है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त निधि का सद्गुपयोग मानव अपने विवेकपूर्ण तरीके से करें; जिससे आने वाली पीढ़ियों को उसे सुरक्षित रूप में सौंपा जा सके। इसी क्रम को बनाये रखने की चेतना जागृत की जाये और यह चेतना बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि छात्रों को पर्यावरण के बारे में शिक्षा दी जाए, जिससे मानव जाति के भविष्य को नई दिशा प्रदान की जा सके।

**शर्मा जे. बी. (2011)** ने 'ए डिलप्मेन्ट ऑफ साईबर एजुकेशन फॉर अपर प्राइमरी क्लासेज वीथ ब्रेस्ट ऑन द एन्वायरीमेन्टल एप्रोच' शीर्षक से शोध अध्ययन किया। जिसमें मुख्य निष्कर्ष के रूप में यह पाया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर न केवल छात्रों की पर्यावरण अभिवृति पर प्रभाव डालने के लिए बल्कि छात्रों में पर्यावरण अध्ययन के महत्व के लिए अन्तर्दृष्टि व कौशल का विकास करने के लिए पर्यावरण शिक्षा जरूरी है। विद्यालय के

बाहर का पर्यावरण शिक्षा के क्रियात्मक पक्ष को पूरा करने के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी पाया कि उच्च प्राथमिक स्तर के विषय का पर्यावरण से कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

**देवपुरीया आर. पी. (2004)** के शोध विषय 'मध्यप्रदेश के विद्यालयों में पर्यावरणीय एवं परम्परागत विधि द्वारा विज्ञान शिक्षण का तुलनात्मक अध्ययन' का उद्देश्य कक्षा पाँचवीं, आठवीं, नवीं तथा दसवीं के विद्यार्थियों का विज्ञान के प्रति पर्यावरणीय एवं परम्परागत विधि द्वारा अध्ययन से प्राप्त संज्ञानात्मक निष्पत्ति की तुलना करना तथा उक्त दोनों विधि के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जागरूकता तथा अभिवृत्ति की तुलना करना था। निष्कर्ष के रूप में उन्होंने पाया कि प्रयोगात्मक समूह के कक्षा पाँचवीं, आठवीं, नवीं तथा दसवीं के विद्यार्थियों का पर्यावरणीय विधि से शिक्षण के कारण उच्च उपलब्धि अंक प्राप्त होते हैं तथा प्रयोगात्मक समूह के प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी पर्यावरणीय जागरूकता के प्रति अत्यधिक सुधार प्रदर्शित करते हैं। साथ ही "t" के प्राप्तांकों से स्पष्ट होता है कि प्रयोगात्मक समूह के अध्यापकों की पर्यावरणीय विधि से विज्ञान शिक्षण के प्रति अत्यधिक उच्च सकारात्मक अभिवृत्ति पायी गयी।

**राव बी. एन. (2002)** ने अपनी पुस्तक 'फण्डामेन्टल ऑफ पापुलेशन ज्योग्राफी' में शहरों में प्रदूषण बढ़ने का कारण अधिक जनसंख्या को माना है। उनके अध्ययन का निष्कर्ष यह कि जनसंख्या का घनत्व अधिक होने से पेयजल खाड़ी व अन्य समस्याएँ आती हैं। यह घनत्व शहर के मध्य भाग में अधिक होने से वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण भी चरम सीमा पर होते हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य उदयपुर जिले के आदिवासी एवं गैरआदिवासी विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति को ज्ञात करना है।

इस हेतु राजस्थान के उदयपुर संभाग की कुल सात पंचायतों (झाड़ोल, सलूम्बर, कोटडा, धरियावड, खेरवाडा, गिर्वा और सराडा) से कुल 700 (प्रत्येक पंचायत से 100-100) किशोर (माध्यमिक स्तर के) विद्यार्थियों (350 छात्र एवं 350 छात्राओं) का चयन इस प्रकार से किया गया कि प्रत्येक संभाग से 50 विद्यार्थी आदिवासी एवं 50 विद्यार्थी गैर आदिवासी थे। पंचायतों के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों से इन विद्यार्थियों को चयनित किया गया। इस प्रकार 175 छात्र एवं 175 छात्राएँ आदिवासी तथा 175 छात्र एवं 175 छात्राएँ गैर आदिवासी विद्यार्थियों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया।

उपकरण के रूप में एक स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण कर चयनित

\*शोधकर्ता, शिक्षा संकाय, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड-टु-बी विश्वविद्यालय) प्रतापनगर, उदयपुर (राज.) भारत

\*\*शोध निर्देशिका, वरिष्ठ सहायक आचार्य, लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सी.टी.ई.), डबोक, उदयपुर (राज.) भारत

न्यादर्शों पर प्रशासित किया गया। तत्पश्चात् प्राप्त आँकड़ों का सारणियन एवं सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया।

शोध में निम्नलिखित परिकल्पना को शोध के ढैरान काम में लेने का प्रयास किया हैं -

- आदिवासी एवं गैर आदिवासी किशोर विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
- अध्ययन क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं में पर्यावरण के प्रति अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

**सारणी 1 : आदिवासी किशोर विद्यार्थियों एवं गैर आदिवासी किशोर विद्यार्थियों के मध्य पर्यावरण के प्रति अभिवृति संबंधी तुलनात्मक विश्लेषण**

|               | आदिवासी विद्यार्थीगैर | आदिवासी विद्यार्थी |
|---------------|-----------------------|--------------------|
| मध्यमान       | 54.32                 | 40.66              |
| मानक विचलन    | 4.562                 | 6.741              |
| N             | 350                   | 350                |
| मध्यमान अन्तर | 13.657                |                    |
| df            | 348                   |                    |
| टी मूल्य      | 31.391                |                    |
| सार्थकता      | 0.01 स्तर पर सार्थक   |                    |

सारणी 1 से स्पष्ट होता है कि आदिवासी किशोर विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति तुलनात्मक रूप से अधिक पाई गई। सारणी का विश्लेषण करने पर मध्यमान अन्तर 13.657 तथा 'टी' का मान 31.391 प्राप्त हुआ हैं जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक हैं एवं यह प्रदर्शित करता हैं कि आदिवासी किशोर विद्यार्थियों एवं गैर आदिवासी किशोर विद्यार्थियों के मध्य पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक रूप से अन्तर होता हैं।

**सारणी 2 : कुल किशोर छात्रों एवं कुल छात्राओं के मध्य पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति संबंधी तुलनात्मक विश्लेषण**

|               | कुल छात्र | कुल छात्राएँ |
|---------------|-----------|--------------|
| मध्यमान       | 47.73     | 47.25        |
| मानक विचलन    | 8.387     | 9.451        |
| N             | 350       | 350          |
| मध्यमान अन्तर | 0.486     |              |
| df            | 348       |              |
| टी मूल्य      | 0.719     |              |
| सार्थकता      | असार्थक   |              |

सारणी 2 से स्पष्ट होता है कि कुल छात्रों में पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति तुलनात्मक रूप से अधिक पाई गई। सारणी का विश्लेषण करने पर मध्यमान अन्तर 0.486 तथा 'टी' का मान 0.719 प्राप्त हुआ हैं जो कि असार्थक हैं एवं यह प्रदर्शित करता हैं कि कुल छात्रों एवं छात्राओं के मध्य पर्यावरण के

**सारणी 3 : आदिवासी एवं गैर आदिवासी छात्र-छात्राओं में पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति का प्रसरण विश्लेषण**

| प्रसरण ल्रोत             | योग का वर्ग | df  | माध्य वर्ग | F       | सार्थकता            |
|--------------------------|-------------|-----|------------|---------|---------------------|
| समूह(आदिवासी/गैरआदिवासी) | 32640.571   | 1   | 32640.571  | 988.614 | 0.01 स्तर पर सार्थक |
| लिंग(छात्र/छात्रा)       | 41.286      | 1   | 41.286     | 1.250   | असार्थक             |
| अन्तर्क्रिया             | 99.566      | 1   | 99.566     | 3.016   | असार्थक             |
| श्रुति                   | 22979.486   | 696 | 33.017     |         |                     |
| योग                      | 55760.909   | 699 |            |         |                     |

प्रति अभिवृत्ति में सार्थक रूप से कोई अन्तर नहीं होता हैं।

सारणी संख्या 3 से स्पष्ट होता है कि विभिन्न समूह (आदिवासी तथा गैर आदिवासी) के विद्यार्थियों के पर्यावरण चर हेतु ऋमान 988.614 प्राप्त हुआ जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक हैं एवं यह प्रदर्शित करता है कि पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति में विद्यार्थियों के विभिन्न समूह एक दूसरे से सार्थक रूप से भिन्न हैं।

सारणी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि छात्र एवं छात्राओं के पर्यावरण चर हेतु ऋमान 1.250 प्राप्त हुआ जो कि असार्थक हैं एवं यह प्रदर्शित करता है कि पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति में छात्र एवं छात्रा एक दूसरे से सार्थक रूप से भिन्न नहीं हैं। समूह एवं लिंग की अन्तर्क्रिया में प्रतिबल चर हेतु ऋमान 3.016 प्राप्त हुआ जो कि असार्थक हैं।

निष्कर्ष के रूप में यह प्राप्त हुआ कि आदिवासी किशोर विद्यार्थियों एवं गैर आदिवासी किशोर विद्यार्थियों के मध्य पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक रूप से अन्तर होता हैं। जो यह प्रदर्शित करता है कि चयनित प्रथम परिकल्पना असत्य सिद्ध हुई।

इसके अतिरिक्त यह भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि छात्रों एवं छात्राओं के मध्य पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक रूप से कोई अन्तर नहीं होता हैं। जो यह प्रदर्शित करता है कि चयनित द्वितीय परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई। आदिवासी एवं गैर आदिवासी छात्र-छात्राओं में पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति का प्रसरण विश्लेषण भी प्राप्त निष्कर्षों की पुष्टि करता हैं।

#### संदर्भ अन्थ सूची :-

- देवपुरिया आर.पी. (2004) 'मध्यप्रदेश के विद्यालयों में पर्यावरणीय एवं परम्परागत विधि द्वारा विज्ञान शिक्षण का तुलनात्मक अध्ययन', पी.एच.डी. देवी अहिन्द्या विश्वविद्यालय, (म.प्र.)
- गर्व, बी. एल. : पर्यावरण प्रकृति और मानव, अभिनव प्रकाशन, अजमेर
- नायाब, सोलेह मोहम्मद : 'पर्यावरण प्रदूषण एक चुनौती' सन्मार्ग प्रकाशन, 16 पू. बी. बैंगलोर रोड, जवाहर नगर, दिल्ली
- पुरोहित एस.एस व कुमारी अर्चना : 'पर्यावरण', अजन्ता बुक, सेक्टर-4, जय नारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर - 1992
- राव बी. एन. (2002), 'फन्डमेन्टल ऑफ पोपुलेशन ज्योगाफी', देव प्रकाशन, मन्दसोर, (म.प्र.)।
- Sharma J. B. (2011), A Developmet of Science Education For Upper Primary classes with Best of the environmental approach, Report of SIERT, Govt. of Rajasthan
- शर्मा मधुसूदन (1986) : 'पर्यावरण शिक्षा क्या ? क्यों ? कैसे ?', चौधरी प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स, उदयपुर
- उपाध्याय डॉ. राधावल्लभ : 'पर्यावरण शिक्षा', विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा

# राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करने वाली सरकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति के प्रति शिक्षक एवं अभिभावक का अभिमत

**चेतना भारद्वाज \* डॉ. अनीता कोठारी \*\***

**शोध सारांश -** प्रस्तुत अनुसंधान कार्य का मुख्य लक्ष्य अनुसंधित्सु ने राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करने वाली सरकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति के प्रति शिक्षक एवं अभिभावक के अभिमत का अध्ययन करना था। शोधकार्य के निर्धारित समय सीमा को देखते हुए अपने शोधकार्य के लिए कुल 200 शिक्षक एवं 100 अभिभावक का चयन उदयपुर एवं राजसमन्द जिले से किया गया। इन संकलन हेतु मानकीकृत उपकरण की अनुलब्धिता में रविनिर्मितअभिमतावली का प्रयोग किया गया था। प्रमापनी से प्राप्त ढंतों को विश्लेषण हेतु सारणीयन करते हुए आँकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधियाँमध्यमान एवंप्रतिशत मध्यमान सांख्यिकी का प्रयोग किया गया था। निष्कर्ष स्वरूप पाया गया किराजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करने वाली सरकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति एवं क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के प्रति शिक्षक एवं अभिभावक के सकारात्मक अभिमत पाया गया है।

**शब्द कुंजी -** नामांकन, ठहराव, वस्तु स्थिति।

**प्रस्तावना -** राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव के लिए समय -समय पर राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई गई जिन्होंने प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित किया है उनमें से प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार से हैं:-

1. मीना मंच
2. अध्यापिका मंच
3. मिड डे मिल्क
4. साक्षर भारत मिशन
5. राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना
6. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
7. देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना
8. चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम
9. सम्बलन कार्यक्रम
10. लर्निंग गारन्टी स्कूल कार्यक्रम
11. पढ़ो राजस्थान कार्यक्रम
12. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन
13. शिक्षाकर्मी परियोजना
14. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
15. सर्व शिक्षा अभियान द्वारा संचालित योजनाएँ
- अ. कम्प्यूटर एडेंड लर्निंग प्रोग्राम
- ब. राजस्थान एज्यूकेशन इनिशिएटिव
- स. स्कूल चले हम
16. बाल गणेश चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना
17. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना

18. महिला शिक्षण विहार
19. शिक्षा आपके द्वारा योजना
20. मिड डे मील योजना
21. भामाशाह सम्मान योजना
22. नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना
23. लोक जुम्बिश परियोजना
24. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम
25. शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम
- 26.. शिक्षक का अपना विद्यालय योजना
27. चल विद्यालय योजना

इस तरह प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं फिर भी आँकड़ों से यह कहा जा सकता है कि आज भी राजकीय विद्यालय में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन व ठहराव की स्थिति दबनीय है। उक्त परिस्थितियों से प्रभावित होकर शोधार्थी ने अपना शोध आलेख उक्त परिषय पर प्रस्तुत करने का विचार बनाया है।

**उद्देश्य -** शोधार्थी द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये थे जो इस प्रकार से हैं:-

- शोधकर्ता ने अपने अनुसंधान कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों को निर्धारित किये जो इस प्रकार से है :-
1. राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करने वाली सरकारी योजनाओं का पता लगाना।
  2. राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करने वाली सरकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति के प्रति शिक्षकों के अभिमत का अध्ययन करना।

\* रिसर्च स्कोलर, जर्नालनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड- दू-बी विश्वविद्यालय ) उदयपुर (राज.) भारत

\*\* पी.एच.डी गार्ड, जर्नालनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड- दू-बी विश्वविद्यालय) उदयपुर (राज.) भारत

3. राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करने वाली सरकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति के प्रति अभिभावकों के अभिमत का अध्ययन करना।
4. राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करने वाली सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का पता लगाना।
5. राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करने वाली सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के प्रति शिक्षकों के अभिमत का अध्ययन करना।
6. राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करने वाली सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के प्रति अभिभावकों के अभिमत का अध्ययन करना।
7. राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को बढ़ाने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना।

#### **अनुसंधान का विधिशास्त्र :**

1. प्रस्तुत शोध में शोधार्थी को 'राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करने वाली सरकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति एवं क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के प्रति शिक्षक एवं अभिभावक का अभिमत का अध्ययन करना था।' जो कि सर्वे विधि ढारा ही संभव है इसकी प्रकृति को ढेखते हुए शोधार्थी ने सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया था।
2. दत्त संकलन हेतु मानकीकृत उपकरण की अनुलब्धता में स्वनिर्मित अभिमतावली का प्रयोग किया गया था।
3. संकलित दत्तों की सारणीयन का विश्लेषण सांखियकी प्रविधि मध्यमान एवं प्रतिशत मध्यमान के ढारा विश्लेषण किया गया।
4. शोधकार्य के लिए कुल 200 शिक्षक एवं 100 अभिभावक का चयन उदयपुर एवं राजसमन्द जिले से किया गया।

#### **सारणीयन एवं विश्लेषण :**

**सारणी संख्या - 1 : राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करने वाली सरकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति के प्रति शिक्षकों के अभिमत का प्रतिशत मध्यमान के आधार पर विश्लेषण**

| क्र . | आयाम                        | प्रतिशत मध्यमान | वरीयता क्रम |
|-------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 1.    | प्रवेशोत्सव कार्यक्रम       | 24.70           | प्रथम       |
| 2.    | सम्बलन कार्यक्रम            | 16.68           | चतुर्थ      |
| 3.    | निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना | 22.19           | द्वितीय     |
| 4.    | मिड-डे-मील                  | 19.91           | तृतीय       |
| 5.    | सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन   | 16.52           | पंचम        |

**विश्लेषण एवं व्याख्या** – राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करने वाली सरकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति के प्रति शिक्षकों का अभिमत सकारात्मक सबसे अधिक प्रवेशोत्सव कार्यक्रम तथा सबसे कम सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति पाया गया।

**सारणी संख्या - 2 : राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करने वाली सरकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति के प्रति अभिभावकों के अभिमत का प्रतिशत मध्यमान के आधार पर विश्लेषण**



| क्र . | आयाम                        | प्रतिशत मध्यमान | वरीयता क्रम |
|-------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 1.    | प्रवेशोत्सव कार्यक्रम       | 21.03           | तृतीय       |
| 2.    | सम्बलन कार्यक्रम            | 18.13           | चतुर्थ      |
| 3.    | निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना | 21.25           | द्वितीय     |
| 4.    | मिड-डे-मील                  | 22.02           | प्रथम       |
| 5.    | सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन   | 17.56           | पंचम        |

**विश्लेषण एवं व्याख्या** – राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करने वाली सरकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति के प्रति अभिभावकों का अभिमत सकारात्मक सबसे अधिक मिड डे मील तथा सबसे कम सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति पाया गया।

**वर्तमान में प्रासंगिकता** – प्रस्तुत शोध आलेख से राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करने वाली सरकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति को जानकर विद्यालय में शिक्षक एवं अभिभावक नामांकन एवं ठहराव को बढ़ाने में अपना योगदान कर सकते हैं।

#### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. अग्रवाल जे.सी. (1995) भारत में माध्यमिक शिक्षा नई दिल्ली विद्याविहार।
2. अग्निहोत्री, आर. (1989) भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएं मेरठ : सूर्या पब्लिकेशन।
3. ढोड़ीयाल, एस.एन., फाटक, ए.बी. (2003) शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र जयपुर: राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
4. गुप्ता, एस.पी., गुप्ता अल्का (2007) : उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन।
5. कौल, लोकेश (1998) शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली, दिल्ली विकास पब्लिशिंग हाउस।



\*\*\*\*\*

# सिम्बोपोगोन सिट्रेटस ट्राईगोनेला फीनमग्रीकम एवं ओसिमम सेंकटम के प्राथमिक पादपरासायनिक और कुल फीनालिक मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन

## दीपाली साहू\* रश्मि व्यास \*\*

**शोध सारांश -** इस अध्ययन में औषधीय रूप से महत्वपूर्ण वनस्पति, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस ट्राईगोनेला फीनमग्रीकम एवं ओसिमम सेंकटम के पेट्रोलियम ईथर और मेथनॉल अर्क का तुलनात्मक पादपरासायनिक परीक्षण मानक पद्धति द्वारा एवं कुल फीनॉलिक तत्व का आंकलन फोलिन-किओकल्ट्यू अभिकर्मक से किया गया है। गुणात्मक रूप से ओसिमम सेंकटम में सबसे अधिक रसायन पाये गये। फिनाल की सर्वाधिक मात्रा ओसिमम सेंकटम के अर्क में देखी गयी।

**शब्द कुंजी -** सिम्बोपोगोन सिट्रेटस (लेमन ग्रास), ट्राईगोनेला फीनमग्रीकम (मेथी), ओसिमम सेंकटम (तुलसी), फिनॉल

**प्रस्तावना -** सिम्बोपोगोन सिट्रेटस का लेमन ग्रास नाम बहुप्रचलित है जो कि पोएसी कुल का पौधा है। ओसिमम सेंकटम, तुलसी लेमिएसी कुल का ऐरोमेटिक वनस्पति है। ट्राईगोनेला फीनमग्रीकम (मेथी) सामान्यतः घरों में उपयोग में लाया जाता है, यह फेबिएसी कुल की वनस्पति है। इनके औषधीय गुण इनमें विद्यमान प्राथमिक तथा द्वितीयक चयापचय तत्व के कारण हैं जो अनेक रोगों के उपचार हेतु उपयोग किया जाता है।

### सामग्री एवं विधि:-

**पौधों का संग्रहण, चयन एवं प्रमाणीकरण:** भोपाल शहर के विभिन्न क्षेत्रों से सिम्बोपोगोन सिट्रेटस ट्राईगोनेला फीनमग्रीकम तथा ओसिमम सेंकटम के पौधों का संग्रहण किया गया। इनका वनस्पतिज्ञ द्वारा वर्गीकरणात्मक प्रमाणीकरण कराया गया। अध्ययन के लिये औषधीय पौधों की पत्तियों को चुना गया। इन्हें स्वच्छ एवं सूखे स्थल में सुखाकर, पीसकर साफ पात्र में अध्ययन हेतु रखा गया।

**पौधों से निस्सारण:** निस्सारण प्रक्रिया के लिए सम्मर्दन विधि का उपयोग किया गया। सर्वप्रथम पेट्रोलियम ईथर से निर्वसीकृत किया गया। निस्सारण के लिए मेथनॉल (मेथनॉल: आसूत जल, 8:2) विलायक लिया गया।

**गुणात्मक पादप रासायनिक परीक्षण:** सी. के कोकाटे (1) के मानक पद्धति द्वारा विभिन्न पादप रासायनिक तत्व की उपस्थिति का परीक्षण किया गया।

### प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल परीक्षण:-

**बाईयुरेट परीक्षण:** अर्क को 10 प्रतिशत सोडियम हाईड्रोक्साईड से अभिक्रियित एवं गर्म कर 0.7 प्रतिशत कॉपर सल्फेट की एक बूँद इस मिश्रण में मिलाया जाता है। बैंगनी या गुलाबी रंग का निर्माण प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है।

**निनहाईड्रिन परीक्षण:** 3 मि.ली. प्रतिदर्श को 10 मिनट जल उष्मक में रखा जाता है। एमिनो अम्ल उपस्थित होने पर नीले रंग का निर्माण होता है।

### कार्बोहाइड्रेट परीक्षण:-

**मोलिष संपरीक्षण:** परीक्षण नली में 2 मि.ली. जलीय अर्क लेकर उसमें 2 बूँद अल्फा नेप्थाल विलयन डालकर 1 मि.ली. सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल किनारे से धीरे धीरे डाला जाता है। विलायक की संधि में बैंगनी रंग के वलय का निर्माण कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है।

**एल्केलाइड परीक्षण:** अम्लीय अर्क में तनु हाईड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है, इसे अच्छे से हल्लन विधि द्वारा मिलाकर विलयन का निस्यंदन कर प्राप्त निस्यंद से निम्नलिखित परीक्षण किया गया।

**मेयर्स परीक्षण:** 2-3 मि.ली. निस्यंद में मेयर्स अभिकर्मक को परखनली के किनारे से डाला जाता है। एल्केलाइड उपस्थित होने पर सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है।

**हेगर्स परीक्षण:** 1-2 मि.ली. निस्यंद में हेगर्स अभिकर्मक की कुछ बूँदे परखनली में डाली जाती है, लाल रंग के अवक्षेप एल्केलाइड की उपस्थिति दर्शाता है।

### पलेवोनॉइड परीक्षण:

**लेड एसिटेट परीक्षण:** अर्क को लेड एसिटेट की कुछ बूँदे के साथ अभिकृत कराया जाता है, पीले रंग अवक्षेप फलेवोनॉइड की उपस्थिति को बतलाता है।

**क्षारीय अभिकर्मक परीक्षण:** परीक्षण नली में अर्क को सोडियम हाईड्रोक्लोराईड की कुछ बूँदों के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। पीले रंग का निर्माण होना तथा तनु अम्ल की कुछ मात्रा मिलाने पर रंग का गायब हो जाना, फलेवोनॉइड की उपस्थिति का सूचक है।

### ट्राईटर्पीनॉइड एवं स्टीरॉयड परीक्षण:-

**सल्वोसकी परीक्षण:** अर्क में कलोरोफार्म मिलाकर घोल तैयार कर उसका निस्यंदन किया जाता है। निस्यंद से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूँद डालकर हिलाया जाता है। इसके पश्चात उसे 10 मिनट के लिए रस्टेंड में रख कर छोड़ देने पर अगर कुछ समय बाद निम्न परत लाल रंग की दिखाई दे तो स्टीरॉल उपस्थित है और अगर स्वर्ण पीले रंग का हो तो ट्राईटर्पीन उपस्थित है।

**लीबरमन-बर्कफिल्ड परीक्षण:** अर्क को कलोरोफार्म से अभिकृत किया जाता

\* शोधाथी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

\*\* सहायक प्राध्यापक, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

है। इसमें ऐसिटिक एनहाईड्राइट की कुछ बूँदे डाली जाती है। इस विलयन को जल उप्पक की सहायता से गर्म करके कुछ समय ठंडा हो जाने के लिए रख दिया गया। ठंडा हो जाने पर परखनली के किनारे से सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। दो परत की संधि में अगर भूरे रंग के वलय का निर्माण होता है तथा ऊपर की परत हरे रंग की हो जाए तो यह स्टीरायड की उपस्थिति दर्शाता है। परन्तु अगर यह गहरे लाल रंग का बनता है तो ट्राईटर्पीनॉइड की उपस्थिति बताता है।

#### टैनिन एवं फीनालिक यौगिक परीक्षण:

**फैरिक वलोराइड परीक्षण:** आसुत जल में अर्क की कुछ मात्रा मिलाकर घोल तैयार किया जाता है, इस विलयन में 5 प्रतिशत फैरिक वलोराइड की 2 मि.ली. मात्रा मिलाया जाता है। नीला, हरा या बैंगनी रंग फीनालिक यौगिक उपस्थित होने पर बनता है।

**लेड एसिटेट परीक्षण:** अर्क की थोड़ी सी मात्रा लेकर उसका आसुत जल में घोल बनाया जाता है और उसमें लेड एसिटेट की कुछ बूँदे डालने पर सफेद रंग के अवक्षेप फीनालिक यौगिक की उपस्थिति का प्रमाण ढेते हैं।

#### ब्लाइकोसाइड परीक्षण:

**बोन्ट्रोगर परीक्षण:** 3 मि.ली. प्रतिदर्श विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर 5 मिनट उबालकर छान कर प्राप्त निस्यंद को ठंडा कर उसमें सामान मात्रा में वलोरोफॉर्म मिलाया जाता है। प्राप्त आर्गेनिक स्तर को पृथक कर उसमें अमोनिया मिलाया जाता है। गुलाबी से लाल रंग की परत एन्थ्राकिनोन ब्लाइकोसाइड की उपस्थिति दर्शाता है।

**लीबल्स परीक्षण:** 1 मि.ली. प्रतिदर्श को पाईरिडिन में घोला जाता है। उसमें 1 मि.ली. सोडियम नाईट्रोप्रूसाइड मिलाकर क्षारीय किया जाता है, ज्ञान की परत सैपोगिन की उपस्थिति का सूचक है।

**मात्रात्मक फीनालिक तत्व परीक्षण:** मानक पद्धति (2) द्वारा कुल फीनालिक तत्व का परीक्षण किया गया। इस विधि में स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी से गणना की जाती है इस पद्धति में गैलिक अम्ल के मानक सांद्रता के विभिन्न विलयन बनाये जाते हैं। इस अध्ययन में 10,20,30,40,50 मि.ग्राम./मि.ली. मेथनॉल में गैलिक अम्ल के विभिन्न विलयन बनाये गये।

**परिणाम:** पौधों के पादपरासायनिक लक्षण तालिका 1 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

#### तालिका 1 : पादपरासायनिक जाँच:

##### औषधीय पादप

|                 | सिम्बोपोगोन सिट्रेटस |      | ओसिमस सेंकटम |      | ट्राईगोनेला फीनमव्रीकम |      |
|-----------------|----------------------|------|--------------|------|------------------------|------|
|                 | पे.ई                 | मेथ. | पे.ई         | मेथ. | पे.ई                   | मेथ. |
| प्रोटीन         | -                    | -    | -            | -    | -                      | -    |
| ऐमिनो अम्ल      | -                    | -    | -            | -    | -                      | -    |
| कार्बोहाइड्रेट  | -                    | +    | -            | +    | -                      | +    |
| एल्केलाइड       | -                    | -    | -            | -    | -                      | -    |
| फ्लेवोनॉइड      | -                    | +    | -            | +    | -                      | +    |
| ट्राईटर्पीनॉइड  | +                    | -    | +            | -    | +                      | -    |
| स्टीरायड        | +                    | +    | +            | +    | +                      | -    |
| टैनिन एवं फीना- | -                    | -    | -            | +    | -                      | -    |
| लिकयौगिक        |                      |      |              |      |                        |      |
| ब्लाइकोसाइड     | -                    | -    | -            | +    | -                      | -    |
| सैपोगिन         | -                    | +    | -            | +    | -                      | +    |

= उपस्थित, — = अनुपस्थित, पे.ई = पेट्रोलियम ईथर अर्क, मेथ.


= मेथनॉलिक अर्क

मात्रात्मक फीनालिक तत्व परीक्षण (टी.एफ.सी.)

तालिका 2. गैलिक अम्ल के विभिन्न सांद्रता के अवशेषणान्क

| क्र. | सांद्रता ( $\mu$ ग्राम./मि.ली.) | अवशेषणान्क |        |        | मध्य मान |
|------|---------------------------------|------------|--------|--------|----------|
| 1    | 10                              | 0.1098     | 0.1096 | 0.1102 | 0.1099   |
| 2    | 20                              | 0.1767     | 0.1764 | 0.1764 | 0.1765   |
| 3    | 30                              | 0.2472     | 0.2468 | 0.2466 | 0.2468   |
| 4    | 40                              | 0.2979     | 0.2983 | 0.2983 | 0.2981   |
| 5    | 50                              | 0.3259     | 0.3255 | 0.3260 | 0.3258   |

लेखाचित्र 1: मानक गैलिक अम्ल का लेखाचित्र



गैलिक अम्ल के मानक लेखाचित्र से निम्नलिखित समाश्रयण रेखा प्राप्त हुई:-

$$y = 0.005x + 0.065 \text{ and } R^2 = 0.976$$

समाश्रयण रेखा का उपयोग फिनॉल तत्व की मात्रा का आकलन करने के लिए किया गया। प्राप्त समीकरण में 'y' के स्थान में आंकित अवशेषणान्क द्वारा प्रतिदर्श की मात्रा का पता लगाया गया।

#### तालिका 3: सिम्बोपोगोन सिट्रेटस

| क्र. | अवशेषणान्क | सांद्रता               | टी.पी.सी. (मि.ग्राम/ग्राम) |
|------|------------|------------------------|----------------------------|
| 1    | 0.071      | 1 मि.ली. ग्राम./मि.ली. | 1.2                        |
| 2    | 0.072      | 1 मि.ली. ग्राम./मि.ली. | 1.4                        |
| 3    | 0.071      | 1 मि.ली. ग्राम./मि.ली. | 1.2                        |
|      |            | मध्य मान               | 1.266                      |
|      |            | मानक विचलन             | ±0.094                     |

**तालिका 4: ट्राईगोनेला फीनमब्रीकम****ट्राईगोनेला फीनमब्रीकम**

| क्र. | अवशोषणांक | सांद्रता               | टी.पी.सी.<br>(मि.ग्राम/ग्राम) |
|------|-----------|------------------------|-------------------------------|
| 1    | 0.162     | 1 मि.ली. ग्राम./मि.ली. | 19.4                          |
| 2    | 0.162     | 1 मि.ली. ग्राम./मि.ली. | 19.4                          |
| 3    | 0.163     | 1 मि.ली. ग्राम./मि.ली. | 19.6                          |
|      |           | <b>मध्य मान</b>        | <b>19.466</b>                 |
|      |           | <b>मानक विचलन</b>      | <b>+0.115</b>                 |

**तालिका 5: ओसिमम सेंकटम****ओसिमम सेंकटम**

| क्र. | अवशोषणांक | सांद्रता               | टी.पी.सी.<br>(मि.ग्राम/ग्राम) |
|------|-----------|------------------------|-------------------------------|
| 1    | 0.226     | 1 मि.ली. ग्राम./मि.ली. | 32.2                          |
| 2    | 0.226     | 1 मि.ली. ग्राम./मि.ली. | 32.2                          |
| 3    | 0.227     | 1 मि.ली. ग्राम./मि.ली. | 32.4                          |
|      |           | <b>मध्य मान</b>        | <b>32.266</b>                 |
|      |           | <b>मानक विचलन</b>      | <b>+0.115</b>                 |

अनुमानित कुल फीनालिक तत्व की मात्रा मि.ग्राम./ग्राम गैलिक एसिड एक्सिवेलेंट गैलिक अम्ल तुल्यांक, (जी.ए.ई.) में दर्शायी गयी है।

**तालिका 6: कुल फीनालिक तत्व**

| क्र. | औषधीय पादप             | संद्रता (मि.ग्राम.जी.ए.ई.<br>ग्राम) |
|------|------------------------|-------------------------------------|
| 1    | सिम्बोपोगोन सिट्रेटस   | <b>1.266 ± 0.094</b>                |
| 2    | ट्राईगोनेला फीनमब्रीकस | <b>19.466±0.115</b>                 |
| 3    | ओसिमम सेंकटम           | <b>32.266±0.115</b>                 |

**चर्चा एवं निष्कर्ष** – अध्ययन किये गए तीनों औषधीय पौधों के पादपरासायनिक घटकों को तालिका क्रमांक 1 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। सभी के पेट्रोलियम ईथर निरसारित अर्क में ट्राईटर्पीनोइड और रस्टीरॉयड की उपस्थिति पाई गयी तथा मेथनाल में विभिन्न तत्व पाये गए। एक अध्ययन में यह बात कही गयी है कि तुलसी की धूसरी प्रजातियों में भी बायोएक्टिव यौगिक पाया जाता है, अतः औषधीय रूप उनका भी महत्व है (3)। ओसिमम सेंकटम के गैस वर्णलेखिकी – द्रव्यमान रपेक्ट्रमिति अध्ययन से पत्तियों में युजिनाल तथा कैरियोफिलीन नामक तत्व के उपस्थित होने का प्रमाण प्राप्त हुआ है (4)। जलीय अर्क की तुलना में तुलसी के मेथनाल अर्क से ज्यादा मात्रा में पादप रासायनिक तत्व होते हैं (5)। कुछ अध्ययन से ये भी ज्ञात हुआ है कि तुलसी के तने और पत्तियों में लगभग समान प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं (6)। दैनिक जीवन में तुलसी का उपयोग रोगों के बचाव कर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है (7)। सिम्बोपोगोन सिट्रेटस की पत्तियों में कार्डियक ब्लाइकोसाइड, टैनिन, फ्लेबोटेनिन और फ्लेवोनोइड मौजूद होते हैं, जिसके कारण यह रागों के उपचार में उपयोग होता है (8)। इसमें मौजूद सुरुंगधित तेल मानव सेवन के लिए सुरक्षित होते हैं (9)। मानवजातीय भेषजगुणविज्ञानिय के साक्ष्य दर्शाति है कि इनका उपयोग पीड़कनाशी, सौंदर्य-प्रसाधन सामग्री और प्रति-बोथ में किया जाता है (10)। एक अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि लेमन ग्रास के रसायन कम मात्रा में भी विकर्षण का कार्य करते हैं (11)। ट्राईगोनेला फीनमब्रीकम के

अध्ययन से इनमें प्रति ऑक्सीकारक की अधिकता का प्रमाण प्राप्त होते हैं (12)। इनके प्रति रोगाणुता, प्रति ऑक्सीकारक और प्रति-आबुर्द होने के भी अनेक प्रमाण मिलते हैं (13)। इस तुलनात्मक अध्ययन में विभिन्न परीक्षण करके यह पाया गया कि गुणात्मक रूप से ओसिमम सेंकटम के अर्क में सबसे अधिक पादप रसायनिक यौगिक मौजूद है तथा कुल फीनालिक तत्व भी ओसिमम सेंकटम में सबसे अधिक मात्रा में देखा गया। अतः तीनों अध्ययन किये गए पौधों में तुलसी को सबसे ज्यादा गुणों वाला पाया गया। **आधार:** लेखक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा अध्ययन हेतु प्रदान की गयी वित्तीय सहायता के लिए आधारी है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

- सी.के.कोकाटे, ए.पी.पुरोहित, एस.बी.गोखले (2006). फर्मेकोब्लोसी, संस्करण-34.
- एंसवर्थ ई.ए., गिलेस्पी के.एम. (2007), एस्टीमेशन ऑफ टोटल फीनालिक कंटेंट एंड अदर ऑक्सीडेशन सबक्रेट्स इन प्लांट टिशु युसिंग - फोलिन किओकलट्यू रियेंट, नेचर प्रोटोकॉल, खण्ड 2, अंक 4, मु.पृ. 875 - 877.
- तिवारी डी., शाह ए.एन., पाण्डेय एच.के., मीना एच.एस. (2012) अ रिव्यु ऑन फाईटोकांस्तीतुएंट्स ऑफ ओसिमम सेंकटम (तुलसी) इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स खण्ड 3
- देवेन्द्रन जी., बाल सुब्रमण्यम यु. (2011) कवानटीटेटिव फायटोकेमिकल रस्कीनिंग एवं जी.सी.-एम.एस. एनालिसिस ऑफ ओसिमम सेंकटम इन लीव्स, पेल्लिया रिसर्च लाइब्रेरी, खण्ड 1, अंक 4, मु.पृ. 44-48.
- साढुल आर.आर., गीडे एम.आर. एवं विपिनराज एन.के. (2015) कम्पेरेटिव एवं फाईटोकेमिकल रस्कीनिंग ऑफ एक्स एवं एल्कोहोलिक लीफ एक्सट्रैक्ट ऑफ ओसिमम सेंकटम आन ई.कोली. (फिकल इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन), ज. ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खण्ड 7, अंक 1, मु.पृ. 312-320.
- शाफुलाह, मोहम्मद के., असादुल्लाह, कलिक्युरेहान एवं खान एफ.ऐ. (2013) कम्पेरेटिव एनालिसिस ऑफ ओसिमम सेंकटम स्टेम एंड लीव्स फॉर फाईटोकेमिकल एंड इन आर्गेनिक कांसीट्रूएंट्स, मिडल ईस्ट ज.ऑफ. साइंटिफिक रिसर्च खण्ड 13, अंक 2, मु.पृ. 236-240.
- जमिशदी एन. एवं कोहेम एम.एम. (2017) द विलनिकल एफिकेसी एंड सेप्टी ऑफ तुलसी इन हुमंस, एसिस्टमेटिक रिव्यु ऑफ ड लिटरेचर. एविंडेंस बेर्ड कॉम्प्लीमेन्ट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन अंक 2
- जोशुआ ऐ.ऐ., युसुनोमेना यु., लाब्रे ऐ.बि. एमेजे ऑ. एवं गेब्रिअल ऑ.ऐ. (2012) कम्पेरेटिव स्टडीज आन केमिकल कम्पोजीषन एंड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज ऑफ द एथनालिक एक्सट्रैक्ट ऑफ लेमन ग्रास लीव्स एंड स्टेम्स, एशियन ज. ऑफ मेडिकल साइंस, खण्ड 4, अंक 4, मु.पृ. 145-148
- क्रिस्टोफर ई.ई., अनेस्ट ई., एकपन, न्येबक ई., डेनिअल (2014), फाईटोकेमिकल कांसीट्रूएंट्शन, थेरेपायूटिक एप्लीकेशन एंड टोक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ सिम्बोपोगोन सिट्रेटस स्ताप्त (डी.सी.) लीफ एवस्ट्रैक्ट, ज. ऑफ फारमेकज्नोसी एंड फायटोकेमिस्ट्री, खण्ड 3, अंक 1, मु.पृ. 133-141.

10. एकोसेह ओपेरीम, ओयेदिजी ओपेलुवा, रून्डक्यु रमेला, वनेह चुन्धा, बेनेदिक्टा एवं ओयेदिजी एडेबेला (2015) सिम्बोपोगोन स्पीशीज, एथनो फार्माकोलॉजी, फायटोकेमिस्ट्री एंड द फर्मकोलोजिकल इम्पोर्टर्स, मोलेकुलर खण्ड 20 मु.पु. 7438-7453.
11. किमुते आए., न्गेइट्वम एम., मुला.एम., न्जगी पी.जी.एन., इन्गोंगा जे., न्याम्वाम एल.बी., ओमबती कियप्रयन., न्गुम्बी प., (2017) रीपेलेट इफेवट्स ऑफ द एसेंशियल आयल ऑफ सिम्बोपोगोन सिट्रेट्स एंड तागेतेस माएनुता ऑन द सैंडफलाई, फ्लेबोतोमस डुबोरक्ती, बी.एम.सी. रिसर्च नोट्स 10:98
12. सोनी ऐ. एवं सोसा एस. (2013) फायटोकेमिकल एनालिसिस एंड फ्री रेडिकल स्केर्वेजिङंग पोटेंशियल ऑफ हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट एक्सट्रैक्ट, ज.आफ फार्ममिकगोनोसी एंड फायटोकेमिस्ट्री, खण्ड 2, अंक 4, मु.पु. 22-29
13. अल्लूरी एल. एवं मजुमदार एम. (2012) फायटोकेमिकल एनालिसिस एंड इन विट्रो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ केलोट्रोपिस जिजेनतियन, लाव्सोनिया इनेर्मिस एंड द्राईगोनेला फीनमबीकस, इंटरनेशनल ज. ऑफ फार्मेसी एंड फर्माक्यूटिकल्स साइंसेस, खण्ड 6, अंक 4 मु.पु. 524-527

\*\*\*\*\*

## उच्च तथा निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. गुरमीत सिंह कचूरा \* मिथुन भट्ट \*\*

**शोध सारांश** – प्रस्तुत अनुसंधान कार्य का मुख्य लक्ष्य कार्यरत उच्च एवं निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों का तुलनात्मक अध्ययन करना था। शोधार्थी ने शोधार्थी के रूप में न्यादर्श के रूप में शोधार्थी ने कुल 600 विद्यार्थियों का चयन किया जिसमें से 300 विद्यार्थी उच्च उपलब्धि वाले व 300 निम्न उपलब्धि वाले चयन किये गये हैं। शोधार्थी ने दत्त संकलन के लिए डॉ. आर मुखोपाध्याय द्वारा निर्मित मानकीकृत अध्ययन आदतों की प्रमापनी का प्रयोग किया। दत्त संकलन के पश्चात् उनको सारणीयन करते हुए आँकड़ों का विश्लेषण टी परीक्षण एवं आरेख प्रदर्शन के आधार पर किया गया। निष्कर्ष स्वरूप पाया गया कि उच्च एवं निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों में सार्थक अन्तर पाया गया।

**शब्द कुंजी** – उच्च उपलब्धि, निम्न उपलब्धि एवं अध्ययन आदत।

**उपलब्धि** – उपलब्धि से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में अर्जित ज्ञान से है। सामान्यतः हम उपलब्धि को शैक्षिक क्षेत्र में ही देखते हैं। लेकिन उपलब्धि जीवन के सभी क्षेत्रों में होती है। मानव के स्नायु एवं मासपेशियों की परिपक्तता भी गति कौशल को सिखने में सहायक होती है गत्यात्मक कौशल में जब भी परिवर्तन आता है तो ऐसा लगता है कि बालक ने कोई नई क्रिया सिखी है। और हम नई उपलब्धियों के रूप में देखते हैं। यह उपलब्धियाँ अलग अलग आयु के अनुसार अलग अलग दोनों प्रकार की होती हैं उपलब्धि परीक्षा से तात्पर्य कक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों से है उपलब्धि परीक्षा विषयों में अर्जित ज्ञान से है।

**उच्च उपलब्धि** – 60 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक वाले विद्यार्थी

**निम्न उपलब्धि** – 40 – 50 प्रतिशत प्राप्तांक वाले विद्यार्थी

**अध्ययन आदतें** – आदत से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिन्हें व्यक्ति अत्यन्त सरलता से एवं पूर्ण कुशलता से पुनः पुनः संपन्न करता है। जिनकों परिस्थितियों प्रभावित नहीं करती है। आदत सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है। आदत का आधार अर्जित क्रिया है जो वातावरण में विकसित होती है।

**डॉ. आर मुखोपाध्याय** के अनुसार अध्ययन आदते एकाग्रता, समझने की योग्यता, कार्य अभिविन्यास, नोट्स तैयार करना, भाषा एवं अभ्यास करना आदि है।

**समस्या की सम्प्रत्यात्मक पृष्ठभूमि** – वर्तमान समय की यह प्रमुख आवश्यकता है कि देश का प्रत्येक बालक व युवा अपनी संपूर्ण शिक्षा ऊर्जा व चेतना का उपयोग सकारात्मक कार्यों में लगाए।

विद्यालय में एक ही शिक्षक व एक ही वातावरण में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि असमान होती है इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे :- विद्यार्थियों का स्वास्थ्य, अभिभावक सहभागिता, अधिगम क्षमता एवं अध्ययन आदते आदि। इनमें से अध्ययन आदते महत्वपूर्ण हैं जो विद्यार्थी की उपलब्धि को निर्धारित करती है। इन्हीं परिस्थितियों को देखकर शोधार्थी ने यह आलेख प्रस्तुत किया है।

### उद्देश्य :

1. उच्च एवं निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों का पता लगाना।
2. उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों का पता लगाना।
3. निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों का पता लगाना।
4. उच्च एवं निम्न वाले विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

### परिकल्पना :

1. उच्च एवं निम्न वाले विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

### अनुसंधान का विधिशास्त्र :

1. प्रस्तुत शोध में शोध की प्रकृति को देखते हुए शोधार्थी ने सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया।
2. दत्त संकलन हेतु मानकीकृत अध्ययन आदत प्रमापनी का प्रयोग किया गया।
3. अनुसंधान कार्य के लिए न्यादर्श स्वरूप कुल 600 विद्यार्थियों का चयन यादानिक विधि से किया गया है जिसमें 300 विद्यार्थी उच्च उपलब्धि एवं 300 विद्यार्थी निम्न उपलब्धि के चयन किए गए हैं।

### सारणीयन एवं विश्लेषण :

#### सारणी संख्या - 1 (देखे अगले पृष्ठ पर)

**व्याख्या** – टी मान के आधार पर प्राप्त आँकड़ों से यह कहा जा सकता है कि उच्च एवं निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों में सार्थक अन्तर पाया गया अर्थात् उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थियों की अध्ययन करने की आदतों में एकाग्रता, अभ्यास एवं भाषा शैली निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक उच्च पाई गई है।

**वर्तमान में प्रासांगिकता** – प्रस्तुत आलेख के द्वारा विद्यार्थी अपनी अध्ययन आदतों के बारे में जानकर अपनी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि करते हुए अपने समाज व राष्ट्र के विकास में अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं।

\*मार्गदर्शक (शिक्षा) ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी, चुरू (राजस्थान) भारत

\*\* शोधार्थी (शिक्षा) ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी, चुरू (राजस्थान) भारत

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भटनागर, सुरेश (2005) अधिगम एवं विकास के मनोसामाजिक आधार, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस मेरठ।
2. डॉ. सिंह, अरुण कुमार मनोविज्ञान समाज शास्त्र तथा शिक्षा में सांख्यिकी।
3. माधुर डॉ. एस. एस. शिक्षा मनोविज्ञान, श्री विनाद पुस्तक मन्दिर आगरा - 2, 2010
4. मिश्रा, डॉ. महेन्द्र कुमार, अधिगम का मनो-सामाजिक आधार एवं शिक्षणसा नीलकंठ पुस्तक मन्दिर खातीपुरा जयपुर - 12, 2008
5. ओबराय डॉ. एस. पी. (1993-1997-1994) शिक्षण अधिगम के मूल तत्व सुखपाल गुप्ता आर्य बुक डीपो 30 नाईवाला करील बाग नई दिल्ली।
6. त्रिपाठी मधुसुदन (2007) शिक्षा अनुसंधान और सांख्यिकी अमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

### सारणी संख्या - 1 : उच्च तथा निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों की अध्ययन आकृतों मध्यमानवार तुलनात्मक विश्लेषण

| क्र. | क्षेत्र          | छात्र                         | मध्यमान | मानक | विचलन टी-मान | सार्थकता -05/.01            |
|------|------------------|-------------------------------|---------|------|--------------|-----------------------------|
| 1.   | समझने की योग्यता | उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थी  | 38.63   | 2.52 | 17.79        | .01 पर सार्थकअन्तर है।      |
|      |                  | निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थी | 30      | 2.79 |              |                             |
| 2.   | एकाग्रता         | निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थी | 26.53   | 2.74 | 8.68         | .01 पर सार्थकअन्तर है।      |
|      |                  | निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थी | 19.93   | 5.27 |              |                             |
| 3.   | कार्य अभिविन्यास | उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थी  | 24.91   | 3.61 | 6.74         | .01 पर सार्थकअन्तर है।      |
|      |                  | निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थी | 20.73   | 3.22 |              |                             |
| 4.   | अध्ययन सैट्स     | उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थी  | 18.91   | 1.81 | 0.67         | .05 पर सार्थकअन्तर नहीं है। |
|      |                  | निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थी | 18.7    | 1.61 |              |                             |
| 5.   | अन्तक्रिया       | उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थी  | 7.8     | 1.13 | 1.88         | .05 पर सार्थकअन्तर नहीं है। |
|      |                  | निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थी | 7.31    | 1.25 |              |                             |
| 6.   | अश्यास           | उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थी  | 8.73    | 1.50 | 8.86         | .01 पर सार्थकअन्तर है।      |
|      |                  | निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थी | 6.16    | 1.72 |              |                             |
| 7.   | सहारा ढेना       | उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थी  | 10.95   | 1.61 | 10.48        | .01 पर सार्थकअन्तर है।      |
|      |                  | निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थी | 8.33    | 1.20 |              |                             |
| 8.   | अभिलेखन करना     | उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थी  | 6.35    | 1.10 | 2.13         | .01 पर सार्थकअन्तर नहीं है। |
|      |                  | निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थी | 5.86    | 1.41 |              |                             |
| 9.   | भाषा             | उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थी  | 2.85    | 0.73 | 6.66         | .01 पर सार्थकअन्तर है।      |
|      |                  | निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थी | 2.25    | 0.08 |              |                             |

वर्ष = 598 के सारणीमान

0.05 स्तर पर सारणीमान - 1.98

0.01 स्तर पर सारणीमान - 2.62

\*\*\*\*\*

## विद्यार्थियों के गृह वातावरण का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन

डॉ. गुरमीत सिंह कचूरा \* मिथुन भट्ट \*\*

**शोध सारांश** – प्रस्तुत अनुसंधान कार्य का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों के गृह वातावरण का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना था। शोधार्थी ने शोधकार्य हेतु शोध में न्यादर्श के रूप में शोधार्थी ने कुल 400 विद्यार्थियों का चयन किया जिसमें से 200 विद्यार्थी राजकीय विद्यालय वाले व 200 विद्यार्थी निजी विद्यालय वाले चयन किये गये हैं। शोधार्थी ने छत्त संकलन के लिए डॉ. के.एस.मिश्रा द्वारा निर्मित मानकीकृत गृह वातावरण प्रमापनी तथा शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित दत्तों के संकलन हेतु विद्यार्थियों के पिछली कक्षाओं के वार्षिक परिणाम का प्रयोग किया। छत्त संकलन के पश्चात् उनको सारणीयन करते हुए आँकड़ों का विश्लेषण। निष्कर्ष स्वरूप पाया गया कि विद्यार्थियों के गृह वातावरण का शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव होता है।

**शब्द कुंजी** – गृह वातावरण एवं शैक्षिक उपलब्धि।

**वातावरण** – ‘वातावरण वह शब्द है जो समस्त बाह्य शक्तियों और प्रभावों का सामूहिक रूप से वर्णन करता है जो जीवधारी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, अभिवृत्ति, विकास तथा प्रौढ़ता पर प्रभाव डालता है।’

- **डगलस एवं हालैण्ड**

**गृह वातावरण** – ‘परिवार के सदस्यों के सर्वांगीन विकास हेतु परिवार के सदस्यों द्वारा दिया गया वातावरण ही गृह वातावरण कहा जाता है।’

- **डगलस एवं हीण्ड**

**शैक्षिक उपलब्धि** – ‘उपलब्धि परीक्षा में किसी एक विषय या विषयों में व्यक्ति के द्वारा अर्जित ज्ञान, सूझ-बूझ, तथा कौशल का मापन करते हैं।’

- **फ्रीमैन**

**प्रस्तावना** – शिक्षा अनादि काल में चली आ रही मानव व्यवहार को परिमार्जित करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति को उसकी मान्यताओं के अनुसार विकसित करने पर केन्द्रित है। चूंकि मानव व्यवहार का परिमार्जन मानव की मन: रिथ्रिटि एवं शारीरिक रिथ्रिटि को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए शिक्षा का अभिप्रायः बालकों की जन्मजात शक्तियों की स्वाभाविकता एवं सामन्जस्यपूर्ण उल्लंघन तथा व्यैक्तिकता के पूर्ण विकास से है। ताकि वे अपने वातावरण में सामन्जन्य स्थापित करके अपने विचारों व दृष्टिकोणों में इस प्रकार से परिवर्तन कर सके कि समाज, राष्ट्र व विश्व का हित हो सके।

प्रो. श्रीवास्तव के अनुसार मनुष्य परिस्थितियों का ढास है। बालक में भले ही सभी प्रकार की शक्तियां विद्यमान हो परन्तु बिना उचित वातावरण के उसकी उन शक्तियों का पूर्ण रूपेण विकास नहीं किया जा सकता। नाभाविक्षा से ही बालक पर वातावरणका प्रभाव पड़ने लगता है।

बालक जन्म से ही कुछ सहज योग्यताएं लेकर जन्म से ही कुछ सहज योग्यताएं लेकर जन्म लेता है। यदि उसे अनुकूल वातावरण द्वारा कोई उपर्युक्त उद्दीपन नहीं प्रदान किया जाता है तो वे योग्यताएं अपने प्राकृत स्वरूप में विकसित होती हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में हम वातावरण का अर्थ अपने चारों तरफ की परिस्थितियों से लगाते हैं। घर एक ऐसी संस्था है जिसका

बालक पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। **कालमेन** ने यह बिल्कुल सही कहा है कि ‘परिवार की अपने सदस्यों की जिम्मेदारी पालने से लेकर मृत्युशय्या तक रहती है।’ परिवार बालक के व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। **शेरक** के अनुसार, ‘घर एवं स्कूल ये दो ऐसी संस्थाएं हैं। जिनका हमारे जीवन पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ता है।’ ये सभी तथ्य इस ओर संकेत करते हैं कि पारिवारिक वातावरण एक ऐसा घटक है जिसका विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है।

**उद्देश्य :**

1. समग्र न्यादर्श विद्यार्थियों के गृह वातावरण का अध्ययन करना।
2. राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के गृह वातावरण का अध्ययन करना।
3. निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के गृह वातावरण का अध्ययन करना।
4. राजकीय व निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के गृह वातावरण का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. समग्र न्यादर्श विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना।
6. राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना।
7. निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना।
8. राजकीय व निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
9. विद्यार्थियों के गृह वातावरण का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना।

**परिकल्पना :**

1. विद्यार्थियों के गृह वातावरण का शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है।
2. राजकीय व निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के गृह वातावरण

\*मार्गदर्शक (शिक्षा) ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी, चुरू (राजस्थान) भारत

\*\* शोधार्थी (शिक्षा) ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी, चुरू (राजस्थान) भारत

- में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
- राजकीय व निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

**अनुसंधान में प्रयुक्त विधि** – प्रस्तुत शोधकार्य में शोधार्थी को विद्यार्थियों के गृह वातावरण का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना जिसके लिए सर्वे आवश्यक है तथा यह वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित है अतः सर्वेक्षण का चयन किया गया है।

**अनुसंधान हेतु उपकरण** – शोधार्थी द्वारा दत्त संकलन हेतु स्वनिर्मित एवं मानकीकृत उपकरण का प्रयोग किया गया है। गृहवातावरण के दत्त संकलन हेतु के.एस. मिश्रा द्वारा निर्मित मानकीकृत उपकरण एवं शैक्षिक उपलब्धि हेतु पिछली कक्षा के वार्षिक परिणामों को लिया गया।

**अनुसंधान हेतु न्यादर्श** – अनुसंधान कार्य के लिए न्यादर्श स्वरूप कुल 600 विद्यार्थियों का चयन यादिक्षिक विधि से किया गया है जिसमें 300 विद्यार्थी राजकीय विद्यालय एवं 300 निजी विद्यालय के चयन किए जायेगे।

#### सारणीयन एवं विश्लेषण :

##### सारणी संख्या - 1 (देखे अगले पृष्ठ पर)

**व्याख्या** – टी मान के आधार पर प्राप्त आँकड़ों से यह कहा जा सकता है राजकीय व निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के गृह वातावरण में सार्थक अन्तर पाया गया है।

##### सारणी संख्या - 2 : न्यादर्श विद्यार्थियों के घर के वातावरण व शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सह सम्बन्ध का अध्ययन

| समूह       | चर                     | सह संबंध गुणांक का मान | .01/.05 पर सार्थकता   |
|------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| विद्यार्थी | घर का वातावरण (X चर)   | 0.498                  | सार्थक अन्तर पाया गया |
|            | शैक्षिक उपलब्धि (Y चर) |                        |                       |

##### सारणी संख्या - 1 : राजकीय व निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के गृह वातावरण का मध्यमान के आधार पर क्षेत्रवार तुलनात्मक विश्लेषण

| क्र. | क्षेत्र                                 | मध्यमान           |                 | मानक विचलन        |                 | टी-मान | 0.01 व 0.05 स्तर पर सार्थकता            |
|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------|---|
|      |   | राजकीय विद्यार्थी | निजी विद्यार्थी | राजकीय विद्यार्थी | निजी विद्यार्थी |        |   |
| 1.   | नियंत्रण                                | 19.92             | 23.86           | 1.456             | 1.922           | 2.225  | 0.05 स्तर पर सार्थक अन्तरपाया गया       |
| 2.   | सुरक्षित                                | 30.15             | 32.02           | 2.180             | 2.211           | 1.875  | 0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया |
| 3.   | दण्ड                                    | 21.54             | 24.36           | 1.093             | 2.158           | 1.771  | 0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया |
| 4.   | अभिभावकों की आकंक्षा                    | 28.86             | 23.20           | 2.699             | 2.123           | 1.566  | 0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया |
| 5.   | सामाजिक अलगाव                           | 15.58             | 20.04           | 1.069             | 1.32            | 3.125  | 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तरपाया गया       |
| 6.   | पुरस्कार                                | 28.02             | 28.34           | 2.457             | 1.015           | 1.333  | 0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया |
| 7.   | पृथक्करण संबंधी अधिकार                  | 18.02             | 19.20           | 0.987             | 1.014           | 1.584  | 0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया |
| 8.   | बच्चों के प्रति अभिभावकों का विशेष लगाव | 24.40             | 24.10           | 2.221             | 1.641           | 1.014  | 0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया |
| 9    | निरस्तीकरण                              | 21.04             | 24.20           | 0.811             | 1.112           | 2.351  | 0.05 स्तर पर सार्थक अन्तरपाया गया       |
| 10   | आङ्गाकारिता                             | 19.42             | 24.88           | 1.161             | 1.191           | 3.145  | 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तरपाया गया       |

स्वतन्त्रता के अंश ( $df$ )=598 के सारणीमान

0.05 स्तर पर सारणीमान - 1.96

0.01 स्तर पर सारणीमान - 2.53

स्वतन्त्रता के अंश ( $df=598$ )पर

0.05 स्तर पर मान - 0.361

0.01 स्तर पर मान - 0.463

**व्याख्या** – गृह वातावरण तथा शैक्षिक उपलब्धि दोनों चरों पर विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक मान  $r=0.498$  प्राप्त हुआ जो कि उच्च धनात्मक है अर्थात् विद्यार्थियों के गृह वातावरण एवं शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक सहसम्बन्ध पाया गया है।

**वर्तमान में प्रासंगिकता** – प्रस्तुत आलेख के द्वारा विद्यार्थी अपनी अध्ययन आदतों के बारे में जानकर अपनी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि करते हुए अपने समाज व राष्ट्र के विकास में अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- Travers John W. (1974) :"A Introduction research" MacMillan Company, New York.
- हेनरी इ. गेरिट (1979) : 'शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग' (अनुवादित संस्करण) कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- झोड़ियाल, एस.एन. एवं फाटक, ए.बी.(1982) : 'शैक्षिक अनुसंधान का विधि शार्त' राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
- सुखिया, एस.पी. मेहरोत्रा, पी.बी. (1984) : 'शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व' विनोद पुस्तक प्रसिद्धर, आगरा।
- भार्गव, महेश चन्द्र (1984) : 'आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण एवं मापन' हर प्रसाद भार्गव, आगरा।
- राय, पाश्वर्नाथ (1985) : 'अनुसंधान परिचय' लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
- शर्मा, आर. ए.(2006) : 'शिक्षा अनुसंधान' आर लाल बुक डिपो, मेरठ।
- सरीन एवं सरीन (2008) : 'शैक्षिक अनुसंधान विधियाँ' विनोद पुस्तक प्रसिद्धर, आगरा।

# पर्यावरण संरक्षण पर आधारित मानव मूल्यों का भौगोलिक अध्ययन

डॉ. हीरालाल चौधरी \* डॉ. के.पी. आजाद\*\*

**प्रस्तावना** – मानव मूल्यों के क्षण को इस आधुनिक समय में पर्यावरण ही रोक सकता है। ऐसी अनेक विसंगतियों के परिणाम स्वरूप यदि हम प्राचीन काल के सैन्धव सभ्यता का आकलन करते हैं। उस मानव स्वयं पर्यावरण के संरक्षण और वातावरण को स्वच्छ रखता था। विकासकाल की आधुनिक धारा ने मानव को इन मूल्यों से वंचित कर दिया है। जिसके प्रति आज सजगता की आवश्यकता महत्वपूर्ण लगती है। जब हम सैन्धव सभ्यता काल की बात करते हैं वहाँ कुएं, तालाब, पक्षी नालियाँ कचरा को निकालने के लिए रहती थीं। कूड़ेङानों का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति करता था। इन वृक्षों की पूजा की जाती थी। क्योंकि इन पौधों ने हमें साँस प्रदान किया है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वृक्षों में देवता का वास होने से कोई व्यक्ति उन पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाता था। इसलिए उस समय का वातावरण स्वच्छ था।

वृक्षों में अनेक प्रकार के देवताओं को मानने की प्रथा विद्यमान थी। उसके बाद इन सभ्यताओं में पर्यावरण की सुदृढ़ता को देखकर ऋषि-मुनि साधना के केन्द्र बनाया। वहाँ पठन-पाठन की प्रक्रिया शुरू हुई जिससे भौगोलिक वातावरण अधिक स्वच्छ और मानव के अनुकूल था। ऐसे में पर्यावरण की शुद्धता का परिणाम ही मानव की सभ्यताओं के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध होता है।

पर्यावरण की शुद्धता के लिए आचार्य ऋषिगण आदि ने मानव संरक्षण का कार्य किया है। जीवन के अनेक पहलूओं में मूल्यों को संरक्षित करने के साथ मानव के जीवन और दिशाओं का परिणाम बनाये जा रहे हैं। ऐसी अनेक विसंगतियों का परिणाम ही मानव के लिए उपयुक्त होता जा रहा है। इन्हीं तथ्यों के साथ मानव की विचारधारा का परिणाम ही समाज और राष्ट्र के लिए अधिक औचित्य पूर्ण होने लगता है। जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मानव का मूल्य ही पर्यावरण की स्वच्छता का सारथी है। जिसके कारण मानव की अनेक विसंगतियों का परिणाम ही मानव पर निर्भर करता है। जहाँ विचार और विहार दोनों की जिज्ञासा का परिणाम मानव की विचारधारा पर निर्भर करता है।

**शोध प्रविधि** – इस शोध पत्र में पर्यावरण संरक्षण पर आधारित मानव मूल्यों का भौगोलिक अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक शोध सामग्री के आधार पर शोध पत्र का निर्माण किया गया है। इसके साथ-साथ विद्वानों का मार्गदर्शन लिया गया है। शोध पुष्टि के लिए यथा उचित स्थान पर सन्दर्भित किया गया है। सन्दर्भ हेतु पत्र-पत्रिकाओं और जर्नल का भी प्रयोग किया गया है।

**समस्या :**

- पर्यावरण संरक्षण ही मानवीय मूल्यों ही पौधों और मानव जीवन को बचा सकता है।
- पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना चाहिए।
- पौधों के सुरक्षित होने से ही मानव का जीवन सुरक्षित है।
- हानिकारक गैसों के बनने का सबसे बड़ा कारण पर्यावरण का संतुलन विगड़ा है।
- व्यक्ति भौतिक वादी होने के कारण वह अर्थ को प्राप्त करना चाहता है। उससे यह कोई मतलब नहीं की कितना नुकशान राष्ट्र और समाज का होगा। ऐसी अनेक विसंगतियाँ हैं।

## उद्देश्य :

- पर्यावरण संरक्षण की अधिक अवश्यकता है। जिससे मानव जीवन का मूल्य अधिक अपेक्षित है।
- पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी व्यक्तियों को कार्य करना चाहिए।
- पर्यावरण की जागरूकता से मानवीय मूल्यों में वृद्धि होती है। यहाँ तक मानव का जीवन भी पर्यावरण के संतुलन पर ही निर्भर करता है।
- पौधों की अनियंत्रित कटाई पर रोक लगाना।
- पौधों की अच्छी किस्मों को विकसित करने का अध्ययन करना।
- पर्यावरण संरक्षण ही मानव जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है।

पर्यावरण के मूल्यों को ऋब्बेद में देवताओं के रूपों में किया गया है। इससे अनेक पेड़ पौधों को भी संरक्षण मिला है। जिन पौधों को देवता माना जाता है। उन पौधों को लोग कम नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसी अनेक विसंगतियों के परिणाम स्वरूप मानव का एक औचित्यपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। जबकि इन देवनाओं की स्तुति तीन रूपों में की जाती है। वायु, जल, भूमि एवं अन्तरिक्ष देवता। इन सभी देवताओं का अत्यधिक महत्व है। जिनकी परम्परा और संवर्धन की शैली ने मानव जीवन का उपकार किया है। इन मूल्यों को संरक्षण और संवर्धन हेतु मानव को पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य देवताओं की स्तुति की जाती है – अग्नि, इन्द्र मरुत, वायु, सूर्य, सोम और वृहस्पति को।

मानव पर्यावरण के इतिहास ने भौगोलिक वातावरण को औचित्यपूर्ण बनाया है। जहाँ जीवन और जगत् की अनेक समस्याओं का उत्पन्न होना भी स्वभाविक होता है। जिनके परिणामस्वरूप मानव और पर्यावरण का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जबकि वर्तमान में व्यक्ति पूर्णतः रूपों में भौतिकवादी है। इन्हीं तथ्यों के परिणाम स्वरूप मानव और समाज की अनेक विसंगतियों को मानव समाज के लिए कार्य करना चाहिए। वहाँ पर्यावरण ही मानव को जीवन

\* (भूगोल) ग्राम सुआ पोस्ट मढ़ी, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.) भारत

\*\* सह प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.) भारत

की अनेक औचित्य पूर्ण तथ्यों को विचार दिया जाना चाहता है। वहाँ अनेक प्रकार की विसंगतियों का परिणाम ही समाज के सामने आते हैं।

इस प्रकार इन देवी और देवताओं से स्तुति की जाती थी। इसमें वर्षा के लिए भी देवताओं की पूजा-प्रार्थना करना पड़ता था। जिससे इस जगत् में वर्षा अधिक होने से अच्छी फसल होगी। जहाँ मानव का जीवन और जीव-जन्म आदि का भी जीवन सुखमय होगा। वातावरण को सुखद रखने के लिए भी देवतों की स्तुति की जाती थी। यहाँ मानव मूल्यों को कृषि के उत्पादन पर निर्भर माना गया है। यहाँ तक जीवन की अनेक समस्याओं का योग कृषि कार्य व्यवस्था रही है। जहाँ मानव सुरक्षा और अन्यमय कोष तक की व्यवस्था पर निर्भर रहता है<sup>3</sup> यहाँ मानव समाज का एक औचित्यपूर्ण योगदान भी मानव के सुखी जीवन की राह में कार्य करता है। यहाँ समय और समाज की कठिनाईयों का परिणाम ही समाज के सामने ही परीक्षण योग्य बना दिया है। वृक्षों की हरी-भरी शाखाएँ भी मानव जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। इन वृक्षों में फल के भी स्वाद पंक्षी और मानव ढोनों को मिलता है। वैदिक काल से ही यह अवधारणा बनी रही है। जहाँ प्राकृतिक के अनेक खोतों का अधिक उपयोग करता रहा। जिसके कारण आज मिट्ठी का क्षण हो रहा है। खाद्यान्न और अन्य सामग्री भी प्रदूषित होती जा रही है। क्या यही मूल्य हैं। मानव का जिसके जीवन में सिर्फ नुकसान ही लिखा है। अनेक विसंगतियों के परिणाम स्वरूप मानव की संवेदन शीलता का औचित्य भी भरा हुआ है<sup>4</sup>

प्रकृति से हम उतना ही लेना चाहिए। जितने में हमारा कार्य हो सके। प्रकृति असंतुलित न हो। यहाँ मानव जीवन का मूल स्वयं के जीवन से भरा पड़ा हुआ है। ऐसी अनेक विसंगतियों के परिणाम स्वरूप मानव का जीवन ही आज के विश्व जगत् का कारण बन गया है। ऐसी अनेक विसंगतियों के परिणाम स्वरूप उन्हें ही जीवन और जगत् के परिणाम का आनन्द मानव जीवन में ही मिलता है। जिसका उपयोग मानव ने जीवन जीने के लिए भी किया है<sup>5</sup> वहाँ सम्पूर्ण समाज के औचित्य पर ही सबाल खड़े होते हैं। जहाँ समाज और विसंगतियों के लिए पृथक् ने मानव को बहुत कुछ दिया। किन्तु मानव ने क्या दिया यह अधिक विचारणीय विषय है। वहाँ समाज और संशय का विषय बन गया है। वहाँ विचारों और ऐतिहासिक परिवर्ष का परिणाम ही मानव की जिज्ञासा का परिणाम ही आरोपित करती है। जिसे हम पृथक् को माँ कहते हैं और मनुष्य उसके पुत्र हैं<sup>6</sup> पर्यावरण का सम्बन्ध पेड़ पौधों और मनुष्य से है। वैदिक काल से ही अरण्य संस्कृति को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। उन दिनों पर्यावरण की स्वच्छता का प्रमाण माना जाता था। इन्हीं

वन देवी अर्थात् अरण्यानी भी कहा जाता था। इन देवियों की पूजा अर्चना भी की जाती थी। जिन्हें वन देवी के नाम से भी विभूषित किया जाता है। वन देवी प्रकृति के परिणाम को बताती है। जहाँ मानव की विसंगतियों के परिणाम स्वरूप मानव ने अध्यात्मिक जीवन जीना अधिक औचित्यपूर्ण मानने लगता है। सभ्यताओं के विकास ने नदियों के किनारे पौधों का निर्माण करते रहे हैं। वहाँ वृक्षों की छाया में मानव और पंक्षी को छाव के साथ पर्यावरण शुद्धता के प्रमाण मिलते हैं। अरण्य, तपोवन तथा कुंज क्रमशः ज्ञानास्थली, तपोस्थली के साथ कर्मस्थली के रूप में माना जाता है। भारतीय परम्पराओं में पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। क्योंकि सबसे अधिक आकसीजन पाइ जाती है। जिसकी पूजा किया जाना मानव मूल्य के लिए अकिक मूल्यवान साबित हो रहा है। पीपल के वृक्षों के जड़ों में ब्रह्म, तने में विष्णु और टहनियों के स्वरूप में शिव का वास होता है<sup>6</sup>

**निष्कर्ष –** भारतीय परम्पराओं में वृक्ष को श्रेष्ठ पुत्र के रूप में माना गया है। जिसका मानना है कि यह सदैव कल्याणकारी होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में वृक्षों को मानव जीवन के सदकर्मों के रूप में तारने वाला माना गया है। जिसका मूल रूप ही मानव की विचार शीलता का प्रमाण दिखाई देता है। ऐसी अनेक विसंगतियों के लिए यश प्राप्त होता है<sup>7</sup> वैदिक काल और पौराणिक काल ढोनों में लोग प्रकृति पूजा पर विश्वास करते थे। क्योंकि सभी वस्तुओं का ऋत्र प्रकृति ही है। यही प्रकृति की पूजा का परिणाम ही मानव जीवन के लिए अधिक श्रेष्ठ समझा जाता था। जहाँ पर्यावरण अधिक संरक्षित और प्रदूषण मुक्त था।

#### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. ताज रावत, प्राकृतिक पर्यटन विकास एवं बदलाव, आकाशदीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2011, पृष्ठ 37
2. के.एस. दोरियाल, पर्यटन विकास एवं प्रश्नाव, आशा बुक्स, सोनिया विहार, दिल्ली, 2010, पृष्ठ 65
3. मनुस्मृति 1/3/22
4. आर. ए. शर्मा, पर्यावरण शिक्षा, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, 2007, पृष्ठ 47-48
5. एस.एस. माथुर, शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा 1991, पृष्ठ 48
6. डॉ. अखण रघुवंशी एवं डॉ. चन्द्रलेखा रघुवंशी, पर्यावरण प्रदूषण, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1993, पृष्ठ 20
7. पर्यावरण शिक्षा-डॉ. उषा मिश्रा, पृ. 77

## मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का योगदान (मण्डला जिले के संदर्भ में)

डॉ. श्रीमति शुभांगी धगट\* श्रीमति अनामिका तिवारी \*\*

**प्रस्तावना** – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत देश में ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए चलाया जा रहा एक स्वास्थ्य योजना है यह योजना 12 अप्रैल 2005 से शुरू की गई है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक मिशन के रूप में देश के लगभग सभी राज्यों में चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु केन्द्र सरकार की यह प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य ऐसी प्रणाली विकसित करना है। जो सामूहिक स्वास्थ्य की होकर स्वास्थ्य लाभों का विकेन्द्रीकरण कर सकें। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सुगमतासे वांछनीय और जवाबदेही वाली गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधायें मुहेया करवाने से संबंधित है। मध्यप्रदेश राज्य में यह योजना सन् 2005 से निरंतर कार्यशील है एवं जनता को स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुंचाने के प्रति निरंतर व गतिशील भी है। इस योजना के अंतर्गत जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी एकसप्रेस योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना, आयुषमान भारत योजना आदि चलाई जा रही है। जिनका उद्देश्य मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्यु दर, प्रजनन दर, में कमी लाना है। इस हेतु मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम स्तर पर 1000 की जनसंख्या में एक आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है एवं प्रत्येक ग्रामों में ग्राम आरोग्य केन्द्रों की स्थापना की गई है। जिसमें आशा कार्यकर्ता के माध्यम से ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सुविधायें सुनिश्चित की जाती है एवं 4 या 5 ग्रामों को मिलाकर उपस्वास्थ्य केन्द्र गठित किये गये हैं एवं विकासखण्ड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं। प्रस्तुत अध्ययन हेतु मण्डला जिला जो कि एक आदिवासी (ग्रामीण) बाहुल्य जिला है को अध्ययन हेतु चुना गया है।

**अध्ययन का क्षेत्र** – प्रस्तुत अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के मण्डला जिले को चुना गया है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सन् 2005 से शुरू हुआ है। यहां जिले की कुल जनसंख्या में 57 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति निवास करती है। ग्रामीण बाहुल्य जिले में स्वास्थ्य सुविधायें कितनी फलीभूत हो रही हैं इसलिये इस क्षेत्र में यह अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है।

**अध्ययन के उद्देश्य :**

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा मण्डला जिले में चलाई जा रही योजनाओं का अध्ययन करना।
2. स्वास्थ्य सुविधाओं को अपनाने हेतु ग्रामीणों की जागरूकता ज्ञात करना।
3. स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

### समंक संकलन एवं शोध विधि :

1. प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक समंकों के अंतर्गत व्यक्तिगत मीडिया, सक्षातकार जो कि विभिन्न चयनित ग्रामों में ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं एवं परिवारों से लिया गया है। द्वितीय समंकों हेतु विभागीय बैवसाईड पत्रिका, समाचार पत्र, विभागीय आंकडे प्राप्त कर विश्लेषण कार्य किया गया है।
2. शोध विधि हेतु साक्षात्कार एवं प्रश्नावली का उपयोग किया गया है एवं इसमें ही विश्लेषण कार्य किया गया है।

### निष्कर्ष

### तालिका - 1

| क्र. | वर्ष       | योजना का नाम       | कुल प्रसव प्रसव | संस्थागत | प्रतिशत |
|------|------------|--------------------|-----------------|----------|---------|
| 1    | 2011- 2012 | जननी सुरक्षा योजना | 17643           | 12758    | 72      |
| 2    | 2012- 2013 |                    | 18624           | 16140    | 87      |
| 3    | 2013- 2014 |                    | 17768           | 14982    | 84      |
| 4    | 2014- 2015 |                    | 16364           | 13541    | 82      |
| 5    | 2015- 2016 |                    | 12157           | 10044    | 83      |

### तालिका 2,3,4 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट होता है कि, मण्डला जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में नसंबंदी, लूप, निवेशन, ओरलपिल्स यूजर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। समग्र रूप से इस कार्यक्रम में प्रगती हुई है। परिवार नियोजन की दिशा में लोगों के नजरिये में बढ़लाव आया है। सर्वेक्षण के दौरान 66 प्रतिशत आदिवासी परिवारों इसे उचित ठहराया है।

तालिका में स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्राम स्तर पर ग्राम आरोग्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं एवं उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पिछले पांच वर्षों में मण्डला जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति में अपेक्षाकृत बहुत सुधार आया है। नये उपस्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण हुआ है

\* प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

\*\* शोधार्थी (वाणिज्य) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

पोषण पुनर्वास केन्द्रों का निर्माण हुआ है एवं संरथगत प्रसवों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। जिससे गृह प्रसव कम हुआ है। इस कारण जननी एक्सप्रेस योजना जो ग्राम स्तर पर पहुंच कर गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के समय जांच एवं प्रसव हेतु शासकीय अस्पताल में आशा कार्यकर्ता के माध्यम से ले जाती है। टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण हेतु प्रत्येक ग्राम एवं के मजरे टोले में आरोग्य केन्द्र के माध्यम से मिशन इंडिप्यूज कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें निरंतर चलित टीकाकरण कार्यक्रम में छुटे हुये बच्चों को एक अभियान के तहत टीके लगाये जाते हैं। इससे जिले का टीकाकरण का स्तर 89 प्रतिशत पहुंच गया है। राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर एवं किशोरियों के साथ-साथ सभी प्रजनन आयु की महिलाओं का पोषण संबंधी सलाह दी जाती है। जिससे आगे चलकर एनीमिया एवं बड़ी बिमारियों का सामना न करना पड़े। जिले में पिछले 05 वर्षों परिवार नियोजन कार्यक्रम में सुधार आया है। इसमें सभी प्रकार के परिवार नियोजन साधनों को अपनाया है। इसी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय छय नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम, मलेरिया उन्नमूलन कार्यक्रम, आदि कार्यक्रमों की उपलब्धियों में सुधार हुया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं यूनिसेफ के द्वारा WASH IN HEALTH कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसके द्वारा सभी 9 विकासखण्डों में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में साफ-सफाई, पेयजल, भवनों की स्थितियों में सुधार हुया है। यूनिसेफ से सहयोग प्राप्त कायाकल्प योजना के अंतर्गत भी नये भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य एवं स्वास्थ्य सुविधायों को बेहतर स्थिति प्रदान की जा रही है।

### निष्कर्ष

#### तालिका - 5

| क्र. | विकासखण्ड का नाम | सर्वेक्षित परिवारों की संख्या | स्वास्थ्य सुविधायों को अपनाने हेतु जागरूकता का प्रतिशत |
|------|------------------|-------------------------------|--|
| 1    | मंडला            | 174                           | 75   |
| 2    | मोहगांव          | 194                           | 50   |
| 3    | बिछिया           | 165                           | 67   |
| 4    | मरझ              | 151                           | 45   |
| 5    | घुघरी            | 130                           | 48   |
| 6    | बीजाडांडी        | 165                           | 71   |
| 7    | नैनपुर           | 103                           | 69   |
| 8    | नारायणगंज        | 167                           | 65   |
| 9    | निवास            | 153                           | 70   |

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि, परिवारों में स्वास्थ्य सुविधायों अपनाने हेतु जागरूकता में कमी आई है। स्वास्थ्य सुविधायों को अपनाने हेतु जागरूकता का अध्ययन करने के लिये प्रश्नावली एवं व्यक्तिगत साक्षत्कार विधि का प्रयोग किया गया है। जिसमें सभी 9 विकासखण्डों के चयनित ग्रामों में से कुछ परिवारों का अध्ययन किया गया है। जिसमें सभी वर्ग के परिवार आते हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अभी-भी स्वास्थ्य सुविधायों को अपनाने हेतु जागरूकता में कमी है। ग्रामीणों में व्याप्त

अंधविश्वासों एवं कुरीतियों के कारण वे अच्छे स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। एवं जिले कुछ विकासखण्डों में ज्यादातर बैगा जनजाती भी निवास करती है। जो किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य या अन्य शासकीय सुविधायों को अपनाने हेतु तैयार नहीं रहती है। ये जनजाति घर पर प्रसव करवाना ही सुरक्षित मानती है। ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय दशा निम्न स्तर पर होने के साफ-सफाई आदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। ग्रामीण परिवार में भोजन संबंधी अंधविश्वास देखा गया है। अध्ययन के द्वारा यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गर्भवती महिला अपने चारों और के सामाजिक वातावरण के प्रति जागरूक नहीं हैं तथा शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। अनुसुचित जाती व जनजाति द्वारा वर्गों का खानपान रहन-सहन सोचविचार लगभग समान देखा गया परन्तु स्वास्थ्य सुरक्षा के नजरिये से अनुसुचित जनजाति वर्ग ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इस वर्ग को स्वास्थ्य के प्रति परामर्श की आवश्यकता है।

**सुझाव** – स्वास्थ्य एक ऐसा पहलु है जो देश एवं व्यक्ति के आर्थिक विकास में भागीदार होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलाई जाने वाली योजनाये बेहतर तरीके से प्रदान की जानी चाहिए। समुदाय में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए एवं और बेहतर तरीकों से सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। साथ ही उनके दैनिक क्रियाकलापों के बारे में स्वास्थ्यवर्धक जानकारी दी जानी चाहिये। इस अध्ययन के संदर्भ में सुझाव प्रेशित किये जा रहे हैं।

- प्रत्येक ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा का सक्रिय ढंग से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिये जैसे नारे लेखन मार्फिंग आदि।
- परिवार में वृद्धि होने पर होने वाले दुष्प्रभावों को बताये एवं परिवार नियोजन के बारे में समझाना चाहिये।
- आशा कार्यकर्ता का सक्रिय होना एवं उसे नविन योजनाओं के बारे में लगातार प्रशिक्षण प्राप्त होना।
- किसी भी कार्यक्रम को एक अभियान की तरह लागू करें एवं प्रत्येक वर्ग को इसमें संलग्न करें।
- हिंगाही मूलक योजनाओं का प्रचार प्रसार कर उसकी उपादेयता सुनिश्चित करना चाहिये।
- कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों की निरंतर समीक्षा एवं सुधार करते रहना चाहिये।
- विभाग के उच्च अधिकारियों एवं जिला स्तर पर सतह सक्रिय निरीक्षण करना चाहिये।

इसके साथ-साथ ग्रामीण जनता को साफ-सफाई, पूरक पोषण आहार एवं नशामुक्ति हेतु प्रेरित करने की आवश्यकता है तभी संपूर्ण स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला मंडला द्वारा प्राप्त रिपोर्ट।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की विभागीय बेबसाईट।
- भारतीय जनांकिकी।
- एनएफएचएस सर्वे से प्राप्त आंकड़े।

### तालिका - 2

| क्र. | वर्ष      | योजना का नाम                    | कुल जीवित जन्म | बी.सी.जी. | हेपे.0डोज | प्रतिशत |
|------|-----------|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 1    | 2011-2012 | नवजात शिशु का टीकाकरण कार्यक्रम | 17866          | 17269     | 17269     | 96      |
| 2    | 2012-2013 |                                 | 18760          | 18264     | 18264     | 97      |
| 3    | 2013-2014 |                                 | 17424          | 17326     | 17326     | 99      |
| 4    | 2014-2015 |                                 | 16030          | 15579     | 15579     | 97      |
| 5    | 2015-2016 |                                 | 11988          | 11896     | 11896     | 98      |

### तालिका - 3

| क्र. | वर्ष      | योजना का नाम            | कुल जीवितजन्म | पूर्ण टीकाकरण | प्रतिशत |
|------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|---------|
| 1    | 2011-2012 | पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम | 18663         | 13556         | 72      |
| 2    | 2012-2013 |                         | 17813         | 14343         | 80      |
| 3    | 2013-2014 |                         | 16423         | 12140         | 73      |
| 4    | 2014-2015 |                         | 18311         | 14315         | 78      |
| 5    | 2015-2016 |                         | 19083         | 17121         | 89      |

### तालिका - 4

| क्र. | वर्ष      | योजना का नाम            | लक्ष्य | उपलब्धि | प्रतिशत |
|------|-----------|-------------------------|--------|---------|---------|
| 1    | 2011-2012 | परिवार नियोजन कार्यक्रम | 4100   | 2299    | 56      |
| 2    | 2012-2013 |                         | 5000   | 3889    | 78      |
| 3    | 2013-2014 |                         | 5200   | 3994    | 76      |
| 4    | 2014-2015 |                         | 5700   | 4631    | 81      |
| 5    | 2015-2016 |                         | 6500   | 5347    | 83      |

\* \* \* \* \*

# A Study on Relationship between Psychological Stress and Infertility in Female Population undergoing Infertility Treatments

Sumita Mathur \* Prof. Usha Kothari \*\*

**Abstract** - Infertility leads to significant levels of psychological distress. The study highlights the relationship between psychological stress and infertility in female population undergoing infertility treatment at various fertility centres. Data from 300 females was collected by using the questionnaire including general information and the Perceived Stress Scale (PSS). The results showed that stress was seen in all female who were undergoing infertility treatments. It can be concluded that stress not only plays major role in causing infertility but also with the rise in level of stress in an individual the complexity in the infertility treatment required also increases.

**Key Words** - Infertility, Stress, In Vitro Fertilisation (IVF), Intrauterine insemination (IUI).

**Introduction** - According to World Health Organisation (WHO), "Infertility is a disease of the reproductive system defined by the failure to achieve a clinical pregnancy after 12 months or more of regular unprotected sexual intercourse. A WHO evaluation of Demographic and Health Surveys (DHS) data (2004), estimated that more than 186 million ever-married women of reproductive age in developing countries were maintaining a "child wish", translating into one in every four couples. As per Segen's Medical Dictionary Lifestyle is defined as "the constellation of habitual activities unique to a person, which lend consistency to activities, behaviour, manners of coping, motivation and thought process, and define the way in which person lives; lifestyle activities include diet, level of physical activity, substance abuse, social and personal interactions". In a medical or biological context stress is a physical, mental, or emotional factor that causes bodily or mental tension. There are several other factors such as psychological stress, caffeine consumption, alcohol consumption and exposure to environmental pollutants that have been implicated but the evidence is equivocal (1). Studies indicate that female ovulation and sperm production may be affected by mental stress. If at least one partner is stressed it is possible that the frequency of sexual intercourse is less, resulting in a lower chance of conception. Infertility can have deeply underlying psychological causes, which are associated with motivation of parenthood and the success of medical treatment (2). It is said that certain lifestyle conditions such as diet imbalance, addiction to smoking or alcoholism, sedentary existence, or mental and emotional stress, all contribute to poor sperm count. Studies have shown lot of relation of infertility with

the stress levels of females. Women who have experienced infertility report higher psychological distress. Infertility combined with involuntary childlessness (including biological and social) is associated with significantly greater distress. For women in this category, the risk of distress is substantial (3).

**Methodology** - A descriptive research was conducted on a total of 300 married women undergoing infertility treatments at the selected infertility centres. The study was conducted in the selected infertility centres and hospitals lying within the municipal limits of city of Jodhpur, Rajasthan. Permission was sought from the Directors of selected infertility centres of Jodhpur. Consent for the conducting the study was granted by three infertility centres. The patients were explained the purpose of the study and consent for the participation in the study was obtained from the subjects. Subjects were assured that anonymity and confidentiality would be maintained and that they can refuse to participate or withdraw from the study at any time. An Informed consent form was signed by the investigator and the subjects willing for participation in the study individually. The subjects were interviewed and information was filled by researcher in the form. The Perceived Stress Scale (PSS, Cohen, Kamarack & Mermelstein, 1983) is a classic stress assessment instrument with total of 10 questions. In each question, it's asked how often one felt or thought a certain way. Although some of the questions are similar, there are small differences between them and all treated each one as a separate question. For each statement, the answers were on 5 point scale as never, almost never, sometimes, fairly often, or very often. For scoring, each item was rated on a 5-point scale ranging from never (0) to

\* Research Scholar, Jai Narain Vyas University, Jodhpur (Raj.) INDIA

\*\* Head of Department (Home Science) Jai Narain Vyas University, Jodhpur (Raj.) INDIA

almost always (4). Positively worded items were reverse scored, and the rating was summed, with higher scores indicating more perceived stress. Individual scores on the PSS can range from 0 to 40 with higher scores indicating higher perceived stress. Scores ranging from 0-13 were considered low stress, from 14-26 would as moderate stress and scores ranging from 27-40 were considered high perceived stress. To analyze the data, the collected information was scored; coded, categorized and statistical analyses were performed with the statistical package for Social Science (SPSS, 19.0).

**Result** - The study covered information of 300 female undergoing infertility treatments. Regarding their age it was seen that 51% of female where lying in the age group of 25-30 years of age, 17% were in the age between 31 years and 35 years. It was also seen that infertility was also seen in female below 25 years and above 26 years of age as 25% and 7% respectively. On the contrary seeing the age of subject's husband it was noticed that 14% were above 36 years and only 4% were below 25 years. Maximum husbands (50%) were of age group 25-30 years. Looking at the number of years the couple has been married, 30% were married from less than 5 years and 25% were married from more than 10 years and were experiencing infertility. It was also seen that around half of the subjects (54%) got married even before they turned 20 years of age. The results also focus that around 60% of couples were trying for baby from more than last 3 years. Out of 300 subjects, 210 female were having primary infertility and rest had been pregnant before also. 73% of the subjects were non working home maker and the rest were in job having fixed (14%) and flexible (13%) working hours.


**Table 1: Distribution of the sample according to demographic characteristics and fertility**

|   |                        | Frequ-ency | Percent-age (%) |
|---|------------------------|------------|-----------------|
| Age of Subject                              | below 25 years         | 74         | 24.7            |
|   | 25-30                  | 154        | 51.3            |
|   | 31-35                  | 51         | 17.0            |
|   | 36 and above           | 21         | 7.0             |
| Age of Subject's Husband                    | below 25 years         | 12         | 4.0             |
|   | 25-30                  | 151        | 50.3            |
|   | 31-35                  | 94         | 31.3            |
|   | 36 and above           | 43         | 14.3            |
| Number of Years The Couple Has Been Married | Less than 5 years      | 89         | 29.7            |
|   | 5-10 years             | 136        | 45.3            |
|   | More than 10 years     | 75         | 25.0            |
| Number of years since trying for baby       | Last 2 yrs             | 74         | 24.7            |
|   | 3-5 yrs                | 104        | 34.7            |
|   | More than 5 yrs        | 122        | 40.7            |
| Type of Infertility                         | Primary                | 211        | 70.3            |
|   | Secondary              | 89         | 29.7            |
| Work Status                                 | Fixed Working Hours    | 41         | 13.7            |
|   | Flexible Working Hours | 40         | 13.3            |

|  |                          |     |      |
|--|--------------------------|-----|------|
|  | Non Working (Home Maker) | 219 | 73.0 |
|--|--------------------------|-----|------|

The results of the present study showed that stress was seen in all female covered in the present study who were undergoing infertility treatments. The perceived stress scale categories stress in three levels: low, moderate and high. From the total population of 300 females undergoing treatment, 259 (86%) had moderate to high stress level and only 41 (14%) had no or low stress levels. Broadly it was observed that 102 (34%) of the sample had high stress levels.


**Figure 1.1: Percentage of Level of Stress in Female Undergoing Infertility Treatments**



The samples were further categorized as per the treatments they were undergoing: Medication, Intrauterine insemination (IUI), Intra vitro fertilisation (IVF) and the level of stress were calculated for each treatment.

The study concluded that none of the samples undergoing medication had high levels of stress and moreover 42% had low levels of stress. Moderate stress level was observed in 61% of the samples with IUI treatment and 38% of these had high stress levels. Samples with IVF treatment had the highest level of stress, with 76% of samples having high stress levels and none of them had low stress levels. As per The Perceived Stress Scale (PSS) it was observed that females undergoing IVF treatment were having highest level of stress.

**Figure 1.2: Percentage of Stress Level as per the Type of Treatment**



**Discussion** - The purpose of this study was to study the relationship between psychological stress and infertility in females undergoing infertility treatment. The present study attempted to examine psychological stress in females with infertility as a whole and also the level of stress depending on the type of treatment undertaken by them for infertility. The level of stress in the present study was examined using the Perceived Stress Scale (PSS). The levels were categorized as low stress, moderate stress and high stress depending on the answers of the questions.

The present study finding concludes that psychological stress and infertility has a positive relationship. One of the key findings of this study was that with the increase in stress levels the subjects had to undergo further levels of infertility treatments. Specifically it can be said that those with higher stress levels were undergoing more complex and advanced treatments like intrauterine insemination (IUI) and in vitro fertilisation (IVF). Females taking only medication were having least stress. Although many studies (4–6) over the past decades have focused on stress and infertility, the present study helps shed light on the effect of infertility on the level of stress experienced by females undergoing infertility treatments. A couple that is trying to conceive will certainly experience feelings of frustration, stress and disappointment if a pregnancy is not easily achieved. However, if the difficulties progress and the man and/or woman are labelled as having fertility problems, then this may result in a severe insult to self-esteem, body image, and self-assessed masculinity or femininity (7) and this as a result causes stress in both. Similarly (8) studied that there is modest evidence for an association between distress during treatment and the outcome of the treatment itself. A study on psychological research within the context of in vitro fertilization (IVF) resulted that psychosocial factors, like stress, ineffective coping strategies, anxiety and/or depression are associated with a lower pregnancy rate following IVF-procedures (9)

The results from the present study were also in line with various past studies stating that psychological stress is one of the major factors causing infertility in female population.

**Conclusion** - Based on the study results it can be deduced that stress not only plays major role in causing infertility but also with the rise in level of stress in an individual the

complexity in the infertility treatment required also increases. The present findings do not capture the whole population with infertility, and the conclusions of the study cannot be assumed to apply to all individuals dealing with infertility. Even though, it can be concluded that there is a positive relationship between psychological stress and infertility in female population undergoing infertility treatments.

#### References :-

1. Homan GF, Davies M, Norman R. The impact of lifestyle factors on reproductive performance in the general population and those undergoing infertility treatment: a review. *Hum Reprod Update* [Internet]. 2007 Jan 5 [cited 2015 Mar 10];13(3):209–23. Available from: <http://humupd.oxfordjournals.org/cgi/content/long/13/3/209>
2. Yakupova VA, Zakharova EI. Psychological Conditions of Parenthood Formation in IVF. *Procedia - Soc Behav Sci* [Internet]. 2014 Aug [cited 2015 Apr 16];146:112–7. Available from: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814047508>
3. McQuillan J, Greil AL, White L, Jacob MC. Frustrated Fertility: Infertility and Psychological Distress among Women. *J Marriage Fam*. 2003;65(4):1007–18.
4. Cooper BC, Gerber JR, McGetrick AL, Johnson J V. Perceived infertility-related stress correlates with in vitro fertilization outcome. *Fertil Steril* [Internet]. Elsevier; 2007 Sep 9 [cited 2015 Apr 11];88(3):714–7. Available from:<http://www.fertstert.org/article/S001502820604708X/fulltext>
5. Peterson BD, Newton CR, Feingold T. Anxiety and sexual stress in men and women undergoing infertility treatment. *Fertil Steril*. 2007;88(4):911–4.
6. Wasser SK, Sewall G, Soules MR. Psychosocial stress as a cause of infertility. *Fertil Steril*. 1993;59(3):685–9.
7. Cwikel J, Gidron Y, Sheiner E. Psychological interactions with infertility among women. *European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology*. 2004.
8. Wilson JF, Kopitzke EJ. Stress and infertility. *Curr Womens Health Rep*. 2002;2(3):194–9.
9. Eugster A, Vingerhoets AJJM. Psychological aspects of in vitro fertilization: A review. *Social Science and Medicine*. 1999.



# बांसवाड़ा शहर के एक विकास खण्ड गढ़ी का चयन कर उसमें चल रही आनन्ददायी शिक्षा के अन्तर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का एवं इससे सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करना

डॉ. दीपा त्रिवेदी \*

**शोध सारांश** - प्रस्तुत शोध में अध्ययन बांसवाड़ा शहर के एक विकास खण्ड गढ़ी का चयन कर उसमें चल रही आनन्ददायी शिक्षा के अन्तर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का एवं इससे सम्बन्धित समस्याओं के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। शोध के लिये प्रस्तुत शोध अध्ययन में उपकरण के रूप में स्व-निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है तथा न्यादर्श के रूप में बाँसवाड़ा जिले के आठ विकास खण्डों में से 5 विद्यालयों का चयन किया गया। प्रत्येक विद्यालय में से एक महिला एवं एक पुरुष शिक्षकों (कुल 10 शिक्षक) का चयन किया गया तथा 5 संस्थाप्रधानों का चयन किया गया। शोध परिणामों से प्राप्त हुआ कि आनन्ददायी शिक्षा प्रत्येक कक्षा के लिये अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इस शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में शैक्षिक प्रगति हो सकती है।

**प्रस्तावना** - शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बालक का अधिकार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु अनेक प्रयास किये गये, जिसमें आधिकारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा देने के विभिन्न आयाम यथा- प्रौढ़ शिक्षा, रात्रि पाठशालाएँ, प्रहरी पाठशालाएँ, सर्व शिक्षा अभियान, सरस्वती बहन योजना, गुरु-मित्र योजना, लोक-जुम्बिश, बालश्रमिक योजना, शिक्षाकर्मी योजना, शिक्षा लहर योजना, डी.पी.ई. पी. योजना, नन्हीं कली योजना, आनन्ददायी शिक्षा योजना आदि हैं।<sup>1</sup>

भारतीय संविधान के 45वें अनुच्छेद में प्रारंभिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से देने का प्रावधान है। इसकी अनुपालना करने के सन्दर्भ में केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश प्रदान किये गये कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (संशोधित स्वरूप 1992) के अनुसार सभी शिक्षक पढ़ाये एवं विद्यार्थी पढ़े। 28 नवम्बर 2002 को 86वां संविधान संशोधक विधेयक पारित कर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उनके मौलिक अधिकार के रूप में धारा 21 ए के तहत् घोषित कर दिया गया। यह सब सामाजिक जागरूकता का परिचय माना जा सकता है और वर्तमान में शिक्षा का अधिकार कानून भी लागू कर दिया गया।

सीखना मानव का प्रकृति प्रदत्त अधिकार है। संसार की किसी वस्तु या परिस्थिति के सम्पर्क संसर्ग में आते ही वह स्वतः सीखता है। जन्म लेने वाले शिशु की स्तन चूसने की प्रक्रिया हमें यह बतलाती है कि सीखना व्यक्ति की जैविक आवश्यकता है। शिशु को प्रकृति ने इन्द्रियों का अद्भुत वरदान दिया है, जिससे वह स्वतः सीखता है।

## पूर्व शोध का अध्ययन

**श्रीवास्तव, प्रतिभा, मुंशी रघुनन्दन प्रसाद (2007):** 'प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार', एक समीक्षा, सरदार पटेल महिला पी.जी. कॉलेज, बारांबंकी। प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। जिसका प्रभाव शिक्षा के सभी स्तरों पर परिलक्षित होता है। यह जीवन की बुनियाद है। जिस पर प्रगति की ईमारत खड़ी की जा सकती है। सारांशतः

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो निष्कर्ष उभरकर सामने आए वे इस प्रकार है- 1 प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि विद्यालयी वातावरण के विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है। 2 प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थी अध्यापकों पर निर्भर रहते हैं। 3 वर्तमान पाठ्यक्रम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बोझ है। 4 इस उम्र के बच्चे परीक्षा रूपी भूत से डरते हैं। 5 प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक नवाचारों की जरूरत है। 6 पोषाहार, सहायक सामग्री की उपलब्धता, डच, बजट आदि प्राथमिक शिक्षा की लक्ष्य प्राप्ति के गुणात्मक मार्ग है। 7 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आनंददायी शिक्षा के अवसर प्रदान करके विकास संभव हो सकता है।

**नागदा, बी.एल. (2008):** 'नन्हीं कली कार्यक्रम की प्रभावशीलता एक अध्ययन', जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुरा। इस अध्ययन जो निष्कर्ष प्राप्त किए वे इस प्रकार है- धरियावाद क्षेत्र के 75 प्रतिशत विद्यालयों में तथा कोटडा एवं झाड़ोल क्षेत्र के शत प्रतिशत विद्यालयों में छात्राओं को किट उपलब्ध करवा दिए गए तथा गुणवत्ता की घटि से सामग्री का स्तर अच्छा था। शत प्रतिशत छात्राओं ने पढ़ते समय किट की सामग्री का उपयोग नियमित करना बताया। सभी छात्राओं ने र्सीकार किया कि हमारे माता-पिता इस प्रायोजन से प्रसन्न एवं संतुष्ट हैं तथा बैग में किट की सामग्री भी सुरक्षित रहती है। अध्यापक जी शिक्षण के दौरान किट सामग्री का अधिकतम उपयोग करवाते हुए क्रिया आधारित शिक्षण करवाते हैं जो हमें अच्छा लगता है। शत प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि इस परियोजना को चालू रखना चाहती है हमें परीक्षा में गुणात्मक एवं संख्यात्मक सुधार हुआ है। जिससे माता-पिता प्रसन्न हैं।

**प्रेमा, पी. (2009):** 'क्रिया आधारित अधिगम का अनुदेशनात्मक एवं विकासात्मक प्रभाव', पी.ए.डी., अलगपा विश्वविद्यालय, तमिलनाडू। इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार थे- (i) विद्यार्थियों के प्रवेश एवं अध्यापकों तक पहुँच में बढ़ोतरी दर्ज की गई। (ii) बालकों में समाजीकरण की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी पाई गई। (iii) सहपाठियों की सहायता करने की प्रवृत्ति। (iv) स्व-सहायता कुशलता। (v) मानसिक-विराम। (vi) जिज्ञासु

\* प्राचार्य, श्री गुरुहरिकिशन कालेज ऑफ एजुकेशन, रत्नाम (म.प्र.) भारत

प्रवृत्ति। (vii) विद्यार्थियों का संपूर्ण अकादमिक प्रदर्शन।

**समस्या का औचित्य** – अनुसंधान कार्य की वट्टि से इस समस्या पर भारत में कम शोध कार्य हुआ है। अतः यदि इस संदर्भ में शोध कार्य किया जाये तो अन्य अनुसंधानकर्ता इस ओर अपनी रुचि प्रदर्शित कर सकेंगे। यदि इस संदर्भ में शोध किया जाये तो सर्वाधिक लाभ विद्यालय को होगा। अध्ययन के पश्चात यह स्पष्ट हो गया कि आनन्ददायी शिक्षा किस हड तक कारगर सिद्ध होती है।

### समस्या कथन

बांसवाड़ा शहर के एक विकास खण्ड गढ़ी का चयन कर उसमें चल रही आनन्ददायी शिक्षा के अन्तर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का एवं इससे सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करना।

**अध्ययन के उद्देश्य** – प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोधार्थी द्वारा कुछ उद्देश्य निर्धारित किये गये, जिनका अनुसरण करते हुये संपूर्ण शोध कार्य किया गया-

1. आनन्ददायी शिक्षा में 'भविष्य हेतु सुझाव' क्षेत्र के सम्बन्ध में अध्यापकों, संस्थाप्रधानों, पर्यवेक्षकों तथा अभिभावकों का अभिमत ज्ञात करना।
2. आनन्ददायी शिक्षण के अन्तर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अध्ययन करना।
3. आनन्ददायी शिक्षा के सम्बन्ध में भावी संभावनाओं का अध्ययन करना।

### शोध परिकल्पनाएँ :

1. पर्यवेक्षकों, संस्थाप्रधानों एवं शिक्षकों का आनन्ददायी शिक्षा में 'भविष्य हेतु सुझाव' के प्रति अभिमत में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
2. आनन्ददायी शिक्षण के अन्तर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रति अभिमत में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
3. पर्यवेक्षकों, संस्थाप्रधानों एवं शिक्षकों का आनन्ददायी शिक्षा में 'भविष्य हेतु संभावनाएँ' क्षेत्र के प्रति अभिमत में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

### समस्या का परिसीमन :

1. प्रस्तुत शोध बांसवाड़ा जिले के आठ विकास खण्डों में से गढ़ी विकास खण्ड के 14 संकुलों के 5 विद्यालयों में किया गया।
2. प्रस्तुत शोध में कक्षा 1-3 तक के विद्यार्थियों को ही शामिल किया गया।
3. प्रस्तुत शोध में आनन्ददायी शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 3 तक संचालित पाठ्यक्रम को समीक्षा तक सीमित रखा गया।

**न्यादर्श** – प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु न्यादर्श निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया-

बाँसवाड़ा जिले के आठ विकास खण्डों की सूची बनाकर यादचिक विधि द्वारा एक विकास खण्ड का चयन किया गया। जिसमें से 5 विद्यालयों का चयन किया गया। प्रत्येक विद्यालय में से एक महिला एवं एक पुरुष शिक्षकों (कुल 10 शिक्षक) का चयन किया गया तथा 5 संस्थाप्रधानों का चयन किया गया। पर्यवेक्षकों के अभिमत जानने हेतु 5 पर्यवेक्षकों का चयन किया गया। अभिभावकों के अभिमत जानने हेतु कुल 10 अभिभावकों का चयन किया गया, जिसमें महिला व पुरुष अनुपात अनिश्चित किया गया।

**शोध विधि** – प्रस्तुत शोध में 'सर्वेक्षण विधि' का प्रयोग किया गया।

**उपकरण** – प्रस्तुत शोध अध्ययन में स्वनिर्मित साक्षात्कार प्रश्नावली का

प्रयोग किया गया।

**शोध प्रयुक्त तकनीकि (सांख्यिकी)** – प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा 'प्रतिशत' सांख्यिकी का प्रयोग किया गया।

**निष्कर्ष** – यहाँ उद्देश्यों के अनुसार दत्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं-

**आनन्ददायी शिक्षा में 'भविष्य हेतु सुझाव' क्षेत्र के सम्बन्ध में अध्यापकों, संस्थाप्रधानों, पर्यवेक्षकों तथा अभिभावकों का अभिमत ज्ञात करना :**

1. शत प्रतिशत पर्यवेक्षकों व संस्थाप्रधानों, 45 प्रतिशत शिक्षकों तथा 60 प्रतिशत अभिभावकों का अभिमत है कि भविष्य में आनन्ददायी शिक्षा अनवरत चलती रहेगी। 20 प्रतिशत अभिभावकों व 30 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि भविष्य में आनन्ददायी शिक्षा 10 वर्ष और चलेगी। 10 प्रतिशत अभिभावकों व 20 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि भविष्य में 5 वर्ष और चलेगी, परन्तु 10 प्रतिशत अभिभावकों व 5 प्रतिशत शिक्षकों का मानना है कि 5 वर्ष के भीतर आनन्ददायी शिक्षा बिल्कुल बंद हो जायेगी।
2. शत प्रतिशत संस्थाप्रधानों, पर्यवेक्षकों, शिक्षकों तथा 90 प्रतिशत अभिभावकों का अभिमत है कि भविष्य में आनन्ददायी शिक्षा का स्वरूप विकासात्मक होगा, परन्तु इसके विपरीत 10 प्रतिशत अभिभावकों का मत है कि शिक्षकों की कत्तव्यनिष्ठा की कमी के चलते आनन्ददायी शिक्षा का सम्प्रत्यय ही समाप्त हो जायेगा।
3. शत प्रतिशत शिक्षकों, पर्यवेक्षकों, संस्थाप्रधानों तथा अभिभावकों का अभिमत है कि आनन्ददायी शिक्षा का पाठ्यक्रम का स्तर उच्च हो पाएगा।
4. 40 प्रतिशत संस्थाप्रधानों, 60 प्रतिशत पर्यवेक्षकों, 98 प्रतिशत शिक्षकों तथा 84 प्रतिशत अभिभावकों का अभिमत है कि भविष्य में अध्यापकों का प्रशिक्षण सतत् हो जाएगा, परन्तु इसके विपरीत 2 प्रतिशत शिक्षक व 16 प्रतिशत अभिभावक इससे सहमत नहीं हैं।
5. 60 प्रतिशत संस्थाप्रधानों, 80 प्रतिशत पर्यवेक्षकों, 84 प्रतिशत शिक्षकों तथा शत प्रतिशत अभिभावकों का अभिमत है कि प्रशिक्षण में नवीनतम शिक्षा तकनीकि का प्रयोग होगा, परन्तु इसके विपरीत 40 प्रतिशत संस्थाप्रधान, 20 प्रतिशत पर्यवेक्षक तथा 10 प्रतिशत शिक्षक इससे असहमत हैं।
6. शत प्रतिशत संस्थाप्रधानों, पर्यवेक्षकों, शिक्षकों तथा अभिभावकों का अभिमत है कि भविष्य में बालक-बालिकाओं का नामांकन शत् प्रतिशत हो गया।
7. शत प्रतिशत संस्थाप्रधानों, पर्यवेक्षकों, शिक्षकों तथा 80 प्रतिशत अभिभावकों का अभिमत है कि भविष्य में विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था में बालक ढण के भय से मुक्त हो गया, परन्तु इसके विपरीत 20 प्रतिशत अभिभावक इससे असहमत हैं।
8. 40 प्रतिशत संस्थाप्रधानों, 60 प्रतिशत पर्यवेक्षकों, 58 प्रतिशत शिक्षकों तथा 82 प्रतिशत अभिभावकों का अभिमत है कि भविष्य में विद्यार्थियों पर से बरते का बोझ कम हो पायेगा, परन्तु 60 प्रतिशत प्रधानाध्यापक, 40 प्रतिशत पर्यवेक्षक, 32 प्रतिशत शिक्षक व 18 प्रतिशत अभिभावक इससे असहमत हैं।
9. 40 प्रतिशत संस्थाप्रधानों, 60 प्रतिशत पर्यवेक्षकों, शत प्रतिशत शिक्षकों तथा शत प्रतिशत अभिभावकों का यह मानना है कि भविष्य

- में आनन्ददायी शिक्षा हेतु सहायक सामग्री आधुनिक तथा पर्याप्त मात्रा में प्रदान की जाएगी, परन्तु इसके विपरीत 60 प्रतिशत प्रधानाध्यापक, 40 प्रतिशत पर्यवेक्षक इससे असहमत हैं।
10. शत प्रतिशत संस्थाप्रधानों, पर्यवेक्षकों, शिक्षकों तथा 84 प्रतिशत अभिभावकों का अभिमत है कि भविष्य में आनन्ददायी शिक्षा माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध कर पाएगी, परन्तु इसके विपरीत 16 प्रतिशत अभिभावक इससे असहमत हैं।
  11. शत प्रतिशत संस्थाप्रधानों, पर्यवेक्षकों, शिक्षकों तथा 84 प्रतिशत अभिभावकों का अभिमत है कि भविष्य में पर्यवेक्षकों व अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण और अधिक सुझावात्मक, सुधारात्मक एवं नियमित हो गया, परन्तु इसके विपरीत 16 प्रतिशत अभिभावक इससे असहमत हैं।
  12. 40 प्रतिशत संस्थाप्रधानों, 60 प्रतिशत पर्यवेक्षकों, 58 प्रतिशत शिक्षकों तथा 68 प्रतिशत अभिभावकों का अभिमत है कि भविष्य में आनन्ददायी शिक्षा योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों पर शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्यों का बोझ नहीं रहेगा, परन्तु इसके विपरीत 60 प्रतिशत प्रधानाध्यापक, 40 पर्यवेक्षक, 42 प्रतिशत शिक्षक तथा 32 प्रतिशत अभिभावक इससे असहमत हैं।

**आनन्ददायी शिक्षण के अन्तर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अध्ययन करना** – बच्चों को समय-समय पर मनोरंजन हेतु बाल-गीत, छोटी कविताएं आदि का सख्त गायन कराया जाता है। साथ ही खेलों का आयोजन होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की ढोड़, खो-खो, कबड्डी, वॉलिबॉल, गोलफेंक, अत्याक्षरी आदि खेल खिलाये जाते हैं। गाँवों में ऐलै निकाली जाती है।

### आनन्ददायी शिक्षा के सम्बन्ध में आवी संभावनाओं के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष

1. भविष्य में आनन्ददायी शिक्षा और अच्छी तरह से चल पायेगी।
2. शिक्षण हेतु अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया।
3. बच्चों का नामांकन व ठहराव शत् प्रतिशत हो पायेगा।
4. सहायक सामग्री का स्तर उच्च हो पायेगा।
5. अध्यापकों को सतत् प्रशिक्षण दिया गया।
6. प्रशिक्षित अध्यापकों की ही नियुक्ति शिक्षक के रूप में की जायेगी।
7. आनन्ददायी शिक्षण के प्रति अभिभावक भी जागरूक हो सकेंगे।
8. उच्च माध्यमिक स्तर तक यह योजना लागू की जायेगी।
9. पोषाहार का स्तर सुधारने हेतु विभिन्न प्रयास किये जायेंगे।

### आनन्ददायी शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव

1. अध्यापकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य में संलग्न न किया जाए जैसे- पल्स पोलियो, टीकाकरण, राशन कार्ड बनाना, जनगणना करना, पशुगणना करना ताकि यह समय विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने में दिया जा सके।
2. अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए समय-समय पर स्लोगन, पोस्टर, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता पैदा की जाए।
3. विद्यार्थियों को खेलकूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित कर प्रोत्साहन हेतु पुरस्कृत किया जाए।
4. पोषाहार कार्यक्रम की गुणवत्ता एवं विविधता को बेहतर बनाया जाए।
5. विद्यार्थियों पर से बस्ते का बोझ कम किया जाए तथा खेल-खेल में

शिक्षण की व्यवस्था की जाए।

6. विद्यालयों की गाँव से दूरी कम की जाय।
7. विद्यालय को भयमुक्त वातावरण में तब्दील किया जाए।

### शैक्षिक निहितार्थ

**संस्थाप्रधान, पर्यवेक्षक एवं अध्यापकों की दृष्टि से** - सरकार ने आनन्ददायी शिक्षा की संकल्पना को ध्यान में रखकर जिन उद्देश्यों का निर्माण किया है, यदि उसके अनुसार क्रियान्विति की जाए और सभी अपने कर्तव्यों व दायित्वों का पालन ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से करें तो निःसन्देह इसके परिणाम आवश्यकतानुरूप प्राप्त हो सकते हैं।

**राज्य सरकार की दृष्टि से** - राज्य सरकार के प्रयास शिक्षा को आनन्ददायी, प्रभावी तथा गुणवत्ता युक्त बनाने हेतु होने चाहिए। इस हेतु सरकार विभिन्न योजनाएं बनाने के साथ-साथ क्रियान्विति भी करें तभी गिजूआई की सुझावी आनन्ददायी शिक्षा राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे देश में अपनी अमिट छाप बना सकती है, किन्तु इसके लिए सरकार को उदारता से व्यय करना होगा और समय-समय पर क्रियान्विति की समीक्षा कर तद्दुरूप परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करना होगा।

### आवी अनुसंधान हेतु सुझाव

1. राजस्थान एवं गुजरात में चल रही आनन्ददायी शिक्षा की क्रियान्विति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. राजस्थान एवं मध्यप्रदेश में चल रही आनन्ददायी शिक्षा की क्रियान्विति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. 'नन्हीं-कली योजना' की क्रियान्विति का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
4. 'शिक्षा-लहर योजना' की क्रियान्विति का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
5. डी.पी.इ.पी. एवं आनन्ददायी शिक्षा योजना की क्रियान्विति का समीक्षात्मक अध्ययन करना।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. आनंद, कु. अरुणा, (1982), 'प्रायोगिक योग शिक्षा' आनंद प्रकाशक, नई-दिल्ली, प्रथम संस्करण।
2. ओड., लक्ष्मीलाल के (1990), 'शिक्षा के नूतन आयाम' जयपूर राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
3. राय, पारसनाथ (1993), 'अनुसंधान परिचय', विनोद पुस्तक मंडिर, आगरा।
4. राय, पारसनाथ (1999): अनुसंधान परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा -3।
5. त्रिपाठी, लालवचन (2002); 'मनोवैज्ञानिक अनुसंधान पद्धतियाँ', एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
6. सारस्वत, मालती (2003), शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा, लखनऊ, आलोक प्रकाशन।
7. कुलश्रेष्ठ, एम.पी. (2005), शिक्षा मनोविज्ञान आर.लाल बुक डिपो मेरठ
8. भटनागर, ए. बी. एवं भटनागर, मीनाक्षी (2005); 'मापन में सांख्यिकी'; विनय रखेजा, मेरठ।
9. शर्मा, आर.ए (2006), शिक्षा अनुसंधान आर.लाल बुक डिपो मेरठ।
10. शर्मा, जी., और भार्गव (2006), शिक्षा मनोविज्ञान, आगरा, एच.पी. भार्गव बुक हाउस

# Women's Political Participation in India : Global to National

Dr. Kaniya Meda\*

**Introduction** - From the local to the global level, women's leadership and political participation are restricted. Women are underrepresented as voters, as well as in leading positions, whether in elected office, the civil service, the private sector or academia. This occurs despite their proven abilities as leaders and agents of change, and their right to participate equally in democratic governance. Women face several obstacles to participating in political life. Structural barriers through discriminatory laws and institutions still limit women's options to run for office. Capacity gaps mean women are less likely than men to have the education, contacts and resources needed to become effective leaders. As the 2011 UN General Assembly resolution on women's political participation notes, "Women in every part of the world continue to be largely marginalised from the political sphere, often as a result of discriminatory laws, practices, attitudes and gender stereotypes, low levels of education, lack of access to health care and the disproportionate effect of poverty on women." Individual women have overcome these obstacles with great acclaim, and often to the benefit of society at large. But for women as a whole, the playing field needs to be level, opening opportunities for all.<sup>1</sup>

No doubt today, there is considerable increase in the percentage of women as voters. The participation of women as voters is almost equal to men. But the political participation (as a whole) of the women is not equal to men and so they are still not able to get a share equivalent to men in organisation that require decision making. Still politics is dominated by men at every level of participation and women have not been regarded as significant part of the political arena. The representation of women as policy formulators and decision makers in the legislative bodies is very low. In legislative bodies women have been demanding more space but most nations in the world have failed in providing due space as well as representation to women in their political system.

Thus, from local level to global level, leadership and participation of the women in the political fields are always compromised. Women are always underrepresented in leading positions, whether in civil services, academia, elected offices or private sector. Such kind of situation prevails despite their abilities and capabilities which has

been proved as leaders and their right of participating at par with men in democratic governance. Women are moving equally with men only in a handful of countries, like Germany, Sweden, Norway, Denmark and Finland. In these countries, substantial inroads are being made by the women into decision making process. Female presence in legislature remains small and relatively insignificant in the advanced countries like Western Europe and North America. It is indicated by the statistics (2010) that the world average of representation of women in legislature is 19.1%, in both the houses combined. It is 19.3% in lower house and 18.2% in upper house. As of 1 October, 2013, only 21.4 percent of national parliamentarians were women, a slow increase from percentage in 2010.<sup>2</sup>

## Chart No. 1 (see in last page)

According to the data released by the Inter-Parliamentary Union (IPU), an international group that works for promoting democracy, peace and co-operation in the world. India lags behind many countries, including its neighbours Pakistan and Nepal, when it comes to women's participation in politics. This being the dismal scenario, we were curious to see how India held up against the rest of the world in women's representation. Women in national parliaments (directly elected lower Houses) across the world from the Inter Parliamentary Union, an international organisation of Parliaments, to situate India's position on this yardstick. So where does India figure in the world rankings? Way down at 103 among the 141 ranks listed for 190 countries that we have data for. That is hardly a position to be proud of!<sup>3</sup>

Worldwide, the highest percentage of women in the parliament is in Rwanda. Women there in the lower house, have won 56.3 percent of the seats. As of October 1, 2013, there are: Nordic countries at 42%, followed by America at 24.8%, Europe (excluding the Nordic Countries) at 22.8%, Sub-Saharan Africa at 21.1%, Asia at 19.1%, Arab States at 17.8% and the lowest in the Pacific at 13.1%. For representation of women in political arena, 30% is extensively considered the "critical mass" mark. This benchmark had been obtained by 37 countries including 11 in Africa as of 1 October 2013. Some form of quotas had been applied by 29 countries out of the 37 countries opening space for the political participation of women. 24.6

\* Lecturer, SOS in Political Science and Public Administration, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

percent of the seats are held by women in countries with proportional electoral systems. Using the plurality majority electoral system and a mixed system, this compares with 18.5% and 21.5% respectively. Among the individual countries, the first rank was of Rwanda with 56.3% of women in the parliament, followed by Andorra at 50%, Cuba at 48.9% and Sweden with 44.7.0%.

Comparatively, our neighbouring countries such as China and Pakistan are in much better position regarding representation of women in various legislatures with 23.4% and 20.7% respectively. However, at parliamentary floor, the representation of Indian women is still far from satisfactory. India ranks 110th in the world according to the data released by the Inter-Parliamentary Union, an international group that works for the promotion of democracy, peace and co-operation in the world. The above-stated statistics reveal that India lags behind many countries including its neighbouring countries Pakistan, China and Nepal, when it comes to women's participation in the politics.<sup>4</sup>

#### **Chart No. 2 (see in last page)**

Disappointed by the grimness, if we look closer home in the South Asia region. Surely, India stands tall here, given its leadership and usually better record of democracy in the SAARC region? Turns out, no. Just one glance at the graph no. 2 above, know how far down India is in where women parliamentarians are concerned. Of the 8 SAARC countries, India's position is a ignominious 5<sup>th</sup>. Nepal with 29.5% women leads the SAARC group, followed by Afghanistan with 27.7% MPs. Pakistan and Bangladesh at 20% each, ensure much better representation for women in their parliament. There is some catching up to do for India within the region to ensure gender equity in the highest elected body of the country.

#### **Chart No. 3 (see in last page)**

When SAARC offered no solace, look at the BRICS countries and India's position therein. BRICS, the emerging power pack of Brazil, Russia, India, China, and South Africa. India, here, stands 4<sup>th</sup> among these countries, with only Brazil with a mere 9% women, that fares worse than us. South Africa, which is among the top ten countries in the world in terms of the number of women MPs could perhaps offer some valuable lessons to the rest in the group.<sup>5</sup>

Women have, however, not found adequate representation in the Lok Sabha. The percentage of elected women Lok Sabha members has never exceeded 12 per cent. Table 1 shows representation of women in Lok Sabha since 1952. Average number of women representation in Lok Sabha works out to only 36.87 and average percentage of women representation in Lok Sabha is not more than 6.91 per cent.

#### **Table 1 : Women Presence in the Lok Sabha**

| Year | Seats | Women MPs | % of Women MPs |
|------|-------|-----------|----------------|
| 1952 | 499   | 22        | 4.41           |
| 1957 | 500   | 27        | 5.40           |
| 1962 | 503   | 34        | 6.76           |
| 1967 | 523   | 31        | 5.93           |

|                |              |              |             |
|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1971           | 521          | 22           | 4.22        |
| 1977           | 544          | 19           | 3.29        |
| 1980           | 544          | 28           | 5.15        |
| 1984           | 544          | 44           | 8.9         |
| 1989           | 517          | 27           | 5.22        |
| 1991           | 544          | 39           | 7.17        |
| 1996           | 543          | 39           | 7.18        |
| 1998           | 543          | 43           | 7.92        |
| 1999           | 543          | 49           | 9.02        |
| 2004           | 543          | 45           | 8.03        |
| 2009           | 543          | 59           | 10.86       |
| 2014           | 543          | 61           | 11.23       |
| <b>Average</b> | <b>531.6</b> | <b>36.87</b> | <b>6.91</b> |

**Source: Election Commission of India**

#### **Table 2 : Women Presence in the Rajya Sabha**

| Year           | Seats         | No. of Women | % of Women  |
|----------------|---------------|--------------|-------------|
| 1952           | 219           | 16           | 7.3         |
| 1957           | 237           | 18           | 7.6         |
| 1962           | 238           | 18           | 7.6         |
| 1967           | 240           | 20           | 8.3         |
| 1971           | 243           | 17           | 7.0         |
| 1977           | 244           | 25           | 10.2        |
| 1980           | 244           | 24           | 9.8         |
| 1985           | 244           | 28           | 11.4        |
| 1990           | 245           | 38           | 15.5        |
| 1996           | 223           | 20           | 9.0         |
| 1998           | 223           | 19           | 8.6         |
| 2004           | 245           | 27           | 11.1        |
| 2009           | 245           | 22           | 8.97        |
| 2014           | 245           | 29           | 11.83       |
| <b>Average</b> | <b>238.21</b> | <b>22.92</b> | <b>9.62</b> |

**Source: Election Commission of India**

The presence of women in the Upper House has been only slightly higher overall, probably due to indirect elections and nomination of some women members. It was highest in 1990 at 15.5 per cent and shows a declining trend thereafter. Nonetheless, this representation does not even come close to the 33 per cent marks (Table 2). It is significant to note that the Deputy Chairperson of the Rajya Sabha at least for more than 25 years has been a woman, yet women face increasing competition from male politicians for nomination.

#### **Table 3 : Women Contestants**

| Year | Male  | Female | Total | % of Male Winning | % of Female Winning |
|------|-------|--------|-------|-------------------|---------------------|
| 1952 | 1831  | 43     | 1874  | 26.05             | 51.16               |
| 1957 | 1473  | 45     | 1518  | 31.7              | 60.00               |
| 1962 | 1915  | 70     | 1985  | 24.0              | 50.00               |
| 1967 | 2302  | 67     | 2369  | 21.3              | 44.80               |
| 1971 | 2698  | 86     | 2784  | 18.5              | 24.40               |
| 1977 | 2369  | 70     | 2439  | 22.1              | 27.10               |
| 1980 | 4478  | 142    | 4620  | 11.5              | 19.7                |
| 1984 | 5406  | 164    | 5574  | 9.2               | 25.60               |
| 1989 | 5962  | 198    | 6160  | 8.5               | 13.60               |
| 1991 | 8374  | 325    | 8699  | 5.9               | 12.00               |
| 1996 | 13353 | 599    | 13952 | 3.8               | 6.70                |

|      |      |     |      |      |       |
|------|------|-----|------|------|-------|
| 1998 | 4476 | 274 | 4750 | 11.2 | 15.70 |
| 1999 | 3976 | 278 | 4254 | 12.3 | 17.30 |
| 2004 | 5080 | 355 | 5435 | 9.8  | 12.30 |
| 2009 | 2514 | 556 | 8070 | 6.44 | 10.61 |
| 2014 | 7527 | 636 | 8163 | 6.39 | 9.74  |

**Source: Election Commission of India**

The number of women contesting election has always been low, as may be seen from Table 3. The highest number of women contestants has been merely 636 in 2014, while the number of male contestants has always been in thousand, the highest being 13,353 in 1996. Yet it is encouraging to note that the percentage of winners among women has consistently been more than that of the men, notwithstanding the fact that more often than not, the losing seats are offered to women candidates by the respective political parties. For example, in 1996, only 3.8 per cent of male candidates won, in comparison to 6.7 per cent of female candidates. Likewise, the percentage of winners was 11.2 per cent for men and 15.7 per cent for women in 1998, 12.3 per cent and 17.3 per cent in 1999, 6.44 per cent and 10.61 per cent in 2009 and 6.39 per cent and 9.74 per cent, respectively in 2014 (16th Lok Sabha).

This scenario is also typically at the state level. There are only a few instances of women holding portfolios of finance, industry, etc., and are mainly relegated to what are considered 'women specific' departments. The source reveals that the highest percentage of women in the State Legislative Assemblies has been 10.8 per cent in 1957 in Madhya Pradesh. Haryana has had the highest average of women in the Assembly at 6.1 per cent and Manipur, the lowest at 0.3 per cent. The period average varies between a mere two per cent and six per cent. Significantly, there seems to be slight or no correlation between literacy and female representation. Kerala, with its high literacy rate, has a low state average of 3.6 per cent. Even Rajasthan and Bihar has higher averages at 4.7 per cent and 4.5 per cent respectively.

The representation of women in the Union Council of Ministers between 1985 and 2014 is shown in the table 4. The data show that women have remained poorly represented in Council of Ministers.<sup>6</sup>

**Table 4 (see in last page)**

India as a welfare State is committed to the welfare and development of its people in general and of vulnerable sections in particular. Though Indian Constitution and various other legislative enactments and different

Commissions established for women from time to time have made a number of efforts for the achievement of the objective of gender equality, yet in actual practice, due rights are denied to women and they continue to be the victims of male domination. Violations of the rights of the women continue in practice. The women are lacking in position and power and are over represented amongst the poor.<sup>7</sup>

As a result, women lack in political participation, educational achievements thereby showing under-representation in employment spheres. It means that the planned efforts to emancipate women educationally, economically and particularly politically did not yield the desired results over the decades after independence. For this sorry state of affairs, many other factors are also responsible. History of freedom movement indicates very clearly that there was participation of a large number of women in that freedom movement. However, after that it went on decreasing due to the disappearance of the ideology of the Nehru-Gandhian era. The sharp decline in juvenile sex ratio; continuing high maternal mortality rate and infant mortality rate; high gender gap in literacy at all levels; high rate of dropouts of girl students; and increasing incidence of crime against women; inadequate access of women to the property rights and employment opportunities; and their less political participation and undernourishment raises many questions about the role of institutional machinery to implement the law.

**References :-**

1. <http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation#sthash.TeXfahN1.dpuf>.
2. Anita Chadha, "Political Participation of Women: A case study in India", OIDA International Journal of Sustainable Development, 07: 02, 2014, p.104.
3. <https://factly.in/women-in-parliament-where-does-india-figure-among-the-rest-world/>
4. Inter-Parliamentary Union, "Women in National Parliaments: World Average", <http://www.ipu.org/wmn-e/world.html>
5. <https://factly.in/women-in-parliament-where-does-india-figure-among-the-rest-world/>
6. Kuldeep Fadia, "Women's Empowerment through Political Participation in India" Indian Institute of Public Administration, Vol. LX, No. 3, July-September, 2014, pp.543-546.
7. Anita Chadha, "Political Participation of Women: A case study in India", op.cit. p.105.




**Chart No. 1 : Women Representation in India- Global Scale**

Chart No. 2 : SAARC: Indian Women Representation in %



Source: [www.facility.in](http://www.facility.in)

Chart No. 3 : BRICS: Indian Women Representation in %



Source: [www.facility.in](http://www.facility.in)

**Table 4 : Representation of Women in the Union Council of Minister (1985-2014)**

| Year  | Number of Ministers |                   |                 | Number of Women Ministers |                   |                 |
|-------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
|       | Cabinet Minister    | Minister of State | Deputy Minister | Cabinet Minister          | Minister of State | Deputy Minister |
| 1985  | 15                  | 25                | 0               | 1                         | 3                 | 0               |
| 1990  | 17                  | 17                | 5               | 0                         | 1                 | 1               |
| 1995  | 12                  | 37                | 3               | 1                         | 4                 | 1               |
| 1996  | 18                  | 21                | 0               | 0                         | 1                 | 0               |
| 1997  | 20                  | 24                | 0               | 0                         | 5                 | 0               |
| 1998  | 21                  | 21                | 0               | 0                         | 3                 | 0               |
| 2001  | 30                  | 7                 | 35              | 3                         | 2                 | 4               |
| 2002  | 31                  | 45                | 0               | 2                         | 5                 | 0               |
| 2004  | 28                  | 38                | 0               | 1                         | 6                 | 0               |
| 2009  | 34                  | 45                | 0               | 3                         | 5                 | 0               |
| 2014* | 23                  | 23                | 0               | 6                         | 1                 | 0               |

\* First phase of Narendra Modi's Council of Ministers, which took oath on May 26, 2014.

\*\*\*\*\*

## संगीत जगत के नवसृजीत कलाकार - संस्थाओं की देन

डॉ. ख्वाती तेलंग \*

**प्रस्तावना** - 'ऐके साथी सब सधी' — कविवर रहीम की यह उक्ति संगीत के संदर्भ में सटीक है। संगीत साधना का असर जीवन के हर पहलू पर पड़ता है और व्यक्तिको पूरी तरह बदल देता है। हमारा भारत सांस्कृतिक एकता व अखण्डता का प्रतीक है। यहाँ समय समय पर विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं। जिसमें संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हम संगीत की तीनों विधाओं (गायन, वादन, व नृत्य) की बात कर रहे हैं। इस संगीत परम्पराओं को आगे बढ़ाने में यहाँ की सरकारी, गैर सरकारी और व्यक्तिगत संस्थाओं का विशेष योगदान रहा है। सम्पूर्ण भारत वर्ष में प्रतिवर्ष कला जगत के अनेक नवीन कलाकार चर्चा में आते हैं। उन सभी कलाकारों के उद्दय होने के पीछे किसी न किसी संस्था का आधार तथा संस्था गुरुओं की मेहनत है, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी शिक्षा अधूरी है।

आरम्भ में घरानेदार कलाकारों द्वारा संगीत शिक्षा 'गुरु - शिक्षा परम्परा' के तहत ग्रहण करना ही संभव था, परन्तु व इतना आसन नहीं था। वर्षों गुरुजी के साथ रहकर उनकी आज्ञा पालन करके लम्बी समयावधी में शिष्य अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर पाता था। परन्तु वर्तमान समय में ऐसे शिष्य मिलना असंभव है। आधुनिक युग में शिक्षण के क्षेत्र में संस्थागत प्रणाली का विकास हुआ जिसके फलस्वरूप संगीत शिक्षा प्राप्त करना संगीत रसिकों के लिये सुनगम हो गया। संगीत में रुची रखने वाला विद्यार्थी असानी से इच्छित संस्था में प्रवेश लेकर अपना शिक्षण पूर्ण करने में समर्थ हो गया संगीत की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। इस परम्परा को आगे बढ़ाने में यहाँ की सरकारी, गैर सरकारी व व्यक्तिगत संस्थाओं का विशेष योगदान रहा है। इन संस्थाओं से प्रतिवर्ष कई छात्र-छात्राएँ संगीत (गायन, वादन, नृत्य) की उपाधि लेकर उत्तीर्ण हो रहे हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से छात्र डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, करके रोजगार के अवसर का लाभ ले रहे हैं और साथ ही संगीत के प्रति लोगों के मन में रुचि भी उत्पन्न हो रही है। संस्थाओं के माध्यम से जो संगीत कहीं गुम होता जा रहा था, उसे पुनः नया जीवन मिला है और आज उसका एक उच्च स्थान है।

संस्थाओं में संगीत की सभी विधाओं की शिक्षा दी जाती है। इस तरह एक ही स्थान पर समस्त विधाओं को सीखा जा सकता है। इन संस्थाओं में संगीत से संबंधित पुस्तके भी उपलब्ध रहती है। सम्पूर्ण भारत वर्ष में ऐसी अनेक संस्थाएँ हैं, जो संगीत के प्रचार-प्रसार में अपना योगदान दे रही हैं।

पंडित विष्णु दिग्म्बर पलुस्कर, पंडित विष्णु नारायण भातखण्डे, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर, कवी लल्थोल नारायण मेनन, झुकिमणीदेवी अखण्डल, मेडम मेनका, उदयशंकर आदि अनेक विभूतियों ने अपना सम्पूर्ण जीवन भारतीय संगीत के उत्थान के लिये समर्पित कर दिया। उन्हीं के सतत् प्रयासों का परिणाम है कि भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, गांधर्व

महाविद्यालय, प्रयाग संगीत समिति, शान्ति निकेतन, कलाकौशल, केरल कला मण्डपम जैसी आदर्श संस्थाएँ अस्तित्व में आई।

शिक्षण, सृजन व प्रदर्शन का एक नया दौर चला जिससे सम्पूर्ण विश्व हमारी महान संगीतिक परम्परों से परिचित हो सका।

हमारी राष्ट्रीय सरकार में कला, साहित्य संस्कृति की महता को स्वीकारा तथा उसकी उन्नती के लिये केन्द्र तथा प्रदेशों में पृथक से सांस्कृतिक विभागों की स्थापना की, जो विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों तथा संस्थाओं का संचालन करता है।

सन् 1953 में भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई जो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है। इसी आधार पर राज्य सरकार द्वारा भी प्रान्तीय स्तर की संगीत नाटक अकादमी की स्थापनाएँ की गई। दिल्ली कथक केन्द्र के समान ही कथन नृत्य के दो प्रमुख घराने जिन नगरों के नाम से जाने जाते हैं, यानि लखनऊ व जयपुर में वहाँ की सरकार ने कथक केन्द्रों की स्थापना की। मध्यप्रदेश सरकार ने भी रायगढ़ की कथक परम्परा को प्रोत्साहित करने हेतु भोपाल में चक्रधर नृत्य केन्द्र स्थापित किया। इसी प्रकार संगीत संबंधी अकादमियाँ और संस्थान जैसे-उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत अकादमी (भोपाल), राजस्थान संगीत संस्थान, भारत भवन (भोपाल) जवाहर केन्द्र (जयपुर) इन्दिरा गाँधी सेंटर फार, आर्ट्स आदि ललित कलाओं को समर्पित देश के प्रथम विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 1956 में खैरागढ़ में हुई। रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता में स्थापित हुआ। इसी प्रकार देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्रमशः संगीत विभाग स्थापित हुए। संगीत व नृत्य शिक्षा के क्षेत्र में अनेक निजी संगीत व नृत्य विद्यालय चल रहे हैं जिनमें से कुछ संस्थाओं ने तो अन्तर्राष्ट्रीय रूपाति भी अर्जित की है तथा अनेक उच्च कोटि के कलाकार दिये हैं, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर अपने गुरुजनों का व भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ कुछ कलाकारों के नाम व उनकी संस्थाओं के नाम से अवगत कराने का मैंने प्रयास किया है जिन्होंने वर्तमान में गायन, वादन व नृत्य कला से भारत वर्ष को पूरे विश्व में पहचान दी है।

1. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़- डॉ विभा ढाईच, डॉ. लता मुंशी, श्री सुरेश धर्माधिकारी, आरती सिंह, अपूर्व सोहोनी, सविता गोडबोले,
2. उस्ताद अलाउद्दीन खाँ अकादमी (भोपाल)
- धृपद केन्द्र- श्री रमाकान्त गुन्डेचा, श्री उमाकान्त गुन्डेचा, श्री अखिलेश गुन्डेचा, श्री उदय भवालकर, श्री मनोज सराफ़।
- चक्रधर नृत्य केन्द्र- डॉ. विजया शर्मा, डॉ. सुचित्रा हरमलकर, आरती

- सिंह, यारिमन सिंह।
3. प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद-सविता गोडबोले, श्री नटराज मध्यकर जगताप
  4. गांधर्व महाविद्यालय- जयश्री शशीकांत तांबे।
  5. रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता – श्रीमती डालिया ढत्ता,
  6. कथक केन्द्र नई दिल्ली-पं. प्रताप पंवार, शाश्वती सेन, मालती श्याम
  7. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, झोपाल-डॉ. रशिम राठौर।
  8. श्रीकृष्ण संगीत महाविद्यालय, इन्दौर- श्रीमती सुवर्णा तावसे, श्री रामजी बड़ौदिया, श्रीमती वंदना जर्मीदार, श्री अरविन्द अविन्होत्री, सुश्री विजया खड़ीकर, उर्मिला कश्यप, श्री प्रकाश चौहान।
  9. शिशु नटराज नृत्यकला मंदिर इन्दौर-नौशाढ अब्दुल (राष्ट्रपति अवार्ड- कलारनेट)
  10. माधव संगीत महाविद्यालय उज्जैन-श्री सुधाकर देवले, श्री हीरासिंह बोरलिया, श्री महेश मोयल, श्री रविन्द्र परचुरे, श्री बंदू पिंगे, श्री रमाकान्त दुबे, श्री गोपाल आपटे, श्रीमती अर्चना तिवारी, श्रीमती सुचित्रा पंडित।

ये सभी कलकार गायन से संबंधित है।

पंडित श्री नृसिंहदास महन्त, श्री नानूराम जी आर्य, श्री रामदास शेंडे, श्री बालकृष्ण मंहत, श्री राजेन्द्र आर्य। ये सभी कलकार तबला वाद्दन से संबंधित है।

श्री पुरु छाथीच, श्री राजकुमुद ठोलिया, श्रीधर व्यास, श्री हीरालाल जौहरी, श्रीमती रंजना अष्टपुत्री। ये सभी कलकार कथक नृत्य से संबंधित है। कला जगत में और भी अनेक उच्च कोटी के कलाकार हुऐ परन्तु सभी का विवरण देना संभव नहीं है।

आज हम विज्ञान और औद्योगिकी के मामले में संसार के अन्य उच्चत देशों से चाहे बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, किन्तु जिन दो विषयों में सारा संसार भारत के आगे नत-मस्तक है, उनमें से एक हमारी आध्यात्मिक परम्परा और दूसरी हमारी सांगीतिक परम्परा है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।



# जनजाति क्षेत्र के छात्र-छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली के विभिन्न स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. वनिता त्रिवेदी \*

**शोध सारांश** – प्रस्तुत अनुसंधान कार्य का मुख्य लक्ष्य जनजाति क्षेत्र के छात्र-छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली के विभिन्न स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करना था। शोधार्थी ने शोधकार्य हेतु शोध में न्यादर्श के रूप में शोधार्थी ने उदयपुर शहर के चार माध्यमिक विद्यालयों का चयन यादचिक प्रतिचयन विधि से किया तथा इन चारों विद्यालय में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में लिया गया। शोधार्थी ने दत्त संकलन के लिए ओटमैन, रस्किन व विटकीन का मानकीकृत उपकरण का प्रयोग किया।

दत्त संकलन के पश्चात् उनको सारणीयन करते हुए आँकड़ों का विश्लेषण आवृत्ति एवं एवं अरेख प्रदर्शन के आधार पर किया गया। निष्कर्षतः जनजाति क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली के विभिन्न स्तरों में सार्थक अन्तर पाया गया है।

**शब्द कुंजी** – जनजाति, संज्ञानात्मक शैली के विभिन्न स्तर

## समस्या का उद्भव :

पुष्पा, वधमा (1980) ने प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संज्ञानात्मक शैली पर सामाजिक वर्चन के प्रभाव का अध्ययन, पाण्डे (1970) ने अधिस्नातक वर्ग के 70 लड़के व 70 लड़कियों के प्रतिदर्श पर एम्बेडिड फिगर प्रशिक्षण का प्रशासन किया,

गुमैन (1977) ने 11-12 वर्ष के मध्यम वर्ग (Middle Class) तथा श्रमिक वर्ग (Working Class) के प्रयोज्यों के प्रतिदर्श पर तुलनात्मक अध्ययन, सिन्हा (1979) ने ग्रामीण एवं शहरी तथा विद्यालय एवं अविद्यालयी (School and Non-School) बच्चों के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन, दानी (1984) ने अपना शोध अध्ययन शहरी कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में से 505 विद्यार्थियों का यादचिक (Random) विधि के आधार पर चयनित प्रतिदर्श पर किया, कुमार (1984) ने विभिन्न विषयों (Streams) में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली के सम्बन्ध का अध्ययन, पटेल दीपक (2005) ने अपना शोध गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का यादचिक विधि के आधार पर चयनित प्रतिदर्श पर किया। अध्ययन के निष्कर्ष में कक्षा 11वीं के गणित के विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली में क्षेत्रीय परतंत्रता वाले विद्यार्थियों की संख्या क्षेत्रीय स्वतंत्रता वाले विद्यार्थियों से ज्यादा है तथा छात्राएँ छात्रों की तुलना में अधिक क्षेत्रीय स्वतंत्र है। मलिक, प्रज्ञा (2006)

ने प्रभावी PPP का विद्यार्थियों (जीव विज्ञान कक्षा 9) की धारण क्षमता पर प्रभाव का अध्ययन किया, हेलाईया, शीतल (2004) ने छात्राध्यापकों के सांख्यिकी शिक्षण में CAI पैकेज की प्रभावशीलता पर अध्ययन किया।

अन बीसालेय, डन, व्यूइन, बुचानन (1997) विशिष्ट शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा दोनों तरह के छात्रों की पठन उपलब्धि का अध्ययन कोर्बोनारो, वर्दन (2001) ने आगमन प्रक्रिया से सूचनाओं की धारणा शक्ति बढ़ाने संबंधी अध्ययन आदि से शोधार्थी ने पाया कि अभी तक जनजाति छात्र छात्राओं के संज्ञानात्मक शैली के विभिन्न स्तरों से संबंधित शोध कार्य नहीं हुआ अतः यह एक नवीन व प्रासंगिक शोधकार्य है।

## उद्देश्य :-

1. संज्ञानात्मक शैली के विभिन्न स्तरों का पता लगाना।
2. जनजाति क्षेत्र के छात्रों की संज्ञानात्मक शैली के विभिन्न स्तरों का पता लगाना।
3. जनजाति क्षेत्र के छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली के विभिन्न स्तरों का पता लगाना।
4. जनजाति क्षेत्र के छात्र-छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली के विभिन्न स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

## परिकल्पना :-

1. जनजाति क्षेत्र के छात्र-छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली के विभिन्न स्तरों में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

## अनुसंधान का विधिशास्त्र

1. प्रस्तुत शोध में शोध की प्रकृति को देखते हुए शोधार्थी ने सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया।
2. दत्त संकलन हेतु ओटमैन, रस्किन व विटकीन का मानकीकृत उपकरण का प्रयोग किया गया।
3. अनुसंधान कार्य के लिए न्यादर्श स्वरूप उदयपुर शहर के चार माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में लिया गया।

## सारणीयन एवं विश्लेषण :-

सारणी संख्या 1 : GEFT के अंक का वर्ग अन्तराल व संज्ञानात्मक शैली के स्तर

| क्र. | वर्ग अन्तराल | संज्ञानात्मक शैली के स्तर                     |
|------|--------------|---|
| 1.   | 0-3          | अति उच्च क्षेत्रीय परतंत्रता (VHFD)           |
| 2.   | 4-7          | उच्च क्षेत्रीय परतंत्रता (HFD)                |
| 3.   | 8-11         | क्षेत्रीय केन्द्रित समूह (Field Central Peer) |
| 4.   | 12-15        | उच्च क्षेत्रीय समूह (HFI)                     |
| 5.   | 16-18        | अति उच्च क्षेत्रीय स्वतंत्रता (VHFI)          |

\* अम्बिका कॉलोनी, नक्षत्र मॉल के पीछे, बांसवाड़ा (राजस्थान) भारत

शोधार्थी द्वारा विश्लेषण का कार्य सारणी संख्या 1 के आधार पर किया गया।

### सारणी संख्या 2 : जनजाति क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली के विभिन्न स्तरों का पता लगाना

| क्र. | वर्ग अन्तराल | संज्ञानात्मक शैली के स्तर | आवृत्ति    | आवृत्ति प्रतिशत |
|------|--------------|---------------------------|------------|-----------------|
| 1.   | 0-3          | VHFD                      | 21         | 20.0            |
| 2.   | 4-7          | HFD                       | 28         | 26.66           |
| 3.   | 8-11         | FCP                       | 26         | 24.76           |
| 4.   | 12-15        | HFI                       | 22         | 20.95           |
| 5.   | 16-18        | VHFI                      | 08         | 7.61            |
|      |              |                           | <b>105</b> | <b>99.98</b>    |

**व्याख्या** - सारणी संख्या 2 को अवलोकन करने से पता चलता है 20.0 प्रतिशत विद्यार्थी अति उच्च क्षेत्रीय परतंत्रता, 26.66 प्रतिशत विद्यार्थी उच्च क्षेत्रीय परतंत्रता, 24.76 प्रतिशत विद्यार्थी क्षेत्रीय केन्द्रित समूह, 20.15 प्रतिशत उच्च क्षेत्रीय स्वतंत्रता व 7.61 प्रतिशत विद्यार्थी अति उच्च क्षेत्रीय स्वतंत्रता वाले हैं।

### सारणी संख्या 3 : जनजाति क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली के विभिन्न स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

| क्र. | वर्ग अन्तराल | संज्ञानात्मक शैली के स्तर | छात्र     |                 | छात्राएँ  |                 |
|------|--------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
|      |              |                           | आवृत्ति   | आवृत्ति प्रतिशत | आवृत्ति   | आवृत्ति प्रतिशत |
| 1.   | 0-3          | VHFD                      | 10        | 15.62           | 11        | 26.82           |
| 2.   | 4-7          | HFD                       | 16        | 25.0            | 12        | 29.26           |
| 3.   | 8-11         | FCP                       | 18        | 28.12           | 8         | 19.51           |
| 4.   | 12-15        | HFI                       | 14        | 21.87           | 8         | 19.51           |
| 5.   | 16-18        | VHFI                      | 6         | 9.37            | 2         | 4.87            |
|      |              |                           | <b>64</b> | <b>99.98</b>    | <b>41</b> | <b>99.97</b>    |



**व्याख्या** - 15.62 प्रतिशत छात्र व 26.82 प्रतिशत छात्राएँ VHFD, 25 प्रतिशत छात्र व 29.26 प्रतिशत छात्राएँ HFD, 28.12 छात्र व 19.51 प्रतिशत छात्राएँ FCP, 21.87 प्रतिशत छात्र व 19.51 प्रतिशत छात्राएँ HFI व 9.37 प्रतिशत छात्र व 4.87 प्रतिशत छात्राएँ VHFI स्तर के हैं।

सारणी से छात्र और छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली के रस्तर व आवृत्ति प्रतिशत को आरेख में दर्शाया गया है। अतः आरेख से स्पष्ट है कि छात्राएँ छात्रों की तुलना में अधिक क्षेत्रीय स्वतंत्र हैं।

**वर्तमान में प्रासंगिकता** - प्रस्तुत आरेख के द्वारा जनजाति क्षेत्र के छात्र एवं छात्रा दोनों संज्ञानात्मक शैली के विभिन्न स्तरों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही जनजाति क्षेत्र के छात्र एवं छात्रा इसकी सहायता अपना मानसिक विकास बहुत सरलता से कर सकते हैं।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- Best, J.W. (1963). Research in Education. New Delhi: Prentice Hall of India.
- Carter, H.; Loo, R. (1980). Group Embedded Figures Test : Psychometric Data . Perceptual and motor skills, Vol. 50 pp. 32-34
- Good, C.V.(1959). Introduction of Educational Research. Second Edition, New York : Appleton Century Crafts Ins.
- Panek, Paul (1982). Relationship between field dependence-independence and personality in order adult females. Perceptual and motor skills, Vol. 54 pp. 811-814.
- Vockel, E.L. (1983). Educational Research. New York : McMillan Pub. Co. Inc.
- भटनागर, सुरेश (1995) 'शिक्षा मनोविज्ञान' मेरठ : आर.लाल बुक डिपो।
- भटनागर, आर.पी.; भटनागर, ए.बी. (1995) 'शिक्षा अनुसंधान' मेरठ : लॉयल बुक डिपो।
- ढौंडियाल, एस.एन.; फाटक, ए.बी. (1972) 'शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र' जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
- कपिल, ए.के. (2001) 'अनुसंधान विधि' आगरा : एच.पी. भार्गव हाउस।
- माथुर, एस.एस. : 'शिक्षा मनोविज्ञान' आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
- गुप्ता, एस.पी. (2003) 'सांख्यिकीय विधियाँ' इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।
- पाण्डे, के.पी. (2005) 'शैक्षिक अनुसंधान' आगरा : विश्वविद्यालय प्रकाशन।



\*\*\*\*\*

## Peace Education - Concept

Dr. Premlata Gandhi\*

**Introduction - Peace education** may be defined as the process of acquiring the values, the knowledge and developing the attitudes, skills, and behaviors to live in harmony with oneself, with others, and with the natural environment.

Global peace has become a major concern these days. There is a general restlessness in the entire world which is leading to widespread violence. Empathy for others, democratic living, secular values have been relegated to the background. In their place fundamentalism and terrorism have taken control of the world. Educational process seems to have lost track of the original purpose of bringing out the best in each individual. Instead, even schooling is seen as a part of the rat race for which we are preparing the posterity. Under these circumstances, there is a great need to reconsider our own objectives of education and ensure that the principles of right living and non-violence are incorporated into the process of Education. One such effort is reflected in the efforts to think of Peace Education as a part of the school curriculum.

Peace Education is relatively a new subject though earlier through value education we indirectly worked on peace education too. The NCF-2005 has proposed Peace Education as a conscious process to be incorporated in the school curriculum.

There is thus no shortage of official statements on the importance of peace education. There are numerous declarations or instruments which confirm the importance of peace education .Peace education as a right is something which is now increasingly emphasized by peace researchers. Nonviolent alternatives for managing conflict, and skills for critical analysis of structural arrangements that produce and legitimate injustice and inequality, are of great importance in today's scenario.

Researchers suggests peace education be thought of as "encouraging a commitment to peace as a settled disposition and enhancing the confidence of the individual as an individual agent of peace; as informing the student on the consequences of war and social injustice; as informing the student on the value of peaceful and just social structures and working to uphold or develop such social structures; as encouraging the student to leave the world and to imagine a peaceful future; and as caring for the student and encouraging the student to care for others"

IN THE 1950s the field of peace research was emerging in the universities and, while this has had little direct impact on teachers. The initial emphasis in peace research was on direct (personal) violence, that is violence directed by one person on to another as in the case of assault, torture, terrorism, or war, looking more at conflict than at peace, with the result that peace was defined negatively as merely the absence of war (negative peace). By the late 1960s and early 1970s researchers' attention was shifting from direct to indirect (structural) violence, that is the ways in which people may also suffer as a result of social, political, and economic systems. Instead of just being the absence of war, peace is now seen as involving co-operation and non-violent social change, aimed at creating more equitable and just.

### **Three Dimensions of the approach to Peace Education**

The three formative dimensions of the approach to peace education arise from this rationale of social need and educational responsibility. The three dimensions are the substantive problematic from which content is derived, a philosophy of education grounded in the role of education in social change, and a pedagogy that is consistent with the philosophy and most relevant to the problematic.

**1.** The Central Problematic is violence as it has been conceptualized and studied by peace research , outlining its systemic nature and its multiple manifestations. The substantive purposes of peace education are to provide a knowledge base drawn largely from peace research and based in a grounding of the relevant issues of peace, development, education and other academic disciplines. So, the knowledge is comprehensive and interdisciplinary in scope.

**2.** The Philosophy of peace education is seeking to prepare learners for active and responsible citizenship in the process of addressing the problematic. It is based on an inquiry into the normative principles (non-violence, human rights, social, economic, political and ecological justice, etc.) that inform peace education and asserts the need for an intentional interrelationship between pedagogy and content. One of its primary purposes is the development of agency, in the sense of the concept as articulated by most of the researchers, to capacitate learners to take action in the larger society.

**3.** The Pedagogy , which is the most unique and special

\*Assistant Prof., LMTT (C.T.E.) BEd. College, Dabok, Udaipur (Raj.) INDIA

quality of the approach, is an adaptation of critical pedagogy and elements of forms of inquiry practiced in various academic disciplines and some sub fields of peace research, such as the problem inquiry developed by world order studies. This pedagogy is primarily directed toward developing student capacities for critical thinking, inquiry, and reflective skills that enable students not only to understand the relevant issues and obstacles to peace, but more importantly to develop skills and abilities to confront these issues, envision realistic alternatives and devise and implement strategies for the realization of the alternatives.

Over the past couple of decades our schools, like our governments have focused on global economic restructuring and concerned themselves with promoting an economically and technologically competitive citizenry. But global developments, intensified by the events of 9-11, have highlighted the need for global citizens who are educated for peace, not just economic competitiveness. The ideal global citizen is one who understands the importance of respecting human rights, and who is prepared to work cooperatively to end poverty, to improve the health and well-being of the world's children, to reclaim and protect the environment, and to effect peaceful co-existence among individuals, peoples and states. We have the opportunity to work toward developing such global citizens through the systematic inclusion of children's rights education – in form of peace education – in our schools.

The United Nations Convention on the Rights of the Child is the most widely ratified international treaty in world history. Its ratification commits states parties to respect and implement the rights of children to protection from all forms of harm, and to the provision of basic needs for healthy physical, psychological and intellectual development. The Convention also requires states parties to educate children as well as adults about children's rights. And here is our opportunity.

Empirical data show that when children are taught about their Convention rights within a rights-based pedagogy, they demonstrate a deeper understanding of rights, more respect for the rights of others, a sense of social responsibility and the participation skills appropriate for effective democratic citizenship. Similarly, those who teach children about their rights come to believe more strongly in the need for ensuring the rights of all children are respected. In essence, children's rights education can promote a culture of peace. It is one means of preparing children for a world characterized by mutual respect based on the belief in rights for all, and thus characterized by peace.

Finally, in clarifying the educational rationale for studying peace and conflict we must look at the role of educational ideologies.

All educational documents, from the school prospectus to the 'official' publication, embody particular assumptions about education and that, broadly, four broad traditions can be identified.

In essence these are:

1. The liberal humanitarian tradition which is primarily concerned with passing on the basic cultural heritage from one generation to another.
2. The child-centred tradition which values self-development, self-reliance, and social harmony for the individual student.
3. The utilitarian tradition which sees the main job of education as equipping students to go well prepared into an already-defined situation.
4. The reconstructionist tradition which sees education as a potential instrument for changing society.

Education for peace, by definition, has to be child-centred (valuing the person) and reconstructionist (valuing positive peace), both of which seem particularly appropriate to the turmoil of the late twentieth century. Studying peace and conflict can therefore be justified by reference to the broad agreed aims of education, to work on childhood socialisation, to the need for effective political education in a democratic society and to recognised longstanding traditions in education. It offers both a radical critique of much current educational practice but also clear indicators of how to change that practice.

#### References :-

1. 'The United Nations and Peace Education'. In: Monisha Bajaj (ed.) *Encyclopedia of Peace Education*. (75-83). Charlotte: Information Age Publishing.
- a) Constitution of UNESCO, adopted 16 November, 1945.
- b) Universal Declaration of Human Rights,
- c) Recommendation Concerning Education for International Understanding, Co-operation and Peace, and Education Relating to Human Rights and Fundamental Freedoms, Convention on the Rights of the Child, Article 29.1(d).
- d) Vienna Declaration and Programme of Action - World Conference on Human Rights, Part 2, Paragraphs 78-82, which identify peace education as part of human rights education, and which identifies this education as vital for world peace
2. Matsuura, Koichiro. (2008) 'Foreword'. In: J.S. Page *Peace Education: Exploring Ethical and Philosophical Foundations*. Charlotte: Information Age Publishing. p.xix.
3. Reardon, Betty. (1997). 'Human Rights as Education for Peace'. In: G.J. Andreopoulos and R.P. Claude (eds.) *Human Rights Education for the Twenty-First Century*. (255-261). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
4. Roche, Douglas. (1993). *The Human Right to Peace*. Toronto: Novalis.
5. United Nations General Assembly. (1993) *Vienna Declaration and Programme of Action (World Conference on Human Rights)*. New York: United Nations. (A/CONF. 157/23 on June 25, 1993). Part 2, Paragraphs 78-82.
6. Harris, Ian and Synott, John. (2002) 'Peace Education for a New Century' *Social Alternatives* 21(1):3-6

## नारी सशक्तिकरण एवं आधुनिक समाज

डॉ. प्रेमलता गांधी \*

**प्रस्तावना** – भारतीय संस्कृति में नारी को देवी के रूप में निरूपित करके उसके सम्मान, श्रेष्ठता एवं महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। पाँच हजार वर्ष पूर्व ऋग्वेदकालीन सभ्य सुसंस्कृत समाज में रुग्णी एवं पुरुष को समानता का ढर्जा प्राप्त था। उस समाज में रुग्णी को पुरुषों की तरह ही समानता का अधिकार था, इसलिए वह स्वतंत्र थी। उस समाज में पति-पत्नी को प्रथम बार 'दम्पति' कहा गया है। दंपती शब्द एकत्व की अवधारणा से युक्त है।

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आठ मार्च महिला दिवस के रूप में वायदों और भाषणों के बीच गुजर गया। कहीं मार्च हो कहीं जनसभाओं में लम्बे श्लोगन से महफिल गूंजती रहीं। नहीं गूंज सकीं तो मूक बधिर महिलाओं के हक की लड़ाई की आवाज, क्योंकि उनके पास शब्द नहीं हैं। सभी तरह के हकों की लड़ाई लड़ने और शासन सत्ता तंत्र में कुछ वर्ग की प्रतिनिधि नियुक्त कर देने की पहल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक बिल पारित करने की बात की और सहमति-असहमति के बीच बिल राज्यसभा में पारित भी हो गया है। उम्मीद की जाती है कि लोकसभा में भी पारित हो ही जाएगा। बहुत अच्छी पहल है महिला सशक्तिकरण की दिशा में।

एक सवाल जो बार-बार उठता है कि क्या मौजूदा महिला आरक्षण बिल में सभी वर्ग की महिलाओं के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति की बात निश्चित है। वर्तमान कानून मंत्री के अनुसार पिछड़ों की संख्या के बारे में वर्ष 1935 के बाद से कोई नई जानकारी नहीं होने से उनके लिए कोटा रखे जाने पर विचार नहीं किया जा सका। इस स्थिति में क्या ढलित बहुजन वर्ग की महिलाओं की शांतिकारी हो पाएगी।

महिला सशक्तिकरण महिलाओं की अस्मिता, अस्तित्व और अधिकार का आंदोलन है। यह किसी भी समाज, देश की उच्चता और विकास का आधार है। मातृत्व के आंगण में ही सभी का विकास होता है। किसी भी परिवार, समाज, देश की तरक्की का अंदाजा लगाना हो तो पहचान की जा सकती है कि उस परिवार, समाज और देश की स्त्रियां कितनी स्वाधीन हैं और आनन्दियक की भूमिका में हैं। उसकी पहचान कितनी है क्या वह अस्तित्व के संकट से तो नहीं गुजर रही है?

देश की आजादी की पूर्व स्थिति पर न भी जाए तो स्वाधीनता के लगभग छः दशक का समय क्यों लगा इस बिल को लाने में यह विचारणीय प्रश्न है। जबकि देश की आजादी के बाद संविधान निर्माण के साथ ही उसके समानान्तर एक ऐसा बिल तैयार किया जा रहा था जो कि आज की मौजूदा आरक्षण बिल और 33 प्रतिशत की पुष्टिकरण की नीति से कहीं सशक्त और मजबूत आधार स्तंभ बिल था 'हिन्दू कोड बिल'।

'हिन्दू कोड बिल' महिला सशक्तिकरण का ब्लू प्रिंट था। जिन व्यवस्था तंत्र और मानसिकता के कारण महिलाओं को कमाजोर किया जाता रहा है।

उसे अधिकारविहिन और पंगु बनाया गया। संपत्ति के अधिकार से वंचित किया गया। उन्हें शिक्षा से दूर रख कर चाहरडिवारी के भीतर छुट-छुट कर जिंदगी पर मजबूर किया गया। उन सभी मानसिकताओं, धार्मिक कुरीतियों और उनके तंत्र के साथ-साथ उस व्यवस्था को बनाये रखने वाली मानसिकता और उस मानसिकता की संस्कृतिकरण उससे उपजा 'माइंड सेट' आदि का विरोध हिन्दू कोड बिल में था।

'हिन्दू कोड बिल' एक सामाजिक विधि विधान है। इस विधान से स्त्रियों की अस्मिता, उसके अस्तित्व और उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। यह कोड बिल जिन अधिकारों की महत्ता को रेखांकित करता है उसे विस्तार से यहां प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है लेकिन संक्षेप में यह बिल हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, गोद लेना, अल्पआयु संरक्षण अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिरारी अधिनियम, निर्बल तथा साधनहीन परिवार के सदस्यों का भरण पोषण अधिनियम, अप्राप्तवयी संरक्षण संबंधी अधिनियम, हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सम्पत्ति का अधिकार अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम आदि सभी अधिनियमों सविस्तार तर्कसंगत और वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। लेकिन मनु महाराज के वंशजों ने इस बिल को संविधान में पारित नहीं होने दिया, क्योंकि इस बिल के पारित हो जाने से मनुवादी व्यवस्था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अंत होना तय था। पितृसत्तात्मक व्यवस्था और मानसिकता महिलाओं को न केवल मानवाधिकार से वंचित करती बल्कि उसे सम्पत्ति के अधिकार से बेदखल कर गुलाम बनाने की कोशिश करती है। यही वजह थी कि गुलामी की प्रथा और प्रक्रिया का अंत करने वाले विधान यहिन्दू कोड बिल को मनुवादी पितृसत्तात्मक मानसिकताओं ने पारित नहीं होने दिया।

आज समाज में समानता और हक की लड़ाई के साथ-साथ सभी वर्ग की पहचान का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन को और तेज करने की जरूरत है। तीसरी दुनिया में शुमार भारत के विकास की राह में तरक्की करने के लिए देश की सत्तर फीसदी आबद्धी ढलित बहुजन के साथ-साथ कुल आबादी की पचास फीसदी महिलाओं की अस्मिता, अस्तित्व, अधिकार और सम्मान के चौतरफा विकास के लिए जारी आंदोलन पर, उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत महसूस की जानी चाहिए न कि देश में चंद वर्ग समुदाय के लोगों की तरक्की और चंद महिलाओं की सभी क्षेत्रों में तरक्की कर लेने की भूल भूलैया पर। यह समय 33 फीसदी महिला आरक्षण की तुष्टिकरण की नीति से संतुष्ट हो जाने का नहीं है। महिलाओं के पूरे हक और सम्मान की बात होनी चाहिए। उस में सभी वर्ग की महिलाओं को समान अधिकार की बात को सुनिश्चित करना चाहिए। वरन् वह दिन दूर नहीं कि जिस ब्राह्मणवादी पुरुषवादी मानसिकता और व्यवस्था की शिकार महिलाएं आज असम्मान

\* वरिष्ठ सहायक आचार्य, लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सी.टी.ई.), डबोक, उदयपुर (राज.) भारत

और असुरक्षा का जीवन जी रही है एवं देश में जिस रफतार से लिंगानुपात बढ़ रहा है। वह एक भारी अराजकता, भ्यानक त्रासदी और बहुत बड़े संकट की ओर संकेत है।

महिला सशक्तिकरण को ऊर्जा प्रदान करने वाले मान और उसके सहयोगी की भूमिका निभा रहे मानव दोनों को महिला सशक्तिकरण के तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए 'हिन्दू कोड बिल' को पहल में लाने की बात करनी चाहिए। आखिर क्या वीज 'हिन्दू कोड बिल' में थी जिसके कारण तत्कालीन समाज सुधारक, शंकराचार्य, तथाकथित धार्मिक पुरोहितों और उनके सांसदों के साथ-साथ देश के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को 'हिन्दू कोड बिल' के विरोध में त्यागपत्र देने की धमकी देनी पड़ी और तत्कालीन प्रधानमंत्री को मजबूर हो कर बिल को ठेंडे बरते में डालना पड़ा।

दुर्गा शक्ति का रूप हैं। इतनी शक्तिमान कि भगवान राम ने भी लंका पर आक्रमण के समय दुर्गा की आराधना की। उनकी कथा कुछ ऐसी है कि जब देवता महिषासुर से संग्राम में हार गये और उनका ऐश्वर्य श्री और रवर्ग सब छिन गया तब वे दीन-हीन दशा में वे भगवान के पास पहुँचे। भगवान के सुझाव पर सबने अपनी सभी शक्तियाँ शरत्र एक स्थान पर रखीं। शक्ति के सामूहिक एकीकरण से दुर्गा उत्पन्न हुई। पुराणों में उसका वर्णन है। उसके अपने सिर है। अनेक हाथ हैं। प्रत्येक हाथ में वह अस्त्र-शरत्र धारण किए हैं। सिंह जो साहस का प्रतीक है, उसका वाहन हैं। ऐसी शक्ति की देवी ने महिषासुर का वध किया। वे महिषासुर मर्दनी कहलायीं।

मेरे विचार से यह कथा संघटन की एकता का महत्व बताने के लिये बतायी गयी है। शक्ति संघटन की एकता में ही है। हमारी कथाओं में देवी दुर्गा का वर्णन है कि उनके सहरत्र सिर और असंख्य हाथ हैं। यह वास्तव में संघटक के सहरत्रों सिर और असंख्य हाथ है। साथ चलोगे तो हमेशा जीत का सेहरा बंधेगा। देवताओं को जीत कभी मिली जब उन्होंने अपनी ताकत एकजुट की।

दुर्गा शक्तिमयी है उनका सशक्तिकरण हो चुका है। लेकिन आज की महिला क्या शक्तिमयी है क्या उसका सशक्तिकरण हो चुका है क्या वह आज दुर्गा बन चुकी है शायद नहीं पर उसके पास कुछ अधिकार तो हैं वह कुछ तो शक्तिमान हुई। यह अधिकार यह शक्तियां उसे किसी जे दिये नहीं है। यह उसने खुद लड़ कर प्राप्त किये हैं।

इस संदर्भ में एक और बात ध्यान रखने की है कि महिला सशक्तिकरण में सिर्फ़ मीरा की मुक्ति की आकांक्षा की पहल भी होनी चाहिए क्योंकि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में पुरुषवादी मानसिकता का भी संस्कृतिकरण हो गया है। जिससे घर, समाज में मीरा अपनी सास-ननद से उतनी ही प्रताड़ित हो रही है, जितनी की पुरुषों से। हमें इस संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से बचना चाहिए।

सन् 1987 से जबसे सामुदायिक कार्य से जुड़ी हूँ तब से रैली, नुक़ड़, नाटक, मानव श्रृंखलाओं में भाषण एवं घर-घर जाकर जागरूकता में महिला सशक्तिकरण का सघन अभियान ढारा कार्य भी मैंने विशेष रूप से किया है। लोकमान्य तिलक शिक्षक महाविद्यालय के 15 किमी। की परिधि से प्रायोगिक कार्य हेतु जाते रहे हैं तथा सामुदायिक शिविर क्षेत्रीय भ्रमण एवं शिक्षण में बावनवाड़ी पिण्डवाड़ा सिरोही सावरियाजी, केशरियाजी, फतहनगर, कपासन, भीण्डर, सलुम्बर, राजसमन्द, चारक्षुजा, झाड़ोल, नाई, पई, साक्रोदा, बेदला के लोगों का मत है कि आपके आने से एवं जागरूकता के कार्य करने से गांव में विशेष जागरूकता आयी है।

अब इन करबों एवं गांवों में महिलाएं एवं महिला संरपक्ष गांव के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक एवं भौतिक क्षेत्रों को सुदृढ़ करने में जुड़ी हुई हैं जैसे - अचार, पापड, खाखरे, ढाले (5 से 10 कि.) मात्रा में एक साथ ही सामुदायिक केन्द्र पर तैयार किए विपणन की जा रही है जिससे महिलाओं आर्थिक स्वावलम्बन भी प्राप्त हो रहा है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।



## मोटापे से ग्रसित कार्यशील महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर पर आहारीय परामर्श के प्रभाव का अध्ययन

**डॉ. प्रगति देसाई \* श्रीमती मेघा परमार \*\***

**शोध सारांश** – आहारीय परामर्श का लक्ष्य खाद्य व्यवहार में उपयुक्त परिवर्तन करके व्यक्ति या रोगी को लाभ पहुँचाना है। यह प्रक्रिया आहारीय सिद्धांत एवं पोषण विज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति या रोगी के अनुसार आहारीय परामर्श भी अलग अलग होते हैं। विभिन्न बीमारियों जैसे- मधुमेह, मोटापा, एनीमिया, उच्चरक्तचाप आदि के उपचार में भी आहारीय परामर्श की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अध्ययन के द्वारा मोटापे से ग्रसित कार्यशील महिलाओं में मोटापे के स्तर एवं मानवमीति परीक्षण पर आहारीय परामर्श के प्रभाव को जानने हेतु सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के आधार पर आहारीय परामर्श का प्रत्यक्ष प्रभाव मोटापे से ग्रसित कार्यशील महिलाओं के वजन के स्तर एवं मानवमीति परीक्षण पर देखा गया।

**शब्द कुंजी** – मोटापा, आहारीय परामर्श, मोटापे के स्तर, मानवमीति परीक्षण।

**प्रस्तावना** – वर्तमान में विज्ञान ने जीवन को सरल, सुरुचिपूर्ण और सम्पन्न बनाने के लिए नये नये साधन इजाद किये। इसी तेजी से बढ़ते मशीनीकरण, आधुनिक भौतिक सुख सुविधा, एवं साधनों की भरमार से समाज में जीवन शैली, आहार विहार व्यवहार आदि में भी काफी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इन्हीं परिवर्तनों का परिणाम या इसकी एक बीमारी मोटापा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की व्होबल सेट की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में पूरे विश्व में 650 मिलियन वयस्क मोटापे से ग्रसित थे, जिन में 39 प्रतिशत पुरुष एवं 40 प्रतिशत महिलाएँ मोटापे से पीड़ित थे।

जून 2014 की इण्डिया ट्रूडे में नीतूचन्द्र शर्मा के लेख में प्रकाशित हुआ की Lancet रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 2013 में मोटापे से ग्रसित मुख्य 10 देशों में भारत का तीसरा स्थान है एवं सन् 2013 में भारत में 46 मिलियन लोग मोटापे से पीड़ित थे।

घर से बाहर घटनों कार्य में व्यस्त रहने की वजह से कार्यशील महिलाओं में मोटापे अधिक देखा जाता है क्योंकि इस ढौरान वह अपने खान पान का ध्यान नहीं रख पाती। जिससे वह मोटापे का शिकार हो जाती है।

मोटापे चयापचय सम्बन्धित रोगों का एक समूह है, जिसे विशेष रूप से शरीर में संबंधित उच्च वसा के रूप में देखा जाता है।

‘सामान्यता शरीर में जमा होने वाली अतिरिक्त वसा मोटापा है।’ – मोटापा वह स्थिति है जिसमें वसामय ऊतकों में वसा एकत्र हो जाने के कारण, व्यक्ति का भार अधिक हो जाता है। जब आवश्यकता से अधिक पचा लिया जाता है परन्तु शरीरिक क्रियाशील के ढारा खर्च नहीं किया जाता, वह वसा में परिवर्तित होकर वसामय ऊतकों में संबंधित कर लिया जाता है, यही स्थिति धीरे धीरे मोटापे को जन्म देता है।

**बी.एम.आई. एवं वेस्ट टू हिप अनुपात के अनुसार मोटापे का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है-**

| वर्गीकरण          | नाप (Kg/M2)   |
|-------------------|---------------|
| सामान्य से कम वजन | < 18.50       |
| सामान्य वजन       | 18.50 – 24.90 |

\* सह प्राध्यापक (गृहविज्ञान) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय किला भवन, इन्दौर (म.प्र.) भारत

\*\* शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय किला भवन, इन्दौर (म.प्र.) भारत

| अधिक वजन | >25.00     |
|----------|------------|
| मोटापा   | >30.00     |
| ब्रेड-1  | 30 – 34.99 |
| ब्रेड-2  | 35 – 39.99 |
| ब्रेड-3  | >40        |

### वेस्ट-टू-हिप अनुपात चार्ट -

| स्वास्थ्य स्तर  | महिलाएँ     | पुरुष       |
|-----------------|-------------|-------------|
| सामान्य से कम   | < . 80      | < . 95      |
| सामान्य         | 0.81 – 0.85 | 0.95 – 1.00 |
| सामान्य से अधिक | >0.86       | >1.00       |

### विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), 2000 के अनुसार

**आहारीय परामर्श** – आहारीय परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति अपने भोजन एवं पोषण से सम्बन्धित समस्या के उपचार के लिए आहार विशेषज्ञ की सलाह लेता है।

अनियमित भोजन सम्बन्धी आदतों, आवश्यकता से अधिक भोजन, आहार ज्ञान में कभी आदि कारणों की वजह से मोटापे की स्थिति उत्पन्न होती है, अतः इस स्थिति को सामान्य करने के लिए आहारीय परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। आहार विशेषज्ञ के ढारा रोग व्यक्ति ये सारी जानकारी लेने के बाद व्यक्ति की खान पान की आदतों, आवश्यकता व उसकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए उसके आहार का आयोजन तालिका तैयार करता है ताकि रोगी व्यक्ति के रोग कर स्थिति को सामान्य करने में मदद कर सकें। अतः वर्तमान समय में मोटापा नहीं, कई अन्य रोगों के उपचार के लिए भी आहारीय परामर्श का प्रयोग किया जा सकता है। आहारीय परामर्श ढारा व्यक्ति स्वस्थ्य होकर रोग मुक्त जीवन जी सकता है।

**उद्देश्य** – मोटापे से ग्रसित कार्यशील महिलाओं में मोटापे के स्तर एवं मानवमीति परीक्षण पर आहारीय परामर्श के प्रभाव का अध्ययन करना।

**उपकल्पना H<sub>1</sub>** - मोटापे से ग्रसित कार्यशील महिलाओं में मोटापे के स्तर एवं मानवमीति परीक्षण पर आहारीय परामर्श का सार्थक प्रभाव पाया जाएगा।

**विधि** – शोध कार्य हेतु इन्डॉर के विभिन्न क्षेत्रों से आजीविका के लिए कार्यरत 40–60 वर्ष की मोटापे से ग्रसित 80 कार्यशील महिलाओं का चयन हेतु यपूर्ण दैव निर्दर्शन विधि द्वारा किया गया। जिनको 40–40 महिलाओं के नियन्त्रित एवं प्रयोगात्मक दो समूहों में विभाजित किया। संमकों के संकलन हेतु अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन एवं प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग कर सर्वेक्षण किया गया। तथ्यों के सांख्यिकीय विश्लेषण एवं परिणाम हेतु प्रतिशत विधि, कार्ड वर्ग विधि एवं 'टी टेस्ट' परीक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

1. नियन्त्रित समूह की मोटापे से ग्रसित कार्यशील महिलाओं को कोई आहारीय परामर्श नहीं दिया गया।
2. प्रयोगात्मक समूहों की मोटापे से ग्रसित कार्यशील महिलाओं को आहारीय परामर्श दिया गया तथा प्रत्येक 15 दिनों के अन्तराल में उनके फोलोअप भी लिए गए।
3. सभी निर्दर्श के विभिन्न नाप जैसे वजन, बी.एम.आई., वेस्ट टू हिप अनुपात आदि को अध्ययन प्रारम्भ करने में पूर्व तथा अध्ययन समाप्त होने पर लिया।
4. प्रयोगात्मक समूह के सभी निर्दर्शों को 120 दिनों तक आहारीय परामर्श दिया गया।

### परिणाम एवं विश्लेषण

**1.1 आहारीय परामर्श का मोटापे के स्तर एवं मानवनीति परीक्षण पर प्रभाव** – आहारीय परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के भोजन एवं पोषण से सम्बन्धित समस्याओं के उपचार के लिए आहार विशेषज्ञों की सहायता से उपयुक्त परिवर्तन करके व्यक्ति को लाभ पहुँचाया जाता है। अनियमित भोजन सम्बन्धित आदतों, आवश्यकता से अधिक भोजन, आहार ज्ञान की कमी आदि कारणों की वजह से मोटापे की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति को सामान्य करने के लिए आहारीय परामर्श की सहायता ली जाती है। प्रस्तुत अध्ययन के द्वारा मोटापे से ग्रसित कार्यशील महिलाओं में मोटापे के स्तर एवं मानवनीति परीक्षण पर आहारीय परामर्श प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 1.1 (अ) से 1.1 (स) में की गई है –

#### तालिका क्रमांक 1.1 (अ) (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 1.1 (अ) से स्पष्ट है कि मोटापे से ग्रसित कार्यशील महिलाओं के प्रयोगात्मक समूह को 120 दिनों तक आहारीय परामर्श देने तथा प्रत्येक 15 दिनों में फोलोअप लेने के पश्चात् .05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर स्वतंत्रयाश 3 तथा 4 के सार्थ सार्थक पाया गया। प्रयोगात्मक समूह को आहारीय परामर्श देने के पश्चात् हरी पतेदार सब्जी प्रतिदिन एक बार लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत 10 था, जो प्रयोग के पश्चात् बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया। फल प्रतिदिन एक बार लेने वाली महिलाओं का पूर्व प्रतिशत भी 10 था, जो प्रयोग के पश्चात् 35 प्रतिशत हो गया। सलाद प्रतिदिन दो बार लेने वाली महिलाओं का पूर्व प्रतिशत 5 था, जो प्रयोग के पश्चात् बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया। फास्ट फूड प्रतिदिन एक बार लेने वाली महिलाओं का पूर्व प्रतिशत 30 था, जो प्रयोग के पश्चात् घटकर 30 हो गया। तले हुए भोज्य पदार्थ प्रतिदिन एक बार लेने वाली महिलाओं का पूर्व प्रतिशत 45 था, जो प्रयोग के पश्चात् घटकर 25 प्रतिशत हो गया। मिठाई प्रतिदिन एक बार लेने वाली महिलाओं का पूर्व प्रतिशत 40 था, जो प्रयोग के पश्चात् 10 प्रतिशत हो गया। सूखे मेवे नहीं लेने वाली महिलाओं का पूर्व प्रतिशत 30 था, जो प्रयोग के पश्चात् घटकर 5 हो गया। दूध नहीं लेने वाली महिलाओं का पूर्व प्रतिशत 55 था, जो प्रयोग के पश्चात् घटकर

30 हो गया। चाय 4 कप प्रतिदिन एवं 2 कप प्रतिदिन पीने वाली महिलाओं का पूर्व प्रतिशत क्रमशः 10 एवं 45 था, जो प्रयोग के पश्चात् घटकर क्रमशः 5 एवं 20 प्रतिशत रह गया। शब्दर 4 चम्च प्रतिदिन एवं 2 चम्च प्रतिदिन लेने वाली महिलाओं का पूर्व प्रतिशत क्रमशः 15 एवं 35 था, जो प्रयोग के पश्चात् घटकर क्रमशः 5 एवं 25 प्रतिशत हो गया। मूँगफली के तेल का उपयोग करने वाली महिलाओं का पूर्व प्रतिशत 35 था, जो प्रयोग के पश्चात् घटकर 20 प्रतिशत हो गया। वर्ही सरसों एवं सनफलावर के तेल का उपयोग करने वाली महिलाओं का पूर्व प्रतिशत क्रमशः 10 एवं 15 था, जो प्रयोग के पश्चात् घटकर क्रमशः 25 एवं 25 प्रतिशत हो गया। जबकि नियन्त्रित समूह की महिलाओं में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं देखे गए। अतः हमारी उपकल्पना .05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर स्वीकृत हुई। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मोटापे से ग्रसित कार्यशील महिलाओं में आहारीय परामर्श के द्वारा उनकी भोजन सम्बन्धित आदतों में सुधार करके उनके अधिक वनज एवं अधिक वेस्ट टू हिप अनुपात को सामान्य किया जा सकता है।

#### तालिका क्रमांक - 1.1 (ब) (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 1.1 (ब) से स्पष्ट है कि प्रयोगात्मक समूह की 40 महिलाओं को 120 दिनों मक आहारीय परामर्श की सहायता से परिवर्तित एवं सन्तुलित आहार देने के पश्चात् अधिक वजन, ग्रेड-ख एवं ग्रेड-खर मोटापे से ग्रसित महिलाओं का प्रतिशत पूर्व क्रमशः 65, 25 एवं 10 था, जो प्रयोग के पश्चात् घटकर क्रमशः 50, 20 एवं 5 प्रतिशत हो गया। पूर्व में सामान्य वजन की महिलाओं का प्रतिशत शून्य था, प्रयोग के पश्चात् 20 प्रतिशत महिलाएँ सामान्य वजन की श्रेणी गईं। प्रयोगात्मक समूह की सामान्य वेस्ट टू हिप अनुपात वाली महिलाओं का पूर्व प्रतिशत 5 था, जो प्रयोग के पश्चात् घटकर 25 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार सामान्य से अधिक वेस्ट टू हिप अनुपात वाली महिलाओं का पूर्व प्रतिशत 95 था, जो प्रयोग के पश्चात् घटकर 75 हो गया। जबकि नियन्त्रित समूह की महिलाओं में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं देखे गए। अतः यह कहा जा सकता है कि अधिक वजन एवं उसके स्तरों को तथा मानवनीति परीक्षण के विभिन्न नापों को कम करने में आहारीय परामर्श मददगार एवं उपयोगी है।

#### तालिका क्रमांक - 1.1 (स) (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 1.1 (स) के अनुसार प्रयोगात्मक समूह की महिलाओं को 120 दिनों मक आहारीय परामर्श द्वारा सन्तुलित एवं व्यक्ति विशेष की आवश्यतानुसार भोजन देने के पश्चात् उनके वजन एवं वेस्ट टू हिप अनुपात में सार्थक कमी देखी गई। प्रयोगात्मक समूह में वजन का पूर्व माध्य 84.55 कि.ग्रा. पश्चात् माध्य 80.5 कि.ग्रा. एवं वेस्ट टू हिप अनुपात का पूर्व माध्य .92 से.मी., पश्चात् .90 से.मी. पाया गया। अर्थात् वजन के माध्य में 4.05 कि.ग्रा. एवं वेस्ट टू हिप अनुपात के माध्य में .02 से.मी. की कमी देखी गई। जबकि नियन्त्रित समूह में वजन का पूर्व माध्य 83.7 कि.ग्रा., पश्चात् माध्य 84.9 कि.ग्रा. एवं वेस्ट टू हिप अनुपात का पूर्व माध्य .95 से.मी., पश्चात् माध्य .97 से.मी. पाया गया। अर्थात् वजन माध्य में 102 कि.ग्रा. एवं वेस्ट टू हिप अनुपात के माध्य में .02 से.मी. की अधिकता देखी गई। इसी प्रकार प्रयोगात्मक समूह में वजन का 'टीमान' 2.28 एवं वेस्ट टू हिप अनुपात का 'टीमान' 2.93 पाया गया। वही नियन्त्रित समूह में वजन का 'टीमान' .64 एवं वेस्ट टू हिप अनुपात का 'टीमान' .72 पाया गया। अतः हमारी उपकल्पना H<sub>1</sub> .05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर स्वीकृत हुई। प्रयोगात्मक समूह को 120 दिनों तक आहारीय परामर्श दिया गया, जिससे उनके मोटापे के स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आये। इस विषय पर सम्बन्धित साहित्य का

पुनरावलोकन पूर्व में किए जा चुके हैं।

पी.एम.बालाजी तथा उनके साथियों ने (2011) भारत के बैंगलोर शहर की 50 – 60 वर्ष की 40 मोटी महिलाओं को 2 समूह में लिया तथा उन पर 'मोटापे पर आहारीय परामर्श' के प्रभाव का अध्ययन' किया। पहले समूह की सभी महिलाओं को 3 माह तक कम वसा युक्त भोजन एवं निश्चित अन्तराल पर आहारीय परामर्श दिया। जबकि दूसरे समूह को ऐसे ही रहने दिया। 3 माह बाद प्राप्त परिणामों के अनुसार पहले समूह की महिलाओं में, जिन्हें कम वसा युक्त भोजन तथा आहारीय परामर्श दिया गया था के वजन में सार्थक कमी ( $P < 0.001$ ) देखी गई। साथ ही उनके वेस्ट टू हिप अनुपात, बी.एम.आई. उच्चरक्तचाप आदि में भी कमी देखी गई। जबकि नियन्त्रित समूह की महिलाओं में कोई परिवर्तन नहीं देखे गए। अतः पी.एम.बालाजी तथा उनके साथियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आहारीय परामर्श अधिक वजन को कम करने का लाभकारी एवं उपयोगी तरीका है।

**निष्कर्ष** – उपरोक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आजीविका के लिए कार्यरत महिलाएँ आहारीय परामर्श द्वारा स्वयं की भोजन सम्बन्धित आदतों में उचित परिवर्तन एवं उचित आहार ज्ञान में वृद्धि के माध्यम से मोटापे को नियन्त्रित रखते हुए मोटापे से सम्बन्धित अन्य बीमारियों को दूर कर स्वस्थ्य जीवन जी सकती है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. डॉ. शुक्ल एस. एम. तथा डॉ. सहाय एस. पी., 'सांख्यिकीय विश्लेषण' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा (2002)
- 2.. डॉ. जैन कामिनी, 'डायटेटिक्स', प्रथम संस्करण, शिवा प्रकाशन, इन्डौर (2008)
3. स्वामीनाथन एम. 'आहार एवं पोषण', एन. आर. प्रकाशन, इन्डौर (2008)
4. डॉ. कुलकर्णी ज्योति 'आहार एवं उपचारत्मक पोषण', शिवा प्रकाशन, इन्डौर (2008)
5. Joshi Sabhangini A., "Nutrition and Dietetics". Third Edition, Tata Mc. Grow Hill Education, Private Limited, New Delhi (2010)
6. Manay S.N. and Shadaksharaswamy M., "Foods Facts and Principles". Second Edition, new age International (P) Limited Publishers. (2005)
7. Srilakshmi B., "Food Science", Third Edition. New Age International Publishers. (2005)
8. Dr. Balaji P.A., Dr. Smitha R. Verne, Dr. Syed Sadat Ali, "Effect of Dietary Counseling on On=overweight and Obesity", International Multidisciplinary Research Journal (2011) 1 (10) : 01-04.

### तालिका क्रमांक - 1.1 (ब) : मोटापे से ग्रसित कार्यशील महिलाओं में मोटापे के स्तर एवं मानवमीति परीक्षण पर आहारीय परामर्श के प्रभाव का तुलनात्मक परिणाम

| चर                  | अवस्थाएँ        | समूह                |          |     |          |                      |          |     |          |
|---------------------|-----------------|---------------------|----------|-----|----------|----------------------|----------|-----|----------|
|                     |                 | नियन्त्रित (N = 40) |          |     |          | प्रयोगात्मक (N = 40) |          |     |          |
|                     |                 | पूर्व               | प्रति. % | बाद | प्रति. % | पूर्व                | प्रति. % | बाद | प्रति. % |
| मोटापे के स्तर      | सामान्य         | -                   | -        | -   | -        | -                    | -        | 8   | 20       |
|                     | अधिक वजन        | 28                  | 70       | 20  | 50       | 26                   | 65       | 22  | 55       |
|                     | ग्रेड-1         | 8                   | 20       | 12  | 30       | 10                   | 25       | 8   | 20       |
|                     | ग्रेड-2         | 2                   | 5        | 6   | 15       | 4                    | 10       | 2   | 5        |
|                     | ग्रेड-3         | 2                   | 5        | 2   | 5        | -                    | -        | -   | -        |
| वेस्ट-टू-हिप अनुपात | सामान्य         | 8                   | 20       | 2   | 5        | 2                    | 5        | 10  | 25       |
|                     | सामान्य से अधिक | 32                  | 80       | 38  | 95       | 38                   | 95       | 30  | 75       |

### तालिका क्रमांक - 1.1 (स) : मोटापे से ग्रसित कार्यशील महिलाओं में मोटापे पर वजन एवं वेस्ट टू हिप अनुपात के अनुसार आहारीय परामर्श के प्रभाव का अध्ययन

| चर                  | नियन्त्रित समूह (N=40) | माध्य | प्रमाप विचलन | टी वेल्यू | प्रयोगात्मक समूह (N=40) | माध्य | प्रमाप विचलन | टी वेल्यू |
|---------------------|------------------------|-------|--------------|-----------|-------------------------|-------|--------------|-----------|
| वजन                 | पूर्व                  | 83.7  | 8.28         | .64       | पूर्व                   | 84.55 | 7.94         | 2.28      |
|                     | पश्चात्                | 84.9  | 8.41         |           | पश्चात्                 | 80.5  | 7.82         |           |
| वेस्ट-टू-हिप अनुपात | पूर्व                  | .95   | .048         | .72       | पूर्व                   | .92   | .040         | 2.92      |
|                     | पश्चात्                | .97   | .050         |           | पश्चात्                 | .90   | .037         |           |

**तालिका क्रमांक - 1.1 (अ) : मोटापे से ग्रसित कार्यशील महिलाओं में भोज्य पदार्थों की उपयोगिता के तरीकों के आधार पर आहारीय परामर्श के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन**

| चर                   | अवस्थाएँ           | समूह                |          |     |          |                      |       |              |     |          |          |
|----------------------|--------------------|---------------------|----------|-----|----------|----------------------|-------|--------------|-----|----------|----------|
|                      |                    | नियन्त्रित (N = 40) |          |     |          | प्रयोगात्मक (N = 40) |       |              |     |          |          |
|                      |                    | पूर्व               | प्रति. % | बाद | प्रति. % | काई                  | पूर्व | प्रति. % काई | बाद | प्रति. % | काई वर्ग |
| हरी पत्तेदार सब्जी   | नहीं               | 18                  | 45       | 22  | 55       | 2.44<br>4<br>2<br>6  | 18    | 45           | 8   | 20       | 12.72    |
|                      | 1 बार/ प्रतिदिन    | 2                   | 5        | 2   | 5        |                      | 10    | 14           | 35  |          |          |
|                      | 2 बार/ प्रतिदिन    | 2                   | 5        | 2   | 5        |                      | 5     | 4            | 10  |          |          |
|                      | 2 दिन में          | 2                   | 5        | 4   | 10       |                      | 15    | 8            | 20  |          |          |
|                      | कभी-कभी            | 16                  | 40       | 10  | 25       |                      | 10    | 25           | 4   | 10       |          |
| फल                   | नहीं               | 18                  | 45       | 20  | 50       | 3.48                 | 16    | 40           | 6   | 15       | 12.02    |
|                      | 1 बार/ प्रतिदिन    | 2                   | 5        | 20  | 5        |                      | 4     | 10           | 14  | 35       |          |
|                      | 2 बार/ प्रतिदिन    | 2                   | 5        | 2   | 5        |                      | 4     | 10           | 18  | 20       |          |
|                      | 2 दिन में          | 2                   | 5        | 6   | 15       |                      | 6     | 15           | 4   | 10       |          |
|                      | कभी-कभी            | 16                  | 40       | 10  | 25       |                      | 10    | 25           | 8   | 20       |          |
| सलाद                 | नहीं               | 16                  | 40       | 18  | 45       | 1.2                  | 14    | 35           | 6   | 15       | 14.6     |
|                      | 1 बार/प्रतिदिन     | 2                   | 5        | 4   | 10       |                      | 4     | 10           | 10  | 25       |          |
|                      | 2 बार/प्रतिदिन     | 2                   | 5        | 2   | 5        |                      | 2     | 5            | 12  | 30       |          |
|                      | कभी-कभी            | 20                  | 50       | 16  | 40       |                      | 20    | 50           | 12  | 30       |          |
| फास्ट फूड            | नहीं               | 4                   | 10       | 2   | 5        | 1.14                 | 18    | 45           | 28  | 70       | 10.1     |
|                      | 1 बार/प्रतिदिन     | 10                  | 25       | 12  | 30       |                      | 12    | 30           | 2   | 5        |          |
|                      | 1 बार/ प्रतिसप्ताह | 16                  | 40       | 14  | 35       |                      | 6     | 15           | 8   | 20       |          |
|                      | 1 बार/ 15 दिन      | 10                  | 25       | 12  | 30       |                      | 4     | 10           | 2   | 5        |          |
| तले हुए भोज्य पदार्थ | नहीं               | 16                  | 15       | 2   | 5        | 2.96                 | 12    | 30           | 24  | 60       | 10.54    |
|                      | 1 बार/प्रतिदिन     | 12                  | 30       | 16  | 40       |                      | 18    | 45           | 10  | 25       |          |
|                      | 1 बार/प्रति सप्ताह | 16                  | 40       | 14  | 35       |                      | 8     | 20           | 2   | 5        |          |
|                      | 1 बार/ 15 दिन      | 6                   | 15       | 8   | 20       |                      | 2     | 5            | 4   | 10       |          |
| मिठाई                | नहीं               | 4                   | 10       | 2   | 5        | 2.42                 | 8     | 20           | 18  | 45       | 12.54    |
|                      | 1 बार/ प्रतिदिन    | 16                  | 40       | 18  | 45       |                      | 16    | 40           | 4   | 10       |          |
|                      | 1 बार/प्रति सप्ताह | 14                  | 35       | 10  | 25       |                      | 12    | 30           | 10  | 25       |          |
|                      | 1 बार/ 15 दिन      | 6                   | 15       | 10  | 25       |                      | 4     | 10           | 8   | 20       |          |
| सूखे मेवे            | नहीं               | 2                   | 5        | 6   | 15       | 5.04                 | 12    | 30           | 2   | 5        | 12.12    |
|                      | 1 बार/ प्रतिदिन    | 2                   | 5        | 4   | 10       |                      | 10    | 25           | 20  | 50       |          |
|                      | 4 दिन में          | 18                  | 45       | 10  | 25       |                      | 8     | 20           | 12  | 30       |          |
|                      | 7 दिन में          | 18                  | 45       | 20  | 50       |                      | 10    | 25           | 6   | 15       |          |
| दूध                  | नहीं               | 20                  | 50       | 22  | 55       | 1.14                 | 22    | 55           | 12  | 30       | 8.44     |
|                      | 50-150 मिली        | 14                  | 35       | 10  | 25       |                      | 8     | 20           | 6   | 15       |          |
|                      | 150-250 मिली       | 4                   | 10       | 6   | 15       |                      | 8     | 20           | 14  | 35       |          |
|                      | 250 मिली           | 2                   | 5        | 2   | 5        |                      | 2     | 5            | 8   | 20       |          |
| चाय                  | नहीं               | 2                   | 5        | 4   | 10       | 1.3                  | 4     | 10           | 10  | 25       | 8.1      |
|                      | 1 कप/ प्रतिदिन     | 2                   | 5        | 2   | 5        |                      | 14    | 35           | 20  | 50       |          |
|                      | 2 कप/ प्रतिदिन     | 16                  | 40       | 12  | 30       |                      | 18    | 45           | 8   | 20       |          |
|                      | 4 कप/ प्रतिदिन     | 20                  | 50       | 22  | 55       |                      | 4     | 10           | 2   | 5        |          |

|       |                    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |
|-------|--------------------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|-------|
| शब्दर | नहीं               | 4  | 10 | 2  | 5  | 0.74 | 4  | 10 | 16 | 40 | 10.42 |
|       | 1 चम्मच / प्रतिदिन | 2  | 5  | 2  | 5  |      | 16 | 40 | 12 | 30 |       |
|       | 2 चम्मच / प्रतिदिन | 10 | 25 | 10 | 25 |      | 14 | 35 | 10 | 25 |       |
|       | 4 चम्मच / प्रतिदिन | 24 | 60 | 26 | 65 |      | 6  | 15 | 2  | 5  |       |
| तेल   | सोयाबीन            | 6  | 15 | 10 | 25 | 3.74 | 10 | 25 | 4  | 10 | 13.38 |
|       | मूँगफली            | 22 | 55 | 20 | 50 |      | 14 | 35 | 8  | 20 |       |
|       | सरसों              | 4  | 10 | 4  | 10 |      | 4  | 10 | 10 | 25 |       |
|       | सफोला              | 6  | 15 | 2  | 5  |      | 6  | 15 | 8  | 20 |       |
|       | सनफलावर            | 2  | 5  | 4  | 10 |      | 6  | 15 | 10 | 25 |       |

\*\*\*\*\*

# Study of Component Based Software Development Prototyping Models

Priyanka Bhatewara Jain \* Dr. Akhil Khare \*\* Sonia Bhargava\*\*\*

**Abstract** - With the need to produce ever larger and more complex software systems, the use of reusable components has become increasingly imperative. Attempts to rationalize component-based development must recognize that the construction of a software system is a multifaceted, complex activity involving domain engineering, framework work, assembly, archiving, and the design of software components. Traditional cascade models and the iterative life cycle are not enough for CBS. Many researchers proposed several life-cycle models of component-based software development for years. These activities, among others, are encompassed in a software life cycle, called model Y, model V, model X, model CBSD of dual life cycle and model W, knot model, presented in this study. These models provide a guide for the main phases to follow under their umbrella.

**Key words** - Software Life Cycle Model, Software Process, Software Reusability, Component Based Software Development.

**Introduction** - As the other software process of engineering activities also goes through the series of development phases. The series of phases (progresses) through which software passes from the exploration of requirements to maintenance is called the software life cycle. During the development of the software, the software goes through a series of phases, that is, requirements, specification design, selection, recovery, testing and maintenance, etc. You can choose a software life cycle model according to the nature of the application and the environment. Sequential models define a sequence of activities in which an activity occurs after an end of the previous one. The evolutionary models allow the realization of several activities in parallel without requirements on the rigorous completion of one activity so that they cannot start with another.

**Motivation** - A software life cycle is generally defined as a vague concept. The phase of the life cycle of each software is different. Some processes will spend a lot of time and cost compared to other phases. The software development process is a costly activity. The development process or life cycles usually begin with the collection of requirements from system users. All traditional software life cycle models are sequential, which means that each phase must be completed before the next phase begins. The well-known example of sequential models is the cascade model, or model V, and evolutionary models, iterative and incremental development, or spiral model. Component-based software engineering is an integration-focused approach, which emphasizes the selection, acquisition and integration of components from external or internal sources. There is a

lot of difference between the life cycle of component-based software compared to the traditional software development lifecycle. Most component-based applications are developed by a third-party component. Its means is that the life cycle of component-based software begins with recovery, not from construction. In component-based systems, only binary object component provided by a third party without source code. Therefore, the need arises for a verified specification given by a third party.

## Related work:

**Waterfall model** - The waterfall model was first introduced by Royce in 1970. Its linear model where various phase is interconnected so that output of one phase become subsequently input for next phase. The Waterfall model has been long used by software engineers and has become the most prevalent software life cycle model. This model initially attempts to identify phases within software development as a linear series of actions, each of which must be completed before the next is commenced.

## Challenges :

1. Major drawback of Waterfall Model is inflexible division of phase. Today requirement is changing very fast all phase are overlap.
2. In the waterfall model output are verified in last stage. Therefore, waterfall model is good for such situation where requirement is well defined.

**Incremental Model** - To overcome drawback of waterfall model a cycle model known as incremental models. In the incremental model we combine the property of sequential model and iterative characteristic of prototype life cycle model. In the incremental model

\*Research Scholar, Jayoti Vidhyapeeth Women's University, Jaipur (Raj.) INDIA

\*\*HOD, MVSREC, Hyderabad (Telangana) INDIA

\*\*\*M.Tech. (S.E.) Suresh Gyan Vihar University, Jaipur (Raj.) INDIA

partial implementation of systems is construct after refinement this implementation require functionality and challenges. It is time consuming process and user of the system involved whole process.

**Evolutionary Model** - Evolutionary prototypes provide incremental software development, so that software systems may be gradually developed and tested, allowing major errors to be exposed and corrected early, which means that they are often cheaper to fix, but without effective management to control iterations, this process can degenerate into uncontrollable hacking.

**Prototyping Model** - Generally, customer of the software system initially defines broader requirement of the systems. In this case a quick prototype can be construct. Prototyping provides constructive feedback to designers and potential users so that the system requirements can be clarified and refined early during software development. The prototype is evaluated by the customer and refine his requirement.

**Spiral Model** - The spiral model was first developed by Boehm, is an evolutionary software life cycle model. In the spiral life cycle model different phase are represented as a spiral rather than sequence of activates. The Spiral model makes software development more flexible and has been proposed mainly to speed up software development through prototyping. In the spiral model, software is developed in a series of incremental release. The spiral model is divided into a number of regions, typically these are between three to six.

**Component Based Software Development Life Cycle Models** - As mentioned earlier, CBSE is a method of developing complex software applications that combine reusable components from a variety of sources in a well-defined architecture. For CBS, the traditional waterfall model and iterative life cycle are not enough. Many researchers have proposed several lifecycle models for component-based software development over the years. This section briefly summarizes some of these models.

**The Y Model** - It was proposed by Luiz Fernando Capretz in 2005 [10]. Considering the concept of model reuse, Model Y separates the development of components. This model allows for iterative and overlapping phases. The model is similar to the English letter Y, and the Y-type name appears in the letter. The model has three branches that show the main stages of development. Several stages are shown in the figure. The intersection at the three branches is the assembly phase. Assembly of reusable components can be completed after domain engineering

The framework works in which reusable components and their interrelationships are identified according to the application's vocabulary. Parallel to the domain engineering, perform the analysis and design phase of the system. The results of the system analysis and design phase are useful for adapting selected components to the design requirements of the system. The next step is to assemble and implement a system consisting of several reusable components that are stuck in the frame. Component testing and system testing are also important steps to ensure the

quality of the final product.




Figure: 1 V development process for CBD

**The X Model** - The figure shows the model X [12] [13] proposed in 2008. The model contains four arms arranged in alphabets of letter X, each representing a different perspective. At the intersection of these four arms is the repository (TCR) of the Testa table component. The upper left arm specifies the stage in which the component is developed for reuse. The components here are developed from scratch and stored in the component library. The left lower arm and the lower arm respectively specify the development phase after modification and development, and no modification is required. The two arms select components from the component library and finally assemble them for component-based software development, which is represented by the upper right arm of the X model. The X model provides a range of system development by modifying the components, and without modifying the components, it is shown in the left and lower right arms of the X-shape in the figure.




Figure 2: X Model

In this technological era, the complexity of software is increasing. Fast and sensitive systems depend on their underlying software, which in turn depends on the strength of the development phase. Then, SDLC is the backbone of system performance and efficiency. With the development of component-based software development paradigms, several SDLC models have been proposed over time. This paper summarizes some important CBS development models, such as V model, Y model, X model, dual model, knot model and W model. Discussed their main areas of concern. A common aspect derived from this study is that each model separates the development of system development components. In addition, selecting the right component from all components remains an open issue in all models.

**CBSD Dual Life Cycle Model** - Jason et al. Alabama. He proposed the dual life cycle model of CBD in [14]. The model divides the whole process into two parts, namely component development and system development. The various stages of each section are shown in the figure. They also provide design science principles to follow in subsequent development stages. The development of components is typically performed by third-party commercial developers and is developed in such a way that their architecture is well defined in terms of the inputs and outputs required for proper functionality of other components. The manufacture of components involves testing the components in an external environment to verify their reuse. The development of the system is divided into sub-phases, namely: requirements analysis, system architecture and subsystems, component selection, cataloging and recovery, and finally implementation of component assembly in the defined architecture. The component selection phase of system development is directly related to the component development component. The model promises to separate the two types of development, but it lacks the focus on component modifications and system validation and general validation.




Figure 3: CBSD Dual Life Cycle Model

**The Knot Model** - In 2011, the Knot model [15] was born with a focus on reuse, modularity and risk analysis. The figure shows the main stages and sub-phases of the node model. The main phases are: development of new components, modification of existing components, and development of component-based software. Outside of these phases, the modification of an existing component is an iterative phase that attempts to select the components of the component group, tweak it, and test and receive comments based on the system's architecture. This phase is repeated unless the selected component is suitable for assembly in a defined component frame. The efficiency of this model depends on the powerful implementation of the reusable component set, which is the backbone of all phases. The model is easy to understand, but choosing the right components in the reusable component group is the most important task on which the overall quality of the final product depends.





Figure 4: Knot Model

**W Model** - The W model is a combination of two V models, as shown in Figure [16]. The left side represents the life cycle of the component and the right side represents the life cycle of the system. It was proposed in 2011 with a primary focus on verification and validation (V&V). The author follows the standard CBD process and separates the lifecycle from the development of system development components. The selection and adjustment phase of the component is the link between the two models in V. In this model, V and V consider three levels, component level, composition level, and final system level, respectively.

**Summary of Various CBD Models** - This section summarizes all proposed models of the CBD based on the focus areas given in the table. The table clearly shows that reuse is critical, as shown by the Y and knot models. The second aspect that requires more attention is to separate the development process from the components of the final system development. The choice of components is also concentrated on many development models.



**Figure 5: W Model**

**Table: Various CBS Development Models and Their Focus Area**

| CBD Model                              | Year | Focus Area  |
|--|------|---|
| <b>Y Model [10]</b>                    | 2005 | Reusability and Parallel Development  |
| <b>V Model [11]</b>                    | 2005 | Component Development and Component Selection                                     |
| <b>X Model [12]</b>                    | 2008 | Component Development, System Development with And Without Component Modification |
| <b>CBSD Dual Life Cycle Model [14]</b> | 2009 | Separation Between Component Development and System Development                   |
| <b>Knot Model [15]</b>                 | 2011 | Reusability, Modularity, Risk Analysis  |
| <b>W Model [16]</b>                    | 2011 | Verification and Validation, Separate Component and System Development            |

**Conclusion** - In this technological era, the complexity of software is increasing. Fast and sensitive systems depend on their underlying software, which in turn depends on the strength of the development phase. Then, SDLC is the backbone of system performance and efficiency. With the development of component-based software development paradigms, several SDLC models have been proposed over time. This paper summarizes some important CBS development models, such as V model, Y model, X model, dual model, knot model and W model. Discussed their main areas of concern. A common aspect derived from this study is that each model separates the development of system development components. In addition, selecting the right component from all components remains an open issue in all models.

#### References :-

- Boehm, B.W., 1988. A spiral model of software

development and enhancement. IEEE Computer, 21: 61-72.

- Luiz Fernando Capretz , Y: A New Component-Based Software Life Cycle Model , Journal of Computer Science 1 (1): 76-82, 2005
- Csaba Szabó, Ladislav Samuelis , The A-Shaped Model of Software Life Cycle , 5th Slovakian-Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics January 25-26, 2007 pp129-135
- D'Souza D and A.C. Wills, Objects, Components, and Frameworks with UML: The Catalysis Approach, Addison Wesley Longman, Reading, Mass., 1998.
- Szyperski C, Component Software: Beyond Object-Oriented Programming, Addison Wesley Longman, Reading, Mass., 1998. [6] G.T. Heineman and W.T. Councill, Component-Based Software Engineering, Addison-Wesley, Boston, 2001.
- Crnkovic Ivica, and Magnus Larsson. "Component-Based Software Engineering-New Paradigm of Software Development." Invited talk and report, MIPRO, pp- 523-524, 2001.
- Prasenjit Banerjee, Anirban Sarkar, "Quality Evaluation Framework for Component Based Software" In *Proceedings of the Second International Conference on Information and Communication Technology for Competitive Strategies (ICTCS '16)*. ACM, New York, NY, USA, Article 17, 6 pages. 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.1145/2905055.2905223> CrossRef
- Gaurav Kumar and Pradeep Kumar Bhatia, "Neuro-Fuzzy Model to Estimate & Optimize Quality and Performance of Component Based Software Engineering" SIGSOFT Software Eng. Notes 40, 2 (April 2015), pp. 1-6.CrossRef
- Tassio Vale, Ivica Crnkovic, Eduardo Santanade Almeida, Paulo Anselmo da Mota Silveira Neto, YguaratãCerdeiraCavalcantic, Silvio Romero de LemosMeira, "Twenty-Eight Years of Component Based Software Engineering", The Journal of Systems and Software, 111, pp. 128–148, 2016.CrossRef
- Ivica Crnkovic, "Component-Based Software Engineering — New Challenges in Software Development", Journal of Computing and Information Technology – CIT 11, 3, pp. 151–161, 2003.
- Deepti Negi, Yashwant Singh Chauhan, PritiDimri, Aditya Harbola. "An Analytical Study of Component-Based Life Cycle Models: A Survey", In Proceedings of International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN), 2015.CrossRef
- Vinay, M. K., Johri, P., "W-Shaped Framework for Component Selection and Product Development Process", World Applied Sciences Journal, 31(4), pp. 606-614, 2014.

## भीमल रेशों द्वारा धागों का निर्माण कर उत्तराखण्ड के घरेलू उद्योगों के लिए एक योगदान

गुंजा सोनी \*


**शोध सारांश -** भारत देश प्राकृतिक सुंदरता एवं प्रकृति से प्राप्त संसाधनों वस्तुओं के लिए प्राचीनकाल से ही रुचाति प्राप्त है इसकी जानकारी हमें वेदों और ग्रन्थों से प्राप्त होती है। वर्ष अवलोकन के क्षेत्र में भी प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक भारत प्राकृतिक रेशों के लिए विश्व में अपना एक स्थान प्राप्त कर चुका है जैसे - कपास और जूट।

हमारे देश में उत्तराखण्ड प्रकृति संपदाओं से धनी राज्य माना जाता है चाहे वो जीव जन्तु हो या वनस्पति यहां वनस्पतियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं जिन से हमें प्राकृतिक रेशों प्राप्त होते हैं इन में एक वृक्ष भीमल का भी है। जो कि यहां के लोगों के परिवार का वृक्ष कहलाता है। यह वृक्ष यहां के हर परिवार के पास होते हैं इस वृक्ष से प्राप्त रेशों का प्रयोग काफी समय से किया जाता रहा है। रेशों के अलावा इस वृक्ष का महत्व आयुर्वेद में भी होता रहा है। पर बढ़लते समय के साथ लोग इन सब लाभों को भूल गए हैं। मेरे शोध का मुख्य उद्देश्य यह है कि यहां के निवासी फिर से प्रकृति के तरफ आकर्षित होकर प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करे एवं अपनी जीविका के लिए पारंपरिक रूप से चले आ रहे कुटीर उद्योगों के तरफ आग्रसर होए।

**प्रस्तावना -** आज के समय में मानवनिर्मित रेशों और धागों का प्रयोग अधिकाधिक होने के बाद भी प्रकृति रेशों का अपना एक अलग ही महत्व है। भारत से प्रकृति रेशों का निर्यात दूसरे देशों में किया जा रहा है जिसमें मुख्य जूट है। इसी प्रकार कई प्रकृति रेशों का उत्पादन हमारे देश में होता रहा है। पर कुछ रेशों ऐसे भी हैं जिनका उपयोग समय के साथ कम होता जा रहा है और कुछ तो समाप्त हो गया है जिसका स्थान मानवनिर्मित रेशों ने ले लिया है इनमें भीमल वृक्ष से प्राप्त रेशों भी हैं समय के साथ बहुउपयोगी होने के पश्चात् भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन्हीं में एक है भीमल। जो कि बहुउपयोगी होने के बाद भी आज इसकी उपयोगिता नहीं रह गई है। जबकि इस वृक्ष से प्राप्त रेशों से जूट के व अन्य रेशों के समान ही उपयोग किया जा सकता है। उत्तराखण्ड में भीमल के रेशों का उपयोग अपनी घरेलू कार्य के लिए किया जाता रहा है। यह हिमालय में 800 मीटर से 2000 मीटर की ऊँचाई तक में पाये जाते हैं। इस वृक्ष का सबसे अच्छा विकास 1000 मीटर से 1500 मीटर तक की ऊँचाई तक माना जाता है। ये उत्तराखण्ड में धास के मैदानों में पाए जाते हैं कृषि क्षेत्र के चारों तरफ पाए जाते हैं।

उत्तराखण्ड का ये बहुउद्दीय वृक्ष है और ये अच्छे गुण वाला चारा और ईंधन प्रदान करता है और अच्छी गुणवत्ता वाले फाईबर भी प्रदान करता है। और इस वृक्ष आयुर्वेदिक औषधियां एवं प्राकृतिक रंग भी प्राप्त होते हैं।

**भीमल रेशों प्राप्त करने की प्रक्रिया -** भीमल के टहनियों की शीत रितु के अंतर्गत काटा जाता है दिसम्बर से फरवरी के महीने में और पेड़ के पत्तियों को दुधारु जानवरों को चारों के रूप में प्रयोग किया जाता है इसके बाद शाखाओं को एकत्रित करके उन्हें मध्य अप्रैल तक छाया में सुखाया जाता है। इस समय तक तापमान में बढ़ोतारी हो जाती है जिससे ये अच्छे से सूख जाते हैं और ये तन्तुवेचन प्रक्रिया के लिए अनुकूल होते हैं। इसके बाद टहनियों को एक साथ समूह में बांधकर बहते हुए पानी में डूबा दिया जाता है और उस पर भारी पत्थर रख दिया जाता है बहते हुए पानी में रेशों का रंग साफ दिखाई देता है ठहरे हुए पानी की अपेक्षा।



**तन्तुवेचन -** इस प्रणाली के अंतर्गत भीमल के टहनियों को पानी फैला कर डुबाया जाता है इन्हें 30-45 दिनों (मध्य अप्रैल से मई महीने के अंत तक) जल टहनियों के मध्य में प्रवेश करते हैं। और आंतरिक कोशिकाओं को पृथक-2 करते हुए बाहरी सतह के कोशिकाओं को अलग करते हुए बढ़ते हैं। इससे नमी और क्षय पैदा करने वाले जीवाणुओं के अवशोषण में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया में समय का ध्यान सावधानीपूर्वक रखना चाहिकम समय में इस प्रक्रिया को करने पर रेशों को पृथक करने में कठिनाई होती है और अधिक समय होने पर रेशों को कमजोर करती है। डबल रेटिंग से, उत्कृष्टक रेशे प्राप्त होते हैं इसमें समय से पहले ही रेशों कापानी से निकाल देते हैं फिर महिनों तक सुखा कर और फिर पानी में डूबा दिया जाता है। चाहे वो तालाब या नदी में, भाड़ी पत्थर या मोटी लकड़ी से ढबा दिया जाता है। 8 से 14 दिनों में हो जाता है पर ये पानी के तापमान और उसमें पाए जाने वाले मिनरल के ऊपर आधारित होता है।



बहते हुए पानी में डूबोये हुए भीमल रेशे

\* पी.एच.डी. शोधार्थी, वनस्थली विश्वविद्यालय, टॉक (राजस्थान) भारत

### डेगमरिंग (फाईबर के अलग करने और मुलायम करने के लिए)

1. यह सबसे अधिक श्रम गहन प्रक्रिया है और इसके लिए रेटिंग किये हुए टहनियों को कुचलने और पटकने की प्रक्रिया करते हैं। रेशों टहनियों से पटकने के बाद अलग होते हैं कठोर सतह या पत्थर पर अच्छी तरह से रेशों को धोया जाता है ताकि उसमें कोई भी छाल न रह सके। फिर रेशों (फाईबर) की छाया में सूखा दिया जाता है पर इस प्रक्रिया से रेशों पूरी तरह से छाल से मुक्त नहीं हो पाते हैं।



रेशों को पृथक करना

2. **दूसरी प्रणाली-** टहनियों को पानी से निकाल कर उन से रेशों को निकाल कर एक बड़े बर्टन में पानी गर्म करते हैं। 1 किलो रेशों के लिए 15 से 16 लीटर पानी उबालते हैं। फिर इसमें राख डाल कर इसे मिलाया जाता है। राख के अच्छे से मिलने पर इसमें रेशों की डाल ढेते हैं और 2 घण्टे तक पकाते हैं ढो घण्टे के बाद इसे राख वाले पानी से निकाल कर पटक-पटक कर धोया जाता है दुबारा से उसी अनुपात में पानी गर्म कर के साबुन डाल ढेते हैं। 1 किग्रा रेशों के लिए 200 ग्राम साबुन का प्रयोग किया जाता है और जब साबुन अच्छे से गर्म पानी के साथ धूल जाता है तब इसमें रेशों को डाल ढेते हैं जिससे रेशों साफ हो जाते हैं और मुलायम भी हो जाते हैं।

**सामग्री का अनुपात -** 1 किलो रेशा, पानी 15-16 लीटर

राख - 500 ग्राम 1 किलो



रेशों को उबालना

**सोफ्टनर का प्रयोग (रेशों को मुलायम करना)** - इसके लिए 1 किलो रेशों के लिए 80 से 90 ग्राम सोफ्टनर का प्रयोग किया जाता है और पानी अनुमानित तौर पर लिया जाता है इतना पानी हो कि रेशों उसमें बस अच्छे से ढूब जाये और थोड़ा पानी ही शेष बचे। 30 मिनट तक सोफ्टनर में रखने के बाद रेशों को निकाल कर सुखा ढेते हैं। 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत रेशों के सूखने के बाद उनके मुलायम होने का पता चलने लगता है।

**रेशों को खोलना एवं पृथक करना** - इस प्रक्रिया के अंतर्गत रेशों को छाल से अलग-2 किया जाता है जिससे कठई आसानी से हो सके।



सोफ्टनिंग का प्रयोग

**कार्डिंग प्रक्रिया** - यह प्रक्रिया हाथ के ढारा किया जाता है इसमें समय ज्यादा लगता है इसमें रेशों का 5 इंच में काटा जाता है फिर हेन्ड कार्डिंग का प्रयोग करते हैं पर हाथ के ढारा कार्डिंग में भीमल के रेशों से कार्डिंग करके चरखे एवं तकली के ढारा कताई करना संभव नहीं हो पाया सिर्फ बढ़ कर रस्सीयों का निर्माण किया जा सका इस कारण दूसरी प्रणाली का प्रयोग किया गया।



हाथ ढारा कार्डिंग की प्रक्रिया



अटोली ढारा भीमल रेशों से रस्सी का निर्माण

इस पारंपरिक प्रक्रिया के ढारा सिर्फ रस्सीयों का निर्माण किया जाता रहा है भीमल के अन्य अध्ययन में इससे सिर्फ रस्सी के बनने का ही वर्णन किया गया है। पर भीमल के रेशों से धागों का निर्माण करने के लिए इसे उस


प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ता है जो कि जूट पर की जाती है इसके लिए जूट के रेशों के लिए प्रयोग में लेने वाले मशीनों का प्रयोग किया जाता है जिससे इनकी चरखे के ढारा एवं मशीन के ढारा आसानी से धागों किनारण किया जा सकता है क्योंकि दोनों जूट और भीमल के रासायनिक संयोजन में काफी समानता है।

जूट और भीमल की रासायनिक संरचना -

|                | जूट               | भीमल  |
|----------------|-------------------|-------|
| सेल्युलोज      | 65.2 प्रतिशत      | 48.06 |
| हेमि सेल्युलोज | 22.2 प्रतिशत      | 19.02 |
| लिभिन          | 12.3 प्रतिशत      | 16.63 |
| फेट एण्ड वेक्स | 0.3 - 1.0 प्रतिशत | 1.04  |
| ऐस कॉटेन्ट     | 0.6 - 0.8 प्रतिशत | 1.07  |

इनकी रासायनिक संरचना में लगभग समानता होने के कारण इसे जूट कार्डिंग मशीन का प्रयोग भीमल के रेशों पर किया गया।

#### एक बैच के लिए भिमल का चयन



**कताई की प्रक्रिया** - कताई की प्रक्रिया हाथ के ढारा की गई है इस प्रक्रिया के अंतर्गत दो प्रकार से किया गया है।

**तकली ढारा** - इस प्रक्रिया में तकली का प्रयोग करते हैं। यह एक धातु से निर्मित 7 इंच लम्बी छड़ी के नीचे के सिरे पर एक गोलाकार प्लेट लगी रहती है। छड़ के ऊपरी भाग में एक हुक रहता है। यही हुक रेशों को पकड़ता है। इसी हुक के ढारा रेशों को थोड़ी लम्बाई तक खींचा जाता है। जब कुछ रेशों आपस में सटते हुए कुछ लम्बाई तक खींच जाते हैं तब तकली को हाथ से ही धूमा दिया जाता है। पूर्णरूप से बट जाने के बाद प्लेट के पास ही बटे हुए धागे को लपेट दिया जाता है तथा पुनः इसी क्रिया को दुहराया जाता है। इस प्रकार धागे की लम्बाई बढ़ती जाती है। उत्तराखण्ड में अभी भी भोटिया जनजातियों में कुछ लोग तकली का प्रयोग करते हैं।



बागेश्वरी चरखे के ढारा कताई

**चरखे ढारा कताई** - उत्तराखण्ड में कताई के लिए बागेश्वरी चरखे का प्रयोग किया जाता है ये चरखा टेबल के समान बना हुआ है इसे नीचे पैरों द्वारा चलाया जाता है इसकी बनावट एक टेबल के समान है नीचे एक बड़ा चक्का होता है वो रस्सी के ढारा उपर एक छोटे चक्के से गोलाई में जुड़ा होता है। छोटे चक्के के बीच से एक छड़ी बीचों-बीच एक तरफ से दूसरे तरफ निकलते हुए दो स्टेन्ट के सहारे स्थापित होती है। नीचे वाले चक्के पैरों से चलाये जाने वाले पैडल से जुड़े होते हैं जब पैडल को चलाते हैं पैरों से तो बड़ा चक्का धूमता है और फिर छोटा चक्का और बाकि के हिस्से अपना-अपना काम प्रारंभ करते हैं। उत्तराखण्ड के रोम्पा भाषा में इन धागों को अलग-अलग नामों से बोला जाता है जो कि चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है।

**निष्कर्ष** - भीमल के पेड़ों का प्रयोग चारे, आयुर्वेद और जलाने के अलावा इससे रेशे अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करके उस से धागों का निर्माण किया जा सकता है जो कि कारपेट और अन्य होमफनिशिंग उत्पादों को घरेलू उपयोग में लाये जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट में भी प्रयोग में लिया जा सकता है ये उत्तराखण्ड के लघु उद्योग और घरेलू उद्योगों को भी आगे बढ़ा सकती है अगर भीमल के रेशों पर और अध्ययन हो तो जूके समान ही इसको और भी कई प्रयोगों में लाया जा सकता है जिस प्रकार आज जूट कई क्षेत्रों में प्रयोग में आ रहा है उसी प्रकार भीमल का भी प्रयोग हो सकता है क्योंकि भीमल भी एक बहुउपयोगी पेड़ है और इससे प्राप्त रेशे बहुउपयोगी हैं।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Murphy, W.S., Volume -2, Practical Guide to Spinning, Abhishek Publications, Chandigarh -17, First Indian Edition – 2004
2. Pangtey, Dr. S.S., Munsyari A Gem in the India Himalaya, Munsyari A Gem in the India Himalaya, Tribal Heritage Museum Mansyari, Pithoragarh, uttranchal
3. Rastogi, Meenakshi, Fibres And Yarn, Sonali Publications, New Delhi – 110002 First Published – 2009
4. Sanjay Bahti, Anuj Kumar, S.T.S. Lepccha, Common Fiber Yielding Plants Of N.W. Himalayas, प्रथम संस्करण, 2009

# Career Lattice Model - A Meaningful link between pre-service, in-service, and continuing education

Dr. Premlata Gandhi\*

**Abstract** - This paper presents a meaningful link between pre-service, in-service and continuing education. The initiative is required to be taken to support a cooperative mission of reform in both pre-service (university) and in-service (school) educators. This vision has three central goals: diversity, quality, and collaboration. One has to recognize the value of diversity in individual cultures, instructional styles, and unique needs as life-long learners.

**Keywords**— IN-SERVICE, PRE-SERVICE, TEACHER EDUCATION, CLASSROOM.

**Introduction** - This paper presents on the meaningful link between pre-service, in-service and continuing education. Restructuring the role of the classroom teacher as a teacher educator to facilitate the expansion of professional skills, is reflective of the dynamic nature of adult development. There is diversity among experienced classroom teachers in their career stages and in the personal and professional characteristics they bring to the classroom. What is appropriate for one teacher as an incentive for professional growth may not be appropriate for another teacher. Therefore, options and alternatives for staff development that are consistent with the realities of teacher career stages will lead to the greater professionalization of the teacher. Opening an avenue of teacher growth through school-based teacher education, the classroom teacher is provided the opportunities to promote and support peer teacher growth, to experience empowerment by facilitating local change, to assume a leadership role without relinquishing the classroom, and to develop teaching behaviors which blend clinical skills with practitioner-translated research and theory. This revitalization of the teaching role with new responsibilities benefits the schooling process and its participants, and is achievable when the classroom teacher becomes a teacher educator.

## Initiative

**A. Review Stage** - In order to create a meaningful link between pre-service, in-service and continuing education the initiative is required to be taken to support a cooperative mission of reform in both pre-service (university) and in-service (school) educators. This vision has three central goals: diversity, quality, and collaboration. One has to recognize the value of diversity in individual cultures, instructional styles, and unique needs as life-long learners.

**B. Career of a teacher**- The culture of schools historically isolates the teacher in the classroom. The desire for increased and varied responsibility within the teaching field has traditionally been accomplished by leaving the

classroom and advancing into an administrative role. That, however, is not always the desire of the career teacher. Opportunities to expand the teaching role while remaining a classroom teacher are achievable through a staff development program that recognizes adult learning and development stages and capitalizes upon the classroom teacher as a teacher educator. This concept is recognized and supported through career stage development activities advocated in various reform reports.

The classroom teacher who is a school-based teacher educator can be responsible for pre-service, in-service, or continuing education at a school or district level, while maintaining a primary work location in the elementary or secondary classroom. Teachers in this role have the potential for enhancing faculty morale by responding to both the professional and personal development needs of the faculty and by utilizing other teachers as resources within the designed program. Teacher needs have been addressed most recently through the career lattice model, which has been proved as successful link between pre-service, in-service, and continuing education.

**C. District Institutes of Education and Training** - It is envisaged that selected institutions should be developed as District Institutes of Education and Training (DIET) [2], both for pre-service and in service courses of elementary school teachers and for continued education of the personnel working in non-formal and adult education programme. Reorganization of secondary teacher education system may also be implied in the policy.

**REORGANISATION OF ELEMENTARY TEACHER EDUCATION** - An important change in the educational system may be brought about by the radical transformation of the present system of Elementary Teacher Education. The functions of an Elementary Teacher Education institution should include:

1. Pre-Service and inservice education of teachers for the formal school system.

2. Induction level and continuing education of Non-Formal and Adult Education Instructors and Supervisors.
3. Training and orientation of heads of institutions in institutional planning and management and micro-level planning.
4. Orientation of community leaders, functionaries of Voluntary organizations and others influencing school level education.
5. Academic support to school complexes and District Boards of Education.
6. Action research and experimentation work.
7. Serving as evaluation center for primary and upper primary schools as well as Non-Formal and Adult Education Programme.
8. Provision of services of a resource and learning center for teachers and instructors.
9. Consultancy & advice

Facilities of latest technology such as computer-based learning, TV, etc. may be provided at DIETs. The teachers receiving training at DIETs should be encouraged to develop their own programmes using the facilities available at DIETs and to use these materials as instructional resources. Capability for making copies of video lectures, etc. should also be provided in these Institutes. Besides, imaginative use of traditional teaching aids may be emphasized and teachers encourage to improvise their own instructional materials.

**Secondary Teacher Education** - The responsibility for secondary teacher education may continue to rest with Colleges of Teacher Education affiliated to Universities. The university in co-operation with NCTE may exercise responsibility for academic aspects including conduct of examinations, award of degrees and ensuring quality of secondary teacher education institutions. These institutions should also be responsible for continuing education programmes for secondary teachers. Some Colleges of Teacher Education may be developed as comprehensive institutions organizing programmes for primary teacher education and possibly also, 4 years' integrated courses after higher secondary stage, in addition to the usual B.Ed./ M.Ed. courses. These comprehensive institutions should also be provided with facilities-and staff for undertaking research and to supplement the efforts of State Councils of Educational Research and Training (SCERT).

**In-Service education for teachers** - The needs for in-service education of teachers [1] arise from several sources, such as, changing national goals, revision of school curricula, additional inputs in teaching- learning system, inadequate background of teachers, etc. The state level agency should take cognizance of all the needs before preparing a programme of in-service education for a given period of time.

The District Institutes of Education and Training for the primary level should be the major agency to conduct the programmes of in- service education for primary teachers;

assistance may be sought from school complexes in the district. In case of secondary school teachers, the programmes should be extended through teacher training institutions and the Centers for Continuing Education. The District level education officer may help in effective conduct of the programmes.

All in-service education programmes cannot be organized in face- to-face modality, especially in view of the numbers involved. Distance in-service education may be prepared and extended with the help of broadcasting agencies. The comprehensive college of education as well as DIETs may also be provided production facilities in a phased manner. The production facilities at such colleges may not be of professional quality which would produce material which can be used in its own training programmes only but can also be shared by other sister organizations. Experiences especially those of voluntary organizations should be drawn upon in designing courses, development of material and strategies for in-service education.

**National Council for teacher education (NCTE)** - NCTE has been in existence since 1973 but it has not been able to guide the system of teacher education to meet emerging challenges. Some of the difficulties are inherent in its constitution. It should perform the following functions:

- (a) Accreditation/disaccreditation of institutions of teacher education
- (b) Laying down of standards and norms for institutions of teacher education
- (c) Development of guidelines for curricula and methods of teacher education
- (d) Other functions like earning of credits for in- service education, duration of various courses, emphasis to be laid in training programs for NFE/AE instructors, place of correspondence education in teacher education etc. Some other functions like preparation of learning material, orientation of senior teacher educators etc. may continue to be performed by NCERT, SCERTs, in co-operation with NCTE.

The curriculum for teachers' training needs to be revised in the light of the new policy thrusts. In particular, there should be an emphasis on integration of education and culture, work experience, physical education and sports, the study of Indian culture and the problems of the unity and integration of India. Planning and Management are emerging areas and curriculum should bring out the importance of these areas. Educational technology will influence not only methodologies of teaching learning process but also the contents and their design. These aspects should also be taken into account while framing the curriculum.

There is too much emphasis in textbooks on Western ideas, and teachers under training do not get exposed adequately to Indian philosophical and psychological concepts of education. Therefore, NCERT and UGC should undertake the task of preparing new learning materials, which would include textbooks, reference books,

anthologies, slides, films, etc., and which will reflect the Indian experience in National Council for teacher education(NCTE).

**References :-**

1. L.A. Bell, The Organization of In Service Education Journal of In-Service Education.
2. Grover. S.K. (1999). Teacher Education for Universal, Elementary Education in India. Education of Teachers, Saarc
3. Experience. IJNESCO. NCTE Document. New Delhi: pp. 53-60.

\*\*\*\*\*

# पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षण में प्रयुक्त शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का अध्ययन

रेखा दाधीच \* डॉ. अनिता कोठारी \*\*

**शोध सारांश -** प्रस्तुत अनुसंधान कार्य का मुख्य लक्ष्य पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षण में प्रयुक्त शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना था। शोध में नवीन शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का अध्ययन करने हेतु प्रयोगात्मक विधि का अध्ययन किया गया। शोध के न्यादर्श का चयन यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा 30-30 छात्राओं के दो समूह प्रायोगिक समूह एवं नियंत्रित समूहका चयन किया गया। स्वनिर्मित पूर्व एवं पश्च परीक्षण के माध्यम से दत्त संकलन किया गया।

**शब्द कुंजी -** प्रयुक्तशिक्षण विधियाँ, प्रभावशीलता।

**समस्या का उद्भव -** Karijani and Yeshodhara (2008) ने 'भारत और ईरान के उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों में विभिन्न घटकों में पर्यावरणीय रैवैया का अध्ययन', आयजक शलिनी (1987) ने 'विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों में पर्यावरणीय जागरूकता का अध्ययन', सोलकी, कल्पना (1988) ने 'पर्यावरण शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन', प्रधान (2002) ने 'माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता का विश्लेषण', शैला (2003) ने 'माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के पर्यावरणीय दृष्टिकोण पर पृष्ठभूमि चरों के प्रभावों का अध्ययन', मोढ़ी, किरन (2005) ने 'राजस्थान और गुजरात में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के प्रयुक्त आव्यूह का तुलनात्मक अध्ययन', ढलन एण्ड संधु (2005) ने 'माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के बीच पर्यावरण शिक्षा जागरूकता का अध्ययन' खीमाणी, बेला (2008) ने शोधकार्य 'पर्यावरण शिक्षण हेतु विचार विमर्श कार्टुन भूमिका निर्वहन कार्टुन एवं परम्परागत व्याख्यान का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव' तथा देवी (2008) ने 'निरन्तर शिक्षा प्रेरिक्स के बीच पर्यावरणीय मुद्दों के ज्ञान से संबंधित कारक का अध्ययन' आदि संबंधित साहित्य से उक्त विषय पर अनुसंधान कार्य करने की प्रेरणा मिली है।'

## विशिष्ट उद्देश्य :

- पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षण पर गतिविधि की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
- पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षण पर खेल विधि की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
- पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षण पर प्रयोग विधि की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

## प्राकल्पनाएँ :

- पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षण पर गतिविधि की कोई प्रभावशीलता नहीं होती है।
- पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षण पर खेल विधि की कोई प्रभावशीलता नहीं होती है।
- पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षण पर प्रयोग विधि की कोई प्रभावशीलता नहीं होती है।

## विधिशास्त्र :

- प्रस्तुत शोध में शोध की प्रकृति को ढेखते हुए शोधार्थी ने प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया।
- दत्त संकलन हेतु स्वनिर्मित पूर्व व पश्च परीक्षण काप्रयोग किया गया।
- अनुसंधान कार्य के लिए न्यादर्श स्वरूप कुल 60 छात्राओं का चयन किया गया है। जिसमें 30 छात्रा नियंत्रित समूह व 30 छात्रा प्रयोगात्मक समूह के लिये गये हैं।

## सारणीयन व विश्लेषण :-


**सारणी संख्या 1 : पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षण पर गतिविधि की प्रभावशीलता का टी-मान के आधार पर विश्लेषण**

| समूह        | विधि     | परीक्षण | मध्यमान | मानक विचलन | टी-मान | 0.01 एवं 0.05 स्तर पर सार्थकता |
|-------------|----------|---------|---------|------------|--------|--------------------------------|
| प्रयोगात्मक | गति विधि | पूर्व   | 13.1    | 1.7        | 31.42  | सार्थक अन्तर पाया गया          |
|             |          | पश्च    | 23.9    | 1.7        |        |                                |

स्वतंत्रता के अंश ( $df = 28$ ) पर सारणीमान

0.01 स्तर का मान = 2.76,

0.05 स्तर का मान = 2.05



\*पी.एच.डी. शोधार्थी, जर्नार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालय), उदयपुर (राज.) भारत

\*\*पी.एच.डी. पर्यवेक्षक, जर्नार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालय), उदयपुर (राज.) भारत

**व्याख्या** - प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन विषय को गतिविधि द्वारा शिक्षण कराते हुए पूर्व व पश्च परीक्षण के प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 13.1, 23.9 व 1.7, 1.7 प्राप्त हुए। दोनों परीक्षणों के मध्यमानों के मध्य सार्थक अन्तर ज्ञात करने के लिए टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया तथा प्राप्त टी-मान के आधार पर पाया गया कि दोनों परीक्षणों के मध्यमानों के बीच सार्थक अन्तर है। निष्कर्षतः प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन विषय को गतिविधि द्वारा शिक्षण कराने पर सार्थक प्रभाव पाया गया।


**सारणी संख्या 2 : पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षण पर खेल विधि की प्रभावशीलता का टी-मान के आधार पर विश्लेषण**

| समूह         | विधि | परीक्षण | मध्यमान | मानक विचलन | टी-मान | 0.01<br>एवं<br>0.05<br>स्तर पर<br>सार्थकता |
|--------------|------|---------|---------|------------|--------|--|
| प्रयोगा-त्मक | खेल  | पूर्व   | 13.9    | 2.0        | 22.01  | सार्थक<br>अन्तर<br>पाया<br>गया             |
|              |      | पश्च    | 23.6    | 1.7        |        |  |

स्वतंत्रता के अंश ( $df = 28$ ) पर सारणीमान

0.01 स्तर का मान = 2.76

0.05 स्तर का मान = 2.05



**व्याख्या** - प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन विषय को खेल विधि द्वारा शिक्षण कराते हुए पूर्व व पश्च परीक्षण के प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 13.9, 23.6 व 2.0, 1.7 प्राप्त हुए। दोनों परीक्षणों के मध्यमानों के मध्य सार्थक अन्तर ज्ञात करने के लिए टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया तथा प्राप्त टी-मान के आधार पर पाया गया कि दोनों परीक्षणों के मध्यमानों के बीच सार्थक अन्तर है। निष्कर्षतः प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन विषय को खेल विधि द्वारा शिक्षण कराने पर सार्थक प्रभाव पाया गया।

**सारणी संख्या 3 : पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षण पर प्रयोग विधि की प्रभावशीलता का टी-मान के आधार पर विश्लेषण**


| समूह | विधि | परीक्षण | मध्यमान | मानक विचलन | टी-मान | 0.01<br>एवं<br>0.05<br>स्तर पर<br>सार्थकता |
|------|------|---------|---------|------------|--------|--|
|------|------|---------|---------|------------|--------|--|

| प्रयोगा-त्मक | प्रयोग | पूर्व<br>पश्च | 15.9<br>25.2 | 2.1<br>1.6 | 21.72 | सार्थक<br>अन्तर<br>पाया<br>गया |
|--------------|--------|---------------|--------------|------------|-------|--------------------------------|
|--------------|--------|---------------|--------------|------------|-------|--------------------------------|

स्वतंत्रता के अंश ( $df = 28$ ) पर सारणीमान

0.01 स्तर का मान = 2.76

0.05 स्तर का मान = 2.05



**व्याख्या** - प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन विषय को प्रयोग विधि द्वारा शिक्षण कराते हुए पूर्व व पश्च परीक्षण के प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 15.9, 25.2 व 2.1, 1.6 प्राप्त हुए। दोनों परीक्षणों के मध्यमानों के मध्य सार्थक अन्तर ज्ञात करने के लिए टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया तथा प्राप्त टी-मान के आधार पर पाया गया कि दोनों परीक्षणों के मध्यमानों के बीच सार्थक अन्तर है। निष्कर्षतः प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन विषय को प्रयोग विधि द्वारा शिक्षण कराने पर सार्थक प्रभाव पाया गया।

**वर्तमान में प्रासंगिकता** - शोधार्थी ने प्राथमिक स्तर की कक्षा पांचवी के विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षण हेतु खेल, भूमिका निर्वाह, कठपुतली विधि तथा क्रियात्मक या गतिविधि विधि आदि को उपयोग किया जिसकी प्रभावशीलता ढेखी जा सकती है अर्थात् परम्परागत विधि की अपेक्षा उपर्युक्त विधियाँ अधिक प्रभावशाली रही हैं जिससे विद्यार्थी अधिक अधिगम कर सके।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- Agarwal Subhash (1987) : "Learning Styles", Among Creative Publishing house.
- Anastasi, Anne, : Psychological Testing", New York : MacMailan Publishing Co., Inc., 1976.
- Good, C.V. (1959) "Introduction to Educational Research", New York.
- Goods, Bar and Scates (1947) : "Methodology of Education Research", New York.
- Guild, Pat (1990) : "On Learning Style A Conversation with Pat Guild Educational Leadership", 48,2, pp.10-13.
- Gupta S.C. (1981) : "Fundamentals of Statistics", Bombay Himalaya Publishing Home.
- James, M. Lee : "Principles and Method of Secondary Education".

# Robo Tutor- A Research on Future of Teaching

Dr. Premlata Gandhi\*

**Abstract** - This paper is based on research on the Robots in teaching, it also is a finding on possibility of teacherless classrooms and feedback and of learners. The research also checks if a robot is mainly a teaching assisting tool and not to replace the teacher. It also shows various studies in different areas where robots teach the pre school students, autistic students, high school maths, corporate trainings. Areas where improvement can be done is also emphasized in the conclusion.

**Keywords**—ROBO TUTOR, PRE-SCHOOL, AUTISTIC STUDENTS, CORPORATE TRAINING, REPLACEMENT.

**Introduction** - This paper presents a research on a robot teacher which can perform all the tasks of a physical teacher and to check the possibility of the same. There are also many benefits of the Robo Tutor in Corporate Trainings, in schools, kindergartens, and schools for specially abled children. The major benefits relating to the repetitive action ,storing the actions performed in last classes, utilizing regression algorithms to predict the student's behavior like a recommender system ,organizing the class as per levels ,as per interests of different students, personalized teaching for all, more availability of the teacher and more frequency of the classes.

## Initiative

**A. Stages** - There are many MOOCs in the market , but the question of replacement of physical teachers is not very realistic in today's date .There are some preschools where teachers are using Robo-tutors like an aid in teaching and the results are very different from conventional teaching methods.

**B. Preschools** - Example from a Singapore preschool: In a recent morning at Sparkletots preschool in Singapore, Natalie, Bryan and Mikayle, all four years old, knelt on the floor around a machine called Kibo and "programmed" it with a set of instructions printed on wooden blocks. Each of the blocks was printed with a command — "forward", "backward", "shake"— written in English and as a barcode that the robot could understand. The children started the sequence. Natalie clapped and the others shrieked with delight as the machine wriggled. It had done just what it was programmed to do; hearing the child's clap triggered its movement. "Again, again," Natalie and her classmates squealed. In Singapore, admired globally for its education system, authorities are trialling the use of robotic aides to teachers in kindergartens. Two humanoid robots, Pepper and Nao, assisted teachers in a seven-month trial at two Singapore preschools last year, while technology-enabled toys such as Kibo were deployed at 160 nurseries, including

Sparkletots. The city-state's policy makers regard the androids as an adjunct to teaching, while the goal of the tech toys is to encourage children to be more creative with technology. Foo Hui Hui, an official with a Singapore government agency given the task of exploring the possibilities of digital technology, said last year: "We imagine a future not too far off, where interactive robots with the ability to perform multiple human tasks and provide visualisation of complex ideas can help children to learn and collaborate better." After decades in which robots have become commonplace on the factory floor, they are entering our society as comforters, playmates and, perhaps, teachers. Paro, the robotic baby seal first rolled out in Japan in 2003, has been adopted in care homes around the world. Gasparzinho, a stubby robot with a T-shaped head, plays games of tag with sick children in the paediatric wing of a Lisbon cancer hospital. Pepper the robot in a Singapore classroom

**C. Relationship of Today's Child and Computer** - It is education, and, in particular, teaching very young children, where some researchers and policy makers are focusing their energy. The early years are a period of intense learning and rapid brain development. Skills that will matter throughout life are developed at this point — from the acquisition of confidence and self-esteem to social skills such as learning to play well, sharing, taking turns and dealing with conflict. Advocates of the trials raise hopes that the robots will, ironically, make us more human. In a statement, the Singapore government agency behind the pilots said that these robots "encourage collaboration and social interaction among young children", citing research from the US and Israel. But in a world in which people increasingly fret about the amount of time that we, and our children, spend swiping at screens, the trials also raise questions about the changing dynamics of our society. Some fear that "pretend relationships" with automata may come to be an acceptable substitute for human interaction.

The pioneer of efforts to combine robotics with education was Seymour Papert, a mathematician and computer scientist who worked with Swiss philosopher and child psychologist Jean Piaget at Geneva University before moving to the Massachusetts Institute of Technology in 1963. There, he developed a programming language for children and helped set up the MIT Media Lab. Papert drew a distinction between the use of computers in education to simply instruct a child, and their potential to be an empowering, creative tool. "In many schools today, the phrase 'computer-aided instruction' means making the computer teach the child," he wrote in his influential 1980 book *Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas*. "One might say the computer is being used to programme the child. In my vision, the child programmes the computer and, in doing so, both acquires a sense of mastery over a piece of the most modern and powerful technology and establishes an intimate contact with some of the deepest ideas from science, from mathematics, and from the art of intellectual model building."

**Outcome of this approach** - When Singapore first introduced the androids Pepper and Nao to the classroom last year, teachers noted that the machines often had gratifying results with normally timid children. Shyer boys and girls were more willing to put their hands up or volunteer to come to the front of the class if it meant they were able to interact with Pepper. In the seven-month pilot study, in which the robots were loaned for free by their Japanese maker SoftBank Robotics, Pepper questioned children after they were told stories. Following a reading of the Aesop fable *The Tortoise and the Hare*, the robot asked them: "How did the tortoise feel about winning? How do you think the hare is feeling?" The questions, which had multiple choice answers, were aimed at building comprehension but, curiously for an artificial teacher, were also supposed to help the children learn about emotion. The robots assisted in maths lessons too — setting up a shop in class, scanning purchases and then checking whether the children had paid the right money. The children, already exposed to the idea of intelligent machines through television and films, were thrilled by meeting humanoid robots, according to Melissa Bea, a teacher at MY World Preschool. "None of the children were afraid of it," she tells me by email. "In fact, they had many questions for Nao like 'How old are you?', 'Why are you so short?', 'Will you stay at the same height when you reach a hundred years old?'"

**Human Skills** - Like any new educational gadget, the robot grabbed children's attention, Bea says, but she questioned its ability to direct a child's education with human skill. "The robot, not being a thinking individual, is unable to pose questions, elicit responses, prod for discovery learning and point a child towards engaging in a new train of thought or develop new ideas. It is also unable to meet the emotional needs of children."

**To Help children with AUTISM** - The children are encountering robots as objects to be manipulated rather

than mechanical teaching assistants. Singapore is not the only country to explore the potential of robots in the classroom. Nao has been deployed at a primary school in Birmingham in the UK, where it was used to help children with autism. The trial at Topcliffe Primary School in 2014 was aimed at helping children to pick up social cues. The idea was that, by simplifying interactions, robots could make social exchanges such as playing games easier for autistic children to follow. Researchers in Israel have also used Nao to tell stories to kindergarten children. In autumn 2002, American researcher Javier Movellan brought Robovie, a lanky bipedal Japanese-made android, to his son's childcare centre in Kyoto. Movellan had become aware of the powerful and positive feelings of emotional connection that social robots could arouse in humans, but later confessed that he was shocked at how intensely the children reacted — they were terrified of the machine. Back at the University of California, San Diego, where he worked, Movellan launched a project to study the potential use of robots to assist teachers in early childhood education. Perhaps mindful of how fearful the children in the Kyoto centre had been, the machine that his team developed, called Rubi, was cute and a little klutzy. A boxy, bug-eyed contraption with a touchscreen on its front, Rubi performed songs and interactive games aimed at improving the children's vocabulary. While the children were watching the robot, it was also watching them, learning to recognise whether they were smiling or looking blank. Rubi could also display emotion. After an early episode in which the children pulled off a robotic arm, it was programmed to "cry" when it came under physical pressure — signalling that it was getting hurt. Benefits seen in the study:

1. student-to-student confrontations were eliminated
2. self-regulation was demonstrated by all participating students
3. All students showed improvement in social interactions
4. academic gains immediately followed self-regulation
5. students effectively used calm down tools
6. IEP goals are now being regularly achieved.

**High school teacher** - Maths Teacher: [3] Amy—an AI-driven, robotic math tutor...She's friendly. She's a hard worker. She's helpful and always available.

While she doesn't walk or drive around a classroom, Amy takes after human tutors, and teaches in an interactive way. Osnova, the tutoring company that created Amy, recently added her first version of dynamic teaching, which allows her to understand why students make mistakes, and then enables her to automatically teach them what they need to learn to fill the gaps.

So far, Amy prototype has been trialled in 10 different high schools across New Zealand. Raphael Nolden, co-founder and CEO of Osnova, says his team has not yet done full analysis of the data from the first trials. When they do, they'll gain the "most interesting and insightful learning then."

"If you make a mistake, while doing an integration

exercise. Amy will know why you made the mistake, which is probably some error in your algebra," Nolden explains. "Then she'll teach you this specific thing before she goes back and checks that you can now solve this sort of problem."

**Corporate Trainer** - In Corporates ,there are big Learning and Development Cells and big budgets ae passed to impart skills and knowledge of specific technologies to the employees.When the employee leaves the Organization the knowledge is also in certain way gone with him until the next person gain sufficient experience. Robo Tutors can be uploaded with the data and lessons to be taught with levels and specifications.This will be beneficial for:

1. More Availability of the tutor
2. More frequency of the course
3. Less input or One time input
4. Reduced Cost
5. Personalized Mentor
6. Recommender System

**When can be a replacement** - ]Robots could replace teachers as soon as 2027.That's the bold claim that Anthony Seldon, a British education expert, made at the British Science Festival in September.

Seldon may be the first to set such a specific deadline for the automation of education, but he's not the first to note technology's potential to replace human workers. Whether the "robots" take the form of artificially intelligent (AI) software programs or humanoid machines, research suggests that technology is poised to automate a huge proportion of jobs worldwide, disrupting the global economy and leaving millions unemployed.

But just which jobs are on the chopping block is still a subject of debate.

Some experts have suggested that autonomous systems will replace us in jobs for which humans are unsuited anyway — those that are dull, dirty, and dangerous. That's already happening. Robots clean nuclear disaster sites and work construction jobs. Desk jobs aren't immune to the robot takeover, however — machines are replacing finance experts, outperforming doctors, and competing with advertising masterminds.

The unique demands placed on primary and secondary school teachers make this position different from many other jobs at risk of automation. Students all learn differently, and a good teacher must attempt to deliver lessons in a way that resonates with every child in the classroom. Some students may have behavioral or psychological problems that inhibit or complicate that process. Others may have parents who are too involved, or not involved enough, in their education. Effective teachers must be able to navigate these many hurdles while satisfying often-changing curriculum requirements.

In short, the job demands that teachers have nearly superhuman levels of empathy, grit, and organization. Creating robotic teachers that can meet all these demands might be challenging, but in the end, could these AI-

enhanced entities solve our most pervasive and systemic issues in education.

In Corporates ,there are big Learning and Development Cells and big budgets ae passed to impart skills and knowledge of specific technologies to the employees.When the employee leaves the Organization the knowledge is also in certain way gone with him until the next person gain sufficient experience. Robo Tutors can be uploaded with the data and lessons to be taught with levels and specifications

**Room for improvement** - In 2015, the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development, a plan for eliminating poverty through sustainable development. One goal listed on the agenda is to ensure everyone in the world has equal access to a quality education. Specific targets include completely free primary and secondary education, access to updated education facilities, and instruction from qualified teachers. Some nations will have a tougher time meeting these goals than others. As of 2014, roughly nine percent of primary school-aged children (ages 5 to 11) weren't in school, according to the same UNESCO report. For lower secondary school-aged children (ages 12 to 14), that percentage jumps to 16 percent. More than 70 percent of out-of-school children live in Southern Asia and Sub-Saharan Africa. In the latter region, a majority of the schools aren't equipped with electricity or potable water, and depending on the grade level, between 26 and 56 percent of teachers aren't properly trained.

To meet UNESCO's target of equal access to quality education, the world needs a lot more qualified teachers. The organization reports that we must add 20.1 millionprimary and secondary school teachers to the workforce, while also finding replacements for the 48.6 million expected to leave in the next 13 years due to retirement, the end of a temporary contract, or the desire to pursue a different profession with better pay or better working conditions.

That's a lot of teachers. So it's easy to see the appeal of using a robotic teacher to fill these gaps. Sure, it takes a lot of time and money to automate an entire profession. But after the initial development costs, administrators wouldn't need to worry about paying digital teachers. This saved money could then be used to pay for the needed updates to education facilities or other costs associated with providing all youth with a free education.

Digital teachers wouldn't need days off and would never be late for work. Administrators could upload any changes to curricula across an entire fleet of AI instructors, and the systems would never make mistakes. If programmed correctly, they also wouldn't show any biases toward students based on gender, race, socio-economic status, personality preference, or other consideration. But we still have some ways to go before such instructors enter our classrooms.

Education systems are “only as good as the teachers who provide the hands-on schooling,” UNESCO claims, and today’s robots simply can’t match human teachers in the quality of education they provide to students. In fact, they won’t be able to for at least the next decade, Rose Luckin, a professor at the University College London Knowledge Lab, a research center focused on how digital media can transform education, told Futurism. Teachers rely heavily on social interaction to support their students and figure out what they need, Luckin continued, and so far no digital system can compete with a human in this realm.

However, it is possible that no robot will ever be good enough to replace teachers completely. “I do not believe that any robot can fulfill the wide range of tasks that a human teacher completes on a daily basis, nor do I believe that any robot will develop the vast repertoire of skills and abilities that a human teacher possesses,” Luckin said.

There is some weight to Luckin’s assertions. While machines can handle a variety of specific tasks, we haven’t yet come close to creating artificial general intelligence (AGI) — the kind of machine that could answer the tough questions outside the purview of the immediate lesson that

good teachers should be prepared to tackle. Today’s robots also lack the empathy and ability to inspire that teachers bring to the classroom.

That doesn’t mean robots won’t replace teachers, though. Very few studies directly compare human and robot teachers, so it’s not clear how much better the human performs than the robot.

In any case, Luckin suggests a compromise: AI and automated systems could have collaborative roles in the education system. That would enable teachers and students to take advantage of the tech in ways that will benefit them both, and we wouldn’t need to worry about lack of oversight for when our AI systems do encounter problems.

**References :-**

1. <https://www.ft.com/content/f3cbfada-668e-11e7-8526-7b38dcaef614>
2. <https://newsroom.cisco.com/feature-content?articleId=1873531>
3. <https://newsroom.cisco.com/feature-content?articleId=1873531>
4. <https://www.weforum.org/agenda/2017/12/why-robots-could-replace-teachers-as-soon-as-2027>



# A Study on Financial Performance of Stock Exchange in India

Chanda Parmar \*

**Abstract** - Stock Market is one of the most vibrant sectors, in the financial system, marking an important contribution to economic development. Stock Market is a place where buyers and sellers of securities can enter into transactions to purchase and sell shares, bonds, debentures etc. In other words Stock Market is a plate form for trading various securities and derivatives. Further, it performs an important role of enabling corporate, entrepreneurs to raise resources for their companies and business ventures through public issues. Today long term investors are interested to invest in the Stock market rather than invest anywhere. The Bombay Stock Exchange (BSE), the National Stock Exchange (NSE) and the Calcutta Stock Exchange (CSE) are the three large stock exchanges of Indian Stock Market. The main objective of present study is to present financial performance of Indian Stock Market to study the Indian Stock Market in depth from 1991 to 2017. The study would facilitate the reader to know the past, current and future trend or prospects of Indian Stock market, this study was provided guidelines to investor to maximize profit with minimize risks. High degree of volatility in the recent times in the market has led to more development in the future.

**Keywords** - Stock Market, Financial performance, Average return, Investment, Investors.

**Introduction** - As a part of the process of economic liberalization, the stock market has been assigned an important place in financing the Indian corporate sector. Besides enabling mobilizing resources for investment, directly from the investors, providing liquidity for the investors and monitoring and disciplining company managements are the principal functions of the stock markets. The main attraction of the stock markets is that they provide for entrepreneurs and governments a means of mobilizing resources directly from the investors, and to the investors they offer liquidity. It has also been suggested that liquid markets improve the allocation of resources and enhance prospects of long term economic growth. The concept of stock markets came to India in 1875, when Bombay Stock Exchange (BSE) was established as "The Native Share and Stockbrokers Association", a voluntary non-profit making association. We all know it, the Bhaji market in your neighborhood is a place where vegetables are bought and sold. Like Bhaji market, a stock market as a place where stocks are bought and sold. The stock market determines the day's price for a stock through a process of bid and offer. You bid to buy a stock and offer to sell the stock at a price. Buyers compete with each other for the best bid, i.e. The highest price quoted to purchase a particular stock. Similarly, sellers compete with each other for the lowest price quoted to sell the stock. When a match is made between the best bid and the best offer a trade is executed. In automated exchanges high-speed computers do this entire job.

Stocks of various companies are listed on stock

exchanges. Presently there are 23 stock markets in India. The Bombay Stock Exchange (BSE), the National Stock Exchange (NSE) and the Calcutta Stock Exchange (CSE) are the three large stock exchanges. There are many small regional exchanges located in state capitals and other major cities. Presently Nifty and Sensex are moving around to 5900 and 19600 (July 2013). All activities of Indian stock market are regulated and controlled by SEBI.

The stock market determines the day's price for a stock through a process of bid and offer. You bid to buy a stock and offer to sell the stock at a price. Buyers compete with each other for the best bid, i.e. the highest price quoted to purchase a particular stock. Similarly, sellers compete with each other for the lowest price quoted to sell the stock. When a match is made between the best bid and the best offer a trade is executed. In automated exchanges high-speed computers do this entire job.

In India the secondary market represented by the stock exchange network is more than 125 year old. When in 1875, the first stock exchange started operation in Mumbai when the native shares and stock brokers association known as Bombay Stock Exchange (BSE) was formed by the brokers in the Mumbai. As already stated, the Indian Stock markets have played a significant role in the early attempts at industrialization in India in the late nineteenth and early twentieth century's. The early textile mills and the first steel plants were funded in the stock market. Some of these capital raising exercises were large in relation to the size of the financial sector in those days.

Gradually Stock Exchange at other place share also

\* Research Scholar (Commerce) Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA

been established and it present there are 24 stock exchange in India. The secondary market in India got a boost when the over the counter exchange of India (OTCEI) and were stabilized.

The M.P. stock exchange an unincorporated association of persons having its place of business at Indore, since the year 1957- 1958, These MPSEs has become recognized by the Central Government under the securities contract (Regulation) Act 1956 vide notification no 1/101FSE188 dated December 22/1988.

The exchange was demutualised in the year 2006 by forming a separate legal entity in the name of MP stock exchange Ltd. And all the business and activities of MP Stock exchange was transferred to mp Stock exchange Ltd. The company incorporated under companies Act 1956 on 04/09/06 and having its registered office at 201, Palika Plaza, 2nd phase, MTH Compound, Indore as a profit making, Tax Paying entity, under MPSE scheme, 2005 approved by these securities and exchange Board of India (SEBI) under section 4B(2)of the securities.

M.P Stock Exchange is the only permanently SEBI recognized stock exchange in India. Setup as an association of persons in 1919. MPSE was corporatized and demutualised into a limited company 2007. MPSE enjoys the association of 260 members and 296 MPSE Governing board is represented by the strategic investors, trading members and SEBI nominated Directors post.

With the help of above description we can understand the stock market easily. We know about them, stock market easily and to find the final conclusion which is needed in my research work. The stock market is the most important sources of company's flies to raise money. This allows business to be publicity traded or raise additional capital for expansion by selling shares of ownership of the company in public market. MPSE was activated u/s 13 with national stock limited on 26<sup>th</sup> Oct. 2011 & Bombay Stock Exchange Limited on 23<sup>rd</sup> Feb. 2012. MPSE is fully operational with more than 105 members as one 31-12-2012.

#### **Review Of Literature**

**Gupta (1992)** in his book has studied the working of stock exchanges in India and has given a number of suggestions to improve its working. The study highlights the need to regulate the volume of speculation so as to serve the needs of liquidity and price continuity. It suggests the enlistment of corporate securities in more than one stock exchange at the same time to improve liquidity. The study also wishes the cost of issues to be low, in order to protect small investors.

**Panda (2001)** has studied the role of stock exchanges in India before and after independence. The study reveals that listed stocks covered four-fifths of the joint stock sector companies. Investment in securities was no longer the monopoly of any particular class or of a small group of people. It attracted the attention of a large number of small and middle class individuals. It was observed that a large proportion of savings went in the first instance into purchase

of securities already issued.

**Gupta (2009)** in an extensive study titled 'Return on New Equity Issues' states that the investment performance of new issues of equity shares, especially those of new companies, deserves separate analysis. The factor significantly influencing the rate of return on new issues to the original buyers is the 'fixed price' at which they are issued. The return on equities includes dividends and capital appreciation. This study presents sound estimates of rates of return on equities, and examines the variability of such returns over time.

**JawaharLal (2013)** presents a profile of Indian investors and evaluates their investment decisions, He made an effort to study their familiarity with, and comprehension of financial information, and the extent to which this is put to use. The information that the companies provide generally fails to meet the needs of a variety of individual investors and there is a general impression that the company's Annual Report and other statements are not well received by them.

**L.C.Gupta (2014)** revealed the findings of his study that there is existence of v. tic the Indian stock market. The over speculative character of the Indian stock market extremely high concentration of the market activity in a handful of shares to the neglect of the remaining shares and absolutely high trading velocities of the speculative counters. He opined that short- term speculation, if excessive, could lead to "artificial price". An artificial price is one which is not justified by prospective earnings, dividends, financial strength and assets or which is brought about by speculators through rumours, manipulations, etc. He concluded that such artifices prices are bound to crash sometime or other as history has repeated and proved.

**Nabhi Kumar Jain (2015)** specified certain tips for buying shares for holding and also for selling shares. He advised the investors to buy shares of a growing company of a growing industry. Buy shares by diversifying in a number of growth companies operating in a different but equally fast growing sector of the economy. He suggested selling the shares the moment company has or almost reached the peak of its growth. Also, sell the shares the moment you realise you have made a mistake in the initial selection of the shares. The only option to decide when to buy and sell high priced shares is to identify the individual merit or demerit of each of the shares in the portfolio and arrive at a decision.

**Juhu Abuja (2016)** presents a review of Indian Capital Market & its structure. In last decade or so, it has been observed that there has been a paradigm shift in Indian capital market. The application of many reforms & developments in Indian capital market has made the Indian capital market comparable with the international capital markets. Now, the market features a developed regulatory mechanism and a modern market infrastructure with growing market liquidity, and mobilization of resources. The emergence of Private Corporate Debt market is also a good innovation replacing the banking mode of corporate

finance. However, the market has witnessed its worst time with the recent global financial crisis that originated from the US sub-prime mortgage market and spread over to the entire world as a contagion. The capital market of India delivered a sluggish performance.

### Objectives of the Study

- (i) To analysis the financial performance in stock exchange.
- (ii) To analyze the growth & development of Stock Exchange.

### Research Methodology

**Research Design:** Descriptive study.

**Sampling units-** Sample consists of financial performance in Stock Exchange.

**Study Period:** The period from 1991 to 2017 was studied.

**Sampling technique-**Average mean was found.

**Statistical Tools:** Independent T-Test was applied.

**Table 1: Average Returns**

| Year | Average Returns | Percentage of Increase/ Decrease |
|------|-----------------|----------------------------------|
| 1991 | 1599            | 0.32                             |
| 1992 | 2974            | 0.46                             |
| 1993 | 2556            | 0.16                             |
| 1994 | 4069.59         | 0.37                             |
| 1995 | 3360.56         | -0.21                            |
| 1996 | 3381.28         | 0.006                            |
| 1997 | 3803.77         | 0.111                            |
| 1998 | 3342.55         | -0.14                            |
| 1999 | 4149.27         | 0.19                             |
| 2000 | 4614.73         | 0.100                            |
| 2001 | 3482.77         | -0.32                            |
| 2002 | 3261.25         | -0.06                            |
| 2003 | 3857.94         | 0.15                             |
| 2004 | 5568.98         | 0.30                             |
| 2005 | 7386.55         | 0.25                             |
| 2006 | 11445.13        | 0.35                             |
| 2007 | 15551.55        | 0.26                             |
| 2008 | 14418.65        | -0.08                            |
| 2009 | 13605.19        | -0.06                            |
| 2010 | 18187.67        | 0.25                             |
| 2011 | 17786.04        | -0.022                           |
| 2012 | 17641.97        | -0.008                           |
| 2013 | 19706.78        | 0.104                            |
| 2014 | 24662.41        | 0.20                             |
| 2015 | 27348.65        | 0.098                            |
| 2016 | 26370.69        | -0.03                            |
| 2017 | 28297.55        | 0.068                            |

Source: moneycontrol.com

The average returns of stock exchange has been given in above table from 1991 to 2017 (March). It is evident that in 1991 the value of percentage was 0.32 increased to 0.46 in 1992. But in 1995, it was decreased to -0.21 to -0.14 in 1998. In 2000 it was 0.19 and in 2004 it was 0.30. For the last 17 years, the percentage in increase and decrease depicted the fluctuations on the trend. In 2016 the value of percentage was in minus but in 2017 it was 0.068. In all it is said that the market of stock exchange was volatile and

unpredicted depending on the changing conditions so in stock exchange there is high risk and high returns.

### Figure 1: (See in next page)

$H_0$ : There is no significant difference in the average returns of stock exchange between 1991-to 2017.

**Table 2: Group Statistics on Avg. Returns**

|    | Group     | N   | Mean       | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|----|-----------|-----|------------|----------------|-----------------|
| SE | 1991-2003 | 156 | 3500.2081  | 873.10476      | 69.90433        |
|    | 2004-2017 | 156 | 17331.1653 | 6685.05957     | 535.23312       |

From the mean, it has been depicted that the mean of period from 1991-2003 was 3500.28 is lesser than the mean of the period from 2004 to 2017 which has 17331. I means that the average returns in stock exchange is better after the year of 2003.

### Table 3 (See in next page)

On the average returns, the T-Test was applied and found that the value of F is 202.187 is significant at .000 less than .05 means that there is a significant difference in the average returns of stock exchange between 1991-2003 and 2004-2017. Hence, the null hypothesis namely; "There is no significant difference in the average returns of stock exchange between 1991-2003 and 2004-2017" is rejected and alternate hypothesis namely; "There is a significant difference in the average returns of stock exchange between 1991-2003 and 2004-2017" is not rejected.

### Figure 2 (See in next page)

**Conclusion** - Usually, for the economic growth of any country depends on investment. People invest their hard earn money with a big expectation of best return by investing. People move to fast and safe investment, some people taking risk and invest their hard money in stock market, such as shares, debentures, bonds etc. More risk is to join with investment in stock market of investors, a regulatory authority officially formed by Government of India, named as Securities Exchange Board of India. (SEBI). Securities Exchange Board of India is the barometer of economic growth of stock exchange. SEBI is the governing and regulatory part system of India. SEBI makes rules and regulations for stock markets and all were follow it. It must to say that Discipline is the key to success. There are strict rules for maintaining and practicing it. For the development and expansion of market some rules and regulations are needed and SEBI is expressive regulator for investors and stock exchanges too. Actually SEBI pushing the systematic reforms successfully SEBI has lots of powers to regulate, control and investigate the stock exchange. It has right to stop fraudulent activities. SEBI is beneficial for investors, because it protect the investors' interest.

### References :-


1. Baruwa and Verma (2003) The determinants of SEBI performance: A cross-country study. *Review of Finance*, vol. 3, issue no. 2, pp. 56-64.
2. Chandra (1991) Market timing, selectivity and SEBI performance: an empirical investigation of Stock Exchange in India. *IUP Journal of Financial Economics*, 10(1), 62.
3. Dubey (2017) A Study on Attitude of Brokers towards

- the Stock Exchange. International Journal of Innovative Research & Development. Vol 3, Issue 11, pp. 87-95.
4. Ghosh, et al., (2015) Performance Evaluation of SEBI in India. *The Indian Journal of Commerce*, 67(3), 66.
  5. Ommen A. Ninan (2017) A Study on Performance Evaluation of SEBI and its role on Stock Exchange in India. *International Journal for Innovative Research in Science & Technology*. Vol.2, Issue 11, pp. 812-816.
  6. Pandya (2002) Understanding Individual Investor's Behaviour: A Review of Empirical Evidences. *Pacific Business Review International*, 5 (6), 10-18.
  7. Shah (2016) Measuring performance of SEBI in the context of Stock Exchange. *Finance India*, June 2011.
  8. Verma&Raghunath (2006) Investors Attitude Towards Stock Exchange (Special Reference to Chikkamagaluru District, Karnataka State, India). *International Journal of Management & Business Studies* (IJMBS Vol. 3, Issue 1) pp. 98-107.


**Table 3: Independent Samples Test on Avg. Returns**

|    |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |          |                 |                 |                       |   |              |
|----|-----------------------------|---|------|------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|---|--------------|
|    |                             | F                                       | Sig. | t                            | df       | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | Lower        |
| SE | Equal variances assumed     | 202.187                                 | .000 | -25.623                      | 310      | .000            | -13830.95712    | 539.77876             | -14893.05060                              | -12768.86363 |
|    | Equal variances not assumed |   |      | -25.623                      | 160 .286 | .000            | -13830.95712    | 539.77876             | -14896.95252                              | -12764.96171 |

**Figure 1: Average Returns**



**Figure 2 : Bars on Average Returns**



# Analyzing Impact Of Online Social Platform On Internet Buying Behavior

Dr. Ganpat Joshi \*

**Abstract** - Today, most of the organizations are seeking to utilize this new way of reaching to the existing consumers and making the prospects aware about their offerings all over the world. Internet is one of the fastest modes of communication and information sharing around the world. The intention of this research was to obtain customer responses of their experiences purchasing a product that they bought based on the recommendation of social media contacts and friends. Results confirm the impact of social media on online buying. Consumer often compares product specification online and compare product price on various websites prior to purchase. They prefer to buy products from the websites offering discounts.

**Keywords** - Social Media, Internet, Buying.

**Introduction** - Online social media marketing is emerging as a very powerful tool for marketing the products & services and convincing the customers over the internet. It is like paving new avenues for existing and upcoming organizations. Today, most of the organizations are seeking to utilize this new way of reaching to the existing consumers and making the prospects aware about their offerings all over the world. Internet is one of the fastest modes of communication and information sharing around the world.

This study was set out to evaluate social media as the new medium to reach the consumers and its impact on internet buying behaviour of the consumers. Hence the study is majorly based on the responses of the consumers who are active on internet and do shopping online frequently or have knowledge in the field. This presents the analysis and the interpretation if the responses filled by the sample population on a tested and well structured questionnaire.

The intention of this research was to obtain customer responses of their experiences purchasing a product that they bought based on the recommendation of social media contacts and friends. During the course of the research interview process, respondents were asked to respond to a series of questions geared at understanding the role and influence that various types of social media might have on the purchase behavior of a consumer. In short, our primary research objective was to understand the role that social media plays in product recommendations, product purchases, and dimensions of both of those activities.

**Literature Review** - Building customer engagement in both business and consumer markets requires adaptation of the marketing mix to take advantage of new technologies and tools to better understand and serve customers. Social media provide the opportunity to connect with customers using richer media with greater reach (see, e.g. Thackeray

et al., 2008). The interactive nature of these digital media not only allows sellers to share and exchange information with their customers but also allows customers to share and exchange information with one another as well. Using social media, organizations can forge relationships with existing as well as new customers and form communities that interactively collaborate to identify and understand problems and develop solutions for them. These interactions change the traditional roles of both seller and customer in exchange relationships. Indeed customers often add value by generating content and even become ardent advocates for the seller's products and can influence purchase decisions of others in peer-to-peer interactions.

## Research Objectives :

1. To determine the usage of social media among the internet users of Rajasthan.
2. To identify the internet shopping pattern of internet users of Rajasthan.

On the basis of above review of the work already done on the proposed area it is found that it is required to carry out a research in the area of social media and consumer internet buying behavior in Rajasthan. There are very less evidences are available regarding the study on proposed topic in this geographical area.

1. There are very few studies on social media in India, especially in Rajasthan which is the biggest state of India.
2. There is lack of associative studies on social media and consumer internet buying behaviour.
3. Rajasthan has geographical proximity with the national capital, so it has great potential for online business.

**Methodology** -This research study is a structured research restricted to the social media users and internet shoppers of Rajasthan State. The proposed research is exploratory


\*Assistant Professor, Deptt. of CSE, Madhav University, Abu Raod, Sirohi (Raj.) INDIA

and descriptive in nature. The data is collected from primary and secondary sources. Primary data is collected using structured questionnaires & survey from social media users and internet shoppers of Rajasthan. Secondary data is gathered from prior studies and various online academic resources. The sample universe for this study is active social media users and internet shoppers. The study of statistics can be categorized into two main branches. These branches are descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive and inferential statistics each gives different insights into the nature of the data gathered.

## Result

**Table1: Sample Demographics - Summary**

| Gender                       | Count | Percentage (%) |
|------------------------------|-------|----------------|
| Male                         | 267   | 65%            |
| Female                       | 145   | 35%            |
| <b>Age</b>                   |       |                |
| 20 Years or Under            | 40    | 10%            |
| 21 Years – 30 Years          | 263   | 63%            |
| 31 Years – 40 Years          | 97    | 24%            |
| 41 Years – 50 Years          | 10    | 2%             |
| 51 Years & Above             | 2     | 1%             |
| <b>Occupation</b>            |       |                |
| Student                      | 112   | 27%            |
| Service                      | 152   | 37%            |
| Business /                   | 69    | 17%            |
| Self – Employed Professional | 79    | 19%            |
| <b>Education</b>             |       |                |
| Graduation                   | 145   | 35%            |
| Post Graduation              | 231   | 56%            |
| Doctorate                    | 36    | 9%             |



**Figure 1: Top Usage of Internet**

From the above table and graph it can be concluded that majority of respondents (97 percent of respondents) surf internet for social sites, 79 percent for accessing e-mails, 67 percent for online Shopping and 61 percent for entertainment. Only 16 percent of respondents uses internet for job search, office work and education. This classification was important since and shows that a good percent of respondent connected to internet for entertainment and shopping.

**Table 2: Scale Items to Measure Online Consumer**

## Behavior

| Scale Items   | Variable Name      |
|---|--------------------|
| I prefer internet shopping over offline (physical store) shopping.  | Pref_online        |
| I visit retail stores to see the actual product before online purchase.   | Visit_offline      |
| I compare product specification on various websites prior to purchasing.  | Comp_specification |
| I compare product price on various websites prior to purchasing.  | Com_price          |
| I prefer to buy products from the websites offering discounts.  | Pref_discount      |
| I prefer to buy products from the websites offering loyalty bonus/discounts/cash back for next purchases.               | Pref_loyalty       |
| I take advantage of "Flash Sale (heavy discount on products for a very short span of time e.g. 1-3 hours)" on internet. | Pref_sale          |

**Table 3 (see in next page)**

Table 3 for 't' test result presented with the observed t-value ("t" column), the degrees of freedom ("df"), and the statistical significance (p-value) ("Sig. (2-tailed)") of the one-sample t-test. The P for t-value is <0.05 which confirm that the mean is significantly different from hypothesized mean. From the above descriptive table and statistical test, it can be concluded that consumer seems to prefer internet shopping over offline (physical store).

**Conclusion** - While the field of social media has become an emerging area of research within the business discipline, there still exists uncertainty regarding the extent of the role that various forms of social media has on consumer purchase, and what items the consumers are purchasing. The purpose of this research, therefore, was to investigate the different types of purchase behavior being found from individuals buying items based on social media. Consumer often compares product specification online and compare product price on various websites prior to purchase. They prefer to buy products from the websites offering discounts. Consumers also prefer to buy products from the websites offering discounts and also get attracted towards websites offering loyalty bonus/discounts/cash back for next purchase.

For some dimensions have  $p>0.05$ , which indicates a no difference in means. Hence customer of retail stores not frequently see the actual product before online purchase and they are not very much interested in Flash sales, as many retailer are proving the sales these days.

Our results indicate that consumers are buying either very inexpensive, or very expensive items, and are doing so based on recommendations from people they would not consider "opinion influencers or leaders". This surprising result indicates that firms can influence future purchases, perhaps, by encouraging their users to post on various forms of social media. For instance, firms could use discounts or incentives to have consumers recommend their

product via social media if that recommendation led to future purchases by their connected friends.

In addition, results indicate a slow shift from more traditional forms of social media like Facebook to quicker types of social media like Twitter. Numerous respondents indicated their desire for information now, not even a day or two old, and this research indicates a shift towards that form of social media which is consistent with general themes of today's social media. For businesses, this could indicate that funding allocation might be better served on this type of social media format as opposed to advertisements on a more stagnant media like Facebook.

#### References :-

1. Ertell, K. (2010), "The missing links in the customer engagement cycle", available at: [www.retailshakennotstirred.com/retail-shaken-not-stirred/2010/01/the-missing-link-in-thecustomer-engagement-cycle.html](http://www.retailshakennotstirred.com/retail-shaken-not-stirred/2010/01/the-missing-link-in-thecustomer-engagement-cycle.html) (accessed 9 March 2011).
2. Fýrat, A. F., & Dholakia, N. (2006). Theoretical and philosophical implications of postmodern debates: some challenges to modern marketing. *Marketing theory*, 6(2), 123-162.
3. Goswami, S. (2014). Understanding adoption of electronic G2C service: An extension to Technology Adoption Model. *Pacific Business Review*, 8(6), 36-44.
4. Goswami, S. (2015). A Study on the Online Branding Strategies of Indian Fashion Retail Stores. *IUP Journal of Brand Management*, 12(1), 45.
5. Goswami, S. (2016). Investigating impact of Electronic Word of Mouth on Consumer Purchase Intention. In *Capturing, Analyzing, and Managing Word-of-Mouth in the Digital Marketplace* (pp. 213-229). IGI Global.
6. Goswami, S., & Chandra, B. (2013). Convergence Dynamics of Consumer Innovativeness Vis-à-Vis Technology Acceptance Propensity: An Empirical Study on Adoption of Mobile Devices. *IUP Journal of Marketing Management*, 12(3), 63.
7. Goswami, S., & Khan, S. (2015). Impact of consumer decision-making styles on online apparel consumption in India. *Vision*, 19(4), 303-311.
8. Mathur, M., & Goswami, S. (2014). Store atmospheric factors driving customer purchase intention-an exploratory study. *Journal of Management Research*, 6(2), 111-117.
9. Sawhney, M., Verona, G., & Prandelli, E. (2005). Collaborating to create: The Internet as a platform for customer engagement in product innovation. *Journal of interactive marketing*, 19(4), 4-17.
10. Shevlin, R. (2007). Customer engagement is measurable, available at: <http://marketingroi.wordpress.com/2007/10/02/customer-engagement-is-measurable/> (accessed 9 March 2011).
11. Thackeray, R., Neiger, B. L., Hanson, C. L., & McKenzie, J. F. (2008). Enhancing promotional strategies within social marketing programs: use of Web 2.0 social media. *Health promotion practice*, 9(4), 338-343.

**Table 3: Descriptive and One Sample 't' test – Internet Behavior**

| <b>One-Sample Statistics</b> |     |        |                |                 |
|------------------------------|-----|--------|----------------|-----------------|
|                              | N   | Mean   | Std. Deviation | Std. Error Mean |
| Pref_online                  | 200 | 3.4830 | .98761         | .04866          |
| Visit_offline                | 200 | 3.0947 | 1.15608        | .05696          |
| Comp_specification           | 200 | 3.8738 | 1.09571        | .05398          |
| Com_price                    | 200 | 3.9029 | 1.18601        | .05843          |
| Pref_discount                | 200 | 3.7282 | 1.15212        | .05676          |
| Pref_loyalty                 | 200 | 3.5316 | 1.19467        | .05886          |
| Pref_sale                    | 200 | 3.0024 | 1.17661        | .05797          |

#### One-Sample Test

| Test Value = 3     |        |     |                 |                 |   |        |
|--------------------|--------|-----|-----------------|-----------------|---|--------|
|                    | t      | df  | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | 95% Confidence Interval of the Difference |        |
|                    |        |     |                 |                 | Lower                                     | Upper  |
| Pref_online        | 9.927  | 199 | .000            | .48301          | .3874                                     | .5787  |
| Visit_offline      | 1.662  | 199 | .097            | .09466          | -.0173                                    | .2066  |
| Comp_specification | 16.187 | 199 | .000            | .87379          | .7677                                     | .9799  |
| Com_price          | 15.453 | 199 | .000            | .90291          | .7881                                     | 1.0178 |
| Pref_discount      | 12.828 | 199 | .000            | .72816          | .6166                                     | .8397  |
| Pref_loyalty       | 9.031  | 199 | .000            | .53155          | .4159                                     | .6473  |
| Pref_sale          | .042   | 199 | .967            | .00243          | -.1115                                    | .1164  |

\*\*\*\*\*

# Practices for Building Quality Software with Automation: A Practical Approach


Vikas Kumar Choudhary \* Dr. Sanjay Chaudhary \*\*

**Abstract** - In order to establish consistent standards and procedures for the operations, development, modification, and acceptance of products and services, any organization need to follow some best practices and approach. This paper provide some guidelines to practice Quality Standards and checkpoints during product and service development cycle to build both functional and operational quality from the start. Details discussed herewith are independent of the type of Software Development Lifecycle (SDLC), Waterfall or Agile or any other software Life Cycle Methodologies.

**Keywords** - Automation, Quality, Planning, Models, Quality Gates, Testing, Deployment, Production.

**Introduction** - A Software Development Organization has several test phases and environments in which monthly and/or quarterly release testing is executed. In the lower level of development and test environments, the focus is on **unit**, **functional product owner acceptance**, and **performance** testing. Once code has passed these test phases, it is bundled and promoted to an internal integration test environment for **integration**, **regression**, and **end-to-end performance** testing. Code deployments are also a planned/coordinated event which follow a consolidated implementation plan. Once the internal integration test environment testing has been completed, the code is promoted to another Layer of Quality check to support **external customer** testing with real segregated/locked-down environment. After the partner testing cycle completes in, the **code is then promoted to production** for general use.

At each level/phase of development and testing there should be **Quality gates** in place *prior* to code promotion to the next environment. Defects should be formally tracked, and metrics should be routinely produced to ensure consistent quality.



**Operating Model** - Operating models should include Quality Engineering principles, tools, and practices should be designed to help plan and build quality from the start

hence stakeholders must focus on the following key principles:

1. Execute automation in all environments for speed and quality
2. Drive customer feedback to development by proactively monitoring production and incidents.
3. Enable performance and scale from the start.
4. Promote common tools and standard development-test practices with a focus on audit compliance.
5. Evangelize quality culture by fostering engineering communities.

Quality improvements are only possible when there's role clarity, a clear focus, and capacity allocation to build enablers. Professionals should come together to contribute to common tools and practices by embracing open source culture to build enterprise-wide assets and enable re-use across organization.

**Maturity Assessment Model** - The quest for holistic quality should starts with understanding and benchmarking current practices, use of enterprise standard tools, and maturity includes Code Quality for assessment related to code, security checks, and Continuous Integration and then automation does assessment related to automation layers, reporting, environment, and metrics and then Performance looks at performance strategy, tools, types of testing, reporting, and metrics and at last but not the least quality Checks gating, checks throughout Software Development Life Cycle and environments

**Quality Gating** - Quality gates provide key technology checkpoints that must be leveraged as exit criteria to advance an initiative and/or a feature from Planning to Development, Integration, Customer Acceptance, and Production. These gates, in addition to the gates set by Business Operations, will provide a holistic framework to

\*Ph.D. Scholar (Computer Science) Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur (Raj.) INDIA

\*\* Professor, Deptt. of CSE, Madhav University, Abu Road, Sirohi (Raj.) INDIA

ensure operational and functional quality.

**Product Planning:** All stakeholders must engage early in the planning cycle to understand requirements, prioritization, acceptance criteria, estimations, and integration points to deliver end-to-end test and performance strategies.

**1. Performance Targets** - Stakeholders should have product owner document, then build the performance strategy covering testing and tuning strategies including load, breakpoint, stress, endurance, spike, front end benchmarking, and other forms of performance tests.

**2. Test Strategy and Environments** - Stakeholders, must build an end-to-end test strategy detailing requirements such as test data, testing types (even covering disaster recovery, field testing, migration testing, etc.), environments, connectivity, tools, simulators, lab setups, test suites, defect lifecycle, acceptance criteria, and such.

**3. Testing Approaches** - It should ensure that proper estimation of stories and definition of Story READY and DONE. Definition of Done must include in-sprint automation (unit, functional, customer journey, and performance), monitoring, logging, and other aspects required for Development exit gating.

#### Development Phase

##### **1. Code Check-in with Automated Nightly Build Process:**

Each code check-in initiates an incremental build of the code that was changed (i.e. not a clean build of the entire codebase). Build results (indicating success of the build, including unit test results, of the changed code) should be automatically emailed to each member of the team after each check-in. Then each night CI (Continuous Integration system) performs a clean build of entire codebase. It should runs all unit, functional and performance tests (except long running end to end tests). Then Build results (indicating success of the build, including test results) should automatically emailed to each member of the team after each nightly build.

**2. Unit Testing:** Unit tests are created by the developers during the iteration. Unit tests should run automatically as part of the **code check in process** and as part of the **automated nightly build process**. Unit performance testing to be performed as part of the CI build process.

**3. Peer Reviews:** - A story should be peer reviewed within the team to be considered complete. Code must be checked into the main branch only after peer review, pull requests are used for peer code reviews. Code cannot be checked-in to a remote branch without an approved pull request.

**Functional Testing** - Functional test automation programs should be developed by the Stakeholders where feature development velocity exceeds test development velocity for each API and UI component. In some cases these tests will require a virtualized API (mock) of external systems or environments with production-like data. The respective Stakeholder should work with the developer to implement the mock and write automated scripts for data seeding. Once Story is marked Completed, it is reviewed by the Product Owner/delegate for acceptance.

**Development Acceptance** - Acceptance of developed stories should be done in a dedicated Staging environment. Types of testing in this environment includes:

**1. Deployment Validation Testing:** - Do preliminary automated testing to reveal simple failures severe enough to reject a prospective software release. Then cover the most important functionality of a component or system to ascertain if crucial functions of the software work correctly.

**2. Critical Regression Testing:** -Subset of regression test set that can be run on a daily basis to ensure critical functionality is not broken. This is also used for quick regression testing while promoting production hot fixes.

**3. User Acceptance Testing** should be performed by the product owner.

**Integration - Performance Engineering, Testing, and Tuning:** A dedicated, but scaled environment (in terms of capacity), with production hardware and configuration should be prepared. Unit Performance tests should be there for each API and UI component. A subset of the performance tests (including some load tests) should be run as part of the automated nightly build process. Do automated data setup, execution and analysis of the end-to-end performance tests with the goal of automating this process incrementally using the Continuous Integration (CI) tool stack. Longer running end-to-end performance tests should be executed in a dedicated end-to-end performance environment on a regular cadence. Performance Quality Gates to be met before promoting the code to customer test environment. This includes no blocker performance issues and sign off on performance.

**Types of Performance Testing** - Each type of performance tests (API, UI and mobile) capabilities must capture end-to-end response times, including last mile, under real user and real device conditions. These includes:

**Performance Smoke Test:** Test early in development using self-service tools, **Stress Testing** done beyond normal or peak load, **Load Testing** is done for normal or peak loads for SLAs, **Capacity Testing** done for scaling systems future needs, **Soak Testing** done for normal or peak load for an extended duration, **Spike Testing** is done to check for sudden spike loads and impact on systems. And **Break Point Testing** is done to determine system break points.

**Integration – Functional Testing:** - Integration testing of applications and services are done in a dedicated and controlled environment. This is the first end-to-end integrated environment containing all systems to perform various tests and exercise implementation plans for production like deployment rhythm. Preliminary automated testing to reveal simple failures severe enough to reject a prospective software release.

**Exploratory Testing:** - An informal design technique where the stakeholders actively controls the design of the tests and uses information gained to design new and better scenarios. As part of exploratory testing, consumer touchpoints can be used to validate customer experience from different geographies and devices using Crowd

sourced testing.

**Full Regression Testing:**-Full validation of an application, following modification, to ensure defects have not been introduced in unchanged areas of the software. Performed when the software or the environment has changed. Must cover key customer journeys for a given product(s) or service(s)

**Customer Issue Testing:** -A set of test cases that have been generated based on prior customer reported or impacted defects, problems, and incidents.

**New Functionality Testing:** -Test cases that are based on new features or functionality of product.

**Crowd Sourced Testing (Consumer Solutions)** - Allows to identify specific market/regional testing scenarios in specific geographical locations using real devices on real networks in real user conditions by targets specific demographics/scenarios testing by selecting testers from a pool of testers from different domains. It needs desired mix of device, OS, carrier and browser coverage for both mobile and web.

**Customer Acceptance** - Customer testing of applications and services are done in a dedicated and controlled environment (i.e. sandbox). Customer testing environment must have data set ups and network topology that closely mirror production set ups and network connectivity to customer test environments and labs.

**Deployment Validation Testing** - Preliminary automated testing to reveal simple failures severe enough to reject a prospective software release.

**Critical Regression and Customer Journeys validation (Including Customer Journeys and Persona)** This testing to be conducted by Organization, if required in partnership with customers, to validate end customer journeys and personas using production like customer data and accounts set ups. Automating these customer tests and reporting enables speed to market and instils confidence in our customers by enabling them focus on new feature testing rather than regression.

**Usability and exploratory testing:** Crowd sourced testing to validate flows (regional functionality, regression, localization) before launching to wider customer base.

**Production Launch** - During this phase, software is deployed into Production and will follow with below steps.

**1. Deployment Validation Testing should be done:** Preliminary automated testing to reveal simple failures severe enough to reject a prospective software release.

**2. Field Validation:** -Some applications go through Field validation by crowd source testers during launches by whitelisting accounts. This helps to capture customer experience, validate localization (e.g., terms and

conditions), accessibility, etc. before the broader release.

**3. User Experience/Synthetic monitoring:** - Leverage critical regression scripts covering key customer functionality to execute synthetic tests in production at a regular frequency (say every 5 to 10 minutes). This will help to confirm our systems are not only reported available within our internal monitors but are always working for our customers.

**Monitoring/Alerting** - If the product has operational diagnostic tools then those should be installed and tested. Logging standards are documented for developers to aid in system and business event discovery. The product has a business transactions and system health dashboard validated by Business and Platform operations. Synthetic monitoring should be set up to capture end user experience.

**Capacity planning** - Business pipeline and system performance metrics are combined to arrive at capacity planning (compute, network, and storage) for short-term, medium term, and long term.

**Security compliance** - Compliance strategy and validation plans to meet as per standards. Other data privacy needs must be explicitly captured (e.g. on-soil needs for a specific country, etc.)

**Documentation** - Technical Architecture Design (TAD) should be in place with necessary updates to articulate system architecture including connectivity with other internal and/or 3rd party systems with detailed server/network information. Release notes covering new functionality and defect fixes, customer communications, and product training document for customer facing staff.

**Conclusion** - As part of pre-production checks, Operations and Business Operations need documentation to effectively monitor and support the service. Validations must adhere to Quality Engineering Integration gating requirements and sign-offs. Business operations should monitor program health, periodic validations and monitoring, availability metrics, customer impacting incidents. Customer support teams to capture business and availability metrics for external reporting and driving customer feedback. Hence end to end release of software is achieved includes automation at each level.

#### References :-

1. Clean code: by Robert C. Martin.
2. Code Complete: A Handbook of Agile Software Craftsmanship (Robert C. Martin).
3. Software Engineering: A Practitioner's Approach Paperback – 1, July, 2017, Publisher: McGraw Hill Education.
4. The Pragmatic Programmer by Andrew Hunt, Pearson Education.

## बदलते परिवृश्य में अभिजात महिलाओं की स्थिति की भूमिका

डॉ. रोमा श्रीवारत्नव \*

**प्रस्तावना** – साहित्य, समाज, राजनीति, संस्कृति, कला, ज्ञान–विज्ञान के समस्त क्षेत्रों में आज आर्थिक वर्चर्स्व वाले वर्ग का ही प्रभुत्व दिखाई देता है। आज का युग अर्थ प्रधान युग है। यह बाजारवाद और उदारीकरण का दौर है, यह भूमण्डलीकरण का वह दौर है जो वैश्वीकरण के सुन्दर नामों के पीछे एक भयावह यथार्थ समेटे हुए है। यह उपभोक्ता पूँजी का दौर है। जिसमें एक ऐसी उपभोक्ता संस्कृति विकसित हो रही है जो व्यक्ति और वस्तु दोनों को ही बाजार जीन्स या बाजार का प्रोडेक्ट बनाए दे रही है। इस विषय व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में ‘रुक्षीदेह को भी बाजार की वस्तु बना दिया गया है।’

आज टी०वी० के अनुरूप और फिल्मों में विज्ञापनों की बाढ़ आयी हुई हैं जिसमें रुक्षीदेह का असली प्रदर्शन एक अनिवार्य आवश्यकता जैसा प्रतीत होने लगा है। बदलते परिवृश्य में जहां यह आवश्यकता अनुभव की जा रही थी कि अभिजात वर्गीय व मध्यम वर्गीय महिलाएं कम से कम जागरूक होकर रुक्षी अधिकारों की पैरवी करेंगी परन्तु नारी मुक्ति आंदोलन एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत रुक्षी मुक्ति की बजाय केवल देह मुक्ति तक ही सीमित कर दिया गया। रुक्षी मुक्ति के सवाल युनिक स्वतंत्रता व देहिक स्वच्छंदता से जोड़कर देखा जाने लगा है। बिना यह विचारे कि इसमें भला सिर्फ पुरुष व पूँजीपति वर्ग का ही है। रुक्षी बड़ी शान से विश्व सुंदरी का ताज पहन रही है। फिल्मों और विज्ञापनों में देह प्रदर्शन कर रही है और इसी को अपनी सफलता समझ रही है। सुचमुच क्या यह मामला रुक्षी मुक्ति का है, या रुक्षी देह की मुक्ति का है? या रुक्षी के देहिक शोषण का है। विज्ञापन सुंदरिया भविष्य में कालगर्ल बनने को मजबूर होनी। सभी ऐश्वर्य राय, प्रियंका चौपड़ा या सुष्मिता सेन तो नहीं बन पाती। लड़कियों की एक लम्बी कतार जो विश्व सुन्दरी बनने के प्रयासों में लगी हुई हैं। उनका क्या भविष्य होता है? इस सत्य से हम आंखें नहीं मुँद सकते हैं?

प्रस्तुत शोध-पत्र में 300 सूचनादाताओं का चयन देव निर्दर्शन पद्धति के कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों से लाटीरी विधि द्वारा चयन कियागया है। साक्षात्कार-अनुसूची तैयार कर सूचनादाताओं से महत्वपूर्ण तथ्य एकत्रित किये गये हैं जिससे शोध-पत्र का निष्कर्ष सही दिशा प्रदान करें।

आज के बदलते परिवृश्य की गला काट परिस्पर्धा में रुक्षी भी नहीं पीछे रहना चाहती। विशेषकर अभिजात रुक्षी। इस वर्ग की रुक्षी की मजबूरी नहीं है कि वह देह- को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़े यह उसका शौक बन रहा है कि हर कदम को सीढ़ी बनाया जाए। उपभोक्ता सांस्कृतिक के सब्जबाग में फंसकर वह देह सजग हो रही हैं, हेल्थ सेन्टर पर जा रही हैं फिटनेस अर्जित कर रही है। आज वह सौन्दर्य की प्रतिमा बन कर प्रतियोगिता में आग ले रही हैं। पर वह क्या वह नहीं समझती कि यह उपभोक्तावादी संस्कृति का दौर है जो उसकी देह को भी बाजार का उत्पाद बना देगा। अपने प्रोडेक्ट बेचने के लिए

बाजार उसकी देह को विज्ञापित कर रहा है। जिस दिन बाजार को उसकी जखरत नहीं होगी वह उसकी ओर देखोगा भी नहीं। और वह एइस जैसी तमाम जानलेवा बीमारियों के शिकार होकर पल-पल जीने के नाम पर मरती रही। फिल्मों विज्ञापनों और विश्व सुंदरियों की वह दुनियाँ जहाँ तन की सुंदरता मंदबुद्धि और विचार से अधिक महत्व रखती है। रुक्षी के लिए उन्नत कैरियर प्रदान कर रही है। यह रुक्षी देह को एक बाजार उत्पाद बना रही है यह एक विचारणीय प्रश्न है।

**मॉडलिंग व्यवसाय** – उपभोक्ता संस्कृति की यह विशेषता होती है कि वह हर व्यक्ति वह वस्तु को ही बाजार का ही उत्पाद समझती है। बाजार के अनुसार उसकी योग्यता को निर्धारित करती है। वह रुक्षी को व्यक्ति के रूप में सम्मान न देकर वस्तु के रूप में उसकी देह की उपयोगता समझता है, और उसे विज्ञापन की वस्तु बना देता है। इधर जब से बुराप्तीय कंपनियों का आगमन हुआ तब से हमारे देश की सभी वर्ग की महिलाओं को विशेषकर युवा पीढ़ी में देहिक सजगता आवश्यकता से अधिक आ चुकी है। यह अपनी गाढ़ी कमाई का एक आवश्यक हिस्सा अपने को सुन्दर दिखाने में खर्च करती है। फिर अभिजात वर्गीय महिलाओं का कहना ही क्या? उनके पास तो बाजार को नियंत्रण में तक की शक्ति होती है।

अभिजात महिलाओं का बड़ा हिस्सा फैशन परस्त सुविधा भोगी और सौन्दर्य प्रतियोगिता में व्यस्त हैं किन्तु इन महिलाओं का एक तब का ऐसा है जो अपने पति/पिता/घर परिवार से अलग रहकर अपनी निजी अस्मिता के लिए संघर्षरत है। आज महिलाएं भी नहीं चाहती कि वे अपने पति/पिता की पहचान लेकर समाज में जानी जाए। इसलिए वह समाज में बेहतर स्थान बनाने के लिए संघर्षरत व कार्यरत है। कहीं वे समाज सेविकाएं हैं, कहीं गरीबों के द्वितीय की लड़ाई में पे 'एविटिविस्ट' की भूमिका का निर्वाह कर रही है। जैसे मेघा पाटेकर अखंधीती राय जैसी महिलाएं नर्मदा बचाव आंदोलन के लिए विस्थापितों के लिए संघर्षरत है। बंगाल की प्रसिद्ध लेखिका मां श्वेता देवी आजीवन आदिवासियों के बीच रहकर कार्य करती रहीं। इसी प्रकार अनेक क्षेत्रों में महिलाएं राजसत्ता की गलत नीतियों या आम जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध विश्व स्तर पर संघर्ष कर रही हैं। इन महिलाओं में शिक्षित व जागरूक अभिजात महिलाएं आती हैं जो अपना वर्ग बदलकर स्वयं को डी क्लास की आम जनता के दुःख दर्द से स्वयं को जोड़ती हैं। जो अपने लिए नहीं विश्व के लिए संघर्ष करती हैं। समाज के लिए संघर्ष करती हैं, महिलाओं की मुक्ति के लिए प्रयास करती है। जो सुख-सुविधाएं जीवन का त्यागकर आम जन की मुक्ति का प्रयास करती हैं। उनकी भौतिक मानसिक परिस्थितियों से स्वयं को जोड़ती हैं।

**तालिका संख्या- 1 : आप मनमाने ढंग से अपना जीवन व्यतीत करती है**

| क्र. | मनमाने ढंग से जीवन | आवृत्ति | प्रतिशत |
|------|--------------------|---------|---------|
| 1    | हाँ                | 90      | 30      |
| 2    | नहीं               | 210     | 70      |
|      | कुल योग            | 300     | 100     |

उपर्युक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि 62.33 प्रतिशत अभिजात वर्ग की महिलाएं अपना जीवन से नहीं जीती हैं बल्कि वे समाज, परिवार आदि को ध्यान में रखते हुए आना जीवन व्यतीत करती हैं। इन अभिजात वर्गीय महिलाओं का एक तबका या एक वर्ग ऐसा भी होता है जो 'कैरियरिस्ट' होता है। जो व्यक्तिगत रूप से अपनी उच्चति के प्रति जागरूक होता है। ये महिलाएं अच्छी मनचाही उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं और अपना एक कैरियर निर्धारित करती हैं। ये उच्च कोटि की प्रशासनिक सेवाओं, डाक्टरी, इंजीनियरिंग, लेक्चरार, वैज्ञानिक आदि के पदों पर पहुँचना अपना लक्ष्य समझती हैं। इन पदों पर पहुँचकर ये देश समाज व राष्ट्र का जितना भला हो सकता है, करती हैं। इन महिलाओं को भी अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपने लक्ष्य पहुँचने के लिए इन्हें पिरूसत्तात्मक समाज के विविध फ़ाइलों को भी सहन करना पड़ता है। यदि ये अपने लक्ष्य पर अंडिंग करती रहती हैं तो उसे प्राप्त ही कर लेती हैं। इस

सन्दर्भ में उन्हें प्रायः अपने घर परिवार का भी विरोध सहना पड़ता है। कई-कई बार उन्हें परिवार और करियर में से एक को चुनने के लिए विवाह होना पड़ता है।

राजनीति और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए भी उन्हें घर से लेकर बाहर तक संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी समाज व राष्ट्र के अभ्युत्थान में इन महिलाओं के कार्यों व योगदान को नकारा नहीं जा सकता है।

### **सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-**

1. सिंह, विनीता, वूमैन डोमैस्टिक: वर्कस् विद् इन हाउसहोल्ड (2006)
2. झा, के०एन०, मॉर्नीजिंग वूमैन: सर्चिंग देयर आइडिन्टज (2005)
3. मोजम्मिल हसन, आरजू भारतीय महिला एवं आधुनिकीकरण (2002)
4. ग्रीफीन, डुर्इग वूमेन स्टटीज (2004)
5. आर०एन०मुखर्जी, भारतीय समाज एवं संस्कृति, (1992) विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. सहाय एस०, वूमेन एण्ड इमर्पोवरमेन्ट (1998) डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस
7. हिवर्ड, सी०, जेन्डर, एजुकेशन एण्ड डिवैलपमेंट रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

\*\*\*\*\*

# महेश्वर हथ करघा उद्यमियों में योगासन के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना

**प्रतिष्ठा दासोंधी \* डॉ. मंजु शर्मा \*\***

**प्रस्तावना** – प्रस्तुत शोध पत्र महेश्वर हथ करघा उद्यमियों में योगासन के प्रति जागरूकता का अध्ययन पर है। योगासन से स्वास्थ्य लाभ व योगासन के प्रति उद्यमियों की रुचि व जागरूकता ज्ञात करना है।

वे अपने व्यवसायिक जीवन की व्यवस्था में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास स्वयं के कार्य के लिए वक्त नहीं होता है। वे अपने उपर ध्यान नहीं नहीं दें पाते हैं। योगासन ही एक ऐसा व्यायाम है जिससे मन, शरीर व स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। जिससे व्यवसायिक कार्य करने में अधिक ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है इसी कारण हमें योगासन के प्रति जागरूकता को ज्ञात करने के उद्देश्य से प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिये महेश्वर हथ करघा उद्यमियों में योगासन के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना विषय का चुनाव किया है।

**महेश्वर हथ करघा उद्योग का परिचय** – महेश्वर, महेश्वर साड़ियों के उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। महेश्वर हथ करघा क्षेत्र की नींव होल्कर राज्य की रानी देवी अहिल्याबाई होल्कर के द्वारा सन् 1767 में रखी गई थी। हथ करघा उद्यमियों के द्वारा वर्षों पर अनेकों प्रकार से अभिकल्पना (कारीगरी) की जाने लगी जिससे वर्षों की सुन्दरता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। यहां पर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है जिनके तटीयक्षेत्र घाटों पर कई प्रकार की कृतियां बनी हुई हैं। उद्यमियों ने उन कलाकृतियों को वर्षों पर उकेरा। जिससे वर्षों की सुन्दरता व आकर्षण में वृद्धि हुई। जिससे महेश्वर के वर्षों की विश्व स्तर पर ख्याति बढ़ी। देश विदेश में महेश्वर के नाम को जाना जाने लगा। यहाँ पर लगभग 1900 हथ करघे कार्यशील अवस्था में है। इन हथ करघा पर 4000-5000 लोग कार्य करते हैं आज महेश्वर की लोकप्रियता धार्मिक नगरी व पर्यटन स्थल के नाम के साथ-साथ महेश्वरी साड़ी के लिये भी प्रसिद्ध है।

**हथ करघा उद्यमियों में योगासन के प्रति जागरूकता की स्थिति** – हथ करघा उद्यमियों में योगासन की स्थिति को जानना अत्यन्त आवश्यक है। उनके जीवन में योग आवश्यक है। उनके स्वास्थ्य के प्रति सजगता लाना अत्यन्त आवश्यक है। उम्र के साथ-साथ शरीर शिथिल होता जाता है। उसे सामान्य अवस्था में बनाये रखने के लिए हमें प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। जिससे थकान व कमजोरी का अनुभव कम होता है।

साथ ही शरीर में स्फुर्ति/तेज व रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का विकास बढ़ने लगता है जिससे वे अपने व्यवसाय पर ज्यादा ध्यान दे पायेंगे व

परिवार में भी समय ढे पायेंगे। हथ करघा कार्य में शारीरिक कार्य ज्यादा होता है। हाथ पैर एक साथ चलते हैं। कमर सीधी कर के बैठे रहते हैं यह अवस्था लगातार चलती रहती है व ऐसे में योगासन का सहारा लिया जाना चाहिए इसमें किसी भी प्रकार का आर्थिक खर्च नहीं लगता है। स्वास्थ्य को बनाया जा सकता है। इस शोध में इन्हीं स्थितियों का अध्ययन किया गया है।

## उद्देश्य :

1. महेश्वर हथ करघा उद्यमियों में योगासन के प्रति जागरूकता को ज्ञात करना।
2. उद्यमियों में योगासन व ध्यान के प्रति रुचि को जानना और योगासन के बारे में जानकारी देना।

**शोध पद्धति** – शोध अध्ययन में हमारे द्वारा खरगोन जिले के महेश्वर स्थान का चयन किया गया है जो उद्देशानुसार है। शोध अध्ययन में हमारे द्वारा महेश्वर हथ करघा उद्यमियों को लिया गया है। उनमें योगासन के प्रति जागरूकता करना साथ ही उनमें योग की रुचि को जानना व उन्हें योग से सम्बन्धित जानकारिया प्रदान करने से संबंधित शोध है।

महेश्वर हथ करघा उद्यमियों का चयन देव निर्देशन विधि से किया गया है जिसमें हमारे द्वारा 100 उद्यमियों का चयन किया गया। जिसमें 50 पुरुष व 50 महिलाओं का चयन किया गया। योग के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते तथा वे अपने जीवन में इसे महत्व देते हैं या नहीं यहीं हमारे शोध अध्ययन के द्वारा जाना गया।

शोध पत्र में हमने साक्षात्कार अनुसूची का चयन किया व हमारे समग्र भी यहीं है।


**तथ्यों का सारणीयन एवं वर्गीकरण** – शोध पत्र में एकत्रित तथ्यों को मुख्य सारणियों में प्रस्तुत किया गया है। इसी के अनुसार उनके प्रतिशत को ग्राफ आलेख के द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

## तालिका क्रमांक - 1 : उद्यमियों में योगासन के प्रति रुचि संबंधी विवरण

| योगासन के प्रति रुचि रखते हैं | पुरुष | प्रतिशत | महिला | प्रतिशत | कुल प्रतिशत |
|-------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------------|
| हाँ                           | 35    | 70      | 31    | 62      | 66          |
| नहीं                          | 15    | 30      | 19    | 38      | 34          |
| योग                           | 50    | 100     | 50    | 100     | 100         |


\* शोधार्थी (गृहविज्ञान) माताजीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.) भारत

\*\* प्राध्यापक (गृह विज्ञान) माताजीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.) भारत



तालिका क्रमांक-2 : योगासन के प्रकार के सम्बंधित विवरण


| किस प्रकार का योगासन पसंद करते हैं | पुरुष     | प्रतिशत    | महिला     | प्रतिशत    | कुल प्रतिशत |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| आसन(विभिन्न)                       | 15        | 30         | 14        | 28         | 29          |
| ध्यान                              | 10        | 20         | 15        | 30         | 25          |
| ॐ उच्चारण (भास्मी)                 | 11        | 22         | 6         | 12         | 17          |
| किसी प्रकार का नहीं                | 14        | 28         | 15        | 30         | 29          |
| <b>योग</b>                         | <b>50</b> | <b>100</b> | <b>50</b> | <b>100</b> | <b>100</b>  |



तालिका क्रमांक-3 : योगासन के बारे में जानकारियाँ देने संबंधी विवरण

| योग पसंद करते हैं | पुरुष | प्रतिशत | महिला | प्रतिशत | कुल प्रतिशत |
|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------------|
| सहमत              | 30    | 60      | 34    | 68      | 64          |
| असहमत             | 10    | 20      | 9     | 18      | 19          |
| आंशिक             | 5     | 10      | 4     | 8       | 9           |

|            |           |            |           |            |            |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| अज्ञान     | 5         | 10         | 3         | 6          | 8          |
| <b>योग</b> | <b>50</b> | <b>100</b> | <b>50</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |



**निष्कर्ष एवं सुझाव** – प्रस्तुत तालिका व ग्राफ चार्ट के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि, महेश्वर हथ करदा उद्यमियों में योगासन के प्रति रुचि 66 प्रतिशत तक है लेकिन उनको योगासन करने के फायदे व योगासन के विभिन्न आसनों का ज्ञान नहीं पाया गया। 8 प्रतिशत उद्यमी योगासन से पूर्णतः अनभिज्ञ पाये गये। 34 प्रतिशत उद्यमी योगासन करना पसंद नहीं करते हैं। वे योगासन में समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। योगासन की रुचि के संबंध में 70 प्रतिशत पुरुष व 62 प्रतिशत महिलाएँ योग करना पसंद करते हैं। 30 प्रतिशत पुरुष व 38 प्रतिशत महिलाओं को योगासन के प्रति रुचि नहीं हैं।

योगासन के प्रकारों की चर्चा करे तो विभिन्न आसन 30 प्रतिशत पुरुष व 28 प्रतिशत महिलाएँ पसंद करती हैं। ध्यान 20 प्रतिशत पुरुष, व 30 प्रतिशत महिलाएँ पसंद करती हैं। भास्मी 22 प्रतिशत पुरुष व 12 प्रतिशत महिलाएँ पसंद करती हैं। 28 प्रतिशत पुरुष व 30 प्रतिशत महिलाएँ योग नहीं करते हैं।

योगासन की जानकारी प्राप्त करने के बाद 60 प्रतिशत पुरुष उद्यमी व 68 प्रतिशत महिला उद्यमियों ने योगासन करने की सहमति दी गई। 20 प्रतिशत पुरुष उद्यमी व 18 प्रतिशत महिला उद्यमी ने योगासन के प्रति असहमति दी गई। 22 प्रतिशत पुरुष व 10 प्रतिशत महिला उद्यमी व 08 प्रतिशत महिला ने योगासन के प्रति आंशिक सहमति दी। 10 प्रतिशत पुरुष व 6 प्रतिशत महिला उद्यमी ने योगासन के प्रति अज्ञानता को दर्शाया गया।

**सुझाव** – प्रस्तुत अध्ययन में निष्कर्ष रूप से देखा गया कि 60 प्रतिशत उद्यमियों को योग विद्या पसंद है, लेकिन 40 प्रतिशत उद्यमियों का रुझान योग न करना है। उनको योग में समय की बर्बादी लगता है। उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में भी कमी पाई गई है। हमें उन्हें योग के प्रति और अधिक जागरूकता को बढ़ाना होगा ताकि वे स्वास्थ्यवर्धक बने रहें।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हथ करदा प्रशिक्षण केन्द्र – टी.एम.अंसारी
2. व्यवसायिक प्रबंध के सिद्धांत – आर.सी.अग्रवाल
3. सांख्यिकी के मूल तत्व – डॉ.एच.के.कपील
4. शैक्षिक शोध – डॉ. हंसराजपाल
5. संसाधन प्रबंध का परिचय – डॉ. मंजु शर्मा
6. अनुसंधान सांख्यिकी – डॉ. मंजु पाटनी
7. इंटरनेट सुविधा के द्वारा – वेबसाइट के द्वारा